

भारतीय समाज की समस्याएँ

संकट प्रदाता और जर्जरता

• — डॉ. नीतू सिंह तोमर — •



AkiNik Publications
New Delhi

संकट प्रदाता और जनता

लेखक

डॉ. नीतू सिंह तोमर

एम.ए., पी—एच.डी., समाजशास्त्र,

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली—110002

निवास पता : ताजपुर, पत्रालय—बिधूना, जनपद औरैया, उ.प्र. 206243

अकिनिक पब्लिकेशन
नई दिल्ली

पुस्तक का शीर्षक

संकट प्रदाता और जनता

लेखिका

डॉ. नीतू सिंह तोमर

प्रकाशक

अकिनिक पब्लिकेशन्स

169, सी – 11, सेक्टर – 3,

रोहिणी, नई दिल्ली – 110085, भारत

टोल फ्री (भारत) – 180012340470

प्रथम संस्करण: 2019

पृष्ठ: 308

मूल्य: 1500/-

Paperback ISBN: 978-93-5335-716-0

E-Book ISBN: 978-93-5335-717-7

मुद्रक:

अखिल गुप्ता, अकिनिक पब्लिकेशन्स, रोहनी, नई दिल्ली—110085

इस पुस्तक का कोई भी भाग किसी भी रूप में या किसी भी अर्थ में प्रकाशक की अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता। सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन है।

भूमिका

भारतीय समाज में अनेक समुदाय एवं धर्म हैं। इनकी कुल जनसंख्या 1210193422 में 83.31 करोड़ ग्रामीण एवं 37.71 करोड़ शहरी तथा हिन्दू 80.5%, मुस्लिम 13.4%, ईसाई 2.3%, सिख 1.9%, बौद्ध 0.8%, जैन 0.4%, अन्य-धर्म 0.6%, धर्महीन 0.1% है। इनके अनेक देव, पीर, फकीर, भंते, गुरु, पन्थ और ईश हैं। इनकी मान्यताएँ 'सबका मालिक एक' और 'जगत के समस्त प्राणी ईश्वर की सन्तान' तथा 'किसी प्राणी को कष्ट देना' अथवा 'हिंसा करना' अपराध है। मृत्योपरान्त कयामत अवसर पर पाप-पुण्य का हिसाब होने पर दण्ड स्वरूप जीव को नरक-दण्ड का भोग अवश्य भोगना पड़ेगा।

समाज धार्मिक पाखण्डों के मकड़जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। देव-स्थलों पर रखे पत्थर मानव के लिए पूजनीय हैं। धार्मिक प्रवचनों से वशीभूत मानव कुर्बान होते हैं। जेहाद नाम पर नरसंहार होता है। कर्मकाण्डों में जीव बलि दी जाती है। पाखण्डी स्वयंभू ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होकर भोग विलास में लिप्त हैं। देवस्थल तस्करी एवं आतंकवादियों के अड्डे बने हुए हैं। यहाँ से अफवाहें फैला कर व्यक्ति-समाज को भय, दहशत, अराजकता, अन्धानुकृत वातावरण में रहने को मजबूर किया जाता है।

जनता के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाएँ एवं साधन स्वार्थी, विध्वंशक, नाशक, धनी, ठगों व संगठित अपराधियों की सुख-सुविधाओं एवं आय के साधन बन गए हैं। इस सम्बन्ध में निरीक्षण तथ्य यह बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दुःखी, वृद्ध, बीमारी ग्रसित जनों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और यदि कोई ऐसे लोगों की सहायता करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर बाँकी नहीं रखते हैं।

राजनेताओं का प्रयास सत्ता एवं शक्ति पर किसी भी प्रकार अधिकार प्राप्त करना और तब तक उसके साथ चिपके रहने से होता है जब तक चुनाव के द्वारा उन्हें उखाड़ न फेंका जाय। उनका यह भी प्रयास होता है कि सत्ता पर उनके ही परिवार का व्यक्ति स्थापित हो जाए। हर बात जनता की दुहाई देकर लोगों के भावात्मक आवेश को ये प्रतिनिधि अपने पक्ष में कर लेते हैं फिर चरवाहे की तरह इन भेड़ों को हाँकते हैं। जनता पागल होकर इनके पीछे दौड़ती रहती है, इनका यशगान करती रहती है और उन्हें अपना भाग्य-विधाता मानकर पूजा करने लगती है लेकिन अन्ततोगत्वा यह मालूम पड़ जाता है कि ये शक्तियाँ सारा नाटक अपने स्वार्थी केन्द्र के चारों ओर ही रचती हैं। भेद खुल जाने पर पुजारियों को ज्यों ही शंका होने लगती है उन्हें निर्ममता से समाप्त कर दिया जाता है।

गरीब एवं उनके आश्रित जीवन की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं के अभाव में जीवन-यापन कर रहे हैं। ये दरिद्र और उनके आश्रित रोटी के लिए रोज अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। यह कूड़े-कचड़े के ढेरों में कबाड़ बीनते हैं, तालाब-गड्डों से मेड़क-मछली ढूँढ़ते हैं, खेत-वन में पक्षी-खरगोश पकड़ते हैं, बिलों में सांप निकालते हैं, कोल्ड में सड़े आलू बीनते हैं, भीख माँगते हैं और रूखी-सूखी रोटी से अपना तथा आश्रितों के पेट की भूख की आग मिटाते हैं। इनके आवास गन्दगी के ढेरों, गन्दे नालों, तालाबों, गन्दगी क्षेत्र में कीड़े-मकोड़ों के बीच टूटी-फूटी झोपड़ियों में हैं जहाँ जहरीले कीड़े-मकोड़ों का प्रकोप है। कुत्ते, बिल्ली, बकरी, बन्दर, नांग, बिच्छू, गधे, खच्चर आदि परिवार के सदस्य के रूप इनके साथ रह कर इनकी आजीविका एवं सुरक्षा में साथ निभाते हैं। यह दरिद्र और उनके आश्रित शिक्षा व रोजगार सहित दरिद्र कल्याण योजनाओं एवं आरक्षण लाभ से जबरदस्त वंचित हैं। इनको मिलने वाले भूमि-पट्टे, आवास, राशन, नौकरी, सब्सिडी, लोन, आरक्षण सभी कुछ सक्षम व कर्मचारी हड़प रहे हैं। दबंग इन पर अपराधी का ठप्पा लगाकर इनसे बेगार कराते एवं स्त्रियों से शराब बिकवाते हैं तथा मादक द्रव्य, शराब आदि फर्जी मामलों में फंसाकर जेल में डलवा देते हैं। नौकरी में आरक्षण होने के बावजूद एस.टी. वर्ग के व्यक्तियों की बेरोजगारी देश-समाज के लिए बड़ी चुनौती है।

भारत में निर्धन, दरिद्र, कंगाल और लाचार मनुष्यों का जीवन बुरी तरह संकटग्रस्त है। भरपेट भोजन, पहनने के लिए स्वच्छ वस्त्र और रहने के लिए आवास उनके सपने से भी परे है। उनके मन-मस्तिष्क पर मौत का साया मडराता दिखाई देता है। उनकी भूख की तड़फ और दर्द का विलाप सम्पन्न व्यक्ति को नाटक लगता है। उनका रक्त और काया व्यापारियों की आय के स्रोत बने गए हैं। लाचार मानव जहाँ भी जाता है उसका शिकार किया जाता है। मानव शिकार अवसर पर ढोल बजाकर उत्सव मनाए जा रहे हैं। धनी और विशिष्टजन साधारण जनता को ठीक उसी तरह शिकार बनाते हैं जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है या सांप अपने अण्डों को स्वयं निगल जाता है।

घटनाओं का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि अधिकतर घटनाएँ क्षेत्रों की राजनीति से जुड़े दबंगों एवं संगठित अपराधियों द्वारा घटित की जाती हैं। यह संगठित अपराधी पुलिस एवं प्रशासन से साँठ-गाँठ कर योजनाबद्ध तरीके से घटनाओं को अन्जाम देते रहते हैं। इन आपराधिक घटनाओं में उन्हीं लोगों को शिकार बनाया जाता है जो सीधे और सरल स्वभाव के बाल, वृद्ध, गृहस्थ नर-नारी होते हैं। इन लोगों पर डाकू, लुटेरे, ठग और उनके गुर्गे तरह-तरह के प्रपंचों से अपना प्रभाव जमाते हैं। समाज के हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। व्यक्तियों की निकटता पाकर उनके परिवार की जासूसी करते हैं। परिजनों को नगरों की सैर और तीर्थ-भ्रमण कराते हैं। परिवार में विवाद कराकर उनके आपसी सम्बन्ध विच्छेद कराते हैं। उनकी सम्पत्ति को विवादित कराकर अपने संरक्षण में लेने की कानूनी प्रक्रिया सम्पन्न कराते हैं। राजनेताओं, अधिकारियों तथा कुख्यात लोगों के सम्पर्क से भय और दहशत उत्पन्न कर लोगों के मन-मस्तिष्क पर अपना जबरदस्त प्रभाव बनाते हैं। इस प्रकार लोगों की अपने ऊपर पूर्ण निर्भरता और मानसिक दासता पाकर उनकी सम्पूर्ण धन-सम्पत्ति का हरण कर लेते हैं।

घटनाओं की चर्चा या विरोध या मुकदमा करने वाले लोगों का अपहरण कर लिया जाता है। उनकी माँ, बहिन, बेटी और पत्नी को अपनी हवस का शिकार बनाकर धन-सम्पत्ति लूट ली जाती है। वादी के सहयोगी और गवाहों की हत्या कर दी जाती है। घटित हो रही

घटना की सूचना पर पुलिस मौका बारदात जाने से बचती है। डाकू-लुटेरे घटना को अन्जाम देने के बाद गाँव-नगर के बाहर जाकर 'इधर गए, उधर गए' कहकर शोर मचाते हैं। जिससे लोग एकत्रित होते हैं और बदमाशों की खोज का नाटक होता है। पुलिस के समक्ष पीड़ित पक्ष के आक्रोश पर पुलिस के लोग ऊल-जलूल तर्क देकर निर्धारित पुलिस कार्यवाही की उपेक्षा कर अपराधियों को बचाने का प्रयास करते हैं। अदालत और अधिकारियों के आदेशों पर कानूनी कार्यवाही उपरान्त मामलों में एफ. आर. लगाकर कार्यवाही बन्द कर दी जाती है। यदि पीड़ित की ओर से कोई मुकदमा पैरवी की जाती है तो संगठित दबंग अपराधी और पुलिस के लोग बौखलाकर वादी को धमकाकर-मारपीट तथा अमानुषिक उत्पीड़न कर फर्जी मामलों में फंसाकर जेल में डलवा देते हैं। न्यायालय सुनवाई के दौरान अपराध स्वीकार कराने हेतु दबाव डाला जाता है तथा अपराध स्वीकार न करने पर झूठी गवाही देकर सजा करवा दी जाती है।

आजादी के 70 वर्षों बाद भी देश में रोजी, रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लूट, डकैती, हत्या, रिश्वत, भ्रष्टाचार, घोटाला, शोषण, आतंक, मिलावट आदि गम्भीर समस्याएँ बनी हुई हैं। कोई राष्ट्र तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके इतने अधिक नागरिकों का जीवन रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित हो, जीवन सम्भावना कुपोषणग्रस्त हो, कम शिक्षा अवसरों तक सीमित हो, सामाजिक भेद-भाव किया जाता हो और विद्यार्थी सूर्योदय-सूर्यास्त दिशा से अज्ञान हों। आज जनता को न तो जीवन की मूलभूत वस्तुओं की प्राप्ति हो पा रही है और न ही शिक्षा के पर्याप्त अवसर सुलभ हो रहे हैं और न ही उन्हें सामाजिक, आर्थिक विकास की विविध गतिविधियों में भागीदारी का अवसर मिल रहा है। जीवन की गुणवत्ता एवं जीवन शैली में सुधार लाने वाले विकास कार्यक्रमों का लाभ पाने से दरिद्र वंचित हो रहे हैं। दरिद्रता, रोग, भुखमरी, कुपोषण, निरक्षरता समस्याएँ गम्भीर रूप धारण कर रही हैं। स्फीतकारी प्रवृत्तियों, व्यापक भ्रष्टाचार तथा घोटालों को रोक पाने की असमर्थता से जनता में व्यापक रोष है।

भारत में दीन-हीन असहाय की सहायता करना धर्म और धर्म को 'जीवन का अनुशासन' समझा जाता है। धर्म का पालन कर मनुष्य स्वयं का हित करते हुए सारी मानव जाति का भी हित करता है। देश के प्राचीन ऋषि-मुनियों ने लोगों में धर्म के प्रति आस्था जगाने के सतत प्रयत्न किये। उन्होंने धर्म के तत्त्व एवं महत्त्व तथा जीवन पर उसके प्रभावों का मूल्य समझा और बताया कि धर्म के सहारे सफल जीवन यापन किया जा सकता है। वर्तमान बदलते परिवेश में भारतीय समाज में समस्याओं का जो रूप उभर कर सामने आया है। उससे मुझे समाज की समस्याओं के स्वरूप को संग्रहित करने की विशेष उत्कण्ठा हुई। एतदर्थ इस विषय पर कार्य करने का विचार आया। परिणामतः मैंने यह भारतीय समाज की समस्याएँ : 'संकट प्रदाता और जनता' का ग्रन्थ लिखना प्रारम्भ किया तथा जन-समस्याओं के संग्रह हेतु विभिन्न ग्रन्थों का अध्ययन करके कानपुर परिक्षेत्र के जनपदों में जाकर जनसमस्याएँ संग्रहित कीं। प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पूर्ण प्रतिपाद्य 128 सामाजिक मुद्दों का संग्रह- 'संकट प्रदाता और जनता' है।

मैं श्री एन. सिंह सेंगर की आभारी हूँ जिन्होंने इस शोधकार्य में योगदान प्रदान किया है। मैं कानपुर परिक्षेत्र की जनता के लिए विशेष आभारी हूँ जिनके स्नेहपूर्ण सहयोग और साक्षात्कार से समाज की समस्याएँ संग्रहित हो सकी हैं और यह जनोपयोगी विशेष कार्य पूर्ण करने में सफल हुई हूँ।

विषयानुक्रमणिका

क्रम	विषय—विवरण	पृष्ठ सं
1.	भारतीय समाज की धार्मिक विभिन्नता में निहित एकता	01
2.	भारत के राष्ट्रीय संग्रहालयों में वास्तविक अवशेषों का अभाव	02
3	पदक, पुरस्कार और बन्दर—बॉट	03
4.	ट्रस्ट—समितियों—स्वयं सेवी संगठनों के समाज विरोधी आचरण	04-
5	मानवीय मूल्यों का नैतिक महत्त्व : एक समाजिक विवेचन	06
6	पर्यटन, व्यवसायवाद एवं मानव प्रसन्नता : चुनौतियाँ एवं अवसर	09
7	उपहास और विश्वास	11
8	वेतनभोगियों की अतिरिक्त धन—सम्पत्ति और कालाधन	12
9	धन का असमान वितरण और शोषण परम्परा	13
10	दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं का वर्तमान स्वरूप	15
11	निर्धनता, कुपोषण और दरिद्रता	23
12	दरिद्रता कुचक्र और अर्थव्यवस्था	28
13	फर्रुखाबाद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों पर अवैध कब्जों का विवेचन	31
14	खाद्य अधिकार की सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था	37.
15	भारतीय कृषक और राजनीति	42
16	गरीबों की ठेकेदारी और सामूहिक नीलामी	45
17	दासता की मूर्त और बन्धुआ मजदूर	47
18	फर्रुखाबाद के दरिद्र हवालातियों के अमानुषिक उत्पीड़न का वर्तमान स्वरूप	48
19	शासकों की शरारत और जनशोषण	49
20	साधारण जनता को इन्साफ चाहिए	51
21	भ्रष्टाचारमुक्त न्याय की अपेक्षा और जनता	53
22	अमीर एवं गरीब तथा संरक्षकता सिद्धान्त	56
23	भारत में आरक्षण की आवश्यकता और दरिद्रता	58
24	सामाजिक कुरीतियों का परिणाम गैर—किसानीकरण	61
25	भारतीय जनता का धार्मिक वितरण और अल्पसंख्यक	62
26	भारत में लोक सशक्तीकरण	65
27	राज्य व्यवस्था के आधार	66
28	श्रेष्ठ नेतृत्व	67
29	अनुशासन, दण्ड और मौन	69
30	भाषा, वेश और शिष्टाचार	71
31	मानवता की रक्षा के लिए श्रेष्ठजनों की आवश्यकता	73
32	भारत माता के महान सपूत स्वामी विवेकानन्द	74
33	मानकीय शिक्षण से ही व्यक्ति विकास सम्भव	76
34	गाँधी और समाजवाद	77
35	सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह	79
36	सर्वोदय, स्वराज और आदर्श समाज	81
37	शासक—धर्म, राज्य—व्यवस्था और न्याय—व्यवस्था	83

38	मानवता का धर्म और लोकतन्त्र	85
39	राज्यसभा, लोकसभा और भारतीय संसद	87
40	लाकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था और नेता	91
41	पद प्रसाद राज्यपाल और सरकार	93
42	भारत में पद प्रसाद और रोजगार का वर्तमान स्वरूप	95
43	पद प्रसाद और परिवार तथा अत्याचार	97
44	अभिजन शासन और सिंहासन	99
45	नायक, सत्ता और शरारत	102
46	शरारती प्रभुत्व और नेतृत्व	104
47	देश में सार्थक जन-नेतृत्व का अभाव	109
48	उ. प्र. राज्य की राजनीति और लोक प्रशासन का वर्तमान स्वरूप	110
49	राजनीतिक प्रतिनिधियों की मनमानी और गुलामी	113
50	जनसेवा और सत्ता	116
51	विकास में बाधक भ्रष्टाचार प्रदूषक	118
52	सरकारी योजनाओं की लूट पर अंकुश लगे बिना जन-कल्याण असम्भव	120
53	भ्रष्टाचार उन्मूलन और लोकोद्धार	123
54	शिक्षा और समाज	125
55	शिक्षा उपाधि	127
56	जन-उपयोगी नहीं रही परिषदीय शिक्षा और सरकारी चिकित्सा	129
57	विद्या, विधान और संस्थान-फर्रुखाबाद के कालेजो का अध्ययन	130
58	शिक्षा संस्थान और धोखा	135
59	शिक्षा संस्थाओं का वर्तमान स्वरूप	137
60	कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों की शिक्षा का वर्तमान स्वरूप	139
61	फर्रुखाबाद की निरक्षरता और शिक्षा का वर्तमान स्वरूप	144
62	व्यक्तित्व विकास के लिए मानकीय शिक्षण जरूरी	148
63	किराए की डिग्री से संचालित कालेज बन्द होने चाहिए	149
64	उच्च-शिक्षा के सुधार हेतु तथ्यात्मक सुझाव	151
65	समाज सुधार एवं समाज सुधार आन्दोलन की पृष्ठभूमि	153
66	भारतीय गाँवों एवं नगरों में सामाजिक वर्ग संरचना	154
67	भारतीय जनपद फर्रुखाबाद के नगरों का वर्तमान स्वरूप	155
68	झुग्गी-झोपड़ियों वाले गाँवों की बस्तियों के लोगों की गरीबी और दुर्दशा	163
69	बस्ती गन्दगी और बीमारी	164
70	मानव शरीर और रोग तथा उपचार	167
71	रोग चिकित्सा और अस्पताल	169
72	मदिरा और मानव	172
73	नशा और नाश	175
74	अपराध विकास और सत्यानाश	178
75	अपराध तत्त्व का सामाजिक विश्लेषण	180
76	पाप, क्रूरता और दुराचार	182
77	अपचारी का ठप्पा और अपराध	184

78	समाज का रक्षण, भक्षण और संरक्षण	186
79	सफेदपोश अपराध के कारण और निवारण	188
80	अपराध, न्याय और दण्ड के व्यवहारिक स्वरूप	190
81	देहाती-शहरी अपराध और डाकू-महाजन अत्याचार	193
82	रहीसों की शरारत का समाज पर प्रभाव	195
83	अपराध और साइबरस्टॉकिंग	197
84	अजगर प्रभुत्व और आतंकवाद	201
85	बड़े बाप की बिगडेल सन्तान और आतंकवाद	203
86	भारत में आतंकवाद	205
87	पंचायतीराज में महिलाओं पदासीनता का वर्तमान स्वरूप	209
88	महिलाओं की शैक्षिक समस्याएँ और मानव विकास	211
89	वैश्वीकरण युग में महिलाओं की समस्याएँ	213
90	दहेज दानव और नारी हिंसा	216
91	नारी हिंसा और अपराध	219
92	वेश्यावृत्ति उन्मूलन और नारी उद्धार	221
93	मुस्लिम नारियाँ और शरीअत	223
94	खौफनाक बीमारी एड्स	225
95	रास रहस्य और बलात्कार	227
96	विसंगति	229
97	संविधान उपेक्षा, अराजकता और पुलिस-प्रशासन	230
98	शांति व्यवस्था और पुलिस	231
99	मानव अधिकार और जेल व्यवस्था	233
100	घर एक मन्दिर : (घर का भव्य भवन हो या झोपड़ी, उसमें व्यक्तित्व विकास का यज्ञ हमेशा ही चलता रहता है)	236
101	हिन्दू एवं मुस्लिम समुदाय तथा धर्म	237
102	हिन्दू संस्कार	244
103	आश्रम व्यवस्था : ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास	246
104	गौ-संरक्षण	248
105	श्राद्ध (कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा)	249
106	अज्ञान के मंगलकारी स्वर	251
107	नमाज का सामाजिक विश्लेषण	252
108	पैगामे मुहर्रम	253
109	जाति प्रथा का सामाजिक विश्लेषण	255
110	भारत में मुस्लिम जाति-प्रथा	256
111	क्षत्रिय और समाज	258
112	कानपुर परिक्षेत्र के क्षत्रियों का वर्तमान स्वरूप	259
113	अस्पृश्यता	261
114	धार्मिक धूर्तता और पाखण्ड	262
115	जीव हत्यारा और भाग्यविधाता	263
116	पुजारियों के बर्बर प्रपंच	264
117	सत्संग, प्रपंच और अत्याचार	267

118	धर्म और जादू	269
119	ग्रह—नक्षत्र, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष	271
120	प्रेताविष्ट, प्रेतसभाएँ और जासूसी	275
121	Climatic Changes & Environmental Issues in Indian Context	277
122	Climate Change and its Implication Crop & Food Security	280
123	प्राकृतिक गुणवत्ता में प्रतिकूल परिवर्तन या पर्यावरण प्रदूषण	284
124	जल संसाधन : नेशनल रिवर कन्जरर्वेशन प्लान इण्डिया	287
125	कानपुर प्रदूषण से विषाक्त गंगाजल एवं जनजीवन	289
126	वषाक्त जल से प्रभावित जन जीवन : फतेहगढ़ नगर की जलापूर्ति का अध्ययन	291
127	प्रदूषण से विषाक्त गंगाजल: सामूहिक स्नानो से प्रभावित जनजीवन का समाज. अध्ययन	293
128	विकास मानकों की उपेक्षा और दरिद्रता : (औरैया जनपद के बिधूना ब्लॉक की ग्रामसभा ताजपुर का विवेचन)	302

भारतीय समाज की धार्मिक विभिन्नता में निहित एकता

भारत प्राकृतिक रूप से अनेक विभिन्नताओं वाला देश है। इसका क्षेत्रफल 3287263 वर्ग कि.मी. है, जो हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से लेकर दक्षिण के उष्ण कटिबंधीय सघन वनों तक फैला हुआ है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 कि.मी. और पूर्व से पश्चिम तक 2933 कि.मी. है। इसकी भूमि सीमा लगभग 15200 कि.मी. तथा कुल जनसंख्या 1210193422 है।

भारत भूमि प्रारम्भ से ही धार्मिक धर्मानुयायियों की संगम स्थली रही है। विश्व में कोई भी देश नहीं है, जहाँ इतने अधिक धर्म पाये जाते हों, भारतीय समाज में हिन्दू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं जैन कुल छः प्रमुख धर्म पाये जाते हैं। मुख्य धर्मों में भी अनेकानेक सम्प्रदाय तथा मत-मतान्तर दिखाई पड़ते हैं। उदाहरणार्थ: वृहद् हिन्दूधर्म में वैष्णव, शैव, शाश्वत, आर्यसमाज और ब्रह्मसमाज, **इस्लामधर्म** में सुन्नी, शिया, **ईसाइयों** में कैथोलिक-प्रोटोस्टैण्ट, **सिखधर्म** में अकाली एवं निरंकारी, **बौद्धों** में हीनयान एवं महायान, **जैनियों** में श्वेताम्बर एवं दिगम्बर प्रमुख सम्प्रदाय हैं। भारत में इस्लाम, ईसाइयत तथा पारसी धर्म विदेशों से आए हैं, जबकि शेष धर्मों की जन्मस्थली भारतभूमि ही रही है। सिख, जैन एवं बौद्ध धर्मों को वृहद् हिन्दू धर्म का ही एक अंग माना जाता है। धार्मिक विभिन्नता के परिणामतः भारत में विभिन्न धर्मानुयाइयों में बहुधा तनाव और संघर्ष होते रहते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती रहती है।

भारतीय समाज विभिन्न प्रकार की विचार धाराओं से युक्त है। इनमें से कुछ धर्मों का जन्म भारत में और कुछ धर्मों का जन्म विदेशों में हुआ। प्रत्येक धर्म में कई सम्प्रदाय पाये जाते हैं तथा इन धर्मों के नियमों-निर्देशों, सिद्धान्तों तथा मान्यताओं आदि में पर्याप्त विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। इसके कारण कुछ विद्वानों ने यह आशंका प्रस्तुत की है कि भारतीय धर्म ही भारतीयों को विभाजित करता है और इसीलिए वे एकता और सहयोग के सूत्र में नहीं बन्ध पाते हैं। यह मत उचित नहीं है, क्योंकि सही है कि भारतीय समाज में धार्मिक विभिन्नता विद्यमान है, तथापि सभी भारतीय धर्मों की मूल आत्मा एक ही है। समस्त भारतीय धर्म ईश्वर शक्ति, नैतिकता, प्रेम, स्नेह, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, आध्यात्मवाद, अहिंसा, मानवता, सच्चाई, आदि के समर्थक हैं।

भारतीयों में विद्यमान समन्वयवादी भावना, विश्व बन्धुत्व, धार्मिक सहिष्णुता आदि ने प्रारम्भ से ही एकता के भाव उत्पन्न किये हैं। भारत में चारों किनारों पर स्थिति विभिन्न तीर्थ-स्थल भारतीय एकता के जीवन्त प्रतीक हैं। जिस प्रकार से इसकी चौखट पर स्नान करता हुआ एक भारतीय गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, सरयू, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, सिन्धु आदि नदियों से विभिन्न-जल में सम्मिलित होने की प्रार्थना करता है, ठीक उसी प्रकार से विभिन्न लोग भारत में विभिन्न क्षेत्रों पहाड़ों, नदियों, घाटियों, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों के उपासक हैं। यह तथ्य इसका शाश्वत उदाहरण है कि भारतीयों के धर्म ने सहस्त्रों वर्षों से लोगों को एकता के सूत्र में बाँधा है।

यदा-कदा सत्तालोभी, पदलोलुप, धनपिशाच एवं स्वार्थी लोगों ने मुल्ला-मौलवी, पण्डे-पुजारी, पादरियों एवं तथाकथित भगवान के बहकावे में आकर लोगों को भड़का करके उनकी धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करके भारतीय समाज में हिंसा और घृणा का वातावरण अवश्य उत्पन्न किया है। किन्तु यह स्थिति अधिक समय नहीं रहती है, क्योंकि धर्म की प्रमुख मान्यता एकता, समन्वय एवं सहयोग है। स्वतन्त्रतोपरान्त भारत ने स्वयं को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित करते हुए सभी लोगों के धर्मों को एक समान आदर तथा मान्यता प्रदान की है, सभी को अपने-अपने धर्मों का प्रचार-प्रसार करने का अधिकार भी दिया है। भारत ही सम्भवतः यह पहला देश है, जहाँ पर हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी धर्मानुयायी हिल-मिलकर होली, दीपावली, ईड, बकरीद, किसमस, गुड फ्राई डे, चेटीयण्ड तथा अन्यान्य राजकीय पर्व एवं उत्सव साथ-साथ मनाते हैं। इसलिए आज तो इस बात की विशेष आवश्यकता है कि हम सभी भारतीय उन धार्मिक पाखण्डियों से सजग एवं सावधान रहें, जो सदियों पूर्व से स्थापित और प्रवाहित धार्मिक एकता की अविरल धारा के नाम पर पृथक-पृथक कर देना चाहते हैं। यदि हम लोग इन दुरभि सन्धियों से सजग रहें और अतीत की भाँति सभी धर्मों का पूर्ववत् आदर-सम्मान करते रहे, वसुधैव कुटुम्बकम् की भवनायुक्त रहे, तो निश्चय ही कोई भी शक्ति हमारी धार्मिक एकता को नष्ट न कर पायेगी। भारतीयों की धार्मिक विभिन्नता में निहित एकता को दृष्टिगत रखते हुए डॉ. इकबाल ने उचित ही लिखा है:-

“मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिन्दी हैं हम, वतन हैं, हिन्दुस्तान हमारा।।

हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ताँ हमारा। सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दुस्तान हमारा।।

भारत के राष्ट्रीय संग्रहालयों में वास्तविक अवशेषों का अभाव

भारत की प्रमुख राष्ट्रीय इमारत 'लालकिला' के संग्रहालय में मात्र इस्लामिक मुगलकालीन और गुलाम भारत के जालिमों के राजसी शान की स्मृतियाँ तथा अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की हिंसा में प्रयोग की वस्तुओं का संग्रह अनुचित है। स्वतन्त्र भारत का केन्द्र जहाँ हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा फहराकर विश्व को आजादी का सन्देश देता हैं। वहाँ पर भारतीय धर्म निरपेक्षता तथा आजादी को संदिग्ध बनाने वाली वस्तुओं का संग्रह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

भारतीय इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि 2500—1750 ईसा पूर्व सिन्धु घाटी सभ्यता काल रहा है। 1500—600 ईसा पूर्व के कालखण्ड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी गई है तदुपरान्त बौद्ध, जैन एवं इस्लाम धर्म स्थापित हुए हैं।

326 ईसा पूर्व सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण करके पंजाब के राजा पोरस से युद्ध किया 323 ईसा पूर्व राजा पोरस की मृत्यु हुई। इनके बाद चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, अशोक, शुगवंश, पांड्यवंश, चाले, चेरवंश, यवन, शक, पल्लम, कुषाण, चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त-द्वितीय, कुमारगुप्त-प्रथम, स्कन्दगुप्त, हर्षवर्धन, राष्ट्रकूटवंश, पल्लववंश, गंगवंश, चोलवंश, राजराज और उसके पुत्र राजेन्द्र प्रथम ने वर्ष 1044 ई. तक शासन किया। मोहम्मद गोरी ने वर्ष 1194 में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तथा कन्नौज के राजा जयचन्द्र को पराजित कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया। इल्तुमिश, रजिया सुल्तान, बलवन, जलालुद्दीन, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब और शेरशाह सूरी ने वर्ष 1545 तक भारत में राज्य किया। इसके बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना हुई तथा 14 अगस्त, 1947 तक अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर शासन किया। 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ और 26 जनवरी, 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया।

उक्त ऐतिहासिक तथ्यों से सिद्ध होता है कि मुगलशासन से पूर्व और बाद भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं रहा। मुगल शासन की स्थापना हिन्दुत्व और भारतीय शासकों को नष्ट करके हुई जिसे अंग्रेजों ने समाप्त कर अपना गुलाम बना लिया। स्वतन्त्रता उपरान्त भारत धर्म-निरपेक्ष लोकतान्त्रिक राष्ट्र बना। जिसमें सभी धर्मों के लोगों को भारत में अपने-अपने ढंग से पूजा-पाठ और धार्मिक कर्मकाण्ड करने की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान की गई। इसके बावजूद भारत की केन्द्रीय इमारतों में स्थापित राष्ट्रीय संग्रहालयों में मात्र मुगलकालीन और गुलामी की प्रतीक वस्तुओं का संग्रह उचित नहीं हैं।

आज विश्व के प्रगतिशील देशों और इस्लामिक राष्ट्रों के पर्यटक भारत प्रवास के दौरान देश की केन्द्रीय इमारत में बने राष्ट्रीय संग्रहालयों की अबौद्धिक व्यवस्था को देखकर अपनी प्राचीनतम उपलब्धि पर अवश्य ही उत्साहित होते होंगे। यही कारण है कि अन्य मुल्कों के बौद्धिक एवं संगठित लोग योजनाबद्ध तरीके से भारत में घुसपैठ कर भारत में अनेक तरह की आतंकी व व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित कर देश की जनता का हनन कर राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि संसद को घेरकर गोलीबारी, नरसंहार, तस्करी, प्रधानमंत्री की हत्या एवं देश का धन एवं सम्पत्ति हड़पने में सफल हो रहे हैं। यह एन.जी.ओ., कम्पनी, मीडिया, दूतावास केन्द्रों के माध्यम से घुसपैठ कर भारतीयों को लालच देकर आपने आतंकी संगठन में शामिल कर देश की राजनीति और लोकतान्त्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने में सफल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि भारत की एकता और अखण्डता की सुरक्षा हेतु भारत की केन्द्रीय इमारत 'लालकिला' के राष्ट्रीय संग्रहालयों में भारत के वास्तविक अवशेष तथा देश की स्वतन्त्रता की प्रेरक भारतीय स्मृतियों के प्रतीकों का संग्रह आवश्यक एवं समीचीन है।

पदक, पुरस्कार और बन्दर-बाँट

नौकरशाहों व राजनेताओं के परिजनों-सगे-सम्बन्धियों को राष्ट्रीय सम्मान अनुचित

सामाजिक प्रतियोगिताओं द्वारा पदक, पुरस्कार और सम्मान पात्र व्यक्ति को मिलना गौरव की बात है, परन्तु बड़े पिता के बिगडेल बेटों की 'मौज-मस्ती' के लिए राष्ट्रीय पदक, पुरस्कार, सम्मान लुटाना कलंक की बात है। पुरस्कार, पदक और राष्ट्रीय सम्मान के आवंटन में हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है कि उच्च पदों पर आसीन राजनेताओं एवं अधिकारियों के चहेतों और लाडलों के नाम सूचियों में शामिल कराकर बोर्ड-समिति-आयोगों की फर्जी आख्याओं एवं शिफारिशों के आधार पर चयन करा लिया जाता है और मनचाहे व्यक्ति का नाम विजेता बनाकर पुरस्कार-सम्मान का बन्दर-बाँट कर लिया जाता है तथा सार्वजनिक मंचों पर वाह-वाही लूटाकर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पदक-पुरस्कार विजेता बना दिया जाता है।

पदक, पुरस्कार एवं सम्मान विजेताओं की वास्तविक स्थिति को देख-विचार कर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि, यदि पदक-पुरस्कार विजेताओं के चयन व प्रतियोगिताओं की गम्भीरता से जाँच की जाए तो उनके पदक, पुरस्कार, सम्मान, चयन से लेकर आवण्टन तक की समस्त गतिविधियाँ अति संदिग्ध एवं अन्यायपूर्ण प्राप्त होंगी। इन समस्त प्रकार के विजेता चयनों में शामिल व्यक्ति विशेष की कृपा और उनके परिजनों सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध लोगों तक सीमित रहा है। इनके सम्बन्ध में जाँच-कार्यवाही हेतु बनी समितियों में शामिल अधिकाँश अधिकारी-सदस्यों की संस्तुति भ्रामक व हस्ताक्षर फर्जी बनाए जाते हैं।

भ्रष्टाचार की शिकार भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था का सर्वाधिक लाभ नौकरशाहों के माध्यम से अधिकतर राजनेताओं एवं उनके परिजनों को मिल रहा है। देश की विकास योजनाओं का आबण्टित धन नेताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों की साँठ-गाँठ से समितियों की भ्रामक कागजी खानापूर्ति करके हड़प लिया जाता है। राजनेता और नौकरशाह 'विशेषाधिकार' एवं भ्रष्ट लोगों की संस्तुतियों को अपने बचाव हेतु उपयोग करते हैं। जबकि 'विशेषाधिकार' ही भ्रष्टाचार का द्योतक है तथा भ्रष्ट लोगों की विशेष समितियाँ साधारण जनता के विरुद्ध और व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं।

आज सार्वजनिक एवं संवैधानिक पदों पर **वी.आई.पी.** के सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध लोगों को पदासीन किया जा रहा है। जिससे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों के प्रमुखों और नौकरशाहों को सार्वजनिक एवं संवैधानिक पदों पर कार्य करने के लिए अपने परिजनों, सगे-सम्बन्धियों और गुगों के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय नागरिक (जनसाधारण) पूर्णतया अयोग्य हैं। राजनेताओं-नौकरशाहों की स्वार्थता एवं धृतराष्ट्रता के कारण सरकारी-संवैधानिक पदों पर उनके बेटे, बेटी, भाई, बहिन, बहनोई, साले, साढ़ू, दामाद, पतोहू आदि सगे-सम्बन्धी मात्र ही पात्र बनकर पदासीन हो रहे हैं। ऐसी अलोकतान्त्रिक पदासीनता का प्रस्ताव व समर्थन ठीक उसी तरह दिख रहा है जैसे **किसी किन्नर नरेश के बन्दीजनों के द्वारा किया जाने वाला गुणगान।**

वर्तमान में कहने को देश और प्रदेशों में लोकतान्त्रिक सरकारें हैं परन्तु वास्तविक स्थिति इससे परे है। सरकार में पदासीन अधिकाँश राजनेता एवं उनके परिजन सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध लोग अपनी सुरक्षा के नाम पर देश-प्रदेशों की संपूर्ण '**सुरक्षाबलों**' एवं '**समाजसेवा**' के नाम पर फर्जी नाम-पतों के लोग **एन.जी.ओ.** बनाकर सरकारी कार्यालयों-मुख्यालयों पर कब्जा जमा कर अराजकता कर रहे हैं। नौकरशाह इनकी '**जी-हजरी**' में जुटे हुए हैं। सरकारी-विकास निधियों का धन अधिकारी एवं कर्मचारी फर्जी कागजी-कार्यवाही करके बैंकों से भुगतान का बन्दर-बाँट कर रहे हैं। गबन-घपलों को दबाने के उद्देश्य से जाँच समिति-आयोग बनाकर '**जन-आक्रोश**' दबाया जा रहा है। ऐसी **वी.आई.पी.** एवं उनके परिजनों की जनविरोधी गतिविधियाँ देश के लोकतन्त्र और जनसाधारण के लिए कितनी उपयोगी एवं कल्याणकारी है, विशेष चिन्ताजनक है। अतः सार्वजनिक प्रतियोगिताओं एवं राष्ट्रीय पदक, पुरस्कारों के आवण्टन में जन साधारण के क्रियाकलापों को ही प्राथमिकता मिलना अति आवश्यक है।

ट्रस्ट-समितियों-स्वयं सेवी संगठनों के समाज विरोधी आचरण

(सरकार के निर्माण का उद्देश्य देश-समाज के लिए उचित नियमों का निर्माण करना है।)

समाज-कल्याण की दुहाई देकर स्वलाभ के उद्देश्यों से निर्मित ट्रस्ट एवं सोसाइटियों तथा स्वयं सेवी संगठनों एवं उनके प्रबन्धतन्त्रों की भूमिकाएँ एवं उद्देश्य अति संदिग्ध एवं जनमानस के हितकर नहीं हैं। इनकी वैधानिकता से लेकर संगठन, सदस्यता, चुनाव, संचालन पंजीयन आदि पूर्णतया भ्रामक-फर्जी तथ्यों पर आधारित हैं तथा एक ही परिवार के हितबद्ध सगे-सम्बन्धियों की स्वयंभू पदासीनताएँ अवैधानिक हैं। वर्तमान में ट्रस्ट एवं सोसाइटियों तथा स्वयं सेवी संगठनों का निर्माण सरकार में बैठे राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों तथा उनसे संरक्षण प्राप्त लोगों द्वारा जनता को मूर्ख बना कर सार्वजनिक विकास योजनाओं के सरकारी धन सम्पत्ति को अपने निजी कार्यों में उपभोग कर व्यक्तिगत लाभ के लिए हो रहे हैं। ट्रस्टों एवं सोसाइटियों तथा एन.जी.ओ. के लोगों की कानून निर्माता, निर्देशक, पोषक के रूप में अमानक एवं मनमानी स्वयं-भू पदासीनता के कारण साधारण जनता अत्याचार सहने को मजबूर हैं। इनके काले कारनामों एवं अवैध कमाई के कालेधन का चिह्न खुलने पर इनके समकक्ष अधिकारी एवं राजनेता इनके समर्थन में ब्यानबाजी करके जनता को हतोत्साहित करके साक्ष्यों को जबरदस्त प्रभावित करते हैं जिससे प्रजातन्त्र के मूल्यों को बुरी तरह से नष्ट हो रहे हैं।

वर्तमान परिवेश में हमारे समाज में एक से बढ़कर एक गुणवान, निष्ठावान, कर्मठ, योग्य तथा देश एवं समाज के लिए सर्वत्र निष्ठावर करने वाले लोगों की कमी नहीं है, इसके बावजूद ऐसे देशभक्त योग्यताधारियों की जबरदस्त उपेक्षा कर अयोग्य व भ्रष्ट लोगों को उच्च पदों पर मनमाने ढंग से पदासीन कर व्यक्तिगत लाभ कमाया जा रहा है तथा फर्जी-अवैध प्रस्ताव-आदेशों के आधार पर शासन-प्रशासन एवं जनता पर जबरदस्त दबाव बनाकर सरकारी विकास योजनाओं के सरकारी धन सम्पत्ति को आपस में बन्दर-बाँट कर अति गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ कर निजी लाभ कमाया जा रहा है। ट्रस्ट-सोसाइटियों-स्वयं सेवी संगठनों के भ्रष्ट अयोग्य लोगों द्वारा जन-साधारण के हितों पर कुठाराघात कर निजी लाभ कमाये जाने से भारतीय ट्रस्टों एवं सोसाइटियों तथा एन.जी.ओ. प्रबन्धतन्त्रों के प्रति जन विश्वास समाप्त होता जा रहा है।

अवैध कारोबार में संलिप्त आर्थिक माफियाओं, भ्रष्ट एवं शांतिर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा स्वयं को ईश्वर तथा स्वयंभू राष्ट्राध्यक्ष-जनसेवक घोषित कर स्वलाभ उद्देश्य से देश व समाज के समक्ष गम्भीर चुनौतियाँ पैदा कर अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसका पर्दाफाश होने पर ऐसे लोग अपनी बेहयाई के प्रभाव में अनावश्यक ब्यानबाजी करके अपने कृत्यों को प्रमाणित कर पुनः सत्ता का भोग प्राप्त करने के उद्देश्य से जनता को मूर्ख बना अपना प्रभुत्व जमाने में सक्रिय बने हुए हैं

भारतीय ट्रस्ट एवं सोसाइटियों तथा स्वयं सेवी संगठनों के स्वयं-भू पदाधिकारियों द्वारा मूल उद्देश्यों एवं दायित्वों को ताक पर रख कर जन-कल्याण के नाम पर बेरोजगारों व शैक्षिक क्षेत्रों से अवैध वसूली कर व्यक्तिगत आय अर्जित की जा रही है। इन संगठनों के लोगों द्वारा व्यय के फर्जी बिल-भुगतान के फर्जी आँकड़े प्रस्तुत कर अपनी अवैध कमाई के कालेधन को सफेद-धन में परिवर्तित किया जा रहा है तथा सम्बन्धित बजट, बिल-जमा रसीद एवं सरकारी-लेखा विभाग के लेखा आडिट जाँचों में इन ट्रस्ट, सोसाइटियाँ, एन.जी.ओ. एवं स्वयं सेवी संगठनों के विरुद्ध अनेकों अति गम्भीर आडिट आपत्तियाँ लग रही हैं। ट्रस्ट, सोसाइटियाँ, एन.जी.ओ. एवं स्वयं सेवी संगठनों के भ्रष्ट कारनामों उजागर होकर सिद्ध हो जाने के बावजूद शासन-प्रशासन द्वारा भ्रष्ट संगठनों के लोगों के विरुद्ध वैधानिक दण्डनीय कार्यवाही नहीं की जा रही है। इन संगठनों के प्रमुख पदों पर एक ही परिवार-व्यक्ति की बारम्बार पदासीनता के कारण भारतीय ट्रस्ट एवं समितियों तथा गैर सरकारी संगठनों के उद्देश्य एवं दायित्व तथा भूमिकाएँ जन-साधारण में हताशा पैदा कर रही हैं, जो कि भारतीय समाज के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में समाज के लोगों की दृष्टि में ट्रस्ट एवं सोसाइटियों तथा स्वयं सेवी संगठनों के भ्रष्ट लोगों के यह आचरण कितने अवैध और अनैतिक है? इसका कारण तो यह है कि जन-सामान्य ट्रस्ट-सोसाइटियाँ-एन.जी.ओ.-स्वयं सेवी संगठनों के वित्तीय नियमों से परिचित नहीं और दूसरे यह कोई आवश्यक नहीं कि अनैतिक कृत्य अवैध के दायरे में आयें। हालांकि ऐसे लोगों के सम्बन्ध में सवालों का सामना करने वाले लोगों के बहाने जन सामान्य में बहस छिड़ गई है। क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, इसका निर्धारण नियम-कानून से नहीं, बल्कि देश, काल की परिस्थितियों से होता है।

भारतीय समाज में जो कार्य व्यवस्था पहले नैतिक सवाल नहीं खड़े करते थे उनमें से कुछ आज अनैतिक माने जाते हैं। कुछ मामलों में इसका उलटा भी है अर्थात् जो पहले अनैतिक माना जाता था वही आज नैतिकता के दायरे में आ गया है। ट्रस्ट-सोसाइटी-स्वयं सेवी संगठनों के स्वयंभू पदाधिकारी जिस किस्म का भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं वैसा जाने अनजाने न कितने लोग करते हैं और उनके पक्ष में यह तर्क होता है कि यह तो चलता है। यह पता नहीं कि ट्रस्ट एवं सोसाइटियाँ तथा एन.जी.ओ. स्वयं सेवी संगठनों के स्वार्थी लोगों द्वारा जो भी कुछ किया जा रहा है वह चलता है या नहीं, क्योंकि हर कोई उनकी तरह स्वयंभू भगवान या राष्ट्रपिता या राष्ट्रीय पदक विजेता अथवा स्वयं-भू पदासीन नहीं है और यदि है भी तो उसकी ऐसी पहचान-प्रतिष्ठा नहीं कि लोग उससे भाषण देने के लिए मंचों पर बुलाएँ। हालांकि ऐसे लोगों द्वारा भ्रष्ट तरीके से हड़पे गए सार्वजनिक विकास योजनाओं के धन-सम्पत्ति को अपने निजी जीवन में उपभोग करने के बावजूद सार्वजनिक-सरकारी धन-सम्पत्ति के गबन मामलों में वैधानिक एवं दण्डनीय कार्यवाही से बचने के उद्देश्य से इनके द्वारा कभी-कभी सार्वजनिक विकास योजनाओं के सरकारी धन-सम्पत्ति को वापस करने की बात कही जा रही है इससे उनके अपराध प्रमाणित हो रहे हैं, जो कि संगीन अपराध की श्रेणी में आता है

समाज के कुछ लोगों ने ट्रस्ट एवं सोसाइटियाँ तथा स्वयं सेवी संगठनों-एन.जी.ओ. के अवैध प्रबन्धतन्त्रों के भ्रष्ट लोगों के आचरणों

पर सवाल उठाये हैं। इन सवालों में कोई बुराई नहीं, लेकिन उन्हें यह स्थापित करने से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार में संलिप्त ट्रस्ट, सोसाइटियाँ एवं एन.जी.ओ. के प्रबन्धतन्त्रों तथा समस्त प्रशासनिक व न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार सभी को है। यदि नेता या अधिकारी या जनसामान्य यह स्थापित करने में समर्थ हो गए कि जिस किसी ने अपने जीवन काल में किसी भी तरह का कोई मामूली सा ही सही, अनुचित-अनैतिक कृत्य किया है और भ्रष्टाचार या संगीन आपराधिक घटना के विरुद्ध बोलने का अधिकारी नहीं तो फिर अपराधियों एवं भ्रष्ट तत्वों की पौ बारह होगी। यदि किसी ने अनुचित, अनैतिक अथवा अवैधानिक कार्य किया है और वह कृत्य दण्डनीय अपराध है तो उसे दंड देने की मांग तों समझ में आती है, लेकिन यह चिन्ता जनक है कि देश-समाज के रक्षक ट्रस्ट, सोसाइटियाँ, एन.जी.ओ. एवं स्वयं सेवी संगठनों तथा भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के सन्दर्भ में कोई माँग करने की बजाय उसे खारिज करने और यह सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि अब उसे सशक्त भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध अथवा लोकपाल के पक्ष में आवाज उठाने की अधिकार नहीं रह गया है। यह एक खतरनाक अभियान है। इस अभियान के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास हो रहा है कि **“चोर-चोर मौसेरे भाई”** होते हैं। ऐसा सिद्ध करके जनसाधारण पर जबरदस्त दबाव बनाकर समाज के लोगों को यह महसूस कराया जा रहा है कि भ्रष्टाचार एवं अपराध जगत में संलिप्त लोगी की दबंगई तथा ट्रस्ट एवं सोसाइटियों तथा स्वयं सेवी संगठनों व प्रबन्धतन्त्रों के स्वयं-भू लोगों के बारे में कुछ कहने-बोलने का अधिकार नहीं रह गया है।

किसी को खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि संसद के शीत कालीन सत्र में जन-सामान्य एवं देश के हितों की सुरक्षा हेतु फिरहाल कोई चमत्कार होगा या नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त पर आधारित विधेयक अथवा लोकपाल विधेयक पारित होने जा रहा है। यदि विधेयकों पर इस सत्र में चर्चा हो जाए तो बड़ी बात होगी। ऐसे विधेयकों पर विचार कर रही संसदीय समितियों के लोग तरह-तरह की ब्यानबाजी कर देश की जनता को गुमराह कर जन-साधारण को बुरी तरह से हतोत्साहित कर रहे हैं तथा भारतीय शासन लोकतन्त्र के उद्देश्यों के अनुरूप नियमों के निर्माण करने की दिशा में अपने दायित्वों का निर्वाहन उचित ढंग से नहीं कर रहा है। सरकार में बैठे लोगों को यह बात विशेष रूप से स्मरण रखनी चाहिए कि भारतीय लोकतन्त्र का तात्पर्य— **“जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए है”** तथा लोकतन्त्र में सरकार के निर्माण का उद्देश्य देश-समाज के लिए उचित नियमों का निर्माण करना है।

मानवीय मूल्यों का नैतिक महत्त्व : एक सामाजिक विवेचन

मानवीय मूल्य वे मानवीय मान, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न मानवीय परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। वे मूल्य व्यक्ति के लिए कुछ अर्थ रखते हैं और उन्हें व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। इन मूल्यों का एक सामाजिक-सांस्कृतिक आधार या पृष्ठभूमि होती है, इसीलिए प्रत्येक समाज के मूल्यों में हमें भिन्नता मिलती है। भारतीय समाजों में हिन्दुओं में विवाह के प्रति एक विशिष्ट सामाजिक मूल्य यह है कि विवाह-बंधन एक पवित्र व धार्मिक बन्धन है, इस कारण इसे अपनी इच्छानुसार तोड़ा नहीं जा सकता है। साथ ही यह पवित्रता तभी बनी रह सकती है जबकि पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति वफादार हों। इन मूल्यों का सामाजिक प्रभाव यह होता है कि हिन्दुओं में विवाह-विच्छेद की भावना पनप नहीं पाती है और विधवा-विवाह को उचित नहीं माना जाता है। इसके विपरीत अमेरिकन समाज में विवाह से सम्बन्धित इन मूल्यों का नितान्त अभाव होने के कारण विवाह विच्छेद या विधवा विवाह निन्दनीय नहीं है। सामाजिक मूल्य सामाजिक मान है जो कि सामाजिक जीवन के अन्तः सम्बन्धों को परिभाषित करने में सहायक होते हैं।

मूल्यों के द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं का मूल्यांकन किया जा सकता है, चाहे वे भावनाएँ हों या विचार, क्रिया, गुण, वस्तु, व्यक्ति, समूह, लक्ष्य या साधन। मूल्यों का एक उद्देगात्मक आधार होता है। और भी स्पष्ट रूप में, मूल्य समाज के सदस्यों के उद्देश्यों को अपील करता है और उन्हीं के भरोसे जीवित रहता है। व्यक्ति जब किसी वस्तु के विषय में विचार करता है, निर्णय लेता है या मूल्यांकन करता है तो उस पर उद्देश्य का प्रभाव स्पष्ट रहता है। एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, हिन्दुओं में विवाह से सम्बन्धित एक दृष्टि मूल्य अन्तःविवाह है अर्थात् इस सामाजिक मूल्य के अनुसार, व्यक्ति को अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करना चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई अन्तर्जातीय विवाह करता है तो सामान्यतः यह देखने में मिलता है कि उस विवाह की चर्चा दाम्पत्ति के परिवारों, पड़ोस या गाँव, मित्रमंडलियों में बड़े उत्साह से उद्देश्यपूर्ण शब्दों में की जाती है। उनके वार्तालाप से ऐसा लगता है मानों उन्हीं का सब कुछ छिन गया है या उन्हीं पर कोई आफत आ पड़ी है। उसी प्रकार यदि विवाह के पश्चात् नव-दम्पति संयुक्त-परिवार से अलग हो जाते हैं तो उस दम्पति की विशेषकर वधू की निन्दा होती है क्योंकि हिन्दुओं का सामाजिक मूल्य संयुक्त परिवार के पक्ष में है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति धर्म, त्याग, अहिंसा के सिद्धान्तों पर अटल रहकर अपना प्राण तक दे देता है। तो उसकी प्रशंसा में लोग मुखारि हो उठते हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने स्वीकृत मूल्यों को मान्यता दी है।

सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों या विभिन्न क्रिया-कलाप से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के मूल्य होते हैं यदि परिवार के पिता से सम्बन्धित कुछ मूल्य होते हैं, तो सम्पूर्ण राष्ट्र के शासन के सम्बन्ध में भी मूल्य हुआ करते हैं। उसी प्रकार विवाह के सम्बन्ध में, सामाजिक, सहवास, धार्मिक आचरण, राजनीति, आर्थिक जीवन आदि के सम्बन्ध में एकाधिकार मूल्य होते हैं। उसी प्रकार, समस्त मूल्यों में एक बोधात्मक तत्त्व होता है और वह इस अर्थ में कि एक व्यक्ति को 'क्या उचित है' की धारणा उसके 'क्या है' या 'क्या सम्भव है' की धारणा पर निर्भर करती है। अतः स्पष्ट है कि मूल्य आदर्श-नियमों में घनिष्ट रूप से सम्बन्धित होते हैं। इतने घनिष्ट रूप में कि इन दोनों में अन्तर करना कभी-कभी कठिन हो जाता है। आदर्श नियमों को, **जॉनसन** के अनुसार, विस्तृत दृष्टिकोण से देखने पर मूल्य तथा आदर्श-नियम के बीच पाए जाने वाले अन्तर स्वतः ही गायब हो जाते हैं।

राधाकमल मुकर्जी ने लिखा है, "मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएँ एवं लक्ष्य हैं जिनकी अन्तरीकरण सीखने या सामाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो व्यक्तिनिष्ठ अधिमान, मान तथा अभिलाषाएँ बन जाती हैं। आपके विचार से समाज वैज्ञानिकों द्वारा मूल्य को उचित रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ, मनोविज्ञान में मूल्यों को केवल अधिमानों के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि अन्य सामाजिक विज्ञानों के मूल्यों को क्रियाशील अवश्यकरणीय या कर्तव्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। परन्तु ये सब मूल्यों की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट नहीं करते। मूल्यों की उत्पत्ति एक सामाजिक संरचना विशेष के सदस्यों के बीच होने वाली अन्तःक्रियाओं के फलस्वरूप धीरे-धीरे होती है। वास्तव में मनुष्य को अपने परिस्थितिगत पर्यावरण से एक सन्तुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, अपने जीवन-निर्वाह व भरण-पोषण सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना होता है, अपने समाज या समूहों के अन्य लोगों के साथ सामाजिक का सामना करना होता है, अपने समाज या समूहों के अन्य लोगों के साथ सामाजिक-जीवन में भागीदार बनना पड़ता है एवं अपने व्यक्तित्व व संस्कृति के बीच आदान-प्रदान की प्रक्रिया में भी सम्मिलित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि समाज के सदस्यों के लिए समाज द्वारा कुछ अधिमानों, मानदण्डों तथा सामूहिक अभिलाषाओं को व्यवहार के आधार के रूप में प्रस्तुत न किया जाए तो समाज में अव्यवस्था, असुरक्षा और अशांति का ही राज्य होगा। इस स्थिति को टालने के लिए ही समाज द्वारा मान्यताप्राप्त कुछ मानदण्ड, इच्छाएँ एवं लक्ष्य विकसित किए जाते हैं। और वे समाज में प्रचलित रहते हैं, जिन्हें कि व्यक्ति सीखने या सामाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है। अतः मनुष्य को मूल्य अपने जीवन से, अपने पर्यावरण से, अपने आप (स्वयं) से, समाज और संस्कृति से ही नहीं अपितु मानव-अस्तित्व व अनुभव से प्राप्त होते हैं।"

स्पेंगर ने 6 आधारभूत प्रकार के मूल्यों का वर्णन किया है जो हैं—(1) सैद्धान्तिक या बौद्धिक, (2) आर्थिक या व्यवहारिक, (3) सौंदर्यबोधी, (4) सामाजिक या परार्थवादी, (5) राजनीतिक या सत्ता-सम्बन्धी, (6) धार्मिक या रहस्यात्मक। मुकर्जी ऑलपोर्ट तथा बरनॉन के इस मत से सहमत हैं, कि स्पेंगर का उपरोक्त वर्गीकरण समग्र रूप से निर्भरयोग तथा उपयोगी है। फिर भी आपके मतानुसार यह अधिक अच्छा हो यदि मूल्यों को हम दो मुख्य वर्गों में—(1) साध्य मूल्य, (2) साधन मूल्य के रूप में विभाजित करें। यहाँ यह कहना उचित होगा कि मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत यह वर्गीकरण **लीविस** द्वारा उल्लेखित साध्य या अन्तर्निष्ठ एवं बाह्य या साधन मूल्यों तथा

गोलाइटली द्वारा परिभाषित मौलिक एवं क्रियात्मक मूल्यों की धारणा पर आधारित है।

मुकर्जी के अनुसार, 'साध्य मूल्य' वे लक्ष्य तथा सन्तोष है जिन्हे मनुष्य तथा समाज जीवन तथा मस्तिष्क के विकास व विस्तार की प्रक्रिया में अपने लिए स्वीकार कर लेता है, जो व्यक्ति के आचरण में अन्तर्निष्ठ होते हैं और जो स्वयं साध्य होते हैं। उदाहरण 'सत्य', 'शिव' और 'सुन्दर' से सम्बन्धित मूल्य मनुष्य के आन्तरिक जीवन से सम्बन्धित हैं जो स्वतः ही पूर्ण हैं। इसके विपरीत, 'साधन मूल्य' वे मूल्य हैं जिन्हें मनुष्य और समाज प्रथम प्रकार के मूल्यों की सेवा हेतु एवं उन्हें उन्नति करने के साधन के रूप में मानते हैं। स्वास्थ्य, सम्पत्ति, सुरक्षा, पेशा, प्रस्थिति आदि से सम्बन्धित मूल्य 'साधन मूल्य' हैं क्योंकि इनका उपयोग कतिपय लक्ष्यों एवं सन्तोषों की प्राप्ति के साधन के रूप में किया जाता है।

साध्य मूल्यों को अमूर्त या लोकातीत मूल्य एवं साधन मूल्यों को विशिष्ट या अस्तित्वात्मक मूल्य कहकर भी पुकारा जा सकता है। साध्य, अमूर्त या लोकातीत मूल्यों का सम्बन्ध समाज व व्यक्ति के जीवन को उच्चतम आदर्शों तथा लक्ष्यों से होता है, जबकि साधन, विशिष्ट या अस्तित्वात्मक मूल्यों को लौकिक लक्ष्यों की पूर्ति के साधन या उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर भी, इन साधन मूल्यों के उचित चुनाव व बद्धिमत्तापूर्वक उपयोग के बिना साध्य या लोकातीत मूल्यों की परिपूर्णता सम्भव नहीं। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि औसत रूप में मनुष्य का सम्बन्ध साध्य मूल्यों की अपेक्षा साधन मूल्यों से अधिक होता है। इसीलिए इन्हीं साधन मूल्यों, उनकी परिस्थितियों एवं परिणामों की विवेचना सामाजिक विज्ञान द्वारा की जाती है।

सभी मूल्य एक ही स्तर के नहीं होते अपितु उनमें एक संस्तरण देखने को मिलता है। इस संस्तरण का सम्बन्ध मूल्यों के आयामों से होता है। मूल्यों के तीन आयाम— (1) जैविक, (2) सामाजिक एवं (3) आध्यात्मिक हैं। सामाजिक मूल्य स्वास्थ्य, जीवन—निर्वाह, कुशलता, सुरक्षा आदि से सम्बन्धित होते हैं। सामाजिक मूल्य सम्पत्ति, प्रस्थिति, प्रेम तथा न्याय सम्बन्धी होते हैं तथा आध्यात्मिक मूल्य सत्य, सुन्दरता, सुसंगति तथा पवित्रता विषयक होते हैं। आध्यात्मिक मूल्य का स्तर सबसे ऊँचा होता है क्योंकि इसकी विशेषता आत्म—लोकातीतत्व हैं। इसीलिए यह साध्य मूल्य या अन्तर्निष्ठ मूल्य या लोकातीत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद सामाजिक मूल्यों का स्थान होता है जिसका कि उद्देश्य सामाजिक संगठन व सुव्यवस्था को बनाए रखना होता है। इसीलिए इन्हें साधन मूल्य, ब्राह्म मूल्य या क्रियात्मक मूल्य की सज़ा दी जाती है। अन्त में, जैविक मूल्यों का स्थान है जोकि जीवन को बनाए रखने तथा आगे बढ़ाने के लिए होते हैं और इसीलिए इन्हें भी साधन, ब्राह्म या क्रियात्मक मूल्य कहा जाता है। इन सभी बातों को मुकर्जी ने एक सारणी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

मानव जीवन का आरम्भ, अस्तित्व व निरन्तरता जैविक आधार पर ही निर्भर है—शरीर बना रहेगा, स्वास्थ्य उपयुक्त होगा तभी जीवन—निर्वाह एवं उसकी अग्रगति सम्भव होगी। इसीलिए मूल्यों के सोपान या संस्तरण में जैविक मूल्यों का उल्लेख पहले किया गया है। पर जैविक जीवन समाज की सहायता के बिना सम्भव नहीं। इसीलिए जीवन मूल्यों के बाद ही सामाजिक मूल्यों का स्थान है पर जैविक व सामाजिक जीवन की वास्तविक सार्थकता 'सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्' की प्राप्ति में ही निहित है जोकि जैविक व सामाजिक स्तर से गुजरते हुए ही सम्भव है। इसीलिए आध्यात्मिक मूल्यों को सबसे अन्त में, मानव—जीवन के अन्तिम लक्ष्य के रूप में रखा गया है। इस दृष्टि से आध्यात्मिक मूल्य सर्वोच्च प्रकार का मूल्य है, सामाजिक और जैविक मूल्यों के स्थान क्रमशः उसके बाद हैं। अतः मूल्यों के सोपान में प्राथमिकता व आरोहण के सम्बन्ध में डॉ. मुकर्जी का निष्कर्ष या सामान्यीकरण निम्नवत है।

मूल्यों का सोपान एवं संस्तरण

क्र	मूल्यों के आयाम	मूल्यों के गुण	मूल्यों का संस्तरण
1	जैविक: स्वास्थ्य, उपयुक्तता, कुशलता, सुरक्षा, निरन्तरता	साधनमूल्य, ब्राह्ममूल्य, क्रियात्मकमूल्य	जीवन—निर्वाह, अग्रगति
2	सामाजिक: सम्पत्ति, प्रस्थिति, प्रेम, एवं न्याय	साधनमूल्य, ब्राह्ममूल्य, क्रियात्मकमूल्य	सामाजिकसंगठन, सुव्यवस्था
3	आध्यात्मिक: सत्य, सौंदर्य, सुसंगति तथा पवित्रता	साधनमूल्य, अन्तर्निष्ठमूल्य, लोकातीतमूल्य	आत्म—लोकातीतकरण

समाज मूल्यों का एक संगठन व संकलन है। मूल्य सामाजिक क्रिया में सामूहिक अनुभव होते हैं जिनका निर्माण वैयक्तिक तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार के सामूहिक दोनों ही प्रकार के प्रत्युत्तरों तथ्यों मनोवृत्तियों द्वारा होता है। ये मूल्य समाजों का निर्माण करते हैं और सामाजिक सम्बन्धों को संगठित।

समाज या मानवीय या सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित जो मूल्य होते हैं उनमें एक प्रकार्यात्मक सम्बन्ध होता है जिसके कारण सामाजिक सम्बन्धों का ताना—बाना टूटता नहीं और उनमें एक तालमेल की स्थिति बनी रहती है जिसके परिणामस्वरूप समाज में व्यवस्था व सन्तुलन बना रहता है। उदाहरणार्थ, परिस्थितिगत स्तर पर प्राकृतिक साधनों के उपयोग सम्बन्धी कुछ मूल्य होते हैं जिसके कारण परिस्थितिगत सन्तुलन सम्भव होता है। उसी प्रकार आर्थिक स्तर पर समाज—कल्याण, कीमत, आय का वितरण, उचित वेतन तथा जीवन—स्तर सम्बन्धी मूल्य होते हैं, सामाजिक स्तर पर सामाजिक संगठन व व्यवस्था सम्बन्धी मूल्य, राजनीतिक स्तर पर सत्ता समानता, स्वतन्त्रता, राजभक्ति और नागरिकता के मूल्य, वैधानिक स्तर पर न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, सुरक्षा, अधिकार व व्यवस्था के मूल्य, शैक्षिक स्तर पर व्यक्तित्व—विकास, मानसिक, स्वास्थ्य चरित्र तथा जीवन—लक्ष्य विषयक मूल्य तथा नैतिक स्तर पर पारस्परिक आदान—प्रदान, सहयोग, सहानुभूति, न्याय एवं प्रेम के मूल्य समाज के विभिन्न पक्षों और समग्र रूप में पूरे समाज को सन्तुलित व व्यवस्थित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं। मूल्यों के बिना समाज आदिकालीन बर्बर स्तर पर उतर आएगा। सुसंस्कृत समाज का प्रथम लक्षण उच्च व उत्तम प्रकार के मूल्य ही हैं।

जहाँ तक व्यक्ति के जीवन मूल्यों के महत्त्व का प्रश्न है, समाजशास्त्रियों का विचार है कि मूल्य, मनुष्य के सामाजिक जीवन के

अनुरूप स्थिर तथा सुसंगत तरीके से उसके आधारभूत आवेगों और इच्छाओं का संगठन व सन्तुष्टि करके, मनुष्य के उद्विकास एवं चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की स्वकेन्द्रित, तत्कालिक तथा अस्थिर आवश्यकताओं को एक स्थायी मानसिक समूहों या मूल्यों में रूपान्तरित किया जाता है जिसके बिना मनुष्य का जीवन, हॉब्स के शब्दों में, “**धिनावना, पशुवत एवं संक्षिप्त बन गया होता।**”

मूल्यों में आदेशसूचक और, अनिवार्यता के तत्त्व होते हैं जिन्हें कि समाज में प्रचलित नीतियों, प्रथाओं और नैतिक नियमों के कारण उत्तरोत्तर जल प्राप्त होता रहता है। फलतः मूल्य व्यक्ति के व्यवहारों को नियन्त्रित एवं सही मार्ग की ओर निर्देशित करने में महत्वपूर्ण होते हैं।

मूल्य व्यक्ति की सामाजिक विरासत का एक अंग होता है। इसीलिए मूल्यों की व्यवस्था मानव-आस्तित्व के विभिन्न स्तरों या आयामों में व्यक्ति के अनुकूलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करती व मार्गदर्शन करती है। यह एक ओर मनुष्य के मानसिक तनावों और संघर्षों को सुलझाते हुए आन्तरिक प्रसंगति एवं सम्बद्धता को उत्पन्न करता है एवं दूसरी ओर आदर्श आयाम की ओर वैयक्तिक व सामूहिक दोनों ही जीवन की उन्नति को निर्देशित करता है।

मूल्य-व्यवस्था व्यक्तित्व की संरचना को परिभाषित तथा नियन्त्रित करती है और इसके बदले में व्यक्ति अपने आचरणों द्वारा मूल्यों की गुणात्मक परिशुद्धि व परिमार्जन करता है। व्यक्ति मूल्यों के इस आपसी सम्बन्ध के कारण ही मूल्यों में परिवर्तन, परिवर्धन तथा परिमार्जन होता रहता है।

व्यक्ति, समाज और मूल्य में पाए जाने वाले पारस्परिक सम्बन्ध व प्रभाव को दर्शाने के लिए मुकर्जी ने इन्हें एक दीपक की बत्ती, तेल और ज्योति कहा है। स्पष्ट है कि तेल (समाज) के बिना बत्ती (व्यक्ति) अधूरी है, और ज्योति (मूल्यों) के बिना बत्ती (व्यक्ति) और तेल (समाज) दोनों ही अर्थहीन हैं। अर्थात् अन्तिम रूप में मूल्य ही समाज और व्यक्ति के जीवन में ज्योति जलाता है। मुकर्जी के सुन्दर शब्दों में, “मनुष्य और समाज-तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच चलने वाल अनन्त आदान-प्रदान से मूल्य-अनुभव की उजली स्थिर ज्योति पनपती है जोकि हमारे नीरस और निरानन्द विश्व को निरन्तर प्रकाश और ताप देती रहती है।”

स्वतन्त्रता के पश्चात् निर्मित संविधान एवं समय-समय पर गठित शिक्षा सम्बन्धी आयोगों तथा समितियों का नैतिक मूल्य व नागरिक बोध सम्बन्धित शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया है। हमारे संविधान में सर्व-धर्म समभाव को प्राथमिकता देकर नैतिक मूल्यों के रूप में सामने लाया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग-1964-65 ने इस विषय को महत्वपूर्ण कहते हुए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नैतिक व अध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा को बताया है। आयोग का मानना है कि धर्म एक महान प्रेरक शक्ति है, नैतिक मूल्यों के आकलन का एवं चरित्र निर्माण का वही आधार है। अतः महान धर्मों की नैतिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं अध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने का प्रयास किया जाना चाहिए।⁷

डॉ. राधाकृष्णन ने ठीक कहा है कि भारत सहित सारे संसार के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा का सम्बन्ध नैतिक और अध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति न रहकर केवल मस्तिष्क रह गया है, यदि शिक्षण का अर्थ हृदय और आत्मा की अवहेलना है तो उसको पूर्ण नहीं माना जा सकता है। 12 सितम्बर 2002 के अपने ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय की त्रि-सदस्य खण्डपीठ ने कहा कि सदाचार, सत्य, अहिंसा ये शास्वत मूल्य हैं जो कि मूल्य आधारित शिक्षा की नींव है। अतः इसके लिए यह जरूरी है कि यह जाना जाए कि हमारे उपनिषदों के उन तथ्यों को उसी रूप में समझा जाए। निर्णय में संविधान के **अनुच्छेद 28** की व्याख्या करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को मूल्य आधारित शिक्षा के तहत यह बताया जाए कि सभी का मूल एक है। सत्य, प्रेम, शांति, सदाचरण शास्वत, मूल्य शिक्षा के आधार होना चाहिए क्योंकि इन नैतिक मूल्यों के बिना कोई भी संविधान या लोकतन्त्र कारगर नहीं हो सकता।

आज भारत की नैतिक और मूलभावना भारत, आदर्श भारत तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत की तस्वीर की परिकल्पना साकार करना है तो नीचे से ऊपर तक अमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है और जितनी जल्दी से यह रिश्फिलिंग की जाएगी सार्थक और आपेक्षित परिणाम नजर आने लगेंगे।

हमें ऐसी राजनीतिक रणनीतियाँ अपनाने के प्रलोभन से बचने की आवश्यकता है जो रणनीतियाँ हमें विभाजित करती हों तथा नागरिकों के इस या उस वर्ग की पहचान तथा निष्ठा पर सवाल उठाती हों। नेतृत्व का कार्य नागरिकों के मध्य पारस्परिक विश्वास और समन्वयपूर्ण एकजुटता का निर्माण करना है। ऐसा केवल ऐसे नेतृत्व द्वारा ही किया जा सकता है जिसके पास नैतिक शक्ति हो। अपने नेताओं को उनकी नैतिक आचरणगत दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए आवश्यकता है कि लोकतान्त्रिक जीवंतता को जगाया जाए।

यदि समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्तित्व के परम या सर्वोच्च मूल्यों की नियमित रूप से पूर्ति करता रहे। व्यक्तित्व की सर्वोत्तम खोज सुन्दरता, अच्छाई तथा प्रेम के उच्चतम आध्यात्मिक मूल्य हैं। इसी सुन्दरता, अच्छाई तथा प्रेम के आधार पर सामाजिक सम्बन्धों व संस्थाओं की सृष्टि और पुनःसृष्टि होती है। सम्पूर्ण मानव-समाज के मानव-कल्याण के लिए इन मूल्यों का संरक्षण आवश्यक है।

पर्यटन, व्यवसायवाद एवं मानव प्रसन्नता : चुनौतियाँ एवं अवसर

विश्व के प्रायः सभी देशों में पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अविकसित देशों सहित भारत के पिछड़े राज्यों में पर्यटन की स्थिति दयनीय है। भारत के राज्यों में पर्यटन हेतु नई पर्यटन नीति, अन्य भारतीय राज्यों एवं आसपास के विभिन्न देशों की उत्कृष्ट रीतियों के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर विकसित की गई है। भारत के अनेक राज्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, पौराणिक, धार्मिक, प्राकृतिक, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्त्व के बहुकोणीय पर्यटन स्थलों से सम्पन्न हैं। इस प्रकार पर्यटन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। पर्यटन हेतु अन्य विभागों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। सभी देश-विदेश के सैलानी भारतीय राज्यों के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की ओर आकर्षित होंगे।

भारत के राज्यों में पर्यटन की इन परिस्थितियों की उपलब्धता है। यदि केन्द्र स्तरीय राज्यों के पर्यटन के बुनियादी ढाँचे में सुधार कर लिया जाए तो राज्यों की क्षेत्रीय संस्कृति, रीति-रिवाज, मेले, त्यौहार, वेश-भूषाएँ, भाषा, नदियाँ, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल, औद्योगिक केन्द्र एवं विभिन्न प्रजाति के वन्य प्राणी पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं।

पर्यटन की दृष्टि से भारत के अनेक राज्यों में विकास की अपार सम्भावनाएँ हैं जिसे यदि असली जामा पहनाया जाए तो यह सभी राज्य सहित भारत विश्व पर्यटन के नक्शे पर अपनी अलग और विशिष्ट पहिचान बना सकते हैं।

भारत के अधिकांश राज्यों में अनेक स्थल नैसर्गिक सौंदर्य का अथाह सागर हैं। किसी मुगल सम्राट ने कश्मीर को स्वर्ग कहा, तो कुछ ने पंचमढ़ी को पहाड़ों की रानी की संज्ञा से नवाजा। कल्लू-मनाली, शिमला, मन्सूरी, नैनीताल, आगरा और न जाने कितने रमणीय स्थल हैं। भारत में जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य बिखरता है, तब निकल पड़ता है, किसी ऐसे मनोरम स्थल की ओर पर्यटन के लिए, ताकि मिल सके मन की शांति और उतर सकें नयन से अन्तर्मन तक शीतलता, खो जाए—कहीं सौंदर्य के अन्तरिक्ष में, लेकिन जब सुविधा, साधन और समय सीमित हो तथा पर्यटन का भरपूर आनन्द लेना हो, तो भारत के लखनऊ, आगरा, बस्तर, नैनीताल, दिल्ली आदि के मनोहारी दृश्यों में वह सब मिलेगा जो विश्व के किसी भी स्तरीय पर्यटन स्थल में मिलता है। ठण्ड में छाया हुआ घना कोहरा, अंतर्मन को ठंडक दे जाता है और हिमालय क्षेत्र में होने वाले हिमपात की कमी को पूरा कर देता है।

अनेक राज्यों के नव निर्माण की बेला में राज्यों के गौरवशाली ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक सुषमा, से परिपूर्ण क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। विश्व की शान हिन्दुस्तान विकास पर्व पर निरंतर अग्रसर होगा। इसकी व्यापक सम्भावनाएँ हैं।

वर्तमान समाजों में व्यवसायों की बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, अधिकारों की रक्षा, शिक्षा आदि की पूर्ति थे व्यवसाय ही करते हैं। अपने विशिष्ट ज्ञान एवं प्रशिक्षण के आधार पर ऐसे व्यवसाय में लगे विशेषज्ञ समाज के सदस्यों के लिए अपनी विशिष्ट सेवाएँ आदान-प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक, शिक्षक, अधिवक्ता, न्यायाधीश, डाक्टर, इंजीनियर, लेखक, पत्रकार, एवं लेखाकारों तथा आडीटर्स, नर्स, कम्पाउण्डर ऐसी ही व्यवसायिक समूह है।

जनसाधारण की प्रचलित भाषा में 'व्यवसाय', 'धन्धा' तथा 'आजीविका' में कोई अन्तर नहीं किया जाता तथा ये पर्यायवाची ही समझे जाते हैं। समाजशास्त्र में इन शब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थों में किया जाता है। व्यवसाय शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता है जिसे अपनाने के लिए व्यक्ति की शिक्षा और प्रशिक्षा एक विशेष स्तर पर लेनी पड़ती है। इस अर्जित कुशलता का प्रयोग वह जनता की विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए करता है। उसकी कुशलता उसका निजी गुण है। 'धन्धा' जीवन यापन करने के लिए कृषि, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार एवं नौकरी कोई भी हो सकता है। 'आजीविका' वह कार्य है जो व्यक्ति अपने अन्दर की आवाज से प्रेरित होकर करता है और उससे जो भी मिल जाता है उसी से अपना जीवन यापन करता है। इससे कुछ अंश तक मिशनरी भावना पाई जाती है। परन्तु हमारे विवेचन का प्रमुख विषय व्यवसाय है। इसलिए थोड़ा विस्तार इसके अर्थ को समझना है।

शब्दोत्पत्ति की दृष्टि से, अंग्रेजी भाषा का Profession लैटिन भाषा के Profiteri शब्द से बना है जिसका आशय है 'सार्वजनिक रूप से घोषणा करना', 'वादा करना', अथवा 'शपथ लेना'। तेहरवीं शताब्दी में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया तब इसका प्रयोग जनसेवा में धार्मिक समर्पण के लिए किया जाता था। चौदहवीं शताब्दी में मध्य युग के वीरों के वीरतापूर्ण कार्यों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता था। महारानी एलिजेबथ प्रथम के शासन काल के दौरान इसके अर्थ को व्यापकता मिली और यह आह्वान पर अपनाई गई किसी आजीविका के लिए प्रयोग किया जाने लगा। सत्रहवीं शताब्दी में यह शब्द कानून, चिकित्सा और धर्म विज्ञान के लिए प्रयोग होने लगा। वर्ष 1939 में फ्रैंडरिक डेनीसन मेरिस ने व्यवसाय की परिभाषा करते हुए लिखा है कि, "यह विशेष रूप से पेशा है जो मनुष्यों को मनुष्य के रूप में सेवा देता है, इसीलिए यह उस व्यापार से अलग है जो मनुष्य की वाह्य आवश्यकताओं या अवसरों के लिए साधनों की व्यवस्था करता है।"

व्यापार को अनेक बाधाओं के साथ जूझना पड़ रहा है व्यापारिक माहौल लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि वैश्विक प्रगति के सम्बन्ध में भारत के निर्यात में गिरावट आई है तथा मेगा रीजनल ट्रेडिंग व्यवस्था सम्बन्धी समझौते से भारत को बाहर कर दिए जाने का खतरा है।

विकास की त्वरित और स्थायी दरें निर्यात विकास की त्वरित दरों से सम्बन्धित हैं। कुछ देशों, यदि कोई है ने अकेले अपने घरेलू बाजार की दर 7+ की विकास दर तक प्रगति की है, वास्तव में ओस्ट्री (2006) के अनुसार स्थाई विकास मुख्यतः मैन्यूफैक्चरिंग

निर्यातकों की अपनी विकास दर से लगभग 36% तक होती है पर जी.डी.पी. अनुपात की तुलना में औसत विकास से सम्बन्धित होने के कारण ही स्फुरित होती है। भारत को भी इससे अलग स्थिति से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

यदि ऐसा है तो भारत क्या पूर्वानुमान करे? वर्ष 2002-03 और वर्ष 2008-09 के बीच भारत के त्वरित विकास चरण के दौरान जी.डी.पी. से सम्बन्धित सेवाओं के निर्यात के अनुपात में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई जो पहले लगभग 4.0% थी, वह बढ़कर लगभग 9.0% हो गई। इसके विपरीत मैन्यूफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कम था। तथापि, वैश्विक आर्थिक संकट के पश्चात् लगता है कि भूमिकाएँ परिवर्तित हो गयीं। मैन्यूफैक्चरिंग निर्यातकर्ता को यह लगता है कि वे सेवा निर्यातकों की तुलना में बेहतर कर रहे हैं। इससे भी अधिक दुखदायी बात यह है कि गत पाँच वर्षों के दौरान दोनों ने ही गिरावट का सामना किया है जो एक अच्छा संकेत नहीं है। मानवता के लिए सुखमय जीवन न केवल सन्तो, फकीरों और दार्शनिक बल्कि अर्थशास्त्रियों का भी लक्ष्य रहा है। अर्थशास्त्र सम्बन्धी जितना भी साहित्य है उन्नति, वृद्धि तथा विकास पर, वह अन्ततः मानव जीवन में अधिक सुख और आनन्द लाने के लिए लक्षित रहा है। समय के साथ-साथ अलग-अलग विचार सामने आते रहे हैं। इस अत्यन्त आत्मपरक शब्दावली 'खुशहाली' अथवा 'प्रसन्नता' अथवा 'आनन्द' की व्याख्या करने के लिए और अन्ततः मानवता आज यहाँ तक पहुँची है।

एक समय ऐसा भी आया जबकि विद्वानों और विश्व नेताओं ने यह चरम प्रश्न उठाया— क्या आज हम अधिक खुशहाल हैं? और पूरी दुनिया में इसकी जाँच/परीक्षा के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संकल्प 2011 आया जिसमें सदस्य देशों का आवाहन किया गया कि वे अपने लोगों को खुशहाली के स्तर को मापें और इसी आधार पर जन-नीतियों का निर्माण करें। डब्लू.एच.आर. 2011 के ही एक रोचक और आँख खोलने वाली जिज्ञासा रखी गई है कि दुनिया में मानव-कुशलता अथवा खुशहाली की स्थिति क्या है? आने वाले समय में नीति-निर्माताओं के बीच जो बदलाव अपेक्षित है, उसे समझने के लिए प्रथम डब्लू.एच.आर.से कुछ विचारों को उठा लेना श्रेयस्कर होगा।

यह चरम विरोधाभासों का युग है। एक ओर जहाँ दुनिया में अकल्पनीय परिष्कार वाली तकनीक का लोग आनंद उठा रहे हैं, वहीं एक बिलियन लोगों के पास पर्याप्त भोजन भी नहीं है। विश्व अर्थव्यवस्था या आधुनिक तकनीक और सांगठनिक प्रगति के बूते पर उत्पादकता के नए शिखर छू रही है, लेकिन साथ ही उसी अनुपात में इससे प्राकृतिक पर्यावरण का क्षय हो रहा है। पारम्परिक पैमाने पर देखें तो अनेक देशों में भारी आर्थिक प्रगति हुई है, लेकिन, इस के साथ आधुनिक जीवन में मोटापा, धूम्रपान, मधुमेह, अवसाद आदि व्याधियाँ बढ़ रहीं हैं। बुद्ध और सुकरात जैसे सन्तों-महात्माओं ने मानवता को बार-बार आगाह किया था कि केवल भौतिक उपलब्धि हमारी आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। मानवीय आवश्यकताओं विशेष कर कष्टों को दूर करने, सामाजिक न्याय तथा प्रसन्नता की प्राप्ति करने के लिए भौतिक जीवन का उपयोग होना चाहिए।

डब्लू.एच.आर.2012 अमेरिका विश्व की आर्थिक महाशक्ति के बारे में एक उदाहरण प्रमुखता से प्रस्तुत करता है, जिसने पिछली आधी सदी के दौरान महान आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति की है, लेकिन नागरिकों की आत्म प्रतिवेदित प्रसन्नता में बिना कोई इजाफा किए जो कि आज की गम्भीर चिन्ताओं से प्रकट होता है। यथा अनिश्चितता एवं चिन्ता चरम पर, सामाजिक और आर्थिक असमानता में भारी वृद्धि, सामाजिक विश्वास या भरोसे में कमी, सरकार में विश्वास सर्वकालिक न्यूनता आदि गंभीर चिन्ताएँ हैं।

व्यवसायी वर्ग भारतीय समाज की शक्ति सम्पन्न अभिजात वर्ग का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। यह नहीं यह आवश्यक सामाजिक सेवाओं से सम्बन्धित है। इसीलिए उसके द्वारा अपने सामाजिक दायित्व की उपेक्षा प्रत्येक जागरूक नागरिक के लिए चिन्ता का विषय है। यह सच है कि समूचा भारतीय समाज ही नैतिक संकट से गुजर रहा है परन्तु फिर भी वह वर्ग जिसके ऊपर उसके व्यवसाय के स्वभाव से ही जन-सेवा का भार है अपने व्यवसाय को शोषणकारी बनायेगा तो क्षम्य नहीं कहा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने भारतीय व्यवसायों के लिए लिखा है कि, "सभी व्यवसाय जन साधारण के विरुद्ध षड़यन्त्र हैं।" उन्होंने लिखा है कि व्यवसायियों का भारत की जनता के प्रति दायित्व है। उन्हें अपने दृष्टिकोण और विवेक को मानवीय बनाना ही होगा क्योंकि वैधानिक और वैचारिक दोनों दृष्टियों से वे जनता के प्रति जबाबदेह हैं। यदि वे स्वयं अपनी कार्य-विधि और निपुणता का मानवीयकरण नहीं करते तो एक दिन जन आक्रोश उनके विरुद्ध जाग उठेगा। उन्हीं के शब्दों में, "यह छोटा आदमी शीघ्र ही अपनी कुण्डलनी शक्ति से जाग जायेगा, फिर वह शासकों को शासित करेगा, जजों की जाँच करेगा, आडिटरों का आडिट करेगा, पुलिस पर नियन्त्रण करेगा, चिकित्सकों की चिकित्सा करेगा तथा अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, आडिटरों आदि की प्रक्रियाओं के विवेक और नैतिक आदर्श का समाजीकरण करेगा।"

वास्तव में एक ऐसे मानववादी आन्दोलन की आवश्यकता है जो समाज में नैतिकता के पुराने मूल्यों की पुनः स्थापना करे, कम से कम उन मूल्यों की जो ईमानदारी, सच्चाई और मानव प्रेम से सम्बन्धित है। व्यवसायों के लिए यह विचारा मूलमन्त्र की भाँति होना चाहिए कि 'विशेषज्ञ की निपुणता जनता के लिए है।'

उपहास और विश्वास

किसी भी शुभ कार्य का आरम्भ करते ही मनुष्य को उथले और बेकार के निठल्ले लोगों के उपहास का सामना करना पड़ता है। ये लोग दूसरों को अपने समान या अपने से ऊँचा उठता या बढ़ता हुआ नहीं देख पाते। वे मजाक के स्वर में कहा करते हैं—अरे! यह क्या कर लेगा? बेकार दूसरों की नकल करता है। अपने पैर देखकर तो चलता नहीं। हम पुराने लोगों की शार्गिदी क्यों नहीं करता? हमारी कृपा पर यह आधारित होना चाहिए।

जब बह इन पुराने लोगों की बात नहीं सुनता, तो वे व्यर्थ ही उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। बार—बार टोकते हैं। तरह—तरह के उपहास करते हैं। इस तरह उन्नति शील व्यक्ति को अपने कार्य के शुभारम्भ में ही भारी उपहास का सामना करना पड़ता है। अनेक लोग इस तरह के उपहास एवं झूठे विरोध के सामने आत्म समर्पण कर देते हैं। विषम परिस्थितियों से हार मान लेते हैं और आगे बढ़ने का संकल्प ही ढीला कर देते हैं, जो भावुक या जल्दबाज व्यक्ति आलोचनाओं के सामने आत्म समर्पण कर बैठते हैं, वे कायर ही कहे जायेंगे। विरोधों से टक्कर न ले सकना चित्त की अति कोमलता है, ऐसी कोमलता एक प्रकार की मानसिक कमजोरी है। बहुत से दुर्बल मन वाले इस उपहास को पर्वत जैसा विशाल मानकर हार कर बैठ जाते हैं। थोड़ी—सी विरोधी आलोचना उनके सकल्प एवं आकांक्षाओं की हत्या कर डालती है। यह कायरता केवल मानसिक निर्बलता है।

विश्वास मानव जीवन की पतवार है जो लाखों प्रतिकूलताओं, उलझनों में भी गतिशील और सुधार बनाये रखती है। विश्वास की डोर से बँधी हुई जीवन की नैया उगमगा नहीं सकती। अनेक उलझनों, समस्याएँ, आधियों, तूफान भी उस व्यक्ति को अपने ध्येय पथ से विचलित नहीं कर सकते हैं जो अपने आप में अटूट विश्वास लिए चल रहा है। जीवन में प्रकाश देने वाले सभी दीपक बुझ जाएँ, किन्तु मनुष्य के अन्तर में विश्वास की ज्योत जलती रहे तो वह घोर अंधकार में भी अपना पथ स्वयं ढूँढ़ लेगा, आत्म—विश्वास की ज्योति के समक्ष संसार के सभी अन्धकार तिरोहित हो जाते हैं।

संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं वे सब विश्वास की ही कृति हैं। विश्वास सफल जीवन का मूल मन्त्र है। विश्वास जीवन की शक्ति है। विश्वास क्या नहीं कर सकता है? विश्वास हमें गगनचुम्बी पहाड़ों को लॉघने की शक्ति और प्रेरणा देता है। विश्वास ही जीवन के उस मार्ग की खोज करता है जो हमें मंजिल तक पहुँचा सके। विश्वास हमारी जीवन नैया को तूफानी सागर में भी खेता है। विश्वास पर्वतों को डिगा देता है। विशाल सागर को लॉघ सकता है। विश्वास कोई कोमल पुष्प नहीं जो साधारण वायु के झोंके से गिर जाए। वह हिमालय की तरह अडिग है।

जहाँ विश्वास है वहाँ के समस्त अभाव, अभिशाप, दीनता, दारद्रिय, गरीबी, निष्प्रभाव हो जाते हैं। ये जीवन के विकास के क्रम में बाधक नहीं बनते। संसार के अधिकांश महापुरुषों का जीवन इसी तथ्य का प्रतिपादन है, जिन्हें बढ़ने के लिए तनिक भी सहारा नहीं था उन्होंने अपने आत्मबल के सहारे जीवन की महान सफलताएँ अर्जित कीं। अनेक व्यक्ति असाधारण बन गए अपने विश्वास के आधार पर।

किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए विश्वास का होना आवश्यक है। किसी भी ध्येय की पूर्ति के पीछे विश्वास की सत्ता नहीं होगी तो वह अपने प्रारम्भ काल में ही अस्त हो जाएगा। विश्वास के अभाव में मनुष्य जीवन शुष्क, नीरस, निर्जीव सा बन जाएगा। विश्वास के अभाव में राजपथ पर भी मनुष्य एकदम आगे नहीं बढ़ सकता।

विश्वास कहीं अन्यत्र ढूँढ़ी जाने वाली वस्तु या किसी की कृपा का वरदान नहीं, यह हमारे अन्तर में ही विराजमान सनातन सत्य है। आत्म चेतना अजर—अक्षर, सर्वशक्ति सम्पन्न, दिव्य स्वरूप ही हमारे विश्वास का आधार हो सकता है। मनुष्य अपने आप में अक्षय शक्ति और निधियों का स्वामी है। मनुष्य के अन्तर में शक्ति समृद्धि का अजस्र स्रोत है। इसका परिचय होने पर दृढ़ विश्वास अभ्युदय होता है। यदि उद्देश्य उत्तम है, तो कोई ईश्वरीय शक्ति स्वयं मनुष्य को आगे बढ़ाती रहती है। विरोध अथवा विरोधी से कभी घबराना नहीं चाहिए।

वेतनभोगियों की अतिरिक्त धन-सम्पत्ति और कालाधन

लोकतान्त्रिक सेवकों को पूर्णकालिक पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है अतः उन्हें मासिक वेतन मिलता है

व्यक्तियों की आमदनी और खर्चों पर विचार करने के निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि अधिकांश व्यक्ति कठिन परिश्रम करके भी अपने प्रतिपाल्यों की 2 जून रोटी जुटा पाने में असमर्थ है। जबकि सरकारी-सार्वजनिक लोकतान्त्रिक पदों पर आसीन लोग निर्धारित वेतन से कई गुना अधिक फिजूल खर्च करके भी अकूत धन-सम्पत्ति संचित करने में सफल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था जनता के लिए अहितकर एवं विशेष व्यक्ति के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' एवं 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' के उद्देश्य विफल होकर वी.आई.पी. लाभ मात्र तक सीमित हो रहे हैं।

आज लोकतान्त्रिक व्यवस्था के सभी पदों पर राजनीतिक हस्ताक्षेप चरम पर दिखाई दे रहा है। देश-प्रदेश के सभी संवर्ग पदों पर आसीन अधिकांश व्यक्ति या तो व्यक्ति-परिवार विशेष की आवभगत में जुटे हुए हैं अथवा अपने पद पर निष्क्रिय बने हुए हैं। संवैधानिक पदों पर अर्ह व्यक्तियों की उपेक्षा कर चयन-मनोनयन प्रसाद की भाँति मनमाने बाँटे जा रहे हैं। सरकारी-सार्वजनिक विकास निधियों का धन फर्जी बिल-बाउचर्स के माध्यम से हड़प कर आपस में बन्दर-बाँट किया जा रहा है। आमजनों के कल्याण एवं जनहित के उद्देश्य से निर्मित विकास योजनाओं की धन-संपत्ति व्यक्ति विशेष को बेच कर उसके लाभ तक सीमित हो रही है। सरकारी खजानों से लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर आयोजित मंचों पर राजनीतिक व्यक्ति विशेष का गुण-गान किया जाता है और राजनेताओं द्वारा रोजी-रोटी माँग रही दरिद्र जनता से ब्रेड-बिस्कुट खाने को कहा जाता है।

आज देश और प्रदेश विशेषकर उ.प्र.के अधिकांश सरकारी-सार्वजनिक विभागों सहित आयोगों, निदेशालयों, विश्वविद्यालयों, रजिस्ट्रार कार्यालयों में प्रत्येक स्तर के कर्मचारी-अधिकारी जनता के हितों की जबरदस्त उपेक्षा कर अवैध वसूली में जुटे हुए हैं। इनके रेकेट्स के संगठित अपराधी किसी भी कार्य को सम्पन्न कराने के लिए धन-कमीशन वसूल कर रहे हैं। इनके रेकेट्स के दलालों की दहशत, अराजकता, अवैध वसूली, कमीशनबाजी आदि जनविरोधी कार्य देश प्रदेश के सरकारी-सार्वजनिक कार्यालयों में खुलेआम दिखाई दे रहा है। अभ्यर्थियों के आवेदन, चयन, नियुक्ति, स्थानान्तरण शिकायत निस्तारण, सरकारी आडिट, अवकाश, कमीशन के रिश्वत-रेट बंधे हुए हैं। जिनको अग्रिम वसूल किए बिना कोई भी कार्य-आदेश-कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकती है। जिसके कारण सरकारी कार्यालयों में जनशोषण, उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार चरम पर है तथा रिश्वत का शिकार जनसाधारण एवं दरिद्र व्यक्ति हो रहे हैं। सरकारी नियम-कानून, उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण संहिता, भारतीय संहिताओं एवं न्यायिक आदेशों की जबरदस्त उपेक्षाकर मनमानी अवैध वसूली की स्थिति चारों ओर चरम पर दिखती है।

आज सरकारी-सार्वजनिक कार्यालयों में बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएँ जनहित की अपेक्षा अपने स्वलाभ तक सीमित हो रही हैं। निदेशालयों, विश्वविद्यालयों मुख्यालयों आदि में बैठे प्रमुख अधिकारी अपने अधीन कर्मचारियों से धन लेकर मनमाने ढंग से कार्य-सीट्स आवंटन करते हैं और अधिकांश काउण्टर्स उनकी डीलिंग के अनुसार ठेके पर बेचते रहते हैं। यथा **स्थिति-1** उ.प्र. शिक्षा विभाग, चयन आयोग एवं निदेशालय जन साधारण हेतु कितने उपयोगी और कल्याणकारी तथा निष्पक्ष हैं, का प्रमाण सम्बन्धित अध्यक्षों, सचिवों, कर्मचारियों का चयन एवं मनमानी कार्य-प्रणालियों में देखने को मिल रहा है, जिनकी कृपा से देश, राज्य व जनपद क्षेत्रों में आपराधिक रेकेट्स चल रहे हैं। इनके द्वारा धन लेकर अनर्ह-नियुक्तियाँ, फर्जी भुगतान एवं मनमाने आदेश जारी हो रहे हैं। **स्थिति-2** फण्ड सोसाइटी व चिट्स के क्षेत्रीय कार्यालयों में समितियों के पंजीयन प्रक्रिया में निर्धारित शुल्क के अलावा 100 रुपए काउण्टर पर 2500 रुपए जिले का सम्बन्धित लिपिक, 100 रुपए प्रतिलिपि-कर्मचारी, 100 रुपए डिस्पैच-कलर्क एवं हजारों रुपए बाहर बैठे दलालों द्वारा खुलेआम वसूले जाते हैं। कार्यालय के बाहर जमघट लगाए दलाल, टाइपिस्ट, वकील पंजीकरण-नवीनीकरण पत्रावलियाँ अपने बिस्तरों पर ले जाकर हेराफेरी कर वसूली करते हैं। **स्थिति-3** विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध कालेजों के प्रबन्धकों से रिश्वत लेकर फर्जी प्रपत्रों व अमानक आचार्यों-प्राचार्यों को अनुमोदित किया जा रहा है, अमानक व शिक्षकहीन कालेजों की मान्यता नकल परीक्षा हेतु धन लेकर अयोग्य लोगों को फर्जी नियुक्त किया जा रहा है। **स्थिति-4** लोकवाणी केन्द्रों पर अतिरिक्त धन लेकर मनमाने प्रमाण-पत्र जारी हो रहे हैं। **स्थिति-5** व्यक्ति विशेष के सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध लोग फर्जी सोसाइटी-एन.जी.ओ. एवं कम्पनी बना कर एवं उनमें स्वयं-भू पदासीन होकर अवैध वसूलीकर सरकारी विकास निधियाँ हड़प रहे हैं। **स्थिति-6** सरकारी कर्मचारी-अधिकारी अपने वेतन-भत्तों से अधिक खर्च करके भी अकूत धन-सम्पत्ति के स्वामी बन रहे हैं। **स्थिति-7** पुलिस रिपोर्ट दर्ज हेतु 100 रुपए, हिरासत से छुड़ाने हेतु 15000 रुपए, एफ.आर.हेतु 50000 रुपए लिए जाते हैं। **स्थिति-8** सांसद-विधायक निधियाँ बेची जाती हैं।

उक्त तथ्यों के अतिरिक्त देश-प्रदेश के अधिकांश सरकारी-सार्वजनिक कार्यालयों की वास्तविक स्थिति ऐसी ही बनी हुई है जिससे किसी भी कार्यालय में जाकर देखा जा सकता है। ऐसी सामूहिक स्थितियों के कारण देश एवं प्रदेश की आम जनता का जीवन बड़-से-बदतर होता जा रहा है। अतः हम जागरूक नागरिकों द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचार कर सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए जिससे सरकारी-सार्वजनिक कार्यालयों में व्याप्त जनशोषण एवं भ्रष्टाचार तथा अपराधी-रैकेट्स पर अंकुश लग सके।

धन का असमान वितरण और शोषण परम्परा

समाज में जब कुछ व्यक्ति या वर्ग अत्यन्त निर्धन हो और दूसरी ओर कुछ व्यक्ति या वर्ग अत्यन्त सम्पन्न हों तो इसे हम समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता कहेंगे। इस असमानता के परिणामस्वरूप समाज के धनी एवं निर्धन वर्ग में एक गहरी खाई उत्पन्न हो जाती है।

भारतीय समाज में आर्थिक दृष्टि से विभिन्न व्यक्तियों एवं वर्गों में अत्यधिक असमानताएँ पाई जाती हैं। व्यक्तियों की आय, सम्पत्ति, धन आदि में विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति भिन्न होती है। किसी व्यक्ति को पूर्वजों द्वारा सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है तथा किसी को नहीं। इस प्राप्त सम्पत्ति की मात्रा भी बहुत भिन्न-भिन्न होती है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय चुनता है, आजीविका उपार्जन किस प्रकार करता है, इस दृष्टि से अत्यधिक विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, कार्यक्षमता, परिश्रम, योग्यता के आधार पर तथा अन्य बहुत से बाहरी कारणों पर यह निर्भर करता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। समाज में भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यवसाय और पेशे व्यक्तियों द्वारा अपनाए जाते हैं। इन्हीं के अनुसार उनकी आर्थिक स्थिति निर्धारित होती है।

धन की असमानता का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से अर्थ व्यवस्था से भी है। समाज में प्राचीन काल से भिन्न-भिन्न प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएँ विद्यमान रही हैं। पूर्व में जब जजमानी प्रथा पाई जाती थी, वस्तु-विनिमय की प्रथा थी। उस समय अधिक आर्थिक असमानता का प्रश्न नहीं था। धीरे-धीरे जब बाजार अर्थ-व्यवस्था का विकास हुआ और मुद्रा विनिमय का माध्यम बन गई तो आर्थिक-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन आए। बाजार अर्थ-व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम हुआ—मुद्रा को संचय करने की प्रवृत्ति का विकास। यह प्रवृत्ति पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के विकास के साथ-साथ बहुत तीव्र रूप धारण करती गई।

पूँजीवादी समाज का उद्भव सामन्तवादी समाज के अन्त होने पर होता है और उसका कारण उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है। सामन्तवादी युग में भूमि उत्पादन का सर्वप्रथम साधन था। परन्तु मशीनों के आविष्कार के पश्चात् उत्पादन का मशीन और मशीनों से चलने वाले मिल, कारखाने आदि हो गए। उत्पादन के इन साधनों पर अधिकार उन्हीं लोगों का हो सकता है जिनके पास बड़ी-बड़ी व कीमती मशीनों को खरीदने एवं मिल-कारखानों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त पूँजी हो। पूँजीवादी व्यवस्था में समाज में दो वर्ग बन जाते हैं—एक पूँजीपति, मिल स्वामी/धनी वर्ग तथा दूसरा श्रमिक/निर्धन वर्ग।

पूँजीवादी समाज 'मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण' करने वाला समाज है, धनी को अधिक धनी और निर्धन को अधिक निर्धन बनाने वाला समाज है। यह गरीब जनता या श्रमिकों का खून चूसकर पनपता है, उनके श्रम पर टिका हुआ होता है और उन्हीं की अज्ञानता और संगठन के अभाव का नाजायज फायदा उठाकर जिन्दा रहता है। पूँजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग को उत्पीड़ित करता है, उनका शोषण करता है।

पूँजीवादी समाज के सम्पूर्ण सदस्य नए उत्पादन के साधनों यथा मशीन, मिल, कारखाना आदि के उद्भव के साथ-साथ दो विराट वर्गों में स्वतः ही बँट जाते हैं। प्रथम पूँजीपति वर्ग **अल्पसंख्यक** उन लोगों का होता है जिनका इन उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है। दूसरा वर्ग समाज के **बहुसंख्यक** श्रमिक लोगों का होता है जिनके पास पूँजी या जीविका-पालन के अन्य कोई साधन नहीं होते हैं उनके लिए जीवित रहने का एक ही मार्ग खुला होता है और वह यह कि वे अपने श्रम को पूँजीपति वर्ग द्वारा स्थापित मिल-कारखानों में जाकर बेच दें, अर्थात् अपने श्रम से उत्पादन-कार्य में सक्रिय भाग लें और उसके बदले में वेतन उपार्जन करके अपने को तथा अपने परिवार के अन्य आश्रितों को जीवित रखें। यह वेतन कितना होगा, इसका निर्धारण श्रमिक नहीं अपितु पूँजीपति करता है। पूँजीपति वर्ग श्रमिकों की कमजोरियों को खूब जानता है और उसी के बल पर अपनी स्वार्थ सिद्ध करता है। पूँजीपति जानता है कि श्रमिक अपने श्रम को भविष्य के लिए संचय करके नहीं रख सकता और न वह रातों-रात अपने को इतना संगठित कर सकता है कि पूँजीपतियों से अपने वेतन की वृद्धि को सौदा कर सके। परिणामस्वरूप श्रमिक से कड़ी मेहनत करवा लेता है और उसके बदले में नाम-मात्र का वेतन देता है और भी स्पष्ट रूप में, श्रमिक अपने श्रम से जितना मूल्य उत्पन्न करता है, उसका उचित हिस्सा श्रमिक को वेतन के रूप में नहीं मिलता है, वरन् उसका एक बहुत छोटा भाग श्रमिक को देकर अधिकतर भाग पूँजीपति स्वयं हड़प जाता है। इस प्रकार मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण होता है।

उक्त परिस्थितियों परिणामस्वरूप अधिकाधिक पूँजी पूँजीपतियों की तिजोरियों में एकत्रित होती है अर्थात् धनवान अधिक धनी बन जाते हैं और जो लोग अपना खून-पसीना एक करके उस धन को उत्पन्न करते हैं और जिनका कि वास्तव में उस धन पर अधिकार होना चाहिए, वे क्रमशः निर्धनता के निम्नतम स्तर पर आते जाते हैं। वेतनभोगी श्रमिक व्यक्तिगत रूप में क्योंकि स्वतन्त्र होते हैं, इसलिए पूँजीपति वर्ग उनको उस रूप में बेच या मार तो नहीं सकते जैसा कि दासत्त्व के युग में दास के स्वामी अपने दासों के साथ करते थे, परन्तु इस व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का भारी मूल्य भी उन्हें चुकाना पड़ता है और पूँजीपतियों द्वारा शोषण के परिणामस्वरूप उनकी दशा दिन-प्रतिदिन अधिक दयनीय होती जाती है।

पूँजीपति समाज में फैक्ट्री प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादन-कार्य बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि मशीनों से पूर्ण उपयोगिता बड़े पैमाने में उत्पादन होने से दो दुष्परिणाम सामने आते हैं— प्रथम तो यह है कि मशीन स्वयं ही श्रमिकों को रोजगार से निकाल फेंकती है। अनेक

मजदूर महीनों में जितना काम कर सकते हैं, एक मशीन एक मजदूर की सहायता से मिनटों में उतना ही काम कर डालती है। इससे मजदूरों में बेकारी बढ़ती है और बेकार व्यक्तियों की संख्या जितनी बढ़ती है, उतनी ही पूँजीवादी व्यवस्था के प्रति लोगों के दिल में असंतोष की भावना उग्र हो जाती है। द्वितीय उत्पादन बड़े पैमाने पर होने के कारण बहुधा अति-उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप **‘व्यापारिक मन्दी का चक्र’** आता है। इस मन्दी से न केवल बेकारों की संख्या बढ़ती है, अपितु कम हैसियत वाले पूँजीपति या छोटे मिल-मालिकों को व्यापार में भारी हानि होती है और वे अपनी पूँजी की शक्ति खोकर श्रमिक वर्ग में आ मिलते हैं। इससे एक ओर श्रमिक वर्ग की सदस्य शक्ति बढ़ती है और दूसरी ओर कम हैसियत वालों को घाटा होने पर उनकी पूँजी भी अधिकाधिक **अल्पसंख्यक पूँजीपतियों** के पास इकट्ठी होती जाती है। साथ ही, मन्दीकाल में मजदूरों का वेतन भी कम कर दिया जाता है जिससे कि उनकी क्रय-शक्ति घटती है और वे अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों में जो असन्तोष की भावना पनपती है, उससे वर्ग-संघर्ष उग्र होता है और अर्थ व्यवस्था में **पूँजीपति तथा पूँजीहीनों** के दो वर्ग स्पष्ट रूप से आमने-सामने अपने-अपने स्वार्थों को लेकर संघर्ष हेतु खड़े हो जाते हैं।

वस्तुतः पूँजीवाद व्यवस्था में ऐसे कई आन्तरिक विरोध क्रियाशील होते हैं। जिनके कारण पूँजीपतियों के विरुद्ध श्रमिकों की क्रान्ति और उसके फलस्वरूप पूँजीवाद का विनाश आवश्यक सम्भावी है। इसी प्रकार पूँजीवादी समाज की ऐतिहासिक मात्रा छोटे पैमाने के संगठन से आरम्भ होकर बड़े संगठन पर पहुँचकर समाप्त होती है। उसका आरम्भ मजदूरों के शोषण से होता है, परन्तु उसका अन्त स्वयं पूँजीपतियों के विनाश से होता है। उसका प्रारम्भ उज्ज्वल आशाओं से होता है पर उसका अन्त अंधकार से भी अधिक अन्धकारमय होता है। इस प्रक्रिया को मार्क्स ने अपने आवेशमय तथा शक्तिशाली शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है—“जैसे ही परिवर्तन की यह प्रक्रिया पुराने समाज को ऊपर से नीचे तक पर्याप्त रूप में कर लेती है, जैसे ही श्रमिक सर्वहारा का रूप धारण कर लेता है और उनके श्रम के साधन पूँजी में परिवर्तित हो जाते हैं तथा जैसे ही पूँजीवादी उत्पादन की पद्धति अपने स्वयं के पैरों पर खड़ी हो जाती है वैसे ही श्रम का अतिरिक्त समाजीकरण तथा भूमि एवं उत्पादन के अन्य साधनों का समाज के लिए उपयुक्त और इसलिए, सामूहिक उत्पादनों के साधनों में परिवर्तन और साथ ही व्यक्तिगत सम्पत्तियों का **स्वामित्व-हरण** एक नया रूप धारण कर लेता है। अब जिसका स्वामित्व हरण होना है, वह अपने लिए काम करने वाला श्रमिक नहीं, अपितु बहुत से श्रमिकों का शोषण करने वाला पूँजीपति है। स्वामित्व-हरण का यह कार्य स्वयं पूँजीवादी उत्पादन-प्रक्रिया में अन्तर्निहित नियमों की क्रियाशीलता अर्थात् पूँजी के केन्द्रीकरण के कारण घटित होता है। एक पूँजीपति हमेशा बहुतों को मारता है। पूँजीवादी व्यवस्था में यदि एक ओर कम-से-कम लोगों के हाथ में पूँजी का अधिकाधिक केन्द्रीकरण होता है, तो दूसरी ओर बढ़ते हुए पैमाने पर श्रम-प्रक्रिया का सहयोगी स्वरूप, विज्ञान के सचेत प्रयोग, भूमि की विधिवत खेती, उत्पादन के साधनों का सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग, उत्पादन के समस्त साधनों में मितव्ययता तथा समग्र श्रमिक वर्ग का संसार व्यापक बाजार में सम्मिलित होना और इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रकट होना आदि भी होता जाता है। पूँजीवादी व्यवस्था में यदि एक ओर परिवर्तन की प्रक्रिया के समस्त लाभों पर अपना एकाधिकार जमा लेने वाले बड़े पूँजीपतियों की संख्या निरन्तर घटती जाती है, तो दूसरी ओर दरिद्रता, दमन, दसता, नैतिक पतन एवं शोषण में निरन्तर वृद्धि होती जाती है और इसी के साथ श्रमिक वर्ग का विद्रोह भी बढ़ता जाता है क्योंकि स्वयं पूँजीवाद उत्पादन-प्रक्रिया की क्रियाशीलता के परिणामस्वरूप इस श्रमिक वर्ग की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जाती है और उसका अनुशासन, एकता और संगठन भी मजबूत होता जाता है। “उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकरण तथा श्रम का समाजीकरण अन्त में उस स्तर पर पहुँच जाता है जहाँ वे अपने पूँजीवादी आचरण में असंगत प्रकट होने लगते हैं। इसलिए वह आवरण तोड़-फोड़ डाला जाता है। पूँजीवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति की मृत्यु की घण्टी बज जाती है। स्वामित्व-हरण करने वालों का स्वामित्व-हरण हो जाता है।”

वास्तव में एक ऐसे मानववादी आन्दोलन की आवश्यकता है जो नैतिकता के पुराने मूल्यों की पुनः स्थापना करे, कम से कम उन मूल्यों की जो ईमानदारी, सच्चाई एवं मानव प्रेम से सम्बन्धित हैं। व्यवसायों के लिए यह विचार मूलमन्त्र की भाँति होना चाहिए कि **‘विशेषज्ञ की निपुणता जनता के लिए है।’**

दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं का वर्तमान स्वरूप

(फर्रुखाबाद जनपद का अध्ययन)

उ.प्र. राज्य के जनपद फर्रुखाबाद की जनसंख्या में 85% ग्रामीण एवं 15% नगरीय जनसंख्या है जिसमें व्यापक दरिद्रता है। दरिद्र व्यक्ति एवं उनके आश्रित जीवन की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं के अभाव में जीवन-यापन कर रहे हैं। दरिद्र व्यक्तियों के परिवारों की कुल संख्या 100600 जिनमें 90475 ग्रामीण एवं 8500 नगरीय हैं। इन दरिद्र व्यक्तियों के परिवारों की संख्या वर्ष 2001 के बी.पी.एल. संख्या के आधार पर है जो वर्तमान में भी जारी है। बी.पी.एल. सूची में फर्जी दरिद्रों की संख्या अत्यधिक एवं वास्तविक दरिद्रों की संख्या नाम मात्र है। बी.पी.एल. सूची पर आधारित सरकारी योजनाओं का लाभ दशकों से फर्जी दरिद्रों को मिल रहा है और वास्तविक दरिद्र लाभ से वंचित दरिद्रता की मार झेलने को मजबूर हैं।

फर्रुखाबाद जनपद तीन तहसीलों में विभाजित है। इन तहसीलों के अन्तर्गत सात विकास खण्ड (513 से परिवर्तित 603 ग्रामसभाएँ) एवं छः नगर (117 वार्ड्स) हैं। वर्ष 2001 में जनपद की जनसंख्या 1385277 थी जो 2011 में बढ़कर 1885204 हो गई है। यदि वृद्धि दर यही 20% बनी रही तो 2040 तक जिले की जनसंख्या लगभग 37 लाख हो जाएगी। **जनगणना-2011** के अनुसार, जनपद का कुल क्षेत्रफल 2181 वर्ग कि.मी., जनसंख्या घनत्व 865 व्यक्ति/कि.मी., लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 874 स्त्रियाँ तथा कुल जनसंख्या 1887577 (1007479 पुरुष, 880098 स्त्रियाँ) एवं जनसंख्या वृद्धि 2% वार्षिक है। कुल साक्षर जनसंख्या 1125457 (70.57%) में पुरुष 676067 (79.34%) एवं स्त्रियाँ 449390 (60.51%) हैं। **फर्रुखाबाद तहसील** के विकास खण्ड-बढ़पुर की कुल जनसंख्या 164730 (88654 पुरुष, 76076 स्त्रियाँ) में दरिद्रों की संख्या 7702 है, कमालगंज की कुल जनसंख्या 777306 (145816 पुरुष, 131490 स्त्रियाँ) में दरिद्रों की संख्या 20068 है, विकास खण्ड मोहम्मदाबाद की जनसंख्या 259396 (138745 पुरुष, 120651 स्त्रियाँ) में दरिद्रों की संख्या 17594 है। **कायमगंज तहसील** के विकास खण्ड कायमगंज की कुल जनसंख्या 225078 (120607 पुरुष, 104471 स्त्रियाँ) में दरिद्रों की संख्या 15219 है, शमशाबाद की कुल जनसंख्या 202229 (108229 पुरुष, 94070 स्त्रियाँ) में दरिद्रों की संख्या 15700 है, नबाबगंज की कुल जनसंख्या 165555 (88970 पुरुष, 76585 स्त्रियाँ) में दरिद्रों की संख्या 12523 है। **अमृतपुर तहसील** के विकास खण्ड राजेपुर की जनसंख्या 186183 (100390 पुरुष, 85793 स्त्रियाँ) में दरिद्रों की संख्या 7687 है। तथा **नगर क्षेत्र-फर्रुखाबाद** की कुल जनसंख्या 291374 (154776 पुरुष, 136598 स्त्रियाँ), कमालगंज की जनसंख्या 15471 (8248 पुरुष, 7229 स्त्रियाँ), मोहम्मदाबाद की जनसंख्या 24687 (13241 पुरुष, 11444 स्त्रियाँ), कायमगंज की कुल जनसंख्या 34484 (18135 पुरुष, 16249 स्त्रियाँ), शमशाबाद की जनसंख्या 28454 (14950 पुरुष, 13504 स्त्रियाँ), कम्पिल की कुल जनसंख्या 10271 (5477 पुरुष, 4804 स्त्रियाँ) है। जनपद में 98287 अन्त्योदय-बी.पी.एल. राशन धारक (90472 ग्रामीण, 7811 शहरी) व 107967 असहाय पेन्शनर्स (90740 ग्रामीण, 17234 शहरी) हैं।

जनपद के नगर क्षेत्र-फर्रुखाबाद के भडगड्डा, लकूला के कंजड, घोड़ा-नखास एवं तिर्वाकोटी के नट, मोहम्मदाबाद नगर के भडगड्डा, तकीपुर के कंजड एवं हबूडा, रोहिला के बंजारा, कायमगंज नगर के कुंजडा, कम्पिल नगर के मदारी तथा ब्लाक बढ़पुर के ग्राम कुबेराघाट एवं रामपुर के निवासी, ब्लाक शमशाबाद के ग्राम कासिमपुर-तराई के निवासी, रायपुर के नट, ब्लाक राजेपुर के ग्राम आसमपुर के निवासी, भावन के निवासी, कायमगंज ब्लाक के ग्राम शिवरई के काछी, ब्राहिमपुर के हरिजन, ब्लाक नबाबगंज के ग्राम बबना के हरिजन, मोहम्मदाबाद ब्लाक के ग्राम मुडगाँव के बेगा, खिमशेपुर के बेगा, बहेलिया, सिरौली के बेगा, ब्लाक कमालगंज के ग्राम महरपुर के कंजड, जहानगंज के मुस्लिम, भडगड्डा आदि जीवन-यापन की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं से वंचित हैं। ये दरिद्र और उनके आश्रित रोटी के लिए रोज अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। यह कूड़े-कचड़े के ढेरों में कबाड़ बीनते हैं, तालाब-गड्डों से मेड़क-मछली ढूँढ़ते हैं, खेत-वन में पक्षी-खरगोश पकड़ते हैं, बिलों में सांप निकालते हैं, कोल्ड में सड़े आलू बीनते हैं, भीख माँगते हैं और रूखी-सूखी रोटी से अपना तथा आश्रितों के पेट की भूख की आग मिटाते हैं। इनके आवास गन्दगी के ढेरों, गन्दे नालों, तालाबों, गन्दगी क्षेत्र में कीड़े-मकोड़ों के बीच टूटी-फूटी झोपड़ियों में हैं जहाँ जहरीले कीड़े-मकोड़ों का प्रकोप है। कुत्ते, बिल्ली, बकरी, बन्दर, नांग, बिच्छू, गधे, खच्चर आदि परिवार के सदस्य के रूप इनके साथ रहकर इनकी आजीविका व सुरक्षा में साथ निभाते हैं। यह दरिद्र व उनके आश्रित शिक्षा एवं रोजगार सहित दरिद्र कल्याण योजनाओं तथा आरक्षण लाभ से जबरदस्त वंचित हैं। इनको मिलने वाले भूमि-पट्टे, आवास, राशन, नौकरी, सब्सिडी, लोन, आरक्षण सभी कुछ सक्षम एवं कर्मचारी हड़प रहे हैं। इन पर अपराधी का ठप्पा लगाकर दबंग इन्हें उत्पीड़ित कर बेगार कराते हैं और मादक द्रव्य, शराब आदि फर्जी मामलों फंसाकर जेल में डलवा देते हैं और स्त्रियों से शराब बिकवाते हैं। नौकरी में आरक्षण व्यवस्था होने के बावजूद इनकी बेरोजगारी देश-समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

जनपद की तहसील अमृतपुर का विकासखण्ड राजेपुर एवं तहसील कायमगंज का विकास खण्ड कायमगंज एवं शमशाबाद तथा तहसील फर्रुखाबाद का विकासखण्ड बढ़पुर का तराई क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं। यहाँ का जन-जीवन गंगा एवं रामगंगा नदियों की भयानक बाढ़ की चपेट में रहने के कारण अस्त-व्यस्त और व्यक्ति दरिद्रता ग्रसित जीवन-यापन करने को मजबूर हैं। यह कैसी विडम्बना है कि, केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाएँ-दरिद्रता उन्मूलन एवं दरिद्रों के कल्याणकारी लाभ पर राष्ट्रीय बजट का बड़ा हिस्सा व्यय होने के बावजूद दरिद्रता व भुखमरी में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अधिकांश व्यक्तियों के रहन-सहन का स्तर निरन्तर गिरता चला जा रहा है। इससे भी अधिक दुःख की बात यह है कि धनाभाव ने न कितने ही व्यक्तियों को चिन्ता का शिकार बना दिया है, जिसका कुफल वे अपने स्वास्थ्य को खोकर या मानसिक एवं संक्रामक रोगों में ग्रस्त होकर भोग रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उन लोगों की

संख्या कम नहीं है, जिनको धनाभाव के कारण न तो पेट भरने के लिए भोजन मिलता है, न तन ढकने के लिए कपड़ा और न रहने के लिए मकान। इन बदनसीब व्यक्तियों को हजारों की संख्या में फुटपाथों एवं गन्दे नालों के किनारे अपनी जिन्दगी के दिन गिनते हुए देखा जा सकता है।

जनपद के दरिद्रों की आजीविका के साधन खेतिहर मजदूरी, मजदूरी तथा जंगल, नदी, तालाब, खेतों, कूड़े-कचरे से वस्तुएँ एकत्र कर श्रम बेचते हैं। अधिकाँश अपने आश्रितों सहित भट्टों, कोल्ड स्टोरेज, बीड़ी-जरदोजी-तम्बाकू कारखानों, होटलों, स्कूलों, आवासों, ढाबों, दूकानों में बन्धुआ श्रमिक के रूप में लगे हुए हैं और इनको मजदूरी कम दी जाती है।

फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की आय बहुत कम है। इतनी कम आय में औसत सदस्य संख्या 6 परिवार वाला व्यक्ति सन्तोष जनक जीवन-स्तर नहीं अपना सकता। यही कारण है उपभोग का स्तर इनमें अत्यन्त निम्न है। इनके भोजन में कभी रोटी और सब्जी तो कभी नमक रोटी, कभी सूखी रोटी और दूषित जल होता है और अधिकाँश को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। दरिद्रता के कारण बड़ी संख्या में दरिद्र और उनके आश्रित जरूरी वस्त्रों के अभाव में जीवन-यापन कर रहे हैं। ये एक ही वस्त्र को महीनों पहनते हैं जिससे उनका शरीर गन्दी बीमारियों से ग्रसित रहता है। दीन-हीन या अत्यन्त दरिद्र एवं उनके आश्रितों के तन पर वस्त्र नहीं होते हैं, पहने गए वस्त्र जगह-जगह कटे-फटे और गन्दे होते हैं। दरिद्र व्यक्ति फटे-पुराने गन्दे वस्त्रों में जिनके बच्चे निःवस्त्र रहकर और टूटी खाट या भूमि पर गुदड़ी विछोने पर सोकर गुजर-बसर कर रहे हैं। लू-लपट एवं भीषण सर्दी से शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास आवश्यक वस्त्र नहीं होते और सर, उदर, पैर खुले रहते हैं। भीषण गर्मी, सर्दी व लू-लपट में उनका तन सिकुड़ कर त्वचा झुर्रीदार और चेहरा काला पड़ जाता है। शरीर पर जगह-जगह दाग-धब्बे हो जाते हैं और पैरों में विमाई और छालों के बड़े-बड़े घाव हो जाते जाते हैं। कचड़ा-कबाड़ बीनने एवं सड़कों पर घूमने वाले दरिद्र बच्चे नंगे पैर और फटेहाल स्थिति में दिखते हैं। मकानों के नाम पर अधिकाँश दरिद्र व्यक्तियों के पास झोपड़ियाँ हैं अथवा एक-एक कमरे में कई-कई व्यक्ति-परिवार रहते हैं। अब तो मकानों की समस्या यहाँ तक जटिल हो गई है कि अनेकों परिवार फुटपाथ पर अथवा सड़क के आस-पास प्लास्टिक तानकर गुजारा करते हैं। न्यून एवं अपौष्टिक भोजन, तन ढकने को अपर्याप्त कपड़ा तथा रहने के लिए मकानों का अभाव इनकी दरिद्रता का द्योतक है। दरिद्रों के आहार में फल, दूध और सब्जियों का अभाव रहता है और व्यक्ति इन अपौष्टिक आहार के कारण स्वस्थ नहीं रह सकते। व्यक्तियों की स्वास्थ्यहीनता एवं उनकी दरिद्रता दोनों ने मिलकर एक चक्रव्यूह बना लिया है। चूँकि व्यक्ति दरिद्र हैं, अतः वे अस्वस्थ रहते हैं तो और अधिक दरिद्र हो जाते हैं।

फर्रुखाबाद जिले के दरिद्रों एवं उनके आश्रितों का जीवन बुरी तरह संकट ग्रसित है। भरपेट भोजन, पहनने के लिए स्वच्छ वस्त्र और रहने के लिए घर उनके सपने से भी परे है। उनके मन मस्तिष्क पर मौत का साया मड़राता दिखाई देता है। उनकी भूख की तड़फ और दर्द का विलाप रहीसों को नाटक लगता है। उनका रक्त एवं काया व्यापारियों की आय के स्रोत हैं। लाचार का शिकार किया जाता है। शिकार अवसर पर ढोल बजाकर उत्सव मनाए जाते हैं। अभिजन-व्यापारी दरिद्रों को ठीक उसी तरह शिकार बनाते हैं। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है या सांप अपने अण्डों को स्वयं निगल जाता है।

फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों में आमतौर पर दो- दुर्गुण शराब पीना और जुआ खेलना हैं। इन दुर्गुणों अनुचित लाभ उठाने से व्यापारी, धनी एवं नेता कभी नहीं चूकते हैं। यह लोग दरिद्रों को कार्य में जुटाकर अधिक लाभ कमाने के लिए शराब बाँटते हैं, शराब की दावते करते हैं, शराब के लिए पैसे और कर्जा बाँटते हैं और किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए शराब के नशे में चूर व्यक्ति से तरह-तरह के अपराध कराते हैं। यह लोग दरिद्रों से कोरे कागज पर अंगूठा लगवाकर उसके घर, मकान और जमीन हड़प लेते हैं। अधिकाँश श्रमिक शराब पीकर घर आते हैं। अनेकों की सुबह शराब से ही शुरु होती है। अधिकाँश शराबी अपनी कमाई शराब में उड़ाते हैं। पत्नी से शराब के लिए पैसे माँगते हैं। पत्नी बेचारी कहाँ से दे? पत्नी घर चलाने के लिए जीवन-संघर्ष करती है। पैसे न मिलने पर शराबी पत्नी से मारपीट कर उसके जेब और बर्तन बेचकर शराब में उड़ा देते हैं। बेचारी पत्नी तंग आकर या तो घर छोड़कर चली जाती है या आत्महत्या कर लेती है। माँ के अभाव में बच्चे अनाथ जीवन जीने को मजबूर होकर दर-दर भटकते हैं। शराबियों की वृद्धि में जिले के 44 वीयर, 185 देशी, 56 विदेशी ठेके का विशेष योगदान कर रहे हैं।

जिले के व्यापारी, उद्योगपति, राजनेता, नौकरशाह और उनके गुर्गे उत्पादन के साधनों (मशीन, मिल, कारखाना, व्यवसायों व सरकारी नौकरी वाले) के उद्भव के साथ-साथ के दो विराट वर्गों में बटे हुए हैं। प्रथम वर्ग अल्पसंख्यक उन लोगों का है जिनका इन उत्पादन के साधनों पर अधिकार है अर्थात् व्यापारी, उद्योगपति, नौकरशाह, नेता। दूसरा वर्ग समाज के बहुसंख्यक श्रमिकों, बेरोजगार का है जिनके पास पूँजी या जीविका के अन्य साधन नहीं हैं उनके लिए जीवित रहने का एक ही मार्ग खुला हुआ है और वह है कि वे अपने आपको रहीस के पास जाकर बेंच दें अर्थात् अपने श्रम से उत्पादन कार्य में सक्रिय भाग लें और उसके बदले में कागजों पर नाम लिखें तथा वेतन के नाम पर खैरात कितना होगा इसका निर्धारण श्रमिक नहीं, अपितु धनीवर्ग करता है। धनीवर्ग दरिद्रों की कमजोरियों को खूब जानता है और उसी के बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। धनीवर्ग जानता है कि दरिद्र अपने श्रम और परिवार को भविष्य के लिए सुरक्षित करके नहीं रह सकता और न वह रातों-रात अपने को इतना संगठित या शक्तिशाली कर सकता है कि धनी लोगों से अपने श्रम का उचित वेतन का सौदा कर सके। जिसके परिणामस्वरूप धनी श्रमिक, बेरोजगार, दरिद्र व्यक्तियों से अत्यधिक मेहनत करवा तो लेता है और उसके बदले में नाम मात्र का वेतन खैरात के रूप में देता है, अर्थात् श्रमिक अपने श्रम से जितना मूल्य उत्पन्न करता है, उसका उचित हिस्सा श्रमिक को वेतन के रूप में नहीं देता है, वरन् उसका एक बहुत छोटा भाग श्रमिक को देकर अधिकाँश भाग धनी-पूँजीपति स्वयं हड़प जाता है।

जनपद के 90-95% कृषक-मजदूर निरक्षर हैं। ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 85-95: स्त्रियाँ, 80-90: पुरुष, शहरी क्षेत्र में लगभग 80-90: स्त्रियाँ, 70-80: पुरुष अशिक्षित और निरक्षर मिले। दरिद्र बस्तियों में यह स्थिति और भी भयावह है जहाँ की अशिक्षा और निरक्षरता 95-100% बनी हुई है। छात्र-छात्राओं, किशोरों, प्रशिक्षुओं एवं शिक्षा डिग्री-डिप्लोमा धारकों की शैक्षिक स्थिति में बड़ी अज्ञानता

एवं निरक्षरता है। निम्न से उच्च शिक्षित बच्चों, किशोरों, छात्रों युवाओं को सूर्योदय-सूर्यास्त की दिशाओं एवं अक्षरों तक का ज्ञान नहीं है। अधिकांश नहीं जानते हैं कि वे किस जनपद-प्रदेश के निवासी हैं। लिखना-पढ़ना उनके वश की बात नहीं है। निरक्षरता और अज्ञानता उनके पतन की नियत बन चुकी है।

दरिद्र आलसी, अकुशल और समाज पर बोझ माने जाते हैं। इनको हर स्तर पर सताया जाता है, अपमानित किया जाता है एवं इनसे भेद-भाव बरता जाता है। इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता और वे शक्तिहीन होते हैं। इस कारण ये सदैव शक्तिशाली व्यक्तियों के आक्रमण और विद्वेष के निशाने बनाए जाते हैं। इन्हें निरक्षरता और सामाजिक पूर्वाग्रह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें सामूहिक शक्ति का अभाव होता है और जब कभी ये स्थानीय या लघु स्तर पर समाज के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिक शक्तिशाली समूहों के विरुद्ध एक होने का प्रयत्न करते हैं तो उन लोगों को लगता है, कि उनके आधपत्य को खतरा है, इस कारण दरिद्रों को कुचल दिया जाता है। इन्हें ऋण पर ऊँची दर पर ब्याज देना पड़ता है। इन पर दोषारोपण किया जाता है। जिन कार्यालयों में ये जाते हैं, वहाँ इनकी ओर बहुत कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। पुलिस तो सबसे पहले उन क्षेत्रों में जाती है जहाँ दरिद्र रहते हैं जैसे कि मात्र दरिद्र ही अपराध करते हैं। ये बिरले ही विश्वसनीय, भरोसे के और ईमानदार माने जाते हैं। इस प्रकार समाज के प्रत्येक स्तर पर प्रतिकूल रवैया इनकी आत्मछवि को गिराता है, इनमें हीन-भावना को जन्म देता है और अपनी सहायता के लिए साधन जुटाने के प्रयत्नों पर रोक लगाता है।

जिले में 2059 प्राथमिक विद्यालय, 961 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1 केन्द्रीय, 1 नवोदय, 6 कस्तूरबा, 1 आश्रम पद्धति, 513 आँगवाड़ी-प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र सहित एडिड एवं स्ववित्त पोषित आदि विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षामित्र, प्रेरक, कार्यकर्त्री, सहायिका, अनुदेशक, कोऑर्डिनेटर, शिक्षाधिकारी, रसोइया, सेवक, स्वीपर, लिपिक कार्यरत हैं। जिनके वेतन-भत्तों तथा छात्रों के लिए मिड-डे-मील, दूध, फल, बस्तों, ड्रेसों आदि पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय हो रहा है। इसके बावजूद स्कूलों में पढ़ाई न होने से कोई भी अपने प्रतिपाल्यों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं है। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का पूर्णतया अभाव है। इन स्कूलों में जो छात्र पंजीकृत हैं उनमें अधिकांश या तो प्राइवेट स्कूलों के छात्र हैं अथवा पूर्णतया निरक्षर हैं। इनमें कार्यरत लगभग सभी रसोइयों एवं पंजीकृत छात्रों के अभिभावकों में अधिकांश की निरक्षरता और अशिक्षा फरुखाबाद की साक्षरता की वास्तविकता उजागर करती है।

जनपद के लगभग सभी मजदूरों-वार्डों में बने बड़े-बड़े स्कूल भवन व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। इन भवनों में पढ़ाई के अतिरिक्त सब कुछ देखने को मिल रहा है। यथा दावत के भण्डारे, पौनालिक स्थलों एवं पार्कों की भाँति बच्चों की उछल-कूद, शिक्षकों-रसोइयों के गुट-गपशप, फेरी व्यापारियों से खरीदारी, मोबाइल पर गेम्स एवं लम्बी वार्ता के नजारे दिखते हैं। कार्यरत अधिकांश शिक्षक ड्यूटी साइन करने के लिए यदा-कदा स्कूल आते हैं और बच्चों को पढ़ाए बिना चले जाते हैं। अनेक शिक्षक घर बैठे बिना शिक्षण कार्य वेतन लेकर राजनीति-व्यापार में सक्रिय हैं। अनेक शिक्षक अपनी जगह बेरोजगारों को अपने वेतन से कुछ पैसा देकर पढ़वा रहे हैं। मिड-डे-मील का बचा राशन बन्दर-बॉट कर घर ले जाया जाता है। जिससे सिद्ध होता है कि **मिड-डे-मील व्यवस्था समाप्त होने पर छात्र जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु प्रधान-शिक्षक व उनके परिजन भूखे रह जाएँगे।**

आँगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन परिषदीय विद्यालयों में हो रहा है। इन केन्द्रों पर कार्यरत अधिकांश कार्यकर्त्रियाँ, पर्वक्षक कोटेदारों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं रहीस परिवारों से हैं जिनका निवास सम्बन्धित गाँवों में न होकर अन्य गाँव-नगर में हैं और वे ड्यूटी पर नहीं जाती हैं। उनकी जगह सहायिकाएँ उपस्थित खाना पूर्ति करती हैं। फर्जी छात्रों का पंजीकरण, बच्चों-स्त्रियों को आहार-पुष्टाहार वितरण पूर्णतया फर्जी हो रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पौढ़ शिक्षा के सभी केन्द्र परिषदीय स्कूलों में चल रहे हैं। इन सभी केन्द्रों पर दो प्रेरक कार्यरत हैं। जिनमें अनेक रहीस व्यक्ति हैं जो निरक्षरों को न तो पढ़ाते हैं और न ही निरक्षरों को साक्षर बनाते हैं। साक्षरता परीक्षा फर्जी कराते हैं।

आश्रम पद्धति विद्यालय अनुसूचित एवं जनजाति के दरिद्र बच्चों के लिए है एवं कुछ सीटों पर दरिद्रों के बच्चों को भी प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। इसमें अध्ययनरत छात्रों को आवासीय सुविधा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। जिसका लाभ पात्र दरिद्रों के स्थान पर फर्जी दरिद्रों-अपात्रों का दिया जा रहा है। वास्तविक दरिद्र निरक्षर वंचित हैं। इसी प्रकार जिले के सभी ब्लकों में कस्तूरबा विद्यालय निरक्षर किशोरियों के लिए संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों में आवासीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में 100 छात्राओं को पंजीकृत कर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा, मानकीय शिक्षा एवं पंजीकरण की संदिग्धता इस आधार पर अति प्रबल है क्योंकि अधिकांश शिक्षक गायब रहते हैं या अपने घर से रोज आते-जाते हैं।

मूक-बधिर केन्द्र पर कार्यरत अधिकांश स्थानीय शिक्षक शिक्षण कार्य में रुचि न लेकर अन्य व्यवसायों में सक्रिय बने हैं तथा अपंग छात्रों की शिक्षा व व्यवस्था रामभरोसे है।

जनपद में गैर पंजीकृत ईश्वरीय विश्वविद्यालयों का संचालन अवैध है। नरक, भूत-प्रेतों का भय एवं आत्मा-जीवन उद्धार का लालच देकर किशोर-किशोरियों-प्रौढ़ों को फंसाकर लाया जाता है। पूजा-पाठ के कर्मकाण्डों से जन-समर्थन प्राप्त किया जाता है एवं फंसे लोगों को रात्रि के अन्धेरे में इधर-उधर करके न जाने कहाँ ले जाया जाता है। यहाँ किशोरियों को चिड़ियाघर की भाँति रखा है तथा अपराध जगत में सक्रिय व्यक्ति को ईश्वर बताकर उनसे युवतियों का शोषण-संसर्ग उपरान्त विधवा जीवन व्यतीत करने हेतु बाध्य किया जाता है। इनकी गतिविधियाँ व्यक्ति-समाज के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हो रही हैं।

धार्मिक स्थलों एवं अल्पसंख्यकों के नाम पर संचालित स्कूलों में धर्म एवं शिक्षा का दुरुपयोग होकर छात्र-छात्राओं को अन्धविश्वासों का अन्धानुकरण करने हेतु बाध्य किया जाता है। दान-अनुदान एवं छात्रवृत्तियों को हड़पकर मठाधीश निजी लाभ कमाने में जुटे हैं।

फर्जीबाड़े पर आधारित अधिकांश मदरसों की शिक्षा अति संदिग्ध एवं समाज विरोधी है।

पब्लिक स्कूलों में अध्ययनरत अधिकांश छात्र परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत हैं और उनके माता-पिता सरकारी योजना का लाभ जैसे समाजवादी, विधवा, बिकलांग पेंशन सहित दरिद्र कल्याण हेतु बनी योजनाओं का लाभ लेकर सरकारी स्कूलों में नौकरी-अध्यक्षा कर रहे हैं। निजी स्कूलों के छात्र सम्बन्धित विचारणीय तथ्य यह है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा पूर्ण होने के बावजूद जब छात्रों को निरक्षर होना पड़ रहा है तो उन्हें पुनः पब्लिक स्कूलों में पढ़ना पड़ रहा है और बड़ी उम्र में भी वह निम्न शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

छत्रपति शाहूजी महाराज वि. वि. कानपुर से सम्बद्ध तथा मान्यता प्राप्त फर्रुखाबाद जनपद के एडिड एवं स्ववित्तपोषी कालेजों की अधिकांश प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्य स्थानीय समुदायों के सामान्यजन, शिक्षाविद्, समाजसेवी, अभिभावक नहीं हैं और न ही विश्वविद्यालय एक्ट के अनुरूप हैं। शैक्षिक मानक प्रतिकूल प्रबन्धतन्त्रों के अध्यक्ष एवं सचिव सगे-सम्बन्धी यथा भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, सास-ससुर, बहू, भतीजे, साले-बहनोई, नौकर, मित्र, किराएदार, साझेदार, गैर-जनपदीय आपसी हितबद्ध हैं। इन कालेजों के लोग शिक्षा को अपने निजी लाभ के लिए व्यापार की भाँति दूषित कर रहे हैं। सोसाइटी एक्ट-1856, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 एवं शिक्षाधिनियमों की जबरदस्त उपेक्षा कर एडिड एवं स्ववित्तपोषी कालेजों के प्रबन्धतन्त्र स्वलाभ हेतु अपने सगे-सम्बन्धी भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, बहू, भतीजे, साले-बहनोई, नौकर, आपसी हितबद्धों को प्राचार्य, प्राध्यापकों, कर्मचारियों के पदों पर आसीन कर तथा कालेजों में शिक्षण कार्य कराए बिना छात्र-छात्राओं को मनचाही डिग्री का लालच देकर अवैध वसूली व धन उगाही एवं व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं। स्ववित्तपोषी कालेज 'नकल-ठेकों' एवं डिग्री बिक्री के आधार पर संचालित हो रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था एवं प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षण, कर्मचारी, लैब, लाइब्रेरी सभी अमानक हैं तथा छात्र-छात्राओं एवं बेरोजगारों से मनमाना धन वसूलने के बावजूद शिक्षण नहीं होता है। स्ववित्तपोषी कालेजों की मान्यता सम्बन्धी पत्रावलियों में औपचारिकतावश जो प्राचार्य, शिक्षक अनुमोदित होते हैं वह कभी भी कालेज नहीं आते हैं। इनमें अधिकांश अन्य कहीं वेतनभोगी व अन्य दूर-दराज क्षेत्र-प्रदेशों में नौकरी करते हैं या सेवानिवृत्ति हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह लोग प्रमाण-पत्रों का वार्षिक किराया 50000-100000 अनेक कालेजों से वसूल करने के बावजूद किसी कालेज में पढ़ाने नहीं जाते हैं। इनके वेतन बैंक खातों में फर्जीबाड़ा है।

जनपद का डायट केन्द्र रजलामई में संचालित हो रहा है। केन्द्र के प्राचार्य एवं शिक्षकों तथा प्रशिक्षणार्थी यदाकदा विद्यालय आते हैं। प्राचार्य के विद्यालय आने की सूचना मोबाइल पर सर्कुलेट होती है तभी स्टाफ-शिक्षक विद्यालय आते हैं।

शिक्षा बोर्ड, उच्चशिक्षा, टेक्नीकल, चिकित्सीय, विधि कालेज एवं शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा-माफियाओं द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को नष्ट कर प्रबन्धन एवं शिक्षण में फर्जीबाड़ा कर स्वलाभ कमाया जा रहा है। मानक विहीन समितियाँ धन के प्रभाव में विद्यालय संचालन की मान्यता लेकर भावी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहीं हैं। एडिड एवं स्ववित्तपोषी शिक्षण संस्थानों के प्रबन्धक कालेज सम्बद्धता-मान्यता पत्रावलियों में फर्जी, भ्रामक, अमानक तथ्यों एवं प्रपत्रों तथा शपथ-पत्रों में जोड़-तोड़ कर और स्वयं मनमाने ढंग से सत्यापित कर फर्जीबाड़ा कर रहे हैं तथा बोर्ड-शिक्षा कर्मचारियों से साँठ-गाँठ एवं धन प्रभाव से मनचाही जाँच, साक्षात्कार, नियुक्ति के फर्जी प्रपत्र बनाकर पत्रावलियों में शामिल करा रहे हैं। जिसके माध्यम से शिक्षा विकास की योजनाओं की निधियों के धन को हड़प कर कालेज भूमि, भवन, चरागाहों पर जबरदस्त कब्जा कर प्रबन्धतन्त्रों एवं उनके परिवारीजनों द्वारा शिक्षा-छात्र-बेरोजगार-समाज का हित बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है।

जिले के ग्राम प्रधानों-कोटेदारों में लगभग 60% प्रधान और इतने ही कोटेदार सम्बन्धित ग्रामों के निवासी नहीं हैं। यह जन्म से लेकर आज तक नगर निवासी हैं। इनके आश्रितों सहित इनकी रोटी-चौका घरेलू सभी गतिविधियाँ नगर तक सीमित होने के बावजूद गाँव के फर्जी वोटर बने हैं जिसके आधार पर फर्जी प्रमाण-पत्र व धन एवं संगठित अपराधियों के प्रभाव से ग्राम प्रधान पद हथिया कर ग्राम विकास की योजनाओं का धन हड़प रहे हैं। इनके द्वारा न तो खुली बैठकें करायी जाती हैं और न ही खुली बैठक-प्रस्ताव होते हैं। कोटे का राशन ब्लैक कर दिया जाता है तथा कोटेदार और सरकारी कर्मि इनसे जुड़कर दलाली हिस्सा तक सीमित हैं। इस प्रकार फर्जी दरिद्र सुख में एवं वास्तविक दरिद्र कल्याण लाभ विहीनता या मानक उपेक्षा के कारण बुरी तरह दरिद्रता ग्रसित हैं।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा असहाय-दरिद्रों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के अन्तर्गत दरिद्रों के लिए राशन, आवास, शौचालय, छात्रवृत्तियाँ, बीमा, अनुदान, निःशुल्क शिक्षा-इलाज, ब्याज छूट ऋण, कृषि अनुदान, निःशुल्क बोरिंग, हैण्डपम्प, पशु-चारा अनुदान, वृद्धा-विधवा-समाजवादी-बिकलांग पेंशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी, प्राथमिक छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें, ड्रेस, मध्याह्न भोजन, दूध, फल, शिक्षक, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक भोजन, दूध, खिलौने, स्वास्थ्य जाँच, स्कूल पूर्व की शिक्षा एवं महिलाओं के मातृत्व धारण करने के उपरान्त पौष्टिक भोजन, दूध, फल, स्वास्थ्य जाँच-चिकित्सा व गर्भवती को किशतों में 6000 रुपए मुहैया करा रही है। जिसका दुर्पयोग और बन्दर-बाँट हो रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद फर्रुखाबाद के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के दरिद्रों को पंजीकृत कर जिनको इन्दिरा-लोहिया-कांशीराम आवास, शौचालय, समाजवादी-विधवा वृद्धावस्था, बिकलांग पेंशन एवं अन्त्योदय-बी.पी.एल.राशन लाभ दिया जा रहा है। यह सभी अन्त्योदय कार्ड धारी एवं अधिकांश बी.पी.एल.पात्रता वाले तथा अधिकांश समाजवादी पेंशन धारक (80-95) अपात्र हैं जिनमें अधिकांश व्यक्ति-परिवारों के पास बड़े लेण्टर मकान, शहरों में हवेलियाँ, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेक्टर, थ्रेसर, ट्रैक्टर, फ्रिज, कूलर, रंगीन डिस टी.वी., कम्प्यूटर्स, गैस कनेक्शन, ट्रक, दूकान, धन्धे, उद्योग, व्यापार, नौकरी, भूमि, प्लाट्स, मिल, प्रतिष्ठान, पैतृक धन-सम्पत्ति आदि का स्वामित्व एवं सक्षम व्यक्ति-परिवार वाले हैं। अधिकांश असहाय विधवा-वृद्धा-समाजवादी पेंशनर्स के लड़के-लड़की शादी-शुदा एवं स्वयं सम्पन्न व्यक्ति-परिवार हैं। अनेक बिकलांग पेंशनर्स ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से पूर्ण सक्षम या चोट लगने से शारीरिक अंगों में मामूली कमी (40% से कम) एवं पर्याप्त आय के बावजूद पेंशन धारक हैं और अनेक व्यक्ति अनेक पेंशनर्स

बने हैं। इस प्रकार दरिद्रों के लिए बनीं कल्याण योजनाओं का लाभ दरिद्रों के स्थान पर फर्जी दरिद्र (रहीस) ले रहे हैं।

फर्जी दरिद्रों द्वारा बड़ी मात्रा में दरिद्रों का गेहूँ, चावल, तेल, चीनी, इन्दिरा-लोहिया कांशीराम आवास, जमीन-प्लाट पट्टा, उद्योग, बीमा, दान-अनुदान एवं राष्ट्रीय सम्मान हड़पकर गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ की जा रही हैं। नेताओं के परिजन सगे-सम्बन्धी और वेतन-भोगी अपनी पहुँच और विज्ञापन के प्रभाव में राष्ट्रीय एवं राजकीय पदक पाने में फर्जीबाड़ा कर सफल हो रहे हैं। सांसद-विधायक विकास निधियाँ एवं हैडपम्प सार्वजनिक स्थलों के स्थान रहीसों के निजी स्कूलों, आवासों, प्लाटों, प्रतिष्ठानों में लगाए जा रहे हैं। सरकारी आवास, मार्ग, शौचालय निर्माण में घटिया ईंट लगाई जा रही है। सरकारी राशन दूकानें दबंग रहीसों के पास विरासत रूप में संचालित होकर एक-दो दिन मासिक खुलकर कुछ लोगों को राशन देकर खानापूर्ति कर रही है तथा राशन-तेल बाजार में खुले आम ब्लैक में बिक रहा है। ग्राम सचिवालय, सहकारी संघ एवं स्वास्थ्य भवनों पर रहीसों ने ताले डालकर अवैध कब्जे कर लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकांश केन्द्र-उपकेन्द्रों पर चिकित्सक की जगह फार्मासिस्ट, चपरासी, सफाईकर्मी मरीजों का इलाज कर दवाएँ बाँट रहे हैं और चिकित्सक यदाकदा स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर फर्जीबाड़ा कर रहे हैं। अधिकांश ग्रामों के सफाई कर्मी उच्च जाति-वर्ग के हैं जो बाल्मीक जाति के दरिद्रों को 100-200 रुपए दिहाड़ी मजदूरी देकर यदा-कदा सफाई करा देते हैं तथा वेतन का कुछ हिस्सा प्रधानों एवं ए.डी.ओ. लेकर इनकी फर्जी हाजिरी प्रमाणित कर बिना काम वेतन भुगतान करा रहे हैं।

जनपद के चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स की ट्रस्ट-समितियों के सदस्य-पदाधिकारी स्थानीय समुदायों के सामान्य जन, समाजसेवी, शिक्षाविद् नहीं हैं। चिकित्सा प्रबन्धतन्त्रों के पदाधिकारी एवं सदस्य चिकित्सकों के परिजन, सगे सम्बन्धी, आपसी हितबद्ध तथा मानक प्रतिकूल हैं। निजी चिकित्सालयों के लोग व्यापारिक वस्तुओं की भाँति चिकित्सा को प्रदूषित कर चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा एक्ट की जबरदस्त उपेक्षा कर रहे हैं। चिकित्सक स्वलाभ हेतु अपने परिजनों को प्रबन्धतन्त्र का सदस्य-पदाधिकारी, चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी पद पर दिखाकर जनता से धन उगाही कर रहे हैं। सरकारी चिकित्सकों के निजी चिकित्सालय **दलाली, भ्रष्टाचार एवं अवैध वसूली** करने में जुटे हैं। इनकी सुविधाएँ, शुल्क चिकित्सा, चिकित्सक, नर्सिंग, कर्मचारी, ऑपरेशन, व्यवस्था एवं दवाइयाँ मानकहीन हैं। ये रोगियों से मनमाना धन तथा सरकारी कोषों से मोटी रकम वसूलने के बावजूद रोगियों को सही चिकित्सा नहीं देते हैं। निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंगहोम अर्ह चिकित्सक-कर्मचारियों को मानकीय वेतन-भत्ते न देकर फर्जी कागजी खानापूर्ति करते हैं। सरकारी चिकित्सक सरकारी ड्यूटी से अनुपस्थित रहकर **'प्राइवेट चिकित्सा'** में संलिप्त हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुविधाओं का अभाव एवं दवा वितरण अमानक है। कर्मचारी नेतागीरी करते हैं। **परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र एवं उपकेन्द्रों** पर कार्यरत कर्मचारी धन उगाही तक सीमित रहते हैं। **डॉ. राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय** 300 शैयाओं का अस्पताल है एवं पुरुष, महिला, बाह्य, आन्तरिक विभाग, इमर्जेंसी सामान्य एवं प्राइवेट पुरुष-महिला वार्ड हैं। इसमें चिकित्सकों के अनेक पद रिक्त हैं एवं कार्यरत अनेक चिकित्सक-कर्मचारी स्थानीय निवासी हैं और अधिकांश चिकित्सक व कर्मचारी निजी क्लीनिक-नर्सिंगहोम-दवाखानों में प्रवृत्त कर रहे हैं। सरकारी चिकित्सा उपेक्षा रोगियों की मृत्यु का कारण बनकर प्राइवेट चिकित्सा प्रोत्साहित कर रही है। **कै.कौशलेंद्र चिकित्सालय** अव्यवस्थित होकर मरीजों का दवा वितरण कार्य चौकीदार के हवाले है। **टी.बी.अस्पताल** की सेवाएँ सन्तोषजनक नहीं हैं। अधिकतर कर्मी स्थानीय एवं मशीनें पुरानी और खराब हैं। दवा-एक्सरे हेतु रोगी परेशान होते हैं। **आयुर्वेदिक और मेडिकल कालेज** शिक्षक एवं शिक्षण हीन तथा अमानक प्रबन्धतन्त्र व्यक्ति विशेष के परिजनों की निजी आय तक सीमित है। **निजी-चिकित्सालय** अध्ययन से विमुक्त रहे लोगों द्वारा संचालित हो रहे हैं। इनकी अमान्य डिग्रियाँ से संचालित चिकित्सा की जाँच इनको स्वयं मरीज बनाती है। इनका इलाज आयुर्वेद के स्थान पर एलोपैथी एवं दवाएँ एम.आर. के प्रचार-प्रसार पर आधारित रहती है और मर्ज बढ़ा कर रोगियों को बाहर भेज दलाली लेते हैं। **नर्सिंग-होम** चिकित्सकों के आवास या प्लाट पर बनाए हुए हैं। इनके कर्मचारी अप्रशिक्षित, अयोग्य, दलाल घरेलू नौकर हैं तथा इनके कर्मचारियों का वेतन कमीशन पर आधारित होता है। यह रेट-लिस्ट छुपाकर रोगियों से मनमानी धन उगाही कर रहे हैं। **दवाखाना** अस्पताल और नर्सिंग होम स्वयं के एवं फार्मासिस्ट विहीन हैं। इनके कर्मचारी अनर्ह, अयोग्य एवं लाइसेंस किराए के हैं।

जनपद के रेलवे स्टेशन, प्राइमरी स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, बस-अड्डों, बैंकों, गल्ले की दूकानों, डाकघरों, पंचायतघरों यहाँ तक की जिला मुख्यालयों के प्रमुख कार्यालयों में जहाँ पर बड़ी की संख्या में जनता की भीड़ प्रतिदिन एकत्रित होती है, शुद्ध पेय जल का पूर्णतया अभाव है। यहाँ पर सार्वजनिक जलापूर्ति के नल एवं टैंक खराब एवं कीटाणुयुक्त हैं। सार्वजनिक हैण्डपम्पों के पास गंदगी से प्रदूषित जल का सेवन दरिद्रों की मजबूरी हो गई है। अधिकांश सरकारी हैण्डपम्पस में रहीसों ने समरसेबिल लगाए हैं। अनेक हैण्ड पम्प रिबार के नाम पर उखाड़ कर बेंच लिए गए हैं। जिससे सामान्यजनों के लिए जलाभाव है। **गंगाजल को प्रदूषित करने में नगर के गन्दे-सीवर नालों का जल, औद्योगिक कारखानों का गन्दगी, सामूहिक स्नान, मल विसर्जन आदि प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं जिसके कारण गंगाजल की गुणवत्ता नष्ट होकर जन-जीवन के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हो रहा है।**

व्यक्ति धार्मिक पाखण्डों के मकड़जाल में फंसे हुए है। देव-स्थलों पर रखे पत्थर (प्रतिमाएँ) इनके लिए पूज्यनीय हैं। धार्मिक प्रवचन से वशीभूत मानव कुर्बान होते हैं। जेहाद के नाम पर नरसंहार होता है। कर्मकाण्डों में जीव बलि दी जाती है। पाखण्डी स्वयं-भू ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होकर भोग विलास में लिप्त हो रहे हैं। इनके ताण्डव नृत्य से साम्प्रदायिक स्वरूप देकर देश, समाज, व्यक्ति एवं व्यवस्थाओं को हिंसात्मक चिन्ता में झोंका जाता है।

जब व्यक्ति के पास शक्ति या सम्पत्ति होती है तब राजनीतिज्ञ चालबाज व्यक्ति को वशीभूत करने के लिए लुभावने शब्दों के ढोंग रचते हैं। उसे महिमा मंडित कर उसका गुणगान करते हैं। प्रवचन करते हैं। पैरों पर अपना सिर रख एवं पैर पकड़ कर मत की भीख माँगते हैं। लोक लुभावने नाटक-लीलाएँ कर मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। शंका होने पर डाकू-गुर्गो से चोरी, लूट, डकैती, अपहरण एवं नरसंहार की घटनाओं को अन्जाम देने से नहीं चूकते हैं। फर्जी-अमानक एन.जी.ओ बनाकर सरकारी और असहाय जनता की भूमि, भवन, सम्पत्ति, चरागाह, स्कूल, कालेजों पर जबरदस्त कब्जा कर लेते हैं।

लोग नेतृत्व के लिए तरह-तरह का दिखावा करते हैं। कोई अपने को समाजसेवी कहता है, कोई पर्चा-बैनर छपवाता है, कोई

रैलियों के मंच पर चढ़कर दहाड़ता है, कोई जनता के चरणों पर अपना सिर रखकर समर्थन की भीख माँगता है, कोई गरीब जनों के घर में घुसकर नमक-रोटी माँग कर खाता है और दरिद्र बच्चों को गोद में लेकर दुलारने लगता है। परन्तु ऐसा करने वाले लोग वास्तव में वास्तव सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं रखने वाले लोग होते हैं और न ही अपने से अधिक किसी अन्य का आदर बर्दास्त कर सकते हैं, बल्कि जनसेवा की दुहाई देकर एवं अपनी नेम-प्लेट्स में जनसेवक शब्द लिखकर एवं पार्टी झण्डा-बैनर लगाकर लगजरी गाड़ियों में बैठ पुलिस-अधिकारियों पर जबरदस्त दबाव बनाकर सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का धन हड़प बन्दर-बॉट एवं तस्करी व्यापार संचालित करते हैं। इनकी वास्तविक आय के स्रोत अति दयनीय होने के बावजूद इनके पास अकूत धन-सम्पदा पाई जाती है। चुनाव काल में अपनी काली कमाई का कालाधन चुनाव में वोट खरीदने के लिए प्रयोग करते हैं। चुनाव एजेण्ट एवं जाति विशेष के लोगों को शराब, खाना, उपहार, धन बाँटते हैं, तरह-तरह के प्रलोभन, वादे एवं घोषणाएँ करते हैं। खूंखार डकैतों और गिरोहबन्द माफियाओं को धन देकर विवादित लोगों के बीच संगीन घटनाओं को अन्जाम देकर, विवादित लोगों को फंसाते हैं। बिरादरी को भड़का कर जलूस निकालकर दबाव बनाते हैं और सम्प्रदायिकता की समस्या उत्पन्न करके आपसी भाईचारा समाप्त कर देते हैं। चुनाव में खाना पैकट, धन, दहशत के प्रभाव से तथा रिश्तेदार एवं भाड़े के अपराधियों को एकत्रित कर फर्जी मतदान कराते हैं।

चुनाव परिणाम के उपरान्त असफल प्रत्याशी अगले चुनाव तक क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं। चुनाव में सफल व्यक्ति राजधानी व नगरों में घर खरीदते हैं और जब सरकारी योजनाओं का धन क्षेत्र को आवंटित होता है तो उस धन का बन्दर-बॉट करने, कागजी खानापूर्ति एवं अपने लोगों में प्रभाव बनाए रखने के उद्देश्य से यदा-कदा क्षेत्र में घूमा-फिरी करते हैं। इन प्रवासों में अपने विरोधियों को लड़वाने एवं लुटवाने का षड़यन्त्र रचते हैं तथा पुलिस दलाली कर जबरदस्त अवैध धन उगाही करते हैं। सदन कार्यवाही में दबाव बनाकर अपना मोलभाव कर पद एवं सुख-सुविधाएँ प्राप्त करते हैं। व्यापारियों एवं पेशेवर अपराधियों को सुरक्षा गारण्टी का अश्वासन देकर उनसे मोटी रकम एवं सुविधाएँ वसूलते हैं।

जिले की आपराधिक घटनाओं का अवलोकन करने पर पता चलता है कि अधिकांश घटनाएँ क्षेत्रों की राजनीति से जुड़े दबंगों और संगठित अपराधियों द्वारा घटित की जाती हैं। यह संगठित अपराधी पुलिस और प्रशासन से साठ-गांठ कर योजनाबद्ध ढंग से घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इन आपराधिक घटनाओं में उन्हीं लोगों को शिकार बनाया जाता है जो सीधे और सरल स्वभाव के बाल, वृद्ध, गृहस्थ नर-नारी होते हैं। इन व्यक्तियों पर डाकू, लुटेरे, ठग और उनके गुर्गे तरह-तरह के प्रपंचों से अपना प्रभाव जमाते हैं। समाज के हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। व्यक्तियों की निकटता पाकर उनके परिवार की जासूसी करते हैं। परिजनों को नगरों की सैर और तीर्थ-भ्रमण कराते हैं। परिवार में विवाद कराकर उनके आपसी सम्बन्ध विच्छेद कराते हैं। उनकी सम्पत्ति को विवादित कराकर अपने संरक्षण में लेने की कानूनी प्रक्रिया सम्पन्न कराते हैं। राजनेताओं, अधिकारियों तथा कुख्यात लोगों के संपर्क से भय और दहशत उत्पन्न कर लोगों के मन-मस्तिष्क पर अपना जबरदस्त प्रभाव बनाते हैं। इस प्रकार लोगों की अपने ऊपर पूर्ण निर्भरता और मानसिक दासता पाकर उनकी सम्पूर्ण धन-सम्पत्ति का हरण कर लेते हैं। घटनाओं की चर्चा या विरोध या मुकदमा करने वाले व्यक्तियों का दबंग-अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। उनकी माँ, बहिन, बेटा और पत्नी को अपनी हवस का शिकार बनाकर धन-सम्पत्ति लूट ली जाती है। वादी के सहयोगी और गवाहों की हत्या कर दी जाती है। घटित हो रही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौका बारदात जाने से बचती है। डाकू-लुटेरे घटना को अंजाम देने के बाद गाँव-नगर के बाहर जाकर 'इधर गए, उधर गए' कहकर शोर मचाते हैं। जिससे लोग एकत्रित होते हैं और बदमाशों की खोज का नाटक होता है। पुलिस के समक्ष पीड़ित पक्ष के आक्रोश पर पुलिस के लोग ऊल-जलूल तर्क देकर निर्धारित पुलिस कार्यवाही की उपेक्षा कर अपराधियों को बचाने का प्रयास करते हैं। अधिकारियों और न्यायालय के आदेशों पर कानूनी कार्यवाही उपरान्त मामलों में अन्तिम रिपोर्ट-एफ. आर. लगाकर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। यदि पीड़ित की ओर से कोई मुकदमा पैरवी की जाती है तो संगठित दबंग अपराधी और पुलिस के लोग बौखलाकर वादी को धमकाकर-मारपीट तथा अमानुषिक उत्पीड़न कर फर्जी मामलों में फंसाकर जेल में डलवा देते हैं। न्यायालय सुनवाई के दौरान अपराध स्वीकार कराने हेतु दबाव डाला जाता है तथा अपराध स्वीकार न करने पर झूठी गवाही देकर सजा करवा दी जाती है।

जब पीड़ित पक्ष अपनी बात न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो न्यायालय में जिस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही होती है वह किसी भी प्रकार 'नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त' के अनुरूप नहीं होती है। न्यायालय में बैठे पेशकार और पैरोकार पक्षकारों से न्यायालय में ही धन लेकर तारीख पर तारीख लगाते रहते हैं। यदि पक्षकार पैसा देने से बचता है तो पूरे दिन न्यायालय के बाहर बैठाकर देर शाम बिना उचित कारण मामले में 'स्थगन' देकर तारीख लगा दी जाती है अथवा पक्षकार को अनुपस्थिति दिखाकर बारण्ट जारी करवा दिया जाता है और अभियुक्त बनाकर जेल में डाल दिया जाता है।

जनपद में जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद हरिजन महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। इससे प्रभावशाली सामाजिक वर्ग के अहं को ठेस लगी तो उन्होंने रास्ता खोज ही लिया। एक गैरजनपदीय निवासी जो फर्जी निवास पते के बल पर बी.डी.सी. चुनाव जीतकर भय एवं दहशत के बल पर ब्लाक प्रमुख भी बना है, ने अपने घर की नौकर की पत्नी दलित महिला को अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़वा दिया। चुनाव जीत जाने के बाद अध्यक्ष की मुहर, दस्तावेज, वाहन से लेकर अध्यक्ष के आसन तक सब कुछ दबंग-यादव के नियन्त्रण में है। इस प्रकार जनपद की ग्राम सभाओं की प्रधान बनी महिलाओं के प्रधान की मुहर, दस्तावेज, बैंक खातों का संचालन उनके पति के नियन्त्रण में है। ग्राम प्रधान बने अधिकांश व्यक्ति नगर निवासी होने के बावजूद फर्जी ढंग से निवास-बोट बनवाकर धन-दबंगई के प्रभाव में चुनाव जीते हैं और ग्राम विकास योजनाओं का धन हड़प रहे हैं। जनपद के ब्लाक प्रमुख एवं नगर अध्यक्ष पदों पर आसीन व्यक्तियों की वास्तविक स्थिति का आकलन सामान्य व्यक्ति की क्षमता से परे है, जो कि सी.बी.आई. द्वारा सम्भव है। यह लोग सरकारी विकास निधियाँ अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यय कर रहे हैं।

सार्वजनिक एवं संवैधानिक पदों पर वी.आई.पी. के सगे-सम्बन्धियों एवं आपसी हितबद्ध लोगों को पदासीन किया जा रहा है। जिससे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों के प्रमुखों और नौकरशाहों को सार्वजनिक व संवैधानिक पदों पर कार्य करने के लिए अपने परिजनों,

सगे-सम्बन्धियों और गुर्गों के अतिरिक्त सभी भारतीय सामान्यजन पूर्णतया अयोग्य हैं। राजनीतिज्ञों की स्वार्थता-धृतराष्ट्रता के कारण अनेक पदों पर उनके सगे-सम्बन्धी मात्र ही पात्र बनकर पदासीन हो रहे हैं। ऐसी पदासीनता का प्रस्ताव व समर्थन ठीक उसी तरह दिख रहा है जैसे किसी किन्नर नरेश के बन्दीजनों के द्वारा किया जाने वाला गुणगान।

विकास के लिए पंच-वर्षीय योजनाएँ संचालित हैं। जिनके क्रियान्वयन एवं नियमित निगरानी हेतु स्तरीय अधिकारियों-कर्मचारियों के पद-उत्तरदायित्व निर्धारित है। कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की पात्रता एवं आवेदन की स्वीकृत एवं धन आवण्टन की औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित है। इसके बावजूद दरिद्रों की उपेक्षा एवं रहीसों को दरिद्र योजनाओं के लाभ का आवण्टन-समर्थन व रहीस-लुटेरों का फर्जीबाड़ा संगठित संगीन अपराध हो रहा है।

‘जनसामान्य’ के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन के अवलोकन के परिणामस्वरूप कहा जा सकता है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत साधारण के लिए बनी विकास योजनाओं का धन स्वार्थी, विध्वंशक, नाशक, ठगों, रहीसों और संगठित अपराधियों की सुख-सुविधाओं एवं काली कमाई बन गए हैं। इस सम्बन्ध में निरीक्षण तथ्य यह बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दुःखी, वृद्ध, बीमारी ग्रसित लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और यदि कोई दरिद्रों की मदद करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर बाँकी नहीं रखते हैं।

सुझाव: दरिद्रों के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं के आबंटनों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाना चाहिए। रहीसों की फर्जीबाड़े तथा योजना लाभ के खरीद-फरोख्त पर तत्काल अंकुश लगाना चाहिए। ग्रामों एवं नगरों के अध्यक्षों, सचिवों, लेखपालों, सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों की कागजी खानापूर्ति के फर्जीबाड़ों से सरकारी योजनाओं के धन के बन्दर-बौट पर तत्काल अंकुश लगाना चाहिए। दरिद्र कल्याण हेतु बनी योजनाओं का लाभ वास्तविक दरिद्रों तक सीमिति तथा फर्जी दरिद्रों को दण्डित किया जाना चाहिए।

फर्रुखाबाद जिले में संचालित सरकारी योजनाओं के आबण्टन की स्थिति

योजना	आवंटन-लाभार्थी संख्या(ग्रामीण-क्षेत्र)							आवंटन-लाभार्थी संख्या(ग्रामीण-क्षेत्र)						
	बदपुर	कमाल	मोहम्म	कायम	शमशाबा	नबाबगं	राजेपुर	फर्रुखा	कमान	मोहम्म	कायम	शमशा	कंपिल	कुल
ग्रामवार्ड	49	98	83	76	76	57	78	37	12	15	25	12	10	630
बी.पी.एल	7702	20068	17594	15219	15700	12523	7687							96293
अंत्योदय	5112	4383	6695	4791	645	6695	5304	908	131	483	509	645	397	37699
बीपीएलरा	6252	8919	10437	7707	7715	10437	8757	1916	201	846	611	778	436	60288
दरिद्रराश	11364	13302	17131	12498	12497	9712	14061	2824	332	1329	1120	1373	833	98287
राशनकार्ड	20944	28391	30981	26730	18891	30981	29404	63146	2145	1939	3299	2354	1154	242740
समा.पेंशन	2737	4504	4550	3801	3269	24967	3150	5716	327	328	697	623	408	33086
वृद्धपेंशन	2024	6251	7397	4793	4448	4262	3742	1701	56	184	180	68	111	35217
बेवापेंशन	2348	4229	3943	3396	2606	1702	2327	3503	121	124	435	226	7	24967
बिकलां	1377	2637	2421	1559	1572	1307	1420	1933	143	124	43	62	56	1485414727
बि.पेंशन	1417	2659	2388	1570	1497	2320	1459	1858	122	152	142	65	61	
कुलपेंशन	8526	17643	18278	13560	11820	11260	10678	12778	626	788	1454	982	587	107967
शौचालय														
हाउहोल्ड	34496	43984	47229	51923	41080	42545	27311							268568
अच्छादित	2199	31669	19811	21037	18283	23356	12968							148323
अवशेष	13297	20254	27418	22947	22797	19189	14343							140245
स.कर्मि	136	215	137	191	95	178	185							1137
आंग.बाड़ी	119	238	256	153	241	190	140							1515
इंद्राआवा	2115	4660	6746	4641	7034	3448	3248							31892
सामान्य	1356	3122	4676	3125	5324	2201	2763							22567
अनुजाति	759	1538	2070	1516	1710	1247	485							9325
रा.म.लोहि														
2012-13														
लोहिग्राम	4	4	1	2	3	1	2							
सामान्य	138	288	61	19	17	21	32							17
अनुजाति	44	11	22	20	5	0	7							478
2013-14														101
लोहिग्राम	3	4	3	4	3	2	3							
आवा.सा	34	72	156	101	200	269	192							22
आव.अजा	7	36	18	22	10	16	14							269

2014-15 लोहियाम	4	6	3	4	3	1	2							133
														23
काशीराम आबंघौआ आहैवतपुर टाउनहा								36 1296 168						36 1296 168
प्रधानमंत्री आ.16-17 आ.17-18	188 185	753 661	642 464	506 316	401 297	341 268	476 354							3307 2445
अं.वि.रोज	भैंस 5		भैंस 9	1सा.म	1कपडे	10भैंस	32भैंस							56
विद्युतकने	1523	4049	228से	3792	140से	408से	633से							4049
ने.फै.लाभ आ.16-17 आ.17-18														115 214
हैंडपं.2014 अजीतकठे अशोकसि जमालुद्दीन नरेंद्रयादव रोमश्वरया सतीशजाट विजयसिंह मनोजअग्र विवेकबंस	14	68	45	31	14	78	49							100 46 100 100 303 31 100 31 1
प्राथि.स्कू	137	123	137	120	133	132	121	72	15	20	37	14	12	1073
उ.प्रा.स्कू	77	158	119	151	143	88	136	79	13	9	31	10	4	932
माध्यमिक	20	13	20	7	8	16	8	20	8	9	10	2	1	142
कृषि मंडी	77	158	119	151	143	88	136							872
पुलिसस्टे.		1				2	2	4	1	1	1	1	1	14
कृ.वि.बैंक	77	158	119	151	143	88	138							872

निर्धनता, कुपोषण और दरिद्रता

सरकारी योजना धन में नेता-अधिकारियों का कमीशन मंहगाई, निर्धनता, दरिद्रता का कारण है।

एक वर्ग के रूप में सर्वहारा की शिनाख्त भले ही 19-वीं सदी में हुई हो लेकिन इनकी उपस्थिति दास-स्वामी युग से हुई है। इसकी पृष्ठभूमि में जो सबसे जहरीली और खतरनाक बात है वह है निर्धनता। निर्धनता की परिभाषित करते समय प्रायः तीन बातों एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कितना पैसा चाहिए, समाज में कुछ व्यक्तियों के समूह होने व अधिकतर के निर्धन होने की दशाओं की तुलना और निम्नतम जीवन निर्वाह का स्तर क्या है? का ध्यान रखा जाता है।

दूसरा उपाय गरीबी को सापेक्षिकता और असमानता के दृष्टिकोणों से परिभाषित करता था। पहली और अन्तिम दो परिभाषाएँ नितान्त निर्धनता की आर्थिक अवधारणा का उल्लेख करती हैं। दूसरी उसको एक सामाजिक अवधारणा की तरह देखती है, अर्थात् तल पर रह रहे व्यक्तियों का पूरी राष्ट्रीय आय में हिस्से के रूप में। जीवित रहने की लिए न्यूनतम आय के सन्दर्भ में दरिद्रता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यह “वह स्थिति है जो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कम में अर्थात् जीवित, सुरक्षित और निश्चित रहने की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है।” ये शारीरिक आवश्यकताएँ सामाजिक जरूरतों, (अस्मिता) अहं की तुष्टि और स्वाभिमान स्वायत्तता की आवश्यकता, स्वतन्त्रता की आवश्यकता और आत्मबोध की आवश्यकता से भिन्न है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन और पोषण, घर और स्वास्थ्य की निवारण और संरक्षण बचाव सुविधाएँ बुनियादी जरूरी है। इससे न्यूनतम आय—जो प्रत्येक समाज से भिन्न होती है, जिससे आवश्यक वस्तुएँ खरीदी जा सकें और सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

यहाँ निर्धनता को गरीबी रेखा के द्वारा देखा जा रहा है। जिसका निर्माण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्रचलित स्तर निपुणता, बच्चों का पालन-पोषण, सामाजिक सहभागिता और आत्म सम्मान की सुरक्षा द्वारा किया जाता है। व्यावहारिक रूप से निर्धनता रेखा कैलोरी ग्रहण की न्यूनतम वांछनीय पोषण स्तर से निर्धारित की जाती है। भारत में इसका निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के ग्रहण से किया जाता है। इसके आधार से प्रतिमाह में प्रति व्यक्ति के खपत व्यय का हिसाब लगाया जा सकता है।

प्रथम प्रकार के पारिवारिक मूल्यों की विशेषताएँ यह होती हैं। उनमें पारिवारिक कर्तव्यों को निभाने की प्रबल भावनाएँ होती हैं। वे परिवार के वृद्ध, निर्बल और बेरोजगार सदस्यों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे पारिवारिक परंपराओं से जुड़े होते हैं। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसके सदस्य सामूहिक प्रयास करते हैं और उन्हें परिवार की प्रस्थिति की चिन्ता होती है। दूसरे प्रकार के पारिवारिक मूल्यों की विशेषताएँ यह होती हैं—वे व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए स्वयं प्रयास करते हैं। परिवार के उनके कर्तव्य संकुचित होते हैं और स्वयं के कल्याण को वे परिवार के कल्याण से ऊपर रखते हैं। परिवार के इन मूल्यों की ध्रुवीय किस्मों के बीच नियन्त्रण की स्थिति के अलावा पड़ोस भी घर के बाहर सदस्यों के सम्बन्धों पर प्रभाव डालता है। शहर की गन्दी बस्तियों में पारिवारिक जीवन का एक बड़ा भाग आवासीय इकाई के बाहर बिताया जाता है। घरों की नीरसता बच्चों को सड़क पर जाने के लिए बाध्य करती है और इससे माता-पिता के सामने बच्चों को नियन्त्रण में रखने की समस्या खड़ी होती है। घर में कम जगह में सोने के ठीक प्रबन्ध नहीं हो पाते और इससे एकांतता पर प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक तनावों का उनके व्यक्तित्व और व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है। स्वाभिमान में कमी आती है और कटु स्वभाव को प्रोत्साहन मिलता है। निर्धनता घटिया मकानों में रहने के लिए बाध्य करती है और सन्तोषजनक जीवन की पूर्व अपेक्षाओं के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती है। छोटे मकान पारिवारिक एकता को कमजोर करने में भी सहायक होते हैं।

जब निर्धनता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है तो वह एक संस्कृति का रूप धारण कर लेती है। देश में योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य या योजना प्रभाग द्वारा वर्ष 1962 में अनुशंसित और 196 के मूल्यों पर आधारित न्यूनतम खपत पर व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 5 सदस्यों के बीच परिवार के लिए 100 रुपए एवं शहरी क्षेत्रों में ऐसे ही परिवार के लिए 125 रुपए आँका गया था। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह प्रति व्यक्ति पर 20 रुपए एवं शहरी क्षेत्रों में 25 रुपए आता है। वर्ष 1969-74 में यह ग्रामीण क्षेत्रों में 49.05 रुपए से वर्ष 1978-79 में 78.80 रुपए हो गया। वर्ष 1984-85 में संशोधित गरीबी रेखा 1981-82 कीमत के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 107 रुपए एवं शहरी क्षेत्र में 122 रुपए पर रेखांकित की गई। 1987-88 में यह गाँवों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह रु.31.80 रुपए एवं शहर के लिए 152.40 रुपए रखी गई। वर्ष 1998-99 में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 247.80 रुपए थी। 1993-94 में एक 5 सदस्यों के सामान्य परिवार में गाँव में रु.13740 के वार्षिक खपत व्यय से कम एवं शहरों में 15840 रुपए के वार्षिक खपत व्यय से कम वाले परिवार को निर्धन माना गया था, जबकि 1998-99 के कीमत के आधार पर यह गाँवों में 22840 रुपए एवं शहरों में 25620 रुपए होनी चाहिए। कीमत के आधार पर आज 2012-13 में गाँव के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 28 रुपए और शहर के लिए 32 रुपए रखी गई है। यहाँ केन्द्र न्यूनतम जीवन निर्वाह के स्तर पर है जो न्यूनतम पर्याप्तता स्तर और न्यूनतम सुख साधन स्तर से भिन्न है।

शहरी क्षेत्रों में आवासहीनता, गन्दी बस्तियाँ और किराए के कानून आदि भयंकर समस्याएँ हैं। परिवार के आवास की इकाई और पड़ोस जहाँ पर वह स्थित है, निर्धनता से जुड़ी समस्याओं के महत्त्वपूर्ण है। गरीबों के मकान में केवल भीड़-भाड़ ही नहीं होती अपितु एकांत का भी अभाव होता है। परिवार के लिए मकान के नक्शे का महत्त्व दो ध्रुवीय प्रकार के पारिवारिक मूल्यों की अवधारणा के द्वारा सुलझाया जाता है।

न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से नीचे थे या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। 32.03 करोड़ या पूरी जनसंख्या की 31.2% आंकी गई। वर्ष 1990 दशक के अन्तिम वर्षों के ग्रामीण निर्धनता को प्रतिशत बढ़ गया। एन.एस.एस. के आंकड़ों के अनुसार 1898 में यह 42% था। यह वृद्धि खाद्य की बढ़ती हुई कीमत के कारण एवं गांवों में गैर कृषि आय का हिस्सा घटने के कारण बताई जाती है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि निर्धनों के समूह समरूप नहीं हैं। उनका 3 उपसमूह में वर्गीकरण किया जा सकता है। दीन-हीन एवं दरिद्र जो नवम्बर 1993 की दरों के अनुसार 77 रुपए प्रतिमाह व्यय करते हैं। अत्यन्त निर्धन जो 92 रुपए प्रतिमाह तथा निर्धन जो 130 रुपए प्रतिमाह व्यय करते हैं।

ऐसी वस्तुएँ जो शारीरिक पीड़ा से बचाती हैं और जो भूख व पनाह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं अर्थात् वे जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। ऐसी वस्तुएँ जो स्वास्थ्य की मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं अर्थात् जो पोषण प्रदान करती हैं और बीमारी से बचाती हैं। ऐसी वस्तुएँ जिनकी जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने में आवश्यकता होती है। अर्थात् न्यूनतम स्तर को बनाए रखने में आवश्यकता होती है। सामान्य शब्दों में यह मत आहार ग्रहण की न्यूनतम मात्रा पर्याप्त रहने कपड़े शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल पर बल देता है। नवम्बर 1993 के आधार पर ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति की 153 रुपए प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 193 रुपए प्रति माह के व्यय करने की क्षमता का उल्लेख करता है।

समुचित मूल्य नीतियों को सुनिश्चित करके, नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करके रासायनिक खाद के मूल्यों पर कंट्रोल करके, भूमि की चकबन्दी, सम्बन्धी प्रोग्राम को बनाकर, किसान को उसके उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके तथा प्रोत्साहन मूल्यों को बनाए रखकर अधिप्राप्ति मूल्यों को बढ़ाकर संभव बनाया जा सकता है। श्रमिक बल में सहभागिता की मात्रा, रोजगार का प्रकार, परिवार की विशेषताएँ वृहत समाज के ज्ञान की राजनीति, धर्म और सामाजिक रीति-रिवाजों में मूल्य अभिमुखीकरण। निर्धन केवल मात्रा में एक-दूसरे से भिन्न है न कि स्वरूप में।

मालिक नियोक्ता, अमीर, अधिकारी व सरकार निर्धनों से घृणा करती है। ये अकुशल, आलसी व समाज पर बोझ माने जाते हैं। इनको हर स्तर पर भेदभाव करके सताया जाता है। इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता और वे शक्तिहीन होते हैं। निर्धनता समाज के अनुरूप न्यूनतम जीवन स्तर के नीचे होने की स्थिति है, जीवन की मूल-भूत जरूरतों की आपूर्ति के लिए धन नहीं होता है या शारीरिक जरूरतों का घोर अभाव है। ऐसा अभाव समाज के निम्नतम स्तर के लोगों की जनसंख्या को दूसरे समूहों से तुलना कर आंका जाता है। इस प्रकार यह व्यक्तिपरक परिभाषा है न कि वस्तुनिष्ठ स्थितियों पर आधारित परिभाषा। निर्धनता का मूल्यांकन समाज में मौजूद मानकों के द्वारा किया जाता है।

निर्धनता की माप क्या है? इसके महत्वपूर्ण माप हैं— कुपोषण, निम्न आय, असाध्य रोग, खराब स्वास्थ्य, निरक्षरता, बेरोजगारी, अल्प रोजगारी और घर की अस्वास्थ्यकर दशा। मोटे तौर पर किसी समाज में निर्धनता का उल्लेख उसमें साधनों की कमी, कम राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति की कम आय, संसाधनों के बंटवारे में भारी असमानता, कमजोर सुरक्षा आदि होता है

भेदभाव, पूर्वग्रह, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता भी रोजगार के अवसरों व कुल आय को प्रभावित करते हैं। भारत में प्रादेशिकता पर आधारित असन्तुलन विभिन्न राज्यों की आय के अन्तर की ओर संकेत करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश., राजस्थान, उड़ीसा की अपेक्षा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात अधिक विकसित हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि 1993-94 में जबकि उड़ीसा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 48.56% थी तब पंजाब में 11.05%, केरल में 11.77% थी।

स्वास्थ्य व्यक्ति न केवल कमाने योग्य होता है अपितु उसे बीमारी पर भी कम खर्च करना पड़ता है। यदि किसी देश में एक बड़ी संख्या में व्यक्ति दीर्घकालिक कुपोषण से ग्रस्त हैं अथवा अस्वास्थ्यकर वातावरण में रहते हैं तो वे कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जिसके कारण वे काम करने और कमाने के योग्य नहीं रहते। निर्धनता परिवार के आकार में वृद्धि से सह सम्बन्धित है। परिवार जितना बड़ा होगा उतनी ही प्रति व्यक्ति आय कम होगी और उतना ही नीचा जीवन स्तर होगा।

निर्धनता में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक होती है। एक अनुमान के अनुसार खपत पर प्रतिवर्ष व्यय अर्थात् न्यूनतम राशि भी न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने पर वर्ष 1981 की वार्षिक विकास वृद्धि दर से 3285 रुपए होगी। ऊपरी तौर पर प्रति व्यक्ति आय व्यक्तियों की खपत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं यदि जनसंख्या को वर्ष 2000 तक 101 करोड़ पर सीमित कर दिया गया होता तो प्रति व्यक्ति आय 2038 रुपए के बजाए 2320 रुपए हो जाती यह भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव को कम कर देती और विकास के लिए भी आय उपलब्ध हो सकती।

यदि वर्तमान में आय की असमानता बनी रहती है तो निम्नतम 30% निर्धन रेखा के नीचे रहेंगे। इसके अतिरिक्त यह अनुमान लगाया जाता है कि 2011 तक हमारी जनसंख्या लगभग 121 करोड़ से अधिक हो गई। इसलिए प्रति व्यक्ति आय पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और निर्धन रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या निश्चित करने के सारे प्रयास जारी रखे गए। बुद्धि को भी अनदेखी करने के पश्चात् यह तथ्य सामने आया है कि भारत की राष्ट्रीय आय में अवश्य ऐसी प्रभावशाली वृद्धि नहीं हुई क्योंकि इन वर्षों में जनसंख्या काफी बढ़ गई।

ग्रामीण एवं शहरी प्रति व्यक्ति की आय में भी भयंकर असमानता है। 1983 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आय वितरण बतलाता है कि शहरी क्षेत्रों में 11% एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 30% उच्च वर्ग में आते थे जिनकी आय 1970-71 के मूल्यों के स्तर के आधार पर 30000 रुपए प्रति वर्ष थी, शहरी क्षेत्रों में 1983 रुपए में एक उच्च वर्ग के परिवार की औसत आय 5985 रुपए प्रति वर्ष थी और ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नतम वर्ग के परिवार की औसत आय 1044 रुपए थी। यह अनुमान लगाया गया कि ग्रामीण परिवारों में 70% के पास कोई भूमि नहीं है। शेष 30% के पास 1.5 एकड़, 16.8% के पास 6.15 एकड़, 5% के पास 16.5 एकड़ एवं 0.4% के पास 50 एकड़ से अधिक भूमि है।

इसके अतिरिक्त 30% परिवार जिनके पास जमीन है उसमें 31.43% सीमान्त परिवार, 35.71% परिवार जिनके पास जमीन है उनमें 31.41% सीमान्त परिवार 35.71 छोटे परिवार 22.81% मध्यम परिवार 8.81% बड़े परिवार एवं 1.24% भीमकाय परिवार हैं

भूमिहीन व्यक्तियों की विशेष निर्भरता खपत पर या इसके बाहर वेतन मजदूरी पर होती है। मजदूर परिवार के तीन चौथाई लोग अनियत मजदूरों की तरह काम करते हैं। अर्थात् जब कभी काम मिलता है उसी समय काम करते हैं। अन्यथा बेरोजगार मानव पूँजी या श्रमिकों की कार्यकुशलताओं एवं क्षमताओं में कमी उन्हें अक्षम रोजगार प्राप्त करने में बाधक होती है। इस तरह उनकी आय बढ़ने में भी कार्य कुशलताएँ एवं क्षमताएँ प्राप्त करना अवसरों की उपलब्धता तथा सुलभता पर अधिक निर्भर करता है न कि आनुवांशिक प्रतिभा या प्राकृतिक क्षमता पर। क्योंकि निर्धन एक ऐसे सामाजिक वातावरण में रहते हैं। जहाँ उन्हें आवश्यक अवसरों की प्राप्ति नहीं होती और अकुशल रह जाते हैं। जिनके परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास पर प्रभाव पड़ता है।

मुद्रास्फीति के दबावों में निर्धनता को बढ़ावा मिला है। जब तक आय वितरण में असमानता कम नहीं की जाती, निर्धनता रेखा के नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या को कम करने की सम्भावनाएँ बहुत कम होंगी।

निर्धनता के सम्बन्ध में एक मत यह है कि यह दैवकृत और व्यक्ति के पूर्व कर्मों और पापों का फल है। दूसरा मत निर्धनता को व्यक्ति के कार्य करने की क्षमताओं को असफलता या उसमें प्रेरणा की कमी के कारण मानता है। धनी व्यक्ति की अमीरी को उसके सौभाग्य के कारण और निर्धन व्यक्ति की निर्धनता उसमें अयोग्यताओं के कारण बतलाना धनी व्यक्तियों के आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति करता है। क्योंकि इसमें वे ऊँचे आयकर देने से बच जाते हैं। जिसके द्वारा निर्धन व्यक्तियों का उत्थान हो सके। एक आधुनिक मत निर्धनता को उन कारकों से जोड़ता है जो एक व्यक्ति के नियन्त्रण से परे होता है। दूसरा समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं के कार्यप्रणाली की निर्धनता का कारण है।

आर्थिक कारणों को समझने के लिए हमें उन लोगों में अन्तर करना पड़ेगा जिनका पास काम है और जिनके पास काम नहीं है। उसके क्या कारण हैं? क्या यह उनके अपने दुर्गुणों अर्थात् दोषी लक्षणों के कारण या समाज के दोषों के कारण या प्रतिबन्धित अवसरों के कारण है। इसका परीक्षण अपर्याप्त विकास, मुद्रास्फीति के दबाव, पूँजी का अभाव श्रमिकों में कार्य कुशलता की कमी एवं बेरोजगारी कारणों से किया जा सकता है।

यद्यपि गरीब की सदस्यता पीढ़ियों के साथ-साथ महत्वपूर्ण मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। फिर भी आने वाली पीढ़ियाँ अपने व्यवहार और मूल्यों में एक दूसरे से मिलती हैं और यह उनके निर्धनता के कारण हुए एक से अनुभवों एवं एक से सामाजिक दबावों के शिकार होने के परिणाम स्वरूप होता है। गरीबों के बच्चे हिंसा की उपसंस्कृति को अपनी वसीयत में ग्रहण करते हैं जिसमें शारीरिक आक्रामक आपत्तिक्रियाओं की सब सदस्य या तो अपेक्षा करते हैं या आवश्यकता समझते हैं। इस प्रकार की 34 संस्कृति में हिंसा का उपयोग गैर कानूनी आचरण नहीं समझा जाता है और हिंसा करने वालों को अपने आक्रमण के कारण कोई अपराध की भावना उत्पन्न नहीं होती। हिंसा उनकी जीवनशैली का एक अंग बनकर कठिन समस्याओं को सुलझाने का एक माध्यम बन जाती है और विशेष रूप से उन व्यक्तियों एवं समूहों के बीच अपनाई जाती है जो उसी प्रकार के मूल्यों और मानदंडों का अनुमोदन करते हैं तथा निर्भर रहते हैं। एक ओर तो यह उपसंस्कृति निर्धनता के प्रभाव के रूप में देखी जाती है और दूसरी ओर उसे निर्धनता का कारण माना जाता है।

स्वतन्त्रता पश्चात् भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने निर्धनता को हटाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीयकरण 20 सूत्रीय कार्यक्रम, आई.आर.डी.पी.एन.आर.ई.पी, अन्त्योदय एवं जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम आरम्भ किए। परन्तु राज्य में राजनीतिक परिवर्तनों ने कार्यक्रमों पर प्रभाव डाला। अब यह कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर यह योजनाएँ पूर्णता असफल रहीं। असफलता के प्रमुख कारण परिवारों के चयन में पक्षपात, अधिकार उपेक्षा, असहयोग, ऋण देने में बिलम्ब हैं।

देश की विकास योजनाओं का अंतिम लक्ष्य देश के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने एवं मानव कल्याण होता है। स्वस्थ और शिक्षित जनसंख्या से ही देश में उत्पादकता बढ़ती है तथा समाज का सर्वांगीण विकास होता है। इस बजह से विकास की रणनीति इस तरह से बनाई जानी चाहिए जिससे जनसंख्या के जीवन स्तर में वास्तविक रूप से सुधार हो तथा सामाजिक क्षेत्र में अधिक धन लगाने के लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के विकास की दर ऊँची हो।

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2009 के अनुसार, वर्ष 2007 में भारत का मानव विकास सूचकांक 0.612 था जिसके आधार पर भारत का 186 देशों के मध्य 134-वाँ स्थान रहा। वर्ष 2006 में भी भारत का 134वाँ स्थान ही था। मानव विकास सूचकांक में 3 सूचकांक शामिल हैं— सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति क्रयशक्ति के आधार पर अमेरिकी डॉलर में, आयु प्रत्याशा एवं शिक्षा जिसका मापन प्रौढ़ साक्षरता दर तथा सकल नामांकन अनुपात के आधार पर किया जाता है। सकल नामांकन अनुपात का मापन प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक शिक्षा के संयुक्त अनुपात के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1980 में भारत का मानव विकास सूचकांक 0.612 था जो वर्ष 2000 में 0.556 तथा वर्ष 2007 में यह 0.612 के स्तर पर पहुँच गया।

भारत एवं विकसित देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संसूचकों में काफी बड़ी खाई है। यहाँ तक कि कई विकासशील देश भी इस मामले में भारत से काफी आगे हैं। इस खाई को तेजी से भरना आवश्यक है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2007 में जन्म के समय भारत की आयु प्रत्याशा 63.4 वर्ष थी जबकि इसकी तुलना में नार्वे की आयु प्रत्याशा 80.5 वर्ष, आस्ट्रेलिया की 81.4 वर्ष, श्रीलंका की 74.0 वर्ष एवं चीन की 72.9 वर्ष थी। देश की प्रौढ़ साक्षरता दर वर्ष 1999-2007 के दौरान 66.0% थी जबकि इसकी तुलना में चीन एवं विकसित देशों की प्रौढ़ साक्षरता दर लगभग 100% रही।

भारत का लिंग विकास सूचकांक मूल्य 0.594 है, भारत का 186 देशों के मध्य 134-वाँ स्थान है। लिंग विकास सूचकांक के मामले में भारत की स्थिति पिछले वर्ष की तरह है। इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए भारत में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

योजना आयोग देश में गरीबी का आंकलन एक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर करता है जिसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा लगभग प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल में किया जात है। यह नमूना सर्वेक्षण परिवार के उपभोग का खर्च के आधार पर किया जाता है। गरीबी रेखा का पारम्परिक आधार के कैलोरी खपत की दृष्टि से न्यूनतम पोषण स्तर है अर्थात् गरीबी कैलोरी खपत के अनुपात में प्राप्त न्यूनतम पोषण स्तर पर आधारित है। कैलोरी सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकताओं से जुड़ी सामग्रियों को क्रय करने के लिए आवश्यक राशि की गणना रूपए के रूप में की जाती है। जो परिवार इस स्तर से नीचे होता है उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 62-वें राउण्ड के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ गरीबी 28.3% है वहीं शहरी क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत 25.7% है। 2004-05 में पूरे देश के लिए गरीबी का प्रतिशत 27.5 है।

आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर के नेतृत्व वाले विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबों की संख्या में लगभग 10% की वृद्धि हुई है। इस तरह से भारत की कुल जनसंख्या के 37 % व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 41.8% ग्रामीण जनसंख्या प्रति माह मात्र 447 रूपए से ही अपनी जरूरतों की पूर्ति करती है। हालाँकि शहरी क्षेत्रों में हालात कुछ बेहतर है। यहाँ 25.7% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रही है और प्रति माह 579 रूपए खर्च करती है। हालांकि गरीबी के मामले में विश्व बैंक का पैमाना अलग है। उसका मानना है कि प्रति दिन एक डॉलर से नीचे गुजर-बसर करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाना चाहिए। इस प्रकार से देश की 41.6% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है।

गत वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आँकड़ों पर आधारित हैं, के अनुसार वर्ष 1999-2000 एवं वर्ष 2004-05 के मध्य प्रदेश में लगभग 4 करोड़ 70 लाख नए रोजगार सृजित हुए। दूसरी ओर वर्ष 1993-94 से वर्ष 1999-2000 के मध्य 2 करोड़ 40 लाख नए रोजगार सृजित हुए थे। इस दौरान देश में रोजगार सृजन की दर 1.25% प्रतिवर्ष से बढ़कर 2.62% प्रतिवर्ष हो गई। परन्तु देश में कार्यशक्ति की अपेक्षा श्रमशक्ति में 2.84% की तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इसलिए देश में बेरोजगारी की दर भी बढ़ी है। करेण्ट डेली स्टेटस के आधार पर बेरोजगारी की दर 1999-2000 के 7.31% की तुलना में वर्ष 2004-05 में 8.28% हो गई है।

देश की उत्पादित एवं सृजित माल और सेवाओं के सकल योग के राशिगत मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। राशिगत मूल्य की गणना के लिए प्रयुक्त बाजार मूल्य से उत्पादन का वास्तविक मूल्य पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता क्योंकि बाजा मूल्य में सब्सिडी (यदि कोई है) और अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। इसलिए हम तथ्य लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की जानकारी के लिए सकल घरेलू उत्पाद से बाजार मूल्य के अनुरूप अप्रत्यक्ष करों को घटाते और सब्सिडी को जोड़ते हैं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा वित्त वर्ष 2007-08 के लिए जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1999-2000 के स्थिर मूल्य पर अधिकर्ता लागत के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद 3529712 करोड़ रूपए रहा, जबकि वर्ष 2006-07 में यह 2871118 करोड़ रूपए था और वर्ष 1999-2000 में स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय आय (अधिकर्ता पर शुद्ध राष्ट्रीय आय) 2764795 करोड़ रूपए रही। इसकी तुलना में वर्ष 2006-07 में यह 2535450 करोड़ रूपए थी। वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय आय 3787596 करोड़ रूपए थी। विशेषज्ञों के अनुसार हर तीसरा भारतीय गरीबी रेखा के नीचे है। समूह के अनुसार भारतीय जनसंख्या के करीब 37% लोग गरीब हैं और यह प्रतिशत पूर्वानुमान से 10% अधिक है।

सरकार के निर्धनता निवारण कार्यक्रमों में अव्यवस्थिति योजना के कारण बाधाएँ उत्पन्न होती हैं दूसरे, सरकार द्वारा कृषि उत्पादन व उत्पादकता की सर्वोच्च प्राथमिकता देने के उपरान्त भी सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ नहीं मिटी है और न ही आय की असमानताएं कम हुई हैं। इन योजनाओं के लाभ देश के सभी भागों के सर्वाधिक निर्धन व्यक्तियों तक नहीं पहुँचा है। पानी के संसाधन, ऋण, खाद में सब्सिडी एवं अन्य सुविधाएँ कुछ बड़े कृषकों ने हड़प ली जाती हैं। मध्यम एवं निर्धन किसानों को यह चाजें बहुत अधिक दरों पर क्रय करनी पड़ती है। तीसरे विभिन्न कार्यक्रमों में कोई तालमेल नहीं है। विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के जवाहर रोजगार योजना में विलय हो जाने के पश्चात् सरकार अब पंचायतों को समय पर आवश्यक धन राशि नहीं भेज पाती है। चौथे इनके कार्यक्रमों से जुड़े अधिकारियों का सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में अधिक विश्वास नहीं है। जिसके परिणाम स्वरूप उनको दी गई भूमिका के प्रति वचनबद्ध नहीं होते। इस प्रकार इन कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु लोगों में आवश्यक जागरूकता उत्पन्न करने में वे थोड़ा भी परिश्रम नहीं करते इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि सरकार उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सफल नहीं हो सकी है। पाँचते जवाहर योजना की राशि को राज्य अपनी पार्टी के कामों में लगा देते हैं। उदाहरण, एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि केन्द्र सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में नालगौडा जिले में सिचाई के लिए नए कुओं के लिए 3000 रूपए मंजूर किए गए थे जो एक राजनतिक पार्टी ने हड़प लिए तथा एक भी कुआँ नहीं खोदा गया। मनरेगा का धन नेता-अधिकारी आपस में बन्दरबाँट कर हड़प रहे हैं। केवल योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं होता। सबसे माहत्त्वपूर्ण सच्चे और वास्तविक प्रयास है जो कार्यान्वित एजेन्सियों द्वारा निर्धनता विरोधी अभियान को सफल बनाने के लिए किए जाने चाहिए।

पंचवर्षीय योजना एवं गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार कार्यक्रम

क्र	योजना	अवधि	लक्ष्य	वास्तविक	विवरण
1	प्रथम पंचवर्षीय	1951-56	2.1	3.81	अप्रैल-1951I, सामुदायिक विकास योजनाएँ व समाज कल्याण कार्यक्रम
2	द्वितीयपंचवर्षीय	1966-61	4.5	4.27	आर.एल.ई.जी.पी.रूरल जेडलेस एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम
3	तृतीय पंचवर्षीय	1961-66	5.6	2.84	अन्त्योदय कार्यक्रम
	तीन वार्षिकपंचवर्षीय	1966-69			
4	चतुर्थ पंचवर्षीय	1969-74	5.7	3.30	20 सूत्रीय कार्यक्रम-जुलाई 1975
5	पंचम पंचवर्षीय	1974-79	4.4	4.80	एम.एन.पी.न्यून आवश्यकता योजना, अन्त्योदय कार्यक्रम-अक्टू 1977 राजस्थान सरकार, एन.आर.ई.पी.1976-77
6	षष्ठम पंचवर्षीय	1980-85	5.2	5.66	टी.आर.वाई.एस.ई.एम.स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण-79

7	सप्तम पंचवर्षीय	1985-92	5.0	6.01	जवाहर रोजगार योजना-1989
8	अष्टमपंचवर्षीय	1992-97	5.6	6.50	स्वर्ण जयंती ग्राम-शहरी स्वरोजगार-1999,आई.आर.डी.पी., ट्राईसेम, डी.डब्लू.सी.आर,एस.आई.टी.आर.ए.जी.के. वाई.एम.डब्लू.एस.,सम्पूर्णग्रामीणरोजगार-2001,अन्नपूर्णा
9	नवम पंचवर्षीय	1997-2002	6.5	5.40	स्वर्ण जयंती ग्राम-शहरी स्वरोजगार-1999,आई.आर.डी.पी., ट्राईसेम,डी.डब्लू.सी.आर,एस.आई.टी.आर.ए.जी.के. वाई.एम.डब्लू.एस.,सम्पूर्णग्रामीणरोजगार-2001, अन्नपूर्णा
10	दशम पंचवर्षीय	2002-2005	8.0	7.2	प्रधानमंत्रीग्रामोदययोजना-2001,प्रधानमंत्रीसडक-आवास,पेयजलआपूर्तियोजना
11	ग्यारवीपंचवर्षीय	2005-2012	9.0		
12	बारहवीपंचवर्षीय	2012-2017			

दरिद्रता कुचक्र और अर्थव्यवस्था

दरिद्रता से आशय उस सामाजिक क्रिया से होता है, जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में समाज का भाग न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रह जाता है तथा केवल निर्वाह स्तर पर ही गुजारा करता है तो यह कहा जाता है कि समाज में व्यापक दरिद्रता मौजूद है। अनेक विद्वान यह मानते हैं कि वह व्यक्ति दरिद्र है जो दरिद्रता रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहा है। दरिद्रता रेखा की संकल्पना सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम निदेशक लॉर्ड बॉयड ओर ने सन् 1945 में की थी। उन्होंने बताया यह रेखा बताती है कि जिन व्यक्तियों को 2300 कैलोरी का भोजन नहीं मिल पाता है उनको दरिद्रता की रेखा के नीचे माना जाना चाहिए।

दरिद्रता शब्द का सभी प्रयोग करते हैं किन्तु सही अर्थ दो रूपों निरपेक्ष दरिद्रता और सापेक्ष दरिद्रता में व्यक्त किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की निरपेक्ष दरिद्रता का आशय यह है कि उसकी आय या उपभोग इतना कम है कि वह न्यूनतम भरण-पोषण स्तर से नीचे स्तर पर जीवन यापन कर रहा है। अन्य शब्दों में, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, वस्त्र मकान, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा आदि की पूर्ति का भली-भाँति न हो पाना है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि दरिद्रता का निरपेक्ष अर्थ उस न्यूनतम आय से है जिसकी एक परिवार के लिए आधार-भूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता बढ़ती है तथा जिसे वह परिवार जुटा पाने में असमर्थ होता है।

सापेक्ष दरिद्रता से आशय आय की विषमताओं से है। जब दो देशों के प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं तो उसमें भारी अन्तर पाया जाता है, इसी अन्तर के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक देश दूसरे देश से गरीब है। यह गरीबी सापेक्षिक दरिद्रता होती है, किन्तु भारत में दरिद्रता के निरपेक्ष विचार को ही अपनाया गया है।

लेस्टर आर. ब्राउन ने लिखा है, “दरिद्रता निराशा है, ऐसे पिता की जो दरिद्र देश में उत्पन्न हुआ है, जिसे सात व्यक्तियों के परिवार का पालन करना है पर जो बेरोजगारी की बढ़ती भीड़ में शामिल होता है और जिसके सामने बेरोजगारी की क्षतिपूर्ति की कोई सम्भावना नहीं है। दरिद्रता लालसा है ऐसे किशोर की जो गाँव के विद्यालय के बाहर तो खेलता है पर उस विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके माता-पिता के पास पाठ्य-पुस्तकें क्रय करने के लिए धन नहीं हैं। दरिद्रता उन माता-पिता का शोक है जो कि बीमारी में मरते अपने को देख सकते हैं पर इलाज नहीं करा सकते हैं।” आज भारत में निरक्षर, भूखे,—नंगे, कुपोषित, निर्धनताग्रस्त, दो जून की रोटी के लिए संघर्ष करते हुए करोड़ों भारतवासियों की यही स्थिति है।

वस्तुतः दरिद्रता समस्त अपराधों की जननी है। यह मनुष्य को न केवल निराशा के गर्त में डुबो देती है वरन् उसमें धिनौनी हीनता को भी जन्म देती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पश्चिम के अनेक राष्ट्र असीम भौतिक सुखों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं वहीं आज विश्व की 1.3 अरब निर्धन जनसंख्या का सर्वाधिक 36% भाग भारत में है और दुनिया का हर तीसरा गरीब भारतीय है।

योजना आयोग की रिपोर्ट—2011—12 के अनुसार, दरिद्रता की रेखा के नीचे की जनसंख्या 26.93 करोड़ है जो कि देश की आबादी का लगभग 21.9% है। इन निर्धन भारतवासियों के पास न खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, न पहनने के लिए वस्त्र और न रहने के लिए उचित आवास व्यवस्था है। 17% माताओं की मृत्यु बच्चे के जन्म के समस्या ही हो जाती है। नवजात बच्चों की मृत्यु दर सबसे अधिक है। 2012 में यहाँ 14 लाख ऐसे बच्चों की मृत्यु हुई थी जिनकी उम्र पाँच वर्ष से कम थी। यही कारण है कि आज दरिद्रता भारत की प्रमुखतम एवं ज्वलन्त सामाजिक समस्या है।

रोटी, कपड़ा और मकान जनता की आधारभूत आवश्यकता है। इन तीनों में भोजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भोजन के बिना मनुष्य का जीवित रहना सम्भव नहीं है। अतः रोटी और रोटी देना प्रत्येक सरकार का पुनीत कर्तव्य है। इनकी पूर्ति किए बिना किसी भी व्यक्ति अथवा सरकार का बना रहना असम्भव है। दूसरे यदि भोजन गुणात्मक दृष्टि से हीन है तो जनता का स्वास्थ्य गिर जाता है। जिससे उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। तीसरे खाद्यान्नों का अभाव होने से उनका आयात करना पड़ता है जिससे विदेशी विनमय का अभाव हो जाता है और देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है।

आज वक्त आ गया है कि अब हमें समाज में धन सम्बन्धी विषय से हटकर दरिद्रता के अध्ययन करने की आवश्यकता है अन्यथा भयानक दरिद्रता की चिंगारी अन्य भागों की सम्पन्नता व विकास के विनाश का कारण बन सकती है। विद्वानों के अनुसार, राष्ट्रों की दरिद्रता का अध्ययन राष्ट्रों के धन के अध्ययन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पर भारत की चौथायी जनसंख्या वर्तमान में प्रतिदिन 1 डालर या 62 रुपये से भी कम पर जीवन—निर्वाह करती है। यह एक अपरिष्कृत माप है। लेकिन यह दर्शाता है कि प्रतिदिन की भूख, दुःख एवं बीमारी, जिसे किसी भी मानव मात्र को नहीं झेलनी चाहिए।

दरिद्रता का प्रमुख कारण व्यक्तियों पर उत्पादक सम्पत्तियों का अभाव है या फिर जिसके पास कोई हुनर या दक्षता नहीं है। सामान्यतः दरिद्रियों के पास सम्पत्ति एवं आय की कमी होती है। गाँवों में धनी की प्रतिष्ठा उपलब्ध भूमि से होती है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में किसी के पास भूमि नहीं है तो वह व्यक्ति दरिद्र माना जाता है।

भारत में दरिद्रता का मुख्य कारण कृषि की भूमि का न होना है। यदि दरिद्र के पास भूमि होती ही है तो वह कम मात्रा में होने के कारण अनुत्पादक होती है तथा भूमि में सुधार कर पाना इसलिए कठिन होता है कि उसके पास सुधार के लिए धन का अभाव तथा उसे

साख भी प्राप्त नहीं हो पाती। निर्धनों के पास अधिकतर अपनी भूमि नहीं होती। उन्हें वह भूमि काश्तकारी या अर्द्ध-बटाई माध्यम से मिली होती है। इसकी बजह से उन्हें आधी या इससे कम फसल ही प्राप्त हो पाती है। कभी-कभी निर्धनों के पास वह जमीन होती है जो कि समाज की होती है। किन्तु जनसंख्या में वृद्धि के कारण यह व्यवस्था भी समाप्त हो रही है। एक बहुत बड़ा व्यक्तियों का समूह ऐसा भी है जिसके पास भूमि का न तो स्वामित्व है और न ही अर्द्ध-बटाई पर प्राप्त करता है, किन्तु वह मजदूरी पर आश्रित रहता है। कृषि से बाहर निर्धनों को कुटीर उद्योगों, सेवा तथा वाणिज्य में काम मिलता भी है तो वह कार्य या तो मौसमी स्वभाव का होता है या आंशिक स्वभाव का। इन कार्यों में कम पूँजी लगाने के कारण इनकी उत्पादकता भी कम होती है तथा इनसे कारीगरों की आय भी कम होती है।

आज भ्रष्टाचार देश के व्यक्तियों के खून में बसता जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था में नीचे से ऊपर तक सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का बोल-बाला है। देश को संचालित करने वाले राजनेता भी इससे मुक्त नहीं हैं परिणाम यह है कि विकास योजनाएँ ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। जो धन दरिद्रियों के उन्मूलन में लगना चाहिए वह धन दलालों की जेबें गर्म कर रहा है। परिणाम स्वरूप दरिद्रियों और अमीरों के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। प्रशासन का प्रत्येक व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से नहीं करना करता है। जब तक पैसे की भेंट न चढ़ी दी जाए तब तक वह कार्यों की फाइल बन्द रखता है। इससे आम नागरिक खासकर दरिद्र जनता पिस रही है। देश में कार्य करने की संस्कृति एक दम मिटती जा रही है। इस प्रकार की स्थितियों में देश की दरिद्रता हटाने की कल्पना मात्र कल्पना ही बनी रहेगी। देश की उच्च राजनैतिक पार्टियाँ कोई अच्छे, ठोस विचार या नीति नहीं रखती। उनका उद्देश्य जनता को गुमराह करके सत्ता पर कब्जा होना होता है तथा सत्ता में आने के पश्चात् दरिद्र जनता का ख्याल मस्तिष्क से निकाल देते हैं तथा स्वयं का घर भरने में लग जाते हैं तथा जनता का पैसा विदेशी बैंकों में स्वयं के नाम से जमा कर देते हैं इसके अतिरिक्त जनता को आपस में भिड़ारा जाता है तथा राजनैतिक रोटियाँ सेंकी जाती हैं। परिणाम ढाक के तीन पात अर्थात् जनता की दरिद्रता का उन्मूलन नहीं हो पाता।

एक जमाना था जब राजनेता का उद्देश्य जनता की सेवा करना तथा जनता की सेवा में अपने को तन-मन से समर्पित करना होता था अब आज का नेता चाहे किसी भी दल का क्यों न हो वह चमाचम वस्त्र, विदेशी गाड़ी में चलना, हवाई जहाजों में सफर करना, आलीशान बंगलों में रहना एवं देश के विभिन्न कोनों में अपने मकान, होटल, फार्म हाउस रखना तथा विदेशों में भी बैंक खाते खोल कर करोड़ों डालर रखना तथा विदेशी शराब का सेवन, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ करना जिसे यहाँ बताया जाना लेखनी के विरुद्ध होगा। ऐसे राजनेताओं द्वारा जब इतनी बड़ी जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ऐयाशी में लुटाया जाएगा तो देश की जनता तो दरिद्र होगी ही।

देश में बढ़ता हुआ जातिवाद, परिवारवाद, संयुक्त परिवार प्रणाली तथा उत्तराधिकार नियम भी दरिद्रता कायम करने में अपना अंशदान कर रहे हैं। जातिप्रथा में किसी जाति विशेष को ही लाभ मिल पाता है वही अपना विकास कर पाती है, किन्तु अन्य जातियाँ पिछड़ जाती हैं इससे उनकी दरिद्रता बनी रहती है। संयुक्त परिवार प्रथा में काम करने वाले कम व्यक्ति होते हैं तथा आश्रित व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। इससे प्रति व्यक्ति आय कम होती है तथा निर्धनता की स्थिति पैदा हो जाती है। संयुक्त परिवार की वजह से कुछ लोग तो काफी आलसी हो जाते हैं तथा दरिद्रता को दावत देते हैं। अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास के कारण अधिकांश भारतीय जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कारों पर अनुत्पादक व्यय करते हैं। दरिद्र व्यक्ति को भी सामाजिक परम्पराओं का निर्वाह ऋण लेकर करना पड़ता है इससे वह कर्जदार हो जाता है तथा दरिद्रता के मकड़जाल में फँस जाता है। इसका असर पीढ़ी-दर-पीढ़ी पड़ता रहता है। जनसंख्या का एक बहुत बड़े हिस्से का शिक्षा स्तर काफी कम है। जिससे वह अच्छी नौकरी पाने में असमर्थ रहता है। अकुशलता होने के कारण उन्हें बहुत छोटा-सा काम करना पड़ता है। जिसके कारण उनकी अल्प आय रहती है एवं वे दरिद्र बने रहते हैं। स्त्रियों की जल्दी शादी व अधिक बच्चे होने के कारण स्त्री तथा बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं एवं वे अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इससे भी वह मुख्यधारा में नहीं आ पाते और दरिद्रता उन पर मड़राती रहती है।

भारत सरकार की आर्थिक नीतियाँ दीर्घकालीन तथा अस्पष्ट रही हैं। गत अनेक दशकों से 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया जा रहा है, किन्तु गरीबी में कोई बहुत अधिक कमी नहीं आयी है। हमारे देश में आर्थिक नीतियाँ सत्ता में आया राजनीतिज्ञ अपने राजनैतिक लाभ उठाने के लिए तैयार करता है। परिणाम यह होता है कि इन नीतियों का लाभ काफी बड़े जन समूह को नहीं मिल पाता। सत्ता में बैठी हुई पार्टी को चाहिए कि वह अपनी आर्थिक नीतियों को लगातार परिवर्तित करती रहें जिससे कि अधिकाधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके।

यद्यपि योजनाकाल में आद्योगिक विकास की तरफ ध्यान दिया गया किन्तु आज भी देश में औद्योगिक विकास की दर काफी नीचे है। औद्योगिक क्षेत्र में उपभोग एवं उत्पादक उद्योगों में असन्तुलन के साथ क्षेत्रीय विषमता भी विद्यमान है। उत्पादन का पैमान भी छोटा होने की बजह से श्रम विभाजन सम्भव नहीं है एवं पूँजी की कमी के कारण भी उद्योगों का आधुनिकीकरण तथा विकास सम्भव नहीं है। इस कारण भी दरिद्रता की समस्या पूरी तरह से यथावत बनी है।

भारत में 'दरिद्रता' का कारण भी 'दरिद्रता' है अर्थात् 'दरिद्रता' दरिद्रता का कारण तथा परिणाम दोनों है। एक व्यक्ति दरिद्र है इसलिए निश्चित रूप से उसकी आय, उपभोग स्तर, कार्यक्षमता एवं बचत कम होती है। अतः वह दरिद्र ही बना रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था दरिद्रता के कुचक्र में फँसी हुई है इसलिए यहाँ दरिद्रता विद्यमान है। दरिद्रता के कुचक्र को तोड़कर ही देश से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है।

हमारे लिए यह प्रश्न विचारणीय है कि पर्याप्त प्राकृतिक सम्पदा सम्पन्न राष्ट्र होते हुए भी भारत एक निर्धन राष्ट्र है और भारतवासी गरीबी एवं बेरोजगारी में जीवन-यापन कर रहे हैं। भारत में सम्पन्नता के साधन तो हैं किन्तु सम्पन्नता के इन साधनों का उचित विदोहन

न हो पाने के कारण भारत के निवासी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में एक प्रचलित उक्ति है कि भारत एक सम्पन्न देश है जिसमें निर्धन लोग रहते हैं। इस उक्ति का प्रथम भाग भारतीय अर्थव्यवस्था की सम्पन्नता का बोध कराता है जबकि उक्ति का दूसरा भाग अर्थव्यवस्था के निम्न आय स्तर एवं अल्प विकास को बताता है।

भारत में लगभग 36.7 करोड़ जनसंख्या की दरिद्रता समस्या नहीं सुलझाई गई तो एक बहुत बड़ा विस्फोट देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख सकता है। इस विस्फोट का सबसे बड़ा निशाना अमीर व्यक्ति ही होंगे। जिन्होंने वक्त रहते गरीबों का खून चूसा और करोड़ों से नहाने लग तथा विस्फोट के के दौरान दरिद्रता से तंग आकर व्यक्ति हथियार उठाकर आतंकी तथा खूनखराबी करके अमीर व्यक्तियों का जीना दुश्वार करके रख सकते हैं अतः इस खतरनाक स्थिति से प्रबन्ध करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

फर्रुखाबाद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों पर अवैध कब्जों का विवेचन

उत्तर प्रदेश में कांशीराम शहरी गरीब आवास के प्रथम चरण/प्रथम वर्ष-2008-2009 में 101000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया। 60 अधिकतम शहरी जनसंख्या वाले जनपदों में प्रति जनपद 1500 आवासीय इकाइयों का प्रथम चरण/वर्ष में निर्माण कराया गया तथा शेष 11 जनपदों में प्रति जनपद 1000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कराया गया। जिन जनपदों में प्रथम चरण में 1500 आवास बनाए गए वहाँ 10 एकड़ भूमि तथा जिन जनपदों में 1000 आवास प्रति जनपद बनाए गए वहाँ 07 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई। यदि किसी जनपद में एक साथ भूमि उपलब्ध नहीं हुई तो टुकड़ों में भूमि उपलब्ध कराई गई परन्तु भूमि की कुल उपलब्धता उपरोक्तानुसार 10 एकड़ एवं 07 एकड़ से कम नहीं ली गई। यदि सम्बन्धित मण्डलायुक्त या जिलाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उपरोक्त सन्दर्भित स्रोतों से भूमि योजनान्तर्गत उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में योजना के लिए भूमि सीधे क्रय की गई उक्त क्रय की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी की देख-रेख में सुनिश्चित की गई।

योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित डिजाइन एवं क्षेत्रफल के अनुसार भवनों का निर्माण कराया गया। प्रत्येक आवासीय इकाइयों का कुल कुर्सी क्षेत्रफल के (प्लिन्थ एरिया) 35 वर्ग मीटर तथा आवासीय इकाई 2 कमरे, किचन, लेट्रिन व बालकनी (छज्जे) बनाई गई।

चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत अवण्टित किए जाने वाले आवास का अधिकतम मूल्य रु.175000 प्रति आवास रखा गया। इसमें अवस्थापना सुविधाओं पर व्यय सम्मिलित रहा। चँकि यह योजना समयबद्ध थी, अतः किसी भी प्रकार की मूल्य में वृद्धि अनुमन्य नहीं हुई। इन भवनों का निर्माण नो प्राफिट-नो लॉस पर किया गया। इसके निर्माण पर किसी भी कार्यदायी संस्था को कोई ओवरहेड तथा अन्य कोई व्यय नहीं दिया गया।

भवनों का निर्माण अनिवार्य रूप से कम-से-कम तीन मंजिला कराया गया। भवन को ब्लकों में विभाजित किया गया। ब्लकों का निर्धारण आवासों के लिए बनी जीनों के आधार पर किया गया। भवनों के प्रत्येक जीने से सम्बन्धित आवासों के संग्रह को ब्लॉक कहा गया। ब्लॉकों में प्रत्येक तल पर चार आवास जिनमें दो आवास सीढ़ियों के बाएँ एवं दाएँ तथा दो आवास उनके पीछे बनाए गए। प्रत्येक आवासों में एक निकास सीढ़ियों की ओर तथा दूसरा निकास मार्ग से जोड़कर बनाए गए। प्रत्येक ब्लॉकों के अन्य तलों के आवासों में एक निकास सीढ़ियों तथा दूसरा निकास छज्जों से जोड़ा गया। इस प्रकार तीन मंजिला भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों में 12 आवास तथा चार मंजिला भवनों के प्रत्येक ब्लॉकों में 16 आवास बनाए गए।

उ. प्र. के जिन जिलों में विकास प्राधिकरण है, वहाँ विकास प्राधिकरण एवं शेष जिले में आवास विकास परिषद कार्यदायी संस्था बनाई गई। स्थानीय परिस्थितियों के देखते हुए जिलों में जिलाधिकारी शासन की अनुमति से किसी अन्य शासकीय संस्था को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित करा सके थे।

योजना के अन्तर्गत आवास निराश्रित विधवाओं, निराश्रित विकलांगों एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी दरिद्रों को उपलब्ध कराए जायेंगे। उक्त 3 श्रेणियों के सभी आवण्टियों में से 23% घर अनुसूचित/जनजातियों, 27% भवन पिछड़े वर्गों तथा शेष 50% भवन सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए। योजनान्तर्गत लाभार्थियों को आवासीय भवन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।

आवण्टन हेतु जिलाधिकारी द्वारा लाभार्थियों की सूची उक्त कोटिड में उल्लेखित दिशा निदेशों के अनुरूप सूची को ठीक से बनाए जाने का उत्तरदायित्व पूर्णतया जिलाधिकारी का है तथा यथासमय उन्हीं के द्वारा लाभार्थियों का आवण्टन एवं लीज की कार्यवाही की जाती है। यदि जिलाधिकारी चाहें तो आवासों के आवण्टन एवं लीज करने की कार्यवाही हेतु किसी स्थानीय शासकीय संस्था की मदद ले सकते हैं परन्तु सही प्रकार से आवण्टन एवं लीज करने हेतु उत्तरदायित्व पूर्णतया जिलाधिकारी का ही है। जिलाधिकारी यदि उचित समझे तो डूडा की सहायता ले सकते हैं। लाभार्थी आवण्टित भवन का कब्जा/लीज किसी व्यक्ति को कब्जा/लीज डीड की तिथि से कम से कम 10 वर्ष तक स्थानान्तरित नहीं कर सकेगा। यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो सर्वप्रथम भवन का कब्जा उसके पति/पत्नी को एवं पति एवं पत्नी की मृत्यु होने पर पुत्र/पुत्री को स्थानान्तरित हो सकेगा।

कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना में निर्माण उपरान्त आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं का रखरखाव (मार्ग प्रकाश, पेयजल, साफ सफाई) सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा किया किया जाता है। योजना के अन्तर्गत आवण्टियों को गृह-जल कर से सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा मुक्त रखा गया है।

योजना के नियन्त्रण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर एक समिति गठित होती है, जिसकी संरचना : (1) जिलाधिकारी, अध्यक्ष, (2) अपर जिलाधिकारी, सचिव, (3) जिला कोषाधिकारी, सदस्य, (4) मण्डल के सहयुक्त नियोजक, सदस्य, (5) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सदस्य, (6) अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, सदस्य, (7) स्थानीय नगर निकाय के नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, सदस्य, (8) स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/सचिव, सदस्य, (9) जिलाधिकारी के विवेकानुसार उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी, सदस्य होते हैं।

उक्त समिति जनपद में योजना अनुश्रवण करती है। कार्यदायी संस्था द्वारा आमन्त्रित टेण्डर के सम्बन्ध में निविदा की स्वीकृति का अंतिम अधिकार उपरोक्त समिति का रहा है। योजना की गुणवत्ता के साथ समयान्तर्गत क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित

जिलाधिकारी का रहा है।

शासन द्वारा जनपद को जिलाधिकारी के माध्यम से कांशीराम शहरी आवास योजना में आवंटित धनराशि एकमुश्त उपलब्ध कराई गई, जिसका वित्त पोषण पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा किया गया। जिलाधिकारी द्वारा भी एकमुश्त धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गई।

योजना का प्रदेश स्तर पर नियन्त्रण/क्रियान्वयन/अनुश्रवण के लिए नगर विकास विभाग नोडल एवं नियन्त्रण विभाग है। नगर विभाग के नियन्त्रण में प्रदेश स्तर पर एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (पी.आई.यू.) का गठन किया गया जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। जिसका मुख्य अधिकारी निदेशक, पी.आई.यू. है। कार्यकारी निदेशक के पद पर प्रादेशिक सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के सक्षम अधिकारी को तैनात किया गया। पी.आई.यू. में तीन परियोजना अधिकारी को तैनात किया गया, जिसमें एक परियोजना अधिकारी वित्त क्षेत्र से, एक अभियन्त्रण क्षेत्र से तथा एक टाउन प्लानिंग क्षेत्र से बनाया गया। वित्त से सम्बन्धित परियोजना अधिकारी के पद पर वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया। शेष दो परियोजनाधिकारियों की तैनाती संविदा के आधार या प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई। पी.आई.यू. में कार्यकारी निदेशक के साथ एक प्रोग्रामर कम टाइपिस्ट तथा एक सहायक स्टाफ रखा गण। इसी प्रकार तीनों परियोजना अधिकारियों को एक-एक प्रोग्रामर कम टाइपिस्ट अनुमन्य हुए। इन सभी की तैनाती संविदा के आधार पर की गई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सुरक्षा, सफाई तथा अन्य रख-रखाव का कार्य पूर्णतया संविदा के आधार निर्धारित किया गया। पी.आई.यू. में कोई नहीं भर्ती नहीं की गई और न ही किसी अधिकारी का संविलियन किया गया। किसी अतिरिक्त स्टाफ/मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ने पर शासन के नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

पी.आई.यू. का अस्तित्व योजना के पूर्ण होने तक ही रहा। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त पी.आई.यू. स्वतः समाप्त हो गई। परियोजना का अनुश्रवण, क्रियान्वयन एवं नियन्त्रण पी.आई.यू. द्वारा किया गया। शासन स्तर पर परियोजना के ओवरआल अनुश्रवण एवं नियन्त्रण के लिए प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में वित्त, नियोजन, आवास एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव तथा कार्यकारी अधिकारी, पी.आई.यू. की एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति बनाई गई।

शहरी गरीबों को आवास पूर्ति हेतु कांशीराम शहरी आवास प्रबन्धन, आबण्टन, लाभार्थी हेतु जो मानक-प्रावधान निर्धारित हैं उनकी उपेक्षा से राज्य-समाज पर अच्छे-बुरे प्रभावों के आकलन की जरूरत महसूस करते हुए मैंने कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आवण्टी एवं निवासियों की स्थितियों, निगरानी तथा प्रबन्धकीय एवं मानकीय व्यवस्था के प्रदर्शित वर्तमान स्वरूपों पर कालोनियों का अवलोकन जरूरी समझा है। इसी आधार पर मैंने उ. प्र. के कानपुर मण्डल के फर्रुखाबाद जिले में बनी कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित 1500 आवासों जिनमें बन्धौआ-फतेहगढ़ के 36, टाउनहाल के 168 एवं हैवतपुर गढ़िया के 1296 आवास शामिल है, समस्त आवासों में जाकर निरीक्षण एवं अवलोकन तथा जनसम्पर्क किया तथा सभी आवासों के आवण्टियों, निवासियों, परिवारों, प्रतिपाल्यों पड़ोसियों से वार्ता कर स्थिति एवं समस्याओं से सम्बन्धित ब्यान दर्ज किए तथा औपचारिक-अनौपचारिक माध्यम से विभागों एवं संस्थाओं से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर तथ्य संकलित किए। सरकारी आदेशों, संहिताओं एवं कांशीराम शहरी आवास व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं अवलोकन से प्राप्त जानकारी के आँकड़ों पर विचार करके मैंने यह जानने का प्रयास किया कि क्या कांशीराम शहरी गरीब आवासों का आवंटन, आवण्टी, निवासी, सुविधाएँ, प्रबन्धन, निरीक्षण, व्यवस्थाएँ आदि मानक युक्त हैं या नहीं।

फर्रुखाबाद जनपद की कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आवण्टियों-निवासियों का वर्तमान स्वरूप

फर्रुखाबाद जनपद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के अधिकाँश आवण्टी एवं निवासी फर्रुखाबाद नगर क्षेत्र या फर्रुखाबाद जिले के मूल स्थानीय निवासी नहीं हैं और न ही कांशीराम शहरी आवासों के आवण्टन में निर्धारित पात्रता के मानक अनुरूप है तथा योजना मानक प्रतिकूल अधिकाँश आवण्टी तथा निवासी पैतृक लेण्टर, जमीन, प्लॉट, मोटर साइकिल, फ्रिज, कूलर, दूकान, नौकरी सहित चल-अचल सम्पत्ति के स्वामी हैं। इसके बावजूद इन आवण्टियों एवं निवासियों तथा गैर जिला/प्रदेशीय/गैर-क्षेत्रीय सक्षम लोगों ने अपने सम्बन्धियों के आवास में अपना पत्राचार पता लिखकर तथा मूल निवास सहित अपनी वास्तविक चल-अचल संपत्ति को छुपाकर अपने को फर्जी गरीब प्रदर्शित कर कांशीराम शहरी गरीब आवास आवण्टन पाने में सफल रहे। इन आवण्टियों में अनेक ऐसे भी हैं जिन्होंने पति, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहिन, सास, बहू, लड़का आदि नाम से अनेकों आवास हासिल करने में सफलता पाई है। इन फर्जी गरीबों द्वारा लिए गए अधिकाँश आवासों को मोटी रकम लेकर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध को नोटरी करा कर तथा अपने नाम के आवण्टन प्रपत्रों को देकर बाहरी व्यापारियों, नौकरी वालों, अपराधियों आदि को बेचा गया है, जिनमें बड़ी मात्रा में खरीददारी किए कब्जेदार अवैध रूप से निवासी बने हुए हैं। अधिकाँश लगभग 80-90% निवासी ऐसे हैं जिनके पास उपलब्ध आबण्टन प्रपत्रों को मनमाने ढंग से दलालों या संगठित पेशेवर अपराधियों द्वारा भर कर मोटी रकम लेकर दिया जाना प्रमाणित है। इस कार्य को सम्पादित करने वाले तहसील कर्मी, लोकवाणी केन्द्र के मालिक, वकीलों एवं उनके दलाल, व्यापारी, नेता, एन.जी.ओ. संचालक, पत्रकार आदि निवासी बन कर अपराधिक गतिविधियाँ संचालित करते मिले या बताए गए। अनेक आवासों में लगे तालों के आवण्टियों के बारे में पता चला है कि इन आवण्टियों के निजी मकान हैं और वे अपने निजी मकान में सपरिवार रहते हैं एवं जब कभी यहाँ एस करने आते हैं। कुछ आवासों को किराए पर भी उठाया गया है। अधिकाँश आवासों में कूलर, फ्रिज, हीटर, कपड़ों की प्रेस, डिस, रंगीन टी.वी, इन्वर्टर, सोफे, कीमती बेड, मोटर साइकिल आदि का स्वामित्व सहित पैतृक मकान, जमीन, प्लॉट, सम्पत्ति नगर एवं गाँव स्थित हैं। कुछ बाहरी जमींदारों ने गाय-भैंस डेरी, दूकान, गैरेज व्यापार से अतिक्रमण कर गन्दगी फैला रखी है। आवासों में संचालित ज्ञानशाला स्कूलों का व्यापार सरकारी स्कूलों की शिक्षा एवं गरीबों के घातक है। इनके भय, दहशत एवं उपद्रव से गरीब बुरी तरह से प्रभावित और उत्पीड़ित हो रहे हैं।

‘जनसामान्य’ के लिए बनी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक विकास की योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन के अवलोकन-निरीक्षण के परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य जन के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाएँ एवं साधन स्वार्थी, विध्वंशक, नाशक, धनी, ठगों और संगठित अपराधियों की सुख-सुविधाओं तथा आय के साधन बन गए हैं। इस सम्बन्ध में निरीक्षण तथ्य यह बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दुःखी, वृद्ध, बीमारी ग्रसित लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और यदि कोई ऐसे लोगों की सहायता करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर शेष नहीं रखते हैं।

मानक विहीन व्यवस्था ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। काशीराम शहरी गरीब आवासों में फर्रुखाबाद नगर क्षेत्र के वास्तविक दरिद्रों यथा भडगड्डों, भिखारियों, कंजडों, जोगियों, नटों, असहाय विधवाओं, असहाय विकलांगों का अभाव एवं अपात्रता से काशीराम शहरी गरीब आवास योजना व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। काशीराम शहरी गरीब आवासों का विक्रय, अवैध कब्जा, अवैध व्यापार, अपराधिक गतिविधियाँ, अराजकता, फर्जी गरीब बने रहीं का कब्जा, अवैध वसूली आदि से देश की विकास योजनाएँ बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। सरकारी कार्यों के विज्ञापनों में दिखावा ज्यादा हो रहा है तथा गरीबों एवं उनके प्रतिपाल्यों के हितों की उपेक्षा एवं शोषण अधिक रहा है। सरकारी योजनाओं का संचालन भारी फर्जी गरीबों एवं सम्बन्धित अधिकारियों एवं नेता-दलालों के वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण अति आवश्यक है।

काशीराम शहरी गरीब आवासों में मानक प्रतिकूल बने आवण्टियों एवं अपात्र निवासियों तथा अवैध कब्जा धारकों को तत्काल आवासों से निकाल (बेदखल) कर उनके विरुद्ध वैधानिक दण्डनीय कार्यवाही होनी चाहिए। निजी लेण्टर धारियों, गाँव-नगर में चल-अचल या पैतृक सम्पत्ति, व्यापारियों, नौकरी करने वालों, मूल निवास-पता छुपाकर अपनी पत्नी के घर का निवास बताकर आवास पाने वालों, सक्षम व्यक्ति द्वारा पति या पत्नी की नाम से आवास पाने वालों, फ्रिज-कूलर-मोटरसाइकिल- व्यापार-प्लॉट धारकों, माता-पिता-पुत्र-पत्नी द्वारा अलग-अलग अनेक आवासों के आबंटनों, गैरजनपदी, गौर-प्रदेशीय, गैर क्षेत्रीय लोगों के आबंटन, आवासों के क्रय-विक्रय-किराए के आधार पर निवासियों के कब्जों के विरुद्ध तत्काल दण्डनीय कार्यवाही करके आवण्टन निरस्त किया जाना चाहिए। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु शिक्षा के मानक एवं प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है।

तालिका -1: फर्रुखाबाद जनपद के काशीराम शहरी गरीब आवासों के निर्मित भवनों एवं उनके निवासियों की स्थिति

क्र	योजना	स्थल	ब्लाक	ब्लाक आवास	निरीक्षितआवास	आवंटी स्थिति	निवासियोंकीस्थिति	विशेषनिष्कर्ष
1	शहरीगरीबआवास	हैवतपुर	81	16	1296	लॉक/बेंचपलायन	क्रयकर अवैधकब्जे	80-90:अपात्र
2	शहरीगरीबआवास	टाउनहाल	14	12	168	लॉक/बेंचपलायन	क्रयकर अवैधकब्जे	70-85:अपात्र
3	शहरीगरीबआवास	बंधौआ	3	12	36	लॉक/बेंचपलायन	क्रयकर अवैधकब्जे	75-80:अपात्र
कुल	शहरीगरीबआवास	फर्रुखाबाद	98	4तल/3तल/3तल	1500	लॉक/बेंचपलायन	क्रयकर अवैधकब्जे	75-87 अपात्र


तालिका -2: निरीक्षण-जनसंपर्क अनुसार, फर्रुखाबाद जिल के काशीराम शहरी गरीब आवासों के निर्मित भवनों एवं आबंटियों की स्थिति

क्र	योजना	स्थल	आवास	ब्लाक	आवासआवंटियोंकी वर्ग स्थिति अ,सामा,पिछडे,अज	आबंटियोंकीधर्मस्थिति हिंदू मुस्लिमसिख ईसा	आवंटियों की जाति वर्तमान स्थिति
1	शहरीगरीबआवास	हैवतपुर	1296	81	212,536,437,95,06	964, 329, 02, 01	अनु.धो.9,बा.4,कठे17,कसई6,पासी1,जाट66,कंज7,नट1 पिछडाअहीर8,बढई15,कहार110,कुर्मी1,लोधी21,भुर्जी26 तंबोली14,26,पाल12,पट1,तेली12,काछी28,नाई27,चिक1, माली1,कुंहार24,मला1,लु.2,धुनह18,मनि14,फकी9,रंगेय6 सामठाकुर12,कुश2,पमार2,चौह13,रठौर11,सोम2,भदौ4, शुक्ल15,दुबे16,तिवरी16,मिश्र35,दीक्षत1,पांडे4,पंडित26, पाठ1,चौबे2,जोशी2,अवस्थी2,बाज3,अग्निहोत्री3,गौड2, वैश्य50काय21,सुनार39,शिया2,खान13,शेख11,बवर्ची2, मिसी1,मिर्जा6,हलवई4,पठान129,सिद्दीक6,दर्जी4सुमी1, सैयद19,उस्मा1,अंसार50,हास्मी3अब्बास4सिख1ईस1
2	शहरीगरीबआवास	टा.हाल	168	14	16,7, 40,103, 02	164, 04, 00, 00	अनु.धोबी5,बाल्मी7,कठे9,कोरी17,,जाटव64,कंज1,नट4 पिछडाखटिक1,बढई3,काछी3,लोधी3,भुर्जी1,कहार22, कुर्मी1,नाई4,अहीर1,अज्ञात7जिनमें1पिछडा,1अनुसूचित सामान्य पंडित1,ठाकुर1,सुनार1,पठान4,शेषविवरणनहीं
3	शहरीगरीबआवास	बंधौआ	36	3	27, 0, 0, 09, 00	9, 00, 00, 00	अनुसूचितजाति 9, पिछडा 0, सामान्य 0, अज्ञात-27
कुल	गरीबआवास	फर्रुखा	1500	98	255,543,477,206,8	1141, 00, 02, 01	अनुजा.206, पिछ.477,सामा.543,जनजा.8,अज्ञात 255

तलिका -3: निरीक्षण-जनसम्पर्क अनुसार, फर्रुखाबाद जिले के काशीराम शहरी गरीब आवासों के भवनों में वर्तमान निवासियों की स्थिति

क्र	स्थल/विवरण	बंधौ-फते आ.नि. स्थि	टाउनहाल-रकाबगंज-फर्रुखाबा केआबंटी-निवासियों की स्थिति	हैवतपुर गढ़िया आबंटी एवं निवासियों की स्थिति	कुल योग
1	कुल आवास	36	168	1296	1500
2	कुल ब्लॉक	3	14	81	98
3	प्रत्येक तलीय आवास	4	4	4	4
4	भवन की मंजिलें	3	3	4	3/4
5	आवंटी-निवासीविवरण मिला	9	152	1081	1145
6	आवंटी-निवासी विव अप्राप्त	27 (लाक)	16 (लाक)	212 (लाक)	255 (लाक)
7	आबंटी-निवासी सामान्य वर्ग	0	7	536	543
8	आबंटी-निवासी पिछड़ा वर्ग	0	40	437	477
9	आबंटी-निवासी अनु.जातिवर्ग	9	103	95	207
10	आबंटी-निवासीअ.जन.जातिवर्ग	0	2	6	8
11	आबंटी-निवासी अज्ञात जातिवर्ग	27 (लाक)	16 (लाक)	212 (लाक)	255 (लाक)
12	आबंटी-निवासी हिन्दू मिले	9	152	964	1125
13	आबंटी-निवासी मुस्लिम मिले	0	4	329	333
14	आबंटी-निवासी सिख मिले	0	0	2	2
15	आबंटी-निवासी ईसाई मिले	0	0	1	1
16	तला बंद मिले अवास	27	39	349	415
17	आबंटीद्वारा बेंचे गए सर.आवास	अज्ञात	41 (स्वीकृतकथन)	185 (स्वीकृतकथन)	226
18	झोपड़ी डालकर अवैध कब्जा	0	13	11	24
19	पशु-डेरी व्यापार-अतिफ्रमण	1	1	3	5
20	गैरेज,दूकान,तोड़फोड़ कर कब्जा	1	14	15 प्लस	30 प्लस
21	आवासों में कुत्ता पालन केंद्र	0	1	0	1
22	आवास ज्ञानशालास्कूलकों रेंटपर	0	0	5	5
23	आवास में ब्यूटीपार्लर व्यापारकेंद्र	0	3	2+	5+
24	सरकारीप्राइमरी/जूनियर स्कूल	अभाव	अभाव	अभाव	अभाव
25	सरकारी स्वास्थ्य मातृ सुरक्षाकेंद्र	0	0	0	0
26	आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन	नहीं मिला	नहीं मिला	नहीं मिला	0
27	समिति-प्रशासनिक निगरानी	उपेक्षा	उपेक्षा	उपेक्षा	उपेक्षा
28	राशन कोटा-वितरण दूकान	अज्ञात	अज्ञात	यदाकदाखुलती-अनियमित	अनियमित
29	पुलिस सुरक्षा केंद्र/पुलिसचौकी	उपेक्षा	उपेक्षा	कर्मचारी विहीन पुलिस चौकी	उपेक्षा
31	उपभोक्ताओंद्वारा राशन उपभोग	संदिग्ध	संदिग्ध	तेल-अनाज व्यापारीको बेचते	दुरुपयोग
32	आवंटी,निवासीकी वर्तमानस्थिति	अधोलिखित	अधोलिखित	अधोलिखित	अधोलिखित
33	(1) अन्य राज्यों के निवासी	0(27 का विवरण अज्ञात)	5	अनेक(पत्नीमाइके,फजी पतेपर	अधिकांश
34	(2) अन्य जनपदों के निवासी	0(27 का विवरण अज्ञात)	15	44+ (पत्नीमाइके,फजी पतेपर	अधिकांश
35	(3) अन्य नगर-क्षेत्र के निवासी	0(27 का विवरण अज्ञात)	19	29+(पत्नीमाइके,फजी पतेपर	अधिकांश
36	(4) जनपदके ग्रामों के निवासी	7(27 का विवरण अज्ञात)	5	33+(पत्नीमाइके,फजी पतेपर	अधिकांश
37	(5) आवंटी एन.जी.ओ.संचालक	0	0	9	9+
38	(5) आवंटी धनी परिवार			17	17
39	(6) आवंटी होमगार्ड जवान		2	2	4
41	(6) शराबी-उपद्रवी			2	2+
42	(7) आवासों का दुरुपयोग करते		12	271	283+
43	(8) आवंटी स.रा.दूकान कोटेदार			1	1
44	(9) बाहरी व्यक्ति		43+	141+	184
45	(10) बड़े रहीस/रहीस		9+	113	122
46	(11) सरकारी शिक्षक		3	4+	7+

47	(12) विद्युत कर्मी नौकरी			2+	2
48	(13) फ्रिज,कूलर,डिस,मो.सा.गैस	6	अधिकांशनिवा.-परिवार के पास	173फ्रिज,46कूलरखुलेमेंरखेमिले	60-90प्र. केघर
49	(14) स्वास्थ्य विभाग चपरासी	1		सी.एम.ओ.फर्रु,1,अस्पताल	1 3
50	(15) ग्राम सभा के सफाई कर्मी		3		3
51	(16) सभासद की माता-पिता		1सभासद का बेटा	1+ (भाई-परिजन आदि)	2+भाई आदि
52	(17) पैट्रिक लेंटर मकान स्वामी	5 (27का विवरण नहीं मिला)	10	6	21
53	(18) प्राईवेट नौकरी	2	37	7	46
54	(19)डबलआवंटन / अनेकआवास			32	32+
55	(20) सक्षम परिवार	2	5 के लडके सक्षम	228	235+
56	(21) अति संदिग्ध व्यक्ति			4	4
57	(22) दूकानदार / व्यापारी	1	49	22	72
58	(23) भोग विलास की वस्तुएं		डिस,रंगीनटी.वी.आदि अधिकांशघरमें	डिस,रंगीनटीवी अधिकांश घर	अधिकांशघर में
59	(24) व्यापार केन्द्र			7	7
60	(25) आबंटी-निवासीकेफर्जीप्रपत्र		अधिकांश	स्टांप,फोटोस्टे,नोटरी,वोटरकार्ड	अधिकांशप्रपत्र
61	(26) अपराध / अराजक केंद्र			2	2
62	(27) नाबालिग को आबंटन			1 जिसके माता पिता सक्षम	फर्जीबाडा
63	(28) नर्स-कंपाउंडर			3	3
64	(29) आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री / सहा		3	2+	5+
65	(30) फर्रुखाबाद नगर में लेंटर		31+	192	213+
66	(6) आवासों पर अवैध कब्जा		42+	289+	331+
67	(6) गांवों में जमीन,मकान,संपत्ति	4	7	33+	44+
68	(6) निजी टैंपो मालिक		3	19	22
69	(6) गरीब-असहाय		1भिखारी,6मजदूर,1मूक,3अन्य,1असहाय	45	57
70	(6) ठेकेदार / राजनेता		1नगरपालिका फर्रु.में ठेकेदार	बीएसपी.,सपा के अध्यक्ष आदि	फर्जीगरीब
71	(6) पत्रकार / दलाल	1 मुंशी फतेहगढकोर्ट	1 पत्र., अनेक दला, तहसी. मुंशी	फौजी,6पत्रकार,1आरटीओआ, मुंशी	10+
72	(6) सरकारी नौकरी	1 समाजकल्याणविभाग	2 उत्तर प्रदेश पुलिस	1डूडा विभाग फर्रुखा. मेंचालक	4



मानचित्र: काशीराम शहरी गरीब आवास हैवतपुर गढिया, जनपद फरुखाबाद, उ.प्र.

निष्कर्ष: निरीक्षण-जनसम्पर्क सहित संलग्नक निरीक्षण-तालिका के निष्कर्ष स्वरूप प्रमाणित है कि फरुखाबाद जनपद के काशीराम शहरी गरीब आवासों के आबंटियों एवं निवासियों में लगभग 80% से 90% मानक प्रतिकूल एवं अपात्र हैं और फर्जी प्रपत्रों एवं फर्जी गरीब बनकर आवास कब्जा धारक बने हुए हैं तथा मानक अनुरूप पात्र दरिद्रों का अभाव है। इस स्थिति की पूर्ण संभावनाओं से उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य जनपदों के काशीराम शहरी गरीब आवासों के आवण्टनों एवं निवासियों की स्थिति से नकारा नहीं जा सकता है।

सुझाव: फरुखाबाद सहित सभी जनपदों के काशीराम शहरी गरीब आवासों के मानक प्रतिकूल एवं अपात्र आबंटियों और निवासियों तथा फर्जी प्रपत्रों एवं फर्जी गरीब बनकर आवासों में अवैध-कब्जा धारकों के विरुद्ध बेदखल सहित दण्डनीय एवं वसूली वैधानिक कार्यवाही तत्काल होनी चाहिए। फर्जी गरीबों एवं अपात्रों के आवण्टनों तथा खरीद-फरोख्त कर अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों एवं अवैध कब्जेदारों सहित आवास क्रय-विक्रय करने वालों के विरुद्ध दण्डनीय वैधानिक कार्यवाही तत्काल होनी चाहिए। अपात्र-अवैध कब्जेदारों को बेदखल कर पात्र दरिद्रों को उक्त आवासों का आवण्टन होना चाहिए। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु मानकों-प्रावधानों का अनुपालन जबाबदेह होना चाहिए।

खाद्य अधिकार की सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

रोटी, कपड़ा और मकान जनता की आधारभूत आवश्यकताएँ हैं। इन तीनों में भोजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भोजन के बिना मनुष्य का जीवित रहना सम्भव नहीं है। अतः रोटी और रोटी देना प्रत्येक सरकार का पुनीत कर्तव्य है। इसकी पूर्ति किये बिना किसी भी व्यक्ति अथवा सरकार का बना रहना असम्भव है। दूसरे, यदि भोजन गुणात्मक दृष्टि से हीन है तो जनता का स्वास्थ्य गिर जाता है जिससे उनकी कार्य क्षमता घट जाती है। तीसरे, खाद्यान्नों का अभाव होने से उनका आयात करना पड़ता है जिससे विदेशी विनिमय का अभाव हो जाता है और देश का विकास कार्य अवरुद्ध हो जाता है।

खाद्य अधिकार की सुरक्षा का अर्थ है सभी व्यक्तियों को सभी समयों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न (भोजन) उपलब्ध कराना ताकि वे सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि न केवल समग्र स्तरों पर खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो बल्कि व्यक्तियों या परिवारों के पास उपयुक्त क्रय शक्ति भी हो ताकि वे आवश्यकतानुसार खाद्यान्न क्रय कर सकें। जहाँ तक पर्याप्त मात्रा का सम्बन्ध है, इसके दो पहलू हैं: (1) मात्रात्मक पहलू (इस रूप में अर्थव्यवस्था में खाद्य-उपलब्धि इतनी हो कि माँग की पूर्ति कर सके), तथा (2) गुणात्मक पहलू (इस रूप में कि जनसंख्या की पोषण आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें)। जहाँ तक उपयुक्त क्रय शक्ति का प्रश्न है, इसके लिए आवश्यक है कि पोषण शक्ति में वृद्धि की जा सके। खाद्य सुरक्षा की मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने तीन खाद्य-आधारित सुरक्षा जाल अपनाए हैं: (1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (2) समेकित बाल विकास सेवाएँ, (3) दोपहर भोजन कार्यक्रम।

स्वतन्त्रता के बाद के वर्षों में खाद्यान्न की अत्यधिक कमी के फलस्वरूप सरकार की खाद्य नीति का उद्देश्य खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद खाद्यान्नों के उत्पादन में (गेहूँ एवं चावल में) तेज वृद्धि हुई है। इससे अर्थव्यवस्था अब खाद्यान्नों की समग्र कमी की समस्या का सामना कर पाने में सफल हो सकी है तथा सूखे जैसी स्थिति का सामना करने के लिए सरकार के पास खाद्यान्नों के पर्याप्त भण्डार हैं। वस्तुतः जैसा कि, आर. राधाकृष्ण ने कहा है, भारत 1970 के दशक में ही खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता की स्थिति पा चुका है तथा इस स्थिति को लगातार बनाए रखने में सफल रहा है। सरकार ने काफी बड़ी मात्रा में भारतीय खाद्य निगम की सहायता से खाद्यान्नों के भण्डार जमा किए हैं और इन भण्डारों में से व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है। हाल के कुछ वर्षों में तो ये भण्डार न्यूनतम मानदण्डों की तुलना में काफी अधिक थे जिससे अतिरिक्त भण्डार की समस्या पैदा हो गई थी। 1 जुलाई 2013 को सरकार के पास गेहूँ के 42.2 लाख टन तथा चावल के 31.5 लाख टन के भण्डार थे। इस प्रकार इन दो खाद्यान्नों के कुल भण्डार 73.91 लाख टन तक पहुँच गए। ये स्टाक न्यूनतम मानदण्डों की तुलना में बहुत अधिक हैं (न्यूनतम मानदण्ड के अनुसार, जुलाई-सितम्बर की तिमाही में गेहूँ के 20.1 लाख तथा चावल के 11.8 लाख टन भण्डार की आवश्यकता थी)।

यद्यपि खाद्यान्नों के विपुल भंडारों के कारण स्थिति सन्तोषजनक दिखाई देती है तथापि चिन्ता के कुछ कारण अवश्य हैं विशेषकों के अनुसार जहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या तथा बढ़ते हुए आय स्तरों के कारण, गेहूँ के उपभोग में आने वाले वर्षों में काफी वृद्धि अपेक्षित है (वर्ष 2014-15 में लगभग 90 मिलियन टन) वहाँ गेहूँ के उत्पादन को बढ़ाने की सम्भावनाएँ बहुत कम रहीं क्योंकि न तो गेहूँ में वृद्धि होना सम्भव लग रहा है और न ही गेहूँ की उत्पादकता में। जहाँ तक चावल का सम्बन्ध है, पिछले कुछ वर्षों में उसका उत्पादन उपभोग से अधिक रहा है (2002-03 को छोड़कर)। परन्तु 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध से चावल की उत्पादकता 2000 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर के आस-पास टिकी हुई है। इसलिए अनेक व्यक्तियों का विश्वास है कि चावल उत्पादन का स्तर भी अपनी सर्वोच्च सीमा छू रहा है। जहाँ तक दालों तथा खाद्य-तेलों का प्रश्न है, भारत पहले ही इनका काफी मात्रा में आयात कर रहा है।

मात्रात्मक पहलू से भी अधिक गम्भीर गुणात्मक पहलू हैं यह बात निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाएगी।

- 1) विश्व भूखमरी सूचकांक 2013 के अनुसार, कुल 78 विकासशील देशों में भारत का 63-वाँ स्थान था, चीन का 64-वाँ स्थान, पाकिस्तान का 57-वाँ स्थान, नेपाल का 18-वाँ स्थान, श्रीलंका का स्थान 13-वाँ था। इस प्रकार वह भी भारत से ऊपर थे।
- 2) वर्ष 2013 में भारत का भूखमरी सूचकांक मान 21.3 था जो एक 'अत्यन्त चिन्ताजनक' स्थिति का द्योतक है। (20 से 29.9 के मध्य भूख सूचकांक का मान वाले देशों की गणना 'अत्यन्त चिन्ताजनक' स्थिति वाले देशों में की जाती है)।
- 3) वैश्विक स्तर पर 2011-13 के दौरान 89.2 करोड़ व्यक्ति 'भयंकर भूख' के शिकार थे, जिन्हें एक स्वस्थ एवं अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए उपयुक्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं था। इसमें से 21.38 करोड़ (एक चौथाई से अधिक) भारत में थे।
- 4) 2010-12 की अवधि में भारत में जनसंख्या का 17.5% अल्पपोषित था अर्थात् प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति।
- 5) 2008-12 की अवधि में 5 वर्ष से कम आयु के 40.2% बच्चे कम वजन के शिकार थे।
- 6) 2011 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर 6.1% थी।
- 7) N.S.S.O. के 66-वें दौर के अनुसार, कैलोरी के रूप में व्यक्ति पोषण 1993-94 में 2153 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन था। 2009-10 में यह कम होकर ग्रामीण क्षेत्रों में 2020 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों में 1946 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रह गया।
- 8) तीसरा तथा अंतिम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005-06 के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में से लगभग आधे

बच्चे अवरुद्ध विकास के शिकार थे जिसका अर्थ यह है कि काफी समय से अल्पपोषण की स्थिति में गुजर रहे थे। 20: बच्चे अपनी लम्बाई के मुकाबले बहुत दुबले-पतले थे जिसका कारण अपर्याप्त भोजन हो सकता है या हाल की बीमारी। जीवन के प्रथम 6 मास में भी, जब अधिकतर बच्चे स्तनपान पर निर्भर होते हैं, 20 में 30% बच्चे अल्पपोषण के शिकार थे।

- 9) रक्त की कमी या रक्तक्षीणता भारत में एक मुख्य स्वास्थ्य समस्या है, विशेष रूप में स्त्रियों और बच्चों के लिए। तीसरे N.E.H.S. के अनुसार 6-59 मास के मध्य आयु के बच्चों का 70% रक्त की कमी का शिकार था। जहाँ तक स्त्रियों का सम्बन्ध है, उनका 35% रक्तक्षीणता का शिकार था।

गुणात्मक पहलू के आधार जनसाधारण को खाद्यान्न कम मात्रा में ही नहीं मिला वरन् खाद्यान्न गुणात्मक दृष्टि से भी उत्तम नहीं होते। आहार विशेषज्ञों का कहना है कि एक सन्तुलित भोजन में 3000 कैलोरीज होनी चाहिये, परन्तु भारत में जो भोजन सामान्य रूप से प्राप्त होता है उसमें केवल 2000 कैलोरीज होती है। डॉ. सुखात्मे के अनुसार, “भारतीय नागरिकों को जितने पौष्टिक तत्त्व मिलने चाहिए उनकी अपेक्षा उन्हें कम ही तत्त्व मिलते हैं।”

भारत में पिछले दो दशकों में प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग में तेज गिरावट भी दिखाई देती है। आर्थिक समृद्धि तथा पौषणिक परिणामों के मध्य सम्बन्ध के सन्दर्भ में भारत का अनुभव एक ‘वैश्विक पहेली’ माना जा रहा है। जहाँ विश्व का अनुभव यह रहा है कि अल्पपोषण में गिरावट सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि से लगभग आधी दर पर होती है, वहाँ भारत में 1990 से 2005 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में तो 4.2% प्रति वर्ष की संवृद्धि हुई परन्तु अल्पपोषण में गिरावट मात्र 0.63 हुई।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें उनकी बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके तथा जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर प्राप्त करने में सहायता दी जा सके। इस प्रणाली को चलाने के लिए सरकार व्यापारियों या मिलों तथा उत्पादकों से वसूली कीमतों पर वस्तुएं खरीदती है। इस प्रकार जो खरीद की जाती है इसका वितरण उचित दर दूकानों और राशन की दूकानों के माध्यम से किया जाता है। कुछ वसूली प्रतिरोधक भण्डारों के निर्माण के लिए रख ली जाती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग खाद्य तेलों, चीना, कोयला, मिट्टी का तेल तथा कपड़े के वितरण के लिए भी किया जाता है। इस प्रणाली में सम्पूर्ण जनसंख्या को शामिल किया गया है। अर्थात् इसे किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रखा गया है। जिन परिवारों के पास घरेलू पता है उन सबको राशन-कार्ड दिए गए हैं। उचित दर की दूकानों की संख्या 1960 के अन्त तक 0.47 लाख थी जो 1985 में 3.12 लाख पहुँच गई। अब इनकी संख्या 4.74 लाख है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 16 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष 30000 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का वितरण किया जाता है। सम्भवतः विश्व में अपनी तरह की यह सबसे बड़ी वितरण प्रणाली है।

विगत दशकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबण्टन एवं उठान के बढ़ते हुए अन्तर का मुख्य कारण यह था कि इस प्रणाली से निर्गमन कीमतें हाल के वर्षों में काफी बढ़ाई गईं, जिससे इन कीमतों का बाजार कीमतों से अन्तर बहुत कम रह गया। कम अन्तर के कारण आम परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज क्रय के स्थान पर बाजार से अनाज क्रय करने लगे। उदाहरण के लिए वर्ष 1990 से वर्ष 1994 के मध्य चावल एवं गेहूँ की निर्गमन कीमतों में 4 बार वृद्धि की गई जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1994 में चावल की निर्गमन कीमतें, वर्ष 1989 की अपेक्षा 2 गुनी से भी अधिक एवं गेहूँ की निर्गमन कीमत लगभग 2 गुनी हो गई। जनवरी 1991 में दिल्ली में गेहूँ बाजार कीमत और निर्गमन कीमत में 47.17% का अन्तर था जो फरवरी 1994 में कम होकर मात्र 8.21% रह गया। वर्ष 1994 में निर्धारित कीमत मई 1997 तक बनी रहीं। जून 1997 में सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना लागू की जिसके तहत दोहरी कीमत संरचना लागू की गई। इसके अन्तर्गत, दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वालों के लिए निर्गमन कीमत की आर्थिक लागत का 50% रखा गया जब कि दरिद्रता रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए इसे आर्थिक लागत के बराबर रखा गया। चूँकि दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए निर्गमन कीमत बाजार कीमत के बहुत करीब थी। अतः इन परिवारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खरीद बहुत कम कर दी। इससे सरकार के पास खाद्यान्न भण्डार और बढ़ गए। इस समस्या के निदान के लिए सरकार ने जुलाई 2001 में दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए निर्गमन कीमत को 30% कम कर दिया अर्थात् इन व्यक्तियों के लिए निर्गमन कीमत को आर्थिक लागत का 70% निर्धारित किया गया।

खाद्य सहायता के बढ़ते हुए भार को कम करने के उद्देश्य से तथा उसे उन व्यक्तियों तक बेहतर तरीके से पहुँचाने के लिए जिन्हें उसकी अधिक आवश्यकता है, भारत सरकार ने 1 जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक योजना (T.P.D.S.) लागू की। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों से दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कहा गया। इस दरिद्रता रेखा से नीचे उन परिवारों को रखने की व्यवस्था थी जिनकी आर्थिक आय 15000 रुपए से कम थी। शुरु में प्रति परिवार 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह देने की व्यवस्था की गई जिसे बाद में बढ़ाकर 25 किलोग्राम कर दिया गया। 1 अप्रैल 2002 में राशन की मात्रा और बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति मास प्रति व्यक्ति कर दी गई।

जहाँ तक दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले और ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए निर्गमन कीमतों का सम्बन्ध है, उनमें काफी अन्तर रखा गया। मार्च 2000 में सरकार ने निर्गमन कीमत को दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत का 50% और दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए आर्थिक लागत के बराबर निश्चित कर दिया। उदाहरण के लिए, गेहूँ के लिए भारतीय खाद्य निगम की 2000-01 में आर्थिक लागत 830 रुपए क्विण्टल थी। इसलिए दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए निर्गमन कीमत 415 रुपए प्रति क्विण्टल अर्थात् 4.15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए निर्गमन कीमत 830 रुपए प्रति क्विण्टल अर्थात् 8.30 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित कर दी गई। चावल के लिए भारतीय खाद्य निगम की 2000-01 में आर्थिक लागत 1130 रुपए क्विण्टल थी। इसलिए दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के

लिए निर्गमन कीमत 563 रुपए प्रति क्विण्टल अर्थात् 5.65 रुपए प्रति किलोग्राम तथा दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए निर्गमन कीमत 1130 रुपए प्रति क्विण्टल अर्थात् 11.30 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित कर दी गई। दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए इन ऊँची कीमतों का निर्धारण करने से इन परिवारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खरीदारी बहुत कम कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय खाद्य निगम के पास अनाज के भारी भण्डार जमा हो गए। इस समस्या के निदान करने के लिए सरकार ने दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए निर्गमन कीमत को कम कर दिया। 1 जुलाई, 2002 से अब निर्गमन कीमतें (2002 से अब तक अपरिवर्तित) हैं:—(1) दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए गेहूँ की कीमत 6.10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा चावल की कीमत 8.30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा (2) दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए गेहूँ की कीमत 4.15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा चावल की कीमत 5.65 रुपए प्रति किलोग्राम।

ऊपर दी गई दो निर्गमन कीमतों (एक दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए तथा दूसरी दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए) के अतिरिक्त दिसम्बर-2000 में एक और निर्गमन कीमत निश्चित की गई जब सरकार ने अन्त्योदय अन्न योजना लागू किया। इस योजना के तहत दरिद्र 2.43 करोड़ परिवारों को गेहूँ 2 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल 3 रुपए प्रति किलो ग्राम की कीमत पर दिया जाता है।

दरिद्रता रेखा से नीचे परिवारों तथा अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत शामिल कुल 6.52 करोड़ परिवारों को 35 किग्रा प्रति मास की दर से खाद्यान्न दिए जाते हैं। दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को अलग-अलग राज्यों में 15 किग्रा प्रति मास से 35 किग्रा के मध्य खाद्यान्न दिए जाते हैं। वर्ष 2012-13 में सरकार ने कुल 627.67 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया—अन्त्योदय, B.P.L. एवं A.P.L. परिवारों के लिए T.P.D.S. के अन्तर्गत 499.42 लाख टन का एवं कल्याणगत कार्यक्रमों (एकीकृत बाल विकास संस्थानों, दोपहर भोजन योजना, अन्नपूर्णा इत्यादि) के लिए 49.29 लाख टन।

लक्षित सार्वजनिक प्रणाली कई आधार पर असफल सिद्ध हुई है। यह वास्तविक दरिद्रों तक पहुँचने में एवं उन्हें उचित कीमतों पर अनाज उपलब्ध कराने में असफल रही है। यह खाद्य सहायता का भार कम नहीं कर पाई है। उसने सम्पूर्ण खाद्य आपूर्ति प्रणाली को कमजोर बनाया है तथा कई उचित दर दूकानों की लाभोत्पादकता कम करके उन्हें बन्द करने को बाध्य किया है। उसके कारण, विभिन्न राज्यों के मध्य खाद्यान्न आबंटन की व्यवस्था गड़बड़ा गई है जिससे पूर्ति की आधिक्य राज्यों से पूर्ति की कमी वाले राज्यों की ओर खाद्यान्न—हस्तान्तरण व्यवस्था कमजोर हुई है। इतना ही नहीं, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण भ्रष्टाचार एवं गड़बड़ियों में वृद्धि हुई है।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष **मोण्टेक सिंह अहलूवालिया** की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने मार्च-2011 में यह सुझाव दिया है कि खाद्यान्नों के स्थान पर दरिद्रों के लिए इलेक्ट्रानिक्स खातों में प्रति मास एक निर्धारित मुद्रा राशि का अन्तरण किया जाना चाहिए और उन्हें यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे मुद्रा राशि से उचित मूल्य की दूकानों से अपनी पसन्द की वस्तुएँ क्रय कर सकें। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया है कि सरकार आर्थिक सहायता राशि को सीधे विशिष्ट सूचक (यूनिक आइडेण्टिफिकेशन) या आधार नम्बर से जुड़े स्मार्ट कार्ड में अन्तर्लित करे और यह स्मार्ट कार्ड परिवार में 18 वर्ष की आयु से अधिक किसी महिला सदस्य के नाम हो। आर्थिक सहायता की मात्रा, खाद्यान्न की न्यूनतम कीमत तथा उचित दर मूल्य की दूकान पर उस खाद्यान्न की कीमत के बीच के अन्तर के बराबर हो। इसका अर्थ यह होगा कि दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की खाद्यान्न उपलब्धि की मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत प्रति मास 280 से 300 रुपए की आर्थिक सहायता देनी होगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013: प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को हर समय पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने हेतु खाद्यान्न के सार्वजनिक वितरण के माध्यम से उपयुक्त व्यवस्था करना है। क्योंकि भूख से, कुपोषण से तथा इनसे जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सिफारिश की है कि परिवार के अनुसार खाद्यान्नों का अधिकार निर्धारित करने के स्थान पर व्यक्ति के अनुसार खाद्यान्ना का अधिकार निर्धारित होना चाहिए। इसके पक्ष में परिषद ने निम्नलिखित 2 तर्क दिए।

1. प्रति व्यक्ति खाद्यान्न अधिकार अधिक न्यायोचित है, जिन परिवारों में व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी उनके खाद्यान्न सम्बन्धी अधिकार भी अधिक होंगे तथा
2. व्यक्ति को आधार बनाने पर परिवारों की सही संख्या का अनुमान लगाने की समस्या समाप्त हो जाएगी। सही अनुमान लगाना अक्सर दुरुह होता है और उसमें गड़बड़ी करने की काफी सम्भावना होती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 22 सितम्बर 2011 को लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 75% ग्रामीण एवं 50% शहरी जनता को सस्ती कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा स्त्रियों और बच्चों की पोषण सहायता प्रदान करने व्यवस्था की गई है। विधेयक को पेश करने के बाद उसे एक विशिष्ट कमेटी को सौंपा गया ताकि उसकी विभिन्न धाराओं पर पुनः विचार किया जा सके। कई सुझावों के प्रकाश में संशोधन किए गए और संशोधित राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक 2013 में पेश किया गया। 12 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए और यह कानून बन गया। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:—

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 75: ग्रामीण तथा 50% शहरी जनसंख्या को टी.पी.डी.एस. के माध्यम से सस्ती कीमतों खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है।
2. लाभभोगी को 1 माह में 5 किग्रा चावल, गेहूँ या मोटे अनाज की पूर्ति क्रमशः तीन रुपया, दो रुपया, 1 रुपया प्रति किग्रा की दर पर की जाएगी। लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया

जाएगा। इस प्रकार परिवारों के स्थान पर व्यक्ति अनुसार खाद्यान्नों का अधिकार स्थापित किया जाएगा।

3. खाद्यान्नों की कीमत शुरू में 3 वर्षों तक लागू रहेगी उसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर उनका निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि न्यूनतम समर्थ कीमतों से अधिक न हो।
4. यद्यपि अधिनियम में खाद्यान्न की मात्रा को पूर्व विधेयक में निर्धारित मात्रा सात किग्रा से घटाकर पाँच किग्रा कर दी गयी है तथापि अन्त्योदय, बी.पी.एल. अन्न योजना के अन्तर्गत 2.43 करोड़ निम्नतम परिवारों को दिए जाने वाले अनाज में कोई कमी नहीं की गई है। अर्थात् इन परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार के हिसाब से खाद्यान्न मिलते रहेंगे।
5. अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवारों की शिनाख्त राज्य सरकारें करेंगी और यह काम 365 दिन के अन्दर करना आवश्यक होगा।
6. छः माह से छः वर्ष के बच्चों के लिए अधिनियम में आयु अनुसार समुचित भोजन की गारण्टी दी गई है जिसे स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त प्रदान किया जाएगा। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन (अवकाश दिनों के अतिरिक्त) एक बार मुफ्त दोपहर भोजन दिया जाएगा। सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों के कक्षा आठ तक के बच्चों के लिए यह योजना लागू होगी। छः मास से कम आयु वाले बच्चों के लिए पूरी तरह से स्तनपान पर निर्भरता को प्रोत्साहित किया जाएगा।
7. प्रत्येक गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माता को स्थानीय आंगनबाड़ी से मुफ्त भोजन दिया जाएगा (गर्भावस्था से बच्चा जन्म से 6 माह तक) एवं किस्त में 6000 रुपए का मातृत्व लाभ दिया जाएगा।
8. विधेयक में राज्य खाद्य आयोग स्थापित करने की बात की गई है। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, पाँच अन्य सदस्य जिनमें एक सचिव, दो महिलाएँ, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना आवश्यक होगा। आयोग का मुख्य काम विधेयक कार्यान्वयन पर नजर रखना, राज्य सरकारों एवं संस्थानों को सलाह देना तथा विधेयक के उल्लंघन की जांच करना होगा।
9. अधिनियम के अधीन जिन्हें खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दिया गया उन्हें खाद्यान्न न मिलने की स्थिति में, सम्बन्धित राज्य सरकार में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
10. विधेयक में तीन अनुसूचियाँ हैं। **अनुसूची 1** में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निर्गमन कीमतों की जानकारी दी गई है। **अनुसूची 2** में दोपहर भोजन प्रणाली, घर ले जा सकने वाले राशन एवं अन्य अधिकारों के सम्बन्ध में 'पोषण मानक' परिभाषित किए गए हैं। **यथा** 6 मास से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर ले जा सकने वाले राशन में कम-से-कम 500 कैलोरी तथा 12-15 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। **अनुसूची-3** में 'खाद्य सुरक्षा को और बढ़ाने' के सुझाव हैं जिन्हें निम्न वर्गों में बाँटा गया है: (1) कृषि को पुनर्जीवन देकर उसे मजबूत बनाना (कृषि सुधार शोध एवं अनुसन्धान, लाभकारी कीमतें इत्यादि), (2) खाद्यान्नों की वसूली, भण्डारण तथा चलन (विकेंद्रित वसूली) तथा (3) अन्य सुझाव (पीने का जल, सफाई एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग एवं अकेली रहने वाली महिलाओं के लिए उपयुक्त पेन्शन की व्यवस्था)।

दरिद्रों के लिए बनी सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ-आबण्टन का वर्तमान स्वरूप

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दरिद्रों एवं असहाय व्यक्ति-परिवारों के लिए अनेक जन-कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यथा नगर एवं ग्राम क्षेत्रों के दरिद्रों हेतु सरकारी आवास, शौचालय, छात्रवृत्तियाँ, बीमा, अनुदान, निःशुल्क शिक्षा-इलाज, बिना ब्याज ऋण, कृषि अनुदान, निःशुल्क बोरिंग-हैंडपम्प, पशु-चारा अनुदान, असहाय वृद्धा-विधवा-समाजवादी-विकलांग पेन्शन, महात्मागाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी एवं **खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजना-2013** के अन्तर्गत कंगालों को पूर्व की भाँति अन्त्योदय राशन कार्ड पर 90 रुपए में 35 किलोग्राम अनाज, चीनी, किरोसिन तथा जिनकी शहरी आय तीन लाख वार्षिक एवं ग्रामीण आय दो लाख वार्षिक को पात्र गृहस्थी राशन-कार्ड देकर पाँच किलो प्रति व्यक्ति राशन वितरण उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2016 से लागू किया गया है। जब कि कुछ राज्यों में पूर्व से यह व्यवस्था लागू है। यह नियम-व्यवस्था प्रत्येक तीन वर्ष बाद विचारोन्त लागू होने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकारें बेसिक स्कूलों के छात्रों को मध्याह्न भोजन, दूध, फल तथा आंगनबाड़ी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पौष्टिक भोजन, दूध, चिकित्सा एवं नारियों को मातृत्व धारण करने के उपरान्त पैष्टिक भोजन, दूध, फल एवं प्रत्येक गर्भवती को किशतों में 6000 रुपए मुहैया करा रही हैं?

दरिद्रों की समस्याओं के निर्धारण हेतु मैंने उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के 6 नगर क्षेत्रों के सभी 117 वार्ड्स एवं 7 विकास खण्डों की 513 में 229 ग्रामसभाओं का भ्रमण एवं जनसम्पर्क कर दरिद्र व्यक्तियों की समस्याएं संग्रहित की हैं। राज्य द्वारा फर्रुखाबाद जिले के नगर-ग्राम क्षेत्रों के पंजीकृत दरिद्रों जिनमें इन्दिरा-लोहिया-कांशीराम-प्रधानमन्त्री आवास, शौचालय, वृद्धा, समाजवादी-विधवा-बिकलांग पेन्शन एवं अन्त्योदय-बी.पी.एल.राशन लाभार्थी हैं, उनके घर-घर जाकर वास्तविक स्थिति का अवलोकन कर बातचीत की है। जिसके परिणामस्वरूप सभी कार्ड धारी एवं अधिकांश बी.पी.एल.धारी तथा अधिकांश समाजवादी पेन्शनर्स अपात्र मिले हैं जिनमें अन्त्योदय अधिकांश के पास बड़े लेण्टर मकान, शहरों में हवेलियाँ, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेक्टर, श्वेसर, हेरो, द्यूबबेल, फ्रिज, कूलर, रंगीन डिस टी. वी., कम्प्यूटर्स, गैस कनेक्शन, ट्रक, दूकान, बड़े-धन्धे, उद्योग, व्यापार, नौकरी, भूमि, प्लाट्स, मिल, प्रतिष्ठान, पैष्टिक धन-सम्पत्ति आदि का स्वामित्व मिला है। असहाय विधवा-वृद्धा पेन्शनर्स में अधिकांश के लड़के-परिवार सक्षम-रहीस मिले हैं। अनेक बिकलांग पेन्शनर्स ऐसे मिले हैं जो शारीरिक रूप से पूर्ण सक्षम या शारीरिक अंगों में मामूली परिवर्तन (40% से कम) एवं पर्याप्त आय होने के बावजूद बिकलांग पेन्शन धारी हैं। दरिद्र-असहाय पेन्शनर्स में अनेक मृतक तथा एक व्यक्ति के अनेक परिजन माता-पिता,

पति-पत्नी, पुत्र-बहू, बेटी-दामाद होने के बावजूद अनेक पेंशन तथा अनेक मृतक दरिद्र पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार दरिद्रों के लिए बनीं सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ दरिद्रों के स्थान पर फर्जी दरिद्र अर्थात् रहीस लेते मिले हैं जिसके कारण जहाँ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का धन बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है वहीं वास्तविक दरिद्र सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से बंचित रहकर बुरी तरह समस्याग्रस्त है।

दरिद्रों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं में निर्धारित मानकों की उपेक्षा कर फर्रुखाबाद जनपद में पंजीकृत-फर्जी दरिद्रों द्वारा अर्थात् रहीसों द्वारा बड़ी मात्रा में दरिद्रों का गेहूँ, चावल, तेल, चीनी, सरकारी इन्दिरा-लोहिया-कांशीराम आवास, जमीन, प्लाट पट्टा, उद्योग, बीमा, समाजवादी-वृद्धा-विधवा-विकलांग पेन्शन, दान-अनुदान एवं राष्ट्रीय सम्मान आदि फर्जीबाड़ा से हड़प कर गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ की जा रही हैं। सांसद-विधायक निधियों एवं हैडपम्प तथा सरकारी विकास का धन सार्वजनिक स्थलों के स्थान पर न लगकर रहीसों के निजी आवासों, प्लाटों, प्रतिष्ठानों, स्कूलों में लगाए गए जा रहे हैं। राशन-कोटे की दूकानें रहीसों या उनके परिवार की महिलाओं या बाहरी लोगों के नाम आवण्टित होकर पैतृक विरासत के रूप में कोटा राशन-तेल ब्लैक हो रहा है। यह दूकानें नियमित न खुलकर माह में मात्र एक-दो दिन खुलकर सरकारी कर्मचारियों की अनुपस्थिति में राशन वितरण की खानापूर्ति कर रही है। इन कोटे की दूकानों का ब्लैक राशन बाजार की दूकानों पर खुले आम बिक रहा है। ग्रामों के अधिकाँश ग्राम सचिवालयों, सहकारी, स्वास्थ्य भवनों, एडिड स्कूलों में दबंग-रहीसों के ताले पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकाँश केन्द्र-उपकेन्द्रों पर चिकित्सक की जगह फार्मासिस्ट या सफाई कर्मी-आशाएँ रोगियों का इलाज कर रहे हैं जबकि अनेक चिकित्सक-कर्मचारी केन्द्र-उपकेन्द्रों पर यदा-कदा जाकर उपस्थित खानापूर्ति कर रहे हैं। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों एवं स्कूल समितियों के फर्जीबाड़ा अत्यन्त गम्भीर है। अधिकतर परिषदीय स्कूलों की पंजीकृत छात्र संख्या अधिक और वास्तविक छात्रों की संख्या-उपस्थित अत्यन्त कम रहती है। इस सम्बन्ध में बताया गया है कि अधिकाँश छात्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बावजूद उनके नाम शिक्षक नौकरी कायम रखने एवं अनुदेशकों के नाम पर वेतन भुगतान लेने के उद्देश्य मात्र से दर्ज की गई है। इन स्कूलों की स्कूल समितियों के अधिकाँश अध्यक्ष-पदाधिकारियों एवं रसोइयों की पदासीनता अमानक, अवैध एवं फर्जी है। परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अत्यन्त निम्न एवं फर्जीबाड़ा से सार्वजनिक धन-सम्पत्ति का घोटाला अत्यन्त उच्च है जहाँ छात्रों का मिड डे मील में उबले चावल देने की खानापूर्ति कर पुस्तकों, पोशाकों, साबुन, छात्र कल्याण आदि धन फर्जी छात्र संख्या दर्ज कर हड़पा जा रहा है। अनेक शिक्षक घर बैठे वेतन ले रहे हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर यदा-कदा दो-चार छात्रों को बैठाकर फर्जी संख्या के आधार पर शिशुओं, कुपोषितों, धात्रियों, किशोरियों, के नाम पर पौष्टिक भोजन, दूध, दवाओं एवं मातृत्व कल्याण धन हड़पा जा रहा है जहाँ की अधिकाँश कार्यकत्रियाँ-सहायिकाएँ नेताओं, प्रधानों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्बन्धों एवं दबंगों की दहशत का लाभ उठाकर आंगनबाड़ी केन्द्रों से सदैव गायब रहती हैं तथा पंजीरी 475 रुपए प्रति बोरी की दर से ब्लैक कर शिशु-मातृ के स्थान पर भैंसों को खिलवा रही हैं। ग्रामों में स्वीपर पद पर अधिकाँश उच्च जाति-वर्ग के व्यक्ति पदासीन हैं जो स्वयं गलियाँ-नालियाँ साफ नहीं करते हैं और बाल्मीक जाति के लोगों को 200 रुपए दिहाड़ी मजदूरी देकर यदा-कदा सफाई कार्य की खानापूर्ति कराते हैं तथा ग्राम प्रधानों एवं ए.डी.ओ. पंचायतों को वेतन का कुछ हिस्सा देकर फर्जी ड्यूटी की उपस्थित प्रमाणित कराकर बिना काम किए वेतन हड़प रहे हैं। जिले की ग्राम पंचायतों के अधिकाँश प्रधान सम्बन्धित ग्राम के न होकर शहरों के स्थाई रूप से पूर्ववत निवासी हैं। कोई भी ग्राम सचिव ग्राम सचिवालयों में नहीं रहता-जाता है और न ही ग्राम सभाओं की खुल बैठकें होती हैं। इस तरह रहीस व्यक्ति-परिवार फर्जी दरिद्र बनकर सरकारी सुख-सुविधाओं को हड़प मौज कर रहे हैं। जबकि वास्तविक दरिद्र अन्त्योदय-बी.पी.एल.से प्रथक या रिश्वत न दे पाने से बुरी तरह उपेक्षित और दरिद्रता ग्रसित हैं।

केन्द्र-प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की पात्रता, आवेदन, स्वीकृत एवं धन आवण्टन की औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित है। जिसमें शासन के प्रशासकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की निगरानी एवं जबाबदेही उत्तरदायित्व निर्धारित है। इसके बावजूद रहीसों द्वारा दरिद्र कल्याण योजनाओं के लाभों का दुरुपयोग तथा वास्तविक दरिद्रों के हितों एवं पात्रता की उपेक्षा देश-समाज के लिए अत्यन्त घातक है।

अतः सुझाव है कि, दरिद्रों के कल्याण हेतु बनीं योजनाएँ-अन्त्योदय, गृहस्थ-पात्रता एवं असहाय पेन्शन-विधवा, वृद्धा, विकलांग, समाजवादी पेन्शन, बाल-मातृत्व लाभ, मिड-डे-मील, दरिद्र छात्रवृत्ति, राशन-तेल वितरण, दरिद्र सब्सिडी तथा दरिद्रों के लिए आवासों एवं शौचालयों आदि के आवण्टन में निर्धारित मानकों के अनुरूप मात्र दरिद्र व्यक्ति-परिवारों को ही दरिद्र लाभ दिया जाना चाहिए तथा अपात्र-फर्जी दरिद्रों को दरिद्र कल्याण योजनाओं के लाभ से तत्काल प्रथक-प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए तथा फर्जी दरिद्रों को दिया जा रहा दरिद्रता लाभ तत्काल रोक कर रिकवरी एवं दण्डनीय कार्यवाही की जानी चाहिए।

भारतीय कृषक और राजनीति

भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अति स्वार्थी रहीशों के चंगुल में फंसी होने के कारण कृषक उपेक्षित तथा समस्याओं एवं व्याधियों से पीड़ित है। कृषकों के लिए सस्ते दामों पर खाद, बीज, खाद्यान्न का विक्रय एवं अच्छे दामों पर खाद्यान्न खरीद तथा आपदा राहत और ऋणमाफी आदि पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लाखों लाख करोड़ रुपये वार्षिक व्यय किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में उर्वरक पर 65 हजार करोड़ रुपये, खाद्यान्न पर 1.40 लाख करोड़ रुपये सब्सिडी तथा 2.20 लाख करोड़ रुपये कृषि कर्ज कृषकों को राहत देने के नाम पर माफ किए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक 43 हजार करोड़ रुपये आन्ध्र प्रदेश और 38 हजार करोड़ रुपये मध्य प्रदेश सरकारों ने ऋणमाफी किया है। इसके बावजूद कृषकों की बदहाल स्थिति बनी हुई है। ठण्ड और भूख की मार से बेहाल कृषक आए दिन 'आत्महत्या' कर रहे हैं। कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत में कृषि और कृषकों की दशा बहुत गिरी हुई है। **आखिर क्यों?**

भारत में निर्धन हैं और इन्हीं के समान निर्धन उद्योग भी है। दुर्भाग्य से कृषि भी उनमें से एक है। कृषकों के पास सदा से पूँजी का अभाव रहा है। वह उत्तम बीज, खाद, कृषि यन्त्रों का क्रय नहीं कर सकता। इसे साख की सस्ती सुविधाएँ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं वह मुख्य रूप से व्यापारियों से रुपया उधार लेता है, जो अत्यधिक शोषण करता है और इसके चंगुल में फंस जाने के बाद कृषक के लिए छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। इस प्रकार ऋण की जंजीरों ने कृषक एवं कृषि की कमर तोड़ डाली है। इसकी आय का अधिकाँश भाग ऋण के ब्याज में ही चला जाता है। इस ऋण के कारण कृषक की भूमि व्यापारियों के हाथ पहुँच जाती है और कृषक भूमिहीन बनता चला जा रहा है। इस प्रकार कृषक ऋण में जन्म ले रहा है, ऋण में जीवन चलता है और ऋण में ही मर जाता है।

देश में तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध भूमि का औसत घटता जा रहा है। 1961 में प्रति व्यक्ति भूमि का औसत 0.30 हेक्टेयर था जो वर्ष 1971 में 0.25 हेक्टेयर एवं 1991 में 0.20 हेक्टेयर तथा 2011 में 0.14 हेक्टेयर रह गया। देश की 32.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षेत्रफल में से 17.1 करोड़ हेक्टेयर (52.4%) भूमि में कृषि की जाती है। देश में भूमि का वितरण अत्यधिक असन्तुलित है। भूमि सुधार कानून लागू होने के बावजूद भी आज 1% अति रहीशों के पास कुल भूमि का 50% भाग है, 10% धनी-कृषकों के पास कुल भूमि का 20% भाग है तथा 89% कृषकों के पास कुलभूमि का 52.4% भाग है। कृषि भूमि का असमान वितरण और प्रति व्यक्ति भूमि के घटने कृषक कल्याण सरकारी योजनाओं के ऋणमाफी एवं आपदा राहत लाभ वास्तविक कृषकों के स्थान पर भूपति, पूँजीपति, जमींदार, सामन्त को दिए जाने के कारण कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी तथा रोजगार की गंभीर समस्या विद्यमान है।

देश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो चुका है एवं भूमि सुधार लागू है। फिर भी कृषकों को भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। सुधार के लिए उठाए गए कदम निश्चित ही सन्तोषजनक हैं परन्तु इन्हें उचित रूप से लागू करने के अभाव में इनका प्रभाव सन्तोषजनक नहीं हो पाया है। भूमि सुधार कानूनों का सख्ती से पालन नहीं किया गया है। खेतों में काम करने वाले कृषकों, बटाईदारों और खेतिहर मजदूरों के पास अपनी भूमि उपलब्ध नहीं है। खेतों में काम करने वाले आपदाग्रस्त भूमिहीन बटाईदार एवं खेतिहर श्रमिक कृषकों को सरकारी योजनाओं के लाभ से जबरदस्त वंचित कर बटाई-कटौती पर भूमि उठाने वाले जमींदारों एवं सामन्तों को फसल बीमा, ऋणमाफी, आपदा राहत एवं फसल प्रोत्साहन-सम्मान लाभ मनमान ढंग से दिया जा रहा है।

विभिन्न जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों में यह छूट दी गई है कि विधवा, अवयस्क, सैनिक या असमर्थ लोग अपनी भूमि को दूसरों को जोतने के लिए दे सकते हैं। इसको पट्टेदारी कहते हैं। कुछ राज्यों में निर्धारित क्षतिपूर्ति करने के बाद पट्टेदारों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बावजूद कृषि भूमि का मालिकाना स्वामित्व भूपतियों, सामन्तों, जमींदारों, व्यापारियों, पूँजीपतियों, उद्योगपतियों, राजनेताओं, रहीशों के पास है, जो कृषि भूमि पर स्वयं कार्य नहीं करते हैं तथा कृषि भूमि को वार्षिक कटौती की धनराशि अग्रिम लेकर अथवा कृषि भूमि को किराए या अर्द्ध-बटाई पर लोगों को देकर बिना कृषि कार्य किए लाभ लेकर श्रमिक कृषकों का शोषण व उत्पीड़न कर रहे हैं।

खाद, बीज, गेहूँ, चावल, चीनी, तेल, कोयला आदि की सरकारी-सार्वजनिक दूकान-समितियों एवं कृषि बीमा, ऋण, सब्सिडी, तथा आपदा राहत ऋणमाफी आवण्टन के पात्रों की स्थिति अवलोकन करने से पता चलता है कि गरीब कृषक श्रमिकों हेतु बनी अन्त्योदय-बी.पी.एल. पात्रता ऐसे रहीश व्यक्ति-परिवारों को मिली है जो धन, पद के प्रभाव में फर्जी गरीब-कृषक असहाय बने हुए हैं। यह फर्जी गरीब-कृषक सरकारी योजनाओं का कोटा, बीमा, ऋण, पट्टा, सब्सिडी, खाद, बीज, खाद्यान्न, असहाय पेंशन, राशन, तेल, चीनी, गैस-विद्युत कनेक्शन, छात्रवृत्ति, आरक्षण, नौकरी, ऐजेन्सी, ऋण, आपदा राहत, ऋणमाफी, आवास, शौचालय, सब्सिडी आदि फर्जीबाड़ा करके हड़प रहे हैं। जबकि, इनके पास काफी बड़े प्लॉट, भूमि, भवन, जायदाद, ए. सी., फ्रिज, मोटर-वाहन, नौकरी, व्यापार, उद्योग आदि स्वामित्व है तथा सरकारी भूमि-भवन पर अवैध कब्जा करके गरीबों का शोषण एवं उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के साक्ष्य हैं-कानपुर परिक्षेत्र के जिलों में रहीशों की अन्त्योदय-बी.पी.एल.की पात्रता, नगरवासियों की ग्रामसभाओं में पदासीनता, गैरजनपदीय को जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लाक प्रमुख पदासीनता, शहरी गरीबों की कांशीराम कालोनी में रहीशों के निवास, गरीब पट्टा भूमि पर रहीश हवेलियाँ, चरागाहों एवं सरकारी भवनों पर कब्जा-बिक्री, गरीब आवास-शौचालय अवण्टनों में रहीशों की पात्रता, कटौती-बटाई पर भूमि देने वालों को आपदा राहत, ऋणमाफी आदि हैं।

कृषकों के निवास गाँव की गन्दी बस्तियों में तथा आजीविका कृषि श्रम है। जनसंख्या में वृद्धि से कृषक परिवार तेजी से विघटित हो रहे हैं। कृषकों के घरों एवं भूमि के बंटबारों से आवास लघु हो रहे हैं। कृषक परिवार के अनेक सदस्य एक कक्ष में एवं कम भूमि पर

बड़े परिवारों का जीवन—यापन कर रहे हैं। आवासों एवं कृषि जोतों की लघुता के कारण अनेक कृषक अपना घर—भूमि बेंच शहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। अनेक कृषक बेरोजगार एवं बेकार हैं। कृषक प्रतिपाल्यों के लिए महंगी शिक्षा कल्पना से परे है। अधिकाँश कृषक निरक्षर या अल्प शिक्षित हैं। कृषक परिजनों के लिए अच्छे स्कूलों में शिक्षा असम्भव सिद्ध हो रही है। महगाई के कारण कृषक और उनके परिजन जीवन की मूल वस्तुओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। यह जीवन को बनाए रखने और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु घर—जमीन बेचने को मजबूर हैं।

कृषक परिवारों में तीव्र गति से फैल रही गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण जहाँ एक ओर कृषक व उसके परिजन जीवन की मूलभूत वस्तुओं अभाव में गुजारा करने को मजबूर हैं वहीं दूसरी ओर बढ़ती गरीबी के कारण कृषक पुत्र—पुत्रियों का विवाह कर पाने में असमर्थ हैं। लगातार क्षतिग्रस्त हो रहे कृषक आस्तित्व पर विचारोपरान्त कहा जा सकता है कि अब कृषक परिवारों को आरक्षण दिए जाने की विशेष जरूरत है। अन्यथा की स्थिति में कृषक परिवारों के नष्ट हो जाने की सम्भावनाएँ प्रबल हैं।

कृषकों की बहुत बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद कृषक नेतृत्व का पूर्णतया अभाव है। यदि कोई कृषक अपने नेतृत्व से कृषक कल्याण या जनसेवा का प्रयास भी करता है तो पदलोलुप, स्वार्थी और अन्य जातीय नेताओं का चरणामृत ग्रहण कर गुलामी का जीवन—यापन करने वाले एक जुट होकर हमलावर हो जाते हैं। कृषक नाम के सहारे पनपे अधिकाँश स्वार्थी राजनेता अपने सामने किसी भी सामान्य कृषक को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। कृषकों के पतन में पाखण्डी राजनेताओं के प्रपंच प्राचीनकाल की भाँति प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अधिकाँश कृषक पाखण्डी—नेताओं के अन्धानुकरण करने को अति मजबूर हैं। चतुर—चालाक पाखण्डी—नेता चुनाव प्रचार—प्रसार में भ्रमक घोषणाएँ एवं गरीब कृषक उत्थान एवं कृषक विकास के वादे कर कृषकों से वोट भीख ले रहे हैं। इसके बावजूद देश, समाज और केन्द्रीय—प्रादेशीय सदनों में कृषक विरोधी राजनीति कर रहे हैं एवं चुनावों में कृषक विरोधी रहीस को जिताने हेतु कृषक वोट तो ले रहे हैं, परन्तु कृषक प्रत्याशी को कृषक वोट भी नहीं मिलने देते हैं। भले ही जाति—परिवार वादी, अपराधी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी के गले लगना पड़े अथवा हाथ पलट कर हाथी, कीचड़ में कमल खिलाना पड़े।

आज लोकतान्त्रिक व्यवस्था के सभी पदों पर राजनीतिक हस्ताक्षर चरम पर है। सभी संवर्ग पदों पर आसीन अधिकाँश लोग या तो उच्च पदस्थों और उनके परिजनों की आवभगत में जुटे हुए हैं या फिर अपने पद पर निष्क्रिय बने हुए हैं। उच्च से निम्न सदनों की पदासीनता हेतु प्रत्याशिता, नौकरी, संवैधानिक पदों पर चयन—मनोनयन में साधारणजनों की उपेक्षा तथा रहीस, नेता, व्यापारी और उनके परिजनों को राज्यपाल, मन्त्री, कुलपति, निदेशक आदि का **‘पद—प्रसाद’** जारी है। भले ही वह अपराधी, अति वृद्ध—जर्जर, अयोग्य, अमानक हो। केन्द्र, राज्य, जिला, ग्राम सदन कार्य—कारणी पदों पर अधिकाँश अति रहीस पति—पत्नी, पुत्र—पुत्री, भाई—बहिन एवं माँ—बेटे सभी परिजनों सहित बारम्बार पदासीन हो रहे हैं। बड़े व्यापारों—भवनों के स्वामी होने के बावजूद सरकारी आवास, वेतन—भत्ते, पेन्शन सरकार से प्राप्त हो रहे हैं। यह व्यापारियों, दलालों अधिकारियों से भोजन, नाश्ता, तेल, भेंट, उपहार लेने के बावजूद नाश्ता, भोजन, यात्रा बिलों का भुगतान कोषोंगारों से ले रहे हैं। यह सरकारी—सार्वजनिक सहित दरिद्रों असहायों के भूमि—भवनों पर जबरदस्त कब्जा कर रहे हैं। इनके द्वारा सार्वजनिक विकास निधियों का धन फर्जी बाउचर्स से हड़पा जा रहा है। दरिद्र जनता के कल्याण उद्देश्य से निर्मित विकास योजनाओं का धन—सम्पत्ति व्यापारियों को बेच कर स्वःलाभ कमाया जा रहा है। बी.पी.एल., अन्त्योदय, दरिद्र—असहाय पेन्शन, आवास, राशन, गैस, विद्युत, मनरेगा, आरक्षण आदि योजनाओं का लाभ दरिद्रों की जबरदस्त उपेक्षा कर रहीसों को फर्जी दरिद्र बनाकर हड़पा जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में छात्र—शिक्षण हीनता व शिक्षक बाहुल्यता के बावजूद फर्जी छात्र संख्या के आधार पर शिक्षक भर्ती एवं मिड—डे—मील तथा इण्टर एवं डिग्री कालेजों में बिना पढ़े—पढ़ाए नकल—परीक्षा एवं डिग्री बण्टन व्यापार हो रहा है। निम्न से उच्च सदनों के प्रस्ताव हंगामों एवं वेतन—भत्तों की वृद्धि तक सीमित हो रहे हैं। सरकारी कोषों से करोड़ों—अरबों रुपये व्यय कर आयोजित मंचों पर राजनैतिक लोगों का गुणगान होता है तथा रोजी—रोटी माँग रही जनता की समस्याओं पर राजनेता एवं अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते हैं।

नेतृत्व पाने वाले लोगों और उनके सगे—सम्बन्धियों एवं दलालों की गतिविधियाँ कृषकों के लिए अत्यन्त घातक हो रही हैं। नेताओं के सम्बन्धी—दलाल अपने को महानायक के रूप में प्रतिष्ठित करने में लगे रहते हैं। इनकी सरकारी सुख—सुविधाएँ विशिष्ट हैं। सरकारी धन होटल्स, आहार—विहार एवं मौज—मस्ती पर व्यय करते हैं। इनके सहयोगी उच्चस्तरीय व सर्वगुण सम्पन्न धनी—कुख्यात होते हैं। यह गरीबों एवं कृषकों से सदैव दूरी बनाए रखते हैं। व्यापारी व शातिर अपराधी अपने लाभ—सुरक्षा हेतु नेताओं के परिजनों को मिष्ठान, फल, दावत, गिफ्ट, धन, भेंट एवं कमीशन देकर इनकी कृपा के पात्र बनते हैं।

नायक एवं नेतृत्व की गतिविधियों पर विचारोपरान्त कहा जा सकता है कि नेतृत्व कर रहे लोग अपने स्वलाभ के लिए किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय धन और संपत्ति इनके जेब की वस्तु होती है। जब चाहें, जहाँ चाहें, वहाँ प्रयोग या नष्ट कर सकते हैं। देश—विकास की धन—सम्पत्ति मनमाने प्रस्ताव से हथियाकर पीढ़ियों सहित भविष्य सुरक्षित कर लेते हैं।

धनी नेता, व्यापारी और अधिकारी कृषकों से घृणा करते हैं। कृषक सदैव शक्तिशाली लोगों के आक्रमण एवं विद्वेष के निशाना बनाए जाते हैं। इन्हें हर स्तर पर सताया जाता है और जलील किया जाता है। इनसे भेदभाव किया जाता है। इन्हें निरक्षरता एवं सामाजिक पूर्वाग्रह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हें ऋण पर ऊँची दर से ब्याज देना पड़ता है। इन पर दोषारोपण किया जाता है। जिन कार्यालयों में ये जाते हैं, वहाँ इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। कृषक एवं उनके प्रतिपाल्य जिन प्रमुख **समस्याओं** का सामना करते हैं, वे हैं— 1. भर पेट भोजन का अभाव, 2. वस्त्रों का अभाव, 3. आवास अभाव, 4. स्वास्थ्य—चिकित्सा अभाव, 5. साधनहीनता, 5. निरक्षरता, 6. ऋणग्रस्तता, 7. बेरोजगारी, 8. पूँजीवाद, 9. जातिवाद, 10. अस्पृश्यता, 11. अन्धानुकरण, 12. बालश्रम, 13. बालविवाह, 14. अस्पृश्यता, 15. भ्रष्टाचार, 16. अन्याय, 17. दबंग—दहशत, 18. आतंक, 19. बिचौलिया, 20. उत्पीडन, 21. भिक्षावृत्ति, 22. मद्य, 23. नशा, 26. भूखनन, 27. सूखा—बाढ़, 28. सामन्त, 29. राजनीति।

कृषक की मुख्य पहचान कृषि में संलग्न परिवारिक श्रम आधारित आजीविका से होनी चाहिए। खेतों में काम करने वालों को ही कृषि भूमि का स्वामित्व मिलना चाहिए। कृषकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकारी योजनाएँ 'दरिद्रताग्रस्त एवं अन्याय के शिकार जनसाधारण और गरीब कृषकों की सहायतार्थ होनी चाहिए। देश-ग्राम सदन-समितियों में दो तिहाई पदासीनता गरीब कृषकों मात्र की होनी चाहिए। किसी भी संवैधानिक संस्था-सदन में रहीसों एवं उनके परिजनों की पदासीनता पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सदन एजेण्डा-वार्ता विषय पर विचारोपरान्त प्रस्ताव एवं भाषण करने हेतु कृषकों के नाम आमन्त्रित होने चाहिए। कृषकों के हितों की सुरक्षार्थ सक्रिय वास्तविक कृषक लाभान्वित-सम्मानित होने चाहिए। कृषकों को चाहिए कि कृषक समाज संगठित होकर बैठक-सम्मेलन आयोजित करें ताकि अधिकारी-राजनेता दौड़े चले आएँ। कृषकों की भावनानुरूप सम्मेलन-बैठकों के मंच भारत भूमि की झांकियों तक सीमित रहें। किसी भी गरीब कृषक का उत्पीडन करने वाले या गरीब कृषकों की सहायता के नाम पर दलाली कर लाभ कमाने वालों पर अंकुश लगाना चाहिए। जनाधारित सभी चुनाव प्रस्तावित रहें कि प्रत्याशी गरीब कृषक तक सीमित हों।

गरीबों की ठेकेदारी और सामूहिक नीलामी

“भारत में मौजूद व्यापक गरीबी की समस्या यदि सुलझाई नहीं गई तो एक बहुत बड़ा विस्फोट देश की अर्थ व्यवस्था को झकझोर कर रख सकता है। इस विस्फोट का सबसे बड़ा निशाना अमीर व्यक्ति ही होंगे। जिन्होंने दरिद्र व्यक्तियों का रक्त चूसा और करोड़ों में नहाने लगे तथा विस्फोट के दरमियान दरिद्रता से तंग आकर व्यक्ति हथियार उठाकर आतंकी और खूनखराबी को करके अमीर व्यक्तियों का जीना दुश्वार करके रख सकते हैं। अतः इस खतरनाक स्थिति से प्रबन्धन करने की अत्यन्त आवश्यकता है।”

आज हमारे भारतीय समाज का स्वरूप ‘मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण’ करने वाला समाज है, धनी को अधिक धनी और निर्धन को अधिक दरिद्र बनाने वाला समाज है। पूँजीपति उद्योगपति, राजनेता और नौकरशाह गरीब जनता, श्रमिकों और बेरोजगार व्यक्तियों का खून चूसकर पनप रहे हैं, उनके श्रम और विकास के धन पर टिके हुए हैं और उन्हीं की अज्ञानता व मजबूरी का अनुचित लाभ उठाकर मौज-मस्ती कर रहे हैं। उद्योगपति, राजनेता, नौकरशाह, साहूकार और उनके गुर्ग साधारण जनता को उत्पीड़ित कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं।

उद्योगपति, राजनेता, नौकरशाह और उनके गुर्ग देश समाज के नवीन उत्पादन के साधनों (मशीन, मिल, कारखाना, व्यवसायों और सरकारी पदों आदि) के उद्भव के साथ-साथ के दो विराट वर्गों में बंटे हुए हैं। प्रथम वर्ग अल्पसंख्यक उन लोगों का है जिनका इन उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है, अर्थात् उद्योगपति, राजनेता, नौकरशाह। दूसरा वर्ग समाज के बहुसंख्यक श्रमिकों, बेरोजगार आदि व्यक्तियों का है जिनके पास पूर्ण या जीविका-पालन के अन्य साधन नहीं हैं उनके लिए जीवित रहने का एक ही मार्ग खुला हुआ है और वह है कि वे अपने आपको धनी वर्ग के पास जाकर बेच दें, अर्थात् अपने श्रम से उत्पादन कार्य में सक्रिय भाग लें और उसके बदले में कोरे कागजों पर नाम लिखकर तथा वेतन के नाम पर खैरात कितना होगा इसका निर्धारण श्रमिक नहीं, अपितु धनी व्यक्ति करता है। धनीवर्ग गरीबों की कमजोरियों को खूब जानता है और उसी के बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। धनी वर्ग जानता है कि गरीब अपने श्रम और परिवार को भविष्य के लिए सुरक्षित करके नहीं रह सकता और न वह रातों-रात अपने को इतना संगठित या शक्तिशाली कर सकता है कि धनी लोगों से अपने श्रम का उचित वेतन का सौदा कर सके। परिणामस्वरूप धनी श्रमिक, बेरोजगार, गरीब व्यक्तियों से अत्यधिक मेहनत करवा तो लेता है और उसके बदले में नाम मात्र का वेतन खैरात के रूप में देता है, अर्थात् श्रमिक अपने श्रम से जितना मूल्य उत्पन्न करता है, उसका उचित हिस्सा श्रमिक को वेतन के रूप में नहीं देता है, वरन् उसका एक बहुत छोटा भाग श्रमिक को देकर अधिकांश भाग धनी-पूँजीपति स्वयं हड़प जाता है। इस प्रकार मनुष्य द्वारा ही मनुष्य का शोषण होता है।

उपरोक्त परिस्थिति का परिणाम यह है कि अधिकाधिक पूँजी पूँजीपतियों की तिजोरियों में इकट्ठी हो रही है अर्थात् धनवान अधिक धनी बन रहे हैं। जो लोग अपना खून-पसीना एक करके उस धन को उत्पन्न कर रहे हैं, और जिनका कि वास्तव में धन पर अधिकार होना चाहिए वे क्रमशः निर्धनता के निम्नतम स्तर पर पहुँच रहे हैं। श्रमिक और बेरोजगार व्यक्तिगत रूप में क्योंकि स्वतन्त्र होते हैं, इसलिए धनीवर्ग उसको इस रूप में बेच या मार तो नहीं सकते हैं जैसा कि दासत्त्व युग में दास के मालिक दासों के साथ करते थे परन्तु इस निजी स्वतन्त्रता के भारी मूल्य भी उन्हें चुकाना पड़ता है और पूँजीपतियों द्वारा शोषण के परिणामस्वरूप उनकी दशा दिन-प्रति-दिन अधिक दयनीय होती जा रही है।

गरीबी के पोषक और भ्रष्टाचार के सात मूलभूत स्रोत मन्त्रीगण, सांसद, विधायक, राजनीतिक दल, नौकरशाह, उद्योगपति और व्यापारी हैं। व्यापारी और उद्योगपति प्रथम पाँच से रियायत प्राप्त करते हैं।

वास्तव में आज की राजनीति से लाभ की बजाय हानि अधिक हो रही है। राजनीति में चरित्र नाम की कोई वस्तु रह नहीं गई है। वर्तमान राजनीतिक नेताओं के सम्बन्ध में हम समाचारों में पढ़ते रहते हैं कि पद एवं प्रत्याशिता के लालच में वे किसी भी समय किसी भी राजनीति दल के सदस्य बनने में नहीं हिचकिचाते। कुछ सांसद और विधायक तो इस कारण निर्दलीय बने रहते हैं कि जो दल सत्ता में आयेगा, वे उसी का समर्थन स्वीकार कर लेंगे जिससे उन्हें अच्छा पद प्राप्त हो जाए और इस प्रकार उन्हें धन अर्जित करने व आपराधिक कार्यों को संचालित करने हेतु मजबूत संगठन मिल जाए।

साधारण जनता के लोग बाह्य शक्तियों जैसे जमींदारों, राजनेताओं व्यापारियों एवं साहूकारों के द्वारा आर्थिक रूप से अनेक रूपों में शोषित हो रहे हैं। उनसे विभिन्न बेगार ली जा रही है। ऐसा व्यवहार राजकीय कर्मचारी भी कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये नए आर्थिक बल उन्हें अपना दास समझते हैं। व्यापारी एवं उद्योगपति उनसे बहुमूल्य भूमि, उपज एवं सम्पत्ति मिट्टी के भाव खरीद लेते हैं और उन्हें तड़क-भड़क वाली वस्तुयें ऊँचे दामों पर बेचते हैं।

आर्थिक शोषण का एक और तरीका भी है खाद्यान्न की समस्या से पीड़ित इन कमजोर साधारण जनों को प्रलोभन देकर ईंट-भट्टों, कोल्ड स्टोर्स, मिलों, कृषि फार्मों, चाय के बगानों, खानों, होटलों, आवासों तथा स्कूलों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में अपने क्षेत्र से बाहर भी ले जाया जाता है। वहाँ मजदूरों के रूप में इनकी दशा दयनीय हो रही है क्योंकि न तो ये एक समय-सारणी में बंधे औपचारिक ढंग से काम करने के आदी हैं और न मजदूरी के तौर-तरीकों से परिचित हैं। आधुनिक अर्थों में उनके कोई श्रम संघ भी नहीं हैं। इसलिए इन नए कार्य स्थलों पर उनसे जानवरों की तरह कार्य लिया जाता है और उनके स्वास्थ्य पर विकास की पूर्णतया उपेक्षा की जाती है। कानून भी प्रायः आर्थिक रूप से शक्तिशाली धनी लोगों का ही साथ देता है।

साधारण जनता में महिलाओं की स्थिति विषम होती जा रही है। गरीबों की भोली-भाली किशोरियों की जो समानता, स्वतन्त्रता व स्थिति यौन नैतिकता के पर्यावरण में पली हैं, इन तथाकथित सभ्य छोटे-मोटे अधिकारियों, व्यापारियों, नेताओं, तकनीशियों या श्रमिकों द्वारा जिस प्रकार छला जाता है—इस प्रकार की अनेक परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार देखने को मिल रहा है। कभी धोखे से, कभी पैसे के बल पर, कभी शक्ति के प्रयोग, तो कभी मीठी गोलियों, नहाने का साबुन, पाउडर का डिब्बा, होटल का नास्ता, सिनेमा, लक्जरी गाड़ियों की सैर, नौकरी का लालच, शादी का झांसा, धन का प्रलोभन आदि महत्वहीन चीजों तक इन मासूम किशोरियों को फंसाने के लिए पर्याप्त होती हैं। वे एक खुशहाल आराम दायक जिन्दगी के लिए आकर्षित होती हैं परन्तु जब उन्हें ज्ञात होता है कि सभ्य मनुष्य के लिए स्त्री केवल कमजोर वर्ग है, परालम्बी है तथा यह सभ्य मानव उसे कोई स्थायी सहारा नहीं दे सकता तो उसका मोहजाल टूटता है। वह परिवार में साझेदारी, निर्णय में समानता के मूल्यों पर आधारित संस्कृतिक व्यवस्था से सम्बन्धित होती है। वह स्वयं को, एक ओर तो साहब की रखैल, जिसकी देह का मूल्य केवल चन्द सिक्कों तक सीमित है तथा दूसरी ओर अपने समाज में भी स्वयं तिरस्कृत और बहिष्कृत पाकर दोहरे पतन के जाल में फंसा पाती है। पैसे के लिए रखैल बन कर तथा संतान उत्पन्न करने वाली महिलाओं को भारतीय समाज में अपराधी माना जाता है। ऐसी नारियों का समाज में पुनर्वास एवं कठिन समस्या बन गई है।

अधिकांश स्थानों पर गरीब महिलाएँ वैश्यावृत्ति के लिए बाध्य या पेरित की जाती हैं। गन्दी बस्तियों में यह समस्या गहन हो गई है। वहाँ गरीबों वाला समाज है। किसी गरीब महिला का वैश्यागृह तक पहुँचने का घटनाक्रम प्रायः सुनिश्चित सा है। “सर्वप्रथम इन परिवारों को गरीबी के कारण खाने-पीने, विवाह शादी इत्यादि अवसरों पर ऋण लेना पड़ता है। एक बार ऋणी होने पर उनकी जीविका के परम्परागत साधन छिन जाते हैं, घर-मकान और जमीन-जायदाद गिरवी रखनी पड़ती है या धनीवर्ग के किसी सदस्य के यहाँ बन्धक मजदूरी स्वीकार करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में वह अपने श्रम का भी मालिक नहीं रह जाता। ऋणी परिवार की महिला सदस्य को वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने में उसके मालिक या आंचल के अन्य तगड़े-आदमी की रुचि हो जाती है। ऋण वसूली का तकाजा तेज होने लगता है और उस महिला से विवाह-विच्छेद की औपचारिकता पूरी की जाती है और फर्जी तौर पर उसका दूसरी विवाह भी रचाया जाता है। इस पूरी जालसाजी में मोहल्ले का नेता, सरकारी कर्मचारी धन के लालच में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। अन्त में महिला अकेली या अपने असली या फर्जी परिवार के साथ वैश्यावृत्ति के लिए इलाकों के चकलाघरों और होटलों में चली जाती है। अपने मूल्य में आस्था खोए गरीब भारतीय यह निम्न वर्ग कभी-कभी स्वयं भी महिला को इस दिशा में प्रेरित कर देता है और वैश्यावृत्ति स्वयं एक आदरणीय व्यवसाय रूप में स्वीकृत प्राप्त कर लेती है।”

भारतीय समाज के लोग नारी को इस भाँति फंसाए जाने के विरुद्ध कड़ा रोष व्यक्त करते हैं। विशेषतः युवावर्ग उसका प्रतिशोध भी लेना चाहता है, परन्तु परम्परागत न्याय व्यवस्था को वह ऐसे उपकारी व्यक्ति पर लागू नहीं कर सकता तथा नई व्यवस्था या तो उसकी पहुँच से बाहर होती है या ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार सबल व्यक्ति दण्ड से बच निकलते हैं।

आज हम देखते हैं कि जब कोई प्रौढ़ व्यक्ति चन्द रूपयों में किसी युवती को उसके पिता से खरीदता है। कुछ दिन तक साथ रखता है और जब उसे ब्याज-मुनाफे के साथ बेंचने का ऐलान करता है तो खरीददार भड्डों-ऐयासों का मजमा लग जाता है। फिर माँग और पूर्ति के सिद्धान्त के आधार पर मुनाफे की रकम सहित महिला की नीलामी कर दी जाती है।

क्या नारी उत्पाद है? बिल्कुल नहीं। फिर भी इन घटनाओं को कैसे झुठलाया जाए। इन्हें झुठलाने की कोशिश की जाती है। गाँव-मुहल्लों में पुलिस और प्रशासन का अमला इसी कोशिश में जुटा रहता है और कागज के कुछ टुकड़ों के माध्यम से व्यावसायिक समझौते को शादी साबित कर नाक बचाने की कोशिश की जाती है। महिलाओं को गरीब क्षेत्रों से खरीद कर लाया जाता है। मामला खुलने के बाद पुलिस और प्रशासन खरीददारी के बाद स्टाम्प पेपर पर हुई लिखा-पढ़ी को शादी करार देने की कोशिश करते हैं। चूँकि कानूनी अडचन, अज्ञानता और उत्पीडन का शिकार महिलाओं का मुखर विरोध नहीं हो पाता है। इसलिए कुछ दिनों में इन चर्चाओं पर शांति हो जाती है। लेकिन इसके सामाजिक एवं सरकारी पहलुओं पर विचार आवश्यक है। दोनों के गर्भ में गरीबी है। जहाँ से महिला खरीद कर लाई जाती है उस पिछड़े इलाके में गरीबी इस कदर हावी होती है कि कई बार पिता बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं। जहाँ पर वह खरीद कर लाई जाती है वहाँ की आर्थिक दशा इतनी खराब होती है कि वहाँ कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। इसलिए खरीद-फरोख्त का कारोबार चलता है। दुर्भाग्य यह है कि देश के गरीब क्षेत्रों को इस बिडम्बना से मुक्ति दिलाने के बजाय सरकारी अमल सच्चाई दबाने में ज्यादा विश्वास विश्वास रखता है। इस तरह की शर्मनाक घटनाएँ तभी रुक सकती हैं जब सरकारें इच्छा शक्ति के साथ योजनाएँ बनाये और उन पर अमल कराए। शर्मनाक यह है कि सरकारें गरीब तबके की कन्याओं की शादी के लिए जितना अनुदान देती है उतनी ही धनराशि खरीद-फरोख्त में जाती है। गरीब क्षेत्रों में यह सिलसिला तोड़ना होगा। महिलाओं की नीलामी परम्परा बन सकती है। इसकी मुक्ति सामाजिक संवेदना और सरकारी सादगी संजीदगी से हो सकता है।

दासता की मूर्त और बन्धुआ मजदूर

अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु दूसरे व्यक्ति को सदैव अपने बन्धन में रखने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से मनुष्य के प्रति मनुष्य द्वारा की जाने वाले निर्दयतापूर्ण व्यवहार का द्योतक है।

‘बन्धुआ मजदूर का तात्पर्य एक ऐसी जकड़न में रहकर श्रम है जहाँ मजदूर को कोई अधिकार नहीं होता। बन्धुआ प्रथा का जन्म सस्ते श्रम की इच्छा से हुआ है।’

जमींदारी के उन्मूलन, भूमि सुधारों, भूदान आंदोलन, कानून का लागू होना, पंचायती राज की स्थापना, सामाजिक कार्य समूह की इसमें रुचि का प्रदर्शन, उत्साही व्यक्तियों के उत्साह और यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद इन बुराइयों का समाज से उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। करोड़ों की संख्या में बन्धुआ मजदूरों का अब भी शोष हो रहा है। वे कष्ट और कुण्ठा से भरे हुए आज भी उपेक्षा का बोझ लादे हुए हैं। वास्तव में भारतीय समाज में प्रचलित बन्धुआ मजदूरी प्रथा समाज के सामन्तवादी अधिश्रेणित समाज का अवशेष है। गत चार दशकों से सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज वैज्ञानिकों और सरकार बन्धुआ मजदूरों में काफी रुचि दर्शाई जा रही है, क्योंकि यह प्रथा हमारे समाज के समानतावाद और मानव अधिकारों के आदर्शों के प्रतिकूल समझी जा रही है। बन्धुआ मजदूरों में करोड़ों की संख्या में स्त्री, पुरुष और बच्चे सम्मिलित हैं।

बन्धुआ के सम्बन्ध में जानने के लिए ‘बन्धुआ मजदूरी प्रथा’ एवं ‘बन्धुआ मजदूर’ को समझना जरूरी है। ‘बन्धुआ मजदूरी प्रथा’ ऋण दाता और ऋण प्राप्तकर्ता के बीच सम्बन्धों को बताता है जो अपने दैनिक जीवन की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने हेतु कर्ज लेता है और महाजन की शर्तों को स्वीकार कर लेता है। समझौते की प्रमुख शर्त यह होती है कि ऋण लेने वाला अपनी सेवाओं या अन्य किसी की सेवाओं या अपने परिवार के सभी सदस्यों की सेवाओं को निश्चित-अनिश्चित समय के लिए ‘बन्धक’ या गिरवी रखने को सहमत हो जाता है। इस प्रकार के समझौते के आधार पर बना सम्बन्ध इतनी असमान शर्तों पर होता है कि जब अन्य प्रकार के श्रम के बदले में बाजार में उसके समान का मजदूरी होनी चाहिए, ‘बन्धुआ मजदूरी प्रथा’ की राशि चुकाने के लिए या फिर कर्ज पर देय ब्याज की राशि चुकाने के लिए की जाती है। कर्जदार या तो स्वतन्त्रता से काम करता है या फिर पारिश्रमिक न्यूनतम श्रमिक एक्ट में उल्लिखित न्यूनतम मजदूरी या बाजार में चल रहे पारिश्रमिक से कम होता है।

यह पूरी प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है इसलिए इसकी परिभाषाएँ और अवधारणाएँ भी भिन्न-भिन्न हैं। वर्ष 1976 के बन्धुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट में बन्धुआ मजदूरी प्रथा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। बाध्य मजदूरी की वह प्रथा जिसके अन्तर्गत कर्ज लेने वाला महाजन को अपनी या परिवार के किसी अन्य सदस्य की संवाएँ या अन्य किसी व्यक्ति की सेवाएँ, जो उसका आश्रित हो, अर्पित करता है। यह सेवा निश्चित या अनिश्चित समय के लिए होगी तथा उसके बदले में वह या तो पारिश्रमिक नहीं लेगा या मामूली पारिश्रमिक लेगा, जो कर्ज या अन्य किसी प्रकार के अर्थिक आभार के रूप में प्राप्ति के बदले में होगा या जो उसके द्वारा या उसके किसी पूर्वज द्वारा लिया गया हो या फिर किसी सामाजिक दायित्व के रूप में लिया जाना हो या उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त दायित्व निर्वाह करने के लिए किया जाना हो। इस समझौते के अन्य परिणाम भी होते हैं, जैसे, कर्ज लेने वाले को रोजगार करने की स्वतन्त्रता से देश के किसी भाग में आने जाने की स्वतन्त्रता से वंचित रहना एवं अपनी सम्पत्ति के किसी भाग को या अपने श्रम उत्पाद को बाजार मूल्य पर बेचने के अधिकार से वंचित रहना।

‘श्रम राष्ट्रीय आयोग’ के अनुसार, “वह मजदूर जो कर्ज लेने के कारण किसी निश्चित समय के लिए बन्धक रहता है।” अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने अपनी 24-वीं रिपोर्ट में बन्धुआ मजदूर की व्याख्या करते हुए कहा कि वे व्यक्ति जो कर्ज लेने के कारण अपने ऋणदाताओं के लिए या तो बना पारिश्रमिक लिए या मामूली पारिश्रमिक लेकर काम करने के लिए बाध्य हों।

‘बन्धुआ मजदूर’ उन ‘संविदा मजदूर’ से भिन्न होते हैं जो उद्योगों, खानों, बागानों, गोदी और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं। ‘संविदा मजदूर’ में कामगार शामिल होते हैं जो संस्थान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भर्ती नहीं किए जाते हैं, जिनके नाम पारिश्रमिक देयक में अंकित नहीं होते हैं, ओश्र जिन्हें मालिक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान नहीं किया जाता। सिद्धान्त में, संविदा मजदूर 1948 के कारखाना अधिनियम, 1952 के खादान अधिनियम, 1951 के बागान श्रमिक अधिनियम, और 1948 के गोदी मजदूर अधिनियम की परिधि में आते हैं ताकि उन्हें भी वे ही लाभ दिए जा सकें जो सीधे काम पर लगे मजदूरों को दिए जाते हैं। बन्धुआ मजदूर अधिनियम की परिधि में आते हैं ताकि उन्हें भी लाभ दिए जा सकें जो सीधे काम पर लगे मजदूरों को दिए जाते हैं। बन्धुआ मजदूरों और संविदा मजदूरों को काम पर लगाने के लाभ लगभग एक समान ही हैं : (1) मजदूर कम कीमत पर काम पर लगाए लाते हैं, (2) सेवायोजक श्रमिकों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं देते और (3) सेवायोजक विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त कल्याण और सुरक्षा उपायों को अपने श्रमिकों को देने के बोझ से नहीं दबे होते। हमारे देश में संविदा मजदूर व्यवस्था एक अधिनियम के अंतर्गत सितम्बर, 1970 में समाप्त कर दी गई थी।

बन्धुआ मजदूर की ऋण ग्रस्तता और बलात् मजदूरी मूल विशेषताएँ होती हैं। बलात् मजदूरी पिता से पुत्र को या पीढ़ी वंशानुक्रम में प्राप्त हो सकती है। बन्धक अवधि में कर्जदार अन्यत्र कहीं रोजगार नहीं लग सकता। आर्थिक सन्दर्भ में इसका अर्थ हुआ कि “वह बाजार में, बाजार मूल्य पर अपना श्रम नहीं बेच सकता।” बन्धुआ मजदूरी प्रथा अधिकतर गावों में खमिहर मजदूरों में पाई जाती है, यद्यपि इसका विस्तार खदानों, कारखानों, विद्यालयों, दूकानों, कम्पनियों, शीतग्रहों, बीड़ी कारखानों आदि हैं।

फर्रुखाबाद के दरिद्र हवालातियों के अमानुषिक उत्पीड़न का वर्तमान स्वरूप

फर्रुखाबाद जनपद के फतेहगढ़ नगर में एक पुरुष, एक महिला, एक किशोर, एक केन्द्रीय सहित कुल चार कारागार हैं। इन कारागारों में जनपद कारागार जाकर वहाँ की व्यवस्था देखी तथा जेल अधीक्षक उपाधीक्षक, मुख्य रक्षकों, रक्षकों एवं कैदियों से बातचीत की तथा जेल में बन्द कैदियों के परिजनों व जेल से मुक्त लोगों तथा फर्रुखाबाद के जनपद न्यायालय एवं पुलिस थानों-चौकियों की हवालातों को देखा और जनपद न्यायाधीश थाना-चौकी प्रभारियों से बातचीत कर तथ्य संग्रहित किए।

पुलिस और न्यायिक हिरासत में लिए जाने वाले अधिकाँश आरोपी दरिद्र व्यक्ति होते हैं। जो पुलिस की माँग तथा न्यायालय की पैरवी और जमानत राशि के अभाव में कैद कर जेल में डाल दिए जाते हैं। जनपद के पुलिस थानों-चौकियों की हवालातें दरबानों की भाँति बनी हैं जहाँ आरोपी दरिद्रों को पशुबाड़े की तरह बन्द कर मलमूत्र-गन्दगी और जहरीले कीट-मच्छरों का शिकार बनाया जाता है। हवालात के अन्दर बन्द दरिद्र आरोपियों को थानों के सिपाही-दरोगा गरियाते, धमाकाते, मारते हुए अपराध कबूल पत्रों और कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराकर मनमानी धाराओं में चालान बनाते हैं और हथकड़ी-रस्सी में पशुओं की भाँति बाँधकर न्यायालय में बनी हवालात जो थानों की हवालातों से बदतर हैं में बन्द कर देते हैं। न्यायालय में वकीलों से घिरे न्यायाधीशों की बातचीत अथवा कार्य की अधिकता के कारण आरोपी की पेशी-सुनवाई की उपेक्षा या समयाभाव की मनमानी कागजी खानापूति या आरोपी के पक्ष में पैरवी-जमानत राशि के अभाव में आरोपी को जेल भेज दिया जाता है और जेल में देशी से दाखिला के कारण आरोपी को खाना खिलाए बिना भूखा रखकर जेल की हवालात में डाल दिया जाता है।

जनपद कारागार फर्रुखाबाद में आरोपी-हवालाती और सजायपता दोनों प्रकार के कैदी बन्द हैं। इनके बन्द करने के लिए बनी बैरिकों में निर्धारित क्षमता से लगभग तीन गुना कैदियों को शाम 6 से प्रातः 6 बजे तक पशु-बाड़े की तरह बन्द किया जाता है जहाँ भीड़ के कारण भूमि-फर्श पर लेटने के लिए पर्याप्त भूमि न मिल पाने के कारण कैदियों में रात भर मारपीट होती रहती है। सीवर नालियों की बदबू और मच्छरों के हमलों के बीच गन्दा-फटा कम्बल ओढ़ बिछा कर रात्रि व्यतीत करते हैं और प्रातः शौचालय एवं स्नान के लिए जेल में साबुन, मंजन, कंधा, तेल, नेकर, बनियान, तौलिया, कुर्ता, पैजामा आदि आवश्यक सामान जेल से कैदी को न दिए जाने से बेचारे दरिद्र कैदी रोगों के शिकार हो रहे हैं। प्रातः 9 बजे के नाश्ते में ब्रेड/रबा/चना/चाय की गुणवत्ता एवं मात्रा दरिद्रों के लिए पर्याप्त नहीं होती है। अपराह्न 1 बजे तथा शाम 5 बजे के भोजन की रोटी एक तरफ कच्ची और सब्जी-दाल अति घटिया रहती है जिसे खाकर अधिकाँश कैदी पेट के रोगी हो रहे हैं और आए दिन दम तोड़ रहे हैं। अनेक कैदी जेल का भोजन न खाकर बाहर की खाद्य वस्तुएँ मंगाकर जेल में चूल्हा जलाकर भोजन स्वयं बनाकर खाते हैं जिसमें ईंधन के लिए जेल की रोटी को जलाते हैं और दाल-सब्जी नाली में बहाते हैं।

जिला कारागार में जुआँ एवं अवैध वसूली चरम पर है। जो कैदी जेल में आता है उससे प्रथम दिन 60 रुपए और दूसरे दिन से 5 दिन तक 20 रुपए प्रति दिन तदुपरान्त 1200-1800 रुपए लिए जाते हैं अन्यथा झाड़ू पकड़ा कर उनसे नाली सफाई और खूंखार-ठेकेदारों की मालिस कराई जाती है। कैदियों के मुलाकातियों से अवैध वसूली के तो बड़े पैमाने पर ठेके उठे हैं। अनेक खूंखार कैदियों को मोबाइल देते हैं, बात कराते हैं, जेल से बाहर लाकर घुमाते और मजदूरी कराकर मजदूरी हड़प लेते हैं।

आजादी के 70 वर्षों बाद भी आरोप ट्रायल के नाम पर आरोपियों को काल कोठरी में बन्दकर उनका अमानुषिक उत्पीड़न स्वतन्त्रता के दीवानों के अमानुषिक उत्पीड़न से कम नहीं है और यह समस्या भारतीय लोकतन्त्र और संविधान को एक खुली चुनौती दे रही है। चूँकि हिरासतियों की स्वतन्त्रता न्यायिक संरक्षण में परिवर्तित हो जाती है और इसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व सरकार और प्रशासन का है, अतः उत्पीड़न तत्काल बन्द होना चाहिए।

शासकों की शरारत और जनशोषण

“लोकतान्त्रिक व्यवस्था की सुरक्षार्थ भ्रष्टाचारी विनाश अधिनियम बनना चाहिए”

समाज में प्रतिष्ठित समझे जाने वाले शासकों-प्रशासकों द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दहशत फैलाकर शरारत की जाती है। इनकी शरारत को सामान्यतः जनता द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया जाता है क्योंकि इनकी शरारतों के प्रति शरातियों से जनता की मनोवृत्ति साधारण शरारत से भिन्न होती है, यद्यपि इनकी शरारत समाज एवं राष्ट्र के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध होती है।

भारत में लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था के आदर्श को स्वीकार किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान के मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निर्देशक, दोनों का समावेश किया गया है। मूल अधिकार लोकतान्त्रिक व्यवस्था के प्रतीक है और निर्देशक सिद्धान्त समाजवादी व्यवस्था के। भारत में लोकतान्त्रिक व्यवस्था का प्रमाण यह है कि भारतीय प्रशासन जनता के प्रतिनिधियों के निर्देश तथा नियंत्रण में चलाया जाता है लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं बदलते हैं। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था की मान्यता यह भी है कि जनता एवं सरकारी कर्मचारियों के आपसी सम्बन्ध मधुर तथा सहयोग पूर्ण हो।

लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को विशेष स्थान प्रदान नहीं किया जाएगा। लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्यव्यवस्था के आदर्श प्राप्त करने के लिए जहाँ एक ओर कानून के शासन तथा धर्म निरपेक्षता को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है वहीं दूसरी ओर पिछड़े वर्गों के उत्थान को भी आदर्श बनाया गया है। संविधान में इनके उत्थान के लिए विशेष संरक्षणों की व्यवस्था प्रदान की गई है। इन वर्गों के उत्थान के प्रयासों में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। भारतीय राजनीति व्यवस्था की अद्भुत विशेषता यहाँ के नेतृत्व के संदर्भ में बहुत भाग्यशाली रहा है। देश में अनेक नेता चमत्कारी नेतृत्व वाले हुए हैं। इनमें तिलक, गांधी, बोस, विनोबा, जयप्रकाश, लालबहादुर शास्त्री, चौ.चरण सिंह, डॉ. अम्बेडकर, पण्डित नेहरू, अन्ना हजारे आदि हैं जिनके नाम का दुरुपयोग कर अनेक लोग अपने परिजनों सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध लोगों सहित स्वयं सरकारी पदों पर पदासीन होकर देश-समाज की सार्वजनिक धन-सम्पत्ति को हड़प कर अवैध लाभ कमाने में जुटे हुए हैं। इनके द्वारा किए जा रहे अपराध घोटलों एवं आय के स्रोतों से अधिक संग्रहित धन-सम्पत्ति इनको दण्डित किए जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं इसके बावजूद यह दण्ड से बचकर उच्चसदनों में पदासीन होकर भाग्य विधाता बन रहे हैं।

भ्रष्टाचार का शिकार भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था का सर्वाधिक लाभ नौकरशाहों के माध्यम से राजनेताओं और उनके परिवारीजनों को मिल रहा है। देश विकास की योजनाओं का आबंटित धन नेताओं एवं प्रशासनिका अधिकारियों की साँठ-गाँठ से हड़प लिया जाता है। राजनेता और नौकरशाह **‘विशेषाधिकार’** एवं **‘भ्रष्ट लोगों की समितियों’** को अपने बचाव हेतु उपयोग करते हैं। जबकि **विशेषाधिकार** ही **भ्रष्टाचार** का द्योतक है तथा भ्रष्ट लोगों की विशेष समितियों साधारण जनता के विरुद्ध और व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है।

राष्ट्रीय मान-सम्मान प्राप्त करने वालों की वास्तविक स्थिति को देख-विचार कर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि, यदि राष्ट्रीय मान-सम्मानों के चयनों की गम्भीरता पूर्वक जाँच की जाए तो उनकी प्रत्याशिताएँ कार्यशैलियाँ एवं चयनों से लेकर मनोनयन तक की सभी गतिविधियाँ अति संदिग्ध व अन्यायपूर्ण प्राप्त होंगी। इन सभी प्रकार के मनोनयनों से पदासीन व्यक्ति विशेष की कृपा एवं उनके सगे सम्बन्धी आपसी हितबद्ध गुर्गों मात्र तक सीमित रहते हैं। इनके सम्बन्ध में जाँच-कार्यवाही हेतु बनी समितियों में शामिल अधिकांश अधिकारी-सदस्यों की संस्तुति व प्रपत्र फर्जी एवं भ्रामक बनाए जाते हैं।

सार्वजनिक एवं संवैधानिक पदों पर **वी.आई.पी.** के रहीस परिजन सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध पदासीन हो रहे हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि **राजनीतिकदलों और नौकरशाहों** को सार्वजनिक व संवैधानिक पदों पर कार्य करने हेतु अपने परिजनों, सगे-सम्बन्धियों एवं गुर्गों के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय नागरिक पूर्णतया अयोग्य दिखते हैं। नेताओं-नौकरशाहों की **स्वार्थपरित धृतराष्ट्रता** के कारण संवैधानिक पदों पर उनके बिगड़ैल बेटे, बेटी, भाई, बहिन, बहनोई, साले, सादू, दामाद, पतोहू आदि सगे-सम्बन्धी मात्र ही पदासीन हो रहे हैं। ऐसी अलोकतान्त्रिक पदासीनता का प्रस्ताव एवं समर्थन ठीक उसी तरह दिख रहा है, जैसे **किसी किन्नर नरेश के बन्दीजनों के द्वारा किया जाने वाला गुणगान**।

वर्तमान में कहने को हमारे देश और प्रदेशों में लोकतान्त्रिक सरकारें हैं परन्तु वास्तविक स्थिति इससे परे है। सरकारों में पदासीन अधिकांश राजनेता एवं उनके परिजन सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध लोग अपनी सुरक्षा के नाम पर राज्यों की सम्पूर्ण **‘सुरक्षाबलों’** पर कब्जा व **‘समाजसेवा’** के नाम पर फर्जी नाम-पतों के लागों की **एन.जी.ओ.** बना सरकारी मुख्यालयों-कार्यालयों पर कब्जा जमा कर अराजकता कर रहे हैं। नौकरशाह इनकी **‘जी-हजरी’** में जुटे हुए हैं। सरकारी-विकास निधियों का धन फर्जी कार्यवाही से राजनेता-कर्मचारी बैंकों से भुगतान लेकर आपस में बन्दर-बाँट कर रहे हैं। गबन-घपलों को दबाने के उद्देश्य से जाँच समिति-आयोग बनाकर **‘जन-आक्रोश’** दबाया जा रहा है। ऐसी **वी.आई.पी.** और उनके परिजनों की जनविरोधी गतिविधियाँ देश-समाज के लोकतन्त्र एवं जनसाधारण के लिए कितनी उपयोगी एवं कल्याणकारी है, विशेष चिन्ताजनक है।

आज सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करने की प्रेरणाएँ कमजोर हो रही हैं तथा सामाजिक सम्बन्ध एवं सामाजिक बन्धन शिथिल हो रहे हैं। समाज की प्रायः सभी श्रेणियों में अशांति बढ़ रही है, युवाओं, किसानों, औद्योगिक श्रमिकों, छात्रों, सरकारी कर्मचारियों,

अल्पसंख्यकों में अशांति दिख रही है। यह अशांति कुण्ठाओं और तनाओं को बढ़ाती है जिसके परिणामस्वरूप कानूनी और सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन होता है। इस प्रकार समाज की वर्तमान अव्यवस्थाओं और संरचनाओं का संगठन और कार्यप्रणाली अपराध की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है।

प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य करने से पूर्व उससे मिलने वाले सुख एवं दुःख का हिसाब लगाता है और वही कार्य करता है जिससे उसको सुख मिलता है। एक अपराधी भी अपराध इसलिए करता है कि उसे अपराध करने पर दुःख की तुलना में सुख अधिक मिलता है। इसलिए अपराध को रोकने के लिए दण्ड इतना मिलना चाहिए कि अपराध से मिलने वाले सुख की तुलना में अधिक हो।

जन-मानस की सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय के विकास हेतु लोकतांत्रिक व्यवस्था की निगरानी आवश्यक है। यह व्यवस्था तभी उपयोगी हो सकती है जब देश और समाज के प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन पवित्र भाव से करें तथा समाज में उपलब्ध सभी साधनों का उपभोग सामान्यजनों को सुगमता से प्राप्त हों।

साधारण जनता को इन्साफ चाहिए

(‘लाचार मानव रहा पुकार, हमको जीवन दो सरकार’)

भारत में निर्धन, दरिद्र, कंगाल और लाचार मनुष्यों का जीवन बुरी तरह संकट ग्रसित है। भरपेट भोजन, पहनने के लिए स्वच्छ वस्त्र और रहने के लिए आवास उनके सपने से भी परे है। उनके मन—मस्तिष्क पर मौत का साया मडराता दिखाई देता है। उनकी भूख की तड़फ और दर्द का विलाप सम्पन्न व्यक्ति को नाटक लगता है। उनका रक्त और काया व्यापारियों की आय के स्रोत बने गए हैं। लाचार मानव जहाँ भी जाता है उसका शिकार किया जाता है। मानव शिकार अवसर पर ढोल बजाकर उत्सव मनाए जा रहे हैं। धनी और विशिष्टजन साधारण जनता को ठीक उसी तरह शिकार बनाते हैं। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है या सांप अपने अण्डों को स्वयं निगल जाता है।

आपराधिक घटनाओं का अवलोकन करने पर पता चलता है कि अधिकाँश घटनाएँ क्षेत्रों की राजनीति से जुड़े दबंगों और संगठित अपराधियों द्वारा घटित की जाती हैं। यह संगठित अपराधी पुलिस और प्रशासन से साँठ-गाँठ कर योजनाबद्ध ढंग से घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इन आपराधिक घटनाओं में उन्हीं लोगों को शिकार बनाया जाता है जो सीधे और सरल स्वभाव के बाल, वृद्ध, गृहस्थ नर—नारी होते हैं। इन व्यक्तियों पर डाकू, लुटेरे, ठग और उनके गुर्गे तरह—तरह के प्रपंचों से अपना प्रभाव जमाते हैं। समाज के हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। व्यक्तियों की निकटता पाकर उनके परिवार की जासूसी करते हैं। परिजनों को नगरों की सैर और तीर्थ—भ्रमण कराते हैं। परिवार में विवाद कराकर उनके आपसी सम्बन्ध विच्छेद कराते हैं। उनकी सम्पत्ति को विवादित कराकर अपने संरक्षण में लेने की कानूनी प्रक्रिया सम्पन्न कराते हैं। राजनेताओं, अधिकारियों तथा कुख्यात लोगों के सम्पर्क से भय और दहशत उत्पन्न कर लोगों के मन—मस्तिष्क पर अपना जबरदस्त प्रभाव बनाते हैं। इस प्रकार लोगों की अपने ऊपर पूर्ण निर्भरता और मानसिक दासता पाकर उनकी सम्पूर्ण धन—सम्पत्ति का हरण कर लेते हैं।

घटनाओं की चर्चा या विरोध या मुकदमा करने वाले व्यक्तियों का दबंग—अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। उनकी माँ, बहिन, बेटी और पत्नी को अपनी हवस का शिकार बनाकर धन—सम्पत्ति लूट ली जाती है। वादी के सहयोगी और गवाहों की हत्या कर दी जाती है। घटित हो रही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौका बारदात जाने से बचती है। डाकू—लुटेरे घटना को अंजाम देने के बाद गाँव—नगर के बाहर जाकर ‘इधर गए, उधर गए’ कहकर शोर मचाते हैं। जिससे लोग एकत्रित होते हैं और बदमाशों की खोज का नाटक होता है। पुलिस के समक्ष पीड़ित पक्ष के आक्रोश पर पुलिस के लोग ऊल—जलूल तर्क देकर निर्धारित पुलिस कार्यवाही की उपेक्षा कर अपराधियों को बचाने का प्रयास करते हैं। अधिकारियों और न्यायालय के आदेशों पर कानूनी कार्यवाही उपरान्त मामलों में ‘एफ.आर.’ लगाकर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। यदि पीड़ित की ओर से कोई मुकदमा पैरवी की जाती है तो संगठित दबंग अपराधी और पुलिस के लोग बौखलाकर वादी को धमकाकर—मारपीट तथा अमानुषिक उत्पीड़न कर फर्जी मामलों में फंसा कर जेल में डलवा देते हैं। न्यायालय सुनवाई के दौरान अपराध स्वीकार कराने हेतु दबाव डाला जाता है तथा अपराध स्वीकार न करने पर झूठी गवाही देकर सजा करवा दी जाती है।

सामाजिक घटनाओं पर पुलिस भूमिका सदैव संदिग्ध रहती है। किसी भी घटित हो रही घटना की सूचना पर पुलिस मौका—बारदात जाने से बचती है तथा घटना के काफी देर बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुँचती है। घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति राजनीतिक दबंगों के साथ पुलिस स्टेशन पर पहुँचकर पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाते हैं और जब पीड़ित पक्ष घटना पर कानूनी कार्यवाही की बात कहता है तो सम्बन्धित पुलिस वाले कानूनी प्रक्रिया की उपेक्षा कर पीड़ित पक्ष को भगाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक और प्रशासनिक दबाव पड़ने पर शिकायत की एन.सी.आर. दर्ज हो पाती है और समझौते की बात लिखकर मामले को दबा दिया जाता है। जब पीड़ित पक्ष अपनी बात न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो न्यायालय में जिस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही होती है वह किसी भी प्रकार ‘नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त’ के अनुरूप नहीं होती है। न्यायालय में बैठे पेशकार और पैरोकार पक्षकारों से न्यायालय में ही धन लेकर तारीख पर तारीख लगाते रहते हैं। यदि पक्षकार पैसा देने से बचता है तो पूरे दिन न्यायालय के बाहर बैठाकर देर शाम बिना उचित कारण मामले में ‘स्थगन’ देकर तारीख लगा दी जाती है या पक्षकार को अनुपस्थिति दिखाकर बारण्ट जारी करवा दिया जाता है और अभियुक्त बना कर जेल में डाल दिया जाता है।

पुलिस द्वारा फर्जी मामलों में तो आरोपी के विरुद्ध आरोप—पत्र और झूठी गवाही न्यायालय में प्रस्तुत करती है परन्तु वास्तविक घटना के वास्तविक अपराधियों के विरुद्ध ‘आरोपपत्र’ प्रस्तुत करने से बचती है। वादी द्वारा मामले को न्यायालय में सुनावाने पर अपराधी एवं पुलिस वादी—गवाहों को बुरी तरह उत्पीड़ित कर मामले को रफादफा कराने का प्रयास करते हैं।

आज व्यक्तित्व विकास हेतु अनेक सरकारी योजनाओं का धन और साधन सफेद हाथी सिद्ध हो रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए निर्धारित शिक्षालय और पाठ्य—सामग्री व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत उपभोग और व्यापारिक तथा राजनीतिक लाभ के साधन बन गये हैं। सरकारी विकास का धन व्यक्ति विशेष के आपसी हितबद्ध लोगों की आय (बन्दर—बाँट) के स्रोत बन गये हैं। छात्रवृत्तियों का धन परीक्षा में नकल के नाम पर हड़पा लिया जाता है। ट्यूशन—कोचिंग शिक्षकों का व्यापार बन गया है।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सामूहिक चुनाव के माध्यम से सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व जरूरी होने के बावजूद साधारणजन के स्थान पर स्वार्थी—अपराधी और अति विशिष्टजन मनमाने ढंग से उच्च पदों पर स्वयं—भू पदासीन हो रहे हैं। सामूहिक चुनावों में जनता

के बीच लोक-लुभावने सपने दिखाकर और धन-वैभव के प्रचार-प्रसार से जनता के बीच वाह-वाही लूटकर संगठित अपराधी परिजनों सहित स्वयं को संवैधानिक पदों पर आसीन करने में सफल हो रहे हैं। शासन-व्यवस्था में नियम और कानून की जबरदस्त उपेक्षाकर सरकारी राजकोष का धन हड़पा जा रहा है। सामान्य लोगों को जन प्रतिनिधित्व से बंचित करने के उद्देश्य से ऊँची शुल्क और जटिल प्रक्रिया लागू कर जन-साधारण को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे जन विरोधी प्रावधानों के माध्यम से संगठित अपराधी धन के प्रभाव से अपनी पदासीनता का स्थायित्व प्राप्त कर रहे हैं और अपने विरुद्ध जनता का रुख भाँपकर चुनाव अवसर पर दल बदल कर पुनः अपने को स्थापित करने में सफल हो रहे हैं।

आज हमारे भारतीय समाज का स्वरूप 'मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण' करने वाला तथा धनी को अधिक धनी और निर्धन को अधिक दरिद्र बनाने वाला समाज है। पूँजीपति, राजनेता, नौकरशाह गरीब जनता का खून रहे हैं, उनके श्रम और विकास के धन पर टिके हुए हैं और उन्हीं की अज्ञानता एवं मजबूरी का अनुचित लाभ उठाकर मौज-मस्ती कर रहे हैं। पूँजीपति, उद्योगपति, राजनेता, नौकरशाह, साहूकार साधारण जनता को उत्पीड़ित कर उसका शोषण कर रहे हैं।

उपरोक्त परिस्थिति का परिणाम यह हो रहा है कि अधिकाधिक पूँजी पूँजीपतियों की तिजोरियों में इकट्ठी हो रही है अर्थात् धनवान अधिक धनी बन रहे हैं। जो लोग अपना खून-पसीना एक करके धन को उत्पन्न कर रहे हैं, और जिनका कि वास्तव में धन पर अधिकार होना चाहिए वे क्रमशः निर्धनता के निम्नतम स्तर पर पहुँच रहे हैं। श्रमिक और बेरोजगार व्यक्तिगत रूप में क्योंकि स्वतन्त्र होते हैं, इसलिए धनीवर्ग उसको इस रूप में बेच या मार तो नहीं सकते हैं जैसा कि दासत्व के युग में दास के मालिक दासों के साथ करते थे परन्तु इस व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का भारी मूल्य भी उन्हें चुकाना पड़ता है और पूँजीपतियों द्वारा शोषण के परिणामस्वरूप उनकी दशा दिन-प्रति-दिन अधिक दयनीय होती जा रही है।

खाद्यान्न की समस्या से पीड़ित इन कमजोर साधारणजनों को प्रलोभन देकर ईंट-भट्टों, कोल्ड स्टोर्स, मिलों, कृषि फार्मों, चाय के बगानों, खानों, होटलों, आवासों, स्कूलों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में अपने क्षेत्र से बाहर ले जाकर आर्थिक शोषण किया जाता है। वहाँ मजदूरों के रूप में इनकी दशा दयनीय हो रही है। उनसे जानवरों की तरह कार्य लिया जाता है। उनके स्वास्थ्य विकास की उपेक्षा की जाती है। कानून भी प्रायः आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों का ही साथ देता है।

समाज एवं संस्थाओं के विकास हेतु जारी सरकारी धन को सरकार में बैठे लोगों सहित सरकार अधिकारी एवं कर्मचारी तथा प्रबन्धतन्त्रों के अध्यक्ष-सचिवों के रैकिट आपस में बन्दर-बाँट कर लेते हैं। विकास योजनाओं में चयनित पात्र का निर्धारित प्रारूप पर नाम-पता से बैंक खाते खुलवाकर खातों से फर्जी भुगतान लिया जाता है। मनरेगा, मिड-डे-मील, बाल विकास, महिला-शिक्षा विकास, जिला-ग्राम-नगर विकास, मानवविकास, मार्ग-निर्माण, आवासव्यवस्था, मजदूरी, वेतन, छात्रवृत्ति आदि का धन जमा-भुगतान में खानापूर्ति से सरकारी धन को हड़प कर गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ की जा रही हैं।

देश में भ्रष्टाचार फैशन बन गया है। आज जो व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है और घूस नहीं लेता है, वह आउट ऑफ डेट माना जाता है तथा उपहास को पात्र बनता है। कमीशन, चाय, पानी, डोनेशन, पार्टी-दावत देना आदि तो स्वीकृत आचार संहिता के अन्तर्गत आते हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

भ्रष्टाचार जब जन-जीवन में सामान्य हो जाय, तो देश और समाज के लिये 'घातक' हो जाता है आज भारत में भ्रष्टाचार आम हो गया है। भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण पूर्ण स्वार्थवाद, गोपनीयता, जन जागरूकता का अभाव, अज्ञानता, दण्ड का अभाव, उच्च प्रतिष्ठा, कानून की अनभिज्ञता, नैतिक शिक्षा की उपेक्षा, ऊँच-नीच की खाई, जातिवाद, पूँजीवाद, आदि हैं।

भ्रष्टाचार और अपराध ने देश की कमर तोड़ दी है। 67 वर्ष बाद की आजादी में भारत में भ्रष्टाचार और अपराध जिस तेजी से फैला है, शायद वेशरमा भी उतनी तेजी से नहीं फला होगा। आज अपराध और भ्रष्टाचार आम जीवन में व्याप्त है और यही कारण है कि देश की सारी विकास योजनाएँ बांछित परिणाम नहीं दे पा रही हैं। आज देश की जनता भय, दहशत, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध से त्रस्त है। अतः आवश्यक हो जाता है कि इस समस्या का निदान किया जाय। इस की समस्या के समाधान के लिए अधोलिखित उपाय सहायक हो सकते हैं।

राजीनतिक अपराधीकरण पर रोक तथा सस्ती नेतागिरी को हतोत्साहित किया जाए। वर्तमान शिक्षा युवाओं में निराशा और कुण्ठा का विकास करती है अतः एक निश्चित स्तर के बाद शिक्षा के लोक व्यापीकरण पर रोक लगे और सभी संकायों की शिक्षा का दायित्व सरकार वहन करे। शैक्षिक संस्थानों के निजी स्वामित्व पर अंकुश लगाया जाय। 'विमुचितः किम् न करोति पापम्' के अनुसार भूखे को भोजन और वस्त्र देना आवश्यक है। निर्धनता का उन्मूलन और एकाधिकार पद्धति का अन्त होना चाहिए। कोटा और परमिट व्यवस्था का अन्त, रोजगार की सुविधाओं में वृद्धि तथा समाज में व्यवसायिक नैतिकता को बढ़ावा मिलना चाहिए। नौकरशाही पर नियन्त्रण होना चाहिए इसके लिए नौकरशाही में अधिकाधिक समस्याओं को निपटाने की क्षमता और उत्तरदायित्व की वहन करने की सद्‌इच्छा होनी चाहिए तथा कठोर कार्यकुशलता और कर्मठता एवं सेवा की भावना होनी चाहिए। भ्रष्टाचार की जन निन्दा तथा भ्रष्टाचारियों को कठोर दण्ड मिलना चाहिए। जनता का कानून का ज्ञान कराकर जग जागरूकता का विकास किया जाना चाहिए। त्वरित न्याय के लिए न्यायालयों का सुधार और पुलिस ज्यादाती पर अंकुश लगाना चाहिए। जन विकास योजनाओं के धन में बन्दर-बाँट व आयस्रोत-वेतन से अधिक आय देशद्रोह अपराध की श्रेणी में माना जाए।

भ्रष्टाचारमुक्त न्याय की अपेक्षा और जनता

(न्याय अतिक्रमण से प्रभावित जन-जीवन का एक सामाजिक विवेचन)

प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से सत्य, निष्ठ और अच्छे आचरण की अपेक्षा करता है। बर्बरता का शिकार न्याय चाहता है। संकट ग्रसित व्यक्ति जानता है कि उसका संकट मोचक 'न्याय' है। जिसकी प्राप्ति न्यायप्रिय व्यक्ति के माध्यम से सम्भव है। न्याय आश लिए पीड़ित का सम्पर्क औपचारिक-अनौपचारिक संस्थाओं से होता है। जहाँ सहायता एवं कार्यवाही के नाम पर तरह-तरह की कागजी खानापूर्ति उपरान्त लोक-लुभावने आश्वासन मिलते हैं। बाद में न्याय के नाम पर अन्याय के चंगुल में फंसे होने का आभास पर व्यक्ति अपने को भ्रामक न्याय के ठग बाजार में खड़ा पाता है। जहाँ से वापस होना उसी प्रकार असम्भव होता है जैसे वैश्यावृत्ति का शिकार नारी को चौक (वेश्यालय) से निकल पाना सम्भव नहीं हो पाता है।

सामाजिक न्याय-व्यवस्था के अन्तर्गत देश में स्थापित औपचारिक संस्थाओं की गतिविधियाँ व्यक्ति-समाज के लिए कितनी कल्याणकारी हैं, की वास्तविकता का अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके झांसे में फंसे अधिकांश व्यक्तियों का बुरी तरह शोषण किया जाता है। कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति होती है। विकास की योजनाओं का धन हड़प लिया जाता है। लम्बी अवधि तक मामलों को लटका कर धन वसूला जाता है एवं पीड़ित की त्रुटि निकालकर मामला दफन कर दिया जाता है।

जनता को आवश्यक न्याय शुल्भ कराने के उद्देश्य से ग्राम-पंचायत, जिला-सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय संचालित हैं। संविधान के अनुरूप देश-व्यवस्था के संचालन की निगरानी सर्वोच्चन्यायालय करता है। यह न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों के निर्णयों की अपीलों पर निर्णय देता है। जनपद न्यायालय गम्भीर प्रकृति के अपराधों व अपने अधीन अदालतों के निर्णय की अपीलों पर निर्णय देते हैं। निचली अदालतें सामान्य अपराधों में न्याय-दण्ड निर्धारित करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया का संचालन और निर्णय खुले न्यायालय में सी.आर.पी.सी., सी.पी.सी., विशेष संहिताओं आदि के अनुरूप निर्धारित है।

निम्न से उच्च स्तर की समस्त न्याय व्यवस्थाएँ जनता के हितों की सुरक्षार्थ हैं। जन-जीवन की सुरक्षार्थ नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति व समस्याओं का समाधान का दायित्व सरकार एवं न्यायालय का है। संविधान के प्रतिकूल आचरण मामलों में दण्डाधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। यहाँ विशेष अपील पर सुनवाई होती है। देश-प्रदेश के सभी न्यायालयों की न्यायिक प्रक्रिया में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है। निर्धारित तिथि पर किसी भी मामले की सुनवाई बिना ठोस कारण स्थगित नहीं की जा सकती है। न्यायालय निर्णय-आदेशों का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति-समाज का दायित्व है।

न्याय व्यवस्था के वर्तमान स्वरूपों से प्रभावित सामाजिक न्याय एवं हानियों के आधार पर कोई भी निर्णय एवं सुझाव निर्धारित करने से पूर्व देश-समाज के न्यायालयों की प्रचलित व्यवस्था पर प्रकाश डालना आवश्यक है जो कि अधोलिखित है।

किसी भी घटना की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। रिपोर्ट-प्रति एवं आरोपी को पुलिस द्वारा न्यायालय को सौंपा जाता है। जहाँ न्यायालय जेल-रिमाण्ड या जमानत देता है। चार्ज लगाकर आरोपी को सुना जाता है तथा आरोप का विरोध होने पर न्यायालय में जाँच-विचारण के अन्तर्गत साक्ष्य-जिरह चलती है और अन्त में दोषसिद्ध या दोषमुक्त निर्णय जारी होता है। निर्णय में त्रुटि-संशोधन या ज्यादाती आधार पर अपील-पुनरीक्षण प्रस्तुत होते हैं।

आज थानों में पैसा देने पर ही रिपोर्ट दर्ज होती है। कार्यवाही करने में पुलिस हीला-हवाली कर न्याय की अपेक्षा करती है। आरोपियों की हिरासत, चार्जशीट लगाने, जाँचों में पुलिस पैसे लिए बिना कोई कार्यवाही नहीं करती एवं निदोषों या आरोपियों को बुरी तरह यातना देकर आरोप स्वीकार करा चालान किया जाता है। पुलिस द्वारा अदालतों में दाखिल किए जाने वाले आरोपियों एवं प्रपत्रों को देखे-समझे बिना तारीखें देकर आरोपियों को जेल में डाल दिया जाता है। आरोप जाँच-विचारण के नाम पर बिना ठोस कारण मनमाने ढंग से न्यायिक कार्यवाही स्थगित कर अनावश्यक तारीखें लगती रहती हैं। इस प्रकार मामलों की कार्यवाही सालों-दशकों तक लम्बित बनी रहती है। प्रार्थनापत्र के निस्तारण की आश में वर्षों गुजर जाते हैं। कभी पक्षकार तो कभी वकील तो कभी गवाहों की अनुपस्थिति बताकर सुनवाई टाल दी जाती है। हड़ताले-प्रदर्शन और साहब का मूड नहीं है की बात कहकर कार्यवाही टालना आम बात है। इस तरह न्यायालय के मामले चलते रहने से पीड़ित पक्ष-वादी बुरी तरह से परेशान एवं हतोत्साहित होते हैं तथा वादी की मजबूरी का लाभ उठाकर अपराधी दण्ड पाने से बच जाते हैं।

रिवीजन-प्रार्थनापत्रों के निस्तारण में भी जाँच प्रक्रिया अनावश्यक ट्राइल के रूप में चलती है। प्रपत्रों को न्यायालय कर्मचारियों द्वारा पैसा लेकर दबा दिए जाते हैं। पीठासीन के पास न्यायालय में बैठा पेशकार, पैरोकार, अर्दली पक्षकारों से धन लेकर तारीखें देता रहता है। धन न देने पर पक्षकारों को न्यायालय के बाहर दिन भर बैठाकर एवं अनुपस्थिति कर बारण्ट जारी दिया जाता है। अधिकांश न्यायालयों में कर्मियों के सगे-सम्बन्धी एवं बाहरी लोग पक्षकारों से धन लेकर पत्रावलियों में हेराफेरी करते हैं। हड़ताल के नाम पर न्यायालयों में घुसकर उत्पात एवं कर्मियों, वादी, गवाहों के साथ मारपीट की घटनाएँ आम बात हैं।

लोकसेवकों में भ्रष्टाचार हमेशा एक-दूसरे रूप में विद्यमान रहा है यद्यपि इसका स्वतन्त्र आयाम प्रकार और छवि समय-समय पर बदलते रहे हैं। एक समय था जब रिश्तत गलत कार्यों को करने के लिए दी जाती थी लेकिन आज सही कार्य को समय पर कराने के लिए दी जाती है।

समाजिक सेवाओं के कौन से कार्यों को भ्रष्ट कहा गया है? यद्यपि भ्रष्टाचार शब्द के व्यापक अर्थ हैं किन्तु कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत लोकसेवकों के यह व्यवहार भ्रष्ट कहे गए हैं—अधिकारिक हैसियत से किए गए कार्य के लिए पुरस्कार स्वरूप भेंट स्वीकार करना, अवैध रूप से कोई भी वस्तु—लाभ प्राप्त करना, सार्वजनिक सम्पत्ति का धोखाधड़ी से दुरुपयोग करना, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपात में सम्पत्ति या आर्थिक संसाधन जुटाना, अधिकारिक पद का दुरुपयोग, सरकारी व्यवहार से सम्बन्धित किसी व्यक्ति से कीमती वस्तु खरीदने के लिए धन व लोन यह मानते हुए कि उधार लिया धन वापस नहीं किया जाना है, उच्च स्थिति—पद पर होने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे लोगों से भेंट स्वीकार करना जिनके साथ उनसे पद के नाते सम्बन्ध हो, जानबूझकर नियमों की अनदेखी करते हुए देय करों आदि के भुगतान से बचने में लोगों की मदद करना, किसी बहाने से किसी कर्तव्य को करने से इन्कार करने की नियत से पुलिस अधिकारी का किसी मामले को पंजीकृत करने से मना करना।

यह सर्वविदित है कि एक बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञ न केवल भारत बल्कि विश्व में भ्रष्ट हैं। राजनीतिज्ञों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने पर लोगों को कोई आघात नहीं पहुँचता। ईमानदार राजनीतिज्ञ न केवल बेदाग बिना दण्ड बच निकलते हैं बल्कि वे तो राजनीतिज्ञ मंच पर सम्माननीय नेता के रूप में अकड़ कर चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार बल्लभभाई पटेल जैसे मन्त्रियों के उदाहरण कम हैं जिनकी मृत्यु पर बैंक में जमा राशि नगण्य थी। इस धरती पर जब एक व्यक्ति बेरोजगारी के कारण अपने बच्चों की रोटी का प्रबन्ध करने के लिए चोरी करता है तब उसको जेल की हवा खानी पड़ती है, जबकि वे जो देश को दोनों हाथों से लूटते रहते हैं माननीय नागरिक होते हैं क्योंकि या तो राजनीति में बड़ी तोप है या सत्ता के केन्द्र।

भ्रष्टाचार की बात करते समय हमें बड़े वित्तीय मामले या घोटालों पर ही बात करनी चाहिए या फिर सार्वजनिक, नौकरशाही, औद्योगिक, संस्थात्मक आदि प्रकार के भ्रष्टाचार पर या फिर उन मामलों पर जो दिखाई तो नहीं देते किन्तु हमारे दैनिक जीवन में छाये रहते हैं और नैतिक ताने—बाने को कमजोर बनाते रहते हैं। कुछ लोग महसूस करते हैं कि हमें भ्रष्टाचार को कई श्रेणियों में बाँट लेना चाहिए। एक विचार के अनुसार भ्रष्ट कार्य का आधार 'धनराशि' होनी चाहिए, जबकि दूसरा विचार कि आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। एक बड़े लाभ की प्राप्ति के लिए खर्च के लिए थोड़े रुपये पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा विचार कि 'बाछित सेवा' प्राप्त करने के लिए 'खर्च' की यह राशि चिन्ता का विषय नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार तभी आता है जब कीमत चुकाई जाती है लेकिन उसके लिए कोई सेवा नहीं पाई जाती। लेकिन भोजन में मिलावट या नकली दवाओं की बिक्री और इसी प्रकार के मामलों को क्या कहें? सामान्यतः ऐसे मामले 'भ्रष्टाचार' नहीं कहे जाते। क्या परीक्षा में नकल करवाना भ्रष्टाचार है? अपने बचाव में परीक्षक कहते हैं कि वे 'एहसान' करते हैं एवं एहसान करना भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? बहुत से लिपिक कार्यालय जाकर उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर कर देते हैं लेकिन अपनी कुर्सी पर नहीं मिलते। वे तभी उपलब्ध होते हैं जब उन्हें फाइल आगे बढ़ाने के लिए धन दिया जात है। यहाँ धन लेना भ्रष्टाचार है।

कुछ लोग कहते हैं कि जब भ्रष्टाचार अमेरिका, जापान, हालैंड, फ्राँस, कनाडा, जर्मनी जैसे विकसित देशों में है तो भारत में अनावश्यक रूप से लोग इसके लिए क्यों चिन्तित हैं? ये लोग भूल जाते हैं कि भ्रष्टाचार की प्रकृति उन देशों में भारत से भिन्न है। उन देशों में भ्रष्टाचार केवल उच्च व्यापारियों के बीच होता है, जबकि भारत में हम रेल आरक्षण के लिए, न केवल व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश बल्कि बच्चों को स्कूलों में प्रवेश के लिए भी, सिनेमा टिकट, गैस सिलेण्डर खरीदने, बिना हेलमेट स्कूटर चलाने, बकाया राशि का बिल पास कराने एवं टैक्स (कर) वापस लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। अन्य देशों में जब अवैध वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पैसा दिया जाता है, भारत में वैध एवं अधिकारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए पैसा देना पड़ता है। आम आदमी के दैनिक जीवन को यह सब बातें प्रभावित करती है, अतः हमें ऐसे भ्रष्ट कार्यों पर चिंतित होना चाहिए।

भ्रष्टाचार ने हमारे देश—समाज को कई प्रकार से प्रभावित किया है: इसने देश के आर्थिक विकास को रोक रखा है, सामाज में हिंसा और अराजकता को जन्म दिया है क्योंकि भ्रष्ट व्यक्ति के पास कानून लागू करने वालों को अपने फायदे के लिए खरीदने की धन शक्ति है। इसने जातिवाद, भाषावाद और साम्प्रदायिकता को जन्म दिया है। इसने अकुशलता को बढ़ाया है, भाई—भतीजावाद और सुस्ती में वृद्धि की है एवं प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन हीनता को जन्म दिया है जिससे सामान्य आदमी का जीवन कष्टप्रद हो गया है। इसने जनता की दृष्टि में अधिकारियों की विश्वसनीयता को कम कर दिया है। इसने देश में काले धन में वृद्धि की है। इसने खाने पीने की वस्तुओं एवं दवाओं में मिलावट करने जैसी क्रियाओं को रास्ता दिखाया है तथा उपभोक्ता पदार्थों में कमी पैदा की है। इसने सरकार को केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर अस्थिर बनाया है।

भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी जाती? क्या इसलिए कि लोगों को डर रहता है कि भ्रष्ट लोग उन्हें ही हानि पहुँचा देंगे? वे उदासीन होते हैं कि समाज को सुधारना उनका कर्तव्य नहीं है, एवं निराशावादी होते हैं कि भ्रष्ट लोग शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग होते हैं तथा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तथापि ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के मामलों को अधिकारियों को समझ लेने में प्रयास तो करते हैं। यह वे लोग होते हैं जो बेचैन रहते हैं, जिनमें अपराध भावना नहीं होती है और जिन्हें समाज की भलाई के लिए कुछ करने में चैन मिलता है। भ्रष्टाचार एक बहुमुखी शैतान है जिसको लोगों के सामूहिक प्रयास से ही पराजित किया जा सकता है। यदि जन—समुदाय यह मात्र समझ ले कि बेईमान अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को नहीं स्वीकारा जाना है तो बाजी जीत ली। लेकिन अहम प्रश्न यह है कि क्या यह कभी होगा?

भ्रष्टाचार को नियन्त्रित करने के लिए हमें कानूनी कार्य विधि और प्रशासन पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। विशिष्ट व्यक्तियों के विशेष स्थितियों में काम करने और व्यवहार करने के सम्बन्ध में कानून—नियम अत्यन्त कठोर जटिल और द्विअर्थक हो तो इससे भ्रष्टाचार हो प्रोत्साहन मिलेगा ही। कानून ऐसे न हो कि उनमें विवेक प्रयोग की अत्याधिक छूट हो। विवेक का प्रयोग अधिकारी के स्तर और उसकी भूमिका के आधार पर निश्चित होना चाहिए। प्रशासनिक कानूनों में संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक दोनों ही कारक शामिल हैं। संगठन

की संरचना किस प्रकार की है यह तथ्य भ्रष्टाचार के लिए कमजोरियों का निर्धारण करेगा। प्रकार्यात्मक कम करने के लिए निरंतर प्रक्रिया को इंगित करता है जो कि कार्य की गुणवत्ता परिमाण निरीक्षण व मान्य कमियों की अधिकता दर्शाती है। कृत्रिम कमी एवं अभावों पर नियन्त्रण हो जिसमें अवैध सन्तुष्टि की सुविधा को बल मिलता है। सतर्कता में वृद्धि हो। यह एक भ्रम है कि सतर्कता से कुशलता में बाधा उत्पन्न होती है बल्कि यह तो इसमें वृद्धि करती है। संदिग्ध अधिकारी जिनकी निष्ठा सन्देहास्पद हो, को संवेदनशील पदों से दूर रखा जाए। भ्रष्टाचार के ज्वलन्त बिंदुओं का अचानक निरीक्षण किया जाए। उदारीकरणनीति को सावधानी से लागू किया जाए। कभी-कभी उदारीकरण व मुक्त बाजार की नीतियाँ भ्रष्टाचार को कम करती हैं लेकिन आज उदारीकरण अनुमानिता कोई पक्षपात करने के बदले में स्वीकृत हो जाती है। चुनाव खर्चों पर सख्ती से नियन्त्रण लगाया जाए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए साधारण जनता का सहयोग लिया जाना चाहिए।

अमीर एवं गरीब तथा संरक्षकता सिद्धान्त

राजनेता और धनी लोग स्वेच्छा से ट्रस्टीशिप के नियम का पालन करें और उचित रूप से जीवन धारण करने मात्र के लिए अपने ऊपर खर्च करते हुए अपनी शेष धन-सम्पत्ति को सर्वसाधारण के हित में लगाएँ। ट्रस्ट में आपसी हितबद्ध लोगों की पदासीनता से प्रथकता एवं जनसाधारण की सदस्यता आवश्यक एवं वैधानिक है।

आज अमीर और गरीब के बीच कितनी ही असमानताएँ तथा उनसे पैदा होने वाली समस्याएँ हैं। अमीर के यहाँ उसे नहीं चाहिए कि वैसी वस्तुएँ जो भरी पड़ी होती हैं, जो लापरवाही से खो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं; जबकि इन्हीं वस्तुओं की कमी के कारण करोड़ों लोग यहाँ-वहाँ भटकते हैं; भूखों मरते हैं, ठण्ड से ठिठुर जाते हैं। करोड़पति अरबपति होना चाहता है, फिर भी उसको सन्तोष नहीं होता। कंगाल करोड़पति होना चाहता है; कंगाल को भरपेट ही मिलने से सन्तोष होता हो—ऐसा नहीं देखा जाता। फिर भी भरपेट पाने का हक, और उतना पाने योग्य बनाना समाज का कर्तव्य है। संरक्षकता या प्रत्यास का सिद्धान्त इसी कर्तव्य से सम्बंधित है।

आर्थिक क्षेत्र में पाई जाने वाली असमानताओं को दूर करने के दो सम्भावित उपाय हैं। इनमें एक **साम्यवादी** उपाय है कि अमीरों का धन उनसे जबरदस्ती छीनकर सर्व हित के उपयोग में लाया जाए और दूसरा अमीर लोग स्वेच्छा से, कर्तव्य समझकर, अपना धन सर्व-साधारण के हित में लगाएँ और अपने को निर्धनों का **संरक्षक या प्रत्यासी** समझें। साम्यवादी उपाय हिंसापूर्ण है इसलिए अहिंसक मार्ग यह है कि जितनी उचित मानी जा सकें उतनी आवश्यकताएँ पूरी करने के बाद जो पैसा बाकी बचे उसके धनी, प्रजा की ओर से संरक्षक बन जाए। अगर वह प्रामाणिकता से संरक्षक बनेगा तो जो पैसा पैदा करेगा उसका सद् व्यय भी करेगा। जब मनुष्य अपने-आपको समाज का सेवक मानेगा, समाज के लिए धन कमाएगा और समाज के कल्याण के लिए उसे खर्च करेगा, तब उसकी कमाई में शुद्धता आएगी। उसके साहस में भी अहिंसा होगी। इस प्रकार की कार्य-प्रणाली का आयोजन किया जाए तो समाज में बगैर संघर्ष के मूक क्रान्ति पैदा हो सकती है।

यदि समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी शक्तियों का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन में वृद्धि नहीं, बल्कि सबके कल्याण के लिए करे, तो क्या इससे समाज की सुख-समृद्धि में वृद्धि नहीं होगी? हमें ऐसी जड़ समानता का निर्माण नहीं करना चाहिए जिसमें कोई आदमी अपनी योग्यताओं का पूरा-पूरा उपयोग कर ही न सके। ऐसा समाज अन्त में नष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए धनवान लोग चाहे करोड़ों रुपए कमाएँ (बेशक इमानदारी से हो), लेकिन उसका उद्देश्य सारा पैसा सबके कल्याण में समर्पित कर देने का होना चाहिए। दूसरे शब्दों में धनी लोगों को इस संबन्ध में सदैव सचेत रहना चाहिए कि जो धन उनके पास है (उसमें से उनकी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन निकाल कर शेष धन) वह वास्तव में जो समाज की धरोहर है और वे उसके संरक्षक हैं; इसलिए वह धन जनकल्याण-कार्य में ही खर्च होना है। यही प्रत्यास या संरक्षकता का सिद्धान्त है। इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार धनी वर्ग के पास जो अधिक धन है उसमें से उन्हें केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धन खर्च करना चाहिए और बाकी केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धन खर्च करना चाहिए और बाकी धन जो बचता है उसे जनहित में लगा देना चाहिए क्योंकि धनी वर्ग बचे हुए धन का संरक्षक मात्र है उपभोक्ता नहीं। समाज से यह धन उसे धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है, उपभोग के लिए नहीं यही विचार संरक्षकता के सिद्धान्त में अन्तर्निहित भावना है। अहिंसात्मक उपाय के द्वारा न तो हम पूँजीपति को नष्ट करना चाहते हैं और न ही पूँजीवाद को। हम पूँजीपति को निमन्त्रण देते हैं कि वह अपने को उन लोगों का संरक्षक माने जिनके परिश्रम पर वह अपनी पूँजी को बनाने, कायम रखने तथा उसे बढ़ाने के लिए आश्रित है।

हमारा विश्वास है कि समानता या धन के समान वितरण की समस्या की जड़ में संरक्षकता का सिद्धान्त है। हमारे समाज की कल्पना यह है कि हम पैदा तो समान होते हैं अर्थात् हम सबको अवसर पाने का अधिकार है, परन्तु हम सबकी क्षमता या शक्ति एक जैसी नहीं होती। प्रकृति की रचना ही ऐसी है कि क्षमता एक जैसी हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए, सबकी एक जैसी ऊँचाई, एक जैसा रंग, एक जैसा नाक-नक्शा या एक जैसी बुद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए स्वभावतः ही कुछ लोगों की कमाने की योग्यता अधिक होगी और दूसरों की थोड़ी। बुद्धिशाली व्यक्तियों की योग्यता अधिक होगी और वे अपनी बुद्धि का इस काम के लिए उपयोग करेंगे। यदि वे उपकार की भावना रखकर अपनी बुद्धि का उपयोग करें तो राज्य का ही काम करेंगे। ऐसे लोग संरक्षक बनकर रहते हैं, और किसी भी रूप में नहीं। समाज बुद्धिशाली लोगों को अधिक कमाने देगा, उसकी बुद्धि को कुंठित नहीं करेगा। परन्तु उसकी अधिकांश कमाई राज्य की भलाई के लिए वैसे ही काम आनी चाहिए, जैसे कि पिता के सारे कमरू पूत की आमदनी परिवार के कोष में जमा होती है। वे अपनी कमाई के संरक्षक बनकर ही रहेंगे।

माना कि विरासत के या उद्योग-व्यवसाय के द्वारा मुझे काफी बड़ी सम्पत्ति मिल गई। तब मुझे यह जानना चाहिए कि वह सब सम्पत्ति मेरी नहीं है, बल्कि मेरा तो उस पर इतना ही अधिकार है कि जिस तरह दूसरे लाखों आदमी गुजर करते हैं उसी प्रकार मैं भी सम्मान के साथ अपनी गुजर करूँ। मेरी शेष सम्पत्ति पर राष्ट्र का अधिकार है और उसी के हित के लिए उसका उपयोग होना आवश्यक है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन तब हुआ था, जबकि जमींदारों और राजाओं की सम्पत्ति के सम्बन्ध में समाजवादी सिद्धान्त देश के सामने आया था। समाजवादी विशेष सुविधाएँ पाए हुए इन वर्गों को खत्म कर देना चाहते थे, जबकि **गाँधी जैसे महापुरुष** चाहते थे कि वे (जमींदार और राजा) अपने लोभ और परिग्रह की भावना को छोड़ें और उन लोगों के समकक्ष बन जाएँ जो मेहनत करके रोटी कमाते हैं। मजदूरों को भी यह अनुभव करना होगा कि मजदूर का काम करने की शक्ति पर जितना अधिकार है, मालदार आदमी का अपनी सम्पत्ति पर उससे कम अधिकार नहीं है। यह दूसरी बात है कि इस तरह के सच्चे ट्रस्टी-संरक्षक कितने हो सकते हैं। अगर सिद्धान्त ठीक हो

तो यह बात गौण है कि उसका पालन अनेक लोग कर सकते हैं या केवल एक ही आदमी कर सकता है। यह प्रश्न आत्मविश्वास का है।

यदि भारी प्रयत्न करने पर भी धनिक संरक्षक न बनें और भूखों मरते हुए करोड़ों को अहिंसा के नाम से और अधिक कुचलते जाएँ तब क्या किया जाए? इस प्रश्न का उत्तर ढूँढ़ने में ही अहिंसक असहयोग और सविनय कानून-भंग का सिद्धान्त या साधन प्राप्त हुए। कोई धनवान गरीबों के सहयोग के बिना धन नहीं कमा सकता। इसलिए यदि गरीब अहिंसक असहयोग आन्दोलन चलाएँगे तो धनवान को बाध्य होकर ही घुटने टेक देना होगा।

भरसक प्रयत्न करने पर भी यदि धनिक संरक्षकता के नियमों का पालन न करे, उस स्थिति में राज्य का कर्तव्य है, राज्य कम हिंसा का आश्रय लेकर उनसे उनकी सम्पत्ति अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। इसी कारण गाँधी जी ने गोलमेज परिषद में यह कहा था कि सभी निहित हित वालों की जाँच होनी चाहिए और जहाँ आवश्यक मालूम हो वहाँ मुआवजा दिए बिना ही, जहाँ जैसा उचित हो, उनकी सम्पत्ति राज्य को अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर तो यही होना चाहिए कि राज्य के हाथों में शक्ति का ज्यादा केन्द्रीकरण होने के बजाय ट्रस्टीशिप की भावना का विस्तार हो, क्योंकि मेरे विचार में राज्य की हिंसा की तुलना में वैयक्तिक मालिकी या पूँजीपतियों की हिंसा कम हानिकारक है। लेकिन यदि राज्य की मालिकी अनिवार्य ही हो तो मैं भरसक राज्य की कम-से-कम मालिकी की सिफारिश करूँगा।

लोक-हित में धन खर्च करने का तात्पर्य यह नहीं कि धनिक उस धन-सम्पत्ति को गरीबों में बाँट देगा। वैसा करने से तो उसे खा-पीकर शीघ्र ही बराबर कर देंगे। वह उसे प्रथम तो ऐसे उद्योगों व व्यवसायों में लगाएगा जिससे सर्व-साधारण को कार्य मिल सके। उसके उद्योगों में मजदूरी व संरक्षण मिलेगा। पूँजी का उपयोग स्वभावतः सामाजिक होता है। बिना दूसरे को काम दिए, उनमें वितरण किए पूँजी का उपयोग ही नहीं हो सकता। दूसरे, वह उस धन को सार्वजनिक हित के कार्यों में भी लगाएगा जैसे जलाशय आदि निर्माण करने, विद्यालय स्थापित करने इत्यादि में। भूमि सरीखे उत्पादन के साधनों का भूमिहीन लोगों में सीधे वितरण भी किया जाएगा। इस प्रकार अहिंसा व प्रेम के मार्ग से साम्यवाद का लक्ष्य-समता-प्राप्त हो सकता है। इस दृष्टि से गाँधीवाद पूँजीवाद और साम्यवाद दोनों का प्रतिद्वन्दी एक तीसरा मार्ग है, जिसमें दोनों के गुणों का समन्वय है और दोनों ही के दोषों का अभाव है।

भारत में आरक्षण की आवश्यकता और दरिद्रता

स्वाधीनता से पूर्व आरक्षण जैसे प्रावधानों के कई प्रमाण मिले हैं। वर्ष 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा हण्टर कमीशन का गठन आरक्षण जैसे प्रावधानों हेतु किया गया था। इसी समय महात्मा ज्योतिराव फूले द्वारा पिछड़े-वंचित-असहायों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा एवं शासन-प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व माँग की गई थी। 'द्रावणकोर रियासत' में वर्ष 1891 में वंचित एवं पिछड़े असहायों को विशेष रियायतें देने हेतु आन्दोलन प्रारम्भ हुए। कोल्हापुर के छत्रपति शाहूजी महाराज ने 1901 में पिछड़े-वंचित-दमितों का आरक्षण प्रारम्भ किया। वर्ष 1943 में अनुसूचित-जातियों के लिए सार्वजनिक पदों में 8% आरक्षण रखा गया। स्वतन्त्रता के बाद संविधान में 10 वर्षों के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमशः 15% एवं 7.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया और बीसवीं सदी के नौवें दशक में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% होने पर आरक्षण का प्रतिशत 49.5 हो गया।

यह कैसे विडम्बना है कि, केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाएँ बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, निरक्षरता उन्मूलन तथा दरिद्रों के कल्याणकारी लाभ पर राष्ट्रीय बजट का बड़ा हिस्सा व्यय होने के बावजूद बेरोजगारी, कुपोषण, निरक्षरता, भुखमरी में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। अधिकांश लोगों के रहन-सहन का स्तर निरन्तर गिरता चला जा रहा है। इससे भी अधिक दुःख की बात यह है कि धनाभाव ने न कितने ही लोगों को चिन्ता का शिकार बना दिया है, जिसका कुफल वे अपने स्वास्थ्य को खोकर या मानसिक एवं संक्रामक रोगों में ग्रस्त होकर कष्ट भोग रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उन लोगों की संख्या कम नहीं है, जिनको धनाभाव के कारण न तो पेट भरने के लिए भोजन मिलता है, न तन ढकने के लिए वस्त्र और न रहने के लिए घर। इन बदनसीब व्यक्तियों को बड़ी संख्या में फुटपाथों एवं गन्दे नालों के किनारे अपनी जिन्दगी के दिन गिनते हुए देखा जा सकता है।

आरक्षण नीति को लेकर असन्तोष और आन्दोलन का दौर चल रहा है। वितरणमूलक न्याय हेतु पिछड़े कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण सम्बन्धी संरक्षणमूलक संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। संरक्षण मूलक प्रावधानों के रूप में आरक्षण की यह व्यवस्था प्रारम्भ में 10 वर्षों के लिए की गई थी, जिसे बिना पुनरावलोकन के निरन्तर आगे बढ़ाया जा रहा है। विधि के समक्ष सर्वप्रथम समता की गारण्टी दी गई है। संवैधानिक व्यवस्था नागरिकों के बीच भेदभाव करने और योग्यताओं के हनन करने का अधिकार नहीं देती। परन्तु बारम्बार तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों की प्राथमिकता देते हुए सरकारों ने सामाजिक न्याय के नाम पर संवैधानिक स्वेच्छाचार किया। बार-बार अदालतों ने आँकड़े माँगे और आरक्षण का आधार माँगा परन्तु सरकार टालमटोल कर देती है। इन्दिरा साहिनी 1998 मामले में सुप्रीमकोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पदोन्नति में आरक्षण असंवैधानिक बता कर सरकार से पूछा कि **“आरक्षित वर्ग में वे व्यक्ति जो दो-तीन पीढ़ी से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और जो स्वयं आरक्षित वर्ग में सर्वोच्च मलाईदार वर्ग एवं पद पर हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ किस आधार पर दिया जा रहा है?”** सरकार का उत्तर आया शून्य।

समाज की मुख्यधारा में जुड़े भौतिक सम्पदा से सम्पन्न और अपने नाम के साथ सवर्ण जाति लिखने वालों, शासक-प्रशासक और मलाईदार तबके के लोगों को आरक्षित वर्ग में रखकर आरक्षण, नौकरी, अन्त्योदय, बी.पी.एल. लाभ निरन्तर दिया जा रहा है जिसके कारण अनारक्षित वर्ग के अन्तिम व्यक्ति अर्थात् वास्तविक कंगालों को तो लाभ से पूर्व की भौति सदैव वंचित रहना पड़ रहा है। यह स्थिति अन्त्योदय नहीं अपितु अन्याय की द्योतक और असमानता तथा भेदभाव की प्रतीक है। पदों के आरक्षण सवर्ण जाति आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों का राजनीतिकरण हो जाने के कारण अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण धर्म आधारित आरक्षण जैसे नवीन प्रारूपों ने देश में विरोध, तनाव एवं संघर्ष की स्थितियों को उत्पन्न कर दिया है। संसद में लम्बित 117-वें संविधान संशोधन विधेयक 2012 में देश भर में वाद-विवाद एवं संघर्ष जारी है जिसके कारण भारतीय समाज अगड़े (सवर्ण) और पिछड़े (आरक्षित) वर्गों के रूप में विभाजित हो रहा है। जिसके दुष्परिणाम जातीय-संघर्ष, जातीय तनाव, जातीय आन्दोलन, जातीय असहिष्णुता, जातीय-विषमता के रूप में हमारे समक्ष है। योग्य को योग्य पद न मिलने, भूमिका आवण्टन में गुणवत्ता-योग्यता-कुशलता की उपेक्षा होने पर समाज में युवा असन्तोष, विचलन, अपराध, नक्सलवाद एवं आतंकवाद सहित दरिद्रता और भुखमरी जैसी समस्याएँ बढ़ा रही हैं।

समाज में कमजोर वर्गों को अछूत या वंचित या अस्पृश्य (दमित) कहा जाता है। ये अस्पृश्य जातियाँ औपचारिक एवं वैधानिक रूप से संविधान की अनुसूची में शामिल हो गई हैं। अतः इन्हें सामूहिक रूप से अनुसूचित जाति कहा जाने लगा। वर्ष 1935 में भारत सरकार ने अस्पृश्य जातियों को कुछ विशेष सुविधाएँ देने के लिए एक अनुसूची तैयार की। इसमें लगभग 429 जातियाँ शामिल हो गईं, जिसमें 5-6 करोड़ व्यक्ति आते थे। सूची में शामिल होने के कारण ये जातियाँ अनुसूचित जाति कहलाने लगीं।

अस्पृश्यता का अर्थ उन निर्योग्यताओं से है, जो कि हरिजन जातियों पर सवर्ण जातियों ने लादी हैं। **अस्पृश्य अपराध अधिनियम-1955** में कानूनन अस्पृश्यता का अर्थ लिख कर कहा गया है कि, “अस्पृश्यता के आधार पर व्यक्ति के (i) समान धर्म मानने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए खुले पूजा के स्थान में प्रवेश से, किसी सार्वजनिक पूजा के स्थान में पूजा करने, प्रार्थना करने या धार्मिक क्रियाएँ करने से, (ii) किसी पवित्र जलाशय, कूप, झरने या जल स्रोत का उपभोग करने जैसा कि समान धर्म के अनुयायियों को उपयोग करने की अनुमति है, (iii) होटल, दूकान, सार्वजनिक जलपान गृह, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल अथवा सार्वजनिक आवागमन के साधन, अस्पताल, औषधालय, शैक्षिक संस्था या ट्रस्ट में पहुँचने या उपयोग से रोकना अपराध है।” अन्य शब्दों में अस्पृश्य वे जातियाँ हैं जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र—(i) सामाजिक, (ii) धार्मिक, (iii) आर्थिक, (iv) सांस्कृतिक, (v) राजनीतिक में कुछ निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं। अछूत के छूने मात्र से अन्य जातियों के लोगों को अपवित्र माना जाता है। अछूतों को अंग्रेज बाहरी जातियाँ कहते थे। गोलमेज कान्फ्रेंस-1931 में इन जातियों को हिन्दुओं से अलग घोषित किए जाने पर गाँधी जी ने जबरदस्त विरोध किया। वर्ष 1932 में गाँधी जी ने आन्दोलन कर पूना

में आमरण अनशन किया तब पूना पैक्ट से अस्पृश्यों को हिन्दू समाज का अंग मान लिया गया। इसके बाद गाँधी जी ने इन जातियों के उद्धार का बीड़ा उठाया और सर्वप्रथम अछूत जातियों का नाम बदलकर हरिजन अर्थात् हरि के जन अर्थात् ईश्वर के व्यक्ति रखा। अस्पृश्य जाति दलित वर्ग कहलाई क्योंकि हिन्दू समाज में इनका शोषण हुआ और अब **दलित शब्द को अपराध मानकर प्रतिबन्धित कर दिया गया है।**

आज बेरोजगार और दरिद्र व्यक्तियों का जीवन बुरी तरह संकट ग्रसित है। भरपेट भोजन, पहनने के लिए स्वच्छ वस्त्र और रहने के लिए घर उनके सपने से भी परे हो रहे हैं। उनके मन मस्तिष्क पर मौत का साया मड़राता दिखाई देता है। उनकी भूख की तड़फ और दर्द का विलाप धनी शासकों व प्रशासकों को नाटक लगता है। उनका रक्त एवं काया व्यापारियों की आय के स्रोत हैं। लाचार का शिकार किया जाता है। शिकार अवसर पर ढोल बजाकर उत्सव मनाए जाते हैं। अभिजन—व्यापारी दरिद्रों को ठीक उसी तरह शिकार बनाते हैं। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है या साँप अपने अण्डों को स्वयं निगल जाता है।

व्यापारी, उद्योगपति, राजनेता, नौकरशाह और उनके गुर्गे उत्पादन के साधनों (मशीन, मिल, कारखाना, व्यवसायों एवं सरकारी नौकरी वाले) के उद्भव के साथ-साथ के दो विराट वर्गों में बंटे हुए हैं। प्रथम वर्ग अल्पसंख्यक उन लोगों का है जिनका इन उत्पादन के साधनों पर अधिकार है, अर्थात् व्यापारी, उद्योगपति, नौकरशाह, नेता। दूसरा वर्ग समाज के बहुसंख्यक श्रमिकों, बेरोजगार का है जिनके पास पूँजी या जीविका के अन्य साधन नहीं हैं उनके लिए जीवित रहने का एक ही मार्ग खुला हुआ है और वह है कि वे अपने आपको रहीस के पास जाकर बेच दें, अर्थात् अपने श्रम से उत्पादन कार्य में सक्रिय भाग लें और उसके बदले में कागजों पर नाम लिखें तथा वेतन के नाम पर खैरात कितना होगा इसका निर्धारण श्रमिक नहीं, अपितु धनीवर्ग करता है। धनीवर्ग दरिद्रों की कमजोरियों को खूब जानता है और उसी के बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। धनीवर्ग जानता है कि दरिद्र अपने श्रम और परिवार को भविष्य के लिए सुरक्षित करके नहीं रह सकता और न वह रातों-रात अपने को इतना संगठित या शक्तिशाली कर सकता है कि धनी लोगों से अपने श्रम का उचित वेतन का सौदा कर सके। परिणामस्वरूप धनी श्रमिक, बेरोजगार, दरिद्र व्यक्तियों से अत्यधिक मेहनत करवा तो लेता है और उसके बदले में नाम मात्र का वेतन खैरात के रूप में देता है, अर्थात् श्रमिक अपने श्रम से जितना मूल्य उत्पन्न करता है, उसका उचित हिस्सा श्रमिक को वेतन के रूप में नहीं देता है, वरन् उसका एक बहुत छोटा भाग श्रमिक को देकर अधिकांश भाग धनी रहीस एवं पूँजीपति स्वयं हड़प जाते हैं।

मालिक, धनी, व्यापारी, अधिकारी, सरकार, नेता दरिद्रों से घृणा करते हैं। ये आलसी, अकुशल और समाज पर बोझ माने जाते हैं। इनको हर स्तर पर सताया जाता है, जलील किया जाता है। इनसे भेद-भाव किया जाता है। इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता और ये शक्तिहीन होते हैं। इस कारण ये सदैव शक्तिशाली लोगों के आक्रमण एवं विद्वेष के निशाने बनाए जाते हैं। इन्हें निरक्षरता एवं सामाजिक पूर्वाग्रह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें सामूहिक शक्ति का अभाव होता है और जब कभी ये स्थानीय या लघु स्तर पर समाज के राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिक शक्तिशाली समूहों के विरुद्ध एक होने का प्रयत्न करते हैं तो उन लोगों को लगता है, कि उनके आधिपत्य को खतरा है, इस कारण दरिद्रों को कुचल दिया जाता है। इन्हें ऋण पर ऊँची दर पर ब्याज देना पड़ता है। इन पर दोषारोपण किया जाता है। जिन कार्यालयों में ये जाते हैं, वहाँ इनकी ओर बहुत कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। पुलिस तो सबसे पहले उन क्षेत्रों में जाती है जहाँ दरिद्र रहते हैं जैसे कि मात्र दरिद्र ही अपराध करते हैं। ये बिरले ही विश्वसनीय, भरोसे के और ईमानदार माने जाते हैं। इस प्रकार समाज के प्रत्येक स्तर पर प्रतिकूल रवैया इनकी आत्मछवि को गिराता है, इनमें हीन-भावना को जन्म देता है और अपनी सहायता के लिए साधन जुटाने के प्रयत्नों पर रोक लगाता है।

दरिद्र और उनके आश्रित रोटी के लिए रोज अपना जीवन दाँव पर लगाते हैं। यह कूड़े-कचड़े के ढेरों में कबाड़ बीनते हैं, तालाब-गड्डों से मेड़क-मछली ढूँढ़ते हैं, खेत-वन में पक्षी-खरगोश पकड़ते हैं, बिलों में साँप निकालते हैं, कोल्ड में सड़े आलू बीनते हैं, भीख माँगते हैं और रूखी-सूखी रोटी से अपना तथा आश्रितों के पेट की भूख की आग मिटाते हैं। इनके आवास गन्दगी के ढेरों, गन्दे नालों, तालाबों, गन्दगी क्षेत्र में कीड़े-मकोड़ों के बीच टूटी-फूटी झोपड़ियों में हैं जहाँ जहरीले कीड़-मकोड़ों का प्रकोप है। कुत्ते, बिल्ली, बकरी, बन्दर, नाग, बिच्छू, गधे, खच्चर आदि परिवार के सदस्य के रूप इनके साथ रहकर इनकी आजीविका व सुरक्षा में साथ निभाते हैं। यह दरिद्र एवं उनके आश्रित शिक्षा एवं रोजगार सहित दरिद्र कल्याण योजनाओं तथा आरक्षण लाभ से जबरदस्त वंचित हैं। इनको मिलने वाले भूमि-पट्टे, आवास, राशन, नौकरी, सब्सिडी, लोन, आरक्षण सभी कुछ सक्षम एवं कर्मचारी हड़प रहे हैं। इन पर अपराधी का ठप्पा लगाकर दबंग इन्हें उत्पीड़ित कर बेगार कराते हैं और मादक द्रव्य, शराब आदि फर्जी मामलों फंसाकर जेल में डलवा देते हैं और स्त्रियों से शराब बिकवाते हैं। नौकरी में आरक्षण व्यवस्था होने के बावजूद इनकी बेरोजगारी देश-समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

देश के दरिद्रों की आय बहुत कम है। इतनी कम आय में औसत सदस्य संख्या 8-10 परिवार वाला व्यक्ति संतोषजनक जीवन-स्तर नहीं अपना सकता। यही कारण है कि उपभोग का स्तर इनमें अत्यन्त निम्न है। इनके भोजन में कभी रोटी-सब्जी तो कभी नमक रोटी, कभी सूखी रोटी और दूषित जल होता है तथा अधिकांश को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। दरिद्रता के कारण बड़ी संख्या में दरिद्र परिवार जरूरी वस्त्रों के अभाव में जीवन-यापन कर हैं। ये एक ही वस्त्र को महीनों पहनते हैं जिससे उनका शरीर गन्दी बीमारियों से ग्रसित रहता है। कंगालों एवं उनके आश्रितों के तन पर वस्त्र नहीं होते हैं, पहने गए वस्त्र जगह-जगह कटे-फटे और गंदे होते हैं। दरिद्र व्यक्ति फटे-पुराने गन्दे वस्त्रों में जिनके बच्चे निःवस्त्र रहकर और टूटी खाट या भूमि पर गुदड़ी बिछौने पर सोकर ठंडी रातें काटते हैं। लू-लपट व भीषण सर्दी से शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास जरूरी वस्त्र नहीं होते। सिर, उदर, पैर खुले रहते हैं। भीषण गर्मी-सर्दी व लू-लपट से तन सिकुड़ कर त्वचा झुर्रीदार व चेहरा काला पड़ जाता है। तन पर बड़े दाग-धब्बे हो जाते हैं। पैरों में विमाई और छालों के बड़े-बड़े घाव हो जाते जाते हैं। कचड़ा-कबाड़ बीनने एवं सड़कों पर घूमने वाले दरिद्र बच्चे नंगे पैर और फटेहाल स्थिति में दिखते हैं। मकानों के नाम पर अधिकांश दरिद्रों के पास झोपड़ियाँ हैं अथवा एक-एक कमरे में कई-कई व्यक्ति-परिवार रहते हैं। अब तो मकानों की समस्या यहाँ तक जटिल हो गई है कि अनेकों परिवार फुटपाथ पर या सड़क के

आस-पास प्लास्टिक तानकर गुजारा करते हैं। न्यून एवं अपौष्टिक भोजन, तन ढकने को अपर्याप्त वस्त्र तथा रहने के लिए मकानों का अभाव इनकी दरिद्रता का द्योतक है। दरिद्रों के आहार में फल, दूध और सब्जियों का अभाव रहता है और व्यक्ति इन अपौष्टिक आहार के कारण स्वस्थ नहीं रह सकते। व्यक्तियों की स्वास्थ्यहीनता एवं उनकी दरिद्रता दोनों ने मिलकर एक चक्रव्यूह बना लिया है। चूँकि व्यक्ति दरिद्र हैं, अतः वे अस्वस्थ रहते हैं तो और अधिक दरिद्र हो जाते हैं।

दरिद्र बस्तियों में यह स्थिति और भी भयावह है जहाँ की अशिक्षा और निरक्षरता 95-100% बनी हुई है। छात्र-छात्राओं, किशोरों, प्रशिक्षुओं व शिक्षा डिग्री धारकों की शैक्षिक स्थिति में बड़ी अज्ञानता एवं निरक्षरता है। निम्न से उच्च शिक्षित बच्चों, किशोरों, छात्रों युवाओं को सूर्योदय-सूर्यास्त की दिशाओं एवं अक्षरों का ज्ञान नहीं है। अधिकांश नहीं जानते हैं कि वे किस जनपद-प्रदेश के निवासी हैं। लिखना और पढ़ना उनके वश की बात नहीं है। निरक्षरता और अज्ञानता उनके पतन की नियत बन चुकी है।

देश में शासकीय, एडिड एवं स्ववित्त पोषित विद्यालयों-विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में प्राचार्य, आचार्य, अधिकारी, कर्मचारी और बोर्ड और आयोग कार्यरत हैं। जिनके वेतन-भत्तों एवं छात्रों के लिए अनुदान, छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति, मिड-डे-मील, दूध, फल, बस्तों, ड्रेसों आदि पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय हो रहा है। इसके बावजूद इनमें गरीब छात्रों की संख्या नाम मात्र की है। क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई न होने से दरिद्र सहित कोई भी अपने प्रतिपाल्यों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं है और धन के अभाव में दरिद्र अपने बच्चों को प्राइवेट या उच्च कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ा नहीं सकता है। देश-राज्यों में बने बड़े-बड़े लगभग सभी विद्यालय-विश्वविद्यालय दरिद्र व्यक्तियों के लिए व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। आँगनबाड़ी केन्द्रों को मिलने वाली पंजीरी भैंसें खा रही हैं। सर्व-शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पौढ़ शिक्षा के प्रेरक निरक्षरों को न तो पढ़ाते हैं और न ही निरक्षरों को साक्षर बनाते हैं। साक्षरता परीक्षा फर्जी कराते हैं। आश्रम पद्धति विद्यालयों में अनुसूचित एवं जनजाति के दरिद्र बच्चों के स्थान पर अपात्रों को प्रवेश देने से वास्तविक निरक्षर दरिद्र वंचित हैं। कस्तूरबा विद्यालयों में दरिद्रों की निरक्षर किशोरियों हेतु गुणवत्तायुक्त मानकीय शिक्षा एवं पंजीकरण में फर्जीबाड़े और शिक्षण उपेक्षा बाधक हैं। मूक-बधिर केन्द्र पर कार्यरत अधिकांश शिक्षक शिक्षण कार्य में रुचि न लेकर अन्य व्यवसायों एवं राजनीति में सक्रिय हैं तथा अपंग छात्रों की शिक्षा एवं व्यवस्था रामभरोसे है। धार्मिक स्थलों एवं अल्पसंख्यकों के नाम पर संचालित स्कूलों में धर्म एवं शिक्षा का दुरुपयोग होकर दरिद्र आश्रितों को अन्धानुकरण करने हेतु बाध किया जाता है और दान-अनुदान व छात्रवृत्तियों को हड़पकर मठाधीश निजी लाभ कमाने में जुटे हैं। दरिद्र आश्रित पढ़ाने वाले शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, शिक्षक कक्षाओं में पढ़ाने नहीं जाते। प्राचार्यों के कालेज आने की सूचना मोबाइल पर सर्कुलेट होती है तभी स्टाफ-शिक्षक छात्र कालेज आते हैं।

संवैधानिक पदों पर आसीनों और जनप्रतिनिधियों में अधिकांश लोग अपने जन्म से आज तक नगर निवासी एवं उनके चूल्हा-रोटी सहित सभी गतिविधियाँ नगरों तक सीमित के बावजूद अन्य प्रदेश, क्षेत्र, जिला और गाँव के वोटर बने हुए हैं। यह लोग धन, पद, वोट आधारित फर्जी प्रपत्रों और संगठित पेशेवर अपराधियों के संरक्षण में ग्राम से लेकर राष्ट्रीय सदनों की पदासीनता हथियाकर सरकारी विकास कोषों का धन-सम्पत्ति हड़प रहे हैं। यह लोग ग्राम, क्षेत्र व देश की समस्याओं से बेखबर रहकर अपने ठेकों-व्यापारों तक सीमित रहकर सदन बैठक-प्रस्तावों में जनसमस्याओं पर कोई चर्चा नहीं करते हैं।

दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण में प्राप्त तथ्यों पर विचार के निष्कर्षस्वरूप-नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें दरिद्र मानकर इन्दिरा-लोहिया-कांशीराम-प्रधानमन्त्री आवास, शौचालय, समाजवादी-विधवा वृद्धा, बिकलांग पेन्शन एवं अन्त्योदय-बी.पी.एल. राशन लाभ दिया गया है/जा रहा है। इनमें सभी अन्त्योदय धारी एवं 70-85% बी.पी.एल. और पेन्शन धारक अपात्र हैं। इनमें अधिकांश व्यक्ति और परिवारों के पास बड़े लेण्टर्स, भूमि, नगर में हवेली, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रेक्टर, थ्रेसर, ट्यूबवेल, फ्रिज, कूलर, रंगीन डिस टी.वी., कम्प्यूटर, दूकान, गैस कनेक्शन, उद्योग, व्यापार, नौकरी, प्लाट्स, मिल, पैतृक सम्पत्ति का स्वामित्व हैं। अधिकांश असहाय बेवा-वृद्धा-समाजवादी पेंशनर्स के पुत्र विवाहित व सम्पन्न हैं। अनेक बिकलांग पेंशनर्स पूर्ण स्वस्थ या मामूली शारीरिक कमी (40% से कम) एवं पर्याप्त आय के बावजूद पेंशन धारक बने हैं। और अनेक लोग अनेक पेन्शन ले रहे हैं। इस प्रकार दरिद्रों के लिए बनीं कल्याण योजनाओं का लाभ दरिद्रों के स्थान पर फर्जी दरिद्र (रहीस) ले रहे हैं।

निष्कर्ष: भारतीय संविधान लागू होने के बाद आरक्षण सीमा 10 वर्ष होने के उपरान्त आरक्षण समीक्षा बगैर समय वृद्धि ठीक उसी प्रकार अवैध है जिस प्रकार 21-वीं सदी के शुरु में गरीबी उन्मूलन हेतु बनी योजना अन्त्योदय लाभ की वैधानिकता मात्र 11 माह होने के बावजूद धारक की धारिता 17 वर्ष बाद भी बनी है जो अन्त्योदयधारी धनी हैं। आरक्षण एवं विकास योजनाओं का लाभ स्वार्थी, विध्वंशक, नाशक, ठगों, रहीसों एवं संगठित अपराधियों की काली कमाई तक सीमित हो रहे हैं। दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दुःखी, वृद्ध, बीमार की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और यदि कोई दरिद्रों की मदद करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर बाँकी नहीं रखते हैं। अस्पृष्टता-निर्योग्यता पीड़ित-गरीब पर जो भौतिक सुविधाओं से सम्पन्न धन, पद और प्रतिष्ठा धारियों ने लादी है वही गरीब आरक्षण लाभ पाने का अधिकारी है।

सुझाव: भारतीय संविधान में वर्णित आरक्षण व्यवस्था का लाभ अस्पृश्यता या निर्योग्यताओं से पीड़ित दरिद्र को मिलना चाहिए न कि धन-पद-प्रतिष्ठा धारकों को। अन्त्योदय एवं आरक्षण की समीक्षा बगैर लम्बी अवधि से इसकी समय सीमा में बारम्बार वृद्धि देश एवं व्यक्ति के विकास हेतु उचित नहीं है। वी. आई. पी. द्वारा आरक्षण लाभ का दुरुपयोग एवं पात्रों की उपेक्षा से बेरोजगारों व दरिद्रों एवं जनसामान्य में हताशा और असन्तोष पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। आरक्षण समय-सीमा वृद्धि हेतु समीक्षा एवं सही शोध तथ्यों पर भी विचार होना चाहिए।

सामाजिक कुरीतियों का परिणाम गैर-किसानीकरण

भारत में लगभग 72% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और इसमें से भी 65 से 72% तक लोग कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्भर रहते हैं। भूमि कृषि-उत्पादन का प्रमुख माध्यम रही है। यहाँ भूमि पर वर्तमान में सामान्यतः पारिवारिक अथवा वैयक्तिक स्वामित्व पाया जाता है। किसी के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, तो किसी के पास मुश्किल से एक, दो या चार एकड़ जमीन ही है। जिस परिवार के पास एक, दो या चार एकड़ जमीन है, कालान्तर में जब ऐसा कोई परिवार विभाजित होता है तो वह खेत का टुकड़ा या तो बंट जाता है या परिवार के किसी एक सदस्य के पास शेष रह जाता है तो शेष सदस्यों को भूमि से हाथ धोना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वे किसान से गैर किसान बन जाते हैं। ऐसे लोगों की कृषि क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिकों के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सीमान्त कृषक तथा लघु कृषक भी भूमि के और अधिक विभाजन और अपखण्डन से कालान्तर में गैर-किसानीकरण की प्रक्रिया के शिकार बन जाते हैं। उन्हें भी बाध्य होकर कहीं या तो भूमिहीन श्रमिक के रूप में या अन्य किसी स्थान पर जाकर कल-कारखाने में कार्य करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है, खेत छोटे और बिखरे हुए हैं, जिनके पास खाद, बीज, बैल, कृषि के उन्नत उपकरण, आदि की व्यवस्था नहीं है, उन्हें भी आगे चलकर गैर किसानीकरण की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे कृषक भी सामान्यतः विवश होकर अपनी जमीन को किसी बड़े भू-स्वामी या राजनैतिक व्यक्ति को बेच देते हैं और स्वयं मजदूरों की स्थिति में आ जाते हैं।

ग्रामीण भारत की कुछ परम्पराएँ और रीति-रिवाज भी इस प्रकार के हैं कि लोगों को समय-समय पर मान मर्यादा को बनाए रखने की दृष्टि से काफी कुछ खर्च करना पड़ता है। उदाहरण के रूप में, विवाह के अवसर पर लड़की के माता-पिता को कर्ज तक लेना पड़ता है। कर्ज लेते वक्त सामान्यतः उन्हें अपनी जमीन साहूकार के यहाँ गिरवी रखनी पड़ती है और फिर ब्याज चढ़ता जाता है और वह जमीन को पुनः साहूकार के चंगुल से नहीं छुड़ा पाता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी मृत्यु भोज की प्रथा पाई जाती है। आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी व्यक्ति को अपने माता-पिता की मृत्यु के अवसर पर भोज करना पड़ता है जिसमें काफी कुछ खर्चा हो जाता है। इसी प्रकार के कुछ अन्य रीति-रिवाजों, प्रथाओं, परम्पराओं आदि को निभाने के लिए व्यक्ति को अपनी आजीविका के मुख्य साधन भूमि से हाथ धोना पड़ता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली सामाजिक समस्याएँ या सामाजिक कुरीतियाँ भी गैर-किसानीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। यद्यपि सरकार तथा अनेक अन्य एजेंसियों के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों में अतिरिक्त भूमि का वितरण करने का प्रयत्न भी किया गया, कहीं-कहीं इस प्रयत्न में सफलता भी मिली, किन्तु अधिकांशतः देखने में आया कि कालान्तर में उनकी जमीनें भी सेठ-साहूकारों या बड़े भू-स्वामियों अथवा शांतिर दिमाग के राजनैतिक नेजाओं ने उनकी निर्धनता और अज्ञानता का लाभ उठाकर अपने कब्जे में कर ली। इससे भी गैर-किसानीकरण को प्रोत्साहन मिला।

कृषि से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी व्याप्त हैं। उदाहरण के रूप में, कई ऐसे खेत या भूमि हैं जहाँ सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अनेक कृषकों को मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है और मानसून की अनिश्चितता के कारण कभी अकाल पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है। यह स्थिति भी किसान की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने में योग देती है। ऐसे अवसर पर कई कृषकों को विवश होकर अपनी जमीनों को बेच देना पड़ता है और स्वयं को कृषि मजदूरों के रूप में या किसी औद्योगिक केन्द्र पर औद्योगिक श्रमिक के रूप में कार्य करना पड़ता है। तथ्यों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को विशेषतः गैर-किसानीकरण की स्थिति का जनजातियों और कुछ अन्य पिछड़ी जातियों के लोग आते हैं। बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि गैर-किसानीकरण की समस्या के कम होने के बजाय बढ़ने की समस्या अधिक है। देखना यही है कि जो लोग कृषक से गैर-कृषक की स्थिति में आ जाते हैं, उन लोगों को भी अपने विकास का समुचित अवसर मिले। इसके लिए आवश्यक है कि एक ओर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँ, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए और कृषि मजदूरों को समुचित दैनिक मजदूरी दिलाई जाए। यद्यपि यह कार्य अवश्य कठिन है क्योंकि कृषि मजदूरों के समान श्रम-संघ सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। फिर भी इस दिशा में देश एवं प्रदेश के नेतृत्व को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए कुछ कारगर कदम उठाने होंगे।

भारतीय जनता का धार्मिक वितरण और अल्पसंख्यक

भारतीय समाज को यदि हम धार्मिक समाज कहें तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रचीनकाल से ही भारत विभिन्न धर्मों की स्थली रहा है। विशेष बात यह है कि भारतीय समाज धार्मिक रूप से अत्यधिक विभिन्नतायुक्त है। वैसे तो विश्व के सभी समाजों में एक से अधिक धर्मावलम्बी साथ-साथ रहते हैं लेकिन भारत के अतिरिक्त किसी भी दूसरे देश में विभिन्न धर्मावलम्बियों की संख्या न तो इतनी अधिक है और न ही उन्हें धार्मिक जीवन में उतनी अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त है। भारत के किसी भी गाँव और नगर का उदाहरण ले लीजिए, प्रत्येक स्थान पर सभी धर्मों के अनुयायी साथ-साथ रहते हैं तथा वे पृथक्-पृथक् रूप से अपने धार्मिक संस्कार सम्पन्न करते हैं। भारत में जो धर्म प्रचलित हैं, उनमें प्रमुख हैं: हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, और जैन। इसके अतिरिक्त यहाँ पारसी और यहूदी धर्म भी अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को बनाए हुए हैं।

जनगणना-2011 के अनुसार भारत में निवास करने वाली कुल जनसंख्या 1210193422 में विभिन्न धर्मावलम्बियों की जनसंख्या व प्रतिशत: हिन्दू-827578868 (80.5%), मुस्लिम-138188240 (13.4%), ईसाई-24080016 (2.3%), सिक्ख-19215730 (1.9%), बौद्ध-7955207 (0.8%), जैन-4225053 (0.4%), अन्य धर्म-6639626 (0.6%), धर्म विहीन-727588 (0.1%) है। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण भारत में हिन्दू धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक तथा जैन धर्मावलम्बियों की संख्या सबसे कम है।

भारत में यद्यपि हिन्दू धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है परन्तु देश के विभिन्न भागों में उनका वितरण अत्यन्त असमान है। दूसरी ओर मुस्लिमों का प्रतिशत कुल आबादी का 13.4% है। परन्तु उत्तर भारत के अनेक स्थलों पर उनका बहुमत है। जम्मू-कश्मीर एवं लक्षद्वीप में बहुसंख्यक जनसंख्या इस्लाम को मानने वाली है, दक्षिण में मुसलमानों की संख्या काफी कम है, जबकि उनकी जनसंख्या 70% भाग केवल उत्तर भारत में ही निवास करता है। ईसाई धर्मावलम्बियों की कुल संख्या कम होते हुए भी अधिक क्षेत्रों में उनका अच्छा प्रभाव है। इसके सर्वाधिक अनुयायी केरल में निवास करते हैं। नागालैंड, मिजोरम एवं मेघालय की बहुसंख्यक जनसंख्या ईसाई है। पंजाब में सिक्ख बहुसंख्यक हैं।

यद्यपि यह ठीक है कि भारतीयों के जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान है किन्तु सच्चाई यह है कि इस देश में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच आन्तरिक रूप से सदैव संघर्ष विद्यमान रहा है। इस संघर्ष का रूप स्वतन्त्रता के बाद एक धर्म-निरपेक्ष समाज की स्थापना हो जाने के कारण इस विरोधपूर्ण मनोवृत्ति का कुछ समाजीकरण हो गया है। जहाँ तक बौद्ध और जैन धर्म का प्रश्न है, वे हिन्दू धर्म में इस तरह समाहित हो गए हैं कि उनके कारण किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता लेकिन अन्य धर्मों के अनुयायी धार्मिक दृष्टिवादिता के आधार पर बहुधा एक-दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजों और राजनीतिक व्यक्तियों की कुटिल नीतियों के कारण हिन्दू एवं मुस्लिम एक लम्बे समय तक एक-दूसरे के विरोधी बने रहे तथा पाकिस्तान की एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में स्थापना हो जाने से इस संघर्षपूर्ण मनोवृत्ति को और अधिक प्रोत्साहन मिला। आज भी वस्तुस्थिति यह है कि एक राष्ट्र के अंग होते हुए भी दोनों समूह एक-दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते हैं। यही कारण है कि आज अनेक अवसरों एवं पर्वों पर हिन्दू-मुस्लिमों के बीच साम्प्रदायिक झगड़े हो जाते हैं। कुछ संकीर्ण मनोवृत्तियों के लोग भी अक्सर इन धार्मिक समूहों का उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए कर लेते हैं। जिससे इस धार्मिक विभेद का रूप और विषम हो जाता है। जहाँ तक भारत में ईसाई धर्म के प्रचार का प्रश्न है, हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता से पूर्व सरकार द्वारा ईसाई धर्म के अनुयायियों को काफी संरक्षण देने के कारण उन्हें उस रूप में कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है लेकिन दूसरी ओर यह भी सत्य है कि पिछले कुछ दशकों में उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसका सम्भवतः प्रमुख कारण यही है कि ईसाई मिशनरियाँ जनजातीय क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों के बीच कार्य करके उनकी सहानुभूति प्राप्त करती हैं, फिर धीरे-धीरे उन्हें अपनी धार्मिक विचारधारा से प्रभावित करके उन्हें ईसाई धर्म का अनुयायी बना लेती हैं। इनमें अधिकांश ईसाई मिशनरियाँ आज भी अपनी क्रियाओं के लिए यूरोप के देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं।

यह सत्य है कि व्यापक रूप से सभी धर्म एक अलौकिक शक्ति में विश्वास पर बल देते हैं किन्तु निजी व्यवहारों, सामाजिक व्यवस्था, व्यक्ति की स्थिति, राजनीति और एक-दूसरे धर्म के अनुयायियों के प्रति इन सभी धर्मों के आदर्श एक-दूसरे से बहुत भिन्नता लिए हुए हैं। बस्तुतः यही कारण है कि इस धार्मिक विभिन्नताओं में सम्पूर्ण भारतीय समाज को अनेक सांस्कृतिक समूहों में विभाजित कर दिया है।

भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है, साथ ही वे बहुसंख्यक समुदाय के समान विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों का उपभोग करते हैं। अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 29-30 द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित ही नहीं वरन् विभिन्न प्रमुख विवादों में दिए गए विधिक निर्णयों द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को अधिक स्पष्ट भी किया गया है ताकि उन्हें इस देश में अपने हितों व कल्याण के बारे में कोई आशंका न रहे।

सामान्य अर्थ में 'अल्पसंख्यक' का तात्पर्य अन्य समुदायों की तुलना में कम संख्या वालों के समुदाय से है, लेकिन यह परिभाषा इस शब्द का सटीक अर्थ नहीं देती क्योंकि अंकों के परिप्रेक्ष्य में यह उसकी वास्तविक स्थिति या स्थितियों को स्पष्ट नहीं करती। अतः उपयुक्त परिभाषा यह होगी कि "अल्पसंख्यकों को एक ऐसा समुदाय माना जाए जो एक सामान्य वंशज, भाषा या धार्मिक विश्वास के सूत्रों से जुड़े हों और इन विषयों में अपने को राजनीतिक अस्तित्व वाले बहुसंख्यक निवासियों से पृथक् समझते हों।" यह भी कहा जाता है कि 'अल्पसंख्यक' शब्द के अन्तर्गत जनसंख्या के केवल वे प्रभुत्वहीन समुदाय आते हैं जो ऐसी स्थायी प्रजातीय, धार्मिक या भाषायी

परम्पराओं व विशेषताओं को रखते हुए उनकी सुरक्षा के इच्छुक हों व जो जनसंख्या के शेष समुदाय से भिन्न हों। यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यक अपने पृथक अस्तित्व को सुरक्षित रखने के प्रति सजग रहें और बहुसंख्यकों से मिश्रित होने की कामना न करें। इसी कारण, भारत के दलित वर्ग को अल्पसंख्यक न तो मानना चाहिए और न माना जा सकता है क्योंकि वे अपनी विशेषताओं को, जो शेष जनसंख्या से सर्वथा अलग है, सुरक्षित नहीं रखना चाहते, वरन् वे बहुसंख्यक के साथ घुल-मिल जाना चाहते हैं, यद्यपि बहुसंख्यक समूह के विरोधियों द्वारा वे ऐसा करने से रोके भी जाते हैं।

‘अल्पसंख्यक’ या **‘अल्पसंख्यकों’** की उपयुक्त परिभाषा देने में संविधान के निर्माताओं को भी दुष्कर अनुभव हुआ जिन्होंने अन्त में कुछ वर्गों के स्थान पर धर्म और भाषा के कारकों को अधिक प्रमुखता दी। अस्तु, अनु. 30 के अनुसार भारत में 2 प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, जो धर्म या भाषा पर आधारित हैं। साथ ही अनु. 29 इन सभी के मौलिक अधिकारों जैसे विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण और अपनी इच्छा की शैक्षणिक संस्थानों के स्थापना व प्रशासन के सम्बन्ध में पूर्ण सुरक्षा देता है। आगे चल कर भारत में क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों की धारणा का चलन प्रारम्भ हुआ जब एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनु. 29 के अनुसार एक राज्य के नागरिक समूह को अल्पसंख्यक निर्धारित करने में राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या का सन्दर्भ अपेक्षित है। इसके पूर्व केरल शिक्षा विधेयक-1958 पर अपना परामर्श-निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह मत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 30 में प्रयुक्त **‘अल्पसंख्यक’** शब्द का आशय एक ऐसे समुदाय से है जो संख्या के लिहाज से राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या के 50% से कम हो। इस अनुच्छेद के अनुसार, यदि किसी राज्य के एक विशेष भाग में कोई समुदाय अल्पसंख्यक है, किन्तु राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या में बहुसंख्यक है तो उसे अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा। देश की सम्पूर्ण जनसंख्या के आधार पर भी अल्पसंख्यक निर्धारित नहीं किए जा सकते। फिर भी, क्षेत्रीय अल्पसंख्यक की धारणा की व्याख्याओं पर गम्भीर आपत्तियाँ उठाई जाती हैं। किसी राज्य में जनसंख्या का फैलाव इस तरह से हो सकता है कि किसी भी वर्ग के पास पूर्ण जनसंख्या का 50% बहुमत न हो। इस तरह सभी वर्ग सुविधाओं को पाने की आकांक्षा से अपने को **‘अल्पसंख्यक’** स्तर घोषित करने की माँग करने करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्ग समूह एक राज्य में अल्प संख्यक हो, परन्तु दूसरे राज्य में बहुसंख्यक बन जाए। अस्तु, ऐसे समुदाय इस द्वैत स्तर के फार्मूले से अनुचित लाभ उठाने लगेंगे जिससे देश के राजनीति मानचित्र में भारी हेर-फेर की संभावनाएँ बढ़ जाएँगी। अतः इस धारणा को जितना शीघ्र समाप्त कर दिया जाए, अच्छा है और एक रूपता के लिए यह उपयुक्त होगा कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग देश की जनसंख्या के सन्दर्भ में ही निर्धारित किया जाए।

‘अल्पसंख्यक’ शब्द का प्रावैधिक आशय भी है। ‘यह मुख्यतः राजनीतिक न कि मात्र आंशिक धारणा है। एक विशेष वर्ग को **‘अल्पसंख्यक’** घोषित करने के पहले हमें धार्मिक एवं भाषायी गठन को देखना होगा, साथ ही, देश की जनसंख्या सम्बन्धी संरचना भी देखनी होगी। एक विद्वान ने इस प्रकार इसकी कार्यरत परिभाषा की है, **“नागरिकों का कोई समूह जो धर्म, भाषा या अन्य किसी आधार पर एक निश्चित क्षेत्र में संख्या में कम हो, और वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने पर या बहुसंख्यक वर्ग से घुल-मिल जाने के लिए समान या विशेष व्यवहार की माँग करे, तो वह अल्पसंख्यक कहलाएगा।”**

भारत केवल विभिन्न धर्मों का ही नहीं विभिन्न भाषाओं का भी देश है। भारत के भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार यद्यपि संविधान की 8-वीं अधिसूची में भारत की 15 प्रधान भाषाओं का ही उल्लेख है, देश में 179 भाषाएँ और 544 बोलियाँ पायी जाती हैं। अतः भारत में धार्मिक विभिन्नता की अपेक्षा भाषाई बेमेलता अधिक दुरुह है और एक भाषाई अल्पसंख्यक को निर्धारित करना और भी कठिन है। केवल प्रमुख भाषाओं से सम्बन्धित गणना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा निश्चित रूप से संविधान की 8-वीं अधिसूची में वर्णित 15 भाषाओं में हो। राज्य स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वह वर्ग है जिसके मातृभाषा उस राज्य के बहुसंख्यक वर्ग की मातृभाषा से भिन्न है तथा जिला व ब्लाक स्तर पर जिला व ब्लाक की प्रधान भाषा से भिन्न हो।

यह उल्लेखनीय है कि संविधान के तृतीय भाग-मूल अधिकार में महत्वपूर्ण अधिकार जोड़ते समय हमारे संविधान-निर्माताओं के ध्यान में यह महत्वपूर्ण तथ्य अवश्य था कि उन अल्पसंख्यकों की स्थिति को कैसे सुरक्षित किया जाए जो बहुसंख्यकों के सम्भावित निरंकुश शासन से अपने को असहाय समझते थे व असुरक्षा के कारण भयभीत थे। वे यह भी जानते थे कि स्वतन्त्र लोकतंत्र व उचित शासन में अल्पसंख्यकों की संस्कृति, धर्म व अन्य हितों का संरक्षण अनिवार्य है और वह केवल व्यक्ति के लिखित अधिकार को प्रत्याभूत करने से सम्भव हो सकता है। तृतीय भाग में प्रत्याभूत महत्वपूर्ण अधिकार (अनु. 29 एवं 30 के अतिरिक्त) उनके अर्थ व क्षेत्र का विस्तार न्यायिक निर्णयों द्वारा भी किया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह निर्णय लिया कि अल्पसंख्यकों को केवल अपनी विशिष्ट भाषा एवं लिपि के अधिरक्षण का ही अधिकार नहीं है वरन् इसके लिए वे आन्दोलन भी कर सकते हैं। न्यायाधीश जे. सी. शाह के अनुसार, **“नागरिकों के अपनी भाषा के संरक्षण के लिए अधिकार में ही अपनी भाषा के रक्षण हेतु आन्दोलन करने का अधिकार भी निहित है।”**

वास्तव में अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाओं का स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार एवं अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकारों का स्वाभाविक परिणाम है जिसे सुप्रीमकोर्ट ने **“एक आवश्यक समययोग”** बताया। यह सुविधा केवल संविधान लागू होने के बाद स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के लिए ही सीमित नहीं यह संविधान पूर्व व संविधान बाद स्थापित होने वाली संस्थाओं के लिए भी लागू होती है। एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीमकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि वि. वि. किसी निजी कालेजों की प्रबन्ध समिति में अपने प्रतिनिधि मनोनीत नहीं कर सकता क्योंकि इससे अल्प संख्यक संस्थाओं के प्रशासन करने के अधिकारों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप माना जाएगा। इस दिशा में संविधान के प्रावधानों एवं सुप्रीमकोर्ट के निर्णयों को इस रूप में नहीं लिया जा सकता कि अल्पसंख्यकों के उक्त अधिकार प्रतिबन्धों से परे हैं। राज्य, राष्ट्रीय या लोकहित में उन पर औचित्यपूर्ण प्रतिबन्ध आरोपित कर सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जो संस्थाएँ अनुच्छेद 30 के अनुसार संरक्षण का दावा करती हैं, उन्हें राज्य द्वारा नहीं वरन् अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित होना चाहिए। इसीलिए भारत राज्य वि.वि. अलीगढ़ मुस्लिम वि.वि. जो भारत सरकार अधिनियम-1920 द्वारा स्थापित किया गया है, को मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित करने व उसे प्रशासित करने का दावा स्वीकार नहीं कर सकता।

अल्पसंख्यकों को प्रदत्त संवैधानिक संरक्षण का लेखा हमारे मानवीय धर्म-निरपेक्षवाद को दृढ़ता के साथ प्रदर्शित करता है। यही नहीं, संविधान के इन महत्वपूर्ण उपबन्धों ने बहुमत दल के नेताओं की उदारता एवं उनके विवेक सम्मत दृष्टिकोण का भी परिचय दिया है। **13 दिसम्बर, 1946** को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए प. नेहरू ने जब यह कहा कि अब अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, वन्य जातियों, दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त संरक्षण दिया जाएगा तो सभी ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस विशेष उपबन्ध की प्रशंसा करते हुए पारसीसमाज के एक प्रतिनिधि एम. आर. मसानी ने कहा, “मैं इतना कहना चाहूँगा कि यह बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ वैधानिक एवं संवैधानिक संरक्षणों की व्यवस्था की गई है।” ईसाई-समाज के प्रतिनिधि डी. सूजा ने कहा कि “मैं उस भावना के प्रति हार्दिक व आस्था-मुक्त प्रशंसा करना चाहता हूँ जिसने इन स्मरणीय प्रस्तावों को जन्म दिया है।”

इन सबके बावजूद हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि उपरोक्त संरक्षण निहित स्वार्थों को उकसा सकते हैं जिससे राष्ट्रीय एवं लोकहित के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, अपनी इच्छा की शिक्षा संस्थाओं के संचालन एवं प्रशासन के नाम पर अल्पसंख्यक काफी उपद्रव मचा सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यक भी अपने अधिकारों के प्रयोग में उतनी तत्परता एवं विवेक सम्मत दृष्टिकोण का परिचय दें। जितना बहुसंख्यक समुदाय ने संविधान में उनको गारण्टी देकर एवं न्यायालयों ने अपने निर्णयों द्वारा दिया है। पिछले लगभग 70 वर्षों में, अल्पसंख्यकों को मिले संरक्षण व उनके वास्तविक क्रियान्वयन के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में अल्पसंख्यकों को अपने हितों व सुरक्षा के लिए सन्देह करने का कोई कारण नहीं है।

भारत में लोक सशक्तीकरण

‘जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए’

आजादी के बाद भारत में लोक सशक्तीकरण की प्रक्रिया को काफी प्रोत्साहन मिला। यहाँ भारतीय गणतन्त्र का नवीन संविधान बनाया गया जो 26 जनवरी 1950 से देश में लागू हो गया यहाँ प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई। यहाँ ‘जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए’ की पद्धति को अपनाया गया। केन्द्र और सभी राज्यों में चुनावों के आधार पर जन-प्रतिनिधि चुने गये, लोकसभा, विधान सभाएँ तथा मन्त्रि परिषदें स्थापित की गईं।

लोक सशक्तीकरण की दृष्टि से देश में वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त को अपनाया गया। वास्तविक शक्ति एवं सत्ता लोगों में निहित है, इसका अहसास कराने हेतु वयस्क देशवासी जिनकी आयु 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों को वोट देने एवं चुनाव में खड़ा होने का अधिकार दिया गया। इससे लोकसशक्तीकरण को बल मिला। अब बड़े से बड़ा व्यक्ति जनता के पास वोट माँगने जाने लगा। संख्या बल का महत्त्व बढ़ गया। गाँवों में जिन जातियों के सदस्यों की संख्या जितनी अधिक थी, उनका चुनावों में उतना ही दबाव हो गया। लोकसशक्तीकरण दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण निर्णय वयस्क मताधिकार की आयु जो 21 वर्ष थी को घटाकर 18 वर्ष करना था। अब 18 से 21 वर्ष की आयु-समूह के करोड़ों लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। इस दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातन्त्र है।

जनता में वास्तविक शक्ति निहित है और सत्ता या शासन अन्तिम रूप में जनता में ही निहित है, यह अहसास कराने की दृष्टि से यहाँ प्रेस की पूर्ण स्वतन्त्रता है। पत्र-पत्रिकाओं तथा भाषणों के माध्यम से लोग अपने विचारों को स्वतन्त्रता पूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। प्रेस के माध्यम से सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों तथा निर्णयों की भी आलोचना की जा सकती है। इससे भी जनता और लोगों को अपनी शक्ति को पहचानने का मौका मिला है।

शिक्षा के प्रचार-प्रसार ने अज्ञानता को दूर करने तथा लोगों को प्रदत्त के बजाय अर्जित प्रस्थिति को ऊँचा उठाने का अवसर दिया है। अब जातीय आधार पर कानून की दृष्टि से कोई भेद-भाव किया जाता। शिक्षा, प्रजातन्त्र, आधुनिकीकरण, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण ने जातीय आधार पर पाई जाने वाली ऊँच-नीच की दीवारों को गिराने में योग दिया है। इससे भी लोक सशक्तीकरण में सहायता मिली है।

स्वतन्त्रता के बाद देश में आरक्षण की नीति को अपनाया गया। अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को समाज के अन्य लोगों के समक्ष लाने, उनकी गिरी हुई स्थिति को उन्नति करने, उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को ऊँचा उठाने के लिये नौकरियों, विधान सभाओं, लोकसभा, नगर-पालिकाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं में इनके लिये स्थान आरक्षित किए गए हैं। इससे देश के कमजोर वर्ग के लोगों को अपनी शक्ति पहचानने, राजनीति प्रक्रियाओं में भाग लेने एवं देश के विकास में अपना योग देने का अवसर मिला है। इससे भी लोकशक्ति में मदद मिली है।

पंचायती राज की स्थापना अर्थात् लोक विकेन्द्रीकरण लोक सशक्तीकरण का एक प्रभावशाली माध्यम है। लोकतन्त्र विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय यह है कि लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया जाये और उनमें प्रशासनिक सत्ता का इस प्रकार से वितरण किया जाए कि जनता या लोगों को पग-पग पर उसकी अनुभूति हो सके। पंचायती राज के अन्तर्गत सत्ता को ग्रामीण, खण्ड और जिला स्तर पर विभिन्न जन-प्रतिनिधियों को सौंपने और उन्हें ही विकास कार्यों का दायित्व सभालने की दृष्टि से ग्राम-पंचायत समितियों और जिला-पंचायतों का गठन किया गया। पंचायती राज के अन्तर्गत इसी तीन स्तरीय व्यवस्था के माध्यम से सत्ता का निचले स्तरों पर वितरण किया गया। वास्तव में जनता की भागीदारी पंचायतीराज की समस्त व्यवस्था का मूल तत्त्व है। पंचायतीराज से सम्बन्धित सभी संस्थाओं का गठन तथा समस्त कार्य संचालन लोक तान्त्रिक आधार पर होता है। इससे लोक सशक्तीकरण को काफी योग मिला है, जनता अपनी शक्ति पहचानने लगी है तथा अपने यहाँ विकास कार्यक्रमों के संचालन की माँग करने लगी है।

राज्य व्यवस्था के आधार

(जिसको जितना ज्ञान और जितनी अधिक प्रतिष्ठा वह अपराध में उतना ही अधिक दण्ड का पात्र)

‘राज्य व्यवस्था में किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए और जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परम् सिद्ध हो उसके सम्बन्ध में विभिन्न विचारों की व्याख्याओं का निष्कर्ष इस प्रकार है। जैसे परम् विद्वान पण्डित होता है वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर समाज रक्षक नेता को योग्य है कि इस राज्य की रक्षा न्याय से यथावत करें।’

राजा अथवा सरकार राज्य व्यवस्था के लिए आवश्यक है। सरकार और जनता के व्यक्ति मिल-बैठकर सुख, समृद्धि और ज्ञान वृद्धि के लिए राजा या सरकार-जनता के सम्बन्ध रूप व्यवहार में तीन सभा अर्थात् विद्या, धर्म, राज्यसभा नियत करके विभिन्न प्रकार के सम्पूर्ण प्रजा सम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को सब ओर से विद्या स्वतन्त्रता, धर्म, सुशिक्षा और जीविका, धनादि से विभूषित करें। ऐसे राजधर्म को तीनों सभा से समितियों आदि की व्यवस्था और सेनाएं मिलकर पालन करें। सभाओं के कार्यकारी पदाधिकारी-सदस्य एवं अध्यक्ष तथा सरकार को योग्य है कि सभापति-अध्यक्ष-सरकार पदाधिकारियों-सदस्यों को आदेश दे कि हे सभा के योग्य मुख्य सभासद आप मेरी सभा की सर्व कल्याणकारी धर्म युक्त व्यवस्था का पालन कर और जो सभा के योग्य सदस्य या कार्यकारी-पदाधिकारी हैं वे सभा की व्यवस्था का पालन किया करें। इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतन्त्रता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए किन्तु सरकार जो सभापति-अध्यक्ष तदधीन सभा, सभाधीन सरकार, सरकार और सभा जनता के अधीन और जनता राज्य सभा के अधीन रहे। इसके अभाव में जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राज वर्ग रहने से राज्य में प्रवेश करके जनता का नाश किया जाता है। इसलिए अकेली सरकार स्वाधीन या उन्मत्त होकर जनता की नाशक होती है। इसलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना आवश्यक है। जैसे जंगली पशु-शेर मासांहारी हष्ट-पुष्ट पशु को मार कर खा लेते हैं वैसे स्वतन्त्र सरकार जनता का नाश करती है अर्थात् किसी को अपने से अधिक न होने देता, जन-समाज को लूट-खसोट अन्याय से दण्ड लेकर अपना प्रयोजन पूरा करता रहेगा।

जो व्यक्ति जन के समुदाय में परम् ऐश्वर्य का कर्ता शत्रुओं को जीत सके, जो शत्रुओं से पराजित न हो, सरकारों में सर्वोपर विराजमान-प्रकाशमान हो, सभापति होने को अत्यन्त योग्य, प्रशंसनीय, गुणकर्म स्वभाव युक्त, सत्यकरणीय, समीप जाने और शरण लेने योग्य सब का माननीय हो उसी को सभापति सरकार बनायें। इस प्रकार के प्रभाव को बड़े चक्रवर्ती राज्य सब से बड़े होने, बड़े-बड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने और परम् ऐश्वर्ययुक्त राज्य और धन के पालन के लिए सम्मति कराये। सर्वत्र पक्षपात रहित पूर्ण विद्या विनय युक्त सब के मित्र सभापति सरकार को सर्वाधीश मान में सम्पूर्ण देश शत्रु रहित किया जा सकता है।

जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक दिन या एक मुद्रा तक दण्ड हो उसी अपराध में सभापति, अध्यक्ष, न्यायाधीश को हजार दिन या हजार रुपये दण्ड अर्थात् साधारण मनुष्य से सभापति, अध्यक्ष, न्यायाधीश को हजार गुना दण्ड मिलना चाहिए। सभा के कार्यकारी सचिवों, मन्त्रियों, सलाहकारों को 800 गुना तथा राजनैतिक, नौकरशाहों, संस्थाध्यक्षों को उनसे कम 700 गुना और उसके भी न्यून को 600 गुना इसी प्रकार उत्तर-उत्तर अर्थात् जो एक छोटे से छोटा कर्मचारी है उसको 10 गुना दण्ड मिलना चाहिए क्योंकि यदि सामान्य-पुरुषों से राज-पुरुषों को अधिक दण्ड नहीं मिलेगा तो राज-व्यक्ति जन-व्यक्ति का नाश कर देते हैं। जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े से दण्ड से वश में आ जाती है इसीलिए राज्याध्यक्ष से लेकर छोटे से छोटे राजशाही, नौकर शाही राज्य व्यक्तियों को अपराध में प्रजाजनों से अधिक दण्ड होना चाहिए। इसी प्रकार जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस दरिद्र को चारी से 10 गुना, व्यापारी को 50 गुना, रक्षक-पहरेदार को 50 गुना और उकसाने वाले षडयन्त्रकारी विद्वान को 100 गुना दण्ड होना चाहिए। राज्य के नौकरशाही और प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण का भी विलम्ब नहीं होना चाहिए।

श्रेष्ठ नेतृत्व

“जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है और जहाँ भी समाज है वहाँ नेतृत्व है। कोई भी व्यक्ति जो साधारण लोगों की तुलना में दूसरों को सामाजिक-मनोवैज्ञानिक प्रेरणा प्रदान करने में दक्ष हो और सामूहिक प्रत्युत्तर को प्रभावी बना देता हो वह नेता है। भय एवं दबाव से नेतृत्व अधिक समय तक नहीं चालता वरन् लोगों के सहयोग व सद्भाव पर ही नेता सफलता पूर्वक कार्य कर सकता है।”

प्रत्येक समाज की शक्ति संरचना में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। मार्ग-दर्शन करते हैं, अथवा लोगों को क्रिया करने के लिए प्रभावित करते हैं। ऐसी क्रिया नेतृत्व और ऐसे व्यक्ति नेता, शक्ति मानव, शक्ति केन्द्र व शक्ति अभिजात कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति समूह के अन्य लोगों से अपनी भूमिका, प्रभाव और सामाजिक शक्ति के कारण ही भिन्न होते हैं। नेतृत्व एक सार्वभौमिक तथा विश्वव्यापी है। जहाँ जीवन है वहाँ समाज है और जहाँ समाज है वहाँ नेतृत्व है।

नेता एक मार्ग दर्शक, चालक, मुखिया, आज्ञा देने वाला, दल अथवा समुदाय का मुखिया, व्यवहार मत तथा कार्य में आगे जाने वाला दूसरों द्वारा जिसका अनुगमन किया जाता हो, आदि विभिन्न रूपों में संस्थापित होता है। यह परिभाषा नेतृत्व की विभिन्न सम्भावनाओं को प्रकट करती हैं। नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कहीं अधिक प्रभावित करते हैं, जितना कि उन दूसरे लोगों का व्यवहार नेता को प्रभावित करता है।

प्रत्येक समूह का एक नेता होता है जो समूह के साथ विभिन्न समय में अन्तःक्रिया करता है और उनसे सम्बन्ध स्थापित करता है। वह समूह के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। समूह में नेता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति होते हैं जो नेता का अनुगमन करते हैं। ऐसे अनुगामी के बिना कोई नेता नहीं हो सकता। नेतृत्व उभय पक्षीय (दुतरफा) मामला है। किन्तु पारस्परिक प्रभाव की मात्रा में अन्तर होता है। नेता और अनुगामी किसी परिस्थितियों में ही अन्तःक्रिया करते हैं। परिस्थिति में हम मूल्यों और अभिवृत्तियों को सम्मिलित करते हैं। नेता एवं उसके अनुगामियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के सामाजिक मूल्यों और अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखकर ही योजना निर्मित करनी होती है। समूह द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से कार्य किए जाते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए नेता विभिन्न प्रकार की क्षमताओं की अपेक्षा की जाती है। कार्य की प्रकृति नेता के कार्य करने नेता की कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। इस प्रकार नेतृत्व में नेता, अनुयायी, परिस्थिति और कार्य चार महत्वपूर्ण पक्ष हैं। नेतृत्व किसी एक या कुछ का विशेषाधिकार नहीं कहा जा सकता। कोई भी व्यक्ति जो साधारण लोगों की तुलना में दूसरों को सामाजिक-मनोवैज्ञानिक प्रेरणा प्रदान करने में दक्ष हो और सामूहिक प्रत्युत्तर को प्रभावी बना देता हो वह नेता है।

उच्च कोटि के नेता में जो विशेषताएँ होती हैं जैसे आत्म विश्वास, प्रेरणा शक्ति एवं बुद्धि आदि उनकी साधारण नेताओं से सामान्यतः अपेक्षा नहीं की जा सकती। जाति का पंथ व परम्परागत मुखिया, लम्बरदार, चौकीदार आदि वंशानुगत एवं परम्परात्मक ही होते हैं। डर एवं दबाव से नेतृत्व अधिक समय तक नहीं चालता वरन् लोगों के सहयोग व सद्भाव पर ही नेता सफलता पूर्वक कार्य कर सकता है।

एक व्यक्ति के सफल नेता बनने के लिए उसमें अनेक शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएँ आवश्यक हैं। ये विशेषताएँ क्या हों, इस बात पर विभिन्न वैज्ञानिक जिनमे टीड ने 10 गुण, आलपोर्ट ने 21 गुण, बाइण्ड ने 20 गुण, एम.एन. वसु ने 10 गुणों का उल्लेख किया है। एक अच्छे नेता के लिए आवश्यक हैं—सुदृढ़ व्यक्तित्व, दूसरे के प्रति सहानुभूति, अच्छा वक्ता, स्पष्ट अभिव्यक्त, समूह मनोविज्ञान का ज्ञान, ईमानदारी, नैतिकता एवं दयालुता, परिस्थितियों के अनुरूपता अपने को ढालने की क्षमता, सूचनाओं की जानकारी, जनहितकारी, बुद्धिमान, अन्तर्दृष्टि, लचीला, कुशल, प्रफुल्ल, कार्य करने के लिए तत्पर्य एवं मौलिक प्रशासनिकता, उत्साही एवं स्फूर्ति वाला होना चाहिए।

नेतृत्व की उत्पत्ति, नेता के व्यवहार तथा नेता एवं अनुयायियों के बीच पाये जाने वाले सम्बन्धों के आधार पर नेताओं के अनेक प्रकार देखने को मिलते हैं। परम्पराओं, प्रथाओं मन्दिर, मस्जिद, चर्च स्कूल अथवा आर्थिक व्यवस्था पर आधारित सत्ताधारी नेता संस्था का प्रशासक या मैनेजर होता है जो कि संस्थापक नेता कहलाते हैं। अक्रामक दबाव रखने वाला और कठोर कार्यवाही करने वाला नेता प्रभुत्वशाली नेता कहलाता है तथा शब्दों एवं संकेतों के द्वारा अपना नियन्त्रण कायम रखने वाला चापलूसी, झुकाव एवं मौखिक सलाह का प्रयोग करने वाला हृदयग्राही नेता कहलाता है। इसी प्रकार राजनैतिक नेता, प्रजातन्त्रात्मक नेता, नौकरशाही नेता, कूटनीतिज्ञ, सुधारक, आन्दोलक, सिद्धान्तवादी, औपचारिक, अनौपचारिक, स्वीकृत, अस्वीकृत नेता होते हैं।

नेता पद दायित्वों से परिपूर्ण होता है। उसे अपनी संस्कृति एवं समाज तथा क्षेत्र की आवश्यकता को देखकर अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। नेता अपने अनुयायियों का केन्द्र होता है। वह लोगों का मार्ग दर्शक और उनमें जाग्रति पैदा करने वाला होता है। बदली हुई परिस्थितियों में नेता के कार्य और दायित्व और भी बढ़ जाते हैं। सामान्यतः एक नेता को मुहल्ला/गाँव/नगर/क्षेत्र/प्रदेश/राष्ट्र में सक्रिय भूमिकाएँ निभानी पड़ती है, जिनमें प्रमुख हैं— प्रबन्धन, योजनाओं का निर्माण, नीति निर्धारण, समूह का प्रतिनिधित्व, आन्तरिक समस्याओं का नियन्त्रण, पुरस्कार की व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था, आदर्शवादिता, समूह का प्रतीक, संरक्षकता।

नेतृत्व की प्रकृति, प्रकार और विशेषताओं को ज्ञात करने तथा नवीन परिस्थितियों के कारण इनमें होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने के लिए देश के विभिन्न भागों में वैसे अनेक गाँव-नगर क्षेत्रों के अध्ययन किए गए जिनमें अध्ययनकर्ताओं ने अपने अध्ययन में कहा कि समाज में लोकतान्त्रिक नेतृत्व का विकास हो रहा है। अधिक आयु तथा उच्च जाति का महत्त्व घट कर सामूहिक नेतृत्व का उदय हुआ है। नेतृत्व में शिक्षा का महत्त्व एवं विशेषीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। विस्तृत परिवार, जमींदारी एवं धन का महत्त्व भी घट रहा है। कृषकों, कृषि मजदूरों और कम आय वालों, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों को भी नेतृत्व अवसर मिला है। स्त्रियाँ भी नेतृत्व में आगे आ रही हैं।

अनुशासन, दण्ड और मौन

“आज की दुनियाँ में पागल व स्वस्थ एक अजीब मौन की अवस्था में रहते हैं। लाखों पागलों, गरीबों, भिखारियों एवं बेरोजगारों को किसी न किसी कारण जेलों में दूँस दिया जाता है।”

प्राचीन काल में जो लोग सत्ता पर काबिज होते थे, एक सार्वजनिक उत्सव में खुले आम किसी चौराहे पर अपराधी को खड़ा करते थे। उसके शरीर को नोचते थे। माँस से खून बहता था। अपराधी की त्रासदी अमानवीय थी। कभी उसे जलाते थे, कभी उसका सिर काट देते थे। इस वीभत्स दृश्य को देखने के लिए लोगों का एक बड़ा समूह हाथ बाँधे खड़ा दिखाई देता था। लोगों के सामने सत्ता के स्वामी यह स्थापित करते थे कि जिसे यातना दी जा रही है, जो खून से लथ-पथ है वह प्रथम श्रेणी का अपराधी है। उसके अपराध को कानून ने प्रमाणित किया है। अपराधी को दी जाने वाली ये यातनाएँ राजीनतिक कर्मकाण्ड मात्र थी। इन यातनाओं द्वारा यह स्थापित किया जाता था कि जो लोग सत्ता में हैं उनके पास शक्ति है। शक्ति का अस्तित्व होता है और यातना भी उसकी अभिव्यक्ति होती है। यदि शक्ति कहीं उसके तंत्र स्वरूप में देखना हो यथार्थ में समझना हो तो इसका सही अवसर सार्वजनिक यातना के उत्सव हुआ करते थे। सत्ता अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति होती थी और वह कुछ भी कर सकती थी। शक्ति पर आधिपत्य पूँजीपतियों का होता था। इसे यह भी कहा जा सकता है कि पूँजीवादी की पूर्व आवश्यकता शक्ति का उपयोग है। केवल शक्ति का आधिपत्य ही पर्याप्त नहीं है। इसको क्रियान्वित करना भी आवश्यक है।

बन्दीगृह व्यवस्था की वैचारिक घोषणा होने पर भी उसके पीछे जो धारणा थी, वह बराबर सफल रही। वास्तव में पूँजीवाद और सत्ता पर काबिज लोग बराबर यह चाहते थे कि अधीनस्थों पर किसी न किसी प्रकार से प्रशासनिक अनुशासन अवश्य लागू होना चाहिए। यही प्रशासनिक शक्ति है और यह अस्पतालों में भी देखने को मिलती है। आज के आधुनिक समाज में हम कहीं भी देखें। व्यक्ति को उसकी अनुशासनिक तकनीकों का शिकार बना दिया जाता है। इस प्रकार अनुशासित लोगों पर नियन्त्रण रखने के लिए एक पूरी सोपानिक व्यवस्था खड़ी हो जाती है।

विद्वानों के अनुसार, आज का सम्पूर्ण समाज एक प्रकार का कारागृह है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति पर चाहे वह धन्धा करता हो, पढ़ता लिखता हो, खेलता कूदता हो, प्रशासनिक नियन्त्रण होता है। हम सब इस सामान्य कारागृह के बन्दी हैं। पर इस तरह का अनुशासन हमेशा हानि कारक होता है। ऐसी नहीं है। इसके लाभ भी हैं। इस व्यवस्था में जो बन्दी कारागृह से बाहर आते हैं वे परिष्कृत मस्तिष्क के होते हैं। सुधरे हुए नागरिक होते हैं। अनुशासित फौजी होते हैं। सफल कामगर होते हैं। इन अनुशासन से निकले हुए व्यक्ति दबू नहीं होते उन्हें उठकर काम करने का गुण प्राप्त हो जाता है। यह अनुशासनात्मक शक्ति वस्तुतः पूँजीवाद की उपज है। पूँजीवाद को स्थापित करने के लिए अनुशासनात्मक शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। यह पूँजीवाद की पूर्व आवश्यकता है। पूँजीवाद समाज में प्रशासनात्मक अनुशासन का होना उतना ही आवश्यक है जितना कारागृह का अनुशासन। देखा जाए तो समाज में सभी लोग एक सामान्य कारागृह के बन्दी हैं और इसमें जिस व्यवस्था या व्यक्ति में जितना ज्ञान है उतना ही वह अनुशासन चलाता है। सार्वजनिक फाँसी या मृत्यु से जो क्लासिकल युग में विशेषता थी, आज के कारागृह में बन्दी को रखने की जो प्रथा है वह आज सम्पूर्ण आधुनिक समाज में पाई जाती है। कारागृह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बन्दी का बराबर अवलोकन होता है। उस पर निगरानी रखी जाती है। उस पर नियम-उपनियम लागू किए जाते हैं। कारागृह की बड़ी विशेषता यह है कि इस दण्ड व्यवस्था का केन्द्र शरीर न होकर आत्मा या चेतना होती है। 17वीं और 18वीं सदी में दण्ड सार्वजनिक रूप से दिया जाता था तब अपराधी के साथ बड़ी निर्ममता का व्यवहार किया जाता था। कारागृह के आविर्भाव ने दण्ड देने की सम्पूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है।

ऐसा व्यक्ति जिसे कानून और रिवाज दूसरे व्यक्ति की संपत्ति मानते हैं। जातिवादी मामलों में उसके कोई अधिकार नहीं होते, वह पूरी तरह चल सम्पत्ति होता है, कुछ मामलों में कुछ सुरक्षा मिलती है, लेकिन किसी बैल या गधे को भी यही सुरक्षा मिल सकती है। यदि गुलाम को कुछ बराबर के अधिकार मसलन विरासत की सम्पत्ति प्राप्त है जिससे उसे बेदखल नहीं किया जा सकता तो कुछ मामलों में वह गुलाम नहीं रह जाता, भूदास हो जाता है। इस तरह गुलामी असमानता का अतिवादी उदाहरण है जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूह पूरी तरह या तकरीबन पूरी तरह अधिकार विहीन होते हैं। छुट-पुट तौर पर यह कई कालों और स्थानों पर मौजूद रही है, लेकिन गुलामी व्यवस्था के दो बड़े उदाहरण हैं, गुलामी पर आधारित पुरानी दुनिया के समान खासकर ग्रीस और रोम तथा 18-वीं एवं 19-वीं सदी में अमरीका के दक्षिणी राज्य।

सर्वप्रथम प्रत्येक गुलाम की स्थिति एक खास तरह की होती है। किसी स्वतन्त्र मनुष्य का जैसे कभी-कभी दूसरे पर अधिकार होता है उसके विपरीत गुलाम पर उसके मालिक का असीमित अधिकार होता है। कम से कम सिद्धान्तक मालिक की सत्ता के स्वतन्त्र उपयोग पर कोई भी बन्धन गुलामी को कम कर देता है जो इसकी प्रकृति के विपरीत है। उसी तरह जैसे रोमन कानून में अपनी संपत्ति के साथ कोई मालिक वह सब कुछ कर सकता था जिसे करने से विशेष कानून उसे रोकते नहीं थे। इसलिए मालिक और गुलाम के बीच सम्बन्ध ठीक-ठाक तब व्यक्त होते हैं जब गुलाम को मालिक की जायदाद या सम्पत्ति कहा जाए। इन शब्दों में अक्सर हमारा पाला पड़ता है। दूसरे, स्वतन्त्र व्यक्तियों की तुलना में गुलाम की स्थिति नहीं थी। गुलाम को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त थे, वह न तो अपनी सरकार बनाता था, न सार्वजनिक परिषदों में भाग लेता था। इसी के साथ एक दूसरा प्रभाव भी था जो गुलामी को समाप्त की ओर ले जाता है। उसे हम प्राचीन विश्व में सबसे अच्छी तरह खोज सकते हैं। गुलाम के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों के विषय के तौर धारणा के, और गुलाम के अधिकारों के हकदार मानव प्राणी के बतौर धारणा के बीच हमेशा एक टकराव रहा है।

प्राचीन लोगों की तुलना में हमारे वर्तमान विमर्श में बहुत बड़ा अन्तर आया है। विमर्श का यह बदला वही आधुनिक समाज को उत्तर आधुनिक समाज बना देता है। अब हम सम्यता को विमर्श से दूसरी तरह से देखते हैं। समाजशास्त्रियों की बहुत बड़ी समस्या अन्य उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों की तरह ज्ञान मीमांसा की रही। वे जानना चाहते थे कि ज्ञान का उद्गम क्या है? दूसरे सिद्धांत क्या हैं। इसी खोज में उन्होंने विमर्श की अवधारणा को रखा है। अपने सिद्धान्तों में, वैयक्तिक अध्ययनों में उन्होंने ज्ञान और शक्ति के संगठन की चर्चा की। सामाजिक नियन्त्रण के क्षेत्र में शक्ति ज्ञान और विमर्श की बहुत बड़ी भूमिका है और इसी पर उत्तर आधुनिक समाज का निर्माण होगा।

ज्ञानोदय काल में मनोरोग विज्ञान का आविर्भाव होता है। अब पागलो का निदान मनोवृत्ति सम्बंधी ज्ञान की सहायता से किया जाने लगा। इतिहास बताता है कि यूरोप में पहली बार पागलों, विक्षिप्तों और उन्मादग्रस्त लोगों को समाज से पृथक करके पागलखानों में रखा जाता था। इससे पहले भिखारी, उच्चकों, असामाजिक तत्वों को समाज से पृथक जेलखानों में रखा जाता था। इस पर समाजशास्त्रियों ने पागलों और पागलखानों का वैयक्तिक अध्ययन किया। पागलखानों में पागलों का अवलोकन फिर उनका वर्गीकरण किया गया। जिस अवधि में अध्ययनकर्ताओं के लेख प्रकाशित हुए उसी समय एक हादसा हो गया। एक फ्रांसीसी चिकित्सक फिलिये पिनेल जो बड़े उदारवादी थे, 'ने बेरेट्रो अस्पताल से 1794 पागलों को उनकी जंजीरों से मुक्त कर दिया। समाजशास्त्रियों ने इस घटना को कोई महत्व नहीं दिया और न ही उन्होंने इसे मानवतावाद और ज्ञानोदय की विजय माना। इनकी दृष्टि में इस चिकित्सक का यह कार्य एक खोखला आदर्शवाद था। जिन पागलों को पागलखाने से रिहा किया गया वे अब नयी प्रकार की बेड़ियों में फंस गए। समाजशास्त्रियों द्वारा पागलों का अध्ययन ज्ञानोदय तक की अवधि तक किया गया।

मौन क्या है? अध्ययनों के अवलोकन से पता चलता है कि, प्राचीन काल में पागलपन और कारण एकदम एक दूसरे से जुदा नहीं थे। कारण और पागलपन के बीच में संवाद था। यह कहा जाता था कि पागल व्यक्ति के पागलपन के कारण उसके घर की विषम परिस्थितियाँ थीं। आपसी झगड़े थे, जमीन का विवाद था, तात्पर्य यह कि पुनर्जागरण में पागलपन को किसी न किसी कारण या कारणों को घटाते नहीं। ज्ञान को सामाजिक स्थितियों से जैसा वह निकल सकता है निकलने देते हैं। मनुष्य यानी व्यक्ति की खोजबीन होती है। इस का वास्तविकीकरण अर्थात् वस्तुनिष्ठाकरण होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को विभाजित कर देती है। एक ओर तो व्यक्ति होता है और दूसरी ओर अधीनस्त मातहत। दलित। मनुष्य का यह विभाजन या तो उसे अन्दर तक तोड़ देता है या उसे सीजोफ्रेनिया और सोजोडायनैमिक्स से ग्रसित बताकर समाज से दूर कर देता है या उसे वह एक सामाजिक प्राणी बना देता है इस क्रम में व्यक्ति या तो विक्षिप्त पागल या उन्मुक्त होता है या उसे कोई सामाजिक पहचान, पद दिया जाता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में शक्ति और ज्ञान जुड़ा रहता है। चिकित्सालयों में रोगी जो भी बयान देता है या अपना दुःख-दर्द सुनाता है। उसके अर्थ को बयान के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए इसकी तुलना उन बयानों से करनी पड़ेगी जिन्हें अन्य रोगी देते हैं या चिकित्सा के विमर्श में जो कुछ भी कहा जाता है उससे तुलना करके ही एक विशेष रोगी के रोग को समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए इसकी तुलना उन बयानों से करनी पड़ेगी जिन्हें अन्य रोगी देते हैं अथवा चिकित्सक के विमर्श में जो कुछ कहा जाता है उससे तुलना करके ही एक विशेष रोगी के रोग को समझा जा सकता है।

आज की दुनिया में पागल और स्वस्थ एक अजीब मौन की अवस्था में रहते हैं। दोनों के बीच में किसी तरह का संवाद नहीं है। समाजशास्त्रियों का ज्ञान और शक्ति का प्रबंध देखा जाए तो एक क्रान्तिकारी प्रबन्ध है। इनके अध्ययन बताते हैं कि लाखों पागलों, गरीबों, भिखारियों और बेरोजगारों को किसी न किसी कारण जेलों में ठूस दिया जाता है। इसका कारण स्पष्ट है, अमीर समाज इन लोगों के साथ रहना अनुचित समझता है। उच्च एवं मध्यम वर्ग के व्यक्ति को दरिद्र-दलितों के साथ एक आसन पर बैठना पसन्द नहीं है। ऐसी स्थिति में वह अपने विशिष्ट ज्ञान से अर्जित शक्ति के माध्यम से इन अनचाहे व्यक्तियों को जेल भेज देता है। पागलपन और विक्षिप्त लोगों के जेल भेजने के कारण कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ये कारण सही और उचित इसलिए हैं कि इसे उन लोगों ने किया है जो इस क्षेत्र में दक्ष है, ज्ञानी है, माननीय हैं। यदि पागलपन की व्याख्या मनोरोग वैज्ञानिक करता है या इस अर्थ में उच्च वर्ग के लोगों के साथ अपराध की व्याख्या न्यायाधीश करता है तब उसे कौन चुनौती दे सकता है। व्याख्याकार चाहे मनोरोग चिकित्सक हो या कानून ये सब शक्तिशाली हैं क्योंकि इनके पास प्रमाणित ज्ञान है।

भाषा, वेश और शिष्टाचार

(विद्या और धन से नहीं बल्कि सदाचरण से मनुष्य महान बनता है)

मनुष्य अपने मन में जैसी संस्कृति को धारण करना चाहे, उसको वैसी ही पोशाक और वेश धारण करना चाहिए। भाषा और वेश के साथ गुप्त रूप से एक विशेष प्रकार की विचारधारा, जीवन-पद्धति और संस्कृति से जुड़ी रहती है। हम जो भाषा बोलते हैं या जिस देश में रहते हैं, गुप्त रूप से उस देश और भाषा में पाए जाने वाले सिद्धान्तों और आदर्शों से भी प्रभावित होते रहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के अपने महापुरुष हुए हैं, जिनके कार्यों का विशद वर्णन उस देश या राष्ट्र की भाषा में होता है। जब कोई व्यक्ति इन व्यक्तियों के चरित्र की श्रेष्ठता के विचार बार-बार पढ़ता है, तो चुपचाप उसी प्रकार के संस्कार, उन्हीं विचारों में विश्वास और उन्हीं आदर्शों या संस्कृति की ओर उसका झुकाव होता जाता है। भाषा कोरी भाषा मात्र नहीं है, वरन् वे तो जीते जागते विचार हैं, जो चेतना में चिपक जाते हैं और चरित्र को मोड़ डालते हैं।

भाषा के प्रत्येक अक्षर के पीछे स्वर और अर्थ का गुप्त भण्डार छिपा रहता है। जब हम किन्हीं अक्षरों का उच्चारण करते हैं, तो उनका अर्थ किसी न किसी रूप में हमारे कार्य और चरित्र पर प्रभाव डालकर हमें अच्छा या बुरा बनाता है। भाषा में किसी राष्ट्र या जाति की संस्कृति निहित रहती है। विचारों और आदर्शों का स्पष्टीकरण उस राष्ट्र की भाषा के ही माध्यम से होता है। प्रायः जब कोई जाति दूसरी जाति को जीतती है, तो उस स्थान पर अपनी भाषा का बोझ लाद देती है। विजित जाति इस भाषा के साथ-साथ अपने आपको निर्बल और जीतने वाली जाति को श्रेष्ठ समझने लगती है। इससे विजित जाति की मानसिक दासता बढ़ने लगती है। अधिक दिनों तक कोई भाषा पढ़ते-पढ़ते मनुष्य उस जाति के विचारों को श्रेष्ठ और अपने को कमजोर समझने लगता है। भारत में जब मुसलमान आए, तो उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी का प्रचार किया और हिन्दू जनता को भी इन्हीं भाषाओं में पढ़ने को प्रोत्साहित किया। राज्य का कार्य उर्दू में चला। इससे उर्दू, अरबी और फारसी के साथ-साथ मुस्लिम संस्कृति, मुसलमानी जीवन और वैसे ही विचारों को फैलाने एवं हिन्दूओं की दासता बढ़ाने में बहुत मदद मिली। ईसाई धर्म गुरुओं ने अंग्रेजी का प्रचार किया और जब भारत में अंग्रेजी राज्य छा गया, तो अंग्रेजी को राज्य भाषा बनाया गया और उसी का प्रचार किया गया। इसके पश्चात् संस्कृति का प्रचार हुआ। भारतवासियों के मन में अपने प्रति हीनता और अंग्रेजों की महत्ता की भावनाएँ छा गईं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा और शिक्षा के साथ-साथ संस्कृति भी जुड़ी हुई है। भारत में अतीव कालीन संस्कृति और मानवीय गुणों के विकास के लिए भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रवाणी हिन्दी के उत्थान की अतीव आवश्यकता है। इससे देश-समाज की सेवा एवं कल्याण हो सकता है।

अपने से बड़ों या गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, छोटों के प्रति स्नेह और बराबर वाले व्यक्तियों के प्रति प्रेम हमारी संस्कृति का मूलधार है। जो छोटे हैं, वे अपने से बड़े या गुरुजनों के चरण स्पर्श कर अपनी श्रद्धा, विनयशीलता और सम्यता का परियच देते हैं। बड़े लोग छोटों को स्नेह पूर्वक आशीर्वाद देते हैं। वास्तव में इस शिष्टाचार में एक मनो वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य के मन में विचारों की प्रचण्ड शक्ति निवास करती है। यह विचारों की शक्ति उनके सम्पूर्ण शरीर में निवास करती है। जब कोई छोटा अपने से बड़े पूज्य जनों का चरण स्पर्श करता है, तो विचारों का यह पुष्ट विद्युत प्रवाह उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है उससे चरण स्पर्श करने वाले का आत्मबल बढ़ जाता है। हमारे समाज में बड़ों का सम्मान करने की परम्परा है। इसका एक उदाहरण भरत हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का जीवन भर बहुत आदर किया था। उनका उदाहरण ग्रहण करने योग्य है। अपने से बड़े तथा मान्य पुरुषों के साथ शांति, नम्रता और विनयशीलता का व्यवहार करना आवश्यक है। बातचीत के समय शिष्टाचार सूचक शब्द श्रीमान जी, मान्यवर, बन्धुवर, महोदय, जी साहब आदि का प्रयोग करना चाहिए। उपकार होने के बदले में सदा-मैं आपका आभारी अनुग्रहीत हूँ, आपने बड़ा उपकार किया, शुक्रिया, प्रणाम आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वचन, मधुर, शुद्ध और शिष्टतायुक्त होने चाहिए। हमारा समाज शिष्टाचार के प्रति बड़ा शिष्ट, उदार और सम्यता से भरा है। सम्मान सूचक शब्दों का हम सदा बहुलता से प्रयोग करते रहे हैं। यहाँ तक कि भिखारियों तक को, जिन्हें कुछ न भी देना हो, हम प्रेम पूर्वक हटाते रहे हैं। मन की पवित्रता एवं स्वच्छता हमारे शिष्टाचार व्यवहार के प्रधान अंग हैं। हमारे रसोईघर की स्वच्छता और पवित्रता प्रसिद्ध है। उसमें किसी प्रकार की गन्दगी तो क्या व्यर्थ के व्यक्तियों का बार-बार घुसना तक हमें पसन्द नहीं रहा है। स्वच्छता और पवित्रता के कारण पवित्र स्थानों में जूते व गन्दी वस्तुएँ ले जाना वर्जित होता है। इसीलिए कहा गया है—‘न विद्या और न धन से बल्कि सदाचरण से ही मनुष्य महान बनता है।’

राष्ट्र-समाज के सुन्दर भविष्य एवं उसके आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति तथा नागरिकों को पुरानी संस्कृति से परिचित करने के लिए नितान्त आवश्यक है कि हम अपने देश और समाज के इतिहास को अपनी भाषा और साहित्य को पढ़ें। हमारे प्राचीन साहित्य ही में अधिकतर वह सामग्री है, जिसके आधार पर हम अपने सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्वरूप को यथावत पहचान और जान सकते हैं। प्राचीन साहित्य का आधार और पृष्ठभूमि वह अध्यात्मवाद रहा है, जो हमारी-भारत की मानवता को विशेष देन है। संसार की हर प्रकार की विपत्तियों, बाधाओं, कठिनाइयों और कमियों से मानव तब तक मुक्ति नहीं पा सकता, जब तक कि उसका जीवन सत्य की उपासना, सेवा का अटल व्रत और न्याय की अविचल निष्ठा नहीं बन जाता। जो बात भाषा के लिए कही गई है, वही देश के सम्बन्ध में भी है।

पहनावा की पोशाकों के साथ भी संस्कृति का निकट सम्बन्ध है। प्रत्येक संस्कृति और धर्म की पोशाक अलग-अलग है। अंग्रेजी

पोशाक पहनते ही दंभ, ऐंठ, अकड़, झूठी शान, शेखी, विलासता के भाव उदय होते हैं। अरबियन पोशाक के साथ ऐश्वर्य, विलासता, सजावट, कामना तृप्ति, इन्द्रिय भोग की प्रवृत्ति आदि भावनाएँ संयुक्त हैं। अंग्रेजी और मुस्लिम संस्कृतियाँ भोगवाद पर खड़ी हैं। इन्द्रियों के नाना भोगों की अतृप्त इच्छा इन जातियों के मन को, उनके विचारों को, उनकी बुद्धि को भौतिक स्तर से ऊपर उठने नहीं देती। छोटी वस्तुओं, छोटे आदर्शों का स्वाद चखते-चखते वे ऊँची चीजों का स्वाद भूल गए हैं। इन संस्कृतियों की पोशाकों में जो दिखावा, शेखी, सजावट, विलास इत्यादि है, वह मनुष्य की पंचेन्द्रियों का सुख है।

जब हम अंग्रेजी पोशाक पहनते हैं, तो हम मन में स्वयं उन विचारों का अनुभव करते हैं, जो अंग्रेजों में होते हैं। फोर्स की वदी पहनते ही हम दम्भ, आतंक हिंसा, आतंक, दूसरों पर अत्याचार तथा नेता की पोशाक पहनते ही अन्याय, चंचलता, छल, कपट, दंभ, विश्वासघात और शासक आदि भावों से हम भर जाते हैं। ईसाई एवं मुस्लिमान पोशाकों के पहनने पर मन में उन्हीं जैसे विश्वास, आकांक्षाएँ और व्यवहार आ जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि शादी-समारोहों के अवसर पर जब लोग कीमती पोशाकें पहनते हैं, तो उनमें मिथ्या दर्प और अभिमान बढ़ जाता है, चाल-ढाल अमीरों जैसी बन जाती है। वर्तमान समाज में ज्यादातर लोगों के नाज-नखरे प्रायः आने वाले बरातियों की भाँति उनकी पोशाकों और श्रृंगारों के कारण ही होते हैं। अतः मनुष्य अपने मन में जैसी संस्कृति को धारण करना चाहे, उसको वैसी ही पोशाक और वेश धारण करना चाहिए।

हमारी भारतीय पोशाक में स्वच्छता, निर्मलता, सरलता, सादगी के भाव प्रकट होते हैं। हमारा पहनावा लम्बा का कुर्ता, धोती, खाकी, खड़ाऊँ, चप्पल, सेण्डल, टोपी, साफा, खादी एवं सूती कच्छा, बनियान, लंगोट, साड़ी-ब्यालाउज, ओढ़नी आदि अर्थात् महर्षि या गाँधी-नेहरू, सुभाष अथवा सीताराम-राधाकृष्ण देवी-देवता स्वरूप वेश देश के मौसम के अनुसार सस्ते और उचित हैं। इनमें स्वच्छता और आराम अधिक तथा व्यर्थ दिखावे से बचाव रहता है। विद्या और सादगी भारत की अपनी विशेषताएँ रही हैं। कम से कम वस्त्र रखकर प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करना, अपने शरीर को व्यर्थ साज-श्रृंगार, टीप-टाप, फैशन परस्ती से दूर रखना, सादा जीवन और उच्च विचार धारण करना, यह हमारा दृष्टिकोण रहा है।

भारत ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का विनीत प्रयत्न किया है। यहाँ अनेक साधु और सन्त ही नहीं, अन्य व्यक्ति भी प्रकृति की गोद में आनन्द लेते रहे हैं। प्रकृति के वन, लता, पर्वत, नदी, पशु, पक्षी के साथ में उन्होंने कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं किया। भारत में नदी पहाड़ पवित्र और पूज्य माने गए हैं। इसलिए उनके निकट ही तीर्थों और मंदिरों की स्थापना हुई है। वन और गाँव यहाँ की संस्कृति के सुन्दर प्रतीक रहे हैं। अतः ग्रामीण वेश भूषा, प्रकृति के सहचर्य में रहने से आने वाली सादगी, स्वच्छता, विनयशीलता और उदारता हमारी पोशाक में भी पाई जाती है। पोशाक में हमारे यहाँ टीप-टाप को ओछेपन की निशानी माना गया है। कृत्रिमता, बनावटीपन, रंग-बिरंगे आधुनिक श्रृंगार प्रसाधनों से हमारे यहाँ विरक्ति रही है। भारतीय संस्कृति में मान्यता है कि जितनी ही कृत्रिमता हमारे अन्दर आएगी और पोशाक के सम्बन्ध में जितनी ही अस्वाभाविकता को हम अपनाते जाएँगे, उतने ही उच्च जीवन से दूर हटते जाएँगे।

सादगी का तात्पर्य दीनता, हीनता या दरिद्रता नहीं है, वरन बिना आडम्बर के उपयुक्त और आवश्यक वस्तुओं का शुद्धता पूर्वक प्रयोग करना है। यह सादगी स्वच्छता, निरभिमानता हमारे नित्य व्यवहार में मिली हुई होनी चाहिए। तड़क-भड़क के रंग-बिरंगे अथवा बेढव फैशन के वस्त्र और कनक निर्मित जेवर लादना व्यर्थ थोथेपन और असुरक्षा के प्रतीक हैं। कम कपड़े पहने चाहिए, पर उनकी सफाई का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। मन विचार, पोशाक और वातावरण की सादगी और सरलता उच्च अध्यात्मिक जीवन की ओर खींच ले जाने की क्षमता रखते हैं।

प्रसन्नता मनुष्य के भाग्य की एक विशेष रचना है, जो सबमें समान है। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण उससे वंचित रहता है। कोई अप्रसन्न रहता है, तो यह उसका दोष है। ईश्वर ने मनुष्य को प्रसन्न रहने के लिए उत्पन्न किया है। प्रसन्न मन से ही पूर्ण शांति और सन्तुलन रहता है। जैसे ज्वर आने पर शरीर की गर्मी बढ़ जाती है और कुछ भी काम नहीं हो पाता, उसी प्रकार उद्वेग और आदेश, उत्तेजना और आतुरता आदि लक्षण मानसिक ज्वर के हैं। मानसिक सन्तुलित अवस्था मन की स्थिर बुद्धि सम्पन्न शांति की स्थिति है, जिसमें विवेक पूर्णरूप से जाग्रत रहता है। जैसे तुला के दोनों पलड़े समान रूप से भारी होने के कारण डण्डी को सन्तुलित रखते हैं, वैसे ही मन की पूर्ण सन्तुलित अवस्था में हम शांत रहते हैं। हमारा मस्तिष्क पूरे विवेक से काम करता है। चिन्ता और वासनाएँ पास नहीं फटकती। विपत्ति पड़ने पर हम प्रायः चिन्तित, शोकग्रस्त, भयभीत हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, कायर बन जाते हैं। दूसरी ओर सम्पत्ति आने पर अहंकार, मद, मत्सर, अति हर्ष, अतिभोग, ईर्ष्या, द्वेष आदि उत्तेजनाओं में फँस जाते हैं। यह दोनों उत्तेजनाएँ मनुष्य की आन्तरिक स्थिति रोगियों और बालकों जैसी कर देती है। इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। हानि ही हानि है। अतः इसे त्यागना ही उचित है।

हमारी संस्कृति एवं आराध्य हमें हर स्थिति में प्रसन्न रहने की शुभ प्रणाम देते हैं। समस्त देवी-देवता प्रसन्न चित हँसते हुए हैं। उनके मुख से आह्लाद की शुभ किरणें निकलती रहती हैं। यह स्थिति तभी हो सकती है, जब मनुष्य गुप्त मन से बेचैनी व धबराहट की उलझने निकाल डाले। उत्तेजना से शारीरिक और मानसिक शक्तियों की भारी क्षति होती है। अनेक मानसिक बीमारियाँ हो जाती हैं। बाल झड़ने और सफेद होने लगते हैं, रक्त में विकार उत्पन्न हो जाता है और नई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए मानसिक उत्तेजनाओं का त्याग और विषम परिस्थितियों में शांति और सन्तुलित रहकर हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए।

मानवता की रक्षा के लिए श्रेष्ठजनों की आवश्यकता

यदि हम सच्चे मानव कहलाना चाहते हैं, तो हमें कुछ सदकर्मों का अपने जीवन में पालन करना होगा। वर्तमान समय में, ऐसे ही श्रेष्ठजनों की आवश्यकता है, जो मानवता की रक्षा कर सकें। यदि हम मनुष्यों में मानवता का गुण होगा, तो त्याग की भावना अवश्य उत्पन्न होगी। यदि हमारा दृष्टिकोण भाई बन्धु का होगा, तो कभी भी समाज में शांति भंग नहीं हो सकती है। आज समूची मानव जाति विश्व युद्ध के शिकंजे में फँसी मालूम होती है और आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इसका भुक्त भोगी बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में उदारता, सत्य, दया, संयम आदि भावनाओं का संचार करें, तो दुनिया का काया-कल्प सम्भव हो जायेगा। इसी दिन सम्पूर्ण विश्व में शांति छा सकेगी और अमन चैन की जिन्दगी होगी।

आज छोटी-छोटी समस्याएँ से न तो केवल व्यक्ति बँटा हुआ है, बल्कि राज्य एवं देश भी बँटे हुये हैं। हमारी समस्याओं का समाधान किसी अदालत में नहीं, बल्कि इसका हल मनुष्यों के विशाल हृदय और उदारता से ही सम्भव है। वैसे किसी भी समस्या का समाधान सद्भावना से किया जा सकता है। जब हमारे मन में यज्ञीय भावना का उदय होगा, तभी सर्वत्र शांति स्थापित हो सकेगी। हम किसी अभावग्रस्त रोगी, दुःखी और वृद्धजनों की सहायता करते हैं, तो यह यज्ञ के पुण्य के बराबर होता है। तथा अभावग्रस्त के प्रति सहानुभूति के भाव हमारे हृदय को विशाल बनाने के साथ-साथ आत्मिक शक्ति को मजबूत करता है। हमारा जन्म मनुष्य योनि में होने के कारण मानवता हमारे साथ खुद-बखुद जुड़ी होती है। ईश्वर ने हमें सोचने और समझने की शक्ति दी है। विवेक, ज्ञान और बुद्धि से सुशोभित किया है। इसलिए हम सद्मार्ग पर चलें, तो सच्चे मानव कहला सकते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति में ऐसा दृष्टिकोण आ जाये तो वह किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुँचा सकेगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि बहुत सी समस्याओं का समाधान 'मानवता' से हो सकता है और यही यज्ञीय फिलॉसफी है। दरअसल, समुदाय, राष्ट्रीयता, भाषा, प्रान्तवाद, सीमाविवाद सभी समस्याओं का हल इन्सानियत के सहारे ही सम्भव हो सकता है।

हम महान व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनके आदर्शों का अपने जीवन में अनुपालन नहीं कर पाते हैं। यदि उनके आदर्शों का हमें अपने जीवन में उतारना है, तो सबसे पहले हमें अपने अन्तःकरण को निर्मल एवं शुद्ध करना पड़ेगा। अन्तःकरण की शुद्धता के अभाव में सत्कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। वह मानव निःसन्देह सौभाग्यवान है, जिसने अपने अन्तःकरण को निर्मल बना लिया है और वही शास्वत सुख का अधिकारी भी बन सकता है। समाज में परस्पर एक दूसरे के निरन्तर कल्याण की कामना करते रहने से मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। जो व्यक्ति सब को अपना समझता है, वास्तव में वहीं ज्ञानवत होता है।

भारत माता के महान सपूत स्वामी विवेकानन्द

12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के विश्वनाथ दत्त एवं भुवनेश्वरीदेवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिसे नरेन्द्र एवं नरेन या विले के नाम से बुलाया गया। नरेन्द्र बचपन से ही पशु-पक्षियों से खेलना पसंद करते थे। बाद में उनकी लेखनी में प्रकृति प्रेम झलकता रहा। नरेन के जीवन पर उनकी माँ की गहरी छाप थी। उनकी माता उन्हें भारत की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में बताती थीं। वे कहती थी विले! हमारा भारत महान एवं इसकी संस्कृति मूल्यवान है। नरेन्द्र भारत की तत्कालीन दासता से बहुत दुःखी थे। वे सोचते थे कि हमारी संस्कृति इतनी महान है फिर भी हम क्यों दासता की बेड़ियों में जकड़े हैं?

नरेन्द्र को हास्य-व्यंग पसन्द था। वे कहते थे, हंसी-हंसी में भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी को ठेस न लगे। ध्यानयोग के दौरान एक बार जब वे ध्यान में निमग्न थे तभी एक विषैला नाग वहाँ आया तो उनके साथी चिल्लाए—नरेन्द्र भागो साँप। लेकिन नरेन्द्र अपने ध्यान में डूबे रहे और उन्होंने मित्रों की चेतावनी नहीं सुनी। वह विषैला नाग नरेन्द्र के निकट आ गया। नाग ने नरेन्द्र को निकट आकर देखा और फुंस! फुंस! किया लेकिन नाग नरेन्द्र पर आक्रमण किए बिना चुपचाप लौट गया। बाद में उनके मित्रों ने पूँछा नरेन्द्र, एक साँप तुम्हारे निकट आ गया था तो उन्होंने जबाब दिया— **अभयो भवः।**

नरेन्द्र ने रेजीडेन्सी कालेज तथा स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता में पढ़ाई की। इन्होंने बी.ए. में पूर्व और पश्चिम के दर्शन को चुना। उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे नए और पुरातन दोनों का ज्ञान प्राप्त करना है। पढ़ते समय उनके समक्ष अन-सुलझे रहस्य आए। वे दैविक शक्ति के विषय पर अत्यधिक विचारशील थे। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? उसे किसी ने देखा है? नरेन ने ईश्वर के विषय में जानने के लिए कई प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं से भेंट की। उन्होंने पूछा, आप क्या ईश्वर को देख चुके हैं? क्या आपने यीशु को देखा है? नरेन्द्र ने ब्रह्मसमाज के देवेन्द्रनाथ ठाकुर से मुलाकात की। उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर को जानते हैं? तो उन्होंने कहा तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। नरेन्द्र ने केशवचन्द्र सेन के भाषण भी सुने। नरेन्द्र के एक रिश्तेदार ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाकर श्रीरामकृष्ण से मिलने का उन्हें सुझाव दिया। एक दिन श्रीरामकृष्ण परमहंस नरेन्द्र के पड़ोसी सुरेन्द्र नाथ के घर आए। वहाँ परमहंस और नरेन्द्र एक दूसरे से आकर्षित हो गए थे। नरेन्द्र ने भजन गाए। उनका गायन सुनकर परमहंस जी भावुक हो उठे तथा दक्षिणेश्वर आने का निमन्त्रण दिया। कालेज की पढ़ाई व परीक्षा के कारण कुछ दिनों बाद नरेन्द्र दक्षिणेश्वर पहुँचे। नरेन्द्र को देखकर स्वामीजी भव विह्वल हो उठे और कहा नरेन्द्र, तुम नर नारायण ऋषि के अवतार हो। नरेन्द्र ने अपनी शंकाएं स्वामीजी के समक्ष रखीं। स्वामीजी आपने ईश्वर को देखा है? स्वामीजी बोले हाँ, देखा है। जैसे तुमको देखकर बात कर रहा हूँ, वैसे ही ईश्वर को देखना एवं बात करना सम्भव है, तुम भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो। पूर्ण निष्ठा व साधना के साथ ईश्वर दर्शन की तपस्या करने से वे प्रकट होंगे। नरेन्द्र, स्वामीजी का संदेश पाकर आश्वस्त हुए।

नरेन्द्र, अब दक्षिणेश्वर जाकर परमहंस से चर्चा करने लगे। 18वें वर्ष से ही नरेन्द्र को परमहंस का सानिध्य प्राप्त हुआ और गुरु-शिष्य का सम्बन्ध स्थापित हुआ। परमहंस नित्य ध्यान व प्रार्थना में व्यस्त रहते तथा वहाँ आने वालों की समस्याओं का समाधान करते। स्वामी जी कहते थे कि नरेन्द्र, दूसरों की सहायता के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, अन्य भक्त नक्षत्रों की तरह हैं लेकिन तुम सूर्य की तरह हो। परमहंस के शिष्यों में नरेन्द्र भी शामिल हो गए। वे प्राणायाम, ध्यान, पूजा, अर्चना में लिप्त हो गए। नवम्बर 1881 से 5 वर्षों तक नरेन्द्र व परमहंस का गुरु-शिष्य बन्धन प्रगाढ़ होता रहा। 1885 में परमहंस को कोसीपुर ले जाया गया। स्वामीजी बोले, जैसे तेल के बिना दीप नहीं जल सकता, ईश्वर के बिना मनुष्य की भी यही गति है। एक दिन स्वामीजी ने नरेन्द्र को निकट बुलाकर कहा नरेन्द्र, मैं अपना सर्वस्व तुमको दे रहा हूँ। यह शक्ति तुम्हें कई बड़े काम करने में सहायक होगी। स्वामीजी की समाधि से 2 दिन पूर्व नरेन्द्र के मन में यह विचार आया कि अगर गुरु जी स्वयं को साक्षात् ईश्वर कहते तो भी मान लेता। परमहंस शिष्यों को सन्यास की दीक्षा देकर उन्मुक्त अनुभव करते हुए बोले नरेन्द्र, मैं इनको तुम्हें सौंप रहा हूँ। इन्हें सन्यास जीवन से विमुख मत होने देना। 16 अगस्त, 1986 को परमहंस महासमाधि प्राप्त कर गए।

नरेन्द्र के नेतृत्व में शिष्यों ने सन्यास की दीक्षा ली और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। बाराणगर में एक छोटा मकान किराए पर लिया। उस मकान को ठीक करके वहाँ युवा सन्यासी, पूजा, ध्यान, अर्चना, योग आदि में जुट गए। नरेन्द्र बाराणगर मठ में दो वर्ष तक रहे। उत्तर भारत के कई नगरों की यात्रा करके वह हिमालय पहुँचे। उन्होंने अपना नाम **‘विविदिशानन्द’** रखा और बनारस, अयोध्या, लखनऊ, आगरा, वृन्दावन, ऋषिकेश, पटना आदि स्थानों पर गए। बनारस में वे तैलंग स्वामी एवं स्वामी भास्करानन्द से मिले। वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। हाथरस के स्टेशन मास्टर शरत चन्द्र गुप्ता उनके शिष्य बने एवं उन्होंने अपना नाम सदानन्द रखा। वे कुछ दिन ऋषिकेश में रुके फिर बाराणगर लौटे। स्वामीजी पुनः यात्रा पर निकल गाजीपुर में सन्त पावाहारी से मिले। वहाँ से कलकत्ता लौटे। वर्ष 1890 में विश्व भ्रमण के लिए बाराणगर मठ से पुनः निकल पड़े। ऋषिकेश पहुँकर विचार किया कि मुझे भारत के सभी पुण्य स्थलों का दर्शन करना है। उन्होंने इस दौरान कई नाम जैसे **सत्चिदानन्द** आदि भी रखे और सोचा नाम में क्या रखा है, आत्मा की पवित्रता ही महत्त्वपूर्ण है। ऋषिकेश में नरेन्द्र नाथ व उनके साथी को तीव्र ज्वर आया, वे मेरठ पहुँचे। मेरठ में स्वामी जी अकेले ही पुण्ययात्रा को निकले। वर्ष 1891 में दिल्ली पहुँचे वहाँ उनकी कुछ संन्यासी साथियों से भेंट हुई। वे बोले आप सब ध्यान समाधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करें, अभी मैं अकेला यात्रा करना चाहता हूँ। स्वामी जी वर्ष 1891 में **अलवर नरेश** से मिले। वहाँ उनसे लम्बा विचार-विमर्श हुआ। नरेश बोले स्वामी जी, **क्या मूर्ति पूजा सही है?** स्वामी जी ने कहा भक्त, **मूर्ति पूजा नहीं करते, वे मूर्ति में जिस दिव्य शक्ति का रूप है, उसी की पूजा करते हैं।** नरेश स्वामीजी से मिलकर अत्यन्त प्रभावित होकर बोले स्वामीजी, मेरी विनम्र सलाह है कि, **विविदिशानन्द नाम के स्थान**

पर विवेकानन्द नाम आप पर शोभित होता है। तो स्वामी जी बोले उचित, यह नाम मुझे अच्छा लगा। तब से स्वामीजी 'विवेकानन्द' के नाम से प्रशस्त हुए।

जयपुर अजमेर से होते हुए वे माउण्टआबू में खेतड़ी नरेश से मिले। खेतड़ी राजा ने स्वामी जी को अपने यहाँ निमन्त्रित किया। दोनों में प्रगाढ़ सम्बन्ध स्थापित हुए। स्वामी जी अहमदाबाद में जैन मुनियों से भी मिले और जैन मत के बारे में जानकारी ली। लिमड़ी होते हुए सारनाथ मन्दिर पहुँचे और वहाँ भारत का वैभवशाली अतीत देखा। स्वामी जी पोरबन्दर के दीवान के घर ठहरकर और वेदों के अनुवाद में उनकी सहायता की। उसी दौरान उन्होंने फ्रेंच सीखनी आरम्भ की। पोरबन्दर में उन्हें विश्व धर्म संसद के बारे में पता चला। वहाँ जाने की इच्छा प्रकट करने पर दीवान जी बोले बहुत अच्छा रहेगा। आप वहाँ हिन्दू धर्म पर बोले। वर्ष 1892 में वे बड़ौदा होते हुए मुम्बई पहुँचे वहाँ से पूना जाकर लोकमान्य तिलक से मिले और कहा, अपने देश के लिए कुछ करने की कामना है। तो तिलक बोले हाँ, सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि मातृभूमि के लिए कुछ करें। कोल्हापुर में गणमान्य व्यक्तियों के अतिथि रहकर वे बेंगलुरु पहुँचे, वहाँ से मैसूर पहुँचने पर वहाँ के दीवान एवं महाराज ने उनसे अतिथ्य स्वीकार करने की विनती की। मैसूर से चलकर वे केरल में शोरनूर पहुँचे, वहाँ से बैलगाड़ी से त्रिचूर पहुँचे। त्रिचूर से कोची राजा का आतिथ्य स्वीकार कर वे कोदनेल्लूर होते हुए नौका द्वारा कोचीन पहुँचे। वहाँ देखा नारियल वृक्षों की कतार, जैसे स्वर्ग उतर आया है। वे एर्नाकुलम् में प्रख्यात गुरु चटम्पी स्वामी से मिले। दिसम्बर 1892 को वे तिरुवनन्तपुरम् में एक प्राध्यापक के घर ठहरे और कहा केरल की यात्रा से मुझे नई अनुभूति अच्छी-बुरी दोनों हुई है। तिरुवनन्तपुरम् से नागरकोविल होकर वे कन्याकुमारी पहुँचकर महसूस किया ओह! आध्यात्मिक भावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं। कन्याकुमारी में उन्हें समुद्र में एक शिला दिखी तो वह पादशिला ध्यान एवं समाधि के लिए अति उत्तम लगी। विवेकानन्द तैर कर देवी कन्याकुमारी की पादशिला पर पहुँचे। उस शिला पर बैठकर सामने बिछे भारत पर दृष्टि डाली। उनके सामने भारत माता साक्षात् जगदम्बा के रूप में दिखाई दीं। भारत की वर्तमान स्थिति पर भी उनका ध्यान गया। विचार किया कि अपनी मातृभूमि के लिए मैं क्या करूँ? मुझे कुछ करना होगा। तीन दिनों तक ध्यान व समाधि के बाद उनके मन में अमेरिका जाकर अपने देश के बारे में बताने की कामना ने जोर पकड़ा। जगदम्बा एवं भारत माता में कोई अन्तर नहीं है। भारत माता की सेवा ही जगदम्बा की सेवा है। बाद में समुद्र के अन्दर विवेकानन्द शिला स्मारक का निर्माण स्व. एकनाथ रानाडे के प्रयासों से हुआ। उस शिला पर खड़े होकर स्वामी विवेकानन्द ने भारत की सर्वोन्नति का प्रण लिया। वे कन्याकुमारी से पाण्डचेरी पहुँचे। वहाँ से चेन्नई पहुँचे। एक रात स्वामीजी ने स्वप्न में परमहंस को समुद्र में अपनी ओर आते देखा। विवेकानन्द को लगा जैसे गुरुदेव उन्हें समुद्र यात्रा के लिए आदेश दे रहे हैं। परमहंस की धर्मपत्नी शारदादेवी ने भी उन्हें स्वीकृत पत्र भेजा। विवेकानन्द अपने अनुयायियों से बोले, मैं हिन्दू धर्म के बारे में बोलने के लिए अमेरिका के शिकागों में धर्म-संसद में भाग लेना चाहता हूँ। अनुयायी बोले, हम यात्रा खर्च हेतु धन संग्रह करेंगे।

अचानक एक दिन विवेकानन्द को राजा अजीत सिंह का पत्र मिला। जिसमें लिखा था, आदरणीय स्वामीजी, अमेरिका जाने वाले एक जहाज का प्रथम श्रेणी का टिकट एवं अन्य व्यवस्था करवा रहा हूँ। अतः यहाँ आने की कृपा करें। स्वामी जी रेल द्वारा खेतड़ी पहुँचे और वहाँ से वे मुम्बई पहुँचे। इस तरह 31 मई, 1893 को स्वामी जी एक जलपोत पर जो वैनकूवर (कनाडा) जा रहा था स्वामी जी उस पर सवार हुए यह एक ऐतिहासिक क्षण था। वे मध्य जुलाई 1893 में वैनकूबर पहुँचे। वहाँ से शिकागो की रेलयात्रा के दौरान उन्हें एक अमेरिकी महिला मिली। उन्होंने स्वामीजी को शिकागों के बाद बोस्टन में अपने घर आने का निमन्त्रण दिया। शिकागों पहुँचने पर उन्हें पता चला कि धर्म संसद 11 सितंबर, 1893 में ही प्रारम्भ होगी पंजीकरण का समय भी समाप्त हो गया था। उनके पास किसी मत-धर्म के अनुयायी का प्रमाण नहीं था। वे बोस्टन लौट गए। वे उस महिला से मिले वहाँ एक प्रोफेसर ने धर्म संसद को पत्र लिखकर उनका परिचय दिया। वे शिकागो लौटे परन्तु उस स्थान का पता उनसे खो गया था, थक कर एक फुटपाथ पर बैठ गए। तभी एक महिला वहाँ आयी और बोली महोदय, क्या आप धर्म संसद में भाग लेने आए हैं? स्वामी जी ने कहा हाँ, मैं भारत से यहाँ हिन्दू धर्म पर बोलने आया हूँ। स्वामीजी ने उन्हें पता गुम हो जाने वाले बात बताई। श्रीमती जार्ज हेले नामक उस महिला ने घर बुलाकर उन्हें जलपान कराया और धर्म संसद स्थल पर ले गई।

स्वामीजी को धर्म संसद में भाग लेने का अवसर मिला। वहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी की श्रीमती एनीबेसेंट व ब्रह्मसमाज के श्री मजूमदार भी आए हुए थे। 11 सितम्बर, 1893 को धर्म संसद प्रारंभ हुई। स्वामी विवेकानन्द अन्य अतिथियों सहित मंच पर भारत-भारती का झंडा लहराने उपस्थित थे। स्वामीजी को दोपहर में बोलने का अवसर मिला। माँ सरस्वती का स्मरण कर स्वामीजी खड़े हो गए। सात हजार श्रोता उन्हें मन्त्रमुग्ध हो देख रहे थे। स्वामीजी ने उद्बोधन किया, **अमेरिका के भाइयों एवं बहिनो**, तो तालियों की गड़गड़ाहट से मानो आकाश गूँज उठा। लोग अपने स्थानों पर खड़े हो गए। उस क्षण जैसे भारत और हिन्दू धर्म का गौरव कमल की तरह खिल उठा। संभवतः आकाश से देवता अदृश्य पूष्प वर्षा कर उठे होंगे। दो मिनट के बाद तालियों की गड़गड़ाहट रुकी। स्वामीजी बोले, **मैं विश्व के सर्वाधिक प्राचीन सन्यासी समुदाय की ओर से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं समस्त धर्मों के स्रोत की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं लाखों हिन्दुओं की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ।** उनका पहला भाषण संक्षिप्त था। उसमें उन्होंने हिन्दू धर्म की व्याख्याकर सभी धर्मों का सार एक है बताया। स्वामीजी की प्रगाढ़ ज्ञान एवं आध्यात्मिक प्रतिभा ने सभी को प्रभावित किया। उनके भाषण के अंत में भी मंत्रमुग्ध हुए लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान किया। अगले दिन अमेरिका के अखबारों में स्वामीजी की प्रशंसा छपी और रातों-रात उनकी ख्याति अमेरिका में फैल गई। एक सप्ताह के उस सम्मेलन में स्वामीजी ने 12 बार भाषण दिए तीसरे भाषण में उन्होंने हिन्दूधर्म पर पत्र पढ़ते हुए कहा, मनुष्य की प्रकृति वस्तुतः दैविक है, सभी धर्मों का लक्ष्य दैविक है। 27 सितम्बर को अन्तिम दिन स्वामी जी ने अपने भाषण में विश्व एकता पर बल देकर कहा, इस संसद में यह सिद्ध हो गया है कि पवित्रता और सेवा किसी चर्च या धर्म की बपौती नहीं है।

धर्म संसद के बाद शिकागो में उनके पोस्टर लगे थे एवं सभी ओर उनकी चर्चा थी। स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका में कई व्याख्यान दिए और अनेक शिष्य बनाए। 1895 में इंग्लैण्ड में उनसे कुमारी हैरियट व श्री ई.टी.स्टर्डी भी मिले। हैरियट ने बेलूर मठ के लिए 40

एकड़ भूमि दी। इंग्लैण्ड में भी वे बहुत प्रसिद्ध हो गए। वे मैक्समूलर से मिले। उन्होंने बताया कि मैंने परमहंस पर एक लेख लिखा है, मैं उन पर पुस्तक लिखना चाहता हूँ। इंग्लैंड में उनसे कुमारी मार्गेट नोबल मिली सिस्टर क्रिस्टीन एवं जे.जे. गुडविन ने भारत में भी काम किया। श्री गुडविन ने स्वामीजी के कई भाषण सुनकर लिखे। कुमार बाल्डों ने भी उनके भाषणों को लिखा और 'द इन्स्प्रायर्ड टाक' पुस्तक प्रकाशित हुई। ज्ञानयोग, राजयोग और कर्मयोग पुस्तकें भी छपीं। उन्होंने अमेरिका, पश्चिम एवं एशिया की कई अच्छी बातों का वर्णन किया। उन्होंने कुमारी नोबुल को भगिनी निवेदिता का नाम दिया। बाद में स्वामीजी के अन्य शिष्य श्री एवं श्रीमती संवियर ने हिमालय में 'अद्वैत आश्रम' की स्थापना की। स्वामीजी ने यूरोप का दौरा किया वे स्विट्जरलैण्ड गए। जर्मनी में उन्हें संस्कृत के विद्वान पाल डाउसन मिले तथा 1896 में इटली से भारत लौटे।

कोलकाता में उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने वहाँ वेदांत के अनुसार नए भारत की भव्य छवि पर प्रकाश डाला। बारानगर मठ आलम बाजार में स्थापित हुआ। वे वहाँ रुके। कोसीपुर के सील्स गार्डन में लोगों से मिलते थे। स्वामी जी 1897 से 1898 तक उत्तर भारत के नगरों का दौरा कर कोलकाता लौटे। कुमारी हैरियट मूलर से प्राप्त 40 एकड़ भूमि पर 9 दिसम्बर 1998 गंगा नदी के किनारे बेलूर में मठ स्थानांतरित किया गया। वहाँ उन्होंने परमहंस का स्मारक बनाया। जो रामकृष्ण मिशन का केन्द्र हैं। यहाँ के संन्यासी प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा आदि तथा चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्र में सेवा कार्य करते हैं।

स्वामीजी अपने शिष्यों के साथ कश्मीर और अमरनाथ भी गए। वे बेलूर मठ में लौटे। भगिनी निवेदिता और अन्य विदेशी संन्यासिनी पास के ही एक घर में रहने लगीं। 20 जून, 1999 को वे पुनः पश्चिम यात्रा पर गए। वे लंदन होकर न्यूयार्क पहुँचे। यहाँ से वे सैन फ्रांसिस्को गए, वहाँ वेदान्त सोसाइटी स्थापित की। वे पेरिस पहुँचे। जहाँ फ्रेंच में उन्होंने भाषण दिया। वे यूरोप के कई देशों में घूमकर 9 दिसम्बर, 1900 को बेलूर पहुँचे। स्वामीजी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। 4 जुलाई, 1902 की प्रातः वे अपने पूजागृह में प्रविष्ट हुए और दरवाजे खिड़कियाँ बन्द कर लिए। वे 3 घंटे तक समाधिस्थ रहे। संध्या को वे ध्यान में बैठे थे। उनका एक शिष्य उनके कहने पर उन्हें पंखा झल रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने 2 बार गहरी श्वास ली। बाद में उनकी सांस और नाड़ी रुक गई। रात्रि 9:10 बजे स्वामी जी ने महासमाधि ले ली। उनका अन्तिम संस्कार बेलूर मठ में किया गया। वहाँ उनका स्मारक है। आज रामकृष्ण मिशन एवं बेलूर मठ विश्व में भारतीय हिन्दू संस्कृति की मशाल जला रहे हैं।

मानकीय शिक्षण से ही व्यक्तित्व विकास सम्भव

‘सरकारी स्कूलों के छात्रों व निजी स्कूलों के शिक्षकों की दरिद्रता चिन्ताजनक’

देश के गाँव-नगर के गली-कूँचों में प्रत्येक स्तर के विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी कागजी औपचारिकता में विद्यालय सम्बन्धी समस्त वस्तुएँ उपलब्ध होकर उनका छात्र-छात्राओं के उपभोग तथा विद्यालय भवन शिक्षण कार्य मात्र के लिए निर्धारित होता है। जबकि वास्तविकता इससे परे है।

छात्र-छात्राओं के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर समयानुकूल मानकीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण निर्धारित होता है। शिक्षण कार्य के लिए अर्ह शिक्षकों को निर्धारित वेतनमान के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है। शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षक-कर्मचारियों को वेतन-भत्ते तथा छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रवृत्ति, पुस्तकें, छात्रावास, पुस्तकालय, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ आदि व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है, जिसके लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय का 6% धन बजट एवं देश-समाज से भारी दान-अनुदान तथा सांसद-विधायक निधियों से प्राप्त धन व्यय किया जाता है।

सरकारी अनुदानित, निजी विद्यालय-कालेजों के शिक्षकों की अर्हता, नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन निर्धारण में समानता तथा शिक्षण कार्य में निर्धारित आचरण प्रावधानों के बावजूद आज शिक्षा की स्थिति चिन्ता जनक बनी हुई है। व्यक्ति अपना एक तिहाई जीवन विद्यालयों में विद्यार्थी के रूप में खपाने के बावजूद व्यक्तित्व विकास करने में असफल हो रहे हैं। व्यक्ति का परिश्रम एवं डिग्री व्यर्थ सिद्ध होकर उनका जीवन बोझ बन रहा है। **क्या यही है भारतीय शिक्षा का प्रतिष्ठित उद्देश्य?**

आज देश की रिकार्डिड जनसंख्या 1211903144 की शैक्षिकता पर विचार करने के परिणामस्वरूप प्रकटित तथ्य **‘देश की जनसंख्या का 25.6% अर्थात् 32 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो लिख-पढ़ नहीं सकते हैं। अवशेष 89 करोड़ जनसंख्या में अधिकाँश व्यक्ति ऐसे हैं जो उल्टी-सीधी रेखाएँ अपने नाम के लिए पहचानते हैं। उनका जीवन कितना मानवतापूर्ण और उपयोगी है की वास्तविक स्थिति उनकी दरिद्रता और दयनीयता में दिखती है।’**

उच्च शुल्क एवं डोनेशनयुक्त निजी विद्यालयों में प्रवेश व्यक्ति के स्तर की पहिचान बन गए हैं। जब कि सरकारी-अनुदानित स्कूलों में प्रवेश-शिक्षा दरिद्रता एवं निम्नता का प्रतीक बन गई हैं। सरकारी अनुदानित एवं निजी स्कूल-कालेजों एवं छात्रों की स्थितियों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि सरकारी-अनुदानित विद्यालयों के शिक्षक भारी वेतन-भत्ते लेने पर भी निर्धारित मानकीय पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते हैं तथा विद्यालयों में शिक्षण का वातावरण नष्ट कर नेतागिरी, द्यूशन, कमीशनबाजी करते रहते हैं जबकि निजी विद्यालयों के शिक्षकों से विद्यालय में शिक्षण कार्य कराने एवं प्राचार्य-प्रबन्धकों के आवासों पर बन्धुआ मजदूर की भांति कार्य करने पर भी उनका वेतन-खैरात हड़प लिया जाता है। यहाँ तक कि शिक्षकों के वेतन खातों में वेतन डालकर प्रबन्धको द्वारा दबंगई कर फर्जीबाड़ा करके वेतन निकाल कर हड़पा जा रहा है। बोर्ड-विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रक्रिया में फर्जीबाड़ा करके सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध अयोग्य लोगों को आचार्य-प्राचार्य पद पर स्वयं-भू पदासीन कर अनुमोदित किया जाता है तथा प्रबन्धतन्त्रों द्वारा छात्रों से अवैध वसूली कराई जाती है।

सरकारी व अनुदानित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में अधिकाँश बच्चे दरिद्रता के शिकार लोगों से जुड़े होते हैं जो अपने अभिभावकों की दीन-हीनता की दशा से बुरी तरह प्रभावित होकर अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने मन-मस्तिष्क को पठन-पाठन हेतु ढालने में असमर्थ रहते हैं एवं पढ़ने की चाह रखते हुए शिक्षकों का हिटलरशाही रूख को भाँप अपनी चुप्पी साधकर मानकी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

निजी स्कूलों में धनाढ्यों के बच्चे पढ़ते हैं जो सुख-सुविधा वस्तुओं से परिपूर्ण रहते हैं। पठन-पाठन के स्थान पर कार्टून्स और टी. वी. पर कन्सलटेंट होते हैं। स्कूल-होम वर्क द्यूशन शिक्षकों द्वारा पूर्ण कर दिया जाता है। स्कूल के शैक्षिक सत्र में तरह-तरह के मनोरंजन-कार्यक्रम चलते रहते हैं। परीक्षा के अवसर पर धन लेकर **‘मुन्नाभाई’** परीक्षा-कापी लिख देते हैं तथा मनमाने प्रमाण-पत्र देकर विद्यार्थी कालेज से विदा कर दिए जाते हैं।

उक्त स्थिति पर विचारोपरान्त कहा जा सकता है कि आज छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन हेतु निर्मित विद्यालय, पाठ्यक्रम, शिक्षक, परीक्षा, डिग्री-प्रमाणपत्र व्यक्ति और समाज के लिए अनुपयोगी है जो व्यक्ति-समाज से मनमाना धन एवं लम्बा जीवन लेने के बावजूद कौशल-विकास में योगदान करने में नाकाम हैं।

शिक्षा के उद्देश्य **‘असतो मा सद् गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय’** के लिए हमारे ऋषियों-मुनियों ने गुरु पद धारण कर देश-समाज में व्यक्तित्व को विकसित किया। किन्तु आज गुरु अर्थात् शिक्षक व्यक्ति-समाज की दृष्टि में हेय बन गए हैं। अतः हमें चाहिए कि परिस्थिति अनुरूप मानकीय शैक्षिक पाठ्यक्रम, अर्ह शिक्षकों, निर्धारित शिक्षण प्रक्रिया, गुणवत्तायुक्त परीक्षा-डिग्री प्रमाण-पत्र ही स्वीकार करें। हमें प्रवधारित करना है कि **‘हमें शिक्षित बनकर अपने व्यक्तित्व का विकास करना है न कि साक्षर कहला कर स्वयं को शोषित कराना है।’**

गाँधी और समाजवाद

महात्मा गाँधी के अनुसार, “सच्चा समाजवाद तो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, जो हमें यह सिखा गए हैं—‘सब भूमि गोपाल की है।, इसमें कहीं मेरी और तेरी की सीमाएँ नहीं हैं। ये सीमाएँ आदमी की बनाई हुई हैं और इसीलिए वे इन्हें तोड़ भी सकते हैं।’ गोपाल अर्थात् भगवान् श्रीकृष्ण, आधुनिक भाषा में गोपाल अर्थात् राज्य अर्थात् जनता। आज जमीन जनता की नहीं है—यह बात सही है। पर इसमें दोष उस शिक्षा का नहीं है। दोष तो हमारा है जिन्होंने उस शिक्षा के अनुसार आचरण नहीं किया है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस आदर्श को जिस सीमा तक रूस या दूसरा कोई पहुँच सकता है, उस सीमा तक हम भी पहुँच सकते हैं, और वह भी हिंसा का आश्रय लिए बिना।”

समाजवाद में समाज के सब सदस्य बराबर होते हैं—न कोई नीचा होता है, न कोई ऊँचा। किसी व्यक्ति के शरीर में सिर सबसे ऊपर होने के कारण ऊँचा नहीं होता है और न पैर के तलवे जमीन को छूने के कारण नीचे होते हैं। जैसे व्यक्ति के शरीर के सब अंश बराबर होते हैं, वैसी ही समाज रूपी शरीर के सारे अंग भी बराबर होते हैं। यही समाजवाद है।

समाजवाद में राजा या शासक और प्रजा, अमीर और गरीब, मालिक और मजदूर सब एक स्तर पर होते हैं। धर्म की भाषा में कहे तो समाजवाद में द्वैत या भेद—भाव नहीं होता, सर्वत्र एकता या अद्वैत का प्रभुत्व होता है। आज संसार में देखें तो द्वैत या अनेकता के शिवा कुछ नहीं दिखाई देता, एकता या अद्वैत का नामो—निशान नहीं दिखाई देता। यह आदमी अच्छा है, वह नीचा है, यह हिन्दू है, वह मुसलमान है, तीसरा ईसाई, चौथा बौद्ध, पाँचवा सिख, छठा पारसी, और सातवाँ यहूदी है। इनमें भी बहुत सी उपजातियाँ हैं। मेरी कल्पना की एकता यह अद्वैतवाद में सब एक हो जाते हैं, एकता में समा जाते हैं। यह समाजवाद स्फटिक की तरह शुद्ध है। इसलिए हमें सिद्ध करने के साधन भी शुद्ध होने चाहिए। अशुद्ध साधनों से प्राप्त होने वाले साध्य भी अशुद्ध ही होता है। इसीलिए शासक का सिर काट डालने से शासक और प्रजा बराबर नहीं जो जायेंगे। हम असत्य से लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य आचरण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

समाजवादी समाज में ऐसी स्थिति लानी चाहिए, जिसमें सबका सामाजिक दर्जा समान माना जाये। श्रमिक वर्गों को सैकड़ों वर्षों से सभ्य समाज से अलग रखा गया है और उन्हें नीचा दर्जा दिया गया है। उन्हें शूद्र—दरिद्र कहा गया है और इस शब्द का यह अर्थ किया है कि वे दूसरे वर्गों से नीचे हैं। श्रमिक, कृषक, शिक्षक, अधिकारी के बच्चों में कोई भेद नहीं होना चाहिए।

समाजवादी समाज—व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम आर्थिक समानता लाने का प्रयत्न करना होगा। आर्थिक समानता के लिए काम करने का तात्पर्य है पूँजी और मजदूरी के बीच झगड़ों को हमेशा मे लिए मिटा देना। इसका अर्थ यह होता है कि एक ओर जिन मुट्ठीभर पैसे वाले लोगों के हाथ में राष्ट्र की सम्पत्ति का बड़ा भाग इकट्ठा हो गया है, उनकी सम्पत्ति को कम करना, और दूसरी ओर करोड़ों लोग अधपेट खाते और नंगे रहते हैं, उनकी सम्पत्ति में वृद्धि करना। जब तक मुट्ठी भर धनवानों और करोड़ों भूखे रहने वालों के बीच भारी अन्तर बना रहेगा, तब तक अहिंसा की बुनियाद पर चलने वाली राज्य—व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। स्वतन्त्र भारत में देश के बड़े—से—बड़े धनवान के हाथ में शासन का जितना भाग रहेगा, उतना ही गरीबों के हाथ में भी होगा और तब देश—प्रदेश की राजधानियों के महलों और उनके बगल में बसी हुई गरीब श्रमिक बस्तियों के टूटे—फूटे झोपड़ों के बीच जो दर्दनाक भेद नजर आता है, वह एक दिन भी नहीं टिकेगा?

किसी भी उच्चवर्ग एवं आम जनता के राजा या शासक और रंक या दरिद्र के बीच बड़े भारी भेद को यह कहकर उचित नहीं मान लेना चाहिए कि पहले वर्ग की आवश्यकताएँ दूसरे से अधिक हैं। यह बेकार की दलील और उचित तर्क का मजाक उड़ाना होगा। आज के अमीर और गरीब के भेद से दिल को बड़ी चोट पहुँचती है। गाँव वाले अन्न पैदा करते हैं और खुद भूखें मरते हैं। वे दूध उत्पन्न करते हैं और उनके बच्चों को दूध की एक बूँद भी नसीब नहीं होती। यह कितना शर्मनाक है। हर व्यक्ति को पौष्टिक भोजन, रहने के लिए अच्छा मकान, बच्चों की शिक्षा के लिए हर तरह की सुविधाएँ और औषधि—चिकित्सा की सहायता मिलनी चाहिए। मेरी आर्थिक समानता की यही कल्पना है।

आर्थिक समानता के आदर्श के अनुसार धनिक को अपने पड़ोसी से एक रुपया भी रखने का अधिकार नहीं है। जितनी उचित मानी जा सके उतनी आवश्यकताएँ पूरी करने के बाद जो धन बाकी बचे उसका वह जनता की ओर से ट्रस्टी या संरक्षक बन जाए। भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी को भी अन्न और वस्त्र की तंगी न सहनी पड़े। दूसरी शब्दों में, प्रत्येक को इतना काम अवश्य मिल जाना चाहिए कि वह अपने खाने—पहनने की जरूरतें पूरी कर सके। और यह आदर्श हर जगह तभी व्यवहार में उतारा जा सकता है जब जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के उत्पादन के साधन जनता के नियन्त्रण में रहें। वे प्रत्येक को बिना किसी बाधा के उसी तरह प्राप्त होने चाहिए जिस तरह कि भगवान की दी हुई हवा और पानी हमें प्राप्त हैं या होनी चाहिए। किसी भी हालत में वे दूसरों के शोषण के लिए चलाए जाने वाले व्यापार बाहन न बनें। किसी भी देश, राष्ट्र या समुदाय का उन पर एकाधिकार होना अन्याय पूर्ण माना जाएगा। हम आज न केवल अपने इस दुःखी देश में बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सा में भी जो गरीबी देखते हैं उसका कारण इस सरल सिद्धान्त की उपेक्षा ही है।

हमारा भारत कृषकों का देश है, इसलिए श्रमिक—कृषकों का स्थान भारतीय समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में पहला होना चाहिए। उनके परिश्रम से ही पृथ्वी उपजाऊ हुई और इसलिए सच कहा जाए तो भूमि उनकी ही है या होनी चाहिए, भूमि से दूर रहने वाले

व्यापारियों और जमींदारों की नहीं। लेकिन अहिंसक पद्धति में श्रमिक-कृषक इन जमींदारों-व्यापारियों से उनकी जमीन बलपूर्वक नहीं छीन सकता। उसे इस तरह का काम करना चाहिए कि उसका शोषण करना जमींदार या व्यापारी के लिए असम्भव हो जाए। श्रमिक-कृषकों में आपस में घनिष्ठ सहकार होना नितान्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहाँ जनसाधारण की समितियाँ न हों वहाँ वे बनाई जानी चाहिए, और जहाँ हों वहाँ आवश्यक होने पर उनका पुनर्गठन नियमित होना चाहिए। भूमिहीन खतिहर श्रमिकों की मजदूरी इस हद तक बढ़ाई जानी चाहिए कि वे निश्चित रूप से सभ्य जीवन बिता सकें या उन्हें सन्तुलित भोजन और आरोग्य की दृष्टि से जैसे चाहिए वैसे घर-वस्त्र मिल सकें।

समाज में सत्ता विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर आधारित होती है, यद्यपि आर्थिक कारण सत्ता के निर्धारण में एकमात्र कारक नहीं कहा जा सकता। आर्थिक जीवन में यह सहज ही स्पष्ट है कि एक ओर मालिक वर्ग उत्पादन के साधनों तथा श्रमिकों की सेवाओं पर अपने अधिकार को बढ़ाने का प्रयत्न करे हैं और दूसरी ओर श्रमिक अपनी सेवाओं के बदले में प्राप्त मजदूरी पर अधिकाधिक अधिकार पाने की चेष्टा करते रहते हैं। सत्ता उन्हीं के हाथों में रहती है जिनके पास सम्पत्ति एवं उत्पादन के साधन केन्द्रित हों। इसी सत्ता के आधार पर मजदूर की स्वाधीनता खरीदी जाती है और मालिक को श्रमिक के ऊपर एक विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। यद्यपि इस प्रकार की सत्ता अब दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है और बहुत कुछ घट भी गई है, फिर भी आर्थिक क्षेत्र में निजी सम्पत्ति व उत्पादन के साधन किसी वर्ग के लिए सत्ता के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक आज भी हैं। संक्षेप में, आर्थिक जीवन में एक स्थिर अर्थव्यवस्था समाज के कुछ विशिष्ट वर्ग को सत्ता प्रदान करती है। यह वर्ग अपनी उस सत्ता के बल पर दूसरे वर्गों पर प्रभुत्व रखता है या उनसे ऊँची स्थिति पर विराजमान होता है।

राज्य द्वारा प्रतिपादित कुछ सामान्य नियमों के अनुसार उत्पन्न अनेक पद ऐसे होते हैं जिनके साथ एक विशिष्ट प्रकार की सत्ता जुड़ी रहती है। इस कारण जो भी व्यक्ति उन पदों पर आसीन होते हैं, उनके हाथों में उन पदों से सम्बन्धित सत्ता भी चली जाती है। यथा मिस्टर शास्त्री निदेशक के पद पर आसीन होने के नाते उस पद से सम्बन्धित सत्ता जिन नियमों के अन्तर्गत वह एक विशिष्ट पद पर आसीन है जोकि उन्हें वैधानिक रूप में प्राप्त हुई है, को प्रयोग में लाने के अधिकारी हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार की सत्ता का स्रोत व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा में निहित नहीं होता, बल्कि जिन नियमों के अन्तर्गत वह एक विशिष्ट पद पर आसीन हैं, उन नियमों की सत्ता में निहित है। इसलिए इसका क्षेत्र वहीं तक सीमित नहीं है जहाँ तक कि वैधानिक नियम एक व्यक्ति को विशिष्ट अधिकार प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति को वैधानिक नियम के अन्तर्गत जितना अधिकार प्राप्त हुआ है, उसके बाहर या उससे अधिक सत्ता का प्रयोग वह व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति की वैधानिक सत्ता के क्षेत्र और उसके बाहर के क्षेत्र अर्थात् उस क्षेत्र में जिसमें वह एक व्यक्तिगत या निजी हैसियत से रहता है, बुनियादी भेद है। उदाहरणार्थ, मिस्टर शास्त्री एक निदेशक की हैसियत से जिन अधिकारों के अधिकारी हैं वे अधिकार एक व्यक्ति के रूप में (जैसे, अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में) मिस्टर शास्त्री के अधिकारों या सत्ता से बिल्कुल भिन्न हैं। घर पर मिस्टर शास्त्री निदेशक नहीं, बल्कि पुत्र, पिता या पति हैं। पिता या पति की सत्ता निदेशक में बिल्कुल भिन्न है। एक जटिल समाज में वैधानिक सत्ता प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में समान नहीं होती है, बल्कि इसमें भी एक ऊँच-नीच का संस्तरण होता है, अर्थात् वैधानिक आधार पर समाज में उच्च और भिन्न सत्ताएँ होती हैं।

परम्परागत सत्ता एक व्यक्ति को वैज्ञानिक नियमों के अन्तर्गत एक पद पर आसीन होने के कारण नहीं बल्कि परम्परा द्वारा स्वीकृत पद पर आसीन होने के कारण प्राप्त होने के कारण प्राप्त होती है। चूँकि इस पद को परम्परागत व्यवस्था के अनुसार परिभाषित किया जाता है, इस कारण ऐसे पद पर आसीन होने के नाते व्यक्ति को कुछ विशिष्ट सत्ता मिल जाती है। इस प्रकार की सत्ता परम्परात्मक विश्वासों पर टिकी होने के कारण परम्परात्मक सत्ता कहलाती है। उदाहरण के लिए कृषि युग में भारतीय गाँवों में पाई जाने वाली पंचायत में 'पंचों' की सत्ता को ही लीजिए—इन पंचों की सत्ता वैधानिक नियमों के अन्तर्गत नहीं आती थी, बल्कि परम्परागत रूप में उन्हें सत्ता प्राप्त हो जाती थी। यहाँ तक कि पंच की सत्ता की तुलना ईश्वरीय सत्ता से की जाती थी, जैसा कि 'पंच-परमेश्वर' की धारणा में व्यक्त है। उसी प्रकार पितृ सत्तात्मक परिवार में पिता को परिवार से सम्बन्धित समस्त विषयों में जो अधिकार या सत्ता प्राप्त होती है, उसका भी आधार वैधानिक नियम नहीं, परम्परा होता है। पिता की आज्ञा का पालन हम इसलिए नहीं करते कि उनको कोई वैधानिक सत्ता वैधानिक नियमों के अनुसार निश्चित तथा सीमित होती है, क्योंकि वैधानिक नियम निश्चित और स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं, परन्तु परम्परा या सामाजिक नियमों में इतनी स्पष्टता और निश्चितता नहीं होती है।

वर्तमान समय में धनी और गरीब के बीच कितनी ही असमानताएँ तथा उनसे पैदा होनी वाली समस्याएँ हैं। गाँधीजी के शब्दों में, "अमीर के यहाँ उसे नहीं चाहिए वैसी चीजें जो भरी पड़ी होती हैं, जो लापरवाही से खो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, जबकि इन्हीं चीजों की कमी के कारण करोड़ों लोग यहाँ-वहाँ भटकते हैं, भूखों मरते हैं, ठण्ड से ठिठुर जाते हैं। करोड़पति अरबपति होना चाहता है, फिर भी उसको सन्तोष नहीं होता। कंगाल करोड़पति होना चाहता है, कंगाल को भरपेट ही मिलने से सन्तोष नहीं होता हो—ऐसा नहीं देखा जाता। फिर भी उसे भरपेट पाने का हक, और उसे उतना पाने योग्य बनाना समाज का कर्तव्य है।" ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त इसी कर्तव्य से संबंधित है।

आर्थिक क्षेत्र में पाई जाने वाली असमानताओं को दूर करने के दो सम्भावित उपाय हैं। इसमें एक तो साम्यवादी उपाय है कि धनियों का धन उनसे जबरदस्ती छीनकर सर्व हित के उपयोग में लाया जाए और दूसरा यह है कि धनी लोग स्वेच्छा से, कर्तव्य समझकर, अपना धन सर्व-साधारण के हित में लगाएँ और अपने को निर्धनों का संरक्षक या प्रत्यासी समझें। गाँधी जी ने लिखा है, "अहिंसक उपाय के द्वारा न तो हम पूँजीपति को नष्ट करना चाहते हैं और न ही पूँजीवाद को। हम पूँजीपति को निमन्त्रण देते हैं कि वह अपने को उन लोगों का संरक्षक माने जिनके परिश्रम पर वह अपनी पूँजी को बनाने, कायम रखने तथा उसे बढ़ाने के लिए आश्रित है।" अतः आर्थिक समानता या धन के समान वितरण की समस्या की जड़ में संरक्षकता का सिद्धान्त होना चाहिए।

सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह

“आजकल के तथाकथित नेता आए दिन जो सत्याग्रह करते हैं वह वास्तव में गाँधीजी के सत्याग्रह का उपहास मात्र है। एक सच्चे सत्याग्रही को सत्याग्रह शुरू करने से पूर्व अन्य सभी उपाय आजमा कर देख लोना चाहिए। जब और सब उपाय व्यर्थ सिद्ध हो तभी सत्याग्रह का आश्रय लेना उचित माना जाएगा। ‘उपवास’ तो सत्याग्रही का अन्तिम अस्त्र होना चाहिए, न कि उससे शुरुआत हो जैसा अक्सर आजकल होने लगा है। साथ ही सत्याग्रह के पीछे क्रोध या द्वेष नाममात्र भी नहीं होना चाहिए। प्रतिपक्षा का बुरा चाहना या हानि पहुँचाने के इरादे से उससे या उसके सम्बन्ध में बुरा बोलना सत्याग्रह का उल्लंघन है। उससे शोरगुल, प्रदर्शन या उतावलापन नहीं होता। सत्याग्रह एक सौम्य अस्त्र है, यह किसी को चोट नहीं पहुँचाता।”

अहिंसा के बिना सर्वोच्च सत्य सिद्ध असम्भव है। हिंसा, चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो, परम सत्य की प्राप्ति में भयंकर बाधक है। हिंसा से व्यक्तिगत उद्देश्यों या सामाजिक जीवन का सर्वनाश अवश्य सम्भावी है। जो हिंसा के मार्ग पर चलते हैं। वे विनाश की ओर बढ़ते हैं, जो अहिंसात्मक पथ पर चलने वाले हैं वे स्वयं भी परम सत्य के अधिकाधिक निकट जाते हैं और दूसरों का भी उस सत्य से परिचय कराते हैं।

अहिंसा का अर्थ न मारना है। परन्तु गाँधी जी के लिए अहिंसा का अर्थ हत्या न करने मात्र से कहीं अधिक व्यापक है। अहिंसा मन, वचन और कर्म से किसी को हानि न पहुँचाना है। स्वार्थ, द्वेष या क्रोध वश किसी को कष्ट पहुँचाना, किसी पर अत्याचार करना, किसी का शोषण या अपमान करना हिंसा है। इसके विपरीत, स्वार्थ और द्वेष को त्यागकर क्रोध पर विजय प्राप्त करना तथा किसी को किसी भी प्रकार का दुःख या कष्ट न पहुँचाना अहिंसा है।

वास्तव में अहिंसा का अर्थ है कि हम किसी की भावना को चोट नहीं पहुँचाएँगे, किसी के प्रति, यहाँ तक कि उसके प्रति भी जो कि अपने को हमारा शत्रु समझता है, किसी प्रकार का कटु विचार पोषण नहीं करेंगे। जो व्यक्ति इस अहिंसा के सिद्धान्त का पालन करता है उसके लिए कोई शत्रु नहीं है। हमारे शत्रु को किसी दूसरे के द्वारा या ईश्वर के अभिशाप से किसी प्रकार की हानि पहुँचे या उसका नाश हो या हमारे रास्ते से वह रोड़ा हट जाए, इस प्रकार की भावना-विचार तक को अपने मन में लाना अहिंसा के आदर्शों से भ्रष्ट हो जाना है। अहिंसा का प्रारम्भ एवं अन्त आत्मनिरीक्षण में होता है।

अहिंसा व्यापक वस्तु है। हम हिंसा की होली के बीच घिरे हुए पामर प्राणी हैं। यह वाक्य गलत नहीं है कि जीव, जीव पर जीता है। मनुष्य एक क्षण के लिए भी ब्राह्म हिंसा के बिना जी नहीं सकता। खाते-पीते, उठते-बैठते सभी क्रियाओं में इच्छा-अनिच्छा से वह कुछ-न-कुछ हिंसा तो करता ही रहता है। यदि इन हिंसा से छूटने के लिए वह महाप्रयत्न करता है, उसकी भावना में अनुकम्पा होती है, वह सूक्ष्म-से-सूक्ष्म जन्तु का भी नाश नहीं चाहता और यथशक्ति उसको बचाने का प्रयात्न करता है, तो वह अहिंसा का पुजारी है। उसके कार्यों में निरन्तर संयम की वृद्धि होगी, उसमें निरन्तर करुणा बढ़ती रहेगी। किन्तु कोई देहधारी ब्राह्म हिंसा से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। अहिंसा की तह में अद्वैत-भावना निहित है और यदि प्राणी मात्र में अभेद हो, तो एक के पाप का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, इस कारण भी मनुष्य हिंसा से बिल्कुल अछूता नहीं रह सकता। समाज में रहने वाला मनुष्य समाज की हिंसा में, अनिच्छा से ही क्यों न हो, साझेदार बनता है।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या दशाएँ होती हैं जिससे सभी को बाध्य होकर कुछ-न-कुछ हिंसा करनी पड़ती है। जिस प्रकार अपने रोगी के शरीर पर रोगी की भलाई के लिए चाकू चलाना डाक्टर के लिए हिंसा का कार्य नहीं बल्कि विशुद्धतम अहिंसा का पालन है, उसी प्रकार किन्हीं अनिवार्य परिस्थितियों में एक व्यक्ति को उससे भी आगे बढ़ने की और पीड़ित के कष्ट-निवारण हेतु उसे मार डालने तक की भी आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार प्राणी को स्वयं उसी के कष्ट-निवारण के लिए मार डालना हिंसा नहीं है। भयंकर असाध्य रोग से पीड़ित एक प्राणी को हृदय-विदारक कष्ट सहते तिल-तिल करके मरने देने की अपेक्षा मार डालना ही अधिक उचित है। ऐसा करना हिंसा नहीं माना जाएगा।

इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति स्वयं हिंसात्मक कार्य न करते हुए भी दूसरों को ऐसे कार्य करने में सहायता देता है तो उसकी यह सहायता भी हिंसा माना जाएगी। गाँधी जी ने बन्दूकधारी में और उसकी सहायता करने वाले में अहिंसा की दृष्टि से कोई भेद नहीं माना है। जो मनुष्य लुटेरों की टोली में उनकी आवश्यक सेवा करने, उनका बोझ ढोने, लूट के समय पहरा देना तथा घायल होने पर उनकी सेवा करने में शामिल होता है वह लूट के सम्बन्ध में लुटेरों के समान ही जिम्मेदार है।

अहिंसा केवल नकारात्मक गुण ही नहीं है, इसमें सकारात्मक रूप में भलाई करना उतना ही आता है जितना कि नकारात्मक रूप में किसी को नुकसान पहुँचाने से इन्कार करना। दूसरे शब्दों में, अहिंसा की धारणा के **नकारात्मक और सकारात्मक** दो पक्ष हैं। **नकारात्मक** दृष्टिकोण से अहिंसा का अर्थ स्वार्थ, द्वेष या क्रोधवश किसी को भी, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो, कष्ट न पहुँचाना और न मारना है। **सकारात्मक** दृष्टिकोण से अहिंसा का मूलतत्त्व सर्वोच्च प्रेम, सर्वोच्च दयालुता और उदारता, सर्वोच्च आत्मबलिदान, वीरता या सबलता है। सबसे प्रेम करो, बुराई को अच्छाई से जीतो, प्राणी मात्र के प्रति दया और उदार भाव का पोषण करो और अन्यायी के सामने कभी सिर न झुकाओ-ये ही अहिंसा के **मूल मन्त्र** हैं। तुम सशक्त हो, फिर भी पशु-बल का प्रयोग न करो, दण्ड देने की शक्ति रखते हुए भी क्षमा कर सका, तभी तुम अहिंसा के उपासक समझे जाओगे। जिसमें दम ही नहीं, जो अशक्त कायर व भयभीत है, वह किसी को क्या क्षमा करेगा? अहिंसा भीरु और कायर लोगों का तरीका नहीं है। यह तो उन वीरों का तरीका है जोकि मृत्यु का सामना करने को तैयार हैं। वह जो हाथ में तलवार लेकर मारता है निःसन्देह वीर है, परन्तु वह जो अपनी छोटी उँगली तक को उठाए बिना तथा बिना डरे मृत्यु का

सामना करता है अधिक वीर है।

अहिंसा सामाजिक धर्म है। सामाजिक धर्म के रूप में उसे विकसित किया जा सकता है। यह नई चीज है इसलिए इसे झूठ समझ कर फेंक देने की बात इस युग में कोई नहीं करेगा। यह कठिन है इसलिए आवश्यक है, यह भी इस युग में कोई नहीं कहेगा। क्योंकि बहुत-सी चीजें अपनी आँखों के सामने नई-पुरानी होती देखी हैं। जो असम्भव लगता था उसे सम्भव देखा गया है। अहिंसा के क्षेत्र में इससे बहुत ज्यादा साहस सम्भव है।

आजकल यह कहना एक फैशन हो गया है कि समाज को अहिंसा के आधार पर न तो संगठित किया जा सकता है और न चलाया जा सकता है। यह कथन अनुचित है। परिवार में पिता अपने पुत्र को अपराध करने पर थप्पड़ मार देता है, तो पुत्र उसका बदला लेने की बात नहीं सोचता। वह अपने पिता की आज्ञा इसलिए स्वीकार कर लेता है कि इस थप्पड़ के पीछे वह अपने पिता को आहत हुए देखता है, इसलिए नहीं कि थप्पड़ के कारण वह वैसा अपराध दुबारा करने से डरता है। समाज की व्यवस्था इसी तरह होनी चाहिए; वह उसका एक छोटा रूप है। जो बात परिवार के लिए सही है वही समाज के लिए भी सही है, क्योंकि समाज एक बड़ा परिवार है।

अहिंसा केवल वैयक्तिक गुण नहीं है। वह एक सामाजिक गुण भी है और अन्य गुणों की तरह उसका भी विकास किया जाना चाहिए। समाज के पारस्परिक व्यवहारों का नियमन बहुत हद तक अहिंसा के द्वारा होता है। इस सिद्धान्त का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर विस्तार होना चाहिए। युद्ध से पीड़ित, हिंसा में डूबे हुए आधुनिक संसार में अहिंसा की सामाजिक उपयोगिता अत्यधिक है। गाँधीजी का दृढ़ विश्वास था कि एक वास्तविक प्रजातान्त्रिक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में अहिंसा प्रथम आवश्यक तत्त्व है। अहिंसा के बिना इसका अस्तित्व कुछ दिनों के लिए ही हो सकता है।

सच्चा प्रजातन्त्र या स्वराज्य की प्राप्ति असत्य व हिंसात्मक साधनों द्वारा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इन साधनों के प्रयोग का अर्थ विरोधियों को कुचलना एवं उनका समूल नाश करना। इससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं रहती। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की पूर्ण प्राप्ति तो केवल एक अमिश्रित अहिंसा के राज्यों में ही हो सकती है। इसीलिए अहिंसा स्वराज्य से पहले आती है।

एक प्रकार विश्व-शान्ति, सामाजिक व्यवस्था एवं व्यक्तिगत जीवन-संगठन में अहिंसा एक महाशक्ति है। अहिंसात्मक उपायो से समस्त व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि अहिंसा का साधक कभी हारता नहीं है। अहिंसा में पराजय जैसी कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि अहिंसा का ब्रह्मास्त्र घृणा नहीं, सर्वोच्च प्रेम है और घृणा सदैव मरती है, पर प्रेम कभी मरता नहीं है, जो कुछ प्रेम से प्राप्त होता है वह चिरस्थायी होता है, जो कुछ घृणा द्वारा प्राप्त होता है वह वास्तव में एक बोझ ही बन जाता है क्योंकि घृणा को बढ़ाती है। आज यदि विश्व की महाशक्तियाँ हिंसात्मक दृष्टिकोण या मनोभावों को त्याग कर सच्चे हृदय से अहिंसात्मक आदर्शों को अपना लें तो विश्व-शान्ति की स्थापना कोई बड़ी बात नहीं।

जहाँ तक व्यक्तिगत जीवन-संगठन का प्रश्न है उसमें भी अहिंसा हिंसा से श्रेष्ठ है। जो मनुष्य हिंसात्मक शस्त्रों का प्रयोग करता है और जिन्हें वह अपना शत्रु समझता है उन्हें नष्ट करने पर तुला हुआ है, उसे चौबीस घण्टों में कुछ घण्टों के लिए तो अपने शस्त्र रखने ही पड़ते हैं और कुछ-न-कुछ समय के लिए तो उसे आराम की आवश्यकता होती है। सत्य और अहिंसा के पुजारी के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे बाह्य अस्त्र नहीं हैं। वे तो मानव-हृदय में रहते हैं, जागते-सोते सदैव हमारे काम करते रहते हैं। सत्य और अहिंसा के कवच से सुसज्जित योद्धा सदैव सक्रिय रहता है और उसकी सक्रियता सदैव बढ़ती ही रहती है।

गाँधीजी में सौजन्यता और नम्रता के साथ ही सत्य और अहिंसा के प्रति अटल विश्वास था। इसी के आधार पर उन्होंने विश्व को और विशेषकर भारत को मुक्ति का एक नया मार्ग दिखाया यह मार्ग सत्याग्रह था। सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में काफी सफलतापूर्वक हुआ था। किन्तु सन् 1915 के बाद भारत में उसका तेजी से विकास हुआ—पहले चम्पारण में, फिर खेड़ा, अहमदाबाद और बारडोली में। सन् 1930 में उसने 'नमक सत्याग्रह' और 'डांडी कूच' का रूप धारण किया। दूसरे महायुद्ध के समय सन् 1940 में 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' और फिर 'अगस्त, 1942 में तो 'भारत छोड़ो' नारे के साथ 'खुला बलवा' कहलाया। 'करो या मरो' का मन्त्र समूचे भारत में आबाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, गरीब-अमीर के हृदयों में घर कर गया है। उसी के परिणामस्वरूप 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेजों ने ही यूनियन जैक को स्वयं उतार कर भारतीय तिरंगा झण्डा 'वायस रीगल लाज' (वर्तमान में राष्ट्रपति भवन) पर फहरा दिया। संसार के इतिहास में पहली बार ही भारत ने एक शक्तिशाली समाज के विरुद्ध, अहिंसात्मक युद्ध द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सफलता पाई। यह सब सत्याग्रह का ही चमत्कार था।

सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य के लिए आग्रह है। जो व्यक्ति असत्य के सामने झुकने से इंकार करता है और सत्य की प्राप्ति के लिए अपनी जान तक की बलि देने को तैयार रहता है वही वास्तव में सत्याग्रही है। सत्याग्रह की बुनियाद साधन-शुद्धि थी। गाँधीजी को विश्वास था कि हमको हमारा शुद्ध-साध और अपवित्र साधनों द्वारा कभी सिद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने बार-बार हमें यही समझाया कि जैसे साधन होंगे वैसे ही साध्य होंगे, जैसा बीज वैसा ही वृक्ष। हिंसापूर्ण उपायों से लिया गया स्वराज्य भी हिंसा पूर्ण होगा और वह दुनिया के लिए एवं स्वयं भारत के लिए भय का कारण सिद्ध होगा। इसीलिए गाँधी जी ने उस समय के क्रांतिकारियों की वीरता को तो सराहा किन्तु उनसे आग्रह किया कि वे हिंसा का मार्ग त्यागकर उनके सत्याग्रह आन्दोलन में शामिल हो जाएँ। क्योंकि वह जानते थे कि अंग्रेजों की हिंसात्मक शक्ति का सामना करना हमारे लिए असम्भव है। हिंसा के सामने अहिंसा का वाना ही सफलता पूर्वक टक्कर ले सकता है। सत्याग्रह उस काम में सफल हुआ है।

हमें यह भी समझ लोना चाहिए कि सत्याग्रह और पश्चिम के देशों की 'पैसिव रैजिस्टेन्स' क्रिया में एक मूलभूत अन्तर है—दूसरी पद्धति कमजोरों का शस्त्र है और उसमें शारीरिक शक्ति या हिंसा का निषेध नहीं है, लेकिन सत्याग्रह तो वीरों के लिए बना है, उसमें किसी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता। सत्याग्रह का उद्देश्य रचनात्मक है। उसमें कायरता की कोई भी झलक नहीं रह सकती।

सर्वोदय, स्वराज्य और आदर्श समाज

सर्वोदय का विश्वास राजनीति में नहीं है। वह लोकनीति का पक्षपाती है। राजनीति में जहाँ शासन मुख्य है, वहाँ लोकनीति में अनुशासन। राजनीति में जहाँ सत्ता मुख्य है, वहाँ लोकनीति में स्वतन्त्रता। राजनीति में जहाँ नियन्त्रण मुख्य है, वहाँ लोकनीति में संयम। राजनीति में जहाँ सत्ता की स्पृद्धा, अधिकारों की स्पृद्धा मुख्य है, वहाँ लोकनीति में कर्तव्यों का आचरण। सर्वोदय का क्रम यही है कि शासन से अनुशासन की ओर, सत्ता से कर्तव्यों के आचरण की ओर बढ़े। अहिंसात्मक सर्वोदय समाज में सभी की सर्वांगीण विकास की दिशा और आदर्श होगा।

सच्चा प्रजातन्त्र या जनता के स्वराज्य की प्राप्ति असत्य तथा हिंसात्मक साधनों द्वारा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इन साधनों के प्रयोग का अर्थ विरोधियों को कुचलना या उनका समूल नाश करना है। इससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं रह जाएगी। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की पूर्ण प्राप्ति तो केवल एक अभिश्रित अहिंसा के राज्यों में ही हो सकती है। इसीलिए अहिंसा स्वराज्य से पहले आती है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उस रिश्ते उसे समाज पर ही निर्भर रहना पड़ता है। परन्तु समाज स्वयं भी व्यक्ति पर निर्भर होता है समाज के सदस्य जब तक प्रगति नहीं करते और उनमें सत्य, अहिंसा, धर्म आदि के सद्गुणों का विकास नहीं होता है, तब तक समाज का भी कल्याण सम्भव नहीं है। आदर्श समाज की रचना उन व्यक्तियों से मिलकर होती है जो प्रेम और बन्धुत्व के बन्धनों द्वारा एक-दूसरे से बंधे हैं तथा जो स्वयं ही नहीं जीते बल्कि दूसरों को भी जीने देने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे समाज में राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक शोषण के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इस समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध समानता के सिद्धान्त पर आधारित होंगे तथा जिस प्रकार एक परिवार के सदस्य समूचे परिवार के अधिकतम हित को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार समाज के सभी सदस्य सम्पूर्ण समाज के अधिकतम हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील बने रहेंगे। **‘अधिकारी व्यक्तियों का अधिकतम सुख’** ही पर्याप्त नहीं है, सभी के लिए अधिकतम सुख प्राप्ति समाज व सदस्यों का उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि समाज द्वारा व्यक्ति के लिए इस प्रकार की परिस्थितियों तथा सुविधाओं को उपलब्ध करवाना चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपने सामाजिक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। व्यक्ति के क्रियाकलापों पर अनुचित बन्धन समाज या राज्य द्वारा लादना नहीं चाहिए। राज्य-भय, जाति-भय आदि स्वस्थ व्यक्तित्व के समुचित विकास के रास्ते में अनावश्यक बाधाएँ हैं। इन बाधाओं से विमुक्त एक स्वतंत्र वातावरण समाज में होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपने सद्गुणों का विकास कर सके। यह तभी संभव है जबकि समाज या राज्य की नींव सत्य, अहिंसा व धर्म के सुदृढ़ सिद्धान्तों पर आधारित होगी।

इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक है। परन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि व्यक्ति समस्त प्रकार के सामाजिक नियमों और प्रतिबंधों से पूर्णतया पर होगा। समस्त सामाजिक नियमों से परे पूर्ण स्वतन्त्रता अराजकता और अव्यवस्था को ही परिचायक है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को महत्त्व मिलना चाहिए, परन्तु किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी वर्तमान स्थिति पर इस कारण पहुँचा हुआ है कि उसने सामाजिक प्रगति की आवश्यकताओं के साथ अपने व्यक्तिवाद का अनुकूलन करना सीखा है। अप्रतिबन्धित व्यक्तिवाद जंगल के पशुओं का नियम है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सामाजिक प्रतिबन्ध के बीच की एक स्थिति को ढूँढ़ निकालना सीखना चाहिए। सम्पूर्ण समाज के कल्याण के लिए सामाजिक प्रतिबंधों को स्वच्छ से स्वीकार कर लेने से समाज और व्यक्ति दोनों को ही लाभ होता है। इस प्रकार समाज तथा व्यक्ति में एक अन्तःसम्बन्ध और अन्तःनिर्भरता होती है और होनी भी चाहिए। फिर भी समाज के समस्त व्यक्तियों की प्रगति अर्थात् सर्वोदया सर्वप्रमुख है। व्यक्ति महान् है और समाज के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति को महान्तम बनने में सहायता प्रदान करें। दूसरी ओर यह व्यक्ति अपनी महानता से समाज को, संसार को महिमान्वित करेगा।

सर्वोदय शब्द का इतिहास यह है, कि जिन पुस्तकों ने गाँधीजी के जीवन में महत्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कराए उनमें सर्वप्रमुख **रास्किन** द्वारा लिखित **‘इन्टू द लास्ट’** थी। गाँधी जी ने इसका गुजराती में अनुवाद किया और वह **‘सर्वोदय’** के नाम से प्रकाशित हुई।

गाँधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि, “मैं सर्वोदय के सिद्धान्तों को इस प्रकार समझता हूँ— (1) सबकी भलाई में हमारी भलाई निहित है। (2) अधिवक्ता और नाई, दोनों के काम की कीमत एक—सी होनी चाहिए क्योंकि आजीविका का अधिकार सबको एक समाज है। (3) सादा मेहनत—मजदूरी का अर्थात् कृषक का जीवन ही सच्चा जीवन है। पहली वस्तु मैं जानता था, दूसरी को मैं धुंधले रूप में देखता था, तीसरी का मैंने कभी विचार नहीं किया था। **‘सर्वोदय’** ने मुझे दीये की तरह दिखा दिया कि पहली वस्तु में दूसरी अर्थात् दोनों वस्तुएँ समाई हुई हैं।”

इस प्रकार स्पष्ट है कि **‘सर्वोदय’** का अर्थ सभी के जीवन के सभी पक्षों की सम्पूर्ण प्रगति है। सर्वोदय कुछ का या बहुतों का या अधिकतम का उत्थान नहीं चाहता। हम अधिकतम—से—अधिकतम सुख से सन्तुष्ट नहीं हो सकते। हम तो केवल एक की और सबकी, ऊँचे और नीचे की, सबल और निर्बल की, बुद्धिमान और बुद्धि हीन की भलाई से ही सन्तुष्ट हो सकते हैं। सर्वोदय शब्द एक उत्कृष्ट और सर्वव्यापक भावना को अभिव्यक्त करता है। इसीलिए गाँधी जी 19—वीं सदी के उपयोगितावादियों के द्वारा **‘अधिकोश’** लोगों का **‘अधिकतम सुख’** के सिद्धान्त से सहमत नहीं थे क्योंकि इस सिद्धान्त को स्वीकार करने का अर्थ तो यह होगा कि 51% लोगों के सुख के लिए 49% लोगों के सुख का बलिदान किया जा सकता है। इस प्रकार यह एक हृदयहीन सिद्धान्त है जिसने मानवता का अपकार किया है। **‘सर्वोदय’** या सबका अधिकतम हित का सिद्धान्त ही सर्वोत्तम है। अहिंसा का पुजारी उपयोगितावाद (बड़ी—से—बड़ी संख्या का

अधिक-से-अधिक हित) का समर्थन नहीं कर सकता। यह तो 'सर्वभूति हिताय' अर्थात् सभी के अधिकतम हित के लिए ही प्रयास करेगा और इस आदर्श की प्राप्ति के प्रयत्न में मर जाने के लिए भी तैयार रहेगा। इस प्रकार यह इसलिए मरना चाहेगा कि दूसरे जी सकें। दूसरों के साथ-साथ वह अपनी सेवा भी आप मरकर करेगा। सबके अधिकतम सुख में अधिकाँश का अधिकतम सुख भी सम्मिलित है।

सर्वोदय ऐसे वर्ग-विहीन, जाति-विहीन और शोषण-विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास के साधन और अवसर मिलेंगे। यह क्रान्ति अहिंसा और सत्य द्वारा ही सम्भव है। सर्वोदय इसी का प्रतिपादन करता है। सभी की इस सर्वांगीण उन्नति में गरीबों का विशेष स्थान है। गाँधी जी का स्वराज्य का स्वप्न गरीबों के स्वराज्य का है। उनके लिए जीवन की आवश्यक वस्तुएँ वैसे ही सुलभ होनी चाहिए जैसे कि धनिकों और राजाओं को। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उनके लिए राजाओं जैसे महल होने चाहिए। सुखी जीवन के लिए महल आवश्यक नहीं। मैं या तुम (साधारण जन) तो उनमें रास्ता ही भूल जाएँगे, परन्तु जीवन की साधारण सुविधाएँ धनिकों ही की भाँति सर्व सुलभ होनी चाहिए। जब तक ये सुविधाएँ सर्व-सुलभ नहीं हों तक स्वराज्य 'पूर्ण स्वराज्य' नहीं होगा।

शासक—धर्म, राज्य—व्यवस्था और न्याय—व्यवस्था

न्याय पूर्वक दण्ड प्रयोग करते हुए प्रजा के सुख—समृद्धि हेतु राज्य—व्यवस्था को चलाने वाला सर्वोच्च अधिकारी ही शासक कहलाता है। उद्योग करना, यज्ञ करना, अनुशासन करना, दान देना, शत्रु व मित्रों में उनके गुण—दोषों के अनुसार उचित और समान व्यवहार करना, दीक्षा समाप्त कर अभिषेक करना यह सब शासक के व्रत या नियम हैं। प्रजा के सुख में ही शासक को अपना सुख और प्रजा के हित को ही शासक को अपना हित समझना चाहिए। अपने—आपके प्रिय लगने वाले कार्यों को करने में शासक का हित नहीं, अपितु उसका हित तो ऐसे कार्यों को करने में है जो प्रजा जनों को प्रिय लगे। इसलिए शासक को चाहिए कि वह सदा उद्योगशील होकर व्यवहार—सम्बन्धी एवं राज्य—सम्बन्धी कार्यों को उचित रीति से पूरा करे। उद्योग ही अर्थ—सम्पत्ति का मूल है और उद्योगहीनता ही हर तरह के अनर्थों को उत्पन्न करने वाली होती है।

शासक को काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इन्द्रियजय करना चाहिए। इस प्रकार जितेन्द्रिय होकर शासक को पर—स्त्री, पर—धन तथा व्यर्थ की हिंसा से बचते रहना चाहिए। उसे धर्म और अर्थ का विरोध कर काम के वश में नहीं रहना चाहिए। यदि शासक उन्नतिशील होता है तो उसके मन्त्री, अमात्य एवं नौकर सभी उन्नतशील होते हैं। प्रमादी शासक शत्रुओं से सदा धोखा खाता है।

‘मन्त्रिपरिषद्’ शासक के लिए एक अनिवार्य संस्था मानी गई है क्योंकि राज्य एक रथ के समान है जिसमें शासक और सचिव दो चक्र हैं। जिस प्रकार रथ एक पहिए के बल पर नहीं चल सकता है, दोनों पहियों की आवश्यकता होती है। उसी तरह राज्य को विधिवत् संचालित करने के लिए शासक के अतिरिक्त सचिव रूपी दूसरे चक्र की आवश्यकता होती है। मन्त्रिपरिषद् की आवश्यकता का एक और कारण है कि मन्त्रिपरिषद् से ही शासक को राज्य के विधिवत् संचालन हेतु सद्मंत्रणा प्राप्त होती है। मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या शासक को समय, परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार निश्चित कर लेनी चाहिए पर स्वदेशोत्पन्न, सत्कुलीन, विद्वान, बुद्धिमान, चतुर, वाक्पटु, उत्साही, सहिष्णु, पवित्र, स्वामिभक्त और स्नेहशील आदि गुणवान व्यक्ति को ही मन्त्री बनाना चाहिए। मन्त्रिपरिषद् में निर्णय **‘बहुमत’** से ही होना चाहिए।

‘राजदूत’ शासक का मुख माना जाता है क्योंकि उसी के माध्यम से एक शासक दूसरे शासक से विचार—विमर्श व बातचीत करता है। दूतों के माध्यम से शासक दूसरे शासकों के पास अपना संदेश भेजता, संधि के नियमों का पालन करवाता, अपने प्रताप को प्रकट करता, शत्रु के मित्रों में भेद उत्पन्न करता और शत्रु का भेद जानता है।

अपनी प्रजा के दैनिक जीवन के दुःख—सुख का पूरा ब्यौरा प्राप्त करने, शासन—व्यवस्था संबंधी योजनाओं का प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको जानने, राजा के विरुद्ध सभी षड़यंत्रों का पता लगाने हेतु गुप्तचरों की नियुक्ति आवश्यक है।

विवादों को सुनने और उन पर निर्णय देने के लिए न्यायालयों की स्थापना होती है। यह न्यायालय छोटे—बड़े अनेक प्रकार के होते हैं। 5—9 गाँवों की सीमा पर न्याय पंचायत सरपंच, 2—5 ब्लाकों की सीमा पर मुन्सिफ या सिविल जज, 2—5 तहसीलों की सीमा पर जनपद न्यायाधीश, जनपदों के केंद्र (संग्रहण) पर मण्डलाधीश, प्रदेशों की सीमा पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्र की सीमा पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अमात्य एक साथ रहकर इकरारनामा, शर्तनामा आदि व्यवहार—संबंधी कार्यों का प्रबंध करें। इन न्यायालयों के अतिरिक्त ग्रामों में न्याय—कार्य—सम्पादन गाँव के बड़े—बूढ़ों एवं प्रतिष्ठित लोगों द्वारा होना चाहिए। धर्मशास्त्रों एवं विधिशास्त्रों का निर्देश है कि दो गाँवों की सीमा के झगड़ों का उन गाँवों के मुखिया या आसपास के 5—5, 10—10 गाँवों के मुखिया आपस में मिलकर निपटाएँ। खेतों के झगड़ों का निबटारा गाँव के मुखिया तथा वृद्ध पुरुष करें जिनको प्रजा स्वीकार करती हो या किसी दूसरे को मध्यस्थ बनाकर निर्णय किया जाए। सब तरह के विवादों का निर्णय प्रतिष्ठित सरपंच करें। चरागाह, खेती योग्य भूमि, खलिहान, मकान एवं घुड़साल—इनके सम्बन्ध में विचार उपस्थित होने पर प्राथमिकता के अनुसार प्रतिष्ठित सरपंच निर्णय करें।

न्यायाधीशों को न्याय के कार्य—क्षेत्र में छल—कपट का त्याग करना चाहिए। उनको समता के सिद्धान्त को निष्ठापूर्वक अपनाना चाहिए अर्थात् न्याय के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को समान मानना चाहिए। न्यायाधीश को लोकप्रिय एवं सबका विश्वासपात्र होना चाहिए। वादी, प्रतिवादी एवं साक्षियों आदि के प्रति उनका व्यवहार शिष्ट होना चाहिए। उस न्यायाधीश को भी प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए जो न्यायालय में व्यक्तव्य देते समय वादी, प्रतिवादी या साक्षी आदि को डराते, डाँटते—फटकारते, धमकाते या न्यायालय से बाहर निकाल देते अथवा उससे रिश्तते लेते हैं।

छलरहित सच्चा लिखित प्रमाण प्राप्त हो जाने पर अन्य प्रमाणों की कोई खास जरूरत नहीं होती। न्याय में साक्षी प्रमाण एवं साक्षियों की योग्यताओं और अयोग्यताओं का विशेष महत्त्व होता है। उदाहरणार्थ कुष्ठी, पागल, चाण्डाल, अन्धा, गूंगा, बहरा, स्त्री और राज्य कर्मचारी को केवल उनके वर्ग में ही साक्ष्य बनाया जाना चाहिए, अन्यत्र कदापि नहीं। उसी प्रकार मिथ्या साक्ष्य के लिए उचित दण्ड दिया जाना चाहिए। साक्षी को सत्य ही साक्ष्य देना चाहिए, यदि साक्षी सत्य की स्थापना नहीं करता तो ऐसे साक्षी के आरोप के अनुरूप दण्ड होना चाहिए।

इसी प्रकार चोर, डाकू, व्यभिचारी, जालसाज, कातिल आदि दुष्ट जनों से प्रजा की रक्षा के लिए शासक द्वारा विशेष रूप में कड़े नियमों को बनाना चाहिए। नियमों के निर्धारण में व्यवहारिकता का अध्ययन एवं जन—सामान्य के विचारों का निष्पक्ष अध्ययन होना

चाहिए। इन अध्ययनों में वैज्ञानिक विधियों के अन्तर्गत प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार विधियों को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही योग्य एवं निष्पक्ष गुप्तचरों को वेष बदल कर राज्य में स्थान-स्थान पर बिखरे हुए होना चाहिए और इनके द्वारा दुष्ट जनों के दैनिक आचरण की सूचना शासक तक पहुँचनी चाहिए ताकि बुराई का दमन किया जा सके। उसी प्रकार राज्यकर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न से भी प्रजा की रक्षा करने के लिए शासक को सतत् प्रयात्नशील होना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को खोज निकालकर उन्हें समुचित दण्ड देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की आय और सम्पत्ति ज्ञात आय के स्रोत से अधिक पाई जाए तो उसकी धन-सम्पत्ति को जब्तकर सरकारी कोष में जमा करा लेनी चाहिए।

मानवता का धर्म और लोकतन्त्र

‘संघ-सदनों के प्रतिनिधित्व-पदासीनता में चक्रीय महिला-आरक्षण लागू होना चाहिए।’

कोई भी अन्तिम शक्ति नहीं है परन्तु ‘मानवता’ एक परम् वास्तविकता है, ‘महामानव’ वास्तव में जीवित ईश्वर है। हमें किसी धर्म-विशेष का नहीं, इस ‘महामानव’ का पुजारी बनाना चाहिए, अन्ध-विश्वासों में नहीं, प्रत्यक्ष-ज्ञान की प्राप्ति में विश्वास होना चाहिए। यह मानव का धर्म है।

सामाजिक व्यवस्था की समस्या समाजशास्त्रियों की विचारधारा का सार-तत्व है। किस ढंग से समाज को बदला जाए कि अहम्वाद सार्वभौम रूप में परार्थवाद के अधीन हो जाए, सभी स्थानों के सभी लोग प्रगति के लाभ की प्राप्ति के लिए मिल-जुलकर काम करें यही चिन्ता सामाजिक चिन्तकों की विचारधारा में झलकती है। इनका विचार है कि बौद्धिक एकता की स्थापना किए बिना राजनीतिक एकता सम्भव नहीं है और सार्वभौम रूप से स्वीकृत एक व्यावहारिक सार्व-भौम आचार ही सामाजिक व्यवस्था की वास्तविक नींव है। यही ‘मानवता के धर्म’ का आधार है।

प्रत्यक्षवाद धर्म तथा विज्ञान के बीच होने वाले संघर्ष, प्रगति एवं व्यवस्था की पुरानी समस्या का हल प्रस्तुत करता है। एक सार्वभौम धर्म के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था का विकास ही प्रगति है। यह मनुष्यों को मानवता के नाम पर एक साथ मिलाता है—प्रेम इसके सिद्धान्त है, व्यवस्था इसका आधार है और प्रगति इसके ध्येय, ‘आत्मस्वार्थ’ को भूल जाओ और दूसरों के लिए जीवित रहो’ यही इसकी वाणी है।

उक्त विवेचन से यह नहीं समझना चाहिए कि ‘मानवता का धर्म’ केवल एक नैतिक व्यवस्था मात्र है। यह एक धार्मिक व्यवस्था भी है। मानवता के धर्म के अन्तर्गत समस्त वैज्ञानिक ज्ञान आ जाता है और साथ ही बोध तथा भावना और बौद्धिक क्रिया भी सम्मिलित है, यह एक धर्म है। वैयक्तिक तथा सामूहिक सामाज्य तभी सम्भव है यदि बोध, विचार तथा भावना को एक निश्चित उद्देश्य पर केन्द्रित कर दिया जाए। मानवता का धर्म इस उद्देश्य या ध्येय को प्रस्तुत करना है, और वह है ‘दूसरों के लिए जीवित रहो’। यह मानवता को आराधना की वस्तु के रूप में स्थापित करती है, स्वार्थपरता को ‘पाप’ और सामाजिक सेवाओं को ‘मोक्ष’ कहकर परिभाषित करती है और इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करती है कि जो अच्छाई मनुष्य करता है वह उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है और मनुष्य को अमरत्व प्रदान करती है। आराधना की प्रत्यक्ष प्राप्ति में अन्य धर्मों की अनेक विशेषताएँ आ जाती हैं। प्रत्यक्ष प्रार्थना केवल याचना मात्र न होगी, बल्कि अधिक विस्तृत तथा उच्च स्तर के विचार द्वारा अनुप्रेरित मनुष्य उत्तम अनुभवों की एक पवित्र अभिव्यक्ति होगी।

‘मानवता के धर्म’ की सरकार पुरोहित या प्रतिनिधि के द्वारा संचालित होगी। ये प्रतिनिधि धर्मशास्त्री नहीं बल्कि वैज्ञानिक एवं कलाकार होंगे। प्रत्यक्षवादी प्रतिनिधि अत्यधिक शक्तिशाली होंगे। उनका कार्य उपदेश देना, सार्वजनिक आराधना को संचालित करना, परामर्श देना, विज्ञान की शिक्षा देना, औद्योगिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना तथा जनमत को ऐसी दिशा में मोड़ना होगा जिससे कि मानव जाति के हित की अधिकतम सिद्ध हो। प्रतिनिधि वर्ग में विद्वान, चिकित्सक, कवि, लेखक, कलाकार, शिल्पकार, कृषक के अतिरिक्त नर्तक व गायक तक भी सम्मिलित होने चाहिए। चूँकि इन प्रतिनिधियों को कोई सांसारिक शक्ति प्राप्त न होगी, इस कारण उन्हें आज्ञा-पालन करवाने के लिए नैतिक शक्ति से काम लेना होगा। चूँकि उन्हें अधिकतर जनता का सहयोग प्राप्त होगा इस कारण यह नैतिक शक्ति ही किसी भी अपराधी को सही मार्ग में संचालित करने के लिए पर्याप्त होगी। सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व एवं नियंत्रण होने के कारण भावी नागरिकों का चरित्र गठन का काम प्रत्यक्षवादी सिद्धान्त के अनुसार हो सकेगा। अनुशासन पर अधिक बल दिया जा सकेगा। लोगों के बौद्धिक तथा नैतिक विकास के लिए पुस्तकालयों का उचित प्रबन्ध होगा। इस प्रकार ‘मानवता का धर्म’ प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति, शान्ति, व्यवस्था और प्रगति का ही नहीं बल्कि जन-कल्याण और जन-सेवा के उच्चतम आदर्शों का भी मूर्त रूप होगा। समाज विचारकों का यह सपना ‘भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था’ के रूप में साकार हुआ।

भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्य परिषद की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मन्त्रिपरिषद होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का जबाबदेह औपचारिक प्रधान होगा और मन्त्रिपरिषद कार्यपालिका का व्यावहारिक प्रधान। राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त होगा उसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह मन्त्रिपरिषद को इस परामर्श का पुनर्विचार के लिए कहे लेकिन पुनर्विचार के बाद मन्त्रिपरिषद से राष्ट्रपति को जो भी परामर्श प्राप्त होगा, राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार कार्य करेगा।

सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति एक नाममात्र का ही प्रधान है किन्तु विशेष परिस्थितियों में वह प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद पर अंकुश रखने का कार्य कर सकता है। किन्हीं भी कारणों से जब सरकार को केवल एक ‘काम-चलाऊ’ सरकार की स्थिति प्राप्त हो तब राष्ट्रपति उस सरकार को नीतिगत फैसले लेने से रोक या निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति की राजनीतिक सक्रियता की स्पष्ट सीमाएँ हैं और सामान्यतः संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के एक नैतिक बिन्दु की तरह ही कार्य कर सकता है।

संघ के लिए एक संसद है जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों : लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनी है। भारत में संसदात्मक लोकतन्त्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का समन्वय करना सिद्धान्ततः आवश्यक था। अतः राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है।

राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती

है परन्तु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा व सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त है। शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभाएँ नहीं होतीं वहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचक मण्डल गठित किए जाते हैं। इकाइयों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है।

संघीय संसद के निम्न सदन या लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है। लोकसभा की सदस्य संख्या समय-समय पर परिवर्तित होती रही है। 500 से प्रारम्भ होकर इस सदस्य संख्या में समय-समय पर आवश्यक वृद्धि की जाती रही है और अब 'गोआ, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987' द्वारा निश्चित किया गया है। अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य केन्द्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीति हो सकते हैं तथा अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में इसकी वास्तविक सदस्य संख्या 545 है।

संविधान के द्वारा संघ की भांति राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गयी है और संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। मन्त्रिपरिषद् राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार, "राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।"

संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार, "उन कार्यों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्यमन्त्री होगा।"

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पाँच वर्ष के लिए की जाती है और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त अपना पद धारण किया जाता है। संविधान द्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान है। अतः राज्यपाल के सम्बन्ध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की पद्धति को अपनाया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं जिनका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है। मुख्यमन्त्री-मन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है। संविधान के **अनुच्छेद-168** में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल एवं कुछ राज्यों में दो सदनों से तथा कुछ में एक सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में दो सदन होंगे उसके नाम क्रमशः विधानसभा व विधानपरिषद् होंगे। राज्यों का विधानमण्डल एकसदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही है। संविधान **अनुच्छेद-169** के अनुसार, "संसद की राज्य में विधानपरिषद् की स्थापना या उसके अन्त करने का अधिकार है यदि सम्बन्धित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करे।"

भारत के एक संघ राज्य होते हुए भी इसमें एकीकृत न्यायपालिका के ढांचे को अपनाया गया है। न्यायपालिका के इस इकहरे ढांचे के अन्तर्गत उच्चतम स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय हैं तथा उच्च न्यायालयों के अधीन जिलों के न्यायालय तथा दीवानी और फौजदारी न्यायालय हैं।

पंचायती राज व्यवस्था लोकतन्त्र की मूल भावना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वायत्त शासन की पंचायती राज्य व्यवस्था के माध्यम से ही संचालिता किया जाता है। यह एक त्रि-स्तरीय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम-पंचायतों, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायतों और जनपद स्तर पर जिला पंचायतों का प्रबन्ध किया गया है। पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1993 में 73-वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संशोधन के माध्यम से राज्य सरकारें इन संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से कराने हेतु बाध्य हो गई हैं। पंचायतों के गठन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं महिलाओं के लिए **चक्रीय आरक्षण व्यवस्था** है।

वर्तमान समय में धनी और गरीब के बीच कितनी ही असमानताएँ तथा उनसे पैदा होनी वाली समस्याएँ हैं। अमीर के यहाँ जो उसे नहीं चाहिए वैसी चीजें जो भरी पड़ी होती हैं, जो लापरवाही से खो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, जबकि इन्हीं चीजों की कमी के कारण करोड़ों लोग यहाँ-वहाँ भटकते हैं, भूखों मरते हैं, ठण्ड से ठिठुर जाते हैं। करोड़पति अरबपति होना चाहता है, फिर भी उसको सन्तोष नहीं होता। कंगाल करोड़पति होना चाहता है, कंगाल को भरपेट ही मिलने से सन्तोष नहीं होता हो— ऐसा नहीं देखा जाता। फिर भी उसे भरपेट पाने का हक, और उसे उतना पाने योग्य बनाना देश और समाज का कर्तव्य है।

राज्यसभा, लोकसभा और भारतीय संसद

संघ की विधायिका का नाम है भारतीय संसद। यह राष्ट्रपति और दो सदनों से मिल कर बनी है। यह सदन हैं: राज्यसभा और लोकसभा। संसद के तीनों घटकों में केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है। राज्यसभा एक स्थाई और निरन्तर चलने वाली संस्था है।

भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। वह दोनों सदनों का आह्वान करता है तथा उनका सत्रावसान करता है। वह लोकसभा विघटित कर सकता है। उसकी स्वीकृति के बिना दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। उसे किसी भी सदन को या दोनों के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करने का अधिकार प्राप्त है। वह किसी भी सदन में विचाराधीन विधेयक से सम्बद्ध सन्देश सदन को दे सकता है और सदन को उस सन्देश पर विचार करना पड़ता है।

राष्ट्रपति लोकसभा में आम चुनाव के बाद होने वाले प्रथम अधिवेशन में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में होने वाले प्रथम अधिवेशन में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करता है। उस अधिवेशन में वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रम सम्बन्धी व्यौरों की घोषणा करता है। दोनों सरकार ऐसे सम्बोधन में उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हैं।

राज्यसभा—राज्यसभा अपने नाम के अनुरूप राज्यों की परिषद् है। वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उसका समूह संघ, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अनेक अंगों के रूप में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करते हैं। वर्ष 1950 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार प्रत्येक संघीय क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक मण्डल के गठन की व्यवस्था की गई है।

राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसमें कुल 250 सदस्य होते हैं। इनमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति ऐसे लोगों को मनोनीत करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाजसेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। शेष 238 सदस्य राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं।

भारत का कोई नागरिक, जिसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो तथा जिसके पास संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएँ हों वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किया जा सकता है। किन्तु ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य के अधीन वेतनभोगी या विकृति चित्त या अनुन्मोदित दिवालिया हो, वह निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं हो सकता है।

राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यावधि 6 वर्ष की है। किन्तु प्रति दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उसके स्थान पर नवीन सदस्यों का निर्वाचन होता है। यह एक स्थायी सदन है अर्थात् इस सदन का कभी विघटन नहीं हो सकता।

उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अर्थात् जब तक वह उपराष्ट्रपति पद पर आरुढ़ रहता है तब तक ही राज्यसभा का सभापति रहता है। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, जिसका निर्वाचन सदन द्वारा होता है, सभापति के दायित्वों का निर्वहण करता है। राज्यसभा की किसी भी सामान्य बैठक के लिए सदस्यों का दसवाँ भाग गणपूर्ति माना जाएगा।

राज्यसभा का चुनाव लड़ने हेतु सम्बन्धित राज्य के मतदाता सूची में नाम होने की अनिवार्यता विवादित है। वर्तमान में सम्बन्धित राज्य मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। यह भी संघीय पहलू का प्रतीक है। विचार चल रहा है कि इस अर्हता को हटा दिया जाए। लेकिन विरोध का आधार यह है कि वहाँ मतदाता होने के कारण वह सदस्य वहाँ का निवासी होगा। परिणामतः वहाँ की समस्याओं को ज्यादा सक्षम रूप से प्रस्तुत कर पायेगा। व्यवहार में यह अर्हता अधिक महत्त्व नहीं रखती, क्योंकि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना कोई समस्या नहीं है। यहाँ विधान यह है कि आप जहाँ साधारणतः निवास करते हैं वहाँ की मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। **ए.आर.डब्ल्यू.सी.** ने सुझाव दिया है कि निवास सम्बन्धी जो प्रावधान है उसे नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि इससे राज्यसभा के संघीय स्वरूप पर प्रभाव पड़ेगा। वैसे 'साधारणतः निवास' में कुछ समय-सीमा निश्चित होनी चाहिए।

राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान प्रणाली का विधान है। इसलिए यहाँ दल के व्हिप का कोई महत्त्व नहीं रह जाता, अतः ऐसे मामलों में दल-बदल निरोधक कानून भी लागू नहीं होता। इस कारण राज्यसभा के चुनाव में विधायकों की खरीद-बिक्री का आरोप लगता है। अक्सर यहाँ क्रास वोटिंग होती है। परिणामस्वरूप बड़े व्यवसायी या थैलीशाह चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ माँग की गयी है कि राज्यसभा का मतदान खुले तौर पर होना चाहिए। इससे निर्वाचन में पारदर्शिता आयेगी।

राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन यह मनोनयन मन्त्रिपरिषद् की अनुशंसा पर होता है। ये लोग साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले होते हैं। यह परम्परा है कि मनोनीत सदस्य को मन्त्री नहीं बनाया जाता है। ध्यातव्य है कि ये मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में छः माह के अन्दर शामिल हो सकते हैं। उसके बाद ऐसा करना पर उन पर दल-बदल कानून प्रभावी होगा। ये सदस्य सदन में अपनी विशेषज्ञता एवं अनुभव के आधार पर सक्रिय भूमिका अदा करें यह अपेक्षित है। मनोनीत सदस्य के बारे में कभी-कभी ही राजनैतिक विवाद पैदा हुआ है, खासकर लोकसभा के मनोनीत सदस्य के बारे में। लोकसभा के मनोनीति सदस्य सभी गतिविधियों में भाग लेते हैं सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव को छोड़कर।

राज्यसभा संसद का उच्च सदन है एवं इसके लिए निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है। राज्यसभा के संदर्भ में भारत की स्थिति

अमेरिका एवं ब्रिटेन के बीच की स्थिति है, इसके विपरीत ब्रिटेन में जो 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' है वह बहुत कमजोर सदन है। इसके पास महज विधेयकों को एक साल तक विलम्ब करवाने की शक्ति है। भारत राज्यसभा न तो 'सीनेट' की तरह मजबूत है और न ही 'हाउस ऑफ लार्ड्स' की तरह कमजोर सदन है इसके पास महज विधेयकों का एक साल तक विलम्ब करवाने की शक्ति है।

राज्यसभा को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने एवं वित्तीय मामलों में अधिकार नगण्य हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों में दोनों सदनों की स्थिति समान है। यह बात स्पष्ट है कि सरकार को विभिन्न मंदों के लिए धन उपलब्ध कराने एवं कराधान सम्बन्धी शक्तियों में राज्यसभा की भूमिका नगण्य है। धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है। कोई विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस सम्बन्ध में निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा 'वार्षिक वित्तीय विवरण' पर चर्चा कर सकती है, पर वह अनुदान की माँगों पर मतदान नहीं करा सकती। राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव को भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें निन्दा का तत्त्व समाहित माना जाता है।

राज्यसभा को गैर-वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में वही शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो लोकसभा को हैं। प्रत्येक गैर-वित्तीय विधेयक को अधिनियम का रूप लेने से पहले दोनों सदनों से स्वीकृति लेनी पड़ती है। राज्यसभा को राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति की बर्खास्तगी, संविधान संशोधनों और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदमुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मामलों में लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश, आपात की घोषणा और किसी राज्य विशेष में संवैधानिक तन्त्र की असफलता की घोषणा को दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना होता है। वित्त विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में उनकी एक संयुक्त बैठक होती है, जहाँ बहुमत के आधार पर फैसला होता है।

राज्यसभा का अपना एक विशिष्ट महत्त्व भी है। संसद के अन्दर सन्तुलन बनाए रखने की दृष्टि से राज्यसभा का निर्वाचन लोकसभा से भिन्न आधार पर होता है। यह सम्भव है कि लोकसभा की सदस्यता में एकाएक बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो सकता है, जबकि राज्यसभा के मामले में ऐसा सम्भव नहीं है। अतः सम्भव सदस्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी है। अतः सम्भव है कि लोकसभा में तात्कालिक जनभावनाओं के आधार पर किसी दल या गठबन्धन का बहुमत मिल सकता है। इस बहुमत का उपयोग कर वे ऐसे कदम उठा सकते हैं जो देश के दीर्घ-कालिक हित में न हो। ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा, सरकार एवं लोकसभा के ऊपर अंकुश लगा सकती है।

राज्यसभा के माध्यम से विधेयकों एवं प्रस्तावों पर और व्यापक विचार-विमर्श हो सकता है। राज्यसभा यह सुनिश्चित कर सकती है कि लोकसभा जन सामान्य के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश न करे। राज्यसभा के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने तथा योगदान करने का अवसर मिलता है।

अनेक बाद पिछले दशक में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लोकसभा को समय से पूर्व भंग करना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा का अस्तित्व बना रहता है। परिणामतः कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारियाँ निभाती है, यथा अनुच्छेद 352 एवं 356 आदि आपातकालीन उद्घोषणा को मंजूरी देना। वैसे संसदीय प्रणाली में लोकसभा की भूमिका महत्वपूर्ण है एवं राज्यसभा की भूमिका सहायक की तरह है। कुछ मामलों में राज्यसभा बाधक भी हो जाती है।

राज्यसभा को दो ऐसे अनन्य अधिकार भी प्राप्त हैं, जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं। इन अधिकारों का प्रयोग राज्यसभा अकेले ही करती है। इस प्रकार की शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढाँचे से है। राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार, राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित करे तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा प्रस्ताव एक वर्ष के लिए पारित होता है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नयी अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दे सकती है।

लोकसभा लोक सदन है, जिसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष तरीके से करती है। इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तथा जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है, को लोकसभा के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है।

संविधान के उपबन्धों के अनुसार, लोकसभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधि तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने गए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिक-से अधिक दो सदस्य नामजद कर सकता है। इस प्रकार संविधान में लोगसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गयी है। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 545 है।

प्रत्येक राज्य के सदस्यों की संख्या प्रायः उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जाती है। प्रत्येक राज्य को विभिन्न क्षेत्रीय निर्वाचन में इस प्रकार बाँटा जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित सदस्य संख्या और उसकी जनसंख्या का अनुपात पूरे राज्य में लगभग एक समान हो। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात में सुरक्षित रखे जाते हैं।

लोकसभा के निर्वाचन में खड़े होने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह भारतीय नागरिक हो। उसकी आयु कम-से कम 22 वर्ष हो तथा उसमें वे सब योग्यताएँ हों जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करें। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने में असमर्थ होगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद को धारण करता हो, जो विकृत चित्त हो, अनुमोचित

दिवालिया हो, जो भारतीय नागरिक न हो अथवा जिसने किसी विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो अथवा जिस संसद की किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो।

लोकसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, किन्तु राष्ट्रपति इससे पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत जब घोषित आपातकाल विद्यमान हो, तो राष्ट्रपति एक बार में एक वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है और घोषणा के लागू रहने के बाद किसी भी दशा में उसका विस्तार छः माह से अधिक नहीं होगा।

लोकसभा की कार्यवाहियों के संचालन के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष का चुनाव नए लोकसभा के गठन के बाद या पुराने अध्यक्ष की मृत्यु या त्याग की स्थिति में होता है। अध्यक्ष का निर्वाचन सदन में लाये गए प्रस्ताव के आधार पर होता है।

दल-बदल सम्बन्धी अध्यक्ष के निर्णय अक्सर पक्षपातपूर्ण होते हैं। सत्ताधारी दल को लाभ पहुँचाने की कोशिश की जाती है। न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है एवं अक्सर यह अप्रभावी होती है। एफ.सी.आर.डब्लू. ने सुझाव दिया है कि सभी प्रकार के दल-बदल पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। व्यक्तिगत एवं सामूहिक दल-बदल में कोई विभेद नहीं होना चाहिए। यदि वर्तमान व्यवस्था लागू रहती है, तो उसके लिए भी वैकल्पिक सुझाव यह है कि निर्दलीय सदस्य के सम्बन्ध में प्रावधान है कि वे किसी दल में शामिल नहीं हो सकते, परन्तु मन्त्रिमण्डल में शामिल हो सकते हैं अर्थात् उस पर दल-बदल कानून व्यवहार में नहीं लगता है।

अनुच्छेद 74-1 के अनुसार, राष्ट्रपति की मदद एवं सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होती है, जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जिसके बाद में उसे यह समाधान होता है कि वह लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त कर सकेगा। तत्पश्चात् राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से उन लोगों के नामों की सूची माँगता है, जिन्हें वह पर पर नियुक्त करना चाहता है। राष्ट्रपति को ऐसे व्यक्तियों को जिनकी संस्तुति प्रधानमंत्री ने की है, मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहता है। कैबिनेट मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा उपमन्त्री 3 प्रकार के मन्त्री होते हैं।

कैबिनेट मन्त्रियों की एक छोटी समित होती है, जिसमें वे मन्त्री नियुक्त किए जाते हैं जिनका दल में महत्वपूर्ण स्थान है तथा जो महत्वपूर्ण विभागों के मन्त्री होते हैं। इसकी बैठकें प्रायः होती रहती हैं तथा शसन के महत्वपूर्ण निर्णय इसी के द्वारा लिए जाते हैं। कैबिनेट मन्त्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता है। राज्यमन्त्री 2 प्रकार के होते हैं। कुछ राज्यमन्त्री कैबिनेट मन्त्री के अधीन कार्य करते हैं। जब कभी उनके मन्त्रालय से सम्बद्ध किसी विषय में कैबिनेट की मन्त्रणा होती है, तो सम्बद्ध राज्यमन्त्री को कैबिनेट की उक्त बैठक में बुलाया जाता है। उपमन्त्री किसी कैबिनेट मन्त्री अथवा किसी राज्य मन्त्री की देख-रेख में कार्य करते हैं। उनका प्रमुख कार्य कैबिनेट मन्त्री अथवा राज्यमन्त्री को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता करना होता है।

प्रधानमंत्री मन्त्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है और वह मन्त्रिमण्डल के कार्यों का दिशा-निर्देशन करता है। सामान्यतः मन्त्रिपरिषद् द्वारा सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, परन्तु व्यवहार में प्रधानमंत्री ही अन्तिम निर्णय करता है। प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख वक्ता होता है।

इस प्रकार अन्य मन्त्रियों की तुलना में प्रधानमंत्री अत्यधिक शक्तिशाली होता है, किन्तु प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान नहीं होता। अपनी मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करते समय उसे कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे-समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तथा दल के विभिन्न विचार-समूहों का प्रतिनिधित्व। पिछले कुछ समय से भारत में साझा सरकार की स्थिति रही है तथा सरकार का लोकसभा में बहुमत जब पूर्व की तरह स्थिर एवं सुनिश्चित नहीं रहा। साझा सरकार में मन्त्रियों के चयन और विभागों के वितरण में प्रधानमंत्री की भूमिका सीमित हो जाती है। गठबन्धन में शामिल अन्य दलों के नेता मन्त्रिपरिषद् में अपने दलीय प्रतिनिधियों पर प्राधिकार व्यक्त करते हैं। अन्य दलों के मन्त्री अक्सर प्रधानमंत्री की अपेक्षा अपने दलीय नेता की भावनाओं को अधिक महत्व देते हैं। क्षेत्रीय दलों के मन्त्रियों के सम्बन्ध में तो इस तरह की बात और अधि देखी जाती है। मन्त्रिमण्डल में शामिल अन्य मन्त्री भी अक्सर राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होते हैं। और प्रधानमंत्री पर अपना प्रभाव बनाने में सफल हो जाते हैं। अक्सर मन्त्री सरकार की नीतियों से अपनी असहमति व्यक्त करते रहते हैं। तथा मन्त्रियों के बीच अनुशासनात्मक भावना बहुत कम हो जाती है।

प्रधानमंत्री पद की संकल्पना गतिशील है, जो राजनैतिक परिस्थितियों और व्यक्तियों के आधार पर निर्धारित होती रहती है। भारत में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के समय यह संकल्पना पूर्ण रूप से शक्तिशाली थी, जबकि गैर कांग्रेसी सरकारों के दौरान यह कमजोर हुई है।

मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली ब्रिटेन से ही आयी है। इसके कुछ वरिष्ठ मन्त्री कैबिनेट के सदस्य होते हैं। वरिष्ठ मन्त्री को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है और सरकार के मुख्य निर्णय, जिसमें विधेयकों का निर्णय भी शामिल होता है, कैबिनेट द्वारा ही किए जाते हैं, कैबिनेट मन्त्री के अतिरिक्त राज्यमन्त्री और उपमन्त्री भी मन्त्रिपरिषद् के सदस्य होते हैं। कई राज्य मन्त्रियों को अपने विभाग का स्वतन्त्र प्रभार भी दिया जाता है। भारत में कैबिनेट में सामान्यतः 20 से 25 मन्त्री होते हैं। संविधान में अनुच्छेद 352 के अतिरिक्त और कहीं भी कैबिनेट की कार्यसूची एवं उसके विचार-विमर्श उसी के द्वारा निर्धारित होते हैं।

मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है जो लोकसभा में विश्वास अथवा अविश्वास प्रस्ताव पूरे मन्त्रिपरिषद् के पक्ष में लाया जाता है तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में पूरी मन्त्रिपरिषद् अपने पद से हट जाती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का यह भी तात्पर्य होता है कि मन्त्रिपरिषद् कुछ व्यक्तियों का समूह नहीं है, अपितु उसे एक टीम के रूप में कार्य करना पड़ता है। किसी भी मन्त्री द्वारा सार्वजनिक तौर पर कैबिनेट के अन्दर अलग-अलग विचार रखे जा सकते हैं, परन्तु एक बार कैबिनेट का निर्णय हो जाने के बाद मन्त्रियों में व्यक्तिगत मतभेद होने के बावजूद उन्हें कैबिनेट का समर्थन करना पड़ता है। गठबन्धन सरकारों के यंग में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अक्सर मन्त्री सरकार के निर्णयों

की आलोचना और उससे असहमति व्यक्त करते हैं। विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग मन्त्री विरोधाभास पूर्ण मत देते हैं। इस स्थिति में प्रभावशालता पर प्रतिकूल उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार इन परिस्थितियों में सभी परिस्थितियों में सभी पक्षों को कुछ हद तक अपनी नीतियों या कार्यक्रमों के सन्दर्भ में कुछ समझौते करने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमन्त्री का व्यक्तित्व तथा उसका नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था और नेता

भारत के जातिवादी, परिवारवादी और दलवादी स्वार्थी नेताओं द्वारा सत्य को झुठलाकर एवं नियमों को ताक में रखकर देश-समाज को लूटा जा रहा है। चारों तरफ अराजकता का सम्राज्य फैला हुआ है। चोरी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, विश्वासघात व दमन के शिकार व्यक्तियों की मदद के नाम पर अनेक समाजसेवी संस्थाएँ और व्यक्ति हैं परन्तु वास्तव में यह सभी अपने निजी स्वार्थ-लाभ तक सीमित हो रहे हैं। इनके आचरण ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे हाथी के दाँत खाने के और, दिखाने के और होते हैं।

देश में 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के उद्देश्य से सर्वजन कल्याण हेतु लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू है जिस पर शांति संगठित अपराधी नेतृत्व के नाम पर कब्जा करके देश-समाज के विकास को अवरुद्ध कर निजी लाभ कमा रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं के धन का बंटन में सर्वसमाज के हितों की उपेक्षा हो रही है। सरकारी-सार्वजनिक धन-सम्पत्ति व्यक्ति विशेष के सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध लोग हड़प कर देश और समाज को खुलेआम लूट रहे हैं। जिसकी विवेचना करने की अपेक्षा देश-प्रदेशों में फैली अराजकता, परिवारवाद, जातिवाद, दलवाद, भ्रष्टाचार के क्रिया-कलापों का जबरदस्त प्रभाव जो कि सरकारी विभाग, न्यायालय, सचिवालय, थाना, बैरियारों, चौराह, बैंक, आयोग, बोर्डस, विद्यालय, उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक कार्यालय सहित सर्वोच्च सदनों की कार्यवाहियों के आचरण में व्याप्त है, का अवलोकन अधिक उपयुक्त है। इनमें पदासीन अपने सगे-संबन्धी हितबद्ध लोगों के पक्ष में मनमाने निर्णय-आदेश जारी कर सार्वजनिक-सरकारी धन को हड़पकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिनकी वेतन से अधिक आय-सम्पत्ति आदि का अवलोकन इनके विरुद्ध अपराध के पर्याप्त प्रमाण हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि देश-समाज की वर्तमान समस्याओं के मुख्य कारकों को रेखांकित कर समाधान प्रस्तुत किया जाए।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सर्वसमाज की भागीदारी एवं पदों के चयन में निष्पक्षता, पारिदर्शिता व योग्यता का विशेष महत्व है। समाज के प्रति उत्तरदायित्व व नियम उपेक्षा कष्टकारी एवं समाज के लिए विघटनकारी होती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य एवं अधिकारों को निर्धारित कर उनका अतिक्रमण या उपेक्षा अपराध मानकर दण्ड का प्रावधान किया गया है

देश की लोकतान्त्रिक व्यवस्था की निर्धारित संरचना में उच्चस्तर से निम्नस्तर तक की व्यवस्थाओं की पदासीनता में सामान्यजन को उनकी दरिद्रता एवं दलिता के आधार पर प्राथमिकता देकर आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सुरक्षा और संरक्षा प्रदान की गई है और विशिष्टजनों को उनकी सक्षमता के आधार उनके सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग की अपेक्षा की गई है।

लोकतन्त्र में नेतृत्व इसलिए आवश्यक है क्योंकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्थिति, पर्यावरण, विचार एवं समस्याएँ होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपनी भागीदारी और उपलब्ध साधनों के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सामाजिक प्रक्रिया में अनेक क्षेत्र होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज के अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होना पड़ता है। जिससे व्यक्ति एक-दूसरे से जुड़कर आपसी सहयोग प्रक्रिया को बनाए रखते हैं। व्यक्ति-परिवार समुदाय, समिति, संस्थाओं से जुड़कर अपनी जरूरतों की पूर्ति के साधनों का उपभोग करता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु नियमों के निर्धारण और अनुपालन में सहयोग व सुझाव देकर समाज को अपना योगदान प्रदान करता है।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में समाज के नियमों का न्यायपूर्ण निर्धारण एवं नियन्त्रण के लिए विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के तीन तन्त्र हैं जिसका मुख्य अधिकारी अध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष- राष्ट्रपति होता है जिसके निर्णय के लिए कारकारिणी या मन्त्रिपरिषद का सुझाव आवश्यक है। कार्यकारिणी समिति के सुझाव जन-समाज की समस्याओं, आवश्यकताओं, सुरक्षा एवं संरक्षण के सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं। यह सर्वेक्षण देश-प्रदेश के जनप्रतिनिधियों जो कि प्रत्येक क्षेत्र की जनता से जुड़कर उनके सुख-दुःख में भागीदार होते हैं समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव देते हैं। सुझावों पर सदनों में विचार-विमर्श उपरान्त समस्याओं के निराकरण हेतु नियम को निर्धारितकर संस्तुति अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत होती है। जिसके आधार पर अध्यक्ष उचित और अनुचित पर विचार कर नियम-कानून को अन्तिम रूप प्रदान करता है। कानून बनने के बाद उनका अनुपालन और नियन्त्रण कार्यपालिका द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। कानून का न्यायपूर्ण प्रयोग की निगरानी न्यायपालिका द्वारा की जाती है

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यकता पूर्ति के साधन, सुरक्षा, संरक्षा, न्याय, कानून, दण्ड एवं अर्थ का समान वितरण के नियम निर्धारित हैं। इसके बावजूद देश- समाज गिने-चुने दबंग लोगों के पास सकल राष्ट्रीय आय का 90% भाग जबरदस्त दबा हुआ है। संवैधानिक पदों पर धनी, दबंग व राजनैतिक-उदड लोगों के परिवारीजनों और आपसी हितबद्ध सगे-सम्बन्धियों की मनमानी पदासीनता, कर्मकार-मजदूर तथा अकर्मण्ड लोगों के वेतन-भत्तों में भारी असमानता है। सरकारी-सार्वजनिक योजनाओं के धन का वितरण में भ्रष्टाचार, जमाखोरी, दबंगई, धर्म जाति और परिवार के लोगों का तुष्टिकरण, अन्याय, शोषण, मजदूर-कृषक के हितों की उपेक्षा, मादक पदार्थों की बिक्री, खाद्य पदार्थों में मिलावट, दहेज, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, तस्करी, अभिजनों का उत्पात, शांति अपराधियों की प्रत्याशिता, चुनाव धांधली, ज्ञात आय स्रोतों की आय से अधिक आय एवं नियम-अधिनियमों की जबरदस्त उपेक्षा आदि अपराधिक मामलों का ग्राफ ऊँचा उठना चिंता का विषय है।

अपराधिक घटनाओं के अवलोकन से पता चलता है कि किसी भी अपराध का मुख्य अपराधी राजनेताओ और पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त करके ही घटनाओं को अन्जाम देता है। घटना को मामला जब थाना-पुलिस में पहुँचता है तब रिश्वत और

सिफारिश के दबाव में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं करती हैं तथा पीड़ित पक्ष का उत्पीड़न किया जाता है। निर्दोषों पर फर्जी मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। नेतृत्व करने वाले और उनके गुर्गे समाज में नेता और अपराधी के प्रभाव का गुणगान कर पीड़ित पक्ष एवं साक्षियों को हतोत्साहित करते हैं। ऐसी घटनाओं की अधिकता के कारण लोग पुलिस और नेताओं का विरोध करने से बचते रहते हैं। जिसके कारण घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

हमारे समाज द्वारा लोकतान्त्रिक व्यवस्था में चुने जाने वाले राजनेता संवैधानिक कार्यवाहियों में जन-समस्याओं एवं उनके समाधान के लिए तो बचते रहते हैं। देश एवं सामान्य जन के कल्याण के नियमों के प्रस्तावों के अवसर पर हुडदंग कर मामलों को पास नहीं होने देते हैं। परन्तु अपनी सुख-सुविधा, वेतन-भत्ते तथा अपने पक्ष में निधियों की बात पर एक राय होकर मनमाने कानून निर्मित कर लेते हैं। विधायक-सांसद-सरकारी कल्याण निधियों को 40% धन लेकर बेंच देते हैं।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था का उद्देश्य 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के आधार पर समाज के दबे, कुचले, शोषित, गरीब, असहाय आदि सामान्यजनों का अधिकतम कल्याण कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना है। इनका उत्थान तभी संभव प्रतीत होता है जब धन, पद, प्रतिष्ठा धारी और वादी स्वार्थी लोगों की कूटनीति, दबंगई, शोषण और परिवारवाद से मुक्त प्रदान कर साधारण जनता के नेतृत्व को सुनिश्चित किया जाए। देश-समाज के सार्वजनिक धन और सम्पत्ति पर अत्यधिक कब्जा जमाकर जमाखोरी करने वाले पूँजीपतियों एवं राजनेताओं की सम्पत्ति में उन्हें उपभोग हेतु धन-सम्पत्ति देकर शेष धन-सम्पत्ति साधारण जनता में वितरित कर दी जाए। जिससे देश-समाज को विकसित किया जा सके।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सामान्य जनता की सुख-समृद्धि हेतु राज्य-व्यवस्था के संचालन में सहयोग प्रदान कर सुयोग्य शासन से दिशा निर्देशन लेकर निस्वार्थ सर्व समाज का कल्याण कराने वाला ही नेतृत्व का अधिकारी होता है। अतः नेता का दायित्व है कि देश-समाज के प्रति निष्ठा रखते हुए साधारण जनता की आवश्यकताओं, समस्याओं और सुख-समृद्धि हेतु कार्य करें। सरकारी एवं सार्वजनिक कल्याण निधियों के धन का बण्टन और जनता से एकत्रित धन अपने निजी उपभोग में न लाकर वास्तविक पात्र को दिलाएँ। सर्व-समाज के हितों की रक्षा एवं कल्याण तथा विकास में गरिमामयी योगदान प्रदान करें।

पद-प्रसाद, राज्यपाल और सरकार

“प्रत्येक राज्य के लिए बना विधानमण्डल-विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण राज्यपाल के संवैधानिक पदों पर देश-समाज के लिए पूर्ण निष्ठावान, योग्य, दलहीन, समाज-सेवा में सक्रिय, निष्पक्ष एवं 35 से 65 वर्ष आयु तक के साधारण जनों को नियुक्त किया जाना जनहित में आवश्यक है।”

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-153 एवं 154 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य अधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अन्तरित करने वाली नहीं समझी जाएगी या राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधान-मण्डल को निवारित नहीं करेगी।

राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित अपने लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद-156 के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। परन्तु राज्यपाल, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होता है जब वह भारतीय नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। राज्यपाल संसद के किसी सदन का या राज्य के विधान-मण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। शासन के अधीन कोई भी वेतनभोगी या अन्य कोई लाभ का पद धारण करने वाला राज्यपाल का पद धारण नहीं कर सकता है।

प्रत्येक राज्यपाल-व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय का उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेकर या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। **‘मैं, (पदधारक का नाम) ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक (राज्य का नाम) के राज्य के पद का कार्य पालक या राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूँगा और मैं राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा।’**

राष्ट्रपति ऐसी किसी भी आवश्यकता में जों संविधान के अध्याय-2 में उपबन्धित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसे उपबन्ध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। किसी भी राज्यपाल को उस विषय सम्बन्धी, जिस विषय या उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, उसका प्रबिलंबन, परिहार या विराम करने की या दण्डादेश निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होती है।

भारतीय संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार उन विषयों पर हो होता है जिनके सम्बन्ध में उस राज्य के विधान मण्डल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है, उसमें राज्य की कार्य पालिका शक्ति भारतीय संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनायी गई किसी विधि द्वारा, संघ या उसके प्राधिकारियों की अभिव्यक्ति के रूप में प्रदत्त कार्य पालिका शक्ति के अधीन और उससे परिसीमित होती है। जिन बातों में संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या अपने किसी कार्य को अपने विवेकानुसार करे उन बातों के अतिरिक्त राज्यपाल के अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक **मन्त्रि परिषद** होती है जिसका प्रथम, **मुख्यमन्त्री** होता है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके समाधान में भारतीय संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अन्तिम होता है और राज्यपाल द्वारा की गई बात की विधि मात्र इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जा सकती है कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए या नहीं।

मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल एवं अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमन्त्री की सलाह पर करता है तथा मन्त्री, राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करते हैं। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा और मध्य-प्रदेश राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भार साधक एक मन्त्री होता है जो साथ ही अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भार साधक हो सकता है।

किसी भी राज्य की मन्त्रिपरिषद में मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। परन्तु किसी भी राज्य में मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है। मन्त्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसी मन्त्री द्वारा अपना पद धारण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रायोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसकी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।

राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह उस राज्य की सरकार की विधि सम्बन्धी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे

अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको भारतीय संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों।

किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से हुई कही जाती है। राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों की ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाता है एवं राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में से विनिर्दिष्ट किए जाते हैं। इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित आदेश की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जा सकती है कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया था या निष्पादित आदेश या लिखित आदेश नहीं है।

राज्यपाल राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने हेतु जहाँ तक वह ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे। यहाँ तक मन्त्रियों में उक्त कार्य के आवण्टन के लिए नियम बनायेगा।

प्रत्येक राज्य के मुख्यमन्त्री का कर्तव्य होता है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन और विधान विषय एवं प्रस्थापनाओं सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करे। राज्य के कार्यों में प्रशासन सम्बन्धी और विधान प्रस्थापना सम्बन्धी जो जानकारी राज्यपाल माँगे वहाँ ये और किसी विषय को जिस किसी मन्त्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मन्त्रिपरिषद ने विषय नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार का रखे।

प्रत्येक राज्य के लिए बना विधानमण्डल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। राज्यपाल विधानसभा या विधान परिषद में उस राज्य के विधान मण्डल किसी भी सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। राज्यपाल, राज्य के विधान मण्डल में उस समय लम्बित किसी विधेयक के सम्बन्ध में सन्देश या कोई अन्य सन्देश, उस राज्य के विधान-मण्डल के सदन या सदनों को भेज सकता है और किसी दिन सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा।

राज्यपाल, विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करता है और विधान-मण्डल को उसके आह्वान के कारण चलवाता है। सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों या चर्चा के लिए समय निश्चित करने के लिए उपबन्ध किया जाता है।

राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदन अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष तीसरी सूची में दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है।

भारत में पद प्रसाद और रोजगार का वर्तमान स्वरूप

(संवैधानिक व कार्यकारी वेतनिक पदासीनता में आयु असमानता और पुनर्पदासीनता बेरोजगारी का कारण है)

भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की साधारण जनता की जीविका के मुख्य स्रोत कृषि, खेतिहर मजदूरी, मजदूरी और बेरोजगारी है। इसके बावजूद जागरूक व्यक्ति अपने प्रतिपाल्यों की शिक्षा पर जीवन की सम्पूर्ण कमाई व्यय कर रहे हैं। कठिन परिश्रम से प्राप्त डिग्री-डिप्लोमा के बावजूद नौकरी न मिलने से करोड़ों युवाओं की भीड़ बेरोजगारी में जुड़ती जा रही है तथा लम्बी अवधि तक व्यक्ति की बेरोजगारी के कारण युवा और उसके परिजन बुरी तरह हताश होकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। बेरोजगारी की बढ़ती भीड़ जहाँ एक ओर व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं से वंचित कर रही है वहीं बेरोजगारों का शोषण और दुर्योग करने हेतु व्यापारी और राजनेता प्रोत्साहित हो रहे हैं। यह लोग बेरोजगारों से बन्धुआ श्रमिक की भांति काम तो कराते हैं परन्तु उचित पारिश्रमिक नहीं देते हैं और न ही इन लोगों द्वारा श्रमिकों का पंजीयन कराया जाता है। युवाओं और उच्च शिक्षित बेरोजगारों का जीवन कटी पतंग की भाँति बना हुआ है क्योंकि उसकी पैतृक सम्पत्ति पढ़ाई में खर्च हो चुकी है तथा जीवन की उमंगें और उत्साह नौकरी की आश में नष्ट हो रही हैं।

भारत के प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों के आधार पर व्यक्ति की आजीविका और रोजगार व्यवस्था विचार करने करें तो पता चलता है कि भारत में प्राकृतिक रूप से सभी भारतीयों के लिए आजीविका के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जिनका उपभोग जमींदार, उद्योगपति, व्यापारी, राजनेता, अधिकारी, कर्मचारी और वी.आई.पी. तक सीमित करके जनसाधारण को उपभोग से जबरदस्त वंचित किया जा रहा है। स्वतन्त्रता उपरान्त भारतीय संविधान की अंग्रेजी में रचना जनसाधारण की समझ से परे होने तथा मनमानी व्याख्या के आधार पर संवैधानिक पदों पर व्यक्ति विशेष और उसके सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध ही सांसद, विधायक, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयर, चेयरमैन, राज्यपाल, राष्ट्रपति, कुलपति, सलाहकार आदि बन रहे हैं जो करोड़पति-अरबपति होने के बावजूद न सदन कार्यवाही और अपने दायित्व कार्यों से प्रथक रहकर वेतन-भत्तों को ले रहे हैं। संवैधानिक पदासीनता और सरकारी कोष से वेतन-पेंशन के बावजूद पार्टी प्रचार तक सीमित रहने वाले राजनेता और उनके रहीस परिजन बारम्बार संवैधानिक पद हथिया रहे हैं और साधारण जनता संवैधानिक पदासीनता से जबरदस्त वंचित है।

वर्तमान परिवेश में हमारे समाज में एक से बढ़कर एक गुणवान, निष्ठावान, कर्मठ, योग्य तथा देश और समाज के लिए सर्वत्र निष्ठावर करने वाले लोगों की कमी नहीं है, इसके बावजूद ऐसे देशभक्त युवा योग्यता धारकों की जबरदस्त उपेक्षा कर अयोग्य एवं निष्क्रिय तथा भ्रष्ट लोगों को उच्च पदों पर मनमाने ढंग से पदासीन कर व्यक्तिगत लाभ कमाया जा रहा है। परिवारी जनों को अध्यक्ष, सांसद, विधायक आदि बनाया जा रहा है तथा फर्जी-अवैध प्रस्ताव-आदेशों के आधार पर शासन, प्रशासन और जन-सामान्य पर दबाव बना सार्वजनिक विकास योजनाओं के सरकारी धन-सम्पत्ति को आपस में बन्दर-बॉट कर खुलेआम गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ कर स्व-लाभ कमाया जा रहा है। भ्रष्ट अयोग्य लोगों द्वारा जन-साधारण के हितों पर जबरदस्त कुठाराघात कर निजी लाभ कमाया जा रहा है जिसके कारण सरकार के प्रति जन विश्वास समाप्त होता जा रहा है।

सार्वजनिक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा ट्रस्ट-सोसाइटी और एन.जी.ओ. को प्राथमिकता दी जाती है। इस कारण समाजसेवा की दुहाई देकर बड़ी संख्या में ट्रस्ट, समितियाँ एवं स्वयं सेवी संगठन संचालित हो रहे हैं। इनमें अधिकांश का आस्तित्व कागजों तक ही सीमित है। जनसेवा के नाम पर स्वलाभ कमाने और सार्वजनिक योजनाओं का धन हड़पने के उद्देश्य से निर्मित ट्रस्टों, समितियों एवं स्वयं सेवी संगठनों की भूमिकाएँ संदिग्ध एवं जनमानस के हितकरी नहीं हैं। इनकी वैधानिकता से लेकर संगठन, सदस्यता, चुनाव, संचालन पंजीयन आदि भ्रामक-फर्जी तथ्यों पर आधारित हैं। इनमें व्यक्ति विशेष के परिजनों और उनके सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्धों की स्वयंभू पदासीनताएँ हैं। अधिकांश ट्रस्ट, सोसाइटियों एवं एन.जी.ओ. के निर्माण सरकार में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं राजनेताओं तथा उनसे संरक्षण प्राप्त लोगों के स्वामित्व में बने हैं। यह जनता को मूर्ख बनाकर सार्वजनिक विकास योजनाओं के धन-सम्पत्ति को हड़प कर गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ करने में जुटे हुए हैं। ट्रस्टों, सोसाइटियों एवं एन.जी.ओ. में नियमों का मनमाने क्रियान्वयन एवं दबंगों की निर्माता-निर्देशक-पोषक रूप में पदासीनता के कारण सामान्य जनता इनके अत्याचार सहने को मजबूर हैं। इनके काले कारनामों और अवैध कमाई के कालेधन का चिह्न खुलने पर इनके समकक्ष अधिकारियों और राजनेताओं के सहयोग तथा ब्यान बाजी से सामान्य जनों को हतोत्साहित कर एवं साक्ष्य तथ्यों को जबरदस्त प्रभावित कर प्रजातान्त्रिक मूल्यों को बुरी तरह से नष्ट किया जा रहा है।

आज अवैध कारोबार में संलिप्त आर्थिक माफियाओं एवं भ्रष्ट तथा शांतिर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा स्वयं को भगवान, राष्ट्राध्यक्ष एवं जनसेवक घोषित कर स्वलाभ के उद्देश्य से देश और समाज के समक्ष गम्भीर चुनौतियाँ पैदा कर देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसका पर्दाफाश होने पर ऐसे लोग अपनी बेहयाई के प्रभाव में अनावश्यक ब्यान बाजी करके अपने कृत्यों को सिद्ध कर पुनः सत्ता के भोग प्राप्त करने के उद्देश्य से जनता को मूर्ख बनाकर अपना प्रभुत्व बनाने में अति सक्रिय बने हुए हैं।

भारतीय ट्रस्ट एवं सोसाइटियाँ तथा एन.जी.ओ. के स्वयं-भू पदाधिकारियों द्वारा ट्रस्टीशिप के मूल उद्देश्यों एवं दायित्वों को ताक पर रख कर जन-कल्याण के नाम पर बेरोजगारों एवं शैक्षिक संस्थानों से अवैध वसूली कर व्यक्तिगत आय अर्जित की जा रही है। इन संगठनों के लोगों द्वारा व्यय के बिल-भुगतान के फर्जी आँकड़े प्रस्तुत कर अपनी अवैध कमाई के कालेधन को सफेद-धन में परिवर्तित

किया जा रहा है तथा सम्बन्धित बजट, बिल-जमा रसीद तथा सरकारी-लेखा विभाग की आडिट लेखा जाँचों में इन ट्रस्टों एवं सोसाइटियों तथा एन.जी.ओ. के विरुद्ध अनेकों गम्भीर आडिट आपत्तियाँ लग रही हैं। ट्रस्टों, सोसाइटियों व एन.जी.ओ.के भ्रष्ट कारनामों उजागर होकर प्रमाणित हो जाने के बावजूद शासन एवं प्रशासन द्वारा भ्रष्ट संगठनों के लोगों के विरुद्ध वैधानिक दण्डनीय कार्यवाही नहीं की जा रही है। इन संगठनों के प्रमुख पदों पर एक ही व्यक्ति-परिवार की बारम्बार पदासीनता होते रहने के कारण भारतीय न्यासों के उद्देश्य वदायित्व एवं भूमिकाएँ जनता में हताशा पैदा कर रहीं हैं। ऐसी स्थिति में समाजिक दृष्टि से ट्रस्टों एवं सोसाइटियों तथा एन.जी.ओ. के भ्रष्ट आचरण कितने अवैध और अनैतिक है, इसका कारण तो यह है कि ट्रस्टों एवं सोसाइटियों तथा एन.जी.ओ. के वित्तीय नियमों से सामान्य जनता परिचित नहीं हैं। ऐसे लोगों के सम्बन्ध में सवालों का सामना करने वाले लोगों के बहाने जन-सामान्य में बहस छिड़ी हुई है। क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, इसका निर्धारण नियम-कानून से नहीं, बल्कि देश, काल की परिस्थितियों से होता है।

भारतीय समाज में जो कार्य व्यवस्था पहले नैतिक सवाल नहीं खड़े करते थे उनमें से कुछ आज अनैतिक माने जाते हैं। कुछ मामलों में इसका उलटा भी है यानी जो पहले अनैतिक माना जाता था वही आज नैतिकता के दायरे में आ गया है। ट्रस्टों एवं सोसाइटियों तथा एन.जी.ओ. के स्वयं-भू पदाधिकारी जिस किस्म का भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं वैसा जाने अनजाने न कितने लोग करते हैं और उनके पक्ष में यह तर्क होता है कि यह तो चलता है। यह पता नहीं कि ट्रस्टों एवं सोसाइटियों तथा एन.जी.ओ. के स्वार्थी लोगों द्वारा जो भी कुछ किया जा रहा है वह चलता है या नहीं, क्योंकि हर कोई उनकी तरह स्वयं-भू भगवान या राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रीय पदक विजेता या स्वयं-भू पदासीन नहीं है और यदि है भी तो उसकी ऐसी पहचान-प्रतिष्ठा नहीं कि लोग उससे भाषण देने के लिए मंचों पर बुलाएँ। हालांकि ऐसे लोगों द्वारा सार्वजनिक विकास योजनाओं का धन-सम्पत्ति भ्रष्ट तरीके से हड़पकर अपने निजी कार्यों में उपभोग किए जाने के मामलों में वैधानिक दण्डनीय कार्यवाही से बचने के उद्देश्य से इनके द्वारा कभी-कभी सरकारी धन-सम्पत्ति को वापस करने की बात कही जाती है इससे उनके अपराध प्रमाणित हो रहे हैं। जो कि संगीन अपराध की श्रेणी में आता है

समाज के कुछ लोगों ने ट्रस्ट-सोसाइटियाँ-एन.जी.ओ. के भ्रष्ट लोगों के आचरणों पर सवाल उठाये हैं। इन सवालों में कोई बुराई नहीं, लेकिन उन्हें यह स्थापित करने से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार में संलिप्त ट्रस्टों एवं सोसाइटियों तथा एन.जी.ओ. एवं समस्त प्रशासनिक-न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार सभी को है। यदि नेता या अधिकारी या जनसामान्य यह स्थापित करने में समर्थ हो गये कि जिस किसी ने अपने जीवनकाल में किसी भी तरह का कोई मामूली सा ही सही, अनुचित-अनैतिक कृत्य किया है और भ्रष्टाचार या संगीन आपराधिक घटना के विरुद्ध बोलने का अधिकारी नहीं तो फिर अपराधियों एवं भ्रष्ट तत्त्वों की पौ बारह होगी। यदि किसी ने अनुचित, अनैतिक अथवा अवैधानिक कार्य किया है और वह कृत्य दण्डनीय अपराध है तो उसे दण्ड देने की माँग तो समझ में आती है, लेकिन यह चिन्ता जनक है कि देश-समाज के रक्षक ट्रस्टों एवं सोसाइटियों तथा एन.जी.ओ. एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के सन्दर्भ में कोई माँग करने की बजाय उसे खारिज करने और यह सिद्ध करने में लगे हुए है कि अब उसे सशक्त भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध या लोकपाल के पक्ष में आवाज उठाने की अधिकार नहीं रह गया है। यह एक खतरनाक अभियान है। इस अभियान के माध्यम से यह साबित करने का प्रयास हो रहा है कि “चोर-चोर मौसेरे भाई” होते हैं। ऐसा सिद्ध करके साधारणजनों पर दबाव बनाकर समाज के लोगों को यह महसूस कराया जा रहा है कि भ्रष्टाचार तथा अपराध जगत में संलिप्त लोगी की ट्रस्ट व सोसाइटी एवं एन.जी.ओ. तथा पदाधिकारियों के बारे में कुछ कहने-बोलने का अधिकार नहीं रह गया है।

किसी को भी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि सदनों के भावी सत्र में साधारण जनो एवं देश के हितों की सुरक्षा हेतु फिरहाल कोई चमत्कार होगा या नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त पर आधारित विधेयक या गरीबी उन्मूलन विधेयक या संवैधानिक पदों पर गरीब श्रमिक-कृषक-महिला की पदासीनता विधेयक या फर्जी गरीबों के विरुद्ध दण्ड विधेयक या सरकारी विकास निधि को बेचने वालों के विरुद्ध दण्ड विधेयक या रोजगार विधेयक या अरबपति सासंद-विधायकों की पेन्शन प्रतिबन्धित विधेयक या सरकारी धन-सम्पत्ति और निधियों की सुरक्षा विधेयक या संवैधानिक पदों पर एक ही व्यक्ति परिवार के लोगों की बारम्बार पदासीनता प्रतिबन्धित विधेयक या अंग्रेजी भाषी संविधान परिवर्तन विधेयक पारित होने जा रहा है। यदि इनमें से कुछ विधेयकों पर चर्चा हो जाए तो बड़ी बात होगी। ऐसे विधेयकों पर विचार कर रही समितियों के लोग तरह-तरह की ब्यानबाजी कर देश की जनता को गुमराह कर जन-साधारण को बुरी तरह से हतोत्साहित कर रहे हैं तथा भारतीय शासन लोकतन्त्र के उद्देश्यों के अनुरूप नियमों के निर्माण करने की दिशा में अपने दायित्वों का निर्वाहन उचित ढंग से नहीं कर रहा है। सरकार में बैठे लोगों को यह बात विशेष रूप से स्मरण रखनी चाहिए कि भारतीय लोकतन्त्र का तात्पर्य-“जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए है” तथा लोकतन्त्र में सरकार के निर्माण का उद्देश्य देश-समाज के लिए उचित नियमों का निर्माण और गरीब असहायों की सहायता और संवैधानिक पदों पर पदासीनता सुनिश्चित करने में योगदान करना है।

पद—प्रसाद और परिवार तथा अत्याचार

‘राजनेताओं के सगे—सम्बन्धी आपसी हितबद्धों के सार्वजनिक प्रतिनिधि पदासीनता पर अंकुश लगाना चाहिए’

जब कोई हत्या की घटना घटित होती है तो पीड़ितपक्ष न्याय की दुहाई देकर हत्यारे को तुरन्त दण्डित कराना चाहता है, परन्तु इनका परिजन किसी और की हत्या कर देता है तो हत्यारे के बचाव में पैरवी कर पीड़ित पर दबाव बनाने हेतु फर्जी मुकद्मा कराते हैं। ऐसे दोहरे चरित्र के कारण बनी व्यक्ति की कमजोरियों का लाभ लेने में कुख्यात डाकू एवं संगठित अपराधी सफल हो रहे हैं। जिनका वर्तमान स्वरूप राजनीतिक दलों के रूप में परिणित हो रहे हैं।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए स्वतन्त्रता पूर्व की परिस्थितियों के आधार पर निर्मित संविधान के द्विआर्थी शब्दों की मनमानी व्याख्या कर शातिर—सरगना गिरोहबन्द सत्ता का शीर्षासन प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। जिससे शासन और प्रशासन के अधिकारी इनकी आवभगत में जुट जाते हैं। मन्त्रिमण्डल में इनके परिवार के सगे—सम्बन्धी आपसी हितबद्ध लोगों को स्थान मिल जाता है। निजी सहायकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर इनके चहेते—गुग्गें शामिल हो जाते हैं, जो कि प्रशासनिक अधिकारी—कर्मचारियों से धन लेकर मनचाहे पदों पर प्रतिष्ठित या स्थानान्तरित कर अवैध वसूली तथा सरकारी विकास की योजनाओं का धन हड़प कर आपस में बन्दर—बाँट करते—रहते हैं।

आज के दौर में व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान तथा घर—परिवार के विकास हेतु राजनीतिक सम्बन्धों व सहायता की विशेष अपेक्षा रखता है। जिसकी पूर्ति हेतु राजनीतिक एवं सत्ताधारी नेताओं की आवभगत करने में जुटा हुआ है। अपने आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर नेताओं को बुलाकर उनकी खातिरदारी करता है। परिचितों को लाकर उनसे सम्बन्धों की दुहाई देता है। यहाँ तक कि अपने परिवारीजनों के बीच उनको स्वच्छन्द छोड़कर अपनी लोक—लाज प्रभावित कराता है।

राजनीतिक दलों में सदस्यता से लेकर पदासीनता तक की कार्यवाहियाँ फर्जी रूप से संचालित होती हैं। शातिर, सरगना और कुख्यात लोगों के संरक्षण में पार्टी की सदस्यता का अभियान चलता है। फर्जी नाम—पते भरकर रसीद बहियाँ भरी जाती हैं। गुटबाज और संगठित अपराधी पार्टी पदों को आपस में बन्दर—बाँट कर लेते हैं। इनके द्वारा गाड़ियों में झण्डा—हूटर लगाकर पुलिस—प्रशासन पर दबाव बनाकर दलाली की जाती है। सार्वजनिक चुनावों में बूथ कैपचरिंग होती है। उच्च पदों पर पदासीन लोगों को धन देकर उनकी कृपा से ठेके, मनोनयन व प्रतिनिधित्व प्राप्त कर जन उत्पीड़न व धन उगाही की जाती है। राजनेताओं से सम्बन्ध प्रदर्शित कर जन कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं पर अतिक्रमण तथा फर्जी जन सहमति की कागजी खानापूति कर सरकारी धन हड़प लिया जाता है। चोरी, लूट, डकैती, हत्या की घटनाओं का षडयन्त्र रचकर खूँखार अपराधियों को अस्त्र—शस्त्र एवं साधन उपलब्ध कराया जाता है। बारदात के उपरान्त शिफारिश के नाम पर पुलिस स्टेशन पहुँचकर पीड़ित का विश्वास लूटा जाता है। सभा—सम्मेलनों का आयोजन कराकर उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में राजनेताओं को बुलाकर कुख्यात शातिर—सरगनाओं एवं संगठित अपराधियों को सम्मानित कराकर जन दबाव बनाया जाता है तथा स्वयं को महिमा मण्डित कर देश एवं प्रदेश का शीर्षस्थ प्रभावशाली व्यक्ति घोषित किया जाता है।

समाज में घटित—घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस—रिपोर्ट ज्ञात और अज्ञात लोगों के नाम—पतों से दर्ज होती है। शक या ईर्ष्या वश बताए गए लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूँछ—ताछ भय एवं उत्तेजना युक्त वातावरण में होती है जहाँ असत्य आरोपों के झुझलाहट भरे उत्तरों से निर्दोषों को बुरी तरह मारपीट कर उत्पीड़ित किया जाता है। तरह—तरह के भय व धमकी प्रभाव से निर्दोष की अपराध में बाँछनीयता स्वीकार करायी जाती है। शिफारिसों के माध्यम से दलालों एवं राजनीतिक नेताओं के माध्यम से पुलिस पीड़ित पक्ष एवं आरोपियों से जबरदस्त धन उगाही—रिश्वत वसूलती है। धन लेकर पुलिस चार्जसीट या फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है तथा मामलों में उन्ही अपराधियों को पकड़ा या छोड़ा जाता है, जिनसे पुलिस अधिकारियों—कर्मचारियों को धन मिलता है। पुलिस—विभाग में प्रत्येक कार्य के लिए रिश्वत का प्रचलन इतना चरम पर है कि मुख्यालयों में बैठे अधिकारी पुलिस—स्टेशनों का रेट निर्धारित कर धन देने वालों को प्रभारी पदों पर पदासीन करते हैं जो प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि पर धन युक्त लिफाफों सहित उनके निवास—आफिस जाकर सलामी मारते हैं।

अधिकांश अपराधी राजनेताओं के बंगलों एवं राज्य—अधितिग्रहों में राजकीय सम्मान प्राप्त कर ऐशो—आराम का जीवन व्यतीत रहे हैं और वहीं पर घटनाओं को अन्जाम देने के लिए योजनाएँ बनाते हैं तथा लूट, डकैती, हत्या की घटनाओं को अन्जाम देते हैं। घटना उपरान्त जिला—प्रशासन एवं पुलिस के साथ घटना स्थल पर जाकर नाटकीय ढंग से पक्षकारों पर दबाव बनाते हैं, जिसके कारण लोग इनके विरुद्ध बोलने—गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते व इनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाती है।

चिकित्सालयों में दाखिल होकर या न्यायालय पेशी उपरान्त फरार होने वाले कदियों में अधिकांश शातिर खूँखार गिरोहबन्द डाकू और उनके गुर्गे होते हैं, जो बीमारी या पेशी के बहाने जेल के बाहर आकर मौज—मस्ती कर योजनाबद्ध तरीके से घटनाओं को अन्जाम देते हैं तथा पकड़े या फरार हो जाने पर पुलिस द्वारा कहानी गढ़कर कागजी खानापूति की जाती है।

कारागार में कैद सीधे—साधे और रिश्वत धन न दे पाने वाले आरोपियों को दलालो एवं ठकेदारों के हवाले कर उनसे नगर—बस्तियों में मजदूरी कराई जाती है। कर्मचारियों के घरों—प्रतिष्ठानों पर उनसे बेगार कराकर उत्पीड़ित किया जाता है जबकि शातिर किस्म कैदियों को जेल का नंबरदार बनाकर उनकी दबंगई में कैदियों को मारपीट कर उत्पीड़ित किया जाता है तथा मुलाकातियों से जबरदस्त धन

वसूली कराकर एवं जेल की खाद्य-सामग्री को बाजारों में बेचकर लाभ कमाया जाता है। महिला कैदियों को घर की नौकरानी बनाकर काम कराया जाता है तथा उनका उत्पीड़न करके अनैतिक कार्य कराये जाते हैं।

राजनीतिक और प्रशासनिक व्यक्तियों के वास्तविक जीवन के आचरणों से रूबरू होने पर हम देखते हैं कि इनमें अधिकाँश की कथनी और करनी में विपरीत सम्बन्ध होता है। इनके आचरण अति स्वार्थी, वासनात्मक एवं बर्बरता पूर्ण होते हैं। इनकी कथनी और करनी के प्रदर्शन में ठीक उसी प्रकार सामंजस्य रहता है यथा शराबी-कबाबी के मुख पर पान की लालामी तथा रक्त-रंजित-गन्दे दुर्गंध युक्त वस्त्र धारण करने वालों पर बेला-चमेली से बने सेण्ट की सुगंधित खुशबू।

समाज में घटित हो रही आपराधिक घटनाओं के घटनाकर्ताओं से बातचीत में यह कहा जाने कि, **“अति निकट सम्बन्धी या सम्पर्की के साथ ऐसी घटना उचित नहीं”** पर उनका जबाब **“यही तो राजनीति है”** तथ्यों को जानने और समझने के बावजूद व्यक्तियों की भूमिकाएँ एवं आचरणों में सुधार न हो तो संगीन घटनाओं की पुनरावृत्ति और व्यक्ति-समाज की क्षति पर रोक लग पाना कैसे संभव हो सकता है? अति विचारणीय है।

जिस व्यक्ति, समाज और राजनीतिक दल का **भोजन** जीव-भक्षण, समाजसेवा कत्ल-क्रूरता और पाखण्ड, **राजनीति** न्याय-प्रपंच, **व्यवसाय** लूट-डकैती-हत्या और विश्वासघात, **अधिकार** प्राकृति दोहन और ईश्वर की ठेकेदारी कापीराइट हो, वह जीव एवं प्रकृति तथा देश एवं समाज के लिए कितना उपयोगी और कल्याणकारी होगा, पर गम्भीरता पूर्वक विचार बिना सर्वसमाज के सुख-समृद्धि की कल्पना **‘मृगमरीचिका’** के समान है। यही कारण है कि हमारे देश-समाज और व्यक्ति के लिए बनीं संहिताएँ, व्यवस्थाएँ, संस्थाएँ, कल्याणकारी योजनाएँ, न्याय और कानून व्यवस्थाएँ तथा संवैधानिक संस्थाएँ आदि व्यक्ति विशेष मात्र के लाभ तक सीमित होकर सर्वसमाज के लिए व्यर्थ सिद्ध हो रही हैं।

लोकतन्त्र, संविधान एवं साधारण जनता के लिए चुनौती बने राजनीतिक दलों के प्रमुखों व उनके सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध लोगों की शासन-सत्ता में मनमानी पदासीनता एवं भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मचारियों की साँठ-गोँठ से अत्याचारों पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। इनके लिए निर्धारित आचरण संहिता का अनुपालन होना जाना चाहिए। इनके समस्त कार्यों का वार्षिक वेरीफिकेशन होना चाहिए। सार्वजनिक पदों की प्रत्येक नियुक्ति-स्थानान्तरण प्रक्रिया में आवेदन सूचियों को कम्प्यूटर ऑन-लाइन रेण्डमाइज-क्रमिक विधि से होना चाहिए। लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक पदों पर चुनाव एवं मनोनयन में व्यक्ति विशेष या एक ही परिवार के सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध तथा शांति और सरगना अति कुख्यात संगठित अपराधियों की पदासीनता पर अंकुश लगना चाहिए। पैसा लेकर कार्य करने वाले वेतनभोगियों एवं सरकारी आचरण संहिता की उपेक्षा कर अवैध लाभ कमाने वालों तथा सरकारी विकास योजनाओं का धन हड़पने वालों को तत्काल दण्डित किया जाना चाहिए।

अभिजन शासन और सिंहासन

अभिजन साधारण लोगों के मनोभावों और संवेगों को सहलाते हैं और सभाओं में जाकर भ्रान्त तर्क देकर बताते हैं कि स्वर्ग को धरती पर ले आयेंगे। अवशिष्टों और भ्रान्त तर्कों पर आधारित ऐसी राजनीति पूरी तरह से संस्कृति की अवहेलना करती है। विचारणी दृष्टि से राजनीति में संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है।

अभिजन वर्ग एक ऐसा अल्पसंख्यक राजनीतिक वर्ग होता है जो समस्त राजनीतिक कार्यों को करता है और शक्ति पर एकाधिकार रखता है तथा शक्ति के लाभों का भरपूर उपभोग करता है। इसका निर्माण समाज के विभिन्न उच्च वर्गों प्रशासकीय अधिकारियों, कुलीन परिवारों, प्रभावशील राजनीतिज्ञों और उद्योगपतियों आदि से मिलकर होता है और समाज के हर वर्ग में अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता है। राजनीतिक अभिजन का अभिप्राय उन राजनीतिक विशेषाधिकारियों से है जो अपने इस विशेषाधिकार को किसी भी तरीके से बनाये रखने के लिए पूर्ण सजग होते हैं। शासक अभिजन अपने आप को स्वयं ही चुनाव और नियुक्ति कर लेता है। उसको दूसरों के चुनाव और नपसन्दगी की प्रतीक्षा या अपेक्षा नहीं होती। ऐसा अभिजन प्रत्येक समाज में होता है, जो अल्पसंख्यक होते हुए भी राजनीतिक प्रभुत्व के पदों पर आसीन रहता है और शेष समाज पर अपना शासन करता है। यही नहीं, वह समस्त राजनीतिक गतिविधियों और निर्णयों को भी प्रभावित करता है।

अभिजन की अगुलियों की गति समाज को नचाती है। लोग तो बस अभिजन के संकेत पर सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। समाज की इस बुनियादी धारणा उपरान्त समाज के किसी एक निश्चित क्षेत्र के व्यक्ति अभिजन हैं। सिनेमा जगत, राजनैतिक क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र आदि के शीर्षस्थ अभिजन हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में यदि अभिजन की तालिका बनाई जाये तो उसका आकार थोड़ा बड़ा होगा। कुछ अभिजन को विवादास्पद भी समझा जाता है। अभिजन हर क्षेत्र में है लेकिन केवल प्रशासनिक अभिजन महत्वपूर्ण होते हैं।

समाज पर शासन अभिजन ही करते हैं अभिजन वर्ग बन्द नहीं है। जो आज शासन करते हैं, कल उन्हें धकेल दिया जायेगा और उनका स्थान नये अभिजन ले लेंगे। अभिजन का यह चक्र चलता रहता है। बड़ी उम्र के नेता धीरे-धीरे बदनाम होने लगते हैं। उनकी साख गिरने लगती है और वे नये खून के लिए अपना स्थान छोड़ना प्रारम्भ कर देते हैं। इस तरह की परिस्थितियों से समाज व्यवस्था बनी रहती है।

अभिजन की श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनमें आम लोगों की तुलना में अधिक बौद्धिकता, कुशलता तथा कार्य करने की क्षमता होती। काम तो सभी करते हैं लेकिन अभिजन का कार्य दूसरों से श्रेष्ठ होता है। अभिजन प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक दो वर्ग के होते हैं। इन दोनों वर्गों में चक्र की तरह पुराने लोग जाते हैं और नये अभिजन आते हैं। अभिजन इन दोनों वर्गों में दो तरह के होते हैं। प्रथम प्रकार के अभिजन चालाक, धूर्त, घटिया, और कपटी होते हैं। ऐसे अभिजन लोमड़ी की तरह सत्ता के लिए उखाड़-पछाड़ करते हैं और सत्ता भोगने वाले अभिजन को धकेल देते हैं। दूसरे प्रकार के ये अभिजन सभा शक्ति धारी होते हैं। उन्हें जो कुछ सत्ता मिलती है उस पर कुण्डली डालकर बैठ जाते हैं। सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए वास्तव में नर-नाहर होते हैं और ये अपनी पूरी ताकत को लगाकर अपनी सभा को बनाये रखते हैं। लोमड़ी और नाहर दोनों ही अभिजन हैं। दोनों ही सत्ता को ललचाई आँख देखते हैं। अभी नर-नाहर सत्ता में हैं और थोड़े समय बाद लोमड़ी यानी चालाक और धूर्त अभिजन उन्हें सभा से धकेल देंगे। यह चक्रीय सिद्धान्त और अभिजन का भ्रमण है। अभिजन की नियत एक होती है। लोमड़ी और नर-नाहर दोनों प्रकार के अभिजनों को एक दूसरे के लिये सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। राजनीति का मूल आधार यह है कि समाज में हुकूमत तो अभिजन की ही होगी। चाहे वे अभिजन आज के नर-नाहर हो या लोमड़ी।

वर्तमान में बिना जनता की दुहाई दिए कोई भी नेता अपना हित नहीं साध सकता क्योंकि उपलब्धियों का तरीका भी लोकतन्त्र का दिखावा तो होना ही चाहिए। सम्मान और आत्म प्रतिष्ठा के लाभ भौतिक लाभों की अपेक्षा अधिक प्रलोभन पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को जिन्हें लड़कपन में प्यार व सम्मान नहीं मिलता उनकी अतृप्त वासनाएँ और कुण्ठाएँ ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी एवं अहंकारी बना देती हैं और वह अभिजन बनने की चेष्टा में हर प्रकार के अबांछित साधनों का प्रयोग करता है। हिटलर और मुसोलिनी इसी प्रकार के अभिजनों की श्रेणी में आते हैं स्टैविन की भी महत्वाकांक्षाएँ इसी अवचेतन कुण्ठा की परिणाम थी। सत्ता की प्राप्ति, उसने बाधा डालने वाले लोगों और प्रतिस्पर्धियों का विनाश, उग्रराष्ट्रीयता का उन्माद, संहारक अस्त्रों का निर्माण व प्रयोग, युद्ध एवं विध्वंस इसी अवचेतन के परिणाम होते हैं। अभिजनों का प्रयास सत्ता एवं शक्ति पर किसी प्रकार अधिकार करना और हमेशा तब तक उसके साथ चिपके रहना होता है जब तक क्रान्ति या षडयन्त्र के द्वारा उन्हें उखाड़ न फेंका जाए। उनका यह भी प्रयास होता है कि सत्ता पर उनके ही परिवार का उत्तराधिकार स्थापित हो जाये। हर बात जनता एवं राष्ट्र की भलाई की दुहाई देकर लोगों के भावनात्मक आवेश को ये अभिजन अपने पक्ष में कर लेते हैं फिर चरवाहे की तरह इन भेड़ों को हॉकते हैं। जनता पागल होकर इनके पीछे दौड़ती रहती है, उनका यशगान करती है लेकिन अन्तोगत्वा यह मालूम पड़ जाता है कि ये शक्तियाँ सारा नाटक अपने स्वार्थी केन्द्र के चारों ओर ही रचती हैं। यह भेद खुल जाने पर पुजारियों को ज्यों ही शंका होने लगती है उन्हें निर्ममता के साथ समाप्त कर दिया जाता है और दूसरे पुजारी उनका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार आगे चलकर ये अभिजन अपने आतंक के अनेकों हथकण्डों द्वारा अपने प्रशंसकों और समर्थकों की जमाता बदलते रहते हैं और आलोचकों का सफाया करते रहते हैं।

प्रजातन्त्र 'जनता का, जनता के लिये' शासन तो हो सकता है लेकिन वह 'जनता द्वारा' किया गया शासन कभी नहीं रहा है और न

कभी हो सकता क्योंकि जनता को कभी भी शासन योग्य नहीं माना जाता। जनता द्वारा शासन प्रजातन्त्र की एक अस्वाभाविक व असत्य व्याख्या है। प्रजातन्त्र में जो प्रतिनिधि शासन सत्ता सम्भालते हैं वे वास्तव में सभी जगह अभिजन होते हैं। अभिजन वर्ग की प्रधानता को स्वीकार करके ही लोकतन्त्र जीवित रह सकता है क्योंकि इनमें सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक प्रतिभा और कार्य-कुशलता मानी जाती है। किसी भी समाज में कई अभिजन वर्ग होते हैं, जो आपस के विरोध और प्रतिस्पर्धा को बनाये रखकर सत्ता की शक्तियों को नियन्त्रित करके उसके सन्तुलन को बनाये रखते हैं। अवसर की समानता और खुली प्रतियोगिता प्रजातन्त्र का प्रमुख गुण है जो अभिजन वर्ग पूरा करते हैं। समाजवाद में वर्ग विहीन समाज की रचना की कल्पना निर्मूल व गलत है। कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं हो सकता और कोई न कोई वर्ग या समूह समाज का नेतृत्व करता है।

अभिजनों में नौकरशाह, प्रबन्धक, बुद्धजीवी और जमींदार लोग होते हैं लेकिन इनका एकीकृत वर्ग या निश्चित समुदाय नहीं होता। इनके बीच सत्ता में प्रभाव जमाने के लिये होड़ चलती रहती है पर यह होड़ किसी संगठन का रूप धारण नहीं करती इससे लोकतन्त्र में सन्तुलन पैदा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वे अपने-अपने स्वार्थों के लिये दौड़ते रहते हैं और स्वार्थों की टकराहट से सामाजिक सन्तुलन के बजाय संघर्ष और शोषण की प्रक्रिया को ही बढ़ावा मिलता है।

राजनीतिक सन्तुलन का कार्य राजनीतिक दल करते हैं जिसमें प्रत्येक अल्पमत बहुमत बनने का प्रयास करता है और बहुमत अपनी पकड़ मजबूत करने के लिये अल्पमत से हमेशा होड़ करता है। साथ ही वे राजनेता अभिजन वर्ग के उदय पर स्वयं रोक लगाते रहते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में जहाँ विरोधी दल होते ही नहीं, चोटी पर के राजनेता ही अभिजन अवश्य बन सकते हैं। प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था में अभिजन वर्ग शासन नहीं करता बल्कि जनता के प्रतिनिधियों का बहुमत शासन करता है और चाहे जनता भले ही सीधे शासन न करती हो पर उसका बहुमत इन राजनेताओं पर अपना अंकुश तो लगा ही सकता है।

अभिजन का अस्तित्व हमेशा से रहा है और हर प्रकार की राज्य-व्यवस्थाओं में वह हावी रहा है। लोकतन्त्रात्मक प्रणाली में कहीं वह 'काकस' के रूप में होता है, कहीं सामन्तीय प्रभाव के रूप में तो कहीं सैनिक तानाशाही के रूप में। कोई इन्हे प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली में इस अर्थ में सहायक मानते हैं कि उनका नेतृत्व एक वास्तविकता है चाहे सिद्धान्त भले ही अवांछनीय हो, कोई इन्हें प्रजातन्त्र और समाजवाद का अभिशाप मानते हैं क्योंकि यह स्वतन्त्रता और समानता के नागरिक अधिकारों के लिये एक जोर का तमाचा है। कुछ ने इसीलिये इसे 'डार्विनवाद' या 'नीत्सेवाद' की संज्ञा दी है।

वास्तविकता चाहे जो भी हो, प्रजातन्त्र या राज्य के किसी भी शासनतन्त्र में नेतृत्व की आवश्यकता हमेशा से रही है। पहले यह नेतृत्व उत्तराधिकार से प्राप्त होता था, बाद में कुलीनता के वंशानुगत गुणों से और अब बुद्धि और शक्ति दोनों के संयुक्त प्रभाव से। यदि प्रजातन्त्र में इसका अध्ययन 'यह कैसा होना चाहिए' के रूप में किया जाता है तो यह प्रभावशाली वर्ग अलोकतान्त्रिक है क्योंकि वह किसी सही चुनाव से नेतृत्व में नहीं आता बल्कि अपनी कार्य-कुशलता, चालाकी और अवसर का लाभ उठा लेने की प्रतिभा से शक्ति पर हावी हो जाता है और अपने इन सारे साधनों को लोकतान्त्रिक जामा पहना देने में सिद्धरत होता है। यदि प्रजातन्त्र का अध्ययन 'वह कैसा है' की दृष्टि से किया जाए तो यह वर्ग राजनीतिक यथार्थता है। जिसे इन्कार नहीं किया जा सकता। निर्वाचनों, मत-संग्रहों, नियमों, संवैधानिक प्रक्रियाओं और संसदात्मक जलसों के नाटक चलते रहते हैं लेकिन जनता वास्तविक सत्ता से आज भी उतनी ही दूर है जितनी पहले कभी थी। ये अभिजन अपनी निरंकुशता और अत्याचारी कृत्यों को जनता की भावात्मक कमजोरी का लाभ उठाकर दूसरे ही दिन फूल मालाओं से ढकवा लेने में सफल हो जाते हैं और अपनी राजनीति के बल पर अपराधों से मुक्त होने के लिये न्यायालय और कानूनों की ही रचना करते रहते हैं। न्यायिक कार्य प्रणालियाँ चलती रहती हैं, मुकदमे सुने जाते हैं, कमीशन भी बैठते हैं और हजार पृष्ठों के निर्णय भी लिये जाते हैं।

अभिजनवाद लोकमतवाद का प्रतिवाद है। लोकमत जनता की आवाज है और जनता की आवाज सार्वजनिक कल्याण के लिए एक पुकार है जबकि राजनीतिक अभिजन प्रणाली लोकमत की उपेक्षा का एक संगठित प्रयास है जो लोकतन्त्र और लोकमत के नाम पर ही आज जीता है। वह न लोक है और न लोकमत फिर भी उसे इनका नेतृत्व प्राप्त होता है। जर्मनी नेता हिटलर ने 'फोल्क' शब्द का प्रयोग लोक व जातीयता, रक्त की एकता और मिट्टी की पवित्रता के अर्थ में किया और देखते-देखते वह सर्वमान्य नेता ही नहीं बन गया स्वयं जर्मन राष्ट्र बन गया। यही मुसोलिनी ने फासिस्टवादी प्रणाली में किया जिसके पीछे जनता, चर्च, उद्योगपति और प्रबुद्ध वर्ग सभी दौड़ते थे। यदि इन अभिजनों में लोकमत को रिझाने की जुदाई शक्ति न होती तो क्या सारा राष्ट्र इनके अत्याचारों और नर-संहार के कुकृत्यों पर सम्मोहित होता रहता? फिर भी इस सम्मोहन को क्या सही लोक इच्छा माना जाएगा? यदि नहीं तो क्या अभिजनवाद को लोकतन्त्र से हटाने का कोई उपाय ढूँढ़ा जा सकता है और क्या उसे हटा पाना उचित होगा? यथार्थ दृष्टिकोण से इन प्रश्नों का उत्तर है— लोकतान्त्रिक व्यवस्था न अत्यधिक समानता वाली समाज व्यवस्था है और न अत्यधिक असमानता वाली। यह दाने के बीच की अवस्था है जिसमें अभिजनों के लिये एक सीमा तक कार्य है अत्यधिक समानता प्रजातन्त्र को समाप्त कर देती और अत्यधिक असमानता उसे नष्ट कर देती है।

प्रजातन्त्र में नेतृत्व का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। अनेकों राजनीतिक दल होते हैं। इन दलों के माध्यम से या स्वतन्त्र रूप से भी चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में खड़े हो सकते हैं प्रत्याशी बनने के लिये जो आवश्यक बातें रखी गई हैं, केवल वे शर्तें पूरी करनी होती हैं। किसी भी उपाय से कोई भी उम्मीदवार, उसकी जाति, वर्ग या धर्म आदि कोई भी हो, यदि बहुमत में आ जाता है तो वह प्रजातन्त्र में शीर्ष स्थान पर पहुँच सकता है। दूसरे शब्दों में प्रजातन्त्र में नेतृत्व वंश परम्परा के रूप में आवश्यक नहीं है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति एवं पद प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध रहते हैं।

प्रजातन्त्र में नेता वही बनता है जो चुनावों में विजयी होता है। नेता नाम पर नागरिक समाज शासक नहीं बल्कि जनता का सेवक बनता है। उसे समाज की प्रगति के लिये कार्य करना होता है। उसे सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक कार्य करना होता है। जनसामान्य

की समस्याओं को दूर करने के लिये उस सरकार से अपील करनी होती है। संघर्ष करना पड़ता है और अपने कार्यों से यह सिद्ध करना होता है कि वह बिना किसी भेद-भाव के सम्पूर्ण समाज की प्रगति के लिये कार्य कर रहा है। उसे स्वयं को जनता का सेवक सिद्ध करना होता है। इसी कारण उसे नेता माना जाता है।

हमारे नेताओं द्वारा नित्य उपदेशात्मक बड़े-बड़े व्याख्यान दिये जाते हैं, परन्तु उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वक्ता की वाणी के पीछे नैतिकता बल नहीं होता। कथनी और करनी के मध्य सामंजस्य का अभाव संकल्प शक्ति को दुर्बल बना देता है, परिणामतः व्यक्ति के नैतिक बल एवं आत्मविश्वास का क्षरण होता है और वह केवल वाक्सूर बनकर रह जाता है। ऐसे व्यक्ति सेमर के फूल की भाँति आकर्षक तो हो सकते हैं, परन्तु वे सर्वथा सारहीन होते हैं। वे समाज के लिये निरर्थक होते हैं।

नायक, सत्ता और शराहत

(धन आधारित निर्वाचन जन-साधारण को नेतृत्व से वंचित करते हैं)

‘अभिजन साधारण लोगों के मनोभावों और संवेगों को सहलाते हैं और सभाओं में जाकर भ्रान्त तर्क देकर बताते हैं कि स्वर्ग को धरती पर ले आयेँगे। अवशिष्टों और भ्रान्त तर्कों पर आधारित ऐसी राजनीति पूरी तरह से संस्कृति की अवहेलना करती है। विचारणी दृष्टि से राजनीति में संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है।’

सामाजिक व्यवस्था में नेतृत्व के लिए चुनाव आवश्यक है। चुनाव के माध्यम से सर्वसमाज के योग्य एवं शिष्ट व्यक्तियों को चयन का अवसर प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जन नेतृत्व पर आधारित होती है। लोकतन्त्र की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप देश, राज्य, जिला, ब्लाक, ग्राम एवं नगर के प्रमुख पदों हेतु पंचवर्षीय चुनाव सम्पन्न होते हैं। इन चुनावों के माध्यम से व्यवस्था संचालन हेतु विभिन्न स्तरों की कार्य पालिकाओं के सदस्य एवं अध्यक्ष चुने जाते हैं। जिनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इनके प्रत्येक कार्य और व्यवहार के लिए प्रक्रिया संहिता निर्धारित होती है। इनका विपथगमन दण्डनीय होता है।

जब सत्ता का संचालन जनतान्त्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल हो जाता है और सत्ता गैंग या दलों के आपसी हितबद्ध लोगों के स्वार्थ की पूर्ति तक सीमित हो जाती है, तब चारों तरफ अन्धेरा, छल, कपट, भय, दहशत, लूट, डकैती, हिंसा का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। सर्वसमाज के लोग एक-दूसरे से सशंकित रहने लगते हैं। क्षण-प्रतिक्षण नवीन घटनाएँ घटित होने लगती हैं। लोगों के बीच छलियों का चमत्कारी विधान लागू हो जाता है, लोकतन्त्र के हत्यारे व लुटेरे समाज के भाग्य-विधाता बन जाते हैं। सामान्य जनसमाज लुटेरों के जलसों का चरणामृत एवं रैली वादों की भीख प्रतीक्षा में जीवन यापन करने को मजबूर हो जाता है। जनता बेरोजगारी, दरिद्रता, मंहगाई और भ्रष्टाचार की मार से तडपती रहती है।

हम अपनी सामाजिक एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर विचार करने पर पाते हैं कि, हमारी स्थिति दिन-प्रतिदिन बद्-से-बदत्तर होती जा रही है। जिसके कारणों में हम स्वयं को दोषी मान मौन धारण कर लेते हैं। हमारा यह मौन सामाजिक जीवन को बुरी तरह समस्या ग्रसित कर रहा है। अतः हमें समस्याओं के कारणों के प्रति और निराकरण हेतु गम्भीरता से विचार करना होगा। अन्यथा हम अपने महापुरुषों की उपलब्धियों एवं समाज की भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखने में असफल रह जाएँगे।

नेतृत्व के लिए तरह-तरह का दिखावा करते हैं। कोई अपने को समाजसेवी कहता है, कोई पर्चा-बैनर छपवाता है, कोई रैलियों के मंच पर चढ़कर दहाड़ता है, कोई जनता के चरणों पर अपना सिर रखकर समर्थन की भीख माँगता है, कोई गरीबजनों के घर में घुसकर नमक-रोटी मांग कर खाता है और दरिद्र बच्चों को गोद में लेकर दुलारने लगता है। परन्तु ऐसा करने वाले लोग वास्तव में वास्तविक सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं रखने वाले लोग होते हैं और न ही अपने से अधिक किसी अन्य का आदर बर्दास्त कर सकते हैं। बल्कि जनसेवा की दुहाई देकर एवं अपनी नेम-प्लेट्स में जन-सेवक शब्द लिखकर एवं पार्टी झण्डा-बैनर लगाकर लगजरी गाड़ियों में बैठ पुलिस-अधिकारियों पर जबरदस्त दबाव बनाकर सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का धन हड़प बन्दर-बांट कर एवं तस्करी व्यापार संचालित करते हैं। इनकी वास्तविक आय के स्रोत अति दयनीय होने के बावजूद इनके पास अकूत धन-सम्पदा पाई जाती है। चुनाव काल में अपनी काली कमाई का कालाधन चुनाव में वोट खरीदने के लिए प्रयोग करते हैं। चुनाव एजेण्ट एवं जाति विशेष के लोगों को शराब, खाना, उपहार, धन बाँटते हैं, तरह-तरह के प्रलोभन, वादे एवं घोषणाएँ करते हैं। खूँखार डकैतों और गिरोहबंद माफियाओं को धन देकर विवादित लोगों के बीच संगीन घटनाओं को अन्जाम देकर, विवादित लोगों को फंसाते हैं। बिरादरी को भड़का कर एवं जलूस निकाल कर दबाव बनाते हैं और साम्प्रदायिकता की समस्या उत्पन्न करके आपसी भाईचारा समाप्त कर देते हैं। चुनाव में खाना पैकट, धन, दहशत के प्रभाव से तथा रिश्तेदार एवं भाड़े के अपराधियों को एकत्रित कर फर्जी मतदान कराते हैं।

चुनाव परिणाम के उपरान्त असफल प्रत्याशी अगले चुनाव तक क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं। चुनाव में सफल व्यक्ति राजधानी एवं नगरों में मकान खरीदते हैं और जब सरकारी योजनाओं का धन क्षेत्र को आवंटित होता है तो उस धन का बन्दर-बाँट करने, कागजी खानापूर्ति एवं अपने लोगों में भ्रामक प्रभाव बनाए रखने के उद्देश्य से यदा-कदा क्षेत्र में घूमा-फिरी करते हैं। इन प्रवासों में अपने विरोधियों को लड़वाने एवं लुटवाने का षड़यन्त्र रचते हैं तथा पुलिस दलाली कर जबरदस्त अवैध धन उगाही करते हैं। सदन कार्यवाही में दबाव बनाकर अपना मोल-भाव कर पद एवं सुख-सुविधाएँ प्राप्त करते हैं। व्यापारियों एवं पेशेवर अपराधियों को सुरक्षा गारण्टी का अश्वासन देकर उनसे मोटी रकम एवं सुविधाएँ वसूलते हैं। इनके धन, पद एवं दहशत के प्रभाव में कोई भी व्यक्ति यदि इनकी बात का विरोध सोचता है तो उसे गुर्गो एवं पुलिस से प्रताड़ित कराकर फर्जी केसों में फंसाकर जेल में डलवा देते हैं। इस तरह हमारे नायक अपराध-व्यापार जगत में डॉन के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। पुनः चुनाव आने पर यह अपना स्वयं का दल या किसी अन्य दल में प्रभाव बनाकर जबरदस्ती चुनाव जीतने का प्रयास करने लगते हैं। पुनः रैलियाँ करने लगते हैं और यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि लुटेरे वाले से लूटने वाला अति महान दानी एवं लुटेरा भाग्य विधाता होता है। इस तरह अपनी उपयोगिता बता पुनः सत्ता हथियाने का दुःचक्र रचते हैं। यदि विरोधी इन्हें पराजित करने में सफल होता है तो पुनः अपने को निवर्तमान मन्त्री/सांसद/विधायक/अध्यक्ष घोषित कर दल एवं प्रत्याशियों से समर्थन-विरोध का मोल-भाव कर धन, सुविधाएँ एवं पद पा लेते हैं और जनता के बीच तरह-तरह की अफवाहों का प्रचार-प्रसार कर जबरदस्त प्रभाव बनाते हैं। कुछ लोग तो अपने पद एवं सदस्यता का स्तीफा देने का ढोंग कर सत्ता पर

दबाव बनाकर मन्त्री पद तक हथिया लेते हैं। जनसमस्याओं एवं जनसेवा कार्यों से इनका दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। सरकारी विकास निधियाँ 40% धन लेकर गैर-क्षेत्रीय लोगों एवं व्यापारियों को बेची जाती हैं।

नेतृत्व पाने वाले लोगों के परिजनों की स्थिति एवं गतिविधियाँ समाज के लिए अत्यन्त घातक बन रहीं हैं। नेताओं के परिजन अपने को महानायक के रूप में प्रतिष्ठित करने में लगे रहते हैं। इनकी सरकारी सुख-सुविधाएँ विशिष्ट होती हैं। शिक्षा, परीक्षा, नौकरी एवं निजी-कार्य सरकारी अधिकारियों, पुलिसगार्ड एवं गुर्गों के जुम्में होते हैं। सैरकाल में सरकारी अधिकारी एवं सुरक्षाकर्मी इनके खिलाने एवं फुटवाल बनते हैं। सरकारी धन-सुविधाएँ होटल्स आहार-विहार के टिप्स पर व्यय होती हैं। पशु-पक्षियों व मानव का शिकार इनकी दिनचर्या में शामिल होते हैं। इनके मित्र-सहयोगी उच्चस्तरीय एवं सर्वगुण सम्पन्न धनी वर्ग विशेष के लोग व संगठित अपराधी बनते हैं। साधारण-जन व गरीबों से यह दूरी बनाए रखते हैं। शातिर व्यापारी एवं अपराधी अपने लाभ-बचाव के लिए नेताओं के परिजनों को मिष्ठान, फल, दावत, गिफ्ट, धन और नजराना देकर इनकी कृपा के पात्र बनते हैं।

नायक व नेतृत्व की गतिविधियों पर विचार करने पर यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है कि नेतृत्व कर रहे लोग अपने स्व:लाभ के लिए किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर सकते हैं। देश, व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्रीय धन-सम्पत्ति इनके जेब की वस्तु होती है। जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ प्रयोग या नष्ट कर सकते हैं। यह सदनों में मनमाने प्रस्ताव पारित कर देश और समाज की विकास योजनाओं का धन एवं सम्पत्ति स्वयं हथियाकर पीढ़ियों सहित अपना भविष्य सुरक्षित कर लेते हैं। राष्ट्र एवं देश का धन-सम्पदा का विक्रय, बंटवारा एवं अशांति हेतु विदेशी आतंकवादियों को आमन्त्रित किया जाता है। खूंखार अपराधियों एवं इनके सम्बन्धियों को सरकारी अधिकारी-मन्त्री बनाया जाता है। नंगे-भूखे निर्दोष जनों को कारावास में डलवाकर अमानवीय उत्पीड़न किया जाता है। डाकू-अपराधी मंचासीन होकर अलंकृत होते रहते हैं। जनहित एवं न्याय की बात कहने वालों का दमन किया जाता है।

हम अपने समाज के वर्तमान स्वरूप पर नजर डालें तो ज्ञात होता है कि, जब हमारे पास शक्ति या सम्पत्ति होती है तब समाज के राजनीतिज्ञ चालबाज हमें वसीभूत करने के लिए लुभावने शब्दों के ढोंग रचते हैं। हमें महिमामण्डित कर हमारा गुणगान करते हैं। प्रवचन करते हैं। पैरों पर अपना सिर रख एवं पैर पकड़ कर 'मत' की भीख मांगते हैं। लोक-लुभावने नाटक-लीलाएँ कर अपने पक्ष में मत देने हेतु प्रेरित करते हैं। शंका होने पर डाकू-गुर्गों से चोरी, लूट, डकैती, अपहरण एवं नरसंहार की घटनाओं को अन्जाम देने से नहीं चूकते हैं। जन-सेवा नाम पर अपने आपसी हितबद्ध पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता, पिता या स्वयं के नाम से एन.जी.ओ. बनाकर सरकारी धन-सम्पत्ति सहित असहायों की सम्पत्ति, भवन, भूमि, चरागाहों, स्कूलों, कालेजों पर जबरदस्त कब्जा कर लेते हैं।

हमारा भारतीय समाज मंहगाई, बेरोजगारी, गरीबी, दरिद्रता, भ्रष्टाचार एवं उपेक्षा की मार से बुरी तरह तबाह हो रहा है। हमारे नायक सरकारी धन-सम्पत्ति एवं सार्वजनिक साधनों का प्रयोग अपने निजी कार्यों में कर रहे हैं। ये वेतन, भत्ते एवं कमीशन लेकर स्व:लाभ कमाते हैं। देश, समाज, जन, क्षेत्र चरागाह के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। जहाँ तरह-तरह के शातिर जबरदस्त कब्जा कर इन्हें बेंच रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे भारतीय समाज की कायाकल्प तब तक सम्भव नहीं है जब तक हमारे योग्य, सभ्य, शिष्ट, कर्मठ, सच्चे जनसेवक पवित्र भाव से अवैतनिक देश और समाज सेवा में भागीदार नहीं होंगे। जिसके लिए आवश्यक है कि नायकों की चयन प्रक्रिया में हमारे सर्व जन-समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हों एवं चयन प्रक्रिया वर्ग, दल, जाति, धर्म, वाद, शुल्क, धन एवं दबाव मुक्त हो तथा संवैधानिक पदों पर पदासीन सत्ता-पद धारकों की पुनरावृत्ति प्रतिबन्धित होनी चाहिए।

शरारती प्रभुत्व और नेतृत्व

भारत के प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधनों के आधार पर व्यक्ति की आजीविका व रोजगार व्यवस्था पर विचार करने से पता चलता है कि प्राकृतिक रूप से भारतीयों हेतु आजीविका के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। जिनका उपभोग नेताओं, जमींदारों, पूँजीपतियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, अधिकारियों एवं उनके परिजनों तक सीमित रहने से जनसाधारण उपभोग से जबरदस्त वंचित है। शरारती प्रभुत्व भारतीय समाज में सर्वव्यापी समस्या है। दबंगई, दहशत, चोरी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, घात, प्रतिघात व विश्वासघात की विभीषिकाएँ व्यापक एवं संगठित शरारतियों की योजनाएँ सफल हो रही हैं। ऐसी स्थिति में संगठित अपराधी व आपराधों पर अंकुश लग पाना ठीक उसी प्रकार असम्भव है, जैसे किसी शिशु द्वारा अपनी छाया को पकड़ना या तालाब में प्रतिबिम्बित चाँद के माध्यम से चाँद को पकड़ना। ऐसा क्यों? उत्तर जानने के लिए अपराधी, अपराध व आपराधिक योजनाओं की अन्जाम प्रक्रिया को जानना होगा। अपराधी कौन और कहाँ रहता है? अपराधी की सुरक्षा कैसे होती है? आपराधिक योजनाओं को अंजाम कैसे दिया जाता है? अपराधियों को सहयोग-संरक्षण कौन देता है? अपराध में पुलिस, प्रशासन, शासन, अदालत, नेता की भूमिकाएँ कैसी होती हैं?

आवारा और अकर्मण्य धन-पद प्रतिष्ठित नेताओं के संपर्क में आकर रातों-रात प्रगति कर धन-कुबेर बन जाते हैं। इनकी बहुमूल्य पोशाकें, गहनें, वाहन एवं सुख-साधन तो देखते बनते हैं। पुलिस, प्रशासन, नेता, दलाल, ठेकेदार इनके गुणगान करते हुए आसपास मंडराने लगते हैं। बत्ती-सायरन युक्त वाहनों का जमघट इनकी शान बन जाते हैं। कानून एवं योजनाएँ इनके द्वारा संचालित होने लगती हैं। अर्थात् सरकारी योजनाओं पर इनका एकाधिकार हो जाता है। क्या मजाल जो इनकी बगैर मर्जी कोई कार्य कर सके। ऐसे लोगों के सम्बन्ध में शिकायत-कार्यवाही की स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त उदाहरण है—“एक सज्जन ने एक किशोर को मार्ग में ‘पेशाब’ करते देखा तो सज्जन ने उसके पिता से शिकायत करना सोचा। सज्जन किशोर के घर गए और देखा कि किशोर का पिता अपने चबूतरे पर तथा दादा छत की मुड़ेर पर खड़े होकर घूम-घूम ‘पेशाब’ कर रहे हैं।”

नेतृत्व का मुख्य आधार नेता की प्रतिष्ठा से होता है। नेता समूह के लिए आदर्श समझा जाता है। नेता पिता की तरह सभी अनुयायियों का ध्यान रखता है। इसके साथ ही अनुयायी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और नेता के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। नेतृत्व द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें नेता और अनुयायी दो विभिन्न अंग हैं। जिसमें न केवल नेता अनुयायियों को प्रभावित करता है बल्कि वह अनुयायियों से भी प्रभावित होता है। अर्थात् नेतृत्व का तात्पर्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित या निर्देशित करने वाली योग्यता से है जो व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है न कि पद पर आधारित होती है।

स्वतन्त्रतत्त्व अंग्रेजी भाषा का भारतीय संविधान जनता की समझ से परे है। इसकी मनमानी व्याख्या कर नेता, व्यापारी अधिकारी और उनके परिजन आपसी हितबद्ध सांसद, विधायक, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, अध्यक्ष, सचिव, निदेशक आयुक्त, मेयर, चेयरमैन, कुलपति, कुलाधिपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सलाहकार आदि पदों पर आसीन हो रहे हैं। यह परिजनों सहित फर्जी निवास-वोट से संवैधानिक पद बारम्बार हथिया रहे हैं। यह न तो सम्बन्धित क्षेत्र के निवासी हैं और न ही क्षेत्र-सदन में जाकर पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसके बावजूद वेतन-पेंशन सहित सरकारी सुविधाएँ हड़पते हैं। पदासीनता एवं सरकारी कोषों से वेतन-पेंशन लेने के बावजूद राजनेता राजनैतिकदलों के प्रचार करने तक सीमित रहते हैं। अवैध व्यापारों में संलिप्त बहुभेपीय शरारती स्वयं को राष्ट्राध्यक्ष-जनसेवक घोषित कर पाखण्डी प्रदर्शनों से संवैधानिक पदों एवं राष्ट्रीय धन-सम्पत्ति को हड़पकर देश-समाज को बुरी तरह क्षति पहुँचा रहे हैं। जिसका पर्दाफाश होने पर शरारती भाषणबाजी करके अपने कुकृत्यों को वैध ठहराते हैं। यह सत्ता भोगने के उद्देश्य से जनता को धोखा देकर अपना प्रभुत्व जमाने में सक्रिय हैं।

आज लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत जनसाधारण हेतु बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाएँ एवं साधन स्वार्थी, विध्वंशक, नाशक, धनी, ठगों एवं संगठित शरारतियों की सुख-सुविधाओं और आय के साधन बन गए हैं। इस सम्बन्ध में निरीक्षण तथ्य यह बताते हैं कि दरिद्रों, असहायों, निरीह, पीड़ितों, दुखियों, वृद्धों, रोगियों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और यदि कोई ऐसे लोगों की मदद करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं।

नेतृत्व पाने वाले लोगों के परिजनों एवं सगे-सम्बन्धियों की गतिविधियाँ व्यक्ति-समाज के लिए अत्यन्त घातक हो रही हैं। नेताओं के परिजन अपने को महानायक के रूप में प्रतिष्ठित करने में लगे रहते हैं। इनकी सरकारी सुख-सुविधाएँ विशिष्ट हैं। शिक्षा-परीक्षा कार्य सरकारी अधिकारियों, पुलिस व गुर्गों के जुम्मे होते हैं। सैरकाल में अधिकारी और सुरक्षाकर्मी इनके खिलौने एवं फुटबाल बनते हैं। सरकारी धन-सुविधाएँ होटल्स एवं आहार-विहार के टिप्स तथा मौज-मस्ती पर व्यय होती हैं। पशु-पक्षियों एवं मानव का शिकार इनकी दिनचर्या में शामिल रहता है। इनके सहयोगी उच्च स्तरीय एवं सर्वगुण सम्पन्न कुख्यात धनी वर्ग विशेष के होते हैं। यह साधारण एवं दरिद्र जनता से सदैव दूरी बनाए रखते हैं। व्यापारी एवं शांतिर अपराधी अपने लाभ-सुरक्षा हेतु नेताओं के परिजनों को मिष्ठान, फल, दावत, गिफ्ट, धन, नजराना, भेंट और कमीशन देकर इनकी कृपा के पात्र बनते हैं।

आज लोकतान्त्रिक सभी पदों पर राजनीतिक हस्ताक्षेप चरम पर है। सभी संवर्ग पदों पर आसीन अधिकांश व्यक्ति या तो उच्च पदस्थों और उनके परिजनों की आवभगत में जुटे हुए हैं या फिर अपने पद पर निष्क्रिय बने हुए हैं। उच्च से निम्न सदनों की पदासीनता हेतु प्रत्याशिता, नौकरी, संवैधानिक पदों पर चयन-मनोनयन में जनता की उपेक्षा एवं रहीस, नेता, व्यापारी और उनके परिजनों को मन्त्री, राज्यपाल, कुलपति, निदेशक आदि का ‘पद-प्रसाद’ जारी है। भले ही वह अपराधी, अति वृद्ध-जर्जर, अयोग्य अमानक हो।

केन्द्र-राज्य-जिला-ग्राम सदन कार्यकारिणी पदों पर अधिकांश अति रहीस पति पत्नी, पुत्र-पुत्री, भाई-बहिन एवं माँ-बेटे परिजनों सहित बारम्बार पदासीन हो रहे हैं। बड़े व्यापार एवं मकान स्वामी होने के बावजूद सरकारी आवास, वेतन-भत्ते, पेन्शन सरकारी कोषों से प्राप्त कर रहे हैं। यह व्यापारियों, दलालों व अधिकारियों से भोजन, नाश्ता, पेट्रोल, भेंट, उपहार लेने के बावजूद भोजन, नाश्ता, यात्रा बिलों का भुगतान सरकारी कोषागारों से ले रहे हैं। यह दरिद्रों असहायों एवं सरकारी-सार्वजनिक भूमि-भवनों पर जबरदस्त कब्जा कर रहे हैं। इनके द्वारा सरकारी विकास निधियों का धन फर्जी बाउचर्स से हड़पा जा रहा है। दरिद्रों के कल्याण उद्देश्य से निर्मित विकास योजनाओं का धन-सम्पत्ति व्यापारियों को बेच कर स्वलाभ कमाया जा रहा है। बी.पी.एल., अन्त्योदय, दरिद्र-असहाय पेन्शन, आवास, राशन, गैस, विद्युत, मनरेगा, आरक्षण योजनाओं का लाभ दरिद्रों की जबरदस्त उपेक्षा कर एवं रहीसों को फर्जी दरिद्र बनाकर हड़पा जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में छात्र-शिक्षण हीनता एवं शिक्षक बाहुल्यता के बावजूद फर्जी छात्र-संख्या के आधार पर शिक्षक भर्ती एवं मिड-डे-मील तथा इण्टर एवं डिग्री कालेजों में बिना पढ़े-पढ़ाए नकल-परीक्षा एवं डिग्री वण्टन व्यापार हो रहा है। निम्न से उच्च सदनों के प्रस्ताव हंगामों एवं वेतन-भत्तों की वृद्धि तक सीमित हो रहे हैं। सरकारी कोषों से करोड़ों-अरबों रुपये व्यय कर आयोजित मंचों पर राजनैतिक लोगों का गुणगान होता है तथा रोजी-रोटी माँग रही जनता की समस्याओं पर राजनेता एवं अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते हैं।

सरकारी-सार्वजनिक विभागों-संस्थानों सहित आयोगों, निदेशालयों, विश्वविद्यालयों, रजिस्ट्रार, तहसीलों आदि कार्यालयों में प्रत्येक स्तर के अधिकारी-कर्मचारी जनता के हितों की उपेक्षा कर अवैध वसूली में जुटे हुए हैं। रेकेट्स के संगठित अपराधी कार्य को सम्पन्न कराने के लिए अवैध वसूली कर रहे हैं। रेकेट्स अपराधियों के भय, दहशत, कमीशन, अवैध-वसूली और अराजकता सभी सरकारी-सार्वजनिक विभागों-संस्थानों में विद्यमान हैं। इनमें जन शोषण, उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार चरम पर है। रिश्वत के शिकार दरिद्र जनता-बेरोजगार हो रहे हैं। आवेदन, चयन, नियुक्ति, ट्रान्सफर, शिकायत निस्तारण, आडिट, अवकाश, कमीशन, प्रपत्र, आदेश, सुविधा शुल्क के रिश्वत-रेट बन्धे हुए हैं। जिनके अग्रिम भुगतान किए बिना कोई भी आदेश प्रपत्र मिलना सम्भव नहीं हो सकती है। सरकारी नियम एवं कानून, उ.प्र. कर्मचारी आचरण संहिता, संहिताओं एवं न्यायिक आदेशों की जबरदस्त उपेक्षा कर, अवैध वसूली, सरकारी योजनाओं के धन-सम्पत्तियों का दुरुपयोग जारी है। जिसके कारण साधारण जन-जीवन दिनों-दिन बड़-से-बड़तर हो रहा है एवं सामान्यजन पदासीनता से जबरदस्त वंचित है।

अधिकांश अपराधी राजनेताओं के बंगलों, राज-अधितिग्रहों में राजकीय सम्मान प्राप्त कर ऐशोआराम का जीवन व्यतीत करते हैं और वहीं पर घटनाओं को अन्जाम देने के लिए योजनाएँ बनाते हैं। लूट, डकैती, हत्या की घटनाओं को अन्जाम देते हैं। घटना उपरान्त जिला-प्रशासन एवं पुलिस के साथ घटना स्थल पर जाकर नाटक कर पक्षकारों पर दबाव बनाते हैं। जिस कारण लोग इनके विरुद्ध बोलने-गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते व इनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। हिरासत में लिए जाने वाले अधिकारुश आरोपी दरिद्र होते हैं। जो पैरवी और जमानत राशि के अभाव में कैद कर जेल में डाल दिए जाते हैं। अधिकांश हवालातें दरबानों की भाँति बनी हैं। इनमें आरोपी को पशुबाड़े की तरह बन्द कर मलमूत्र-गन्दगी और जहरीले मच्छरों का शिकार बनाया जाता है। हवालाती आरोपियों को सिपाही-दरोगा गरियाते, धमाकाते, मारते हुए कबूल पत्रों और कोरे कागजों पर अंगूठा-हस्ताक्षर करा कर मनमानी धारा में चालान बनाते हैं और पशुओं की भाँति बाँधकर अदालत ले जाकर हवालात में बन्द कर देते हैं। सुनवाई की उपेक्षा या पैरवी-जमानत अभाव में आरोपी जेल भेज दिया जाता है। जेलों में आरोपी-हवालाती और सजायपता दो प्रकार के कैदी बन्द हैं। बैरिकों में निर्धारित क्षमता से कई गुना कैदियों को रात्रि में पशु-बाड़ों की भाँति बन्द किया जाता है। जहाँ भूमि पर लेटने के लिए पर्याप्त स्थान न मिल पाने के कारण कैदियों में रात्रिभर मारपीट होती है। सीवर नालियों की बदबू और मच्छरों के हमलों के बीच कैदी गन्दा-फटा कम्बल बिछा-ओढ़ कर रात्रि व्यतीत करते हैं। शौच एवं स्नान हेतु जल, साबुन, मन्जन, कंघा, तेल, नेकर, बनियान, तौलिया, कुर्ता, पैजामा आदि जरूरी वस्तुएँ न मिलने से कैदी अति गम्भीर रोगों के शिकार हो रहे हैं। कैदी को प्रातः 9 बजे का नाश्ता एवं अपराह्न 1 बजे एवं 5 बजे के भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा पर्याप्त न दिए जाने से कैदी आए दिन दम तोड़ रहे हैं। दबंग कैदी अवैध वसूली कर जेल की रोटियाँ जलाकर अपना भोजन बनाते हैं।

अपराध जगत में सक्रिय पेशेवर अपराधी उच्चस्तरीय साँटगाँठ वाले संगठित अति दबंग हैं। जो मनमाने ढंग से संगीन घटनाओं को अंजाम देने के बावजूद बाल-बाल बच जाते हैं। इनके भय एवं दहशत के कारण कोई भी इनके विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। लूट, डकैती, हत्याएँ व मादक पदार्थों के तस्कर अपराध जगत के दुर्दांत खलीफा समाज के भाग्य-विधाता के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। नेता, अधिकारी, पुलिस पीढ़ित जनता के स्थान पर संगठित अपराधियों की शैडो के रूप में दिखती है। जिसके कारण व्यक्ति और समाज की स्थिति अति दयनीय और चिन्तनीय हो रही है।

नायक एवं नेतृत्व की गतिविधियों पर विचारोपरान्त कहा जा सकता है कि नेतृत्व कर रहे लोग अपने स्वलाभ के लिए किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय धन-संपत्ति इनके जेब की वस्तु होती है। जब चाहें, जहाँ चाहें, वहाँ प्रयोग या नष्ट कर सकते हैं। देश-विकास की धन-सम्पत्ति मनमाने प्रस्ताव से हथिया कर पीढ़ियों सहित भविष्य सुरक्षित कर लेते हैं। राष्ट्रीय सम्पदा का विक्रय-बंटवारा एवं अशांति हेतु विदेशी आतंकवादियों को आमंत्रित करते हैं। खूँखार परिजनों एवं सगे सम्बंधियों को दूत-मंत्री बनवाते हैं। नंगे-भूखे निर्दोष जनों को कारागार में डलवाकर अमानवीय उत्पीड़न करते हैं। डाकू, लुटेरों भ्रष्टाचारियों को बगल-सीट पर बिठाकर अलंकृत करते हैं। जनहित व न्याय की बात कहने वालों का दमन करा देते हैं।

व्यक्तियों की आय एवं व्यय पर विचारोपरान्त कहा जा सकता है कि अधिकांश व्यक्ति कठिन परिश्रम करके भी अपने प्रतिपाल्यों को दो जून की रोटी जुटा पाने में असमर्थ रहते हैं। जबकि सरकारी, सार्वजनिक एवं लोकतान्त्रिक पदों पर आसीन व्यक्ति निर्धारित वेतन से कई गुना अधिक फिजूल व्यय करके भी अकूत धन-सम्पत्ति संचित करने में सफल हैं। अतः हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहीसों एवं वी. आई.पी. के लिए व्यापारिक तथा देश, समाज, व्यक्ति के लिए बोझ सिद्ध हो रही है। **सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय** एवं **बहुजन हिताय**

बहुजन सुखाय के उद्देश्य विफल होकर रही-स-वी.आई.पी. सुखाय मात्र तक सीमित हो रहे हैं। अतः मैंने शरारती प्रभुत्व और नेतृत्व पर विवेचन जरूरी समझा। जनपद फर्रुखाबाद की चुनी गई 1000 इकाइयों की प्रतिदर्श सूची में ग्रामीणों की संख्या 700 एवं नगरीय लोगों की संख्या 300 तथा पुरुषों की संख्या 362 एवं स्त्रियों की संख्या 638 है। सम्पर्क के आधार 317 ग्रामसभाओं व 117 वार्डस में जाकर चुन गए लोगों से बातचीत कर अनुसूची संकलित की गई है।

दरिद्रता निवारण सम्बन्धी कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्राप्त करने के स्रोतों की उपयोगिता की जानकारी की गयी है। अनुसूची में प्रश्न **‘दरिद्रता निवारण सम्बन्धी कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ अनेक स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से जो नहीं हो उसे बताइए’** के स्रोत 3 भागों में विभाजित है। **प्रथम भाग**—स्थानीय स्रोत 4 उपभागों— पारिवारिक सदस्य, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, **द्वितीय भाग**—अधिकारिक स्रोत 13 उपभागों: सचिव— निदेशक/कमिशनर, डी.एम./सी.डी.ओ./डी.डी.ओ., एस.डी.एम./तहसीलदार/डी.डी.ओ., ए.डी.ओ./बी.डी.ओ./लेखपाल, समाज कल्याण अधिकारी, सी.एम.ओ./स्वास्थ्य अधिकारी, ए.एन.एम./आशा/चिकित्सक, जिला/ब्लाक/ग्राम पंचायत अध्यक्ष, नगर/टाउन/ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम/टाउन/नगर की खुली बैठक, सांसद/विधायक/मन्त्री/सलाहकार, सामाजिक कार्यकर्ता/स्वैच्छिक संगठन, शिक्षक/प्रेरक/आंगनबाड़ी, अन्य में तथा **अन्तिम भाग**—संचार माध्यम स्रोत 5 उपभागों— समाचार—पत्र, पत्रिका, रेडियो, पोस्टर, पम्पलेट में विभाजित है। प्रत्येक साक्षात्कारदाता अपनी दरिद्रता निवारण सम्बन्धी सरकारी योजनाओं की जानकारी के स्रोतों को 3 प्रकार से बताया है। क्या उसकी जानकारी के स्रोत पर्याप्त हैं? क्या उसकी जानकारी के स्रोत कम हैं? क्या उसकी जानकारी के स्रोतों का अभाव है? प्रश्न के प्रत्येक उपभाग के उत्तर के लिए अधिकतम 2 अंक (उत्तर नहीं के लिए 0 अंक, कम के लिए 1 अंक, पर्याप्त के लिए 2 अंक) और पूरे प्रश्न के लिए अधिकतम 28 अंक हैं। दरिद्रताग्रस्त 1000 उत्तरदाताओं से दरिद्रता निवारण सम्बन्धी कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्राप्त करने के उक्त स्रोतों के नहीं होने के सम्बन्ध में पूँछा गया तो सभी उत्तरदाताओं ने पारिवारिक सदस्य, पड़ोसी, मित्र, सचिव—निदेशक, कमिशनर, डीएम, सीडीओ, डीडीओ, एसडीएम, बी.डी.ओ., लेखपाल, समाज कल्याण अधिकारी, सी.एम.ओ., स्वास्थ्य अधिकारी, ए.एन.एम., आशा, चिकित्सक, जिला—ब्लाक—ग्राम पंचायत अध्यक्ष, नगर—टाउन—ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम—टाउन—नगर की खुली बैठक, सांसद, विधायक, मन्त्री, सलाहकार, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वैच्छिक संगठन, आंगनबाड़ी, शिक्षक, प्रेरक तथा समाचारपत्र, रेडियो, पोस्टर, पम्पलेट सभी स्रोतों के न होने के प्रत्येक ने उत्तर के लिए ‘पर्याप्त’ बताया है। जिसके लिए 1000 उत्तरदाता को प्रत्येक उपभाग में प्रत्येक उत्तर पर्याप्त के लिए 2 अंक दिए गए हैं। इस प्रकार उत्तरदाताओं के प्राप्तांकों का योग **भाग—अ के उपभाग—1 से 4 तक 18000, भाग—2 के उपभाग—1 से 13 में 26000, तथा भाग—स के उपभाग—1 से 5 में 10000**, जिनका कुल योग 46000 और औसत 46 है तथा 1000 साक्षात्कारदाताओं के लिए अधिकतम अंक योग 46000 और औसत 46 है। अधिकतम अंकों का योग एवं प्राप्तांकों का योग तथा औसत अंकों में अन्तर क्रमशः 0, 0 है।

निष्कर्ष: दरिद्रता उन्मूलन सम्बन्धी दरिद्र कल्याणकारी सरकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी दरिद्रों तक पहुँचाने वाले उक्त सभी स्रोत न ही दरिद्रों के लिए मददगार हैं और न ही दरिद्रता उन्मूलन हेतु अपने दायित्वों का उचित निर्वहन करते हैं। अतः दरिद्रता उन्मूलन के उक्त स्रोत व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं।

अवलोकन सहित साक्षात्कार—अनुसूची से प्राप्त तथ्य

प्रश्न	सम्बन्धित पद	पदासीनों की क्षेत्र— जनों में उपलब्धता			पदासीनों की क्षेत्र— जनों में उपयोगिता			पदासीन जनसंपर्क	पदासीनों की भावनात्मक एवं कार्यात्मक भूमिकाएँ
संख्या	अनुसूची—प्रश्न	पर्याप्त	कम	नहीं	पर्याप्त	कम	नहीं	हाँ नहीं	स्वा.धनि.जाति,परिभ्रष्ट जन
अ—1	परिवारिक सदस्य			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं
अ—2	पड़ोसी			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं
अ—3	मित्र			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं
अ—4	रिश्तेदार			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं
ब—1	सचिव,निदेशक,आयुक्त			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं
ब—2	डीएम,सीडीओ,डीडीओ			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं
ब—3	एडीओ,बीडीओ,लेखपाल			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं
ब—4	समाजकल्याणअधिकारी			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं
ब—5	सी.एम.ओ.,स्वा.अधिकारी			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं
ब—6	एएनएम., आशा,चिकि.			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं
ब—7	जि/क्षे/ग्रा.पचां.अध्यक्ष			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं
ब—8	न./टा./ग्रा.पचां.सचिव			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं
ब—9	ग्राम/नगरखुली बैठकें			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं
ब—10	सांसद,विधा.मन्त्री सला.			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं
ब—11	सा.कार्य,स्वैच्छिक संगठ			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं
ब—12	शिक्षक,प्रेरक,आंगनबाड़ी			1000			1000	1000	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं

ब-13	अन्य			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
स-1	समाचार-पत्र			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
स-2	पत्रिका			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
स-3	रेडियो			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
स-4	पोस्टर			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
स-5	पम्पलेट			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं

दरिद्रों एवं उनके आश्रित जीवन की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं के अभाव में जीवन-यापन कर रहे हैं। ये दरिद्र और उनके आश्रित रोटी के लिए रोज अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। यह कूड़े-कचरे के ढेरों में कबाड़ बीनते हैं, तालाब-गड्डों से मेड़क-मछली ढूँढ़ते हैं, खेत-वन में पक्षी-खरगोश पकड़ते हैं, बिलों में सांप निकालते हैं, कोल्ड में सड़े आलू बीनते हैं, भीख माँगते हैं और रूखी-सूखी रोटी से अपना तथा आश्रितों के पेट की भूख की आग मिटाते हैं। इनके आवास गन्दगी के ढेरों, गन्दे नालों, तालाबों, गन्दगी क्षेत्र में कीड़े-मकोड़ों के बीच टूटी-फूटी झोपड़ियों में हैं जहाँ जहरीले कीड़े-मकोड़ों का प्रकोप है। कुत्ते, बिल्ली, बकरी, बन्दर, नांग, बिच्छू, गधे, खच्चर आदि परिवार के सदस्य के रूप इनके साथ रह कर इनकी आजीविका एवं सुरक्षा में साथ निभाते हैं। यह दरिद्र और उनके आश्रित शिक्षा व रोजगार सहित दरिद्र कल्याण योजनाओं एवं आरक्षण लाभ से जबरदस्त वंचित हैं। इनको मिलने वाले भूमि-पट्टे, आवास, राशन, नौकरी, सब्सिडी, लोन, आरक्षण सभी कुछ सक्षम व कर्मचारी हड़प रहे हैं। दबंग इन पर अपराधी का ठप्पा लगाकर इनसे बेगार कराते एवं स्त्रियों से शराब बिकवाते हैं तथा मादक द्रव्य, शराब आदि फर्जी केसों फंसाकर जेल में डलवा देते हैं। नौकरी में आरक्षण होने के बावजूद एस.टी. वर्ग के व्यक्तियों की बेरोजगारी देश-समाज के लिए बड़ी चुनौती है।

दरिद्र व्यक्ति जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं, वे हैं—(i) भर पेट भोजन का अभाव, **(ii)** मौसम अनुकूल वस्त्रों का अभाव, **(iii)** रहने के लिए आवास का अभाव, **(iv)** सामान्य स्वास्थ्य का अभाव, **(v)** निरक्षरता, **(vi)** बेरोजगारी, **(vii)** ऋण ग्रस्तता, **(viii)** बन्धुआ मजदूरी, **(ix)** बालश्रम, **(x)** भिक्षावृत्ति, **(xi)** वैश्यावृत्ति, **(xii)** बालविवाह, **(xiii)** पूँजीवाद, **(xiv)** जातिवाद, **(xv)** अस्पृश्यता, **(xvi)** मध्यपान, **(xvii)** नशा, **(xviii)** अन्याय, **(xix)** भ्रष्टाचार, **(xx)** प्राकृतिक आपदा।

समाज धार्मिक पाखण्डों के मकड़जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। देव-स्थलों पर रखे पत्थर मानव के लिए पूजनीय हैं। धार्मिक प्रवचनों से वशीभूत मानव कुर्बान होते हैं। जेहाद नाम पर नरसंहार होता है। कर्मकाण्डों में जीव बलि दी जाती है। पाखण्डी स्वयंभू ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होकर भोग विलास में लिप्त हैं। देवस्थल तस्करी एवं आतंकवादियों के अड्डे बने हुए हैं। यहाँ से अफवाहें फैला कर व्यक्ति-समाज को भय, दहशत, अराजकता, अन्धानुकृत वातावरण में रहने को मजबूर किया जाता है।

राजनेताओं का प्रयास सत्ता एवं शक्ति पर किसी भी प्रकार अधिकार प्राप्त करना और तब तक उसके साथ चिपके रहने से होता है जब तक चुनाव के द्वारा उन्हें उखाड़ न फेंका जाए। उनका यह भी प्रयास होता है कि सत्ता पर उनके ही परिवार का व्यक्ति स्थापित हो जाए। हर बात जनता की दुहाई देकर लोगों के भावात्मक आवेश को ये प्रतिनिधि अपने पक्ष में कर लेते हैं फिर चरवाहे की तरह इन भेड़ों को हाँकते हैं। जनता पागल होकर इनके पीछे दौड़ती रहती है, इनका यशगान करती रहती है और उन्हें अपना भाग्य-विधाता मानकर पूजा करने लगती है लेकिन अन्ततोगत्वा यह मालूम पड़ जाता है कि ये शक्तियाँ सारा नाटक अपने स्वार्थ केन्द्र के चारों ओर ही रचती हैं। भेद खुल जाने पर पुजारियों को ज्यों ही शंका होने लगती है उन्हें निर्ममता से समाप्त कर दिया जाता है और दूसरे पुजारी उनका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार आगे चलकर ये प्रतिनिधि अपने आतंकी हथकण्डों द्वारा अपने प्रशंसकों एवं समर्थकों की जमात बदलते रहते हैं और आलोचकों का सफाया करते रहते हैं।

सामाजिक व्यवस्था में नेतृत्व के लिए चुनाव जरूरी है। चुनाव के माध्यम से सर्वसमाज के योग्य एवं शिष्ट व्यक्तियों को चयन का अवसर प्राप्त होता है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था जन नेतृत्व पर आधारित होती है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अनुरूप देश, राज्य, जिला, ब्लाक, ग्राम, नगर के प्रमुख पदों हेतु चुनाव सम्पन्न होते हैं। चुनावों के माध्यम से व्यवस्था संचालन हेतु विभिन्न स्तरों की समितियों के सदस्य एवं अध्यक्ष चुने जाते हैं। जिनको पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इनके प्रत्येक कार्य एवं व्यवहार के लिए आचरण प्रक्रिया संहिताएँ निर्धारित होती हैं। इनका विपथगमन दण्डनीय होता है।

जब सत्ता का संचालन जनतान्त्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल हो जाता है और सत्ता गैंग या दलों के आपसी हितबद्ध लोगों के स्वार्थ की पूर्ति तक सीमित हो जाती है, तब चारों तरफ अन्धेरा, छल, कपट, भय, दहशत, लूट, डकैती, हिंसा का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। सर्वसमाज के लोग एक-दूसरे से सशंकित रहने लगते हैं। क्षण-प्रतिक्षण नवीन घटनाएँ घटित होने लगती हैं। लोगों के बीच छलियों का चमत्कारी विधान लागू हो जाता है, लोकतन्त्र के हत्यारे एवं लुटेरे समाज के भाग्य-विधाता बन जाते हैं। सामान्य जन-समाज लुटेरों के जलसों का चरणामृत एवं रैली-घोषणा के वादों की भीख प्रतीक्षा में जीवन यापन करने को मजबूर हो जाता है। जनता बेरोजगारी, दरिद्रता, मंहगाई, भ्रष्टाचार की मार से तडपती रहती है और राजनेता मौज में रहते हैं।

लोग नेतृत्व के लिए तरह-तरह का दिखावा करते हैं। कोई अपने को समाजसेवी कहता है, पर्चा बैनर छपवाता है, रैलीमंचों पर चढ़कर दहाड़ता है, जनता के चरणों पर अपना सिर रखकर समर्थन की भीख माँगता है, दरिद्रों के घर में घुसकर नमक-रोटी माँगता है, दरिद्र बच्चों को गोद में लेकर दुलारता है। परन्तु ऐसा करने वाले वास्तव में जनसेवा और सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं रखने वाले होते हैं और न ही अपने से अधिक किसी अन्य का आदर बर्दास्त कर सकते हैं, बल्कि जनसेवा की दुहाई देकर एवं अपनी नेम-प्लेट्स में जनसेवक शब्द लिखकर एवं पार्टी झंडा-बैनर लगाकर लज्जरी गाड़ियों में बैठ पुलिस-अधिकारियों पर जबरदस्त दबाव बनाकर सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का धन हड़प बन्दर-बाँट एवं तस्करी व्यापार संचालित करते हैं। इनकी वास्तविक आय के स्रोत अति

दयनीय होने के बावजूद इनके पास अकूत धन-सम्पदा पाई जाती है। चुनाव काल में अपनी काली कमाई का कालाधन चुनाव में वोट खरीदने के लिए प्रयोग करते हैं। चुनाव एजेण्ट एवं जाति विशेष के लोगों को शराब, खाना, उपहार, धन बांटते हैं, तरह-तरह के प्रलोभन, वादे एवं घोषणाएँ करते हैं। खूंखार डकैतों और गिरोहबन्द माफियाओं को धन देकर विवादित लोगों के बीच संगीन घटनाओं को अन्जाम देकर, विवादित लोगों को फंसाते हैं। बिरादरी को भड़काकर जलूस निकालकर दबाव बनाते हैं और संप्रदायिकता की समस्या उत्पन्न करके आपसी भाईचारा समाप्त कर देते हैं। चुनाव में खाना पैकट, धन, दहशत के प्रभाव से तथा रिश्तेदार एवं भाड़े के अपराधियों को एकत्र कर फर्जी मतदान कराते हैं।

चुनाव परिणाम के उपरान्त असफल प्रत्याशी अगले चुनाव तक क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं। चुनाव में सफल व्यक्ति नगरों-महानगरों में मकान खरीदते हैं और जब सरकारी योजनाओं का धन क्षेत्र को आवंटित होता है तो उस धन का बन्दर-बाँट करने, कागजी खानापूती एवं अपने लोगों में प्रभाव बनाए रखने के उद्देश्य से यदा-कदा क्षेत्र में घूमा-फिरी करते हैं। इन प्रवासों में अपने विरोधियों को लड़वाने एवं लुटवाने का षड्यन्त्र रचते हैं तथा पुलिस दलाली कर अवैध धन उगाही करते हैं। सदन कार्यवाही में दबाव बना कर अपना मोलभाव कर पद एवं सुख-सुविधाएँ प्राप्त करते हैं। व्यापारियों एवं पेशेवर अपराधियों को सुरक्षा गारण्टी का अश्वासन देकर उनसे मोटी रकम एवं सुविधाएँ वसूलते हैं। इनके धन, पद एवं दहशत के प्रभाव में कोई भी व्यक्ति यदि इनकी बात का विरोध सोचता है तो उसे गुगों एवं पुलिस से प्रताड़ित कराकर फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में डलवा देते हैं। इस तरह हमारा नायक अपराध जगत में डॉन के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। पुनः चुनाव आने पर यह स्वयं का दल या किसी दल में प्रभाव बनाकर चुनाव जीतने का प्रयास करने लगते हैं। पुनः रैलियाँ करने लगते हैं और यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि लुटने वाले से लूटने वाला अति महान दानी एवं लुटेरा भाग्य विधाता होता है। इस तरह अपनी उपयोगिता बता पुनः सत्ता हथियाने का दुःचक्र रचते हैं। यदि विरोधी इन्हें पराजित करने में सफल होता है तो पुनः अपने को निर्वर्तमान मन्त्री/सांसद/विधायक/अध्यक्ष घोषित कर दल एवं प्रत्याशियों से समर्थन या विरोध का मोलभाव कर धन व पद पा लेते हैं तथा जनता के बीच तरह-तरह की अफवाहों का प्रचार-प्रसार कर जबरदस्त प्रभाव बनाते हैं। कुछ लोग तो अपने पद एवं सदस्यता का इस्तीफा देने का ढोंग कर सत्ता पर दबाव बनाकर मन्त्री पद तक हथिया लेते हैं। जनसमस्याओं एवं जनसेवा कार्यों से इनका दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। सरकारी विकास निधियाँ 40% धन लेकर गैरक्षेत्रीय लोगों को बेच देते हैं तथा सांसद एवं विधायक निधियों का अधिकांश भाग सरकारी स्कूलों की जगह निजी स्कूलों एवं व्यापारों में लगा रहे हैं।

मालिक, धनी, व्यापारी, अधिकारी, सरकार, नेता शोषण पीड़ितों से घृणा करते हैं। ये आलसी, अकुशल और समाज पर बोझ माने जाते हैं। इनको हर स्तर पर सताया जाता है, जलील किया जाता है एवं इनसे भेदभाव किया जाता है। इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता और ये शक्तिहीन होते हैं। इस कारण ये सदैव शक्तिशाली लोगों के आक्रमण एवं विद्वेष के निशाना बनाए जाते हैं। इन्हें निरक्षरता एवं सामाजिक पूर्वाग्रह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें सामूहिक शक्ति का अभाव होता है और जब कभी ये स्थानीय या लघु स्तर पर समाज के राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिक शक्तिशाली समूहों के विरुद्ध एक होने का प्रयत्न करते हैं तो उन लोगों को लगता है, कि उनके आधिपत्य को खतरा है, इस कारण दरिद्रों को कुचल दिया जाता है। इन्हें ऋण पर ऊँची दर पर ब्याज देना पड़ता है। इन पर दोषारोपण किया जाता है। जिन कार्यालयों में ये जाते हैं, वहाँ इनकी ओर बहुत कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। पुलिस तो सबसे पहले उन क्षेत्रों में जाती है जहाँ पीड़ित रहते हैं जैसे कि मात्र पीड़ित गरीब ही अपराध करते हैं। ये बिरले ही विश्वसनीय, भरोसे के और ईमानदार माने जाते हैं। इस प्रकार समाज के प्रत्येक स्तर पर प्रतिकूल रवैया इनकी आत्मछवि को गिराता है, इनमें हीन-भावना को जन्म देता है और अपनी सहायता के लिए साधन जुटाने के प्रयत्नों पर रोक लगाता है।

सुझाव: हमें ऐसी राजनीतिक रणनीतियाँ अपनाने के प्रलोभन से बचने की जरूरत है। जो हमें विभाजित करती हो एवं भारतीयों के इस या उस वर्ग की पहचान व निष्ठा पर प्रश्न उठाती हों। नेतृत्व का कार्य नागरिकों के मध्य पारस्परिक विश्वास एवं समन्वयपूर्ण एकजुटता का निर्माण करना है। ऐसा केवल ऐसे नेतृत्व द्वारा ही किया जा सकता है जिसके पास नैतिक शक्ति हो। नेताओं को उनकी नैतिक आचरणगत दायित्वों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। ताकि लोकतान्त्रिक जीवन्तता को जगाया जाए।

देश में सार्थक जन-नेतृत्व का अभाव

हमारा नेतृत्व कैसा हो? यह सवाल प्रत्येक जन मानस के मन को मथता है। छोटे बच्चों में कक्षा- प्रतिनिधि का मामला हो या महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों की क्रीड़ा टीम, कम्पनियों के सरोकार हों या फिर देश और समाज का परिदृश्य, सभी जगह कुशल नेतृत्व की जरूरत महसूस की जाती है। नेतृत्व यदि सशक्त हुआ तो विकास, प्रगति, समृद्धि की बयार बहने लगती है। यदि स्थिति इसके विपरीत हुई तो पहले से की हुई प्रगति, समृद्धि एवं विकास के प्रतिमान ढहते-मिटते चले जाते हैं। किसी भी संस्था, समाज या देश के खण्डहर बन चुके ढाँचे को बुलंदियों तक पहुँचाने का आश्चर्य जनक कारनामा कुशल नेतृत्व के हाथों अनायास हो जाता है, जबकि नेतृत्व नाकाम हुआ तो कभी की बुलन्दियाँ भी खण्डहरों में तबदील हो जाती हैं।

आश्चर्य को साकार करने वाला, चमत्कारों को आकार देने वाला नेतृत्व विकसित कैसे होता है? तो जबाब आसान है—व्यक्तित्व में सौमनस्य, सामंजस्य एवं दिशा देने वाले गुणों से। गुणों का शिखर तक सम्बर्द्धन जन को नेतृत्व के लायक बनाता है। इन्हीं विभूतियों से लोग मार्गदर्शन की, अपनी समस्याओं के समाधान की आशा रखते हैं। यदि कहीं नेतृत्व के नाम पर अधिकार के अहंकार की प्रतिष्ठा हुई तो अधीनस्थ जन घुटन की पीड़ा सहन करने के लिए विवश होते हैं। उन्हें मार्ग दर्शन तो मिलना दूर, रहा-सहा जीवन भी चला जाता रहता है। अहंकारी और अधिकार के मद में चूर जन कभी किसी को प्रेरणा नहीं दे पाता। उसके इर्द-गिर्द रहने वाले भी उसकी चापलूसी तो कर लेते हैं, पर कभी उसके प्रति सच्चा सद्भाव नहीं रखते।

नेतृत्व का आदर्श तो उस व्यक्तित्व में प्रकट होता है, जिसके जीवन का हर आयाम प्रेरक होता है, जिसमें महा साहस की प्रबल ऊर्जा छलकती रहती है, जो उद्देश्य के प्रति पल-पल गलने की क्षमता रखता है, जिसके चरित्र में इतनी सुगन्ध होती है कि अनुयायी उसकी सौगन्ध खाते हैं, जो विनम्रता, सदाशयता एवं सहिष्णुता के गुणों से टीम में सामंजस्य बिठाने की क्षमता रखता है, जो टीम के हित के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। ऐसे नेतृत्व के ऊपर सब ओर से सद्भाव और श्रद्धा का अभिषेक होता है। उसका एक इंगित करोड़ों जनों में प्राण फूँक देता है। लक्ष-लक्ष जन उसके शब्दों के जादू के सम्मोहन में डूबे रहते हैं। वह जिधर भी मुड़ता है, उसके पीछे कतारें चल पड़ती हैं।

संस्थाओं की खस्ता हालत, प्रत्येक छोटी एवं बड़ी वस्तु के लिए दूसरों के सामने मुँह ताकता अपना देश, यह स्थिति केवल इसलिए है कि सार्थक नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व के अभाव में कुछ नहीं हो सकता। देश को योगी, तपस्वी, त्यागी, महात्मा नहीं बलिदानी, जीवट वाले लोकसेवी चाहिए, जो समाज को दिशा दे सकें। आज आवश्यकता कि है कि व्यक्ति ऐसे बनें, जैसे महात्मा गाँधी, सरदार पटेल, सुभाष चन्द्र बोस, जो सिद्धान्तों के लिए कुर्बानी के लिए पल-पल पर तैयार रहते थे।

हमें सद्गुणों के समुद्र में साहस पूर्वक तैरना होगा। जिस भी दिशा में हम नेतृत्व के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र में हमें श्रेष्ठतम योग्यता के अर्जन के लिए गतिशील होना होगा। यह योग्यता सेवा, चिकित्सा, व्यवस्था, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। योग्यता नेतृत्व का एक आवश्यक गुण तो है, पर इतना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पर्याप्त साहस और ऊर्जा भी आवश्यक है, जिसका अपने सहयोगियों में संचार हो सके। इस क्रम में यह भी आवश्यक है कि हम अपने सहयोगियों के गुणों के विशेष पारखी बनें। उनमें से प्रत्येक के विशिष्ट गुण को पहचानें और इस पहचान को अन्य सहयोगियों को बताएँ। इससे टीम में परस्पर विश्वास बढ़ता है। एक-दूसरे के प्रति श्रद्धा व सद्भावना पनपती है।

श्रेय और सम्मान के अवसर आने पर स्वयं का एकदम से आगे ही नहीं बढ़ना ही उचित है। अपने स्थान पर अपने साथियों-सहकर्मियों को यह उपहार देना चाहिए। ऐसा करने से साथियों के मन में नेतृत्व के प्रति विश्वास बढ़ता है, आस्था अडिग होती है। इसी के साथ जरूरत पड़ती है प्रेरणा, प्रोत्साहन की, यह शब्दों से भी होना चाहिए और भावनात्मक कार्यों से भी। इस तरह के शब्द और कार्य सहयोगियों-सहकर्मियों के मानस को उत्साह से परिपूर्ण कर देते हैं। उनकी भावनाएँ और मजबूत होती हैं। साथ ही कार्य क्षमता में भी अनेक गुना वृद्धि होती है। परस्पर का सामंजस्य और मधुर होता है। इस मधुरता को अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने साथियों के साथ एक-दूसरे की खूबियों की तो चर्चा करें, पर उनकी खामियों का अतिरेक न बखान करें अन्यथा पारस्परिक भावनाएँ विघटित होंगी।

नेतृत्व के लिए एक अन्य गुण जिसे विकसित किया जाना अनिवार्य है, वह है: नई-नई योजनाएँ बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने की क्षमता का विकास। हम जिस क्षेत्र में भी नेतृत्व कर रहे हैं, उस क्षेत्र में परिस्थिति के अनुरूप संस्था या देश की प्रगति को तीव्रतर बनाने वाली ऐसी कार्य-योजनाएँ तैयार करनी चाहिए, जो समय की कसौटी पर खरी हों। इन्हे क्रियान्वित करते समय इनके व्यावहारिक चरणों का ध्यान तो रखा जाए, साथ ही इनमें अपने सभी सहयोगियों-सहकर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित हो। यदि इन सभी विशेषताओं का क्रमिक अर्जन हम-भारतीय जन अपने आप में कर सके तो न केवल हम अपने क्षेत्र को सफल नेतृत्व दे सकेंगे, बल्कि जीवन दृष्टा भी बनेंगे।

उ.प्र. राज्य की राजनीति और लोक प्रशासन का वर्तमान स्वरूप

संविधान के द्वारा संघ की भाँति राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गयी है और संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है जो कि राष्ट्रपति के 'प्रसाद-पर्यंत' पद धारण करता है। मन्त्रिपरिषद् राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है।

संविधान के अनुच्छेद-154 के अनुसार, "राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।"

अनुच्छेद-163 के अनुसार, "उन कार्यों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।" मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनु.168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में 1 विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल एवं कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम विधानसभा एवं विधान परिषद् होंगे। राज्यों का विधानमंडल एकसदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही है। अनु.169 के अनुसार, 'संसद की राज्य में विधान परिषद् की स्थापना या अन्त करने का अधिकार है यदि सम्बन्धित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करे।

उ. प्र. राज्य संघ के संविधान से शासित है। राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख संघटक-राज्यपाल, मन्त्रिपरिषद्, विधानपरिषद्, विधानसभा है। राज्य की कार्यपालिका के अन्तर्गत राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् है। राज्य की कार्यपालिका के सभी अधिकार राज्यपाल में निहित हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद्, राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता करती है और सलाह देती है। राज्य में संवैधानिकतंत्र की असफलता की रिपोर्ट को भेजने अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किसी प्रस्ताव की स्वीकृत देने से सम्बन्धित मामलों में स्वेच्छा और स्वविवेक से निर्णय लेना होता है।

उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधानमण्डल है। जिसमें राज्यपाल के अतिरिक्त दो सदन-विधानपरिषद् एवं विधानसभा है। विधानपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या 225 तथा विधानसभा में 403 सदस्य है। संसद में लोकसभा की 80 एवं राज्यसभा में 31 सीटें हैं। राज्य में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अखिल भारतीय कांग्रेस, यूनाइटेड जनता दल, लोक शक्ति पार्टी आदि राजनीतिक दल हैं।

उ. प्र. के पूर्व राज्यपाल बी.एल.जोशी द्वारा वर्ष 2012 में स. पा. के अध्यक्ष मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश की मुख्यमंत्री पद पर एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति हुई जिनमें अखिलेश के चाचा शिवपाल-रामगोपाल सहित अनेक आपसी हितबद्ध, खूंखार शामिल हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद्, राज्यपाल-रामनाइक को उनके कार्यों में सहायता करती है और सलाह देती है।

आज उ.प्र.में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सभी पद पर राजनीतिक हस्ताक्षेप चरम पर दिखाई दे रहा है। राज्य के सभी संवर्ग पदों पर आसीन अधिकांश व्यक्ति या तो व्यक्ति-विशेष यादव-जाति परिवारों की आवभगत (चापलूसी) में जुटे हुए हैं या अपने पद पर निष्क्रिय बने हुए हैं। संवैधानिक पदों पर अर्ह व्यक्तियों की उपेक्षा कर चयन-मनोनयन प्रसाद की भाँति धन-चन्दा लेकर मनमाने ढंग से बाँटे जा रहे हैं। सरकारी-सार्वजनिक विकास निधियों का धन फर्जी बिल-बाउचर्स के माध्यम से हड़पकर आपस में बन्दर-बाँट किया जा रहा है। आमजनों के कल्याण एवं जनहित के उद्देश्य से निर्मित विकास योजनाओं का धन-सम्पत्ति व्यक्ति विशेष को देकर उसके लाभ तक सीमित हो रहा है। सरकारी कोषों से लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर आयोजित मंचों पर राजनीतिक व्यक्ति विशेष का गुणगान किया जाता है और रोजी-रोटी माँग रही दरिद्र जनता की समस्याओं पर राजनेता-अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते हैं।

वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश संस्थाओं एवं विभागों सहित आयोगों, निदेशालयों, विश्वविद्यालयों, रजिस्ट्रार आदि कार्यालयों में प्रत्येक स्तर के कर्मचारी-अधिकारी जनता के हितों की जबरदस्त उपेक्षा कर अवैध वसूली में जुटे हुए हैं। इनके रेकेट्स के संगठित अपराधी किसी भी कार्य को सम्पन्न कराने के लिए मनमाना धन चन्दा-कमीशन वसूल रहे हैं। इन रेकेट्स में सम्मिलित दलालों की दहशत, अराजकता, अवैध-वसूली, कमीशनबाजी आदि जनविरोधी कार्य राज्य के सरकारी-सार्वजनिक कार्यालयों में खुलेआम जारी है। किसी भी कार्य के लिए यथा आवेदन, चयन, नियुक्तियाँ, स्थानान्तरण, शिकायत, निस्तारण, सरकारी आडिट, अवकाशों आदि में कमीशन-रिश्वत के रेट बंधे हुए हैं। जिनकी अग्रिम वसूली बिना कोई भी कार्य आदेश-कार्यवाही सम्भव नहीं है। सरकारी आफिसों में जनशोषण, उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार चरम पर है तथा सरकारी नियम-कानून, उ.प्र.कर्मचारी आचरण संहिता, भारतीय संविधान एवं न्यायिक संहिताओं की जबरदस्त उपेक्षा चरम पर है। यह स्थिति प्रदेश के किसी भी कार्यालय में जाकर देखी जा सकती है। ऐसी स्थिति के कारण राज्य की जनता का जीवन दिनों-दिन बर्बाद-से-बर्बाद होता जा रहा है और जनशोषण एवं भ्रष्टाचार के अपराधी-रैकेट्स प्रोत्साहित हो रहे हैं।

आज प्रदेश में दबंगई, दहशत, चोरी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, विश्वासघात की विभीषिकाएँ व्यापक हैं। संगठित

अपराधियों की योजनाएँ सफल हो रही हैं। ऐसी स्थिति में अपराधी और संगठित आपराधों पर अंकुश लग पाना ठीक उसी प्रकार असंभव प्रतीत हो रहा है, जैसे किसी बालक द्वारा अपनी छाया को पकड़ना अथवा किसी नदी-तालाब में प्रतिबिम्बित-चौद के माध्यम से चंद्रमा को पकड़ना। ऐसा क्यों? उत्तर जानने के लिए अपराधी, अपराध और आपराधिक योजनाओं की अंजाम प्रक्रिया को जानना होगा। अपराधी कौन और कहाँ रहता है? अपराधी की सुरक्षा कैसे होती है? आपराधिक योजनाओं को अंजाम कैसे दिया जाता है? अपराधियों को सहयोग-संरक्षण कौन देता है? अपराध में पुलिस, प्रशासन, न्यायालय, राजनीतिज्ञ व देश-समाज की भूमिकाएँ कैसी होती हैं?

आज हमें देखने को मिलता है कि पद, प्रतिष्ठा और राजनीतिक लोगों के सम्पर्क में रहने वाले आवारा अकर्मण्ड जनसेवा के नाम पर रातों-रात प्रगति कर धन-कुबेर बन जाते हैं। इनकी बहुमूल्य पोशाकें, गहनें, वाहन एवं सुख-साधन तो देखते बनते हैं। पुलिस, प्रशासन, राजनीतिज्ञ, दलाल, ठेकेदार इनके गुणगान करते हुए इनके आसपास मंडराते रहते हैं। लाल-नीली बत्ती व सायरन वाले वाहनों का जमघट इनकी शान बन जाते हैं। व्यक्ति-समाज का नियन्त्रण व सरकारी योजनाएँ इनके द्वारा संचालित होने लगती हैं। अर्थात् देश, राज्य, जिला, नगर, गाँव समाज का विकास सहित सरकारी योजनाओं पर इनका एकाधिकार हो जाता है। क्या मजाल जो इनकी मर्जी बिना स्वतंत्र सांस भी ली जा सके।

ऐसे लोगों के सम्बन्ध में शिकायत-कार्यवाही की स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त उदाहरण है, “एक सज्जन ने मार्ग में खड़े एक उदण्ड किशोर को रुक-रुक कर ‘यूरिन’ डिस्चार्ज करते देखा तो उन्होंने किशोर के पिता से मिलने की बात सोची और किशोर के यहाँ जाकर देखा कि उस किशोर का पिता अपने दरवाजे के सामने चबूतरे पर खड़े होकर घूम-घूम ‘यूरिन’ डिस्चार्ज कर रहा है।”

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामूहिक चुनाव के माध्यम से सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होने के बावजूद आज साधारण जनो के स्थान पर विशिष्ट जन एवं स्वार्थी-अपराधी मनमाने ढंग से पदासीन हो रहे हैं। यह सामूहिक चुनावों में जनता के बीच लोक-लुभावने सपने दिखाकर और धन-वैभव के प्रचार-प्रसार से जनता के बीच वाह-वाही लूटकर सगे-सम्बंधी आपसी हितबद्ध लोगों सहित स्वयं को संवैधानिक पदों पर आसीन करने में सफल हो रहे हैं। इनके द्वारा फर्जी प्रस्ताव-कार्यवाही के आधार पर मनमाने आदेश जारी किए जा रहे हैं तथा सांसद-विधायक सरकारी निधियों एवं राजकोषों का धन हड़पा जा रहा है। तथा सामान्य जनो को जन प्रतिनिधित्व से बंचित करने के उद्देश्य से ऊँची शुल्क एवं जटिल प्रक्रिया बनाकर जन-सामान्य को चुनाव लड़ने से बंचित किया जा रहा है। ऐसे अलोकतान्त्रिक प्रावधानों के माध्यम से संगठित अपराधी धन-दहशत के प्रभाव से बारम्बार पदासीनता प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं।

राजनीतिक प्रतिनिधियों का प्रयास सत्ता व शक्ति पर किसी प्रकार अधिकार करना और हमेशा तब तक उसके साथ चिपके रहने से होता है जब तक क्रान्ति या षडयन्त्र या चुनाव के द्वारा उन्हें उखाड़ न फेंका जाय। उनका यह भी प्रयास होता है कि सत्ता पर उनके ही परिवार का उत्तराधिकारी स्थापित हो जाये। हर बात जनता की दुहाई देकर लोगों के भावात्मक आवेश को ये प्रतिनिधि अपने पक्ष में कर लेते हैं फिर चरवाहे की तरह इन भेड़ों को हांकते हैं। जनता पागल होकर इनके पीछे दौड़ती रहती है, इनका यशगान करती रहती है और उन्हें अपना भाग्य-विधाता मानकर पूजा करने लगती है लेकिन अन्ततोगत्वा यह मालूम पड़ जाता है कि ये शक्तियाँ सारा नाटक अपने स्वार्थी केंद्र के चारों ओर ही रचती हैं। यह भेद खुल जाने पर पुजारियों को ज्यों ही शंका होने लगती है उन्हें निर्ममता के साथ समाप्त कर दिया जाता है और दूसरे पुजारी उनका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार आगे चलकर ये प्रतिनिधि अपने आतंक के अनेकों हथकण्डों द्वारा अपने प्रशंसकों और समर्थकों की जमात बदलते रहते हैं और आलोचकों का सफाया करते रहते हैं।

सामाजिक व्यवस्था में नेतृत्व के लिए चुनाव आवश्यक है। चुनाव के माध्यम से सर्वसमाज के योग्य एवं शिष्ट व्यक्तियों को चयन का अवसर प्राप्त होता है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था जन नेतृत्व पर आधारित होती है। लोकतन्त्र की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप देश, राज्य जनपद, ब्लाक, ग्राम और नगर के प्रमुख पदों हेतु पंचवर्षीय चुनाव सम्पन्न होते हैं। इन चुनावों के माध्यम से व्यवस्था संचालन हेतु विभिन्न स्तरों की कार्य-पालिकाओं के सदस्य एवं अध्यक्ष चुने जाते हैं। जिनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इनके प्रत्येक कार्य एवं व्यवहार के लिए आचरण प्रक्रिया संहिताएँ निर्धारित होती हैं। इनका विपथगमन दण्डनीय होता है।

जब सत्ता का संचालन जनतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल हो जाता है और सत्ता गैंग या दलों के आपसी हितबद्ध लोगों के स्वार्थ की पूर्ति तक सीमित हो जाती है, तब चारों तरफ अन्धेरा, छल, कपट, भय, दहशत, लूट, डकैती, हिंसा का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। सर्वसमाज के लोग एक-दूसरे से सशंकित रहने लगते हैं। क्षण-प्रतिक्षण नवीन घटनाएँ घटित होने लगती हैं। लोगों के बीच छलियों का चमत्कारी विधान लागू हो जाता है, लोकतन्त्र के हत्यारे एवं लुटेरे समाज के भाग्य-विधाता बन जाते हैं। सामान्य जनसमाज लुटेरों के जलसों का चरणामृत एवं रैली वादों की भीख प्रतीक्षा में जीवन यापन करने को मजबूर हो जाता है। जनता बेरोजगारी, दरिद्रता, मंहगाई और भ्रष्टाचार की मार से तड़पती रहती है।

लोग नेतृत्व के लिए तरह-तरह का दिखावा करते हैं। कोई अपने को समाजसेवी कहता है, कोई पर्चा-बैनर छपवाता है, कोई रैलियों के मंच पर चढ़कर दहाड़ता है, कोई जनता के चरणों पर अपना सिर रखकर समर्थन की भीख माँगता है, कोई गरीब जनो के घर में घुसकर नमक-रोटी मांग कर खाता है और दरिद्र बच्चों को गोद में लेकर दुलारने लगता है। परन्तु ऐसा करने वाले लोग वास्तव में सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं रखने वाले लोग होते हैं और न ही अपने से अधिक किसी अन्य का आदर बर्दास्त कर सकते हैं, बल्कि जनसेवा की दुहाई देकर एवं अपनी नेम-प्लेड्स में जनसेवक शब्द लिखकर एवं पार्टी झंडा-बैनर लगाकर लम्गरी गाड़ियों में बैठ पुलिस-अधिकारियों पर जबरदस्त दबाव बनाकर सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का धन हड़प बन्दर-बॉट एवं तस्करी व्यापार संचालित करते हैं। इनकी वास्तविक आय के स्रोत अति दयनीय होने के बावजूद इनके पास अकूत धन-सम्पदा पाई जाती है। चुनाव काल में अपनी काली कमाई का कालाधन चुनाव में वोट खरीदने के लिए प्रयोग करते हैं। चुनाव एजेण्ट एवं जाति विशेष के लोगों को शराब, खाना, उपहार, धन बाँटते हैं, तरह-तरह के प्रलोभन, वादे एवं घोषणाएँ करते हैं। खूंखार डकैतों और गिरोहबंद माफियाओं को धन

देकर विवादित लोगों के बीच संगीन घटनाओं को अंजाम देकर, विवादित लोगों को फंसाते हैं। बिरादरी को भड़काकर जलूस निकालकर दबाव बनाते हैं और सम्प्रदायिकता की समस्या उत्पन्न करके आपसी भाई-चारा समाप्त कर देते हैं। चुनाव में खाना पैकट, धन, दहशत के प्रभाव से तथा रिश्तेदार एवं भाड़े के अपराधियों को एकत्रित कर फर्जी मतदान कराते हैं।

चुनाव परिणाम के उपरान्त असफल प्रत्याशी अगले चुनाव तक क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं। चुनाव में सफल व्यक्ति राजधानी एवं नगरों में भवन खरीदते हैं और जब सरकारी योजनाओं का धन क्षेत्र को आवंटित होता है तो उस धन का बन्दर-बाँट करने, कागजी खाना-पूर्ति एवं अपने लोगों में प्रभाव बनाए रखने के उद्देश्य से यदा-कदा क्षेत्र में घूमा-फिरी करते हैं। इन प्रवासों में अपने विरोधियों को लड़वाने व लुटवाने का षड्यन्त्र रचते हैं तथा पुलिस दलाली कर जबरदस्त धन उगाही करते हैं। सदन कार्यवाही में दबाव बनाकर अपना मोलभाव कर पद एवं सुख-सुविधाएँ प्राप्त करते हैं। व्यापारियों एवं पेशेवर अपराधियों को सुरक्षा गारण्टी का अश्वासन देकर उनसे मोटी रकम व सुविधाएँ वसूलते हैं। इनके धन, पद, दहशत के प्रभाव में कोई भी इनकी बात का विरोध नहीं कर सकता है और यदि विरोध करता है तो उसे गुर्गा एवं पुलिस से प्रताड़ित कराकर फर्जी केसों में फंसा कर जेल में डलवा देते हैं। इस तरह हमारा नायक अपराध-व्यापार जगत में डॉन के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। पुनः चुनाव आने पर यह अपना स्वयं का दल या किसी दल में प्रभाव बनाकर जबरदस्ती चुनाव जीतने का प्रयास करने लगते हैं। पुनः रैलियाँ करने लगते हैं और यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि लुटने वाले से लूटने वाला अति महान दानी एवं लुटेरा भाग्य विधाता होता है। इस तरह अपनी उपयोगिता बताकर पुनः सत्ता हथियाने का दुःचक्र रचते हैं। यदि विरोधी इन्हें पराजित करने में सफल होता है तो पुनः अपने को निवर्तमान मन्त्री/सांसद/विधायक/अध्यक्ष घोषित कर दल एवं प्रत्याशियों से समर्थन-विरोध का मोल-भाव कर धन एवं पद पा लेते हैं तथा जनता के बीच तरह-तरह की अफवाहों का प्रचार-प्रसार कर जबरदस्त प्रभाव बनाते हैं। कुछ नेता तो अपने पद एवं सदस्यता का इस्तीफे का ढोंग कर सत्ता पर दबाव बनाकर मन्त्री पद तक हथिया लेते हैं। जन-समस्याओं व जनसेवा कार्यों से इनका दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। सरकारी विकास निधियाँ 40% धन लेकर गैर-क्षेत्रीय लोगों को बेच देते हैं।

नेतृत्व पाने वाले लोगों के परिजनों की स्थिति एवं गतिविधियाँ समाज के लिए अत्यन्त घातक बन रही हैं। नेताओं के परिजन अपने को महानायक के रूप में प्रतिष्ठित करने में लगे रहते हैं। इनकी सरकारी सुख-सुविधाएँ विशिष्ट होती हैं। शिक्षा-परीक्षा कार्य सरकारी अधिकारियों, पुलिसगार्ड व गुर्गों के जुम्मे होते हैं। सैरकाल में सरकारी अधिकारी-सुरक्षाकर्मी इनके खिलौने एवं फुटबाल बनते हैं। सरकारी धन-सुविधाएँ होटल्स, आहार-विहार के टिप्स पर व्यय होती हैं। पशु-पक्षियों व मानव का शिकार इनकी दिनचर्या में शामिल होते हैं। इनके सहयोगी उच्चस्तरीय एवं सर्वगुण सम्पन्न धनीवर्ग विशेष के लोग बनते हैं। साधारण-दरिद्र जनों से यह दूरी बनाए रखते हैं। व्यापारी एवं अपराधी अपने लाभ-बचाव के लिए नेताओं के परिजनों को मिष्ठान, फल, दावत, गिफ्ट, धन और नजराना देकर इनकी कृपा के पात्र बनते हैं।

अधिकतर राजनीतिक दल और बड़े नेता जातिवाद और परिवारवाद को ही पोषित कर रहे हैं। इस मामले में किसी भी दल को दूध का धुला नहीं कहा जा सकता यद्यपि कुछ दल लोक-लाज पूरी तरह ताख पर रखकर समर्थक जातियों और अपने परिवार के उत्तराधिकारियों को वरीयता देते हैं। इन दलों का यह रवैया उस वक्त भी बरकरार रहता है, जब वे सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। यह सोच और शैली लोकतन्त्र की मजबूती और प्रदेश में सामाजिक-सामुदायिक सद्भाव की स्थापना में बड़ी बाधा है। दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दलों के इस रवैये पर मतदाता भी मौन या तटस्थ रहते हैं। इससे इन दलों का हौसला बढ़ता है और वे अपने इन तौर-तरीकों को लेकर अधिक अक्रामक होते जाते हैं। ऐसे दल व नेता प्रदेश की भलाई नहीं कर सकते। लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में अनेक दिग्गज नेता प्रचार अभियान में दूर दिखते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं को अपने बेटा-बेटी और भाई-बहिन के चुनाव प्रचार में सीमित कर लेते हैं। बिडम्बना है कि इनमें अधिकतर नेता महात्मा गाँधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉ.राम मनोहर लोहिया, डॉ.भीम राव अम्बेडकर और काशीराम के आदर्शों की दुहाई देकर राजनीति करते हैं, जिन्होंने कभी भी अपने परिवार, नाते-रिश्तेदारों और गाँव-क्षेत्र को अतिरिक्त महत्त्व नहीं दिया।

नायक एवं नेतृत्व की गतिविधियों पर विचार करने पर यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है कि नेतृत्व कर रहे लोग अपने स्वलाभ के लिए किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर सकते हैं। देश, जन, समाज एवं राष्ट्रीय धन-सम्पत्ति इनके जेब की वस्तु होती है। जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ प्रयोग या नष्ट कर सकते हैं। देश-समाज का धन एवं सम्पत्ति सदन में मनमाने प्रस्ताव पारित कर स्वयं हथिया कर पीढ़ियों सहित अपना भविष्य सुरक्षित कर लेते हैं। राष्ट्र-देश सम्पदा का विक्रय, बंटवारा एवं अशांति हेतु विदेशी आतंकवादियों को आमन्त्रित किया जाता है। खूंखार अपराधियों एवं सगे-सम्बन्धियों को राजदूत-मन्त्री बनाया जाता है। नंगे-भूखे निर्दोषजनों को कारागार में डालकर अमानवीय उत्पीड़न किया जाता है। डाकू-अपराधी मंचासीन होकर अलंकृत होते रहते हैं। जनहित एवं न्याय की बात कहने वालों का दमन किया जाता है। जो देश-समाज के लिए अत्यन्त घातक और कलंक है।

बहरहाल, राजनीति की यह विकृति तब तक दूर नहीं की जा सकती, जब तक कि स्वयं मतदाता इसे खारिज नहीं करते। इलों का पारिवारिक संपत्ति की तरह संचालन लोकतान्त्रिक निर्वाचन और शासन प्रणाली की त्रासदी है। नेताओं की सन्ताले यदि राजनीति क्षेत्र में आना चाहती हैं तो इसमें कुछ अनुचित नहीं, परन्तु इन्हें बाकी अन्य कार्यकर्ताओं की तरह सफर शुरू करना चाहिए। बड़े नेता के परिजन उनके उत्तराधिकारी होंगे, यह सोच अलोकतान्त्रिक और अवैज्ञानिक है। कुछ बड़े दलों के पतन की पीछे इस सोच की अहम् भूमिका है। ऐसे फैसलों के राजनीतिक क्षेत्र में मेधावी, परिश्रमी और ईमानदार कार्यकर्ता कुण्ठित होकर रह जाते हैं।

राजनीतिक प्रतिनिधियों की मनमानी और गुलामी

‘बर्बर जनसेवा, उदण्ड उपदेश, शैतानी नीति और जल्लादी सुरक्षा पर अंकुश आवश्यक’

“भारतीय नवयुवकों एवं नेताओं के बलिष्ठ कन्धों पर राष्ट्र-समाज की व्यवस्था, प्रतिष्ठा एवं भविष्य का भार है। राष्ट्र-समाज का निर्माण वैसा ही होगा, उसकी प्रगति उसी दिशा में होगी, जैसा इन नवयुवकों एवं नेताओं के जीवन का आदर्श होगा।”

भारत में राज्य व्यवस्था अत्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान रही है। ऋग्वेद में जो कि भारतीय तथा योरोपीय लिखित साहित्य का अत्यन्त प्राचीन-ग्रन्थ है, इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि वैदिक काल में सुव्यवस्थित राजनैतिक अवस्था विद्यमान थी। उसी के अनुरूप निर्मित भारतीय शासन व्यवस्था में राजा अपनी प्रजा में चारों वर्णों की समृद्धि एवं सुख की पूर्ण व्यवस्था करता था। प्रजा के सुख ही शासक का सुख तथा प्रजा की भलाई में राजा की भलाई निहित थी। राजा अपनी सुख-समृद्धि की कामना नहीं करता था। प्रजा की समृद्धि पर ही उसकी समृद्धि निर्भर रहती थी।

प्राचीन भारत में दोनों प्रकार की राज्य-व्यवस्था का विवरण प्राप्त होता है। राजा को ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि राजा शासक के रूप में ही जन्म लेता है। ईश्वर स्वयं अपने प्रतिनिधि के रूप में उसे प्रजा पर शासन करने के लिए भेजता है। जन्म से ही वह अपने पूर्वजों के राज्य तथा राज्य के प्रतीक सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। नेपाल आदि कुछ देशों में आज भी राजा को ईश्वरीय प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। राजा के दैवी प्रतिनिधि होने के इस सिद्धान्त में कुछ समय पश्चात् दोष आ गये। राजा स्वच्छन्द तथा उच्छृंखल हो गये। उन्होंने प्रजा के सुख का उतना ध्यान नहीं किया जितना कि अपने सुखा का। प्रजा के उपकार और समृद्धि के स्थान पर वे स्वार्थ साधन में ही रत रहने लगे। अतः कलान्तर में एक अन्य राज्य-व्यवस्था ने जन्म लिया। यह व्यवस्था लोकतंत्र या प्रजातन्त्र के नाम से विख्यात हुई। इस पद्धति के अनुसार अराजकता तथा युद्ध से बचने के लिए प्रजा स्वयं किसी शक्तिशाली व्यक्ति को शासक के रूप में चुन लेती है इस व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना प्रजा का परम् कर्तव्य होता है। प्रजा प्रायः स्वेच्छा से और यदा-कदा आवश्यकता पड़ने पर राज्य-भय से भी राजा की आज्ञा का पालन करती है।

आज संघीय कार्यपालिका के अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् होती है, जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। संसद एवं विधानमण्डल के प्रमुख क्रमशः राष्ट्रपति एवं राज्यपाल होते हैं। केन्द्रीय व विधानमण्डल की मन्त्रिपरिषदों को जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मन्त्रिपरिषद् की राय में ही जन समस्याओं का समाधान एवं व्यक्ति समाज की सुख समृद्धि है। जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि देकर उसे शासक के रूप में ही स्थापित करती है। संविधानिक चुनाव से ही वह अपने देश और राज्य का शासन प्रतीक राजसिंहासन का उत्तराधिकारी होता है।

राजनीतिक प्रतिनिधि अर्थात् राजनीतिक विशेषाधिकारी अपने विशेषाधिकार को किसी भी तरीके से बनाये रखने के लिए पूर्ण सजग होते हैं। यह एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग है जो राजनीतिक कार्यों को करता है और शक्ति पर एकाधिकार बनाए रखता है तथा शक्ति के लाभों का भरपूर उपभोग करता है। यह वर्ग सदैव संगठित रहता है और इसका निर्माण समाज के विभिन्न उच्च वर्गों, वकीलों, सैनिकों, व्यापारिक, धार्मिक, न्यायिक सत्तात्मक से होता है।

प्रतिनिधि समाज का अल्पसंख्यक उच्च वर्ग होता है। इसके सदस्य सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते हैं। इन्हें लोग श्रेष्ठ व्यक्तियों के रूप में सम्मान करते हैं। इनके हित शेष जनता के हितों से भिन्न एवं उनसे विरोधी होते हैं। इनके हित समाज विरोधी एवं प्रजातन्त्र विरोधी दोनों होते हैं। ये विशेषाधिकार होते हैं। ये अत्यन्त प्रभावशाली होते हैं और समाज के विभिन्न समुदायों की चोटी पर से आते हैं। इनका संगठन एकीकृत होता है। ये स्वयं हटना या परिवर्तित होना नहीं चाहते। वे या तो मर जाते हैं या उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं। ये सभी नैतिक, अनैतिक, भ्रष्ट एवं अवसरवादी साधनों का प्रयोग करते हैं।

भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सामूहिक चुनाव के माध्यम से सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होने के बावजूद आज साधारण जन के स्थान पर विशिष्टजन एवं स्वार्थी-अपराधी मनमाने ढंग से स्वयं-भू पदासीन हो रहे हैं। यह सामूहिक चुनावों में जनता के बीच लोक-लुभावने सपने दिखाकर और धन-वैभव के प्रचार-प्रसार से जनता के बीच वाह-वाही लूटकर सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध लोगों सहित स्वयं को संविधानिक पदों पर आसीन करने में सफल हो रहे हैं। इनके द्वारा फर्जी बैठक प्रस्ताव-कार्यवाही के आधार पर मनमाने आदेश पारित किए जा रहे हैं तथा सांसद-विधायक एवं सरकारी निधियों को बेचा जा रहा है। इनके द्वारा शासन-व्यवस्था में नियम-कानूनों की जबरदस्त उपेक्षाकर सरकारी राजकोष का धन हड़पा जा रहा है तथा सामान्य लोगों को जन प्रतिनिधित्व से बंचित करने के उद्देश्य से ऊँची शुल्क और जटिल प्रक्रिया लागू कर जन-साधारण को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे जन विरोधी प्रावधानों के माध्यम से संगठित अपराधी धन के प्रभाव से अपनी पदासीनता का स्थायित्व प्राप्त कर रहे हैं और अपने विरुद्ध जनता का रुख भाँप कर चुनाव अवसर पर दल बदल कर पुनः अपने को स्थापित करने में सफल हो रहे हैं।

राजनीतिक प्रतिनिधियों का प्रयास सत्ता एवं शक्ति पर किसी प्रकार अधिकार करना और हमेशा तब तक उसके साथ चिपके रहने से होता है जब तक क्रान्ति या षडयन्त्र या चुनाव के द्वारा उन्हें उखाड़ न फेंका जाय। उनका यह भी प्रयास होता है कि सत्ता पर उनके ही परिवार का उत्तराधिकारी स्थापित हो जाये। हर बात जनता की दुहाई देकर लोगों के भावात्मक आवेश को ये प्रतिनिधि अपने पक्ष में कर लेते हैं फिर चरवाहे की तरह इन भेड़ों को हाँकते हैं। जनता पागल होकर इनके पीछे दौड़ती रहती है, इनका यशगान करती

रहती है और उन्हें अपना भाग्य-विधाता मानकर पूजा करने लगती है लेकिन अन्ततोगत्वा यह मालूम पड़ जाता है कि ये शक्तियाँ सारा नाटक अपने स्वार्थी केन्द्र के चारों ओर ही रचती हैं। यह भेद खुल जाने पर पुजारियों को ज्यों ही शंका होने लगती है उन्हें निर्ममता के साथ समाप्त कर दिया जाता है और दूसरे पुजारी उनका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार आगे चलकर ये प्रतिनिधि अपने आतंक के अनेकों हथकण्डों द्वारा अपने प्रशंसकों और समर्थकों की जमात बदलते रहते हैं और आलोचकों का सफाया करते रहते हैं।

शासक प्रतिनिधि अपने आप को स्वयं ही चुनाव एवं नियुक्ति कर लेता है। उसे दूसरों के चुनाव व पसंदगी की प्रतीक्षा या अपेक्षा नहीं होती। ऐसा प्रतिनिधि प्रत्येक समाज में होता है जो अल्पसंख्यक होते हुए भी राजनीतिक प्रभुत्व के पदों पर आसीन रहकर शेष समाज पर अपना शासन करता है। यही नहीं समस्त राजनीतिक गतिविधियों व निर्णयों को भी प्रभावित करता है।

आज देश की राजनीति से लाभ की बजाय हानि अधिक हो रही है। राजनीति में चरित्र नाम की कोई वस्तु रह नहीं गई है। वर्तमान राजनीतिक नेताओं के सम्बन्ध में हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं कि पद एवं प्रत्याशिता के लालच में वे किसी भी समय किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य बनने में नहीं हिचकिचाते। कुछ सांसद और विधायक तो इस कारण निर्दलीय बने रहते हैं कि जो दल सत्ता में आयेगा, वे उसी का समर्थन स्वीकार कर लेंगे जिससे उन्हें अच्छा पद प्राप्त हो जाए और इस प्रकार उन्हें धन अर्जित करने व आपराधिक कार्यों को संचालित करने हेतु मजबूत संगठन मिल जाए।

आज हमारे भारतीय समाज का स्वरूप 'मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण' करने वाला तथा धनी को अधिक धनी और निर्धन को अधिक दरिद्र बनाने वाला समाज है। पूँजीपति, राजनेता, नौकरशाह गरीब जनता का खून चूस रहे हैं, उनके श्रम और विकास के धन पर टिके हुए हैं और उन्हीं की अज्ञानता व मजबूरी का अनुचित लाभ उठाकर मौज-मस्ती कर रहे हैं। पूँजीपति, उद्योगपति, राजनेता, नौकरशाह, साहूकार साधारण जनता को उत्पीड़ित कर उसका शोषण कर रहे हैं।

भारत सदियों से विदेशी शासकों का गुलाम रहा है और ये विदेशी प्रशासक अधिकारियों के आचरण के प्रति उदासीन ही रहे हैं क्योंकि उनके मुख्य उद्देश्य राजकोष की आवश्यकताएँ पूर्ण करना होता था। यही कारण है कि सदियों से यहाँ के लोग भ्रष्टाचार को समाज का अभिन्न अंग मानकर चलते रहे हैं। स्वाधीनता से पूर्व भ्रष्टाचार यहाँ अनेक राज्य में किसी न किसी रूप में मौजूद था और जनता इसे समाज का आवश्यक अंग समझती रही है।

यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी प्राप्त होने के बाद भी नौकरशाही ढाँचा उसी रूप में बरकरार रखा गया। नौकरशाही का मुख्य कार्य कानून-व्यवस्था बनाये रखना और राजस्व एकत्र करना था। यह घिसा-पिटा ढाँचा विकाशशील अर्थव्यवस्था के लिए किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं था। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी थी उच्च अधिकारियों का अतिरिक्त कामों में दबे रहना और निरीक्षण के कार्य के लिए समय न जुटा पाना। फिर नौकरशाही में टाल-मटोल एक सामान्य सी बात है।

भारत किसी समय जगद्गुरु था। आज उसका गौरव कम हो गया है और शक्ति तथा वैभव आदि क्षेत्रों में वह विश्व के अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा पिछड़ता जा रहा है। कारण यह है कि हम अपनी विशिष्ट संस्कृति का परित्याग करते जा रहे हैं। हम 'संगच्छध्यं संवदध्यं संवो मनसि जायताम्' वाले वैदिक उपदेश को भूलते जा रहे हैं। 'समाना नो प्राकृतिः' अब हमारा आदर्श वाक्य नहीं रह गया है। विघटन और वैमनस्य की वृद्धि होती जा रही है और देश की भावनात्मक एकता भंग होती दिखाई पड़ रही है। आज हम पहले सोचते हैं कि हम हिन्दू हैं, हम मुसलमान हैं, हम पारसी हैं हम सिक्ख हैं, और हम ईसाई हैं। हम यह नहीं सोचते कि हम भारतीय इन्सान सबसे पहले हैं, और जो कुछ भी बाद में। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हमारा राष्ट्रधर्म तिरोहित होता जा रहा है और व्यक्ति धर्मों का प्राधान्य होता जा रहा है।

ऐसे संक्रान्तिकाल में परिस्थितियों के संक्रमण के युग में जब हम इन अबांछित प्रवृत्तियों से बचने और वास्तविक उन्नति का मार्ग खोजने का प्रयत्न करते हैं तो सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि अपनी ही प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन और उसके श्रेष्ठ सिद्धान्तों एवं आदर्शों का जीवन में अनुगमन ही हमारे सम्मान की पुनः प्राप्ति में हमारा प्रधान सहायक बनेगा। सच तो यह है कि भारत की दुरवस्था का आर्थिक, सामाजिक, नैतिक एवं भौतिक ह्रास का प्रमुख कारण ही यह है कि हम अपनी संस्कृति से दूर भाग आए हैं और उस संस्कृति की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो हमारे अनुकूल नहीं है।

मानवता आज एक कगार पर खड़ी है जिसके किसी भी क्षण गिर जाने का भय पराकाष्ठा पर स्थिति है। देश के सभी व्यक्ति यदि मानवता की संस्कृति के शांति और प्रेम के आदर्शों का पाठ पढ़कर व्यावहारिक जीवन में उन्हें प्रयोग करें तो कोई कारण नहीं कि सम्पूर्ण विश्व सद्भावना और भ्रातृत्व की छत्र छाया में पुनः फूलने फलने लगे।

आधुनिक भारत के शक्तिशाली पूँजीपति वर्ग ने स्वार्थपूर्ण परिवारवादी राजनीति व्यवस्था प्रतिष्ठित की है। सामाजिक दृष्टि से यह कितनी निन्दास्पद है कि आर्थिक एवं प्रशानिक शक्ति का प्रयोग जनसाधारण के लिए न किया जाकर उनके विनाश एवं गुलामी जीवन के लिए किया जाये। विज्ञान आज उन्नति के चरम शिखर पर पहुँच चुका है और अनेक आविष्कारों ने मानव जीवन के सुख-सुविधा के साधनों में पर्याप्त वृद्धि भी कर दी है। परन्तु इन सबसे भौतिकता की प्रवृत्ति में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और आध्यात्मिकता तथा मानवता का जो ह्रास हुआ है उससे मानव जीवन की शक्ति और सुरक्षा तथा पारस्परिक सद्भावना को भय उत्पन्न हो गया है। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि देश-समाज को पुनः एक परिवार में देखने का प्रयत्न किया जाए। "बसुधैव कुटुम्बकम्" का पाठ हमारी संस्कृति के अतिरिक्त और कहाँ से पढ़ा जा सकता है।

भारतीय राष्ट्र-समाज के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। अनेक वर्षों के पारतन्त्र्य के पश्चात् जब हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है तो उसके साथ ही अनेक अभाव भी हमें अनिवार्य प्राप्त हुए हैं। सच तो यह है कि किसी देश पर जब विदेशी शासन दृढ़ता से स्थापित होता है तो संस्कृति का ह्रास प्रायः होता ही है। सैकड़ों वर्षों की दासता में हम स्वयं अपने सदादर्शों से पीछे हट गए हैं, और

आज की परिवर्तित परिस्थितियों में पुनः उनके मूल्यांकन की आवश्यकता है। यूरोपीय संस्कृति के प्रभाव से हम भी कुछ उसी परम्परा से सोचने और विचारने लगे हैं। यहाँ तक कि आध्यात्मिकता और नैतिकता, जो हमारी संस्कृति की प्रधान निधियाँ हैं, धीरे-धीरे क्षीण प्रायः होती जा रही हैं, और इन सब का परिणाम सुख-शांति का तिरोपन है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम आध्यात्मिकता एवं नैतिकता को सर्वथा भूलकर भौतिकता एवं धन के पीछे भाग रहे हैं। व्यक्ति समाज में शक्ति और वास्तविक सुख की वृद्धि के लिए आध्यात्मिकता तथा नैतिकता का आश्रय लेगा अभीष्ट है।

जनसेवा और सत्ता

धन-वैभव का लाभ छोड़कर जन-कल्याण के लिए सर्वस्व त्यागना भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। बर्बर के पंजे या भंवर-दलदल या दरिद्रता कुचक्र में फंसे और जीवन की मूलभूत वस्तुओं के उपभोग से वंचित असहाय-अक्षमों को सहायता करना 'मानवधर्म' है। हृदय में परहित का भाव रखकर किए गए कार्य सच्ची जनसेवा हैं। सच्चा जनसेवक जातिवाद, छुआछूत, नशाखोरी व सांप्रदायिक भेदभाव जैसी बुराइयों को मिटाने में निरन्तर संघर्ष करता है। उनमें असुरी शक्ति, तानाशाही, हिंसा और स्वार्थपरिता का कोई स्थान नहीं होता है। उनकी भावनाएँ परोपकार से प्रेरित रहती हैं। उनकी सोच से ईश्वर द्वारा बनाए गए समस्त मानव समान हैं, अतः मानव में परस्पर प्रेम-भाव होना चाहिए। एक व्यक्ति पर संकट आने पर दूसरों को उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। दूसरों को कष्ट से कराहते देखकर भी भोग-विलास में लिप्त रहना उचित नहीं। अकेले भाँति-भाँति के भोजन करना और आनन्दमग्न रहना तो पशु की प्रवृत्ति है। मनुष्य तो वही है, जो मानव मात्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करने हेतु सदैव तत्पर रहे। देश और समाज के संगठनों के पदासीन अध्यक्ष शपथ ग्रहण करते हुए कहते हैं कि, 'वह जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहेगा'

स्वतंत्रोत्तर भारत में अपनी सरकार और संविधान बना। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका समूह को सरकार और उसके अध्यक्ष को राष्ट्रपति (सम्राट) तथा राष्ट्रपति के सलाहकार को मंत्री व मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल तथा मंत्री और राज्यपाल की पदासीनता को राष्ट्रपति का प्रसाद कहा गया। मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव-सुझाव पर राष्ट्रपति के विचारोपरान्त कानून बनाकर क्रियान्वयन हेतु कार्यपालिका को सौंपे जाने को कहा गया। कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के कार्य कहे गए। राज्यों के राजा राज्यपाल एवं उसके सलाहकारों को मंत्री तथा जिलों-नगरों-ग्रामों के राजा को सरपंच व उसके सलाहकारों को पार्षद कहा गया। इन समस्त पदों पर गरीब-कृषक-श्रमिक जनता की पदासीनता को भागीदारी दी गई। केंद्र-ग्राम की सदन-पदासीनताओं में भागीदारी एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निर्धनों, कृषकों, श्रमिकों, अक्षमों हेतु है अर्थात् जनता की सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए है, न कि रहीस-वी.आई.पी. हेतु।

भारतीय संस्कृति बलिदान और त्याग से परिपूर्ण है, परन्तु राजनीति का प्रभाव समाज पर पड़ना स्वभाविक ही है। अब राज-सिंहासनों पर रहीस आजीवन पदासीन हो रहे हैं। अमीर तिजोरियाँ भर रहे हैं एवं गरीब रोटी के लिए तरस रहे हैं। अतएव आज समाज की स्थिति भी अत्यंत दयनीय हो गई है। समाज 2 भागों में बंटा है-एक धनीवर्ग, जो गरीबों की रोजी-रोटी-भूमि छीनकर विलासी जीवन व्यतीत कर रहा है तथा दूसरा निर्धनवर्ग, जो कठोर श्रम करने के बाद भी भूखा सोने को मजबूर होकर रोटी की चिंता में भटक रहा है। गरीब प्रत्येक स्तर पर पर सताया जाता है। उनसे भेद-भाव किया जाता है। वह शक्तिशाली लोगों के आक्रमण व विद्वेष के शिकार हो रहे हैं। पुलिस तो सर्वप्रथम उन क्षेत्रों में ही जाती है जहाँ दरिद्र रहते हैं जैसे कि केवल दरिद्र ही अपराध करते हैं। गरीबों के लिए यह भू-लोक ही नरक बन गया है।

गरीब-जनता कंगाली में जीवन यापन करने और भूखे पेट सोने को मजबूर है। जिसका लाभ उठा कर रहीस-नेता जनसेवा का ढोंग कर संवैधानिक पदों पर आसीन होकर जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हड़प कर जनता को भेंड़ों की तरह हाँक रहे हैं। जनता का बड़ा भाग भोजन-पानी के लिए गुहार लगा रहा है। भिखारियों के भूखे बच्चे बूँद-बूँद दूध के लिए तरस रहे हैं। जबकि पदासीन-जनसेवक देश के धन-सम्पत्ति पर कब्जा जमा कर अपना निजी लाभ कमाने में लगे दिखते हैं। इनके द्वारा आयोजित समारोहों में सरकारी धन-सम्पत्ति पानी की तरह बहा कर रहीस-लुटेरों को महिमा मंडित किया जाता है। यह लोग धनी-सौदागरों-माफियाओं के साथ मंचों पर जाकर एक-दूसरे के प्रति इसलिये प्रेम-लगाव प्रदर्शित कर रहे हैं, ताकि जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इनके अपराधों के विरुद्ध हाथ डालने की हिम्मत न जुटा सकें।

सार्वजनिक विकास योजनाओं का लाभ वास्तविक गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। वास्तविक गरीबों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, रहने के लिए उपयुक्त आवास नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं हैं, बीमार होने पर पर्याप्त चिकित्सा नहीं मिलती है, आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं हैं, मजदूरी मिलती नहीं है, पैतृक पट्टे-आवास भूमि दबंग-रहीसों ने हड़प लिए हैं, सरकारी राशन कोटेदार हड़प रहे हैं, पंजीरी भैंसें खा रहीं हैं, शौचालय-आवास के नाम पर मिली सुविधाएँ प्रधान-सचिव-दलाल हड़प रहे हैं, सरकारी निर्माण कार्यों में घटिया सोइम-ईट लग रही है, नगर निवासी ग्राम प्रधान एवं कोटेदार बने हैं, महिला प्रतिनिधियों के पद दुरुयोग हो रहे हैं। यूरिया, डिटर्जेंट, पेंट से निर्मित दूध-पनीर व विषाक्त मिलावटी खाद्य पदार्थों बिक रहे हैं। एन.जी.ओ. सरकारी-सार्वजनिक जनकल्याणकारी योजनाओं का धन सम्पत्ति हड़प रहे हैं।

दीन-हीन कंगालों, असहायों और दरिद्रों के लिए बनी राष्ट्रीय एवं राजकीय विकास की योजनाओं का लाभ एवं साधन स्वार्थी, विध्वंशक, नाशक, धनी, ठगों, चापलूसों, दलालों एवं संगठित अपराधियों की सुख-सुविधाओं और आय के साधन बने हुए हैं। इस सम्बन्ध में निरीक्षण तथ्य बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, वृद्ध, बीमार की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और यदि कोई ऐसे लोगों की सहायता करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधियों सहित अनेक अधिकारी, कर्मचारी, नेता आदि उसे बुरी तरह अपमानित और प्रताड़ित कर समूल नष्ट करने में कोई कसर बाँकी नहीं रखते हैं।

जनसेवकों की गतिविधियों पर विचारोपरांत हम कह सकते हैं कि, अधिकतर पदासीनों की जनसेवाएँ असत्य, भ्रामक, दिखावा, फर्जी और वास्तविकता से परे हैं। अधिकतर नेता—उद्योगपति—अधिकारी—माफिया अपने निजी प्रतिष्ठानों के कर्मियों व किराए की भीड़ का प्रदर्शन कर परिजनों सहित सदन—सरकार में पदासीनता विरासत के रूप में निरन्तर पा रहे हैं। इनकी पदासीनता वाले जनसम्पर्क—जनसेवा कार्य फर्जी एवं स्वःलाभ तक सीमिति हो रहे हैं। इनकी सदन उपस्थिति स्व वेतन, भत्तों, पेंशन, सुख—सुविधा में वृद्धि व उपद्रव करने तक सीमित हो रही हैं। अधिकतर पदासीनों के परिजन—सम्बन्धी व गुर्गे—दलाल स्वयं—भू मंत्री—सांसद—विधायक—सरपंच या उसके प्रतिनिधि बनकर शिफारिश—ट्रांसफर—पोस्टिंग का धंधा चला रहे हैं तथा उपद्रव करके भय व दहशत उत्पन्न कर गरीबों की सम्पत्ति, भूमि—भवनों, मरघट, चरागाहों, तालाबों, हाटों पर कब्जा कर रहे हैं।

आज देश—समाज के संवैधानिक पदों पर अधिकतर ऐसे लोग पदासीन हैं जो धनाड्य, अधिकायु, अति जर्जर—वृद्ध एवं जन—संपर्क करने में अक्षम तथा जनहित कार्यों की जबरदस्त उपेक्षा करने वाले हैं। अनेक वेतनभोगी, नेता, व्यापारी एन.जी.ओ. चलाकर सरकारी योजनाओं का धन हड़प रहे हैं। इन एन.जी.ओ.में अधिकतर पदासीन व्यक्ति विशेष और उनके परिजन—संबंधी नौकर आपसी हितबद्ध हैं। इनकी फर्जी जनसेवा—प्रस्तावों पर फर्जी हस्ताक्षरों से बड़े—बड़े घोटालों को अंजाम दिया जाता है।

विकास में अवरोधक भ्रष्टाचार प्रदूषक

स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण जीवन का प्रमुख आधार है। जब किन्हीं कारणों से सामाजिक वातावरण में अवांछनीय व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है तथा समाज में भ्रष्टाचार मिल जाता है, तो यह भ्रष्टाचार सामाजिक प्रदूषक है। प्रदूषण का मुख्य कारण मानव स्वयं है जो अपने स्वार्थ एवं सुख के लिए ऐसे कार्य करता है जिससे वातावरण दूषित होता रहता है।

आज भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है। ऐसे लगभग 341 अध्ययन हो चुके हैं, जिनमें रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार तथा कालाधन का हवाला दिया गया है। भ्रष्टाचार चाहे छोटा हो या बड़ा, दोनों से समाज का नैतिक तन्तु क्षीण होता है। बड़े स्तर का भ्रष्टाचार सरकारी ठेकों के काम को गलत ढंग से निपटाने अथवा कुछ लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए ऐच्छिक फैसलों के फलस्वरूप होता है। भ्रष्टाचार आम लोगों की नजर में प्रणाली की वैधता को कम करता है। प्रतियोगिता के आधार पर कुशलता कायम करने की क्षमता कम करता है। भ्रष्टाचार के अनेक रूप हैं, सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से प्रशासन की गुणवत्ता के प्रति लोगों का विश्वास घटता है। **भ्रष्टाचार आमतौर पर इजाजत प्राप्त करने के छोटे स्तर से बड़े स्तर पर बड़े ठेके देने की दोष पूर्ण प्रणाली से जुड़े मामलों और विवेकाधिकार सम्बन्धी फैसला लेने से जुड़े होते हैं।** परन्तु भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आम लोगों की धारणा से सम्बन्धित व्यापक स्तर की समस्या में वृद्धि हुई है। ऐसा जागरूकता तथा सूचना का अधिकार कानून के कारण हुआ है। जागरूक प्रेस, खासकर इलेक्ट्रानिक्स मीडिया के कारण भी पारदर्शिता बढ़ी है। यह सोच सही नहीं है कि आर्थिक सुधारों के कारण भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। वास्तव में अनेक सुधार, जैसे औद्योगिक एवं आयत लाइसेंसों की समाप्ति से अनेक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है जबकि पहले यह व्यापक रूप में कायम था। फिर भी तीव्र आर्थिक विकास से दुर्लभ संसाधनों के मूल्य में वृद्धि हुई है। इन संसाधनों में खनिज, स्पेक्ट्रम या भूमि शामिल हैं। जब तक इनका आवण्टन स्वेच्छिक आधार पर होता रहेगा, जो अपारदर्शी होता है, भ्रष्टाचार बढ़ने की सम्भावना कायम रहेगी। इन क्षेत्रों में सुधार की कमी रही है। यही समस्या का वास्तविक कारण है। हमें सार्वजनिक अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अधिक से अधिक पारदर्शिता कायम कर तथा सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया को और सरल बनाकर भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमें लोकपाल तथा लोकायुक्त जैसी संस्थाओं के माध्यम से सामने आने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के तन्त्रों को भी मजबूत करना होगा। आम आदमी एवं सरकार के बीच सम्बन्ध में भ्रष्टाचार ही एक अड़चन बना हुआ है। यह महत्वपूर्ण होगा कि सार्वजनिक सेवा प्रदाय प्रणाली नागरिक उन्मुखी और समयबद्ध रूप से काम करे। इसके लिए आवश्यक है कि नीतियों एवं कार्यक्रमों पर अमल करने वाली एजेंसियों में राज्य सरकारों की एजेंसियाँ भी शामिल हों जहाँ अधिकतर सार्वजनिक सेवाएँ बुनियादी स्तर पर प्रदान की जाती हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इन परिणामों की प्राप्ति में अहम् भूमिका निभा सकती है। सिटीजन चार्टर, जो सेवा प्रदान करने के लिए एक मानक स्तर कायम करता है, इस मामले में काफी सहायक साबित होगा। नागरिक रिपोर्ट कार्ड या सामाजिक अंकेक्षण के आधार पर स्वतन्त्र संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक सेवाओं एवं प्रशासन की उत्कृष्टता का स्तर एवं मूल्यांकन निर्धारित किया जा सकता है। इन उपायों को आम लोगों को प्राप्त सार्वजनिक सेवा से होने वाली तृप्ति के आधार पर मापा जा सकता है अथवा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है।

केन्द्रीय सूचना का अधिकार कानून 2005 में पारित हुआ। उसके बाद राज्यस्तर पर भी कानून बने। 1990 के दशक में आन्दोलन चले थे और सूचना अधिकार कानून के तहत मिलने वाली जानकारी की वैधता के बारे में अनेक आपत्तियाँ भी प्रकट की गईं और उसमें कुछ छूट भी दी गई, वहीं सूचना के अधिकार को लेकर सक्रिय लोगों को हतोत्साहित भी किया गया। इसके बावजूद कानून को लेकर अनेक सफलताएँ भी मिली हैं। फिर भी अनेक राज्यों में इस कानून की अलग-अलग उपलब्धियाँ हैं।

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग—1966 ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप कर सिफारिश की थी कि भ्रष्टाचार विरोधी 'ओम्बड्समैन' की व्यवस्था केन्द्र एवं राज्यों में की जानी चाहिए। इसे केन्द्र में लोकपाल व राज्यों में लोकायुक्त के नाम से पुकारा जाएगा। कर्नाटक के अलावा लोकायुक्त या समकक्ष पद आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखण्ड, हरियाणा हिमाचल-प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड एवं उ. प्र. में भी सृजित हैं। परन्तु राज्यस्तरीय लोकायुक्तों की नियुक्ति राज्यों में बने विशेष कानूनों के अनुरूप हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि केन्द्रीयकृत ढाँचा व अधिकारों का प्रावधान नहीं है। उनमें काफी अन्तर है। इससे यह भी स्पष्ट है कि लोकायुक्त के रूप में नियुक्त अलग-अलग व्यक्ति की सफलता भी भिन्न-भिन्न है। कम ही लोकायुक्तों ने स्वविवेक से जाँच का काम अपने हाथ में लिया है। लोकायुक्तों के अधिकारों को लेकर भी कई समस्याएँ हैं। कुछ क्षेत्र लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। लोकायुक्तों की सिफारिशें कानूनी रूप से बाधकारी नहीं हैं और न ही उन्हें दण्ड देने का अधिकार है। राज्यों के लोकायुक्तों के समानान्तर ही केन्द्र में भी लोकपाल की नियुक्ति की अपेक्षा की जाती है। इस सम्बन्ध में अनेक विधेयक—1968, 71, 77, 85, 89, 96, 98, 2001, 5, 8 कालातीत हो गए और कोई केन्द्रीय कानून का रूप नहीं ले सका। इस तरह की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह सरकारी नियन्त्रण से मुक्त हो, जिसमें चयन प्रक्रिया भी शामिल है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले अथवा उसकी सूचना देने वाले 'हिसलब्लोअर' की सुरक्षा के लिए भी शीघ्र कानून बन सकता है। विशेष रूप से यह जनहित प्रकटीकरण एवं प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति का संरक्षण विधेयक है जिसे मन्त्रिमंडल ने स्वीकृत प्रदान कर दी है। इस सम्बन्ध में अनेक पहलें हुई हैं जिनका मकसद वैसे सरकारी पदाधिकारियों से निपटना है जो रिश्वत की माँग करते हैं। ऐसे प्रयासों से अनेक राज्यों में भ्रष्टाचार कम करने में सफलता मिली है। इसी तरीके अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा 'जागो रे' अभियान चलाये जा रहे हैं।

अनेक राज्यों द्वारा सार्वजनिक सेवा गारण्टी अधिनियम—2010 पारित किये जाने के उपरान्त कुछ सार्वजनिक सेवाओं जैसे जन्म

प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आवासी प्रमाण पत्र, जलापूर्ति, खसरा, जन्म तथा मृत्यु प्रमाणपत्र के मामले यह कानून समय-सीमा के भीतर कार्य संपादन में सहायक साबित हुआ है। यदि सेवा प्रदान करने में कोई विलम्ब हुआ तो सम्बन्धित अधिकारी पर जुर्माना कर दिया जाता है। इसी तरह का कोई राष्ट्रीय कानून भी बनाया जा सकता है।

ऐसे अनेक सुधारों के फलस्वरूप छोटे-मोटे भ्रष्टाचारों के मामलों में कमी आई है। नागरिकों एवं सरकार के बीच जहां छोटे-मोटे भ्रष्टाचार का प्रश्न है, वे सभी स्थानीय स्तर के निकायों में व्याप्त हैं न कि केन्द्र अथवा राज्यों के स्तर पर। आपूर्ति के मामले में आपूर्ति के स्रोत में सुधार लाने की जरूरत है। इन सार्वजनिक जिनसों एवं सेवा का निर्धारण कौन करता है? कौन यह तय करता है कि मदों के लिए संसाधन किस तरह आवण्टित किया जाए? स्थानीय निकायों का उचित विकेंद्रीकरण, अधिकारियों का नियोजन एवं विकेंद्रीकरण कर ऐसे सवालों के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाया जा सकता है। फिर भी उनके लिए ऐसे कार्यों का निर्धारण केन्द्रीय रूप से होता रहा है, जबकि स्थानीय निकायों के अधिकारियों से अधिक बेहतर सेवा के लिए प्रतिरोध दबाव बढ़ता रहा है। इन अधिकारियों को अक्सर इन आवश्यकताओं के निष्पादन के लिए वहाँ तैनात किया जाता है।

भारत के प्रधान आर्थिक सलाहकार श्री कौषिक बसु का सुझाव कि, **“कुछ तरह की रिष्वत को कानूनी रूप दे दिया जाना चाहिए।”** में उनका मकसद उन वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए रिष्वत से रहा होगा जिनको पाने का लोगों को अधिकार है। भ्रष्टाचार के जिन मामलों का अक्सर जिक्र किया जाता है, उनमें नियमों, नियमनों, नीतियों, कानून, जबाबदेही, पारदर्शिता, ईमानदारी, वैधानिक-न्यायिक प्रणाली के नियन्त्रण का अभाव तथा एकाधिकार, अत्यधिक विवेकाधिकार, निगरानी की कमजोर प्रणाली, अपराध अनुसंधान की निम्न दर शामिल हैं। **ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार निरोधक उपाय इस प्रकार होने चाहिए।**

1. असैनिक सेवा में सुधार के अन्तर्गत आचरण संहिता का पालन, वेतन, प्रविष्टि, पदोन्नति, भ्रष्टाचार निरोधी विश्वसनीय कानून व जबाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए।
2. निजी क्षेत्र को सेवा प्रदान करने का अधिकार देकर सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के एकाधिकार समाप्त किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे अनेक सार्वजनिक सौदों एवं सेवा का बाजार की विफलता में कोई लेना-देना नहीं होता।
3. सार्वजनिक खरीद को अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
4. स्वतन्त्र भ्रष्टाचार निरोधी संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए।
5. जन सामान्य द्वारा उचित प्रतिरोधी दबाव बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए जागरूकता एवं सूचना का आदान-प्रदान आवश्यक है।
6. भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले को उचित सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
7. चूँकि लोकतन्त्र का तात्पर्य जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा है अतः भ्रष्टाचार से जन-सामान्य के हितों को सुरक्षित किया जाना चाहिए।

सरकारी योजनाओं के लूट पर अंकुश बिना जनकल्याण असम्भव

उद्योग करना, यज्ञ करना, अनुशासन करना, दान देना, शत्रु व मित्रों में उनके गुण-दोषों के अनुसार उचित व समान व्यवहार करना, दीक्षा समाप्त कर अभिषेक करना यह सब शासक के व्रत या नियम हैं। प्रजा के सुख में ही शासक को अपना सुख और प्रजा के हित को ही शासक को अपना हित समझना चाहिए। अपने-आपके प्रिय लगने वाले कार्यों को करने में शासक का हित नहीं, अपितु उसका हित तो ऐसे कार्यों को करने में है जो प्रजा जनों को प्रिय लगे। इसलिए शासक को चाहिए कि वह सदा उद्योगशील होकर व्यवहार-सम्बन्धी एवं राज्य-सम्बन्धी कार्यों को उचित रीति से पूरा करे। उद्योग ही अर्थ-सम्पत्ति का मूल है और उद्योगहीनता ही हर तरह के अनर्थों को उत्पन्न करने वाली होती है।

आज लोकतान्त्रिक व्यवस्था के सभी पदों पर राजनीतिक हस्ताक्षेप चरम पर दिखता है। सभी संवर्ग पदों पर आसीन अधिकांश व्यक्ति या तो उच्च पदस्थ विशेष व्यक्तियों के परिवार-दलाल की आवभगत में जुटे हुए हैं अथवा अपने पद पर निष्क्रिय बने हुए हैं। संवैधानिक पदों पर चयन-मनोनयन में अर्ह सामान्यजनों की उपेक्षाकर मनमाने ढंग से पद प्रसाद बने हैं। सरकारी-सार्वजनिक विकास निधियों का धन फर्जी बाउचर्स- बिलों के माध्यम से आपस में बन्दर-बाँट कर हड़पा जा रहा है। आम जनों के कल्याण एवं जनहित के उद्देश्य से निर्मित विकास योजनाओं की धन-सम्पत्ति व्यक्ति विशेष को बेच कर उसके लाभ तक सीमित हो रही हैं। बी.पी.एल., अन्त्योदय, गरीब-असहाय पेन्शन, मनरेगा, ग्रामीण-नगर गरीब आवास, गैस-विद्युत कनेक्शन, राशन आदि योजनाओं का लाभ वास्तविक गरीबों की उपेक्षा कर रही सों को फर्जी गरीब बना कर दिया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में छात्र-शिक्षण हीनता और शिक्षक बाहुल्यता के बावजूद फर्जी छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकभर्ती एवं मिड-डे-मील आदि दुरुपयोग तथा इण्टर-डिग्री कालेजों में नकल-परीक्षा डिग्री बण्टन जारी है। अधिकांश सदन प्रस्ताव सदस्य वेतन वृद्धि एवं जनसमस्याओं की जबरदस्त उपेक्षा तक सीमित हैं। सरकारी खजानों से करोड़ों-अरबों रुपये व्यय कर आयोजित मंचों पर राजनैतिक व्यक्ति विशेष का गुणगान किया जाता है और राजनेताओं द्वारा रोजी-रोटी माँग रही दरिद्र जनता से ब्रेड-बिस्कुट खाने को कहा जाता है।

व्यक्तियों की आय और व्यय पर विचारोपरान्त हम कह सकते हैं कि अधिकांश व्यक्ति कठिन परिश्रम करके भी अपने प्रतिपाल्यों को दो जून की रोटी जुटा पाने में असमर्थ रहते हैं। जबकि सरकारी-सार्वजनिक- लोकतांत्रिक पदों पर आसीन एवं राजनीतिज्ञ निर्धारित वेतन-आय से कई गुना अधिक फिजूल व्यय करके भी अकूत धन-सम्पत्ति संचित करने में सफल हैं। ऐसी स्थिति में हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था सामान्य-जनता के लिए भार तथा पदासीन एवं वी.आई.पी. के लिए व्यापारिक सिद्ध हो रही है। 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' एवं 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' के उद्देश्य विफल होकर 'रहीस-वी.आई.पी. सुखाय' लाभ मात्र तक सीमित हो रहे हैं।

आज में उत्तर-प्रदेश के अधिकांश सरकारी-सार्वजनिक विभागों सहित आयोगों, निदेशालयों, विश्वविद्यालयों, रजिस्ट्रार आदि कार्यालयों में प्रत्येक स्तर के कर्मचारी-अधिकारी जनता के हितों की जबरदस्त उपेक्षा कर अवैध वसूली में जुटे हुए हैं। इनके गिरोह के संगठित अपराधी किसी भी सरकारी कार्य को सम्पन्न कराने के लिए मनमाना धन-कमीशन वसूल कर रहे हैं। इनके गिरोह में सम्मिलित दलालों की दहशत, अराजकता, अवैध-वसूली, कमीशनबाजी आदि जनविरोधी कार्य देश प्रदेश के सरकारी-सार्वजनिक कार्यालयों में खुलेआम दिखाई दे रहा है। आवेदकों के आवेदन, चयन, नियुक्ति, ट्रान्सफर, शिकायत निस्तारण, सरकारी आडिट, अवकाश, कमीशन के रिश्वत-रेट बन्धे हुए हैं। जिनको अग्रिम वसूल किए बिना कोई भी कार्य-आदेश कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकती है। जिसके कारण कार्यालयों में जन-शोषण, उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार चरम पर है तथा रिश्वत का शिकार जनसाधारण एवं दरिद्र हो रहे हैं। सरकारी नियम-कानून, कर्मचारी आचरण संहिता, भारतीय संहिताओं एवं न्यायिक आदेशों की जबरदस्त उपेक्षाकर मनमानी अवैध वसूली की स्थिति चारों ओर चरम पर दिखती है।

आज सरकारी-सार्वजनिक कार्यालयों में बैठे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएँ जनहित की अपेक्षा अपने स्वलाभ तक सीमित हो रही हैं। निदेशालयों, विश्व विद्यालयों मुख्यालयों के कार्यालयों में बैठे प्रमुख अधिकारी अपने अधीन कर्मचारियों से धन लेकर मनमाने ढंग से कार्य-सीट्स आवंटन करते हैं और अधिकांश काउण्टर्स उनकी डीलिंग के अनुसार ठेके पर बेचते रहते हैं। यथा:-

स्थिति-1 उ. प्र. शिक्षा विभाग, चयन आयोग एवं निदेशालय जन-साधारण के लिए कितने उपयोगी और कल्याणकारी तथा निष्पक्ष हैं, का प्रमाण सम्बन्धित अध्यक्षां, सचिवों, कर्मचारियों का चयन एवं मनमानी कार्य प्रणालियों में देखने को मिल रहा है, जिनकी कृपा से प्रदेश व जिला-क्षेत्रों में आपराधिक रेकेट्स चल रहे हैं और उनके द्वारा खुलेआम धन लेकर अनर्ह-नियुक्तियाँ, फर्जी भुगतान एवं मनमाने आदेश जारी हो रहे हैं।

स्थिति-2 फण्ड सोसाइटी एवं चिट्स के क्षेत्रीय कार्यालयों में समितियों के पंजीयन प्रक्रिया में निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त रु.100 काउण्टर पर रु.2500, जनपद-सम्बन्धित बाबू रु.100 प्रतिलिपि-कर्मचारी, रु.100 डिस्पैच कलर्क एवं हजारों रुपये बाहर बैठे दलालों द्वारा खुलेआम वसूले जाते हैं एवं कार्यालय के बाहर जमघट लगाए दलाल, टाइपिस्ट, वकील पंजीकरण-नवीनीकरण की पत्रावलियाँ अपने बिस्तरों एवं घरों पर ले जाकर उनमें हेराफेरी कर अवैध वसूली करते रहते हैं।

स्थिति-3 विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रबन्धकों से रिश्वत लेकर फर्जी प्रपत्रों व अमानक आचार्यों-प्राचार्यों को अनुमोदित किया जा रहा है, अमानक-शिक्षकहीन कालेजों की मान्यता व नकल परीक्षा हेतु धन लेकर अयोग्य-फर्जी लोगों को नियुक्त

किया जा रहा है जो कभी स्कूल में पढ़ाने नहीं जाते हैं और परीक्षा के उड़नदस्ते नकल कराने के लिए अवैध वसूली करते हैं।

स्थिति-4 लोकवाणी केन्द्रों पर मनमान धन लेकर मनमाने प्रमाणपत्र जारी हो रहे हैं।

स्थिति-5 व्यक्ति विशेष के सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध लोग फर्जी सोसाइटी-एन.जी.ओ. एवं कम्पनी बनाकर एवं उनमें स्वयंभू पदासीन होकर अवैध वसूलीकर सरकारी विकास निधियाँ हड़प रहे हैं।

स्थिति-6 सरकारी कर्मचारी-अधिकारी अपने वेतन-भत्तों से अधिक खर्च करके भी अकूत धन-संपत्ति के स्वामी बन रहे हैं।

स्थिति-7 पुलिस रिपोर्ट दर्ज हेतु रु.100, हिरासत से छुड़ाने हेतु रु.15000, एफ.आर. हेतु रु.50000 लिए जाते हैं।

स्थिति-8 सांसद-विधायक निधियाँ बेची जाती हैं।

स्थिति-9 गरीबी उन्मूलन और दरिद्र व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनी सरकारी योजनाएँ-अन्त्योदय, बी.पी.एल., राशन, आवास, इलाज, शौचालय, राष्ट्रीय पुरस्कार आदि का लाभ रहीसों द्वारा फर्जी गरीब बनकर हड़पा जा रहा है जबकि वास्तविक पात्र गरीबों सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।

स्थिति-10 सरकारी स्कूलों में पढ़ाई न होने से आज कोई भी जागरूक व्यक्ति अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं है और सरकारी स्कूलों में छात्र हीनता, शिक्षण विहीनता होने के बावजूद फर्जी छात्र संख्या के आधार पर फर्जीबाड़े चरम पर हैं।

स्थिति-11 बाजार में सामान-सेवा क्रय के भुगतान पर अधिकांश व्यापारी क्रेताओं को रसीद नहीं देते हैं और न ही उनके प्रतिष्ठानों पर कोई भी योग्य व्यक्ति एकाउण्टेण्ट पद पर नियुक्त हैं।

उक्त तथ्यों के अतिरिक्त देश-प्रदेश के अधिकांश सरकारी-सार्वजनिक कार्यालयों की वास्तविक स्थिति ऐसी ही बनी हुई है जिसे किसी भी कार्यालय और प्रतिष्ठान में जाकर देखा जा सकता है। ऐसी सामूहिक स्थितियों के कारण देश-प्रदेश की आम जनता का जीवन बद्-से-बदतर होता जा रहा है। अतः हम जागरूक नागरिकों द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचार कर सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए जिससे सरकारी-सार्वजनिक कार्यालयों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में व्याप्त जन-शोषण एवं भ्रष्टाचार तथा संगठित अपराधी-रैकेट्स पर अंकुश लग सके।

राजनेता और धनी लोग स्वेच्छा से ट्रस्टीशिप के नियम का पालन करें और उचित रूप से जीवन धारण करने मात्र के लिए अपने ऊपर खर्च करते हुए अपनी शेष धन-सम्पत्ति को सर्वसाधारण के हित में लगाएँ। ट्रस्ट में आपसी हितबद्ध लोगों की पदासीनता से प्रथकता एवं जनसाधारण की सदस्यता आवश्यक है।

आज अमीर और गरीब के बीच कितनी ही असमानताएँ तथा उनसे पैदा होने वाली समस्याएँ हैं। अमीर के यहाँ उसे नहीं चाहिए कि वैसी वस्तुएँ जो भरी पड़ी होती हैं, जो लापरवाही से खो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं; जबकि इन्हीं वस्तुओं की कमी के कारण करोड़ों लोग यहाँ-वहाँ भटकते हैं; भूखों मरते हैं, ठण्ड से ठिठुर जाते हैं। करोड़पति अरबपति होना चाहता है, फिर भी उसको सन्तोष नहीं होता। कंगाल करोड़पति होना चाहता है; कंगाल को भरपेट ही मिलने से सन्तोष होता हो-ऐसा नहीं देखा जाता। फिर भी भरपेट पाने का हक, और उतना पाने योग्य बनाना समाज का कर्तव्य है। संरक्षकता या प्रन्यास का सिद्धान्त इसी कर्तव्य से सम्बन्धित है।

आर्थिक क्षेत्र में पाई जाने वाली असमानताओं को दूर करने के दो सम्भावित उपाय हैं। इनमें एक **साम्यवादी** उपाय है कि अमीरों का धन उनसे जबरदस्ती छीनकर सर्व हित के उपयोग में लाया जाए और दूसरा अमीर लोग स्वेच्छा से, कर्तव्य समझकर, अपना धन सर्व-साधारण के हित में लगाएँ और अपने को निर्धनों का **संरक्षक या प्रन्यासी** समझें। साम्यवादी उपाय हिंसापूर्ण है इसलिए अहिंसक मार्ग यह है कि जितनी उचित मानी जा सकें उतनी आवश्यकताएँ पूरी करने के बाद जो पैसा बाकी बचे उसके धनी, प्रजा की ओर से संरक्षक बन जाए। अगर वह प्रामाणिकता से संरक्षक बनेगा तो जो पैसा पैदा करेगा उसका सद्व्यय भी करेगा। जब मनुष्य अपने-आपको समाज का सेवक मानेगा, समाज के लिए धन कमाएगा और समाज के कल्याण के लिए उसे खर्च करेगा, तब उसकी कमाई में शुद्धता आएगी। उसके साहस में भी अहिंसा होगी। इस प्रकार की कार्य-प्रणाली का आयोजन किया जाए, तो समाज में बगैर संघर्ष के मूक क्रान्ति पैदा हो सकती है।

यदि समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी शक्तियों का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन में वृद्धि नहीं, बल्कि सबके कल्याण के लिए करे, तो क्या इससे समाज की सुख-समृद्धि में वृद्धि नहीं होगी? हमें ऐसी जड़ समानता का निर्माण नहीं करना चाहिए जिसमें कोई आदमी अपनी योग्यताओं का पूरा-पूरा उपयोग कर ही न सके। ऐसा समाज अन्त में नष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए धनवान लोग चाहे करोड़ों रूपए कमाएँ (बेशक इमानदारी से हो), लेकिन उसका उद्देश्य सारा पैसा सबके कल्याण में समर्पित कर देने का होना चाहिए। दूसरे शब्दों में धनी लोगों को इस सम्बन्ध में सदैव सचेत रहना चाहिए कि जो धन उनके पास है (उसमें से उनकी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन निकालकर शेष धन) वह वास्तव में जो समाज की धरोहर है और वे उसके संरक्षक हैं; इसलिए वह धन जनकल्याण-कार्य में ही खर्च होना है। यही प्रन्यास या संरक्षकता का सिद्धान्त है। इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार धनी वर्ग के पास जो अत्यधिक धन है उसमें से उन्हें केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धन खर्च करना चाहिए और बाकी केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धन खर्च करना चाहिए और बाकी धन जो बचता है उसे जनहित में लगा देना चाहिए क्योंकि धनी वर्ग बचे हुए धन का संरक्षक मात्र है उपभोक्ता नहीं। समाज से यह धन उसे धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है, उपभोग के लिए नहीं यही विचार संरक्षकता के सिद्धान्त में अन्तर्निहित भावना है। अहिंसात्मक उपाय के द्वारा न तो हम पूँजीपति को नष्ट करना चाहते हैं और न ही पूँजीवाद को। हम पूँजीपति को निमन्त्रण देते हैं कि वह अपने को उन लोगों का संरक्षक माने जिनके परिश्रम पर वह अपनी पूँजी

को बनाने, कायम रखने तथा उसे बढ़ाने के लिए आश्रित है।

हमारा विश्वास है कि समानता या धन के समान वितरण की समस्या की जड़ में संरक्षकता का सिद्धांत है। हमारे समाज की कल्पना यह है कि हम पैदा तो समान होते हैं अर्थात् हम सबको अवसर पाने का अधिकार है, परन्तु हम सबकी क्षमता या शक्ति एक जैसी नहीं होती। प्रकृति की रचना ही ऐसी है कि क्षमता एक जैसी हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए, सबकी एक जैसी ऊँचाई, एक जैसा रंग, एक जैसा नाक-नक्शा या एक जैसी बुद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए स्वभावतः ही कुछ लोगों की कमाने की योग्यता अधिक होगी और दूसरों की थोड़ी। बुद्धिशाली लोगों की योग्यता अधिक होगी और वे अपनी बुद्धि का इस काम के लिए उपयोग करेंगे। यदि वे उपकार की भावना रखकर अपनी बुद्धि का उपयोग करें तो राज्य का ही काम करेंगे। ऐसे लोग संरक्षक बनकर रहते हैं, और किसी भी रूप में नहीं। समाज बुद्धिशाली लोगों को अधिक कमाने देगा, उसकी बुद्धि को कुपित नहीं करेगा। परन्तु उसकी अधिकाँश कमाई राज्य की भलाई के लिए वैसे ही काम आनी चाहिए, जैसे कि पिता के सारे कमऊ पूत की आमदनी परिवार के कोष में जमा होती है। वे अपनी कमाई के संरक्षक बनकर ही रहेंगे।

माना कि विरासत के अथवा उद्योग-व्यवसाय के द्वारा मुझे काफी बड़ी सम्पत्ति मिल गई। तब मुझे यह जानना चाहिए कि वह सब सम्पत्ति मेरी नहीं है, बल्कि मेरा तो उस पर इतना ही अधिकार है कि जिस तरह दूसरे लाखों आदमी गुजर करते हैं उसी प्रकार मैं भी सम्मान के साथ अपनी गुजर करूँ। मेरी शेष सम्पत्ति पर राष्ट्र का अधिकार है और उसी के हित के लिए उसका उपयोग होना आवश्यक है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन तब हुआ था, जबकि जमींदारों और राजाओं की सम्पत्ति के सम्बन्ध में समाजवादी सिद्धान्त देश के सामने आया था। समाजवादी विशेष सुविधाएँ पाए हुए इन वर्गों को खत्म कर देना चाहते थे, जबकि **माँधी जैसे महापुरुष** चाहते थे कि वे (जमींदार और राजा) अपने लोभ और परिग्रह की भावना को छोड़ें और उन लोगों के समकक्ष बन जाएँ जो मेहनत करके रोटी कमाते हैं। श्रमिकों को भी यह अनुभव करना होगा कि श्रमिक का काम करने की शक्ति पर जितना अधिकार है, मालदार आदमी का अपनी सम्पत्ति पर उससे कम अधिकार नहीं है। यह दूसरी बात है कि इस तरह के सच्चे संरक्षक-ट्रस्टी कितने हो सकते हैं। अगर सिद्धान्त ठीक हो तो यह बात गौण है कि उसका पालन अनेक लोग कर सकते हैं या केवल एक ही आदमी कर सकता है। यह प्रश्न आत्मविश्वास का है।

यदि भारी प्रयत्न करने पर भी धनिक संरक्षक न बनें और भूखों मरते हुए करोड़ों को अहिंसा के नाम से और अधिक कुचलते जाएँ तब क्या किया जाए? इस प्रश्न का उत्तर ढूँढ़ने में ही अहिंसक असहयोग और सविनय कानून-भंग का सिद्धान्त या साधन प्राप्त हुए। कोई धनवान गरीबों के सहयोग के बिना धन नहीं कमा सकता। इसलिए यदि गरीब अहिंसक असहयोग आन्दोलन चलाएँगे तो धनवान को बाध्य होकर ही घुटने टेक देना होगा।

भरसक प्रयत्न करने पर भी यदि धनिक संरक्षकता के नियमों का पालन न करे, उस स्थिति में राज्य का कर्तव्य है, राज्य कम हिंसा का आश्रय लेकर उनसे उनकी सम्पत्ति अपने हाथों में ले लेनी चाहिए....इसी कारण गाँधी जी ने गोलमेज परिषद में यह कहा था कि सभी निहित हित वालों की जाँच होनी चाहिए और जहाँ आवश्यक मालूम हो वहाँ मुआवजा दिए बिना ही, जहाँ जैसा उचित हो, उनकी सम्पत्ति राज्य को अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर तो यही होना चाहिए कि राज्य के हाथों में शक्ति का अधिक केन्द्रीय करण होने के बजाय ट्रस्टीशिप की भावना का विस्तार हो, क्योंकि मेरे विचार में राज्य की हिंसा की तुलना में वैयक्तिक मालिकी या पूँजीपतियों की हिंसा कम हानिकारक है। लेकिन यदि राज्य की मालिकी अनिवार्य ही हो तो मैं भरसक राज्य की कम-से-कम मालिकी की सिफारिश करूँगा।

लोक-हित में धन खर्च करने का तात्पर्य यह नहीं कि धनिक उस धन-सम्पत्ति को गरीबों में बाँट देगा। वैसे करने से तो उसे खा-पीकर शीघ्र ही बराबर कर देंगे। वह उसे प्रथम तो ऐसे उद्योगों व व्यवसायों में लगाएगा जिससे सर्व-साधारण को कार्य मिल सके। उसके उद्योगों में मजदूरी व संरक्षण मिलेगा। पूँजी का उपयोग स्वभावतः सामाजिक होता है। बिना दूसरों को काम दिए, उनमें वितरण किए पूँजी का उपयोग ही नहीं हो सकता। दूसरे, वह उस धन को सार्वजनिक हित के कार्यों में भी लगाएगा जैसे जलाशय आदि निर्माण करने, विद्यालय स्थापित करने इत्यादि में। भूमि सरीखे उत्पादन के साधनों का भूमिहीन लोगों में सीधे वितरण भी किया जाएगा। इस प्रकार अहिंसा व प्रेम के मार्ग से साम्यवाद का लक्ष्य-समता- प्राप्त हो सकता है। इस दृष्टि से गाँधीवाद पूँजीवाद और साम्यवाद दोनों का प्रतिद्वन्दी एक तीसरा मार्ग है, जिसमें दोनों के गुणों का समन्वय है और दोनों ही के दोषों का अभाव है।

भ्रष्टाचार उन्मूलन और लोकोद्धार

“भ्रष्टाचार कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जान-बूझकर उत्तरदायित्वों की अवहेलना है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो वह भ्रष्टाचारी है।”

भारत में जनजीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या भ्रष्टाचार की है। देश की लोकतंत्रीय सरकारों में जनता के मत से चुने हुए लोग सरकार बनाते हैं। अस्तु, चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल सब प्रकार के भ्रष्ट उपायों को अपनाते हैं। मतदाताओं को रुपया बाँटा जाता है, शराब पिलाई जाती है और दावतें दी जाती हैं जिससे अशिक्षित-शिक्षित और निर्धन लोग के वोट मिल जाते हैं। जनतन्त्र में शिक्षित और अशिक्षित, चरित्रवान और चरित्रहीन व्यक्तियों की मतदान की शक्ति में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए मतदान में भ्रष्ट उपायों के अपनाने को नहीं रोका जा सकता है।

जिस देश के न्यायालयों में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हो, उसे जनतंत्र की संज्ञा देना जनतंत्र का अपमान करना है। हमारे देश में राजनैतिक एवं प्रशासकीय क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि न्याय के क्षेत्र में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। रिश्वत देकर मुकदमों की तारीखें बढ़वा लेना तो सामान्य बात है, पैसे के प्रभाव से न्यायाधीशों के फैसले भी बदलवाए जा सकते हैं। न्याय के क्षेत्र में भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि भारत में वकालत पेशा ही झूठ बोलने का पेशा माना जाने लगा है।

सरकारी कार्यालयों में चाहे वे शिक्षा विभाग के कार्यालय हो या विजली विभाग के कार्यालय, कर्मचारियों का स्थानान्तरण कराने के लिए एवं अन्य किसी कार्य के लिए भ्रष्ट उपायों को बिना अपनाए हुए कार्य नहीं चल सकता। जब कभी कोई चरित्रवान कर्मचारी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवज उठाने की चेष्टा करता है तो उससे अधीन कर्मचारी और उसके कार्यालय दोनों ही उसके विरुद्ध हो जाते हैं, उसे तरह-तरह परेशान किया जाता है जिससे या तो वह नौकरी छोड़ देता है या फिर अन्य लोगों का साथ देता है। कुछ सरकारी कार्यालयों में व्यापारियों से सरकारी कर्मचारियों के कमीशन बंधे हुए हैं, जो कि सामान्य रूप से उन्हें मिलते रहते हैं। जब कभी पुलिस विभाग में जाँच कमीशन बैठाए गए तो उन्होंने व्यापक भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया परन्तु भ्रष्टाचार कभी भी कम नहीं हुआ। वेश्याएँ, चोर, डकैत, ठग, लुटेरे व नाना प्रकार के अपराध में लगे हुए व्यक्ति रिश्वत के सहारे साफ निकल जाते हैं। वे हिस्से पहुँचाने के बाद निश्चिन्त होकर जुआ घर, शराब खाने और वेश्यालय चलाते हैं। कोई भी नियम लागू करने पर पुलिस को रुपया देकर छूट जाना आसान है। पुलिस का भ्रष्टाचार केवल अधिकारियों तक सीमित हो, ऐसी बात नहीं है, अधिकतर पुलिस अधिकारी निपराध लोगों को उल्टे-सीधे आरोप लगाकर फाँस लेते हैं व अपमान तथा जेल का भय दिखाकर उनसे मनमाना धन वसूल करते हैं व निर्दोषों को जेल में डलवा देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में बेईमानी, व्यापार में रिश्वत भ्रष्ट उपायों से ठेका लेना, झूठे प्रकार के विज्ञापन, कम तौलना, सरकारी टैक्स न देना, फर्मी का दिलावा निकाल कर जनता का पैसा हड़प कर लिया जाता है।

गाँवों एवं नगरों में ग्राम एवं नगर पंचायतें अनेक प्रकार के प्रशासन सम्बन्धी कार्य करती हैं। पंचायतें सफाई, व्यापार, शिक्षा, निर्माण आदि से सम्बन्धित कार्यों की देखभाल करती हैं। स्वायत्त शासन की इन संस्थाओं में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसका एक कारण इन संस्थाओं में चुने जाने वाले लोग हर प्रकार से भ्रष्टाचार अपनाते हैं और चुने जाने के बाद भ्रष्टाचार के द्वारा अपनी कुर्सी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। पंचायतों के चुनाव में रिश्वत एवं हिंसात्मक कार्यवाही से लेकर अति घृणित भ्रष्ट उपाय अपनाने तक में संकोच नहीं किया जाता है।

धार्मिक स्थान पर लोग मन्दिर और धर्मशालाएँ, धार्मिक भावनाओं से बनवाते हैं, किन्तु इनकी देखभाल करने वाले पुजारी, पण्डे और महन्त इन स्थानों पर हर तरह के भ्रष्ट कार्य करते हैं। यहाँ पर हर तरह के नशे का सेवन किया जाता है, प्रसाद को बाजार में बेच दिया जाता है और इन स्थानों पर आने वाली महिलाओं से दुर्व्यवहार किया जाता है। धर्म के नाम पर जनता के द्वारा चढ़ाया पैसा अधर्म के कार्यों में लगाया जाता है। धार्मिक स्थानों पर आने वाले भोले-भाले नर-नारियों को अनेक प्रकार के असत्य झूठी-सच्ची कहानियाँ सुनाकर मनमाना धन लूटा जाता है।

समाजिक सबन्धों में भ्रष्ट क्रियाओं की वृद्धि हो रही है। यौन सम्बन्धी व्याभिचार से विवाह सम्बन्धी संस्थाएं भ्रष्ट हो रही हैं। अविवाहित और विधवाओं में यौन भ्रष्टाचार अत्याधिक फैला हुआ है। विधवा पुनर्विवाह को समाज में अधिक अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है जिससे उनमें बहुत-सी आजकल वैधव्य भोगने के लिए मजबूर होती है। आज यौन सम्बन्धों में व्याभिचार को यांत्रिक और रासायनिक परिवार नियोजन के साधनों से भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गर्भ निरोध के उपायों के प्रचार से पूर्व और विवाह के बाद यौन व्याभिचार बढ़ रहे हैं। धन के प्रभाव में अधिक आयु के पुरुष अल्पायु की बालिकाओं से विवाह करते हैं। इस प्रकार बेमेल विवाह भ्रष्टाचार फैलाते हैं। विवाह में दहेज की मनमानी माँग व दावत स्टेटस सिम्बल बन गई है।

आजकल शिक्षण संस्थाओं, विशेषतया बालिका स्कूल-कालेजों में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में संगीत व नृत्य की संस्थाओं में यौन भ्रष्टाचार के प्रमाण मिल रहे हैं। कन्या विद्यालयों में प्रबन्ध समिति के सदस्य अध्यापकाओं पर एवं प्राध्यापक शोधार्थियों पर विशेष अनुचित दबाव डालकर भ्रष्टाचार फैलाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कम वेतन देकर अधिक वेतन की रसीद लिखवाना, छात्रों से अनुचित धन लेना, फर्जी बिल दिखाकर सरकार से सहायता वसूल कर भ्रष्ट आचरण किया जा रहा है। मद्यपान, जुआ खेलना, वेश्यागमन, यौन दुराचार आदि व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से व्यक्ति का चरित्र विघटित होता है और इससे सामाजिक सम्बंध बिगड़ते हैं।

भ्रष्टाचार के विवेचन से स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन किए बिना देश में किसी सुधार की आशा नहीं की जा सकती। इसके लिए मूल बात लोगों के नैतिक स्तर को उठाना है। जिससे वे समाज में अपने उत्तरदायित्व को समझें और अनुचित उपायों का सहारा लेने से बचे रहें। फिर भी विभिन्न क्षेत्रों के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कुछ विशिष्ट उपाय किए जा सकते हैं। व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में हर जगह लोग रिश्वत देकर कानून भंग करते हैं। कहीं मिलावट करने, काला बाजार करने या टैक्स न देने की हालत में लोग पकड़े जाते हैं तो भी वे आसानी से छोड़ दिए जाते हैं। इस सम्बन्ध में लम्बे समय से यह सुझाव दिया जा रहा है कि आवश्यक वस्तुओं में मिलावट करने वालों और काला बाजार करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए क्योंकि वे मनुष्यों के जीवन से खेलते हैं। यदि नकली दवाएँ बनाने वाले और खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वालों को आजन्म कारावास या इसी प्रकार का कठोर दंड दिए जाए तो निश्चित ही भ्रष्टाचार दूर किया जा सकता है।

भ्रष्टाचार के सबसे अधिक उदाहरण सरकारी कार्यालय ही उपस्थित करते हैं। जब जनता के लोगों को कार्यालयों में कदम-कदम पर रिश्वत देनी पड़ती है तो उनका नैतिक बना रहना असम्भव है। कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने का तरीका इस सम्बन्ध में नियम बनाना एवं कर्मियों के आचरण पर कठोर नजर रखना है। जो भी कर्मि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएँ उनको नौकरी से हटा देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश की पुलिस सबसे अधिक संगठित अपराधी संस्था मानी जाती है। इसमें संदेह नहीं है कि लगभग प्रत्येक नगर में पुलिस के कुछ लोग गुण्डों, वेश्याओं, जुआरियों तथा शराब बेचने वाले अपराधी वर्ग के व्यक्तियों से मिले रहते हैं जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। पुलिस विभाग में सुधार से दो लाभ होंगे, एक तो स्वयं पुलिस कर्मचारियों में से भ्रष्टाचार दूर होगा और दूसरे पुलिस के ईमानदार व सतर्क होने से जनता में भ्रष्टाचारी व्यक्ति अपनी हरकतों से बाज आयेंगे। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि उच्च पदस्थ पुलिस वालों के विरुद्ध जनता की शिकायत आने पर उसकी जाँच की जानी चाहिए और यदि जाँच में पुलिस वाला अपराधी सिद्ध होता है तो उसे कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।

देश में कदम-कदम पर न्यायालयों से जनता का शोषण किया जाता है। केवल वकील ही नहीं, बल्कि चपरासी, पेशकार, कलर्क और न्यायाधीश तक रिश्वत लेते देखे जाते हैं। इनको दूर करने के लिए वेश बदलकर राजनेता व प्रशासनिक अधिकारीगण रिश्वत खोरों का पता लगा सकते हैं और रंगे हाथों पकड़े जाने पर उन्हें कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भारतीय दण्ड विधान में सुधार करने की विशेष जरूरत है। कई बार ऐसे कानून बना दिए जाते हैं, जिनमें भ्रष्टाचार की सूचनादाता को ही सूचना की प्रमाणिकता भी सिद्ध करनी पड़ती है एवं भ्रष्टाचारी व्यक्ति पर मुकदमा भी चलाना पड़ता है तब कहीं सूचना पर अमल होता है। होना यह चाहिए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार की सूचना लाने पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा या नेताओं द्वारा तुरन्त जाच की जानी चाहिए और यदि वह अपराधी अभियुक्त सिद्ध होता है तो उसे दण्ड दिया जाना चाहिए। वैध स्रोतों की आय से अधिक आय दण्डनीय होनी चाहिए।

शिक्षा और समाज

E (अन्दर) और **DUO** (वृद्धि या विकास) से मिलकर बना लैटिन भाषा का **EDUCATUM** शब्द से **शिक्षा** शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। जिसका तात्पर्य बालक के अंदर छिपी हुई शक्तियों को सामाजिक वातावरण में विकसित करने की कला है। प्राचीन काल की शिक्षा के अंतर्गत **निर्देशन** द्वारा ज्ञान को बाहर से मस्तिष्क में खाली वर्तन की भाँति भराया जाता था जब कि आधुनिक शिक्षा शिक्षण की उपेक्षा सीखने पर बल देती हुई **मार्गदर्शन, अभिवृद्धि** तथा **सामाजिक विकास** के रूप में उपस्थिति होती है।

बालक के मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक सामाजिक एवं अध्यात्मिक विकास की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य—बालक में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा उसमें सामाजिक कुशलता के गुणों का विकास करना है। पाठ्यक्रम में उन विषयों जिनके अध्ययन से बालक का मानसिक विकास हो जाए को सम्मिलित किया जाता है। बालक के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा सहगामी दोनों प्रकार की क्रियाओं एवं अनुभवों को सम्मिलित करके पाठ्यक्रम को लचीला तथा प्रगतिशील बनाने पर बल दिया जाता है जिससे प्रत्येक बालक अपनी-अपनी रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होकर समाज की यथा शक्ति सेवा करता रहे। पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ज्ञानार्जन सम्बन्धी विषयों की अपेक्षा सामाजिक अध्ययन महत्वपूर्ण है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए रटन्त-पद्धति की अपेक्षा खेल-विधि से सीखने की विधि तथा योजना आदि शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग से प्रत्येक बालक अपनी-अपनी रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार वास्तविक जीवन के अनुभव प्राप्त करके स्वयं विकसित होता है। दमन की अपेक्षा शिक्षक का प्रभाव तथा नियंत्रित स्वतंत्रता से बालक में आत्म अनुशासन की भावना विकसित होती है। बालक की शैक्षिक प्रगति ज्ञात करने के लिए परीक्षा के निबन्धात्मक प्रश्नों से बालक में रटन्त शक्ति विकसित होती है। वस्तुनिष्ठ, प्रगति-पत्र तथा वर्धनशील लिखित विवरण—Cumulative Records) से बालक की विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रगति का पता चलता है। शिक्षा का दायित्व स्कूल शिक्षक, परिवार, समुदाय, धर्म, राज्य, सरकार सभी औपचारिक साधनों पर होता है जिसके लिए सभी साधनों को स्कूल रूपी औपचारिक साधनों से साथ सहयोग करना होता है। **शिक्षक** का स्थान एक निर्देशक या तानाशाह न होकर एक मित्र, दार्शनिक तथा पथ-प्रदर्शक मानकर उनसे अपेक्षा होती है कि वह बालकों के साथ सहानुभूति पूर्ण तथा व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके सामाजिक, रुचियों, आदतों तथा दृष्टिकोणों को विकसित करेंगे। **बाल-केन्द्रित** शिक्षा के अन्तर्गत बालक अधिक से अधिक सक्रिय रहता है। पाठ के विकास में रुचि लेते हैं तथा शिक्षक बालकों के मध्य अधिक से अधिक अन्तःप्रक्रिया से प्रत्येक बालक का अधिक से अधिक विकास होता है।

स्कूल समाज का लघुरूप है साथ ही शिक्षा एक उद्योग तथा शिक्षक शिक्षा रूपी उद्योग का व्यवस्थापक बनकर बालकों के लिए सीखने की व्यवस्था करता है और यह देखता है कि बालकों की शिक्षा में लगाई गई पूँजी (लागत—Input) के अनुपात में प्रक्रिया (Process) द्वारा योग्यता (निर्गत—Output) में वृद्धि हुई या नहीं। शिक्षा एक प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण के अतिरिक्त दूसरे विषयों की भाँति अध्ययन का एक स्वतन्त्र विषय या अनुशासन है। यह निजी पाठ्यवस्तु, पाठ्य व्यवस्था का क्रिया से सम्बन्ध, निजी विधियाँ, शोध की निजी विधियाँ, चित्रत क्षेत्र तथा प्रथम संकाय इसकी विशेषताएँ हैं।

ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा के विभिन्न पक्ष—अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, अनुशासन, परीक्षा साधन, शिक्षक, बालक और स्कूल—कालेज हैं जिसकी आधुनिक धारणाएँ क्रमशः विकास, व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिक कुशलता, बाल के प्रति क्रिया प्रधान—सामाजिक अध्ययन, खेल और योजना, आत्म अनुशासन, वस्तुनिष्ठा, प्रगति पत्र, वर्धन के लिए, लिखित विवरण, अनौपचारिक, निज-दार्शनिक—पथप्रदर्शन, सक्रिय और सामाजिक लघुरूप है।

प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं व आवश्यकताओं के अनुकूल ही अपनी शिक्षा व्यवस्था करता है। किसी समाज की मान्यता और आवश्यकता उसकी सामाजिक संरचना तथा भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के अनुकूल होती है। समाज में होने वाले परिवर्तन भी उसके स्वरूप एवं आवश्यकताओं को बदलते हैं। इसके अनुसार उनकी शिक्षा का स्वरूप बदलता है। समाज की संरचना एवं भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियाँ तथा संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन से शिक्षा का स्वरूप बदलता रहता है। भौगोलिक स्थिति पर नियन्त्रण एवं धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियाँ तथा संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जिस समाज में जैसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है वैसी ही उस समाज की संरचना होने लगती है। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा आधारभूत भूमिका अदा करती है।

जनगणना-2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1210193422 जिसमें 623724248 पुरुष, 586469174 स्त्रियाँ एवं कुल साक्षरता प्रतिशत 74.04 जिसमें 82.14% पुरुष, 65.46% स्त्रियाँ, लिंगानुपात 1000 : 940 हैं। शिक्षा पूर्ति के लिए देश में विद्यालयों की संख्या—प्राथमिक—756950, उच्च प्राथमिक—300008, हाईस्कूल एवं इण्टर—165087, केन्द्रीय विद्यालय—981, नवोदय विद्यालय—576, महाविद्यालय—11458, महिला महाविद्यालय—2260, व्यवसायिक डिग्री कालेज—7024, विश्व विद्यालय—371, राज्य विश्वविद्यालय—268, केन्द्रीय विश्वविद्यालय—40, तकनीकी—इन्जीनियरिंग—2388, मास्टर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन 1137 विद्यालय हैं। शोध स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—1953 तथा पत्राचार स्तर पर राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय—1989 और इंदिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय—इग्नू—1985 संचालित हो रहा है।

पुरुषों और महिलाओं के मध्य, सर्वत्र तथा अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा बहुसंख्यक व अल्पसंख्यकों की शिक्षा के मध्य अत्यधिक असमानता है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षानीति के अंतर्गत महिलाओं, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, बिकलांगों, की शिक्षा और प्रौढ़

शिक्षा के विकल्पों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। शैक्षिक असमानता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाव दिए गए हैं। महिलाओं की समानता के लिए शैक्षिक अवसरों एवं साक्षरता प्रतिशत वृद्धि को विशेष महत्व दिया गया है। इसके बावजूद महिलाओं के क्षेत्र में शिक्षा का योगदान पर्याप्त नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा तथा साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हुई है परन्तु लड़कियों के विषय में यह स्थिति गम्भीर है।

संविधान की धारा 29 व 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति संरक्षण का प्रावधान है। अल्पसंख्यक अपनी भाषा या धर्म पर आधारित संस्थाएँ खोलकर संचालित कर सकते हैं। धारा 350A के अधीन भाषा को अल्पसंख्यकों की मातृभाषा पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व राज्य सरकार या स्थानीय निकायों को सौंपा गया है। इन संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में वृद्धि हुई है। अल्पसंख्यकों का प्रतिशत 18.6 है। राष्ट्रीय स्तर पर बिकलांगों की शिक्षा हेतु लगभग 1000 विशेष केंद्रों में बिकलांग बच्चों का लगभग 5% शिक्षा पाते हैं। संख्या दृष्टि के अतिरिक्त इन बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक पहलू में सुधार की आवश्यकता है। 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए निरक्षरता समाप्त हेतु केन्द्र, राज्य सरकारों और समाज सेवियों द्वारा विभिन्न प्रकृति के साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रौढ़ और सतत शिक्षा के लिए विस्तृत कार्यक्रम एवं साधन अपनाए जा रहे हैं।

वस्तुतः राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर पर्याप्त धनराशि व्यय होने के बावजूद इसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। इन कार्यक्रमों में कागजी कार्यवाही की औपचारिकता—खानापूर्ति अधिक तथा वास्तविक कार्यक्रम कम हैं। ऐसी स्थिति में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की सघन समीक्षा एवं मूल्यांकन, उच्चशिक्षा, अनुसन्धान की संस्थाओं द्वारा किया जाना जरूरी प्रतीत होता है।

जो व्यक्ति शिक्षा पा लेता है उसका समाज में प्रत्येक स्थान—स्तर पर सम्मान होता है। वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षा सामाजिक संरचना की दृढ़ता एवं जन्म आधारित वर्ग भेद समाप्त करती हैं तथा समाज से संकीर्ण स्तर को नष्ट करती हैं। यही नहीं शिक्षा जनतांत्रिक आदर्शों को प्राप्त करने, उच्च सामाजिक स्थितियों को प्राप्त कराने, उत्तम आदतों एवं स्थायी भावों के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। यही नहीं, शिक्षा व्यक्ति को उसकी योग्यताएँ, क्षमता एवं प्रकृति के अनुसार सामाजिक पद प्राप्त करने योग्य बनाती है, जिससे गतिशीलता बढ़ती है।

शिक्षक प्रायः सामाजिक स्थिति को समूहों की संरचना में अन्तर्गत ही प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो शिक्षक अपने स्थान से उच्च पद प्राप्त कर लेता है उसकी सामाजिक स्थिति तब प्रतिष्ठा उच्च हो जाती है। छात्र की सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि शिक्षा की मात्रा, पाठ्यवस्तु, विशिष्टता, उपाधि, कालेज या विश्वविद्यालय की महत्ता या छवि पर निर्भर होती है जिससे छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर महत्वपूर्ण पद पर सेवा प्राप्त करता है, की स्थिति में वृद्धि होती है। अधोमुखी गतिशीलता में व्यक्ति उचित शिक्षा से अभाव ग्रस्त होता है। उसकी गतिशीलता नीचे की ओर चली जाती है। शिक्षा द्वारा उपरिमुखी तथा अधोमुखी दोनों प्रकार की गतिशीलता के बीच सन्तुलन की आवश्यकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार, सरकार जनता को शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा करेगी। शिक्षा आयोग—1964—66 से 1986 तक सकल राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की थी किन्तु 1985—86 में विकास दर 9% ही रही। ऐसी खराब आर्थिक स्थिति के कारण सरकार शिक्षा पर केवल 3% ही व्यय कर सकी और शिक्षा की प्राथमिकता सूची से काफी नीचे आ गई तथा सरकार शिक्षा पर अधिक व्यय करने की स्थिति में नहीं रही जिससे शिक्षा का निजीकरण आवश्यक समझा जा रहा है।

शिक्षा का निजीकरण या निजी स्वामित्व का मात्रात्मक प्रदर्शित करती हैं। इसका स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं को निजी क्षेत्र में सौंपकर सरकारी अधिकार को कम करना है। अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में निजीकरण के प्रभाव महसूस किए जा रहे हैं इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। शिक्षा के सम्बन्ध में प्राचीनकाल से वर्तमान तक प्रचलित दो धारणाएँ (1) राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य नियन्त्रित शिक्षा, (2) व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से राज्य नियन्त्रण से परे शिक्षा प्रबंध और संचालन प्रमुख रही है। आधुनिककाल में प्रथम धारणा किसी न किसी रूप में समाजवादी विचार धारा एवं द्वितीय धारण स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था से जुड़ी है।

शिक्षा के निजीकरण ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। शिक्षक, शिक्षण, प्रकटीकल्स, पुस्तकालय, प्राचार्य और कर्मचारियों का अभाव एवं अमानकता से शिक्षा व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। नकल, ट्यूशन, बिना पाठन डिग्री—उपाधि वितरण व्यवसायों से शिक्षा प्रदूषित हो रही है। शिक्षण संस्थाओं में दिखावा ज्यादा होता है तथा विद्यार्थी एवं अभिभावकों का आर्थिक शोषण होता है। शिक्षण संस्थाओं का संचालन भारी वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियंत्रण अति आवश्यक है। शिक्षा नवीन प्रवृत्तियों सहित व्यवसाय की ओर उन्मुख हो, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, राज्य और शिक्षा के निजीकरण पर नियन्त्रण आवश्यक हो। ट्रस्ट, सोसाइटी, वाणिज्य, सरकारी—आदेश एवं शैक्षिक व्यवस्था के वैधानिक प्रवधानों का अनुपालन होना चाहिए। प्रबन्धतन्त्र में अभिभावकों, शिक्षाविद्, समाजसेवी, स्थानीय, साधारण—जनता को ही सदस्य पदाधिकारी बनाया जाना चाहिए। प्रबन्धतन्त्र में परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, राजनैतिक, सरकारी लोगों को पदाधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रबन्धतन्त्र का शैक्षिक हस्तक्षेत्र एवं कालेज सम्पत्ति का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों में मात्र मानकपूर्ण शिक्षक, शिक्षण, वेतन भुतान, परीक्षा होनी चाहिए। प्रबन्धतन्त्र को चन्दे, दान, अनुदान, आय, शुल्क धन सरकारी कोषागार में जमा जमा होना चाहिए। शिक्षक—कर्मचारियों को वेतन—भत्ते का भुगतान कोषागार चैक से वितरित होना चाहिए। कालेज आडिट नियमित एवं जबाबदेह होना चाहिए। ट्यूशन एवं नकल तथा अवैध वसूली तत्काल बन्द होनी चाहिए। मान्यता, पाठ्यक्रम, शिक्षक, कर्मचारी, प्रबन्धतन्त्र, बजट विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। जिला प्रशासन की जबाबदेही होनी चाहिए।

शिक्षा उपाधि

(विद्यालय—विश्वविद्यालय—बोर्ड के लोगों के रैकेट्स की फर्जी डिग्री तस्करी का विवेचन)

व्यक्ति की शिक्षा उपलब्धि उसकी उपाधि है। डिग्री की वैधता अध्ययन की औपचारिक प्रक्रिया से गुजरना है। व्यक्तित्व की गुणवत्ता उसके व्यवहारिक आचरण से प्रदर्शित होती है। व्यक्ति का सार्वभौमिक पवित्र आचरण समाज को सद्गति देता है अन्यथा की स्थिति व्यक्ति—समाज अफवाहों के मकड़जाल में उलझकर अन्धानुकृत जीवन संघर्ष करता है।

औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा साधनों को व्यक्ति चरणबद्ध अपनाकर अध्ययन प्रारम्भ करता है। अध्ययन के प्रथम चरण में प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ होती है जिसमें शिक्षा के औपचारिक साधनों के माध्यम से शिक्षा का परिचय अभ्यास होता है। अध्ययन के द्वितीय चरण में शिक्षा की व्यवहारिक उपयोगिता का अभ्यास होता है। अध्ययन के तृतीय चरण में जीवन के सार्वभौमिक विषयों की व्याख्या का अभ्यास होता है। अध्ययन के चतुर्थ चरण में जीवन के विशिष्ट विषयों की विस्तृत व्याख्या होती है। अध्ययन के पंचम चरण में सीमित विषय क्षेत्रों की विस्तृत व्याख्या, विवेचन एवं तुलनाएँ होती हैं। अध्ययन के षष्ठम चरण में एक विषय क्षेत्र की अति विस्तृत व्याख्या, तुलना, विवेचन, गुणागुण से प्राप्त निष्कर्ष निर्धारण एवं मूल्यांकन होता है। अध्ययन के अंतिम चरण में किसी एक विषय क्षेत्र की उपयोगिता, गुणागुण, तुलना, मूल्यांकन, तर्क, तथ्य निष्कर्षों का परीक्षण होता है जिसके आधार पर नियम और सिद्धान्त प्रतिपादित होते हैं। अध्ययन का प्रथम चरण प्राथमिक शिक्षा, द्वितीय चरण उच्च प्राथमिक या जूनियर शिक्षा, तृतीय चरण उच्चतर या हाई—स्कूल शिक्षा, चतुर्थ चरण माध्यमिक शिक्षा, पंचम चरण स्नातक या बैचलर शिक्षा, षष्ठम चरण स्नातकोत्तर या मास्टर शिक्षा एवं अन्तिम चरण डॉक्टरल (Ph.D.) एवं पोस्ट डॉक्टरल फेलो (P.D.F.) तथा मेजर रिसर्च प्रोग्रामर (M.R.P.) उपाधि है। अध्ययन की चरणबद्ध प्रक्रिया से प्राप्त ज्ञान की दक्षता उपरान्त शिक्षार्थी उपाधि से विभूषित होता है।

शिक्षा ग्रहण की सर्वोच्च उपाधि डॉक्टरल व पोस्ट डॉक्टरल उपाधि है। इस उपाधि के लिए व्यक्ति की विशिष्ट शैक्षिकता एवं परिपक्वता आवश्यक है। परिपक्व—स्नातकोत्तर उपाधि के लिए स्नातक, स्नातक उपाधि के लिए माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा प्रवेश की प्रारम्भिक आवश्यकताएँ हैं जो शिक्षा परिपक्वता की बुनियाद हैं। मेडिकल, इन्जीनियरिंग, वाणिज्य, विधि, कम्प्यूटर, शिक्षण, प्रशिक्षण शिक्षा क्षेत्रों की प्राथमिक, माध्यमिक, बैचलर, मास्टर, डॉक्टरल उपाधियाँ होती हैं।

शिक्षा एवं चिकित्सा जनसमाज की मूल—भूत आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति सरकार व समाज के दायित्व में है। इसके लिए जनसाधारण के संवैधानिक अधिकार निर्धारित हैं। दायित्व उपेक्षा दंडनीय है। शिक्षा की संरचना, साधनों का निरूपण व विस्तार मुहैया कराना केंद्र—राज्य का संयुक्त दायित्व है।

शिक्षा का नियन्त्रण प्राथमिक—जूनियर स्तर पर राज्य—जनपद, हाईस्कूल—इण्टरमीडिए स्तर पर राज्य केन्द्रीय बोर्ड, स्नातक—स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान या रिसर्च स्तर पर यू.जी.सी.—भारत सरकार द्वारा संचालित होता है। शिक्षा का पाठ्यक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकारी सहायता, वित्तपोषित, स्ववित्त—पोषित, अल्पसंख्यक समस्त शिक्षा संस्थानों की शिक्षा शिक्षण, शिक्षक, पाठ्यक्रम, सम्पत्ति, कर्तव्य, संचालन एवं प्रबन्धतन्त्र व्यवस्था सरकारी नियमबद्धता से निर्धारित होता है और सरकारी नियम बद्धता के कारण भी संस्थान में किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व नहीं हो सकता है। शिक्षा संस्थानों के प्रबन्धन में जन—साधारण की सार्वजनिक भागीदारी निर्धारित होती है। शैक्षिक संस्थानों का उपयोग शिक्षण कार्य मात्र तक सीमित होता है। प्रबंधतंत्र या कोई स्वच्छन्द विचरण प्रतिबंधित होता है।

आज समाज में शिक्षा की गुणवत्ता समाप्त होती जा रही है। शिक्षालयों व विद्यालयों की शिक्षा एवं उपाधियाँ अर्थ एवं नकल के प्रभाव तक सीमित हो चुकी है। शैक्षिक डिग्री व्यापारिक हो गई है। गुणवत्ताहीन शिक्षा की डिग्रियाँ खुलेआम बिक रहीं हैं। धन व सिफारिश से प्राप्त सरकारी योजनाओं के धन का वितरण तथा नौकरियाँ फर्जी डिग्रियों पर आधारित हो गयीं हैं अर्थात् फर्जी डिग्रियाँ सरकारी नौकरी, पद—प्रतिष्ठा का आधार व सामाजिक योजनाओं के हरण का जबरदस्त माध्यम बन गई हैं।

शिक्षा में अमानक साधनों का औपचारिक उपभोग एवं भ्रष्टाचार शिक्षा प्रदूषण का कारण बन गया है। शिक्षा विकास प्रबन्धतन्त्र के स्वविकास के प्रचार माध्यम तक सीमित हो गया है। शिक्षालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तथा सरकार तक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले भ्रष्टाचार को समाप्त करने में असक्षम साबित हो चुके हैं। शैक्षिक योजनाओं का धन एवं संस्थान शरारती लोगों की आजीविका एवं विलासिता के साधन बन गए हैं। शिक्षानुख विद्यार्थियों को प्रदूषित शिक्षा मिलने से उनका व्यक्तित्व पतित हो रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप देश—समाज अति गम्भीर समस्याओं के मकड़जाल में उलझता जा रहा है। शिक्षा उपाधियों से व्याधिग्रस्त समाज के कल्याण हेतु शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त होना एवं जनसाधारण को रोजगारपरक मानकयुक्त शिक्षा मुहैया करायी जानी आवश्यक हो गया है। शिक्षण, बजट, आडिट नियमित व जबाबदेह होना चाहिए। अमानक शिक्षक, शिक्षण, ट्यूशन, अवैध वसूली, फर्जी उपाधि—डिग्रियाँ वितरण पर तत्काल अंकुश लगाना चाहिए। सरकारी वेतनभोगी और राजनैतिक लोगों की संस्थान प्रबन्धन में स्वयंभू पदासीनता दण्डनीय होना चाहिए। संस्थानों में कार्यरत सरकारी वेतनभोगी एवं प्रबन्धतन्त्र के सदस्यों की आय स्रोत से अधिक आय जबाबदेह तथा दण्डनीय होनी चाहिए।

पी-एच.डी. हीन लोगों द्वारा नाम पूर्व डॉ. उपाधि दुरुपयोग बन्द होना चाहिए

कम पढ़े-लिखे एवं पी-एच.डी.हीन मानद उपाधि धारकों द्वारा शैक्षिक अपने नाम पूर्व डॉ.लिखकर शैक्षिक डिग्री का दुरुपयोग किए जाने से जहाँ एक ओर शैक्षिक मानक व शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षित पी-एच.डी. धारक बुरी तरह से हतोत्साहित होकर अपनी योग्यतानुरूप मान-सम्मान एवं पदक-पुरस्कारों से जबरदस्त बंचित हो रहे हैं।

अनेक मानद उपाधि धारक व अल्प शिक्षित एवं पी-एच.डी.हीन अपने नाम पूर्व डॉ. लिख कर शैक्षिक डिग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं। मानद उपाधि निजी सम्मान तक सीमित है न कि शैक्षिक डॉ. डिग्री के समान नाम पूर्व डॉ. लिखने के लिए है। यदि कोई मानद उपाधि सम्मान धारक नाम पूर्व ऑनरेरी शब्द लिखे बिना या पी-एच.डी. हीन डॉ. शब्द लिखता है तो उसके कृत मानद उपाधिधारकों की भूमिकाओं को संदिग्ध एवं मानद उपाधि के दुरुपयोग को प्रमाणित करता है।

मानद उपाधि धारकों, प्रबुद्धजनों एवं सूचना सम्प्रेषकों को चाहिए कि मानद उपाधिधारियों के नाम पूर्व अकाडेमिक डॉ. डिग्री का मानकीय दुरुपयोग न होने दें। ताकि शैक्षिक मानकों व पी-एच.डी.धारकों एवं विद्यार्थियों के हित सुरक्षित बने रहें।

जन-उपयोगी नहीं रही परिषदीय शिक्षा एवं सरकारी चिकित्सा

भारत कृषि प्रधान देश है जहाँ दुनिया के एक तिहाई गरीब रहते हैं और प्रत्येक तीसरा व्यक्ति गरीब अर्थात जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ—रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित है। जबकि जन-साधारण को जीवन की मूलभूत जरूरत पूर्ति हेतु अनेक कल्याण योजनाओं पर राष्ट्रीय बजट का बड़ा भाग व्यय हो रहा है। इसके बावजूद गरीबी एवं निरक्षरता की स्थिति भयावह होती जा रही है और दरिद्रता—निरक्षरता उन्मूलन फर्जी आँकड़ों तक सीमित हो रहा है।

जनपद फर्रुखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण—जनसम्पर्क के दौरान मैंने फर्रुखाबाद जिले के नगर—ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण—जनसम्पर्क किया और परिषदीय स्कूलों की शिक्षा एवं सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा का स्थिति देखी। **परिषदीय स्कूलों में छात्र हीनता एवं शिक्षण हीनता के बावजूद जरूरत से अधिक शिक्षकों, शिक्षामित्रों, प्रेरकों, अनुदेशकों, रसोइयों का जमावड़ा है।** फर्जी छात्र संख्या लिख कर पद मिड—डे—मील, ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर, शिक्षा के नाम पर अनाप—शनाप धन दुरुपयोग हो रहा है। **यह जग—जाहिर वास्तविकता है कि** परिषदीय स्कूलों में दशको पूर्व से पढ़ाई न होने से कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों—प्रतिपाल्यों को इन स्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं है यहाँ तक कि इन स्कूलों के निरक्षर रसोइया, शिक्षक, कर्मचारी, स्कूल समिति अध्यक्ष भी अपने प्रतिपाल्यों को इन स्कूलों में पढ़ाने की अपेक्षा अनपढ़ रखना अधिक पसन्द करते हैं। इनमें पंजीकृत अधिकांश छात्र इन स्कूलों के वास्तविक छात्र नहीं हैं अर्थात निजी स्कूलों में पढ़ने वाले या शिक्षा से वंचित कबाड़ बीनने वाले या बालश्रमिक फर्जी छात्र बने हैं जो इन स्कूलों में कभी भी पढ़ने ही नहीं आते हैं एवं इनके नाम पर फर्जीबाड़ा जारी है। इसी प्रकार **सरकारी चिकित्सालयों** में सरकार द्वारा अधिकारी, कर्मचारी, जाँच, दवा आदि व्यवस्था को मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय आय की बहुत बड़ी रकम मासिक—वार्षिक व्यय होने के बावजूद यहाँ आने वाले रोगियों के स्वास्थ्य की न तो मानकीय जाँच होती है और न ही सही चिकित्सा दी जा रही है बल्कि निजी अस्पतालों के दलाल रोगियों को चंगुल में फंसाकर शोषण का शिकार बना रहे हैं। जिसके कारणों में कार्यरत अधिकारियों के संरक्षण में व्याप्त अराजकता प्रमुख है।

दि.23.1.17 को अपराह्न 1 बजे डॉ.राम मनोहर लोहिया हास्पिटल फर्रुखाबाद जाकर मैंने देखा कि फिजीशियन कक्ष में लगी भीड़ के रोगियों के रोगों की जाँच करने वाला चिकित्सक नहीं है और बताया गया कि ड्यूटी वाले चिकित्सक नहीं आएँगे। तो मैंने उस तथाकथित चिकित्सक से उसका परिचय और पद की जानकारी चाही तो वह अभद्रता करने लगा तब मैंने सी.एम.एस. कक्ष में जाकर प्रकरण की जानकारी लोहिया अस्पताल के सी.एम.एस. को दी तदुपरान्त तथाकथित चिकित्सक ने सी.एम.एस कक्ष आकर अपने को नेशनल कालेज का छात्र बताया तो मैंने नाम—पता एवं सम्बन्धित कालेज विवरण की जानकारी चाही एवं चिकित्सक ड्यूटी का पलायन एवं तथाकथित चिकित्सक द्वारा लोहिया अस्पताल में मरीजों की जाँच एवं चिकित्सा करने एवं अराजकता के विरुद्ध कार्यवाही करने को कहा परन्तु सी. एम. एस. द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही तथाकथित चिकित्सक के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराई गई और न ही मौजूद रोगियों को उचित चिकित्सा मिल सकी परन्तु कागजी खानापूर्ति जारी रही। इसी प्रकार आज **व्यक्ति नौकरी तो परिषदीय स्कूलों में करना चाहते/कर रहे हैं** परन्तु अपने बच्चों को परिषदीय स्कूलों में न पढ़ा कर निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसी भूमिकाएँ एवं क्रिया—कलापों से परिषदीय शिक्षा निकृष्ट एवं निजी स्कूलों की शिक्षा श्रेष्ठ सिद्ध होती है।

दि.14.1.2018 को दैनिक जागरण, पेज 3 पर प्रकाशित समाचार अचम्भे में डाल रही ऑपरेशन की रफ्तार में मोतियाबिन्दु ऑपरेशन की स्थिति एवं उद्धृत तथ्य जनता को चिकित्सा से उपेक्षा एवं फर्जीबाड़ा का अतिगम्भीर तथ्य है। चूँकि जनपद में संचालित अधिकांश नर्सिंग होम एवं निजी चिकित्सालय तथा मेडिकल स्टोर्स के अधिकांश मालिक सरकारी नौकरियों में कार्यरत या उच्च पहुँच वाले हैं जो धन, पद और प्रतिष्ठा के प्रभाव में साधारण जनो को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सरकारी योजनाओं के लाभ को जबरदस्त वंचित कर व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं।

परिषदीय शिक्षा और सरकारी चिकित्सा की उक्त स्थिति में व्याप्त गम्भीर तथ्य जनपद फर्रुखाबाद अधिकांश परिषदीय स्कूलों एवं सरकारी चिकित्सालयों में व्यापक रूप में व्याप्त है। इसके बावजूद इनमें **औचक निरीक्षण एवं फर्जीबाड़े—घोटले बाजों के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही के अभाव में फर्जी मरीज—छात्र संख्या के आधार पर नौकरी—भर्ती व ड्यूटी जारी है और असहाय, गरीब, कंगाल सहित सामान्य जन जीवन की उपयोगी शिक्षा और चिकित्सा से वंचित हैं।**

निष्कर्षस्वरूप परिषदीय स्कूल एवं सरकारी अस्पतालों जन-उपयोगी नहीं है। यह जनता की शिक्षा व स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने में नाकाम होकर बिना काम वेतन, फर्जी शिक्षा—चिकित्सा, माफियाओं, दलालों, व्यापारियों, अराजकतत्त्वों के लिए वरदान सिद्ध हैं। युद्ध स्तरीय सुधार आवश्यक है।

विद्या विधान और संस्थान

(फर्रुखाबाद जनपद के कालेजों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

शिक्षा और समाज का अत्यन्त घनिष्ठ संबंध है। प्राचीनकाल में जब हमारा समाज प्रमुख रूप से धर्म और परम्पराओं द्वारा संचालित होता था तब शिक्षा का प्रमुख कार्य विद्यार्थियों को धर्म और परम्पराओं का बोध कराना था। सामन्तवादी प्रथा में निरंकुश राजाओं को प्रजा ईश्वर का अवतार समझती थी, विद्यालयों में दमनात्मक, अनुशासन लागू था, विद्यार्थियों को राजाज्ञा मानने के आदर्श अनुपालन करने की शिक्षा दी जाती थी लेकिन आधुनिक समाज में काफी परिवर्तन आए हैं। अनेकों नये उद्योग एवं नये नगरों के विकास के फलस्वरूप नये मूल्यों का निर्माण हुआ है। पश्चिमी संस्कृति के आदान-प्रदान के फलस्वरूप यहाँ के लोगों के विचारों और रहन-सहन में काफी परिवर्तन आया है। इन नवीन परिवर्तन के परिणाम स्वरूप शिक्षा जगत में भी अनेक परिवर्तन आए हैं। वर्तमान में शिक्षा का यह प्रमुख दायित्व है कि विद्यार्थियों को प्रजातन्त्र की विशेषताओं से अवगत कराये, उन्हें नए युग के नए मूल्य सिखाए, पश्चिम में क्रान्तिकारी आविष्कारों का बोध कराएँ, नए जीवन के आदर्शों का महत्त्व बताए तथा उदार मानवतावाद के सांचे में ढाले।

वर्तमान में राष्ट्र स्वरूप को प्राप्त सभी राष्ट्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का उत्तरदायित्व है। इस दृष्टि से देश विशेष की सम्पूर्ण जनता राज्य का समाज होती है। जब हम शिक्षा के सम्बन्ध में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य राज्य या राष्ट्र की सम्पूर्ण जनता से होता है। प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुकूल ही अपनी शिक्षा व्यवस्था करता है। किसी समाज की मान्यता और आवश्यकताएँ उसकी सामाजिक संरचना तथा उसकी भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के अनुरूप होती है। समाज में होने वाले परिवर्तन भी उसकी आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के अनुकूल होते हैं। स्वरूप एवं आवश्यकताओं को बदलते हैं, उनके अनुसार शिक्षा का स्वरूप बदलता है।

शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए केन्द्र व राज्य सरकारें जनता के लिए विद्यालय एवं कालेज संचालित करती हैं और इनके प्रबन्धन एवं नियंत्रण तथा संचालन के लिए शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय, अधिनियम व आयोग बने हैं जिनके माध्यम से समाज के लोग विभिन्न योग्यताएँ धारण कर देश-समाज की सेवा में शामिल होते हैं।

देश-राष्ट्र व मानव समाज के विकास के लिए नागरिकों की शैक्षिक परिपक्वता जरूरी है। मानक युक्त शिक्षा के अभाव में किसी राष्ट्र एवं समाज का विकास सम्भव नहीं है। देश-समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा की पूर्ति हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारें शिक्षा के मानक, पाठ्यक्रम, शिक्षक-कर्मचारी पद की योग्यता व वेतनमान, शिक्षण, प्रशिक्षण, भवन, कक्ष, प्रयोगशाला, परीक्षा, उपाधि, साधन आदि निर्धारित करती हैं और वित्तीय सहायता एवं आवश्यक साधन प्रदान करती है तथा परिस्थिति वश उत्पन्न राष्ट्र-समाज की समस्याओं के समाधान हेतु शोधकार्यों को सम्पन्न कराती हैं।

शिक्षा की पूर्ति हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण के साधन, पाठ्यक्रम, वित्ति, प्रबन्धन के लिए जो मानक विधान निर्धारित हैं उनकी उपेक्षा से देश-समाज पर अच्छे-बुरे प्रभावों के आंकलन की आवश्यकता महसूस करते हुए मैंने शिक्षा जगत की शिक्षण संस्थानों की शैक्षिक, प्रबन्धकीय तथा मानकीय व्यवस्था के प्रदर्शित वर्तमान स्वरूपों पर विद्यालयों का अध्ययन करना आवश्यक समझा है। इसी आधार पर मैंने प्रतिदर्श के रूप में उत्तर प्रदेश के कानपुर मण्डल के फर्रुखाबाद जनपद में संचालित महाविद्यालयों जिनमें वित्त पोषित एवं स्ववित्तपोषी तथा राजकीय कालेज है, का निदर्श के रूप में अवलोकन-अध्ययन प्रारम्भ किया और शिक्षा संस्थाओं के प्रमुख, शिक्षकों, छात्रा-छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया और औपचारिक-अनौपचारिक माध्यम से शिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर तथ्य संकलित किए। शिक्षा अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम, सरकारी आदेश-संग्रहों एवं कालेज व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं अवलोकन से प्राप्त जानकारी के आँकड़ों पर विचार करके मैंने यह जानने का प्रयास किया कि क्या विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्य और उनकी गतिविधियाँ, पाठ्यक्रम, शिक्षक, कर्मचारी, वेतन-भत्ते, शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रयोगिक कार्य, परीक्षा, निरीक्षण, व्यवस्थाएँ मानक युक्त हैं या नहीं।

जनगणना-2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1210193422 जिसमें 623724248 पुरुष, 586469174 स्त्रियाँ एवं कुल साक्षरता प्रतिशत 74.04 जिसमें 82.14% पुरुष, 65.46% स्त्रियाँ, लिंगानुपात 1000:940 हैं। शिक्षापूर्ति के लिए देश में विद्यालयों की संख्या-प्राथमिक-756950, उच्च प्राथमिक-300008, हाईस्कूल-इण्टर-165087, केन्द्रीय विद्यालय-981, नवोदय विद्यालय-576, महाविद्यालय-11458, महिला महाविद्यालय-2260, व्यवसायिक डिग्री कालेज-7024, विश्वविद्यालय-371, राज्य विश्वविद्यालय-268, केन्द्रीय विश्वविद्यालय-40, तकनीकी-इंजीनियरिंग-2388, एम.सी.ए. 1137 विद्यालय हैं। शोध स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-1953 तथा पत्राचार स्तर पर राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय-1989 और इंदिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू 1985 संचालित हो रहा है। 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए निरक्षरता समाप्त हेतु केन्द्र, राज्य सरकारों और समाज सेवियों द्वारा विभिन्न प्रकृति के साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रौढ़ और सतत शिक्षा के लिए विस्तृत कार्यक्रम एवं साधन अपनाए जा रहे हैं।

सोसाइटी अधिनियम-1860 की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार, सोसाइटी शिक्षा की आवश्यकता एवं पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित होती है। सोसाइटी के लिए स्थानीय कार्यालय, सदस्यता, शुल्क, चुनाव, बैठकें, अधिवेशन, योगदान, सदस्य योग्यता, अवैतनिक समाजसेवा,

सोसाइटी चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा का सार्वजनिक उत्तरदायित्व आवश्यक है। पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से शिक्षण संस्थान संचालित किए जा सकते हैं। सोसाइटी के मामले सोसाइटी का रजिस्ट्रार स्वयं या किसी के माध्यम से निरीक्षण या अन्वेषण करवा कर देखता है, जहाँ सोसाइटी के उद्देश्य विफल हो रहा हो, सोसाइटी अपने मामलों के कुप्रबन्धन की दोषी हो, सोसाइटी ने छन्द सम्बन्धी या किसी अन्य बाध्यताओं का उल्लंघन किया हो।

शिक्षा सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय होगा जिसका अपना भवन होगा। सोसाइटी लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक, राजनैतिक दलहीन, गैर कानूनी संस्था से पृथक, अहिंसक, समाज सेवक, अनुशासित, निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने के साथ निर्धारित शुल्क जमाकर्ता समिति का सदस्य हो सकता है। सोसाइटी की सदस्यता का अधिकाधिक वर्ष मार्च से फरवरी तक होगा।

सोसाइटी के कार्य या लक्ष्य एवं उद्देश्य भारत के महापुरुषों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक कृतियों के एकत्रीकरण, प्रकाशन और शोध सहायता करना, सोसाइटी में शिक्षा के प्रचार एवं विस्तार के लिए प्रयास करना, सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति तथा संस्था एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण हेतु समय-समय पर खेलकूद, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं अध्यात्मिक विषयों पर विचार-गोष्ठी का आयोजन करना, सदस्यों में सहकारिता एवं सहभागिता की भावना निर्मित करना, सोसाइटी की सामाजिक व आर्थिक एवं समस्याओं पर अध्ययन एवं शोध कार्य करना, पर्यावरण संरक्षण तथा परिस्थितिक विकास के लिए प्रयास करना, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता तथा सद्भावनाओं को बढ़ावा देना, सामाजिक अभिशापों-दहेज, छुआ-छूत, नशा, हिंसा, अशिक्षा, आदि समाप्त करने हेतु जनमत तैयार करना है।

सोसाइटी की समस्त आय प्राप्तियाँ, चल-अचल सम्पत्तियों का उपयोग सोसाइटी के ज्ञापन में प्रदत्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा और किसी भी सदस्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का लाभ, बोनस या लाभांश के रूप में नहीं दिया जाएगा। सोसाइटी की किसी भी चल-अचल सम्पत्ति पर किसी भी सदस्य का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा तथा कोई भी सदस्य उससे किसी प्रकार का लाभ अर्जित नहीं करेगा। सोसाइटी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगी।

सोसाइटी और विद्यालय—शिक्षा संस्थानों द्वारा संचालित कालेज या संस्थानों के मामले का प्रबंधन सोसाइटी का शासी निकाय द्वारा किया जाता है। यदि सोसाइटी द्वारा कालेज या संस्थान का संचालन किया जाता है, तो उसके मामलों के लिए शासी निकाय या प्रबन्ध समिति का गठन होगा। राज्य शिक्षा एवं विश्वविद्यालय अधिनियम यह अपेक्षा करते हैं कि कालेज के मामलों के प्रबन्ध के लिए एक समिति का गठन होना चाहिए। यदि सोसाइटी द्वारा एक से अधिक कालेजों की स्थापना की जाती है और संचालन किया जाता है तो प्रत्येक कालेज के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ सोसाइटी द्वारा एक ही कालेज का संचालन किया जाता है, वहाँ सोसाइटी द्वारा दो प्रबन्ध समितियों का गठन किया जाना चाहिए, एक कालेज में मामलों के प्रबन्ध के लिए तथा दूसरा सोसाइटी के मामलों के प्रबन्ध के लिए। सोसाइटी-कालेज के लिए दोनों प्रबन्ध समितियों की पदावधि भिन्न-भिन्न होती है किन्तु यदि दो अधिनियमों के अधीन गठित 2 प्रबन्ध समितियाँ एक ही हैं, तो कालेज की प्रबन्ध समिति की अवधि के साथ समिति के लिए गठित प्रबन्ध समिति की अवधि का भी समापन हो जाता है।

शिक्षा अधिनियमों के अन्तर्गत कोई भी पंजीकृत सोसाइटी द्वारा विद्यालय संचालित किए जा सकते हैं। शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कोई भी पंजीकृत सोसाइटी अपने क्षेत्र के सदस्य-व्यक्तियों को बोर्ड-विश्वविद्यालय की परीक्षा की तैयारी हेतु विद्यालय संचालित कर सकती हैं। जिसके लिए सोसाइटी के सामान्य सदस्यों की खुली बैठक में प्रस्ताव एवं चुनाव द्वारा विद्यालय प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का गठन होगा जिसके आधार पर विद्यालय संचालन की प्रशासन योजना निर्मित हो सकेगी और शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासन योजना का अनुमोदन-रिनूवल उपरान्त ही कोई भी सोसाइटी विद्यालय से सम्बद्ध हो सकती है।

विद्यालय प्रबंध समिति में पदेन सदस्य सहित कुल **15 सदस्य** हो सकते हैं। 3 प्रदेन सदस्यों के अतिरिक्त 12 सदस्यों का चयन सभा कोटि के सदस्यों को सम्मिलित कर साधारण सभा द्वारा बहुमत के आधार पर किया जाएगा। समिति के किसी जाति धर्म एवं समुदाय का एकाधिकार नहीं होगा तथा कोई भी **आजीवन पदाधिकारी-सदस्य** नहीं होगा। पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सचिव-प्रबन्धक, उप-प्रबन्धक, कोषाधिकारी होंगे। विद्यालय समिति का कोई भी सदस्य एक-दूसरे के परिजन-**सम्बन्धी** नहीं होंगा और न ही शिक्षा संशोधित अधिनियमों के अन्तर्गत संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था का कर्मचारी, शिक्षक या विद्यालय प्रबन्ध समिति का पदाधिकारी हो सकेगा। प्रत्येक दशा में प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पूरे होने के एक माह पूर्व नयी प्रबन्ध समिति का गठन करना होगा। साधारण सभा के सभापति प्रबंध समिति को अनुरोध पत्रों को संलग्न करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक से चुनाव हेतु पर्यवेक्षक की माँग कर सकेगा। वर्ष में कम से कम 2 बार साधारणसभा की बैठक आवश्यक होगी और सभी सदस्य अवैतनिक होंगे। सोसाइटी अपनी एव सदस्यों की आय के स्रोतों से विद्यालय को निस्वार्थ धन उपलब्ध करायेंगे तथा सोसाइटी-विद्यालय की धन सम्पत्ति पर किसी भी सदस्य का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होगा और न ही कोई सदस्य-पदाधिकारी विद्यालय से कोई भत्ता प्राप्त कर सकेगा।

शिक्षा की उपयोगिता एवं आवश्यकता की पूर्ति हेतु छात्र-छात्राओं को अध्ययन के लिए मानकपूर्ण विद्यालय, पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रयोगशाला एवं योग्य शिक्षक, स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रदूषण मुक्त भोजन, औषधि, सुरक्षा के लिए न्याय तथा अपराध के लिए दण्ड बुनियादी जरूरी है। हमारा लोकतान्त्रिक संविधान जन-सामान्य के संरक्षण एवं उसकी आवश्यकता की पूर्ति व्यवस्था हेतु दृढ़ संकल्पित है। हमारी सरकारें-कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपनी यथाशक्ति से देश की जनसमस्याओं का समाधान कराने में अपने दायित्वों का निर्वाहन कर रही हैं। परन्तु स्वार्थी-अराजक लोग सरकारी व्यवस्था में घुसपैठ कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर अराजकता कर रहे हैं। पर्यावरण सहित समाज की अधिकांश वस्तुएँ बुरी तरह विषाक्त तथा प्रदूषित की जा रही हैं। जीवन की बुनियादी शिक्षा शिक्षकहीन, शिक्षण-प्रशिक्षण हीन, प्रयोगशालाहीन, नकलयुक्त और उद्देश्यहीन हो गई है।

शिक्षा का उद्देश्य—बालक में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा उसमें सामाजिक कुशलता के गुणों का विकास करना होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा के विभिन्न पक्ष—अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, अनुशासन, परीक्षा साधन, शिक्षक, बालक और स्कूल—कालेज हैं जिसकी आधुनिक धारणाएँ क्रमशः विकास, व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिक कुशलता, बाल के प्रति क्रिया प्रधान—सामाजिक अध्ययन, खेल और योजना, आत्म अनुशासन, वस्तुनिष्ठा, प्रगतिपत्रा, वर्धन के लिए, लिखित विवरण, अनौपचारिक, निज—दार्शनिक—पथप्रदर्शन, सक्रिय और सामाजिक लघुरूप है।

प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं एवं जरूरतों के अनुकूल ही अपनी शिक्षा व्यवस्था करता है। किसी समाज की मान्यता व आवश्यकता उसकी सामाजिक संरचना तथा भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के अनुकूल होती है। समाज में होने वाले परिवर्तन भी उसके स्वरूप एवं जरूरतों को बदलते हैं। इसके अनुसार उनकी शिक्षा का स्वरूप बदलता है। समाज की संरचना एवं भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियाँ एवं संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन से शिक्षा का स्वरूप बदलता रहता है। भौगोलिक स्थिति पर नियन्त्रण एवं धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियाँ तथा संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जिस समाज में जैसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है वैसी ही उस समाज की संरचना होने लगती है। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा आधारभूत भूमिका अदा करती है।

संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार, सरकार जनता के शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा करेगी। शिक्षा आयोग—1964—66 से 1986 तक सकल राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की। किन्तु 1985—86 में विकास दर 9% ही रही। ऐसी खराब आर्थिक स्थिति के कारण सरकार शिक्षा पर मात्र 3% ही व्यय कर सकी और शिक्षा की प्राथमिकता सूची से काफी नीचे आ गई तथा सरकार शिक्षा पर अधिक व्यय करने की स्थिति में नहीं रही जिससे शिक्षा का निजीकरण जरूरी समझा जा रहा है।

शिक्षा का निजीकरण या निजी स्वामित्व का मात्रात्मक प्रदर्शित करती हैं। इसका स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं को निजी क्षेत्र में सौंपकर सरकारी अधिकार को कम करना है। अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में निजीकरण के प्रभाव महसूस किए जा रहे हैं। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। शिक्षा के सम्बन्ध में प्राचीनकाल से वर्तमान तक प्रचलित दो धारणाएँ 1.राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य नियंत्रित शिक्षा, 2—व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से राज्य नियन्त्रण से परे शिक्षा प्रबन्ध और संचालन प्रमुख रही है। आधुनिक काल में प्रथम धारणा किसी न किसी रूप में समाजवादी विचार धारा व द्वितीय धारणा स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था से जुड़ी है।

जनगणना-2011 के अनुसार, जनपद फर्रुखाबाद की कुल जनसंख्या 1,887,577, जिसमें 1020802 पुरुष, 866775 स्त्रियाँ, नगरीय 429990, ग्रामीण 1457587, जनसंख्या घनत्व 865 प्रति वर्ग किमी, साक्षरता प्रतिशत 70.57 व जिला मुख्यालय फतेहगढ़ नगर में स्थिति है। जनपद में 1 लोकसभा, 4 विधानसभा क्षेत्र, 3 तहसील, 7 ब्लाक, 87 न्याय पंचायत, 1007 ग्राम जिनमें 885 आबाद व 124 गैर-आबाद, 2 नगर पालिका परिषद, 4 नगर पंचायत, 1 छावनी क्षेत्र, 1799 प्राथमिक विद्यालय, 872 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 200 माध्यमिक विद्यालय, 29 महाविद्यालय, 9 परास्नातक महाविद्यालय, 1 मेडिकल कालेज, 1 आई.टी.आई, 1 पोलिटेक्निक, 43 एलोपैथिक चिकित्सालय, 16 आयुर्वेदिक, 19 होम्योपैथिक, 3 यूनानी, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 17 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 191 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र, 1 टी. बी. अस्पताल है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर मण्डल के जनपद—फर्रुखाबाद में संचालित विद्यालयों का वर्तमान स्वरूप

बोर्ड एवं वि.वि.के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त व स्ववित्तपोषित कालेजों की अधिकतर प्रबन्धतंत्रों के पदाधिकारी एवं सदस्य जनपद के स्थानीय समुदायों के अभिभावक, जन-साधारण, शिक्षाविद, समाजसेवी, स्थानीय, सामान्यजन नहीं हैं और न ही प्रशासन योजना के मानक अनुरूप है एवं शिक्षा मानक प्रतिकूल प्रबन्धतन्त्र के पदाधिकारी—सदस्य प्रबन्धक के परिजन, भाई—बहिन, पुत्र—पुत्री, पिता—माता, पति—पत्नी, बहू, भतीजे, साले—बहनोई, नौकर, मित्र, जातिवादी, किराएदार, गैर—जनपदीय आपस में हितबद्ध लोग हैं। स्ववित्तपोषी कालेजों के लोग व्यापार की भाँति सार्वजनिक शिक्षा को प्रदूषित कर व सोसाइटी एक्ट 1856 तथा शिक्षा अधिनियमों की अवहेलना कर स्वलाभ हेतु अपने परिजनों, चचा—भतीजे, भाई—बहिन, पुत्र—पुत्री, पिता—माता, पति—पत्नी, बहू, भतीजे, साले—बहनोई, नौकर, मित्र, जातिवादी, आपस में हितबद्ध लोगों को प्रबन्धतन्त्र का सदस्य—पदाधिकारी तथा कालेज—प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी पद पर नियुक्ति दिखाकर बिना शिक्षण छात्रों से अवैध वसूली एवं धन उगाही कर लाभ कमा रहे हैं तथा शिक्षा को प्रदूषित कर रहे हैं। स्ववित्तपोषी कालेज 'नकल—ठेकों' एवं अवैध वसूली के आधार पर संचालित हो रहे हैं। इनकी कालेज शिक्षा, शिक्षक, शिक्षण, कर्मचारी, प्रयोगशाला, प्रयोगिक कार्य, पुस्तकालय मानक विहीन हैं और छात्रों से मनमाना धन वसूलने के बावजूद शिक्षण नहीं करवाते हैं। स्ववित्तपोषी कालेजों की मान्यता सम्बन्धी पत्रावली में औपचारिकता वश प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित लोग अन्य दूर—दराज के सरकारी नौकरी में कार्यरत या सेवानिवृत्ति लोग होते हैं जो अपने प्रमाण—पत्रों को मान्यता हेतु किराए पर देकर शिक्षक—प्राचार्य पद पर कार्यरत दिखाकर रु.20,000 से 25000 वार्षिक लेकर कभी कालेज नहीं आते हैं। जिसके कारण अर्ह बेरोजगार रोजगार से वंचित हो रहे हैं। स्ववित्तपोषी कालेज प्रबन्धतन्त्र के लोग अर्ह शिक्षक को मानकीय वेतन—भत्ते नहीं देते हैं। कालेज प्रबन्धतन्त्र के दबंग लोग अर्ह शिक्षकों को वेतन—भत्ते देने की कागजी खानापूर्ति तो करते हैं परन्तु मानकयुक्त वेतन—भत्ते नहीं देते हैं। सरकारी—अनुदान प्राप्त शिक्षक 'दयूशनबाजी' में संलिप्त रहकर संगीन अपराध कर रहे हैं। यह कि शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति की जगह परिजनों, सगे—सम्बन्धी आपसी हितबद्ध के स्वलाभ उद्देश्यों से मानक विरुद्ध निर्मित सोसाइटियाँ एवं उनकी प्रबन्ध समितियों की सम्बद्धता पूर्णतया अवैधानिक है। अशासकीय मान्यता प्राप्त कालेजों के संचालन की आवश्यक प्रशासन योजना आदेश जी.ओ.संख्या—643(1) दि.15.8.11 एवं अधिनियम 1921 तथा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का अधिनियम संख्या—21 शैक्षिक—संस्थानों द्वारा अभी तक जबरदस्त उपेक्षित है।

शिक्षा बोर्ड, उच्चशिक्षा, टेक्नीकल व चिकित्सीय, विधि कालेज तथा शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा-माफियाओं द्वारा प्रबन्धन के नाम पर फर्जीबाड़ा किया जा रहा है और कागजी खानापूर्ति कर शिक्षा के उद्देश्यों को समाप्त कर स्वलाभ कमाया जा रहा है तथा मानक विहीन सोसाइटियाँ धन के प्रभाव में विद्यालय संचालन की मान्यता प्राप्त कर विद्यालयों में खुलेआम अवैध वसूली व आर्थिक अनियमिततायें कर भावी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रही हैं। विद्यालयों की प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं शिक्षण व्यवस्था के अध्ययन, अवलोकन, सम्पर्क एवं प्रतिदर्श के आधार पर प्राप्त तथ्यों एवं विचार करने से ज्ञात होता है कि, उ.प्र. के कानपुर परिक्षेत्र के जनपद फर्रुखाबाद में संचालित एडिड एवं स्ववित्तपोषी शिक्षण संस्थानों के प्रबन्धक स्कूल सम्बद्धता-मान्यता पत्रावली में फर्जी, अवैध, अमानक भ्रामक प्रपत्रों को जोड़-तोड़ एवं स्वप्रमाणित कर शामिल कर रहे हैं तथा शिक्षाविभाग के लोगो से साँठ-गाँठ कर अवकाश के दिनों में होटल-अतिथिगृह में विषय विशेषज्ञ के साथ बैठ जाँच-साक्षात्कार-नियुक्ति-जाँच के फर्जी प्रपत्र बनाकर विश्वविद्यालय-बोर्ड की पत्रावली में शामिल करा रहे हैं। जिसके माध्यम से शिक्षा विकास की सरकारी योजनाओं की निधियों को हड़प कर कालेज भूमि, भवन, चरागाह, छात्रवृत्ति पर जबरदस्त कब्जा कर प्रबन्धक एवं उनके परिवारीजन, दला लशिक्षा-छात्र-व्यक्ति-समाज के हित बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं।

‘जनसामान्य’ के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन के अवलोकन-निरीक्षण के परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य जन के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाएं एवं साधन स्वार्थी, विध्वंशक, नाशक, धनी, ठगों और संगठित अपराधियों की सुख-सुविधाओं तथा आय के साधन बन गए हैं। इस सम्बन्ध में निरीक्षण तथ्य यह बताते हैं कि निर्धन, असहाय, निरीह, पीड़ित, दुःखी, वृद्ध, बीमारी ग्रसित लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और यदि कोई ऐसे लोगों की सहायता करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर बाँकी नहीं रखते हैं। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु शिक्षा के मानक एवं प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है।

मानक विहीन शिक्षा ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। शिक्षक, शिक्षण, प्रवटीकल्स, पुस्तकालय, प्राचार्य और कर्मचारियों का अभाव एवं अमानकता से शिक्षा व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। नकल, ट्यूशन, बिना पाठन डिग्री-उपाधि वितरण व्यवसायों से शिक्षा प्रदूषित हो रही है। शिक्षण संस्थाओं में दिखावा अधिक होता है। तथा विद्यार्थी एवं अभिभावकों का आर्थिक शोषण होता है। शिक्षण संस्थाओं का संचालन भारी वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण अति आवश्यक है। शिक्षा नवीन प्रवृत्तियों सहित व्यवसाय की ओर उन्मुख हो, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, राज्य और शिक्षा के निजीकरण पर नियंत्रण आवश्यक हो। ट्रस्ट, सोसाइटी, वाणिज्य, सरकारी-आदेश एवं शैक्षिक व्यवस्था के वैधानिक प्रवधानों का अनुपालन होना चाहिए। प्रबंधतंत्र में अभिभावकों, शिक्षाविद्, समाजसेवी, स्थानीय, साधारण-जनता को ही सदस्य पदाधिकारी बनाया जाना चाहिए। प्रबंधतंत्र में परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, राजनैतिक, सरकारी लोगों को पदाधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रबन्धतन्त्र का शैक्षिक हस्तक्षेत्र एवं कालेज संपत्ति का दुरुपयोग बन्द होना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों में मात्र मानकपूर्ण शिक्षक, शिक्षण, वेतन भुतान, नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। प्रबन्धतन्त्र, को चन्दे, दान, अनुदान, आय, शुल्क धन सरकारी कोषागार में जमा जमा होना चाहिए। शिक्षक-कर्मचारियों को वेतन-भत्ते का भुगतान कोषागार चैक से वितरित होना चाहिए। कालेज आडिट नियमित एवं जबाबदेह होना चाहिए। ट्यूशन एवं नकल तथा अवैध वसूली तत्काल बन्द होनी चाहिए। मान्यता, पाठ्यक्रम, शिक्षक, कर्मचारी, प्रबन्धतन्त्र, बजट विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। जिला प्रशासन की जबाबदेही होनी चाहिए।

अध्ययन निदर्श में प्रयुक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल के जनपद फर्रुखाबाद के कुल शिक्षा संस्थान

क्र	विश्वविद्यालय	जनपद	कुलमहाविद्या.	वित्तपोषितमहाविद्य	स्व.वित्तपोषी	राजकीयमहाविद्या.
1	छत्रपतिशाहूजी	कानपुर	122	22	98	2
2	महाराज	कानपुर	52	9	42	1
3	विश्वविद्यालय	इलाहाबाद	145	10	132	3
4	कानपुर	कौसम्बी	34	1	32	1
5		फतेहपुर	38	3	33	2
6		फर्रुखाबाद	36	10	25	1
7		कन्नौज	38	3	32	3
8		इटावा	34	5	27	2
9		औरैया	36	10	25	1
10		लखीमपुर	21	4	16	1
11		हरदीई	62	4	56	2
12		रायबरेली	33	4	26	3
13		उन्नाव	31	2	27	2
14		लखनऊ	13	0	13	0
	योग		685	87	724	24

अध्ययन निदर्श में प्रयुक्त उ.प्र. के कानपुर मण्डल के जनपद फर्रुखाबाद के शिक्षा संस्थानों सूची

क्र	कालेज	स्थान	संस्थापक	प्रबंधक	प्रबंधतंत्र-सदस्य	प्रसमिति	प्राचार्य	कागजी प्राचार्य	पद	रिक्त	वेतन	प्रयोग
1	बद्रीविशाल	फर्रुखाबा	बद्रीविशाल	विनोददुबे	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	अमानक	डॉ.आशुतोषचतुर्वे	44	28	रिक्त	विहीन
2	डी.एन.काले	फतेहगढ	शारदानाराय	अजयसिंह	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	अमानक	डॉ.कृष्णमुरारीस	22	4	रिक्त	विहीन
3	भारतीयाका	फर्रुखाबा	डॉ.पाल	राजेंद्रत्रिपाठ	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	अमानक	डॉ.विश्राम सिंह	11	4	रिक्त	विहीन
4	एल.वाई.का	कायमगंज	यदुनंदन	अजयतुर्वेदी	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	अमानक	डा.सीबीसिंहयाद	14	8	रिक्त	विहीन
5	विद्या मंदिर	कायमगंज	गोयल	अरविंदगोय	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	अमानक	डॉ.वी.के.गुप्ता	4	4	रिक्त	विहीन
6	आर.पी.का	कमालगंज	कुलुपसिंह	अश्वनीवर्मा	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	अमानक	डॉ.आर.टी.पटेल	21	7	रिक्त	विहीन
7	एन.ए.के.पी.	फर्रुखाबा	वैश्यमहासभ	हरिदत्तदुबे	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	अमानक	डॉ.आशा दुबे	11	5	रिक्त	विहीन
8	रा.डि.कालेज	फतेहगढ	उ.प्र.सरकार	राजकीय	डॉ.मिश्र	डॉ.आर.पी.सिंह	14	6	रिक्त	विहीन
9	मै.एस.डीका	मोहम्मदाब	बाबूसिंह	बाबूसिंह	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.अनारसिंहया	अ	स	अमानक	विहीन
10	के.के.आरडी	मझना	बाबूसिंह	बाबूसिंह	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.साधना	अ	स	अमानक	विहीन
11	शकुंतलादेवी	कायमगंज	पिक्कूबाबू	मिथलेश	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.वेणूसिंह	अ	स	अमानक	विहीन
12	पी.डी.महिला	फतेहगढ	बाबूसिंह	नागेन्द्रसिंह	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	अनीता यादव	अ	स	अमानक	विहीन
13	सिटीपब्लिक	फतेहगढ	विजययाद	विजयसिंह	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.नीरजसक्सेन	अ	स	अमानक	विहीन
14	एसडीमहिल	मोहम्मदाब	बाबूसिंह	अंचलसिंह	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.कर्ण सिंह	अ	स	अमानक	विहीन
15	रघुराजसिंह	कुबेरपुर	राजीवसिंह	राजीवसिंह	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	रोहितसिंहसोम	अ	स	अमानक	विहीन
16	सिटीपब्लिक	फतेहगढ	विजयसिंह	विजयसिंह	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.नसीम अहम	अ	स	अमानक	विहीन
17	गौतमबुद्धको	मतेपुर	सुरेशपाल	सुरेशशाक्य	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.ओ.पी.शर्मा	अ	स	अमानक	विहीन
18	पुत्तूलालमै.	जहानगंज	श्रामसेवक	रामसेवक	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.दयारामकुशव	अ	स	अमानक	विहीन
19	सागरसिंहक	बहोरिकपु	साहबसिंह	राजेशकुम	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.ए.के.त्रिवादी	अ	स	अमानक	विहीन
20	रामप्रकाशक	मुरहास	रामप्रताप	रामप्रताप	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.एस.पी.	अ	स	अमानक	विहीन
21	कालिकासिं	नगरिया	नाहरसिंह	नाहरसिंह	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.नाहरसिंहयाद	अ	स	अमानक	विहीन
22	रविनाथसिंह	मानिकपुर	अजयपाल	अजयपाल	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	अभिषेकसिंहया	अ	स	अमानक	विहीन
23	बाबूसिंहका	नबाबगंज	बाबूसिंहयाद	पुष्पेन्द्र सिंह	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.शैलेंद्रसिंहया	अ	स	अमानक	विहीन
24	गजराजसिंह	रठौरा	श्यामपाल	श्यामपालया	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.एन.डी.	अ	स	अमानक	विहीन
25	नरायणलक्ष्म	कायमगंज	सुरेशपाल	सुरेशचन्द्र	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	सुरेशचन्द्र	अ	स	अमानक	विहीन
26	हरिश्चंदबीए	फर्रुखाबा	डॉ.हरिश्चंद्र	राहुलतिवारी	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	हरिश्चंदतिवारी	अ	स	अमानक	विहीन
27	एसडीलॉका	फतेहगढ	बाबूसिंह	अनारसिंह	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.नागेन्द्र सिंह	अ	स	अमानक	विहीन
28	एस.डीमहिल	फतेहगढ	बाबूसिंह	अनारसिंह	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	अंचल यादव	अ	स	अमानक	विहीन
29	एच.एसएका	रजीपुर	अजीयुजदी	अयाबुजदीन	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.आर.ए.रिजवी	अ	स	अमानक	विहीन
30	एसडीआयुर्वे	फतेहगढ	बाबूसिंह	बाबूसिंहय	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	कर्मलडी.के.राय	अ	स	अमानक	विहीन
31	पुरुषोत्तमके	मोहम्मदाब	नरेन्द्र सिंह	सचिनयादव	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.डी.एस.	अ	स	अमानक	विहीन
32	आत्मदेवका	ऊगरपुर	ओमप्रकाश	चन्दमुखी	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डा.राजेन्द्रनाथ	अ	स	अमानक	विहीन
33	सीपीविद्यानि	कायमगंज	पिक्कोबाबू	सत्यप्रकाश	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.पीरथ	अ	स	अमानक	विहीन
34	रामकृष्णका	रानूखेडा	रामकृष्णवर्मा	रामकृष्णवर्मा	पैतृक.परि.रिश्ते	अमानक	फर्जी	डॉ.रामकृष्णवर्मा	अ	स	अमानक	विहीन

नोटः—तालिका क्रमांक 1-7 वित्तपोषी, क्रमांक 8 राजकीय, शेष सार्वजनिक स्ववित्तपोषी शिक्षा संस्थान व प्रबंधक सामान्यजन नहीं हैं। सांसद-विधायक निधियों से स्ववित्त पोषी कालेजों की इमारत निर्माण हेतु अरबों रुपये सहित विश्वविद्यालय-सरकारी अनुदानों के अंतर्गत अरबों रुपया प्राप्त हो चुका है। समिति के लोग विद्यालयों का धन सदुपयोग नहीं होने देते का आडिट आपत्तियाँ प्रमाण हैं।

शिक्षा संस्थान और धोखा

(हे! जन मन हे! धन कर श्रेणी, तुम देखी शिक्षा सद नयनी)

शिक्षा मानव का आभूषण है। इसके धारण करने से मनुष्यता में पूर्णता आती है। शिक्षा से अलंकृत व्यक्ति प्रत्येक समाज में सम्माननीय होता है तथा शिक्षा का अभाव अपमान जनक एवं दुःखद होता है। शिक्षा विहीन मानव पशु तुल्य एवं मानव समाज पुच्छ विहीन पशु-समूह है। इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर व्यक्ति-समाज में शिक्षा प्रोत्साहित होती है। समाज के व्यक्तियों को व्यवस्थित ढंग से शिक्षित करने हेतु अनेकानेक पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। शिक्षा की पद्धतियाँ शिक्षार्थियों को परिमार्जित शिक्षा ग्रहण करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। शिक्षा प्रदूषण व्यक्ति और समाज को पतित कर असुरीय शक्तियों को विकसित करता है।

व्यक्ति और समाज की वर्तमान शिक्षा-व्यवस्थाओं पर विचारोपरान्त आज की शिक्षा का स्वरूप वास्तविक शिक्षा के स्वरूप से भिन्न हो गया है। शिक्षा का मूल उद्देश्य एवं मूल भावनाएँ समाप्त हो रही हैं। शिक्षक शोषक, छात्र नकलची, विद्यालय धनालय, प्रबन्धक कुबेर, संस्थाएँ बोझ, डिग्रियाँ व्याधि बन गई हैं। अविश्वास, अविवेक, भ्रम, धोखा, भ्रष्टता तथा कुशासन व्यक्ति-समाज की पहचान बन गए हैं। अशिक्षित और कुशिक्षित लोग समाज-सत्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। शिक्षार्थी और शिक्षित बेरोजगार राष्ट्र-समाज के बोझ माने जा रहे हैं। शिक्षक शिक्षक नहीं, शिक्षण शिक्षण नहीं, विद्यार्थी शिक्षार्थी नहीं रहे। शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी एवं प्राचार्य का चयन एवं वेतन-भत्ते प्रबन्धकों की चढ़ौती और कृपा पर निर्भर रहती हैं। प्रबन्धकों के दायित्व उनके स्वःलाभ-कल्याणकारी अधिकार तक सीमित हो रहे हैं। शिक्षा निदेशालय, विश्वविद्यालय पैनलों की जाँचें प्रबन्धतन्त्रों के आर्थिक प्रभावों के लिफाफों तक सीमित हो रही हैं। किसी भी सरकारी जाँच अवसर पर विद्यालयों के छात्र, छात्राएँ, शिक्षण, शिक्षक, उपस्थिति, आदि व्यवस्थाएँ भ्रामक और दिखावा तक सीमित रहती हैं।

जनगणना-2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1210193422 जिसमें 623724248 पुरुष, 586469174 स्त्रियाँ एवं कुल साक्षरता प्रतिशत 74.04 जिसमें 82.14 प्रतिशत पुरुष, 65.46 प्रतिशत स्त्रियाँ, लिंगानुपात 1000 अनुपात 940 हैं। शिक्षापूर्ति के लिए देश में विद्यालयों की संख्या प्राथमिक विद्यालय-756950, उच्च-प्राथमिक विद्यालय-300008, हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज-165087, केन्द्रीय विद्यालय-981, नवोदय विद्यालय-576, महाविद्यालय-11458, महिला महाविद्यालय-2260, व्यवसायिक डिग्री कालेज-7024, विश्व विद्यालय-627, केन्द्रीय विश्वविद्यालय-44, राज्य विश्वविद्यालय-300, निजी-154, डीम्ड-129, इजीनियरिंग-2388, एम.सी.ए.-1137 विद्यालय हैं। शोध स्तर पर शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-1953 तथा पत्राचार स्तर पर राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय-1989 और इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू 1985 संचालित हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों की कुल जनसंख्या 199581477 है जिनमें 104596415 पुरुष 94985062 स्त्रियाँ तथा साक्षरता 69.72% है। उत्तर-प्रदेश का कानपुर मण्डल : कानपुर-नगर, कानपुर-देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद जनपदों में विभाजित है, जिसकी जनसंख्या क्रमश 4572951, 1795092, 1372287, 1579160, 1658005, 1887577 कुल जनसंख्या 3515582 है तथा साक्षरता 77.29% है। कानपुर-मण्डल में दो विश्वविद्यालय-छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर तथा चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय हैं। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत जनपदीय महाविद्यालय संख्या-751 है, जिनमें कानपुर-नगर 122, कानपुर-देहात 48, औरैया 38, इटावा 44, कन्नौज 38, फर्रुखाबाद 36, इलाहाबाद 145, कौशम्बी 34, फतेहपुर 38 लखीमपुर 21, हरदोई 62, रायबरेली 33, सीतापुर 58, लखनऊ 13, उन्नाव 31 महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालय में 103 सरकारी सहायता प्राप्त, 632 स्ववित्तपोषी, 26 राजकीय हैं। कानपुर मण्डल में संचालित अधिकतर महाविद्यालयों और इण्टर कालेज प्रबन्धतन्त्रों के प्रबन्धक केन्द्रीय और राज्य शासन के मन्त्री-राज्यमन्त्री, सांसद, विधायक, आई.ए.एस. एवं पी.सी.एस. अधिकारी, सरकारी वेतनभोगी, शिक्षक, व्यापारी, राजनीतिक दलों के नेता, राजनेता, वी.आई.पी. लोग स्वयं-भू पदासीन हैं और इनकी प्रबन्ध समितियों के अध्यक्ष, सचिव, प्रबन्धक, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सदस्य लगभग सभी इनके परिवारीजन-सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध लोग हैं।

कानपुर मण्डल के जनपदों एवं विकास-खण्डों में संचालित कालेजों में उच्चशिक्षा की स्थिति अत्यधिक खराब है। शिक्षा विकास उपरमुखी के स्थान पर अधोमुखी हो रहा है। महाविद्यालयों की मान्यता प्रपत्रों में शामिल होने वाली जाँचों के तथ्य-साक्ष्य प्रपत्र फर्जी तरीके से निर्मित हो रहे हैं। जिनका प्रयोग कार्यवाही में फर्जी कागजी-खानापूर्ति तक सीमित है। कालेजों में छात्रों एवं शिक्षक की उपस्थिति तथा शिक्षण एवं परीक्षा व्यवस्था फर्जी बन रही है। शिक्षणकाल में अधिकांश कालेज बन्द रहते हैं जो मात्र प्रवेश और परीक्षा काल में ही खुलते हैं। प्रयोगशाला विहीन कालेजों की प्रयोगिक परीक्षाओं में धन एवं सिफारिश से अंक दिए जाते हैं। छात्र प्रवेश, उपस्थिति, प्रार्थनापत्र, प्रमाणपत्र, छात्रवृत्ति, अग्रसारण अंकपत्र, डिग्री, प्रवेशपत्र वितरण में जबरदस्त धन वसूली होती है। परीक्षा अवसर पर उपस्थिति उत्सव के रूप में होती है। परीक्षा में नकल ठेके उठते हैं। शिक्षक-प्रबन्धक परिजनों व सगे-सम्बन्धियों सहित प्राचार्य-परीक्षक बनकर गाइड्स और गैस-पेपर्स से बोल-बोल परीक्षा में नकल कराते हैं। जाँच-पेनल में शामिल अधिकांश एक्सपर्ट धन उगाही करते हैं। विश्वविद्यालय मान्यता, जाँच, पेनल में जाँच रिपोर्ट भ्रामक, असत्य व फर्जी बनाई जाती हैं। कालेज प्रबन्धतन्त्रों में अधिकांश अध्यक्ष-सचिव राजनीतिक दलों के सदस्य, राजनेता, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शरारती, माफिया एवं आपसी हितबद्ध वाले हैं। कालेजों के प्रबन्धतन्त्रों की सदस्यता, प्रस्ताव, गठन, चुनाव, नियम असत्य, मनमाने, भ्रामक एवं फर्जी हो रहे हैं। कालेज प्रबन्धतन्त्रों के

सदस्य मानक प्रतिकूल में धनी, जाति-धर्म विशेष के परिजन सगे-सम्बन्धी और आपसी हितबद्ध लोग हैं। इनकी गतिविधियाँ सदैव शिक्षा-जन विरोधी होकर स्वलाभ तक सीमित रहती हैं। इनके द्वारा शिक्षा अधिनियम एवं अध्यादेशों की जबरदस्त उपेक्षा की जाती है। सोसाइटी प्रबन्धतन्त्र आपसी हितबद्धों के रैकेट के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रबन्धक धन, पद एवं प्रतिष्ठा के प्रभाव में शिक्षा संस्थानों, इमारतों, चारागाहों, कालेज भूमि, सम्पत्ति पर जबरदस्त कब्जा करके अपनी घरेलू आजीविका चला रहे हैं। कालेज इनकी राजनीतिक, वैवाहिक, निजी-पारिवारिक एवं व्यापारिक स्वलाभ गतिविधियाँ संचालित करने के केन्द्र बन गए हैं। कालेजों से इनकी निजी आय इनके वास्तविक आय स्रोतों से अनेक गुना अधिक हो रही है। इनके भय व दहशत के कारण कोई शिकायत-विरोध शिकायतकर्ता के लिए अत्यन्त हानिकारी सिद्ध होता है। शैक्षिक योजनाओं से कालेज विकास निधि प्रबन्धकों के निजी कार्यों में लगता है। सांसद-विधायक निधियाँ 40% कमीशन पर क्रय-विक्रय करके हड़पी जा रही हैं।

शिक्षालयों के उत्सव एवं समारोह प्रबन्धतन्त्र के लोगों को महिमा-मण्डित करने के लिए तथा इनकी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं को दबाने के उद्देश्य से आयोजित होते हैं। आयोजक प्रबन्धतन्त्र अपने परिजन, सम्बंधियों, नेताओं, अधिकारियों, कर्मचारी को बुलाते हैं और अनेक प्रकार के मनचाहे प्रशस्त-पत्र, पुरस्कार, उपाधियाँ का आपसी बन्दर-बाँट कर एक-दूसरे की प्रशंसा के पुल बाँधते हैं एवं मीडिया में अपनी प्रशंसा के विज्ञापन छपवाकर विद्यालय की धन-सम्पत्ति का दुरुपयोग करते रहते हैं।

शिक्षा विकास में सरकारों एवं संस्थानों की भूमिकाएँ अति संदिग्ध और भ्रष्ट हो गई हैं। शिक्षा व्यवस्था जन उपयोगी और कल्याणकारी नहीं रही है। प्रदूषित शिक्षा विकास दिन दूना रात चौगुना हो रहा है। शिक्षक द्यूशन-कोचिंग व्यापार, कालेज-वि.वि. डिग्री-नकल व्यापार, प्रबन्धतन्त्र-अधिकारी-नेता सरकारी-निधि पर कब्जा एवं राज्य शिक्षा विकास धन का बन्दर-बाँट करने में जुटे हुए हैं। सरकार, दल, नेता कालेजों में पढ़न-पढ़ाने की छूट देकर परीक्षा में नकल कराने तथा लेपटाप एवं नौकरी तथा मनमानी छात्रवृत्ति देने का झाँसे देकर अपना भविष्य सुरक्षित करने में जुटे हैं। शिक्षा संस्थान राजनीतिक प्रचार के केन्द्र बने हैं। शिक्षक व कर्मचारी कभी-कभी विद्यालय या प्रबन्धक के घर जाकर अपनी उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करके कालेज शिक्षण से सदैव गायब रहते हैं। प्रबन्धतन्त्र के पदाधिकारी मानक प्रतिकूल अध्यक्ष-प्रबन्धकों के परिजन-सम्बन्धी, शिक्षक, नेता, राजनीतिज्ञ, सरकारी वेतनभोगी हैं। प्रबन्धतन्त्रों के लोग विद्यालयों में सपरिवार निवास, व्यापार, राजनीति कर शिक्षा योजनाओं के कालेज धन-सम्पत्ति को हड़पकर स्वलाभ हेतु गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ करने में जुटे हुए हैं।

अयोग्य शिक्षक और शिक्षण विहीन ज्ञान विद्यार्थी के व्यक्तित्व पतन का कारण होता है। शिक्षण हीन शिक्षा डिग्री प्रमाण-पत्र उसकी उपयोगिता नष्ट कर देते हैं। उसके लिए रोजगार के अवसर नष्ट हो जाते हैं तथा जीवन की सुख-समृद्धि उसके बीते वक्त के सपनों की याद तक सीमित रह जाते हैं। शिक्षालय विद्यार्थी-समाज की मूल-भूत आवश्यकता है। इसकी व्यवस्था के अभाव में देश-समाज का उपरिमुख विकास सम्भव नहीं है। मानव जीवन के क्रान्तिकारी उतार-चढ़ाव संघर्ष में वास्तविक ज्ञान ही सहायक होता है। सदशक्तियों का विकास सुखद एवं कल्याणकारी व असद शक्तियों का विकास दुःखद होता है। अतः शिक्षा प्रदूषण कारकों का हतोत्साहन व वास्तविक शिक्षा विकास का प्रोत्साहन जरूरी है।

शिक्षा संस्थाओं का वर्तमान स्वरूप

शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के भ्रष्ट लोग शिक्षा को प्रदूषित कर रहे हैं और सरकारी विकास का पैसा हड़पने वाले गैर सरकारी संगठन व्यक्ति-समाज के विकास को मंद करने और सामाजिक शक्ति नष्ट करने में जुटे हुए हैं।

शिक्षा समाज की मूलभूत आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति के लिए देश में औपचारिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं। इन शैक्षिक संस्थानों के कार्यों की गुणवत्ता एवं गतिविधियाँ व्यक्ति-समाज के लिए कितनी उपयोगी और कल्याणकारी हैं, का नियमित मूल्यांकन और निगरानी आवश्यक एवं समीचीन है।

शिक्षा संस्थाओं से जुड़े विद्यार्थियों को यदि देश-समाज से उपयोगी पाठ्यक्रम, शुद्ध शैक्षिक वातावरण, मानकीय शिक्षण एवं प्रतिष्ठित डिग्री-डिप्लोमा प्रमाणपत्र नहीं मिलेंगे तो देश-समाज को विकासोन्मुख दिशा कैसे प्राप्त हो सकेगी? प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए विशेष विचारणीय प्रश्न है।

हमारे देश-प्रदेश में संचालित शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र जिस तरह की शिक्षण-व्यवस्था और पाठ्यक्रमों के प्रमाण-पत्रों का बण्टन कर रहे हैं, उनकी मानकहीन गुणवत्ता व्यक्ति, समाज और देश के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हो रही है। डिग्री धारक बेरोजगारों के रोजगार प्रयास निरर्थक सिद्ध हो रहे हैं। सरकारी-सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियाँ धन-पद एवं प्रतिष्ठा धारी अधिकारियों व राजनेताओं के परिवारीजनों तक सीमित हो रही हैं।

परिस्थितियों का शिकार बन रहे व्यक्तियों की समस्याओं के मूल कारणों पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि देश-समाज में संचालित शिक्षा संस्थाओं की अमानक व्यवस्थाएँ एवं अराजक गतिविधियों तथा स्वयं-भू पदासीनता व्यक्ति-समाज के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हो रही हैं, के अवलोकन का संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है।

शिक्षा का मानकीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-प्रशिक्षण उपरान्त परीक्षाएँ तथा डिग्री-प्रमाणपत्र जारी करने का दायित्व केंद्र व राज्य की सरकारों का है, जिनका सम्पादन शिक्षा विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, यू.जी.सी. एवं विद्यालयों के माध्यम से होता है। शिक्षण संस्थाओं का व्यय 'राष्ट्रीय बजट' का हिस्सा है। विद्यार्थियों को शिक्षा एवं कौशल विकास के साधन तथा छात्रवृत्तियों के लिए धन उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। शिक्षा व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाए रखने हेतु समाज के व्यक्ति दान और सहयोग प्रदान करते हैं। धनी वर्ग न्यास के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा में अधिकार पूर्ण सहभागिता निर्धारित होती है। स्थानीय नागरिकों की समितियों के सदस्य शिक्षा कार्यों में सहयोग एवं शिक्षण कार्यों की निगरानी करती है। **किन्तु शैक्षिक संस्थानों का प्रशासनिक कार्य सरकार में बैठे वेतनभोगी अधिकारियों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा विद्यालय-कालेजों के प्राचार्य या प्रधानाचार्य द्वारा संचालित होता है।** इसके बावजूद दबंग-शांतियों एवं उनके परिवारीजन विद्यालय-कालेजों का प्रबन्धन की ओट में शैक्षिक कार्यों की जबरदस्त उपेक्षा कर व्यक्तिगत स्व: लाभ कमा रहे हैं। इनकी फर्जी कागजी खानापूँति कार्यवाहियों के माध्यम से गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ कर सरकारी-सार्वजनिक विकास की योजनाओं का धन एवं छात्र कल्याण निधियों का धन हड़पा जा रहा है।

शिक्षण कार्य मात्र के लिए निर्मित विद्यालयों में अधिकतर स्कूल-कालेजों में शैक्षिक गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी असामाजिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं। विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय, इण्टर कालेज, प्राथमिक स्कूल व प्रशिक्षण केंद्रों सभी के प्रमुख अधिकारी एवं कर्मचारी तथा प्रबन्धक आपस में साँठ-गाँठ कर शैक्षिक कार्यों में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर स्वलाभ कमाने में जुटे हुए हैं तथा छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों और बेरोजगारों से जबरदस्त वसूली करते हैं। प्रवेश से लेकर परीक्षा में पास कराने का ठेका देकर दलाली लेते हैं। परीक्षाओं में बोल-बोल कर नकल कराकर एवं स्वयं कापी लिखकर पास कराने तथा मनचाहे अंको के प्रमाण-पत्रों दिलाने की गारण्टी देकर धन उगाही करते हैं। ट्यूशन, कोंचिंग एवं अनेक संस्थानों से लाभ की हिस्सेदारी की पदासीनता प्राप्त कर अनेक प्रकार के वेतन, भत्ते पारितोषिक, मानदेय प्राप्त करते हैं। इनके अलोकतान्त्रिक एवं अराजक गतिविधियों तथा अवैध कार्यों में दबंग, दलाल, माफिया, असामाजिकतत्त्व, सरकारी कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी संगठित गिरोह की भाँति सहयोगी बने हुए हैं, जो कि इनसे धन, प्रतिष्ठा तथा तरह-तरह का लाभ प्राप्त करते रहते हैं। बीमा कम्पनियों, ट्रान्सपोर्ट विभागों, नर्सिंग होम के डाक्टरों, व्यापारियों, राजनेताओं तथा थानों की दलाली में कमीशन लेकर धन कमाते हैं और शोधाधियों एवं बेरोजगार छात्र-छात्राओं का जबरदस्त शोषण करते हैं।

इस प्रकार स्कूल-कालेजों से सम्बद्ध लोगों की विद्यालयों में निजी व्यवसायिक गतिविधियों की सक्रियता के कारण स्कूल-कालेज शिक्षण संस्थान के स्थान पर व्यापारिक प्रतिष्ठान बन गए हैं। इन शिक्षण संस्थानों की उक्त स्थिति बनाने में शिक्षा-विभाग एवं विश्वविद्यालयों सहित शासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की स्वार्थपरित सक्रियता एवं मनमानी स्वयंभू पदासीनता प्रमुख कारण है। यदि हम इन लोगों की भूमिकाओं पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना से लेकर आज तक की स्थिति में प्रबन्धन के लिए चुने गए पदाधिकारी मनमाने ढंग से स्वयं-भू पदासीन हो रहे हैं। इन मानकविहीन लोगों तथा अमानक प्रबंध व्यवस्था के बावजूद शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालयों के अधिकारी धन लेकर शिक्षा विभाग से मनचाहा पैनल दिलाकर एवं एक्सपर्ट्स की मनचाही रिपोर्ट बनवाकर अयोग्य लोगों की फर्जी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों को प्रमाणित कर शासन से मान्यता एवं बोर्ड्स एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता दिलवा देते हैं। विश्वविद्यालय एवं बोर्ड के कर्मचारी धन लेकर फर्जी प्रपत्रों के संग्रह से कूटरचित पत्रावलियाँ निर्मित कर

लेते हैं। किसी भी जाँच-पेनल में तरह-तरह का दिखावा किया जाता है, जैसे किराए पर या दूसरे विद्यालय से फर्नीचर-पुस्तकें मंगवा कर रखाना, अन्य स्कूलों के लोगों को शिक्षक बनाकर खड़ा करना, नेता या अधिकारी को बुलाकर दबाव डलवाना, होटलो में दावतों का दौर चलाना, पैसे भरे लिफाफों का वितरण, प्रबन्धक द्वारा पैसा देकर मनचाही जाँच रिपोर्ट्स लिखवाना तथा ऐसी जाँच एवं साक्षात्कार कार्य अवकाश के दिनों में संचालित कराना तथा किसी भी विरोध या शिकायत को कूड़ेदान में फेंककर नष्ट कर देना आदि है।

शिक्षण संस्थाओं में चयन हेतु विश्वविद्यालय एवं बोर्डस के एक्सपर्ट के समक्ष साक्षात्कार अवसर पर जिन व्यक्तियों शामिल किया जाता है उसके फर्जी प्रमाणपत्रों को मान्यता देने के लिए धन लेकर अनुमोदित किया जाता है। ऐसे अनुमोदित व्यक्तियों का विद्यालय-कालेजों के शैक्षिक कार्यों से कोई संबंध नहीं रहता है और वे विद्यालय में पढ़ाने नहीं जाते हैं। उनकी जगह पर प्रबंधक के सगे-संबंधी आचार्य-प्राचार्य बनकर शिक्षण कार्यों की खानापूर्ति करते हैं। अनुमोदित आचार्य, प्राचार्य और कर्मचारियों के बैंक खातों का संचालन फर्जी ढंग से इन्हीं छद्मवेश धारियों द्वारा किया जाता है। ऐसे विधि विरुद्ध एवं फर्जी कार्यों का संचालन अधिकांशतः सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषी स्कूल-कालेजों में जोर-शोर से किया जा रहा है।

स्कूल-कालेजों में कार्यरत शिक्षक-कर्मचारियों के संबंध में जानकारी करने से ज्ञात होता है कि अधिकतर शिक्षण संस्थाओं की प्रबंध समितियों के लोग अपने सगे-सम्बन्धी परिवारीजनो एवं आपसी हितबद्ध आयोग्य लोगों को फर्जी कूटरचित प्रपत्रों के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त अनुमोदित कराकर शैक्षिक कार्य कराए बिना सार्वजनिक-सरकारी कोष से वेतन भुगतान दिला रहे हैं। फर्जी बिल-बाउचरों का भुगतान प्रबंध-समिति के लोगों की आय का मुख्य साधन तथा विद्यालयों का धन-सम्पत्ति उनके व्यक्तिगत उपभोग की सम्पत्ति बनी हुई है।

प्रबंध-समितियों की सदस्यता, गठन, चुनाव तथा बैठकों के प्रस्ताव एवं कार्यवाहियाँ मात्र कागजों की खानापूर्ति तक सीमित रहती हैं। प्रबंध समितियों में शामिल लोग एक ही परिवार के निकट के सगे-संबंधी आपसी हितबद्ध लोग विद्यालयों के 'पद' आपस में बाँट कर शैक्षिक संस्थाओं पर जबरदस्त कब्जा बनाए हुए हैं। इन अयोग्य लोगों की गतिविधियाँ शैक्षिक न होकर अपराधिक हो रही हैं। इनके द्वारा विद्यालयों-कालेजों शैक्षिक वातावरण प्रभावित कर राजनैतिक एवं व्यवसायिक तथा आवासीय कार्यों को संचालित किया जा रहा है तथा सरकारी-सार्वजनिक विकास की योजनाओं एवं विद्यालय कोषों का धन एवं सम्पत्ति हड़पकर छात्र-छात्राओं एवं देश का भविष्य नष्ट किया जा रहा है।

शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद-नैक से मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद शिक्षण संस्थाएँ इसकी उपेक्षा कर रही हैं। नैक मूल्यांकन हेतु बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असक्षम शिक्षण संस्थाएँ इसकी उपेक्षा कर रहीं हैं। जिससे छात्र-छात्राओं का भविष्य बुरी तरह नष्ट हो रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वायत्तशासी संस्था नैक को उच्च संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। नैक उच्च शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक गुणवत्ता को 7 मानदण्डों पर जाँच कर उनका मूल्यांकन करती है। नैक की ग्रेडिंग के अनेक लाभ हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अतिरिक्त नैक मूल्यांकित शिक्षण संस्थाएँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विभिन्न योजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त कर सकती हैं। नैक की ग्रेडिंग शिक्षा से लेकर हाट और कार्पोरेट जगत में शिक्षण संस्थाओं को रिपुटेशन दिलाती है और उनसे पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रवेशों व रोजगार में वारीयता दिलाती है। इसके बावजूद देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के 14 विश्वविद्यालयों में से मात्र 3 विश्वविद्यालय बी-ग्रेड नैक मूल्यांकित हैं। प्रदेश में संचालित 138 राजकीय महाविद्यालयों में से 27 महाविद्यालय 20 बी-ग्रेड, 7 सी ग्रेड एवं 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से 86 महाविद्यालय 15 ए-ग्रेड, 69 बी-ग्रेड, 2 सी-ग्रेड तथा 3754 स्ववित्तपोषी महाविद्यालयों में से 218 महाविद्यालय ए-ग्रेड, 269 बी-ग्रेड, 25 सी-ग्रेड में मूल्यांकित हैं। नैक मूल्यांकन के लिए शिक्षण संस्थाओं में जो न्यूनतम अर्हताएँ होनी चाहिए, उनका अभाव है। विश्वविद्यालयों, राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषी महाविद्यालयों में शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, कम्प्यूटर लेब में बुनियादी व्यवस्थाओं का अभाव है। स्ववित्तपोषी कालेजों के छात्र-छात्राओं की उपस्थिति मात्र परीक्षाकाल में ही देखने को मिलती है।

उक्त परिस्थितियों से समाज में संचालित शैक्षिक संस्थाओं की व्यवस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा परीक्षाओं के संचालन में निर्धारित मानकों को सख्ती से लागू किए जाने की विशेष आवश्यकता है। दान, अनुदान, सरकारी एवं सार्वजनिक विकास के धन तथा सांसद व विधायक निधियों से निर्मित स्कूल-कालेजों का उपभोग मात्र शिक्षण कार्यों तक सीमित होना चाहिए।

कानपुर वि.वि.से सम्बद्ध डिग्री कालेजों की शिक्षा का वर्तमान स्वरूप

प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं एवं जरूरतों के अनुकूल ही अपनी शिक्षा व्यवस्था करता है। किसी समाज की मान्यता एवं आवश्यकता उसकी सामाजिक संरचना तथा भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के अनुकूल होती है। समाज में होने वाले परिवर्तन भी उसके स्वरूप एवं आवश्यकताओं को बदलते हैं। इसके अनुसार उनकी शिक्षा का स्वरूप बदलता है। समाज की संरचना एवं भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियाँ एवं संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन से शिक्षा का स्वरूप बदलता रहता है। भौगोलिक स्थिति पर नियन्त्रण एवं धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियाँ तथा संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जिस समाज में जैसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है वैसी ही उस समाज की संरचना होने लगती है। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा आधारभूत भूमिका अदा करती है।

शिक्षा का उद्देश्य—बालक में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा उसमें सामाजिक कुशलता के गुणों का विकास करना होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा के विभिन्न पक्ष—अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, अनुशासन, परीक्षा साधन, शिक्षक, बालक और स्कूल—कालेज हैं जिसकी आधुनिक धारणाएँ क्रमशः विकास, व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिक कुशलता, बाल के प्रति क्रिया प्रधान—सामाजिक अध्ययन, खेल और योजना, आत्म अनुशासन, वस्तुनिष्ठा, प्रगतिपत्र, वर्धन के लिए, लिखित विवरण, अनौपचारिक, निज—दार्शनिक—पथप्रदर्शन, सक्रिय और सामाजिक लघुरूप है।

जनगणना-2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1210193422 (पुरुष 623724248, स्त्रियाँ 586469174) एवं कुल साक्षरता 74.04: (पुरुष 82.14%, स्त्रियाँ 65.46%) तथा लिंगानुपात 1000: 940 हैं। शिक्षापूर्ति के लिए देश में 756950 प्राथमिक स्कूल, 300008 उच्च—प्राथमिक स्कूल, 165087 उच्चतर एवं माध्यमिक विद्यालय, 981 केन्द्रीय विद्यालय, 576 नवोदय विद्यालय, 11458 महाविद्यालय, 2260 महिला महाविद्यालय, 7024 व्यवसायिक डिग्री कालेज, 371 विश्वविद्यालय, 268 राज्य विश्वविद्यालय, 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 2388 तकनीकी—इंजीनियरिंग, 1137 एम. सी. ए. कालेज हैं। शोध स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान, प्रशिक्षण परिषद, यू.जी.सी. तथा पत्राचार स्तर पर राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय व इंदिरागंधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा 15—35 वर्ष आयुवर्ग के लोगों की निरक्षरता समाप्त हेतु साक्षरता केन्द्र चल रहे हैं। **जनगणना-2011 के अनुसार**, उ.प्र. का कुल क्षेत्रफल 240928 वर्ग किमी., जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति/वर्गकिमी., लिंगानुपात 1000 : 918 है। कुल जनसंख्या 199812341, नगरीय जनसंख्या 44495063, ग्रामीण जनसंख्या 155317278 तथा साक्षरता 67.7% है। कुल साक्षर जनसंख्या 135272955, जिनमें 77511403 (77.3%): पुरुष, 77376130 (57.2%) स्त्रियाँ हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, एडिड एवं स्ववित्तपोषी कालेज

क्र	विश्वविद्यालय	जनपद	कुलकालेज	वित्तपोषितका	स्ववित्तपोषितकालेज	राजकीय
1	छ.शा.म.विश्वविद्यालय कानपुर	कानपुरनगर	167	22	144	1
2	छ.शा.म.विश्वविद्यालय कानपुर	कानपुरदेहात	87	2	84	1
3	छ.शा.म.विश्वविद्यालय कानपुर	फर्रुखाबाद	76	7	68	1
4	छ.शा.म.विश्वविद्यालय कानपुर	कन्नौज	85	2	80	3
5	छ.शा.म.विश्वविद्यालय कानपुर	इटावा	58	3	54	1
6	छ.शा.म.विश्वविद्यालय कानपुर	औरैया	72	3	68	1
7	छ.शा.म.विश्वविद्यालय कानपुर	लखीमपुर	60	3	56	1
8	छ.शा.म.विश्वविद्यालय कानपुर	हरदोई	136	2	132	2
9	छ.शा.म.विश्वविद्यालय कानपुर	रायबरेली	73	4	66	3
10	छ.शा.म.विश्वविद्यालय कानपुर	सीतापुर	80	4	74	2
11	छ.शा.म.विश्वविद्यालय कानपुर	उन्नाव	83	2	78	3
	छ.शा.म.विश्वविद्यालय कानपुर	कुलसंख्या:	977	54	904	19
	छ.शा.म.विश्वविद्यालय कानपुर	मेडि.कालेज	61		61	

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित जनसामान्य के कल्याण के लिए शैक्षिक योजनाओं के अध्ययन उपरान्त मैंने उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों की शैक्षिक समस्याओं के अन्तर्गत **कानपुर वि.वि. से सम्बद्ध 1038 कालेजों में से 42 डिग्री कालेजों** सहित प्राथमिक, माध्यमिक, टेक्नीकल कालेजों और ईश्वरीय विश्वविद्यालयों में जाकर शिक्षण एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था देखी और छात्र—छात्राओं, किशोरों, युवाओं से वार्ता कर शिक्षा और निरक्षरता की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया। जिसके परिणामस्वरूप 90—95% कृषक—श्रमिक निरक्षर मिले। ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 85—95% स्त्रियाँ, 80—90% पुरुष, शहरी क्षेत्रों में लगभग 80—90% स्त्रियाँ, 70—80% पुरुष निरक्षर मिले। दरिद्र बस्तियों में यह स्थिति और भी भयावह मिली जहाँ की अशिक्षा और निरक्षरता 95—100% बनी हुई है। निम्न से उच्च शिक्षित अधिकाँश छात्रों, किशोरों, युवाओं को सूर्योदय एवं सूर्यास्त की दिशाओं एवं अक्षरों का ज्ञान नहीं है।

अधिकाँश नहीं जानते हैं कि वे किस जनपद-प्रदेश के निवासी हैं। लिखना-पढ़ना उनके वश की बात नहीं। निरक्षरता व अज्ञानता उनके पतन की नियत बन चुकी है।

जनगणना-2011 के अनुसार, फर्रुखाबाद जनपद का कुल क्षेत्रफल 2181 वर्ग कि.मी., जनसंख्या घनत्व 865 व्यक्ति/कि.मी., लिंगानुपात 874 स्त्रियाँ तथा कुल जनसंख्या 1887577 (1007479 पुरुष, 880098 स्त्रियाँ) है। कुल साक्षर 1125457(70.57%) में पुरुष 676067(79.34%) व स्त्रियाँ 449390 (60.51%) हैं। जिले में 2059 प्राथमिक विद्यालय, 1 केन्द्रीय, 1 नवोदय, 6 कस्तूरबा, 1 आश्रमपद्धति, 197 इण्टर कालेज, 76 डिग्री कालेज, 845 ऑगबाड़ी-प्रौढ़शिक्षा केन्द्र आदि संचालित हो रहे हैं। स्कूल-कालेजों में बड़ी संख्या में प्राचार्य, अध्यापक, प्रेरक, अनुदेशक, कोऑर्डिनेटर, शिक्षाधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। जिनके वेतन-भत्तों व छात्रवृत्तियों आदि पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय हो रहा है। इसके बावजूद स्कूलों-कालेजों में पढ़ाई न होने से कोई भी अपने प्रतिपाठ्यों को इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता है। स्कूलों-कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों व पढ़ाने वाले शिक्षकों का अभाव है। सरकारी स्कूलों में पंजीकृत अधिकाँश निजी स्कूलों के छात्र हैं या कभी स्कूल नहीं आते और अधिकाँश पूर्णतया निरक्षर हैं।

दरिद्रों की समस्याओं के अन्तर्गत प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर उ. प्र. राज्य के जनपद फर्रुखाबाद की जनसंख्या में 85% ग्रामीण एवं 15% शहरी जनसंख्या है जिसमें व्यापक दरिद्रता और निरक्षरता है। दरिद्र और उनके आश्रित जीवन की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं के अभाव में जीवन-यापन कर रहे हैं। दरिद्रों के परिवारों की कुल संख्या 100600 जिनमें 90475 ग्रामीण एवं 8500 शहरी हैं। जनपद के दरिद्र व्यक्तियों के परिवारों में 8.1% दरिद्र व्यक्तियों के परिवारों में कोई न सदस्य साक्षर है तथा 91.9% दरिद्रों के परिवारों में सभी सदस्य अनपढ़ और निरक्षर हैं। इनके परिवारों में 0.72% दरिद्र व्यक्ति प्राथमिक पाठशाला या उच्च प्राथमिक पाठशाला या मदरसा, 0.3% दरिद्र व्यक्ति प्रौढ़शिक्षा या ऑगन बाड़ी केन्द्र, 0.8% दरिद्र व्यक्ति उच्चतर एवं माध्यमिक विद्यालय, 10% दरिद्र व्यक्ति पब्लिक या कान्वेंट या अन्य विद्यालय का उपभोग कर पा रहे हैं। शेष 96% दरिद्र शिक्षण संस्थानों के उपभोग से वंचित हैं।

फर्रुखाबाद जिले में संचालित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध 1 राजकीय, 7 एडिड, 68 स्ववित्तपोषी अधिकाँश कालेजों में शिक्षकों और पढ़ाई तथा मानकी शिक्षण का अभाव होने के बावजूद छात्रों को प्रवेश तो दिया जाता है परन्तु शिक्षण-व्याख्यान एवं प्रयोगिक कार्य नहीं कराया जाता है। इनमें पूरे सत्र छात्र अनुपस्थिति के बावजूद परीक्षाकाल में छात्र उपस्थित पूरी रहती है और बोल-बोलकर नकल करायी जाती है। इन कालेजों से विश्व विद्यालय के अधिकाँश उड़नदस्ते रु.20000-25000 तक पक्ष में रिपोर्ट लगाने के नाम पर वसूली करते हैं। स्ववित्तपोषी कालेज प्राचार्य-प्राध्यापकों के साक्षात्कार लेने वाली समिति के एक्पर्ट विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में बैठकर प्रबन्धकों से रु.15000 से भरा लिफाफा प्रत्येक सदस्य वसूलते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक चौकाने वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक छात्र-छात्रा की उपस्थिति 75% अनिवार्य होने के बावजूद और कालेज-कक्ष-लैब-लाइब्रेरी नेट-कैमरे से जुड़े होने के बावजूद शिक्षण और शिक्षक-छात्र उपस्थित नहीं होती हैं और फर्जी शिक्षण-उपस्थिति 75% दिखाकर एवं धन लेकर नकल परीक्षाएँ कराकर डिग्री बण्टन जारी हैं जो व्यक्ति और समाज के लिए व्यर्थ सिद्ध हो रही है।

कालेजों की अधिकाँश प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारी व सदस्य स्थानीय समुदायों के साधारण जन, शिक्षाविद्, समाजसेवी, अभिभावक नहीं हैं और न ही निर्धारित प्रशासन योजना के मानकानुरूप हैं। अमानक प्रबन्धतन्त्रों के पदाधिकारी सगे-सम्बन्धी एवं आपसी हितबद्ध हैं। यह अपने लाभ हेतु शिक्षा को दूषित कर रहे हैं। सोसाइटी एक्ट-1856, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय एक्ट-1973, शिक्षा अधिनियमों की उपेक्षाकर स्व:लाभ हेतु परिजनों एवं सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्धों को प्राचार्य-प्राध्यापक पदों पर आसीन कर तथा कालेजों में शिक्षण कार्य कराए बिना छात्र-छात्राओं को मनचाही डिग्री का लालच देकर अवैध वसूली व धन उगाही एवं व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं। स्ववित्तपोषी कालेज 'नकल-ठेकों' एवं डिग्री बिक्री के आधार पर संचालित हो रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था एवं प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षण, कर्मचारी, लैब, लाइब्रेरी आदि अमानक हैं तथा छात्र-छात्राओं एवं बेरोजगारों से मनमाना धन वसूलने के बावजूद शिक्षण नहीं होता है। स्ववित्तपोषी कालेजों की मान्यता सम्बन्धी पत्रावलियों में औपचारिकतावश जो प्राचार्य, शिक्षक अनुमोदित होते हैं वह कभी कालेजों में नहीं आते हैं। **उनमें अधिकाँश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेवाकाल में शिक्षण की सदैव उपेक्षा की और अब कहते हैं कि मुझसे जूनियर कार्यवाहक-प्राचार्य मुझे क्लास शिक्षण करने का निर्देश कैसे दे सकता है? कहकर क्लास शिक्षण कार्य कभी नहीं करते हैं।** विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अधिकाँश प्राचार्य एवं शिक्षकों ने अपने प्रमाणपत्रों को कालेज मान्यता-अनुमोदन हेतु किराए पर देकर रु.20,000 से 25000 वार्षिक लिए जा रहे हैं और कुछ शिक्षकों को नियमित कालेज जाने पर रु.6000-10000 मासिक भुगतान दिया जा रहा है। शासन द्वारा निर्धारित वेतन के फर्जीबाड़े में इनके वेतन भुगतान के बैंक खातों में गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ जारी हैं। जिसके कारण पात्र व्यक्ति रोजगार से वंचित हो रहे हैं। स्ववित्तपोषी कालेजों में अर्ह शिक्षक को मानकीय वेतन नहीं दिया जाता है। प्रबन्धतन्त्रों के लोग अर्ह शिक्षकों को वेतन-भत्ते देने की कागजी खानापूर्ति तो करते हैं परन्तु मानकयुक्त वेतन-भत्ते नहीं देते हैं। शिक्षक 'ट्यूशनबाजी' में संलिप्त हैं। शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति की जगह परिजनो, सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्धों के स्वलाभ उद्देश्यों से मानक विरुद्ध निर्मित समितियाँ एवं उनकी प्रबन्ध समितियों की सम्बद्धताएँ पूर्णतया अवैध है।

फर्रुखाबाद जनपद के बड़े-बड़े स्कूल भवन सामान्य जनता के लिए व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। इन भवनों में पढ़ाई के अतिरिक्त सब कुछ देखने को मिल रहा है। यथा शिक्षकों-कर्मचारियों के गुट, गपशप, मोबाइल पर लम्बी वार्ता-गेम्स के नजारे आदि दिखते हैं। अधिकाँश शिक्षक यदा-कदा विद्यालय आकर उपस्थिति पंजिका पर साइन कर बिना पढ़ाए चले जाते हैं। अनेक शिक्षक घर बैठे ट्यूशन व्यापार व राजनीति में सक्रिय हैं और बिना शिक्षण कार्य वेतन ले रहे हैं। पंजीकृत छात्रों में अधिकाँश नौकरी-व्यापार में जुट हैं और विद्यालय पढ़ने नहीं जाते हैं।

शिक्षाबोर्ड, उच्चशिक्षा, टेक्नीकल, चिकित्सीय, विधि कालेज एवं शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा माफियाओं द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को नष्ट

कर प्रबन्धन एवं शिक्षण में फर्जीबाड़ा कर लाभ कमाया जा रहा है। अमानक समितियाँ धन के प्रभाव में विद्यालय संचालन की मान्यता लेकर भावी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रही है। कालेजों की शिक्षण व्यवस्था के अवलोकन एवं जनसम्पर्क के आधार पर प्राप्त तथ्यों से पता चलता है कि, डिग्री कालेजों की प्रबन्ध समितियाँ एवं प्रबन्धतन्त्र कालेज सम्बद्धता-मान्यता पत्रावली में फर्जी, अवैध, अमानक भ्रामक तथ्यों- प्रपत्रों एवं शपथ-पत्रों को जोड़-तोड़ कर और स्वयं मनमाने ढंग से प्रमाणित कर शामिल कर फर्जीबाड़ा कर रहे हैं तथा शिक्षाविभाग एवं विश्वविद्यालय के लोगो से सांठगांठ एवं धन-लालच के प्रभाव से मनचाहे साक्षात्कार-नियुक्ति-जाँच के फर्जी प्रपत्र बनाकर विश्वविद्यालय-बोर्ड की पत्रावलियों में शामिल करा रहे हैं तथा शिक्षा विकास निधियाँ हड़पकर निजी उपभोग तथा भूमि, भवन, चरागाहों पर जबरदस्त कब्जा कर प्रबन्धतन्त्रों के लोगों एवं उनके परिवारीजनों द्वारा शिक्षा, छात्र, बेरोजगार एवं समाज का हित बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है।

शिक्षा की उपयोगिता एवं आवश्यकता की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए मानकपूर्ण विद्यालय, पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, लैब व मानकीय शिक्षक, **स्वास्थ्य** जीवन के लिए प्रदूषण मुक्त भोजन, औषधि, **सुरक्षा** हेतु न्याय एवं **अपराध** के लिए दण्ड बुनियादी आवश्यकता है। हमारा लोकतान्त्रिक संविधान जन-सामान्य के संरक्षण एवं उसकी जरूरतों की पूर्ति व्यवस्था हेतु दृढ़ संकल्पित है परन्तु अनेक स्वार्थी लोग सरकारी व्यवस्था में घुसपैठ कर लोकतान्त्रिक व्यवस्था और शिक्षा को ध्वस्त कर रहे हैं और जीवन की बुनियादी **शिक्षा** शिक्षणहीन, शिक्षणविहीन, नकलयुक्त एवं उद्देश्यहीन हो गई है।

निष्कर्ष: उच्च शिक्षा संस्थानों में पंजीयन, शिक्षक एवं छात्र उपस्थिति, अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, लैब, पुस्तकालय, डिग्री-डिप्लोमा अवैध वसूली, अमानक प्रबन्धतन्त्र, सरकारी-सार्वजनिक धन-सम्पत्ति का दुरुपयोग आदि गम्भीर अनियमितताएँ व्यापक रूप से विद्यमान हैं।

अध्ययन में प्रयुक्त उ. प्र. के कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध फर्रुखाबाद के डिग्री कालेज

क्र	कालेज	स्थान	संस्थाप-अध्य	प्रबंधक	प्रबंध-सदस्य	प्र.समि	प्राचार्य	कार्य.प्राचार्य	शिक्षा	पढ़ाते	छात्रउप%	वेतन
1	बद्रीविशालकाले	फर्रुखाबा	बद्रीविशावि	विनोददुबे	विनोदअध्यक्ष	अमानक	रिक्त	डॉ.अग्रवाल	44	कोईनही	शि.0,प100	एडि
2	डी.एन.कालेज	फतेहगढ	शारद-दिग्वि	अजयसिंह	पैतृकहितबद्ध	अमानक	रिक्त	डॉ.आर.के.गुप्ता	22	कोईनही	शि30,प100	एडि
3	भारतीयाकालेज	फर्रुखाबाद	डॉ.पाल	राजेंद्रत्रिपा	पैतृकहितबद्ध	अमानक	रिक्त	डॉ.विश्रामसिंह	11	कोईनही	शि35,प100	एडि
4	एल.वाई.कालेज	कायमगंज	यदुनंदन	अजयतुर्वे	पैतृकहितबद्ध	अमानक	रिक्त	डा.वी.के.राय	14	कोईनही	शि40,प100	एडि
5	विद्यामंदिरकाले	कायमगंज	गोयल	अरविंदगोय	पैतृकहितबद्ध	अमानक	रिक्त	डॉ.सी.अग्रवाल	4	कोईनही	शि25,प100	एडि
6	आर.पी.कालेज	कमालगंज	कुलुपसिंह	अश्वनी	पैतृकहितबद्ध	अमानक	रिक्त	डॉ.आरटी.पटेल	21	कोईनही	शि65,प100	एडि
7	एन.ए.के.पी.काले	फर्रुखाबाद	वैश्यमहासभ	हरिदत्तदुबे	पैतृकहितबद्ध	अमानक	रिक्त	डॉ.आभासिंह	11	कोईनही	शि45,प100	एडि
8	काशीरामराज.का	निनौआफते					रिक्त	डॉ.ममतामधुकर	14	7	शि.0,प100	एडि
9	मैं.एस.डी.कालेज	मोहम्मदाबा	बाबूसिंह	बाबूसिंह	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.अनारसिंह	पला	अयोग्य	शि40,प100	फर्जी
10	के.के.आर.डी.का.	मझना	बाबूसिंह	बाबूसिंह	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.साधनागुप्ता	पला	अयोग्य	शि10,प100	फर्जी
11	शकुंतलाकालेज	कायमगंज	पिक्कूबाबू	मिथलेश	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.वेणूसिंह	पला	अयोग्य	शि15,प100	फर्जी
12	पी.डी.महिलाकाले	फतेहगढ	बाबूसिंह	नागेन्द्रसिंह	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.अनीतायादव	पला	अयोग्य	शि45,प100	फर्जी
13	सिटीपब्लिककाले	फतेहगढ	विजययादव	विजयसिंह	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.नीरजसक्से	पला	अयोग्य	शि20,प100	फर्जी
14	एस.डी.महि.काले	मोहम्मदाबा	बाबूसिंह	अंचलसिंह	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.कर्ण सिंह	पला	अयोग्य	शि35,प100	फर्जी
15	रघुराजसिंहकाले	कुबेरपुर	राजीवसिंह	राजीवसिंह	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.हितसिंहसो	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
16	सिटीपब्लिककाले	फतेहगढ	विजयसिंह	विजयसिंह	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.नसीमअहमद	पला	अयोग्य	शि20,प100	फर्जी
17	गौतमबुद्धकालेज	मतेपुर	सुरेशपाल	सुरेशशाक्य	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.ओ.पी.शर्मा	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
18	पुतूलालमे.कालेज	जहानगंज	रामसेवक	रामसेवक	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.दयारामकुश	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
19	सागरसिंहकालेज	बहोरिकपुर	साहबसिंह	राजेशकुम	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.ए.के.त्रिवेदी	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
20	रामप्रकाशकालेज	मुरहास	रामप्रताप	रामप्रताप	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.एस.पी.	पला	अयोग्य	शि20,प100	फर्जी
21	कालिकासिंहकाले	नगरिया	नाहरसिंह	नाहरसिंह	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.नाहरसिंह	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
22	छविनाथसिंहकाले	मानिकपुर	अजयपाल	अजयपाल	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	अभिषेकसिंहया	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
23	बाबूसिंहकालेज	नबाबगंज	बाबूसिंहयाद	पुष्पेन्द्र सिंह	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.शैलेंद्रसिंह	पला	अयोग्य	शि20,प100	फर्जी
24	गजराजसिंहकाले	रठौरा	श्यामपाल	श्यामपाल	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.एन.डी.	पला	अयोग्य	शि35,प100	फर्जी
25	नरायणलक्ष्मणका	कायमगंज	सुरेशपाल	सुरेशचन्द्र	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	सुरेशचन्द्र	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
26	हरिश्चंद्रबीएडका	फर्रुखाबाद	डॉ.हरिश्चंद्र	राहुलतिवा	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.हरिश्चंद्रतिव	पला	अयोग्य	शि10,प100	फर्जी
27	एसडीलॉकालेज	फतेहगढ	बाबूसिंह	अनारसिंह	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.नागेन्द्रसिंह	पला	अयोग्य	शि15,प100	फर्जी
28	एस.डीमहि.काले	फतेहगढ	बाबूसिंह	अनारसिंह	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	अंचल यादव	पला	अयोग्य	शि20,प100	फर्जी
29	एच.एस.ए.कालेज	रजीपुर	अजीयुजदी	अयाबुजदीन	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.आरएरिजवी	पला	अयोग्य	शि25,प100	फर्जी

30	एसडीआयुर्वेदिक	फतेहगढ	बाबूसिंह	बाबूसिंह	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	कर्मलडीके.राय	पला	अयोग्य	शि45,प100	फर्जी
31	पुरुषोत्तमडिग्रीका	मोहम्मदाबा	नरेन्द्र सिंह	सचिनयादव	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.डी.एस.	पला	अयोग्य	शि20,प100	फर्जी
32	स्वामीआत्मदेवका	ऊगरपुर	ओमप्रकाश	चन्दमुखी	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डा.राजेन्द्रनाथ	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
33	सी.पी.कालेज	कायमगंज	पिक्कोबाबू	सत्यप्रकाश	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.पीरथ	पला	अयोग्य	शि.5,प100	फर्जी
34	रामकृष्णकालेज	रानूखेडा	रामकृष्णवर्मा	रामकृष्णवर्मा	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.रामकृष्णवर्मा	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
35	छविनाथसिंहकाले	मोहम्मदाबा	श्यामपालसिंह	श्यामापाल	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	अजययादव	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
36	ओमप्रकाशवि.का	सकवाई	डॉ.ओ.पी.गुप्ता	पी.के.गुप्ता	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	डॉ.शैतानसिंह	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
37	बीरेन्द्रकटियारका	गांधियाराजे	बीरेन्द्रकटियार	प्रदीपकटि	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	कु.रेनूकटियार	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
38	कृष्णादेवीम.काले	आवाविकास	नागेन्द्रसिंह	अनीतारंज	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	सोनमतिवारी	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
39	रविनाथसिंहलॉका	दहेलिया	अजयपाल	अजयपाल	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	अभिषेकसिंहया	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
40	रामनिवासकालेज	चित्रकोटरजे	पी.के.चतुर्वेदी	मीराचतुर्वे	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	रिटा.रमेशचौबे	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
41	विनयअवस्थीकाले	अमृतपुरराजे	विनयअवस्थी	विनयकुमा	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	प्रभातअवस्थी	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी
42	प्रेमनरायनकलेज	जहानगंज	पं.रामनरायन	रामनरायन	पैतृकहितबद्ध	अमानक	फर्जी	राजेशचतुर्वेदी	पला	अयोग्य	शि.0,प100	फर्जी

उच्चशिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु अधोलिखित तथ्य एवं प्रस्तुत सुझाव :

- मानक विहीन शिक्षा ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। शिक्षक, शिक्षण, प्रवटीकल्स, पुस्तकालय, प्राचार्य और कर्मचारियों का अभाव एवं अमानकता से शिक्षा व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं का संचालन भारी वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। नकल, ट्यूशन, बिना पाठन डिग्री-उपाधि वितरण व्यवसायों से शिक्षा प्रदूषित हो रही है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण एवं जिला प्रशासन-शिक्षा प्रशासन की जबाबदेही तथा जनसाधारण के हितों की सुरक्षा हेतु शिक्षा के मानकीय प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है।
- स्ववित्तपोषी कालेजों के अप्रूबड अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं जो अपने नेट, पी-एच.डी. प्रमाणपत्रों का वार्षिक किराया लेकर स्ववित्तपोषी कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदित हुए हैं, परन्तु पढ़ाने कभी नहीं जाते हैं और अनेक रिसर्च-अध्यापक-नौकरी का वेतन भी ले रहे हैं। अनेक अनुमोदित शिक्षक अपनी डिग्री को किराए पर देकर अनेक विश्वविद्यालयों-कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अप्रूबड होकर शैक्षक-प्रपत्रों का व्यापार करने में जुटे हुए हैं। इनमें अनेक ऐसे भी हैं जो विश्वविद्यालय-यू.जी.सी. से जे.आर.एफ. लेकर अनुमोदित शिक्षक बने हैं और इनसे सम्बन्धित अनेक गाइड-फैकल्टी-विश्वविद्यालय इनकी छात्रवृत्ति से हिस्सा लेकर जे.आर.एफ. को एस.आर.एफ.में परिवर्तन आदि प्रमाणपत्र देकर अवैध लाभ ले रहे हैं। किराए पर डिग्री-डिप्लोमा के व्यापक व्यापार से सामान्य छात्र-छात्राओं प्रशिक्षु व शिक्षा डिग्री-डिप्लोमा धारियों की शैक्षिक स्थिति में बड़ी अज्ञानता, अकुशलता एवं असन्तोष की झलक दिखती है। अंकुश लगाना चाहिए।
- अधिकांश कालेजों में पब्लिक स्कूल एवं उद्योग भी संचालित हो रहे हैं। इनमें पढ़े विद्यार्थियों जो शादी-नौकरी-व्यवसाय के कारण बाहर चले जाते हैं या पढ़ने में समय-रुचि नहीं रखते, के नाम पंजीकृत कर छात्रवृत्ति-फेलोशिप-शिक्षाऋण एवं पंजीयन-नकल के नाम पर वसूली कर कालेज छात्र संख्या पूरी कर ली जाती है तथा ऐसे पंजीकृत छात्रों की कक्षाओं में 100% अनुपस्थित रहने के बावजूद परीक्षाओं में उपस्थित 100% रहती है एवं एक्सपर्ट-परीक्षकों द्वारा बोल कर नकल कराई जाती है और वि.वि.के उड़नदस्ते को भी पैसा दिया जाता है अंकुश लगाना चाहिए।
- अनेक एडिड कालेज ऐसे हैं, जो दबंगों की निजी विरासत व निजी आय-सम्पत्ति बने हैं और इनमें पढ़ाई के अतिरिक्त सब कुछ दिखता है। अनेक एडिड कालेज की भूमि कहीं और पढ़ाई कहीं और हो रही है। अधिकांश स्ववित्तपोषी कालेजों के प्रबन्धतन्त्र के लोग राजनीति एवं सरकारी पदासीनता का दुरुपयोग कर अवैध लाभ कमा रहे हैं। तत्काल अंकुश लगाना चाहिए।
- कानपुर, लखनऊ, रुहेलखण्ड वि. वि. एवं इनसे सम्बद्ध कालेजों में आयोजित अधिकांश राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं संगोष्ठी में मानक-प्रतियोगियों की उपेक्षा कर प्रमाणपत्रों का खुला व्यापार हो रहा है तथा सम्मेलन-संगोष्ठी में प्रस्तुतियों का दुरुपयोग कर शोध-पत्र जर्नल के स्थान पर निजी प्रकाशन करारकर प्रतिभागियों को शैक्षिक लाभ से वंचित कर शोध-पत्रों के संग्रह से बनी पुस्तकों को बेचा जा रहा है। जिस पर जबाबदेह अंकुश लगाना चाहिए।
- अनेक विश्वविद्यालयों के रिसर्च स्कालर्स से बातचीत में पता चला कि अनेक स्कालर विश्वविद्यालय एवं अपने निवास स्थल के जिला-राज्य को छोड़ दूर-दराज के जम्मू-कश्मीर को अपना रिसर्च एरिया बनाए हुए हैं जबकि सम्बन्धित शोध हेतु उ. प्र. का क्षेत्र उपयोगी होने के बावजूद उपेक्षित कर विदेशी राष्ट्रों से विशेष आस्था व्यक्त कर रहे हैं। अंकुश लगाना चाहिए।
- अपंजीकृत ईश्वरीय विश्वविद्यालयों में नरक, भूत-प्रेतों का भय एवं आत्मा-जीवन उद्धार का लालच देकर किशोरियों को फंसाकर व पूजा-पाठ कर्मकांडों से जन-समर्थन प्राप्त किया जाता है। फंसे लोगों को रात्रि के अंधेरों में न जाने कहाँ घुमाया जाता है और किशोरियों को चिड़ियाघर की भाँति रखा जाता है तथा अपराध जगत में सक्रिय व्यक्ति को ईश्वर बताकर उनसे युवतियों का शोषण-संसर्ग उपरान्त विधवा जीवन व्यतीत करने हेतु बाढ़ किया जाता है। अंकुश लगाना चाहिए।
- यह कि, सरकारी-सार्वजनिक निधियों से निर्मित व सरकारी मानकों पर आधारित अधिकांश कालेज व्यक्ति विशेष एवं उनके

परिजनों की विरासती पदासीनता एवं आय के साधन बने हुए हैं जिससे सार्वजनिक शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अंकुश लगाना चाहिए।

9. यह कि, अधिकाँश विश्वविद्यालयों एवं उच्चशिक्षण संस्थानों में मानकानुरूप शिक्षक, पंजीयन, शिक्षक-कर्मियों एवं छात्र-छात्राओं की व्यवस्था: उपस्थित, अध्ययन-अध्यापन पूर्ण उपरान्त परीक्षा, योग्यतानुरूप डिग्री आवंटन आपेक्षित है।
10. उ.प्र. राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों में व्याप्त अनियमितताओं एवं धन उगाही पर तथा फर्जी छात्र, फर्जी उपस्थिति, कालेजों में प्रबन्धतन्त्रों के आवास-व्यापार, कोचिंग, नकल, डिग्री व्यापार, फर्जीबाड़े, अमानक शिक्षण-लैब-पुस्तकालय सहित शिक्षामानकों एवं छात्रहितों की उपेक्षा पर अंकुश लगाकर उ.प्र. की साधारण जनता को मानकीय शिक्षा-व्यवस्था मिलनी चाहिए।
11. छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय पोर्टल पर अनुमोदित प्राचार्य-शिक्षक अपडेट दि.20.9.2018 सूचियों में अधिकाँश अयोग्य, अमानक, गुमशुदा, मृतक, अन्य नौकरी वाले एवं कालेज न जाने वाले शामिल हैं। इन सूचियों में **716 सम्बद्ध स्ववित्तपोषी कालेजों के प्राचार्यों में 197 प्राचार्यों की आयु 65 वर्ष से अधिक है।** इनमें अनेक प्राचार्यों की आयु **70-85 वर्ष** के मध्य व स्वतन्त्रता से पूर्व जन्मे व्यक्ति हैं। अनुमोदित **5 प्राचार्य बिना आयु, 1 प्राचार्य की आयु 5 वर्ष, 1 प्राचार्य 2 कालेजों में** तथा अनेक मृतकों के नाम प्राचार्य सूची में शामिल हैं। इनमें लगभग **80% प्राचार्य एडिड कालेजों से से.नि.** हैं। इनके नाम व फर्जी साइन से कालेजों एवं वि.वि. म अति गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ एवं फर्जीबाड़े चरम पर है। इसी तरह पोर्टल पर अपडेट दि. 20.9.2018 अनुमोदित शिक्षक सूचियों में अनेक स्ववित्तपोषी कालेजों के शिक्षकों की **शैक्षिकता नेट-पीएच.डी.विहीन परास्नातक-एम.फिल.** मात्र है। इन अनुमोदित शिक्षकों में लगभग **90% शिक्षक सम्बन्धित कालेजों में पढ़ाने नहीं जाते हैं।** इनकी जगह कालेजों में कम वेतन पर अयोग्य, अमानक, कम पढ़े लोग पढ़ा रहे हैं। अकादमिक एक्सपर्ट हेतु निर्धारित प्राचार्य-प्रोफेसर सीट पर अमानक, अयोग्य, कुख्यात शातिर-सरगना बैठ रहे हैं। **यथा वि.वि.पोर्टल पर अपडेट प्राचार्य-सूची दि. 23.7.2018 में बने मृतक, गुमशुदा प्राचार्यों के कोड-TS7293, TS7116, TS10122, TS17017, TS0099, TS14379, TS9689, TS1481, TS3909, Sno.271 TS6581 etc. फर्जी प्राचार्यों एवं अमानक, अयोग्य गैर-अनुमोदित शिक्षकों वाले डिग्री कालेज इटावा, कानपुर, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद जिलों में बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यथा कानपुर-देहात के स्नेहलता कालेज, रामादेवी कालेज, आदर्श फैजे आम कालेज, झाउलाल कालेज, कानपुर-नगर गौतमबुद्ध कालेज, फर्रुखाबाद सिटी पब्लिक कालेज, पी. डी.कालेज, के.डी.कालेज, मे.कालेज, औरैया बाबूराम कालेज, पब्लिक कालेज, इटावा लालाराम कालेज आदि हैं।** निरस्त होने चाहिए।

फर्रुखाबाद की निरक्षरता और शिक्षा का वर्तमान स्वरूप

प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुकूल ही अपनी शिक्षा व्यवस्था करता है। किसी समाज की मान्यता एवं आवश्यकता उसकी सामाजिक संरचना तथा भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के अनुकूल होती है। समाज में होने वाले परिवर्तन भी उसके स्वरूप एवं जरूरतों को बदलते हैं। इसके अनुसार उनकी शिक्षा का स्वरूप बदलता है। समाज की संरचना एवं भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियाँ एवं संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन से शिक्षा का स्वरूप बदलता रहता है। भौगोलिक स्थिति पर नियन्त्रण एवं धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियाँ तथा संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जिस समाज में जैसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है वैसी ही उस समाज की संरचना होने लगती है। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा आधारभूत भूमिका अदा करती है।

समाज के प्रत्येक व्यक्ति और उसके सभी प्रतिपाल्यों को शिक्षित करने के लिए फर्रुखाबाद जनपद में बहुत बड़ी संख्या में परिषदीय, केन्द्रीय, नवोदय, कस्तूरबा, आश्रम पद्धति आदि विद्यालय सहित आंगनबाड़ी, सर्वशिक्षा केन्द्र तथा एडिड विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षामित्र, प्रेरक, कार्यकर्त्री, सहायिका, अनुदेशक, कोऑर्डिनेटर, शिक्षाधिकारी सहित रसोइया, सेवक, स्वीपर, लिपिक आदि कार्यरत हैं। जिनके वेतन-भत्तों तथा छात्रों के लिए मिड-डे-मील, दूध, फल, बस्तों, ड्रेसों आदि पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय हो रहा है। इसके बावजूद उ.प्र. राज्य के फर्रुखाबाद जनपद के अधिकांश सरकारी स्कूलों में पढ़ाई न होने से कोई भी अपने प्रतिपाल्यों को इन स्कूलों में पढ़ाने हेतु तैयार नहीं है। सरकारी सुविधा प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का पूर्णतया अभाव है। इनमें जो छात्र पंजीकृत हैं उनमें अधिकांश छात्र या तो फर्जी हैं अथवा पूर्णतया निरक्षर हैं। इनमें कार्यरत लगभग सभी रसोइयों एवं पंजीकृत छात्रों व अभिभावकों में अधिकांश की निरक्षरता और अशिक्षा फर्रुखाबाद की शिक्षा की वास्तविकता उजागर करती है।

शिक्षा की उपयोगिता एवं आवश्यकता की पूर्ति हेतु छात्र-छात्राओं को अध्ययन के लिए मानकपूर्ण विद्यालय, पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रयोगशाला एवं अर्ह शिक्षक, बुनियादी आवश्यक है। हमारा लोकतान्त्रिक संविधान जन-सामान्य के संरक्षण एवं उसकी आवश्यकता की पूर्ति व्यवस्था हेतु दृढ़ संकल्पित है। केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपनी यथाशक्ति से देश की शैक्षिक समस्याओं का समाधान कराने में अपने दायित्वों का निर्वाहन कर रही हैं। परन्तु स्वार्थी-असामाजिक लोग सरकारी व्यवस्था में घुसपैठ कर संवैधानिक शैक्षिक व्यवस्था को ध्वस्त कर अराजकता कर रहे हैं। जीवन की बुनियादी शिक्षा शिक्षक एवं शिक्षण विहीन, प्रयोगशाला-विहीन, नकलयुक्त और उद्देश्यहीन हो गई है।

शिक्षा का उद्देश्य बालक में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा उसमें सामाजिक कुशलता के गुणों का विकास करना होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा के विभिन्न पक्ष-अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, अनुशासन, परीक्षा साधन, शिक्षक, बालक और स्कूल-कालेज हैं जिसकी आधुनिक धारणाएँ क्रमशः विकास, व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिक कुशलता, बाल के प्रति क्रिया प्रधान-सामाजिक अध्ययन, खेल और योजना, आत्म अनुशासन, वस्तुनिष्ठा, प्रगतिपत्रा, वर्धन के लिए, लिखित विवरण, अनौपचारिक, निज-दार्शनिक-पथप्रदर्शन, सक्रिय और सामाजिक लघुरूप है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय, राजकीय एवं अनुदानित स्कूलों में 1-8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क मानकीय शिक्षा, पुस्तकें, पोशाकें, मध्याह्न भोजन, दूध, फल, वेतनिक शिक्षक-कर्मचारी, किशोर-प्रौढ़ निरक्षरों को सारक्षरता तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पौष्टिक भोजन, दूध, खिलौने, स्वास्थ्य जाँच, स्कूल पूर्व की शिक्षा तथा महिलाओं के मातृत्व धारण करने के उपरांत पौष्टिक भोजन, दूध, फल, टीका, चिकित्सा, किशतों में 6000 रुपए मुहैया कराए जा रहे हैं।

शिक्षा की पूर्ति हेतु शिक्षण के साधन, पाठ्यक्रम, प्रबन्धन, वित्त के लिए जो मानक एवं विधान निर्धारित हैं उनकी उपेक्षा एवं दुरुपयोग से देश-समाज पर अच्छे-बुरे प्रभावों के आकलन की जरूरत महसूस करते हुए मैंने शिक्षण संस्थानों की शैक्षिक, प्रबन्धकीय एवं मानकीय व्यवस्था के प्रदर्शित वर्तमान स्वरूपों पर विद्यालयों का अवलोकन आवश्यक समझा है। इसी आधार पर मैंने फर्रुखाबाद जिले में संचालित केन्द्रीय एवं राजकीय तथा एडिड-अनएडिड विद्यालयों, महाविद्यालयों इण्टर कालेजों, टेक्नीकल विद्यालयों, पब्लिक स्कूलों, मान्यता-गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों, ईश्वरीय विश्वविद्यालयों का निरीक्षण-अवलोकन किया तथा संस्थानों के प्रमुखों, शिक्षकों, प्रबन्धतन्त्रों, छात्र-छात्राओं, शिक्षाधिकारियों, रसोइयों, कार्यकर्त्रियों, प्रेरकों, अभिभावकों एवं जनता से बातचीत की तथा औपचारिक-अनौपचारिक माध्यम से शिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर तथ्य संकलित किए। शिक्षा अधिनियम, ट्रस्ट एवं सोसाइटी अधिनियम, सोसाइटी एक्ट, सरकारी आदेश-संग्रहों, कर्मचारी आचरण संहिता एवं शिक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं अवलोकन से प्राप्त जानकारी के आँकड़ों पर विचार करके मैंने यह जानने का प्रयास किया कि क्या विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था, छात्र पंजीयन, मिड-डे-मील, शिक्षण कक्ष, प्रबन्धतन्त्र, शिक्षकों की गतिविधियाँ, पाठ्यक्रम, शिक्षक, कर्मचारी, वेतन-भत्ते, शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रयोगिक कार्य, शिक्षक-छात्र उपस्थित, परीक्षा, निरीक्षण, निगरानी एवं वित्तीय व्यवस्थाएँ आदि मानक युक्त हैं या नहीं।

जनगणना-2011 के अनुसार, फर्रुखाबाद जिले का कुल क्षेत्रफल 2181 वर्ग कि.मी. जनसंख्या घनत्व 865 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी., लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 874 स्त्रियाँ हैं। कुल जनसंख्या 1887577 जिसमें 1007479 पुरुष एवं 880098 स्त्रियाँ हैं। शहरी जनसंख्या 429990, ग्रामीण जनसंख्या 1457587 है। कुल साक्षर जनसंख्या 1125457(70.57%), जिनमें 676067 (79.34%) पुरुष, 449390 (60.51%) स्त्रियाँ हैं। कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या का कुल अनुपात 15.51 जिनमें बालक 15.43, बालिकाएँ 15.61 हैं। जिले में

1799 प्राथमिक स्कूल, 872 उच्च प्राथमिक स्कूल, 200 माध्यमिक विद्यालय, 56 महाविद्यालय, 9 परास्नातक महाविद्यालय, 3 मेडिकल कालेज, 3 आई.टी.आई, 1 पोलिटेक्निक हैं।

केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित जनसामान्य के कल्याण के लिए शैक्षिक योजनाओं के अध्ययन उपरान्त मैंने उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों की शैक्षिक समस्याओं के निरीक्षण हेतु 6 नगरों के 116 वार्ड्स एवं 7 ब्लाकों की 513 ग्रामसभाओं में 314 ग्रामसभाओं का भ्रमण एवं जनसम्पर्क कर जिले के केन्द्रीय, राजकीय, प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक, कस्तूरबा, मूकबधिर, आश्रम पद्धति, निजी, एडिड, अनएडिड विद्यालयों एवं प्रौढ़शिक्षा-आंगनबाड़ी केन्द्रों, डिग्री कालेजों, पालीटेक्निक, आई.टी.आई. एवं पब्लिक स्कूलों तथा मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों, ईश्वरीय विश्वविद्यालयों में जाकर अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा बस्तियों के शिक्षित एवं अशिक्षित बच्चों, किशोरों, युवा, प्रौढ़, वृद्ध स्त्री-पुरुषों से वार्ता कर उनकी शिक्षा और निरक्षरता की वास्तविक स्थिति एवं शैक्षिक समस्याओं का मूल्यांकन किया। जिसके परिणामस्वरूप 90-95% कृषक-मजदूर निरक्षर मिले। ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 85-95% स्त्रियाँ, 80-90% पुरुष, शहरी क्षेत्र में लगभग 80-90% स्त्रियाँ, 70-80% पुरुष अशिक्षित और निरक्षर मिले। दरिद्र बस्तियों में यह स्थिति और भी भयावह मिली जहाँ की अशिक्षा और निरक्षरता 95-100% बनी हुई है। अध्ययनरत छात्र-छात्रा, किशोर-किशोरी, प्रशिक्षु एवं शिक्षा डिग्री-डिप्लोमा धारियों की शैक्षिक स्थिति में बड़ी अज्ञानता एवं निरक्षरता की झलक दिखाई दी। निम्न से उच्च शिक्षित बच्चों, किशोरों, युवाओं को सूर्योदय एवं सूर्यास्त की दिशाओं और अक्षरों तक का ज्ञान नहीं है। अधिकांश नहीं जानते हैं कि वे किस जनपद-प्रदेश के निवासी हैं। लिखना-पढ़ना उनके वश की बात नहीं। निरक्षरता और अज्ञानता उनके पतन की नियत बन चुकी है।

जनपद के राजकीय एवं परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्चतर, माध्यमिक एवं एडिड विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षक, प्रेरक, अनुदेशक, सेवक, रसोइया, स्वीपर, कोआर्डिनेटर, अधिकारी, निदेशक कार्यरत हैं। शैक्षिक व्यवस्था हेतु स्कूल प्रबन्ध समितियाँ एवं पी.टी.ए. बनी हैं। समितियों में पदासीन सदस्यों-अध्यक्षों के प्रतिपाल्यों का छात्र होना आवश्यक है। मानकीय शिक्षण-व्यवस्था की निगरानी एवं देखरेख का जबाबदेह उत्तरदायित्व समितियों का है। इनके प्रस्तावों एवं अनुमोदनों के बिना स्कूलों में कोई भी भुगतान या व्यवस्था पूर्णतया प्रतिबन्धित है। छात्रों को दूध, फल, भोजन, वस्त्र, पुस्तकें, बस्ते, तौलिया, साबुन जरूरी सभी वस्तुओं सहित मानकीय शिक्षा-पाठ्यक्रम एवं शिक्षण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। जिसका लेखा प्रत्येक शिक्षक की डायरी पर प्रति दिन दर्ज होना जरूरी है जिसके आधार पर ही शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है और औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है।

जनपद के लगभग सभी मजदूरों-वार्डों में बने बड़े-बड़े स्कूल भवन व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। **इन भवनों में पढ़ाई के अतिरिक्त सब कुछ देखने को मिल रहा है।** यथा दावत के भण्डारे, पौषालिक स्थलों एवं पाकों की भाँति बच्चों की उछल-कूद, शिक्षकों-रसोइयों के गुट-गपशप, फेरी व्यापारियों से खरीदारी, मोबाइल पर गेम्स एवं लम्बी बातचीत आदि के नजारे दिखते हैं। कार्यरत अधिकांश शिक्षक ड्यूटी साइन करने के लिए यदा-कदा स्कूल आते हैं और बच्चों को पढ़ाए बिना चले जाते हैं। अनेक शिक्षक घर बैठे बिना शिक्षण कार्य वेतन लेकर राजनीति-व्यापार में सक्रिय हैं। अनेक शिक्षक अपनी जगह बेरोजगारों को अपने वेतन से कुछ पैसा देकर पढ़वा रहे हैं। मिड-डे-मील के रंगीन-चावल छात्रों को एवं मानकीय भोजन-दूध-फल शिक्षकों, रसोइयों, आंगनबाड़ी, प्रेरकों, आशा द्वारा चट कर बाद में छात्रों की फर्जी उपस्थित दर्ज कर ली जाती है। मिड-डे-मील का बचा राशन बन्दर-बाँट कर घर ले जाया जाता है। जिससे प्रमाणित होता है कि मिड-डे-मील व्यवस्था समाप्त होने पर छात्र-जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु प्रधान-शिक्षक व उनके परिजन भूखे रह जाएंगे।

रसोइया एवं अध्यक्ष पदों पर कार्यरत अधिकांश के बच्चे स्कूल के छात्र नहीं हैं। इनमें लगभग सभी अपने परिजनों सहित समाजवादी-विधवा-वृद्ध पेन्शन धारी होने के बावजूद रहीस-प्रधानों एवं शिक्षकों की कृपा से पदासीन हैं। अनेक रसोइया ऐसी भी हैं जो स्कूल में खाना न बनाकर शिक्षकों, प्रधानों, कोटेदारों, अध्यक्षों के घर पर काम करती हैं। रसोइयों की पदासीनता में दलितों का पूर्णतया अभाव है। जो दलित रसोइया बनी हैं उनसे स्कूलों में खाना न बनवा कर स्वीपर का काम लिया जाता है। स्कूलों में बना भोजन की बहुत बड़ी मात्रा रसोइया अपने घर ले जाती हैं। जिसे परिजनों व पशुओं को खिलाती हैं। अधिकांश रसोइयों व आंगनबाड़ियों के पति, बेटे, बहुएँ एवं प्रधानों, कोटेदारों, शिक्षकों के नौकर प्रबन्ध समितियों के अध्यक्ष बने हुए हैं। जो बिना बैठको एवं प्रस्ताव फर्जी अनुमोदनों से सरकारी धन-सम्पत्ति हड़प कर अति गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ कर रहे हैं। प्रबन्ध समितियों के रैकेट्स से शिक्षकों के गतिशील फर्जीबाड़े चरम पर हैं। सरकारी स्कूलों में सबसे आश्चर्य जनक बात यह है कि इनमें कार्यरत लगभग सभी रसोइया एवं उनके परिजन तथा उनके लगभग सभी प्रतिपाल्य निरक्षर हैं। परिजनों एवं प्रतिपाल्यों सहित रसोइयों की निरक्षरता देश में फर्जी साक्षरता का प्रमाण है। इसके बावजूद प्रेरकों, अनुदेशकों, शिक्षामित्रों, शिक्षकों, कार्यकत्रियों की पदासीनता एवं वेतन-भत्ते जारी हैं जबकि जिले के अधिकांश व्यक्ति अशिक्षा एवं निरक्षरता के शिकार हैं। जो देश और समाज के लिए कलंक है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन परिषदीय स्कूलों में हो रहा है। इन केन्द्रों पर कार्यरत अधिकांश कार्यकत्रियाँ एवं पर्वक्षक कोटेदारों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं रहीस परिवारों से हैं जिनका निवास संबंधित गाँवों में न होकर अन्य गांव-नगर में हैं और वे ड्यूटी से पर नहीं जाती हैं। उनकी जगह सहायिका या अन्य लोग उपस्थित खानापूर्ति करते हैं। फर्जी छात्रों का पंजीकरण, बच्चों-महिलाओं को आहार-पुष्टाहार वितरण पूर्णतया फर्जी हो रहा है। पंजीरी ब्लैक होकर भैंस खा रही हैं। आंगनबाड़ी के पंजीकृत बच्चे पब्लिक स्कूलों के छात्र होने के साथ ही परिषदीय स्कूलों में भी नामांकित हैं।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पौढ़शिक्षा के सभी केंद्र परिषदीय स्कूलों में संचालित हो रहे हैं। इन सभी केन्द्रों पर महिला-पुरुष 2 प्रेरक कार्यरत हैं। जिनमें अधिकांश रहीस परिवारों के व्यक्ति हैं जो निरक्षरों को नहीं पढ़ाते हैं और न ही निरक्षरों को साक्षर बना रहे हैं। साक्षरता परीक्षा फर्जी कराते हैं।

मोहम्मदाबाद में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय अनुसूचित एवं जनजाति के दरिद्र बच्चों के लिए है तथा कुछ सीटों पर दरिद्रों के

बच्चों को भी प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को आवासीय सुविधा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। जिसका लाभ पात्र दरिद्रों के स्थान पर फर्जी दरिद्रों-अपात्रों का दिया जा रहा है। वास्तविक पात्र दरिद्र शिक्षा लाभ से वंचित और निरक्षर हैं। इसी प्रकार जिले के सभी ब्लॉकों में कस्तूरबा विद्यालय निरक्षर किशोरियों के लिए संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों में आवासीय शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में 100 छात्राओं को पंजीकृत कर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा, मानकीय शिक्षा तथा पंजीकरण की संदिग्धता इस आधार पर अति प्रबल है क्योंकि लगभग सभी शिक्षक अपने निवास से ही रोज आते जाते हैं।

फतेहगढ़ में संचालित मूक-बधिर केन्द्र पर कार्यरत अधिकांश शिक्षक-कर्मचारी स्थानीय होने के कारण शिक्षण कार्य में रुचि न लेकर अन्य व्यवसायों एवं राजनीति में सक्रिय बने हैं तथा अपंग छात्रों की शिक्षा व व्यवस्था रामभरोसे है।

धार्मिक स्थलों एवं अल्पसंख्यकों के नाम पर संचालित स्कूलों में धर्म एवं शिक्षा का दुरुपयोग होकर छात्र-छात्राओं को अंधविश्वासों का अन्धानुकरण करने हेतु बाध किया जाता है। दान-अनुदान एवं छात्रवृत्तियों को हड़पकर मठाधीश व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं। फर्जीबाड़े पर आधारित अधिकांश मदरसों की शिक्षा अति संदिग्ध एवं समाज विरोधी है।

जिले के अपंजीकृत ईश्वरीय विश्वविद्यालयों का संचालन अवैध हैं। नरक, भूत-प्रेतों का भय एवं आत्मा-जीवन उद्धार का लालच देकर किशोर-किशोरियों-प्रौढ़ों को फंसा कर लाया जाता है। पूजा-पाठ के कर्मकांडों से जन-समर्थन प्राप्त किया जाता है एवं फंसे लोगों को रात्रि के अंधेरे में इधर-उधर करके न जाने कहाँ ले जाया जाता है। यहाँ किशोरियों को चिड़ियाघर की भाँति रखा है तथा अपराध जगत में सक्रिय व्यक्ति को ईश्वर बताकर उनसे युवतियों का शोषण-संसर्ग उपरांत विधवा जीवन व्यतीत करने हेतु बाध किया जाता है। इनकी गतिविधियाँ व्यक्ति-समाज के लिए अत्यन्त घातक हैं।

जनपद में संचालित पब्लिक स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों में अधिकांश ऐसे छात्र हैं जो परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत हैं या रहे हैं और उनके माता-पिता सरकारी योजनाओं का लाभ यथा समाजवादी, विधवा, बिकलांग पेन्शन सहित दरिद्र कल्याण हेतु बनी योजनाओं का लाभ लेकर सरकारी विद्यालयों में नौकरी-अध्यक्षता कर रहे हैं। निजी स्कूलों के छात्रों से सम्बन्धित विचारणीय तथ्य यह है कि परिषदीय स्कूलों की शिक्षा पूर्ण करने के बावजूद जब छात्रों को निरक्षर होना पड़ता है तो उन्हें पुनः पब्लिक स्कूलों में पढ़ना पड़ रहा है और बड़ी उम्र में भी वह निम्न शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

फर्रुखाबाद जनपद में संचालित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध तथा मान्यता प्राप्त एडिड एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की अधिकांश प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्य स्थानीय समुदायों के जन-साधारण, शिक्षाविद्, समाजसेवी, अभिभावक नहीं हैं और न ही निर्धारित प्रशासन योजना के मानकानुरूप है। शैक्षिक मानक प्रतिकूल प्रबन्धतन्त्रों के पदाधिकारी-अध्यक्ष-सचिव-सदस्य परिजन भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, सास-ससुर, बहू, भतीजे, साले-बहनोई, स्वजातीय, नौकर, मित्र, किराएदार, साझेदार, गैर-जनपदीय आपसी हितबद्ध हैं। इन कालेजों के लोग अपने निजी लाभ के लिए व्यापार की भाँति सार्वजनिक शिक्षा को दूषित कर रहे हैं। सोसाइटी एक्ट-1856, उ.प्र.विश्वविद्यालय एक्ट-1973, शिक्षा अधिनियमों की उपेक्षा कर स्वःलाभ हेतु परिजनो, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, बहू, भतीजे, साले-बहनोई, नौकर, स्वःजातीय, साझेदार आपसी हितबद्धों को प्राचार्य, प्राध्यापकों, कर्मचारियों के पदों पर आसीन कर तथा कालेजों में शिक्षण कार्य कराए बिना छात्र-छात्राओं को मनचाही डिग्री का लालच देकर अवैध वसूली व धन उगाही एवं व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं। स्ववित्तपोषी कालेज 'नकल-ठेकों' एवं डिग्री बिक्री के आधार पर संचालित हो रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था एवं प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षण, कर्मचारी, लैब, लाइब्रेरी आदि अमानक हैं तथा छात्र-छात्राओं एवं बेरोजगारों से मनमाना धन वसूलने के बावजूद शिक्षण नहीं होता है। स्ववित्तपोषी कालेजों की मान्यता सम्बन्धी पत्रावलियों में औपचारिकतावश जो प्राचार्य, शिक्षक अनुमोदित होते हैं वह कभी विद्यालय नहीं आते हैं। उनमें अधिकांश अन्य कहीं वेतनभोगी एवं अन्य दूर-दराज क्षेत्र-प्रदेशों में सरकारी नौकरी करने वाले या वेतन-पेंशन भोगी या सेवानिवृत्ति लोगों को वि.वि.द्वारा अनुमोदित किया गया है जो अपने प्रमाणपत्रों को मान्यता-अनुमोदन हेतु किराए पर देकर शिक्षक-प्राचार्य पद पर कार्यरत दिखाने हेतु रु. 20,000 से 25000 वार्षिक देकर उनकी कालेज अध्यापन उपस्थित मुक्त रहती है तथा इनका वेतन भुगतान के बैंक खातों में गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ जारी हैं। जिसके कारण पात्र व्यक्ति रोजगार से वंचित हो रहे हैं। स्ववित्तपोषी कालेजों में अर्ह शिक्षक को मानकीय वेतन नहीं दिया जाता है। प्रबन्धतन्त्रों के लोग अर्ह शिक्षकों को वेतन-भत्ते देने की कागजी खानापूर्ति तो करते हैं परन्तु मानकयुक्त वेतन-भत्ते नहीं देते हैं। शिक्षक 'ट्यूशनबाजी' में संलिप्त हैं। शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति की जगह परिजनो, सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्धों के स्वलाभ उद्देश्यों से मानक विरुद्ध निर्मित समितियाँ एवं उनकी प्रबन्ध समितियों की सम्बद्धताएँ पूर्णतया अवैध हैं। अशासकीय मान्यता प्राप्त कालेजों के संचालन की आवश्यक प्रशासन योजना आदेश जी.ओ.संख्या-643(1) दि.15.8.11 एवं अधिनियम 1921 तथा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का अधिनियम संख्या-21 शैक्षिक-संस्थानों द्वारा अभी तक उपेक्षित है।

जनपद का डायट केन्द्र रजलामई में संचालित हो रहा है। केन्द्र के प्राचार्य एवं शिक्षकों तथा प्रशिक्षणार्थी यदाकदा विद्यालय आते हैं। प्राचार्य के विद्यालय आने की सूचना मोबाइल पर सर्कुलेट होती है तभी स्टाफ-शिक्षक विद्यालय आते हैं।

शिक्षा बोर्ड, उच्चशिक्षा, टेक्नीकल एवं चिकित्सीय, विधि कालेज तथा शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा-माफियाओं द्वारा प्रबन्धन के नाम पर फर्जीबाड़ा किया जा रहा है और कागजी खानापूर्ति कर शिक्षा के उद्देश्यों को समाप्त कर स्वलाभ कमाया जा रहा है तथा मानक विहीन सोसाइटियाँ धन के प्रभाव में विद्यालय संचालन की मान्यता प्राप्त कर अवैध वसूली कर भावी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रही है। विद्यालयों के प्रबंधतंत्रों एवं शिक्षण व्यवस्था के अवलोकन, सम्पर्क के आधार पर प्राप्त तथ्यों पर विचार करने से पता चलता है कि, फर्रुखाबाद जिले में संचालित एडिड एवं स्ववित्तपोषी शिक्षण संस्थानों के प्रबन्धक कालेज सम्बद्धता-मान्यता पत्रावली में फर्जी, अवैध, अमानक भ्रामक तथ्यों-प्रपत्रों एवं शपथ-पत्रों को जोड़-तोड़ कर और स्वयं मनमाने ढंग से प्रमाणित कर शामिल कर फर्जीबाड़ा कर रहे

हैं तथा शिक्षाविभाग व विश्वविद्यालय के लोगो से साँठ-गाँठ एवं धन-लालच के प्रभाव से मनचाही बैठकें जाँच-साक्षात्कार-नियुक्ति के फर्जी प्रपत्र बनाकर विश्वविद्यालय-बोर्ड की पत्रावलियों में शामिल करा रहे हैं। जिसके माध्यम से शिक्षा के विकास की सरकारी योजनाओं की निधियों के धन को हड़प कर कालेज भूमि, भवन, चरागाहों पर जबरदस्त कब्जा कर प्रबन्धतन्त्रों के लोगों व उनके परिवारीजनों द्वारा शिक्षा-छात्र-बेरोजगार-समाज का हित बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है।

‘जनसामान्य’ के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन के अवलोकन-निरीक्षण के परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य जन के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाएँ एवं साधन स्वार्थी, विध्वंशक, नाशक, धनी, ठगों और संगठित अपराधियों की सुख-सुविधाओं तथा आय के साधन बन गए हैं। इस सम्बन्ध में निरीक्षण तथ्य यह बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दुःखी, वृद्ध, बीमारी ग्रसित लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और यदि कोई ऐसे लोगों की सहायता करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर बाँकी नहीं रखते हैं।

मानक विहीन शिक्षा ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। शिक्षक, शिक्षण, प्रवटीकल्स, पुस्तकालय, प्राचार्य और कर्मचारियों का अभाव एवं अमानकता से शिक्षा व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। नकल, ट्यूशन, बिना पाठन डिग्री-उपाधि वितरण व्यवसायों से शिक्षा प्रदूषित हो रही है। शिक्षण संस्थाओं में दिखावा ज्यादा होता है और विद्यार्थियों व अभिभावकों का आर्थिक शोषण होता है। शिक्षण संस्थाओं का संचालन भारी वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण अति आवश्यक है। शिक्षा नवीन प्रवृत्तियों सहित व्यवसाय की ओर उन्मुख हो एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए तथा राज्य और शिक्षा के निजीकरण पर नियन्त्रण आवश्यक हो। ट्रस्ट, सोसाइटी, वाणिज्य, सरकारी-आदेश एवं शैक्षिक व्यवस्था के वैधानिक प्रवधानों का अनुपालन होना चाहिए। प्रबन्धतन्त्र में अभिभावकों, शिक्षाविदों, समाजसेवियों, स्थानीय साधारण-जनता को ही सदस्य-अध्यक्ष-प्रबन्धक बनाया जाना चाहिए। प्रबन्धतन्त्र में परिवारवादी, जातिवादी, धर्मवादी, राजनीतिज्ञ, वेतनभोगियों को पदाधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रबन्धतन्त्र का शैक्षिक हस्तक्षेत्र एवं कालेज संपत्ति का दुरुपयोग पर अंकुश लगना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों में मात्र मानकपूर्ण शिक्षक, शिक्षण, वेतन भुतान, नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। प्रबन्धतन्त्र को चन्दे, दान, अनुदान, आय, शुल्क धन सरकारी कोषागार में जमा जमा होना चाहिए। शिक्षक-कर्मचारियों को वेतन-भत्ते का भुगतान कोषागार चैक से वितरित होना चाहिए। कालेज आडिट नियमित एवं जबाबदेह होना चाहिए। छात्रविहीन स्कूल बन्द होने चाहिए। राजनीति करने वाले एवं शिक्षण कार्य न करने वाले शिक्षकों का बर्खास्त किया जाना चाहिए। ट्यूशन, नकल एवं अवैध वसूली तत्काल बन्द होनी चाहिए। मान्यता, पाठ्यक्रम, शिक्षक, कर्मचारी, प्रबन्धतन्त्र, बजट विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। जिला प्रशासन-शिक्षा प्रशासन की जबाबदेही होनी चाहिए। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु शिक्षा के मानक एवं प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है।

विशिष्ट व्यक्तित्व के लिए मानकीय शिक्षा जरूरी

असत्य से सत्य, अन्धकार से प्रकाश और मृत्यु से अमृत्यु की ओर गमन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति तरह-तरह के प्रयास करता है। सर्वप्रथम व्यक्ति अपने को तैयार करता है। नियम-संयम अपनाता है और सामाजिक भागीदारी प्राप्त करता है।

ब्रह्मचारी अर्थात् विद्यार्थी जीवन में पठन-पाठन का विशेष महत्त्व है। जिसके लिए मानकीय शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण व्यवस्था व शांति वातावरण जरूरी है। छात्रों की जरूरतों की पूर्ति का दायित्व समाज पर होता है जिसके लिए समाज शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था प्रदान करता है। व्यक्ति अपने निजी स्रोतों की आय का सदुपयोग शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से छात्रों की जरूरतों की पूर्ति हेतु करते हैं जिसके लिए ट्रस्ट-समितियों का निर्माण होता है। इन शैक्षिक संस्थानों की समितियों में सर्वसमाज की साधारण जनता को निष्पक्ष अधिकारिता व पदासीनता दिए जाने का प्रावधान है। समितियों के कार्य-कलापों एवं उनकी निष्पक्षता की निगरानी एवं नियन्त्रण का जबाबदेह दायित्व शासन व प्रशासनिक अधिकारियों का है। पाठ्यक्रमों से लेकर शिक्षण-प्रशिक्षण और नकलविहीन परीक्षाओं एवं डिग्री-डिप्लोमा निर्धारण शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय, केन्द्र, यूजीसी. द्वारा होता है। स्कूल-कालेज प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा, साक्षात्कार, काउंसिलिंग कराई जाती है। पूर्ण रूप से कुशल योग्य व्यक्तियों को नौकरी में लिया जाता है।

समाज की धारणा है कि, भले ही व्यक्ति अपने जीवन में शिक्षा पाने में पिछड़ा हो परन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रतिपाल्यों को पूर्ण गुणवत्ता युक्त शिक्षा और नौकरी के लिए सर्वस्व कुर्बान करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इसके बावजूद यदि उसका प्रतिपाल्य शिक्षित होकर विशिष्टता प्राप्त करने में असफल रहे अथवा बेरोजगार बना रहे तो वह देश समाज के लिए अभिशाप सिद्ध होता है।

आज शिक्षा का स्वरूप विकृत एवं विध्वंसक हो चुका है। अमानक विद्यालय-कालेज मानकीय शिक्षणहीनता के बावजूद नकल परीक्षाएँ कराकर डिग्री बेचकर धन उगाही कर रहे हैं। ट्यूशन-कोचिंग लाभ के व्यापार बन गए हैं। शिक्षालय-चिकित्सालय देश-समाज एवं व्यक्ति के लिए सफेद हाथी बन गए हैं। विद् और विद्यालय समाज के लिए बोझ हो गए हैं। विधि-विधान एवं संस्थानों की मानकीय व्यवस्थाएँ फर्जी कागजी खानापूर्ति तक सीमित हो रही है। शैक्षिक दान और सरकारी अनुदान प्रबन्धकों और उनके परिजनो तथा विशिष्ट जनों के भोग-विलास तक सीमित हो रहे हैं। नकलयुक्त परीक्षाएँ एवं फर्जी डिग्री-डिप्लोमा प्रमाणपत्रों की बिक्री व्यापार के साधन बन गए हैं। शिक्षक राजनीति और ठेकेदारी करने में जुटे हुए हैं। शैक्षिक प्रबन्ध समितियाँ संगठित गिरोह बनकर समाज में खुले-आम लूट-खसोट कर व्यक्तिगत लाभ कमा रही हैं। सरकारी जाँच-पैनल मात्र दिखावा बन रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रश्न का जबाब देना उ. प्र. शासन के लिए आसान नहीं है कि 68500 शिक्षकों की भर्ती में हुए कथित घोटाले की सी.बी.आई. जाँच क्यों नहीं करवाई जाए? कई अभ्याथी यह माँग लेकर न्यायालय पहुँचे हैं। यद्यपि राज्य सरकार इस पर सहमत नहीं है। भर्ती में जिस स्तर की गड़बड़ियों के संकेत मिल रहे हैं, उसे देखते हुए इसकी किसी तटस्थ एजेन्सी से जाँच कराने में कोई हर्ज नहीं दिखता। यद्यपि राज्य सरकार का पक्ष न्यायालय में उसके जबाब से ही स्पष्ट हो सकेगा। इस बात के प्रमाण मिल चुके हैं कि इस भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया जो लिखित परीक्षा में फेल हो गए थे जबकि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी चयन से वंचित कर दिए गए। इतना ही नहीं, जब अभ्यर्थियों ने अपनी उत्तर-पुस्तिकाएँ दिखाने का आग्रह किया तो उन्हें किसी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका दिखाई गई। ऐसी अनगिनत शिकायतों के चलते यह बड़ी भर्ती परीक्षा सन्देह के घेरे में है। स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि भर्ती में व्यापक पैमाने पर संगठित ढंग से गड़बड़ी की गई है।

चूँकि शैक्षिक संस्थानों के सार्वजनिक विद्यालय और कालेज देश-समाज के प्रत्येक व्यक्तियों की सार्वजनिक सम्पत्ति होती है और इसका उपयोग मात्र विद्यार्थियों के पठन-पाठन मात्र तक सीमित रहने का संवैधानिक प्रावधान होता है। अतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति शैक्षिक संस्थानों और विद्यालय-कालेजों का अंग होता है। इनका शैक्षिक संस्थानों और विद्यालय-कालेजों में उतना ही अधिकार एवं कर्तव्य है जितना प्रबन्धतन्त्रों के पदाधिकारी-सदस्यों का अधिकार एवं कर्तव्य होता है।

शिक्षा संस्थानों स्कूल-कालेजों का कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार तथा स्वयंभू पदासीनता पर तत्काल अंकुश लगे और नकलयुक्त परीक्षाएँ एवं अवैध धन उगाही करने वाले विद्यालय-कालेज अबिलम्ब बन्द हों। मानकीय शिक्षण व्यवस्था एवं विद्यालय-कालेजों की निष्पक्षता से ही व्यक्तित्व विशिष्टता सम्भव है।

किराए की डिग्री से संचालित कालेज बन्द होने चाहिए

उ.प्र. राज्य के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध जनपद कानपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर के स्ववित्तपोषी एवं एडिड कालेजों में जाकर मैंने प्रबंधकों-प्राचार्यों से सम्पर्क किया और प्रकाशित विज्ञापनों पर वार्ता की। इन कालेज के लोगों द्वारा मुझसे कहा गया कि हम दो प्रकार के शिक्षक रखते हैं। प्रथम: काम-चलाऊ शिक्षक कालेज स्तर पर तथा दूसरे: शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित होते हैं। दूसरे प्रकार के शिक्षक विश्वविद्यालय-प्रपत्रों में अनुमोदन तक सीमित होते हैं और इनमें से लगभग सभी अनुमोदित शिक्षक कभी भी कालेज नहीं आते हैं और उनको 2500-3000 रुपए मासिक (डिग्री-किराया) एक मुस्त वार्षिक रकम नकद दी जाती है और उनकी जगह दूसरे लोगों से पढवाया जाता है तथा यदि कोई वि. वि. से अनुमोदित शिक्षक कालेज आकर पढाता है तो उसको 6000-10000 तक मासिक वेतन देकर कालेज में संचालित सभी पाठ्यक्रों की विषय कक्षाएँ पढानी होती हैं और शिक्षक तय वेतन नकद तक सीमित रहते हैं और वेतन खाता चैक-प्रपत्रों पर अग्रिम साइन कर प्रबन्धक के पास जमा कराते हैं।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर एवं उससे सम्बद्ध कालेजों में फर्जीबाड़े अति चरम पर हैं। इस वि.वि. ने लगभग 1500 कालेजों को सम्बद्ध करके स्ववित्तपोषी कालेजों के प्राचार्य एवं शिक्षक पदों पर अधिकांश ऐसे लोगों को अनुमोदित किया है जो अन्य विश्वविद्यालयों-कालेजों-विभागों में नौकरी कर रहे हैं तथा वि.वि.से संबद्ध कालेज में अनुपस्थित रहकर शैक्षिक डिग्री प्रपत्रों का दुरुपयोग कर अवैध लाभ कमा रहे हैं। इनकी जगह प्राचार्य सीट पर प्रबंधक और उनके परिजन बैठते हैं तथा अनुमोदित शिक्षकों की जगह 1000-2000 वेतन देकर आयोग्य-अमानक कम पढ़े लोग शिक्षण कार्य की खानापूर्ति कर रहे हैं तथा नकल एवं फर्जी उपस्थिति नाम पर अवैध कमाई जारी हैं। जिसके कारण उच्चशिक्षा, छात्र, समाज व शिक्षण योग्य मानकीय विद्वजनों का जीवन बुरी तरह प्रभावित होकर नकल-डिग्री व्यापार प्रोत्साहित हो रहा है।

कानपुर वि.वि. से सम्बद्ध स्नातक, परास्नातक, बी.एड., डी.एल.एड., विधि, चिकित्सा आदि डिग्री कालेजों में अनुमोदित मानकीय प्राचार्य-शिक्षकों और छात्रों की लगातार अनुपस्थिति तथा अमानक-आयोग्य प्राचार्य-शिक्षक की पदासीनता और नकल डिग्री व्यापार लोगों की अवैध कमाई के साधन बने हुए हैं। इन कालेजों में माफिया-व्यापारी उनके सगे-सम्बन्धी परिजन और आपसी हितबद्ध अमानक प्रबन्ध समितियों बनाकर एवं स्वयंभू प्राचार्य बन अवैध कमाई में जुटे हुए हैं। इन कालेजों में शिक्षण शुल्क वसूलने के बावजूद न तो वि. वि.से अनुमोदित शिक्षक कालेज में आते हैं और न हो मानकीय शिक्षण होता है। इनमें अनेक कालेजों के एक ही भवन में दूसरे गेट्स पर कान्वेंट से लेकर उच्चशिक्षा के अनेक स्कूलों की मान्यता तथा विषय के एक व्यक्ति-शिक्षक से कान्वेंट से परास्नातक एग्र बी.एड. लॉ, डी. एल.एड. छात्र-प्रशिक्षार्थियों की सभी कक्षाओं को पढवाया जा रहा है।

वि.वि. से अनुमोदित कालेजों के नदारत शिक्षकों-प्राचार्यों के वेतन-भुगतान के बैंक खातों का फर्जी संचालन, अनुमोदित शिक्षकों एवं प्राचार्यों के बावजूद अयोग्य-अमानक लोगों की कालेजों में दोहरी पदासीनता, कालेजों के उपस्थिति पंजिकाओं पर अनुमोदित शिक्षकों एवं प्राचार्यों के स्थान पर अयोग्य-अमानक लोगों की उपस्थिति साइन, कक्षाओं में सदैव अनुपस्थिति रहने वाले छात्रों की 75% उपस्थिति बनाकर परीक्षा, पूर्व-फेल छात्रों से शिक्षण शुल्क वसूली, सी.सी.टी.वी. बगैर कालेज कक्षाओं का संचालन, शुल्क लेने के बावजूद मानकीय शिक्षकों के शिक्षण का अभाव, उच्च शिक्षा के मानकों, की जबरदस्त उपेक्षा हो रही है।

कानपुर वि.वि. से सम्बद्ध कालेजों की अधिकांश (लगभग सभी) प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारी वि.वि. एक्ट 1973 एवं सोसाइटी एक्ट 1856 के प्रतिकूल हैं जिनकी कार्यकारणी के अधिकांश पदाधिकारी राजनीतिक सदस्य, सरकारी वेतनभोगी, प्रशासनिक अधिकारियों के परिजन, राजनेता, शिक्षा माफिया, अपराधी और व्यक्ति विशेष और एक ही परिवार के सगे-संबन्धी आपसी हितबद्ध हैं एवं अध्यक्ष-सचिव पद पर एक ही व्यक्ति-परिवार विरासत के रूप में विराजित हो रहा है। जिसे उच्च शिक्षा अधिकारियों एवं कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता देकर अधिनियमों की उपेक्षा की जा रही है। इन प्रबंध समितियों के अधिकांश पदाधिकारी और उनके परिजन कालेज भवन में निवास कर राजनीतिक एवं व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं तथा यह डाइरेक्टर व उनके परिजन स्वयं-भू प्राचार्य बनकर व प्राचार्य सीट पर बैठकर कालेज में अवैध वसूली कर रहे हैं।

कानपुर वि.वि. से सम्बद्ध कालेजों के अधिकांश रिटायर्ड शिक्षक-प्राचार्य पी-एच.डी. विहीन, अस्वस्थ, रोगी, स्ववित्तपोषी कालेजों के प्राचार्य-शिक्षक अपनी सेवाकाल में कक्षाध्यापन कार्य की सदैव उपेक्षा करने वाले रहे हैं इसके बावजूद मानदेय पद पर रखे जाने से मानदेय शिक्षक एवं कार्यवाहक-प्राचार्य द्वारा नियमित कक्षाएँ नहीं पढ़ाई जाती हैं जिससे छात्रों को मानकीय शिक्षण से वंचित होना पड़ रहा है तथा प्रबंधकों की कृपा एवं मानदेय में बंदर-बॉट से मनमानी उपस्थिति दर्ज हो रही है।

कानपुर वि.वि. से सम्बद्ध कालेजों के पंजीकृत अधिकांश छात्र-छात्राएँ कालेज कक्षाओं में सदैव अनुपस्थित रहकर अन्य जिला-राज्य में रहकर कोचिंग, नौकरी, व्यापार में लगे हैं, जिनकी 75% उपस्थिति दर्ज कर परीक्षा में शामिल किया जा रहा है।

कानपुर वि.वि. से संबद्ध बी.एड., डी.एल.एड. ला, स्नातक-परास्नातक कालेजों में प्रथक मानक, मान्यता, पद, वेतन, प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षण, पाठ्यक्रम, प्रबन्धन और शुल्क का निर्धारित प्रावधान होने के बावजूद इन कालेजों द्वारा भारी शुल्क तो वसूली जाती है परन्तु शिक्षकों को निर्धारित वेतन एवं प्रशिक्षणार्थियों-छात्रों को मानकीय व्यवस्था-शिक्षण नहीं दिया जाता है। विश्व विद्यालय में प्राचार्य-शिक्षकों के अनुमोदन अवसर पर वि.वि. में सक्रिय शिक्षा-माफियाओं द्वारा रेट लिस्ट के आधार पर कालेज न जाने वाले शिक्षकों

को रु.30-50 हजार वार्षिक, कालेज जाने वालों का 8000-10000 रुपए मासिक वेतन पर एप्लीकेंट एवं उसके शैक्षिक प्रपत्र और विषय विशेषज्ञ उपलब्ध कराये जाते हैं। अनुमोदित लगभग 90% शिक्षक और प्राचार्य सम्बन्धित कालेज नहीं जाते हैं। जिनकी जगह पर पर स्थानीय छात्रों-बेरोजगारों अयोग्यों को 3000-5000 रुपए मासिक वेतन पर कार्यवाहक प्राचार्य-प्रोफेसर घोषित कर कालेज आने वाले बी. एड., ला, डी.एल.एड, बी.ए., एम.ए.सहित कान्वेट कक्षाओं को पूर्ववत पढ़वाया जा रहा है। विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्य की सीट पर प्रबन्ध समिति के परिजन विराजमान हैं। वि.वि. से शिक्षकों-प्राचार्यों का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु जिन लोगों का शिक्षक-प्राचार्य पद पर साक्षात्कार और अनुमोदन कराया जाता है उनके नाम वि.वि. में सक्रिय शिक्षा-माफिया रैकट्स द्वारा एप्लीकेंट के नाम और उनके शैक्षिक प्रपत्र व विषय विशेषज्ञ उपलब्ध कराए जाते हैं और यह लोग आवभगत कराकर रेटलिस्ट के आधार पर धन वसूलते हैं। कालेज न आने एप्लीकेंट शिक्षक 30000-50000 रुपए वार्षिक, प्राचार्य को 1.5-2 लाख रुपए वार्षिक, प्रत्येक विषय विशेषज्ञ 10000 रुपए लेते हैं एवं कालेज जाने वाले अनुमोदित शिक्षकों को 8000-10000 मासिक वेतन दिया जाता है जबकि खातों व प्रपत्रों में वेतन फर्जी दर्ज होता है।

कानपुर वि.वि. से संबद्ध अधिकांश स्ववित्तपोषी कालेजों के लगभग सभी कार्यरत शिक्षक और कार्यवाहक प्राचार्य अमानक, अयोग्य और विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। इन कालेजों में मानकीय शिक्षण, मानकीय लैब, मानकीय प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक उपकरणों आदि का पूर्णतः अभाव है। कहने को तो कालेज छात्रों का पंजीयन ऑन लाइन और शुल्क विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप जमा होती है परन्तु वास्तविकता यह है कि छात्रों से निर्धारित शुल्क लिए जाने के बावजूद बुक-बेग किट, प्रकटीकल्स, टूर, परीक्षा सेंटर बनवाने, नकल करवाने, अंकपत्र, प्रपत्र सुधार और अनुपस्थित को उपस्थित में परिवर्तन के नाम पर मोटी रकम वसूल की जाती है तथा फेल छात्रों पूर्व छात्र की सुविधा न देकर कालेज-शिक्षण शुल्क वसूली जा रही है।

कानपुर वि.वि. से संबद्ध बी.एड, विधि, डी.एल.एड., डिग्री, मेडिकल, बिजनेस मैनेजमेंट कालेजों में प्रत्येक की अलग-अलग मान्यता, व्यवस्था-प्रबन्धन, प्रशासन, प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षण, लैब, प्रयोगशाला, भूमि, भवन आदि का प्रावधान है इसके बावजूद विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्यों-शिक्षकों का सम्बन्धित कालेजों से पलायन और अनुमोदित के स्थान पर अयोग्य व्यक्तियों की कालेजों में दोहरी नियुक्ति देकर उपस्थिति पंजिकाओं पर हस्ताक्षर व अध्यापन एवं कार्यवाहक प्राचार्य का कार्य, नेट-पी-एच.डी. विहीन स्नातक-परास्नातक बेरोजगारों-वकीलों-बी.एड.-चिकित्सक-छात्रों-प्राथमिक-माध्यमिक स्कूली शिक्षकों से स्नातक परास्नातक-बी.एड., विधि, मेडिकल, डी.एल.एड. की कक्षाएँ पढ़वाया जाना, एक ही भवन-कक्षाओं में अलग-अलग गेट पर डिग्री, महिला, ला, बी.एड., डी.एल.एड., कांवेन्ट, सेंट्रल-यू.पी.बोर्ड, कालेजों की मान्यता और विषय शिक्षक एक ही व्यक्ति से सभी कक्षाओं में पढ़ाना, शुल्क के रूप में मोटी रकम लेने के बावजूद योग्य लोगों को मानकीय वेतन न देकर अयोग्य व्यक्तियों से शिक्षण कार्य, प्रबंध समिति के परिजनों का प्राचार्य की सीट पर बैठना, कालेजों में प्रबन्धकों का निवास और राजनीतिक-व्यापारिक गतिविधियों के कारण मानकीय उच्चशिक्षा सहित छात्रों-प्रशिक्षार्थियों और देश-समाज का भविष्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

कानपुर वि.वि. से संबद्ध अनेक कालेजों के दलाल-प्रबंधतंत्र के लोग प्रबंधक-प्राचार्य के रूप में वि.वि.के चक्कर लगाते रहते हैं और कर्मियों से सांठ-गांठ कर लाभ कमाते हैं। स्ववित्तपोषी शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। वि.वि. से संबद्ध स्ववित्तपोषी कालेजों और संचालित पाठ्यक्रमों की कक्षाओं के कक्षाओं में सी.सी.टी.वी.नहीं लगाए गए हैं। मानकीय शिक्षण इन कालेजों एवं एडिड कालेजों में नहीं हो रहा है। मानदेय शिक्षकों का कार्य मात्र कागज तक सीमित है। तथ्यों एवं फर्जीबाड़े-वास्तविक तथ्यों से समर्थित साक्ष्य कानपुर वि.वि.से संबद्ध स्ववित्तपोषी-एडिड कालेजों में सी.सी.टी.वी., अनुमोदित प्राचार्यों-शिक्षकों का संबंधित कालेज कार्यों से पलायन, अमानक प्राचार्यों-शिक्षकों के कालेज उपस्थिति पंजिकाओं में हस्ताक्षर, कार्य, अमानक व्यक्ति प्राचार्य सीट पर, शिक्षण अभाव, छात्रों की अनुपस्थिति, अवैध वसूली साक्ष्य कालेजों में मौजूद हैं। कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड., ला, डी.एल.एड., मैनेजमेंट, आयुर्वेद, डिग्री कालेजों में उक्त तथ्यों के अतिरिक्त और भी अनेक अति गंभीर अनियमितताएँ व्याप्त हैं। इनका अबिलम्ब भौतिक सत्यापन, औचक निरीक्षण व कार्यवाही अति आवश्यक है। स्ववित्तपोषी कालेजों हेतु विश्वविद्यालय अनुमोदित प्राचार्यों एवं शिक्षकों का सम्बन्धित कालेजों से पलायन तथा अनुमोदित प्राचार्यों-शिक्षकों की जगह अयोग्य-अमानक लोगों की पदासीनता के विरुद्ध कार्यवाही व कालेज मान्यता निरस्त होनी चाहिए।

कानपुर वि.वि.से सम्बद्ध कालेजों से सम्बन्धित जिलों के मंडलायुक्त-जिलाधिकारियों से डिग्री कालेजों का नियमित औचक निरीक्षण कराया जाना चाहिए तथा उच्चशिक्षा-यू.जी.सी. मानकों एवं वि.वि.-सोसाइटी एक्ट की उपेक्षा करने वाले फर्जी बाड़ा आधारित डिग्री कालेजों मान्यता निरस्त की जानी चाहिए तथा शिक्षा विभाग-वि.वि. के अधिकारियों एवं पेनल के फर्जी निरीक्षणों पर अंकुश लगाना चाहिए तथा कालेजों से गायब अनुमोदित प्राचार्यों-शिक्षकों डिग्री निरस्त कर कालेजों में पदासीन अमानक प्राचार्यों-शिक्षकों को दंडित किया जाना चाहिए। मानकीय अर्हताधारी योग्य शिक्षकों से ही शिक्षण कराया जाना चाहिए।

उच्च शिक्षा के सुधार हेतु तथ्यात्मक सुझाव

1. यह कि उ.प्र. राज्य के अधिकाँश वि.वि.कालेजों में सम्पूर्ण सत्र में न तो कोई पढ़ाने वाला दिखता है और न ही कोई पढ़ने वाला। इन संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं वि.वि.द्वारा प्राचार्यों एवं शिक्षकों का अनुमोदन दिए जाने तथा बड़ी धनराशि की शुल्क लिए जाने के बावजूद अधिकाँश शिक्षक—प्राचार्य कालेज एवं कक्षाओं से सदैव नदारत रहते हैं। इनमें अधिकाँश शिक्षक अन्य नौकरी—व्यापार—दलाली में लगे हुए हैं। इनकी जगह कम वेतन पर अयोग्य शिक्षक—प्राचार्य बने हुए हैं, पढ़ाने की खानापूर्ति करते हैं। यहाँ के छात्र कक्षाओं में सदैव नदारत रहकर परीक्षाकाल में ही कालेज—वि.वि.में आते हैं व मानकीय कक्षाएँ नहीं होती हैं।
2. यह कि, उ.प्र. के कालेजों में शिक्षकों का पूर्णतया अभाव एवं पढ़ाई स्थिति अत्यन्त खराब है। मानदेय रिटायर्ड व अत्याधिकायु वाले शिक्षक पढ़ाते तो हैं नहीं। फर्जी पढ़ाई की उपस्थिति लगाकर कहते हैं कि जूनियर प्राचार्य हमसे पढ़ाने को कैसे कह सकता है?
3. यह कि, छ.शा.म.यू.पोर्टल पर अनुमोदित प्राचार्य—शिक्षक सूचियों के अनुसार, संबद्ध कालेज मानकीय प्राचार्य—शिक्षकहीन व शिक्षण विहीन हैं। कालेजों में अयोग्य, अमानक, मृतक प्राचार्य—शिक्षक बने हुए हैं। जिससे शिक्षा गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
4. यह कि, उत्तर प्रदेश के बी.एड., डी.इल.एड, विधि, स्नातक, परास्नातक, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आई.टी. कालेजों में प्रथक मानक, मान्यता, पद, वेतन, प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षण, पाठ्यक्रम, प्रबन्धन एवं उचित शुल्क का प्रावधान होने के बावजूद कालेज—विश्वविद्यालय भारी शुल्क तो वसूलते हैं परन्तु न तो शिक्षकों को निर्धारित वेतन और न ही छात्रों को मानकीय शिक्षण—व्यवस्था देते हैं। शिक्षकों—प्राचार्यों का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु जिनका शिक्षक—प्राचार्य पद पर साक्षात्कार और अनुमोदन कराया जाता है उनके नाम वि.वि.में सक्रिय शिक्षा—माफिया रैकट्स द्वारा एप्लीकेण्ट के नाम और उनके शैक्षिक प्रपत्र एवं विषय विशेषज्ञ उपलब्ध कराए जाते हैं और यह लोग आवभगत कराकर रेट लिस्ट के आधार पर धन वसूलते हैं। कालेज न आने एप्लीकेण्ट शिक्षक 30—50 हजार रुपए वार्षिक, प्राचार्य को 1.5—2 लाख रुपए वार्षिक, प्रत्येक विषय विशेषज्ञ 10000 रुपए लेते हैं तथा कालेज जाने वाले अनुमोदित शिक्षकों को 8—10 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जाता है जबकि खातों एवं विश्वविद्यालय प्रपत्रों में वेतन कुछ दर्ज होता है। इनमें 90% सम्बन्धित कालेज नहीं जाते हैं। इनकी जगह कालेजों में अयोग्य—अमानकों को कम वेतन देकर एवं प्राचार्य—प्रोफेसर घोषित करके बी.एड., डी.इल.एड, विधि, डिग्री, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबन्धन सहित कान्वेट कक्षाओं को पढ़वाया जाता है और प्राचार्य की सीट पर प्रबन्धक क परिजन बैठते हैं।
5. यह कि, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर. से सम्बद्ध स्ववित्तपोषी कालेजों में कार्यरत अधिकाँश शिक्षक—प्राचार्य अयोग्य, अमानक एवं गैरअनुमोदित हैं। इन कालेजों में मानकीय शिक्षण, मानकीय लैब, मानकीय प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक उपकरणों आदि का पूर्णतः अभाव है। कहने को तो इन कालेजों में छात्र प्रवेश—पंजीयन ऑनलाइन और शुल्क विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप जमा होती है परन्तु वास्तविकता यह है कि छात्रों से निर्धारित शुल्क लिए जाने के बावजूद बुक—बेग किट, प्रकटीकल्स, टूर, परीक्षा केन्द्र बनवाने, नकल करवाने, अंकपत्र, प्रपत्र सुधार एवं अनुपस्थित को उपस्थित में परिवर्तन के नाम पर मोटी रकम वसूल की जाती है।
6. यह कि, बी.एड.डी.इल.एड., ला, मेडिकल, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, डिग्री कालेजों में मान्यता, भूमि, भवन, प्रबन्धन, प्रशासन, प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षण, लैब प्रत्येक की व्यवस्था पृथक—पृथक होना प्रावधान है। इसके बावजूद वि.वि.से अनुमोदित प्राचार्यों—शिक्षकों का सम्बन्धित कालेज—कक्षाओं से पलायन एवं अनुमोदित शिक्षकों प्राचार्यों के स्थान पर अयोग्य—अमानकों की कालेजों में पदासीनता, उपस्थिति पंजिकाओं पर फर्जी साइन तथा अमानक अध्यापन और प्राचार्य का फर्जी कार्य, नेट—पीएच.डी. हीन स्नातक—परास्नातक—वकीलों—चिकित्सक—बी.एड. छात्रों से स्नातक—परास्नातक— बी.एड., ला, चिकित्सा, डी.इल.एड. की कक्षाएँ पढ़वाया जाना, एक ही भवन—कक्षाओं में अलग—2 गेट पर पुरुष, महिला, ला, बी.एड.,डी.एल.एड., कावेंट, सेण्ट्रल—यू.पी. बोर्ड, अनेक कालेजों की मान्यता एवं एक व्यक्ति से अनेक पाठ्यक्रमों की कक्षाएँ पढ़वाने, बड़ी रकम की शुल्क लेकर शिक्षकों को मानकीय वेतन न देने एवं अयोग्य लोगों से कालेज में शिक्षण कार्य, प्रबन्धक परिजनों का प्राचार्य की सीट पर बैठना, कालेजों में प्रबन्धक आवास तथा राजनीतिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के कारण उच्च—शिक्षा सहित छात्रों—प्रशिनार्थियों और देश—समाज का भविष्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
7. यह कि, उ. प्र. राज्य के छ.शा.म.वि.वि. कानपुर से सम्बद्ध डिग्री कालेजों की अधिकाँश (लगभग सभी) प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारी वि.वि. एक्ट 1973 एवं सोसाइटी एक्ट—1856 के प्रतिकूल हैं जिनकी कार्यकारणी के अधिकाँश पदाधिकारी राजनीतिक सदस्य, सरकारी वेतनभोगी, प्रशासनिक अधिकारियों के परिजन, राजनेता, शिक्षा माफिया, अपराधी और व्यक्ति विशेष और एक ही परिवार के सगे—संबंधी आपसी हितबद्ध हैं एवं अध्यक्ष—सचिव पद पर एक ही व्यक्ति—परिवार विरासत के रूप में विराजित हो रहा है। जिसे उच्च शिक्षा अधिकारियों एवं कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता देकर अधिनियमों की उपेक्षा की जा रही है। इन प्रबन्ध समितियों के अधिकाँश पदाधिकारी और उनके परिजन कालेज भवन में निवास कर राजनीतिक और

व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं तथा यह डाइरेक्टर व इनके परिजन स्वयंभू प्राचार्य बनकर एवं प्राचार्य सीट पर बैठकर कालेज में अवैध वसूली कर रहे हैं।

8. यह कि, रिटायर्ड में अधिकांश पीएच.डी.हीन, अस्वस्थ, रोगी, स्ववित्तपोषी कालेजों के प्राचार्य-शिक्षक अपनी सेवाकाल में कक्षाध्यापन कार्य की सदैव उपेक्षा करने वाले रहे हैं। इसके बावजूद मानदेय पद पर रखे जाने से मानदेय शिक्षक एवं कार्यवाहक-प्राचार्य द्वारा नियमित कक्षाएँ नहीं पढ़ाई जाती हैं तथा प्रबंधकों की कृपा से फर्जी उपस्थिति दर्ज होकर मानदेय में बन्दर-बाँट हो रहा है।
9. यह कि, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध कालेजों के पंजीकृत अधिकांश छात्र-छात्राएँ कालेज कक्षाओं में सदैव अनुपस्थित रहकर अन्य जिला-राज्य में रहकर कोचिंग, नौकरी, व्यापार में लगे हैं, जिनकी 75% उपस्थिति दर्ज कर परीक्षा में शामिल किया जा रहा है।
10. यह कि, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध अधिकांश स्ववित्तपोषी कालेजों के लगभग सभी कार्यरत शिक्षक और कार्यवाहक प्राचार्य अमानक, अयोग्य और विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। इन कालेजों में मानकीय शिक्षण, मानकीय लैब, मानकीय प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक उपकरणों आदि का पूर्णतः अभाव है। कहने को तो कालेज छात्रों का पंजीयन ऑन लाइन और शुल्क विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप जमा होती है परन्तु वास्तविकता यह है कि छात्रों से निर्धारित शुल्क लिए जाने के बावजूद बुक-बेग किट, प्रवटीकल्स, टूर, परीक्षा सेंटर बनवाने, नकल करवाने, अंक-पत्र, प्रपत्र सुधार और अनुपस्थित को उपस्थित में परिवर्तन के नाम पर मोटी रकम वसूल की जाती है तथा फेल छात्रों पूर्व छात्र की सुविधा न देकर कालेज-शिक्षण शुल्क वसूली जा रही है।
11. यह कि, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्ध अनेक कालेजों के दलाल-प्रबन्धतन्त्र के लोग प्रबन्धक-प्राचार्य के रूप में विवि.के चक्कर लगाते रहते हैं और कर्मियों से साँठ-गाँठ कर लाभ कमाते हैं। स्ववित्तपोषी शिक्षकों को वि.वि.परीक्षा ड्यूटी का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।
12. यह कि, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध बी.एड., ला, डी.इल.एड., मैनेजमेण्ट, आयुर्वेद, डिग्री कालेजों में उक्त तथ्यों के अतिरिक्त और भी अनेक अति गंभीर अनियमितताएँ व्याप्त हैं। इनका अबिलम्ब भौतिक सत्यापन, औचक निरीक्षण व कार्यवाही अति आवश्यक है।
13. यह कि, बी.एड., डी.एल.एड., विधि, चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मसी, प्रबन्धकीय, स्नातक, परास्नातक कालेजों की मान्यता से लेकर परीक्षा एवं डिग्री वितरण में अति गम्भीर अनियमितताएँ व्याप्त हैं। विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों की अमानक प्रबन्ध समितियाँ, शिक्षक-शिक्षण हीनता, अवैध वसूली, शिक्षण शुल्क वसूलने के बावजूद मानकीय पढ़ाई न होना, अनुमोदित शिक्षकों व प्राचार्यों का कभी भी कालेजों न जाना, प्राचार्य-सीट पर माफियाओं का बैठना, एक भवन के अलग-अलग द्वार पर अनेक कालेजों की मान्यता होना, विषय शिक्षकों द्वारा कान्वेंट से लेकर डिग्री, मैनेजमेंट, लिब. बी.एड, लॉ, डी.इल.एड., चिकित्सा, नर्सिंग कोर्स की कक्षाओं में पढ़ाना, वि.वि. से अनुमोदित कालेजों से नदारत शिक्षकों-प्राचार्यों के वेतन-भुगतान के फर्जी बैंक खातों का संचालन, अयोग्य पदासीनता, कालेज उपस्थिति-पंजिकाओं में अप्रवर्द्ध शिक्षकों-प्राचार्यों के फर्जी साइन, कक्षाओं में सदैव अनुपस्थिति छात्रों की 75% उपस्थिति, अनुत्तीर्ण छात्रों से शिक्षण शुल्क, सी.सी.टी.वी. बगैर कालेज कक्षा-परीक्षा संचालन, शुल्क वसूली बावजूद मानकीय शिक्षकों का शिक्षण न होना, वृद्ध रिटायर्ड की पुनर्पदासीनता और अर्हताधारियों की जबरदस्त उपेक्षा, मानदेय शिक्षकों के कक्षाध्यापन कार्य बिना फर्जी उपस्थिति बिलों का भुगतान, कालेजों में संचालित डिग्री सहित कांवेण्ट की सभी कक्षाएँ एक ही बन्धुआ शिक्षक से पढ़वाया जाना, केन्द्र-राज्य-विश्वविद्यालय एक्ट की उपेक्षा आदि गम्भीर अनियमितताओं में उच्चशिक्षा विभाग-विश्वविद्यालयों अहम भूमिका एवं संरक्षात्मक सहयोग जारी है तथा अधिकारियों-कर्मचारियों और पेनल-समिति के लोगों के स्वार्थपरित आर्थिक प्रभावों में पदों का दुरुपयोग व मनमानी आख्या-रिपोर्ट-आदेश से शिक्षा मानकों, शासनादेश तथा सोसाइटी एवं विश्वविद्यालय क्ट की जबरदस्त उपेक्षा एवं अवैध धन उगाही जारी है। इन अवैध-अनैतिक कार्यों तथा गम्भीर अनियमितताओं के समर्थन में अकाट्य साक्ष्य कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विशेष कर फर्रुखाबाद-औरैया जिले के कालेजों में उपलब्ध हैं। जिनके आधार पर तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

निष्कर्ष: उ.प्र.राज्य के बी.एड., विधि, डी.इल.एड., मैनेजमेण्ट, आयुर्वेद, डिग्री कालेजों के वि.वि. द्वारा अनुमोदित प्राचार्य-शिक्षकों का पलायन, कालेजों में अमानकों की प्राचार्य-शिक्षक पदों पर उपस्थिति-कार्य-शिक्षण, अवैध वसूली, प्राचार्य सीट का दुरुपयोग, मानदेय शिक्षकों को बिना शिक्षण भुगतान, अमानक प्रबन्धतन्त्र, अमानक प्रबन्धन, परीक्षा ड्यूटी धन का दुरुपयोग, पंजीकृत छात्रों की अनुपस्थित, अनुपस्थित छात्रों की 75% उपस्थिति, फर्जीबाड़े, अमानक कालेजों को मान्यता, नकल और कालेज धन-सम्पत्ति के दुरुपयोग में विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों, पेनल्स, समितियाँ व शिक्षाधिकारियों के दायित्व पूर्णतया प्रतिकूल हैं।

सुझाव: शिक्षा के मानकों तथा सोसाइटी एवं विश्वविद्यालय एक्ट की उपेक्षा पर अंकुश लगना चाहिए। शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय एवं कालेजों के अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेनल-समितियों के फर्जीबाड़ों पर अंकुश लगना चाहिए। कालेजों से पलायित अनुमोदित प्राचार्य-शिक्षकों व अयोग्य-अमानकों की पदासीनता तथा बिना मानकीय अध्यापन कक्षा प्रवेश एवं परीक्षा पर अंकुश लगना चाहिए।

समाज सुधार एवं समाज सुधार आन्दोलन की पृष्ठभूमि

“जब समाज में सुलझे हुए व्यक्तियों द्वारा स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए सामाजिक चलन में परिवर्तन करने का प्रयत्न होता है तब समाज सुधार होता है।”

समाज सामाजिक सम्बन्धों का गतिशील सन्तुलन है। सामाजिक सम्बन्धों का यह स्वरूप सदैव स्थाई, स्थिर या अपरिवर्तित नहीं रहता वरन् उनमें निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों या गतिशीलता के कारण समाज में अच्छे तत्त्वों के साथ बुरे तत्त्वों का भी समावेश हो जाता है। यह भी हो सकता कि समाज में अच्छे तत्त्व परिस्थितियाँ बदल जाने पर बुरे तत्त्वों में बदल जाए या समाज के लिए उपयोगिता न रहे। कहने का अभिप्राय यही है कि समाज में विद्यमान अच्छे तत्त्व सामाजिक प्रगति की ओर ले जाते हैं जबकि बुरे तत्त्व सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं और अंतिम रूप से सामाजिक व्यवस्था व विघटन का कारण बन जाते हैं। इन बुरे तत्त्वों की जो समाज में अन्ध-विश्वास, रूढ़िवादिता, अनुपयोगी प्रभावों के रूप में रहते हैं, दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे समाज सुधार कहा जाता है। समाज सुधार समाज को स्वस्थ एवं प्रगतिशील बनाने की भावना से प्रेरित होता है अर्थात् जब समाज में सुलझे हुए व्यक्तियों द्वारा स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए सामाजिक चलन में परिवर्तन करने का प्रयत्न होता है तब समाज सुधार होता है। समाज के अन्ध-विश्वासों, सामाजिक भेद-भाव, निकम्मी प्रथाओं आदि में सुधार लाने के जो प्रयास या कार्य किए जाते हैं वे विभिन्न कालों व समाजों में बक जैसे नहीं होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में समाज सुधार की धारणा गतिशील है।

समाज सुधार विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तियों या समूहों द्वारा किया गया वह गतिशील कार्य या प्रयास है जो समाज के अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता, भेदभाव आदि को दूर करने के लिए किया जाता है जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक जीवन को स्वस्थ एवं प्रगतिशील बनाना है।

मध्ययुग में विशेष रूप से मुगलकालीन भारत में हिन्दू समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों और अन्धविश्वासों का विकास हुआ। बाल-विवाह, विधवा-विवाह, विवाह-निषेध, सती-प्रथा, महिलाओं की अशिक्षा इत्यादि अभिशाप से हिन्दू समाज अस्वस्थ हो गया। अंग्रेजी शासन में पश्चात्, शिक्षा के प्रभाव से तथा पश्चात् संस्कृति के सम्पर्क के कारण देश में कुछ प्रतिष्ठित और शिक्षित प्रभावशाली व्यक्तियों का ध्यान समाज की दुरावस्था की ओर गया उन्होंने पश्चात्य जीवनादर्शों के साथ अपने देश में प्रचलित अन्धविश्वासों की तुलना की और तार्किक एवं वैज्ञानिक आधार पर समाज के पुनर्निर्माण का प्रयत्न प्रारम्भ किया। पश्चिम से प्रभावित इन व्यक्तियों ने भारतीय संस्कृति के केवल विकृत पक्ष पर ही ध्यान दिया। अतः केवल पश्चात् संस्कृति को अपनाना ही समाज सुधार का मुख्य तत्त्व समझ लिया।

समाज सुधार आन्दोलन का एक दूसरा पक्ष भी सामने आता है। समाज में 19-वीं शताब्दी में कुछ ऐसी विभूतियों का उदय हुआ जिन्होंने भारतीय संस्कृति के भौतिक स्वरूप की महत्ता को समझा और वैदिक कालीन सामाजिक मूल्यों और आर्थिक व्यवस्थाओं का पुनर्स्थापना से ही हिन्दू समाज के पुनर्निर्माण की सम्भावना में विश्वास व्यक्त किया। हिन्दू समाज में विभिन्न कुरीतियों का जन्म विदेशी शासन तथा स्वार्थी तत्त्वों द्वारा धर्मग्रन्थों और अव्यवस्थाओं की तोड़ इन विद्वानों की दृष्टि में यही था कि प्राचीन संस्कृति में निहित मान्यताओं और व्यवस्थाओं की पुनर्स्थापना की जाए। इस प्रकार भारत में समाज सुधार आन्दोलन की दो धारें दिखाई देती हैं।

पश्चिम से प्रभावित सुधारकों में राजा राममोहन राय तथा उनके समर्थकों का नाम लिया जा सकता है और भारतीय संस्कृति के आधार पर समाज का नवनिर्माण करने वाले समाज सुधारकों में महर्षि दयानन्द तथा उनके सहयोगी और समर्थक गिने जा सकते हैं। समाज सुधार की धाराएँ वास्तव में दो दृष्टिकोणों से सम्बन्धित हैं तथा दूसरी दृष्टि विदेशी प्रभाव से सम्बन्धित है। भारतीय समाज सुधार आन्दोलनों में किसी एक व्यक्ति या संस्था का हाथ नहीं है। वास्तव में इस आन्दोलन में अनेक समाज सुधार नेताओं, संस्थाओं, शासकों, प्रशासकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का योगदान मिला है।

भारतीय गाँवों एवं नगरों में सामाजिक वर्ग संरचना

(कृषक एवं मजदूर वर्ग साधन विहीन हैं और जीर्ण काया से अपने श्रम को रोटी के लिए बेचते हैं)

प्राचीनकाल में भारत का सामाजिक संस्तरण वर्ण पर आधारित था, इन्हीं वर्णों से धीरे-धीरे जाति व्यवस्था का विकास हुआ जो कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित है। एक लम्बे समय तक और आज भी जाति व्यवस्था हमारे सामाजिक संस्तरण का किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व करती है। वर्ग के आधार पर भारत में सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया अभी अपेक्षाकृत नवीन है। आज भारत में पश्चिमी देशों के समान ही वर्ग व्यवस्था पनप रही है। इन परिस्थितियों में पश्चिमी सम्पर्क औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, नवीन अर्थव्यवस्था, देश की राजनैतिक स्थिति आदि कारणों का योगदान है।

भारतीय समाज मुख्य तौर पर गाँवों और नगरों में बंटा हुआ है; इसलिए यह स्वाभाविक है कि गाँवों के वर्गों की संरचना व रूप शहरों के वर्गों की संरचना व रूप से भिन्न होगा। वर्गों की इन्हीं संरचनाओं पर प्रथक-प्रथक मेरे विचार निम्नवत् हैं:-

भारतीय ग्रामीणों में प्रमुख रूप से तीन सामाजिक वर्ग पाये जाते हैं जो कि मालिक तथा साहूकार वर्ग, कृषक वर्ग तथा भूमिहीन कृषक अथवा मजदूर वर्ग हैं। ग्रामीण जीवन में सर्वोच्च वर्ग उन लोगों का है जो मालिक, जमींदार तथा साहूकार वर्ग से जाने जाते हैं। देहात में इन लोगों की स्थिति सर्वाच्च होती है; इन लोगों के पास अधिकाँश भूमि होती है; वे लोग पुराने जमींदार हैं। और इनमें अधिकतर उच्च जाति के लोग जैसे ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर आदि से हो सकते हैं। अनेक पिछड़ी जातियाँ जैसे यादव, गूजर, भूमिहार, जाट आदि भी अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में मालिक तथा साहूकार वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होता है; ये लोग आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक दृष्टि से अधिक सम्पन्न व शिक्षित हैं। यह लोग अपनी भूमि पर खेती मजदूरों से कराते हैं; साहूकारी कार्य करते हैं; अन्य उद्योगों व व्यवसायों में भी लगे रहते हैं और पहुँच राजनैतिक नेताओं तक होती है। वास्तव में यह सबसे प्रभावशाली वर्ग होता है। देहात में दूसरा वर्ग उन किसानों का है जिनके पास भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। ये लोग अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं और कभी-कभी भू-स्वामियों से किराये पर भूमि लेकर कृषि करते हैं। इनका जीवन स्तर मालिक एवं साहूकार वर्ग की अपेक्षा नीचा होता है लेकिन भूमिहीन-मजदूर से कुछ ऊँचा होता है। भूमिहीन कृषक या मजदूर वर्ग का स्थान निम्नतम है। ये लोग दूसरों के खेतों पर मजदूरी करके किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हैं। इस वर्ग की संख्या काफी है लेकिन इनकी आय पर्याप्त कम है।

भारतीय नगरों की नवीन परिस्थितियों में तीन प्रकार के वर्गों का निर्माण हुआ है अथवा हो रहा है जो कि उच्चवर्ग, मध्यमवर्ग एवं मजदूर वर्ग हैं। उच्चवर्ग के लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक दृष्टि से शक्तिशाली हैं और सामाजिक संस्तरण में इनका स्थान सर्वोच्च है। ये लोग बड़ी-बड़ी फर्में, कारखानों, उद्योगों आदि के मालिक होते हैं और विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करते हैं; देश की आय का एक बड़ा भाग इन्हीं लोगों के पास है; इतना ही नहीं; यह वर्ग सत्तारूढ़ राजनैतिक दल को भी प्रभावित करता है और सरकार से अधिकाधिक सुविधाएँ प्राप्त करता है। वैज्ञानिक आविष्कार एवं सरकारी जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन लोगों को सबसे पहले प्राप्त होता है क्योंकि इनकी राजनैतिक व आर्थिक पकड़ मजबूत होती है। मध्यमवर्ग के अन्तर्गत डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, अध्यापक, व्यापारी आदि आते हैं और इस वर्ग के लोगों के उच्चवर्ग के लोगों से सम्पर्क बना रहता है। यह वर्ग उच्च वर्ग के संचालन में कार्य करता है; इनमें शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता पायी जाती है और इनका उत्पादन के साधनों पर अधिक नियन्त्रण नहीं रहता। ये लोग परम्परा व रूढ़ियों से बचे रहते हैं तथा सामाजिक, धार्मिक तथा नैतिक नियमों का पालन करते हैं। अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद थोड़ा-बहुत बचा पाते हैं। मजदूर वर्ग शारीरिक श्रम के आधार पर कार्य करता है। इस वर्ग के अन्तर्गत कारखानों, उद्योगों, खानों, मशीनों आदि पर काम करने वाले लोग आते हैं। यह सीमिति आय पर निर्भर करने वाला वर्ग होता है और अपनी आवश्यकताओं को कठिनता से पूरा कर पाता है। ये लोग अशिक्षित अथवा कम शिक्षित होते हैं; रूढ़ियों एवं धार्मिक मान्यताओं का कड़ाई से पालन करते हैं।

भारतीय जनपद फर्रुखाबाद के नगरों का वर्तमान स्वरूप

यद्यपि नगरों का अस्तित्व प्राचीन काल से मिलता है, किन्तु अभी हाल तक वे जनसंख्या के अपेक्षाकृत एक छोटे से भाग का ही प्रतिनिधित्व करते थे। अधिकांश व्यक्तियों का जीवन प्रमुख रूप से ग्रामीण समाज या गाँव ही बनाते थे। नगरों और महानगरों की महाकाय वृद्धि विकास एवं जनसंख्या के बड़े भाग नगरीय क्षेत्रों में जाना पिछले पाँच दशकों का ही विशेष लक्षण रहा है। नगरीकरण औद्योगिक क्रान्ति का परिणाम था। इसने केन्द्रित स्थानों पर श्रमिकों की बड़ी संख्या की माँग को उत्पन्न किया।

भारत में पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ, जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में स्थानान्तरण भी हुआ है। बढ़ते हुए नगरीकरण से अपराध और बाल-अपराध, मदिरापान और मादक वस्तुओं का सेवन, आवास की कमी, भीड़-भाड़ और गन्दी बस्तियाँ, बेरोजगारी और निर्धनता, प्रदूषण और शोर, संचार और यातायात नियन्त्रण, वैश्यावृत्ति, कालगर्ल, तस्करी, मिलावट जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। परन्तु अगर नगर तनाव और दबाव के स्थान हैं, तो वे सभ्यता और संस्कृति विकास एवं प्रगति के केन्द्र भी हैं। वे सक्रिय, प्रवर्तितीय और सजीव हैं। वे व्यक्ति को अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। यदि भारत का भविष्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ा है तो इतना ही वह नगरों और महानगरों के क्षेत्रों के विकास से जुड़ा है।

‘नगरीय क्षेत्र’ या ‘नगर’ क्या है? इस शब्द का प्रयोग दो अर्थ में होता है—जनसांख्यिकीय रूप और समाजशास्त्रीय में। पहले अर्थ में जनसंख्या के आकार, जनसंख्या की सघनता और वयस्क पुरुषों में से अधिकांश के रोजगार के स्वरूप पर बल दिया जाता है, जबकि दूसरे अर्थ में विषमता, अवैयक्तिकता, अन्योन्याश्रय और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित रहता है। जर्मन समाजसेवी टोनीज (1957) ने ग्रामीण और नगरीय समुदायों में भिन्नता सामाजिक सम्बन्धों और मूल्यों के द्वारा बताई है। ग्रामीण गेमिनशेप्ट समुदाय वह है, जिसमें सामाजिक बन्धन कुटुम्ब और मित्रता के निकट के व्यक्तिगत बन्धनों पर आधारित होते हैं तथा परम्परा, सामंजस्य और अनौपचारिकता पर बल दिया जाता है, जबकि नगरीय मैसिलशेप्ट समाज में अवैयक्तिक और द्वितीयक सम्बन्ध—प्रधान होते हैं और व्यक्तियों में विचारों का आदान-प्रदान औपचारिक, अनुबन्धित और विशेष कार्य या नौकरी जो वे करते हैं उस पर आधारित होते हैं। मैसिलशेप्ट समाज में उपयोगितावादी लक्ष्यों और सामाजिक सम्बन्धों के प्रतिस्पर्द्धा के स्वरूप पर बल दिया जाता है।

मैक्सबेबर (1961:381) और जार्ज सिमिल (1950) जैसे अन्य समाजशास्त्रियों ने नगरीय वातावरण संघन आवासीय परिस्थितियों, परिवर्तन में तेजी और अवैयक्तिक अन्तर्क्रिया पर बल दिया है। लुईस वर्थ (1938 : 8) ने कहा है कि, समाजशास्त्रीय उद्देश्यों के लिए एक नगर की यह कह कर परिभाषा की जा सकती है कि वह सामाजिक रूप से पंचमेल/विषमरूप व्यक्तियों की अपेक्षाकृत बड़ी सघन और अस्थायी बस्ती है। रूथ ग्लास (1950) जैसे विद्वानों ने नगर को जिन कारकों द्वारा परिभाषित किया है वे हैं जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की सघनता, प्रमुख आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन की सामान्य रचना और कुछ सामाजिक विशेषताएँ।

भारत में ‘कस्बे’ की जनगणना की परिभाषा 1950-51 तक लगभग एक ही रही, परन्तु 1961 में एक नवीन परिभाषा अपनाई गई। 1951 तक, ‘कस्बे’ में सम्मिलित थे: (1) मकानों का संग्रह जिनमें कम से कम 5000 व्यक्ति स्थाई रूप में निवास करते हैं, (2) प्रत्येक म्यूनिसिपल/कार्पोरेशन/किसी भी आकार का अधि सूचित क्षेत्र और (3) सब सिविल लाइनें जो म्यूनिसिपल इकाइयों में सम्मिलित नहीं हैं। इस प्रकार कस्बे की परिभाषा में प्रमुख फोकस जनसंख्या के आकार पर न होकर प्रशासनिक व्यवस्था पर अधिक था। वर्ष 1961 में किसी स्थान को कस्बा कहने के लिए कुछ मानदण्ड लगाये गए। ये थे: (अ) कम से कम 5000 की जनसंख्या, (ब) 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील से कम की सघनता नहीं, (स) इसकी कार्यरत जनसंख्या का तीन-चौथाई गैर-कृषिक गतिविधियों में होना चाहिए और (द) उस स्थान की कुछ अपनी विशेषताएँ होनी चाहिए तथा यातायात और संचार, बैंकें, स्कूलों, बाजारों, मनोरंजन केन्द्रों, अस्पतालों, बिजली और समाचार-पत्रों आदि की नागरिक सुख सुविधाएँ होनी चाहिए। परिभाषा में इस परिवर्तन के फलस्वरूप 812 क्षेत्र (44 लाख व्यक्ति) जो 1951 की जनगणना में कस्बे घोषित किए गए थे, उन्हें 1961 की जनगणना में कस्बा नहीं माना गया।

1961 का आधार 1971, 1981, 1991 की जनगणनाओं में भी कस्बे की परिभाषा करते समय अपनाया गया। वर्ष 2001 की जनगणना के समय से 100000 तथा उसके अधिक की जनसंख्या वाले नगरों एवं शहरों को ‘प्रथम श्रेणी’, 50000 से 99999 तक की जनसंख्या वाले नगरों एवं शहरों को ‘द्वितीय श्रेणी’ 20000 से 49999 तक की जनसंख्या वाले नगरों एवं शहरों को ‘तृतीय श्रेणी’, 10000 से 19999 तक की जनसंख्या वाले नगरों एवं शहरों को ‘चतुर्थ श्रेणी’, 5000 से 9999 तक की जनसंख्या वाले नगरों एवं शहरों को ‘पंचम श्रेणी’ तथा 5000 से कम जनसंख्या वालों को ‘षष्ठम श्रेणी’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

समाजशास्त्री ‘नगर’ की परिभाषा में जनसंख्या के आकार को अधिक महत्व नहीं देते, क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या के मानदण्ड काफी बदलते रहते हैं। इस प्रकार से वे जनसंख्या के आकार के स्थान पर विशेषताओं को अधिक महत्व देते हैं। थिओडोर्सन (1969 : 451) ने ‘शहरी समुदाय’ की परिभाषा इस प्रकार की है कि “यह वह समुदाय है, जिसकी जनसंख्या की सघनता बहुत है, जहाँ गैर-कृषिक व्यवसायों की सर्वाधिकता है, एक ऊँचे स्तर की विशिष्टता है जिसके फलस्वरूप श्रम-विभाजन जटिल होता है और स्थानीय शासन की औपचारिक सामाजिक नियन्त्रणों पर निर्भरता रहती है”। राबर्ट रेडफील्ड (अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशोलॉजी, जनवरी, 1942) के अनुसार शहरी समाज की विशेषताएँ ये होती हैं कि “वह एक बड़ी विषमरूप जनसंख्या होती है, उसका दूसरे समाजों से निकट सम्बन्ध होता है (व्यापार, संचार के आदि के जरिए), उसमें एक जटिल श्रम-विभाजन होता है, सांसारिक मामलों को पवित्र मामलों की अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाता है और निश्चित लक्ष्यों के प्रति विवेकपूर्ण तरीके से व्यवहार को सुव्यवस्थित करने की अभिलाषा होती है। वे पारम्परिक

मानदण्डों का अनुसरण नहीं करते”।

नगरीयकरण जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जाना ‘नगरीकरण’ कहलाता है। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का बढ़ता हुआ भाग ग्रामीण स्थानों में रहने के बजाय शहरी स्थानों में रहता है। थौमसन वारन के अनुसार, “यह ऐसे समुदायों के व्यक्तियों जो पूर्णरूप से कृषि से जुड़े हुए हैं, का उन समुदायों में जाना जो साधारणतया उनसे बड़े हैं और जिनकी गतिविधियाँ मुख्यरूप से सरकार, व्यापार, उत्पादन या इनसे सम्बद्ध कारोबारों पर केन्द्रित हैं”। एन्डर्सन (1953 : 11) के अनुसार, नगरीयकरण एकतरफा प्रक्रिया न होकर दोतरफा प्रक्रिया है। इसमें केवल गाँवों से शहरों में जाना नहीं होता, परन्तु इसमें प्रवासी के रुखों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार के संरूपों में भी परिवर्तन होता है। उसने नगरीयकरण की पाँच विशेषताएँ बताई हैं—मुद्रा अर्थव्यवस्था, शहरी प्रशासन, सांस्कृतिक परिवर्तन, लिखित अभिलेख और अभिनव परिवर्तन।

नगरीयता एक जीवन पद्धति है। यह समाज का ऐसा संगठन है जिसमें श्रम का जटिल विभाजन, प्रौद्योगिकी के ऊँचे स्तर, उच्च गतिशीलता, आर्थिक कार्यों को सम्पन्न करने के लिए उसके सदस्यों की पारस्परिक आश्रयिता व सामाजिक सम्बन्धों में अवैयक्तिकता का समावेश होता है (थियोडॉर्सन, 1969:453)।

नगरों का विकास जन्म एवं मृत्यु दर और प्रजनन/स्थानान्तरण पर ही केवल निर्भर नहीं करता, परन्तु वह राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारकों से भी होता है। राजनीतिक केन्द्र राज्यों की राजधानी हो सकते हैं (लखनऊ, भोपाल, जयपुर, मुम्बई, कोलकाता आदि) या राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र (दिल्ली) या फौज के प्रशिक्षण स्थल (खड़गपुर) या रक्षा उत्पादन केन्द्र (जोधपुर), आर्थिक केन्द्र वे क्षेत्र हैं जहाँ व्यापार और वाणिज्य का वर्चस्व है (अहमदाबाद, सूरत), औद्योगिक नगर वे स्थान हैं जहाँ कारखाने होते हैं (भिलाई, सिंगरौली, कोटा, लुधियाना), धार्मिक नगर वे हैं जहाँ व्यक्ति तीर्थयात्रा पर जाते हैं (हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद) और शैक्षणिक केन्द्रों पर शैक्षणिक संस्थाएँ होती हैं (पिलानी)।

भारत में 1921 में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या की 11.3% थी, 1951 में बढ़कर 17.6% हो गई। 1971 में शहरी जनसंख्या 10.91 करोड़, 1981 में 16.1 करोड़, 1991 में 21.7 करोड़, 2001 में 28.6 करोड़ थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अस्थायी योगों के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या (121.02 करोड़) में से शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ थी तथा पूर्ण संख्याओं में गत दशक के दौरान इसमें 9.1 करोड़ की वृद्धि हो चुकी है। वर्ष 1951 में दस लाख जनसंख्या वाले शहर मात्र पाँच थे जो वर्ष 2001 में बढ़कर 35 एवं 2011 की जनगणना में 50 हो गए हैं। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 4 महानगर मुम्बई (1.63 करोड़), कोलकाता (1.32 करोड़), दिल्ली (1.27 करोड़), चेन्नई (64.24 लाख) नगर में आते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा की 49.8% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इसके बाद तमिलनाडु (44.1%), महाराष्ट्र (42.4%), गुजरात (37.4%) आते हैं। उ.प्र. में 20.1% मध्य प्रदेश में 26.5%, राजस्थान में 23.4%, बिहार 10.5% जनसंख्या नगरों में रहती है।

नगरीकरण का यह विकास कई सदियों में जाकर हुआ। इस विकास के बाद लोगों ने स्वयं को नगरीय शैली में ढालना प्रारम्भ कर दिया और अपने कार्यों को नगरीय विधा के रूप में करना सीख लिया। इस तरह एक ऐसे वर्ग अर्थात् औद्योगिक श्रमिक वर्ग का निर्माण हुआ जिसका भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं था।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत शीर्ष 10 राज्य व देश की जनसंख्या में उनका प्रतिशत

राज्य	जनसंख्या प्रतिशत	घनत्व
उत्तर प्रदेश	9.29	382
महाराष्ट्र	8.50	365
बिहार	8.50	1104
पश्चिम बंगाल	7.55	1029
आंध्र प्रदेश	7.0	308
मध्य प्रदेश	6.0	236
तमिलनाडु	5.96	555
राजस्थान	5.67	201
कर्नाटक	5.05	319
गुजरात	4.99	308

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर

नगर	राज्य	जनसंख्या	नगर	राज्य	जनसंख्या	नगर	राज्य	जनसंख्या
मुंबई	महाराष्ट्र	18,414,288	पटना	बिहार	2,046,652	नासिक	महाराष्ट्र	1,562,769
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	14,112,536	इंदौर	मध्य प्रदेश	2,167,447	जबलपुर	मध्य प्रदेश	1,267,564
दिल्ली	दिल्ली	16,314,838	वड़ोदरा	गुजरात	1,817,191	जमशेदपुर	झारखण्ड	1,337,131
चेन्नई	तमिलनाडु	8,696,010	भोपाल	मध्य प्रदेश	1,883,381	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	1,243,008

बंगलूरु	कर्नाटक	8,499,399	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	2,151,466	धनबाद	झारखण्ड	1,195,298
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	7,749,334	कोच्चि	केरल	2,117,990	फरीदाबाद	हरियाणा	1,404,653
अहमदाबाद	गुजरात	6,353,254	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	1,730,320	इलाहाबाद	उत्तरप्रदेश	1,216,719
पुणे	महाराष्ट्र	5,049,968	आगरा	उत्तरप्रदेश	1,746,467	अमृतसर	पंजाब	1,183,705
सूरत	गुजरात	4,585,367	वाराणसी	उत्तरप्रदेश	1,435,113	लुधियाना	पंजाब	1,613,878
कानपुर	उत्तरप्रदेश	2,920,067	मदुरई	तमिलनाडु	1,416,420	राजकोट	गुजरात	1,390,933
नागपुर	महाराष्ट्र	2,497,777	मेरठ	उत्तरप्रदेश	1,424,908			

नगरीय व्यवस्था के अन्तर्गत रोजगार, आवास, व्यापार, शिक्षा, प्रशासन, स्वच्छता, स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु जो मानक निर्धारित हैं, उनकी स्थिति की पड़ताल की आवश्यकता महसूस करते हुए मैंने फर्रुखाबाद जनपद के नगरों की स्थिति, प्रशासन, मानकों के प्रदर्शित स्वरूपों पर अवलोकन आवश्यक समझा है। इसी आधार पर मैंने भारतीय जनपद फर्रुखाबाद के नगर-कस्बों में जाकर अवलोकन-जनसम्पर्क किया तथा औपचारिक-अनौपचारिक माध्यम से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर तथ्य संकलित किए तथा नगर-अधिनियम, संहिताओं, नगरीय व्यवस्थाओं के अवलोकन से प्राप्त जानकारी के आँकड़ों पर विचार करके मैंने यह जानने का प्रयास किया कि क्या फर्रुखाबाद जनपद के नगरों का प्रशासन, आवास, प्रबन्धन सुविधाएँ मानक युक्त हैं?

फर्रुखाबाद जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है जिसका मुख्यालय फतेहगढ़ है। इसका परिमाण 105 कि.मी. लम्बा एवं 60 कि.मी. चौड़ा तथा क्षेत्रफल 2181 कि.मी. है। जनगणना-2011 के अनुसार, जनपद की कुल जनसंख्या 1887577 (पुरुष 1007479, स्त्रियाँ 880098), नगरीय 429990, ग्रामीण 1457587 जनसंख्या है। साक्षर जनसंख्या 1125457 (70.57%), जिसमें 676067 (79.34%) पुरुष, 449390 (60.51%) स्त्रियाँ हैं। लिंगानुपात 1000 : 874 हैं। जिले में 1 नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद, 5 नगर-पंचायत मोहम्मदाबाद, कायमगंज, शमशाबाद, कम्पिल, कमालगंज, 9 कस्बा- जहानगंज, नबाबगंज, राजेपुर, अमृतपुर, राजपुर, फैजबाग, मुरास, मदनपुर, मंझना हैं।

‘फर्रुखाबाद’ शब्द का आधार उर्दू के दो शब्दों ‘फर्रुख’ एवं ‘बाद’ है। ‘फर्रुख’ का तात्पर्य 18वीं सदी के मुगल शासक ‘फर्रुखशियर’ एवं ‘बाद’ का तात्पर्य ‘नगर या शासन’ है। फर्रुखाबाद के इतिहास के अनुसार, वर्ष 1947 से पूर्व अंग्रेजों तथा अंग्रेजों से पूर्व जब भारत में मुगलों का शासन था तब वर्ष 1665 में कायमगंज-मऊरसीदाबाद में एक पठान मुहम्मदखां का जन्म हुआ। जो साहस और वीरता के बल पर मुगल शासक फर्रुखशियर का सहयोगी बना। जहाँदाराशाह को हराने पर फर्रुखशियर ने मुहम्मदखां को नवाब की पदवी देकर आस-पास के बहुत से गाँव इनाम में दिए। मुहम्मद खां ने दो नए गाँव बसाए, एक अपने नाम से एवं दूसरा अपने सबसे बड़े लड़के के नाम से। पहला मोहम्मदाबाद और दूसरा कायमगंज। फर्रुखशियर को यह बात अच्छी न लगी अतः मुहम्मद खां ने फर्रुखशियर के नाम से फर्रुखाबाद बनाने की घोषणा कर दी तथा वर्ष 1714 ई. में उसकी नींव डाल दी। फर्रुखाबाद के चारों ओर तिकोनी ऊँची दीवाल थी, जो लगभग 15 फुट ऊँची थी। इसके बीच-बीच में 12 दरवाजे थे। नगर के दो किनारों पर दो बड़ी सरायें थीं।

जिले में कम्पिल से प्राचीन धारा बूढ़ी गंगा से लेकर खुदागंज तक लगभग 36 विश्रान्त घाट बने हुए थे। इन विश्रान्तों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासनकाल के व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिसमें कोलकाता से गढ़मुक्तेश्वर तक व्यापारिक बड़ी नावें चला करती थीं। जिनमें नमक, नील, शोरा, अफीम, कपड़ा, बर्तन के उद्योग का व्यापार होता था। विशेषपर्व जैसे गंगा मेला, माघ मेला, सामाजिक उत्सव शादी-विवाहों में इन घाटों पर अपार भीड़ होती थी। कम्पिल का घाट मुगल बादशाह ने बनवाया था। इसी प्रकार शमशाबाद की विश्रान्त, फर्रुखाबाद में झुन्नीलाल शाह की विश्रान्त, टोकाघाट, पांचालघाट, किलाघाट, रानीघाट, सुंदरपुर घाट, सिंघीरामपुर में मराठा परिवार की विश्रान्तें बहुत ही सुन्दर थीं। लेकिन आज खंडहर पड़ी हैं।

फर्रुखाबाद जिले के विभिन्न स्थानों पर प्रसिद्ध मन्दिर दर्शनीय स्थल हैं। घटियाघाट पर रामनगरिया मेला पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक लगता है। श्रृंगीरामपुर में श्रृंगी ऋषि का मंदिर है और यहाँ पर ज्येष्ठ दशमी, कार्तिक पूर्णिमा एवं शिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। नीमकरोरी रेलवे स्टेशन से 6 कि.मी. दूर पुठरी गाँव में महादेव जी का विशाल मन्दिर है और यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन-चैत्र में मेला लगता है। बढपुर में देवी दुर्गा, शीतला व सन्तोषी माँ का मन्दिर है चैत्र वदी अष्टमी को यहाँ मेला लगता है। नौखण्डा, शेखपुर, जिठौली, नीम करोरी, पल्लादेवी-फूलमती मन्दिर प्रसिद्ध हैं। जिले में गुरुगाँव देवी मन्दिर, पण्डाबाग में स्थापित शिवजी की मूर्ति, भोलेपुर में हनुमानजी की विशाल प्रतिमा व वैष्णो देवी का मन्दिर अत्यन्त दिव्य एवं भव्य हैं।

संकिशा फर्रुखाबाद से 35 कि.मी.दूर स्थित है। इसका प्रथमोल्लेख बाल्मीकि रामायण में पाया जाता है तथा बौद्ध धर्म के इतिहास में इसका उल्लेख बहुधा पाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ 8-10 दिन ठहरे थे। संकिशा का उत्खनन कार्य से सिद्ध होता है कि अनेक उच्चकोटि के भवन बौद्ध धर्मावलम्बियों द्वारा बनवाए गये। संकिशा बौद्धों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जिसका उल्लेख पाणिनी की अष्टाध्यायी में भी मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनत्सांग के अनुसार संकिशा उच्चकोटि के भवनों से सुसज्जित नगर है जिसका निर्माण अशोक व उसके उत्तरवर्ती शासकों ने किया। संकिशा अब अपना वैभव खोकर ग्राम के रूप में शेष है।

कम्पिल नगरी जैन, बौद्ध व नाग संस्कृति की अप्रियतम धरोहर है। यह हिन्दुओं एवं जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ प्राचीन काल में गंगा के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम तथा मन्दिरों के होने के कारण यह एक धार्मिक स्थान भी माना जाता है। यहाँ प्राप्त खण्डहरों से ज्ञात होता है कि किसी समय जैनियों के मंदिर बड़े सुन्दर रहे होंगे। यहाँ निर्मित द्रोपदी कुण्ड में स्नान करने का बड़ा महत्त्व माना जाता है।

जिले में 3 नदियाँ हैं। इनमें मुख्य नदी **गंगा** है जो एटा से प्रवेश करती हुई बदायूँ और शाहजहाँपुर जिलों को इस जिले से प्रथक करती है। जिले का कुछ क्षेत्र (उत्तर-पूर्व) गंगा के पार एवं शेष क्षेत्र गंगा के (दक्षिण-पश्चिम) ओर बसा है। गंगा की धारा प्रति वर्ष अपना रास्ता थोड़ा-बहुत बदल देती है। किसी समय यह कम्पिल, कायमगंज, शमशाबाद के बहुत पास बहती थी परन्तु आज इन स्थानों से 3-4 कि.मी. दूर बहती है। दूसरी नदी **रामगंगा** शाहजहाँपुर से आकर जिले में कुछ दूर बहकर हरदोई जिले में चली जाती है। तीसरी नदी **बूढ़ी गंगा** एटा जिले से आकर जिले के **जटवारा ग्राम** में **गंगानदी** में मिलती है। वर्षात् में गंगा व रामगंगा का रूप बढ़ा भयंकर हो जाता है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निवासियों का जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है।

1. **नगर पालिका फर्रुखाबाद-फतेहगढ़** फतेहगढ़ एवं फर्रुखाबाद नगरों के युग्म से निर्मित है।
2. **नगर पंचायत मोहम्मदाबाद**-दूर दराज की ग्राम सभाओं-रोहिला, कैथानगला, किलमापुर, तकीपुर, कबीरपुर आबादी क्षेत्र को जोड़कर निर्मित हुई है और जोड़ी गई ग्रामसभाएँ विकास से उपेक्षित हैं।
3. **नगरपंचायत कमालगंज** मार्ग के दोनों ओर की घनी बस्तियाँ जिनकी आबादी गाँव जैसी है, निर्मित है
4. **नगर पंचायत शमशाबाद** दूर-दराज की विखरी बस्तियाँ जिनकी आबादी गाँव जैसी है, निर्मित है।
5. **नगर पंचायत कायमगंज** नगर क्षेत्र की बस्तियाँ ग्रामसभाएँ एवं ग्राम सभाएँ नगर में जुड़ी हुई हैं।
6. **नगर पंचायत कम्पिल** नगर क्षेत्र की बस्तियाँ ग्रामसभाएँ एवं ग्राम सभाएँ नगर में जुड़ी हुई हैं।
7. **कैटबोर्ड फतेहगढ़ फर्रुखाबाद** फतेहगढ़ नगरपालिका होने के बावजूद क्षेत्र में अतिरिक्त कैटबोर्ड है।

फर्रुखाबाद जिले के नगर क्षेत्रों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के अनुपात में मकान का निर्माण न हो पाने के कारण अनेक गन्दी बस्तियाँ बन गई हैं। प्रत्येक नगरों में आधे से दो तिहाही भाग तक जनसंख्या गन्दी बस्तियों या उसी के समान दशाओं वाले मकानों में रहती है। नगरों की कैसर के समान यह वृद्धि व्याधि युक्त '**नरक**' हैं। नगर की बस्तियों के मकानों में हवा, पानी, शौचालय, स्नानागार व रोशनी की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव रहता है। इनमें स्नान घर अन्धेरे और शीलनयुक्त हैं। साथ ही इनमें मच्छर, खटमल, जुआँ, छिपकली, चूहों और बीमारी के कीटाणुओं की बहुलता पायी जाती है। नगर निवास की यह अर्द्ध मानवीय दशा है। यह मानव जाति की शारीरिक व मानसिक दृष्टि से कमजोर पीढ़ी को जन्म देती है।

गन्दी बस्तियों में पारिवारिक जीवन का एक बड़ा भाग आवासीय इकाई के बाहर बिताया जाता है। घरों की नीरसता बच्चों को सड़क पर जाने के लिए बाध्य करती है। इससे माता-पिता के सामने बच्चों को नियन्त्रण रखने की समस्या खड़ी होती है। घर में कम जगह में सोने के ठीक प्रबन्ध नहीं हो पाते और इससे एकांतता पर प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक तनावों का उनके व्यक्तित्व और व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है।

नगर क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों की भीषण समस्या है। शहरी जनसंख्या का 1/3 भाग एवं अधिकाँश श्रमिक गन्दी बस्तियों में निवास करते हैं। शहरी जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ गन्दी बस्तियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। शहरों में भूमि की कीमत, इमारती सामान व श्रम की कीमत में वृद्धि हुई। अतः नये मकानों का निर्माण काफी कठिन हो गया है और कई मंजिले मकान बनाने पड़े हैं जिनमें हवा, रोशनी, जल व विद्युत का पूरा प्रबन्ध नहीं हो पाया है। उनमें स्वास्थ्य एवं सफाई की सुविधाओं का पूर्ण अभाव है।

फर्रुखाबाद जिले के नगर क्षेत्र बस्तियों की स्थिति भी गन्दे आवासों में अच्छी नहीं है। गन्दे आवासों में अत्यन्त छोटे-छोटे कमरों में मनुष्य भरे पड़े हैं। जाने के रास्ते तंग होते जा रहे हैं, हवा-रोशनी इनमें नहीं पहुँचती है। शौच के असन्तोषजनक प्रबन्ध के कारण तथा कूड़े-करकट के यहाँ-वहाँ एकत्रित रहने से सम्पूर्ण वातावरण धूल, धुएँ, बदबू व कीटाणुयुक्त रहता है। गन्दे वातावरण में खाना बनता है और बच्चे पैदा होते यहाँ नमी व कीचड़ ही कीचड़ रहती है। यहाँ मनुष्यता बर्बर हो जाती है, स्त्रियों का निरादर होता है तथा बच्चों पर घातक संस्कार प्रारम्भ से पड़ने शुरू हो जाते हैं। गन्दे आवासों में रहने से लोगों का शारीरिक, नैतिक, सामाजिक पतन एवं कार्यक्षमता का ह्रास होता है और फिर बीमारियाँ पीढ़ियों तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। इन सब कारणों से इन गन्दे आवासों के निवासियों की मृत्यु दर अधिक रहना स्वाभाविक ही है।

गन्दे आवास नगर में वे निवास क्षेत्र हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास दशा होती है। एक गन्दा आवास सदैव दरिद्र परिवार का ही आवास है। गन्दे आवास मुख्य रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के निवास स्थान नष्ट हो गए हैं एवं अत्यधिक भीड़-भाड़ युक्त है, इनकी बनावट त्रुटिपूर्ण होती है जहाँ रोशनदान, प्रकाश एवं सफाई का अभाव है। इन कारकों के प्रभाव सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानिप्रद है। गन्दे आवासों की बस्तियाँ बेढंग तरीके से बसी हुई, अव्यवस्थिति रूप से विकसित सामान्यतः उपेक्षित निवास क्षेत्र हैं जो लोगों द्वारा घना बसा हुआ होता है तथा इनमें बिना मरम्मत उपेक्षित मकानों की भीड़-भाड़ होती है, सफाई व्यवस्था के प्रति उदासीनता रहती है, जरूरी साधन अपर्याप्त, शिक्षा त्रुटिपूर्ण, रोजगार का अभाव होता है। भौतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए आवश्यक सुविधाओं की अपर्याप्ता रहती है। मानव एवं समुदाय की जरूरतों एवं सुविधाओं की पूर्ति कम से कम होती है। व्यक्ति और परिवार की प्रमुख सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए सामाजिक सेवाओं एवं कल्याण संस्थानों की सामान्यतः अनुपस्थिति रहती है। इनमें अपर्याप्त आय तथा निम्न स्तरीय स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर रहता है। भौतिक-सामाजिक पर्यावरण के फलस्वरूप यहाँ के निवासी प्राणीशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक परिणामों के शिकार होते रहते हैं। गन्दी बस्तियों की विशेषता भीड़-भाड़ युक्त, पतनोन्मुख, अस्वस्थ की दशा तथा सुविधाओं का अभाव है। इन दशाओं या इनमें किसी एक के कारण इनके निवासियों या समुदाय के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं नैतिकता को खतरा पैदा होता है। गन्दी बस्तियाँ अस्त-व्यस्त बसी हुई हैं, अव्यवस्थिति रूप से विकसित एवं सामान्यतः यह क्षेत्र जनाधिक्य व भीड़-भाड़ युक्त हैं, टूटे-फूटे घर व उनकी मरम्मत की पूर्ति में उपेक्षा बरती जाती है।

नगर क्षेत्रों के जिन बच्चों को लम्बे समय तक पोषण युक्त आहार नहीं मिलता, ऐसे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषित बच्चों की रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर होती है और ऐसे बच्चे अक्सर बीमार रहने लगते हैं। कुपोषण के सामान्य लक्षणों में बच्चों की

त्वचा व बालों का रूखा एवं बेजान हो जाना, वजन कम होना, पेट फूलना इत्यादि है। सिर्फ इतना ही नहीं कुपोषण के कारण बच्चे का विकास भी रुक जाता है और यदि समय रहते कुपोषण का इलाज न कराया जाये तो यह समस्या जानलेवा भी हो सकती है।

स्वास्थ्य व्यक्ति न केवल कमाने योग्य होता है अपितु उसे बीमारी पर भी कम खर्च करना पड़ता है। यदि किसी देश में एक बड़ी संख्या में व्यक्ति दीर्घकालिक कुपोषण ग्रस्त या अस्वस्थकर वातावरण में रहते हैं तो वे कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। जिसके कारण वे काम करने योग्य नहीं रहते। गरीबी परिवार के आकार में वृद्धि से सह सम्बन्धित है। परिवार बढ़ा होने पर प्रति व्यक्ति आय कम और जीवन स्तर नीचा होगा।

जल जनपद के नगरों के सार्वजनिक स्थलों, मार्गों, भीड़-भाड़ स्थलों, बाजारों आदि स्थानों पर सरकारी हैण्डपम्प लगवाए गए हैं तथा सरकारी विभागों एवं निगमों द्वारा जलटैंक बनवाकर सार्वजनिक जल आपूर्ति की जा रही है। शुद्ध जल आपूर्ति एवं जल को प्रदूषित होने से बचाव हेतु सरकारों द्वारा बड़ी मात्रा में धन मुहैया कराया जा रहा है। इसके बावजूद अधिकांश सरकारी हैण्डपम्प एवं शुद्ध जल दरिद्रों और उनके परिवारों की पहुँच से बाहर हैं या हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं। अनेकों सरकारी हैण्डपम्प रहीसों के कब्जे में उनके घरों की चाहर दीवारी में लगाकर उनमें समरसेबिल लगाए गए हैं। सार्वजनिक जल टैंकों में पड़ने वाली क्लोरीन जल में न डालकर बेच ली जाती है और ट्यूबवेल आपरेटर-कर्मचारी सार्वजनिक आपूर्ति के टैंक एवं जल-नलिकाओं की साफ-सफाई नहीं करते हैं जिसके कारण टैंकों में भरा पानी एवं आपूर्ति की टूटी नलियों से गन्दा पानी आता है एवं इस प्रदूषित जल का सेवन करना साधारण जनता की मजबूरी होने के कारण जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा ज्वाइंडिस जैसी बीमारियों से ग्रसित रहता है।

स्वच्छता जिले के नगर-वार्ड्स में नियमित सफाई के अभाव एवं गन्दगी के ढेरों तथा कीचड़ के जमाव से कीट-मच्छरों का प्रकोप चरम पर है जिसके कारण नगरवासी अनिद्रा व घातक बीमारियों से ग्रस्त हैं।

शिक्षा नगर-वार्ड्स के प्राथमिक स्कूल व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। इन भवनों में पढ़ाई के अतिरिक्त सब कुछ दिखता है। यथा भण्डारे, पौनालिक स्थलों-पार्कों की भाँति बच्चों की उछलकूद, शिक्षकों-रसोइयों की गपशप, फेरी वालों से खरीदारी, मोबाइल पर गेम्स एवं लम्बी वार्ता आदि के नजारे दिखते हैं। अधिकांश शिक्षक ड्यूटी साइन करने यदा-कदा स्कूल आते हैं और बिना पढ़ाए चले जाते हैं। अनेक शिक्षक घर बैठे बिना शिक्षण किए वेतन लेकर राजनीति-व्यापार में सक्रिय हैं। अनेक शिक्षक अपनी जगह बेरोजगारों को कुछ पैसा देकर पढ़वा रहे हैं। मिड-डे-मील में रंगीन-चावल छात्रों को एवं मानकीय भोजन दूध-फल शिक्षकों, रसोइयों, ऑगनबाड़ी, प्रेरकों द्वारा खा जाने के बाद फर्जी छात्र उपस्थित दर्ज कर ली जाती है। मिड-डे-मील का बचा राशन बन्दर-बाँट कर घर ले जाया जाता है। जिससे सिद्ध होता है कि मिड-डे-मील व्यवस्था समाप्त होने पर छात्र-जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु प्रधान-शिक्षक एवं उनके परिजन भूखे रह जाएँगे।

मोहम्मदाबाद का आश्रम पद्धति विद्यालय अनुसूचित एवं जनजाति के दरिद्र बच्चों के लिए है तथा कुछ सीटों पर दरिद्रों के बच्चों को भी प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को आवासीय सुविधा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। जिसका लाभ पात्र दरिद्रों के स्थान पर फर्जी दरिद्रों-अपात्रों का दिया जा रहा है। वास्तविक पात्र दरिद्र वंचित-निरक्षर हैं।

कस्तूरबा विद्यालय निरक्षर किशोरियों के लिए आवासीय शिक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 100 छात्राओं को पंजीकृत कर शिक्षा उपलब्ध है। छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा, मानकीय शिक्षा एवं पंजीकरण की संदिग्धता इस आधार पर अति प्रबल है क्योंकि लगभग सभी शिक्षक अपने निवास से ही रोज विद्यालय आते जाते हैं।

मूक बधिर केन्द्र के अधिकांश शिक्षक-कर्मचारी स्थानीय होने के कारण शिक्षण कार्य में रुचि न लेकर अन्य व्यवसायों एवं राजनीति में सक्रिय बने हैं तथा अपंग छात्रों की शिक्षा व व्यवस्था राममरोसे है।

अपंजीकृत ईश्वरीय विश्वविद्यालयों का संचालन अवैध है। नरक, भूत-प्रेतों का भय एवं अपराध जगत में सक्रिय व्यक्ति को ईश्वर बताकर उनसे युवतियों का शोषण-संसर्ग उपरांत विधवा जीवन व्यतीत करने हेतु बाढ़ करना, आत्मा-जीवन उद्धार का लालच देकर किशोर-किशोरियों एवं प्रौढ़ों को फंसाकर लाया जाता है। जहाँ किशोर-किशोरियों को चिड़ियाघर की भाँति रखा है। पूजा-पाठ के कर्मकाण्डों से जन-समर्थन प्राप्त किया जाता है एवं फंसे लोगों को रात्रि के अन्धेरे में इधर-उधर करके न जाने कहाँ ले जाया जाता है। इनकी गतिविधियाँ व्यक्ति-समाज के लिए अत्यन्त घातक हैं। धार्मिक स्थलों एवं अल्पसंख्यकों के नाम पर संचालित विद्यालयों में धर्म एवं शिक्षा का दुरुपयोग होकर छात्र-छात्राओं को अन्धविश्वासों का अन्धानुकरण करने हेतु बाढ़ किया जाता है। दान-अनुदान एवं छात्रवृत्तियों को हड़प कर मठाधीश व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं। फर्जीबाड़े पर आधारित अधिकांश मदरसों की शिक्षा अति संदिग्ध व समाज विरोधी है।

पब्लिक स्कूलों के अधिकांश ऐसे छात्र हैं जो परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत हैं या रहे हैं और उनके माता-पिता सरकारी योजनाओं का लाभ यथा समाजवादी, विधवा, बिकलांग पेंशन सहित दरिद्र कल्याण हेतु बनी योजनाओं का लाभ लेकर सरकारी स्कूलों में अध्यक्ष बने हैं। निजी स्कूलों के छात्रों से संबंधित विचारणीय तथ्य यह है कि परिषदीय स्कूलों की शिक्षा पूर्ण करने के बावजूद जब छात्रों को निरक्षर होना पड़ता है तो उन्हें पुनः पब्लिक स्कूलों में पढ़ना पड़ रहा है और बड़ी उम्र में भी वह निम्न शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

जनपद का डायट केन्द्र रजलामई के प्राचार्य, शिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थी यदाकदा विद्यालय आते हैं। प्राचार्य के विद्यालय आने की सूचना मोबाइल पर सर्कुलेट होती है तभी स्टाफ-शिक्षक विद्यालय आते हैं।

शिक्षा बोर्ड, उच्चशिक्षा, टेक्नीकल एव चिकित्सीय, विधि कालेज तथा शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा-माफियाओं द्वारा प्रबन्धन के

नाम पर फर्जीबाड़ा किया जा रहा है और कागजी खानापूर्ति कर शिक्षा के उद्देश्यों को समाप्त कर स्वलाभ कमाया जा रहा है तथा मानक विहीन समितियाँ धन के प्रभाव में विद्यालय संचालन की मान्यता प्राप्त कर अवैध वसूली कर भावी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहीं हैं। विद्यालयों के प्रबन्धतन्त्रों एवं शिक्षण व्यवस्था के अवलोकन, सम्पर्क के आधार पर प्राप्त तथ्यों पर विचार करने से पता चलता है कि, फर्रुखाबाद जिले में संचालित एडिड एवं स्ववित्तपोषी शिक्षण संस्थानों के प्रबन्धक सम्बद्धता— मान्यता पत्रावलियों में फर्जी, अवैध, अमानक भ्रामक तथ्यों—प्रपत्रों एवं शपथ—पत्रों में फर्जीबाड़ा कर और स्वयं मनमाने ढंग से प्रमाणित कर शामिल कर फर्जीबाड़ा कर रहे हैं तथा शिक्षाविभाग—विश्वविद्यालय के लोगो से सांठ—गांठ एवं धन—लालच के प्रभाव से मनचाही बैठकें जाँच, साक्षात्कार, नियुक्ति, जाँच के फर्जी प्रपत्र बनाकर बोर्ड—विश्वविद्यालय की पत्रावलियों में शामिल करा रहे हैं। जिसके माध्यम से शिक्षा के विकास की योजनाओं की निधियों के धन को हड़प कर कालेज भूमि, भवन, चरागाहों पर जबरदस्त कब्जा कर प्रबन्धतन्त्रों के लोगों एवं उनके परिवारी जनों द्वारा शिक्षा—छात्र—बेरोजगार—समाज का हित बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है।

आजीविका जिले के अधिकांश नगर क्षेत्रों के लगभग 70% निवासियों की आजीविका का साधन कृषि है

साक्षरता फर्रुखाबाद जिले के नगरों के लगभग 90—95% कृषक—मजदूर निरक्षर हैं। नगरों में लगभग 80—90%, स्त्रियाँ एवं 70—80% पुरुष अशिक्षित और निरक्षर हैं। गरीब बस्तियों में यह स्थिति और भी जिम्न है, जहाँ की अशिक्षा और निरक्षरता 95—100% बनी हुई है। अध्ययनरत छात्र—छात्रा, किशोर— किशोरी, डिग्री—डिप्लोमा धारकों व प्रशिक्षु की शैक्षिक स्थिति में बड़ी अज्ञानता एवं निरक्षरता की झलक दिखाई देती है। निम्न से उच्च शिक्षित बच्चों, किशोरों, युवाओं को सूर्योदय एवं सूर्यास्त की दिशाओं व अक्षरों का ज्ञान तक नहीं है। अधिकांश नहीं जानते हैं कि वे किस जनपद—प्रदेश के निवासी हैं। लिखना—पढ़ना उनके वश की बात नहीं। निरक्षरता और अज्ञानता उनके पतन की नियत बन चुकी है।

नगर—प्रशासन कार्यकारणी में पदों के आरक्षण हेतु चक्रीय निर्वाचन प्रक्रिया की जबरदस्त उपेक्षा से एक ही व्यक्ति—परिवार (पति—पत्नी) बारम्बार पदासीन हो रहे हैं। नारियों की पदासीनता पर उनके पतियों के मनमानी, धन उगाई, अवैध कब्जे व फर्जीबाड़े चरम पर हैं तथा नगर निकाय की खुली बैठकें—प्रस्ताव कभी नहीं होते हैं।


तालिका—1: फर्रुखाबाद जिले की जनसंख्या का नगर बार विवरण के मुख्य तथ्य 2011

क्रम	नगर	क्षेत्रफल वर्ग किमी	कुलजन संख्या	कुल पुरुष	लिंग अनु.	कुल महिला	0.6 वर्ष बच्चे	साक्षर व्यक्ति	साक्षर पुरुष	साक्षर महिला	साक्षर प्रतिश	महिलासाक्षर.	पुरुष साप्रति
1	फर्रुखाबा	1.0 ² किमी	291374	154776	899	136598	36107	189271	106270	83001	74.00	78.51	69.22
2	कमालगंज	2.59 ² किमी	15477	8248	876	7229	2208	10140	5795	4345	76.42	81.93	70.13
3	शमशाबाद	4.0 ² किमी	28454	14950	903	13504	4549	14333	8322	6011	59.96	67.68	52.96
4	कायमगंज	1.0 ² किमी	34384	18135	896	16249	4383	23376	13041	10335	77.92	82.57	72.74
5	मोहम्मदाब	10.0 ² किमी	24687	13243	864	11444	3600	16545	9709	6836	78.46	85.63	70.12
6	कम्पिल	1.0 ² किमी	10281	5477	877	4804	1783	5465	3263	2202	64.31	72.33	55.23
7	कैंट	4.29 ² किमी	14793										

तलिका—2: फर्रुखाबाद जनपद के नगरक्षेत्रों में वार्ड, धर्मानुसार जनसंख्या, आजीविका विवरण 2015—17

क्र	नगरक्षेत्र	वार्ड	ग्रामसभा/वार्ड—मुहल्ला का नाम	धर्म के अनुसार जनसंख्या	जीविका
1	फर्रुखाबाद (न.पा.प.)	37	अबुहमीदखाननगर,अंबेडकरनगर,अशफाकउल्लाखाननगर,अशोकनगर,आजादनगर,बलरामनगर,भगतसिंहनगर,ब्रह्मनगर,बुद्धनगर,चन्द्रगुप्तनगर,चित्रगुप्तनगर,दुर्गानगर,गंगानगर,गोबिंदनगर,गुरुतेगबहादुरनगर,कबीरनगर,कृष्णानगर,लक्ष्मननगर,लक्ष्मीनगर,लोहियानगर,महादेवीवर्मानगर,महादेवनगर,महाराणप्रतापनगर,नानकनगर,परशुरामनगर,पटेलनगर,रामनगर,विवेकानंदनगर,रविदासनगर,शिवजीनगर,श्यामनगर,सुदामानगर,तुलसीनगर,विसमिलनगर	हिंदू—74.23%,मुस्लिम—24.67%, ईसाई—0.59%,सिख—0.15%,बौद्ध—0.05%,जैन—0.09%, अन्य—0.21%	व्यापार, मजदूरी, नौकरी, ठेकेदारी
2	छावनीबोर्ड	7	शीशमबाग—1,2, कर्नलगंज—1,2,3, कर्नलगंज—1,2, कासिमबाग	अध्यक्ष:बिग्रेडयर,सचिव:ईओ,सभासद: आबंती,रतन,मोहन,बाबी,रजिया,विजय भान,वीरपाल,सामान्य	मजदूरी नौकरी
3	कायमगंज (न.प.)	24	अबुलकलामआजादनगर,अंबेडकरनगर,अशोकनगर,आजादनगर,बाल्मीकिनगर,गांधीनगर,गंगानगर,इंदिरानगर,जगजीवनपुरम,लक्ष्मीनगर,लोहियानगर,महावीरनगर,नेहरुनगर,पंतनगर,पटेलनगर,राजीवनगर,रविदासपुरम,संजयपुरम,सरोजनीनगर,शास्त्रीनगर,शिवा	हिंदू77.25%,मुस्लिम22.24%, ईसा.0.02%, सिख—000%,बौद्ध 0.1%, जैन 0.19%, अन्य 0.13%	व्यापार, मजदूरी, नौकरी, ठेकेदारी

			जीनगर, सुभाषनगर, विवेकानन्दनगर, जाकिरनगर		
4	कमालगंज (न.प.)	12	अंबेडकरनगर, अशोकनगर, आजादनगर, गांधीनगर, इंदिरानगर, जवाहरनगर, किदवईनगर, लोहियानगर, प्रतापनगर, शास्त्रीनगर-1, शास्त्रीनगर-2, सुभाषनगर	हिंदू 77.25%, मुस्लिम 22.24%, ईसाई 0.02% सिख 0%, बौद्ध 0.01%, जैन 0.19%, अन्य 0.13%	कृषि श्रमिक
5	कम्पिल (न.प.)	10	अब्दुलकलामआजादनगर, अंबेडकरनगर, भगतसिंहआजादनगर, द्रोपदीनगर, गांधीनगर, इंदिरानगर, किदवईनगर, लक्ष्मीबाईनगर, नेहरुनगर, शास्त्रीनगर	हिंदू 77.25%, जैन 0.19%, मुस्लिम 22.24%, ईसाई 0.02% सिख 0.0%, बौद्ध 0.01%, अन्य 0.13%	कृषि श्रमिक
6	मोहम्दाबाद (न.प.)	12	अंबेडकरनगर, आंबेतीबाईनगर, आजादनगर, गांधीनगर, इंदिरानगर, कबीरनगर, किदवईनगर, कृष्णनगर, राजीवनगर, रविदासनगर, शास्त्रीनगर, शिवाजीनगर	हिंदू 77.25%, मुस्लिम 22.24%, ईसाई 0.02%, सिख 0.0%, बौद्ध 0.01%, जैन 0.19%, अन्य 0.13%	कृषि श्रमिक
7	शमशाबाद (न.प.)	15	अंबेडकरनगर, अशोकनगर, आजादनगर, फकरुद्दीननगर, गांधीनगर, राजीवगांधीनगर, नेहरुनगर, इंदिरानगर, किदवईनगर, संजयनगर, शास्त्रीनगर, सुभाषनगर, टीपूनगर, तुलसीनगर, जाकिरहुसैननगर	हिंदू 39.11%, मुस्लिम 60.72%, ईसाई 0.05%, सिख 0.00%, बौद्ध 0.0%, जैन 0.00%, अन्य 0.11%	कृषि श्रमिक व्यापारी



फर्रुखाबाद जनपद के नगरों एवं कस्बों का मानचित्र

निष्कर्ष कस्बे से मीलों दूर ग्रामों की संग्रहित आबादी से बने 'नगर' एवं नगर आबादी से बने 'ग्राम' अमानक हैं। इन नगरों के प्रशासन एवं प्रबन्धन में मानक उपेक्षा से नगर-बस्तियाँ विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं से परे हैं। यहाँ नशा, गन्दगी, बेरोजगारी, दरिद्रता, प्रदूषण, वैश्यावृत्ति, मिलावट आदि समस्याएं हैं। निकाय चुनावों में चक्रीय आरक्षण उपेक्षा नगरों का विकास उपेक्षित कर देश-समाज को प्रभावित कर रही है।

सुझाव नगरों का निर्माण एवं प्रबन्धन मानकानुरूप होना चाहिए। चक्रीय आरक्षण आधार पर निकाय निर्वाचन होने चाहिए। प्रबन्धन-निगरानी जबाबदेह होनी चाहिए। प्रस्ताव अध्यक्ष आवासों की जगह निकाय भवन की खुली बैठकों में तय होने चाहिए। मीलों दूर ग्रामों की आबादी से संग्रहित नगरों एवं नगर आबादी से बने ग्रामों को समाप्त किया जाना चाहिए। निकाय निर्वाचन में पुनःपदासीनता पर अंकुश लगाना चाहिए। नगर-बस्तियाँ में विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपेक्षा पर अंकुश लगाना चाहिए। नशा, गन्दगी, बेरोजगारी, दरिद्रता, प्रदूषण, वैश्यावृत्ति, मिलावट समस्याओं का उन्मूलन होना चाहिए। दरिद्र, श्रमिक व छात्र हित उपेक्षा पर अंकुश लगाकर, मानक अनुरूप शैक्षिक एवं आर्थिक जगत में गरिमामयी योगदान दिया जाना चाहिए।

झुग्गी-झोपड़ियों वाले गाँवों की बस्तियों के लोगों की गरीबी और दुर्दशा

देश एवं प्रदेशों के कुलीन वर्ग को झुग्गी-झोपड़ियों वाले गाँवों की बस्तियों में रह रहे लोगों की गरीबी और दुर्दशा का अहसास तब होता है जब 'मन्त्र' कहानी के मुख्य पात्र जैसा कोई व्यक्ति प्रतिशोध के स्थान पर मानवता पूर्ण व्यवहार से उन्हें झटका देता है। इससे ऐसा लगता है कि वे अपने आसपास के यथार्थ को लेकर उदासीन और असंवेदनशील हैं। गाँव देहात की झुग्गी-झोपड़ी के बारे में अनेक अध्ययन कर्त्ताओं ने अपने अनुभवों पर अनेक पुस्तकें लिखीं तथा मैने भी गाँव की झुग्गी-झोपड़ियों की बस्तियों में जाकर लोगों के बारे में अपने अनुभव में पाया।

'झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में जाकर अध्ययन के दौरान मैं अनेक ऐसे लोगों से मिली, जो चाहते थे कि उन्हें बेहतर दशाओं में जीने का मौका मिले। भिखारीनुमा पहनावा और हाव-भाव के माध्यम से वे अपनी क्लॉति का प्रदर्शन करते थे। कुछ गिड़गिड़ाते थे, कुछ धिक्कारते थे एवं कुछ को जैसे गुस्से का दौरा पड़ जाता था। लेकिन न तो उनके गिड़गिड़ाने, न ही गुस्से और मुरझाए हुए रुग्ण चेहरों ने मुझे उद्बलित किया। मेरी परेशानी का कारण तो वे लोग थे जो उनके पास से गुजरते हुए नजरें फेर लेते थे।' असली समस्या उ.प्र.के कानपुर जिले के कुलीनों का उदासीन रवैया था जिसने झुग्गियों-झोपड़ियों को हटाकर उनके स्थान पर साफ-सुथरे आवास उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का हरण कर लिया है।

कोई भी गाँवों की मलिन बस्तियों की दशा देखकर बेहद व्यथित हो जायेगा और झल्लाहट में उसके मुख से गुस्सा व हाय निकलगी। जो कि ऐसी भी हो सकती है—“अगर कोई व्यक्ति खुले आकाश के नीचे खानाबदोश जैसी जिन्दगी बसर करे तो बुरा नहीं होगा। न ही इस बात का दुःख होगा कि कोई व्यक्ति मिट्टी की झोपड़ी में रह रहा है, लेकिन गाँव की मलिन बस्तियों से भय अवश्य खायेगा। उसको इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि ये बस्तियाँ आर्थिक तंगी से बनी या फिर अन्य कारणों से।”

अध्ययनों से ज्ञात होता है कि पहली पंचवर्षीय योजना-1951-56 में रेखांकित किया गया कि ये बस्तियाँ देश पर धब्बा हैं। राष्ट्र की दृष्टि से मानव जीवन और सम्पदा पर पड़ने वाले विध्वंसक प्रभाव को झेलने एवं बस्तियों की बढ़ती कीमत को चुकाने के बजाय इन्हें हटाने का खर्च उठा लेना बेहतर है।

पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों के छः दशक बाद भी स्थितियाँ सुधरने की बजाय बिगड़ी ही हैं। अब करीब 35% जनता झुग्गी-झोपड़ियों में रहती है, जहाँ की विशेषता गन्दगी, धूल, रोग एवं खतरे हैं। इन बस्तियों में बड़ी संख्या में अबांछित तत्त्व घुसपैठ कर चुके हैं। इनमें नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले, तस्कर, गुण्डे व माफिया शामिल हैं। इन बस्तियों में रहने वाले शरीफ लोग भी बदनाम हो जाते हैं।

गाँव से बड़ी संख्या में लोग स्थानीय परेशानियों के कारण नगरों की ओर रुख करते हैं। कानपुर-नगर में पंजीकृत और गैरपंजीकृत झुग्गी-झोपड़ी (बस्तियों) में लाखों लोग रह रहे हैं। गाँव व नगर की झुग्गी-झोपड़ी व्यक्तियों के दिमांग पर अमिट छाप डालती है। ये व्यक्ति को प्रभावित करती हैं और व्यक्ति को हिलाकर रख देती हैं। ये व्यक्ति का दिल बाँध देती हैं। इनका वर्णन किया जाना सम्भव नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद के नगर एवं गाँवों की जगहों में ऐसी बस्तियाँ पायी जाती हैं, जो असाधारण घनत्व और बेपनाह गरीबी और प्रदूषण की मार झेल रही हैं।

नगरों को स्वच्छ एवं स्वस्थ शहर बनाने का सपना नगरवासियों की सहभागिता के बिना पूरा नहीं हो सकता। नागरिकों को संवेदनशील, ईमानदार व अनुशासित होना होगा। नगर के लिए अपनी आजादी एवं स्वच्छन्दता का अंश त्याग कर योगदान करना होगा।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत 'नगर विकास योजना' की रचना हुई है। इस योजना के विजन 'स्वच्छ एवं सुरक्षित कानपुर' व 'रीसर्जेंट कानपुर' इत्यादि हैं। हजारों करोड़ रुपये नगरों को मिलते रहते हैं या मिलने की उम्मीद है। यह नगरों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, कायाकल्प हो सकता है। सुशासन, ई-गवर्नेन्स, पारदर्शिता व कर्मठता चाहिए होगी। वर्तमान व्यवस्था व कार्यशाली इस मिशन के लिये अनुपयुक्त लगती है। नगर-निगम, जलसंस्थान, जलनिगम, उ. प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड आदि सरकारी निकाय अक्षम लगते हैं। इनकी स्थिति देखकर एक सहज प्रश्न मस्तिष्क में उठता है,

'जो अपना भवन साफ-सुथरा नहीं रखते, क्या वे नगर-महानगर को स्वच्छ एवं स्वस्थ बना सकते हैं?'

बस्ती गन्दगी और बीमारी

हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्रों में करोड़ों लोग गन्दी बस्तियों में निवास करते हैं। गाँवों की स्थिति भी गन्दी बस्तियों में अच्छी नहीं है। गंदी बस्तियों में अत्यन्त छोटे-छोटे कमरों में मनुष्यों को दूसा-सा जाता है। जाने के रास्ते तंग होते जा रहे हैं, हवा व रोशनी इनमें नहीं पहुँचती है। शौच तथा पेशाब के असन्तोषजनक प्रबन्ध के कारण तथा कूड़े-करकट के यहाँ-वहाँ इकट्ठे रहने से सारा वातावरण धूल, धुएँ, बदबू तथा कीटाणु युक्त रहता है। ऐसे ही वातावरण में खाना बनता है तथा बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ नमी व कीचड़ ही कीचड़ रहती है। यहाँ मनुष्यता बर्बर हो जाती है, स्त्रियों का निरादर होता है तथा बच्चों पर घातक संस्कार प्रारम्भ से पड़ने शुरू हो जाते हैं। गन्दी बस्तियों में रहने से लोगों का शारीरिक नैतिक एवं सामाजिक पतन होता है तथा कार्यक्षमता का ह्रास होता है और फिर बीमारियाँ पीढ़ियों तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। इन सब कारणों से इन गंदी बस्तियों के निवासियों की मृत्यु दर अधिक रहना स्वाभाविक ही है।

गन्दी बस्तियाँ नगर एवं गाँव में वे क्षेत्र हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास दशा होती है। एक गंदी बस्ती सदैव एक क्षेत्र है। गंदी बस्ती प्रमुख रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के निवास स्थान नष्ट हो गए हैं एवं अत्यधिक भीड़-भाड़ युक्त है, इनकी डिजाइन त्रुटिपूर्ण होती है तथा रोशनदान, प्रकाश व सफाई का अभाव है। इन कारकों के प्रभाव सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानिप्रद है। गन्दी बस्तियाँ बेहंगम तरीके से बसी हुई, अव्यवस्थिति रूप से विकसित सामान्यतः उपेक्षित निवास क्षेत्र हैं जो लोगों द्वारा घना बसा हुआ होता है तथा इनमें बिना मरम्मत उपेक्षित मकानों की भीड़-भाड़ होती है, सफाई व्यवस्था के प्रति उदासीनता रहती है, आवश्यक साधन अपर्याप्त है, शिक्षा त्रुटिपूर्ण होती है, रोजगार का अभाव है। भौतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए आवश्यक सुविधाओं की अपर्याप्ता रहती है। मानक एवं समुदाय की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की पूर्ति कम से कम होती है। व्यक्ति एवं परिवार की प्रमुख सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए सामाजिक सेवाओं एवं कल्याण संस्थानों की सामान्यतः अनुपस्थिति रहती है। इनमें निम्न स्तर का स्वास्थ्य, अपर्याप्त आय, निम्न जीवन स्तर रहता है। भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के परिणामस्वरूप यहाँ के निवासी प्राणी शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परिणामों के शिकार होते रहते हैं। गन्दी बस्तियों की विशेषता भीड़-भाड़ युक्त, पतनोन्मुख, अस्वस्थ की दशा तथा सुविधाओं का अभाव है। इन दशाओं या इनमें किसी एक के कारण इनके निवासियों या समुदाय के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं नैतिकता को खतरा पैदा होता है। गंदी बस्तियाँ अस्त-व्यस्त बसी हुई हैं, अव्यवस्थिति रूप से विकसित एवं सामान्यतः यह क्षेत्र जनाधिक्य व भीड़-भाड़ युक्त हैं, टूटे-फूटे घर व उनकी मरम्मत की पूर्ति में उपेक्षा बरती जाती है।

जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के अनुपात में मकान का निर्माण न हो पाने के कारण अनेक गन्दी बस्तियाँ बन गई हैं। देश के प्रत्येक प्रमुख नगरों में आधे से दो तिहाही भाग तक जनसंख्या गन्दी बस्तियों या उसी के समान दशाओं वाले मकानों में रहती है। नगरों की केंसर के समान यह वृद्धि व्याधि युक्त 'नरक' हैं। नगर की बस्तियों के मकानों में हवा, पानी, शौचालय, स्नानागार और रोशनी की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव रहता है। इनमें स्नानघर अंधेरे और शीलनयुक्त हैं। साथ ही इनमें मच्छर, खटमल, जुओं, छिपकली, चूहों और बीमारी के कीटाणुओं की बहुलता पायी जाती है। नगर निवास की यह अर्द्ध मानवीय दशा है। यह मानव जाति की शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कमजोर पीढ़ी को जन्म देती है।

नगरों में गंदी बस्तियों की भीषण समस्या है। नगरीय जनसंख्या का तिहाई भाग गंदी बस्तियों में निवास करता है। नगरों के अधिकांश श्रमिक गन्दी बस्तियों में रहते हैं। जनगणना-2001 के अनुसार कुल जनसंख्या का 27.78% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। सरकारी आंकड़ों में गन्दी बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या लगभग 6 करोड़ 13 लाख से बढ़कर लगभग 8 करोड़ हो गई है जबकि वास्तव में यह जनसंख्या लगभग 12 करोड़ हो गई है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ गन्दी बस्तियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। नगरों में भूमि की कीमत, इमारती सामान एवं श्रम की कीमत में वृद्धि हुई। अतः नये मकानों का निर्माण काफी कठिन हो गया है और कई मंजिले मकान बनाने पड़े हैं जिनमें हवा, रोशनी, जल व विद्युत का पूरा प्रबन्ध नहीं हो पाया है। उनमें स्वास्थ्य एवं सफाई की सुविधाओं का पूर्ण अभाव है।

गन्दी बस्तियों के सम्बन्ध में निरीक्षण तथ्य बताते हैं कि गन्दी बस्तियाँ देश एवं समाज की प्रगति के लिए घातक हैं। श्रमिक बस्तियों के निरीक्षण करते हुये पूर्व प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने इन्हें 'नरक-कुण्ड' की संज्ञा दी थी और उत्तेजित होकर कहा था कि, "ये गन्दी बस्तियाँ मानवीय पतन की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूली पर लटका देना चाहिए।" डॉ. मसानी ने अपने अध्ययन में बताया था कि "विश्व की रचना ईश्वर ने की है, नगरों की मानव ने और श्रम बस्तियों की शैतानों ने।" हमारे देश के विभिन्न भागों में गंदी बस्तियाँ कानपुर में 'अहाता', कोलकाता में 'बस्ती', मुम्बई में 'चाल', दिल्ली में 'कटरा', चेन्नई में 'चेरी', खान-क्षेत्र में 'धोवरा', बागवान-क्षेत्र में 'बैरेक्स' आदि नामों से जानी जाती हैं। गन्दी बस्तियाँ घनी बसी हुई हैं। यहाँ के कमरे बहुत छोटे और सुख-सुविधा विहीन होते हैं। अनेक कमरे तो स्नानागार जितने छोटे होते हैं और एक कमरे में 10 से 15 व्यक्ति तक रहते हैं। इन कमरे की तुलना में तो घोड़े, गाय, भैंस, व जानवरों के लिये भी अधिक स्थान होता है। गन्दी बस्तियों से गन्दा पानी निकालने के लिये नालियों की व्यवस्था का अभाव रहता है। रोशनी के लिये बिजली तथा पानी के लिए नल की सुविधा नहीं है। कई लोग तो गोदामों की तरह भूमि के नीचे बने मकानों में रहते हैं। इस प्रकार मकान विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस द्वारा भूमि में बनाये गये गढ़ों की याद दिलाते हैं।

गन्दी बस्तियों की बनावट जीर्ण-शीर्ण है। इनमें रहने वाले कम आय के लोग हैं। इन बस्तियों में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं।

ऐसे लोग जिन्हें अन्यत्र कहीं स्थान नहीं मिला या दूसरी जगह रहने में असमर्थ रहते, यहाँ आकर रहने लगते हैं। यह वृद्धों, बीमारों, निवासित लोगों तथा समाज में कुपोषित लोगों का शरण स्थल है, किन्तु इन बस्तियों में समुदायिक भावना विद्यमान व्यक्ति ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं होते हैं। गंदी बस्ती में संगठन प्रजाति एवं संस्कृति पर आधारित होता है तो इनमें कुछ सीमा तक सामाजिक संगठन पाया जाता है। स्वास्थ्य और सफाई की सार्वजनिक सेवाओं का अभाव रहता है। अनेक कारणों से यहाँ बीमारी एवं मृत्युदर अधिक होती है। गंदी बस्तियाँ बाल अपराध एवं बुराई का क्षेत्र भी हैं। यह दक्ष अपराधियों के स्थान पर अधकचरे अपराधियों का स्थान होता है। कुछ बस्तियों के प्रवासियों द्वारा बनाई हुई बस्तियों में कुछ संगठन पाये जाते हैं। इन बस्तियों के निवासियों की प्रतिष्ठा निम्न स्तर की होती है। यहाँ के अधिकांश निवासी श्रम बाजार में श्रम एवं श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। वे अन्य नागरिकों के साथ भी कार्य करते हैं और अपने आपको एक समूह के रूप में पहचानते हैं।

जनसंख्या एवं बेरोजगारी की वृद्धि ने गंदी बस्तियों को जन्म दिया है। उद्योगों में मजदूरी करने वालों को जब किराये का अच्छा मकान नहीं मिलता तो वे गंदे मकान में रहने लगते हैं अथवा खाली भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर झोपड़ी या मकान बना लेते हैं। नगर की परिधि एवं उद्योगों के आस-पास श्रमिकों द्वारा ऐसी बस्तियों का निर्माण किया जाता है। गाँव में उद्योग एवं कृषि का पतन के कारण जनसंख्या वृद्धि की प्रगति के अनुरूप मकानों का निर्माण का अभाव, प्रकृति प्रकोप, नगरीय आकर्षण, व्यापारिक उन्नति के कारण लोग ऐसी बस्तियाँ बनाकर रहने लगते हैं। आवास के अभाव और भीड़-भाड़ युक्त मकानों में या एक भवन में कई परिवार मिलकर रहते हैं।

श्रम के रायल कमीशन के अनुसार, कानपुर के अहातों में “प्रायः प्रत्येक मकान एक-एक कमरे का है, जिसकी लम्बाई 10 फुट व चौड़ाई 8 फुट है। किसी भी कमरे के आगे बरामदा नहीं है और प्रत्येक कमरे में 3-4 परिवार रहते हैं। फर्श कच्चा एवं नम रहता है। कहीं भी स्वच्छ वायु, प्रकाश, आदि का प्रबन्ध नहीं।”

समाज में निम्न वर्ग की अधिकता है। एक लम्बे साथ से ये लोग आवास की दयनीय दशा में रहने से जीवन के प्रति रूढ़िवादी हो जाते हैं और गंदी बस्तियों में रहना पसन्द करते हैं। श्रमिकों की अधिकता नगरों में होती है जिसके कारण वे अपने कारखानों एवं काम के स्थान के पास रहने लगते हैं। जातीय भेदभाव के कारण नगरों में जातिगत मुहल्ले बन जाते हैं एक जाति के लोग एक स्थान पर ही रहते हैं। निम्न बस्तियाँ अपेक्षाकृत दहनीय स्थिति में हैं। उच्च जातियों से संपर्क के अभाव के कारण निम्न जाति में व्यक्ति निवास की उत्कृष्ट दशा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इन बस्तियों के लोगों में इतना धन नहीं होता कि वे किराये के स्वास्थ्यप्रद एवं अच्छे मकानों को किराये पर लेकर रह सकें। परिणाम स्वरूप वे सस्ते किराये के मकान में रहते हैं, जो गंदी बस्तियों में ही उपलब्ध होते हैं। श्रमिकों एवं जरूरतमन्द लोगों की मजबूरी का लाभ उठा कर मकान मालिक इन्हें अल्प सुविधाओं एवं दयनीय दशाओं वाले मकानों में रहने को मजबूर कर देते हैं। किराया लेने के बावजूद भी मकान में नल, विद्युत, हवा, रोशनी एवं स्वस्थ वातावरण का अभाव पाया जाता है। वे हृदयहीन होकर किरायेदारों का शोषण करते हैं।

देश में आवास एवं गंदी बस्तियाँ गम्भीर समस्या है और यह आधुनिक समाज के लिए चुनौती है। आवास की दुर्दशा अनेक आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं पारिवारिक दोषों को जन्म देकर राष्ट्रीय प्रगति अवरुद्ध करती है। आवास सुविधाओं के अभाव और गंदी बस्तियों के परिणाम स्वास्थ्य का ह्रास, नैतिक पतन, अपराध, परिवार-विघटन, वैयक्तिक-विघटन, सामुदायिक-विघटन, निम्न जीवन-स्तर श्रमिकों की कुशलता पर बुरा प्रभाव डालते हैं। गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की कार्य क्षमता घटती है जिसका प्रभाव उनकी आय पर पड़ता है और कम आय होने पर लोग अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को भी जुटाने में असमर्थ होते हैं। चाल, बेसमेण्ट की कतारें, आहाता, आन्तरिक बस्तियाँ, गन्दे धावरे, छप्पर-सभी तपेदिक और श्वास रोग के घर बन गए हैं। गंदी बस्तियों में मृत्युदर अन्य स्थानों की बजाय अधिक होती है। इन असंख्य गंदी बस्तियों में मनुष्यता का निःसंदेह ही निर्दयता के साथ गला घोंटा जाता है, नारीत्व का अपमान होता है और शिशुता को प्रारम्भ से ही विषपान कराया जाता है। यहाँ के निवासी मानसिक चिन्ता, बेचैनी, ऊब एवं निराशा के शिकार हो जाते हैं।

शहर की गंदी बस्तियों में पारिवारिक जीवन का एक बड़ा भाग आवासीय इकाई के बाहर बिताया जाता है। घरों की नीरसता बच्चों को सड़क पर जाने के लिए बाध्य करती है और इससे माता-पिता के सामने बच्चों को नियंत्रण रखने की समस्या खड़ी होती है। घर में कम जगह में सोने के ठीक प्रबन्ध नहीं हो पाते और इससे एकान्तता पर प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक तनावों का उनके व्यक्तित्व और व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है। स्वाभिमान में कमी आती है और कटु स्वभाव को प्रोत्साहन मिलता है। निर्धनता घटिया मकानों में रहने के लिए बाध्य करती है और संतोषजनक जीवन की पूर्वापेक्षाओं के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। छोटे मकान पारिवारिक एकता को कमजोर करने में भी सहायक होते हैं।

आवास एवं गंदी बस्तियों की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आवास-वित्त के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक-1988, वर्ष-1999 में हुडको, नेहरू रोजगार योजना, भवन निर्माण के लिए राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन 1954 की स्थापना तथा विभिन्न राज्यों द्वारा वर्ष-1954 में समेकित सहायता प्राप्त आवास योजना, कम आय वर्ग आवास योजना, बागान श्रमिक आवास योजना-1956, ग्रामीण आवास योजना-1957, वर्ष-1959 में मध्यम आय वर्ग योजना, किराया आवास योजना, गंदी बस्तियों के पर्यावरण का सुधार कार्यक्रम-1972, वर्ष-1976 में शहरी भूमि का समाजीकरण सीमा तथा नियम, भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना, वर्ष-1985 में इन्दिरा आवास योजना, आवास योजना तथा आश्रय-स्थल सुधार कार्यक्रम, वर्ष-1989 में नगर विकास, फुटपाथ पर रहने वालों के लिये कार्य योजना, वर्ष-1996 में झुग्गी बस्तियों के विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम, नगरों में पटरियों पर रहने वालों के लिये कार्य-योजना निर्मित की गई। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं जीवन बीमा निगम द्वारा अपने कर्मचारी एवं बीमादातों को भवन निर्माण हेतु कम ब्याज पर आवास एवं नगर विकास निगम तथा अनुसूचित बैंक आवास के लिए वित्त प्रदान करते हैं।

मैंने गंदी बस्तियों के भ्रमण एवं अवलोकन में जो कुछ देखा और सुना उससे आश्चर्य चकित एवं भयभीत हो उठी हूँ। मानव प्राणी

अन्य मानव प्राणियों की ऐसी अवस्था में रहने में गंदी बस्तियों के विकसित होने के कारण स्वयं सरकार द्वारा श्रमिकों एवं इन बस्तियों में सफाई सुविधा आदि के प्रति उपेक्षा बर्ताव है। सरकार यदि मकान स्वामियों को निवास के निर्माण एवं सफाई के समुचित निर्देश दे और स्वयं भी उसके लिये स्वच्छ कालोनियाँ बनाये तो गंदी बस्तियाँ विकसित नहीं हो सकेंगी। औद्योगिक नगरों में सरकार स्वयं आवास की व्यवस्था करे। सरकारी आवासों का आबंटन भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में आवास बोर्ड गठित किए जाएं। भूमिहीन मजदूरों को घर के स्वामित्व का अधिकार दिया जाए। ग्रामीण मजदूरों एवं अन्य व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाएं चलती रहनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी दी जाने वाली सुविधाएं श्रमिकों के लिए भी लागू की जाएं। मकान-निर्माण के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि की जाए, किस्तों में रियायत की जाए, व्याज की दर घटाई जाए और इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाए।

मानव शरीर और रोग तथा उपचार

(सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण की शुद्धता जीवन की आवश्यकता)

मानव शरीर में छोटी-बड़ी कुल 206 अस्थियाँ (हड्डियाँ) हैं। अस्थियों से बने ढाँचे को कंकाल तन्त्र कहते हैं। ये आपस में संधियों से जुड़ी रहती हैं। कंकाल तन्त्र ढाँचे की तरह कार्य करता है, जिसमें मांसपेशियाँ चिपकी रहती हैं, इनका कार्य शरीर के कोमल ऊतकों और अंगों को आश्रय और सुरक्षा प्रदान करना है। खोपड़ी का निर्माण कपाल और मुख की अस्थियों से मिलकर होता है।

मांसपेशियाँ त्वचा के नीचे का मांस होता है। सम्पूर्ण शरीर में 639 मांसपेशियाँ हैं। इनके संकुचन से विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं। कार्य के आधार पर इनको ऐच्छिक एवं अनेच्छिक भागों में बांटा जाता है। ऐच्छिक मांसपेशियाँ रेखित ऊतक से तथा मनुष्य की इच्छानुसार संकुचित हो जाती हैं। सिर, जीभ, गला आदि इस वर्ग के अन्तर्गत आती हैं। अनेच्छिक मांसपेशियाँ अरेखित (चिकनी) मांसपेशियाँ ऊतक से बनी होती हैं। इन मांसपेशियों का संकुचन मनुष्य अपनी इच्छा से नियन्त्रित नहीं कर सकता। ये आन्तरिक अंगों, रुधिर, वाहिकाओं तथा त्वचा की दीवारों में पाई जाती हैं।

भोजन के पचने की क्रिया पाचन तन्त्र में होती है। भोजन अर्थात् प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन। इनका पाचन उपस्थिति एंजाइम तथा पाचक अम्लों की सहायता से होता है। पाचन तंत्र एक नली है, जो मुख से गुदा द्वार तक फैली रहती है। पाचन क्रिया में कुछ यौगिक क्रियाएँ होती हैं, जिनमें भोजन को चबाने, निगलने तथा पीसने की क्रियाएँ होती हैं तथा रासायनिक प्रक्रियाओं में जटिल कार्बनिक पदार्थ (प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट) को सरल अणुओं से तोड़ा जाता है, यह प्रक्रिया एन्जाइम की उपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होता है। पाचन तन्त्र में मुख, ग्रासनली, आमाशय, पक्वाशय, यकृत, ग्रहणी, छोटी आँत, बड़ी आँत होती है।

श्वसन तन्त्र का कार्य वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कार्बन डाई ऑक्साइड को बाहर निकालना है। श्वसन तंत्र में नासा कोटर, कण्ठ, श्वासनली, श्वसनी तथा फेफड़े आते हैं। रक्त श्वसनतन्त्र में सहायता करता है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। इससे शरीर के भार में कमी होती है। श्वसनतन्त्र के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन की सम्पूर्ति प्राप्त करता है, साथ ही ऑक्सीकरण उत्पादों से मुक्त हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को 4 भागों— बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन में विभक्त किया जा सकता है। शिराये अशुद्ध रुधिर विभिन्न अंगों से हृदय में लाती है तथा घमनियां शुद्ध रुधिर को विभिन्न अंगों को पहुँचाती हैं। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्तवाहिनी नलिकाएँ, धमनी, शिराएँ, केशिकाएँ आदि सम्मिलित हैं। हृदय की धड़कन से रुधिर का परिसंचरण होता है। एक मिनट में शिशु में 140 बार, बाल में 120 बार, किशोर में 90 बार, वयस्क में 72 बार हृदय धड़कन होती है।

उत्सर्जन तंत्र में फुफुस, मलाशय, यकृत, त्वचा तथा वृक्क शामिल हैं। शरीर के अंदर चलने वाली क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना इसका कार्य है। भोजन के उपापचय के कारण कार्बन डाई ऑक्साइड, जल तथा कुछ अपाच्य भोजन निकलता है। फुफुस द्वारा हानि कारक गैस शरीर से बाहर निकलती है। त्वचा के द्वारा पसीने की ग्रंथियों से पानी तथा लवणों का विर्जन होता है। वृक्क (किडनी) के माध्यम से मूत्र और मलाशय के माध्यम से टोस पदार्थों का उत्सर्जन होता है। शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रन्थियाँ अग्नाशय, अधिवृक्क, थायराइड ग्रन्थि, पैराथायराइड ग्रन्थि, जनन ग्रन्थि, पीयूष ग्रन्थि, थाइमस ग्रन्थि हैं। जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में कई हानि कारक पदार्थ बनते हैं। लिम्फोसाइट ग्रन्थियाँ विषैले तथा हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देती हैं। लसीका तन्त्र छोटी पतली वाहिकाओं का जाल होता है।

शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ जो शिराओं के द्वारा पुनः हृदय से सम्पूर्ण शरीर में परि संचरित होता है, रक्त कहलाता है। रक्त प्लाज्मा एवं उसमें तैरने वाली रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त में निर्जीव प्लाज्मा 65% एवं सजीव रक्त कोशिकाएँ 35% होती हैं। रक्त के अवयव प्लाज्मा, श्वेत रक्त कण, प्लेट्स, हैं। रक्त का कार्य ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से कार्बन डाई ऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुँचाना होता है। रक्त शरीर में उत्पन्न अवशिष्ट व हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके मूत्र तथा पसीने के रूप में शरीर से बाहर पहुँचाने में सहायता करता है। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त **ए, बी, ए-बी, ओ** प्रकार के होते हैं। रक्त समूह **ए-बी** सर्व प्राप्तकर्ता वर्ग होता है, अर्थात् वह किसी भी व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। रक्त समूह **ओ** सर्वदाता वर्ग होता है।

प्रजनन वह प्रक्रिया है, जिसमें कोई जीवधारी अपने जैसा प्राणी उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया अलैंगिक तथा लैंगिक हो सकती है। लैंगिक प्रजनन में नर-मादा दोनों कोषों की आवश्यकता होती है। प्रजनन में पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के जननांग से स्रावित अंडाणु मिलकर नया भ्रूण बनाते हैं। पुरुष और स्त्री के प्रजननतंत्र भिन्न-भिन्न अंगों से मिलकर बने होते हैं। पुरुष जननांग में जहाँ वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, शिश्न आदि प्रमुख हैं। वहीं स्त्री जननांग में रति शैल, वृहत भगोष्ठ, भग शिश्निका, योनि, अंडाशय, डिंबवाहिनी नली, गर्भाशय आदि अंग होते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय का आकार उल्टी नाशपाती जैसा होता है, इसकी दीवारें मोटी मांसपेशी युक्त, लेकिन प्रसरणशील होती हैं। योनि स्त्री का वह अंग है, जो गर्भाशय से शिशु के बाहर आने के लिए मार्ग की भूमिका निभाता है।

मनुष्य में 32 स्थायी दन्त होते हैं जिनमें कृन्तक-4 भोजन को कुतरने, रदनक-2 भोजन का चीड़ने फाड़ने, अग्रचर्वणक-4 भोजन

को चबाने व दबाने तथा चर्वणक—6 भोजन को चबाने का कार्य करते हैं।

कर्ण सुनने एवं सन्तुलन बनाने में सहायक होते हैं। कर्ण को बाह्य (कर्ण पल्लव), मध्य (कर्ण पटह गुहा) एवं अन्तःकर्ण (मेम्ब्रनस लेबिरिथ) विभक्त किया जा सकता है। बाह्य कर्ण पल्लव से नालाकार गुहा की ओर होता हुआ कर्ण पटह तक फैला होता है। यह ध्वनि तरंगों का संग्रह करती है। कर्ण कूडर की दीवार में कर्ण मोम या सेरुमिनस ग्रन्थियाँ होती हैं। सेरुमिनस ग्रन्थियों से पिघला मोम जैसा पदार्थ कर्ण पटह को चिकना बनाकर बाह्य कर्णों को अन्दर प्रवेश करने से रोकता है। कर्ण पटह कला मध्य कर्ण को बाह्य कर्ण से पृथक् करती है। मध्य कर्ण की तीन मध्य अस्थिकाएँ—मैलियस, इन्कस, स्टेपीज हैं। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि (1.2 मिग्रा) है। मध्य कर्ण गुहा एक यूस्टेकीयन नलिका द्वारा नासाग्रासनी में खुलती है इसके कारण कर्ण पटह के अन्दर और बाहर दोनों ओर हवा का दबाव एक समान रहने से उसके फटने का डर नहीं रहता। अन्तःकर्ण अस्थिमध्य लेबिरिथ एवं कलागहन लेबिरिथ भागों से बना होता है। अस्थिमय लेबिरिथ द्रव्य से भरा होता है जबकि कलागहन लेबिरिथ अन्तःलसिका से भरा होता है। कलागहन लेबिरिथ सन्तुलन सुनने से संबंधित है। अन्तःकर्ण भाग काय (यूट्रिकुलस—सैकुलस), अर्द्धवृत्ताकार नलिका, काक्लिया होते हैं

नेत्र प्रकाश संवेदी अंग हैं। यह गोलक मुख्यतया 3 स्तरों का दृढ़ पटल (Sclerotic), रक्तक पटल (Choroid), दृष्टि पटल (Retin) बना होता है। दृढ़ पटल बाह्य दृढ़ और अपार दर्शी भाग है। रक्तक पटल कोमल, संयोजी ऊतक का बना होता है इसमें रंगीन कणिकाएँ होती हैं। दृष्टि पटल सबसे भीतरी परत है।

नाक गन्ध ग्रहण करने वाला संवेदी अंग है। नासावेश्मों की दीवार घ्राण उपकला की बनी होती है। घ्राण कोशिकाएँ स्वाद कोशिकाओं की तुलना में अधिक रसायन संवेदी होती हैं। घ्राण संवेदनाओं जैसे मिर्च, क्लोरोफार्म, अमोनिया आदि से आँसू निकल आते हैं।

एक सन्तुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल और खनिज उचित अनुपात में और विटामिन प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। प्रोटीन जीवन की सामग्री कहलाती है। एक ग्राम प्रोटीन के पूर्ण दहन पर 5.6 k cal मिलती है। इसलिए प्रोटीन की दैनिक औसत जरूरत 55 से 70 ग्राम होती है। कार्बोहाइड्रेट पाचन में मुख्य अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। इसका एक ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण दहन पर 4.2 k cal निकलती है। कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता 400—500 ग्राम होती है। वसा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जिसके एक ग्राम के पूर्ण दहन से 9.0 k cal कैलरी ऊर्जा मिलती है। एक सामान्य आहार में लगभग 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। वसा की कमी से कुछ अपूर्णता रोग हो जाते हैं। खनिज कोशिका और ऊतक की भैतिक दशा को कायम रखने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आइरन इत्यादि प्रमुख खनिज हैं। विटामिन की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, लेकिन इनकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाते हैं। विटामिनों की न्यूनतम आवश्यकता क्रमशः विटामिन : ए—5000 आई.ई. (अन्तर्राष्ट्रीय—यूनिट), टिामिन बी—कॉम्प्लेक्स (बायोमीन—1.5 मिग्रा, राइबोफ्लेविन—1.8 मिग्रा, नियासिन—18 मिग्रा, विटामिन बी₆— 2 मिग्रा, विटामिन बी₁₂ 0.003 मिग्रा, पेंटोथेनिक एसिड 10 मिग्रा), एस्कॉबिक एसिड या एसी—75 मिग्रा, विटामिन डी—400 आई यू तथा विटामिन के शरीर के आँत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है।

मानव द्वारा दैनिक कार्य में खर्च हाने वाली कैलोरी की मात्राएँ काफी भिन्न होती हैं। यह आवश्यकता लिंग, आयु, कार्य की प्रकृति और पर्यावरण पर निर्भर करती है। आहार ग्रहण करने से

उपापचय 10% उद्दीप्त हो जाता है। 8 घण्टों के आराम के दौरान हल्की फुल्की क्रियाओं में ऊर्जा व्यय 40 k cal प्रति घण्टा तक बढ़ जाता है

शरीर में होने वाले रोगों को बैक्टेरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग, फफूंद जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग तथा हैलमिन्थस जनित रोग भागों में विभक्त किया जा सकता है। कालीखांसी या कुकुर खांसी (Whooping Cough), निमोनिया (Pneumonia), हैजा (Choler), तपेदिक (Tuberculosis), डिप्थीरिया (Diphtheri), कुष्ठरोग (Leprosy) बैक्टीरिया जनित रोग हैं, पोलियो (Polio), डेंगू ज्वर, एड्स (Acquired Immuno Deficiency Syndrom), इन्फ्लुएंजा (Influanj), चेचक (Small Pox), छोटी माता, खसरा (Measles), कनफेड या गलसुआ (Mump), कन्जक्टिवाइटिस (Conjunctiviti), पीलिया (Juindis), रैबीज— हाइड्रोफोबिया, हर्पीज (Herpies), मेनिनजाइटिस (Meninjit) वायरस जनित रोग हैं, अस्थमा, खाज (Scabies), एथलीट फुट, गंजापन (Baldne), दाद (Ringworm), मलेरिया, पेचिस (Dysentary), पायरिया, सोने की बीमारी (Sleeping sickness), कालाजार (Kalazar), प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, अतिसार (Dirrahoe), फाइलेरिया (Filaria), हैलमिन्थस जनित रोग हैं तथा वर्णाधता हीमोफीलिया, डाउन्स सिन्ड्रोम, टर्नर सिन्ड्रोम, क्लीनफेल्टर सिन्ड्रोम, पटाऊ सिन्ड्रोम मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग हैं।

एक वैज्ञानिक शोध में यह बात सामने आई है कि जबारे का जूस सेवन किया जाए या यदि कम मात्रा में एस्पिरिन का प्रतिदिन सेवन किया जाए तो इससे न केवल कैंसर का खतरा कम हो सकता है बल्कि इससे कैंसर ठीक भी हो सकता है। इस शोध का प्रकाशन प्रसिद्ध साइंस पत्रिका लैसेट में किया गया है।

किसी भी प्रकार के पर्यावरण में मानव के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का घातक प्रभाव पड़ता है। आज समाज में सर्वाधिक मौतें वस्तु—प्रदूषण, इनेमिया, ज्वाण्डिस, शरीर—पोषण की उपेक्षा, गलत इलाज आदि के कारण हो रहीं हैं। नीम—हकीम, शिक्षणविहीन एवं अमानक डिग्री धारी डॉक्टर बन चिकित्सा कर रहे हैं। इसलिए हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मूल उद्देश्य देश के सामान्य लोगों में उत्तम स्वास्थ्य का मानदण्ड होना चाहिए। इसमें स्वास्थ्य परिचर्चा के सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए और इसमें अन्य बातों के साथ—साथ वित्तीय संसाधनों, समता, राष्ट्रीय जन—स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चलाना, जनस्वास्थ्य अवसंरचना, स्वास्थ्य परिचर्चा सम्बन्धी व्यवसायिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसंधान, विभिन्न औषधियों के लिए उत्तम मानदण्ड, महिला स्वास्थ्य इत्यादि सहित विभिन्न विषयों को लेते हुए नीतिगत निर्देशन शामिल होना चाहिए। स्वास्थ्य नीति को केन्द्र, राज्यों एवं जनपदों में ब्लाक स्तर तक व्यापक रूप से परिचालित होना चाहिए।

रोग चिकित्सा और अस्पताल

(भारत के उ.प्र. के जनपद—फर्रुखाबाद के चिकित्सालयों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

वर्तमान समय में प्रचलित अनेक चिकित्सा पद्धतियों में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी मुख्य हैं। इन सब चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद (वैद्यक) एक लम्बे समय तक भारत में प्रचलित एकमात्र चिकित्सा प्रणाली थी। मुगलों के आगमन के साथ भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का प्रचलन हुआ। अंग्रेजी राज्य की स्थापना पर भारत में एलोपैथी एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों का खूब प्रचार हुआ। इनमें आयुर्वेदिक(वैद्यक), यूनानी (हिमकत) एवं एलोपैथिक तीनों चिकित्सा पद्धतियाँ मूलतः 'विपरीत चिकित्सा पद्धति' सिद्धान्त पर आधारित है। अर्थात् इनमें रोग को दूर करने के लिए प्रायः उन्हीं औषधियों का सेवन किया जाता है जो रोग के लक्षणों के विपरीत गुण धर्म वाली हों। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली में किसी रोग को दूर करने के लिए इस रोग के समान ही गुण-धर्म वाली औषधि का प्रयोग किया जाता है। अतः इसे 'सदृश चिकित्सा पद्धति' कहते हैं।

भारतीय आयुर्वेद ग्रन्थों के अनुसार 'विष की चिकित्सा विष' है। इसका तात्पर्य है कि आयुर्वेद चिकित्सा सदृश चिकित्सा सिद्धान्त पर आधारित है, परन्तु वास्तविकता यह नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सी औषधियाँ ऐसी हैं जिनकी गणना सदृश चिकित्सा के अन्तर्गत की जा सकती है। आयुर्वेद पद्धति के उपचार में एलोपैथी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के सभी सिद्धान्त समाविष्ट हैं। यह चिकित्सा पद्धति विशुद्ध रूप से भारतीय है, जो इसकी भूमि में ही जड़ी-बूटियों, वनस्पतियों एवं पशु-पक्षियों से प्राप्त उत्पादों पर आधारित हैं, जिनसे बनी औषधियों के अनुषंगी अभाव नहीं होते। होम्योपैथी में रोग का कोई नाम नहीं होता। इसमें शरीर में होने वाली विकृतियों के लक्षणों के आधार पर चिकित्सा की जाती है। अतः होम्योपैथी को 'लाक्षणिक चिकित्सा विज्ञान' भी कहा जा सकता है।

वह पदार्थ, जिसके सेवन से रोग ठीक हो जाता है, 'औषधि' कहलाता है। लेकिन होम्योपैथी के सन्दर्भ में वह पदार्थ, जिसमें रोग को उत्पन्न करने अथवा नष्ट करने, दोनों की शक्ति विद्यमान हो, 'औषधि' कहलाता है। वे पदार्थ जिनके सहारे औषधि को तैयार किया जाता है तथा सेवन कराया जाता है औषधि वाहक कहलाते हैं। यद्यपि औषधियों का निर्माण साधारणतः जड़ी-बूटियों, पेड़-पौधों, खनिज पदार्थों, जीव-जन्तुओं से प्राप्त पदार्थों तथा रोगों के कीटाणुओं से किया जाता है। फिर भी औषधि विज्ञान में जड़ी-बूटियों तथा पेड़-पौधों का विशेष स्थान है।

विश्व की सभी चिकित्सा पद्धतियों में रोगों के निवारण के लिए पौधों का उपयोग किया जाता है। संसार की लगभग 80% जनसंख्या अपनी स्वास्थ्य रक्षा के लिए वनस्पतियों एवं जड़ी-बूटियों से प्राप्त औषधियों पर ही निर्भर करती है। औपचारिक रूप से यूनानी व आयुर्वेद दोनों पद्धतियाँ एक समान हैं, क्योंकि दोनों में शारीरिक स्थिति का विशेष महत्त्व है। आयुर्वेद एकदम विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है, जो विदेशी चिकित्सा पद्धतियों के प्रभाव से दूर है। जबकि यूनानी चिकित्सा पद्धति का उद्गम प्राचीन ग्रीस देश से हुआ था, जो फारस और अफ्रीका की चिकित्सा पद्धतियों से अत्यधिक प्रभावित हैं।

प्रकृति में सेवा का नियम अव्याहत गति से कार्य करता हुआ दिखाई देता है। सूर्य और चन्द्र विश्व को प्रकाश एवं उष्णता प्रदान करते हैं, वायु जीवनदायक श्वांस प्रदान करती है, पृथ्वी रहने का स्थान देती है, वृक्ष छाया देते हैं आदि, वे ऐसा जीवन किसी प्रतिफल प्राप्ति की भावना से नहीं करते हैं। वे केवल अपने जन्मजात स्वभाव वश ऐसा करते हैं। हम भी दीन-दुखियों की सहायता किसी आन्तरिक प्रेरणावश ही करते हैं। सड़क के किसी कोने में पड़े हुए घायल या बेहोश व्यक्ति को उठाकर जब अस्पताल ले जाते हैं, तब क्या हम यह सोचते हैं कि वह अच्छा होने पर हमको पुरस्कार देगा अथवा कभी हमारे घायल अथवा बेहोश हो जाने पर यह हमें अस्पताल पहुँचाएगा?

यह सेवा-भाव जब सप्रयास विकसित किया जाता है, तब वह व्यक्ति का सदगुण एवं समाज की विभूति बन जाता है। जो लोग सेवा-भाव रखते हैं और स्वार्थ सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते, उनको सहयोग देने वालों की कमी नहीं रहती है। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार 'सेवा-धर्म कठिन जग जाना' अर्थात् संसार जानना है कि सेवा करना बहुत कठिन काम है। सेवा में स्वार्थ-त्याग और निरहंकारता परम आवश्यक है। ईसाइयों के धर्मग्रन्थ इन्जील में लिखा है कि यदि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकते हो, जिसको तुम नित्य देखते हो तो तुम उस परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकोगे जिसको तुमने कभी नहीं देखा है? महात्मा गौतम ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिसे मेरी सेवा करनी है, वह पीड़ितों की सेवा करे। युग-पुरुष महात्मा गाँधी ने भी यही कहा है कि लाखों गूँगों के हृदय में ईश्वर विराजमान हैं। मैं उसके सिवा अन्य किसी ईश्वर को नहीं मानता। मैं इन लाखों की सेवा द्वारा ईश्वर की सेवा करता हूँ।

चिकित्सा की पूर्ति हेतु चिकित्सालयों के रोगी, चिकित्सा, साधन, वित्ति, व्यवस्था, सेवा, प्रबंधन के लिए जो मानक विधान निर्धारित होते हैं उनकी उपेक्षा से मानव जीवन तथा देश-समाज पर अच्छे-बुरे प्रभावों के आंकलन की आवश्यकता महसूस करते हुए मैंने चिकित्सा जगत के चिकित्सा संस्थानों की प्रबन्धकीय तथा मानकीय व्यवस्था के प्रदर्शित वर्तमान स्वरूपों पर चिकित्सालयों का अध्ययन करना आवश्यक समझा है। इसी आधार पर मैंने प्रतिदर्श के रूप में उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों तथा निजी नर्सिंग-होम्स का निदर्श के रूप में अवलोकन-अध्ययन प्रारम्भ किया और चिकित्सालयों तथा नर्सिंग होम्स के प्रमुख, डॉक्टर, चिकित्सक, कर्मचारी, रोगी और उनके सहयोगियों से सम्पर्क स्थापित किया तथा औपचारिक- अनौपचारिक

माध्यम से चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर तथ्य संकलित किए। चिकित्सा अधिनियम, नर्सिंग-होम संचालन अधिनियम, चिकित्सा शिक्षा अधिनियम, सरकारी आदेश-संग्रहों एवं चिकित्सालय व्यवस्थाओं का अध्ययन और अवलोकन से प्राप्त जानकारी के आंकड़ों पर विचार करके मैंने यह जानने का प्रयास किया कि क्या चिकित्सालयों एवं नर्सिंग-होम्स का प्रबन्धन, चिकित्सक तथा निगरानी, चिकित्सा-समितियों के सदस्य-पदाधिकारियों की सेवाएँ, सुविधाएँ, डॉक्टर, चिकित्सक, कर्मचारी, वेतन-भत्ते, शुल्क, कार्य, परीक्षण, निरीक्षण, व्यवस्थाएँ **मानक** युक्त हैं या नहीं। चिकित्सा सोसाइटीयों के कार्यालय, कर्मचारी, सदस्यता, शुल्क, चुनाव, बैठक, अधिवेशन, योगदान, सदस्य योग्यता, अवैतनिक समाजसेवा, सोसाइटी चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा का सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वहन कैसा है। पंजीकृत ट्रस्ट-सोसाइटी के माध्यम से संचालित गैर सरकारी चिकित्सालय एवं चिकित्सा शिक्षण संस्थान तथा नर्सिंग होम का स्वामित्व कैसा है। चिकित्सा ट्रस्ट-सोसाइटी के मामले ट्रस्ट-सोसाइटी का रजिस्ट्रार स्वयं या किसी निदेशक के माध्यम से निरीक्षण या अन्वेषण करवा कर देखता है या नहीं, जहाँ ट्रस्ट-सोसाइटी के उद्देश्य विफल हो रहा हो, ट्रस्ट-सोसाइटी अपने मामलों के कुप्रबन्धन की दोषी हो, सोसाइटी ने छन्द सम्बन्धी या किसी अन्य बाध्यताओं का उल्लंघन किया जा रहा हो।

उ. प्र. के जनपद फर्रुखाबाद में संचालित सरकारी व निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंगहोम्स का वर्तमान स्वरूप

जनगणना-2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1210193422 जिसमें 623724248 पुरुष, 586469174 स्त्रियाँ एवं कुल साक्षरता प्रतिशत 74.04 जिसमें 82.14% पुरुष, 65.46% स्त्रियाँ, लिंगानुपात 1000:940 हैं। **उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद** की कुल जनसंख्या 1,887,577, जिसमें 1,020,802 पुरुष, 866,775 स्त्रियाँ, नगरीय 429,990, ग्रामीण 1,457,587, जनसंख्या घनत्व 865 प्रति वर्ग किमी, साक्षरता प्रतिशत 70.57 एवं जिला मुख्यालय फतेहगढ़ नगर में स्थिति है। जिले में 3 तहसील, 7 ब्लाक, 87 न्याय पंचायत, 1007 ग्राम जिनमें 885 आबाद व 124 गैर-आबाद, 2 नगर पालिका परिषद, 4 नगर पंचायत, 1 छावनी क्षेत्र, 2 मेडिकल कालेज, 43 एलोपैथिक चिकित्सालय, 16 आयुर्वेदिक, 19 होम्योपैथिक, 3 यूनानी, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 17 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 191 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र, 1 टी.बी. अस्पताल, डॉ.राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय तथा नर्सिंग होम और निजी चिकित्सालय हैं।

केन्द्र, राज्य एवं चिकित्सा बोर्ड के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स की ट्रस्ट-कम्पनी-समितियों के सदस्य-पदाधिकारी जनपद के स्थानीय समुदायों के सामान्य जन, समाजसेवी, शिक्षाविद् नहीं हैं और न ही निर्धारित चिकित्सालय प्रशासन योजना के मानक अनुरूप है। निजी-सार्वजनिक चिकित्सा प्रबन्धतन्त्रों के पदाधिकारी-सदस्य गण प्रबन्धकों के परिजन, सगे सम्बन्धी, अयोग्य एवं आपसी हितबद्ध लोग मानक प्रतिकूल हैं। निजी-सार्वजनिक चिकित्सालयों के लोग व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार की भाँति चिकित्सा को प्रदूषित कर चिकित्सा, चिकित्सालय, नर्सिंगहोम तथा चिकित्सा-शिक्षा अधिनियमों की जबरदस्त अवहेलना कर रहे हैं। चिकित्सा प्रबन्धतन्त्र के लोग स्वलाभ हेतु आपसी हितबद्ध अयोग्य लोगों को चिकित्सा प्रबन्धतन्त्र का सदस्य-पदाधिकारी, चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी पद पर नियुक्ति दिखाकर रोगियों से जबरदस्त धन उगाही कर चिकित्सा जगत को प्रदूषित कर रहे हैं। सरकारी पदों पर सेवारत चिकित्सकों के निजी चिकित्सालय **दलाली, भ्रष्टाचार एवं अवैध वसूली** के आधार पर संचालित हो रहे हैं। इनकी जन-सुविधाएँ, शुल्क चिकित्सा, चिकित्सक, नर्सिंग, कर्मचारी, ऑपरेशन, व्यवस्था एवं दवाइयाँ मानक विहीन होती है। ये रोगियों से मनमाना धन तथा सरकारी कोषों से मोटी रकम वसूलने के बावजूद रोगियों को सही चिकित्सा नहीं देते हैं। चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम के दबंग लोग अर्ह चिकित्सकों को वेतन-भत्ते देने की कागजी खानापूर्ति तो करते हैं परन्तु मानक युक्त वेतन-भत्ते नहीं देते हैं। सरकारी चिकित्सक सरकारी ड्यूटी से अनुपस्थित रहकर तथा **'प्राइवेट चिकित्सा'** में संलिप्त रहकर खुले आम संगीन अपराध रहे हैं।

सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र इनके चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट्स की अनुपस्थिति जनता को चिकित्सा से जबरदस्त बंचित करती हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुविधाओं का अभाव एवं दवा वितरण अमानक है। कर्मचारी नेतागिरी करते हैं।

परिवार व मातृ शिशु कल्याण केंद्र एवं उपकेन्द्र इन पर कार्यरत कर्मचारी धन उगाही तक सीमित रहते हैं।

डॉ.राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय यह 300 शैयाओं का अस्पताल है। इसमें पुरुष, महिला, बाह्य, आन्तरिक विभाग तथा इमर्जेंसी सामान्य एवं प्राइवेट पुरुष-महिला वार्ड हैं। चिकित्सकों के ज्यादातर पद रिक्त हैं। अनेक चिकित्सक एवं कर्मचारी इसी जनपद के मूल-गृह निवासी हैं। यह लोग अपनी उपस्थिति में फर्जीवाडा करके सरकारी ड्यूटी निर्धारित समय तक पूरी नहीं करते हैं। ज्यादातर चिकित्सक-कर्मचारी नगर में प्राइवेट क्लीनिक-नर्सिंगहोम-दवाखानों में प्रवृत्त कर जनता-रोगी की उचित चिकित्सा नहीं करते हैं। इमर्जेंसी ड्यूटी की उपेक्षा रोगियों की मृत्यु का कारण बन प्राइवेट नर्सिंग चिकित्सा प्रोत्साहित करती है।

कैप्टन कौशलेन्द्र सिंह राठौर चिकित्सालय इसका लोकार्पण 25.7.2023, अभी तक चिकित्सक-सुविधा विहीन है।

टी0 बी0 अस्पताल मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से निकट होने के बावजूद इसकी सेवाएँ संतोष जनक नहीं हैं। ज्यादातर कर्मचारी स्थानीय एवं मशीनें पुरानी एवं खराब हैं। दवा-एक्सरे हेतु रोगी परेशान होते हैं।

मेडिकल कालेज इसका अमानक प्रबन्धन व्यक्ति विशेष के परिजनों की व्यक्तिगत आय, राजनीतिक प्रतिष्ठा तक सीमित है। इसमें अध्ययनरत चिकित्सक एवं सुविधाएँ समाज के लिए कितनी कल्याणकारी हैं, सर्वविदित है।

निजी-चिकित्सालय अध्ययन से विमुक्त रहे लोगों द्वारा संचालित हो रहे हैं। इनकी अमान्य डिग्रियाँ से संचालित चिकित्सा की जाँच इनको स्वयं मरीज बनाती है। इनका इलाज आयुर्वेद के स्थान पर एलोपैथी व दवायें एम.आर. के प्रचार-प्रसार पर आधारित रहती है। मर्ज बढ़ाकर मरीज को बाहर भेज कमीशन कमाते हैं

नर्सिंग-होम चिकित्सकों के आवास या प्लाट पर बनाए हुए हैं। इनका प्रबन्धन एवं संचालन और सुविधाएँ अमानक हैं। चिकित्सक-कर्मचारी अप्रशिक्षित, अयोग्य, दलाल व प्रबंधकों के परिजन-घरेलू नौकर हैं। इनका वेतन अमानक तथा कमीशन आधारित होता है। रेट-लिस्ट का अभाव कर रोगियों से धन उगाही हो रही है

दवाखाना अस्पताल और नर्सिंग होम स्वयं के हैं। इनके कर्मचारी अनर्ह, अयोग्य तथा लाइसेन्स किराए के हैं। चिकित्सकों द्वारा लिखी दवाएँ इनके कमीशन निर्धारित दूकानों मात्र तथा रेट और मानकता संदिग्ध होती है।

हमारे समाज में चिकित्सक (वैद्य) का सम्मान न केवल इस कारण है कि वह रोग से मुक्ति दिलाता है वरन् इस कारण भी है कि वह नव-जीवन प्रदान करता है। लेकिन आज चिकित्सक समाज से प्राप्त इस सम्मान और विश्वास का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज कोई भी चिकित्सक धन लेकर झूठे प्रमाण-पत्र दे देता है, शव परीक्षा की झूठी रिपोर्ट दे सकता है तथा धन के ही लालच में वह अवैध भ्रूण-हत्या तथा लोगों की धीरे-धीरे हत्या करना जैसे जघन्य कार्य भी कर सकता है। कुछ चिकित्सक का आपस में यह भी समझौता रहता है कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने मरीजों को एक-दूसरे के पास भेजेंगे। इस समझौते के आधार पर वह एक मरीज का दो-चार दिन तक तो स्वयं इलाज करता है और फिर उस रोग की उचित एवं भावी चिकित्सा के लिये मरीज को अपने साथी चिकित्सक के पास जाने की सलाह देता है। इस प्रकार मरीज का अधिकतम आर्थिक शोषण किया जाता है। सरकारी अस्पतालों में तो प्रायः यह देखने में आता है कि चिकित्सक अस्पताल के इन्जेक्शन तथा दवाइयों को बाजार में बेच देते हैं तथा गरीबों को दवाइयों के बदले रंगीन पानी ही दे देते हैं। बहुत से चिकित्सक तो मरीजों से ऐसी दूकानों से दवा खरीदने को कहते हैं जहाँ नकली अथवा घटिया किस्म की औषधियाँ मिलती हैं अथवा मेडिकल स्टोर के स्वयं-प्रतिपाल्य मालिक होते हैं। इसका कारण यह है कि चिकित्सकों को ऐसी दूकानों से निमित्त रूप से कमीशन-पैसा मिलता है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्तियाँ जातिवाद, भाई-भतीजावाद एवं सिफारिश तथा आर्थिक आधार पर की जाती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि चिकित्सकों के पद पर प्रायः अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्तियाँ हो जाती हैं। अनेक चिकित्सा-कालेजों एवं नर्सिंग होम में रोगियों से फीस तो अधिक ली जाती है पर उन्हें इलाज और दवाइयाँ घटिया किस्म की दी जाती हैं। संविदा पद पर कार्यरत चिकित्सकों को वेतन कम दिया जाता है। अयोग्य व्यक्ति को **सोशल-वर्कर पद** पर नियुक्त कर कम वेतन दिया जाता है। इसका दुःखद परिणाम यह होता है कि चिकित्सक अस्पतालों में रोगियों का इलाज ठीक से नहीं करते हैं।

केन्द्र और राज्य सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद ग्रामीण अस्पतालों में चिकित्सकों की अनुपस्थिति का संकट समाप्त नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने इन अस्पतालों में बड़ी संख्या में चिकित्सक तैनात कर रखे हैं, परन्तु इनमें अधिकतर चिकित्सक सप्ताह में एक-दो दिन ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। बाकी दिनों में अपने शहरी आवास पर रहते हैं जहाँ उन्होंने निजी क्लीनिक भी खोल रखी हैं। अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वार्ड-ब्लाय या फार्माशिष्ट मिलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की अनुपस्थितियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप चिकित्सक का बर्चस्व कायम है जो न सिर्फ मरीजों का आर्थिक शोष करते हैं बल्कि अक्सर उनकी जान भी खतरे में डाल देते हैं। स्वास्थ्य विभाग के उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को ग्रामीण अस्पतालों की हकीकत पता है, परन्तु वे इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाते।

मानक विहीन चिकित्सा ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। चिकित्सक, चिकित्सा, अपरेशन, थिएटर, नर्स, और कर्मचारियों का अभाव एवं अमानकता से चिकित्सा के उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रक्टिस, सरकारी ड्यूटी से पलायन, अयोग्य चिकित्सक, फर्जी डिग्री, रोगियों से धन उगाही, अमानक-इलाज, अमानक-औषधि से चिकित्सा बुरी तरह से प्रदूषित हो रही है। रोगी एवं जनता का आर्थिक शोषण हो रहा है।

सुझाव: चिकित्सालयों में दिखावा ज्यादा होता है। चिकित्सालय-नर्सिंगहोम का संचालन भारी धन उगाही एवं वित्तीय अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण आवश्यक है। चिकित्सा नवीन प्रवृत्तियों सहित समाज की ओर उन्मुख हो, चिकित्सा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, राज्य और चिकित्सा के निजीकरण पर नियन्त्रण आवश्यक हो। ट्रस्ट, सोसाइटी, वाणिज्य, सरकारी-आदेश एवं चिकित्सा व्यवस्था के वैधानिक प्रवधानों का अनुपालन होना चाहिए। अस्पतालों एवं नर्सिंग होम के प्रबन्धतन्त्रों में नागरिक, शिक्षाविद्, समाजसेवी, स्थानीय, साधारण-जनता को ही सदस्य पदाधिकारी बनाया जाना चाहिए। चिकित्सा प्रबन्धन में परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, राजनैतिक, सरकारी लोगों को पदाधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रबन्धतन्त्रों का जबरदस्त हस्तक्षेप एवं चिकित्सालय की सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरुपयोग बन्द होना चाहिए। सरकारी चिकित्सक-कर्मचारी गृह जनपद में नहीं रहने चाहिए। चिकित्सा रेट-बोर्ड अनिवार्य एवं चिकित्सा-शिक्षा संस्थानों में मानकीय प्रबन्धतन्त्र के सदस्य, चिकित्सक, चिकित्सा, फार्मासिस्ट, नर्स, कर्मचारी, वेतन भुगतान, रोग अनुरूप चिकित्सा, रसीदयुक्त शुल्क होनी चाहिए। चिकित्सालयों के चन्दे, दान, अनुदान, आय, शुल्क धन सरकारी कोषागार में जमा होना चाहिए। चिकित्सा-कर्मचारियों का वेतन-भत्ता भुगतान चैक से तथा चिकित्सालयों का आडिट नियमित एवं जबाबदेह होना चाहिए। सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रक्टिस, अवैध वसूली, अमानक, दवाखाना तत्काल बन्द होने चाहिए। चिकित्सालय-दवाखानों की मान्यता, चिकित्सा पद्धति, चिकित्सक, कर्मचारी, शुल्क, प्रबन्धतन्त्र, बजट, अनुदान जबाबदेह व सार्वजनिक होना चाहिए।

मदिरा और मानव

(मदिरा तत्त्व का सामाजिक विवेचन)

मदिरा रासायनिक पदार्थ एथिल एल्कोहल— C_2H_5OH है। मदिरा.Wine में 12%, बीयर—Beer में 4%, व्हिस्की, ब्राण्डी—Whisky & Brandi में 40% से 50%, रिक्टीफाइड स्पिरिट—Rectified Spirit में 95% एथिल एल्कोहल तथा शेष जल होता है। एस्टिक—एसिड—Acetic Acid के 10% विलियन सिरका है। रिक्टीफाइड स्पिरिट ही कामर्शियल एल्कोहल है। मार्श गैस का प्रमुख रचक मीथेन— CH_4 है। तूतिया या नीलाथोथा (कॉपर सल्फेट— $CuSO_4 \cdot 5H_2O$) जहर है। चुनाव जीतने के लिए मदिरा का दान, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से मदिरा में विष का मिश्रण एवं पीने के लालच में मदिरा की दावत 'घातक' है। मानक विहीन मदिरा के निर्माता एवं वितरक देश—समाज के लिए हितकर नहीं हैं।

मदिरापान में एक व्यक्ति मदिरा लेने की मात्रा पर नियन्त्रण खो बैठता है जिससे कि वह पीना प्रारम्भ करने के पश्चात् उसे बन्द करने में सदैव असमर्थ रहता है। मदिरापान लक्षण मदिरा का इस सीमा तक बार—बार पीना है, जो उसके प्रथागत उपयोग या समाज के सामाजिक रिवाजों के अनुपालन से अधिक है और मदिरापान करने वाले के स्वास्थ्य, उसके अन्तर वैयक्तिक सम्बन्धों और उसके निर्वहन सामाजिक एवं आर्थिक करने की क्षमता में बाधा पड़ती है। मदिरा अत्यधिक सेवन, व्यक्ति की अपने पीने पर बढ़ती हुई चिन्ता, पीने पर नियन्त्रण खो देना और सामाजिक कार्य में बाधा उत्पन्न करना के आधार पर मदिरापान की विशेषता पहचानी जाती है।

मदिरापान करने वाले को 'मद्यसारिक' बनने के लिए विभिन्न चरणों—अन्धकार की स्थिति, गुप्त रूप से पीना, बढ़ी हुई सहनशीलता, नियन्त्रण का अभाव, बहानेबाजी में वृद्धि, नियमित पीना, प्रातः जागने के बाद से ही नाश्ते के रूप में शराब पीना आरंभ कर देना आदि अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। भारतीय संस्कृति मदिरा पान करने वालों को सामान्य नहीं मानती। इस कारण व्यक्ति मानसिक रूप से मदिरा को सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग मानने को तैयार नहीं है। जबकि पाश्चात्य समाज में 'ड्रिंक लीजिए' या 'आप ड्रिंक लेना चाहेंगे जैसा अनुरोध शाम की सभा में आम है। हमारे देश में दूसरी ओर हम प्रायः 'एक प्याला चाय लीजिए' की बात करते हैं। इस प्रकार मदिरापान हमारी संस्कृति में एक गम्भीर सामाजिक विषय है। यद्यपि मादक वस्तुओं की तुलना में मदिरापान को कई माता—पिता जो स्वयं मदिरा पान करते हैं, के द्वारा कम हानिकारक समझा जाता है। कभी—कभी मदिरा पान को सहन किया जाता है, परन्तु निरन्तर पीने की निन्दा की जाती है। हमें इसलिए उस व्यक्ति जो मदिरा का सेवन संयम से करता है और उसमें जो समस्यात्मक पीने वाला है के मध्य स्पष्ट रूप से भेद करना चाहिए या उसके मध्य भी भेद करना चाहिए जो उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से पीते हैं और जो उस ढंग से पीते हैं जिससे वे स्वयं के लिए अपने परिवार और समाज के लिए समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं।

मद्यसारिकों के पीने के इतिहास की अवस्थाओं का **जैलिनैक** ने अध्ययन कर आसक्ति का एक विशिष्ट संरूप विकसित किया। जिसमें उन्होंने विशिष्ट मद्यसारिक व्यवहार और उसके आविर्भाव के समय—क्रम को सूचीबद्ध किया। एक मद्यसारिक को कुछ विशिष्ट व्यवहारों के प्रथम बार घटित होने की उसके द्वारा पाई गई। औसत आयु इस प्रकार थी— वह 18.8 वर्ष की आयु में पीना आरम्भ करता है, गुप्त रूप से पीना 25.9 वर्ष की आयु में करता है, असंयत व्यवहार में 27.6 वर्ष की आयु में आ जाता है, मदिरा की गुणात्मकता की ओर से 30 वर्ष की आयु में उदासीन होता है, कार्यकाल को 30.4 वर्ष की आयु में खोना आरम्भ करता है पारिवारिक नापसन्दगी का सामना 30.5 वर्ष की आयु में करता है, नौकरी से हाथ 30.9 वर्ष की आयु में धो बैठता है। दिन के समय में पीना 31 वर्ष की आयु में करने लगता है। कम्पनों का सामना 32.7 वर्ष की आयु में करता है, भयभीत 32.9 वर्ष की आयु में होने लगता है, शासक 35.5 वर्ष की आयु में लेता है, धार्मिक आवश्यकताएँ उसे 35.7 वर्ष की आयु में होने लगती हैं, डॉक्टर परामर्श 35.8 वर्ष की आयु में लेता है, अस्पताल में 36.8 वर्ष की आयु में भर्ती होता है, नियन्त्रण की असमर्थता 38.1 वर्ष की आयु से स्वीकार करता है, और सबसे निम्न बिन्दु पर 40.7 वर्ष की आयु में पहुँचता है।

मदिरापान करने वालों में 75% 'मध्यसारिक' नहीं बनते हैं। मदिरापान की कुंजी उस कारण में है जिससे व्यक्ति दुबारा पीता है। इसलिए मदिरापान को केवल व्यक्तित्व की संरचना जैसे कारणों के आधार पर समझना गलत होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मानसिक दृष्टिकोण को मदिरापान की अति सरल की गई व्याख्या माना जाता है। लगभग सभी मद्यसारिक बचपन में भावनात्मक आवश्यकताओं के वंचन से ग्रसित होते हैं। माता—पिता के अभिवृत्तियों के चार प्रमुख प्रकार होते हैं जो वयस्कता के मदिरापान से जुड़ी होती है। ये सब अभिवृत्तियाँ बच्चे को मानसिक आघात पहुँचाती हैं और उनमें भावनात्मक वंचना उत्पन्न करती हैं ये हैं सत्तावाद, प्रकट—अस्वीकरण, नीतिवाद और सफलता की पूजा। ये कारक असुरक्षित व्यक्तित्व के, जो मदिरा का शिकार हो जाता है, बनने में महत्वपूर्ण हैं। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि मद्यसारिकों के जो मनावैज्ञानिक अध्ययन बार—बार व्यक्ति के उच्चस्तरीय सम्बन्धों की चिन्ता, भावनात्मक अपरिपक्वता, आत्म—सम्मान की कमी, अलगाव, दोष तथा गहनशीलता में कमी की भावनाएँ गुणों का उल्लेख करते हैं। मदिरापान करने वालों में ये लक्षण प्रायः पहले से ही विद्यमान होते हैं। मदिरापान और व्यक्तित्व के असमायोजन के निश्चित सम्बन्ध दिखाई पड़ता है। आरंभ में एक व्यक्ति जीवन की अपनी समस्याओं से आश्रय लेने के लिए या अपनी मुसीबतों से अल्पकालिका राहत पाने के लिए मदिरापान करता है। धीरे—धीरे वह अधिक से अधिक बार मदिरापान आरम्भ कर देता है और उस पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है। तथापि केवल वे ही व्यक्ति निरन्तर मदिरापान करने लगते हैं, जो भावनात्मक रूप से अपरिपक्व होते हैं या जिनमें आत्म विश्वास नहीं होता है। सामाजिकता की वे कौन सी समस्याएँ हैं जिनसे चिन्ता, दोष, तनाव और कुंठा उत्पन्न होती है? व्यक्ति का अपना मूल्यांकन, दूसरों के सम्मान और प्रेम को अर्जित करना और बनाये रखना, स्वगृह के कारण दूसरों से संघर्ष, पूर्णतया अक्रामक होने से विवाद, स्वामित्व से जुड़ी प्रतिष्ठा व्यक्तिगत सुरक्षा के संबंध में व्यापक सुरक्षा क्योंकि ये धन से जुड़े हुए हैं विशिष्ट लक्षणों की प्राप्ति के

लिए स्वीकार किए गए उत्तरदायित्व और यौन सम्बन्धी मामले प्रमुख हैं।

सामाजिक अपराध और सामाजिक समस्याएँ मदिरा के उपयोग और दुरुपयोग से उपजती हैं। यद्यपि हमारे देश में अधिक मदिरापान होने के कारण वार्षिक गिरफ्तारियों की संख्या अधिक नहीं है परन्तु यह जगजाहिर है कि बड़ी संख्या में मद्यसारिक इसलिए गिरफ्तार नहीं किए जाते क्योंकि गिरफ्तारियाँ इस समस्या का हल नहीं माना जाता। बड़ी संख्या में जो व्यक्ति बलात्कार, संध, चोरी, हत्या के लिए गिरफ्तार किए जाते हैं वे लोग होते हैं जो कि मदिरा के नशे में इसे करते हैं। मदिरा रेल-सड़क मार्ग की दुर्घटनाओं का प्रमुख कारक है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु मदिरापान करने से हो जाती है। चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों की बड़ी संख्या प्रतिशतता विशेषतया मानसिक चिकित्सालयों में उन व्यक्तियों की होती है जिन्हें मद्यसारीय विकृति या मदिरापान से समस्या होती है। अन्य सामाजिक रूप से अपराधिक कार्य जो मदिरा से सम्बन्धित होते हैं, वे हैं चोरियाँ, रिश्वतें, घरेलू हिंसा, मारपीट, उत्पात, भ्रष्टाचार और आत्म हत्याएँ।

अत्याधिक मदिरापान करने वालों को दारुबाज भी कहा जाता है। इनसे इनके भाई-बहिन, माता-पिता, बच्चे, मित्र, सहकर्मी, पड़ोसी आदि प्रभावित होते हैं। इसलिए यह समस्या करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है। मदिरापान करने वालों के परिवार सर्वाधिक कष्ट पाते हैं। यहाँ तक कि पारिवारिक हिंसा, पारिवारिक अशांति और तलाक तक उनके कारण होते हैं। मदिरापान व्यापार, कार्यालय, कार्य कुशलता और उत्पादन को भी प्रभावित करता है। मदिरापान करने वाला यह सोचता है कि मदिरा उसके तनाव, दोष, चिन्ता, और कुण्ठा को कम कर देगी। परन्तु वास्तविकता यह है कि वह उसकी कार्य कुशलता को सामाजिक अस्तित्व स्तर के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर से भी नीचे कर देती है। एक मदिरापान करने वाले को यह भ्रामक विश्वास होता है कि मदिरा समाज में सम्बन्धों और वैचारिक गतिविधियों को अधिक सरल बना देगी। लेकिन वास्तव में मदिरा व्यक्ति संपर्कों में भागीदारी को समाप्त कर देती है। इस प्रकार व्यक्ति को सामाजिक रूप से निर्बल कर देती है। यह सामाजिक रूप से मूल्यवान विचारों को क्षति पहुँचाती है।

भारत में लगभग 60% से 65% व्यक्ति मदिरापान करते हैं। मदिरापान करने में पुरुष-महिला अनुपात 5:1 है। नगर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में मदिरापान करने वालों का प्रतिशत अधिक है। इनमें से अत्यधिक बिरले कभी-कभार और हल्के पीने की श्रेणी में आते हैं। मध्यम और भारी पीने वालों की संख्या में दिनों-दिन अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है। पिछले कुछ दशकों से मदिरा का उपयोग एवं दुरुपयोग बढ़ा है। सर्वेक्षणों के अनुसार, वर्ष 1969 में 76% लोगों में से जो मदिरा का सेवन कर रहे थे, 32% विरले प्रयोक्ता, 17% कभी-कभार के प्रयोक्ता, 28% हल्के प्रयोक्ता, 15% मध्यम प्रयोक्ता, 8% भारी प्रयोक्ता थे। वर्ष-1974 में 11 मदिरापान करने वालों में 1 मद्यसारिक था। वर्ष-1948 से 98 तक मदिरा बिक्री में 20 गुना वृद्धि हुई थी। आज में मद्यसारिकों की संख्या लगभग 4 करोड़ हो गई है। वर्ष-1948 में जब मदिरा की बिक्री से एक वर्ष में 50 करोड़ रुपये की आमदनी थी, 1998 में बढ़कर 15000 करोड़ रुपये हो गई थी और वर्तमान में लाखों करोड़ रुपये की आमदनी हो गई है। 1998 में देशी शराब पीने वालों का खर्च एक वर्ष में 60000 रुपए आँका गया था जिसमें आज कई गुना वृद्धि हो गई है।

सामाजिक विकास परिषद के सर्वेक्षण के अनुसार, महिला डिग्री कालेजों में अध्ययनरत छात्राओं की अपेक्षा सहशिक्षा वाले डिग्री कालेजों में पढ़ने वाली लड़कियों में बियर तथा मदिरापान की प्रवृत्ति अधिक होती है। सहशिक्षा डिग्री कालेजों की 21.2% लड़किया मदिरा का सेवन करती हैं जबकि महिला डिग्री कालेजों की केवल 2% ही। इसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 6% किशोर लड़कियाँ धूम्रपान की आदी हैं। मदिरापान के सन्दर्भ में छात्रों पर किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि उच्च आय-वर्ग के 16-21 वर्ष की आयु वाले, माता-पिता की निगरानी से दूर रहने वाले, पब्लिक स्कूलों व छात्रावास में रहने वाले छात्रों के द्वारा मदिरा का प्रयोग किया जाता है। 60% छात्रों ने इनका प्रयोग अपने मित्रों, 15% ने परिवार के किसी सदस्य, 10% ने चिकित्सक के सुझाव पर तथा 25% ने अपनी स्वयं की इच्छा से मदिरा का सेवन प्रारंभ किया।

मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री करने वाले उद्योग एवं ठेके एवं उत्पादन तथा व्यवस्थाएँ पूर्णतया मानकों विहीन होते हैं। ज्यादातर संचालक अपराधी प्रवृत्ति दबंग एवं राजनैतिक व्यक्ति होते हैं। यह लोग अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से मदिरा के उत्पादन में कच्चे माल के अन्तर्गत-सड़े-गले अनाज, गुड, गन्ना, फल, जूस, जल, रसायन, सोडा, संखिया, स्प्रिट आदि विषाक्त पदार्थों का प्रयोग करते हैं। मदिरा उत्पादक एवं वितरक संगठित माफियाओं के प्रबन्धन एवं पुलिस-प्रशासन के संरक्षण में देश-समाज के कोने-कोने में विषाक्त मदिरा वितरित कर व्यक्ति-समाज का जीवन सकट ग्रसित कर रहे हैं। देशी-विदेशी मदिरा में तीव्रता लाने के लिए संखिया का प्रयोग व दावतों में मदिरा का चलन होने से बड़ी संख्या में लोग शिकार होकर काल की गर्त में समाते जा रहे हैं।

मदिरापान की लत उपचार योग्य है। उपचार कार्यक्रम बड़े स्तर पर सफल हो रहे हैं। उपयोग और दुरुपयोग के मध्य क्योंकि एक निकटता बनी रहती है इसलिए मदिरापान की विभिन्न श्रेणियों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाएँ होती हैं। मुख्यतः मनोचिकित्सा, पर्यावरणीय चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, और डॉक्टरी चिकित्सा इसके लिए सुझाई जाती है और विभिन्न प्रकार के पियक्कड़ों के लिए उपयोग में लाई जाती है। डॉक्टरी चिकित्सा में अस्पताल और क्लीनिक मदिरा के आदी मरीजों को 'एण्टीब्यूज' नामक दवाई देते हैं। यह दवाई कीमती नहीं है और मुँह से ली जाती है। यह कोई असर नहीं करती जब तक कि मरीज मदिरापान नहीं करता, मदिरापान की स्थिति में उसके तीव्र और अप्रियकर लक्षण होता है। परन्तु खतरनाक नहीं होते। इस प्रकार 'एण्टीब्यूज' मदिरापान करने वालों को अर्थात् आवर्तन के विरुद्ध रोकती है। मनोश्चि चिकित्सा में पुनः सामाजिकरण को परामर्श एवं सामूहिक चिकित्सा के द्वारा प्रबल किया जाता है। पर्यावरण चिकित्सा में मदिरापान करने वालों को पर्यावरण बदलने के लिए बाध्य किया जाता है जिससे कि उनके व्यवहार चिकित्सा में उसके रूप और प्रबोध को हटाया जाता है, जिससे वह आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता को विकसित कर सके।

हमारे देश की प्रत्येक राज्य सरकारें जब मदिरा के उत्पादन और बिक्री पर लाखों-करोड़ रूपयें वार्षिक लाभ कमाती हैं तब उग्र सुधारवादी तर्क देते हैं कि जब तक हमारी सामाजिक संरचना और आर्थिक प्रणाली निर्धनता अन्याय और भूमिका तनावों तथा अन्य

तनावों को उत्पन्न करते रहेंगे, मदिरापान चलता रहेगा। चूँकि हमारे समाज में चल रही सामाजिक पद्धतियाँ अधिक कृण्ठाएँ व वंचन पैदा करती हैं। अतएव जिसकी आवश्यकता है वह है एक ऐसी नीति और कार्यक्रम जो अधिक रोजगार पैदा करे, निष्पक्ष प्रतियोगिताओं को अनुमति दे और नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों के जीवन सार्थक, लाभप्रद और सन्तोषजनक बनाया जाए तो मदिरा की आवश्यकता नहीं रहेगी।

वर्तमान परिस्थितियाँ भारतीय नागरिकों को विचार करने एवं समयोजित निर्णय लेने को प्रेरित कर रही हैं, असंख्य समस्याओं का समुचित समाधान मद्य-निषेध किए बिना दुष्कर है। अतः नागरिकों को समाज में मद्य-निषेध हेतु विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना पड़ेगा। अतः भारतीयों को उन बन्धुओं की पीडा और जलालत समझनी होगी जो अभावों और दरिद्रता पूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं। इसके लिए मद्य-निषेध में अपनी महती भूमिका निभाना हमारा महत्वपूर्ण नागरिक दायित्व है।

नशा और नाश

मादक द्रव्य व्यसन का सामाजिक विवेचन

‘द्रव्य’ एक रासायनिक पदार्थ है, जिसके कुछ विशिष्ट शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। यह व्यक्ति की साधारण शारीरिक प्रक्रियाओं व प्रकार्यों को बदलता है। चिकित्सीय सन्दर्भ में ‘द्रव्य’ पदार्थ है जो चिकित्सक द्वारा द्रव्यों के रूप में नियत किया जाता है, जिससे वह अपने रासायनिक प्रकृति द्वारा जीवित प्राणी की संरचना और प्रकार्यों पर आवश्यक प्रभाव डाल सके। मनोवैज्ञानिक व सामाजिक सन्दर्भों में द्रव्य वह शब्द है जो आदत—निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है जो मस्तिष्क एवं नाड़ी मण्डल को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

द्रव्य का उपयोग और सेवन जिससे शारीरिक एवं मानसिक हानि होती है। इसमें गाँजा, अफीम, चरस, भाँग, हीरोइन, कोकीन, हरीश, मदिरा, माजून, मार्फीन, ब्राउन सुगर, पैथोडीन, एस्पिरिन, हरीश का धुम्रपान, एल.एस.डी. का सेवन, मार्फीन का इन्जेक्शन आदि शामिल हैं। इन वस्तुओं का प्रयोग व्यक्ति ‘सामान्य’ बनने के लिए करता है। मादक द्रव्यों का सेवन जब एक बाद किसी कारण से प्रारंभ कर दिया जाता है तो वह आदत का रूप ले लेते हैं और उन्हें छोड़ने में शारीरिक एवं मानसिक कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। इस प्रकार मादक द्रव्य के विषैले प्रभावों पर शरीर इतना आश्रित हो जाता है कि उसके बिना वह नहीं रह पाता है।

‘द्रव्य’ निर्भरता द्रव्य का आदी होना व नित्य सेवन करना सूचित करता है कि निर्भरता शारीरिक या मानसिक हो सकती है। शारीरिक निर्भरता द्रव्य के बार—बार के सेवन से उत्पन्न होती है जब कि द्रव्य की उपस्थिति के कारण शरीर अपने को समायोजित करता है। लेकिन इसके बन्द कर देने से व्यक्ति पीड़ा, दर्द, उलझन व्यथा व बीमारी का सामना करता है। व्यसन शब्द अधिकांशतः शारीरिक स्थिति को दर्शाती है। अतः व्यसन एवं शारीरिक निर्भरता एक वह स्थिति है जिससे शरीर को अपने कार्य संचालन के लिए द्रव्य का निरन्तर सेवन चाहिए। द्रव्य के बन्द कर देने से शरीर के कार्य निष्पादन में हस्ताक्षेप होता है और द्रव्य में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रतिरूप के अनुसार बन्द होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बंचना के प्रतिपूर्ण प्रतिक्रिया के ‘उपभोग स्थगन संलक्षण’ कहा जाता है।

द्रव्य का दीर्घ स्थायी सेवनकर्ता यह विचार विकसित करता है कि वह अपने द्रव्य की मात्रा का निरन्तर बढ़ाता जाता है, जिससे उसमें यह प्रभाव पैदा हो जो पहली खुराक लेते समय हुआ था। इस तथ्य को ‘सहनशीलता’ कहा जाता है। यह सहनशीलता बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में शरीर की अपने को अनुकूल करने की क्षमता दर्शाती है। परन्तु समस्त व्यक्तियों में सभी द्रव्यों के लिए सहिष्णुता विकसित नहीं होती, यद्यपि कुछ द्रव्यों (मार्फीन) के लिए व्यसनी सहनशीलता को शीघ्र गठित कर लेते हैं। ‘प्रति सहनशीलता’ का तात्पर्य एक द्रव्य के लिए सहिष्णुता उसी प्रकार के अन्य द्रव्यों के लिए भी सहनशीलता पैदा करती है। मनोवैज्ञानिक निर्भरता तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति द्रव्य पर उससे उत्पन्न होने वाले सुख की अनुभूति करने लगता है। मनो वैज्ञानिक निर्भरता के लिए ‘आदी—होना’ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ‘आदी होना’ और ‘व्यसन’ में अन्तर यह है कि जितना व्यसन विनाशकारी है, उतनी आदत नहीं है। किसी द्रव्य के लिए व्यसन का तात्पर्य शरीर उस द्रव्य के विषैले, नशीले पदार्थ पर इतना निर्भर हो जाता है कि उसके बिना वह रह नहीं सकता।

मादक द्रव्य शामक या अवसाद व केन्द्रीय नाड़ी मण्डल को क्षीण आसक्त करते हैं, नींद उत्पन्न करते हैं तथा शांतिपरक प्रभाव पैदा करते हैं। टैक्विलाइजर (शांति प्रदान करने वाले) द्रव्य और बाबिट्युरेट इस श्रेणी में आते हैं। चिकित्सीय दृष्टि से वे उच्च रक्तचाप, अनिद्रा व मिरगी के लिए तथा शल्य चिकित्सा के पूर्व से बाद में रोगियों के आराम व शिथिलीकरण के लिए दिए जाते हैं। अवसादक पदार्थ के रूप में ये नसों और मांसपेशियों की क्रियाओं की गति कम करते हैं। छोटी मात्रा में ये सांस लेने व दिल की धड़कन को धीमा करते हैं तथा लेने वाले को शिथिलता का अनुभव कराते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में इनके प्रभाव मदिरा की मादकता से मिलते जुलते हैं जिसके कारण इन्हें प्रयोग करने वाला आलसी, निष्क्रिय, उदासीन, चिड़—चिड़ा और झगडालू भी बन जाता है। उसके सोचने, काम करने एवं ध्यान की शक्ति कम हो जाती है तथा उसका भावात्मक नियन्त्रण कम हो जाता है।

मादक द्रव्य उत्तेजक केन्द्रीय नाड़ी मण्डल के क्रियाशील बनते हैं, तनावों को कम करते हैं, हल्के अवसाद का उपचार करते हैं, अनिद्रा पैदा करते हैं, सतर्कता बढ़ाते हैं, थकान और आलस्य व निष्क्रियता का निवारण करते हैं तथा आक्रमणकारी अवरोध को कम करते हैं। जो उत्तेजक पदार्थ व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, वे हैं एम्फेटामाइन, कैफीन और कोकीन। डॉक्टर द्वारा निर्धारित एम्फेटामाइन का मध्यम डोज थकन को नियन्त्रित कर फुर्ती और आत्म—विश्वास व कल्याण की अनुभूति पैदा करता है। परन्तु इसका भारी डोज अति भयातुरता, अधीरता, अधीरता, चिड़चिड़ापन, सरदर्द, पसीना निकालना, दस्त व अस्पष्ट बोलना पैदा करता है। उत्तेजक द्रव्य अधिकांशतः मौखिक रूप से लिए जाते हैं, यद्यपि कुछ शिराभ्यान्तर इन्जेक्शन द्वारा लिए जाते हैं। ये द्रव्य शारीरिक निर्भरता उत्पन्न नहीं करते यद्यपि ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यसनी होते हैं। एम्फेटामाइन का दीर्घकालन भारी उपयोग बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं आर्थिक विकार की विभिन्न मात्राएँ पैदा करता है इसका अचानक बन्द कर देना मानसिक बीमारी एवं आत्महत्याजन्य अवसाद पैदा करता है।

निकोटीन में सिगरेट, बीड़ी, सिगार, नास व तम्बाकू सम्मिलित होते हैं। इसका कोई चिकित्सीय उपयोग नहीं है। लेकिन शारीरिक निर्भरता का जोखिम इसमें अवश्य होता है। निकोटीन शिथिलन पैदा करती है। केन्द्रीय नाड़ी मण्डल को उत्तेजित करती है, जागरण को बढ़ाती है तथा उबारूपन दूर करती है लेकिन इसका अधिक सेवन दिल की बीमारी, फेफड़े का कैंसर, श्वासनली का रोग पैदा कर

सकता है। कानून इसे द्रव्य के रूप में नहीं मानता। उत्तेजक अवसादक, तन्द्राकार एवं भ्रमोत्पादक पदार्थों को मनोक्रियाशील पदार्थ भी कहा जाता है।

अफीम का प्रयोग हमारे देश में मुस्लिम व्यापारियों द्वारा 7-वीं सदी से आरम्भ हुआ। अफीम को पानी में घोलकर अथवा उसकी गोलियाँ बनाकर खाई जाती हैं। पाचन सम्बन्धी दोष, कफ, दर्द, पीडा, अनिद्रा की बीमारियों से मुक्ति के लिए अफीम को दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। गाँवों में माताएँ बच्चों को सुलाने व दस्त बन्द करने के लिए अफीम देती हैं।

चरस का प्रयोग भारत में जनसाधारण द्वारा होता रहा है। चरस का पेड़ मध्य एशिया में पाया जाता है। इसके पत्ते और फूलों का प्रयोग नशे के लिए किया जाता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में चरस का प्रयोग बहुत होता है। भारत में चरस सिक्कांग थार्कलैंड से आयात होती थी। किन्तु अब इसका प्रयोग प्रतिबन्धित हो गया है। इसकी जगह लोग गाँजा एवं भाँग पीने लगे हैं। गाँजा एवं भाँग का एक पेड़ होता है। इस पेड़ की पत्तियाँ, भाँग एवं फूल गाँजा कहलाता है। भाँग का प्रयोग पानी में घोलकर पीने, गोलियाँ बनाकर, पकौड़ी एवं कचौड़ी बनाकर लड़कू, बर्फी, बिस्कुट, कुल्फी, आदि में डाल कर किया जाता है। गांजे को चिलम में भरकर पिया जाता है। भाँग, गाँजा, अफीम एवं चरस का प्रयोग पण्डों, पुजारियों, फकीरों, सपेरों, नटों आदि द्वारा किया जाता है। उत्सवों तथा होली-शिवरात्रि के अवसर पर लोग भाँग का प्रयोग करते हैं शिवरात्रि पर शिवभक्त इसका प्रयोग करते हैं। भाँग हल्का नशा पैदा करती है और शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती है। इसके पीने से तन्द्र की अवस्था बनी रहती है।

कोकीन का प्रयोग जमींदारों, मुस्लिम नबाबों, बादशाहों द्वारा किया जाता रहा है। कोकीन कीथी नामक पेड़ की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसका आयात 1890 से होता रहा है। इसका प्रचलन अधिकतर उत्तरी भारत में ही रहा है। दांतदर्द व अन्य रोगों के लिए भी कोकीन का प्रयोग दवा के रूप में होता रहा है। अफीम, गाँजा और चरस को सम्मिलित कर एल.एस.डी.निर्मित होती है

मदिरा रासायनिक पदार्थ एथिल एल्कोहल- C_2H_5OH है। मदिरा-wine में 12%, बीयर-Bear में 4%, व्हिस्की, ब्राण्डी-Whiski & Brandi में 40% से 50%, **रिक्टीफाइड स्पिरिट**-Rectified Spirit में 95% एथिल एल्कोहल तथा शेष जल होता है। **एस्टिक-एसिड**-Astic Acid के 10% विलियन सिरका है। रिक्टीफाइड स्पिरिट ही कामर्शियल एल्कोहल है। मार्श गैस का प्रमुख रचक मीथेन- CH_4 है। तृतीया या नीलाथोथा (कॉपर सल्फेट ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)) जहर है। मदिरापान में एक व्यक्ति मदिरा लेने की मात्रा पर नियन्त्रण खो बैठता है जिससे कि वह पीना प्रारम्भ करने के पश्चात् उसे बन्द करने में सदैव असमर्थ रहता है। मदिरा कुछ लोग समान सुख बोधन व सामाजिक क्रिया के रूप में लेते हैं और कुछ इसे एक प्रेरणा तथा उत्तेजक के रूप में लेते हैं जिससे वे कार्य कर सकें। यह एक शैतिकर पदार्थ के रूप में भी कार्य करती है जो नसों की शक्ति करती है। यह एक संवेदन हारी के रूप में कार्य करती है जो जीवन की पीडा को कम करती है। शराब तनाव शांत करती है तथा आक्रमणकारी अवरोध को कम करती है। यह फैसले या निर्णय को कमजोर करती है, असामान्य बनाती है व उलझन पैदा करती है।

गत कुछ वर्षों में नशीले पदार्थों के चोरी-छिपे ले जाने में वृद्धि हुई है। मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता इस व्यापार के केन्द्र बने हुए हैं जहाँ मध्य पूर्व के देशों से हेराइन एवं हरीश आती है जिसे पश्चिम देशों में भेजा जाता है। परिवारों की भौति मित्र मण्डली भी नशीले पदार्थों के सेवन का प्रमुख कारण है। विभिन्न अध्ययनों के अवलोकन एवं डॉ. अहूजा के अनुसार 87% नशा करने वाले छात्रों के मित्र भी नशा करने वाले होते हैं। वहीं छात्र नशीली दवाओं का सेवन करते हैं जो इनके मित्र करते हैं। 31% छात्र नशीली दवाओं का सेवन सदैव मित्रों के साथ ही करते हैं। 63% छात्र में नशे हरीश का प्रथम ज्ञान अपने मित्रों से प्राप्त होता है तथा 17% पहली बार नशीली वस्तुओं का सेवन घर में करते हैं। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि मित्र-समूह की संस्कृति का नशीले पदार्थों के सेवन से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

दो दशक पूर्व के अनुसार भारत में लगभग 12 लाख व्यक्ति हेरोइन के व्यसनी थे, 4.5 लाख अफीम और 50 लाख प्रकट रूप से घातक मतिभ्रष्ट करने वाले द्रव्यों के व्यसनी थे। वर्ष 1987 में हेरोइन दुरुपयोगियों की संख्या 5 लाख से बढ़कर, 1993 में 12 लाख और 1996 में 16 लाख हो जाना स्पष्ट करता है कि मादक पदार्थों का सेवन कैसी गम्भीर समस्या बनती जा रही है। भारत वैध अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। जब सरकार ने इसके लिए 450 रुपये प्रति ग्राम खरीद मूल्य निश्चित किया, तत्कर इस 80,000 रुपये प्रति ग्राम से खरीदते हैं और सेवन करने वालों तक पहुँचते-पहुँचते इसका मूल्य बहुत अधिक हो जाता है। भारत में मादक द्रव्य सरदारों का घरेलू और अन्तराष्ट्रीय बाजार में केवल हेरोइन का ही मासिक विक्रय 200 करोड़ रुपये के बीच माना गया है। 1984 और 1998 के बीच अवैध द्रव्यों को जब्त करना बहुत अधिक बढ़ गया है। पूरे देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 11000 और 15000 के बीच अवैधणन के मामले पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने वाले द्रव्यों में सबसे अधिक गाँजा औ इसके बाद हरीश, अफीम, हेरोइन होते हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 12000 व्यक्तियों के द्रव्य अवैध पकड़ा जाता है। अवैध द्रव्यों का सेवन सिर्फ सड़क के शरारती लड़कों में बल्कि निम्न आर्थिक, माध्यमिक, उच्च वर्गीय युवाओं व मध्य आयु के व्यक्तियों में भी पाया जाता है। इसके बावजूद, हमारे देश में मादक पदार्थों का दुरुपयोग अभी भी असामाजिक व्यवहार न मानकर विचलित व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों से उल्लंघन छिपाता है, प्रतिमानों से विचलन उनकी वैधानिकताओं को चुनौती दिए बिना करता है और बिना प्रतिमानों में परिवर्तन के लिए सुझाव देकर उनकी अवज्ञा के कारण मिलने वाले दण्ड से बचने का प्रयत्न करता है ऐसा लोग केवल अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने में लगा रहता है। मादक द्रव्यों के प्रयोग से शारीरिक क्षमता घट जाती है, दुर्बलता पैदा होती है एवं अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति, परिवार एवं समाज विघटित होता है। अपराध की प्रवृत्ति पैदा होती है। अपराधों की वृद्धि, पुलिस प्रशासन और व्यवस्था की समस्या खड़ी होती है। मादक द्रव्य नाडी संस्थान को प्रभावित कर तनावों से क्षणिक मुक्ति तो दिलाते हैं किन्तु आगे चल कर नशे के आदी होने पर व्यसन शीघ्र ही मौत के मुँह में चले जाते हैं। व्यसनी व्यक्ति निष्क्रिय एवं कमजोर हो जाता है। मादक द्रव्यों का सेवन गरीबी के लिए उत्तरदायी है। नशीली दवाओं का दुष्प्रयोग एक सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक बुराई है। नशे के कारण हत्याएं होती हैं, घर बिकते हैं, लोग दिवालिया होते हैं, डाकू बनते हैं, बच्चों का

आपहरण एवं कत्ल होता है, नामर्द बनते हैं, तलाक होती है, सुहाग उजड़ते हैं, अबोध बिगड़ते हैं, शक्ति नष्ट होती है, स्त्री जाति अपमानित होती है और आत्महत्याएं होती हैं। नशा दुःख और क्लेश पैदा करता है।

मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्राफिक सबस्टेंसेज एक्ट 1985 बनाया गया जिसमें 1989 में कुछ संशोधन किए गए। इस कानून के अन्तर्गत 10 वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपया जुर्माना से मृत्युदण्ड तक की सजा का प्रावधान है। दुबारा पकड़े जाने पर 20 वर्ष की सजा एवं दो लाख रुपया जुर्माना तथा मृत्युदण्ड तक की सजा का प्रावधान है। व्यापार एवं प्रयोग पर नियन्त्रण की दृष्टि से 'नारकोटिक्स इन्टेलीजेंस' ब्यूरो की स्थापना की गई। इस संस्थान ने महत्वपूर्ण योगदान किया। व्यसनियों के उपचार के लिए भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने 3-प्रकार के केन्द्र स्थापित किए हैं। (1) परामर्श केन्द्र, (2) उत्तर सेवा केन्द्र। 1 मार्च 1998 में भारत में 172 परामर्श केन्द्र, 111 व्यसन केन्द्र और 33 अभिज्ञा केन्द्र थे। यह सब केन्द्र सरकार के कल्याण मन्त्रालय ने वर्ष 1986 में गैर सरकारी सेवाओं को सौंप दिए थे। स्वास्थ्य मन्त्रालय की इन केन्द्रों के कार्य प्रणाली में बहुत सीमित भूमिका है। भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद ने मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के परिवीक्षक व्यवस्था के अन्तर्गत चार केन्द्र दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में स्थापित किए हैं।

नशीले पदार्थों का सेवन जीवन की सुरक्षा हेतु शैक्षिक, सुविधाजनक और दण्डनीय उपाय किए जाने चाहिए इनमें से जो उपाय अधिक अपनाए जाने चाहिए वे हैं शैक्षिक और दण्डात्मक उपाय। शैक्षिक उपाय में हैं ज्ञान व तथ्यों की जानकारी के द्वारा शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का भय पैदा किया जाता है। दण्डात्मक उपाय में कारक द्रव्यों का उपयोग करने वाले का अलगाव, सीमान्तीकरण व निष्कासन किया जाता है। द्रव्य दुरुपयोग को सामाजिक समस्या के साथ चिकित्सीय समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों के साथ सरकार और परिवारों को भी रोकथाम प्रोग्राम में रुचि लेनी चाहिए। हास्टल और किराए के मकानों में जहाँ युवक रहते हैं अथवा गन्दी बस्तियों में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। अमानक दवाओं के सेवन से बचना चाहिए। शारीरिक कष्ट में मानक पूर्ण दवाओं का ही सेवन सीमित करना चाहिए। बीमारियाँ प्राकृतिक रूप से 24 घण्टे में स्वतः ठीक होने लगती हैं इसलिए क्षणिक कष्ट में राहत के लिए की जाने वाली दवाइयों का उपभोग आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए और दवाइयों का अधिक तथा स्थाई सेवन से बचना चाहिए।

अपराध विकास और सत्यानाश

(अमानक पदासीनता से दरिद्र कल्याण, नौकरियों एवं सार्वजनिक धन-सम्पत्ति के निजीकरण से प्रभावित समाज का विवेचन)

भारतीय समाज के संचालन एवं नियन्त्रण में नैसर्गिक सिद्धान्तों का समावेश है। जिसकी उपेक्षा देश-समाज हेतु घातक है। स्वतन्त्र भारत में जन-सामान्य के हितों की सुरक्षार्थ भारतीय संविधान लागू है तथा अधिकारों एवं दायित्वों के संरक्षण हेतु अनेक नियम-संहिताएँ लागू हैं जिनका समय-समय पर सुधार भी होता रहता है। विकास के लिए पंच-वर्षीय योजनाएँ संचालित हैं। जिनके क्रियान्वयन एवं नियमित निगरानी हेतु स्तरीय अधिकारियों-कर्मचारियों के पद-उत्तरदायित्व निर्धारित है। कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की पात्रता एवं आवेदन की स्वीकृत एवं धन आबंटन की औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित है। जिसमें शासक-प्रशासक की नियमित निगरानी एवं जबाबदेह उत्तरदायित्व निर्धारित है। इसके बावजूद वास्तविक दरिद्रों के कल्याण की उपेक्षा, रहीसों को दरिद्र योजनाओं के लाभ आबंटन में समर्थन एवं रहीस-लुटेरों का फर्जीबाड़ा समाज विरोधी एवं संगठित संगीन अपराध है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दरिद्रों एवं असहाय व्यक्ति-परिवारों के लिए अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। यथा दरिद्रों के लिए नगर और गाँवों में मुफ्त सरकारी आवास, शौचालय, विद्युत-गैस कनेक्शन, सौरलाइट, छात्रवृत्तियाँ, जीवन सुरक्षा बीमा, निःशुल्क इलाज, निःशुल्क शिक्षा, बिना ब्याज ऋण, कृषि अनुदान, पशु अनुदान, असहाय-वृद्धा-विधवा पेन्शन, समाजवादी पेंशन, विकलांग पेंशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी तथा खाद्य सुरक्षा गारण्टी-2013 के अन्तर्गत कंगालों को प्रति राशन कार्ड पर पूर्व की भांति 35 किलो अनाज, चीनी, किरोसिन और गरीब बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. राशनकार्ड धारकों को पात्र गृहस्थी में परिवर्तित कर पाँच किलो प्रति व्यक्ति राशन दिया जाना जनवरी 2016 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है जबकि कुछ राज्यों में पूर्व से यह राशन व्यवस्था लागू है। खाद्य सुरक्षा प्रत्येक तीन वर्ष बाद विचारोन्त पुनरावृत्ति का नियम है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सरकारी एवं अनुदानित स्कूलों में 1-8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें, पोशाकें, मध्याह्न भोजन, दूध, फल, वित्तनिक शिक्षक-कर्मचारी, किशोर-प्रायः निरक्षरों को साक्षरता तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पौष्टिक भोजन, दूध, खिलौने, स्वास्थ्य जाँच, स्कूल पूर्व की शिक्षा तथा नारियों के मातृत्व धारण करने के उपरान्त पौष्टिक भोजन, दूध, फल, चिकित्सा, किशतों में 6000 रुपए मुहैया करा रही है।

केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा संचालित दरिद्रों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं के अध्ययन उपरान्त मैंने उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण हेतु 6 नगर क्षेत्रों 117 वार्ड्स एवं 7 ब्लॉकों की 513 ग्रामसभाओं में से 317 ग्रामसभाओं का भ्रमण कर अन्त्योदय-बी.पी.एल. धारकों, समाजवादी-विधवा-वृद्धा-विकलांग पेन्शन धारकों, आवास-शौचालय पाने वाले, मनरेगा कार्ड धारकों, वास्तविक दरिद्रों के घर-घर जाकर उनकी वास्तविक स्थिति का अवलोकन कर उनसे एवं उनके परिवारी जनों से सामूहिक वार्ता की तथा गाँव-नगरों की स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया। जिसके परिणामस्वरूप समस्त अन्त्योदय कार्ड एवं 75% से 95% तक बी.पी.एल. राशनकार्ड ऐसे व्यक्ति-परिवारों के पास हैं जो लेण्टर-दो मंजिल मकान, बड़े प्लाट-खेत, मोटर साइकिल, ट्रैक्टर, कार, व्यापार, आयुध लाइसेंस, नौकरी, पेंशन, रहीस परिवार, अनेक नगरों में बड़ी-बड़ी हवेलियाँ, कारखाने, उद्योगों व अकूत पैतृक धन-सम्पत्ति के स्वामी हैं। यही स्थिति अधिकांश समाजवादी, वृद्धा, असहाय, विधवा एवं विकलांग पेंशन, इन्द्रा-लोहिया आवास-शौचालय पाने वालों की है, जिनमें अधिकांश एक ही परिवार के अनेक व्यक्ति पति, पत्नी, पुत्र, बहू, बेटी, नाती, आदि मृतकों सहित अनेक पेंशन धारक हैं। इन रजिस्टर्ड-फर्जी दरिद्रों के सामूहिक रूप से कथन, 'धन देकर योजनाओं का लाभ लिया गया है'। फर्जी दरिद्रों द्वारा बड़ी मात्रा में दरिद्रों का गेहूँ, चावल, तेल, चीनी, सरकारी आवास, पट्टा, मनरेगा मजदूरी, उद्योग, बीमा, समाजवादी-वृद्धा-असहाय-विधवा-विकलांग पेन्शन, दान-अनुदान एवं राष्ट्रीय सम्मान आदि फर्जीबाड़ा कर हड़पा जा रहा है। सांसद एवं विधायक निधियों का धन सार्वजनिक स्कूलों की जगह निजी स्कूलों में लगाया गया है। गाँव के सचिवालयों व सरकारी एवं सहकारी भवनों में दबंग-रहीसों ने लकड़ी-भूसा भर अवैध कब्जा कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग के केन्द्रों पर सफाई कर्मी रोगियों का इलाज कर रहे हैं। जब कि पदासीन वेतन भोगी चिकित्सक एवं फार्मासिष्ट केंद्रों पर यदाकदा जाकर कागजी खानापूर्ति करते हैं। प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों में पढ़ाई न होने से छात्रों का अभाव है। इन स्कूलों में कोई भी जागरूक व्यक्ति अपने प्रतिपाल्यों को पढ़ाने को तैयार नहीं है तथा सरकारी स्कूलों से निकलने वाले छात्रों को अज्ञानता के कारण बड़ी आयु के बच्चे को निजी स्कूल की के.जी. कक्षाओं से पढ़ना पड़ रहा है। परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में पंजीकृत अधिकांश छात्र पब्लिक स्कूलों के विद्यार्थी हैं। सरकारी स्कूलों की वास्तविक छात्र संख्या कम एवं पंजीकृत फर्जी छात्र संख्या-उपस्थित अत्यधिक है। इन स्कूलों की प्रबंध समितियों के अधिकांश अध्यक्ष रहीसों-प्रधानों के नौकर या कार्यकत्रियों-रसोइयों के पति-पत्नी हैं जिनके प्रतिपाल्य छात्र न होने से अध्यक्षां एवं रसोइयों की पदासीनता अमानक एवं अवैध है। अनेक शिक्षक घर बैठे वेतन भुगतान ले रहे हैं। अधिकांश स्कूलों में मिड-डे-मील मील, दूध, फल शिक्षकों-रसोइयों तक सीमिति है तथा छात्र संख्या दिखाने के उद्देश्य से अधिकांश स्कूलों में उबला रंगीन चावल-आलू या रंगीन पानी है जो मानव-प्रतिपाल्य तो क्या पशुओं के लिए भी हानिकारक है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अत्यन्त निम्न एवं फर्जीबाड़ा से सार्वजनिक धन-सम्पत्ति का घोटाला अत्यन्त उच्च है। ग्रामों में कार्यरत सफाई कर्मी अधिकांश उच्च जाति-वर्ण एवं रहीस परिवारों के व्यक्ति हैं जो स्वयं तो सफाई काम नहीं करते हैं और अपनी जगह पर गाँवों के दरिद्र बाल्मीकों को 100-200 रुपए प्रति दिन दिहाड़ी मजदूरी देकर यदा-कदा गाँवों की सफाई कार्य की खानापूर्ति करते हैं और वेतन निकालने के लिए ग्राम प्रधानों को वेतन से हजारों रुपए हिस्सा देकर अपनी फर्जी ड्यूटी की उपस्थिति प्रमाणित कराकर सफाई काम बाल्मीकों से कराते और वेतन स्वयं हड़प लेते हैं। अधिकांश ग्राम प्रधानों एवं कोटेदारों में अधिकांश पदासीन सम्बन्धित गाँवों के निवासी नहीं हैं और जन्म-दशकों से सपरिवार नगर

निवास होकर नगर की गतिविधियाँ में भागीदार हैं इसके बावजूद फर्जी प्रमाण-पत्रों, दबंग-दहशत एवं अपराधिक गतिविधियों के प्रभाव से पदासीन होकर सरकारी योजनाओं के लाभ एवं मनरेगा मजदूरी हड़पकर अवैध वसूली में जुटे हैं। इनके द्वारा न तो खुली बैठकें करायी जाती हैं और न ही खुली बैठक-प्रस्ताव होते हैं। सरकारी कर्मी इनसे जुड़कर दलाली तक सीमित हैं। इस प्रकार फर्जी दरिद्र सुख में एवं वास्तविक दरिद्र कल्याण लाभ विहीनता या मानक उपेक्षा के कारण बुरी तरह दरिद्रता ग्रसित हैं।

चूँकि भारत कृषि प्रधान विकाशशील देश है जहाँ बड़ी संख्या में दरिद्र और निरक्षर मौजूद है तथा सांमतवाद एवं परिवारवाद के जबरदस्त प्रभावों से वास्तविक परिश्रमी-कृषक-मजदूर कंगाली और फकीरी में भूखे पेट सपरिवार सोकर दरिद्रता के जीवन यापन को मजबूर है। जिसकी कमजोरी का लाभ उठाकर रहीस-लूटेरे जन सेवा का ढोंग कर मनमाने ढंग से शासन-प्रशासन के उच्च पदों पर पदासीन होकर जन-कल्याणकारी सरकारी योजनाओं का लाभ हड़पकर साधारण जनता को भेड़ों की तरह हॉक रहे हैं। भारतीय जनता का बड़ा भाग भोजन-पानी के लिए गुहार लगाते हुए दर-दर भटक रहा है। भूखे दरिद्रों के बच्चे बूँद-बूँद दूध के लिए तरस रहे हैं। दरिद्रों की लहशें कफन बिना मुर्दा खानों में जा रहीं हैं। जबकि रहीस मन्त्री-अधिकारी और नेता देश की धन-सम्पत्ति एवं सरकारी नौकरियों पर मनमाना कब्जाकर फर्जीबाड़ा से अमानक लाभ कमा कर चौरस-सट्टा व्यापार में लगे दिख रहे हैं। यह लोग रहीस-व्यापारी-सौदागरों के साथ रंगमंचों पर जाकर एक-दूसरे को पदक-पुरस्कार देकर एवं गले लगा प्रेम-लगाव प्रदर्शित कर रहे हैं। इनके द्वारा आयोजित समारोहों में सरकारी-सार्वजनिक धन-सम्पत्ति पानी की तरह बहा रहीस-लुटेरों को महिमा मण्डित किया जा रहा है। ताकि जिम्मेदार इनके कुकृत्यों के प्रति कार्यवाही की हिम्मत न कर सकें। जिसके कारण भारतीय जन-समाज की स्थिति दिनों-दिन बद्-से-बदतर होती जा रही है।

उद्योगपति, राजनेता, नौकरशाह और उनके गुर्गे देश समाज के नवीन उत्पादन के साधनों (मशीन, मिल, कारखाना, व्यवसायों और सरकारी पदों आदि) के उद्भव के साथ-साथ के दो विराट वर्गों में बंटे हुए हैं। **प्रथम वर्ग** अल्पसंख्यक उन लोगों का है जिनका इन उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है, अर्थात् उद्योगपति, राजनेता, नौकरशाह। **दूसरा वर्ग** समाज के बहुसंख्यक श्रमिकों, बेरोजगार आदि व्यक्तियों का है जिनके पास पूर्ण या जीविका-पालन के अन्य साधन नहीं हैं उनके लिए जीवित रहने का एक ही मार्ग खुला हुआ है और वह है कि वे अपने आपको धनी वर्ग के पास जाकर बेच दें, अर्थात् अपने श्रम से उत्पादन कार्य में सक्रिय भाग लें और उसके बदले में कोरे कागजों पर नाम लिखकर तथा वेतन के नाम पर खैरात कितना होगा इसका निर्धारण श्रमिक नहीं, अपितु धनी व्यक्ति करता है। धनीवर्ग गरीबों की कमजोरियों को खूब जानता है और उसी के बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। धनी वर्ग जानता है कि गरीब अपने श्रम और परिवार को भविष्य के लिए सुरक्षित करके नहीं रह सकता और न वह रातों-रात अपने को इतना संगठित या शक्तिशाली कर सकता है कि धनी लोगों से अपने श्रम का उचित वेतन का सौदा कर सकें। परिणामस्वरूप धनी श्रमिक, बेरोजगार, गरीब व्यक्तियों से अत्यधिक मेहनत करवा तो लेता है और उसके बदले में नाम मात्र का वेतन खैरात के रूप में देता है, अर्थात् श्रमिक अपने श्रम से जितना मूल्य उत्पन्न करता है, उसका उचित हिस्सा श्रमिक को वेतन के रूप में नहीं देता है, वरन् उसका एक बहुत छोटा भाग श्रमिक को देकर अधिकाँश भाग धनी-पूँजीपति स्वयं हड़प जाता है। इस प्रकार मनुष्य द्वारा ही मनुष्य का शोषण होता है।

उपरोक्त परिस्थिति का परिणाम यह हो रहा है कि अधिकाधिक पूँजी दबंग-रहीसों की तिजोरियों में इकट्ठी हो रही है अर्थात् धनवान अधिक धनी बन रहे हैं और जो लोग अपना खून-पसीना एक करके उस धन को उत्पन्न कर रहे हैं और जिनका कि वास्तव में धन पर अधिकार होना चाहिए वे क्रमशः दरिद्रता के निम्नतम स्तर पर पहुँच रहे हैं। श्रमिक और बेरोजगार व्यक्तिगत रूप में क्योंकि स्वतंत्र होते हैं, इसलिए धनी वर्ग उसको इस रूप में बेच या मार तो नहीं सकते हैं जैसा कि दासत्व के युग में दास के मालिक दासों के साथ करते थे परन्तु इस व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का भारी मूल्य भी उन्हें चुकाना पड़ता है और पूँजीपतियों द्वारा शोषण के फलस्वरूप उनकी दशा दिन-प्रतिदिन अधिक दयनीय होती जा रही है।

अपराध तत्त्व का सामाजिक विवेचन

‘अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य होते हुए भी उसकी व्याख्या देश, काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से की जाती है। एक व्यक्ति अपराधी इस लिए हो जाता है क्योंकि उसे कानून के उल्लंघन करने की अनुकूलन परिभाषायें कानून के उल्लंघन की प्रतिकूल परिभाषाओं के अपेक्षाकृत अधिक मिल जाती है।’

सामाजिक मापदण्डों एवं प्रतिमानों के विपरीत आचरण करना अनाचरण है। अपराध से तात्पर्य है—राजकीय और सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना। जब एक उच्चवर्ग का व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे सफेदपोश या श्वेतवसन अपराध कहते हैं। लोग धन लेकर या देकर जब किसी जायज कार्य को करते हैं तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। आज अपराध और अपराधी का वही अर्थ नहीं है जो वर्षों पूर्व था। उस समय अपराध के लिए भूत-प्रेत या अन्य आध्यात्मिक शक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जाता था। आज अपराध के लिए लोम्ब्रोसो जैसे व्यक्ति जन्मजात शारीरिक कारकों तथा समाजशास्त्री सामाजिक पर्यावरण को उत्तरदायी ठहराते हैं। वर्तमान में समाज के लोग अनेक तनावों से ग्रस्त हैं, जिनसे मुक्ति पाने के लिए वे कई प्रकार के मादक-द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। एक बार जब वे मादक-द्रव्य लेना शुरू कर देते हैं तो उनकी यह आदत बन जाती है। इसे ही मादक द्रव्य व्यसन कहते हैं। जब लोग समूह अथवा समाज से अत्यधिक लगाव महसूस करते हैं तो उसके लिए अपने प्राण तक उत्सर्ग कर देते हैं अथवा जब वे अपने को समूह या समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं तब भी वे आत्महत्या कर लेते हैं। जीवन शॉर्त पूर्वक चल रहा हो और अचानक उतार-चढ़ाव आ जाते हैं, तब भी लोग असामान्य परिस्थितियों से घबराकर आत्महत्या कर लेते हैं।

प्रायः अपराधी उसे कहा जाता है जो अपराध करे। अपराधी व्यक्ति भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कामुक-अपराधी, पेशेवर-अपराधी, पागल-अपराधी, यौन-अपराधी, भ्रष्ट-अपराधी आदि। लेकिन हमारे देश में लम्बे समय से कुछ ऐसी जातियाँ भी पायी जाती हैं जिनके पेशा ही अपराध करना है। इन जातियों में अपराध करना बुरा नहीं माना जाता है और यहाँ तक कि इन जातियों में सभी पैदा होने वाले बच्चों को अपराध करने की कला सिखाई जाती है। कुछ विचारकों का मत है कि इन जातियों में अपराधी प्रवृत्ति के जन्मजात लक्षण होते हैं जिससे पैदा होने वाले बच्चे अपराधी होते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि वंशानुक्रमण का इस तथ्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनके अनुसार यह प्रवृत्ति बच्चों में अपराध प्रशिक्षण द्वारा पनपती है।

अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है। एक ही कार्य एक एक स्थान पर अपराध माना जाता है, किन्तु दूसरे स्थान पर उसी के लिए पुरस्कृत किया जाता है। साधारणतः यदि कोई किसी की हत्या कर देता है तो हत्यारे को मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है जबकि युद्ध में अधिकाधिक दुश्मनों को मारने वाले को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। जाति के बाहर विवाह करना कभी अपराध माना जाता था परन्तु आज नहीं। अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य होते हुए भी उसकी व्याख्या देश, काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से की जाती है। अपराध की सामाजिक एवं वैधानिक परिभाषाएं अलग-अलग हैं।

सामाजिक अध्ययन में आपराधिक व्यवहार की दो व्याख्याएँ— (1) परिस्थिति-सम्बन्धी और (2) आनुवांशिक या ऐतिहासिक प्रमुख हैं प्रस्तुत की गई हैं। पहली अपराध की व्याख्या परिस्थिति के आधार पर की जाती है और दूसरी व्याख्या अपराध के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। दूसरे अपागम का उपयोग आपराधिक व्यवहार के सिद्धान्त को विकसित करने में किया जाता है। मान लें कि एक लड़का दूकान पर आता है और दूकान पर दूकानदार को वहाँ नहीं पाता। वह एक रोटी लेता है। इस प्रकरण में लड़का चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि वहाँ दूकानदार नहीं था और वह भूखा था परन्तु यह इसलिए होता है कि उसने पहले से ही यह सीख लिया था कि एक व्यक्ति अपनी भूख की चीजों की चोरी करके मिटा सकता है। इस प्रकार परिस्थिति एक व्यक्ति को चोरी करने की प्रेरणा नहीं देती परन्तु पहले से सीखे हुए दृष्टिकोण और विश्वास उसके लिए उत्तरदायी हैं। व्यक्ति अपने जीवनकाल में कई असंगत और परस्पर-विरोधी सामाजिक प्रभावों का सामना करते हैं और कई व्यक्ति अपराध करने वाले व्यक्तियों के सम्पर्क में आ जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप से अपराधी हो जाते हैं। आपराधिक व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के सम्पर्क की प्रक्रिया से सीखा जाता है।

आपराधिक व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के सम्पर्क की प्रक्रिया से सीखा जाता है, मुख्य रूप से छोटे, घनिष्ठ समूहों में, इस विद्या में अपराध करने की तकनीकों का सीखना सम्मिलित है। प्रेरणाओं, प्रवृत्तियों, तार्किकीकरणों और रूपों की विशिष्ट दिशा ऐसी कानूनी संहिताओं की परिभाषाओं से सीखी जाती है जो अनुकूल या प्रतिकूल है। एक व्यक्ति अपराधी इस लिए हो जाता है क्योंकि उसे कानून के उल्लंघन करने की अनुकूलन परिभाषाएँ कानून के उल्लंघन की प्रतिकूल परिभाषाओं के अपेक्षाकृत अधिक मिल जाती है। यह **‘विज्ञान सम्पर्क’** का सिद्धान्त है। विभिन्न सम्पर्क, कालावधि प्राथमिकता और तीव्रता में घट-बढ़ सकते हैं। आपराधिक और अनआपराधिक स्वरूपों के सम्पर्कों द्वारा अपराधी व्यवहार की सीखने की प्रक्रिया में उन विधियों की आवश्यकता होती है जो किसी भी अन्य विद्या के लिए आवश्यक होती है। जबकि अपराधी व्यवहार सामान्य आवश्यकताओं और मूल्यों की अभिव्यक्ति है, परन्तु उसकी व्याख्या उन आवश्यकताओं और मूल्यों से नहीं की जा सकती है क्योंकि गैर-आपराधिक व्यवहार उन आवश्यकताओं और मूल्यों की अभिव्यक्ति है।

एक व्यक्ति अपराधी व्यवहार को उस सीमा तक जारी रखता है जहाँ तक वह असली या काल्पनिक व्यक्ति से तादात्म्य स्थापित कर पाता है जिसके परिपेक्ष्य के अनुसार उसका अपराधी व्यवहार स्वीकार्य मालूम पड़ता है परन्तु आपराधिकता के सम्बन्धों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक स्वरूप को अंगीकार नहीं करता या उसका अनुसरण नहीं करता। इसीलिए उसके सम्पर्क की प्रकृति या गुण में वह क्या अंतर है कि व्यक्ति जो एक समूह के मनोभावों और व्यवहारों को स्वीकार कर लेता है परन्तु दूसरा व्यक्ति उस समूह के

व्यवहार की विशेषताओं से परिचित हो जाता है परन्तु उन्हें अपनाता नहीं है।

सरकारी आंकड़े अपराधों की कानूनी परिभाषा पर आधारित हैं, दण्ड न्याय की व्यवस्था कानूनी उपागम से समझी जाती है, अपराधियों पर किए गए आनुभविक अध्ययन कानून द्वारा परिभाषित अपराध को केन्द्र बिन्दु बनाते हैं और चूँकि अपराधों की कानूनी परिभाषा को सूक्ष्म सुस्पष्ट और अधिक माप योग्य समझा जाता है, इसीलिए हम सर्वप्रथम इस कानूनी परिभाषा को समझें।

“अपराध एक अभिप्राय कार्य है या आचरण है जो दण्ड कानून का उल्लंघन करता है और जो बिना किसी सफाई और औचित्य के किया जाता है।”

अपराध में पाँच तत्त्व निहित हैं— 1. किसी क्रिया का होना, 2. क्रिया स्वैक्षिक हो, 3. क्रिया साभिप्राय हो, 4. क्रिया फौजदारी कानून का उल्लंघन हो, 5. क्रिया औचित्यहीन हो। अपराध कानूनी तौर पर वर्जित और साभिप्राय कार्य है, जिसका सामाजिक हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसका आपराधिक उद्देश्य है और जिसके लिए कानूनी तौर पर दण्ड निर्धारित है। इस प्रकार किसी भी कार्य को अपराध नहीं माना जा सकता जब तक उसमें पाँच बातें अन्तर्निहित न हों—कानून द्वारा वह वर्जित न हो, वह साभिप्राय हो, वह हानिकारक हो, उसका आपराधिक उद्देश्य हो और उसके लिए दण्ड निर्धारित हो।

अपराध जगत अनोखा और कानून अन्धा होता है, सम्भवतः इसीलिए आज के सभ्य, विकसित तथा सुसंस्कृत समाजों में निपराधी के अपराधी बनाने तथा अपराधी को निर्दोष मान लेने का चलन सा प्रचलित हो गया है। इसी चलन के अन्तर्गत कारखानों में निर्मित माल की नकल कम्पनियों के माल में खुले आम मिलावट की जाती है, कालाबाजारी, टैक्सचोरी, घूसखोरी, तस्करी होती है। यह अपराध सबको पता है, किन्तु यह सब करने वाले न तो सरकार या समाज से डरते हैं और न ही पुलिस या अदालत से, क्योंकि धन तथा प्रतिष्ठा इनका कवच है, जिसके सहारे से कानून के पंजे से साफ निकल जाते हैं। ये अपराधी अपराध करने के बावजूद अपराधी नहीं कहलाते। यही वे शांति दिमाग के अभ्यस्त या पेशेवर अपराधी हैं जो अपराध जगत में अति सक्रिय रहकर क्षेत्रीय समाज में खुले आम दहशत फैलाकर एवं जबरदस्त उत्पात कर जन सामान्य को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। कानूनी दृष्टि से अपराधी वह व्यक्ति है जिसको अदालत द्वारा अपराधी घोषित किया गया है तथा जो किसी न किसी कारागार या सुधार संस्था में सजा भुगत रहा है। इनको इसीलिए अपराधी कहा जाता है कि कानून ने उन्हें समाज और कानून विरोधी व्यवहार करने के जुर्म में सजा के योग्य पाया। प्रत्येक सभ्य समाज में ऐसे लोगों के साथ—साथ कुछ ऐसे भी प्रतिष्ठित नागरिक भी पाये जाते हैं, जो ऐसे दुराचरण करते हैं, जो कानूनन अपराध ही कहलाते हैं, किन्तु ऐसे अपराधियों का धन वैभव पद तथा प्रतिष्ठा उनकी सुरक्षा करती है। इसीलिए ये लोग बहुधा कानून के पंजे में फँसने के बावजूद निकल जाते हैं।

धन, पद, प्रतिष्ठा आदि के आधार पर वे पुलिस और अदालत की आँखों में धूल झोंकने में सफल रहते हैं। इन्हीं छुपे रुस्तमों को सफेदपोश अपराधी कहा जाता है। ये वह अपराधी हैं जो खुलेआम अपराध तो करते हैं, जो अन्य अपराधियों से कहीं अधिक गम्भीर व धृष्ट हैं, तथापि अपने धन, पद और प्रतिष्ठा तथा दहशत व दबंगई आदि के प्रभावों के कारण न तो पकड़े जाते हैं और न ही दण्डित किए जाते हैं। उच्च वर्ग के लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराध धन, पद, प्रतिष्ठा, दबंगई, दहशत पर आधारित अपराध हैं। इसकी व्याख्या भी अन्य प्रकार के अपराधों से सम्बन्धित प्रमुख सिद्धान्तों के आधार पर की जा सकती है। अपराध के किसी पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के अपराध विशेषतया संस्कृति से घनिष्ठ तौर पर सम्बन्धित होता है और यह उच्च स्तरीय गंभीर अपराध का स्वरूप ही है।

प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अपराध की अवधारणा में निरन्तर परिवर्तन होते रहे हैं। जिन व्यवहारों को हम आदिम युग में अपराध समझते थे वे आज के युग में अपराध नहीं हैं, बल्कि वे परम्पराओं तथा रीत—रिवाजों का उल्लंघन हैं इसका तात्पर्य यह है कि अपराध की धरणा समय—समय पर परिवर्तित होती रहती है अर्थात् व्यक्ति का समाज विरोधी व्यवहार ही अपराध है। अपराध कानूनी दृष्टिकोण से अधिक स्पष्ट एवं मान्य है, क्योंकि प्रत्येक समाज विरोधी कार्य अपराध नहीं है। एक ही समय में एक स्थान पर जो अपराध है, वह दूसरे स्थान पर अपराध नहीं माना जाता है। कोई कार्य अपराध है या नहीं इसका निर्धारण कानून करता है, किन्तु यह कानून आवश्यकतानुसार कुछ नये कार्यों को भी अपराध घोषित कर सकता है तथा कुछ गैर अपराधी कार्य भी मान सकता है। एक समय में जो कार्य अपराध है, दूसरे किसी समय में वही कार्य अपराध नहीं भी हो सकता है। अपराध कानून के द्वारा विधिक कार्य है, किन्तु यह कानून प्रत्येक समाज में एक समान नहीं होता। इसी कारण अपराध की अवधारणा भी प्रत्येक समाज में अलग—अलग होती है। अपराध से चूँकि सामूहिक हितों को खतरा पैदा होता है। इसीलिए राज्य अपने कानून के द्वारा ऐसे कार्यों को अपराध घोषित करता है, जो सामूहिक कल्याण हेतु हानिप्रद होते हैं। प्रत्येक अपराध हेतु एक निश्चित दण्ड देने की व्यवस्था राज्य की ओर से सदैव होती है। कानूनी दृष्टिकोण से दण्ड के बिना अपराध की अवधारणा भी सम्भव नहीं है।

अपराध बहुत से कारकों का सम्मिलित परिणाम है। अर्थात् अपराध के लिए एक कारण उत्तरदायी नहीं है, बल्कि अनेक प्रमुख कारणों में व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि कारण उत्तरदायी हैं। आयु, लिंग, वंशानुक्रमण, मानसिक बीमारियाँ, मानसिक अस्थिरता, संघर्ष, संस्थाएँ, व्यक्तिवादिता, सामाजिकीकरण, औद्योगिकीकरण, व्यापारचक्र, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि की स्थिति, आर्थिक असमानता, दलबन्दी, भ्रष्टाचार, पुलिस बर्बरता, दण्ड व्यवस्था, जेल, राजनैतिककरण, अश्लील साहित्य, उपन्यास, चलचित्र, क्लब, होटल इत्यादि कारण हैं।

सरकारी प्रयत्न जेल व्यवस्था में सुधार, अदालत, परिवीक्षा, पैरोल, सुधारगृह, प्राचीर विहीन बन्दीगृह का उद्देश्य अपराधियों को सुधारना है अर्थात् ऐसे वातावरण का सृजन करना है ताकि नये अपराधी न बन सकें और पुराने अपराधी भी धीरे—धीरे समाज में अन्य नागरिकों की भाँति जीवन में भाग ले सकें।

पाप, क्रूरता और दुराचार

ईश्वर ने जगत की रचना करके जीवों को अनेक स्वरूप प्रदान किए हैं उनमें मानव कृति सर्वोत्तम है। प्रत्येक प्राणी की सूक्ष्मता 'आत्मा' और स्थूलता 'काया' है। काया और आत्मा के संयोग से प्राणी जगत विशिष्टता प्राप्त करता है। यदि प्राणी की काया विकृति या रोग युक्त हो जाय तो प्राणी जगत का जीवन अत्यन्त दुःखदायी हो जाता है। ईश्वर की कृति प्राणी जगत को बाधित करना या कष्ट पहुँचाना अक्षम्य अपराध ही नहीं अपितु ईश्वर पर सीधे कुठाराघात करना है। सभी धर्मों की मान्यता है कि जब किसी जीव की हत्या होती है तो ईश्वर का कलेजा फटता है।

हमारे समाज में अनेक धर्म और समुदाय हैं हिन्दू—80.5 प्रतिशत, मुस्लिम—13.4%, ईसाई—2.3 प्रतिशत, सिख—1.9%, बौद्ध—0.8%, जैन—0.4%, अन्य धर्म—0.6%, धर्म विहीन—0.1% हैं। जिनके अनेक देव, पीर, फकीर, भन्ते, गुरुपन्थ, ईश आदि हैं। इनकी मान्यता है कि सबका एक मालिक ईश्वर है और समस्त जगत के प्राणी ईश्वर की संतान हैं। किसी प्राणी को कष्ट देना या जीव हत्या पाप है। बर्बरता और हिंसा करना जघन्य अपराध है। कयामत के अवसर पर या मृत्योपरान्त पाप—पुण्य का हिसाब होने पर दण्ड स्वरूप जीव को नरक—दण्ड का भोग अवश्य भोगना पड़ेगा।

धर्म और उनकी पवित्रता ईश्वर भक्त के लिए परम् आवश्यक होने के बावजूद हमारे द्वारा हिंसात्मक गतिविधियाँ संचालित किया जाना अधार्मिक एवं निन्दनीय हैं। यदि हम धर्मिक बनकर संसार के प्राणी जगत का शिकार करते हैं तो हम ईश्वर सहित सारे जगत को धोखा देकर दोषी एवं पापी सिद्ध होते हैं। जिसके लिए हम दण्ड से बच नहीं सकते हैं।

व्यक्ति स्वभावतः शरीर, चित्त, वेदना तथा मानसिक अवस्था को नित्य तथा सुखप्रद समझता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके प्रति आसक्ति बढ़ती है। इनके नष्ट होने पर कष्ट होता है। अतएव यह स्मरणीय है कि शरीर, जल, मिट्टी, अग्नि, गगन तथा वायु से बना हुआ है। यह मांस, हड्डी, त्वचा, अन्तर्डी, विष्ट, पित्त, कण, रक्त, मवाद आदि वस्तुओं से युक्त है। अन्त में सब कुछ धूल में मिल जाता है। इन सत्त्यों को स्मरण रखने से अपने तथा अन्यो के शरीर के प्रति अनुराग मिट जाता है। अन्य अशुभ वृत्तियों के प्रति भी अनुराग समाप्त हो जाता है। इस प्रकार अनाशक्ति हो जाती है तथा दुःखों का नाश हो जाता है। सम्यक स्मृति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति सांसारिक बन्धनों से मुक्त हो जाता है।

संसार में सब प्राणी स्वतन्त्रता और स्वभाविक जीवन व्यतीत करने आए हैं, उनको स्वार्थ के लिए कष्ट पहुँचाना ही पाप है। जिस कार्य से आत्मा का पतन होता है वह पाप है। पाप का पातक एक ऐसा शब्द है जिसका आत्मा आचार शास्त्र की अपेक्षा धर्म से अधिक सम्बन्ध है। पाप एक ऐसा कृत्य है जो ईश्वर या उसके द्वारा प्रकाशित किसी व्यवहार (कानून) के उल्लंघन अथवा जान-बूझकर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है। यह ईश्वर की उस इच्छा का विरोध है जो किसी प्रामाणित ग्रन्थ में अभिव्यक्ति रहती है अथवा उस ग्रन्थ में पाए जाने वाले नियमों के पालन में असफलता का परिचायक है।

महात्मा बुद्ध के अनुसार, पाप शारीरिक, वाचिक और मानसिक प्रकार के होते हैं। शारीरिक पाप वे हैं जो शरीर के द्वारा किए जाते हैं। वे हैं—प्राणघात या हत्या, चोरी और व्यभिचार। वाचिकी पाप के अंतर्गत आने वाले पाप झूठ बोलना, कटु वचन और व्यर्थ भाषण का सम्बन्ध वाणी से होता है। मानसिक पाप के अन्तर्गत पर—धन इच्छा, दूसरों की बुराई, असत्य, हिंसा और दया—दान में अश्रद्धा पाँच प्रकार के पाप होते हैं।

आप स्तम्भ धर्म सूत्र के अनुसार, पतनीय और अशुचिकर पाप होते हैं। पतनीय पापों के सम्पादित करने से जातियों से बहिष्कार कर दिया जाता है। इसी प्रकार अशुचिकर पाप से अशुद्धता प्राप्त होती है। छन्दोग उपनिषद् में पाँच प्रकार के पापों—ब्रह्म हत्या, सुरापान, सोने की चोरी, गुरु—अंगनागमन (गुरु पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध) तथा महापात की संसर्ग का उल्लेख है।

प्रत्येक देश—समाज में मानव—व्यवहारों का निर्धारण करने के लिए नैतिक संहिता होती है। नैतिक संहिता में जिन कार्यों का वर्णन होता है उन्हें आदर्श माना जाता है। जो व्यक्ति इन नैतिक संहिताओं में वर्णित कार्यों को करते हैं उन्हें आदर्श माना जाता है। इन आदर्श कार्यों के विरुद्ध कार्य ही दुराचरण है। दुराचार से जहाँ एक ओर व्यक्ति को हानि पहुँचती है वहीं दूसरी ओर समाज को भी हानि होती है।

एक व्यक्ति सड़क पर चलती हुई एक सुन्दर स्त्री देखता है और उसके बारे में बुरे विचार करता है। इससे सुन्दर स्त्री को किसी प्रकार की हानि नहीं होती, किन्तु स्वयं देखने वाले मनुष्य के चरित्र में सड़ान्ध उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार दुराचार का स्वयं की हानि से सम्बन्ध है, दूसरों से नहीं किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि दुराचार का समाज पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें सामाजिक विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। इसी प्रकार शराब पीना भले ही कानून की दृष्टि से वर्जित न हो किन्तु चारित्रिक दृष्टि से शराब व्यक्तिगत विघटन की पहली सीढ़ी है। जुआ, वेश्यावृत्ति आदि दुराचरण के अन्य उदाहरण हैं। यही कारण है कि समाज में दुराचार की निन्दा की गई और अच्छे कार्यों को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की गई है।

दुराचार सदाचार का उल्लंघन है। इससे मानवीय सम्बन्धों की व्यवस्था में विघटन होता है और समाज के नैतिक मूल्य गिरते हैं। किसी भी समाज में नैतिक मूल्यों और आदर्शों का गिरना सामाजिक अव्यवस्था को उत्पन्न करता है जिससे अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है।

जब कोई कर्म आचार विषयक नियम से संगति रखता है तो उसे 'सत' कहा जाता है। नियम विपरीत कार्य असत्य हैं। असत्य कर्मों को ही अनैतिकता के नाम से जाना जाता है। अनैतिकता का आधार आदर्शात्मक न होकर तर्क पर आश्रित होता है।

भारतीय संविधान की धारा 47 में कहा गया है—राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार की अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया राज्य जीवों और स्वास्थ्य के लिए हानि कारक औषधियों और वनीय प्रजातियों से भिन्न, उपयोग का प्रतिरोध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 राज्य और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं का परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध करना प्रतिरोध करने के लिए कदम उठाएगा तथा अनुच्छेद 48—क राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य—जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 के अनुसार, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने जीवन एवं स्तर में या व्यक्तिगत तौर पर या किसी समूह का सदस्य होने के नाते संयुक्त रूप से सुधार करे।

अपचारी का ठप्पा और अपराध

अपराध सामाजिक विचलन का परिणाम है। सामाजिक संस्थाएँ तथा समाज का परिवेश व्यक्ति को विचलित व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करता है। समाज व्यक्ति को समाज-विरोधी कार्यों का ठप्पा लगाकर उसे विपथगामी बनाता है और उसे अपराध करने की ओर प्रेरित करता है।

व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है। जब कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज उस व्यक्ति के बारे में प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया व्यक्ति को उस प्रतिक्रिया के परिप्रेक्ष्य में कार्य करने को मजबूर करती है। महाभारत युद्ध 'अन्धे की सन्तानें अन्धी होती हैं' की प्रतिक्रिया का परिणाम है। समाज में अन्धे को इसीलिए अन्धा कहने का प्रचलन नहीं है और उसे 'सूरदास' कहकर सम्बोधित किया जाता है। इसका कारण है कि सूरदास एक सम्मानित 'पद' है और इससे समाज पर कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं होती है। इस प्रकार कोई भी समाज जब किसी व्यक्ति पर अपराधी का ठप्पा लगा देता है, तो इस ठप्पा लगा देने की प्रतिक्रियास्वरूप व्यक्ति अपराध की ओर मुड़ जाता है।

एक व्यक्ति शराबी नहीं है किन्तु समाज उस पर शराबी होने का ठप्पा लगा देता है। एक व्यक्ति चोर नहीं है, समाज उस पर चोर होने का ठप्पा लगा देता है। इस प्रकार का ठप्पा लगाकर समाज एक सामान्य व्यक्ति को अपराध करने की ओर मोड़ देता है और वह व्यक्ति चोर और शराबी हो जाता है।

समाज में अपचार या अपराध इसीलिए होते हैं कि समाज व्यक्तियों के लिए कुछ नियम बनाता है तथा यह नियम अपराधों के कारण होते हैं। जो नियम बनाए जाते हैं, वे कुछ व्यक्तियों पर लागू होते हैं तथा इन व्यक्तियों को 'बाहरी' व्यक्ति का ठप्पा लगा दिया जाता है। इस प्रकार अपराध मानव व्यवहार का कोई गुण न होकर नियमों को लागू किए जाने का परिणाम है। कहा जाता है कि अपराधी व्यवहार ऐसे व्यवहार हैं जिस पर समाज अपचार का ठप्पा लगा देते हैं।

समाज अपने व्यक्तियों पर सामाजिक नियन्त्रण लगाता है। ये सामाजिक नियन्त्रण दो प्रकार के औपचारिक एवं अनौपचारिक होते हैं। नियन्त्रण चाहे किसी प्रकार का हो, व्यक्ति को कुछ कार्यों को करने के लिए हतोत्साहित करता है या उन कार्यों पर रोक लगाता है। जो व्यक्ति इन कार्यों को जाने-अनजाने करता है, उन पर अपचार का ठप्पा लग जाता है। जब ठप्पा लग ही गया तो व्यक्ति ऐसे कार्यों को करने में किसी प्रकार की असुविधा का अनुभव नहीं करता है।

वास्तव में जिस सीमा तक समाज व्यक्तियों को विचलनकारी व्यवहारों से रोकने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति को समाज से अलग करने का कार्य करता है। जो व्यक्ति समाज से अलग होता है, वह समाज द्वारा उस पर लगाए गए ठप्पे या चिन्ह या पहिचान के कारण होता है। समाज व्यक्तियों को जिस सीमा तक रोकने का प्रयास करता है, वास्तव में वह उसी सीमा तक समाज में व्यक्तियों को विचलनकारी व्यवहारों को करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जैसे जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो समाज उस व्यक्ति पर 'चोर' का ठप्पा लगा देता है। उसको अन्य चोरों के साथ जेल में डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, जब व्यक्ति जेल से रिहा होता है, तो उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और उस व्यक्ति का समाज में समायोजन नहीं हो पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के साथ समाज ठीक से व्यवहार नहीं करता है। उस व्यक्ति को विश्वसनीय नहीं माना जाता। इस प्रकार उसे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। कहने का तात्पर्य है कि समाज व्यक्ति का ठीक से समायोजन नहीं करता है और समायोजन न करने की इस प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति पुनः अपचारी व्यवहारों के मकड़जाल में फंस जाता है।

मानसिक अपराधियों के बारे में ठप्पा या चिन्हीकरण सिद्धान्त पूरी तरह लागू होता है। समाज जब ऐसे लोगों को सनकी, मूर्ख और पागल का ठप्पा लगा देता है तो उसके साथ सामान्य नागरिकों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आगे आने वाले समय में ऐसे लोग अपना मानसिक सन्तुलन खो देते हैं और पागल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन सनकी लोगों पर 'पागल' होने का ठप्पा लग जाता है। इस प्रकार लोगों के पागलपन का कारण समाज की वह विकृत मानसिकता है जो व्यक्ति पर पागल का ठप्पा लगाकर उसे अपराध जगत की ओर कार्य करने की प्रेरणा देती है।

ऐसे अनेक तरीके हैं जिनके माध्यम से मानव को चोट पहुँचाई जाती है, जैसे उसे मारा जा सकता है या उसे चोट पहुँचाई जा सकती है या उसके स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाई जा सकती है इस प्रकार की क्रियाओं को 'व्यक्ति के विरुद्ध अपराध' के नाम से जाना जाता है। दूसरी अवस्था में उसकी सम्पत्ति को चोट पहुँचाई जा सकती है, पशुओं को चुराया जा सकता है, मकान में आग लगाई जा सकती है, फसल नष्ट की जा सकती है, उसे धोखा दिया जा सकता है, आदि। इन सभी क्रियाओं को 'सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध' के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार मनुष्य किसी लिखा-पढ़ी में गलत लिखा लेता है जिससे कानूनी हानि या लाभ होता है। इसीलिए अपराधों के इस वर्गीकरण को अन्य वर्ग में रखा जाता है। इसी प्रकार अनेक ऐसे अपराध होते हैं जो सम्पत्ति या शरीर की अपेक्षा मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार अनेक अपराध ऐसे हैं जिनसे जन-शक्ति भंग होती है। संक्षेप में भारतीय दण्ड संहिता में अपराध को सुविधा की दृष्टि से सात भागों में बाँटा गया है।

प्रथम भाग में मानव-शरीर के विरुद्ध अपराधों के अन्तर्गत गैरकानूनी मानव-हत्या, गर्भपात, शिशु प्रगटीकरण और शिशु जन्म को छिपाना, साधारण चोट, गम्भीर चोट (बन्ध्याकरण करना, आँख की ज्याति नष्ट करना, श्रवण शक्ति नष्ट करना, किसी सदस्य से अलग

कर देना, सदस्य शक्ति नष्ट करना, किसी का सिर या चेहरे को कुरूप करना, दाँत या हड्डी को तोड़ना या जोड़ हटाना, कोई भी चोट जिससे जीवन को खतरा हो या असह्य पीड़ा हो और जीवन यापन संचालन में कठिनाई हो), गलत प्रतिरोध, गलत बंधन, अपराधी शक्ति, आक्रमण, किसी को भगाना, बलात् अपहरण, बलात्कार (स्त्री की इच्छा के विपरीत, स्त्री की सहमति के बिना, स्त्री की सहमति किन्तु उसकी मृत्यु या चोट का भय दिखाकर, स्त्री की सहमति जबकि वह स्त्री का पति न हो, स्त्री के साथ विवाह करने का छल, नाबालिग से चाहे सहमति हो या असहमति), प्राकृतिक अपराध, **द्वितीय भाग** में—सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के अन्तर्गत चोरी, अवैध धनापहरण, लूट, डकैती, अपराधी—गलत स्वयत्तीकरण, अपराधी— विश्वासघात, चुराई सम्पत्ति प्राप्त करना, धोखा देना या शरारत, कपटी कार्य, सम्पत्ति का कुप्रबंध, अपराधी—अतिक्रमण (मकान अतिक्रमण, मकान में अतिक्रमण की घात में रहना, रात में मकान में अतिक्रमण की घात, मकान गिराना, रात्रि में मकान गिराना), **तृतीय भाग** में लेख से सम्बन्धित अपराध के अन्तर्गत जाली कार्य, गलत व्यापार चिह्न का प्रयोग, गलत सम्पत्ति—चिह्न का प्रयोग, जाली नोट छापना, **चतुर्थ भाग** में—मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले अपराध, बदनामी, अपराधी—धमकी, पीड़ा, **पंचम भाग** में—सम्पूर्ण जनता को प्रत्यक्ष प्रभावित करने वाले अपराधों में गैरकानूनी संघ की सदस्यता (4 से अधिक व्यक्तियों का संघ की सदस्यता अपराध एवं कठोर कारावास से दण्डनीय है), दंगा, वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ाना, कलह, जन-बाधा, लाटरी केन्द्र स्थापित करना, **षष्ठम भाग** में राज्य के विरुद्ध अपराध के अन्तर्गत शासक के विरुद्ध युद्ध करना, राजद्रोह करवाना, गदर को उकसाना, गलत मुद्रा या टिकट बनाना, कानूनी आज्ञा की अवहेलना, गलत गवाही देना, **सप्तम भाग** में शासको द्वारा अपराध के अंतर्गत गैरकानूनी पुरस्कार प्राप्त करना, कानून की अवहेलना करना या ऐसे प्रमाण—पत्र तैयार करना जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुँचे, गैरकानूनी ढंग से किसी व्यापार में अपने को लगाना या सम्पत्ति की नीलामी में बोली देना या खरीदना।

भारत में अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। समाज का कोई भी वर्ग अपराध करने से नहीं हिचकता है। पहले कोई गरीब या अभावग्रस्त व्यक्ति अपनी छोटी—माटी आवश्यकता की पूर्ति के लिए छोटी—मोटी चोरी, संधमारी, वस्तु छीनने जैसे अपराध करता था। अब अपराध एक व्यवसाय बन गया है। इस व्यवसाय में समाज के उच्च एवं सम्मानित पदों पर बैठे लोग अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं—चाहे सत्ता में बैठे मन्त्रीगण हों, उच्च प्रशासनिक अधिकारी हों, शिक्षा संस्थानों के प्रबन्धक हों, कानून के पालक पुलिस अधिकारी हों या न्याय के मन्दिर में बैठने वाले न्यायाधीश ही क्यों न हों, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

भारत की राजनीति में अपराधीकरण अपनी चरम सीमा पर है, जिसे देखकर यह आशंका पैदा होती है कि आने वाले दिनों में राजनीति में सिर्फ अपराधी छवि वाले लोग ही रह पाएंगे और अच्छे लोग इससे किनारा कर लेंगे। राजनीति में अपराधीकरण के पीछे एक बड़ा कारण पैसा है। पैसा गलत तरीकों से उगाहा जाता है। चुनावों में काले धन का बेहताशा इस्तेमान होता है। आज यह समस्या और अधिक गम्भीर हो गई है और अब यह देश की एकता, अखण्डता और सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गई है। क्योंकि इस काले धन के जनक तस्कर, करवंचक, नेता, अभिनेता, अफीम और हेरोइन बेचने वाले मौत के सौदागर, रिश्वतखोर, उच्च पदस्थ अधिकारीगण और ऐसे लोग हैं जो अपने धन को उन व्यापारों में लगाते हैं जिससे देश में भौतिकवादी संस्कृति का प्रचार—प्रसार हो रहा है और परिणामस्वरूप युवा पीढ़ी दिगभ्रमित हो रही है।

समाज आज यौन अपराधों की गिरफ्त में है और इसका ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यौन अपराधों के लिए टी.वी. कल्चर अधिक जिम्मेवार है। टी.वी. कार्यक्रमों में आवश्यकता से अधिक ग्लैमर प्रदर्शन युवा पीढ़ी को दिगभ्रमित करता है। यही कारण है कि समाज में बलात्कार तथा यौन—शोषण की समस्या दिन—प्रतिदिन बढ़ रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्रान्ति तथा भूमण्डलीकरण के इस युग में जहाँ एक ओर समाज में जागरूकता बढ़ी है और देश—विदेश के नगरों के बीच दूरियाँ घटी हैं, वहीं इनके प्रयोग से नए—नए प्रकार के अपराधों का भी जन्म हुआ है। भ्रूण हत्या, गर्भपात, साइबर, क्राइम, फोन और इन्टरनेट चैटिंग, गुप्त कैमरों द्वारा बैडरूम या बाथरूम की वीडियोग्राफी आदि ऐसे अनेक अपराध हैं जो इसे श्रेणी में आते हैं।

‘क्राइम इन इण्डिया’, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एक घण्टे में लगभग **265 संज्ञेय** अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत और 448 अपराध स्थानीय और विशेष कानून के तहत दर्ज होते हैं। एक दिन में लगभग 94 **हत्याएँ**, 66 **बलात्कार**, 122 **अपहरण** व अपगमन, 24 **दहेज हत्याएँ**, 12 **डकैती** की रिपोर्ट तथा अन्य फौजदारी अपराध पुलिस के सामने आते हैं।

वर्ष—2011 में (1) **हिंसक अपराध के अन्तर्गत**—हत्या—34305, हत्या का प्रयास—31385, **गैर इरादतन हत्या**—3707, **बलात्कार**—24206, अपहरण एवं अपगमन—44664, डकैती की तैयारी—2895, लूटपाट—24700, दंगे—68500, आगजनी—9064, दहेज हत्या—8618 कुल हिंसक अपराध—256329, (2) **महिलाओं के विरुद्ध अपराध के अन्तर्गत**—नारी या बालिका का अपहरण एवं अपगमन—35565, छेड़छाड़—42968, यौनि उत्पीड़न—8570, पति एवं परिजनों द्वारा क्रूरता (घरेलू हिंसा)—99135, बालिकाओं का अनैतिक व्यापार—80 महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध—228650 (आई.पी.सी एवं एस.एल.एल.), (3) **आर्थिक अपराध के अन्तर्गत**—अमानत में ख्यानत या विश्वासघात—17457, धोखोबाजी—87656, नकली उत्पाद—2307, कुल आर्थिक अपराध के 107420 केस दर्ज हुए।

समाज का रक्षण—भक्षण और संरक्षण

(सामाजिक व्यवस्था में पतन कारकों का वर्तमान स्वरूप)

राजनीतिज्ञ एवं उच्चाधिकारी भ्रष्टाचार के केन्द्र हैं। इनमें नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और देशप्रेम की भावना विकसित हुए बगैर सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का निवारण असम्भव है। समाज अपने को अपराधों से कैसे मुक्त रख सकता है, यह उसके समक्ष बड़ी समस्या है। इसके लिए समय-समय पर अनेक उपाय किए गए हैं। स्वतन्त्र भारत में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के संचालन हेतु 'भारतीय संविधान' के प्रावधान दि 26-1-1952 से लागू हैं। अपराध उन्मूलन के लिए 'भारतीय दण्ड संहिता' एवं 'दण्ड प्रक्रिया संहिता' तथा जेल-प्रणाली, परवीक्षा, पैरोल, उत्तर-संरक्षण सेवाओं के माध्यम से अपराधों की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रत्येक समाज अपने नागरिकों के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य तय करता है। साथ ही इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ साधन भी बताता है। समाज द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को समाज द्वारा निर्धारित साधनों से प्राप्त करना अनुरूपता है, किन्तु इनमें यदि कोई भिन्नता, असुरक्षा व तालमेल नहीं बैठता तो 'विपथगमन' उत्पन्न हो जाता है जो कि सामाजिक मानदण्डों एवं प्रतिमानों के प्रतिकूल आचरण अर्थात् अपराध है। एक अपराधी भी अपराध इसलिए करता है कि उसे अपराध करने पर दुःख की तुलना में सुख अधिक मिलता है। अपराधियों की शारीरिक रचना आदि मानव और पशुओं से बहुत कुछ मिलती जुलती होती है और इनमें जंगलीपन और पशुता के गुण होते हैं। जो उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं।

समाज में मुख्यतया अपराधी दो प्रकार के पाए जाते हैं एक निम्नवर्गीय अपराधी जो गरीब एवं निम्न वर्ग के होते हैं और अपनी भूख व रोग मिटाने के लिए अपराध करते हैं तथा शीघ्र पकड़ लिए जाते हैं, दूसरे उच्चवर्गीय/श्वेतवशनधारी/सफेदपोश अपराधी धनी एवं प्रतिष्ठित होते हैं और आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं तथा साधन-सम्पन्नता के कारण पकड़ में नहीं आते एवं दण्ड से बच जाते हैं। अपराधी व्यक्ति उत्तेजना, अनुकरण, संस्कार, अहम्, लालच, गुलामी, दबाव, भय, दरिद्रता, विवसता, सहयोग एवं संरक्षण से प्रभावित होकर अपराध करता है।

वर्तमान में उच्चवर्गीय अपराधी साम, दाम, भेद से अपने को समाज-राज व्यवस्था के उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। उच्चवर्गीय अपराधी अपने धन-पद-प्रतिष्ठा के प्रभाव में घन-पद लोलुप व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाकर व संगठित गिरोंह के रूप तरह-तरह के अपराध कर रहे हैं। उच्चवर्गीय अपराधियों की जालसाजी, भ्रष्टाचार, विश्वासघात, षडयन्त्र, मुनाफाखोरी, रिश्वत, तस्करी, चोरबाजारी, अवैध-वसूली, ठगी, मिलावट, हेराफेरी, टैक्सचोरी, सरकारी योजनाओं का धन गबन, पद का दुरुपयोग, गुप्त-व्यवहार आदि का स्वरूप विकराल बड़ा व्यापक होता जा रहा है।

शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, सरकार, न्यायालय, उद्योग आदि क्षेत्रों में तरह-तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। व्यापारियों द्वारा तौल-नाप में हेराफेरी, मिलावट, कालाबाजारी, करचोरी चुनाव में धन-वितरण, चन्दा, दबंगई, उत्पात, सरकारी व गैरसरकारी संस्थानों का फर्जीवाड़ा, पैसे लेकर न्यायालय तारीख दिया जाना, बेरोजगारों से नौकरी के नाम पर ठगी, गोरखधन्धे, सरकारी विकास की योजनाओं की धन-सम्पत्ति का दुरुपयोग, फर्जीवाड़ा, आय के स्रोतों से अधिक आय, निर्धारित आचरण संहिता व कानून का उल्लंघन, पुलिस उत्पीड़न, घूसखोरी, फर्जी आख्या, राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों तथा सोसाइटी एवं ट्रस्टों में अवैध भागीदारी व स्वयंभू पदासीनता, सरकारी विकास की योजनाओं के धन सम्पत्ति का बंदरबांट, अवैध कब्जा, उत्पीड़न, दहशत, दबंगई, फर्जीवाड़ा, उत्पात, कानून-संहिताओं का उल्लंघन, जनहित उपेक्षा, जनहितकारी दायित्वों का अभाव, चन्दे की रकम में गोलमाल, आदि सभी अपराध दण्डनीय हैं। इसके बावजूद प्रत्येक समाज में अपराधी लोग खुले-आम अपराध कर सार्वजनिक व दीन-दुखियों के धन और सम्पत्ति पर जबरदस्त कब्जा कर रहे हैं तथा सरकारी विभागों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, जनता के आवासों, मुहल्लों, चौराहों पर अवैध-वसूली, लूट-खसोट, दहशत, उत्पात, जालसाजी, ठगी, अवैध-वाहनों का संचालन जन-समाज को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। अपराधी धन, पद एवं प्रतिष्ठा के बल पर निवास पता एवं अवैध प्रशासनिक आख्याओं आदि के फर्जी प्रपत्रों के माध्यम से अवैध लाइसेन्सों के फर्जीवाड़ा से दहशत के प्रभाव में सार्वजनिक-सरकारी विकास की योजनाओं के धन और सम्पत्ति पर कब्जा कर कर दीन-दुखी जनो को कल्याणकारी योजनाओं से जबरदस्त बंचित कर रहे हैं।

अपराध एवं अपराधिक घटनाओं के अध्ययन के परिणामस्वरूप प्रकटित तथ्य शासन व प्रशासनिक कार्यप्रणाली को दोषपूर्ण ठहराते हैं। सत्ता एवं सरकार में सहयोग करने वाले अपराधी व्यक्ति समाज के लिए अत्यन्त दुःखदायी बनते जा रहे हैं। इन अपराधियों को सरकार एवं पुलिस दण्ड न देकर उनकी सुरक्षा कवच बन कर तरह-तरह के समारोह आयोजित कर पुरस्कृत करती रहती है जिससे अपराधी उत्साहित होकर लूट, डकैती, हत्या, उत्पात, जबरदस्त कब्जा, बलात्कार, जहरखुरानी, मारपीट, चोरी, तस्करी, मादक पदार्थों का व्यापार, गुण्डाटैक्स, षडयन्त्र, उत्पीड़न, सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग, फर्जीवाड़ा, दबंगई, आयुध-प्रदर्शन, कालाबाजारी आदि घटनाओं से देश-समाज को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। अपराध की घटनाओं के समय अपराधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों एवं सुरक्षाबलों की उपस्थिति एवं स्थानीय पुलिस का पलायन, आयुधों का प्रदर्शन, पुलिस उत्पीड़न, दहशत, गवाहों का उत्पीड़न आदि के कारण जन-सामान्य बुरी तरह हतोत्साहित होकर उत्पीड़न को झेलने व आँसू बहाने को मजबूर हो रहा है। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपराधी भ्रामक तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्यवाही का दुरुपयोग करके समाज में माननीय के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं।

वर्तमान में अपराधियों की अराजक-सत्ता का चहुतरफा बोलबाला होता जा रहा है। सरकार, कानून, न्यायालय, पुलिस, प्रशासन, नैतिकता, इन्सानियत, धर्म, संहिता, शिक्षा, समाज, व्यवस्था सभी इनके लिए पॉकेट की वस्तुएँ बनती जा रही हैं तथा अपराध लूट, डकैती, अपहरण, हत्या, कालाबाजारी, रिश्वत, दहेज, षडयन्त्र, बलात्कार, गुण्डाटैक्स, उत्पात, मार-पीट, बलवा, तस्करी, फर्जीवाड़ा, करचोरी, सार्वजनिक स्थलो पर अवैध कब्जा, सरकारी विकास की योजनाओं के धन का हड़पकर स्वलाभ कमाना आदि **समाज-सेवा कार्य** बनता जा रहा है।

सफेदपोश अपराध के कारण और निवारण

आज अपराध उन व्यक्तियों के द्वारा नहीं किए जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, अपराधी वे व्यक्ति नहीं हैं जिनमें शारीरिक या मानसिक 'विकार' पाया जाता है या जिनके ऊपर वातावरण का दबाव रहता है। वर्तमान में अपराध उन व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं जो समाज में उच्च प्रतिष्ठाप्राप्त हैं। समाज में इस प्रकार की कानून-विहीनता चिन्ता का विषय है और समाज को किसी भी दिन नष्ट कर सकती है। समाज में बढ़ती हुई इस अपराध-प्रवृत्ति को ही 'सफेदपोश अपराध' कहा जाता है। "उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा की ओट में किया गया कानून का उल्लंघन ही सफेदपोश अपराध है।"

यदि ऐतिहासिक दृष्टि से 'सफेदपोश अपराध' की विवेचना की जाए, तो ये अपराध आदिकाल से पाए जाते रहे हैं। इतिहास, साहित्य और संस्कृति के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये अपराध सार्वदेशिक और सार्वकालिक रहे हैं। आदिम और आधुनिक तथा शिक्षित और अशिक्षित सभी समाजों में इस प्रकार के अपराध पाए जाते हैं। अन्तर सिर्फ इतना है कि ये अपराध अपनी 'सफेदी' के बल पर किए जाते हैं और अपनी सफेदी में अपराध की कालिमा को छिपाए रहते हैं।

'सफेदपोश अपराध' अपराध का एक प्रकार है। यह अपने लक्षणों में अपराध के समान ही है। यह अपराध समाज में उच्च एवं प्रतिष्ठित लोगों द्वारा सम्पादित किया जाता है। इनकी प्रकृति गोपनीय होती है। इसी गोपनीयता के कारण सफेदपोश अपराधों को प्रोत्साहन मिलता है। जिस क्षण गोपनीयता समाप्त हो जाती है तथा यह सफेदी कलंकित होकर अपराध का रूप धारण कर लेती है। यह विश्वास तोड़ने एवं कानून के पालन में भेद करने पर आधारित होता है। इनके सम्पादन से भी राष्ट्रीय एवं सामाजिक क्षति होती है। सफेदपोश अपराध सामान्य अपराधों की भाँति निन्दनीय व दण्डनीय होते हैं।

देश, काल और परिस्थितियों में सफेदपोश अपराध के अलग-अलग कारण हो सकते हैं। सफेदपोश अपराध के कुछ सामान्य कारण पूर्ण स्वार्थवाद, उच्च प्रतिष्ठा, गोपनीयता, जन-जागरूकता का अभाव, कानून की अनभिज्ञता, अज्ञानता, दंड का अभाव आदि हैं।

स्वार्थ और परार्थ दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ प्रत्येक समाज में पाई जाती रहीं हैं। स्वार्थवाद की भावना जब प्रबल हो जाती है, तो समाज में अपराधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जब यह स्वार्थवाद अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है तो सफेदपोश अपराधों की संख्या बढ़ने लगती है। दूध में पानी मिलाना, घी में डालड़ा मिलाना, नकली दवाइयों का निर्माण करना, गलत विज्ञापन और व्यापार-चिन्हों का उल्लंघन सफेदपोश अपराध हैं जिनके मूल में स्वार्थी प्रवृत्तियाँ ही गतिशील रहती हैं। समाज में तथाकथित ऊँची प्रतिष्ठा भी सफेदपोश अपराध का कारण है। यह प्रतिष्ठा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा अन्य प्रकार की हो सकती है। इस प्रतिष्ठा के आधार पर व्यक्ति शासन तथा कर्मचारियों से सम्बन्ध रखते हैं और कानूनों का उल्लंघन करते हैं। प्रतिष्ठा के अभाव में जो अपराध किए जाते हैं वे सफेदपोश न होकर साधारण अपराध हो जाते हैं। सफेदपोश अपराध इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इनकी प्रकृति गुप्त रहती है। सामान्य जनता की नजरों की आड़ में ये अपराध किए जाते हैं। जैसे ही इन अपराधों की गोपनीयता समाप्त होती है, जन-जागरूकता के द्वारा इन अपराधों को समाप्त कर दिया जाता है। जन-जागरूकता के अभाव में इन अपराधों में वृद्धि होती है। सामान्य जनता कानूनों को समझ नहीं पाती है तथा इनके परिणामों का ज्ञान न होने के कारण भी अपराध होते हैं। अज्ञानता के कारण इन अपराधों का संरक्षण मिलता है। उदाहरण के लिए जब 50 रुपए में साइकिल एवं 25 रुपए में पंखा का विज्ञापन किया जाता है और पैसे अग्रिम ही लिए जाते हैं, तो जनता की नासमझी से ही ऐसा सम्भव होता है। यदि जनता यह जाने कि पंखा और साइकिल 50-25 में प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो शायद अपराध कम हो जाएँ। सफेदपोश अपराधी धन, प्रतिष्ठा और पद के प्रभाव में दण्ड से बच जाते हैं। दण्ड में सुधारात्मक दृष्टिकोण का विकास एवं अपराधियों में दण्ड का भय की समाप्ति, जनांकिकीय भिन्नताएँ जिसके कारण समूह और परम्परात्मक नियन्त्रण के साधनों का प्रभावहीन होना, जनतान्त्रिक शासन-व्यवस्था के दोष, नैतिक शिक्षा का अभाव, चरित्र का अधःपतन, व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा, प्रशासकीय व्यवस्था के दोष, उत्तरदायित्व की भावना का अभाव, गलत सामाजिक संरचना व इसमें होने वाले परिवर्तन, समाज में धन का बढ़ता महत्त्व एवं इसके प्रति अधिक लालसा आदि कारण हैं।

देश में अत्यधिक मात्रा में सफेदपोश अपराध पाए जाते हैं। व्यापारियों के द्वारा शासन के साथ विश्वासघात और टैक्स चोरी आदि के द्वारा तथा उपभोक्ताओं के साथ महुँगी और मिलावटी वस्तुओं का विक्रय करके अपराध किए जा रहे हैं। अवैध व्यापारों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है—जैसे सोना, गौँजा, शराब, घड़ी, टेरीलीन आदि वस्तुओं का अवैध व्यापार करके अपराध किए जा रहे हैं। बड़े-बड़े धर्म-नेताओं के द्वारा भी अनेक प्रकार के अपराध किए जाते हैं, जैसे पूजा-पाठ, दक्षिणा, कर्मकाण्ड आदि में लोगों की भावनाओं को चोट पहुँचाकर, धर्म का अर्थ से सह-सम्बन्ध जोड़ना। चिकित्सकों द्वारा फीस लेना और फीस की लम्बी रकम के आधार पर सब-कुछ करना, गलत प्रमाण-पत्र देना, प्रभावहीन दवाओं का प्रयोग, पर्याप्त शासकीय सुविधाएँ मरीजों को न देना और नमूने की दवाओं की बिक्री आदि कर अनेक अपराध किए जाते हैं। पुलिस अधिकारियों की उदासीनता, खानापूर्ति, दमन प्रवृत्ति और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्बन्ध के कारण भी अनेक अपराध होते हैं। इन्जीनियर जिनका देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण हाथ होता है, किन्तु वे इन आदिशों की ओर ध्यान नहीं देते हैं और अपने को मात्र शासकीय अधिकार समझते हैं। इस प्रकार सफेदपोश अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

समाज के उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समाज विरोधी कार्य जन-साधारण के लिए अत्यन्त घातक एवं दुःखद बन रहे हैं। सरकारी-सार्वजनिक संस्थानों, उद्योगों और विभागों के अध्ययनों के निष्कर्ष बताते हैं कि व्यापारिक गतिरोध, गलत विज्ञापन, विशिष्ट अधिकार पत्र, सर्वाधिकार और व्यापार चिह्न का उल्लंघन, अन्यायपूर्ण श्रम पद्धति, वित्तीय ढाँचा, विश्वासघात और युद्ध के नियमों का

उल्लंघन तथा अन्य अपराधों की जानकारी प्राप्त की गई। जिसमें 91% लोगों ने एक या एक से अधिक अपराध करने की बात स्वीकार की है। जिसमें व्यापारी और वकीलों द्वारा सर्वाधिक अपराध किए जाने की बात कही गई है। इन लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराध—किसी तथ्य को झूठा करना, टैक्स हटाना, दंगे, झूठी गवाही देना तथा अपराधियों को संरक्षण देकर घटना को अन्जाम देना आदि हैं। भ्रष्टाचार मामलों में पुलिस व प्रशासनिक लोग संलिप्त पाए गए।

व्यापारी, वकील, अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, चिकित्सक, धर्मवेत्ता, कारीगर, किसान, श्रमिक, गृहस्वामिनी, विद्यार्थी और सैनिक तथा शासकीय नौकर आदि व्यक्तियों का अध्ययन किया गया और वालस्टेन और वाइन ने अपने अध्ययन में पाया कि निम्न व्यवसायियों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उनकी प्रकृति इस प्रकार है—

व्यापारी और वकील इनके द्वारा सबसे अधिक अपराध किए जाते हैं। इन लोगों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं इनमें किसी तथ्य को झूठा करना, कर हटाना, दंगा और झूठी गवाही देना आदि प्रमुख हैं।

अध्यापक और सामाजिक कार्यकर्ता इनके द्वारा गम्भीर अपराध नहीं किए जाते हैं, किन्तु इनके द्वारा शरारती तत्त्वों को प्रोत्साहन मिलता है और यह अपराधिक घटनाओं की योजनाओं के निर्माता होते हैं। इस संबंध में इन्हें सबसे अधिक दोषी पाया गया है।

कारीगर और यान्त्रिक इनके द्वारा मुख्य रूप से दुर्व्यवहार और यौन-अपराध किए जाते हैं।

कृषक अधिकतर बन्दूकों तथा अन्य अस्त्र-शस्त्रों को अवैधानिक ढंग से रखने के दोषी पाए गए। उनके पास अधिकांश अस्त्र-शस्त्र ऐसे होते हैं जिनका लाइसेन्स नहीं होता है।

राजनेता—शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं। उनके द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है तथा वे राष्ट्र के रक्षक होते हैं। इन नेताओं का शासकीय नौकरों से हमेशा काम बना रहता है। इस प्रकार राजनेता और शासकीय नौकर अपने व्यवसाय और कर्तव्यों में कन्धा से कन्धा मिलाकर खड़े होते हैं। इस प्रकार दोनों एक प्रकार के अपराध करते हैं। सामान्यतया इनके द्वारा जनकोष का दुरुपयोग किया जाता है। भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रीय निधियों का व्यापार किया जाता है।

श्रमसंघ नेता वे व्यक्ति होते हैं जो प्रत्येक स्थिति में तथा हर कीमत पर पूँजीपति लोगों से संघर्ष लेने के लिए तैयार रहते हैं। श्रमसंघ नेताओं द्वारा श्रमिकों और पूँजीपतियों में संघर्ष की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जाता है क्योंकि दोनों के संघर्ष से ही उनकी इज्जत तथा स्थिति मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त श्रमसंघ नेताओं द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है और उनके पैसों का दुर्व्यवहार किया जाता है।

चिकित्सा व्यवसायी चिकित्सा व्यवसाय को आदर्श व्यवसाय कहा जाता है जिसका उद्देश्य पीड़ित मानव की सेवा करना है। किन्तु आज क्या ऐसा होता है? वर्तमान युग में चिकित्सकों द्वारा इन आदर्शों की उपेक्षा की जाती है। गर्भपात अनैतिक होते हुए भी लम्बी फीस लेकर किया जाता है। फीस लेना भी एक प्रकार से समाज-विरोधी कार्य ही है। ऑपरेशनों में किडनी चोरी होती है।

श्रमिक इनके द्वारा चोरी, संध मारना और लूट आदि के अपराध किए जाते हैं। इनके अपराध दरिद्रता पर आधारित होते हैं।

विद्यार्थी इनके द्वारा आवागमन के नियमों का उल्लंघन आदि साधारण अपराध किए जाते हैं। बेरोजगारी इनकी समस्या है।

सफेदपोश अपराध का उन्मूलन सफेदपोश अपराध का मानव-आचरण से घनिष्ठ सम्बन्ध है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक प्रत्येक समाज में सफेदपोश अपराधों का कम या अधिक मात्रा में अस्तित्व रहा है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सफेदपोश अपराध सार्वभौमिक है। सफेदपोश अपराध किसी भी देश के नागरिकों में व्याप्त चारित्रिक अधःपतन की समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए नागरिकों में चरित्र निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। देश के नागरिकों में चरित्र निर्माण के लिए व्यक्तित्व का विकास करना एवं सामुदायिक भावना का महत्त्व तथा राष्ट्रीय भावना का विकास होना चाहिए। नेतृत्व के लिए योग्यता का निर्धारण, सस्ती नेतागिरी को हतोत्साह, राजनीतिक दलों में नैतिक स्तर का विकास, जन-जागरूकता का विकास तथा नेतृत्व के लिए नैतिक संहिता का निर्माण होना चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा, सभी संकायों में स्वतन्त्र शिक्षा की व्यवस्था, नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, शैक्षणिक जागरूकता का विकास, परम्परागत शिक्षा-व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। सफेदपोश अपराध, अपराध का वह प्रकार है जिसका देश की अर्थव्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करके रोजगार की सुविधाएँ, व्यावसायिक नैतिकता का विकास, एकाधिकार का अन्त, निर्धनता तथा परमिट व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए। प्रशासकीय सुधार, सफेदपोश अपराधियों की जन-निन्दा, कठोर दण्ड की व्यवस्था, जनता को कानूनी ज्ञान, जनता में जागरूकता का विकास, समूहवाद की भावना का विकास, परोपकारी भावनाओं का विकास तथा कल्याणकारी संस्थाओं का विकास से सफेदपोश अपराधों को समाप्त किया जा सकता है।

अपराध, न्याय और दण्ड के व्यवहारिक स्वरूप

(जिस देश-समाज में बुराई का हतोत्साह एवं अच्छाई का प्रोत्साहन नहीं होता वह नष्ट हो जाता है।)

अपराध के शिकार व्यक्तियों से सम्बन्धित अध्ययनों के फलस्वरूप प्राप्त निष्कर्ष तथ्य-वास्तविक अपराधी धन, पद एवं प्रतिष्ठा कवच धारी होते हैं और न्याय प्रक्रिया को द्विआर्थी शब्दों से दुरुपयोग कर फर्जी तथ्यों के साक्ष्यों से पीड़ित निर्दोष को ही दण्ड दिलाने में सफल होते हैं। ऐसे अपराधों में धन-लोलुप नेता, दलाल, समाजसेवी, ठेकेदार, प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी, ईर्ष्यालुओं की भूमिकाएँ प्रमुख होती हैं। अपराध का शिकार पीड़ित और उसके सहयोगी दण्ड का भागी होकर बेबसी के आँसू बहाने हेतु मजबूर होते हैं और अपराधी प्रोत्साहित होते रहते हैं, तथ्य अति गम्भीर एवं विचारणीय हैं।

अपराध, न्याय और दण्ड के व्यवहारिक स्वरूपों की सामाजिक धारणाओं के उदाहरण नियम-कानून अनुसरण प्रतीक बनते हैं। अपराध, न्याय और दण्ड के व्यवहारिक स्वरूपों पर विचारोपरान्त व्याख्याओं में घटना के प्रति समाज की अवधारणाओं से सम्बन्धित विचारों का समावेश सार्थक सिद्ध हो सकता है, आशय से प्रेरित विचार हैं:-

विचार-1. एक सज्जन ने मार्ग में पड़े गोबर को यह सोचकर उठाकर दूसरी जगह फेंक दिया कि इसकी सड़न से उत्पन्न बीमारियों से लोग प्रभावित हों सकते हैं। इस घटना को देखकर एक दम्भी व्यक्ति ने सज्जन के विरुद्ध मुकदमा कर दिया। मुकदमा चला और सज्जन व्यक्ति ने अपने बचाव में कहा, “हाँ मैंने गोबर को उठाकर दूसरी जगह फेंका है क्योंकि इसकी सड़न से उत्पन्न बीमारियों से लोग प्रभावित हों सकते हैं” दम्भी ने प्रतिक्रिया स्वरूप कहा “जिसे यह गोबर कह रहा है वह मेरी खाद थी और खाद पड़ने से मेरी फसल अच्छी होती” और कथन- “हाँ मैंने गोबर को उठाकर दूसरी जगह फेंका है” अपराध की स्वीकृत है, जो कि दण्डनीय है। तर्क-बहस के उपरान्त सज्जन व्यक्ति दोषी सिद्ध हुआ और उसे चोरी के दण्ड में सात वर्ष की सजा मिली।

विचार-2., दो अभिन्न मित्रों ने आपस में मिलकर व्यापार करने का विचार किया। पहले ने ‘भैंस’ खरीद कर ‘दूध-व्यापार’ तथा दूसरे ने ‘जमीन’ खरीद कर ‘खेती’ करने की बात कही। व्यापारों में भिन्नता के कारण प्रथम बोला “मैं तो भैंस ही खरीदूंगा” तो दूसरा बोला “मैं भी जमीन खरीदूंगा और यदि तुम्हारी भैंस मेरे खेतों में घुसकर फसल बर्बाद करेगी तो ठीक न होगा” तो पहला बोला क्या कर लोगे? इस प्रकार दोनों मित्र आपस में झगड़ने लगे तथा मारपीट उपरान्त मामला पुलिस और न्यायालय में पहुँचा। न्यायिक बचाव पक्ष में अभियुक्त के मौन रहने पर जज साहब ने घटना के कारणों को जानना चाहा तो दोनों बोले, हुजूर, आप हमें जो चाहें सजा देना चाहे दें, परन्तु घटना का कारण न पूछिए क्योंकि न तो हमारे पास कहीं जमीन है और न ही भैंस।

विचार-3. एक गाँव में एक कहार जाति के व्यक्ति का उसके पड़ोसी दबंग से विवाद हो गया तो दबंग चुप रह गया। कुछ समय बाद कहार व्यक्ति के भाइयों में बंटवारे को लेकर आपस में विवाद हुआ तो दबंग ने अपनी बन्दूक से पड़ोसी कहार को गोली मार दी। पुलिस आयी और मृतक का शव लेकर चली गई। मृतक का भाई आपसी झगड़ा भूलकर परिजनों सहित थाने गया और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। थाने के दरोगा का प्रश्न-तुम भाइयों के बीच आज कोई विवाद हुआ था जिसके जबाब में मृतक के भाई ने हाँ कहा तथा दरोगा के दूसरा प्रश्न तुम्हारे भाई को दबंग ने क्यों मारा का जबाब में निरुत्तर हो जाने पर दरोगा ने लाठी लेकर मृतक के भाई को पीटना शुरू कर दिया तथा मृतक के भाई के विरुद्ध ही रिपोर्ट दर्ज कर उसे मुल्जिम बनाकर जेल भेजा और न्यायालय में दबंग आदि लोगों की गवाही पर मृतक के भाई को आजीवन कारावास हुई।

विचार-4., बीसवीं शताब्दी के नौवें दशक में पुलिस द्वारा बदमाशों का इन्काउण्टर की घटनाएँ बहुतायत में हुई थीं। इसी क्रम में रामगंगा बड़ी नहर किनारे एक गाँव में भोर एक पुलिस का सिपाही अपने हाथों में रायफल लिए व खूनी सुर्ख लाल आँखे किए पहुँचा और गाँव वालों को बताया कि हमारे थाने का पुलिस फोर्स चार बदमाशों को बाँधकर इन्काउंटर करने नहर किनारे लाई। योजना के तहत बदमाशों को गोली मारने के लिए मुझसे कहा गया तो मैंने बदमाशों को गई मारी और जब देखा दरोगा मुझ पर गोली चलाना चाहता है तो मैंने उस पर गोली चला भाग आया।

विचार-5. एक सामान्य पीड़ित व्यक्ति जब पुलिस सहायता के लिए थाने में घटना की शिकायत करने जाता है तो सर्वप्रथम पीड़ित व्यक्ति से ऊल-जुलूल प्रश्न कर उसे हतोत्साहित किया जाता है और यदि पीड़ित व्यक्ति झुंझलाहट में कुछ कह देता है तो पुलिस वाले उसे अपना शत्रु मानकर सबक सिखाने की ठान तरह-तरह से भयभीत एवं उत्पीड़ित करते हैं जिससे परेशान व्यक्ति से पुलिस वाले जबरदस्त धन ऐंठ कर पीड़ित के विरुद्ध ही फर्जी मामला तैयार कर फंसाते रहते हैं।

विचार-6. जनमानस के किसी भी छोटे-बड़े लेन-देन सम्बन्धी समस्याओं के निस्तारण हेतु ‘न्यायालय’ सर्वोत्तम साधन माना जाता है और इसी धारणा के अनुरूप जब पीड़ित व्यक्ति न्याय हेतु न्यायालय जाता है तथा देखता है कि न्यायालय में अधिकारी-कर्मचारी संहिताओं एवं विधि-नियमों की जबरदस्त उपेक्षा कर खुलेआम न्यायालयों में पैसे लेकर तारीख तक देते हैं मनचाही हड़तालें, बिना कारण कार्यवाही का स्थगन तथा न्यायिक कार्यवाही में संवैधानिक और न्याय प्रक्रिया की जबरदस्त उपेक्षा की जाती है जिसके कारण सार्वजनिक न्याय व्यवस्था मृगमारीचिका बन चुकी है, वह अपने को फंसा महसूस करता है।

विचार-7. बिद्युत विभाग के ज्यादातर लाइनमैन अवैध कटिया लगवा कर विद्युत चोरी कराकर तथा विद्युत लाइनों से आपूर्ति खराब कर

उपभोक्ताओं को परेशान कर जबरदस्त अवैध वसूली करते रहते हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ-संरक्षण में ठेकेदार-कर्मचारी मिलकर संगठित-गिरोह की भाँति जनता में दहशत पैदा कर तथा बड़े उद्योगों को विद्युत चोरी कराकर अवैध वसूली करते रहते हैं। शिकायत-सूचना विद्युत अधिकारियों को दी जाने पर अधिकारी ऊल-जलूल प्रश्नों से शिकायतकर्ता पर जबरदस्त दबाव बनाकर हतोत्साहित करते हैं

विचार-8. सरकारी कर्मचारियों व वेतनभोगी लोगों के लिए निर्धारित आचरण संहिता का खुलेआम जबरदस्त दुरुपयोग तथा आय के स्रोतों की आय से अधिक आय प्रत्येक दृष्टि से निंदनीय, अवैध, दंडनीय है, इसके बावजूद इनकी अर्जित अवैध आय-धन-सम्पत्ति वैधानिक कार्यवाही से परे रहती है।

विचार-9. कोई व्यक्ति अपने साथ घटित घटना का प्रार्थनापत्र अ.धा.156(3) द.प्र.सं. स्वयं इनपर्सन न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो ज्यादातर न्यायिक अधिकारी वकालतनामा के बगैर मामले की सुनवाई करने से मना कर देते हैं। वादी की वैधानिक प्रार्थनाओं की जबरदस्त उपेक्षाकर स्वयं-इनपर्सन अपना पक्ष नहीं रखने देते हैं तथा ऐसे मामलों में न्यायिक अधिकारी अपनी नाराजगी प्रकट कर वादी-पीडित को हतोत्साहित करते हैं। जबकि अ.धा. 302 द.प्र.सं. स्वयं पक्ष रखने का प्रावधान है।

विचार-10. जहाँ एक ओर किसी घटना की न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य-गवाह में ज्यादातर लोग न्यायालय में गवाही देना अपने व परिजनों के लिए खतरा समझ घटना-गवाही से अपने को प्रथक कर लेते हैं जिसका लाभ अपराधी उठाते हैं। साक्ष्य गवाही के अंतर्गत गवाहों की संख्या पर कोई प्रावधान न होने के बावजूद ज्यादातर न्यायिक अधिकारी वादी व अन्य दो गवाह की गवाही से कम साक्ष्यों पर अपराधी के विरुद्ध व घटना के समर्थन में विचार करने से स्पष्ट मना कर देते हैं।

विचार-11. एक बार मैं अपने परिजनों के साथ प्रदेश के सर्वोच्च अधिकारी से मिलने लखनऊ गई तो वहाँ वार्ता में मौजूद एक प्रशासनिक अधिकारी ने कहा आपके शहर से फलां व्यक्ति (जिसका नाम बताना उचित नहीं) विधायक है तो मैंने कहा नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने फोन मिलाकर बातचीत की तो फोन पर भी कथित व्यक्ति ने विधायक न होते हुए भी अपने को विधायक बता अपना निवास दारुलसफा ए-ब्लाक बताया। बिचारोपरांत वहाँ स्वीकार किया गया फलां व्यक्ति विधायक नहीं है।

विचार-12. संहिता सोसाइटी, चिट्स एवं फण्ड के प्रावधानों के अन्तर्गत संचालित गैर सरकारी संगठनों की समितियों के सदस्यों की अर्हताएं, संचालन-प्रक्रिया, सदस्यता, नियम-विनियम आदि निर्धारित हैं। कोई भी राजनैतिक एवं सरकारी अधिकारी तथा सगे-सम्बन्धी आपस में हितबद्ध लोग गैर सरकारी संगठन की समितियों का सदस्य-पदाधिकारी नहीं हो सकता है। इसके बावजूद राजनेता-अधिकारी अपने परिवासीजनों सहित सरकारी योजनाओं के धन को हड़पने के उद्देश्य से हितबद्ध रहकर स्वयं अवैध समितियाँ चला रहे हैं।

विचार-13. जून, 2012 में मुझे कल्याणपुर से फर्रुखाबाद के लिए पैसेंजर ट्रेन मिली। ट्रेन में बैठी महिला-लडकियाँ की भीड़ में एक प्रौढ़ महिला ने बातचीत में बताया कि फर्रुखाबाद में जन्मे ईश्वर के अवतार के दर्शन को हम जा रहे हैं तो मैंने कहा मुझे नहीं पता चला कृपया ईश्वर के जन्म का परिचय बताएँ तो उन्होंने बीरेन्द्र दीक्षित एक प्रौढ़ को भगवान बताया तो मैंने कहा कि उनके अपराध, जेलबंदी, फरारी, पुलिस छापामारी की घटनाएँ अक्सर पेपर में प्रकाशित होती रहती हैं तो वहाँ पर बैठी महिलाएँ घबराकर अपने को फंसने की बात कह बताने लगी कि हम झॉंसी निवासियों के बीच फर्रुखाबाद में भगवान के अवतार का प्रचार हुआ है और हम 34 महिला-लडकियाँ फंस गए हैं। बाचचीत सुनकर कुछ शातिरों ने मुझे धमकाने का प्रयास किया तो मैंने कहा कि आपके कारनामों का जबाब यहाँ मौजूद जनता ही अच्छे ढंग से दे देगी और मैंने जो कहा वह सत्य-जगजाहिर है।

विचार-14. उत्तर-प्रदेश में सपा का शासन होने के बावजूद मुख्यमंत्री का कथन प्रदेश के पटवारी अपराध जगत में सक्रिय हैं और उनके विरुद्ध मैं कार्यवाही करने में असक्षम हूँ तथा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कथन प्रदेश सरकार के एक दो मंत्री छोड़कर सभी मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है। मंत्री-विधायक एवं विपक्षी दल सार्वजनिक समस्याओं एवं देश के हितों पर कोई बात नहीं करते। चर्चा करते हैं, अपनी निजी सुख सुविधाओं एवं गुर्गों की सुरक्षा की।

उक्त विचार-व्याख्याओं से स्पष्ट होता है कि समाज के व्यक्ति यदि अपराध, न्याय और दण्ड के वास्तविक तथ्यों से अनजान या मौन रहेंगे तो अपराधियों के हौसलें बुलन्द होंगे और अपराधों पर अंकुश सम्भव नहीं होगा। अपराध, न्याय एवं कानून के अंतर्गत पीडित व निर्दोष को दण्ड की खानापूर्ति चलती रहेगी, जो राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए हितकर नहीं है।

भारतीय संविधान एवं न्यायिक कार्यवाही में शब्दों का विशेष महत्त्व होने के बावजूद घटित घटनाओं के तथ्यों में कथनों की पूर्णता और प्रकटित भावना-इरादा का उचित परीक्षण न्यायाधीश के विवेक पर ही निर्धारित होता है। यदि न्यायिक अधिकारी घटना के वास्तविक तथ्यों की उपेक्षा कर पुलिस कार्यवाही पर आधारित फर्जी तथ्य-कहानियों और डाक्टरी जांच रिपोर्ट के आधार मात्र को प्राथमिकता देकर निष्कर्ष स्वरूप दण्ड निर्धारित करेंगे तो घटना से परचित जन-समाज की न्याय के प्रति आस्था प्रभावित होना स्वाभाविक है। जब निर्दोष-पीडित को दण्ड मिलता है तो उसका परिवार नष्ट होकर बच्चों का भविष्य समाप्त हो जाता है और अपराधी उत्साहित होता है।

समाज में अपराध की समस्या समाप्त किया जाना मात्र कानून के वश की बात नहीं है। इसके लिए जन-जागरण एवं समाज में उचित-अनुचित तरीकों पर विशेष बल देकर, निगरानी, जबाबदेही विचार आवश्यक है। संगीन एवं व्यवसायिक अपराधों में लिप्त वास्तविक अपराधियों पर शिकंजा कस उनको संवैधानिक सदनों की सदस्यता से प्रथक किया जाना चाहिए।

शास्त्र में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप, जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक दिन या एक मुद्रा तक दण्ड हो उसी अपराध में

सभापति, अध्यक्ष, न्यायाधीश को हजार दिन या हजार रुपये दण्ड अर्थात् साधारण मनुष्य से सभापति, अध्यक्ष, न्यायाधीश को हजार गुना दण्ड मिलना चाहिए। सभा के कार्यकारी सचिवों, मन्त्रियों, सलाहकारों को 800 गुना तथा राजनैतिक, नौकरशाओ, संस्थाध्यक्षों को उनसे कम 700 गुना और उसके भी न्यून को 600 गुना इसी प्रकार उत्तर-उत्तर अर्थात् जो एक छोटे से छोटा कर्मचारी है उसको 10 गुना दण्ड मिलना चाहिए क्योंकि यदि जन-पुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दण्ड नहीं मिलेगा तो राज-व्यक्ति जन-व्यक्ति का नाश कर देते हैं। जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े से दण्ड से वश में आ जाती है इसीलिए राज्याध्यक्ष से लेकर छोटे से छोटे राजशाही, नौकर शाही राज्यव्यक्तियों को अपराध में प्रजाजनों से अधिक दण्ड होना चाहिए। इसी प्रकार जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस दरिद्र को चोरी से 10 गुना, व्यापारी को 50 गुना, रक्षक-पहरेदार को 50 गुना और उकसाने वाले षडयन्त्रकारी विद्वान को 100 गुना दण्ड होना चाहिए। राज्य के नौकरशाही और प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण का भी विलम्ब नहीं होना चाहिए।

देहाती-शहरी अपराध और डाकू-महाजन अत्याचार

“दबंग राजनेताओं, गुर्गों, ठेकेदारों, कोटेदारों, दस्यु-माफियाओं, संगठित अपराधियों एवं पाखण्डियों का सार्वभौमिक आतंक उन्मूलन आवश्यक है।”

यातायात के नए साधनों ने शहर की सड़कों के व्यस्त जीवन को गाँवों तक पहुँचा दिया है मकानों और खड़ी हुई फसलों को आग लगाकर नष्ट कर देना अब बहुत सामान्य बात हो गई है। सड़क के किनारे बने हुए मकान, पास से गुजरते हुए मोटर-कार वालों को एक या दूसरे प्रकार का व्यापारिक दुराचार प्रदान करते हैं और शहर के डाकू गाँवों में शरण लेते हैं।

आज शहर गाँवों के आकर्षण का केन्द्र हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आज शहर का प्रभाव ग्रामीण समाज-व्यवस्था पर स्वस्थ रूप में पड़ रहा है। सामाजिक मूल्य और आदर्श का कोई विशेष महत्व नहीं रहा, जो घटनाएँ शहरों में घटित होती थीं वे घटनाएँ आज ग्रामीण समाजों में बराबर घट रही हैं। यही नहीं, तुलनात्मक रूप से दृष्टिपात करने पर ऐसा आभास होता है कि आज शहरों में अपराध अधिक होते हैं अपेक्षाकृत गाँवों के। वास्तव में इसकी यथार्थ जानकारी पुलिस रिकार्ड पर आधारित है। यद्यपि आज के युग में यातायात के साधनों का विकास तीव्र गति से हो रहा है तथापि ग्रामीण जीवन नगरों के प्रभाव से अब वंचित नहीं है। शहरी और देहाती जीवन-यापन की विधियों में अधिक अन्तर नहीं है अतः इस अवस्था में अपराध की दरों में भी कोई विशेष अन्तर नहीं पाया जाता है।

देहात क्षेत्र में होने वाले अपराध ‘ग्रामीण अपराध’ के नाम से जाने जाते हैं। यह समाज एवं राज्य विरोधी कार्य हैं जिसमें कानून का उल्लंघन होना स्वाभाविक है। अधिकतर अध्ययनों से पता चला है कि गाँवों में शहरों की अपेक्षा, व्यक्ति विरुद्ध अपराध अधिक होते हैं। गाँवों और शहरों में अपराधों की दर में प्रमुख अंतर का एक कारण पुलिस द्वारा अपराधियों एवं अपराध का पता लगाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में घटित होने वाले छोटे-मोटे अपराधों का रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं की जाती है क्योंकि उसके सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी नहीं हो पाती, अथवा यह कहा जा सकता है कि अपराध करने वाला व्यक्ति पुलिस से व्यक्तिगत रूप से परिचित होता है, इसलिए वह अपराधियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करती है। इसके विपरीत शहरों में अव्यक्तिगत सम्बन्ध होते हैं। उनके बीच सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का अभाव पाया जाता है, इसलिए घटित होने वाली छोटी-मोटी घटनाओं को रजिस्टर में अवश्य दर्ज कर लिया जाता है।

परम्परागत ग्रामीण संस्कृति अपराध रोकने का एक साधन है। गाँव में काम करना, पारिवारिक स्थिरता और भूमि को गरीबी के विरुद्ध एक बीमे के रूप में और पद की द्योतक के रूप में देखा जाना, आदर पाना, सुख की खोज और श्रमहीन जीवन को घृणा की दृष्टि से देखना, ये सब परम्परागत ग्रामीण जीवन की विशेषताएँ हैं। इसका व्यक्ति के ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि वह समुदाय के नियमों और नियन्त्रणों के अनुरूप ही कार्य करने लगता है।

ऐसे समुदायों में अपराध अधिक होते हैं जो सामाजिक नियन्त्रण से मुक्त हैं, साथ ही ऐसे व्यवसाय में कार्यरत हैं जिसका सम्बन्ध पारिवारिक नियन्त्रण से बहुत ही कम है। ग्रामीण अपराधी अपराध करने के आधुनिक ढंग से पूर्णतया परिचित नहीं होते हैं और वे ऐसे अपराध करते हैं जो शहरी अपराधी बिल्कुल नहीं करते।

देहाती अपराध के एक नहीं अनेक कारण हैं जो अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यद्यपि वे कारण शहरी अपराध के कारण से बिल्कुल भिन्न हैं क्योंकि गाँवों में न तो कोई औद्योगिक संस्थान ही होता है और न ही सिनेमाघर। अतः ग्रामीण अपराधों की प्रकृति ही भिन्न है। देहाती क्षेत्रों में अपराधी-प्रवृत्ति को प्राप्ताहित करने में महाजनों द्वारा किया गया कपटपूर्ण व्यवहार प्रमुख कारण है। अक्सर यह बात सुनने एवं देखने में आती है कि महाजन लोग अनपढ़ देहाती लोगों को अपने शिकंजे में फाँस लेते हैं और कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लगवा लेते हैं तथा जो पैसा कर्ज के रूप में देते हैं उसका कई गुना जोड़कर लेते हैं। यदि वह नहीं देता तो उसकी अन्य सम्पत्ति छीन लेते हैं। इस स्थिति में महाजन तो स्वयं अपराधी हैं ही, परन्तु उनके द्वारा किया गया अत्याचार जब बहुत बढ़ जाता है तो अक्सर कहीं-कहीं इनकी हत्या कर दी जाती है। अतः ग्रामीण अपराध को बढ़ाने में महाजनों द्वारा किया गया अत्याचार महत्वपूर्ण है।

जमींदारी प्रथा का अन्त हो जाने के कारण ग्रामीण अपराधों में वृद्धि हुई है। इसका मात्र कारण यह रहा है कि उन जमींदारों का किसी पेशे में ठीक से न लगने के कारण डाका डालना और लूटपाट करना उनका मुख्य व्यवसाय सा हो गया है। अतः स्वयंसिद्ध है कि जमींदारी प्रथा का अंत हो जाने से ग्रामीण अपराधों में वृद्धि हुई है।

किसी दूसरे पुरुष के साथ यौन-सम्बन्ध ग्रामीण अपराध का मुख्य कारण है। हम घर बैठे समाचार पत्रों में बहुधा देखते हैं कि महिला का पति बाहर गया था जब वह लौटकर आया तो घर में देखता है कि उसकी पत्नी के साथ दूसरा व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह दोनों का गला घोट देता है। थोड़ी सी जमीन की बात को लेकर विभिन्न समूहों के लोग आपस में लाठीबाजी या मारपीट भी कर लेते हैं और इसी बात को लेकर कई पीढ़ियों के बाद लोग बदला भी लेने का प्रयास करते हैं। अन्ध विश्वास और अशिक्षा से भी देहातों में अपराध होते हैं। जैसे पानी न बरसने पर बलि चढ़ाई जाती रही है जिससे इन्द्र देवता प्रसन्न रहें और पर्याप्त पानी बर्षाएँ। नशीली वस्तुओं जैसे-शराब, गांजा, नशा आदि का प्रयोग होना ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध को जन्म देता है। यदि अवैधानिक ढंग से इन वस्तुओं का उत्पादन और प्रयोग किया जाता है तो इसे अपराध के अन्तर्गत देखा जाता है, क्योंकि यह स्वयं कानून का उल्लंघन है। गाँवों में लोग छिपे रूप से देशी शराब बनाकर उसकी बिक्री करते हैं। कुछ लोग पशुओं की चोरी करके दूसरी जगह ले जाकर बेंच देते हैं। चोरी करना अपराध है।

प्रायः शहरों में जीविका की तलाश में विभिन्न समूहों के लोग आकर बस जाते हैं। उनमें प्राथमिक सम्बन्धों का अभाव पाया जाता है। यद्यपि सामाजिक नियन्त्रण के साधन उतने शक्तिशाली नहीं होते जितने कि प्राथमिक समूह में हुआ करते हैं, फिर भी उनको नियन्त्रित करने के लिए औपचारिक साधन अपनाए जा रहे हैं। वे व्यक्ति विभिन्न धर्म एवं सम्प्रदाय के हुआ करते हैं, अतः विचारों में एकता बिल्कुल ही नहीं होती है। शहरों में औद्योगिक संस्थान होने के कारण जनसंख्या का केन्द्रीकरण हो जाता है। मकानों का पर्याप्त अभाव रहता है तथा भीड़-भाड़ हमेशा बनी रहती है। एक ओर शहरों में जहाँ भव्य अट्टालिकाएँ दीखती हैं वहीं दूसरी ओर टूटे-फूट गन्दे मकान भी बने होते हैं। ये मकान अपराधों को अधिक जन्म देते हैं। वहीं पर नशाखोरी, जुआ खेलना, सट्टेबाजी एवं अन्य अनैतिक कार्य किए जाते हैं जो अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

शहरों में मकानों की स्थिति अति भिन्न होती है जिसके फलस्वरूप माताओं के सतीत्व का नाश एवं भावी आधारस्तम्भ शिशुओं का विनाश होता है। अधिकांश व्यक्ति अविवाहित होते हैं अतः ये यौन-तृप्ति के लिए वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि शहरों में अपराध अधिक होते हैं, अपेक्षाकृत गाँवों के।

प्रायः शहरों में अपराधियों का समूह अवश्य होता है अतः अधिकांश व्यक्तियों को अपने समूह का सदस्य बनाकर चोरी, लूट, डकैती एवं हत्या संबन्धी घटनाएँ होती रहती हैं। इस प्रकार नगरों का वातावरण ही कुछ इस प्रकार का होता है कि जो व्यक्ति बाहर से आते हैं वे अपना अनुकूलन नहीं कर पाते हैं तथा जो स्थान औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है वहाँ अत्यधिक भीड़-भाड़ होने के कारण जेबकतरों को सुअवसर अधिक प्राप्त होते हैं।

निर्धन व्यक्ति नगर के धनी व्यक्तियों से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते तथा निर्धनता के ही कारण धनी व्यक्तियों के सदृश्य पहनने और आराम करने की इच्छा होती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि निर्धनता नगरीय अपराध को बढ़ाने में प्रमुख रूप से सहायक है। ऐसा देखा गया है कि जिन व्यक्तियों का पारिवारिक विघटन हो जाता है वे अपराधी कार्य को बढ़ावा देते हैं, अधिकतर अध्ययनों से पता चलता है कि जहाँ अधिक भीड़-भाड़ बनी रहती है वहाँ जेबकतरों को जेब काटने का अच्छा मौका मिल जाता है। इसके अतिरिक्त अधिक जनसंख्या होने के कारण अनेक अनैतिक कार्य भी विशेष रूप से हुआ करते हैं जो समाज एवं कानून की दृष्टि से अनुचित हैं।

पुरुषों की प्रचुरता और स्त्रियों की संख्या में कमी से यौन-अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है जो एक व्यवसाय के रूप में अपना लिया जाता है जिससे वेश्यावृत्ति में वृद्धि होती है। व्यक्ति में सहज रूप से धन प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति समूहों का निर्माण कर बैंक एवं अन्य स्थानों पर जहाँ यह आशा की जाती है कि अमुक स्थान पर काफी रकम रखी है, सामूहिक रूप से जाकर नकब लगाते हैं और इस प्रकार बैंक आदि का दरवाजा खिसका देते हैं और धन-सम्पत्ति लूट लेते हैं। शहरों में इने-गिने धनी व्यक्ति हुआ करते हैं जो अपराधियों को अपने यहाँ ठहराते हैं तथा उनसे चोरी, हत्या, मारपीट इत्यादि कार्यों को करवाते हैं तथा लाभान्वित भी होते हैं। इस प्रकार धनी व्यक्तियों द्वारा अपराधियों को प्रश्रय मिलता है।

शहरों में पारिवारिक नियन्त्रण का अभाव रहने से माता और पिता औद्योगिक क्षेत्रों या आफिसों में कार्य करने चले जाते हैं तथा उनके बच्चे नियन्त्रण से मुक्त रहते हैं जिसके कारण वे आवारा घूमते रहते हैं तथा दूकानों एवं यात्रियों के सामान की चोरी करते हैं। इस प्रकार बाल अपराधों में वृद्धि होती है। फिल्म एवं टी.वी. सीरियल का प्रभाव लोगों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। फिल्म तथा टी.वी. सीरियल अपराधों की विधि और अनेक प्रकार के अपराधों को दिखाकर, सहज रूप से धन प्राप्त करने की इच्छा तथा साहस पूर्ण भावना को जमाकर व्यक्ति की मनोवृत्तियों में परिवर्तन कर देते हैं। जिसके फलस्वरूप वह अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है।

औद्योगिकीकरण होने के कारण शहरी अपराधों में वृद्धि हुई है। अधिकतर अध्ययनों के द्वारा यह ज्ञात होता है कि जहाँ पर उद्योगों का विकास किया गया है वहाँ नगर बस गए हैं। नगर समुदायिक विभिन्नता को केंद्र होता है, नगर में गन्दी बस्तियों का पाया जाना स्वाभाविक ही है अतः वहाँ शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति व अन्य अनैतिक कार्य किए जाते हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि देहाती एवं शहरी अपराध के एक नहीं, अनेक कारण हैं तथा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कोई एक कारण विशेष रूप से जिम्मेदार है अतः अन्तिम रूप से यह निर्णय लिया जा सकता है कि सामूहिक रूप से सभी कारण देहाती एवं शहरी अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। जिनका उन्मूलन आवश्यक है।

रहीसों की शरारत का समाज पर प्रभाव : एक समाजिक विवेचन

आज पूरा विश्व अपराधीकरण की चपेट में है। कोई भी देश अपराध की समस्या से बचा नहीं है। भारत में भी अपराध का ग्राफ बड़ी तीव्रता से बढ़ रहा है। समाज का कोई भी वर्ग अपराध (अर्थात् कानून को अपने लाभ के लिए तोड़ना) करने से नहीं हिचकता है। पहले कोई दरिद्र या अभावग्रस्त व्यक्ति अपनी छोटी-मोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए छोटी-मोटी चोरी, संधमारी या वस्तु छीनने जैसे अपराध करता था। आज तो अपराध की प्रकृति और सीमा ही बदल गई है। अब जितना बड़ा व्यक्ति उतना बड़ा अपराध होता है। अब अपराध एक व्यवसाय बन गया है। इस व्यवसाय में समाज के ऊँचे तथा सम्मानित पदों पर बैठे लोग अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। चाहे सत्ता में बैठे मन्त्रीगण हों, उच्च प्रशासनिक अधिकारी हों, शिक्षा संस्थानों के प्रबन्धक हों, कानून के पालक हों, पुलिस अधिकारी हों या न्याय मन्दिर में बैठने वाले न्यायाधीश हों, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

भारतीय राजनीति में अपराधीकरण अपनी चरम सीमा पर है, जिसे देखकर यह आशंका पैदा होती है कि भविष्य में राजनीति में सिर्फ अपराधी छवि वाले लोग ही रह पायेंगे और अच्छे लोग इससे किनारा कर लेंगे। राजनीतिक अपराधीकरण के पीछे एक बड़ा कारण रुपया है। रुपया गलत तरीकों से उगाहा जाता है। चुनावों में कालेधन का बेतहाशा इस्तेमाल होता है। आज यह समस्या अत्यन्त गंभीर हो गई है और अब देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। क्योंकि इस कालेधन के जनक तस्कर, करवंचक, नेता, अभिनेता अफीम और हीरोइन बेचने वाले मौत के सौदागर, रिश्वतखोर, उच्चपदस्थ, अधिकारी और ऐसे लोग हैं जो अपने धन को उन व्यापारों में लगाते हैं जिससे देश में भौतिकवादी, संस्कृति का प्रचार-प्रसार हो रहा है और फलस्वरूप युवा पीढ़ी दिशाभ्रमित हो रही है।

सर्वाधिक सोचनीय विषय यह है कि कानून बनाने एवं संसद चलाने वाले सांसद एवं मन्त्री ही स्वयं बड़े-बड़े घोटालों में संलिप्त हैं ताजा उदाहरण-सांसद राहुल गाँधी एवं उनकी माता सांसद सोनिया गांधी की करतूत को देखिए जिन्होंने 'नेशनल हेराल्ड' की अरबों रुपयों की सम्पत्ति घोटाला करके देश को चूना लगाया। इसी प्रकार पूर्व यूपी.ए.-2 के पूर्व-दूरसंचार मन्त्री ए. राजा की करतूत देखिए जिन्होंने 60,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। इसी प्रकार सुरेश कलमाडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी के आयोजन के पर पर रहते हुए खेल सम्बन्धी साजों सामान की खरीद-फरोख्त में 21.7 मिलियन डॉलर की गड़बड़ियाँ की। ये सभी मामले सरकारी स्तर पर किए गए निष्कृष्टतम उदाहरण हैं। हालांकि इन मामलों में अधिकाँश आरोपी जमानत पर हैं और ट्रायल फेस कर रहे हैं।

समाज आज यौन अपराधों की गिरफ्त में है और इसका ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। यौन सम्बन्धों के लिए टी. वी. कल्चर और मोबाइल ज्यादा जिम्मेदार है। मोबाइल पर बातचीत एव टी.वी. की कार्यक्रमों में जरूरत से अधिक ग्लेमर युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करता है। यही कारण है कि समाज में बलात्कार तथा यौन शोषण की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली समेत देश के नगरों एवं महानगरों में यौन अपराधों की बढ़ती घटनाएं एक गम्भीर सामाजिक समस्या बन गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति एवं संचार क्रांति तथा भूमण्डलीकरण के इस युग में जहाँ एक ओर समाज में जागरूकता बढ़ी है और देश व विदेशों के नगरों के बीच दूरियाँ घटी हैं वहीं इनके प्रयोग से नए-नए प्रकार के अपराधों का जन्म हुआ है। भ्रूणहत्या, गर्भपात, साइबर क्राइम आदि ऐसे अनेक अपराध इसी श्रेणी में आते हैं।

'स्ट्रिंग ऑपरेशन' के द्वारा भ्रष्ट व रिश्वतखोर अधिकारियों, नेताओं, मन्त्रियों, सांसदों तथा विधायकों की पोल खोली जाती है। स्ट्रिंग ऑपरेशन के द्वारा अधिकारियों को धन लेकर कार्यवाही करने तथा सांसदों को लोकसभा एवं विधायकों को विधानसभा में प्रश्न उठाने के एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए आए दिन दिखाया जाता है। इस प्रकार बिक्रीकर एवं आयकर को कम आंकने के एवज में रिश्वत लेते दिखाया जाना, समाज में अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। अनेक किशोर एवं महिलाएं भी विभिन्न अपराधों में संलग्न पाई गई हैं।

भारतीय समाज में अपराधों की उपर्युक्त स्थिति को देखकर दो तथ्य सामने आते हैं—(1) भारतीय समाज अवधारणात्मक संकट के दौर से गुजर रहा है, तथा (2) भारतीय समाज में अपराधीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। अवधारणात्मक संकट का तात्पर्य यह है कि आज व्यक्ति अपने लिए, कुछ अन्यो के लिए कुछ और स्वयं कर्तव्य विमुख होकर दूसरे को कर्तव्यों का उपदेश देना एक मात्र उदाहरण है। ऐसी स्थिति में हमें केवल साध्य दिखाई दे रहा है। साधन पवित्र है या अपवित्र इसकी पहचान विलुप्त होती जा रही है। साध्य की पवित्रता का विलोप ही अपराधीकरण है।

'क्राइम इन इण्डिया, 2011' के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष भारतीय संहिता (IPC) के अन्तर्गत लगभग 23.25 लाख संज्ञेय अपराध होते हैं और लगभग 29.27 लाख अपराध स्थानीय एवं विशेष कानून (SSL) के तहत होते हैं। जनसंख्या वृद्धि और अपराध में सीधा सम्बन्ध होता है—अपराध समाज विरोधी कार्य है और इसकी सार्वभौमिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही हो तो अपराधों का बढ़ना स्वाभाविक है।

भारतीय समाज संक्रमण की अवस्था में गुजर रहा है। इस अवस्था को नवीन और प्राचीन का संघर्ष भी कहा जा सकता है। आज हमारी अतीत के प्रति आस्था समाप्त होती जा रही है। हम अपनी प्राचीन संस्कृति और समाज को आशंका की दृष्टि से देखते हैं। अतीत के प्रति हमारे मस्तिष्क में उपेक्षा की भावना घर कर गई है। वर्तमान चित्र हमारे सामने अस्पष्ट दिखाई देता है और भविष्य अंधकारमय है। ऐसी अवस्था में हमारे मस्तिष्क में निराशा और विक्षोभ की भावना का उदय होता है। यह निराशा और विक्षोभ की भावना अपराध की ओर आसानी से प्रेरित करती है।

सभ्यता और संस्कृति एक ही मानव-विकास के दो पहलू हैं। समाज का विकास इन्हीं दोनों की समरूपता और सहयोग पर आधारित है। सभ्यता मौलिक होती है जबकि संस्कृति का स्वरूप अभौतिक होता है। ये भौतिक और अभौतिक वस्तु के दो पहलू-आन्तरिक और बाह्य हैं। इन आन्तरिक और बाह्य पहलूओं को अलग करके नहीं समझा जा सकता है। सभ्यता और संस्कृति भी इसी प्रकार का एक मानव विकास के दो पहलू हैं। भारत में इन दोनों में अंतर किया जा रहा है। हम संस्कृति से पिछड़ेपन का अनुमान लगाते हैं, जबकि सभ्यता से विकास और प्रगति का अर्थ लगाते हैं। सभ्यता और संस्कृति का यह गतिरोध अपराधों की संख्या में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है।

भारतीय समाज में नकल करने की प्रवृत्ति जोरों पर है। व्यक्ति दूसरों की नकल करने में गौरव का अनुभव करता है। इस नकल की प्रवृत्ति से भी अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

बेकर के अनुसार, समाज में अपराध इस लिए होते हैं कि समाज व्यक्तियों के लिए कुछ नियम बनाता है तथा यही नियम अपराधों के कारण होते हैं। जो नियम बनाए जाते हैं, वे कुछ व्यक्तियों पर लागू होते हैं तथा इन व्यक्तियों के **'बाहरी'** व्यक्ति का ठप्पा लगा दिया जाता है। कहा जाता है कि अपराधी व्यवहार ऐसा व्यवहार हो जिस पर समाज अपचार का ठप्पा लगा देता है। सामाजिक व्यवस्था के उन पहलूओं की आलोचना की जानी चाहिए जो अन्ध विश्वास, कूपमंडूकता एवं जलालत की ओर ले जाते हैं और राष्ट्र की उन्नति में बाधक बने हुए हैं।

स्वतन्त्र भारत में आज स्थिति अत्यन्त भयानक है। सारे देश में आपाधापी, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और बेईमानी का राज्य हो गया है। ईमानदारी, कर्मनिष्ठ और वफादार का जिन्दा रहना असम्भव हो गया है। आखिर क्यों? हमारा विश्वास है कि यह भारतीय समाज में व्याप्त चरित्रहीनता एवं अनैतिकता का परिणाम है और इसका सीधा सम्बन्ध हमारे धर्मशास्त्रों, दर्शनशास्त्रों, सिद्धान्तों, आदर्शों और आर्कषाओं से है।

धर्मगुरुओं, शास्त्रों एवं राजनेताओं ने भारतीयों द्वारा हजारों देवी-देवताओं को चढ़ावा-चढ़ाने, रिश्वत देने, उनके नाम रटने से अपने कुकुर्मों के परिणाम से बचने या सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने का विधान करके भ्रष्टाचार व अकर्मण्डता पर धर्म की मोहर लगा दी है। जिसके कारण देश में कोई काम बिना स्तुति, खुशामद एवं रिश्वत के होता ही नहीं और सब अजामिल की तरह केवल व्यक्ति विशेष (ईश्वर) के सहारे, केवल कीर्तन, हवन, पूजा, विस्मिलाह, दुआ से जीवन की सारी समस्याएं हल करते रहते हैं, उदाहरणार्थ महमूद गजनबी सोमनाथ के दरबाजे पर आ खड़ा होता है पर धर्मगुरु बजाय^१ उससे लड़ने के पूजा-कीर्तन में लगे रहते हैं और परिणाम?

यदि समाज का एक वर्ग कोई ऐसा काम कर रहा है जो समाज की प्रगति में बाधक है तो समाज के हर हितैषी का यह कर्तव्य ही नहीं, अधिकार भी है कि वह उसकी आलोचना करे। यदि कुछ लोग अन्धश्रद्धा एवं लोभ-लालच के कारण सतीप्रथा, नरबलि, बालिकाबध, अवैध वसूली, अराजकता, कर्तव्य के प्रति उदासीनता-उपेक्षा, आतंक, दहशत में विश्वास करते हैं तो उन्हें रोका ही नहीं जाना चाहिए बल्कि समाज से प्रथक करके उचित दण्ड दिया जाना चाहिए।

अपराध और साइबरस्टाकिंग

साइबरस्टाकिंग आज वर्तमान युग का सबसे नवीनतम अपराध करने का तरीका या माध्यम है। साइबरस्टाकिंग इण्टरनेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी व्यक्ति या किसी संगठन को लुक-छुपकर शिकार बनाने या उन्हें परेशान करने के लिए किया जाता है। साइबरस्टाकिंग में झूठा अपरोपण, पीछा करना, धमकी देना, किसी की पहचान को चुराना, डाटा या उपकरण को नष्ट करना, नाबालिगों को सेक्स हेतु प्रस्तुत करना, किसी को परेशान करने की नीयत से उसके विरुद्ध सूचनाएँ एकत्र कराना आदि अपराध सम्मिलित हैं।

साइबरस्टाकिंग के अन्तर्गत किए जाने वाले अपराधों को झूठा अपराधोपण, शिकार व्यक्ति के बारे में सूचनाएँ एकत्रीकरण, शिकार व्यक्ति को परेशान करने के लिए अन्य लोगों को प्रोत्साहन, स्वयं शिकार होने का झूठा आरोप, डेटा व उपकरण को क्षति पहुँचाना सामान और सेवाएँ प्राप्ति के आदेश देना और कॉलगर्ल या सेक्स वर्कर को भेजना आदि रूपों में पहचाना गया है।

अनेक साइबरस्टाकर अपने शिकार व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुँचाने की नीयत से अन्य लोगों को उसके विरुद्ध भड़काते हैं। वे अपने शिकार के विरुद्ध वेबसाइट पर झूठी और मनगढ़त सूचनाएँ डालते हैं। इस कार्य के लिए वे स्वयं अपनी वेबसाइट बनाकर ब्लॉग द्वारा अपने शिकार को परेशान करते हैं। इससे भी आगे बढ़कर वे अपने शिकार व्यक्ति पर जगाए गए आरोपों को न्यूज समूहों, चैट गृहों या पब्लिक साइटों जैसे विकीपीडिया या एमार्जॉन.काम को सार्वजनिक करने के लिए देते हैं।

साइबरस्टाकर अपने शिकार व्यक्ति के बारे में उसके मित्रों, परिवार के सदस्यों और साथी कर्मियों से उसके सम्बन्ध में व्यक्तिगत जानकारीयें हासिल करते हैं। वे अपने शिकार व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक जानकारीयें हासिल करने के लिए प्राइवेट जासूसों की सेवाएँ लेने के लिए इण्टरनेट पर विज्ञापन देते हैं। वे शिकार व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों को मॉनीटर करते हैं और उसके I.P. एड्रेस को ट्रैक करने का प्रयत्न करते हैं जिससे उसके बारे में अधिक-से-अधिक जानकारीयें हासिल की जा सकें।

अनेक साइबरस्टाकर अपने शिकार को परेशान करने के लिए थर्ड पार्टी को भी सम्मिलित कर लेते हैं। साइबरस्टाकर इस बात का दावा करते हैं कि शिकार व्यक्ति ने उनके परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुँचाया है, इसलिए वे अन्य लोगों को अपने समर्थन में खड़ा कर लेते हैं और उन्हें शिकार व्यक्ति का नाम व टेलीफोन नं. देकर उसे तंग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रायः साइबरस्टाकर झूठा दावा करता है कि शिकार व्यक्ति उसे परेशान कर रहा है। कई मामलों में यही प्रवृत्ति देखने में आई है।

साइबरस्टाकर अपने शिकार व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए उसके कम्प्यूटर में वाइरुस भेज देते हैं। साइबरस्टाकर अपने शिकार व्यक्ति के नाम से अश्लील व सेक्स मैगजीनों का शुल्क जमा कर देते हैं। मैगजीनों या सेक्स खिलौनों को मंगवाने के आदेश दे देते हैं। परिणामस्वरूप शिकार व्यक्ति के कार्यस्थल पर ऐसी सेक्स मैगजीनों या सेक्स खिलौनों की डिलीवरी आ जाती है जोकि उसके लिए कष्टप्रद होती है। साइबरस्टाकर अपने शिकार व्यक्ति के पते पर कॉलगर्ल या सेक्स वर्कर तक भिजवा देते हैं। इससे शिकार व्यक्ति को बड़ा शर्मसार होना पड़ता है।

साइबरस्टाकिंग के प्रकार अनेक हैं। जिनमें अधिक प्रचलित रूप महिला उत्पीड़न, अन्तरंग साथी के नाम धोखा, आवांछित एस.एम. एस. का बहुसंख्या में भेजा जाना, कॉरपोरेट साइबरस्टाकिंग साइबरस्टाकिंग व्यवहार एवं विलासी साहित्य और बुरी संगत आदि हैं।

महिलाओं की ऑनलाइन उत्पीड़न एवं स्टाकिंग आम बात है। साइबरस्टाकर किसी महिला को रेप की धमकी देता, हिंसात्मक कार्यवाही के लिए डराता, साथ ही साथ उसकी निजी जानकारीयों को उजागर करने की बात करता है। इतना ही नहीं, वह अपनी शिकार महिला को पूरी तरह बर्बाद करने की धमकी देता है।

साइबरस्टाकर अपने पूर्व पत्नी, गर्लफ्रेंड या अन्य अन्तरंग रिश्ते या मौजूदा पत्नी को भी ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार बनाते हैं। यह एक तरह से घरेलू हिंसा का रूप है। इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों का कहना है कि स्टाकर ऐसे अपने शिकार पर नियन्त्रण करने के लिए करता है। वह अपने पार्टनर को सामाजिक पृथक्ता तथा अपने ऊपर निर्भरता के लिए विवश करता है। उत्पीड़न पहुँचाने वाला स्टाकर अपने शिकार को बार-बार बेइज्जत करने वाल या धमकी भरे ई-मेल भेजता रहता है। वह सभी ई-मेल की मॉनीटरिंग करता है तथा अपने शिकार पार्टनर के ई-मेल एकाउण्ट को अन्य लोगों को प्रेषित कर देता है।

स्टाकर अपने शिकार पार्टनर की हर व्यक्तिगत जानकारी पर नजर रखता है और उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे उत्पीड़ित करता रहता है। कई बार तो स्टाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजीकल होने के समय की वीडियो बनाकर, उसे नेट पर डाल देता है जिससे उसकी गर्लफ्रेंड बदनाम हो जाती है।

इण्टरनेट पर एक ऐसी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी वेब 2.0 सहित अनेक वेब उपलब्ध है जो शरारती और उन्मादी लोगों का हथियार बन गई है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टाकर अपने विरोधियों, अनजानों और बिना किसी बजह लोगों को परेशान व तंग करते हैं। यह नेट पर इस प्रकार का एक टूल है जिसके द्वारा स्टाकर किसी भी व्यक्ति को भी अपना शिकार या निशाना बना सकता है। इस टूल के द्वारा स्टाकर अपने शिकार के विरुद्ध दुष्प्रचार कर सकता है, उसकी फोटो बिगाड़ सकता है, रेप व हिंसा की धमकी दे सकता है, अपनी शिकार स्त्री या पुरुष के व्यक्तिगत व संवेदनशील मामलों को बेवजह अपने शिकार व्यक्ति के नियोक्ता को ई-मेल भेजकर कुछ ऐसी जानकारी देता है जिससे शिकार व्यक्ति की नौकरी तक छूट जाती है। ज्यादातर ऐसे मामलों में महिलाएँ ही शिकार बनती हैं

क्योंकि स्टाकर उन्हें लेस्बियन करार देकर ऑनलाइन बदनाम कर देता है। धार्मिक अल्पसंख्यक और परम्परागत विचारों वाली महिलाओं को इस तरह की हरकतों के कारण बहुत कष्ट व पीड़ा पहुँचती है।

यह एक ऑनलाइन उत्पीड़न का एक उल्लेखनीय उदाहरण है जो अमेरिका की सोफ्टवेयर डेवलपर व ब्लॉगर केथी सियरा ने अनुभव किया था। यह घटना 2007 की है, जब सियरा पर किसी पेशेवर स्टॉकर समूह का हमला हुआ। स्टाकर समूह ने सियरा को उससे रेप होने की धमकी दी, उसके घर के पते का उजागर कर दिया और उसकी फोटो को अश्लील बना दिया गया। घबराई सियरा ने इंटरनेट पर बनाई अपनी आई.डी. एकाउण्ट्स को तुरन्त बन्द कर दिया था।

कॉरपोरेट साइबरस्टाकर की स्थिति जब उत्पन्न होती है तब कम्पनी किसी व्यक्ति, समूह या किसी संगठन को ऑनलाइन परेशान या तंग करने की नीयत रखता है। इस प्रकार की स्टॉकिंग का उद्देश्य अपनी विचारधारा को फैलाना या वित्तीय लाभ उठाना होता है।

साइबरस्टॉकर अपने शिकार तक पहुँचने के लिए सर्च इंजन, ऑनलाइन फोरम, बुलिटिन व डिसक्शन बोर्ड्स, चैट रूम और हाल ही ऑनलाइन आई नई कम्युनिटीज, जैसे—माई स्पेस, फेसबुक, बेबो, फ्रेंडस्टर, टिवटर और इंडीमीडिया जोकि एक सेल्फ पब्लिशिंग मीडिया आउटलेट के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के टूल जहाँ एक और लाइव चैट को सम्पादित करवाते हैं, वहीं दूसरी ओर परेशान करने के लिए इलेक्ट्रानिक वाइरस तथा अवांछित ई-मेल भी भेजते हैं।

विलासी साहित्य में उपन्यास का अपराधी—प्रकृति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। विलासी और सस्ते साहित्य अपराधी और यौन—सम्बन्धी असामान्य विचारों को जन्म देते हैं, मानसिक असन्तुलन पैदा करते हैं, अपराधी—प्रवृत्तियों को जागृत करते हैं। उपन्यास में साम्प्रदायिकता, धार्मिक संघर्ष, जन्म—निरोध, परिवार—नियोजन, अपराध और यौन—शिक्षा को दिखाया जाता है। इसके साथ ही उपन्यासों में अपराधों को बौद्धिक और अपने व्यापार को ज्ञाता दिखाया जाता है। वह निरन्तर अपराधों को करता जाता है और सामान्य व्यक्ति इन अपराधों का अनुकरण करते हैं। पुस्तकों में अपराध की विधियों का भी बृहद् विवेचन रहता है। हत्या और बलात्कार को रोचक ढंग से लिखा जाता है। इन सबका परिणाम यह होता है कि अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रसिद्ध अपराधशास्त्री सदरलैण्ड ने एम.बेल के विचारों को उद्धृत करते हुए विलासी साहित्य तथा अपराधों के बच सह सम्बन्धों की विवेचना की है।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे दूसरों के सम्पर्क में आना पड़ता है और इससे ही समूहों का निर्माण हो जाता है। कुछ समूह निष्क्रिय होते हैं। अन्तःक्रिया वाले समूहों का अपराध के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। समूहों में सुझाव ग्रहण क्षमता अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति नेता के रूप में अपना प्रदर्शन करना चाहता है। समूहों में कुछ अनुभवी व्यक्ति होते हैं जो अपराध के बारे में ज्ञान रखते हैं। संगति के माध्यम से जिस प्रकार के अपराध सीखे जाते हैं वे हैं— समूहों के माध्यम से युवा व्यक्ति अपने समुदाय के साथ संघर्ष करने की प्रवृत्ति का विकास करता है, गैंग अपराध विधियों की शिक्षा देता है, अपराधी—गैंग की एक संहिता होती है, जिसका सभी अनिवार्य रूप से पालन करते हैं तथा इन समूहों का संगठन और दायित्व होता है।

अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है। एक ही कार्य एक स्थान पर अपराध माना जाता है, किन्तु दूसरे स्थान पर उसी के लिए पुरस्कृत किया जाता है। साधारणतः यदि कोई किसी की हत्या कर देता है तो हत्यारे को मृत्युदंड—आजीवन कारावास की सजा दी जाती है जबकि युद्ध में अधिकाधिक दुश्मनों को मारने वाले को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। जाति के बाहर विवाह करना कभी अपराध माना जाता था परन्तु आज नहीं। अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य होते हुए भी उसकी व्याख्या देश, काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न—भिन्न प्रकार से की जाती है। अपराध की सामाजिक व वैधानिक परिभाषाएं अलग—अलग हैं।

सामाजिक अध्ययन में आपराधिक व्यवहार की दो व्याख्याएँ— (1) परिस्थिति—सम्बन्धी और (2) आनुवांशिक या ऐतिहासिक प्रमुख हैं प्रस्तुत की गई हैं। पहली अपराध की व्याख्या परिस्थिति के आधार पर की जाती है और दूसरी व्याख्या अपराधी के जीवन के अनुभवों पर आधारित है। दूसरे अपागम का उपयोग आपराधिक व्यवहार के सिद्धान्त को विकसित करने में किया जाता है। मान लें कि एक लड़का दूकान पर आता है और दूकान पर दूकानदार को वहाँ नहीं पाता। वह एक रोटी लेता है। इस प्रकरण में लड़का चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि वहाँ दूकानदार नहीं था और वह भूखा था परन्तु यह इसलिए होता है कि उसने पहले से ही यह सीख लिया था कि एक व्यक्ति अपनी भूख की चीजों की चोरी करके मिटा सकता है। इस प्रकार परिस्थिति एक व्यक्ति को चोरी करने की प्रेरणा नहीं देती परन्तु पहले से सीखे हुए दृष्टिकोण और विश्वास उसके लिए उत्तरदायी हैं। व्यक्ति अपने जीवनकाल में कई असंगत और परस्पर—विरोधी सामाजिक प्रभावों का सामना करते हैं और कई व्यक्ति अपराध करने वाले व्यक्तियों के सम्पर्क में आ जाते हैं और उसके परिणामस्वरूप से अपराधी हो जाते हैं। आपराधिक व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के सम्पर्क की प्रक्रिया से सीखा जाता है।

आपराधिक व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के सम्पर्क की प्रक्रिया से सीखा जाता है, मुख्य रूप से छोटे, घनिष्ठ समूहों में, इस विद्या में अपराध करने की तकनीकों का सीखना सम्मिलित है। प्रेरणाओं प्रवृत्तियों, तार्किकीकरणों और रूपों की विशिष्ट दिशा ऐसी कानूनी संहिताओं की परिभाषाओं से सीखी जाती हैं जो अनुकूल या प्रतिकूल हैं। एक व्यक्ति अपराधी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे कानून के उल्लंघन करने की अनुकूलन परिभाषाएँ कानून के उल्लंघन की प्रतिकूल परिभाषाओं के अपेक्षाकृत अधिक मिल जाती हैं। यह 'विज्ञान सम्पर्क' का सिद्धान्त है। विभिन्न सम्पर्क, कालावधि प्राथमिकता और तीव्रता में घट—बढ़ सकते हैं। आपराधिक और अनआपराधिक स्वरूपों के सम्पर्कों द्वारा अपराधी व्यवहार की सीखने की प्रक्रिया में उन विधियों की आवश्यकता होती है जो किसी भी अन्य विद्या के लिए जरूरी होती है। जबकि अपराधी व्यवहार सामान्य आवश्यकताओं और मूल्यों की अभिव्यक्ति है, परन्तु उसकी व्याख्या उन आवश्यकताओं और मूल्यों से नहीं की जा सकती है क्योंकि गैर—अपराधिक व्यवहार उन आवश्यकताओं और मूल्यों की अभिव्यक्ति है।

एक व्यक्ति अपराधी व्यवहार को उस सीमा तक जारी रखता है जहाँ तक वह असली या काल्पनिक व्यक्ति से तादात्म्य

स्थापित कर पाता है जिसके परिपेक्ष्य के अनुसार उसका अपराधी व्यवहार स्वीकार्य मालूम पड़ता है परन्तु आपराधिकता के सम्बन्धों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक स्वरूप को अंगीकार नहीं करता या उसका अनुसरण नहीं करता। इसीलिए उसके सम्पर्क की प्रकृति या गुण में वह क्या अंतर है कि व्यक्ति जो एक समूह के मनोभावों और व्यवहारों को स्वीकार कर लेता है परन्तु दूसरा व्यक्ति उस समूह के व्यवहार की विशेषताओं से परिचित हो जाता है परन्तु उन्हें अपनाता नहीं है।

सरकारी आँकड़े अपराधों की कानूनी परिभाषा पर आधारित हैं, दण्ड न्याय की व्यवस्था कानूनी उपागम से समझी जाती है, अपराधियों पर किए गए आनुभविक अध्ययन कानून द्वारा परिभाषित अपराध को केन्द्र बिन्दु बनाते हैं और चूँकि अपराधों की कानूनी परिभाषा को सूक्ष्म सुस्पष्ट और अधिक माप योग्य समझा जाता है, इसीलिए हम सर्वप्रथम इस कानूनी परिभाषा को समझें।

“अपराध एक अभिप्राय कार्य है या आचरण है जो दण्ड कानून का उल्लंघन करता है और जो बिना किसी सफाई और औचित्य के किया जाता है।”

अपराध में पाँच तत्त्व निहित हैं— (1) किसी क्रिया का होना, (2) क्रिया स्वैच्छिक हो, (3) क्रिया साभिप्राय हो, (4) क्रिया फौजदारी कानून का उल्लंघन हो, (5) क्रिया औचित्यहीन हो। अपराध कानूनी तौर पर वर्जित और सभिप्राय कार्य है, जिसका सामाजिक हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसका आपराधिक उद्देश्य है और जिसके लिए कानूनी तौर पर दण्ड निर्धारित है। इस प्रकार किसी भी कार्य को अपराध नहीं माना जा सकता जब तक उसमें पाँच बातें अन्तर्निहित न हो—कानून द्वारा वह वर्जित न हो, वह सभिप्राय हो, वह हानिकारक हो, उसका आपराधिक उद्देश्य हो और उसके लिए दण्ड निर्धारित हो।

अपराध जगत अनोखा और कानून अन्धा होता है, सम्भवतः इसीलिए आज के सभ्य, विकसित तथा सुसंस्कृत समाजों में निपराधी के अपराधी बनाने तथा अपराधी को निर्दोष मान लेने का चलन सा प्रचलित हो गया है। इसी चलन के अन्तर्गत कारखानों में निर्मित माल की नकल कम्पनियों के माल में खुले आम मिलावट की जाती है, कालाबाजारी, टैक्सचोरी, घूसखोरी, तस्करी होती है। यह अपराध सबको पता है, किन्तु यह सब करने वाले न तो सरकार या समाज से डरते हैं और न ही पुलिस या अदालत से, क्योंकि धन तथा प्रतिष्ठा इनका कवच है, जिसके सहारे से कानून के पंजे से साफ निकल जाते हैं। ये अपराधी अपराध करने के बावजूद अपराधी नहीं कहलाते। यही वे शातिर दिमाग के अभ्यस्त या पेशेवर अपराधी हैं जो अपराध जगत में अति सक्रिय रहकर समाज-क्षेत्रों में खूले आम दहशत फैलाकर व जबरदस्त उत्पात कर जन सामान्य को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। कानूनी दृष्टि से अपराधी वह व्यक्ति है जिसको अदालत द्वारा अपराधी घोषित किया गया है तथा जो किसी न किसी कारागार या सुधर संस्था में सजा भुगत रहा है। इनको इसीलिए अपराधी कहा जाता है कि कानून ने उन्हें समाज और कानून विरोधी व्यवहार करने के जुर्म में सजा के योग्य पाया। प्रत्येक सभ्य समाज में ऐसे लोगों के साथ-साथ कुछ ऐसे भी प्रतिष्ठित नागरिक भी पाये जाते हैं, जो ऐसे दुराचरण करते हैं, जो कानूनन अपराध ही कहलाते हैं, किन्तु ऐसे अपराधियों का धन वैभव पद तथा प्रतिष्ठा उनकी सुरक्षा करती है। इसीलिए ये लोग बहुधा कानून के पंजे में फँसने के बावजूद निकल जाते हैं।

धन, पद, प्रतिष्ठा आदि के आधार पर वे पुलिस और अदालत की आंखों में धूल झाँकने में सफल रहते हैं। इन्हीं छुपे रूस्तमों को सफेदपोश अपराधी कहा जाता है। ये वह अपराधी हैं जो खुलेआम अपराध तो करते हैं, जो अन्य अपराधियों से कहीं अधिक गम्भीर व धृष्ट हैं, तथापि अपने धन, पद और प्रतिष्ठा तथा दहशत व दबंगई आदि के प्रभावों के कारण न तो पकड़े जाते हैं और न ही दण्डित किए जाते हैं। उच्च वर्ग के लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराध धन, पद, प्रतिष्ठा, दबंगई, दहशत पर आधारित अपराध हैं। इसकी व्याख्या भी अन्य प्रकार के अपराधों से सम्बन्धित प्रमुख सिद्धान्तों के आधार पर की जा सकती है। अपराध के किसी पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के अपराध विशेषतया संस्कृति से घनिष्ठ तौर पर सम्बन्धित होता है और यह उच्च स्तरीय गम्भीर अपराध का स्वरूप ही है।

प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अपराध की अवधारणा में निरन्तर परिवर्तन होते रहे हैं। जिन व्यवहारों को हम आदिम युग में अपराध समझते थे वे आज के युग में अपराध नहीं हैं, बल्कि वे परम्पराओं तथा रीत-रिवाजों का उल्लंघन हैं इसका तात्पर्य यह है कि अपराध की धरणा समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है अर्थात् व्यक्ति का समाज विरोधी व्यवहार ही अपराध है। अपराध कानूनी दृष्टिकोण से अधिक स्पष्ट एवं मान्य है, क्योंकि प्रत्येक समाज विरोधी कार्य अपराध नहीं है। एक ही समय में एक स्थान पर जो अपराध है, वह दूसरे स्थान पर अपराध नहीं माना जाता है। कोई कार्य अपराध है या नहीं इसका निर्धारण कानून करता है, किन्तु यह कानून आवश्यकतानुसार कुछ नये कार्यों को भी अपराध घोषित कर सकता है तथा कुछ गैर अपराधी कार्य भी मान सकता है। एक समय में जो कार्य अपराध है, दूसरे किसी समय में वही कार्य अपराध नहीं भी हो सकता है। अपराध कानून के द्वारा विधिक कार्य है, किन्तु यह कानून प्रत्येक समाज में एक समान नहीं होता। इसी कारण अपराध की अवधारणा भी प्रत्येक समाज में अलग-अलग होती है। अपराध से चूँकि सामूहिक हितों को खतरा पैदा होता है। इसीलिए राज्य अपने कानून के द्वारा ऐसे कार्यों को अपराध घोषित करता है, जो सामूहिक कल्याण हेतु हानिप्रद होते हैं। प्रत्येक अपराध हेतु एक निश्चित दण्ड देने की व्यवस्था राज्य की ओर से सदैव होती है। कानूनी दृष्टिकोण से दण्ड के बिना अपराध की अवधारणा भी संभव नहीं है।

प्रत्येक समाज अपने नागरिकों के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य तय करता है। साथ ही इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ साधन भी बताता है। समाज द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को समाज द्वारा निर्धारित साधनों से प्राप्त करना अनुरूपता है, किन्तु इनमें यदि कोई भिन्नता, असुरक्षा व तालमेल नहीं बैठता तो **‘विपथगमन’** उत्पन्न हो जाता है जो कि **सामाजिक मानदण्डों एवं प्रतिमानों के प्रतिकूल आचरण अर्थात् अपराध** है। एक अपराधी भी अपराध इसलिए करता है कि उसे अपराध करने पर **दुःख की तुलना में सुख अधिक** मिलता है। अपराधियों की शारीरिक रचना आदि मानव और पशुओं से बहुत कुछ मिलती जुलती होती है और इनमें जंगलीपन और पशुता के गुण होते हैं। जो उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं।

देश का शासन देश की उन्नति और अवनति के लिए जिम्मेदार होता है। यदि देश में अपराध होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी शासन-व्यवस्था की हो जाती है। देश में जब निष्पक्ष ढंग से कानून और व्यवस्था को कड़ाई के साथ लागू नहीं किया जाता है तो अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। समाज निरन्तर परिवर्तित हो रहा है, सभ्यता का विकास होता जा रहा है। इस परिवर्तन और सभ्यता के कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं। साथ ही जनसंख्या में वृद्धि हो रही है जिससे अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। साइबर अपराधों से आज जन-समाज बुरी तरह पीड़ित है, अतः इन अपराधों पर तत्काल अंकुश आवश्यक है।

अजगर प्रभुत्व और आतंकवाद

भारत के अधिकाँश भागों में पूँजीपति, उद्योगपति, भू-स्वामी वर्ग पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रभु-वर्ग कहते हैं। भारतीय समाज के लोग प्रभु वर्गों को 'अजगर' (अ: अराजक, ज: जाति वादी, ग: गुण्डा, र: राजशाह) का नाम देते हैं जो गरीब जनता और दलित-अल्पसंख्यकों में प्रभु वर्गों के आतंक का सूचक हैं। अजगर 4 वर्गों के प्रथम अक्षर को लेकर बनाया गया शब्द है। ये वर्ग हैं— अराजक, जातिवादी, गुण्डा और राजशाह।

अजगर प्रभुत्व भारतीय समाज में सर्वव्यापी है अर्थात् भारत के विभिन्न भागों में जीवन की एक विशेषता है—प्रभुता सम्पन्न, दबंग व्यक्तियों की उपस्थिति। आज यह अवधारणा भारतीय शक्ति की संरचना और अराजकता को समझने के लिए वाद-विवाद का विषय बनी हुई है।

प्रभुता सम्पन्न अजगर उसे कहते हैं जिसका प्राकृतिक साधनों, उपलब्ध-भूमि तथा आर्थिक साधनों में से बड़े अंश पर जबरदस्त स्वामित्व है, उसकी सदस्य संख्या यथेष्ट है एवं स्थानीय सोपान में उसे उच्च स्थान प्राप्त है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अजगर प्रभुत्व के लिए यथेष्ट संख्या, धार्मिक उच्च स्थिति, उच्च आर्थिक स्थिति तथा राजनैतिक सत्ता अनिवार्य है।

जब किसी वर्ग-जाति के पास प्रभुता के सभी तत्त्व पाये जाते हैं तो उसे निर्णायक या असंदिग्ध प्रभुता कहा जा सकता है। कभी-कभी किसी गाँव-नगर में एक से अधिक वर्गों की प्रभुता होती है और कलांतर में प्रभुता एक वर्ग से दूसरे के पास पहुँच सकती है। यथेष्ट तथा शक्तिशाली वर्ग समूह सरलता से प्रभुता सम्पन्न हो सकता है अगर उसका संस्कारात्मक स्तर नहीं है।

प्रभुता स्वामित्व होने में धन, पद और भू-स्वामित्व बड़ा निर्णायक तत्त्व है। इन स्वामित्व से न केवल शक्ति बल्कि प्रतिष्ठा बढ़ती है, यहाँ तक कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने वाले लोगों में रुपया लगाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। माँव-नगर में प्रभु-वर्ग के बुजुर्ग ही बहुत्ववादी संस्कृति और मूल्य-व्यवस्था के प्रहरी होते हैं। उनका कार्य विभिन्न वर्गों एवं जातियों को अपनी परम्परागत व्यवसाय बदलने से रोकना रहता है ताकि उनके एकाधिकार को किसी प्रकार की चुनौती का सामना न करना पड़े।

प्रभु वर्ग का भारतीय समाज में जबरदस्त महत्त्व है क्योंकि भारतीय नागरिकों का सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का विश्लेषण इस वर्ग की उपेक्षा कर नहीं हो सकता। प्रभु वर्ग का प्रभाव सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों तक, वंशक्रम और दत्तक विधान के सिद्धान्तों जैसी मूलभूत वालों तक फैला जान पड़ता है। प्रभु वर्ग की सर्वोच्चता का प्रभाव अन्य वर्गों एवं जातियों के सम्बन्ध में जान पड़ता है। इसी कारण पूँजीपति, उद्योगपति एवं भू-स्वामी साधारण जनता को अपना सेवक (गुलाम) समझते हैं। प्रभुता सम्पन्न राजनीतिक लोग पदहीन एवं निर्धन को अछूत मानते हैं। प्रशासनिक लोग गरीब जनता को बात नहीं सुनते हैं और अभिजनों द्वारा साधारण जनता का उपहास उड़ाया जाता है।

स्वार्थ और परार्थ दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ प्रत्येक समाज में पाई जाती हैं। स्वार्थ की भावना जब प्रबल हो जाती है, तो समाज में अपराधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जब यह स्वार्थवाद अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है तो प्रतिष्ठाधारी अपराधों की संख्या बढ़ने लगती है। यह प्रतिष्ठा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा अन्य प्रकार की हो सकती है। इस प्रतिष्ठा के आधार पर व्यक्ति शासन तथा कर्मचारियों से सम्बन्ध रखते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार अपराधों की प्रकृति गुप्त रहती है। सामान्य जनता की नजरों की आड़ में ये अपराध किए जाते हैं। ऐसे अपराध जन-जागरूकता एवं कानून की अनभिज्ञता की कमी के कारण होते हैं।

समाज के उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समाज विरोधी कार्य जन-साधारण के लिए अत्यन्त घातक एवं दुःखद बन रहे हैं। सरकारी-सार्वजनिक संस्थानों, उद्योगों और विभागों के अध्यक्षों के निष्कर्ष बताते हैं कि व्यापारिक गतिरोध, गलत विज्ञापन, विशिष्ट अधिकार पत्र, सर्वाधिकार और व्यापार चिन्ह का उल्लंघन, अन्यायपूर्ण श्रम पद्धति, वित्तीय ढाँचा, विश्वासघात और युद्ध के नियमों का उल्लंघन तथा अन्य अपराधों की जानकारी प्राप्त की गई। जिसमें 91% व्यक्तियों ने एक या एक से अधिक अपराध करने की बात स्वीकार की है। जिसमें व्यापारी और वकीलों द्वारा सर्वाधिक अपराध किए जाने की बात कही गई है। इन लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराध-किसी तथ्य को झूठा करना, टैक्स हटाना, दंगे, झूठी गवाही देना तथा अपराधियों को संरक्षण देकर घटना को अन्जाम देना आदि हैं। भ्रष्टाचार मामलों में पुलिस व प्रशासनिक लोग संलिप्त पाए गए।

प्रथकवाद आतंक का जनक है। आतंकवाद पश्चिमी देशों की देन है। इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए संघर्ष और संहार करना, देश की जनता को भयभीत करना, अपहरण, लूटपाट, आगजनी, बम विस्फोट, हत्याएँ करना तथा इन माध्यमों से शासन की अपनी इच्छित वस्तु देने के लिए बाध करना ही आतंकवाद की प्रमुख भूमिका है।

हमारे देश में आठवें दशक में आतंकवाद का जन्म हुआ था और आज वह आतंकवाद भी उग्र रूप धारण किए हुए है। आतंकवादी देश को विभाजित करने की माँग कर रहे हैं। प्रदेशों को खंड-खंड में विभाजित करने की माँग हो रही है। शासन की ढील के कारण तथा उनको उचित मार्ग दर्शन न मिलने के कारण पंजाब और उत्तर-प्रदेश में आतंकवाद उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। संक्रामक रोग की भाँति हजारों निरपराध एवं निर्दोष व्यक्ति मारे जा रहे हैं। हजारों घर उजड़ चुके हैं। आए दिन भयंकर बम विस्फोट हो रहे हैं। आतंकवादी सम्पूर्ण भारत में फैल रहे हैं। जिसे उन्होंने मारने का मन बना लिया उसे मारा जा रहा है। पड़ोसी देशों में प्रशिक्षण पाकर आतंकवादी

भारत में आते रहते हैं और भय एवं धन के लालच में संरक्षण पा रहे हैं।

कश्मीर में हजारों आतंकवादी जब चाहे जहाँ चाहें आग लगा देते हैं। जब चाहे अपहरण कर लेते हैं, जब चाहे बसों एवं पुल-बाँधों को उड़ा देते हैं। देश के सर्वोच्च सदनों में फायरिंग-बमबाजी करते हैं। अनेक बुद्धजीवियों, नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं का अपहरण कर चुके हैं और बाद में क्षति-विक्षत शव ही प्राप्त होते हैं। विरोध करने की सजा मौत है। वर्तमान में यही भयानक स्थिति उत्तर-प्रदेश में बनी हुई है एवं राजनेता अपराधिक संगठन के लोगों को सहायता एवं संरक्षण दे रहे हैं।

राष्ट्र के समक्ष दो भयंकर चुनौतियाँ हैं। भारतीय सेना इन चुनौतियों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है और देश की अखण्डता के लिए वह दृढ़ प्रतिज्ञ है चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े। भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ने कई बार दृढ़ शब्दों में अश्वासन दिया है कि भारत की अखण्डता को किसी भी कीमत पर आँच नहीं आने दी जाएगी।

वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय एकता की है यदि हम सभी भारतीय एक हो तो कोई भी शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, आपस में हैं भाई-भाई का नारा को जीवन में साकार रूप देने की आवश्यकता है। यदि सभी भाइयों में प्रेम होगा तो अन्य पड़ोसी आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। इसी तरह हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई और पारसी भाई-भाई की तरह जैसे अब तक रहते आए हैं वैसे ही रहते रहें। अन्य धर्मावलम्बी भी अपने-अपने धर्म का पालन करते हुए भाई-भाई की तरह रहें। एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का उपहास या आलोचना या कुदृष्टि रखना पारस्परिक सौहार्द को छिन्न-भिन्न कर देता है।

आज हम अपने समस्त व्यक्तिगत या जातिगत या वर्ग स्वार्थों को तिलाँजलि देकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाएँ तभी राष्ट्रीय अखण्डता भी सुदृढ़ होगी। राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए सरकार सतत् प्रयत्नशील है इसमें आपका भी पूर्ण रचनात्मक सहयोग होना चाहिए।

बड़े बाप की बिगडैल संतान और आतंकवाद

(जन-जीवन की उपेक्षाकर पत्थर-मूर्तियों की स्थापना-पूजा पत्थर दिल की पहिचान है।)

आज देश-प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति और समाज आतंकवाद की समस्या से ग्रसित है। दहशत, चोरी, लूट, डकैती, हत्या बलात्कार, भ्रष्टाचार, विश्वासघात की विभीषिकाएँ व्यापक हैं। अपराधी एवं उनकी योजनाएँ पूर्णतया सफल हैं। ऐसी स्थिति में अपराधी और आपराध पर अंकुश लग पाना ठीक उसी प्रकार असम्भव प्रतीत हो रहा है, जैसे किसी बालक द्वारा अपनी छाया को पकड़ना अथवा किसी नदी-तालाब में प्रतिबिम्बित-चाँद के माध्यम से चन्द्रमा को पकड़ना। ऐसा क्यों? उत्तर जानने के लिए अपराधी, अपराध और आपराधिक योजनाओं की अंजाम प्रक्रिया को जानना होगा। अपराधी कौन और कहाँ रहता है? अपराधी की सुरक्षा कैसे होती है? आपराधिक योजनाओं को अन्जाम कैसे दिया जाता है? अपराधियों को सहयोग-संरक्षण कौन देता है? अपराध में पुलिस, प्रशासन, न्यायालय, राजनीतिज्ञ तथा देश और समाज की भूमिकाएँ कैसी होती हैं?

अपराधियों पर अध्ययनों के परिणाम स्वरूप, अधिकाँश अपराधी जन्मजात होते हैं। कुछ अपराधी समाज द्वारा भी बनाए जाते हैं। परन्तु आज अधिकाँश अपराधी देखा-देखी या नकल या संरक्षण में बनते और पनपते हैं। किसी व्यक्ति को धन, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होते ही उसके परिजन, सगे-सम्बन्धी, जाति-बिरादरी आपसी हितबद्ध लोगों के आचरण, तौर-तरीके और रहन-सहन दम्भपूर्ण हो जाते हैं। इनकी निकटता के आधार पर क्रिया-कलाप और भूमिकाएँ निर्धारित हो जाती हैं। व्यक्ति, समाज तथा सार्वजनिक धन और सम्पत्ति इनके उपभोग की वस्तु मान ली जाती है। धन-पद लोलुप स्वार्थी एवं लालची इनके सहयोगी विश्वास पात्र बन जाते हैं। आकर्षित दावतें एवं उपहारों के माध्यमों से व्यक्तिगत लाभ के सौदे आयोजित होते हैं।

आज हमें देखने को मिलता है कि पद, प्रतिष्ठा और राजनीतिक व्यक्तियों के सम्पर्क में रहने वाले आवारा अकर्मण्ड रातों-रात प्रगति कर धन-कुबेर बन जाते हैं। इनकी बहुमूल्य पोशाकें, गहनें, वाहन और सुख-साधन तो देखते बनते हैं। पुलिस, प्रशासन, राजनीतिज्ञ, दलाल एवं ठेकेदार इनके गुणगान करते हुए इनके आसपास मंडराते रहते हैं। लाल-नीली बत्ती एवं सायरन वाले वाहनों का जमघट इनके आवासों की शान बन जाते हैं। व्यक्ति-समाज का नियन्त्रण और सभी प्रकार की योजनाएँ इनके अधिकार में संचालित होने लगती हैं। अर्थात् देश, प्रदेश, जिला, नगर-गाँव समाज की सरकारी विकास सहित सभी प्रकार की योजनाओं पर इनका एकाधिकार हो जाता है। क्या मजाल जो इनकी मर्जी बिना स्वतन्त्र सांस भी ली जा सके।

ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में सुधार हेतु शिकायत-कार्यवाही की स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त उदाहरण है, “एक सग्य व्यक्ति ने मार्ग में खड़े एक उदण्ड किशोर को रुक-रुक कर ‘यूरिन’ करते देखा तो उन्होंने उसके पिता से शिकायत की बात सोची और उसके यहाँ जाकर देखा कि उस किशोर का पिता दरवाजे पर खड़े होकर घूम-घूम कर ‘यूरिन’ कर रहा है।”

वृद्ध व्यक्तियों की स्थितियों को देखकर विचार करने पर ज्ञात होता है कि ऐसे लोग अपने प्रतिपाल्यों-संतानों एवं परिवारीजनों से अपमानित व उपेक्षित होकर दरिद्रता का शिकार बनकर दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। जिनके उत्तराधिकारी धन-कुबेर बन राजसी ठाठ से मौज-मस्ती कर रहे हैं। यह लोग पत्थरों की मूर्तियाँ स्थापित कर उनसे तरह-तरह की आस्था और निष्ठा प्रदर्शित तो करते हैं परन्तु दरिद्रता के शिकार जीवित प्राणी को आहार या धन देने से सदैव बचते रहते हैं। अर्थात् इनके भीतर और मन-मस्तिष्क में पत्थर के दिल प्रदर्शित होते हैं।

मौज-मस्ती में चूर व्यक्ति सभी प्रकार की शान-शौकत, धन, पद, प्रतिष्ठा, सुख-साधनों पर अपना एकाधिकार एवं उपभोग की इच्छा तो रखते हैं, परन्तु किसी प्रकार की जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व तथा व्यक्ति-समाज के प्रति मानवीय कर्तव्य निर्वहन से सदैव बचते रहते हैं। इनकी परिकल्पना स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने की तो होती है, परन्तु एक घायल-तड़पते व्यक्ति को दो बूँद जल देने की परवाह तक नहीं करते हैं। किसी की मौत हो जाने पर भी प्रभाव वृद्धि के उद्देश्य से राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। सरकारी-सार्वजनिक कार्यालय के प्रमुखों के पास बैठे व्यक्ति से मनमाने आदेश-कार्यवाही जारी कराकर ठेके, लाइसेन्स, कोटे, योजनाओं का आवण्टन, अस्त्र-शस्त्र, वाहन आदि पर आधिपत्य जमा लेते हैं। सरकारी वाहनों एवं सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग इनकी आम बात है। इनके नाम पर लाल-नीली बत्ती वाहनों द्वारा प्रतिबन्धित वस्तुओं का आयात-निर्यात एवं क्रय-विक्रय तथा मादक पदार्थों की तस्करी होती है।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए स्वतन्त्रता पूर्व की परिस्थितियों के आधार पर निर्मित संविधान के द्विआर्थी शब्दों की मनमानी व्याख्या कर शांति-संरचना गिरोहबन्द सत्ता का शीर्षासन प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। जिससे शासन और प्रशासन के अधिकारी इनकी आव-भगत में जुट जाते हैं। मन्त्रिमण्डल में इनके परिवार के सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्ध लोगों को स्थान मिल जाता है। निजी सहायकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर इनके चहेते-गुरे शामिल हो जाते हैं, जो कि प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारियों से धन लेकर मनचाहे पदों पर प्रतिष्ठित या स्थानान्तरित कर अवैध वसूली तथा सरकारी विकास की योजनाओं का धन हड़प कर आपस में बन्दर-बाँट करते-रहते हैं।

आज अधिकाँश अपराधी राजनेताओं के बंगलों, राज-अथितिग्रहों में राजकीय सम्मान प्राप्त कर ऐशोआराम का जीवन व्यतीत करते हैं और वहीं पर घटनाओं को अन्जाम देने के लिए योजनाएँ बनाते हैं। लूट, डकैती, हत्या की घटनाओं को अन्जाम देते हैं। घटना उपरान्त जिला-प्रशासन और पुलिस के साथ घटना स्थल पर जाकर नाटक कर पक्षकारों पर दबाव बनाते हैं, जिसके कारण लोग इनके विरुद्ध बोलने-गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते व इनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है।

चिकित्सालयों में दाखिल होकर या न्यायालय पेशी उपरान्त फरार होने वाले कैदियों में अधिकाँश शातिर खूखार गिरोहबन्द डाकू और उनके गुर्गे होते हैं, जो बीमारी या पेशी के बहाने जेल के बाहर आकर मौज-मस्ती कर योजनाबद्ध तरीके से घटनाओं को अन्जाम देते हैं तथा पकड़े या फरार हो जाने पर पुलिस द्वारा कहानी गढ़कर कागजी खानापूर्ति की जाती है।

कारागार में कैद सीधे-साधे और रिश्वत धन न दे पाने वाले आरोपियों को दलालो एवं ठकेदारों के हवाले कर उनसे नगर-बस्तियों में मजदूरी कराई जाती है। कर्मचारियों के घरों-प्रतिष्ठानों पर उनसे बेगार कराकर उत्पीड़ित किया जाता है जबकि शातिर किस्म कैदियों को जेल का नम्बरदार बनाकर उनकी दबंगई में कैदियों को मारपीट कर उत्पीड़ित किया जाता है तथा मुलाकातियों से जबरदस्त धन वसूली कराकर एवं जेल की खाद्य-सामग्री को बाजारों में बेचकर लाभ कमाया जाता है। महिला कैदियों को घर की नौकरानी बनाकर काम कराया जाता है तथा उनका उत्पीड़न करके अनैतिक कार्य कराये जाते हैं।

आज के दौर में व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान तथा घर-परिवार के विकास हेतु राजनीतिक सम्बन्धों व सहायता की विशेष अपेक्षा रखता है। जिसकी पूर्ति हेतु राजनीतिक एवं सत्ताधारी नेताओं की आवभगत करने में जुटा हुआ है। अपने आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर नेताओं को बुला कर उनकी खातिरदारी करता है। परिचितों को लाकर उनसे सम्बन्धों की दुहाई देता है। यहाँ तक कि अपने परिवारीजनो के बीच उनको स्वच्छन्द छोड़कर अपनी लोक-लाज प्रभावित कराता है।

भारत में आतंकवाद

आज विश्व के रंगमंच पर जिस भयावह प्रसंग का अवतरण हुआ है वह है— 'आतंकवाद' जिससे आज सम्पूर्ण विश्व को अपने आगोश में ले लिया है। इससे दुनिया का प्रत्येक देश त्रस्त है, सम्पूर्ण मानवता का अस्तित्व खतरे में हैं तथा यह खतरा और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम तकनीक का प्रयोग मनुष्य की सृजनात्मक ऊर्जा को जाग्रत करने के स्थान पर उसको विकृत करने में लगे हुए हैं।

आतंकवाद के इतिहास और उसकी परिभाषा के विषय के सन्दर्भ में स्पष्टतया कुछ कहना सम्भव नहीं है वरन् हम इसके शुरुआत के अंश इजराइल से मान सकते हैं। इजराइल में 'हामानाह' नामक एक संगठन, जिसकी स्थापना इजराइल के उदय से पूर्व 1920 में ही हो गई थी। इस संगठन को ही आधुनिक धार्मिक आतंकवाद का पितृ माना जाता है। हामानाह का संस्थापक एक कट्टरपंथी यहूदी 'जियोलिस्की' था, जिसने धार्मिक आतंकवाद के पाँच बुनियादी सिद्धान्त स्थापित किए—

1. धर्म को लोगो की पहचान और उनके अस्तित्व की सुरक्षा से जोड़ दो।
2. सिर्फ समान धर्मावलम्बियों से ही भाईचारा हो सकता है, उन्माद की हद तक इस विचार को स्थापित करो।
3. लोगों में यह विश्वास पैदा करो कि दुनिया में सबसे प्राचीन और गौरवशाली धर्म उन्हीं का है और बाकी सब धर्म निकृष्ट और भ्रष्ट हैं।
4. लोगों में यह भावना भरों कि सारी दुनिया में भिन्न धर्मावलम्बी उनके दुश्मन हैं।
5. लोगों को इस सीमा तक भावुक बनाओं कि उन्हें अपने धर्म के लिए कुछ और भी करने में हिचक न हो। इन्हीं सिद्धान्तों को कमोवेश इस्लामिक आतंकवादियों ने अपनाया है।

आतंकवाद का सर्वप्रथम उपयोग **ब्रुसेल्स** ने दण्ड विधान को समेकित करने के लिए 1931 में बुलाए गए सम्मेलन में किया गया था, जिसके अनुसार आतंकवाद "जीवन, भौतिक, अखण्डता अथवा मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला या बड़े पैमाने पर सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाला कार्य तथा जान-बूझकर भय का वातावरण उत्पन्न करना है।" अतः आतंकवाद कोई पारम्परिक विचारधारा नहीं बल्कि वर्तमान सन्दर्भ में एक अनधिकृत 'वाद' बन गया है, जिसने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा को साधन के रूप में अपनाया है, विध्वंस और आतंक ही इसके मुख्य उद्देश्य रह गए हैं।

आतंकवाद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि आतंकवाद राज्य व समाज के विशैले चरित्र की उपज है। आतंकवाद की उत्पत्ति राज्यों में अल्पसंख्यकों या रंगभेद या जातीयता और धर्म के नाम पर अपनाई गई दमन और संरक्षण की दोगली नीति के कारण हुई दरिद्रता, धार्मिक कट्टरवादिता एवं जातीय उन्माद और बाहरी राष्ट्रों के व्यक्तिपरक स्वार्थों ने भी आतंकवाद को शह दी है। ओसामा बिन लादेन को रूस के विरुद्ध खड़ा किया था तथा सी.आई.ए. ने ही प्रशिक्षित किया था। लादेन ही अमेरिका की नाक का नासूर बन गया था। सीरिया एवं ईराक में सक्रिय इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन, जो आई.ए.एस. अथवा अल-शाम नाम से कुख्यात है, को अमेरिका ने विश्व शांति के लिए खतरा बताया है।

आतंकवाद ने भारत और भारतीय समाज को इस तरह जकड़ लिया है कि लाख कोशिशों के बाद भी ये जड़ से अलग नहीं हो पा रहा है, जितना हम दबाते हैं, उतना ही विकराल रूप लेकर ये सामने आ जाता है। आतंकवाद को कैसे परिभाषित करें, यही समझ नहीं आता, क्योंकि हर कोई इसे अपने ढंग से समझता है। भारत में स्वतन्त्रता की लड़ाई के समय अंग्रेज स्वतन्त्रता सेनानियों को आतंकवादी समझते थे, जबकि वे वे तो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। कई बार लड़ाई लड़ने वाला उग्र हो जाता है, उसे सामने वाला आतंकवादी समझ लेता है। हर हिंसा करने वाला आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर अहिंसावादी आतंकवादी न हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है।

आतंकवाद गैर कानूनी कार्य है, जिसका उद्देश्य जन-साधारण और आम जनता के अन्दर हिंसा का खौफ पैदा करने है। आतंकवाद एक शब्द मात्र नहीं है। यह मानव जाति के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, जिसे मानव ने स्वयं निर्मित किया है। कोई भी एक इन्सान या समूह मिलकर यदि किसी जगह हिंसा फैलाये, दंगे-फसाद, चोरी, बलात्कार, अपहरण, लड़ाई-झगड़ा, बम ब्लास्ट करता है, तो ये सब आतंकवाद है।

आतंकवाद ऐसी विचारधारा से है जो भय या खौफ उत्पन्न करके अपने उद्देश्यों की प्राप्त करे। आतंकवाद आज एक राजनीतिक, धार्मिक एवं वैश्विक समस्या के रूप में सर्वत्र मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्ष 2000 में हुए 55-वें अधिवेशन में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर अभिसमय का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसके अनुच्छेद 2(1) के अनुसार, "किसी राज्य के विरुद्ध किया गया कोई भी आपराधिक कृत्य, जो आम लोगों को मृत्यु-चोट, निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि शामिल है। आतंकवाद के विभिन्न रूप हैं—इथनो-राष्ट्रवादी आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, वैचारिक आतंकवाद, राज्य प्रायोजित आतंकवाद, नारको आतंकवाद, पर्यावरणीय आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, आत्मघाती आतंकवाद।

भारत में पिछली शताब्दी के अन्तिम दशक में आतंकवाद का जन्म हुआ और अब वह आतंकवाद भी उग्र रूप धारण किए हुए है। इस समय आतंकवाद की समस्या कश्मीर में मुँह बाये खड़ी है। हजारों आतंकवादी जब चाहे आग लगा देते हैं। जब चाहे अपहरण कर लेते हैं, जब चाहे बसों को उड़ा देते हैं। अनेक बुद्धि जीवियों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का अपहरण किया जा चुका है, बाद में उनके क्षत-विक्षत शव ही प्राप्त होते हैं। विरोध करने की सजा मौत है। यहाँ पड़ोसी देश प्रशिक्षित आतंकवादी भेज रहा है। सीमा पर

लगे प्रहरी आए दिन आतंकवादियों की गोली का शिकार बन रहे हैं। इस स्थिति का सुखद पटाक्षेप कैसे होगा? यह एक बड़ा जटिल एवं गम्भीर प्रश्न है।

प्रश्न यह उठता है कि आतंकवाद कहाँ से आया? इस सन्दर्भ में हमें एक और वाद से भेंट हो जाती है और वह है पृथक्तावाद। पृथक्तावाद ही आतंकवाद का जनक है। आतंकवाद पश्चिमी देशों की देन है। इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए संघर्ष एवं संहार करना, देश की जनता को भयभीत करना, अपहरण, लूटपाट, आगजनी, बम विस्फोट, हत्याएँ करना तथा इन माध्यमों से शासन को अपनी इच्छित वस्तु देने के लिए बाध्य करना ही आतंकवाद की प्रमुख भूमिका है।

आतंकवाद का नामकरण आतंक के राज्य शासन से माना जाता है। पहला आतंकी हमला जुलाई 1946 में जेरुसलम का माना जाता है जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति मारे गए। पश्चिमी जर्मनी में रेड आर्मी फैक्शन की 1960 के दशक की गतिविधियों को प्रारम्भिक अन्तर्राष्ट्रीय आतंकी गतिविधियाँ माना जाता है। इस्लामिक कट्टरवादी विचारधारा ने तालिबान एवं अलकायदा के ओसामा बिन-लादेन को आतंक का पर्याय बना दिया।

आतंकवाद ने आज अनेक परिष्कृत साधनों का उपभोग किया है, जिनमें भौतिक, रासायनिक, नाभिकीय, जैविक, मानव बम आदि प्रमुख हैं, अत्याधुनिक घातक हथियारों द्वारा आतंकवादी अपने अनुयायियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें मानव बम एवं जैविक हथियार अत्याधुनिक परिकल्पना है। मानव बम के द्वारा किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को अंजाम दिया जा सकता है, वहीं जैविक हथियारों के द्वारा कहीं भी बैठे-बैठे एक व्यापक स्तर पर तबाही मचाई जा सकती है। इंटरनेट के रूप में इन्हे आज एक और मजबूत यन्त्र मिल गया है, जिसके द्वारा ये गोपनीय सरकारी आँकड़े तक अपनी पहुँच बना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एवं सुरक्षा को तहस-नहस कर सकते हैं।

11 सितम्बर, 2000 की घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि आतंकवाद कहीं भी अपनी पहुँच बना सकता है। इस घटना ने विकसित देशों के इस भ्रम को तोड़ दिया है कि उनके पास एक मजबूत एवं विकसित सुरक्षा कवच है। अब कोई भी देश आतंकवाद की पहुँच से दूर नहीं है, आतंकवाद रुपी वृक्ष की जड़े प्रत्येक देश में फैलती जा रही हैं। आज विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जो जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, धर्म या नस्ल के नाम पर पृथक् राष्ट्र की माँग उठा रहे हैं। रूस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बंगलादेश, अफ्रीका के देश, चीन के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पृथक् राष्ट्र की माँग कर रहे हैं, तो फिलिस्तीन-इजराइल के मध्य गाजा पट्टी को लेकर विवाद है, जिसमें प्रतिशोध की ज्वाला ने आतंकवाद को प्रज्वलित कर रखा है। लीबिया में इस्लामिक कट्टरता है तो अफगानिस्तान में ईसाईयत, हिन्दुत्व और यहूदियों के प्रति विरोधी विचार चलने वाले तालिबान का अवतरण हुआ। उरुग्वे में टोपामेरो, छापामारों की सक्रियता है। श्रीलंका में तमिल आतंकवाद है, तो रूस में चेचन्या विद्रोही। अल्जीरिया, सूडान और मिस्र भी कई वर्षों से आतंकवाद की भट्टी में झुलस रहा है। भारत तो जैसे आतंकवाद की प्रयोगशाला बन गया है। पहले पंजाब, फिर कश्मीर, गुजरात और अब मुम्बई, आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान आतंकवाद की रणस्थली बन गए हैं और धीरे-धीरे भारत का प्रत्येक राज्य इसकी चपेट में आता जा रहा है।

आतंकवादी विध्वंस का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 11 सितम्बर, 2000 को अमेरिका में हुई 'द्विन टावर' की घटना के बाद तो इन आतंकवादियों के हौसले बुलन्द हो गए हैं। अब तो कहीं आसानी से ये किसी भी बड़ी घटना को कहीं भी अंजाम दे सकते हैं, इसके बाद 13 सितम्बर, 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ, 12 अक्टूबर, 2002 को बाली (इण्डोनेशिया) में बम विस्फोट की घटना हुई, 16 मई, 2003 को मोरक्को में, 27 फरवरी को फिलीपीन्स में, 11 मार्च, 2004 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में बम विस्फोट और 1 से 3 सितम्बर तक रूस में बेसलान की घटना हुई, 5 जुलाई, 2005 को अयोध्या में राम मन्दिर पर हमला हुआ। 7 जुलाई, 2005 को मिस्र के शम-अल-शेख नामक पर्यटक स्थान पर बम विस्फोट हुआ, लन्दन में ट्यूब ट्रेन के अन्दर बम विस्फोट हुआ तथा 25 अगस्त 2007 को आन्ध्र प्रदेश में बम विस्फोट की घटना और 26 नवम्बर 2008 को ताज होटल मुम्बई में हमला, 31 मार्च 2013 को श्रीनगर हुए हमले में 5 भारतीय जवानों की मृत्यु, 24 जून 2013 को नै नगर में हुए हमले में 8 जवानों की मृत्यु, 2 जनवरी 2015 को पठानकोट एयरबेस पर हमले में 7 जवानों सहित अनेक लोगों की मृत्यु, 27 जुलाई 2015 को गुरदासपुर हमले में गुरदासपुर के एस. पी. डिटेक्टिव बलजीत सिंह सहित 4 जवानों की मृत्यु, 7 दिसम्बर 2015 को अनन्तनाग में हुए हमले में 6 जवानों की मृत्यु, 25 जून 2016 को पम्पोर में सी.आर.पी.एफ. के काफिले पर हमले में 8 जवानों की मौत, 18 सितम्बर 2016 में उड़ी सेक्टर में सेना के कैम्प पर हुए हमले में 20 जवानों की मृत्यु, ये सब उदाहरण इस बात को इंगित करते हैं कि आतंकवादियों की पहुँच कभी भी, कहीं भी, कैसे भी हो सकती है। इन घटनाओं से स्पष्ट हो गया है आतंकवादियों का लक्ष्य किसी सत्ता तक पहुँच बनाना नहीं, बल्कि विश्व समाज की शान्ति व्यवस्था को भंग कर विध्वंस करना है। विध्वंस को जन्म देकर लक्ष्य की प्राप्ति ही इनके उन्मादी जोश का प्रेरणा स्रोत है तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्हें इस्लामिक कट्टरता का जामा पहना दिया जाता है एवं इन्हें धार्मिक लड़ाकों की संज्ञा दे दी जाती है, जिसे जेहाद कहा जाता है।

आज विश्व शान्ति को सर्वाधिक आघात पहुँचाने वाला 'इस्लामिक आतंकवाद' ही है, जिसका आधार स्तम्भ बना ओसामा बिन लादेन जो धार्मिक कट्टरपंथियों का नेता बन बैठा था। वस्तुतः इस्लामिक आतंकवाद का लक्ष्य विश्व स्तर पर अव्यवस्था उत्पन्न करना है। आतंकवाद विषय पर भारत की चर्चा न करना बेमानी होगा, क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही आतंकवाद से संघर्ष कर रहा है। अभी हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकवादियों के इरादों को सदैव नाकाम किया है और बिना डरे तटस्थता पूर्वक इस समस्या से लड़ रहा है। समूचे विश्व को देखने के बाद स्पष्ट है भारत में आतंकवाद पूर्ण राजनैतिक चुनौती बन चुका है। हमारे यहाँ जम्मू-कश्मीर के मुख्यतः आतंकवादी संगठन हिजबुल-मुजाहिदीन, अल फरान, हरकत उल अंसार सक्रिय हैं। आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादी संगठन 'पीपुल्स वार ग्रुप, लिबरेशन आर्मी, एम.सी.सी. आदि सक्रिय हैं, मणिपुर में पीपुल्स रिवाल्यूशनरी पार्टी, असम में बोडों व उल्फा, त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रण्ट ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम में 'मिजो नेशनल फ्रण्ट, नेपाल से सटे पूर्वी राज्यों में माओवादी

उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। लश्कर-ए-तैयबा ने पूरे विश्व में आतंक का जाल फैला रखा है। पाक स्वयं 37 संगठनों का प्रशिक्षण स्थल बनकर स्वयं को आतंकवाद की समस्या का विरोधी बता रहा है। वहीं से आतंकवादियों को प्रशिक्षित खेप तैयार होती है, जिन्हें कहीं भी आतंक फैलाने को खुला छोड़ दिया जाता है।

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन

क्रमांक	आतंकवादी संगठन	देश
1	आर्मड	मनीला, फिलीपीन्स
2	अबु निदाल आर्गेनाइजेशन	लोबिया, लेबनान
3	अलस्टर डिफेंस एसोशिएशन	नॉर्थ आयरलैंड
4	अल्जीरियन सीक्रेट आर्मी	अल्जीरिया
5	इस्लामिक ग्रुप	अल्जीरिया
6	इस्लामिक साल्वेशन फ्रण्ट	यूरोप
7	इस्लामिक उक्लावी महाज	पाकिस्तान
8	इस्लामिक स्टेट	सीरिया, ईराक
9	हरकत उल अंसार	कश्मीर, भारत
10	हिजबुल मुजाहिदीन	भारत, पाक
11	फतह	ट्यूनिश
12	हम्मास	लेबनान, फिलीस्तीन
13	नेशनल रिबरेशन आर्मी	जर्डिन
14	लिबरेशन फ्रण्ट	फ्रांस
15	ग्रीक राइटिस्ट टेसरिस्ट	इटली
16	नेशनल लिबरेशन आर्मी	कोलम्बिया
17	बाको हराम	नाइजीरिया

भारत में आज प्रत्येक व्यक्ति और समाज आतंकवाद की समस्या से ग्रसित है। दहशत, चोरी, लूट, डकैती, हत्या बलात्कार, भ्रष्टाचार, विश्वासघात की विभीषिकाएँ व्यापक हैं। आतंकवादी योजनाएँ पूर्णतया सफल हैं। ऐसी स्थिति में आतंकवादियों के आपराधों पर अंकुश लग पाना ठीक उसी प्रकार असम्भव प्रतीत हो रहा है, जैसे किसी बालक द्वारा अपनी छाया को पकड़ना या किसी नदी-तालाब में प्रतिबिम्बित-चौद के माध्यम से चंद्रमा को पकड़ना। ऐसा क्यों? उत्तर जानने के लिए आतंकवाद और आतंकवादी योजनाओं की अंजाम प्रक्रिया को जानना होगा। आतंकवादी कौन, कहाँ रहता है? आतंकवादी की सुरक्षा कैसे होती है? आतंकी योजनाओं को अंजाम कैसे दिया जाता है? आतंकवादियों को सहयोग- संरक्षण कौन देता है? अतंकवाद में पुलिस, राजनीतिज्ञ एवं देश और समाज की भूमिकाएँ कैसी होती हैं?

ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में सुधार हेतु शिकायत-कार्यवाही की स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त उदाहरण है, “एक समय व्यक्ति ने मार्ग में खड़े एक उदण्ड किशोर को रुक-रुक कर ‘यूरिन’ करते देखा तो उन्होंने उसके पिता से शिकायत की बात सोची और उसके यहाँ जाकर देखा कि उस किशोर का पिता दरवाजे पर खड़े होकर घूम-घूम कर ‘यूरिन’ कर रहा है।”

धार्मिक और राजनैतिक तथा सामाजिक व्यक्तियों के वास्तविक जीवन के आचरणों से रूबरू होने पर हम देखते हैं कि इनमें अधिकांश व्यक्तियों की कथनी और करनी में विपरीत सम्बन्ध होता है। इनके आचरण स्वार्थी, वासनात्मक एवं बर्बरतापूर्ण होते हैं। इनकी कथनी और करनी के प्रदर्शन में ठीक उसी प्रकार सामंजस्य रहता है। यथा शराबी-कबाबी के मुख पर पान के बीड़ा की लालामी एवं रक्त- रंजित गंदे दुर्गंध युक्त वस्त्र धारण करने वालों पर बेला-चमेली से बने सेण्ट की सुगन्धित खुशबू।

पूँजीवादी एवं मांसाहारी युग में आज मांस का बाजार व कसाई-बाड़ा लाभ का मुख्य व्यापार के रूप में प्रतिष्ठित होकर इससे सम्बन्धित उद्योग दिन-दूने और रात-चौगने विकसित हो रहे हैं। मृत शवों के चर्म और मांस बिक्री के ठेके धन, पद और प्रतिष्ठित लोग ले रहे हैं। इनके द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से मृत शवों के मांस में जहरीला रसायन मिलाकर चीलों, कौओं, गिद्धों को मारा जा रहा है। पक्षियों को फंसाकर पिंजरों में बन्दकर बाजार में ले जाकर कत्ल किया जा रहा है। मार्गों, बाजारों, होटलों, दूकानों पर लटके जले, भुने, कटे पशु-पक्षियों के शवों के दृश्य सर्व-समाज के स्त्री-पुरुषों और बच्चों के मन-मस्तिष्क को बुरी तरह प्रभावित कर हिंसा और आतंकवाद मार्ग अपनाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

आज अधिकांश बड़े आतंकवादी पड़ोसी देशों के बंगलों राज-अधितिग्रहों में राजकीय सम्मान प्राप्त कर ऐशोआराम का जीवन व्यतीत करते हैं और वहीं पर घटनाओं को अंजाम देने हेतु योजनाएँ बनाते हैं। लूट, हत्या, बमब्लास्ट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। घटना उपरान्त राजनेता एवं पुलिस के साथ घटना स्थल पर जाकर नाटक कर पक्षकारों पर दबाव बनाते हैं, जिसके कारण लोग इनके विरुद्ध बोलने-गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते एवं इनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है।

आज के दौर में व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान तथा घर-परिवार के विकास हेतु राजनैतिक सम्बन्धों व सहायता की विशेष

अपेक्षा रखता है। जिसकी पूर्ति हेतु राजनैतिक एवं सत्ताधारी नेताओं की आवभगत करने में जुटा हुआ है। अपने आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर नेताओं को बुलाकर उनकी खातिरदारी करता है। परिचितों को लाकर उनसे सम्बन्धों की दुहाई देता है। यहाँ तक कि अपने परिवारीजनों के बीच उनको स्वच्छन्द छोड़कर अपनी लोक-लाज प्रभावित कराता है।

भारत की प्रमुख राष्ट्रीय इमारत 'लालकिला' के संग्रहालय में मात्र इस्लामिक मुगलकालीन और गुलाम भारत के जालिमों के राजसी शान की स्मृतियाँ तथा अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की हिंसा में प्रयोग की वस्तुओं का संग्रह है। स्वतंत्र भारत का मुख्य केन्द्र जहाँ हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा फहराकर विश्व को भारत की आजादी का सन्देश देते हैं। वहाँ पर भारतीय लोकतान्त्रिक की धर्म निरपेक्षता को प्रभावित करने वाली हिन्दू विरोधी वस्तुओं का संग्रह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

भारतीय इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि 2500-1750 ईसा पूर्व सिन्धु घाटी सम्यताकाल रहा है। 1500-600 ईसा पूर्व के कालखण्ड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी गई है तदुपरान्त बौद्ध, जैन एवं इस्लाम धर्म स्थापित हुए हैं। 326 ईसा पूर्व सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण कर पंजाब के राजा पोरस से युद्ध किया 323 ईसा पूर्व राजा पोरस की मृत्यु हुई। इनके बाद चन्द्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, शुंगवंश, पांड्यवंश, चाले, चोलवंश, यवन, शक, पल्लव, कुषाण, चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त-द्वितीय, कुमारगुप्त-प्रथम, स्कन्दगुप्त, हर्षवर्धन, राष्ट्रकूट वंश, पल्लववंश, गंगवंश, चोलवंश, राजराज और उसके पुत्र राजेन्द्र प्रथम ने 1044 ई. तक शासन किया। मोहम्मद गोरी ने 1194 में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तथा कन्नौज के राजा जयचन्द्र को पराजित कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया। इल्तुमिश, रजिया सुल्तान, बलवन, जलालुद्दीन, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब और शेरशाह सूरी ने 1545 तक भारत में राज्य किया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना हुई तथा 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर शासन किया। 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ और 26 जनवरी, 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया।

उक्त ऐतिहासिक तथ्यों से सिद्ध होता है कि मुगलशासन से पूर्व और बाद भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं रहा। मुगल शासन की स्थापना हिन्दुत्व और भारतीय शासकों को नष्ट करके हुई जिसे अंग्रेजों ने समाप्त कर अपना गुलाम बना लिया था। स्वतन्त्रता उपरान्त भारत धर्म-निरपेक्ष लोकतान्त्रिक राष्ट्र बना। जिसमें सभी धर्मों के लोगों को भारत में अपने-अपने ढंग से पूजा-पाठ व धार्मिक कर्मकाण्ड करने की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान की गई। इसके बावजूद भारत की केन्द्रीय इमारतों में स्थापित राष्ट्रीय संग्रहालयों में मात्र मुगलकालीन और गुलामी की प्रतीक वस्तुओं का संग्रह उचित नहीं है।

आज विश्व के प्रगतिशील देशों और इस्लामिक राष्ट्रों के पर्यटक भारत प्रवास के दौरान देश की केन्द्रीय इमारत में बने राष्ट्रीय संग्रहालयों की अबौद्धिक व्यवस्था को देखकर अपनी प्राचीनतम उपलब्धि पर अवश्य ही उत्साहित होते होंगे। यही कारण है कि अन्य मुल्कों के बौद्धिक एवं संगठित लोग योजनाबद्ध तरीके से भारत में घुसपैठ कर भारत में अनेक तरह की आतंकी व व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित कर देश की जनता का हनन कर राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि संसद को घेरकर गोलीबारी, नरसंहार, तस्करी, प्रधानमंत्री की हत्या तथा देश का धन एवं सम्पत्ति हड़पने में सफल हो रहे हैं। यह एन.जी.ओ., कम्पनी, मीडिया, दूतावास केन्द्रों के माध्यम से घुसपैठ कर भारतीयों को लालच देकर आपने आतंकी संगठन में शामिल कर देश की राजनीति और लोकतान्त्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने में सफल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि भारत की एकता और अखण्डता की सुरक्षा हेतु भारत की केन्द्रीय इमारत 'लालकिला' के राष्ट्रीय संग्रहालयों में भारत के वास्तविक अवशेष एवं देश की स्वतन्त्रता की प्रेरक भारतीय स्मृतियों के प्रतीकों का संग्रह आवश्यक है।

आतंक को रोकने के लिए कुछ तन्त्रों की रचना आवश्यक है। आतंकवाद और राजनैतिक हिंसा आज भारतीय समाज के लिए अभिशाप हो गए हैं। दोनों देश को अराजकता और अस्तव्यस्तता की ओर ले जा रहे हैं। आतंकवादी धर्म एवं क्षेत्र के नाम पर तथा भाषा और संस्कृति के नाम पर हत्या करते हैं। अब समय आ गया है जब कि लोगों में विशेषकर से युवाओं में, व्यापक कुण्डा और वंचन की भावना को रोका जाए। एक ओर सरकार को बहुत सख्त रूप से आतंकवादियों से निबटना है और दूसरी ओर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करनी है और सही प्रजातन्त्र के चलने के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना है। आतंकितों को आतंकित करने वाले आतंकवादियों के आतंक से मुक्त करना होगा।

पंचायतीराज में महिलाओं की पदासीनता का वर्तमान स्वरूप

‘भारतीय समाज के संचालन एवं नियन्त्रण में नैसर्गिक सिद्धान्तों का समावेश है। गाँधी का ‘ट्रस्टीशिप’, अम्बेडकर के ‘स्व-अनुभव’, विनोबा की ‘सामाजिकता ‘समरसता’, शास्त्रीजी की ‘नैतिकता’, शहीदों की ‘राष्ट्रनिष्ठा’, भारतीयों की ‘इन्सानियत’ आदि अनुकरण भारतीयजनों के लिए गौरवपूर्ण सौभाग्य है। जिसकी उपेक्षा देश-समाज हेतु घातक है।’

भारत कृषि प्रधान देश है जहाँ आज संवैधानिक व्यवस्था की जबरदस्त उपेक्षा के कारण वास्तविक परिश्रमी कृषक-मजदूर एवं उसके परिजन कंगालों और फकीरों जैसा जीवन यापन कर भूखें पेट सोने को मजबूर है। जिनकी कमजोरी का लाभ उठाकर रहीस-बवाली जनसेवा का ढोंग कर लोकतान्त्रिक व्यवस्था के उच्च पदों पर मनमाने ढंग से पदासीन होकर जन-कल्याणकारी सरकारी योजनाओं का लाभ हड़प कर साधारण जनता को भेंड़ों की तरह हाँक रहे हैं। भारतीय जनता का बड़ा भाग भोजन-पानी के लिए गुहार लगाते हुए दर-दर भटक रहा है। भूखी भिखारियों के बच्चे बूँद-बूँद दूध के लिए तरस रहे हैं। मंदिर-मार्गों में भिखारियों की फौजें पपीहों की तरह चीख रही हैं। हजारों लहशें बिना कफन मुर्दा खानों में जा रही हैं। जबकि लोकतान्त्रिक देश-प्रदेश के मन्त्री-अधिकारी और नेता देश के धन-सम्पत्ति एवं राष्ट्रीय सुविधाओं का बन्दर-बाँट कर मनमाना लाभ हड़पने में जुटे दिख रहे हैं। यह लोग बबाली-लुटेरों के साथ रंगमंचों पर जाकर एक-दूसरे के प्रति इसलिए प्रेम-लगाव प्रदर्शित करते हैं ताकि उनके कारनामों का विरोध दबा रहे। इनके द्वारा आयोजित समारोहों में सरकारी-सार्वजनिक धन-सम्पत्ति पानी की तरह बहाकर रहीस-बवालियों को महिमा मण्डित किया जाता है। ताकि जिम्मेदार इनके विरुद्ध कार्यवाही करने की हिम्मत न जुटा सकें। जिसके कारण भारतीय जन-समाज की स्थिति दिनों-दिन बद्-से-बदतर होती जा रही है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दरिद्रों एवं असहाय व्यक्ति-परिवारों के लिए अनेक जन-कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यथा दरिद्रों के लिए नगर-गाँवों में सरकारी आवास, शौचालय, छात्रवृत्तियाँ, बीमा, अनुदान, निःशुल्क इलाज, निःशुल्क शिक्षा, बिना ब्याज ऋण, कृषि अनुदान, पशु अनुदान, असहाय-वृद्धा-विधवा पेन्शन, समाजवादी पेंशन, विकलांग पेन्शन, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी तथा खाद्य सुरक्षा गारण्टी-2013 के अन्तर्गत कंगालों को प्रति राशन कार्ड पर पूर्व की भांति 90 रुपए मात्र में 35 किलो अनाज, चीनी, किरोसिन और दरिद्र बी.पी.एल. राशनकार्ड धारियों को पूर्व की भांति राशन न देकर पात्र गृहस्थी में परिवर्तित कर ए.पी.एल.राशन कार्ड की भांति 5 किलो मात्र प्रति राशन-कार्ड के स्थान पर प्रति व्यक्ति राशन दिया जाना निर्धारित हैं जिसे जनवरी 2016 से दिखावा के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है जब कि कुछ राज्यों में पूर्व से यह राशन व्यवस्था लागू हो चुकी है। यह नियम प्रत्येक तीन वर्ष बाद विचारोद्भूत सुधार कर लागू किए जाने का प्रावधान है। केन्द्र एवं प्रदेश सरकारें सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों में 1 से 8 तक के छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें, पोशाकें, मध्याह्न भोजन, दूध, फल, वेतनिक कर्मचारी, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पौष्टिक भोजन, दूध, खिलौने, स्वास्थ्य जाँच, विद्यालय पूर्व की शिक्षा, तथा नारियों के मातृत्व धारण करने के उपरान्त पैष्टिक भोजन, दूध, फल, चिकित्सा, किशतों में 6000 रुपए मुहैया करा रही है। परन्तु वास्तव में स्थिति कुछ और ही है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित दरिद्रों के कल्याण के लिए योजनाओं के अध्ययन उपरान्त मैंने उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद फर्रुखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण हेतु 6 नगर क्षेत्रों के सभी 117 वार्ड्स तथा 7 ब्लकों के 513 में 317 ग्रामसभाओं का भ्रमण जनसम्पर्क कर अन्त्योदय-बी.पी.एल. राशनकार्ड धारकों, समाजवादी-विधवा-वृद्ध-विकलांग पेन्शन प्राप्त करने वालों से एवं सरकारी आवास-शौचालय पाने वालों के घर-घर जाकर तथा शिक्षण एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर दरिद्रों की स्थिति का अवलोकन कर दरिद्रों और उनके परिवारीजनों से बातचीत की। जिसके परिणामस्वरूप समस्त अन्त्योदय राशन कार्ड एवं 75% से 95% तक बी.पी.एल. राशन कार्ड ऐसे लोगों के पास मिले हैं जिनके पास लेण्टर-दो मंजिल मकान, बड़े प्लाट-खेत, मोटर साइकिल, ट्रैक्टर, कार, व्यापार, आयुध लाइसेंस, नौकरी, पेन्शन, रहीस परिवार, नगरों में बड़ी हवेलियाँ, कारखाने, उद्योगों एवं अकूत पैष्टिक धन-सम्पत्ति का स्वामित्व है। यही स्थिति समाजवादी, असहाय, विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन पाने वाले अधिकांश व्यक्तियों की मिली जिनमे मृतकों सहित अनेक लोग पति, पत्नी, पुत्र, बहू, बेटी सहित एक ही व्यक्ति-परिवार अनेक पेंशन प्राप्त करते मिले। इन पंजीकृत दरिद्रों ने बताया कि उन्होंने धन देकर योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। इन फर्जी दरिद्रों द्वारा बड़ी मात्रा में दरिद्रों का राशन, तेल, चीनी, आवास, पट्टा, उद्योग, बीमा, समाजवादी-वृद्धा-असहाय-विधवा-विकलांग पेन्शन, दान और अनुदान तथा राष्ट्रीय सम्मान आदि दरिद्र कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हड़पा जा रहा है। सरकारी राशन दूकानों के अनेक कोटेदार अपने प्लाटों में आटा उद्योग चलाते मिले। सफाईकर्म के पदों पर उच्चवर्ग के लोग पदासीन मिले जो बाल्मीकों को दिहाड़ी मजदूरी देकर स्वयं बिना कार्य किए वेतन हड़पते हैं। विकास निधियों का धन सार्वजनिक स्कूलों की जगह निजी स्कूलों में लगता दिखा। ग्रामों के सचिवालयों एवं सरकारी तथा सहकारी भवनों में दबंग रहीसों ने ताले डाल कब्जा कर लिए हैं। अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्साधिकारी ड्यूटी से गायब और के सफाई कर्मी रोगियों का इलाज करते मिले हैं जबकि चिकित्सक एवं कर्मचारी केन्द्रों पर यदाकदा जाकर उपस्थित खानापूर्ति करते बताए गए हैं। बेसिक स्कूलों के शिक्षकों का फर्जीबाड़ा अत्यन्त गम्भीर है। अनेक बेसिक स्कूलों में छात्र संख्या अत्यन्त निम्न होने के बावजूद शिक्षकों की पदासीनता अत्यधिक है। अनेक शिक्षक शिक्षण कार्य किए बिना वेतन ले रहे हैं। मिड-डे-मील का राशन-धन दुरुपयोग हो रहा है। अनेक शिक्षक ठेकेदारी, दलाली, व्यापार, राजनैतिक दलों के झण्डे-बैनर लगाकर नेतागिरी कर रहे हैं। अधिकांश विद्यालयों की पंजीकृत छात्र संख्या अधिक एवं वास्तविक छात्रों की संख्या अत्यन्त कम है। पता चला कि अधिकांश छात्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बावजूद उनके नाम शिक्षक नौकरी कायम रखने के उद्देश्य मात्र से दर्ज की गई है इन स्कूलों की प्रबन्ध समिति के अधिकांश अध्यक्षों एवं रसोइयों की

पदासीनता—चयन अमानक मिला है। बेसिक स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अत्यन्त निम्न एवं फर्जीबाड़ा से सार्वजनिक धन—सम्पत्ति का घोटाला अत्यन्त उच्च मिला है। इस प्रकार फर्जी दरिद्र सुख में तथा वास्तविक दरिद्र ए.पी.एल. धारक या कार्ड विहीन होने से बुरी तरह दरिद्रता ग्रसित मिले।

हमारा भारतीय समाज मंहगाई, बेरोजगारी, गरीबी, दरिद्रता, भ्रष्टाचार एवं उपेक्षा की मार से बुरी तरह तबाह हो रहा है। हमारे नायक सरकारी धन—सम्पत्ति एवं सार्वजनिक साधनों का प्रयोग अपने निजी कार्यों में कर रहे हैं। ये वेतन, भत्ते एवं कमीशन लेकर स्वलाभ कमाते हैं। देश, समाज, जन, क्षेत्र चरागाह के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। जहाँ तरह—तरह के शातिर जबरस्त कब्जा कर इन्हें बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे भारतीय समाज की कायाकल्प तब तक सम्भव नहीं है जब तक हमारे योग्य, सभ्य, शिष्ट, कर्मठ, सच्चे जनसेवक पवित्र भाव से अवैतनिक देश एवं समाज सेवा में भागीदार नहीं होंगे। जिसके लिए आवश्यक है कि पदों की चयन प्रक्रिया में हमारे सर्व जन—समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो एवं चयन प्रक्रिया वर्ग, दल, जाति, धर्म, वाद, शुल्क, धन एवं दबाव मुक्त हो। सत्ता—पद धारक की पुनरावृत्ति न हो।

हम अपनी सामाजिक और लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर विचार करने पर पाते हैं कि, हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन बद्—से—बदत्तर होती जा रही है। जिसके कारणों में हम स्वयं को दोषी मान मौन धारण कर लेते हैं। हमारा यह मौन सामाजिक जीवन को बुरी तरह समस्या ग्रसित कर रहा है। अतः हमें समस्याओं के कारणों के प्रति और निराकरण हेतु गम्भीरता से विचार करना होगा। अन्यथा हम अपने महापुरुषों की उपलब्धियों एवं समाज की भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखने में असफल रह जाएँगे।

महिलाओं की शैक्षिक समस्याएँ और मानव विकास

(‘महिलाओं की उच्च सदनों में सदस्यता व सरकारी पदों पर उपेक्षा मानवता पूर्ण नहीं है’)

“भारतीय समाज अपनी आधी जनसंख्या की 21 करोड़ नारियों को अशिक्षित रखकर कभी भी विकास नहीं कर सकता है।” भारत को स्वतन्त्रता हुए 67 वर्ष हो चुके हैं और देश के विकास के लिए यह कम समय नहीं है। देश वैज्ञानिक व तकनीकी सुदृढ़ता के साथ 21 वीं सदी के दूसरे दशक में गुजर रहा है। जहाँ एक ओर हम सब अपनी उपलब्धि देखकर हर्षित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश की आधी अबादी अर्थात् 21 करोड़ महिलाओं को निरक्षर देख शर्म से हमारा सिर झुक जाता है। वस्तुतः स्वतन्त्रता प्राप्त के इतने लम्बे अन्तराल के बाद भी महिलाएँ आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक और पारिवारिक स्वतन्त्रता के लिए आज भी संघर्षरत हैं। पुरानी रूढ़ियाँ, परम्पराएँ, अन्धविश्वास पग-पग पर उनके पैरों में बन्धनों की बेड़ियाँ डाले खड़े हैं। इस विषय में हमें यह विचार करना होगा कि कौन से ऐसे कारण हैं जो महिलाओं के विकास में बाधक हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने महिलाओं की शिक्षा हेतु विशेष रूप से प्रयास किए और राष्ट्रीय विकास में पुरुषों के समान भागीदारी का अधिकार प्रदान किया। परन्तु कुछ महिलाओं का उच्च पदों पर पहुँच जाना या सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने का आशय यह नहीं है कि महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक स्थिति प्राप्त हो गई है और नगर क्षेत्र में उनके समान क्रियाशील हैं। वास्तविकता तो यह है कि आज उनका जीवन अनेकों समस्याओं से ग्रसित है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिलाओं की पोषण, साक्षरता, लिंगानुपात तीनों ही अत्यन्त शोचनीय प्रस्थिति है। वैश्वीकरण के इस युग में भी कन्या जन्म अधिकांश घरों में उल्लास नहीं जगाता, इसी के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है तथा उसमें भी 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात 927 से घटकर 2011 की जनगणना में मात्र 919 ही रह गया है। पुरुषों की 82.14% साक्षरता के मुकाबले महिला साक्षरता मात्र 65.04% है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, भारत में प्रत्येक 62 मिनट पर एक दहेज हत्या, प्रत्येक 19 मिनट में एक बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज हो रही है। दिल्ली में ही 2011 में छेड़छाड़ की 653 और बलात्कार की 508 घटनाएँ घटी। राजधानी दिल्ली की हालात का अनुमान तो 12 दिसम्बर 2012 की रात दामिनी गैंग रेप से लगाया जा सकता है। जब राजधानी का यह हाल है तो देश में महिलाओं की स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हिंसा के तौर पर देखा जाए तो महिलाओं की प्रस्थिति कितनी बदतर है कि 2005 में संसद को ‘घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम’ पारित करना पड़ा। लेकिन यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या कानून बना देना पर्याप्त है? कानून बनने के बाद भी घरेलू हिंसा में 30% वृद्धि हुई है। पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा में विस्तृत अन्तराल दिखाई देता है। **जनगणना-2011 के अनुसार**, देश की कुल जनसंख्या 1211903144 में 586469147 महिलाएँ जिनमें 205264260 महिलाएँ निरक्षर हैं। उच्च शिक्षा में महिला शिक्षाथियों की और भी कमी है। तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा में यह तथ्य और भी तीव्रता से लागू होता है।

महिलाओं की शिक्षा में अपव्ययता एवं अवरुद्धता की समस्या सबसे गम्भीर है। लड़कों की तुलना में लड़कियों कहीं अधिक अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देती हैं। यह प्रवृत्ति शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर देखी जा सकती है। इसके अनेक कारण हैं: यथा माता-पिता की शिक्षा व्यय वहन करने में असमर्थता, पुरुषों की शिक्षा का जीवन के लिए आवश्यक समझा जाना, बालिका विद्यालयों का समीप में न होना, यातायात के साधनों का अभाव, शिक्षा का नारी के जीवन के लिए निरर्थक समझा जाना, लाभ के उद्देश्य से धन उगाही कर नकल कराने वाले विद्यालयों की अधिकता, पाठ्यक्रम व शिक्षण में मानकों का अभाव आदि। इसके अतिरिक्त माता-पिता के परम्परागत दृष्टिकोण भी नारी शिक्षा के बाधक हैं जैसे लड़का बुढ़ापे का सहारा और कमाऊ माना जाता है जबकि लड़की को पराया धन समझा जाता है और माता-पिता शीघ्र-अतिशीघ्र उसका विवाह करना चाहते हैं। अनेक माता-पिता लड़कियों को इसलिए भी नहीं पढ़ाते हैं कि वे तनिक बड़े होने पर ही घरेलू कामों में हाथ बँटाने लगती हैं और उनकी वहाँ आवश्यकता होती है। निम्न जातियों और निर्धनों में तो उन्हें जल्दी ही रोजी कमाने के कामों पर लगाया जाता है। स्कूलों में नीचे स्तर का शिक्षण भी इस समस्या के लिए उत्तरदायी है विशेषतः गाँव-गली में योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव होता है।

आज भी महिला शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न अनिश्चित की स्थिति में पड़ा हुआ है। उनकी शिक्षा उनके गृहस्थ-जीवन की तैयारी के लिए हो या किसी व्यवसाय के लिए? महिलाओं का अधिकांश जीवन तो पत्नी और माँ की भूमिका निभाने में बीतता है। धनोपार्जन का दायित्व पुरुष का माना गया है। उसकी लम्बी अनुपस्थिति या बीमारी या मृत्यु या वैवाहिक पृथक्करण एवं विच्छेद की स्थिति में ही महिला के ऊपर यह दायित्व आता है। यह धारणा अब उच्च तथा मध्यम वर्ग में बदल रही है। नारी का घर से बाहर धनोपार्जन सम्मान का विषय समझा जाने लगा है, परन्तु महिला शिक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य विषयों, साहित्य, गृहविज्ञान, जीवनकला तक ही सीमित हो रहे हैं। वास्तव में बदलते हुए समय की माँग को देखते हुए उन्हें व्यवसायिक एवं तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित होने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मध्यम वर्ग में रहने-सहने के दर्जे को ऊँचा करने की निरंतर बढ़ती हुई महत्त्वकांक्षा तभी पूरी हो सकती है जब स्त्री और पुरुष दोनों ही रोजगार में लगे हों।

महिला जीवन के चारों ओर सामाजिक ताना-बाना कुछ इस प्रकार बना है जो शिक्षा और उनके सामाजिक अनुकूलन के बीच कई प्रश्न खड़े कर देता है। शिक्षा और विवाह की दृष्टि से यदि देखें तो जितना भी महिला उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, उतना ही उसके विवाह में कठिनाई उपस्थित होने लगती है। विवाह योग्य वर पाना कठिन हो जाता है। क्योंकि वर तो उससे अधिक शिक्षित और कुलीन होना चाहिए। उसके अतिरिक्त अधिक शिक्षित महिला को सन्देह की दृष्टि से देना जाने लगता है। वह अपनी रुचियों, पसन्दगियों तथा

विचारों में दृढ़ हो जाती है। पारिवारिक सम्बन्धों में शिक्षा कभी-कभी अनुकूलन की समस्याएँ पैदा कर देती है। ऐसा उस स्थिति में अधिक होता है जब माँ या सास तो अशिक्षित हो और क्रमशः बेटी या बहू शिक्षित हों। दोनों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर होता है और कभी-कभी टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पति-पत्नी के बीच भी सामंजस्य की कठिनाई हो सकती है। प्रायः पुरुष व्यावसायिक एवं सामाजिक क्षेत्र में प्रगतिशील शिष्ट, मिलनसार और हंसमुख महिलाओं की सराहना करते हैं और उनकी ओर आकर्षित भी रहते हैं परन्तु उनकी पत्नी यदि चे गुण प्रकट करने लगे तो उनके अहम् को चोट लगती है और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। सर्वत्र पुरुष प्रभुता भी शिक्षित महिला के लिए समस्या-मूलक है। उच्च शिक्षा के साथ शक्ति, प्रतिष्ठा एवं आत्म-निर्भरता जुड़ी हुई है और ये बातें पुरुष के पुरुषत्व के लिए खतरा बन जाती हैं। भारतीय पुरुष ने बुद्धिजीवी महिला के साथ अभी अनुकूलन करना नहीं सीखा है। शिक्षा एवं पद की दृष्टि से श्रेष्ठ महिला के सम्मुख पुरुष प्रायः हीन भावना एवं आतंक बोध से ग्रसित हो जाता है, इसलिए उसके प्रति आक्रोश में भर जाता है। व्यवसाय के क्षेत्र में अधीनस्थ पुरुष कर्मचारी महिला अधिकारी के निर्देशन में काम करना पसन्द नहीं करते। ऐसी अधिकारियों की उपलब्धियों को शीघ्र नहीं स्वीकारा जाता, उनके व्यक्तित्व के चारों ओर तरह-तरह की कहानियाँ गढ़ी जाती हैं।

समाज की घिसी-पिटी मान्यताओं एवं पुरुषों के अहंकारी आचरणों ने नारी स्वतन्त्रता एवं समानता को कभी महत्त्व नहीं दिया जिसकी झलक देश के प्रमुख उच्च सदनों की सदस्यता एवं सरकारी पदों की पदासीनता में महिलाओं की उपेक्षा है।

आज समय की सबसे बड़ी मांग-नारी शिक्षा है। उसे हम नकार नहीं सकते, न आंख बंद कर बैठने से नारी शिक्षा की समस्या हल हो सकेगी। आज स्त्री शिक्षा अनिवार्य है। इसी बातों को दृष्टि में रखकर बालिकाओं के लिए 14 वर्ष तक शिक्षा निशुल्क, अनिवार्य कर दी गई है जिससे धनी और निर्धन अभिभावक अपनी बेटियों को समानरूप से शिक्षित बना सकें।

दीप से दीप जलता है। एक शिक्षित नारी दूसरे को साक्षर बनाकर यह पुनीत कार्य आगे बढ़ा सकती है। किन्तु जहाँ एक ओर शिक्षा का प्रचार-प्रसार है, वहीं दूसरी ओर निरक्षरों का 35% उनसे कहीं अधिक है। पुत्र की लालसा में प्रायः पुत्रियों की लम्बी कतार परिवार में सहज ही देखने को मिलती है। फिर उनकी उपेक्षा और उनके जन्म के लिए उन्हीं ही दोषी ठहराया और दुर्व्यवहार करना आम बात है। पढ़ाई-लिखाई केवल नौकरी-पेशा के लिए ही आवश्यक नहीं है, वरन् एक शिक्षित युवती अपना घर-परिवार और अधिक सुयोग्य ढंग से देख सकती है। और यदि आवश्यकता पड़े तो परिवार को आर्थिक सहायता देकर कष्टों से उबार सकने में भी सक्षम होती है।

शिक्षा नारी के मन-मस्तिष्क के न केवल बन्द दरवाजे, खिड़कियाँ खोलती हैं, बल्कि उसमें खुली हवा से चेतना भी जगाती है। जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देती है जिससे उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है। घर-परिवार, बच्चों की सीमित परिधि से बाहर निकल कर उसमें राष्ट्रीय चेतना और जागरूकता के नए आयाम सहज ही देखने में आते हैं। उसके व्यक्तित्व का यह निखार और परिवर्तन केवल उसे ही ऊँचे नहीं उठाते। उसके संस्कार, अच्छी आदते, रहन-सहन का ढंग, अच्छा व्यवहार एवं शिष्टता उसके परिवार पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि यह समाज में भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित है।

भारतीय समाज अपनी आधी जनसंख्या अर्थात् महिलाओं को अशिक्षित रखकर कभी विकास नहीं कर सकता। इतिहास साक्षी है कि ऐसा करने पर भारतीय समाज ने दासता के रूप में बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इसलिए महिलाओं की भूमिकाओं को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि महिला गतिमान होती है तो परिवार गतिमान होता है, परिवार गतिमान होता है तो देश-समाज गतिमान होता है। महिला विकास से ही देश-समाज का विकास निहित है।

वैश्वीकरण के युग में महिलाओं की समस्याएँ

प्राचीनकाल में समाज में महिलाओं की पूजा की जाती थी, आज उसी समाज में महिलाओं की न केवल उपेक्षा की जाने लगी है अपितु महिलाएँ उत्पीड़न और प्रताड़ना की शिकार होने लगी हैं। आज भारतीय समाज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। इन अनेक समस्याओं में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की समस्या सबसे अधिक ज्वलंत और जटिल है। यह समस्या समाज वैज्ञानिकों तथा शोधकर्त्ताओं का जितना ध्यान आकर्षित करती है उतना अन्य कोई समस्या नहीं करती है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध भारतीय समाज की कोई नई समस्या नहीं है। भारतीय समाज की महिलाएँ लम्बे समय से अवमानना, यातना और शोषण की शिकार रही हैं।

भारत को स्वतन्त्र हुए 69 वर्ष हो चुके हैं और देश के विकास के लिए यह कम समय नहीं है। देश वैज्ञानिक व तकनीकी सुदृढ़ता के साथ 21-वीं सदी के दूसरे दशक में गुजर रहा है। जहाँ एक ओर हम सब अपनी उपलब्धि देखकर हर्षित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश की आधी अबादी अर्थात् 21 करोड़ महिलाओं को निरक्षर देख हमारा सर शर्म से झुक जाता है। वस्तुतः स्वतन्त्रता प्राप्त के इतने लम्बे अन्तराल के बाद भी महिलाएँ आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक और पारिवारिक स्वतन्त्रता के लिए आज भी संघर्षरत हैं। पुरानी रूढ़ियाँ, परम्परायें, अन्धविश्वास पग-पग पर उनके पैरों में बन्धनों की बेड़ियाँ डाले खड़े हैं। इस विषय में हमें यह विचार करना होगा कि कौन से ऐसे कारण हैं जो महिलाओं के विकास में बाधक हैं।

आजादी के उपरान्त संवैधानिक प्रावधानों में महिलाओं के अधिकारों की गारण्टी दी गई है फिर भी नारियों के विरुद्ध अपराधों की संख्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। आज भी महिलाओं को पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनकी तस्करी की जाती है, उनको जला दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको भोग की वस्तु बनाया जाता है। इसी प्रकार भारतीय समाज नारियों के विरुद्ध अपराधों का खुला नमूना है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रयास किए और राष्ट्रीय विकास में पुरुषों के समान भागीदारी का अधिकार प्रदान किया। परन्तु कुछ महिलाओं का उच्च पदों पर पहुँच जाना या सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने का आशय यह नहीं है कि महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक स्थिति प्राप्त हो गई है और नगर क्षेत्र में उनके समान क्रियाशील हैं। वास्तविकता तो यह है कि आज उनका जीवन अनेकों समस्याओं से ग्रसित है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिलाओं की पोषण, साक्षरता, लिंगानुपात तीनों ही अत्यन्त शोचनीय प्रस्थिति है। वैश्वीकरण के इस युग में भी कन्या जन्म अधिकाँश घरों में उल्लास नहीं जगाता, इसी के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है, उसमें भी 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात 927 से घटकर 2011 की जनगणना में मात्र 919 ही रह गया है। पुरुषों की 82.14% साक्षरता के मुकाबले महिला साक्षरता मात्र 65.04% है। जनगणना-2011 के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या 1211903144 में 586469147 महिलाएँ जिनमें 205264260 महिलाएँ निरक्षर हैं। उच्चशिक्षा में महिला शिक्षार्थियों की और भी कमी है। तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा में यह तथ्य और भी तीव्रता से लागू होता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, में प्रत्येक 21 मिनट में बलात्कार, प्रत्येक 12 मिनट में छेड़छाड़, 13 मिनट में अपहरण और 62 मिनट में दहेज हत्या का अपराध होता है। दिल्ली में ही 2011 में छेड़छाड़ की 653 व बलात्कार की 508 घटनाएँ घटी। राजधानी दिल्ली की हालात का अंदाजा तो 12 दिसम्बर 2012 की रात दामिनी गैंग रेप से लगाया जा सकता है। जब राजधानी का यह हाल है तो देश में महिलाओं की स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हिंसा के तौर पर देखा जाए तो महिलाओं की प्रस्थिति कितनी बदतर है कि 2005 में संसद को 'घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम' पारित करना पड़ा। लेकिन यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या कानून बना देना पर्याप्त है? कानून बनने के बाद भी घरेलू हिंसा में 30% वृद्धि हुई है। यह स्वस्थ समाज की निशानी नहीं है, एक बीमार, विकारग्रस्त समाज की तस्वीर पेश करने वाले तथ्य हैं। आज समाज में स्त्रियों के प्रति जो घृणित प्रवृत्ति का विकास होता जा रहा है, उससे समाज को उबारना आवश्यक है।

आई.पी.सी. में महिलाओं के प्रति जिन अपराधों का उल्लेख किया गया है, वे हैं— धारा 376 बलात्कार, धारा 363 अपहरण, धारा 302, 304—बी हत्या, दहेज हत्या, धारा 498—ए शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना, धारा 354—कष्ट देना, धारा 509 यौन उत्पीड़न, धारा 366 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की को भगाना। इन अपराधों में लिंग जैसा कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इस हेतु जिन अधिनियमों का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है, वे हैं—राज्य कर्मचारी बीमा एक्ट—1948, वन श्रमिक एक्ट—1951, पारिवारिक न्यायालय एक्ट—1954, विशेष विवाह एक्ट—1955, हिन्दू उत्तराधिकार एक्ट—1956, अनैतिक क्रियाकलाप एक्ट—1956, मातृत्व लाभ एक्ट—1961 का संशोधित एक्ट—1995, दहेज विरोधी एक्ट—1961, चिकित्सकीय गर्भपात एक्ट—1971, संविदा श्रमिक एक्ट—1976, समान वेतन एक्ट—1976, बाल-विवाह निरोध एक्ट—1976, अपराधी एक्ट—1983, कारखाना एक्ट—1986, महिला दुर्घटना प्रतिनिधित्व एक्ट—1986, सती निरोध आयोग एक्ट—1987 की विभिन्न धाराओं में नारियों से संबंधित अपराधों तथा दण्ड प्रावधानों का विस्तृत विवेचन है।

वे कौन-सी महिलाएँ हैं जो अपराध का शिकार होती हैं। यद्यपि निश्चित तौर पर यह कहना कठिन है किन्तु जो महिलाएँ अपराध की शिकार होने की संभावनाएँ अधिक होती हैं वे हैं— जो असहाय और अवसादग्रस्त होती हैं, जिनकी आत्मछवि खराब होती है, जो भावुक होती हैं और समर्पण को तैयार रहती हैं, जो परार्थवादी विवशता की शिकार होती हैं, जो ऐसे परिवारों में निवास करती हैं जो दबावपूर्ण होते हैं, जिनके पति या ससुराल वाले व्याधिशाली व्यक्तित्व के होते हैं, जिनके पति मद्यपान तथा इसी प्रकार की किसी बुरी

लत के शिकार होते हैं।

महिलाओं के प्रति अपराधों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति हैं—जो हीनभावना से ग्रस्त जिनमें आत्म सम्मान की भावना कम होती है तथा स्वभाव से अवसादग्रस्त होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व दोष पाया जाता है, जैसे मनोरोगी आदि, वे व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व समाज वैज्ञानिक रूप से विकृत होता है तथा जिनके पास संसाधनों एवं कुशलताओं तथा प्रतिभाओं का अभाव पाया जाता है, जिनके स्वभाव में शक्कीपन एवं प्रबलता और मालिकानापन होता है, जिनका पारिवारिक जीवन तनावग्रस्त होता है, जो बचपन में हिंसा के शिकार होते हैं, जो मदिरापान तथा बुरी आदत और संगति के शिकार होते हैं।

महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराध हैं—धन की प्राप्ति के लिए, सत्ता की भूख को प्रदर्शित करने के लिए, भोग-विलास के लिए, विकृत मानसिकता के कारण, तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियों के कारण तथा पीड़ा पहुँचाने की दृष्टि से किए जाने वाले अपराध।

महिलाओं के प्रति घटित अपराधों में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। उदाहरणार्थ—वर्ष 2007 में 185312 मामले दर्ज हुए थे जिनकी संख्या वर्ष 2008 में बढ़कर 195856, वर्ष—2009 में 203804, वर्ष—2010 में 213585, वर्ष—2011 में 228650 हो गई। यद्यपि पश्चिम-बंगाल का भारत की कुल जनसंख्या में 7.5% शेयर है जबकि वहाँ नारियों के प्रति अपराधों का प्रतिशत 12.5 है यानि वहाँ 29133 मामले दर्ज हुए। नारियों के प्रति अपराधिक मामलों में दूसरा स्थान आंध्रप्रदेश का है जो भारत की कुल जनसंख्या में 7% भागीदारी रखता है जबकि वहाँ महिलाओं के प्रति अपराधों का प्रतिशत 12.4 है, वहाँ 28256 मामले दर्ज हुए।

वर्ष—2011 में 24206 बलात्कार, 35565 अपहरण और अपवर्तन, 8618 दहेज हत्या, 99135 उत्पीड़न, 42948 छेड़छाड़, 8570 यौनशोषण, 80 लड़कियों की खरीद-फरोख्त, 2436 अनैतिक व्यापार निरोध, 453 अश्लील प्रदर्शन निषेध एक्ट—1986, 6619 दहेज उन्मूलन, 1 सतीप्रथा निवारण एक्ट कुल 228650 मामले दर्ज हुए। नारियों के प्रति अपराध का कोई एक कारण नहीं है। अनेक परिस्थितियाँ नारी अपराध को बढ़ावा देती हैं। इन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण—पारिवारिक विघटन तथा इससे उत्पन्न अन्य अनेक कारण हैं। पारिवारिक विघटन का अर्थ एकमत और निष्ठा का भंग होना, पहले के संबंधों का विदारण/नाश, पारिवारिक चेतना का नाश या विलगता का विकास है। इस प्रकार पारिवारिक विघटन का अर्थ है—सदस्यों में एकमत का अभाव, सदस्यों में निष्ठा का अभाव, सम्बन्धों का विदारण/नाश, पारिवारिक चेतना का नाश और विघटन।

भारतीय समाज अपनी आधी जनसंख्या अर्थात् महिलाओं को अशिक्षित रखकर कभी विकास नहीं कर सकता। इतिहास साक्षी है कि ऐसा करने पर भारतीय समाज ने दासता के रूप में बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इसलिए महिलाओं की भूमिकाओं को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि महिला गतिमान होती है तो परिवार गतिमान होता है, परिवार गतिमान होता है तो देश—समाज गतिमान होता है। महिला विकास से ही देश—समाज का विकास निहित है।

महिलाओं की शिक्षा में अपव्ययता एवं अवरुद्धता की समस्या सबसे गम्भीर है। लड़कों की तुलना में लड़कियों कहीं अधिक अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देती हैं। यह प्रवृत्ति शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर देखी जा सकती है। इसके अनेक कारण हैं: यथा माता—पिता की शिक्षा व्यय वहन करने में असमर्थता, पुरुषों की शिक्षा का जीवन के लिए आवश्यक समझा जाना, बालिका विद्यालयों का समीप में न होना, यातायात के साधनों का अभाव, शिक्षा का महिला के जीवन के लिए निरर्थक समझा जाना, लाभ के उद्देश्य से धन उगाही कर नकल कराने वाले विद्यालयों की अधिकता, पाठ्यक्रम व शिक्षण में मानकों का अभाव आदि। इसके अतिरिक्त माता—पिता के परम्परागत दृष्टिकोण भी महिला शिक्षा के बाधक हैं जैसे लड़का बुढ़ापे का सहारा और कमाऊ माना जाता है जबकि लड़की को पराया धन समझा जाता है और माता—पिता शीघ्र—अतिशीघ्र उसका विवाह करना चाहते हैं। अनेक माता—पिता लड़कियों को इसलिए भी नहीं पढ़ाते हैं कि वे तनिक बड़े होने पर ही घरेलू कामों में हाथ बँटाने लगती हैं और उनकी वहाँ जरूरत होती है। निम्न जातियों और निर्धनों में तो उन्हें जल्दी ही रोजी कमाने के कामों पर लगाया जाता है। स्कूलों में नीचे स्तर का शिक्षण भी इस समस्या के लिए उत्तरदायी है विशेषतः गाँव—गली में योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव होता है।

आज भी महिला शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न अनिश्चित की स्थिति में पड़ा हुआ है। उनकी शिक्षा उनके गृहस्थ—जीवन की तैयारी के लिए हो या किसी व्यवसाय के लिए? महिलाओं का अधिकाँश जीवन तो पत्नी और माँ की भूमिका निभाने में बीतता है। धनोपार्जन का दायित्व पुरुष का माना गया है। उसकी लम्बी अनुपस्थिति या बीमारी या मृत्यु या वैवाहिक पृथक्करण एवं विच्छेद की स्थिति में ही महिला के ऊपर यह दायित्व आता है। यह धारणा अब उच्च तथा मध्यम वर्ग में बदल रही है। नारी का घर से बाहर धनोपार्जन सम्मान का विषय समझा जाने लगा है, परन्तु महिला शिक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य विषयों, साहित्य, गृहविज्ञान, जीवनकला तक ही सीमित हो रहे हैं। वास्तव में बदलते हुए समय की मांग को देखते हुए उन्हें व्यवसायिक एवं तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित होने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मध्यम वर्ग में रहन—सहन के दर्जे को ऊँचा करने की निरन्तर बढ़ती हुई महत्त्वकाँक्षा तभी पूरी हो सकती है जब स्त्री और पुरुष दोनों ही रोजगार में लगे हों।

महिला जीवन के चारों ओर सामाजिक ताना—बाना कुछ इस प्रकार बना है जो शिक्षा और उनके सामाजिक अनुकूलन के बीच कई प्रश्न खड़े कर देता है। शिक्षा और विवाह की दृष्टि से यदि देखें तो जितना भी महिला उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, उतना ही उसके विवाह में कठिनाई उपस्थित होने लगती है। विवाह योग्य वर पाना कठिन हो जाता है। क्योंकि वर तो उससे अधिक शिक्षित और कुलीन होना चाहिए। उसके अतिरिक्त अधिक शिक्षित महिला को संदेह की दृष्टि से देना जाने लगता है। वह अपनी रुचियों, पसन्दगियों तथा विचारों में दृढ़ हो जाती है। पारिवारिक सम्बन्धों में शिक्षा कभी—कभी अनुकूलन की समस्याएँ पैदा कर देती है। ऐसा उस स्थिति में अधिक होता है जब माँ या सास तो अशिक्षित हो और क्रमशः बेटी या बहू शिक्षित हों। दोनों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर होता है और कभी—कभी टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पति—पत्नी के बीच भी सामंजस्य की कठिनाई हो सकती है। प्रायः पुरुष व्यावसायिक एवं सामाजिक क्षेत्र में प्रगतिशील शिष्ट, मिलनसार और हंसमुख महिलाओं की सराहना करते हैं और उनकी ओर आकर्षित

भी रहते हैं परन्तु उनकी पत्नी यदि चे गुण प्रकट करने लगे तो उनके अहम् को चोट लगती है और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। सर्वत्र पुरुष प्रभुता भी शिक्षित महिला के लिए समस्या—मूलक है। उच्चशिक्षा के साथ शक्ति, प्रतिष्ठा एवं आत्म—निर्भरता जुड़ी हुई है और ये बातें पुरुष के पुरुषत्व के लिए खतरा बन जाती हैं। भारतीय पुरुष ने बुद्धिजीवी महिला के साथ अभी अनुकूलन करना नहीं सीखा है। शिक्षा एवं पद की दृष्टि से श्रेष्ठ महिला के सम्मुख पुरुष प्रायः हीन भावना एवं आतंक बोध से ग्रसित हो जाता है, इसलिए उसके प्रति आक्रोश में भर जाता है। व्यवसाय के क्षेत्र में अधीनस्थ पुरुष कर्मचारी महिला अधिकारी के निर्देशन में काम करना पसन्द नहीं करते। ऐसी अधिकारियों की उपलब्धियों को शीघ्र नहीं स्वीकारा जाता, उनके व्यक्तित्व के चारों ओर तरह—तरह की कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। समाज की घिसी—पिटी मान्यताओं एवं पुरुषों के अहंकारी आचरणों ने नारी स्वतन्त्रता एवं समानता को कभी महत्व नहीं दिया जिसकी झलक देश के प्रमुख उच्च सदनों की सदस्यता व सरकारी पदों की पदासीनता में महिलाओं की उपेक्षा है।

आज समय की सबसे बड़ी माँग—नारी शिक्षा है। उसे हम नकार नहीं सकते, न आँख बंद कर बैठने से नारी शिक्षा की समस्या हल हो सकेगी। आज स्त्री शिक्षा अनिवार्य है। इसी बातों को दृष्टि में रखकर बालिकाओं के लिए 14 वर्ष तक शिक्षा निशुल्क, अनिवार्य कर दी गई है जिससे धनी और निर्धन अभिभावक अपनी बेटियों को समानरूप से शिक्षित बना सके।

दीप से दीप जलता है। एक शिक्षित नारी दूसरे को साक्षर बनाकर यह पुनीत कार्य आगे बढ़ा सकती है। किन्तु जहाँ एक ओर शिक्षा का प्रचार—प्रसार है, वहीं दूसरी ओर निरक्षरों का 35% उनसे कहीं अधिक है। पुत्र की लालसा में प्रायः पुत्रियों की लम्बी कतार परिवार में सहज ही देखने को मिलती है। फिर उनकी उपेक्षा और उनके जन्म के लिए उन्हीं को ही दोषी ठहराया और दुर्व्यवहार करना आम बात है। पढ़ाई—लिखाई केवल नौकरी—पेशा के लिए ही आवश्यक नहीं है, वरन् एक शिक्षित युवती अपना घर—परिवार और अधिक सुयोग्य ढंग से देख सकती है। और यदि आवश्यकता पड़े तो परिवार को आर्थिक सहायता देकर कष्टों से उबार सकने में भी सक्षम होती है।

शिक्षा महिला के मन—मस्तिष्क के न केवल बन्द दरवाजे, खिड़कियाँ खोलती हैं, बल्कि उसमें खुली हवा से चेतना भी जगाती है। जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देती है जिससे उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है। घर—परिवार, बच्चों की सीमित परिधि से बाहर निकलकर उसमें राष्ट्रीय चेतना और जागरूकता के नए आयाम सहज ही देखने में आते हैं। उसके व्यक्तित्व का यह निखार और परिवर्तन केवल उसे ही ऊँचे नहीं उठाते। उसके संस्कार, अच्छी आदते, रहन—सहन का ढंग, अच्छा व्यवहार एवं शिष्टता उसके परिवार पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि यह समाज में भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित है।

सुझावः

1. पति—पत्नी को पारिवारिक जीवन पर सलाह देने के लिए सलाहकार मंडलों की स्थापना होनी चाहिए।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था जबाबदेह होनी चाहिए।
3. मातृत्व अस्पताल तथा बच्चों के लिए अस्पतालों की चिकित्सकों की उपस्थित जबाबदेह होनी चाहिए।
4. महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं के लाभ का बन्दर—बॉट बन्द होना चाहिए।
5. देश की सामाजिक व्यवस्था एवं संवैधानिक व्यवस्था के सभी पदों पर महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए।
6. वैश्यावृत्ति पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए।

दहेज दानव और नारी हिंसा

नारी का जीवन दुःखों की खान माना जाता है। परतन्त्रता, असुरक्षा और अशिक्षा के साथ दहेज एक ऐसे कष्ट स्रोत के रूप में नारी जीवन से जुड़ा है जिस कारण वह निरन्तर प्रताड़ित की जाती है इसका परिणाम कभी-कभी इतना भयानक हो जाता है कि नारी को इसकी कीमत अपनी जान देकर अदा करनी पड़ती है। दहेज भारतीय समाज में युगों से चल रही एक प्रथा है। आधुनिक समाज में यह फैशन की तरह है। इसके चलते अब तक लाखों युवतियों की बलि चढ़ चुकी है। दहेज का सीधा तात्पर्य स्त्री की गुलामी से है जिसमें वह वस्तु की तरह क्रय और विक्रय (तस्करी) की जाती है। अनेक बुद्धिजीवी समाज वैज्ञानिक और विचारक इसे विभिषिका के रूप में चिह्नित करते हैं आज भी यह एक विकराल मानवग्रासी समस्या के रूप में हमारे सामने विद्यमान है।

साधारण अर्थ में दहेज से अभिप्राय उस धन उपहारों व वस्तुओं से है, जो कि पत्नी विवाह में अपने पति के लिए लाती है। वे उपहार व मूल्यवान वस्तुएँ जो वधू पक्ष से वर व उसके संबंधियों को विवाह में मिलती हैं दहेज की देय धनराशि लड़के की नौकरी एवं आमदनी, लड़की के पिता का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर, लड़के के परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा, लड़की एवं लड़के की शिक्षा, लड़की की नौकरी एवं वेतन, लड़की का सौन्दर्य व शारीरिक गठन, लड़के एवं लड़की के परिवार की संरचना एवं सुखद भविष्य की सुरक्षा आदि कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्या के माता-पिता रुपया और उपहार न केवल विवाह के समय देते हैं बल्कि वे पति के परिवार को उपहार जीवन भर देते रहते हैं।

धर्मग्रन्थों में यह संकेत मिलता है कि प्राचीनकाल में दहेज प्रथा प्रचलित थी दहेज कन्यादान संस्कार का एक भाग होता था जो कि आज के दहेज से बिल्कुल भिन्न होता था। दहेज प्रथा जैसी आज प्रचलित है। अतीत में नहीं थी केवल राजपरिवारों या कुलीन परिवारों में ही विवाह के समय वर को उपहार दिए जाते थे। स्मृतियों में आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन है केवल ब्रह्म विवाह में ही पिता अपनी कन्या उत्तम व योग्य वर को उपहार सहित देता था। इस प्रकार दहेज में दिए जाने वाले उपहार केवल पिता की इच्छा पर आधारित थे जब प्राचीन समाज में कुंआरापन सहन किया जाता था।

मध्ययुग में अपरिपक्व अवस्था में विवाह प्रचलन में आ गए इसके कारण कन्या का पिता सीमित समय के अंदर कन्या का विवाह करने को आतुर रहने लगा धार्मिक व सामाजिक दोनों ही आधार पर पिता अपनी कन्या का विवाह वर के पिता की धन की माँग होने पर भी करने को तैयार रहता था। प्राचीन काल में धार्मिक आधार पर दहेज दक्षिणा माना जाता था किन्तु अब यह अनिच्छा से दिया जाता है। बौद्धकाल में भी दहेज का प्रचलन था। मुस्लिम काल में भी दहेज के अनेक सन्दर्भ मिलते हैं सन्त तुकाराम ने भी अपनी पुत्रियों के विवाह में अपने गाँव वालों की सहायता से दहेज दिया चैतन्य महाप्रभु के श्वसुर अपनी कन्या का विवाह उनसे करने में परहेज कर रहे थे क्योंकि मध्यम परिवार में दिए जाने वाले दहेज के उपहार जुटाने में स्वयं को असमर्थ अनुभव कर रहे थे। राजपूताना में विशेष रूप में मध्ययुग में दहेज प्रथा ने भयानक रूप धारण कर लिया था। यद्यपि यह राजा-महाराजाओं तक ही सीमित था इसका कारण यह था कि राजपूत लोग अपनी असाधारण आन बान पर बड़ा अभिमान करते थे। अधिकतर शुद्ध राजपूती रक्त वाले युवकों को विवाह के लिए वरीयता प्रदान की जाती थी। इसी से विवाह में उनके मूल्य ऊँचे उठते चले गए इस प्रकार 13-वीं और 14-वीं सदी से दहेज एक आवश्यक एवं अवैकल्पिक बुराई के रूप में स्थापित होता चला गया ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन ने द्रव्यीकरण शिक्षा तथा व्यवस्थित खण्ड जैसी चीजों को खुली छूट दे दी है। विवाह के हाल में शिक्षित युवकों का मूल्य ऊँचा हो गया लोग जिनके पास विश्वविद्यालय की स्नातक या परास्नातक डिग्री होती है लाखों रुपए तक दहेज में लेते हैं। एम. एन. श्रीनिवास ने भी संकेत किया है कि 20-वीं सदी के मध्य में धनी व उच्च वर्गीय लोग वांछित वर प्राप्त करने के उद्देश्य से दहेज के रूप में बड़ी रकमें दिया करते थे आज दहेज ने अकीर्तिकर अनुपात ग्रहण कर लिया है और दहेज सुरसा का मुँह बन गया है। अब यह एक प्रकार की सोच बन गई है।

पूर्व ब्रिटिश काल में हमारा समाज प्रमुख रूप से कृषि प्रधान था और लगभग समस्त भारत में समाज की आर्थिक व्यवस्था सरल थी सामान्य व्यावसायिक एवं तकनीकी की शिक्षा के प्रसार के कारण डाक्टरों वकीलों, इंजीनियरों, अफसरों, प्रशासनिक अधिकारियों, कालेज एवं विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उपरोक्त वर्गों के युवकों की सम्भावित आय इतनी आकर्षक है कि कोई भी उन्हें दामाद बनने के लिए लालायित रहता है। विवाह बाजार में उनका मूल्य स्वतः ही बढ़ गया है और साथ ही उन माता-पिता की कठिनाइयों में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार के युवकों को अपनी कन्याएँ देते हैं वास्तव में ऐसे मामले सामन आते हैं जिनमें वर पक्ष के लोग अपनी मांगों को सूचीबद्ध करके कल्याण को प्रस्तुत करते हैं जो विवाह में अवश्य दें जैसे, स्कूटर, कार, आभूषण, फर्नीचर, वस्त्र, उच्च स्तरीय दावत और नगद धन परन्तु ऐसा नहीं है कि वर पक्ष केवल मांगता ही है बल्कि पर्याप्त व्यय भी करता है लेकिन विवाह क्योंकि कन्या के घर पर ही सम्पन्न होने का रिवाज है। इसलिए कन्या पक्ष के घर पर ही सम्पन्न होने का रिवाज है इसीलिए कन्या पक्ष को बरात के भोजन, साज-सजावट व अतिथियों के स्वागत सत्कार में व्यय वहन करना पड़ता है कन्या के पिता को त्योंहारों विवाह एवं अन्य अवसरों पर विवाह के बाद भी अपनी बेटी कुलीन एवं धनी घराने और उसके ससुराल वालों को उपहार निरन्तर देने पड़ते हैं इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न भागों में अनेक समुदायों व जातियों में रिवाज है कि विवाह के बाद प्रथम गर्भ धारण करने के बाद लड़की अपने पिता के घर जाती है एवं प्रथम बच्चे का जन्म वहीं होता है कन्या के माता-पिता नवजात शिशु को वस्त्र, आभूषण एवं अन्य उपहार, अपनी लड़की व दामाद को वस्त्र एवं लड़की के सास-श्वसुर तक के लिए सब वस्तुएँ देनी पड़ती हैं

प्रत्येक माता-पिता की आकांक्षा होती है कि वह अपनी बेटी का विवाह धन एवं उच्च स्थिति वाले परिवार में करें ताकि उनकी

इज्जत बनी रहे और उनकी बेटी को सुख एवं सुरक्षा मिले जिससे उच्च एवं धनी परिवार के लड़कों की विवाह बाजार में ऊँची कीमत हो जाती है। हिन्दुओं में सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था के अनुसार विवाह अपनी ही जाति या उपजाति के अंदर सम्पन्न होने का चलन है इसी से जीवन साथी के चुनने की प्रक्रिया सीमित ही रहती है। परिणाम उच्च वेतन की नौकरी वाले या किसी पेशे में लगे सुखद भविष्य वाले नवयुवकों की कमी हो जाती है। वे दुर्लभ वस्तुओं की तरह हो जाते हैं और उनके माता-पिता कन्या पक्ष से बड़ी धनराशि माँगते हैं। हिन्दुओं में अनुलोम विवाह प्रथा के अनुसार निम्न जाति की लड़की का विवाह उच्च जाति में हो सकता है। जब उच्च जाति के युवक निम्न जाति की युवती से विवाह करते हैं तब वे अधिक दहेज माँगते हैं। जैसे ब्राह्मण कई समूहों में बंटे हैं जिन्हें बिस्वा कहते हैं यदि 18 बिस्वा वाला व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह 20 बिस्वा में करना चाहें तो उसे दहेज के रूप में एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी। इस प्रकार उच्च जाति में अपनी कन्या का विवाह करने के लिए ऊँची धनराशि दहेज में देनी पड़ती है। कुछ लोग अपनी शान-शौकत, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करने के लिए अधिक से अधिक दहेज देते हैं। जैसे कि राजपूत और जैन लोग अपनी बेटियों के विवाह में केवल अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा दर्शाने हेतु लाखों रुपए खर्च कर देते हैं भले ही इसके लिए उन्हें कर्ज क्यों न लेना पड़े।

वर के माता-पिता द्वारा दहेज स्वीकार करने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि उन्हें अपनी बेटियों या बहिनो के विवाह में दहेज देना ही है। स्वाभाविक है वे अपने बेटे के दहेज में प्राप्त धन राशि को अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूँढने तथा उसे प्रसन्न करने के काम में लाते हैं। व्यक्ति जो दहेज का विरोधी तो है लेकिन वह 8-10 लाख रुपए दहेज में इस कारण नकद लेना स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। क्योंकि उसे भी इतनी ही राशि अपनी बेटी अथवा बहिन के विवाह में खर्च करना होती है। यहाँ दुःचक्र प्रारम्भ होता है और दहेज की राशि कलंकित अभिशाप का रूप धारण कर लेती है।

दहेज देना एक सामाजिक प्रथा है और प्रथाओं को एकदम से बदलना बड़ा कठिन है। इसकी पृष्ठभूमि में भावना यह है कि प्रथाओं के पालन में लोगों में एकता तथा लोगों में मेलजोल बढ़ता है। बहुत से लोग दहेज केवल इसलिए लेते हैं और देते हैं क्योंकि उनके माता-पिता तथा पूर्वज भी इस प्रथा को मानते चले आ रहे थे और यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो शायद उनके मान-सम्मान को कोई आघात लगेगा। प्रथाएँ हमारे व्यवहार की प्रतिमान हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मन की भावनाओं के माध्यम से विकसित होती रहती हैं। प्रथाओं को नैतिक अनुमोदन मिलता चला जाता है और वे सदैव चलती रहती हैं क्योंकि उनके पीछे अतीत और वर्तमान का सम्मान जुड़ रहता है। इसी कारण प्रथा ने पुरानी दहेज व्यवस्था अपरिवर्तनीय व एक रूढ़ धारण बना दिया है। जब तक विद्रोही युवा वर्ग इसको समाप्त कराने का साहस नहीं करता और लड़कियाँ इसके देने के सामाजिक दबाव का विरोध नहीं करती यह दहेज प्रथा लोगों में बंधी रहेगी।

कुछ लोगों में दहेज के प्रति द्विधात्मक धारणा हो सकती है किन्तु कुछ लोगों का दृष्टिकोण स्पष्ट है। एक ओर वे लोग हैं जो इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के पक्ष में हैं लेकिन दूसरी ओर कुछ प्रतिक्रियावादी भी हैं जो इस प्रथा को किसी न किसी रूप में जिन्दा रखना चाहते हैं। वे समझते हैं कि इस प्रथा के जिन्दा रहने के कुछ लाभ हैं। कुछ लाभ जो आवश्यक रूप से अच्छे तर्क और बुद्धि संगतता पर आधारित नहीं हैं।

बेटी के जीवन साथी की तलाश में मुख्य विचार होता है कि चुने गए लड़के का भविष्य सुरक्षित हो और वह अच्छे चरित्र का हो अतः जाति की बजाय लड़का चुनने का मुद्दा विषय बन जाता है। प्राचीनकाल में जब जीवन साथी के चुनाव में बच्चे की इच्छा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था तब चुनाव में जाति का महत्त्व अधिक था लेकिन आज बेटे या बेटी की इच्छा का भी ध्यान रखा जाता है क्योंकि अपने साथी के साथ तो उसी को मिलकर रहना है। अन्तर्जातीय विवाह सदा असफल सिद्ध नहीं होते इसी कारण शिक्षित और उदार माता-पिता अपनी ही जाति में बेटी के लिए वर ढूँढने की जिद नहीं करते।

दहेज प्रथा समाज पर इस आधार पर लादी गई थी ताकि धन का समान वितरण हो सके और समाजवादी व्यवस्था बन सके। किन्तु इसका विकास गलत तरीके से हुआ और अब यह सम्पूर्ण समाज के लिए एक अभिशाप बन कर रह गया है, विशेष रूप से मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के लिए जिनका हाथ सदा तंग ही रहता है। वे जो कुछ भी कमाते हैं अपने परिवार के स्तर को बनाए रखने में परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में बच्चों की शिक्षा में तथा सामाजिक दायित्वों को निभाने में लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका आर्थिक अभाव केवल कन्या के माता-पिता पर ही अधिक पड़ता है। बल्कि वर के माता-पिता को भी दहेज के कारण धनहीनता का शिकरा होना पड़ता है। जब वे दहेज में बड़ी रकम माँगते हैं तो उन्हीं भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है।

दहेज अनैतिकता को जन्म देता है जो माता-पिता विवाह के लिए पर्याप्त धन जुटाने में असमर्थ होता है एवं अपनी बेटियों को नौकरी या किसी व्यवसाय में लगा देते हैं जिससे वे धन कमाएँ और उसको उनके विवाह में खर्च किया जा सके। इस स्वतन्त्रता के अपने लाभ हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि लड़की को आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है लेकिन इस आर्थिक स्वतन्त्रता ने अनेक बुराइयों को भी जन्म दिया है। नौकरी प्रारम्भ करनत समया लड़कियाँ परिपक्व होती हैं और उनकी यौवन भावनाएँ उत्साह और सबसे ऊपर काम पिपासा उनकी तथाकथित लज्जा की सामाएं तोड़ देती हैं विशेष रूप से जब यह अबोध बालाएँ कार्यालयों, विद्यालयों, फर्मों व कम्पनियों में काम करते समय लड़कों के सम्पर्क में आती हैं उज्ज्वल भविष्य वाले इन लड़कों के झूठे वायदे लड़कियों को गुमराह कर देते हैं और उनका नैतिक पतन होता है लेकिन लड़की के लिए अपनी शर्म को छुपाना तब और कठिन होता है ज बवह गर्भवती हो जाए ये गरीब और अबोध लड़कियाँ सामाजिक बदनामी का सामना करने को मजबूर हो जाती हैं और कभी-कभी आत्महत्या तक कर लेती हैं या फिर गर्भ समाप्त करने के लिए चिकित्सा सहायता का सहारा लेती हैं।

कुछ लड़कियाँ दृढ़ चरित्र की होती हैं और वे पुरुषों के द्वारा सरलता से बहकायी नहीं जा सकती हैं लेकिन इनमें से कुछ मनोविकारों से पीड़ित होती हैं क्योंकि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उनकी काम भावनाएँ दब जाती हैं वे अक्सर निराश, चिड़चिड़े स्वभाव की तथा कुण्ठाग्रस्त हो जाती हैं तथा सौन्दर्य भी खो देती हैं फलतः मनोवैज्ञानिक संकट की अभिव्यक्ति लड़कियों के व्यवहार में अनेक

प्रकार से पायी जाती है, जैसे इच्छाओं का दमन, प्रत्यावर्तन विरोधी गुणों वाली अभिप्रेरणाएँ, बाधाएँ, आत्मविश्वास व महत्वाकाँक्षा की कमी, शंकाएँ, अनिर्णय, दुस्वप्न, घृणा आदि उक्त विसंगतिपूर्ण व्यवहार कुछ लड़कियों के व्यवहार में ऊपर से स्पष्ट न हो ऐसा हो सकता है अनेक मजबूत व्यक्तित्व वाली लड़कियाँ इस प्रकार के व्यक्तिगत विघटन वाले चक्रों से दूर ही रहती हैं लेकिन उनकी मुस्कान उनकी कुण्ठा को छिपा नहीं सकती हैं। ऐसे उदाहरण भी देखे गए हैं जहाँ सगाई के बाद लड़की व लड़के के बीच पत्र व्यवहार भी हो रहा है विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है और लड़के को अचानक अच्छा रिश्ता धनी परिवार से आता है तब सगाई तोड़ दी जाती है। इससे लड़की के माता-पिता को तथा स्वयं लड़की की कोमल भावनाओं पर आघात लगता है। वह समाज में असुरक्षा की भावना से रहती है। उसमें हीन भावना का विकास हो जाता है और उसकी भावनाएँ दबकर रह जाती हैं। वह स्वयं को माँ-बाप पर बोझ समझती है और यह निराशा एवं मानसिक तनाव उसे आत्महत्या की ओर ले जाती है।

जो माता-पिता अपनी बेटी के विवाह में दहेज जुटा पाने में असमर्थता का अनुभव करते हैं। वे बेटी को परिवार पर एक बोझ मानते हैं भाई अपनी बहनों को अपने भविष्य की आशाओं एवं आकाँक्षाओं के बीच रोज मानते हैं परिवार पर एक बोझ मानते हैं। कई बार पारिवारिक संघर्ष भी प्रारम्भ हो जाते हैं जिस परिवार में लड़की दी जाती है उसका स्तर श्रेष्ठ हो जाता है तथा जिस परिवार से लड़की ली जाती है उसका स्तर कम हो जाता है प्रस्थिति सम्बन्धी असमानता वर पक्ष के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं जब उन्हें आकाँक्षाओं से कम दहेज मिलता है।

आकाँक्षाओं के अनुरूप दहेज न देने पर बहू का अमानुषिक उत्पीडन और जलान के मामले समूचे देश में बढ़ते जा रहे हैं। दहेज की रकम में कुछ बची हुई रकम के अदा न किए जाने के कारण लड़कियों की लगभग 8000 हत्याएँ प्रतिवर्ष होती हैं। निम्नवर्गीय और उच्च वर्गीय महिलाओं की अपेक्षा मध्यम वर्गीय महिलाओं पर दहेज सम्बन्धी अत्याचार अधिक होते हैं। जिन लड़कियों की दहेज हत्या की जाती है उनमें से लगभग सभी 20 से 28 वर्ष की आयु समूह की होती हैं जिन्हें न केवल शारीरिक रूप से अपितु सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से भी परिपक्व कहा जा सकता है। परिपक्व अवस्था बाल लड़कियों में साहस और विश्वास है तो वे अपना विरोध प्रस्तुत कर सकती हैं। सत्ताधारी सास व असहयोगी पति वाले घरों में अत्याचार की दर अधिक होती है। नववधू की हत्या करने से पहले उस पर कई प्रकार से अत्याचार किए जाते हैं, जो पीड़ित लड़की के जनक परिवार के सदस्यों के सामाजिक समायोजन का अस्त-व्यस्त प्रतिमान बताता है। दहेज के मामले में हत्या के अपराधी क्रूर और निरंकुश होते हैं और पीड़ित लड़की की हत्या हत्यारों के विघटित व्यक्तित्व व असामान्य होने का एक प्रमाण होता है।

दहेज प्रथा के विरोध में सख्त विधान परम आवश्यक है। परन्तु इससे इस बुराई का अन्त संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि लोगों का सहयोग केवल जनमत बनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति को विधान द्वारा नियन्त्रित नहीं किया जा सकता है। परन्तु यदि अधिक संख्या में लोगों को दण्ड मिलता है तो कानून को बल मिलता है। किसी भी सामाजिक अधिनियम की सफलता आम जनता के सहयोग पर निर्भर करती है या यह कहा जा सकता है कि समाज की समझदारी ही समस्या को हल करने में पहली आवश्यकता है। यह समझदारी लोगों में नैतिक एवं औपचारिक शिक्षा द्वारा दहेज की बुराई को समझाकर ही पैदा की जा सकती है निसंदेह ऐसे मामले भी हैं जहाँ देखा गया है कि अधिक शिक्षित लोग अधिक दहेज माँगते हैं शिक्षा ने इस बुराई को कम करने की बजाय और निम्न स्तर तक ला दिया है। युवकों को नए समाकजिक मूल्यों का महत्त्व समझाया जाना चाहिए। शिक्षित होने के बाद लड़के और लड़कियाँ दहेज उन्मूलन के लिए आगे आएँ और दोनों को मिलकर पहल करें।

नारी हिंसा और अपराध

‘भारत में प्रति 21 मिनट में बलात्कार, 12 मिनट में छेड़छाड़, 13 मिनट में अपहरण और 62 मिनट में दहेज हत्या का अपराध होता है। यह स्वस्थ समाज की निशानी नहीं है, एक बीमार, विकारग्रस्त समाज की तस्वीर पेश करने वाले तथ्य हैं। आज समाज में स्त्रियों के प्रति जो घृणित प्रवृत्ति का विकास होता जा रहा है, उससे समाज को उबारना आवश्यक है।’

प्राचीनकाल में समाज में महिलाओं की पूजा की जाती थी, आज उसी समाज में महिलाओं की न केवल उपेक्षा की जाने लगी है अपितु महिलाएँ उत्पीड़न और प्रताड़ना की शिकार होने लगी हैं।

आज भारतीय समाज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। इन अनेक समस्याओं में नारियों के विरुद्ध अपराध की समस्या सबसे अधिक ज्वलन्त और जटिल है। यह समस्या समाज वैज्ञानिकों तथा शोधकर्त्ताओं का जितना ध्यान आकर्षित करती है अन्य कोई समस्या नहीं करती है। नारियों के विरुद्ध अपराध भारतीय समाज की कोई नई समस्या नहीं है। भारतीय समाज की नारियाँ लम्बे समय से अवमानना, यातना और शोषण की शिकार रही हैं।

आजादी के उपरान्त संवैधानिक प्रावधानों में महिलाओं के अधिकारों की गारण्टी दी गई है फिर भी नारियों के विरुद्ध अपराधों की संख्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। आज भी महिलाओं को पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनकी तस्करी की जाती है, उनको जला दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको भोग की वस्तु बनाया जाता है। इसी प्रकार भारतीय समाज नारियों के विरुद्ध अपराधों का खुला नमूना है।

इण्डियन पेनल कोड (आई.पी.सी.) में नारियों के प्रति जिन अपराधों का उल्लेख किया गया है, वे हैं—धारा 376— बलात्कार, धारा 363, 376—अपहरण, धारा 302, 304—बी हत्या तथा दहेज हत्या, धारा 498—ए शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना, धारा 354—कष्ट देना, धारा 509 यौन उत्पीड़न, धारा 366 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की को भगाना। इन अपराधों में लिंग जैसा कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इस हेतु जिन अधिनियमों का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है, वे हैं— राज्य कर्मचारी बीमा एक्ट—1948, वन श्रमिक एक्ट—1951, पारिवारिक न्यायालय एक्ट—1954, विशेष विवाह एक्ट—1955, हिन्दू उत्तराधिकार एक्ट—1956, अनैतिक क्रियाकलाप एक्ट—1956, मातृत्व लाभ एक्ट—1961 का संशोधित एक्ट—1995, दहेज विरोधी एक्ट—1961, चिकित्सकीय गर्भपात एक्ट—1971, संविदा श्रमिक एक्ट—1976, समान वेतन एक्ट—1976, बाल—विवाह निरोध एक्ट—1976, अपराधी एक्ट—1983, कारखाना एक्ट—1986, महिला दुर्घटना प्रतिनिधित्व एक्ट 1986, सती निरोध आयोग एक्ट—1987 की विभिन्न धाराओं में नारियों से सम्बन्धित अपराधों तथा दण्ड प्रावधानों का विस्तृत विवेचन है।

वे कौन—सी नारियाँ हैं जो अपराध का शिकार होती हैं। यद्यपि निश्चित तौर पर यह कहना कठिन है किन्तु जो नारियाँ अपराध की शिकार होने की संभावनाएँ अधिक होती हैं वे हैं— जो असहाय और अवसादग्रस्त होती हैं, जिनकी आत्मछवि खराब होती है, जो भावुक होती हैं और समर्पण को तैयार रहती हैं, जो परार्थवादी विवशता की शिकार होती हैं, जो ऐसे परिवारों में निवास करती हैं जो दबाव पूर्ण होते हैं, जिनके पति या ससुराल वाले व्याधिशाली व्यक्ति के होते हैं, जिनके पति मद्यपान तथा इसी प्रकार की किसी बुरी लत के शिकार होते हैं।

नारियों के प्रति अपराधों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति हैं—जो हीन भावना से ग्रस्त जिनमें आत्मसम्मान की भावना कम होती है तथा स्वभाव से अवसादग्रस्त होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व दोष पाया जाता है, जैसे मनो रोगी आदि, वे व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व समाज वैज्ञानिक रूप से विकृत होता है तथा जिनके पास संसाधनों एवं कुशलताओं तथा प्रतिभाओं का अभाव पाया जाता है, जिनके स्वभाव में शक्कीपन एवं प्रबलता और मालिकानापन होता है, जिनका पारिवारिक जीवन तनावग्रस्त होता है, जो बचपन में हिंसा के शिकार होते हैं, जो मदिरापान तथा बुरी आदत और संगति के शिकार होते हैं।

नारियों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराध हैं— धन की प्राप्ति के लिए, सत्ता की भूख को प्रदर्शित करने के लिए, भोग—विलास के लिए, विकृत मानसिकता के कारण, तनाव पूर्ण पारिवारिक परिस्थितियों के कारण तथा पीड़ा पहुँचाने की दृष्टि से किए जाने वाले अपराध।

नारियों के प्रति अपराधों में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। उदाहरणार्थ— वर्ष 2007 में 185312 मामले दर्ज हुए थे जिनकी संख्या वर्ष 2008 में बढ़कर 195856, वर्ष—2009 में 203804, वर्ष—2010 में 213585, वर्ष—2011 में 228650 हो गई। यद्यपि पश्चिम—बंगाल का भारत की कुल जनसंख्या में 7.5% शेयर है जबकि वहाँ नारियों के प्रति अपराधों का प्रतिशत 12.5 है अर्थात् वहाँ 29133 मामले दर्ज हुए। नारियों के प्रति अपराधिक मामलों में दूसरा स्थान आन्ध्र—प्रदेश का है जो भारत की कुल जनसंख्या में 7% भागीदारी रखता है जबकि वहाँ नारियों के प्रति अपराधों को प्रतिशत 12.4 है, वहाँ 28256 मामले दर्ज हुए।

वर्ष—2011 में 24206 बलात्कार, 35565 अपहरण एवं अपवर्तन, 8618 दहेज हत्या, 99135 उत्पीड़न, 42948 छेड़छाड़, 8570 यौनशोषण, 80 लड़कियों की खरीद—फरोख्त, 2436 अनैतिक व्यापार निरोध, 453 अश्लील प्रदर्शन निषेध एक्ट—1986, 6619 दहेज उन्मूलन, 1 सतीप्रथा निवारण एक्ट कुल 228650 मामले दर्ज हुए। नारियों के प्रति अपराध का कोई एक कारण नहीं है। अनेक परिस्थितियाँ नारी अपराध को बढ़ावा देती हैं। इन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण पारिवारिक विघटन तथा इससे उत्पन्न अन्य अनेक कारण हैं। पारिवारिक विघटन का अर्थ एकमत और निष्ठा का भंग होना, पहले के संबंधों का विदारण, पारिवारिक चेतना का नाश या

विलगता का विकास है। इस प्रकार पारिवारिक विघटन का अर्थ है— सदस्यों में एकमत का अभाव, सदस्यों में निष्ठा का अभाव, सम्बन्धों का विदारण/नाश, पारिवारिक चेतना का नाश और विघटन।

उपर्युक्त तत्त्वों के अभाव में परिवार में बचा क्या है? अर्थात् कुछ भी नहीं केवल ईंट एवं बालू से निर्मित छत और दीवार। परिवार की यही स्थिति नारियों के विरुद्ध अपराध का कारण है। आँकड़े बताते हैं कि भारत में नारियों के प्रति अपराध में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। आज सामाजिक संरचना परिवर्तित हो रही है। इस परिवर्तन के कारण समाज में लोगों के पद और कार्य परिवर्तित हो रहे हैं, का परिवार पर भी असर हो रहा है। परिवार आज संयुक्त नहीं रह गए हैं। मुखिया का भी परिवार में वह महत्त्व नहीं रहा, जो पहले था। माता—पिता, पति—पत्नी तथा सदस्यों के कार्य और भूमिकाएँ संक्रमण की स्थिति है। आज पत्नी केवल दासी नहीं है। वह भी शिक्षित है तथा आत्मनिर्भर है और परिवार के मामलों में उसकी भी अहम् भूमिका है, जिसे पुरुष का अहम् स्वीकार नहीं करता और इसी कारण हिंसा और अपराध की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। समाज के आदर्श और मूल्य भी परिवर्तित हो रहे हैं। आज परिवार के न तो पुराने आदर्श बचे हैं और न ही मूल्य। आज नारी घर की चारदीवारों से बाहर आई है तथा समाज में अपनी सहभागिता दर्ज करा रही है। सामाजिक और पारिवारिक सहभागिता के कारण उसमें असमंजस की स्थिति है। यदि पति—पत्नी की पृष्ठभूमि अलग—अलग है तो इससे भी दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है और बैचारिक तालमेल के अभाव में नारी अपराध को बढ़ावा मिलता है। यदि पति तथा पत्नी के जीवन दर्शन अलग—अलग हैं, तो इससे भी दोनों में सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पाती है और विरोध की स्थिति बनी रहती है। आज न पति परमेश्वर है और न ही विवाह जन्म—जन्मान्तर का बन्धन है। इस प्रकार की सोच के विकास के कारण भी नारियों के प्रति हिंसा और अपराध को जन्म देते हैं। नारियों के प्रति अपराध के अन्य अनेक कारण हैं। इनके कारणों में प्रमुख हैं— पति—पत्नी की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, रोमांस पर आधारित विवाह, पति—पत्नी के स्वभाव में विरोध, व्यक्तिगत व्यवहार में अलग—अलग प्रतिमान, मनोव्याधिकी व्यक्तित्व, दुर्बल स्वास्थ्य तथा यौन संबंधी असंतुष्टि, पति—पत्नी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, दहेज तथा अन्य वैवाहिक कारण, संचार साधनों के माध्यम से अपराधों का प्रदर्शन, शादी के बाद सास—ससुर का हस्तक्षेप, औद्योगीकरण एवं भौतिकता तथा धन की प्रधानता आदि कारण पति तथा पत्नी के जीवन में असमायोजन की स्थिति का निर्माण करते हैं। इससे परिवार लंगड़ा हो जाता है। परिवार में परम्परा और आधुनिकता का द्वन्द चलता रहता है। यह द्वन्द नारियों के प्रति उत्पीड़न की स्थिति को जन्म देता है तो वे प्रतिरोध करती हैं और इसी प्रतिरोध के कारण नारियों के विरुद्ध अपराधों को बल मिलता है।

परिवार समाज की मूलभूत संस्था है। इस संस्था पर समाज की अन्य संस्थाएँ टिकी हुई हैं। नारियों के प्रति हिंसा तथा अपराध के कारण परिवार विखण्डित हो रहा है। इससे अनेक समस्याओं का जन्म हो रहा है इसलिए यह आवश्यक है कि इस बुराई को समाप्त किया जाए।

नारियों के प्रति अपराध समाप्त करने के लिए सुझाव

1. परिवार न्यायालयों की स्थापना की जाए जो परिवार की समस्याओं के समाधान की सलाह दें।
2. यौन शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
3. सामाजिक स्वास्थ्य रक्षा के लिए सक्षम उपाय किए जाए।
4. पति—पत्नी को पारिवारिक जीवन पर सलाह देने के लिए सलाहकार मण्डलों की स्थापना की जाए।
5. मातृत्व अस्पताल तथा बच्चों के लिए अस्पतालों की व्यवस्था की जाए।
5. शिशुशालाओं और क्रेच को बढ़ावा दिया जाए।
6. बालोद्यान तथा नर्सरी की व्यवस्था की जाए।
7. देश की सामाजिक व्यवस्था एवं संवैधानिक व्यवस्था के सभी पदों पर नारियों को 50% आरक्षण दिया जाए।
8. वैश्यावृत्ति बन्द कराई जाए।

वेश्यावृत्ति उन्मूलन और नारी उद्धार

(‘अय्यासों का उद्देश्य काम, भोजन और पाशविक वृत्तियों की संतुष्टि तक सीमित रहता है’)

वेश्यावृत्ति व्यक्तिगत विघटन का अत्यन्त ही घृणित और पतित रूप है। लेकिन इसके साथ यह प्रश्न पैदा होता है कि मानव इस पतित रास्ते की ओर क्यों जाता है? स्वेच्छा से या परिस्थितियाँ उसे इस ओर ले जाती हैं? कोई इस घृणित रास्ते को स्वेच्छा से नहीं अपनाता है, उसे बाध्य होकर इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। वेश्यावृत्ति भी परिस्थितियों का परिणाम है।

यौन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए समाज द्वारा स्वीकृत साधनों के परिणाम स्वरूप विवाह तथा परिवार नामक संस्था का जन्म और विकास होता है। जब व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत साधनों की उपेक्षा करता है, तो वह अस्वीकृत साधनों को अपनाता है। यौन-इच्छाओं की संतुष्टि के लिए अस्वीकृत साधनों को अपनाना वेश्यावृत्ति है। वेश्यावृत्ति भेद रहित तथा धन प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन सम्बन्ध है जिसमें भावनात्मक उदासीनता होती है। यौन सम्बन्ध के माध्यम से व्यवसाय के रूप में, धन कमाने की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। जब कोई नारी ऐसे पुरुष से, जो उसका पति नहीं है, यौन सम्बन्ध स्थापित करती है और उसके बदले में उनके बीच धन या प्रकार की वस्तु का लेन-देन होता है यह वेश्यावृत्ति है।

एक व्यक्ति(स्त्री-पुरुष) जो किसी प्रकार की आय के लिए या किसी प्रकार के व्यक्तिगत सन्तोष के लिए पूर्ण समय या अर्द्ध-समय के व्यवसाय के रूप में, बहुत से लोगों के साथ, जो उसी लिंग के हों अथवा दूसरे लिंग के हों, सामान्य या असामान्य यौन-सम्बन्ध स्थापित करने में व्यस्त हों, वेश्यावृत्ति है।

वेश्या वह है जो अपने तन को बिना किसी विकल्प के धन के लिए कई लोगों को मुक्त रूप से उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार वे स्त्रियाँ वेश्या हैं जो तन को यौन क्रियाओं के लिए बेचती हैं एवं इसे एक व्यवसाय बना लेती हैं। वेश्यावृत्ति के प्रमुख 3 आधार-धन से सम्भोग का विनमय, यौन स्वच्छन्दता तथा भावनात्मक उदासीनता है। जिससे स्पष्ट होता है कि यह अनेक पुरुषों या स्त्रियों के साथ स्थापित यौन-सम्बन्ध है, जो धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिसमें प्रेम और स्नेह जैसी भावनाओं का अभाव होता है। वेश्यावृत्ति अवैध यौनि-सम्बन्ध है। यही कारण है कि इनमें किसी प्रकार का वैधानिक या सामाजिक अधिकार एवं दायित्व का प्रश्न नहीं पैदा होता है। वेश्यावृत्ति मात्र यौन अनैतिकता ही नहीं है, अपितु इसमें व्यापारिक सम्बन्ध एवं आदान-प्रदान के तत्त्व भी शामिल होते हैं। वेश्यावृत्ति में शारीरिक सुख का उतना महत्त्व नहीं है, जितना आर्थिक लाभ का। वेश्यावृत्ति वह व्यवसाय है जो तन की बिक्री पर आधारित है। तन का सौदा सुन्दरता, यौवन व शरीर के अन्य गुणों पर आधारित होता है।

वेश्यावृत्ति के लिए केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी समान रूप से इस दोषमयी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। पारिवारिक दशाओं में माता-पिता का उत्तरदायित्व, आर्थिक दशाओं में बेरोजगारी-निर्धनता, धार्मिक और परम्परागत दशाओं में देवदासी प्रथा, नित्यमंगली, पण्डा-महन्त तथा सामाजिक रीतियों में बाल-विवाह, दहेज-प्रथा, पुत्र-पुत्रियों में भिन्नता, परबर्दाह-प्रथा तथा विभिन्न कारणों में सिनेमा, टी.वी. फैशन, सह-शिक्षा, अनेक व्यक्तियों का स्वार्थ आदि कारण प्रमुख हैं।

राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में आज पुनर्वास को अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा है। इसीलिए अनेक विद्वान आज के युग को ‘पुनर्वास का युग’ कहते हैं। निर्धनता, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए मनुष्य युगों से प्रयत्न करता चला आ रहा है, परन्तु उसे इसके उन्मूलन की बात तो दूर रही, इसे नियंत्रित करने में भी कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई है। वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में संलग्न नारियों के उद्धार का प्रश्न इतना सरल नहीं है जितना कई उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता समझ बैठते हैं। केवल कानून बन जाने से यह समस्या हल नहीं हो सकती है। यदि हम चाहते हैं कि वेश्यावृत्ति का सही अर्थों में उन्मूलन हो तो ऐसी नारियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब तक समाज उन्हें सच्चे दिल से स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उनका उद्धार असम्भव है।

अत्यन्त शर्म की बात है कि पुरुष की वासना की पूर्ति के लिए अनेक नारियों को अपना सतीत्व बेचना पड़ता है। पुरुष ने अबला कही जाने वाली नारी को जिस अधःपतन की स्थिति में पहुँचाया है, उसके लिए उसे दण्ड भुगतना पड़ेगा। इन अभागी बहनों को इनकी दुर्भाग्यपूर्ण अधःपतन की स्थिति से उबारने के लिए हमें दो कार्यों को करना होगा : एक तो हम पुरुषों को अपनी वासना पर विजय पानी होगी और दूसरे इन नारियों के लिए ऐसे कार्य की व्यवस्था करनी होगी जिससे ये इज्जत की साथ अपनी रोजी कमा सकें।

किसी बीमारी की दवा निर्धारित करने से पूर्व उसका समुचित निदान बहुत आवश्यक है। वेश्यावृत्ति के अनेक कारणों में दो मौलिक हैं—एक तो पुरुषों की ओर से इसकी माँग और दूसरे, समाज द्वारा नैतिकता के देहरे मापदण्ड की मौन स्वीकृति। जब तक पुरुषों और नारियों को समान रूप से दोषी नहीं समझा जाएगा, दण्ड नहीं दिया जाएगा और खुलेआम उनकी निन्दा नहीं की जाएगी तब तक प्रयत्नों के सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकल सकते हैं। वेश्यावृत्ति को व्यवसाय की शिकार नारियों के लिए समुचित कार्यक्रमों के संचालन और सेवाओं की व्यवस्था पर विचार करते समय वेश्यावृत्ति की सामान्य समस्या पर विचार करना अनिवार्य है ये वे नारियाँ हैं जो पारिवारिक परम्पराओं, निर्धनता, निरक्षरता और सामाजिक रूढ़ियाँ आदि के कारण बाध्य होकर इस व्यवसाय में आती हैं। इन नारियों को इस दूषित वातावरण से तुरन्त निकालने की आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में ठोस कार्यक्रम अपनाए जाने चाहिए। इगर हम इन युवा और असहाय नारियों को, जिनके कारण सारे राष्ट्र का नाम कलंकित होता है, उनके इसी हाल पर पड़ा रहने देंगे तो हमारे सभी

कल्याण कार्यक्रम व्यर्थ हो जाएँगे। इस समस्या को दो पहलुओं में बाँटा जा सकता है— निवारक और उपचारात्मक। निवारक पहलू असंस्थागत कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। इसके अन्तर्गत उन नारियों को सेवा प्रदान की जाती है जिनके अनैतिक व्यापार में पड़ने की सम्भावना हो। देश में हजारों विधवाएँ, परित्याक्ता पत्नियाँ, अविवारित माताएँ तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों की ऐसी किशोरियाँ हैं, जिन्हें लोग मनाकर और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने का लालच देकर उनके माता—पिता के यहाँ से भगा ले जाते हैं। इन नारियों को शोषण से बचाने के लिए विशेष और सामयिक देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता है।

अधिकांशतः ऐसा पाया गया है कि प्रचीन काल में वेश्याओं का प्रवेश नर्तकी, गायिका और दासी के रूप में होता था। आज भी दासी—प्रथा के लक्षण मिलते हैं, बाद में इसे अलग संस्था के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आज यह अपने चरम रूप में है और व्यापार का रूप धारण कर लिया है।

कामसूत्र में वेश्याओं को तीन भागों —गणिका, रूपजीवी, सामान्य वेश्या में बाँटा गया है। गणिका एक सुन्दर महिला कहलाती थी जिसे 64 कलाओं का ज्ञान होता था। रूपजीवी सौन्दर्य के बल पर ही जिन्दा रहती थीं। इसका रंग अत्यन्त सुन्दर और शरीर सौम्य होता था जिसे देखने मात्र से यौन—सम्बन्धी इच्छा जागृत हो जाती थी। सामान्य वेश्या अपने तरुण सौन्दर्य और रूपों के बल पर अपने शरीर को बेचने के लिए तैयार रहती हैं।

हमारे देश में पाई जाने वाली वेश्याओं में प्रमुख वेश्याएँ सामान्य वेश्याएँ, होटल वेश्याएँ, विकेन्द्रीय वेश्याएँ, वंशानुगत वेश्याएँ, धार्मिक वेश्याएँ, परम्परात्मक वेश्याएँ, सामाजिक दशाओं की शिकार, विदेशी वेश्याएँ हैं। होटल वेश्याएँ आज बहुत ही सामान्य होती जा रही हैं। होटल मालिक ऐसी लड़कियों से सम्बन्ध स्थापित रखते हैं जो निजी घरों में रहती हैं। ये शिक्षित, आनन्द प्राप्त करने वाली और विलासी लड़कियाँ होती हैं, इनमें से अधिकांश उच्च और कुलीन घरों से आती हैं। इनमें कॉलेज की लड़कियाँ, टेलीफोन आपरेटर, सोसाइटी गर्ल्स, प्राइवेट सिक्रेटरी हैं। इन्हें सिनेमा, क्लब, नृत्य और शाम की हवाखोरी के लिए भी बुलाया जाता है। इन्हे काल गर्ल्स के नाम से पुकारा जाता है। धार्मिक वेश्याओं में देवदासियाँ प्रमुख हैं।

अध्ययन पत्रों के अनुसार वर्तमान में देशभर में लगभग 2096000 वेश्याएँ हैं और इनके बच्चों की संख्या लगभग 50 लाख है। दिल्ली में लगभग 20000 वेश्याएँ, उत्तर प्रदेश में लगभग 127000 वेश्याएँ, बिहार में लगभग 130000 वेश्याएँ, राजस्थान में लगभग 72000 और मध्य प्रदेश में लगभग 125000 वेश्याएँ हैं।

वेश्यावृत्ति उन्मूलन के लिए आवश्यक है कि सभी वेश्याओं का पहले चिकित्सीय परीक्षा कराई जाए और स्वास्थ्य पाए जाने पर उन्हें फोटो लाइसेंस जारी किया जाए। इससे प्रशासन वेश्याओं की संख्या पर नज़र रख सकेगा। साथ ही पिछवाड़े से इस धन्धे में धकेली जाने वाली अबलाओं को भी रोका जा सकेगा और धन्धे में नई शामिल की गयी लड़कियों का आसानी से पता लगाकर उन्हें यहाँ से हटाया जा सकेगा। सुझाव के रूप में यह भी आवश्यक है कि विशेष पुलिस टुकड़ियाँ गठित कर फोटो लाइसेंस प्राप्त वेश्याओं की हर सप्ताह या हर पखवाड़े हाजिरी ली जाए। इस धन्धे में शामिल नयी लड़की का आसानी से पता चल सकेगा और उन्हें बलपूर्वक वहाँ से हटाकर ऐसे लड़कियों के लिए विशेष रूप में खोले गए सुधार गृहों में भेजा जा सकेगा। वेश्यावृत्ति के सभी अङ्ग समाप्त किए जाएं। वेश्यावृत्ति के धन्धे में लगे दलालों तथा व्यापारियों को कड़ी सजा दी जाए। यदि इस सिलसिले में कोई सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान देषी पाया जाए तो उसे तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। कार्यालयों में निगरानी कैमरे लगाए जाने चाहिए। वेश्याओं के बच्चे सरकार अपने संरक्षण में लें तथा उनके पालन पोषण के साथ उन्हें पढ़ाई के बाद व्यवसायिक प्रशिक्षण देने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का उत्तर दायित्व अपने ऊपर लें।

मुस्लिम नारियाँ और शरीअत

भारतीय समाज हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई तथा मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों के लिए समान परिस्थितियाँ पैदा करता है। इन परिस्थितियों का प्रभाव हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुस्लिम सभी समुदायों की नारियों पर गहरा पड़ा। स्वतंत्रता के बाद जो भारत का धर्म निरपेक्ष संविधान बना है वह समस्त भारतवासियों को जिनमें हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई तथा मुस्लिम नारियाँ भी शामिल हैं। समान अधिकार भी देता है। इस दृष्टिकोण से अर्थात् वैधानिक रूप में जो-जो अधिकार एवं सुविधाएँ हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई स्त्रियों को प्राप्त हैं वही मुस्लिम नारियों को भी प्राप्त हैं। इस अर्थ में हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई तथा मुस्लिम नारी में कोई फर्क नहीं है। परन्तु नारियों की स्थिति केवल देश के कानून या संविधान के आधार पर ही निर्धारित नहीं होती है। इस विषय में सामाजिक नियम एवं परम्पराओं का भी कुछ अर्थों में कानून से भी अधिक महत्त्व होता है। हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई तथा मुस्लिम समाज के अलग-अलग सामाजिक नियम, प्रथा, परम्परा एवं जीवन दर्शन हैं इसलिए यह मानी हुई बात है कि हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई तथा मुस्लिम नारियों की स्थिति बिल्कुल एक सी नहीं होगी।

मुस्लिम कानून कम से कम सैद्धान्तिक आधार पर नारियों को अधिकाधिक पुरुषों के समान अधिकार देने के पक्ष में है। इस्लाम धर्म के अनुसार विवाह के लिए लड़की की स्वीकृत आवश्यक है। मुस्लिमों में विवाह एक समझौता है। वह समझौता तब तक वैध नहीं हो सकता जब तक वर पक्ष के प्रस्ताव को लड़की स्वीकार न कर ले। लड़की की स्वीकृत के बिना विवाह न हो यह इस्लाम का आदर्श प्रतीत होता है। विवाह की आयु की दृष्टि से भी देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि मुस्लिम नियम है कि 15 वर्ष की आयु तथा सही मस्तिष्क वाली नारी ही विवाह के समझौते के योग्य है। यह नियम बाल-विवाह के पक्ष में नहीं है। परन्तु यदि इस उम्र से पहले ही विवाह कर दिया गया है तो बालिग होने पर नारी को भी यह अधिकार रहता है कि वह उस विवाह को स्वीकार करे या न करे। वर्ष 1936 के बाद से पत्नी को भी विवाह विच्छेद अधिकार दे दिए गए हैं। वैसे भी “खुला” नियम के अन्तर्गत जब पति एवं पत्नी दोनों ही सही मस्तिष्क के और बालिग हैं तो पत्नी की इच्छा से विवाह-विच्छेद किया जा सकता है। उसी प्रकार “मुवादत” के अनुसार पति-पत्नी की पारस्परिक सहमति और इच्छा से विवाह-विच्छेद होता है।

आर्थिक दृष्टि से मुस्लिम नारियों की स्थिति काफी अच्छी कही जा सकती है। पति को कानून के द्वारा अपने पति से “महर” का धन लेने का अधिकार है। पति की मृत्यु के बाद यह महर पति की सम्पत्ति में से अलग कर लिया जाता है और यदि सम्पत्ति का बंटवारा हो चुका है तो प्रत्येक हिस्सेदार के हिस्से से उसके हिस्से का अनुपात में यह “महर” वसूल कर लिया जाता है। जहाँ तक परिवार की सम्पत्ति में नारियों के अधिकार का सम्बंध है मुस्लिम नारियों का सम्पत्ति का अधिकार पुरुषों के समान पूर्ण है। यदि वे चाहें तो अपनी सम्पत्ति का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकती हैं। इस रूप में उन्हें अपने सामान्य स्तर वाले पुरुष से आधा उत्तराधिकार मिलता है। उत्तराधिकार की यह कमी दो प्रकार से की जाती है— (2) पत्नी को पति “महर” मिलता है और (2) उसे अपने पति का भरण-पोषण पाने का अधिकार होता है। माँ, पत्नी और पुत्री को हमेशा उत्तराधिकार मिलता है। माता-पिता से लड़की को जो दहेज मिलता है उस पर उसका पूर्ण अधिकार होता है। अपनी कमाई के धन पर भी उसका पूर्ण अधिकार होता है।

जहाँ तक सामाजिक स्थिति का प्रश्न है मुस्लिम नारियों में पर्दा-प्रथा का अधिक प्रचलन है और “बुरका” को कुलीनता का प्रतीक समझा जाता है। पर्दा-प्रथा के कारण ही घर से बाहर शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी करने, स्वतन्त्रता पूर्वक धूमने, संघ व समिति बनाने के सम्बन्ध में उनके ऊपर अनेक निषेध लगाए जाते हैं और इन मामलों में मुस्लिम नारियों की स्थिति सन्तोष जनक नहीं कही जा सकती है।

इस्लाम ने नारियों को जितनी स्वतंत्रता दी है, उतना ही गुमराह मुल्लों एवं मौलवियों ने मुस्लिम नारियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। इस्लाम से पूर्व अरब लोग लड़कियों को अपने लिए मनहूस समझते थे और बच्चियों को जन्म लेते ही अकसर जिन्दा ही जमीन में गाड़ देते थे। हजरत मुहम्मद ने अरबों को इस जलालत से रोका और इनके समय में लड़कियों को जिन्दा दफन करने की लानत को खत्म कर दिया गया। हजरत मुहम्मद ने लोगों को समझाया कि नारियों का सम्मान करना सीखो। स्वयं हजरत ने नारियों के सम्मान के उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके पुत्र जीवित न रहे थे, पुत्रियाँ ही थीं। अपनी पुत्री फातिमा (इमाम हुसैन की माँ) को वह इतना प्यार करते थे जितना कोई अपने पुत्रों को भी नहीं करता। हजरत मुहम्मद ने तलाक पाई नारियों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया। आवश्यक नहीं कि एक नारी से किसी मर्द का निर्वाह नहीं होता तो दूसरे मर्द से भी नहीं हो। हो सकता है, तलाक के मामले में मर्द ही कसूरवर हो।

हजरत मुहम्मद के द्वितीय खलीफा हजरत उमर ने भी नारियों की इज्जत, उनके हक और मौलिक अधिकारों के सम्मान की अच्छी मिसालें कायम की। एक बार एक व्यक्ति उनके घर आया। उसने सुना कि उमर की पत्नी काफी बड़बड़ा रही हैं, पर हजरत उमर कुछ भी जवाब न देकर मौन हैं। उस व्यक्ति ने पूछा, “वह इतना बोले जा रही हैं और आप हैं बिल्कुल मौन साधे हुए हैं।” हजरत उमर गम्भीरता से बोले, “भाई, वह मेरे गन्दे कपड़े धोती है, मेरे लिए खाना पकाती, मेरी सेवा करती है और सबसे बढ़ कर वह मुझे पाप से बचाती है। तो क्या अब उस का इतना भी अधिकार नहीं कि कुछ बोले?”

कुरान शरीफ में कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, पद खुदगर्ज मुल्ला-मौलवीय अपने स्वार्थ के लिए अपनी मंतक ही अधिक प्रयोग करते हैं, जैसे एक वाक्य है, ‘तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतें खेतियाँ हैं।’ इसका तात्पर्य है कि अपनी खेती की सुरक्षा करो।

यदि कोई किसान अपनी मेहनत की खेती में पानी नहीं देगा, फसल को कीड़े-मकोड़ों से सुरक्षित न रखेगा तो अन्न-फल किस प्रकार खाएगा? फिर खेत से, धरती माँ से प्रेम न करेगा तो उस का जीवित रहना कैसे संभव हो सकेगा? पर, मुल्ले-मौलवीय इस वाक्य का अर्थ अपने स्वार्थ के लिए अपने ढंग से इस तरह लगाते हैं कि “औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम्हारी बांदियाँ यानी औरत को भोग-विलास की मशीन की तरह बना लो।

विश्व के किसी भी बड़े मुस्लिम देश से काफी अधिक जनसंख्या मुस्लिमों की भारत में है। इसके बावजूद सारी दुनियाँ की मुस्लिम नारियों में सब से ज्यादा बर्दाश्त यदि किसी देश की मुस्लिम नारियाँ हैं, तो वह भारत की। इस बर्दाश्त का प्रमुख कारण है मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) की आड़ में लादी हुई बंदिशें।

भारत में ‘बुरके’ की लानत मुल्लो एवं मौलवियों ने बेचारी मुस्लिम नारियों पर इसे बुरी तरह से लाद रखी है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। आम तौर पर लोग सोचते हैं कि उत्तर भारत के मुस्लिमों के मुकाबले दक्षिण भारत के मुस्लिम कहीं अधिक नई रोशनी के आजाद विचार और प्रगतिशील हैं, पर वास्तविकता इसके विपरीत है।

वर्तमान में परिवार नियोजन का चलन आम है, लेकिन भारत के मुस्लिमों का एक बड़ा समुदाय मुल्लो एवं मौलवियों के हठ के अधीन हो परिवार नियोजन का विरोध करता है। ये मुल्ले-मौलवीय परिवार नियोजन को काफिराना हरकत करार देते हुए कहते हैं, “जिस खुदा ने बच्चों को पैदा किया है, वही उन्हें रोटी भी देगा। रोटी की चिन्ता तुम क्यों करो? देखो रूस आदि कितने ही देशों में अधिक बच्चे पैदा करने पर इनाम तक मिलता है। फिर यह क्यों नहीं सोचते कि हम मुस्लिमों के ज्यादा बच्चे होंगे तो हमारी आबादी बढ़ जाएगी और एक दिन हम.....”

इन मुल्लो एवं मौलवियों के इस तरह के सब्ज-बाग और बहकावे मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं और वे परिवार नियोजन करने के बजाए अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं। मुल्लो एवं मौलवियों को इस से क्या वास्ता कि ये कीड़े-मकोड़ों की संख्या में पैदा होने वाले बच्चे कल सड़कों पर भीख मांगेंगे, कुत्तों की तरह जूटे बर्तन एवं पतल चाटेंगे, शिक्षा के अभाव में चोर-डकैत बनेंगे और इन्हें जन्म देने वाली माताएँ हड्डियों का ढाँचा नजर आएंगी।

यदि मुस्लिम महिलाएँ ऑपरेशन कराने की कल्पना भी करें तो उन्हें कहा जाता है, “क्या पता इस बहाने किस-किस को खसम (पति) बनाती फिरो। खुदा ऐसे काफिराना विचार वालियों को सीधा जहन्नम भेजेगा ऐसा सोचना, छिःछिः, यह सब क्यामत निशानियाँ हैं।” अगर मर्द आपरेशन कराएँ तो उन्हें लानत दी जाती है, “खुदा की खुदाई में क्यों खलल डालते हो? नामर्द होने का बड़ा शौक था तो मर्द क्यों पैदा हुए थे, हिजड़े ही हुए होते।”

इस्लामी कानून के अनुसार, जब किसी मुसलमान की शादी होती है तो ‘निकाह’ के समय लड़की की ओर से बतौर ‘दैन मुहर’ के समय लड़की की ओर से बतौर ‘दैन मुहर’ या शील भंग की एक फीस कुछ हजार रुपए की बात तय होती है और लड़के के सामने यह कहा जाता है कि उसका लड़की से इतने हजार रुपए बतौर दैन मुहर साथ, खाना व कपड़े के खर्च के साथ, निकाह पढ़ाया जाता है, उसे कुबूल है? यह लड़की के सामने भी दोहराया जाता है, आम तौर पर लड़की-लड़के रटे-रटाए अन्दाज में कहते हैं : कुबूल है। लड़के को चाहिए कि दैन मुहर की यह रकम लड़की को अदा करके ही उस का शील भंग करे, पर ऐसा नहीं होता। फिर एक छूट है कि सुहागरात को न सही, पर पहले लड़का लड़की का दैन मुहर का हक अवश्य अदा कर दे। वास्तव में कहा जाए तो लाखों में एक मियाँ भी अपनी बीबी का दैन मुहर अदा नहीं करता है। किसी नारी को तलाक देना हो तो आवश्यक है कि यह दैन मुहर बीबी को हर हाल में अदा कर दिया जाए, पर आम तौर पर अदा नहीं किया जाता। कभी-कभी अदालत का दरवाजा खट-खटाने पर यह अदा किया जाता है। कई रईसजादों का तो यह हाल है कि न तो मजबूर बीबी को तलाक देते हैं, न ही ‘खुला’ लेने देंगे, मौत और जिंदगी के बीच गरीब अबला बीबी को लटकाए रखते हैं। कुछ लड़कियों के माता-पिता या भाई-बहन बड़े क्रूर होते हैं और लड़की को एक पति से जबरन तलाक दिलवा कर उस का दूसरा विवाह कर देते हैं। लड़की सुन्दर और स्वस्थ हुई तो कई वर मिल भी जाते हैं। इस तरीके को अपना कर, इस्लामी कानून का नाजायज फायदा उठा कर, नारियों को पैसा कमाने का साधन बनाया जाता है। कुछ नारियाँ तो अत्याचार सहन कर लेती हैं, पर कुछ बगावत कर जाती हैं। तलाक की आड़ में काफी घपला और घोटाला होता है।

इस तरह देखते हैं कि इस्लाम ने हमें नारियों का जितना सम्मान करना सिखाया, भारतीय मुस्लिम उस के बिल्कुल विपरीत नारियों का अपमान करते हैं। भारतीय मुस्लिम नारी की बहुसंख्या घोर अन्याय, शोषण और उत्पीड़न का शिकार है। उसे मर्दों की बराबरी तो क्या मर्दों के मुकाबले आधी आजादी भी हासिल नहीं। शिक्षा प्राप्ति के लिए योग्य स्कूल-कालिज वह जा नहीं सकती, कहीं नौकरी करना चाहे तो कर नहीं सकती। सैर-सपाटे, सिनेमा आदि प्रथम तो उसकी किस्मत में नहीं, यदि भूल से मियाँ साहब ले भी गए तो छिपा कर बुरके में।

खौफनाक बीमारी एड्स

भारत में यौन सम्बन्धों से प्रसारित रोग जैसे सिफिलिस और सूजाक (गोनोरिया) काफी व्यापक है। एस.टी.डी. के प्रबन्ध और नियन्त्रण के लिए सरकार ने केन्द्र सहायता प्राप्त एस.टी.डी. के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम को दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उसे केन्द्र समर्थित उपयोजना में परिवर्तित कर दिया गया। क्योंकि एच.आई.वी. संक्रमण के प्रसार में एस.टी.डी. एक मुख्य घटक है, इस कार्यक्रम को एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम में समाविष्ट कर लिया गया। सरकार यौन प्रसारित रोगों के विषय में पढ़ाई, प्रशिक्षण, अनुसन्धान और संक्रमण रोग अध्ययन, स्वास्थ्य और सामूहिक शिक्षा पर बल दे रही है। एड्स (एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियन्सी सिन्ड्रोम) एक नई खौफनाक बीमारी है जो सारी दुनियाँ में चौंका देने वाले अनुपात में फैल रही है। वर्ष 2000 में विश्व की 4 करोड़ जनसंख्या H.I.V (ह्युमन इम्यून डिफिशियन्सी वायरस) से संक्रमित हो गई है और 4.2 करोड़ को पूर्ण विकसित एड्स हो गया है जिनमें से 4 लाख प्रतिवर्ष मर रहे हैं। भारत में H.I.V. से संक्रमित लोगों की संख्या वर्ष 2000 तक 50 लाख तक पहुँच चुकी है। W.H.O. के अनुसार भारत में H.I.V. संक्रमित लोगों की संख्या में विश्व में सबसे आगे है और एड्स की संख्या में एशिया में शीर्ष स्थान पर है। 1983 में फ्राँसीसी माटेगियर ने इसके वायरस की पहचान की। 1984 में अमरीका के गालो एवं साथियों ने एक एड्स पीड़ित व्यक्ति से इसका वायरस प्राप्त किया और H.T.L.V. नाम दिया। बाद में लेवी एवं साथियों ने इसे H.I.V. (रेट्रोवायरस) नाम दिया और 1986 में इसका नाम एड्स पड़ा। इससे शरीर छोटे इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत खो देता है और मनुष्य की जान को खतरा उत्पन्न हो जाता है। एड्स का अभी तक कोई निदान नहीं ढूँढा जा सका है। वाइरस निरोधी दवाएँ जैसे जाइडोबुडीन अधिकाधिक इस बीमारी को तेजी से उभरने से रोकने में सक्षम हुई है। इस वाइरस के विरुद्ध किसी टीके की खोज होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, पर इस दिशा में बड़ी कठिनाइयाँ हैं। अभी तक हमारे प्रयास विभिन्न तरीकों से इस वाइरस के प्रसार को नियन्त्रित करने तक ही सामित हैं।

अभी तक एड्स की कोई भी पक्की दवा नहीं बनी है जो एड्स को ठीक कर दे। अभी दो दवाइयाँ बाजार में आई हैं। जिनके दो गुप हैं—रिवर्स ट्राइक्रिप्टाइज इन्हिबिटर्स, जिनमें 4 दवाइयाँ हैं A.Z-T, D.T.C., 4-D.T4 और द्वितीय गुप प्रोटेज अण्डिपिटर्स, इसमें भी 4 दवाइयाँ हैं—अण्डिनाबिर से सेक्वीनाबिर, रेटोनाबिर और 3—TC। इन दोनों गुपों की दवाइयों को मिला—जुला कर दिया जाता है, जिससे 90 या 95% H.I.V. संक्रमण खत्म हो सकता है पर इस दवा पर एक साल में 4 से 5 लाख का खर्च आता है।

एड्स के प्रमुख लक्षण—शारीरिक वजन में 10% से अधिक की कमी, महीनों बुखार एवं क्रान्तिक दस्त लगना, महीनों ख़ाँसी आना, पूरी त्वचा पर खुजली वाली पित्तियाँ, व्यापक हर्पर्स जोस्ट, सूजी हुई लिम्फ ग्रन्थियाँ, भूल जाने की आदत, फैली हुई पुलमोनरी T.B. का होना है।

अवसरवादी संक्रमण 1—अतिरिक्त 'पुलमोनरी' (फुफ्फुसीय), T.B., 2—सामान्य 'कापोसी सरकोमा', 'हेमरेजिक मांसल मल विसर्जन', 3—(सिप्टोकोकल मेलिंजाइटिस) या मस्तिष्क का ज्वर जो फफूंद जनित हैं।

एड्स परीक्षण: एच.आई.वी. का सकारात्मक (पोजिटिव) परीक्षण एड्स होने का लक्षण नहीं है। एच.आई.वी. सकारात्मक होने का अर्थ है कि रोगी एड्स से संक्रमित है जो संक्रमणकारी है। एच.आई.वी. का पता लगाने का प्रमुख परीक्षण वेस्टर्न ब्लाक टेस्ट, E.L.I.S.A. (एन्जाइम लिंकड इम्यूनोसोर्बन्ट एस्से परीक्षण) और वायडस पृथकीकरण परीक्षण, खून के नमूने का उपयोग करना आदि है। अन्य परीक्षणों में शामिल हैं: P.A.T. (कण असंलिप्तकारी परीक्षण), I.F.A. (प्रतिरक्षी प्रदीपन परीक्षण) और R.I.P.A. (रेडियो ह्यूमना अवक्षेपण परीक्षण)। भारत में सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले परीक्षण हैं: कम्बाइन विजुअल डिपस्टिक टेस्ट और हीवा टैस्ट, यह दोनों इम्यूना एस्से पर आधारित हैं। इन परीक्षणों के परिणामों का सावधानी से विवेचन करना होता है। अगर किसी का परिणाम ऋणात्मक निकलता है तो इसका तात्पर्य है कि वह व्यक्ति परीक्षण की तिथि से तीन माह पूर्व तक संक्रमित नहीं था। यह इसलिए है क्योंकि H.I.V. पहचाने जाने वाली किसी भी प्रतिक्रिया जगाने में 3 महीने के जोखिम मुक्त समय के बाद परीक्षण को दोहराना पड़ता है।

औषधियाँ: अभी तक कोई भी एच.आई.वी. निरोधक वेक्सीन नहीं है। वर्तमान समय में उपयोग की जा रही एच.आई.वी. निरोधक औषधियाँ दो प्रकार की हैं: (1) विपरीत ट्रान्सस्क्रिप्टेज अवरोधक और (2) प्रोटीएज अवरोधक।

विपरीत ट्रान्सस्क्रिप्टेज अवरोधक उस विपरीत ट्रान्सस्क्रिप्टेज एन्जाइम को अवरुद्ध करता है, जिससे H.I.V. अपने रियो न्यूक्लियिक एसिड जीनेम (वायडस का अनुवांशिक पदार्थ) को D-Oxi Rebonueclie Acid में प्रतिलिपित करता है। तब वायरस उसको वहन करने वाली कोशिका के D.N.A. में एकीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार की H.I.V. निरोधक औषधि A.T.Z.T..(एजीडोथाइमिडीन), D.D.I. (D-Oxi Ionocine), D.D.C., D₄ T. और 3 T.C. हैं।

प्रोटीन निरोधक बाद के चरणों में क्रिया करते हैं, जब वायरस पहले ही कोशिका में आत्मसात हो चुका होता है और प्रतिलिपित करने के लिए तैयार होता है। ये प्रोटीनेस एन्जाइम को अवरुद्ध करते हैं जो वायरस को परिपक्व होने और जहाँ नए वायरल कणों के निर्माण के लिए आवश्यक रचनात्मक प्रोटीन उत्पन्न होते हैं उन लम्बी श्रृंखलाओं को पूरी तरह फैलाने में सहायता करता है। ये एच.आई.वी. को रक्तधार में पहचाने जाने वाले स्तर से प्रत्यक्ष रूप में हटा देते हैं। इस प्रकार की पहली औषधि साक्वीनाबिर (इन्जायरेज) है। अन्य प्रोटीज अवरोधक इण्डिनाबिर और रेटोनाबिर हैं।

एड्स के वायरस अगर रक्त में एक बार आ जायें तो 6 माह से 6 वर्ष के अन्दर वायरस इतना फैल जाता है कि मृत्यु निश्चित है। बच्चों में यह बड़ी तीव्रगति से फैलता है। एड्स के रोगी में टी.बी. होने का भी डर बना रहता है क्योंकि एच.आई.वी. के आक्रमण से शरीर का आई.एस.(इम्यून सिस्टम) कमजोर पड़ जाता है। वर्ष 1980 में टी.बी. के कुल मरीजों में 4% को टी.बी. एड्स के द्वारा हुई थी। भारत में एड्स के अधिकतर मरीज 20 से 40 वर्ष आयु वर्ग से हैं। विश्व में अक्टूबर, 1995 तक 27 लाख से अधिक लोगों का एड्स के लिए जाँच-परीक्षण हो चुका है और इनमें से 21131 लोगों में यह रोग पाया गया। इनमें से पुरुषों की संख्या 75% है। विशेषज्ञों का यह मत है कि केवल भारत में ही एड्स रोगियों की संख्या 1750000 से अधिक है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 में यह संख्या 40 लाख तक पहुँच गई है।

एड्स के मरीज के लक्षण एकदम से पहचानना मुश्किल होत हैं क्योंकि इस बीमारी के लक्षण टी.बी. जैसे ही लगते हैं जिनका पता रक्त को टेस्ट करवाकर चलता है। परन्तु फिर भी कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनके प्रति सावधान रहना चाहिए जैसे वजन का कम होना, अक्सर पेचिश लगना, लम्बे समय तक ज्वर होना, रात को पसीना आना, गुर्दों का सूज जाना आदि ऐसे लक्षण हैं। इन लक्षणों को जब भी किसी व्यक्ति में देखा जाए तो उसके रक्त की जाँच करा लेनी चाहिए।

एड्स फैलने के अनेक कारणों में प्रमुख हैं— 1—रोगग्रस्त नर या नारी से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना, 2—नशे का लती होना विशेषकर जो इन्जेक्शन के द्वारा लिए जाते हैं, 3—दूषित इन्जेक्शन का प्रयोग, 4—समय-समय पर रक्त चढ़वाना, 5—एक से अधिक लोगों से यौन-सम्बन्ध रखना।

रोकथाम एड्स का कोई उपचार, औषधि या इन्जेक्शन नहीं होने के कारण मात्र यही विकल्प है कि लोगों को एच.आई.वी.विषाणु और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूक किया जाए। वैश्यवृत्ति एवं नशीले पदार्थों का सेवन प्रतिनधित किया जाए। यह कार्य टेलीविजन, समाचार माध्यमों, लोकनृत्यों, क्षेत्रीय प्रचार, रेडियो इत्यादि तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाए।

रास, रहस्य और बलात्कार तथा कारागार

(नारी जीवन हाय! तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी।)

सृष्टि विकास के लिए नर और नारी का संसर्ग आवश्यक है। नर के बिना नारी और नारी के बिना नर अधूरा है। व्यवस्थिति जीवन के लिए संस्कारों का विधान है। विवाह संस्कार पुरुष और स्त्री के यौन सम्बन्धों को सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। विवाह के अभाव में स्त्री-पुरुष के यौन सम्बन्ध अनुचित एवं निन्दनीय तथा घातक होते हैं।

विज्ञान का नियम है कि 'प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होती है तथा प्रत्येक प्रक्रिया का परिणाम अवश्य होता है।' इसी सिद्धान्त के अनुरूप पुरुष और नारी का संपर्क एक-दूसरे के प्रति आकर्षण तथा शारीरिक व मानसिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में अधिकांश व्यक्ति जोश में होस खोकर सामाजिक मर्यादाओं को तिलांजलि देकर पशुवत आचरण करने लगते हैं। एकांत और निर्जन स्थान खोजते हैं और काम भावना के वशीभूत व्यक्ति एक-दूसरे का यौन शोषण करते हैं।

किसी भी कालेजों के आसपास घूमने वाले आवारों की गतिविधियों के अवलोकन से पता चलता है कि यह लोग प्रेम प्रसंग का प्रदर्शन कर भोली-भाली लड़कियों को फुसला कर कहीं एकान्त में ले जाकर चाय-नाश्ते के दौरान नशीले पदार्थों का प्रयोग कर यौनि शोषण कर लेते हैं और जब लड़की को होश आता है तो उसे भय से बरगला कर मामले दबा लेते हैं। नारियों की कोमल भावनाओं का अनुचित लाभ उठाकर पुरुष समाज जहाँ एक ओर प्रेम-प्रसंग के नाम पर नारियों का यौनि शोषण करता है वहीं दूसरी ओर दिखावे के आकर्षण से भोली-भाली नारियों को फंसाकर वेश्यावृत्ति एवं नारी तस्करी करते हैं।

नर-नारी के प्रेम-प्रसंग एवं वेश्यावृत्ति तथा नारी तस्करी में अनेक राजनीतिज्ञ, दलालो, रहीशजादों के साथ-साथ पड़ोसी लोभ-लालच एवं ईर्ष्या वश संदिग्ध और असामाजिक भूमिकाएँ निभाते हैं। झूठ-मूठ के विवाह-रास रचवाते हैं, अफवाहें फैलाकर अभिभावकों को भ्रमित कर हतोत्साहित करते हैं और न्यायालय-पुलिस में असत्य गवाही देते हैं। यहाँ तक कि संरक्षण के नाम पर मजबूर नारी को अपने घर ले लाकर अनेक लोगों सहित स्वयं भी यौनि शोषण करते हैं।

देश-प्रदेश के अतिथि ग्रहों, होटल, क्लबों, बंगलों की घटनाओं के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वहाँ पर अधिकांश नारियों को धन देकर जाया जाता है और धन, पद, प्रतिष्ठा धारियों द्वारा नारियों का सामूहिक यौनि शोषण किया जाता है।

पुरुष और स्त्री के अनैतिक यौनि सम्बन्धों का परिणाम अन्ततः नारी जीवन के लिए घातक और बोझ सिद्ध होता है। पुरुष द्वारा शोषित नारी प्रेमी के लिए भले ही पवित्र समझी जाती हो परन्तु समाज द्वारा घातक अनैतिक सम्बन्धों को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता है। असहाय नारी की मजबूरी का लाभ उठाकर वेश्यावृत्ति कुकर्म से उत्पन्न सन्तानों के उतरदायित्व से धन, पद, प्रतिष्ठाधारी, रहीशजादे कुकुर्मी पुरुष तो बच जाता है परन्तु हवस का शिकार नारी का जीवन बोझ बन जाता है।

प्रेम-प्रसंग का नाम देकर अय्याशी में लिप्त रहीशजादे एवं धन-पद प्रतिष्ठाधारी तथा धनी बाप की बिगडेल संताने जब किसी नारी को फंसाकर अपनी हवस का शिकार बनाते हैं तों यह देखने में आता है कि यह लोग प्रेम-प्रसंग के नाम पर नारी से सर्व प्रथम स्वयं सम्बन्ध बनाते हैं तदुपरान्त अपने यार-दोस्तों के साथ उत्सव मनाकर नारी का सामूहिक यौनि शोषण करते हैं और बाद में शोषित नारी को बंगलों, होटल्स, चकलाखानों में भेजकर वेश्यावृत्ति का अवैध व्यापार कर धन कमाते हैं।

आज युवा भाई और बहिन को एक साथ चलते देखकर लोगों का उद्बोधन "देखो यह लड़की को फंसाए लिए जा रहा है" पर उठे नजारे तथा जजों द्वारा लड़कियों की छेड़छाड़ घटनाएँ नारी अस्मिता एवं सम्मान के लिए घातक बन रही है।

अक्सर समाचार पत्रों में छपता है कि निर्जन स्थानों एवं पार्कों में जाकर रास रचने वाले प्रेमी-प्रेमिकाओं को संगठित अपराधियों एवं पुलिस सुरक्षा कर्मियों द्वारा युवक की पिटाई कर भगा दिया जाता है और नारी के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। सामूहिक बलात्कार की शिकार नारी यौन पीड़ा से भयभीत एवं अवसाद ग्रसित होकर आत्महत्या कर लेती हैं।

बलात्कार की घटनाओं के अध्ययनों से ज्ञात होता है कि प्रेम-प्रसंग के खुलासा होने के भय से या प्रेमी-प्रेमिका को आपत्ति जनक स्थिति में देखने पर प्रेमिका द्वारा दृश्य देखने या चर्चा करने वाले पर बलात्कार का आरोप लगा दिया जाता है और पुलिस न्यायालय में प्रेमी को गवाही से निर्दोष को जेल में डलवा दिया जाता है। तथाकथित सामज सेवी और अवसरवाद राजनीतिज्ञ मौके का लाभ उठाकर मामलों में तूल देकर समाज में बलवा एवं दंगा कराने से नहीं चूकते हैं। यहाँ तक कि तमाम मासूमों एवं जन-साधारण के लोगों की हत्या कराकर देश-समाज को साम्प्रदायिकता की आग में झोंक देते हैं।

आज तथाकथित समाजसेवियों एवं अवसरवादी राजनीतिज्ञों द्वारा अपने विरोधियों को तबाह करने के उद्देश्य से गावों नगरों में उत्पात कर साधारणजनों की माँ, बेटी, पत्नियों को अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा है तथा बलात्कार मामलों में पुलिस-न्यायालयों में झूठी गवाही देकर पीड़ित पक्ष के निर्दोषों को फंसाकर एवं दण्डित कराकर जेलों में डाला जा रहा है।

आज समाज में नारी का शोषण व उसकी हत्या फैशन बन गया है। भय, दहशत, लूट, डकैती, बलात्कार व भ्रष्टाचार स्टेजस सिम्बल माना जाता है। राजनीतिक दलों एवं सरकारों में वही लोग उच्च स्थान पा रहे हैं जो अति कुख्यात आतंकवादी और डाकू हैं।

यह लोग प्राचीन काल की भाँति जंगलों में छुपकर नहीं रहते बल्कि देश-प्रदेश के उच्च-सदनों में बैठकर नियम कानूनों को संचालित कर रहे हैं। राष्ट्रीय धन-सम्पत्ति को मनमाने ढंग से हड़पकर उसको अपने निजी जीवन में उपभोग कर रहे हैं तथा भय एवं दहशत उत्पन्न कर देश-समाज में संगठित अपराध की घटनाओं को अंजाम देकर लाभ कमा रहे हैं।

भारतीय संस्कृति के अनुसार, परिस्त्री गमन, अनैतिक यौनि सम्बन्ध, वेश्यावृत्ति, नारी-तस्करी निंदनीय एवं त्याज्य हैं। नारी उत्पादन एवं उपभोग की वस्तु न होकर माँ, बहिन, पुत्री, कन्या एवं देवी शक्ति स्वरूपा है। जिसका सम्मान आवश्यक है।

देश की नारियों के सम्मान और सुरक्षा हेतु आवश्यक है कि नारियों को पुरुषों के समान अधिकार मिले। संवैधानिक एवं सार्वजनिक पदों पर नारियों को 50% आरक्षण मिले। बलात्कार, वेश्यावृत्ति, नारी तस्करी, तथा परिपत्नी से यौन सम्बन्ध रखने वाले वास्तविक कुकुर्मियों का लिंग काटकर समाज से पृथक कर दिया जावे। बलात्कार के झूठे मुकदमें करने वालों को बलात्कारी की भाँति दण्ड मिलना चाहिए। धन, पद, प्रतिष्ठाधारी रहीशजादों के वहशीपन की शिकार नारियों से उत्पन्न बच्चों को कुकुर्मियों की सम्पत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। वेश्यावृत्ति एवं नारी तस्करी पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए।

विसंगति

सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएँ होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपना सम्बन्ध समाज में के साथ जोड़ना पड़ता है और वह यहाँ आशा करता है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति में समाज या समाज के अन्य सदस्यों का सहयोग उसे मिलता रहेगा। जब उसकी यह आशा पूरी नहीं होता है तो व्यक्ति में निराशा, असन्तोष, बदला लेने की भावना पनप जाती है और वह समाज क्षरा अन्य स्थापित नियमों, आदर्शों तथा मूल्यों को स्वीकार करने से इन्कार कर देता है व इस प्रकार व्यवहार करता है कि उसका वह व्यवहार विसंगति या नियमहीनता का ही परिचायक होता है।

सामाजिक श्रम-विभाजन ने समाज के सदस्यों को एक-दूसरे न केवल सम्बन्धित किया है बल्कि प्रत्येक को उसकी जरूरतों की पूर्ति के सन्दर्भ में दूसरे पर अत्यधिक निर्भर भी बना दिया है। इस अत्यन्त निर्भरता का एक बुरा परिणाम यह होता है कि जब कभी भी ये दूसरे व्यक्ति की आशाओं के अनुरूप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग नहीं देते, तो व्यक्ति स्वयं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाता है और सामाजिक एकता एवं संगठन की चिन्ता छोड़ देता है। उस स्थिति में समाज में आदर्श हीनता या नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है यही विसंगति है। विसंगति आदर्श हीनता की एक अवस्था है, स्वभाविकता का अभाव है, नियमों का निलंबन है, एक ऐसी स्थिति में जिसे कि हम अक्सर नियमविहीनता कहते हैं।

मनुष्य की असंख्य मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताएँ होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति इन आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति चाहता है, समाज व्यवस्था से संगठन को बनाये रखने के लिए उन्हें मनमाने ढंग से कार्य करने की अनुमति समाज नहीं देता, अपितु उन पर सामूहिक नियमों या आज्ञाओं के द्वारा नियन्त्रण की व्यवस्था करता है। पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इन सामूहिक नियमों का नियन्त्रणात्मक प्रभाव घट जाता है और इस अवसर से फायदा उठाकर समाज के सदस्य मनमाने तौद पर अपने-अपने स्वार्थ की अधिकतम पूर्ति में लग जाते हैं। फलतः समाज में विवेक एवं आदर्श एक ओर रह जात है और व्यक्ति विवेकहीन अस्वाभाविक व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार का अस्वभाविक व्यवहार समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के साथ समाज का एकाएक क्रांतिकारी परिवर्तन के फलस्वरूप भी हो सकता है क्योंकि इस प्रकार के एकाएक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के साथ समाज के लोग अपना अनुकूलन करने में असफल रहते हैं और इनके व्यवहार में आदर्श, सम्यता और अस्वाभाविकता पनप जाती है। यही विसंगति की स्थिति कहलाती है।

सामूहिक शक्ति या सामाजिक नियन्त्रण भंग होने के कारण अचानक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन होना से या एकाएक कोई बड़ी उन्नति या अवनति होने से समाज में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उसी से समाज में एकाएक उत्पन्न परिस्थितियों और आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि इन एकाएक उत्पन्न परिस्थितियों का सफलतापूर्ण वे सामना करना प्रायः सम्भव नहीं होता है। उदाहरणार्थ, अचानक उत्पन्न आर्थिक संकट आ जाने पर अनेक उच्च आर्थिक स्थिति वाले लोगों की स्थिति एकाएक गिर सकती है। उस अवस्था में या तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को कम करें या आत्मनियन्त्रण के द्वारा अपने को उनसे दूर रखें। लेकिन अक्सर यह होता है कि वे ऐसा करने में असफल होते हैं और समस्त सामाजिक आदर्शों को भुलाकर आदर्शविहीन व स्वाभाविक व्यवहार करने अर्थात् भ्रष्ट, अनैतिक या आदर्श विहीन उपायों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को पुनः ऊँचा उठाने का प्रयत्न करके समाज में विसंगति की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। यदि यह संकट शक्ति या सम्पत्ति का हो तब भी विसंगति की स्थिति सामने आती है। अर्थात् कोई भी अचानक सामाजिक परिवर्तन विसंगति का उल्लेखनीय कारण बन सकता है। जब कोई अचानक परिवर्तन होता है तो समाज के नियन्त्रणात्मक नियमों की आदर्शात्मक संरचना ढीली पड़ जाती है, और उस अवस्था में व्यक्ति को यह नहीं सूझता कि क्या गलत है या क्या सही, उसकी इच्छाएँ अदम्य रूप में बढ़ जाती हैं और उनकी सन्तुष्टि के लिए सह विसंगति को अपनाता है।

एक बार जब समाज में विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फिर वह छूट की बीमारी की तरह फैलती जाती है और संपूर्ण समाज में मूल्यविहीनता एवं आदर्शहीनता की स्थिति तब तक बनी रहती है। जब तब सामाजिक शक्तियाँ अपने को पुनः प्रतिष्ठित करके समाज में संगठन व एकीकरण की स्थिति उत्पन्न करने में सफल न हों। वास्तव में विसंगति की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से अपनी आशाओं, अभिलाषाओं की अधिकतम पूर्ति करने में जुट जाता है कि और ऐसा करते हुए न तो उसे समाज की परवाह होती है, न लोक-लाज या लोक-निन्दा की और न ही सामाजिक आदर्शों या मूल्यों की। उसके लिए तो अपना स्वार्थ सबसे बढ़ कर होता है और उन स्वार्थों की सन्तुष्टि में उसका अपना व्यक्तिगत मूल्य ही उसके लिए सर्वोपरि होता है। वह किसी भी प्रकार के नियन्त्रण व आदर्श को स्वीकार नहीं करता और अपनी आशाओं व आवश्यकताओं का इतना बढ़ा लेता है कि वे व्यक्तिगत दायरे से निकलकर समाज की अपनी आशाओं एवं आवश्यकताओं की छिन्न-भिन्न करके समाज में विसंगति की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। जब व्यक्ति सामूहिक स्वार्थों, नियमों तथा शक्तियों को तुच्छ समझने लगता है तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच व समूह और समूह के बीच का जो पतित्र आधार है, वह समाप्त हो जाता है, रह जाती है केवल नवीनताओं के लिए, अनजाने सुखों के लिए कभी न बुझने वाल एक प्यास।

संविधान उपेक्षा, अराजकता और पुलिस-प्रशासन

समाज में घटित हो रही अपराधिक घटनाओं के मूल तथ्यों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक घटना का मुख्य अपराधी अपने सहयोगियों, पेशेवर अपराधियों, नेताओं एवं पुलिस के लोगों से साँठ-गाँठ लाभ-हानि के आधार पर सौदाकर अपराध व्यवसाय कर रहे हैं। षडयन्त्रकारी अपराधी अनौपचारिक-औपचारिक माध्यम से सुविधा एवं साधनों को मुहैया कराकर योजनाबद्ध तरीकों से घटनाओं को अन्जाम दे रहे हैं। ऐसे संगठित अपराध सम्पूर्ण भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सर्वाधिक हो रहे हैं। जिससे देश की जनता बुरी तरह अपराध ग्रसित है।

घटना अंजाम देने से पूर्व वातावरण अपराधी के पक्ष में बनाया जाता है। संगठन के नाम पर उत्पात कर भय व दहशत फैलाई जा रही है। किसी प्रकार का विरोध साम, दाम, दण्ड व भेद पैदा कर दबाया जा रहा है। इसके बावजूद अवशेष प्रबल विरोध विरोधी को फंसाकर या लूटपाट-हत्या करके मिटाया जा रहा है। पीड़ित परिवारों को अपहरण-बंदूक की नोक से मामले समूल नष्ट किए जा रहे हैं।

आज पुलिस, प्रशासन, न्याय और लोकतन्त्र व्यवस्थाएँ पीड़ित पक्ष के लिए अभिशाप और अपराधियों के लिए वरदान सिद्ध हो रही हैं। किसी भी घटना-आशंका की सूचना पुलिस को दिए जाने पर स्थानीय पुलिस एवं सम्बन्धित अधिकारी ऊल-जलूल सवाल-जबाब कर मामलों की जबरदस्त उपेक्षा कर रहे हैं। यदि कोई पीड़ित अपनी शिकायत उच्चाधिकारियों को देता है तो शिकायत-आदेश दबाकर या वादी द्वारा पैरवी-कार्यवाही न करने की बात कहकर मामले दबाए जा रहे हैं। घटना के आरोपपत्र धन एवं दबंगों के प्रभाव में मनमाने लिखे जा रहे हैं। अपराधियों के साथ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी मौज-मस्ती कर रहे हैं। घटना पीड़ितों के घरों में घुसकर जबरदस्त उत्पात कर उनके परिजनों को भयभीत किया जा रहा है। पुलिस घटना की सूचनाओं पर उपलब्ध नहीं हो रही है।

समाज के लुटेरों द्वारा अपराधिक घटना से पूर्व और बाद सामूहिक रूप से भोज-उत्सव एवं समारोह आयोजित किए जाते हैं। इन अवसरों पर राजनेताओं एवं शासन-प्रशासन के अधिकारियों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर डाकू-हत्यारों से भाषण-अध्यक्षता कराकर सरकारी-सार्वजनिक या लूट के माल-धन से पुरस्कार खरीद कर पुरस्कृत कर अपराधियों को सम्मानित किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से अपराध विशेष प्रोत्साहित हो रहे हैं। भू-भवन स्मामी-मफिया अपराधियों के सहयोग से मनमाना किराया एवं विद्युत बेचकर किराएदारों का जबरदस्त उत्पीड़न करते हैं तथा 'शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनमय) अधिनियम, 1972, भूमि अधिपत्य अधिनियम, कानून एवं भारतीय संविधान' का जबरदस्त उल्लंघन कर आवासीय-इमारतों को तोड़-फोड़ कर नष्ट कर लोगों को परेशान करते हैं। इसके बावजूद पीड़ित जनता व किराएदारों को सपरिवार तबाह कर उनके वैधानिक घर-आवास से बेघर कर समाज में जबरदस्त अराजकता फैलाई जा रही है।

अपराधिक घटनाओं से पीड़ितों की शिकायतें थाना-पुलिस के लोगों द्वारा जाँच की बात कह कर नहीं लिखी जाती है। पीड़ित को थाने से टरका कर घटनाओं की तहरीरें गायब की जा रही हैं। पीड़ित पक्ष को ही आरोपी बनाकर मुकदमें में फंसा कर जेल में डाला जा रहा है। पुलिस-थानों एवं सरकारी कार्यालयों में अपराधियों तथा दलालों की दबंगई का जबरदस्त प्रभाव बना हुआ है। शिकायत की सुनवाई अवसर पर दबंग-अपराधी अधिकारियों के आसपास अति सम्मनित कुर्सियों पर बैठकर ठहाका लगाते हैं। घटनाओं की पुनरावृत्ति कर पीड़ित पक्ष एवं उसके परिजनों को बारम्बार घटनाओं का शिकार बनाया जा रहा है। न्यायालय आदेशों को फाइलों में दबाकर निष्क्रिय किया जा रहा है तथा इनका दुरुपयोग पीड़ित के विरुद्ध किया जाता है। फर्जी कागजी खानापूति जबाबदेही बचा रही है।

अपराध, अराजकता एवं संविधान की जबरदस्त उपेक्षा के विरुद्ध अंकुश लगाए जाने हेतु सुझाव हैं:

1. शासन-प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों द्वारा आचरण संहिता का पालन अवश्य होना चाहिए।
2. अपराधियों के भोजोत्सव समारोहों में भाग लेने वाले संवैधानिक पदासीनों को रोका जाना चाहिए।
3. भवन किराया अधिनियम, भूमि अधिनियम, सरकारी संहिता, कानून का पालन अवश्य होना चाहिए।
4. घटना से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं व शिकायत पत्र विवरण दर्ज करके ही जाँच होनी चाहिए।
5. पुलिस थानों, कर्मियों की समस्त गतिविधियों की निगरानी कम्प्यूटर कैमरों से होनी चाहिए।
6. घटना पुनरावृत्ति, रिपोर्ट की उपेक्षा, लापरवाही जबाबदेह एवं जेलदण्ड से दण्डनीय होनी चाहिए।
7. घटना चोरी, लूट, डकैती, हत्या, हमला, बलवा, दबंगई ग्रसित लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए।
8. घटना गवाही की अपर्याप्ता की स्थिति में पीड़ित का ब्यान मात्र से दण्ड निर्धारित होना चाहिए।
9. संवैधानिक-सार्वजनिक पदासीनों के वेतन से अधिक आय-व्यय-बचत दण्डनीय होनी चाहिए।

शांति व्यवस्था और पुलिस

प्रत्येक समाज में एक व्यवस्था पाई जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक प्रगति के साथ ही सामाजिक न्याय की स्थापना भी होता है। सामाजिक सामाजिक सम्बन्धों की एक व्यवस्था है। ये सम्बन्ध अत्यन्त ही जटिल होते हैं। इन सम्बन्धों को आसानी से नहीं समझा जा सकता है। समाज में अनेक ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। जो आदतन और जागरूक अवस्था में कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। कानून और व्यवस्था का उल्लंघन चाहे जागरूक अवस्था में किया जाए या अजागरूक अवस्था में, इससे समाज को हानि होती है और सामाजिक प्रगति रुक जाती है। इसीलिए ऐसे कार्यों को समाज विरोधी करार दिया जाता है। पुलिस एक ऐसा संगठन है, जो समाज विरोधी कार्यों पर नियन्त्रण लगाकर सामाजिक व्यवस्था और शांति की स्थापना करता है।

प्रत्येक समाज में 'सामाजिक नियंत्रण' पाया जाता है। सामाजिक उद्विकास के विभिन्न स्तरों में सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में विभिन्नताओं का पाया जाना नितान्त स्वाभाविक है। विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप औपचारिक था, जिसमें परिवार, पड़ोस, धर्म, प्रथा और परम्पराओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। धीरे-धीरे अनौपचारिक नियन्त्रण के साधन समाज में शिथिल होते गए। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही साथ औपचारिक समाज को महत्व दिया जाने लगा, जिससे पुलिस, न्यायालय और जेल विकसित हुए। पुलिस द्वारा सामाजिक नियंत्रण का यही औपचारिक स्वरूप है।

यूनानी च्वसपे और लैटिन च्वसपजप शब्द से मिलकर च्वसपबम शब्द निर्मित हुआ है। जिसका शाब्दिक अर्थ—'नगरपाल' या 'आरक्षी' (The arrangement for maintaining peace and order in a Town) है। इस प्रकार 'पुलिस' शब्द का प्रयोग एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए किया जाता है जिसका कार्य कानून एवं व्यवस्था को स्थापित करना व अपराधी—संहिता को लागू लागू करने से होता है। इस कार्य को सम्पादित करने के लिए पुलिस का एक प्रशासकीय संगठन होता है। प्रशासकीय संगठन का निर्धारण देश की शासन—व्यवस्था के द्वारा होता है। प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था में भिन्नता के कारण पुलिस के संगठन में भी भिन्नता होती है। सामान्यतया केन्द्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक और स्थानीय स्तर तक एक विशिष्ट तारतम्य पाया जाता है। इसी तारतम्य में सभी व्यक्ति कार्य करते हैं।

'पुलिस' शब्द अत्यन्त विस्तृत है और इसके अन्तर्गत अन्य अनेक प्रकार के संगठन होते हैं। सामान्यतया पुलिस के कार्यात्मक संगठन को सामान्य पुलिस, गुप्तचर पुलिस, यातायात पुलिस, सेना पुलिस, महिला पुलिस, रेलवे पुलिस में विभाजित किया जाता है। यह वर्गीकरण अपर्याप्त होने के बावजूद भारत में पुलिस सामान्यतया इन्हीं स्वरूपों में कार्य करती है।

मौलिक रूप से व्यक्तिगत तौर पर नागरिक अपनी जान—माल की रक्षा करने के लिए पुलिस रखते थे। प्रारम्भिक अवस्थाओं में राजा और शासक देश विजय करने के लिए सेना तो रखते थे, किन्तु पुलिस की व्यवस्था नहीं करते थे। इसका कारण था कि पुलिस का काम स्वयं व्यक्ति सामूहिक रूप से मिलकर कर लेते थे। इसके साथ ही शासन—व्यवस्था इतनी कठोर थी कि कोई व्यक्ति कानून—व्यवस्था के उल्लंघन की हिम्मत नहीं करता था। अतः पुलिस की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं हो पाता था। प्रारम्भिक अवस्थाओं में व्यक्ति समाज के नियमों को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे तथा सभी व्यक्ति समुदाय के नियमों के पालन में ही अपना गौरव समझते थे। किन्तु बदलती हुई परिस्थितियों के परिणामस्वरूप समुदाय के नियमों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा और समाज में अपराधों का अस्तित्व स्वीकार किया गया। इन अपराधों को रोकने के लिए समाज में पुलिस की आवश्यकता को अनुभव किया जाने लगा।

जिन समाजों में पुलिस नहीं होती है वहाँ समाज—व्यवस्था और कानून को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। पुलिस के अभाव में भी कानून और व्यवस्था का किसी भी समाज में पालन किया जा सकता है किन्तु मानव—स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है कि वह दूसरे का नियन्त्रण स्वीकार नहीं करता है, वह अपनी बात और अपने कार्यों को समाज में सर्वोच्च महत्ता प्रदान करता है। किन्तु यदि समाज के सभी व्यक्ति इसी प्रकार सोचें, तो समाज की स्थिति क्या होगी? इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि समाज में कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार के अधिकार दिए जाएँ कि अन्य सभी व्यक्ति उसकी आज्ञाओं की उपेक्षा न करें। साथ ही समाज में ऐसे व्यक्ति भी होने चाहिए जो समाज के उन व्यक्तियों को कर्तव्यों का ज्ञान कराएँ, जो अजागरूक होते हैं। ऐसे कार्य करना पुलिस का मौलिक कर्तव्य होता है।

प्रत्येक समाज में नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देने का कार्य पुलिस करती है। पुलिस के अभाव में किसी भी समाज में हम कानून और व्यवस्था के निर्धारण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। साथ ही, पुलिस के अभाव में शांति की स्थापना करना भी असंभव है। जैसे—जैसे समाज जटिल होता जाता है और शासन को कानून और व्यवस्था की स्थापना में कठिनाई का अनुभव होता है, उसी प्रकार पुलिस की संख्या में निरन्तर वृद्धि की जाती है और पुलिस को शांति व्यवस्था स्थापित करने के नवीन उपायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी देश की शांति और व्यवस्था की स्थापना में कानून का पालन करवाने की दृष्टि से पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्य या भूमिका को 3 भागों में (1) कानून का पालन, (2) शांति स्थापना, (3) समुदाय का संरक्षण में विभाजित किया जाता है। यदि पुलिस के कर्तव्यों की विवेचना की जाए, तो उसमें अपराध नियन्त्रित कर शांति और व्यवस्था की स्थापना करना तथा अपराध अनुसन्धान के कार्यक्रमों का सम्पादन करना है। अपराधों को नियंत्रित करने में पुलिस को जो महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करने पड़ते हैं वे हैं— नागरिकों को अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान, अपराध—अनुसन्धान, सामाजिक सामंजस्य की स्थापना,

सशक्त व्यक्तियों को हिरासत में लेना, खाना-तलाशी और पूँछ-ताछ, अपराधियों को पकड़ना। अपराधों की रोकथाम में पुलिस को मानव-आचार-व्यवहार नियन्त्रित करना, अपराधियों का दमन करना व ऐसा वातावरण निमित्त करना जिससे भविष्य में व्यक्ति अपराधों की ओर अग्रसर न हो तथा अपराधों की रोकथाम के लिए समुचित प्रयास करना पड़ता है।

अपराध नियन्त्रण में पुलिस को जनसेवा की भावना से अपने कर्तव्यों को सम्पादित करने की आवश्यकता है। भारत में पुलिस का प्रयोग निजी लाभ और सामाजिक सुरक्षा के लिए किया गया है। अंग्रेजों ने पुलिस का उपयोग जान-माल की रक्षा करने व जन-आन्दोलन को दबाने के लिए किया था। पुलिस के रवैए में आज परिवर्तन करने की आवश्यकता है। पुलिस को दो बातों की ओर ध्यान देना चाहिए, प्रथम, वे देश के नागरिक हैं और अपने ही देश की समृद्धि के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है, द्वितीय, दमनात्मक प्रवृत्ति का त्याग। आज पुलिस में शासक और शासित के बीच की दीवार को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। विशेष कर भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में पुलिस को मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। जब तक पुलिस कर्मचारी मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाकर मानव के लिए अपने को समर्पित नहीं करेंगे, अपराधों की संख्या में कमी की कोई सम्भावना नहीं है।

समाज की शासन व्यवस्था में पुलिस के महत्त्व को स्वीकार करने के बाद भौतिक प्रश्न यह खड़ा होता है कि पुलिस को अपने कार्यों में सफलता क्यों नहीं मिल पाती है? ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जो पुलिस को कर्तव्य-निर्वाह में बाधा उपस्थिति करती है? पुलिस की असफलता का कारण एकाकी नहीं है। इसमें सिर्फ पुलिस का ही उत्तरदायित्व नहीं है, अपितु इसमें पुलिस का जितना उत्तरदायित्व है, उतना ही उत्तर दायित्व जनता और समाज की शासन-व्यवस्था पर भी है। पुलिस की असफलता के प्रमुख कारणों में दामनात्मक प्रवृत्ति, सिद्धान्त और व्यवहार में अंतर, भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत कमजोरी, अशिक्षा, प्रशिक्षण का अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, जनता का असहयोग, घूसखोरी, खानापूँति और स्थानापूँति हैं।

पुलिस का जनता के साथ व्यवहार अत्यन्त कठोर होता है। कभी-कभी यह कठोरता असभ्यता की सीमा तक पहुँच जाती है। दमानात्मक प्रवृत्ति के कारण जनता में पुलिस के प्रति प्रतिशोधात्मक भावना का विकास हो जाता है। जनता पुलिस के सहयोग करने की अपेक्षा असहयोगात्मक और विरोधात्मक प्रवृत्ति को अपना लेती है। इसका परिणाम यह होता है कि पुलिस अपने कर्तव्यों को निर्वाह नहीं कर पाती है और समाज में कानून तथा व्यवस्था की स्थापना में असफल रहती है। इससे समाज-विरोधी कार्यों और अपराधों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती है।

पुलिस की सैद्धांतिक कार्यों और व्यवहार में अन्तर पाया जाता है। अनेक ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब पुलिस जनता की रक्षा भूल जाती है और बदले में जनता भय और आतंक से भर जाती है। थाना-कोतवाली का नाम सुनकर व्यक्ति घबराते हैं। पुलिस भय तथा आतंक का प्रतीक होती है। पुलिस का आतंक इतना अधिक होता है कि मचलाते बच्चों को शांत करने के लिए माता-पिता पुलिस का नाम लेकर डराते हैं। रात के सन्नाटे में पुलिस का भय अत्यन्त ही वीभत्स स्वरूप प्रस्तुत करता है। आज अनेक पुलिस अधिकारी अनैतिक प्रभावों से सम्बन्धित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपराधियों से व्यक्तिगत समझौता करना पड़ता है। राजनैतिक व्यक्ति पुलिस वालों को अपने कार्यों को निष्पक्षता से सम्पादन करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे समाज-विरोधी व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। घूसखोरी के कारण पुलिस वाले व्यक्ति निष्पक्षता से अपने कार्यों को सम्पादन करने में असमर्थ रहते हैं। रिश्वत के कारण वास्तविक अपराधी छोड़ दिया जाता है या उसकी उपेक्षा कर दी जाती है और अनपराधी व्यक्तियों को पकड़कर बेकार में परेशान किया जाता है। जिससे अपराधी प्रोत्साहित होता है और अनपराधियों में भय और निराशा की भावना भर जाती है। पदोन्नति के लिए निर्धारित अपराधियों को पकड़ना जरूरी है। इससे जबरदस्ती केस दर्ज किए जाते हैं और अपराधियों के न मिलने पर दूसरे व्यक्ति को पकड़ कर खानापूँति कर ली जाती है। अधिकतर पुलिस वाले अपनी निर्धारित ड्यूटी से गायब रहकर वर्दी की घोंस देकर जनता व वाहनों से जबरदस्त अवैध वसूली में लगे रहते हैं। यदि इनके वास्तविक कार्यों को देखा जाए तो अधिकतर घटनाओं में पुलिस की अहं भूमिका मिलती है। किसी भी घटना को झुठलाना या फर्जी घटना बनाना इनकी फितरत में होता है।

पुलिस को जनता की सेवा करना है न कि उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना या शासन करना है। पुलिस को जनता का विश्वास प्राप्त कर सहयोग करना चाहिए। पुलिस दमनात्मक प्रवृत्ति के छोड़ कर कर्तव्य की प्रवृत्ति को महत्त्व दे। पुलिस के सिद्धान्त और व्यवहार के बीच का अन्तर समाप्त होना चाहिए। पुलिस भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। पुलिस के ऊपर राज नैतिक हस्तक्षेप बन्द चाहिए। पुलिस को आचार संहिता-निष्ठा, सौजन्यता, विश्वसनीयता, चारित्रिक गरिमा, जनसेवक का पालन करना चाहिए तथा यह नहीं भूलना चाहिए कि उनको 'सत्यमेव जयते' का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है।

मानव अधिकार और जेल व्यवस्था

मानव के कुछ निश्चित मापदण्ड होते हैं। इन मापदंडों को ही मानव के अधिकारों के नाम से जाना जाता है। इन अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी समाज की है। अतः मानव गरिमा को बनाए रखना तथा उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना ही मानवाधिकार है। मानवाधिकार शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वस्तुतः यही शब्द इस सम्पूर्ण कर्तव्य का केन्द्र बिन्दु है।

मानवाधिकार से व्यक्ति के जीवन—प्राण, स्वतन्त्रता, समानता एवं गरिमा से सम्बन्धित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निहित हैं और भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। मानव अधिकार वे न्यूनतम अधिकार हैं जो मानव को मनुष्य प्रजाति का सदस्य होने के नाते विरासत में मिलते हैं। ये न केवल मनुष्य के विकास के लिए अपरिहार्य हैं अपितु इनके न होने पर मनुष्य पशु के स्तर पर आ जाएगा। अतः यह अधिकार अहरणीय है तथा बिना किसी भेद-भाव के सब मनुष्यों पर लागू होते हैं।

भारतीय न्याय व्यवस्था अहिंसा एवं सुधारात्मक सिद्धांतों पर आधारित है। एक अपराधी व्यक्ति भी वस्तुतः मानव है, अतः अपराध कर देने मात्र से उसके मानव अधिकार समाप्त नहीं हो जाते, अपराधी को मानसिक रूग्ण व्यक्ति मानकर जेलों को सुधारालय में परिवर्तित कर दिया गया है जहाँ उसे इतना स्वस्थ वातावरण मिले कि वह अपनी बीमार मानसिकता को त्याग कर एक स्वस्थ विचारधारा लेकर समाज में पुनः सम्मिलित हो सके।

मानव अधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को यातना, क्रूर व्यवहार या दंडित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता का अधिकार है। अतः प्रत्येक पुरुष—महिला कैदी को जेल में शिक्षा, चिकित्सा, पोषणयुक्त आहार, स्वच्छ जल व स्वच्छ वातावरण में रहने व सद्व्यवहार का अधिकार है।

जेलों में मानव अधिकारों की इस कारण विशेष आवश्यकता है क्योंकि मानव अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। यह विश्व घोषणा—पत्र के अनुरूप है। इस आधार पर मानव अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसने कानूनों का उल्लंघन किया है। जो व्यक्ति बंधन में है, उसे अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक अधिकार और सुविधाओं की आवश्यकता है। यह समाज का उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य है कि सामाजिक विकलांग—अपराधी व्यक्ति की सहायता की जाए। हमारा धर्म और संस्कृति मानवता का पाठ पढ़ाती है। अतः इसकी रक्षा की जानी चाहिए। सभी व्यक्ति स्वतन्त्र पैदा हुए हैं और स्वतन्त्रता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इसे स्वीकार किया गया था।

मानव अधिकार और जेल प्रबन्ध के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्तों का तात्पर्य यह स्पष्ट करता है कि मानवता आदि सत्य है। मानवता के सत्य होने का आधार मानव अधिकारों से है। अगर मनुष्य कोई गलती करता है और समाज उसे सजा देता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसके मानव अधिकारों पर कुठाराघात किया जाए या इन अधिकारों को छीन लिया जाए। जेल कर्मचारियों को कैदियों के साथ व्यवहार करते समय हमेशा तीन सिद्धान्तों को ध्यान रखना चाहिए—

एक मानव या एक व्यक्ति जब जेल जाता है तो क्या वह अमानव हो जाता है। व्यक्ति चाहे जेल में रहे या जेल से बाहर, वह व्यक्ति या मानव ही रहता है।

उपर्युक्त तथ्य के आधार पर एक कैदी एक निश्चित सीमा में उन सभी अधिकारों का पात्र या अधिकारी होता है जो मानव या व्यक्ति होने के नाते उसे प्राप्त हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि मानव अधिकार सार्वभौमिक और शाश्वत हैं तथा जेल जाने से इनकी समाप्ति नहीं होती है।

जब एक व्यक्ति को जेल भेजा जाता है तो यह स्वयं ही एक दण्ड है। अर्थात् समाज में रहने के उसके अधिकारों से उसे वंचित कर देना है। ऐसा करना ही उसकी गलती के लिए पर्याप्त है। इसके बाद भी अगर जेल में उसको प्रकृति प्रदत्त मानव अधिकारों से वंचित किया जाता है तो क्या यह उसके साथ ज्यादाती नहीं है।

मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जेल—प्रशासन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इस संबंध में महत्वपूर्ण है:

1. जेल अधिकारी एवं कर्मचारी कैदियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें और मानव होने के नाते कैदियों के मानव अधिकारों का हनन न करें।
2. महिला कैदी के मानव अधिकार एवं गरिमा का संरक्षण करें तथा कैदियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित न करें।
3. कैदियों के लिए पोषक भोजन, पर्याप्त वस्त्र और स्वच्छता का उचित प्रबन्ध करें तथा कैदियों की सामुदायिक व धार्मिक भावनाओं का निरादर न करें।
4. कैदियों के स्वास्थ्य और चिकित्सा का उचित प्रबन्ध कर कैदियों के स्वास्थ्य तथा समस्याओं की अवहेलना न करें।
5. कैदियों के जेल प्रवेश से रिहा होने तक निरन्तर काउन्सलिंग हो तथा मानसिक रोग से ग्रसित, आदतन अपराधियों व अन्य कैदियों को एक साथ न रखें।
6. जेल में कैदियों एवं उनके बच्चों के लिए शिक्षा के लिए उचित प्रबन्ध हो तथा कैदियों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करें।

7. कैदियों के मानसिक तनाव को कम करने हेतु जेल में उन्हें योग ध्यान व संगीत आदि का प्रशिक्षण दें। अनुशासन भंग करने पर कैदियों को अपराध से अधिक का शारीरिक दण्ड न दें। कैदियों के सामाजिक व आर्थिक पुर्वावास हेतु जेल प्रशासन आवश्यक कदम उठाए।

जेलों में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानवीय गरिमा व व्यवहार, स्वास्थ्य का अधिकार, जेल की सुरक्षा बनाए रखना, जेल जीवन का सदुपयोग, कैदियों का बाहरी दुनिया से संपर्क, शिकायत एवं निरीक्षण का तरीका, विशेष वर्ग के कैदी, गैर सजाप्राप्त कैदी, नो-कस्टोडियल स्थिति, कैदी व जेल कर्मियों में प्रशासन एवं जेल कर्मियों के अधिकार सम्बन्धी कार्य होने चाहिए।

जेलों में कैदियों के साथ व्यवहार करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मानवीय गरिमा को कोई आघात न पहुँचे तथा उसे वे सभी अधिकार और सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ जो एक मानव के लिए अनिवार्य तथा आवश्यक हैं। स्वस्थ वातावरण की रक्षा मानव का मूलभूत अधिकार है और कैदी भी एक मानव ही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कैदी ही नहीं, उनके स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण कराया जाए तथा बीमारियों का समुचित इलाज किए जाने की व्यवस्था हो। जेलों का वातावरण कैदियों के लिए सुरक्षित वातावरण हो। सामान्य अवस्था में कैदियों को काल कोठरी में न रखा जाए तथा जंजीरों तथा अन्य बंधनकारी उपायों का उपयोग न किया जाए। वे जेलों के कुछ असामान्य वातावरण की अनुभूति न करें। यह अनुभूति कैदियों के साथ जेल स्टॉफ और कैदियों से मिलने के लिए आने वाले व्यक्तियों को भी होनी चाहिए। भयमुक्त अनुशासित जीवन को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए तथा कैदियों को किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। जेलों में कैदियों का जीवन का अच्छा उपयोग होना चाहिए। इस सम्बन्ध में उन्हें कैदियों में कानून के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो तथा वे इनका पालन करें, उनमें आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो, वे सुधरे हुए हो तथा समाजिक दृष्टि से वे जब भी समाज में जाएँ, पुनर्स्थापित हो सकें। कैदी के जीवन के अतिरिक्त उन्हें सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि उसका जेल से बाहर की दुनिया से सम्पर्क हो। उन्हें अधिवक्ताओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। समाचारों और मनोरंजन का विशेष प्रबंध किया जाए। शिकायत की प्रक्रिया समझने योग्य, पारदर्शी और स्वीकार योग्य होनी चाहिए। इसे जेल स्टॉफ और कैदी दोनों ही स्वीकार करें। इसके लिए आवश्यक है कि स्वतन्त्र और आन्तरिक निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जेलों में अनेक वर्गों के कैदी होते हैं। इन विशेष वर्गों में महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। जेलों में ऐसे कैदी भी होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा सजा नहीं सुनाई जाती है तथा उनके मुकदमें चलते रहते हैं। इन कैदियों को सजा प्राप्त कैदियों से अलग रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जेलों में अनेक कैदी ऐसी भी होते हैं जिन्हें कड़ी सुरक्षा में नहीं रखा जाता और जेल प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में जेल प्रशासन की सुविधानुसार महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ऐसे कैदियों को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय चिन्तन का विषय होने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्य किए हैं। भारत राष्ट्रीय स्तर पर 'मानव अधिकार आयोग' है तथा सभी प्रदेशों में प्रादेशिक स्तर पर मानव अधिकार आयोग हैं। मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्य मानव की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना है। यह मानव चाह जीवन के जिस क्षेत्र में भी हो। जेल भी जीवन का एक आयाम है, समाज की एक आवश्यकता है। आदिकाल में जेलों का जीवन अत्यन्त ही क्रूर तथा नारकीय होता था। आज वह स्थिति नहीं है। आज सुधार का युग है और जीवन के हर क्षेत्र में सुधारों का सिलसिला जारी है। जेलों में सुधार के लिए मानव अधिकार आयोग के प्रबन्धन को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मानव अधिकार आयोग ने जेल प्रबंधन को जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनका विवरण है—

1. जेल प्रबन्धन को जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर माह मानव अधिकार आयोग को जेल की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी भेजना।
2. पोस्टमार्टम की वीडियो फिल्म बनाना।
3. 10 दिसम्बर को मानव अधिकार दिवस मनाना।
4. निर्धारित 9 प्रोफार्मा का प्रारूप में मृत्यु विवरण, जेल में बलवा दंगा, चिकित्सा सुविधा, अनुशासन—उत्पीड़न, प्रकरण का त्वरित निराकरण, लोक अदालत, रिहाई, कैदी आवास व्यवस्था, शिक्षा, अन्य उपलब्धियों का विवरण।
5. मृत्यु की रिपोर्ट 24 घंटे में देना।
6. पत्रों का समय सीमा में उत्तर देना।
7. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जानकारी भेजना।
8. कैदी का हेल्थ कार्ड बनाना।
9. कैदी ट्रांसफर की जानकारी देना, पुलिस व अन्य व्यक्ति द्वारा पूँछताछ का रजिस्टर रखना होता है।

कैदियों के लिए जेल में भावनात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए। कैदियों को ऐसी अनुभूति दिलाई जाए कि वे समाज के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने जो गलती की है, उसके लिए उन्हें दण्डित नहीं दिया जा रहा है अपितु वे पुनः अपराध न करें, ऐसा प्रयास किस जाए। इसके लिए निम्न तत्व महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एक अभियुक्त परिवार से टूटकर जेल में प्रवेश करता है।

कैदी को समझाएँ और सान्त्वना दें। उसे डराए धमकाएँ नहीं। उसके साथ मारपीट, गाली—गलौज न करें, उसे यह आश्वस्त कराएँ कि वह जेल में पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। उसके मान—सम्मान की रक्षा की जाएगी। उसे भोजन, वस्त्र, आवास, विधिक सहायता, संचार, उपचार की पूर्ण सुविधाएँ रहेंगी। उसको निर्धारित काउन्सिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक बिन्दुओं की जानकारी दी जाए। उसे यह समझाया जाए कि उसको कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जेल में विधि अधिकारी कहाँ बैठते हैं। सोमवार की परेड में

अथवा सुबह मुलाहिजा के समय आवश्यक कानूनी सहायता के बाबत बताना होगा। बीमार होने पर उसे तत्काल अस्पताल पहुँचाने एवं दवाई की सुविधा दी जाए। उसकी पढ़ाई—लिखाई एवं शिक्षा का प्रबन्ध हो। वह अपने घर वालों को पत्र लिख सकता है एवं उनसे मुलाकात कर सकता हो। उसके खेलकूद, पी.टी. व्यायाम तथा मनोरंजन का प्रबन्ध हो। यदि वह कार्य करना चाहे तो उसे कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। उसे शासन द्वारा निर्धारित काम के बदले दाम—परिश्रम प्राप्त होगा। उसको यह बताया जाए कि उसे अस्थाई मुक्ति छुट्टी जाने और प्रोबेशन में मुक्त होने की सुविधाएँ हैं।

घर एक मन्दिर

(घर का भव्य भवन हो या झोपड़ी, उसमें व्यक्तित्व विकास का यज्ञ हमेशा ही चलता रहता है)

समाज का निर्माण मनुष्य ही करते हैं। ठीक उसी तरह, यदि परिवार के सदस्य मिलकर एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, तो घर का निर्माण होता है। हमारा घर एक मन्दिर के समान होता है। हम सभी ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए मन्दिर और मस्जिद जाते हैं। हमारे घरों में भी ईश्वर के समान बड़े-बुजुर्ग होते हैं, जो इसमें अच्छे संस्कार डालकर आशीर्वाद देते हैं। घर का भव्य भवन हो या झोपड़ी, उसमें व्यक्तित्व विकास का यज्ञ हमेशा ही चलता रहता है। इसीलिए हमारा घर मन्दिर व मस्जिद के समान ही है।

व्यक्ति किसी पद पर अथवा अपना व्यवसाय चलाते हैं, हर स्थिति में इनकी भाषा शैली से व्यक्ति में घर के संस्कार झलकते हैं। यदि व्यक्ति बातचीत के दौरान कटु भाषा का प्रयोग करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति इसके लिए व्यक्ति के घर में दिये गए संस्कार को दोषी ठहरा सकता है। इसका तात्पर्य यही है कि व्यक्ति की पहचान घर ही निर्धारित करता है। इसलिए न केवल घर में, बल्कि घर के बाहर भी व्यक्ति को मृदु-वाणी का प्रयोग करना चाहिए। यह सम्भव है कि व्यक्ति को कभी-कभी परिस्थिति वश कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन घर में प्रवेश करते ही व्यक्ति को सावधान इसलिए हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ उम्र में छोटे सदस्य भी रहते हैं, जिन पर व्यक्ति के आचार-व्यवहार का बुरा प्रभाव पड़ता है।

हिन्दू समुदाय के मन्दिर व मुस्लिम समुदाय की मस्जिद में सर्वप्रथम स्वच्छता और साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाता है और इसके लिए व्यक्ति जूते, चप्पल मन्दिर एवं मस्जिद के बाहर उतारने के बाद ही मन्दिर या मस्जिद में प्रवेश करते हैं। ठीक ऐसे ही व्यक्ति को अपने घर को भी स्वच्छ रखना चाहिए। यदि बाहर की गन्दगी का प्रवेश घर में हो जाय, तो आसानी से बीमारी फैल सकती है। दूसरी ओर, यदि व्यक्ति घर के बाहर जूते-चप्पल उतारते हैं, तो इसके पीछे गूढ़ तथ्य छिपा होता है। दरअसल, चूँकि व्यक्ति अपना पद, व्यवसाय, उद्योग आदि अहंकार जूते-चप्पल के साथ बाहर छोड़ कर आते हैं, इसीलिए घर एक मन्दिर बन जाता है और वहाँ सुख-शांति की घंटियाँ बजने लगती हैं।

मन्दिर एवं मस्जिद के चारो-ओर शांति ही शांति होती है। हाँ पवित्र आरती और नमाज़ की सुन्दर ध्वनि अवश्य सुनाई देती है। यहाँ न केवल नमाज़ एवं पूजा-पाठ होता है, बल्कि स्तुति व प्रार्थनाएँ भी गाई जाती हैं। व्यक्ति का घर भी यज्ञ स्थल के समान है यहाँ अतिथि देवता-पूरे के समान माने जाते हैं। मन्दिर व मस्जिद की तरह स्थल है घर। और इसीलिए इसके प्रत्येक कोने को व्यक्ति स्वच्छ रखते हैं। रसोईघर, शयनकक्ष, बैठकघर और भण्डार घर सब जगह व्यक्ति नियमित साफ-सफाई करते हैं। इसीलिए कीड़े, मकोड़े, मच्छरों आदि का यहाँ कोई स्थान नहीं होता। स्वच्छता और पवित्रता के अभाव में व्यक्ति का घर बीमारी, आलस्य और उदासीनता का अंग बन सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार, घर में टूटी-फूटी अनुपयोगी वस्तु के कारण ही व्यक्ति अशान्त रहते हैं। इसीलिए पवित्र त्यौहारों पर व्यक्ति घर की सफाई की जाती है, जिस प्रकार मन्दिर में टूटी-फूटी मूर्तियों की कल्पना करना बेमानी है।

हिन्दू समुदाय के मन्दिर व मुस्लिम समुदाय की मस्जिद वह जगह है, जहाँ प्रवेश पाते ही व्यक्ति इसलिए भी बदल जाता है, क्योंकि व्यक्ति को यहाँ शांति मिलती है। व्यक्ति का घर भी वास्तव में ऐसी ही जगह है, जहाँ प्रवेश करते ही सुखद अनुभव होता है और व्यक्ति को असीम शांति मिलती है। घर के शांति वातावरण में सरलता, क्षमा, सहयोग, प्रेम, दया, मैत्री आदि जैसे पवित्र सद्गुण पनपते हैं। ये गुण पुष्प के समान हैं, जो घर के मन्दिर को सुगन्धित बनाते हैं और उसे पवित्र स्थान में तब्दील करते हैं। घर को मन्दिर या मस्जिद के समान पवित्र बनाये रखने का दायित्व घर के प्रत्येक सदस्य पर होता है। व्यक्ति प्रेम, सेवा, त्याग, अपनत्व, सहयोग के बल पर ही अपनी जिम्मेदारी की पूर्ति कर सकते हैं। भगवद्गीता के बारहवें अध्याय के श्लोक 13 और 14 में भक्त के गुणों के बारे में कहा गया है कि भक्त को अहंकार रहित, दयालु, मित्रभाव वाला, दृढ़ निश्चयी, क्षमाशील, सन्तुष्ट, सुख-दुःख में सम द्वेष भाव से रहित होना चाहिए। यदि घर के सदस्यों में ये सारे गुण न हों, तो परिवार चल ही नहीं सकता। इसीलिए व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए कि इन्हीं गुणों के आधार पर ही ईश्वर की प्राप्ति का कोई मार्ग मिल सकता है। और सारी बजहें हैं, जिनके लिए व्यक्ति अपने घर को न मन्दिर-मस्जिद की तरह पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसे सजाते भी रहते हैं।

हिन्दू एवं मुस्लिम समुदाय तथा धर्म

लैटिन भाषा के 'Com' एवं 'Munis' दो शब्दों से मिलकर निर्मित 'Community' शब्द का अर्थ सेवा करना, बिरादरी, लोक समाज है। व्यक्तियों का ऐसा संगठन या संग्रह को समुदाय कहा जाता है जिसके सदस्य अपनी प्रतिदिन की क्रियाओं के सम्पादन हेतु एक सामान्य भू-भाग को सहयोगियों के रूप में प्रयोग करते हैं 'हम भावना' प्रबल रूप से विद्यमान रहती है।

समुदाय के अन्तर्गत व्यक्तियों के समूह का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है तथा उस क्षेत्र में सामान्य भाषा एवं संस्कृति का प्रादुर्भाव एवं विशिष्ट व्यक्तियों तथा सदस्यों की अनिवार्यता और उनका स्वतः विकास होता रहता है, जिससे सामान्यतः समुदाय आत्म निर्भर होते हैं, क्योंकि समुदाय के व्यक्ति प्रयत्न करते हैं कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करें। चूँकि व्यक्तियों का समूह समुदाय की स्थापना करता है। इसलिए समुदाय मूर्तिमान होता है। इनकी अपनी सामाजिक संस्थाएँ और समितियाँ होती हैं, जिनके माध्यम से वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह इसका सदस्य जन्म लेते ही बन जाता है। यदि वह समुदाय का सदस्य न बनना चाहे, तो भी उसे अनिवार्यता बनाना ही पड़ता है। यद्यपि आधुनिक युग में आवागमन अन्य समाजों की सुविधा के कारण क्षेत्रों में वृद्धि होती जा रही है, फिर भी समुदायों के व्यक्ति एक क्षेत्र विशेष के ही कहलाते हैं। एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की एक भाषा और संस्कृति होती है। इनके रहन-सहन, वेशभूषा, खानपान, परम्परायें आदि भी एक समान होती हैं और प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, जिसके आधार पर वह अपने को अन्य समुदायों से पृथक करता है। समुदाय की स्थापना नहीं की जाती बल्कि व्यक्तियों के समूह से समुदाय स्थापित होते हैं और इसका स्वतः विकास होता है। किसी क्षेत्र के आरम्भ में बहुत थोड़े से व्यक्ति रहते हैं, फिर धीरे-धीरे उनकी संख्या में वृद्धि होती जाती है। एक क्षेत्र में रहने के कारण इनमें सद्भावना भी पायी जाती है, जिससे सामान्यतः समुदाय आत्म निर्भर होते हैं और समुदाय के व्यक्ति अपने प्रयत्नों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करते हैं।

प्रत्येक समाज के कुछ लोग दूसरों के लिए जीवित रहते हैं। इन्हीं परोपकारियों ने हिन्दू एवं मुस्लिम समुदायों की स्थापना की है। हिन्दू एवं मुस्लिम समुदायों का कार्य निर्धनों, अपाहिजों, विपदाग्रस्त, बेकार लोगों की सहायता करके अपने-अपने समुदाय के लोगों की सुख-सुविधाओं एवं समृद्धि के विकास हेतु कल्याणकारी कार्य करके समाज को विकासोन्मुख दिशा प्रदान की है।

आदिम युगीन समाज में व्यक्ति का जीवन बंजारों की तरह था। वह घुमक्कड़ था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्य पदार्थ की खोज में घूमा करता था। जब उसने एक स्थान पर रहने की आदत डाली तो अनेक चीजों का विकास स्वतः होने लगा। उसने पर्यावरण से अनुकूलन करने का प्रयास किया। प्रकृति के क्रिया-कलापों और घटनाओं में वह किसी अदृश्य शक्तियों की कल्पना करने लगा। कृषि में विकास के साथ संस्कृति का विकास व्यवस्थित रूप से हमारे समाज में विकसित हुआ है। अनेक प्रकार के संगठनों, संस्थाओं, परम्पराओं, रीति-रिवाजों का भी विकास इसी युग में हुआ तभी संस्कृति को स्थायित्व प्राप्त हुआ। अन्ततः यह संस्कृति व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन गई।

संस्कृति का प्रतिमान और संरचना परम्पराओं से निर्मित होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती रहती है। संस्कृति किसी समाज और देश के व्यक्ति की महानता को दर्शाती है। इसीलिए संस्कृति व्यक्ति के जीवन शैली को गढ़ती है। उसकी भाषा, खान-पान, रहन-सहन, आदत, स्वभाव, व्यवहार करने का ढंग सोचने का ढंग वस्तुओं के प्रति आस्था, विश्वास, कार्य करने का ढंग भी व्यक्ति संस्कृति में ही सीखता है। ये सभी चीजें व्यक्ति को विरासत के रूप में मिलती हैं। इसीलिए भिन्न-भिन्न संस्कृतियों वाले व्यक्तियों का व्यवहार, आदत, रहन-सहन, परम्पराएँ पृथक-पृथक होते हैं। इसके बावजूद भी वह एक समाज एवं एक देश में साथ-साथ रहते हैं और एक-दूसरे के कार्यों में सहयोगी बनते हैं। विश्व में अनेक प्राचीनतम संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यूनान और रोम संस्कृति के प्रतीक नहीं माने जाते हैं वरन् भारत में उपलब्ध सामग्री जो विभिन्न खातों से प्राप्त हुई है, यह भारतीय संस्कृति की शताब्दियों पूर्व का इतिहास बताती है। भारत की प्राचीन गाथाएँ मोहन-जोदड़ो और हड़प्पा से पूर्व की संस्कृति के अवशेष इस तथ्य के प्रतीक हैं कि भारत अति प्राचीन देश है और उसकी संस्कृति उतनी ही प्राचीन है। इस प्राचीनतम संस्कृति के लिए यह कहना अत्यन्त कठिन है कि कौन-कौन सी प्रजातियों, जातियों, धर्मों सम्प्रदायों के तत्त्व इस संस्कृति में विद्यमान हैं, जो असंख्य विदेशी आर्य और अनार्य, हिन्दू एवं मुस्लिम जो यहाँ आये वे भारत की संस्कृति में घुल-मिलकर एक हो गये एवं उनकी अन्य कोई पृथक पहचान न होकर भारतीय संस्कृति के अंग हैं।

भारतीय समाज ने सभी संस्कृति, धर्म और सम्प्रदाय का आदर किया है। इनके गुणों एवं विशेषताओं को अपने में ढालकर अपना बनाया है। यही कारण है कि भारत में बसने वाले लोग भारत को अपना देश मानते हैं। अपनी संस्कृति को भारत के अंग के रूप में देखते हैं। यह विविधता में एकता का उदाहरण है। वास्तव में विविधता बाह्य गुण है, किन्तु आन्तरिक गुणों और विशेषताओं ने सभी को एक सूत्र में बाँध रखा है। अंततः सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति की तस्वीर में एकता झलकती है।

प्रत्येक सभ्य समाज में मतभेद तथा उससे उत्पन्न समुदाय भेद अथवा बहुलता स्वाभाविक रूप से होते हैं। इसका मूल कारण मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति तथा रुचियों में भेद होता है। स्वभाव से कोई व्यक्ति ज्ञान-प्रधान, कोई कर्म-प्रधान तथा कोई भक्ति-प्रधान होता है। इसके साथ ही समय भेद तथा स्थान भेद से भी मनुष्यों की प्रवृत्तियों में भेद दृष्टिगोचर होता है। यह समुदाय भेद स्वाभाविक होने के कारण एक सीमा तक व्यक्तियों की सत्प्रवृत्तियों के विकास में साधन का कार्य करता है। परन्तु यह तभी सम्भव है, जब विभिन्न समुदायों

के व्यक्तियों के समक्ष ऐसा कोई उच्चतर आदर्श हो जो उन सबको संगठित तथा सम्मिलित रहने की प्रेरणा दे सके।

हिन्दू समुदाय हिन्दू संस्कृति में चिरकाल से सहिष्णुता की भावना व्याप्त रही है। जो दूसरों की परिस्थितियों को समझते हुए तथा विचार विभिन्न होते हुए भी सहिष्णु है, समस्त जीवों के प्रति उदार हैं। समस्त मनुष्यों को समान समझते हुए उनके प्रति प्रेमभाव रखती है। श्रुतिओं तथा स्मृतियों में परस्पर विभिन्न मत पाये जाते हैं। जैसा कि यथर्ववेद में कहा गया है:—

“सहृदये सामजस्यविद्वेष कृणोमिः वः। अन्योऽन्यभिन्नश्रत वत्संजातनिवाहन्त्या।।”

“आप सबके मध्य में द्वेष को हटाकर मैं सहृदयता सामजस्कता का प्रचार करता हूँ। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को प्यार करती है, उसी प्रकार आप सब एक दूसरे से प्रेम करें।”

स्पष्ट है कि हिन्दू संस्कृति संकुचित नहीं है। वह यह स्वीकार करती है कि प्रत्येक मनुष्य का दृष्टिकोण विचार, अनुभव, अभ्यास, ज्ञान, रुचि तथा संस्कार भिन्न-भिन्न होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अन्य लोगों के प्रति उदार रहना चाहिए।

हिन्दू संस्कृति नैतिकता एवं मानव का कल्याण की सीमा के अन्दर सभी समुदायों का सम्मान करती है, उनको अपना उपकरण तथा पूरक मानती है। अतएव हिन्दू संस्कृति समुदायों से पृथक् नहीं है। इसी कारण हिन्दू-संस्कृति के अनुसार समुदायों का पारस्परिक सम्बन्ध आदर पूर्ण तथा सौहार्द पूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार हिन्दू संस्कृति की समुदायिक भावना ही विभिन्न समुदायों में परस्पर संघर्ष की भावना को नष्ट करके उन्हें अपने विशुद्ध कर्तव्य-पालन के लिए प्रेरित करती है।

हिन्दू समुदाय का धर्म बहुत व्यापक है। उसके धर्म ग्रंथ भी बहुत से हैं। उनमें उपनिषद्, महाभारत, गीता, रामायण, मनुस्मृति, भागवत, पुराण आदि बहुत प्रसिद्ध हैं।

हिन्दू समुदाय में उपासना की खुली छूट है। यहाँ ब्रह्म, ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, गणपति, हनुमान आदि को ही नहीं, 33 करोड़ देवी-देवताओं की उपासना का विधान है। साकार उपासना भी चलती है और निराकार भी। सगुण भी और निर्गुण भी। इष्ट-देवता की पूजा की जाती है, कुल देवता और ग्राम देवता की भी। तपस्या भी की जाती है, ध्यान भी किया जाता है। नाम जप भी किया जाता है और कथा-कीर्तन भी किया जाता है। कोई ‘ऊँ ऊँ’ जपता है तो कोई ‘राम राम’। कोई ‘हरे राम हरे राम राम, राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे’ जपता है, कोई ‘ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय’। कोई ‘शिव शिव’ जपता है, कोई ‘तारा तारा’। कोई ‘हनुमते नमः’ जपता है, कोई ‘दुर्गाय नमः’। जिसे जो भाता है, उसी की वह भक्ति और पूजा करता है। पवित्रता को लेकर खान-पान, छुआ-छूत, उठने-बैठने आदि के बहुत से नियम बने हैं। जो उन नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें लोग आचार-भूषट मानते हैं।

हिन्दू समुदाय की मान्यता है कि धर्म के नियमों का पालन करने से, आचार-व्यवहार से, पूजा-उपासना और तीर्थ यात्रा से मोक्ष मिलता है। सत्य, प्रेम, करुणा, दान और सेवा पर हिन्दू धर्म में बहुत जोर दिया गया है। छोटे से लेकर बड़े तक, हर प्राणी का आदर करने को कहा गया है। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, चिड़ियों को दाना, गौ को घास देने तथा तुलसी को जल चढ़ाना आवश्यक बताया गया है। इस तरह सारे पृथ्वी जगत से, सारी सृष्टि से प्रेम करने का हिन्दू समुदाय के धर्म का विधान है।

हिन्दू समुदाय में स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, पुष्प, धूप, नैवेद्य, आरती, पूजा आदि को षोडशोपचार विधान है। ऋग्वेद के पुरुष-सूत्र के 16 मंत्रों से पूजा की जाती है। देवता, गुरु, माता-पिता, गंगा, गो, ब्राह्मण, साधु-सन्तों आदि की पूजा का भी विधान है। ‘यज्ञोपवीत’ परम पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष और तुलसी की माला, तिलक, कमण्डलु दण्ड, भस्म आदि को पवित्र माना जाता है।

हिन्दू समुदाय प्रयाग, काशी, मथुरा, बदरी, केदार, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम्, गया आदि अनेक तीर्थ मानते हैं। विश्वनाथ, चिदम्बरम्, तंजीर, कोजीवरम्, श्रीरंगम्, तिरुपति, मीनाक्षी आदि के मन्दिरों का दर्शन करने में पुण्य मानते हैं।

हिन्दू समुदाय में किसी भी शुभ कार्य का आरम्भ करने से पूर्व गणेश जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता व रिद्धि-सिद्धि का भी स्वामी कहा जाता है। हिन्दू समुदाय की धारणा है कि गणेश जी का स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से कामनाओं की पूर्ति व विघ्नों का विनाश होता है। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले बुद्धि के अधिष्ठाता और साक्षात् प्रणव रूप हैं। प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व ‘श्री गणेशाय नमः’ का उच्चारण कर उनकी स्तुति में यह मन्त्र कहा जाता है—

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभः। निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।।

हिन्दू समुदाय में मान्यता है कि, गणेश जी विद्या के देवता हैं। साधना में उच्च स्तरीय दूरदर्शिता आ जाए, उचित-अनुचित, कर्तव्य-अकर्तव्य-की पहचान हो जाए, इसीलिए हिन्दू समुदाय के शुभ कार्यों में गणेश पूजन का विधान है।

हिन्दू धर्म की संस्कृति का मूलभूत उद्देश्य श्रेष्ठ संस्कारवान मानव का निर्माण करना है। हिन्दूओं में धारणा है कि सामाजिक दृष्टि से सुख-समृद्धि और भौतिक ऐश्वर्य आवश्यक है, किंतु जीवन केवल खाने-पीने व मौज-मस्ती करने के लिए नहीं है, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं है। हिन्दू समुदाय के ऋषियों ने भौतिक उन्नति के लिए स्वयं को तैयार रखने की क्रिया का नाम ही संस्कार दिया है। वेद, पुराणों एवं धर्मशास्त्रों में शिशु के गर्भ में प्रवेश करने से लेकर जीवन के विभिन्न अवसरों व अन्ततः शरीर छोड़ने तक विविध संस्कारों का विधान है। संस्कारों से व्यक्ति के मन में विकार नष्ट होते हैं तथा व्यक्तित्व प्रभावशाली और जीवन आनन्दपूर्ण बनता है।

हिन्दू त्यौहारों पर पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों में जब यजमान को आसन पर बैठाया जाता है, तो सबसे पहले उस पर जल छिड़कते हुए पुरोहित यह मन्त्र उच्चारण करते हैं।

ऊँ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वासस्थां गतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सः बाह्याभ्यान्तरः शुचिः।

अर्थात् चाहे अपवित्र हो या पवित्र किसी अवस्था में हो, यदि वह विष्णु भगवान को याद कर ले, तो पवित्र हो जाता है।

हिन्दू समुदाय में प्रत्येक धार्मिक तथा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलित करने की परम्परा है। ऐसी मान्यता है कि अग्नि देव को साक्षी मानकर उनकी उपस्थिति में किए गए कार्य अवश्य ही सफल होते हैं। दूसरे अग्नि पृथ्वी पर सूर्य का परिवर्तित रूप है। इसीलिए किसी भी देवी-देवता के पूजन के समय ऊर्जा को केन्द्रीय-भूत करने के लिए दीपक प्रज्ज्वलित किया जाता है।

हिन्दू समुदाय के धार्मिक कर्म में मौलि या कलावा बाँधने की प्रथा है। इनकी मान्यता है कि कलावा बाँधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्त, विष्णु की कृपा से रक्षा बल मिलता है तथा महेश दुर्गुणों का विनाश करते हैं। इसी तरह लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शांति एवं प्रशासन करने की दक्षता एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। मौलि या कलावा बाँधने की परम्परा तब से मानी जाती है, जब से दान देने में अग्रणी राजा बलि की अमरता हेतु बामन भगवान ने उनकी कलाई पर यह रक्षा सूत्र बाँधा था।

हिन्दू समुदाय के पूजा-पाठ एवं कर्म-काण्डों में संकल्प अनिवार्य है। व्यवहारिकता के आधार पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज तक जितने भी कार्य सिद्ध हुए हैं, उनमें व्यक्ति की साधना और संकल्प का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संकल्पवान व्यक्ति ही किसी भी प्रकार की सिद्ध का हकदार है और अपने लक्ष्य को पाने की योग्यता रखता है। वह जिस कार्य को हाथ में लेता है, उसे पूरे मन और बुद्धि से पूर्ण करने के लिए अडिग व एकनिष्ठ होता है। पुरोहित संकल्प के द्वारा जल ग्रहण कराते हैं, ताकि जिस कार्य को यजमान करने जा रहा है, उस कार्य को पूरा करने में प्रभु उसकी पूर्ण मदद करें, क्योंकि यह उसके प्रति संकल्पबद्ध है। चूँकि जल में वरुण देव का निवास माना गया है। अतः उसे ग्रहण कर संकल्प पालन न करने वाले को वे कठोर दण्ड देते हैं। वेद में लिखा है—‘आसु वै वरुण’ (तैत्तिरीय 16/3/6) तथा अमृते खलु वै क्रियमाणे वरुणो ग्रहयाति (तैत्तिरीय 1/7/2/6)। इसी प्रकार जीवन में जल का विशेष महत्त्व है। हिन्दू समुदाय के धर्मानुष्ठानों के अलावा मरणोपरान्त पितृ-तर्पण में भी जल की विशेष आवश्यकता होती है।

हिन्दू समुदाय के मन्दिरों में प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सायंकाल आरती के पश्चात् भगवान का पंचामृत दिया जाता है। पंचामृत का जल हमेशा ताँबे के पात्र में रखने का विधान है, क्योंकि आयुर्वेदिक मतानुसार ताँबे में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसका जल मेधा, बुद्धि, स्मरण शक्ति बढ़ाता है। इसमें तुलसीदल डालने के पीछे यह मान्यता है कि तुलसी का पत्ता महौषधि है। इसमें न केवल रोग नाशक गुण होते हैं, बल्कि कीटाणु नाशक शक्ति भी होती है। शुभ कार्यों में नवग्रहों का पूजन करने का विधान है। मान्यता है कि आकाश में विद्यमान नवग्रह सूर्य, चन्द्र, ब्रह्मस्पति, शुक्र, केतु, मंगल, बुध, शनि और राहु मिलकर संसार और मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को नियन्त्रित करते हैं। इसीलिए हिन्दू समुदाय जब कोई शुभ कार्य, पूजा-पाठ, अनुष्ठान प्रारम्भ करते हैं, तो सबसे पहले नवग्रह यानी नौ ग्रहों का पूजन करते हैं, ताकि उनके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके।

सूर्य की उपासना में अर्घ्य (जल) दिया जाता है। हिन्दू समुदाय की मान्यता है कि सूर्य की उपासना के बिना किसी का कल्याण सम्भव नहीं है, भले ही अमरत्व प्राप्त करने वाले देव क्यों न हों। संक्रान्ति एवं सूर्य षष्ठी के अवसर पर सूर्य की उपासना का विशेष विधान बनाया गया है। प्रतिदिन प्रातःकाल रक्त-चंदन से मण्डल बनाकर ताँबे के लोटे में जल, लाल चन्दन, चावल, लाल फूल और कुश आदि रखकर घुटने टेक कर प्रसन्न मन से सूर्य की ओर मुख करके कलश को छाती के समक्ष बीचों-बीच लाकर सूर्य मन्त्र, गायत्री मन्त्र का जाप करते हुए जल की धारा धीरे-धीरे प्रवाहित कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है।

हिन्दू समुदाय में मूर्तिपूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा में शक्ति या अधिष्ठान किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हिन्दू समुदाय की मान्यता है कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में उनकी आत्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। इनकी उपेक्षा करके जो लोग पूजा का ढोंग करते हैं, वह बिडम्बना मात्र है। मूर्तिपूजा का सम्बन्ध भाव को जाग्रत करने से है। इसीलिए मूर्तिपूजा की जाती है।

धार्मिक आयोजन या संस्कार बिना तिलक के पूर्ण नहीं माना जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इसका प्रयोग किया जाता है। देवी-देवताओं, योगियों, सन्तों और महात्माओं के मस्तक पर हमेशा तिलक लगा मिलता है तथा आम लोगों में धार्मिक आयोजनों, पूजापाठ, संस्कारों के अवसरों पर तिलक लगाने का प्रचलन है। पूजा-पाठ, उत्सव, हवन, विजयोत्सव, आगमन, राज्याभिषेक आदि शुभ कार्यों में शंख बजाना शुभ माना जाता है। मन्दिरों में सुबह और शाम के समय आरती में शंख बजाने का विधान है। शंखनाद के बिना पूजा-अर्चना अधूरी मानी जाती है। हिन्दू जिस मंदिर से घण्टा-घड़ियाल बजने की नियमित ध्वनि आती रहती है, उसे जाग्रतदेव मन्दिर कहा जाता है। मन्दिरों के प्रवेश द्वार पर घण्टे लगाये जाते हैं, ताकि प्रभु का दर्शनार्थी इसे बजा कर अपने आने की सूचना दर्ज करा सके। आरती के समय घटा-घड़ियाल बजने से जो लोग मन्दिर के आसपास होते हैं, उन्हें भी यह पता चल जाता है कि पूजा-आरती का समय हो गया है। ऐसा माना जाता है कि घण्टा बजने से मन्दिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के देवता जाग्रत हो जाते हैं, अन्यथा जब कोई उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वे अपनी समाधि में डूबे रह सकते हैं, ऐसे में की गई पूजा, प्रार्थना प्रभावशाली नहीं होगी।

पर्व और त्यौहार हिन्दू समुदाय की सभ्यता और संस्कृति का दर्पण होते हैं। हमारे तत्त्ववेत्ता, ऋषि-महर्षियों ने पर्वों और त्यौहारों की व्यवस्था इसलिए की है कि महान व्यक्तियों के चरित्र और घटनाओं का प्रकाश जनमानस में पहुँचे और उनमें धर्म धारण, कर्तव्यनिष्ठा, परमार्थ, लोक मंगल, देश भक्ति की सम्भावनाएँ विकसित हो। महान लोगों के मार्ग निर्देशन से समाज समुन्नत और विकसित बने। हिन्दू समुदाय में रक्षा बन्धन, दशहरा, दीपावली, होली, गंगा दशहरा इसीलिए मनाये जाते हैं। पर्व और त्यौहारों में मनुष्य और मनुष्य के बीच, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया गया है, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्माण्ड के कल्याण से जोड़ दिया है। इसमें लौकिक कार्यों के साथ ही धार्मिक तत्वों का ऐसा समावेश किया गया है कि जिसने लोगों को न केवल उनके जीवन निर्माण में सहायता मिले, बल्कि समाज में भी उन्नति होती रहे। त्यौहार एवं उत्सव धर्म और आध्यात्मिक भावों को उजागर कर परलोक सुधार की प्रेरणा भी देते हैं। इस प्रकार हिन्दू समुदाय की आध्यात्मिक उन्नति में भी ये सहायक होते हैं।

हिन्दू समुदाय में उपासना में युगल रूप का बड़ा महत्त्व है। अवतारों में विष्णु-लक्ष्मी, ब्रह्मा-ब्रह्माणी, शंकर-पार्वती, राम-सीता एवं

श्रीकृष्ण-राधा के युगरूप उपास्य बने हैं। नर-नारी की प्रतीकात्मकता इन अवतार-युगलों में विद्यमान है। इसे सांख्यवादी पुरुष-प्रकृति का रूप माना जाता है। भक्ति-भावना के उपासकों एवं निर्गुण-सगुणवादी सन्तों के लिए ये ब्रह्म के रूप भी हैं। यह युगलोपासना पारिवारिक सुख-समृद्धि की चेतना की परिचायक है। सभी देव-देवियों की संतानों और पारिवारिक ऐश्वर्य एवं मंगलमय जीवन का चित्रण भी हिन्दू समुदाय में विद्यमान है।

मुस्लिम समुदाय अल्लाह और उसके पैगम्बर हज़रत मुहम्मद साहब पर विश्वास करने वाले 'मुसलमान' कहलाते हैं। उनका धर्म है 'ईमान'। इस्लाम के पाँच स्तम्भ हैं:— **ईमान, नमाज़, रोज़ा, जकात और हज़**।

मुस्लिम समुदाय वह संगठन है, जिसमें एक पति उसकी पत्नी तथा बच्चे परिवार इस्लाम धर्म को मानने वाले सम्मिलित किये जाते हैं। समुदाय का स्वरूप इस्लामिक-सत्तात्मक होता है। समुदाय के सभी सदस्य साधारणतया एक परिवार के रूप में संगठित रहकर साथ-साथ खाना खाते तथा एक ही देवता 'अल्लाह' की उपासना करते हैं। मुस्लिम समुदाय की स्थापना 'इस्लाम-धर्म' के प्रमुख सिद्धान्तों पर आधारित है। 'कुरान शरीफ' मुसलमानों का धर्म ग्रन्थ है उसमें मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित तथा संगठित करने के लिए विभिन्न नीतियों का उल्लेख किया गया है। मुस्लिम समुदाय के ऊपर हिन्दू समुदाय का व्यापक असर पड़ा है। यह मुस्लिम समुदाय की विशेषता रही है कि समय और स्थान के साथ-साथ इसने अपने में मूलभूत संशोधन किया है।

भारतीय मुसलमानों ने संयुक्त-परिवार प्रणाली को अपनाया, बाल विवाह प्रथा का प्रारम्भ किया। इसका प्रमुख कारण यह है कि अधिकांश मुसलमान पहले हिन्दू थे, जो धर्म परिवर्तन के बाद मुसलमान बने हैं। यही एक कारण था, जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम परिवार-व्यवस्था हिन्दू परिवार व्यवस्था से पूर्णतया अलग नहीं हो सके। भारतीय मुसलमानों का बहुसंख्यक भाग अरब देश अथवा संसार के अन्य किसी भाग में इस्लाम बन्धुओं की अपेक्षा हिन्दुओं में अधिक सदृश्य रखता है। उन हिन्दुओं ने जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, इस्लाम को मानते हुए भी अपने प्राचीन धार्मिक विश्वासों तथा सामाजिक व्यवहारों का परित्याग नहीं किया।

मुस्लिम समुदाय के लोगों के परिवार का आकार सामान्यता बड़ा होता है क्योंकि एक पति चार पत्नियों तक को रख सकता है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न सन्तानों की संख्या साधारणतया अधिक होती है। परिवार के सभी सदस्य माता, पिता, पुत्र, पुत्री तथा अन्य मिलकर परिवार की संख्या का विस्तार करते हैं। इस विस्तारित स्वरूप से इनका समुदाय भी विस्तारित होता है। समुदाय के सभी सदस्य एक अल्लाह में विश्वास रखते हैं। हज़रत मुहम्मद साहब द्वारा दिये गये उपदेशों का पालन सभी निष्ठा और लगन के साथ करते हैं। 'कुरान' में व्यवहारिक जीवन के लिए विविध विधान बताये गये हैं उसी के अनुरूप सभी आचरण करते हैं।

'कुरान' का मत है कि जो लोग अल्लाह के सन्देश में विश्वास नहीं करते वे दण्ड के भागी होते हैं। अतः धार्मिक विचारों में एकता होने के कारण समुदायिक सुदृढ़ता में भी वृद्धि होती है। मुस्लिम समुदाय की स्त्रियों में पर्दा प्रथा का विशेष चलन है। स्थान परिवर्तन तथा आने-जाने में पर्दे के प्रयोग से सुन्दर स्त्रियों को सुरक्षा मिलती है।

मुस्लिम समुदाय संस्कृति एवं परम्पराओं में आस्था रखता है। संस्कृति की रक्षा एवं परम्पराओं का निर्वाह करना अपना धर्म और कर्तव्य समझता है। पिता द्वारा पुत्र को अपनी पारिवारिक, वैवाहिक एवं सांस्कृतिक परंपराएँ विरासत में दी जाती हैं। एक मुस्लिम अपनी भाषा, रीति-रिवाज, खान-पान, जीवन-शैली जो अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है को बनाये रखने में अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है।

मुस्लिम समुदाय में संस्कारों की प्रधानता है। एक मुस्लिम समाज में रहते हुए अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संस्कारों-सातवाँ, अकीका, चिल्ला, विसमिल्ला, खतना, निकाह, मैयत को पूरा करता है। मुस्लिमों में विवाह एक संविदा है। विवाह के मुख्य उद्देश्य गृहस्थी बसाना, यौन इच्छा पूर्ति एवं सन्तानोत्पादन प्रायः सभी समाजों के समान हैं। शिया अस्थायी विवाह को महत्व देते हैं जबकि सुन्नी इसके विरोधी हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों के मतों में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि शियामत वालों ने इस्लाम धर्म में भावनात्मकता को जन्म दिया, जबकि सुन्नीयों में इसका अभाव पाया जाता है। यही कारण है कि शिया हुसैन की मौत का शोक बड़े करुण ढंग से मनाते हैं।

मुस्लिम समुदाय की धारणा है कि मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगम्बर हैं और अल्लाह अर्थात् ईमान की छोड़कर कोई पूज्य नहीं है। मुस्लिम समुदाय में पाँच बार 'नमाज़' पढ़ने का विधान है। रमजान में 'रोज़ा' रखा जाता है। उस के अन्त में नमाज़ पढ़ी जाती है।

'जकात' गरीबों, अनाथों, स्कूलों, अस्पतालों आदि के लिए दान देना और हर साल के अन्त में ढाई फीसदी दान देना है। 'हज़' मक्का की जियारत करना है। मक्का-मदीना के अलावा अजमेर ख्वाज़ा साहब की दरगाह, दिल्ली की जामामस्जिद, लखनऊ का इमामबाड़ा आदि पवित्र माने जाते हैं। 'कुरान शरीफ' मुस्लिम समुदाय का धर्मग्रन्थ है व 100 मानकों की तहबीह पर अल्लाह का नाम जपा जाता है।

मुहर्रम मुस्लिम कलेण्डर का पहला महीना है। यह मुस्लिम समुदाय और उनमें भी विशेष रूप से शियामत के लोगों के लिए शोकोद्गार का त्यौहार है। साउदी अरब में मक्का में कर्बला की दुःखान्त घटना के शोक में मुहर्रम का त्यौहार बड़े ही आकर्षक रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर विविध रंग-रूप वाले ताजिये बनाए जाते हैं। लकड़ी, बाँस तथा चाँदी से निर्मित और कीमती धातुओं तथा रंग-बिरंगे कागजों से सुसज्जित ये ताजिये हज़रत इमाम हुसैन के मकबरे के प्रतीक के रूप में होते हैं। जुलूस प्रदर्शन में इमाम हुसैन के सैन्यबल के प्रतीक स्वरूप कुछ लोग अनेक विधि शास्त्रों के साथ युद्ध की कलाबाजियों प्रदर्शित करते हैं। मुहर्रम के जुलूस में लोग इमाम हुसैन के प्रति अपनी संवेदना दर्शाने के लिए बाजों पर शोक-ध्वनि बजाते हैं और शोक-गीत (मर्शिया) गाते हैं। लोग शोकाकुल होकर आँसू बहाते हुए विलाफ करते हैं तथा अपनी छाती पीटकर, 'हाय हुसैन' के आर्त स्वर में पूरे वातावरण को गमगीन बना देते हैं।

मुस्लिम समुदाय में रमजान की पवित्रता इसलिए है कि हज़रत जिब्राइल इसी रमजान के महीने में अल्लाह के द्वारा पृथ्वी पर भेजे गये थे। इन्हीं के माध्यम से अल्लाह के द्वारा प्रेषित पावन ग्रन्थ 'कुरान शरीफ' मुहम्मद साहब को उस समय हस्तगत हुआ था, जब वे मक्का

में कठोर तपस्या कर रहे थे। रमजान माह के प्रथम दिन से रमजान पर्व प्रारम्भ हो जाता है। लोग रमजान के दौरान पूरे दिन उपवास कर अपने को दुप्रवृत्तियों से दूर रखते हैं। इस पवित्र महीने में सूर्योदय से पूर्व अल्पाहार करते हैं तथा दिन भर शुभ विचारों और धार्मिक भावनाओं में मन को केन्द्रित कर दृढ़ संकल्पों के साथ मस्जिदों में 'कुरान की आयतों' का पाठ करते हैं। इस प्रकार रमजान महीने में कठोर उपवास, कुरान-पाठ, आत्म नियन्त्रण, परस्पर भाईचारा आदि के द्वारा नैसर्गिक मानवीय गुणों से ओत-प्रोत हो जाते हैं।

धर्म 'धृज धारणे' धातु से धर्म शब्द की निष्पत्ति होती है। 'धज' धातु का अर्थ है, धारण करना। इसी धातु से 'धर्म' शब्द बना है। अतः धर्म का अर्थ है, धारण करने वाला। **'धार्यत इति धर्मः'**। धर्म एक सार्वभौमिक सामाजिक तथ्य है जो आदिकाल से मानव को प्रभावित करता है। भारतीय संस्कृति में धर्म शब्द अत्यन्त व्यापक है। समस्त जीवन में कर्तव्याकर्तव्य का निर्देश धर्म के सम्बन्ध में कहा गया है—

“धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजा। यत्स्याद धारणसंयुक्तं स धर्म इत्युदाहृतः।।

अर्थात् धर्म सृष्टि का धारण करता है, जो कुछ भी धारणा से युक्त है, वह धर्म है। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 'धृ' शब्द से हुई है, अपना लक्षण धारण करता है, इस अर्थ में धर्म कहलाता है बिना धर्म के सृष्टि एक क्षण भी नहीं चल सकती है। संसार को धारण करने वाले को ही धर्म कहा गया है। आज भी कहा जाता है कि, अग्नि का धर्म यानी अग्नि का स्वभाव है जलना और जलाना। स्वयं भी जलती है और उसकी लपट में जो आ जाये उसे भी जलाती है, तभी तो अग्नि है। जो जलती नहीं जलाती नहीं वह और कुछ हो सकती है, पर अग्नि नहीं। इसी प्रकार बर्फ का धर्म है शीतल होना और शीतल करना। यह उसका स्वभाव है। भारतीय मनीषियों ने धर्म की जो कल्पना की है, वह मनुष्यों को पृथक्-पृथक् समूहों में विभाजित नहीं करती। धर्म सब मनुष्यों के लिए सब कालों में एक ही होता है, वह मानव समाज के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और सद्भावपूर्ण जीवन शैली का विकास करने वाला तत्त्व है।

'धृत्' में 'यन्' प्रत्यय लगाने से धर्म शब्द बनता है, जिसके निम्नलिखित तीन अर्थ होते हैं:

1. जिससे लोक धारण किया जाता है, वह धर्म है।
2. जो लोक को धारण करता है, वह धर्म है।
3. जिसके द्वारा धारण किया जाये, वह धर्म है।

इस प्रकार धर्म का साधारण अर्थ होता है कि जिन विशिष्ट नियमों, आदर्शों, मूल्यों, आचरण प्रतिमानों को मनुष्य के लिए धारण करना व्यक्तिगत उन्नति तथा सामाजिक कल्याण के लिए हितकर होता है, उनका संयुक्त स्वरूप धर्म है। धर्म सर्वजनीन, सर्वव्यापी, सर्वदेशिक और सार्वकालिक होता है। कुदरत का कानून कायम रहता है। हजारों वर्ष पूर्व भी यही कानून काम करता था और आज भी यही कानून काम कर रहा है। हजारों लाखों वर्ष बाद भी यही कानून काम करता रहेगा, क्योंकि यही सत्य है, सनातन धर्म है। धर्म का उद्देश्य भी अभ्युदय (सांसारिक कल्याण) और निश्चयस (मुक्ति) है।

“यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः”

अर्थात् जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हो वही धर्म है। जो धारण करता है, धर्म का आचरण करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। **'धर्मो रक्षति रक्षितः'**। भारत में जो धर्म होता था, वह बहुत बड़ा विज्ञान था, ऋतु था, कुदरत का कानून था। ऋतु विज्ञान को कहते हैं। कुदरत की सच्चाई को ऋतु कहते हैं। धर्म का यह पहला कदम है—शरीर व वाणी से ऐसा कोई काम न करें, जिससे अन्य प्राणियों की सुख-शांति भंग होती हो। क्योंकि ऐसा कोई भी काम करते हुए हम पहले अपनी सुख- शांति को भंग करेंगे। हम पहले अपने आपको दुःखी बनायेंगे तब किसी दूसरे को दुःखी बनायेंगे। यह कुदरत का नियम है। यह ऋतु है, यह धर्म है। धर्म वह मूलतत्त्व है, जिसके आधार पर धर्म की यथार्थता को समझा जा सकता है और जिसके आधार पर वस्तु का अस्तित्व होता है। यही वह मापदण्ड है जो विश्व का धारण करता है। किसी भी व्यक्ति का वह मूल तत्त्व है जिसके कारण वह वस्तु है।

समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने धर्म को एक सामाजिक आदर्श कहा है। स्वर्ग तथा नरक, पवित्र एवं अपवित्र, पाप और पुण्य की धारणा वस्तुतः सामाजिक आदर्श के प्रतिरूप हैं। धर्म की उत्पत्ति समूह के एकत्रित होने पर व्यक्तियों को उस भावात्मक उत्तेजना के परिणाम स्वरूप होती है, जब वे अपने भौतिक दैनिक जीवन के बंधनों से विलग हो जाते हैं। दुर्खीम ने जिस आदर्श पक्ष पर विशेष जोर दिया है, वह एक आदर्श-विश्व का सूचक हैं। धर्म की अभिव्यक्ति वस्तुतः सामूहिक जीवन में होती है। इसीलिए ईश्वर को नैतिक व्यवस्थाओं का संकलित स्वरूप माना जाता है।

धर्म के लक्षण

1. कर्म ही धर्म है।
2. धर्म कल्याणकारी होता है।
3. धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है, दया व दान से वह बढ़ता है, क्षमा में वह निवास करता है और क्रोध से उसका नाश होता है।
4. धर्म समस्त विश्व का आधार या नींव है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति के आचरण की वे समस्त बुराइयाँ दूर हो जाती हैं, जो कि विश्व कल्याण के विपरीत हैं।
5. धर्म वह शाश्वत सत्य है, जो कि सारे संसार पर राज्य करता है।
6. धर्म जो दूसरे धर्म को बाधा दे, वह धर्म नहीं है बल्कि कुधर्म है। जो समस्त धर्मों का अविरোধी है, वही धर्म यथार्थ है।
7. स्वधर्म ही श्रेय है और पराये धर्म का त्याग ही कल्याणकारी है।

8. धर्म ही ऐसा मित्र है जो मरने पर भी जीव के साथ जाता है।

हिन्दू धर्म 'हिन्दू' और 'हिन्दू' शब्द संस्कृत के 'सिन्ध' और 'सिन्धु' से विकसित हुए हैं। वेदों में कई जगह ऐसे प्रमाण हैं, जहाँ 'स' के स्थान पर 'ह' का प्रयोग किया गया है, जैसे 'सरितो' से 'हरितो' और 'सरस्वत्यो' से 'हरस्वत्यो' इत्यादि प्रयोग देखे जा सकते हैं। ईरान में प्राचीन भाषा 'अवेस्तन' (Avestan) में 'सिन्धु' देश हिन्दू के रूप में उपलब्धि है। ईरानी भाषाओं में भारतीय भाषाओं के 'सकार' परिवर्तित होकर 'हकार' हो जाते हैं, जैसे 'सप्ताह', 'मास' और 'केसरी' शब्द क्रमशः 'हप्ता', 'माह' और 'केहरी' हो जाते हैं। ग्रीक और लैटिन में इस शब्द का प्रयोग 'इण्डो', 'इण्डस' (Indo, Indous) के रूप में किया गया है। 'इण्डो' का अर्थ है 'एशिया' भारत की प्रान्तीय भाषाओं में सिन्धु को सिन्ध कहा जाने लगा उसी तरह फारसी में हिन्दू के स्थान पर हिन्द का व्यवहार होने लगा। ईरान देश के पारसी सम्प्रदाय के ग्रन्थ 'शतीर' के अनुसार भारत देश का नाम 'हिन्दू' (हिन्द) था तथा वहाँ के निवासियों को हिन्दी कहा जाता था, आज भी लोग 'सिन्ध' प्रान्त के निवासियों को 'सिन्धी' कहते हैं।

जिन समुदायों वर्गों में शव-दाह (मृत्यु के बाद शव को जलाना) की परम्परा थी, उन्हें 'हिन्दू' माना गया। आर्य समाज ने हिन्दू शब्द की जगह आर्य शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि 'हिन्दू धर्म' को ब्राह्मणों का धर्म समझा जाने लगा था। इसी सोच की प्रतिक्रिया स्वरूप जैन और बौद्ध लोग भी स्वयं को 'हिन्दू' कहलाये जाने से कतराने लगे। फलतः अलग-अलग धर्मों की स्थापना होने लगी। शेष भारतीय भी सर्वप्रथम अपने को 'हिन्दू' न कहकर वैष्णव, शैव, शाक और सिख आदि मानने लगे।

हिन्दू धर्म के अनुसार ईश्वर ही विश्व परम् सत्ता है और हम सभी को उसके अस्तित्व में विश्वास करना चाहिये। प्रत्येक अनुयायी किसी भी रूप में ईश्वर की उपासना करने में स्वतन्त्र है। इसी कारण अनेक विद्वानों के मत हैं कि हिन्दू धर्म एक ईश्वर के साथ-साथ अनेक देवताओं के अस्तित्व में भी विश्वास का समर्थक है। हिन्दू धर्म में कर्म सिद्धान्त में आस्था रखने पर विशेष बल दिया गया है, जिसके अनुसार, मनुष्य का वर्तमान जन्म सब कुछ न होकर अनेक जन्मों की श्रृंखला की एक कड़ी मात्र माना जाता है। आत्मा को अमर मानकर प्रकृति नियमों के अनुसार मृत्यु के बाद प्राणी का फिर जन्म होता है, यही प्राणी का पुनर्जन्म का सिद्धान्त है। किन्तु कर्म सिद्धान्त के अनुसार मानव जीवन बहुत कुछ अपने पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। मनुष्य को कर्म की स्वतन्त्रता है, जो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानता है। जिन मनुष्यों का मन उनके कर्तव्यों का उल्लेख करने के नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, वही सत्कर्म कर सकते हैं। इस प्रकार कर्म सिद्धान्त मनुष्य को अपने कर्तव्य के अनुसार काम करना सिखाता है। हिन्दू धर्म में तीन देवताओं ब्रह्मा (विश्व का सृष्टा), विष्णु (रक्षक) एवं शिव (संहारकर्ता) का विशेष महत्व है तथा वेदों को पवित्र ग्रन्थ और मुक्ति के लिए वैदिक क्रिया विधियों तथा अनुष्ठानों को सम्पन्न करना अनिवार्य बताया गया है। जीव का जीवन मृत्यु अर्थात् आवागमन के चक्र से छुटकारा पाकर मोक्ष अथवा निर्वाण (सम्पूर्ण मुक्ति) प्राप्त करना हिन्दू धर्म का अन्तिम प्रधान लक्ष्य है। परलोक जाने वाले जीव का पथ सरल रहे और उसे कष्ट न हो, उसके लिए हिन्दू धर्म में श्राद्ध और यज्ञों में तर्पणादि कर्मकाण्डों की व्याख्या है। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए पवित्र धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति ही हिन्दू संस्कृति में विवाह संस्कार को पवित्र उद्देश्य माना गया

है। वृद्ध, गो और नारी इन तीनों की पूजा हिन्दू संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। नारी को शक्ति का प्रतीक मानकर यहाँ तक माना गया है कि बिना नारी के कोई यज्ञ सम्पूर्ण नहीं समझा जाता और जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता रमण करते हैं। हिन्दू संस्कृति में गाय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पदार्थों को देने वाली है। पुराण के अनुसार, विश्व में सर्वप्रथम वेद, अग्नि, गाय तथा ब्राह्मण की रचना हुई। यज्ञ अनुष्ठान तथा अन्य अनेक धार्मिक कार्य विधियों में काम आने वाली वस्तुयें हमें गो से मिलती हैं। गाय घी, दूध देने वाली है और विष्णु के पूर्णअवतार श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं की सर्वप्रिय, सहचरी भी है। धर्म ग्रन्थों जैसे अथर्ववेद, ब्रह्माण्ड पुराण, महाभारत, स्कन्द पुराण, परम पुराण एवं भविष्य पुराण में गाय के व्यापक स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि उसके रोम-रोम में देवता निवास करते हैं।

इस्लाम धर्म इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है—अल्लाह के प्रति आत्म समर्पण। अपने आप को अल्लाह के प्रति समर्पित कर देने वाला व्यक्ति मुसलमान कहलाता है। मुसलमानों में इस्लाम धर्म के सम्बन्ध में प्रचलित धारणा के अनुसार, इस्लाम के संस्थापक हज़रत मुहम्मद थे, जिनका जन्म 570 ई. में अरब के मक्का नामक नगर में हुआ था। मुहम्मद साहब ने मूर्तिपूजा का विरोध किया तथा एक 'अल्लाह' की अवधारणा वाले धर्म का उपदेश दिया।

मोहम्मद साहब को एक के बाद एक, कई 'इलहाम' अर्थात् ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुए। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अल्लाह ही एक मात्र ईश्वर है और स्वयं ही ईश्वर के एक मात्र पैगम्बर हैं। उन्होंने लोगों के सामने उन सभी अलौकिक बातों की चर्चा की जो उन्होंने 'इलहाम' के दौरान देखी-सुनी थीं। किन्तु पारस्परिक धार्मिक विश्वास रखने वालों को उनकी ये बातें सारहीन लगीं और इसके कारण बहुत से लोग उनके शत्रु हो गये। अन्त में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 622 ई० में उन्हें मक्का छोड़कर मदीना में शरण लेनी पड़ी। मदीने के निवासियों ने मुहम्मद साहब का हार्दिक स्वागत किया। इस्लाम धर्म के मानने वाले इस धर्म को हिज़री कहते हैं। हिज़रत का अर्थ है, एक स्थान को छोड़ देना। मुस्लिम पंचाँग में यह वर्ष पहला माना जाता है।

इस्लाम के अनुसार, प्रत्येक मनुष्य को अल्लाह और उसके पैगम्बर में आस्था रखनी चाहिए। अल्लाह की इच्छा कि सामने मनुष्य की कोई शक्ति नहीं है। अतः मनुष्य को अल्लाह के आगे झुकना ही श्रेयस्कर है। इस्लाम के अनुसार, एक दिन ऐसा आयेगा, जब अल्लाह के सामने सभी इन्सानों के कर्मों का हिसाब होगा। वह कयामत का दिन होगा और इसी दिन इन्सानों को इस पृथ्वी पर उनके द्वारा किये गये कर्मों का फल मिलेगा।

क़ुरान के अनुसार, सारे संसार के मुसलमानों को अपने को भाई-भाई मानकर आपस में समानता का व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक मुसलमान के लिए पाँच बातें (ईमान, नमाज़, रोजा, जकात और हज़) आवश्यक बतायी गई हैं तथा उन पर अमल करने के लिए आदेश

भी दिये गये हैं।

1. उसे ईश्वर की अखण्डता और मुहम्मद साहब के पैगम्बर होने की घोषणा करनी चाहिए। इसी घोषणा को 'कलमा' पढ़ना कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि 'अल्लाह के अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद उसी के पैगम्बर हैं।
2. उसे प्रतिदिन पाँचबार नमाज़ (प्रार्थना) पढ़नी चाहिए और प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर मस्जिद में नमाज़ पढ़नी चाहिए।
3. उसे निर्धन व्यक्तियों को यह समझकर जकात (दान) देना चाहिए कि वह अल्लाह के प्रति कुछ अर्पित कर रहा है। यह एक पुण्यकार्य है।
4. इस्लाम के पवित्र महीने रमजान में उसे रोजा रखना चाहिए।
5. उसे अपने जीवन काल में अपने समर्थ के अनुसार अथवा कम से कम एक बार हज़ (तीर्थयात्रा) के लिए जाना चाहिए।

'हज़' के लिए प्रत्येक मुसलमान 'काबा' जाता है। 'काबा' मक्का की विशाल मस्जिद में बनी संगमरमर की एक छोटी सी इमारत है, जिसके निर्माण में सच्चे अल्लाह की इबादत में एक पवित्र 'काला पत्थर' भी लगा है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि उसे जन्नत से आदम के साथ धरती पर फेंका गया था तथा 'काबा' के निर्माण के समय जिब्राइल ने उसे इब्राहीम को दिया था। प्रत्येक मुसलमान, जहाँ कहीं भी हो, सदैव काबे की ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ता है।

इस्लाम में कुछ प्रथाओं को निषेध तथा कुछ धार्मिक क्रिया-कलापों को निर्धारित किया गया है। मुहम्मद साहब मूर्तिपूजा के विरोधी थे। इसी कारण मुहम्मद का कोई चित्र अथवा मूर्ति उपलब्ध नहीं है। किसी मुसलमान के लिए सुअर का माँस खाना निषिद्ध है, क्योंकि सुअर एक अपवित्र जानवर है। निकाह एवं तलाक के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इन नियमों को 'शरीयत' कहते हैं, जो वास्तव में मुसलमानों की आचार संहिता है। मुसलमानों का पवित्र ग्रन्थ 'कुरान' है। मुसलमानों का विश्वास है कि अल्लाह के जो शब्द मुहम्मद को देवदूत जिब्राइल द्वारा प्राप्त हुए थे, वे ज्यों के त्यों इसमें लिखे हुए हैं।

इस्लाम में 'आखिरत' का बड़ा महत्व है। इसलिए इस्लाम कर्म-सिद्धान्त और पुनर्जन्म को नहीं मानता, क्योंकि उसकी मान्यता है कि हम इस संसार में पहले कभी नहीं आये और न ही कभी आयेंगे। 'आखिरत' के दिन सभी रुहे जिन्दा होगी और अल्लाह सभी के कार्यों के अनुसार फैसला करेंगे। इसके अतिरिक्त भाग्यवाद में भी इस्लाम की आस्था नहीं है। उसके मतानुसार तकदीर मनुष्य की तदबीर (कर्म) को दुर्बल बनाती है। एक निश्चित अवधि के बाद 'आखिरत' के दिन कयामत (प्रलय) होगी। उस दिन उस समय आकाश कांपने लगेगा और फिर फटकर गुलाबी हो जायेगा। पहाड़ ऊन की तरह उड़ने लगेंगे। ऐसे समय जन्नत के फरिश्ते वाद्य बजायेंगे। इन ध्वनियों की ध्वनि सुनकर रुहें कब्रों से जागेंगी। हर इन्सान के पाप-पुण्य के अनुसार इन्साफ होगा और लोग जन्नत दोजख (स्वर्ग-नरक) भेजे जायेंगे। 'कुरान' का विश्वास है कि मरने के बाद कयामत तक मनुष्य इच्छा के बावजूद दूसरी योनि में जन्म नहीं ले सकता। 'आखिरत' के दिन जब सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, तब जिनकी नेकी का पलड़ा भारी होगा, वो जन्नत (स्वर्ग) जायेंगे तथा जिसके पलड़े हल्के होंगे वे दोजख में जायेंगे। जन्नत में जाने वालों का हर तरह की सुख-सुविधाएँ तथा नर्क में जाने वालों को तरह-तरह के कष्ट दिये जायेंगे। इसी दिन कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा। कोई सिफारिश नहीं चलेगी।

जन्नत प्राप्ति के लिए 'कुरान' ने उत्तम जीवन जीने की आवश्यकता पर बल दिया है। 'कुरान' के अनुसार, सम्पूर्ण मनुष्य-जाति एक समान है। यही इन्सानी समानता इस्लाम धर्म की विशिष्ट भावना है। सामाजिक क्षेत्र में सद्व्यवहार तथा नैतिक आचरण के प्रति 'कुरान' शुरू से आखिर तक सीख देता है। उसके अनुसार, अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह से मदद माँगो और सन्तोष करो। बेईमानी न करो, कंजूसी और अहंकार अल्लाह पसन्द नहीं करता है। शराब और जुए शैतान के काम हैं। वायदा पूरा करो।

सिर्फ भारतीय राजनीति ही साम्प्रदायिक सद्भाव के मोर्चे पर नहीं हारी बल्कि उसकी शिक्षा प्रणाली सभ्यता और संस्कृति भी इसमें नाकाम रही। अंग्रेजों से विरासत में मिला भारतीय इतिहास, मध्यकालीन हिन्दू एवं मुस्लिम राजे-रजवाड़ों की शत्रुता को जनसाधारण की शत्रुता के रूप में परिणित कर नई भावी पीढ़ी के मन को प्रदूषित करती है। यदि इस इतिहास को सही तरह से लिखा जाता, तो वह इतिहास शिक्षा और समझदारी का साधन बनता, पर ऐसा न हुआ। मुसलमान शासन के रूप में औरंगजेब शासक बना। हम अकबर जैसे उदार शासकों और अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खानखाना, रसखान, निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा सलीम चिश्ती को भूल गये। आधुनिक युग में भी मुसलमानों के नायक जिन्न और मौलाना मदूदी बने। अब्दुल कलाम आजाद को हिन्दुओं का विदूषक कहा गया। अब्दुल करीम छागला की उपेक्षा हुई। यह मुसलमान और इस्लाम दोनों का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा।

आज भी मुसलमान एक अजीब धर्म संकट में गुजर रहा है। वह जानता है कि किधर जाएँ एक ओर खुमैनी का कट्टर विशुद्ध इस्लामिक अपनी ओर खींच रहा है, जिसका मनोवैज्ञानिक कारण उसमें व्याप्त निराशा में ढूँढ़ा जा सकता है। दूसरी ओर कथित धर्म निरपेक्ष अवसरवादी नेतृत्व है जो सेकुलरिज्म की आड़ में साम्प्रदायिकता का खेल खेल रहे हैं। मुस्लिमों का यह अलगाव एक ओर उनमें आक्रोश और आक्रामकता के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। दूसरी ओर उग्र हिन्दू राष्ट्रवाद हिन्दुओं को संगठित करने के नाम पर मुस्लिम साम्प्रदायिकता में नई जान डाल दी। वस्तुतः दोनों समुदायों की साम्प्रदायिकता एक दूसरे की परिपुष्ट करती है। उन दोनों साम्प्रदायिकता के समान स्वार्थ और समान लक्ष्य है कि हिन्दू एवं मुस्लिम कभी एक न हो जाये और अगर वे एक हो गये तो भारत बनेगा, वह वर्तमान भारत सर्वथा भिन्न होगा और उसके आधार पर लक्ष्य भी भिन्न होंगे।

हिन्दू संस्कार

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी मूलतः शूद्र रूप में ही जन्म लेते हैं। उसके पश्चात् 'संस्कारात् द्विज उच्यते'—अर्थात् धार्मिक संस्कारों द्वारा वह द्विज बनता है, अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुछ संस्कारों को पूरा करते हैं इसलिए वे द्विज कहलाते हैं। मनु स्मृति में 13 संस्कारों का उल्लेख मिलता है जोकि गर्भाधान, पुँसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामधेय, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन, विद्यारम्भ, उपनयन, विवाह तथा अन्त्येष्टि संस्कार हैं।

गर्भाधान संस्कार के द्वारा गर्भ की शुद्धि की जाती है। हिन्दू-विवाह का उद्देश्य मात्र यौन-संतुष्टि(रति) नहीं अपितु संतानोत्पत्ति भी है। गर्भाधान का उद्देश्य संतान, विशेषकर पुत्र-सन्तान को जन्म देना है। पुत्र को जन्म देना एक पवित्र धार्मिक कृत्य माना गया है। यदि कोई पुरुष अपने वीर्य को विधिवत् पत्नी के गर्भ में नहीं रखता है तो वह ब्रह्महत्या का भागी होता है। मनु का निर्देश है कि अपनी सुशील पत्नी के साथ उसके ऋतुमती होने के चौथे या पाँचवें दिन स्नान करने के उपरान्त रात्रि में यथा विधि गर्भाधान करे। इस संस्कार का आधुनिक समाज में कोई विशेष महत्त्व नहीं है और न ही इसका पालन किया जाता है।

पुँसवन ऐसा अनुष्ठान है जिसके द्वारा पुत्र-सन्तान के जन्म की कामना की जाती है। पहली बार गर्भवती स्त्री के तीसरे मास और अन्यथा गर्भधारण के दो मास से आठ मास तक कभी भी किया जा सकता है। इससे स्त्री व्रत रखती है और नए वस्त्र धारण करती है। रात में बरगद की छाल का रस स्त्री की नाक के दाहिने छिद्र में डाला जाता है जिससे कि गर्भपात न हो। इस संस्कार में पत्नी के अंक में जलपूरित घट रखकर पति गर्भ का स्पर्श करके वीर पुत्र-संतान की कामना करता है।

सीमन्तोन्नयन दुष्ट शक्तियों से रक्षा के लिए इस संस्कार द्वारा गर्भवती स्त्री के केशों को ऊपर उठाकर सँवारने का विधान है। यह काम पति गर्भधारण के चौथे मास करता है। इस संस्कार के प्रारम्भ में मातृपूजन, नान्दि श्राद्ध आदि होते हैं। कुछ विशेष पदार्थों के साथ पति अपनी पत्नी के बालों को सँवारता है।

जातकर्म संस्कार संतान के जन्म के समय किया जाता है। बच्चे के नाभि-छेदन के पूर्व जातकर्म संस्कार होता है। जब बालक का जन्म होता है तो उस समय अनेक अनिष्टकर प्रभावों का भय होता है। उन्हें ही से बचने के लिए जातकर्म किया जाता है। पिता अपने नवजात शिशु को छूता है, देखता है, सूँघता है और आशीर्वचन वाले मंत्रों का उच्चारण करता है। इसके बाद सोने की शलाका से बच्चे को घृत व शहद चटाया जाता है तथा बच्चे की नाभि काटकर माँ व बच्चे को स्नान कराया जाता है।

नामधेय या नामकरण 10-वें या 12-वें दिन में शुभ तिथि, नक्षत्र एवं मुहूर्त देखकर बच्चे का नामकरण किए जाने का प्रावधान है। वर्ष के अन्त में भी नाम रख जा सकता है। नाम प्रायः नक्षत्र, देवता कुल-देवता, ग्राम-देवता के नाम के आधार पर रखे जाते हैं।

निष्क्रमण बच्चे के जन्म के बाद निष्क्रमण संस्कार के बाद ही उसे बाहर निकाला जाता है। यह संस्कार जन्म के चतुर्थ मास में होना चाहिए। वैसे जन्मे के 12-वें दिन से चौथे मास तक कभी भी इस संस्कार को किया जाता है। बच्चे को माँ की गोद में देकर सबसे पहले सूर्य-दर्शन पिता कराता है और पिता की अनुपस्थिति में यह काम देवर भी करवा सकता है।

अन्नप्राशन छः मास की आयु तक बच्चा अन्न खाने योग्य होने पर इस संस्कार को किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के द्वारा सर्वप्रथम अन्न ग्रहण करने का सूचक है। इस अवसर पर बच्चे का अन्न के साथ घृत, मधु एवं खीर आदि खिलायी जाता है। कहीं-कहीं चाँदी के कटोरे में दूध-चावल खिलाने का रिवाज भी है।

चूड़ाकर्म को मुण्डन या केशोच्छेदन संस्कार भी कहते हैं चाहिए। इस संस्कार में बच्चे के बाल पहली बार मूँड़े जाते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चूड़ाकर्म से दीर्घायु प्राप्त होती है। यह जन्म के प्रथम या तीसरे वर्ष में होता है।

कर्णभेदन संस्कार के द्वारा बच्चे का कर्णभेद होता है। इस संस्कार का प्रचलन सभी हिन्दू परिवारों में नहीं है। यह संस्कार तीसरे या पाँचवें वर्ष में होता है। इस समय स्वर्णकार या नाई को बुलाकर कर्णभेदन कराकर कर्ण में बाली पहनाई जाती है।

विद्यारम्भ या पट्टी पूजन संस्कार द्वारा विधिवत् पट्टी या कापी का पूजन किया जाता है और बच्चे का हाथ पकड़कर उसी पट्टी या कापी पर परिवार का कोई मान्य सदस्य या पुरोहित 'ऊँ' या शब्द एवं उसके बाद वर्णमाला के कुछ अक्षर लिखवाता है। उसी शुभदिन से विद्यार्जन का काम आरम्भ होता है। यह संस्कार बालक के तीसरे, पाँचवें या 7-वें वर्ष में किया जाता है।

उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार का हिन्दू वर्ण-व्यवस्था या जाति-प्रथा में बहुत महत्त्व है। वर्ण-व्यवस्था के अर्न्त प्रथम तीन वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 'द्विज' अर्थात् दो बार जन्म लेने वाले कहलाते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि इनका जन्म एक बार माता-पिता के शरीर संयोग के फलस्वरूप होता है तथा दूसरा जन्म गायत्री माता और गुरु पिता से तब होता है जबकि उपनयन संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से पहले व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ण या वंश का क्यों न हो, शूद्र ही होता है। उपनयन संस्कार ही उनकी स्थिति को उन्नत करता है। इस प्रकार उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार की प्रतीकात्मक रूप में दूसरा जन्म है।

मनुस्मृति के अनुसार गर्भ के 8-वें, 11-वें वर्ष क्षत्रिय तथा 12-वें वर्ष वैश्य का यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार होना चाहिए। शूद्रों के लिए उपनयन का विधान नहीं है।

विवाह हिन्दुओं का धार्मिक संस्कार है क्योंकि हिन्दू-विवाह को एक पवित्र एवं ईश्वर द्वारा निश्चित बंधन माना जाता है। अतः इस विवाह-पद्धति के अन्तर्गत कुछ ऐसे धार्मिक नियम, तरीके या धार्मिक कृत्य होते हैं जिनका सम्पादित किया जाना विवाह की पूर्णता के लिए आवश्यक है। इन धार्मिक कृत्यों में होम, पाणिग्रहण और सप्तपदी प्रमुख हैं। अग्नि में मंत्र-पाठ के साथ लाई का होम किया जाता है। हिन्दू धर्म की मान्यता है कि पूर्ण मनुष्य वही है जो पत्नी एवं बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है। पत्नी पुरुषार्थ की मूल है। केवल धर्म, अर्थ एवं काम ही नहीं अपितु मोक्ष भी उसके सहयोग से प्राप्त होता है। विवाहित पुरुष ही अपने कृत्यों को समुचित रूप से इस संस्कार में पूर्ण कर सकते हैं। अतः हिन्दुओं के जीवन में विवाह-संस्कार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण व आवश्यक संस्कार है।

अन्त्येष्टि मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार है जिसे कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके बाद उसके पुत्र आदि करते हैं। इसका उद्देश्य मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक में शांति प्रदान करना है।

अतिरिक्त संस्कार आज जन्मदिन संस्कार के रूप में प्रचलित है जो कि जन्मदिन के स्थान पर जन्मतिथि पर मनाया जाता है।

आश्रम व्यवस्था : ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास

संस्कृत की 'श्रम' धातु से बना 'आश्रम' शब्द का अर्थ प्रयास करना या परिश्रम करना है। जिसका तात्पर्य एक ऐसा स्थान है जहाँ हम अपने जीवन के एक विभाग के लिए निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। धार्मिक ग्रन्थों के अनुसार, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चार आश्रम हैं। प्रत्येक आश्रम मानव-जीवन के एक-एक मुख्य मोड़ का द्योतक तथा एक उच्चतर अवस्था का बोध कराता है। आश्रम व्यवस्था में यह मान लिया गया है कि मानव के जीवन की गति ऊपर की ओर है। चार मंजिल ऊपर अन्त में ब्रह्म का निवास है। एक मंजिल पार उससे पहले की मंजिल में कुछ समय तक विश्राम कर दूसरी मंजिल पर जाने की तैयारी करनी पड़ती है ताकि दूसरी मंजिल की यात्रा विफल न हो जाए। इसलिए मानव-जीवन के औसतन 100 वर्ष को 25-25 वर्षों के चार भागों में विभाजित करके एक-एक आश्रम की योजना बनाई गई है।

ब्रह्मचर्याश्रम 'ब्रह्म' अर्थात् महान् और 'चर्य' अर्थात् विचरण से मिलकर बना 'ब्रह्मचर्य' का तात्पर्य ऐसे मार्ग पर चलना जिससे मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं अध्यात्मिक दृष्टि से महान् बन सकते हैं। उपनयन अर्थात् जनेऊ संस्कार के उपरान्त बालक जीवन के प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश करता है और विद्यार्जन के हेतु घर छोड़कर गुरुकुल में जाकर रहने लगता है। गुरुकुल या ब्रह्मचर्याश्रम में रहते हुए ब्रह्मचारी के नित्यकर्म के सम्बन्ध में कुछ निश्चित नियम होते थे। मनुस्मृति के अध्याय-2 में बताए गए कुछ नियम इस प्रकार हैं—ब्रह्मचर्य यज्ञोपवीत, अजिन, मेखला और दण्ड को नियमपूर्वक धारण करता रहे। वह भिक्षा माँग कर अपना अहार करे। मध्याह्न और रात्रि के भोजन के मध्य कुछ न खाए। अधिक भोजन कभी न करे। सूर्यास्त के समय भी सोना वर्जित है। वह मन-वचन-कर्म से आचार्य की अनन्य सेवा करे। गुरु की आलोचना करने वाले को दूसरे जन्म में गदर्भ होना पड़ता है और गुरु की निन्दा करने वाले को कुत्ते का जन्म मिलता है। ब्रह्मचारी न तो गुरु के वस्त्रों से अच्छे वस्त्र पहने और न गुरु के भोजन से अधिक उत्तम भोजन करे। कभी गुरु की छाया का लंघन न करे। गुरु के समक्ष सर्वदा नीचे आसन पर बैठे। ब्रह्मतीर्थ से यथाविधि आंचमन कर और ब्रह्माँजलि बाँधकर गुरु से अध्ययन करे। दूर-दूर से तलाश कर समिधाएँ लाए और प्रातः-सायं हवन करे। 7 दिन तक हवन न करने वाला ब्रह्मचारी 'लुप्तव्रत' हो जाता है। स्नान कर देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण, देवताओं का पूजन तथा संध्योपासना नित्य करे। कपूर, कस्तूरी, केसर आदि सुगन्धित द्रव्यों का प्रयोग न करे। तेल मालिश न करे। काजल या सुरमा न लगाए। जूते और छतरी का उपयोग न करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से मुक्त रहे। गायन और नृत्य का पूर्ण परित्याग रखे। परछिद्रान्वेषण और निरर्थक वाक् कलह के फेर में कभी न पड़े। स्त्रियों की ओर कभी कुदृष्टि न रखे। काम-वासना के अधीन होकर कभी वीर्यपात न होने दे। वासना से मुक्त रहते हुए भी यदि ब्रह्मचारी को कभी स्वप्नदोष हो जाए तो उसे यथाविधि एक विशेष ऋचा का जप करना चाहिए।

ब्रह्मचारियों के मुख्य कर्तव्य— ईश्वर के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना, दोषों, बुराइयों, अपवित्र व अनुचित कार्यों से बचना, पवित्र जीवन बिताना, शरीर एवं मस्तिष्क को अनुशासित करना, धर्म आदि से सम्बन्धित साहित्य पढ़ना अथवा संक्षेप में वेदाध्ययन करना, दूसरों का आदर-सत्कार करना तथा सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श को अपनाना।

गृहस्थाश्रम में ही 'मयों मिथुना यजत्रः' इस वैदिक सिद्धान्त के आधार पर पत्नी सहित मनुष्य पंच महायज्ञ तथा पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ एवं सोमयज्ञ आदि करता था। पंच महायज्ञ—ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ में से प्रथम तीन यज्ञ क्रमशः उपर्युक्त आधार पर निश्चित प्रत्येक पुरुष के अपने जीवन में इहलोक तथा परलोक से संबंधित कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं। मनु इन्हें 'यज्ञ' की संज्ञा देकर सामाजिक संहिता या नियमों के क्षेत्रों के अन्तर्गत लाए हैं अर्थात् इन नैतिक कर्तव्यों को ही मनु ने 'यज्ञ' कहा है। ये ब्रह्मचर्य, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ संख्या में पाँच हैं। 'मनु-स्मृति' के अनुसार ब्रह्मचर्य को पठन-पाठन या वेदाध्ययन वेदमन्त्रों के उच्चारण द्वारा पितृयज्ञ को पितरों के तर्पण या श्राद्ध द्वारा, देवयज्ञ को देवताओं को अग्नि में आहुत, बलि या अन्य प्रकार के पदार्थ समर्पित करके, भूतयज्ञ को प्रेतात्माओं को बलि तथा भोजन, पशुओं, कीड़े-मकोड़ों, अपाहिज मनुष्यों और अस्पृश्य जातियों को भोजन देकर तथा नृत्य को आतिथ्य सत्कार द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इन सब यज्ञों को गृहस्थाश्रम में ही पत्नी, पुत्र आदि की सहायता से सुसम्पन्न किया जा सकता है। इसलिए भी यह आश्रम सर्वोत्तम है क्योंकि इन यज्ञों की विधिवत् सुसम्पन्न करने वाले व्यक्ति का केवल वर्तमान जीवन ही सुखी व समृद्धिशाली नहीं होती बल्कि यह अपार पुण्य का भागीदार बनकर परमगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ आश्रम के इन नियमों का एक उद्देश्य यह है कि इस आश्रम में रहते हुए व्यक्ति का मन व मस्तिष्क वानप्रस्थ के लिए तैयार होता रहे। जब तक पर्याप्त रूप से पारिवारिक जीवन बिताते हुए इन्द्रियाँ सन्तुष्ट नहीं होती, विरक्ति की भावना का उदय नहीं होता, धर्म के प्रति मन और मस्तिष्क का झुकाव नहीं बढ़ता, तब तक वानप्रस्थाश्रम में सफलतापूर्वक प्रवेश व्यक्ति के लिए संभव न होगा। नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यावहारिक आधार पर गृहस्थाश्रम का यही महत्त्व है।

वानप्रस्थाश्रम एक व्यक्ति 25 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में कर्मार्जन तथा धर्मार्जन कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। वानप्रस्थ आश्रम में, जैसाकि इसके नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्ति को केवल कुल एवं गृह का ही आश्रम नहीं छोड़ना पड़ता था बल्कि यह गाँव का भी आश्रम छोड़कर जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहता था। मनु का निर्देश यह है कि,

गृहस्थस्तु यदा पश्चेद् बलिपलित मात्मनः।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्॥

अर्थात् गृहस्थ जब यह देख ले कि शरीर की त्वचा ढीली पड़ गई और सिर के बाल स्वेत हो गए, सन्तान की सन्तान हो गई, तब घर-बार का मोह छोड़कर वन की राह लें। वन में रहते हुए भी वानप्रस्थी निष्कर्मण्य जीवन व्यतीत नहीं करता था। जैसे ब्राह्मण के लिए स्वेच्छापूर्वक निर्धन जीवन व्यतीत करना उसके जीवन का लक्ष्य कहा गया है, वैसे ही वानप्रस्थी के लिए स्वेच्छापूर्वक घर-बार का मोह त्यागकर सादा, सरल, सेवा युक्त एवं पवित्र जीवन व्यतीत करना उसके जीवन का लक्ष्य कहा गया है अपने सगे-सम्बन्धियों के मोह तो त्याग जन-साधारण एवं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना सगा-सम्बन्धी बना लेना और उसी रूप में उनकी सेवा करना वानप्रस्थी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।

इस प्रकार क्रम से सहिष्णुता तप को बढ़ाए। त्रिकाल स्नान करके देवों और पितरों का तर्पण करे और उग्रतम तप करके शरीर को सुखाए और सुख के लिए प्रयत्न न करे तथा स्त्री-सम्भोग रहित भूमि में सोने वाला, परिवार के प्रति ममत्व रहित वृक्ष के नीचे वास करे। इस प्रकार मनु वानप्रस्थी के लिए जप, तप, त्याग, सेवा व शरीर की शृद्धि पर अत्यधिक बल देते हैं।

संन्यासाश्रम उपर्युक्त विधि से अपने को तैयार करने के पश्चात् व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम आश्रम-संन्यासाश्रम में प्रवेश करता था। ऐसी सभी वस्तुओं को त्यागकर, जिनसे कि उसके आध्यत्मिक जीवन में या जीवन के पम लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो, एक वानप्रस्थी संन्यास-जीवन को ग्रहण करता था। संन्यासी वानप्रस्थी की भाँति एक जगह कुटिया बनाकर नहीं रहता था, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमता-फिरता था। मनु स्मृति के अनुसार,

वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागभायुषः।

चतुर्थायायुषो भागं त्यक्त्वासंगान् परिव्रजेत्।।

अर्थात् आयु के तीसरे भाग को वनों में रहकर साधना में व्यतीत कर चौथे भाग में स्थान तथा सम्बन्ध के सब प्रकार के संगों को तोड़कर परिव्राजक हो जाए। संन्यासी को संसार भर के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, इसीलिए वह किसी एक जगह पर स्थाई रूप से नहीं रहता।

मनु व्यक्ति को गृहस्थाश्रम के बाद एकदम संन्यासाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं देते हैं। एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद उसे वानप्रस्थ आश्रम में और अन्त में संन्यासाश्रम में प्रवेश करना चाहिए अथवा व्यक्ति ब्रह्मचर्याश्रम के बाद एकदम संन्यास ले सकता है या गृहस्थाश्रम की अवधि समाप्त होने के बाद संन्यास ले सकता है, परन्तु सर्वोत्तम ढंग तो यही है कि पिछले तीनों आश्रमों को पार करके ही संन्यासाश्रम में प्रवेश किया जाए। मनु के अनुसार है, एक आश्रम से दूसरे आश्रम को गमन करके, हवन, जप और तप करके, भिक्षा और बलि से थका हुआ जितेन्द्रिय 'संन्यास आश्रम' के धर्मों का पालन करने वाला मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। संन्यासी को तीन ऋणो-ऋषिऋण, पितृऋण एवं देवऋण को चुकाकर मन को मोक्ष में लगाना चाहिए। बिना ऋण को चुकाए मोक्ष का सेवन चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला नीचे गिरता है।

वह व्यक्ति, जो संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुका है, उसे अपने पास कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, न ही उसे किसी की सहायता पर निर्भर रहना चाहिए। वह एक दिन में केवल एक बार भिक्षा माँग सकता है। जब उसे भिक्षा मिले तो उसे उदास नहीं होना चाहिए और यदि वह भिक्षा प्राप्त कर लेता है तब भी उसे खुशी अनुभव नहीं करनी चाहिए। अपनी इन्द्रियों को नियन्त्रित कर, अपने अन्दर से समस्त प्रकार की घृणा और मोह को दूर फेंक कर, समस्त जीवित प्राणियों के लिए हानिरहित रूप में जीवित रहकर संन्यासी अमरत्व अर्थात् मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हो जाता है।

गौ संरक्षण

माता भारतीय संस्कृति की ज्वलन्त प्रतीक हैं। गायत्री भूलोक की 'कामधेनु' है। पुराण काल में एक ऐसी गौ की कल्पना की गई थी, जो हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इसे 'कामधेनु' कहते हैं। यह स्वर्ग में रहकर कभी-कभी जन-मानस के कल्याण हेतु 'मानव लोक' में अवतार लेती है। इसी भाव से साक्षात् ईश्वर को गौ के रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है। श्रीकृष्ण ने गौ सेवा द्वारा यह पथ दिखाया था, जिससे हम उस आदर्श को जीवन में ग्रहण कर सकें। गौधन की उपयोगिता को समझकर ही उच्चस्थान प्रदान किया गया है। हमारे लिए गौमाता एवं गौरक्षण धर्म है। गौधन का ऊँचा महात्म्य है। गौमाता से समाज को जो बहुलाभ हैं। उनके कारण मानव जाति सदैव ऋणी रहेगी। गौवंश का द्वास आर्थिक एवं धार्मिक दृष्टियों से देश-समाज के लिए हानिकारक है।

हिन्दू धर्म में गाय को देवता और माता के समान मानकर उसकी सेवा शुश्रुवा करना मनुष्य का मुख्य धर्म माना गया है। कोई भी धार्मिक कृत्य ऐसा नहीं है जिसमें गौ की आवश्यक न हो। फिर चाहे वह यज्ञ हो या षोडश संस्कार। महर्षि वशिष्ठ का कामधेनु के लिए प्राणों की बाजी लगाना, महर्षि च्यवन का अपने शरीर के बदले नहुष का चक्रवर्ती राज्य ठुकराकर एक गाय का मूल्य निश्चित करना जैसे प्रसंग यही दर्शाते हैं कि गौ से बढ़कर उपकार करने वाली कोई वस्तु संसार में नहीं है। यह माता के समान मानव जाति का उपकार करने वाली, दीर्घायु और निरोगता प्रदान करने वाली है। इसीलिए ग्रन्थों में—'गावो विश्वस्य मातरः' अर्थात् गौ विश्व की माता कहा गया है।

गाय का गोबर, दूध, घृत, पंचामृत अशुभ अनिष्टों को दूर करता है। गौ के श्वास से भूमि पवित्र होती है। गौ के स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं। मार्कण्डेय पुराण के अनुसार, विश्व का कल्याण गौ पर आधारित है। गौ की पीठ—ऋग्वेद, धड़—यजुर्वेद, मुख—सामवेद, गोबर—इष्टापूर्ति, सत्कर्म, रोम साधु सूक्त है। गोबर एवं गो-मूत्र में शांति और पुष्टि है। जहाँ गौ रहती है, वहाँ पुण्य क्षीण नहीं होते। यह जीवन को धारण करती है। स्वाहा, स्वधा, वषट, हंतवार यह 4 गौ के धन हैं। इस गौ से सबकी तृप्ति होती है। अथर्ववेद के अनुसार, गौ के दुग्ध से निर्बल मनुष्य बलवान व हष्ट-पुष्ट होती है और तेजस्वी बनता है।

गौ सहित सभी दुधारु पशुओं हेतु प्रत्येक गाँव-नगर के चारों ओर यथेष्ट गोचर भूमि 'चरागाह' छोड़ने और गौओं हेतु 'गौशाला' एवं आवारा पशुओं हेतु 'बाड़ा' व्यवस्था का प्रावधान है जिसका संचालन एवं प्रबन्धन शासन-प्रशासन के उत्तरदायित्व में है और सरकार पशु-धन एवं दूध-डेरी को प्रोत्साहित करके चारा-अनुदान प्रदान करती है, जिससे दूध, घृत, खाद और हष्ट-पुष्ट बैलों की प्राप्ति होती रहे।

कुछ दशक पूर्व कृषक अपने मवेशियों पर गर्व करते थे। उनके दरवाजे बंधे मवेशी उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत के परिचायक होते थे। दुर्भाग्य है कि कृषक-मवेशी का यह रिस्ता भंग हो गया है। अब गाय-भैंस की परवरिश सिर्फ तब तक की जाती है, जब तक वे दूध देने लायक रहती है। आशक्त होते ही उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। इससे अधिक संवेदनशून्यता क्या हो सकती है?

आज बेसहारा पशु झुण्ड फसलो नष्ट कर रहे हैं, उन्मादी बैल पथिकों पर हमले करके घायल कर रहे हैं और नेता इतने संवेदनशील विषय पर उपेक्षा कर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं।

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि जो गौमाता अपने दुग्ध से हमारा पालन पोषण और कल्याण करती है उसे हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए पाखण्डी ब्राह्मण के प्रपंच में दान अथवा चन्द पैसों के लिए विक्रय या उपेक्षा कर उसका दूध दुहने के बाद सड़कों पर छोड़कर पालीथिन और जहरीले पदार्थ खाने तथा टग-कसाई को सौंपकर पशु तस्करी और गौहत्या को प्रोत्साहित करते हैं, जो कि पूर्णतया अनुचित, अमानुषिक, अनैतिक, अधार्मिक एवं महापाप है।

गौ के प्रति हमारी सच्ची सेवा और मानवता तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब गौ पालन के प्रोत्साहन में सरकारी अनुदान-चारा, गौशाला एवं चरागाह पर दबंगों का जबरदस्त कब्जा-हस्ताक्षेप एवं गौ भक्षण तथा पशु हिंसा पूर्णतया प्रतिबन्धित होकर उचित 'पशु-सेवकों' से ही गौ संरक्षण सेवा केन्द्रों का संचालन कराया जाना चाहिए। कृषकों को समझनी होगा कि जिन पशुओं ने वर्षों तक उनके परिवार के लिए दूध और जैविक खाद उपलब्ध कराए, बुढ़ापे में उनकी परवरिश कृषकों की ही जिम्मेदारी है।

श्राद्ध

‘कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा?’

मनु ने गृहस्थों के लिए ‘पंच महायज्ञ’ नित्य प्रति करने का विधान किया है। उन में से एक पितृयज्ञ भी है, जिसका अर्थ है पितरों का यज्ञ करना अर्थात् पितरों का धृत, दूध, फल, मेवा, मिष्ठान आदि पौष्टिक पदार्थों से यथेष्ट सत्कार करना तथा उन की आज्ञा पालन करना। इस प्रकार पितरों का श्राद्ध पूर्वक जो यजन अर्थात् सत्कार किया जाता है वह ‘श्राद्ध’ है और उन से पितरों की जो तृप्ति होती है, ‘तर्पण’ है।

सत्य धारण व भाषण में सच्ची प्रीति का नाम ‘श्राद्ध’ है और श्राद्ध से जो कार्य किया जाता है, वह श्राद्ध कहलाता है। सेवा-सत्कार आदि जिन कार्यों से माता-पिता तृप्त अर्थात् प्रसन्न हो वह ‘तर्पण’ कहलाता है।

पितर पाँच प्रकार के होते हैं। जन्म देने वाले मातापिता, यज्ञोपवीत देने वाला आचार्य, विशेष प्रकार की विद्या देने वाला, प्रजा के लिए खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने वाला कर्मचारी, संकट में रक्षा करने वाला सैनिक ये पांच प्रकार के पितर हैं।

सायवाणचार्य के अनुसार, ‘पितरः पालयितारः’ अर्थात् जो हमारा पालन-पोषण करें वे ही पितर हैं। पालन-पोषण करने वाले जीवित ही पितर हैं। मृत आत्मा न किसी का पालन-पोषण ही कर सकती है और न किसी से कुछ ले ही सकती है।

मनु स्मृति के अनुसार, ‘अहरहः श्राद्ध कुर्यातः’ अर्थात् गृहस्थ प्रतिदिन श्राद्ध करें। प्रतिदिन श्राद्ध केवल जीवित पितरों का ही हो सकता है। इस से यह भी सिद्ध हो सकता है कि श्राद्ध करने के लिए कोई समय नियत नहीं है।

श्राद्ध पिता, पितामह, प्रपितामह का ही किया जाता है। इस से श्राद्ध होता है कि जीवित पितरों का यह श्राद्ध होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवनकाल में ही इन तीनों की उपस्थिति संभव है। जब पुत्र लगभग 25 वर्ष का होगा तो उस का पिता, पितामह, प्रपितामह क्रमशः लगभग 50, 75, 100 वर्ष के होंगे इस से अधिक सामान्यतः नहीं होते।

आजकल केवल 15 दिनों को ही श्राद्ध का समय मान लिया गया है और वह भी मृतकों के लिए। यह सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो श्राद्ध के ये 15 दिन भी जीवित पितरों के श्राद्ध के लिए ही हैं।

प्राचीन समय में ऋषि-मुनि वर्षा में वनों, पर्वतों को छोड़ कर गांव तथा नगरों में चातुर्मास व्यतीत करने आते थे। उन के जाने से पूर्व लगभग पन्द्रह दिनों तक उनका विशेष रूप से भोजनादि पदार्थों द्वारा सत्कार किया जाता था। रामायण में राजा दशरथ के श्राद्ध करने का उल्लेख, पुत्रों के विवाह प्रसंग में आया है कि ‘ऋषया रासंघाश्च भवद्भयामभिपूजिताः’ (बालकांड 72/18) अर्थात् आप ने जो ऋषियों और राजाओं का विशेष रूप से पूजन (सत्कार) कर लिया है। अब मैं अपने घर जाऊंगा और सब श्राद्ध कर्मों को करूंगा।

गीता में कहा गया है— ‘आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा’ (1/34) में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि आचार्य, पितर, पुत्र आदि जिन के लिए हमें राज्य भोग का सुख चाहिए वे तो अपने प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। इस में पितर शब्द जीवितों के लिए प्रयुक्त है।

मृतक श्राद्ध के पक्षपाती यह कहते हैं कि मृतक पितरों के नाम पर भोजन कराने से क्या हानि है। इस बहाने उन की यादगार में कुछ न कुछ दान-पुण्य हो जाता है, लेकिन विचार करने पर इस से धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक दोष ही दोष दिखाई देते हैं। प्रथम तो धर्म की मर्यादा का नाश होता है, गलत परम्परा चल पड़ती है, जिस का परिणाम यह होता है कि जिन माता-पिता को उन के जीवित रहते दो घूंट पानी भी नहीं पिलाया जाता, मरने के बाद उन के नाम पर भोज, गोदान शैय्यादान आदि होता है और वह भी कर्ज ले कर। दूसरा, दान देना बुरा नहीं, यदि पात्र और कुपात्र को देख कर दिया जाए। बिना विचारे दान-पुण्य करना तो संसार में आलसी और निकम्मे लोगों को सहायता देना है। तीसरा, बहाने बनाकर किए गए काम का संस्कार भी आत्मा पर शुभ नहीं पड़ता है, क्योंकि हृदय में सच्चाई नहीं होती। चौथा, यदि अपने पूर्वजों की यादगार में खिलाना-पिलाना, दान देना आवश्यक है तो केवल आश्विन महीने के 15 दिन में ही इस के लिए निश्चित क्यों? वह केवल ब्राह्मणों को ही क्या दिया जाए? भूखे, नंगे, लगड़े-लूले, अपाहिज व्यक्तियों को दिया जाए, चाहे वे किसी देश-जाति के हों, वे इस के अधिकारी क्यों नहीं?

क्या यह मूर्खता नहीं है कि हम अपनी वर्तमान समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते और तथाकथित अन्य लोगों में स्थित पितरों के पास भोजन का थाल लिए दौड़ते हैं, जब कि देश के लाखों बालक भूख से मरते हैं, विधर्मी बनते हैं। हमारी संस्कृति में तो मृत्यु दिवस नहीं वरन जन्म दिवस मनाने की परिपाटी है, जैसे कृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी, सीताष्टमी, हनुमान जयंती आदि।

पितर नाम शरीर का है या आत्मा का या शरीर सहित आत्मा का? यदि पितर नाम शरीर का है, तो मरने के बाद तो शरीर को जला दिया जाता है। अतः वे मृतक हमारे पितर ही नहीं रहे। यदि केवल आत्मा का ही नाम पितर है तो आत्मा न कभी जन्मता है न मरता है और न किसी का पुत्र, पितादि बनता है। यदि शरीर सहित आत्मा का नाम पितर है, तो शरीर छूटने के बाद हमारे पितर ही नहीं रहे। शरीर नाश हो जाने पर पितृ-धर्म कहाँ रहता है? जब पितृधर्म नहीं तो पितृ श्राद्ध कैसा? श्राद्ध में पितर सशरीर आते हैं या बिना शरीर? यदि सशरीर आते हैं तो वे आते-जाते समय दीखते क्यों नहीं? यदि सशरीर आते हैं तो फिर ब्राह्मणों को खीर-पूरी मेवा-मिष्ठान खिलाने की क्या आवश्यकता है।

यदि मृत शरीर छोड़ कर आते हैं तब उन के छोड़े शरीर को उन के सम्बन्धी मरा समझ कर उसे जल देंगे, तब पितर पुनः किस शरीर में प्रविष्ट होंगे? क्या हाथ—मुँह के अभाव में खीर—पूरी खा सकेंगे?

‘पितर’ खाते नहीं, देख कर ही तृप्त होते हैं। ऐसी अवस्था में तथाकथित ब्राह्मणों को खीर—पूरी खिलाने के क्या आवश्यकता है? एक व्यक्ति के खिलाने से यदि दूसरे व्यक्ति के पास भोजन पहुँचता है तो परदेश जाने वाल व्यक्ति को भोजन बाँध कर ले जाने की क्या आवश्यकता है? क्या इन तथाकथित ब्राह्मणों को यह पता होता है कि मृतक पितर की आत्मा इस समय कहां है, जिस से भोजन उस के पास पहुँचा सकें? क्या देवलोक, स्वर्गलोक में अन्न, जल, वस्त्र आदि की कमी है। दूसरे कर्मानुसार यदि वे निकृष्ट योनि, पशु—पक्षी या कीड़े—मकोड़े को प्राप्त हुए हैं तो क्या वह खीर—पूरी उन्हें परिवर्तित हो मांस, घास और मल के रूप में प्राप्त होगी? कौओं और पितरों में क्या सम्बन्ध है, जो श्राद्ध पक्ष में उन्हें विशेष रूप से भोजन दिया जाता है? यदि यह माना जाता है कि प्रजापिता परमेश्वर सब का प्रबन्ध उन के कर्मानुसार करता है फिर उन की तृप्ति की चिन्ता हम क्यों करें? यदि किसी का पिता अफीमचू, मांसाहारी, शराबी और व्यभिचारी हो ता उस के मरने के बाद उस की तृप्ति के लिए क्या उस का पुत्र अफीम आदि अपने पितरों तक पहुँचाने के लिए ब्राह्मणों को सेवन कराएगा? क्या ब्राह्मण यह स्वीकार करेंगे?

श्राद्ध पक्ष में हजामत बनवाने और कपड़े बदलने का किस शास्त्र में निषेध है? यदि मृतक श्राद्ध वैदिक है तो ऐसा मानने वाले चारों वेदों में कहीं भी ऐसे शब्द दिखलाएँ, जिस से मृतक श्राद्ध की परम्परा सिद्ध हो। वेदानुयायी ब्रह्मा से लेकर जैमिन तक ऋषि—मुनियों ने अपने मृत पितरों का श्राद्ध किया हो, इस का कहीं भी उल्लेख नहीं है।

पितृ श्राद्ध माता—पिता आदि गुरुजनों के जीवनकाल में ही किया जाना उचित है। जीवनकाल में उन का सम्मान, उन की देखभाल सर्वथा उचित है, पर मृत्यु के बाद तो उन आडम्बरों की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। जो गलत है उसे त्यागना ही चाहिए।

अजान के मंगलकारी स्वर

अजान के बोलः—

अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर।

“ईश्वर ही महान है। ईश्वर ही महान है।”

मुस्लिम समुदाय में दिन में पाँच बार हर नमाज से पहले अजान दी जाती है। ‘अजान’ का अर्थ है लोगों को नमाज के लिए बुलाना। एक व्यक्ति जिसे ‘मुअज्जिन’ (अजान देने वाला) कहा जाता है, बुलन्द आवाज से ईश्वर का वास्ता देकर लोगों को सामूहिक रूप से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पुकारता है।

अशहदु अल्ल इला—ह इल्लल्लाह। अशहदु अल्ल इला—ह इल्लल्लाह।

मैं गवाही देता हूँ कि ईश्वर के सिवा कोई पूज्य—प्रभु नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि ईश्वर के सिवा कोई पूज्य—प्रभु नहीं है

अशहदु अन—न मुहम्मदर्सूल्लल्लाह। अशहदु अन—न मुहम्मदर्सूल्लल्लाह।

मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद ईश्वर के सन्देशवाहक हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद ईश्वर के सन्देशवाहक हैं।

हय—य अलस्सलाह। हय—य अलस्सलाह।

आओ नमाज की ओर। आओ नमाज की ओर।

अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।

ईश्वर महान है। ईश्वर महान है।

ला इला—ह इल्लल्लाह।

ईश्वर के सिवा कोई पूज्य—प्रभु नहीं है।

सूर्योदय से पूर्व की नमाज के पहले अजान के बोल हैंः—

अस्सलातु शैरुम्मिनन—नौम। अस्सलातु शैरुम्मिनन—नौम।

नमाज नींद से उत्तम है। नमाज नींद से उत्तम है।

अजान के इन मंगलकारी बोल द्वारा मुस्लिम समुदाय के उन सभी लोगों को नमाज के लिए पुकारा जाता है जो एक ईश्वर में आस्था रखते हैं और मुहम्मद (सल्ल०) को ईश्वर का पैगम्बर और सन्देशवाहक मानते हैं।

मुस्लिम समुदाय के लोगों की धारणा है कि हमें और सम्पूर्ण जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर ने पैदा किया है। जीवन—यापन के लिए हमें जितनी चीजों की आवश्यकता है उन सभी को उसी ने जुटाया है। जीवन और मृत्यु उसी के हाथ हैं। वही पालनहार है। जीविका उसी के दिये मिलती है। विनती और प्रार्थनाओं को सुनने वाला और मुसीबत में मदद करने वाला वही है। वास्तव में उसके सिवा कोई हमें लाभ या हानि पहुँचाने की शक्ति नहीं रखता। दुनियाँ में जो कुछ है उसका वास्तविक स्वामी ईश्वर ही है। वास्तविक शासक भी वही है। दुनियाँ का कारखाना उसी के चलाए चल रहा है। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का कोई साझीदार नहीं, न उसके अस्तित्व में, न उसके गुणों में और न उसके अधिकारों में। मरने के बाद भी हमारे जीवन का हिसाब भी वही लेगा और कर्म के अनुसार बदला देगा। हम मनष्यों के मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन के लिए ईश्वर ने अपने सन्देश और पैगम्बर भेजे उन पैगम्बरों ने ईश्वर के आदेशानुसार लोगों को जीने का ढंग बताया।

नमाज़ का सामाजिक विश्लेषण

(निसन्देह नमाज़ अश्लील कर्मों और बुरी बातों से रोक देती है)

मुस्लिम समुदाय के सभी पैगम्बरों की शिक्षा एक ही थी—ईश आज़ापालन और समर्पण। हमारे पालनहार प्रभु ने हजरत मुहम्मद(सल्ल०) को अपना अन्तिम सन्देश बनाकर भेजा और उसके द्वारा कुरान रूपी ग्रन्थ प्रदान करके हमारे पूर्ण मार्ग दर्शन और पथ प्रदर्शन की व्यवस्था की। इसी मार्ग दर्शन का नाम इस्लाम है। इस्लाम नाम किसी व्यक्ति विशेष, किसी देश या किसी अन्य वस्तु के नाम पर नहीं बल्कि अपने विशेष गुणों के कारण रखा गया है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है—आज़ापालक और समर्पण। **इस्लाम वास्तव में मार्ग है स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करने और उसके आदेशों का स्वेच्छापूर्वक पालन का।** इस्लाम की मूल शिक्षा यह है कि बन्दगी और आज़ापालन केवल ईश्वर ही का किया जाये। ईश्वर को ही अपना उपास्य बनाया जाय। किसी अन्य के आगे सिर न झुकाया जाय और सम्पूर्ण जीवन प्रेमपूर्वक ईश्वर की दासता और उसकी आज़ापालन में व्यतीत हो।

इन बातों को हमेशा याद रखने, ईश्वर की दासता सदैव निभाने उसके उपकारों पर आभार व्यक्त करने, ईश्वर के सामने अपनी दासता का प्रदर्शन करने तथा ईश्वर की महानता और सत्ता स्वीकार करने की अभि व्यक्ति के लिए इस्लाम ने जो उपासना पद्धति निर्धारित की है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपासना 'नमाज़' है। नमाज़ का महत्व और उसकी आवश्यकता का उल्लेख ईश्वरीय ग्रंथ 'कुरान' और पैगम्बर मुहम्मद (सल्ल०) के कथनी (हदीसों) में बहुत अधिक हुआ है। दिन में पाँच बार नमाज़ पढ़नी इस्लाम के प्रत्येक अनुयायी (स्त्री और पुरुष) के लिए अनिवार्य है। इस्लाम के किसी अनुयायी के लिए नमाज़ का छोड़ना अधर्म ठहराया गया है। सच्ची बात तो यह है कि नमाज़ के बिना इस्लाम का अनुयायी होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

नमाज़ अगर सोच-समझकर और पूरे होश के साथ पढ़ी जाय तो वह न केवल यह कि मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन को विकसित करती है, उसे ईश्वर का सामीप्य प्रदान करती है और उसका प्रिय उपासक बनाती है, बल्कि मनुष्य के सांसारिक जीवन को बुराइयों और दुर्गुणों से मुक्त करने और उसे एक उत्तरदायी और सज्जन पुरुष बनाने की भी अपने अन्दर शक्ति रखती है। सच तो यह है कि नमाज़ इन्सान को इस योग्य बना देती है कि वह अपना पूरा जीवन सृष्टा और पालनहार ईश्वर के आदेशों और निर्देशों के अनुसार सहज रूप से व्यतीत कर सके। यह तथ्य नमाज़ के पूरे स्वरूप से अभिलक्षित होता है। कुरान (29 : 45) में नमाज़ का उद्देश्य बताते हुए ईश्वर ने कहा है:

“निसन्देह नमाज़ अश्लील कर्मों और बुरी बातों से रोक देती है।”

जो लोग यूँ देखने में तो नमाज़ पढ़ते हैं किन्तु नमाज़ की आत्मा और उसकी अपेक्षाओं से अनभिज्ञ और बेपरवाह हैं उनके बारे में कुरान (107 : 47) कहता है— “तबाही है ऐसे नमाज़ियों के लिए जो अपनी नमाज़ों की अपेक्षाओं से बेपरवाह हैं। ऐसे लोग सिर्फ दिखावा करने वाले हैं और उनका हाल यह है कि जरूरत मन्दों को छोटी-छोटी चीजें तक देने से इन्कार कर देते हैं।”

ईश्वर भक्त पैगम्बर मुहम्मद(सल्ल०) का कथन है:

“जिसकी नमाज़ ने उसे अश्लील और बुरे कर्मों से न रोका उससे तो वह ईश्वर से बहुत दूर हो गया।”

इस्लाम को अपेक्षित यह है कि मानव—जीवन नमाज़ के अनुकूल हो, नमाज़ जीवन का सारांश और मानव जीवन नमाज़ की व्याख्या सिद्ध हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि नमाज़ समझ-बूझ कर पढ़ी जाय। नमाज़ पढ़ते समय मनुष्य को यह ध्यान रहे कि वह अपने पालनहार प्रभु के समक्ष खड़ा है और उसी से वह प्रार्थना—विनती कर रहा है और उसकी बातें सुन रहा है। नमाज़ से पूरा लाभ उठाने के लिए यह भी आवश्यक है कि मनुष्य अपना आत्मनिरीक्षण करता रहे और नमाज़ में उसने अपने प्रभु को जो भी वचन दिए हैं, उनको पूरा करने का भरसक प्रयत्न करें।

नमाज़ पढ़ते समय मन की शुद्धता के अलावा मनुष्य के शरीर वस्त्रों और स्थान का शुद्ध होना भी आवश्यक है।

पैगामे मुहर्रम

मुस्लिम समुदाय में जिक्रे शहादत की सभायें, मुहर्रम की मजलिस और आजादारी के जुलूसों को देखने के बाद हर बुद्धिमान इन्सान के जेहन में यह सवाल पैदा होता है कि आखिर यह इमाम हुसैन (अ0स0) है कौन? जिनकी याद चौदह सौ साल से मनाई जा रही है और पूरी कौम उनके नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार है।

जाहिर है कि वह कोई मामूली इन्सान तो है नहीं वरना अब तक सदियों की गर्द उसके नाम को जेरे खाक छिपा चुकी होती या समय का तेज और तुन्द सैलाब उसे अपने साथ बहा ले जाता।

फिर अगर वह कोई मामूली इन्सान होता तो दुनियाँ का हर बड़ा विचारक और हर बड़ा राजनीतिज्ञ उसकी बारगाह में श्रद्धाँजलि न अर्पित करता। महात्मा गाँधी भारत की आजादी को उसके अनुकरण का नतीजा क्यों करार देते, श्रीमती सरोजनी नायडू उसे अपना आदर्श क्यों बनातीं, पण्डित जवाहर लाल नेहरू से लेकर इंगलिस्तान के राजनेता तक सब उसकी बारगाह में सर क्यों झुकाते और उसे आजादी का नकीब, मानवाधिकार का संरक्षक, इन्सानी मूल्यों का अलम्बरदार और जुल्म के खिलाफ तने तन्हा कयाम करने वाला क्यों घोषित किया जाता।

उसका कारनामा कोई मामूली कारनामा होता तो उसे मानव जाति का हीरो क्यों तस्लीम किया जाता और उसे अरबिस्तान का एक लीडर या मुसलमान कौम का रहनुमा क्यों करार दे दिया जाता?

तो आखिर यह कौन है जो कत्ल हो जाने के बाद भी जिन्दा है। बल्कि उसकी जिन्दगी आम इन्सानों से ज्यादा ताकतवर है कि वह जिन्दा भी है और जिन्दा कौमों को जिन्दा भी रखे हुये है। बुद्धिजीवी उसे श्रद्धाँजलि अर्पित करते नहीं थकते, समझदार राजनीतिज्ञ उसे अपना आदर्श घोषित करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति को उसके इकिलाब से सबक लेने ही को बुद्धिमानी और होशमंदी समझते हैं।

इन तमाम सवालों का जबाब एक है कि इमाम हुसैन (अ0स0) मुसलमानों के आखिरी पैगम्बर हजरत मोहम्मदे मुस्तफा (अ0स0 व आ0व सल्लम) के नवासे और हजरत अली-ए-मुर्तजा फातिमा जाहरा के सुपुत्र थे लेकिन उन्होंने अपने नाना से ज्यादा मशहूर व मअरुफ बना दिया है। खुद उनके नाना भी उनके भविष्य को देखकर कहा करते थे कि जिस तरह यह हुसैन मुझसे है उसी तरह मैं भी इस हुसैन से हूँ। मेरी जिन्दगी, मेरा इवाम (नित्यता), मेरा इस्लाम सब इसी हुसैन की बदौलत जिन्दा रह जायेंगे। यह मर जायेगा लेकिन मेरे दीन मजहब और मेरे उसूल हयात (जीवन सिद्धान्तों) को वह मेरी जिन्दगी देकर जायेगा कि कयामत तक कोई उसे मिटा न सकेगा। यह मेरे कानून (विधान) का मुहाफिज है और मेरे निजाम का जिम्मेदार होगा और उसकी शहादत के साये में इस्लाम कयामत तक इत्मीनान की साँस लेता रहेगा।

इमाम हुसैन (अ0स0) की इस अजमत के एहसास के साथ दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि वह अजीम के कारनामा क्या था जिसने उन्हें जिन्दा-ए-जावेद (अमर) बना दिया है और जमाने के सैलाब उन्हें बहाकर कादिर (सामर्थ) नहीं हो सका है।

इस का मुख्तसर (संक्षिप्त) सा जबाब यह है कि उनके दौर के हाकिम बादशाह याजीद ने उनके दीन को मिटा देने की ठान ली थी। उसने शराब, जुआ, बदकारी और अय्याशी को देने खुदा में शामिल करने का मंसूबा बना लिया था और उसके पास 12.5 लाख मुरअब्बअ मील की हुकूमत थी। और ऐसा खजाना था जिसने तमाम दुनियाँ को खरीद लिया था या खामोश होने पर मजबूर कर दिया था और इस तरह इन्सानियत तबाही के आखिरी दहाने पर पहुँच गई थी कि अगर कुछ दिनों ऐसा ही वातावरण रह जाता और यही किरदार हुक्मरानी करता रहता तो बहुत मुमकिन था कि आसमान से आग या पत्थर बरसने लगते और इन्सानियत सौ फीसदी तबाही के घाट उतर जाती। लेकिन इमाम हुसैन (अ0स0) ने सिर्फ बहत्तर साथियों के साथ (जिनमें 80 साल का बूढ़ा सिपाही भी था और छः महीने का दूध पीता बच्चा भी था) उसके खिलाफ कयाम किया और जानते हुये कि इस शहीद मुकाबिले में न वह बच सकेंगे और न उनके असहाब व अंसार (सहयोगी), फिर भी भरपूर मुकाबिला किया और तारीख (इतिहास) में यह दर्ज (अंकित) करा दिया कि 'याजीद' का किरदार (आचरण) इस्लाम का एक हिस्सा (अंश) नहीं है और 'याजीद' में आमाल व अफआल का इन्सानियत से कोई ताल्लुक (सम्बन्ध) नहीं है वह इन्सानियत के लिए जिल्लत और इस्लाम के माथे पर कलंक का टीका है जिसे हरहाल में मिट जाना चाहिए, चुनाचे आपने तशद्दुद का मुकाबिला अहिंसा से करके 'याजीद' का फना (नष्ट) भी कर दिया और एक मिसाल भी कायम कर दी कि ऐसे तबाहकुन हालात में इन्सान की खामोशी एक जुर्म और गुनाहे से कम नहीं है और इन्सान का फर्ज (कर्त्तव्य) है कि ऐसे हालात में इंसान उठ खड़ा हो और हर तरह की कुर्बानी देकर इन्सानी अकदार (मानवीय मूल्यों) को तहफफुज (संरक्षण) करे और यकीन (विश्वास) रखे कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वाले फना नहीं हो सकता है उसे मालिके कायनात चन्द रोज जिन्दगी के मुकाबिले हयाते अबदी से सरफराज फरमाया जाता है।

इमाम हुसैन (अ0स0) ने इस हकीकत के पेशे नजर अपना भरा घर लुटा दिया और अपने बच्चों को कुर्बान करके अपने नाना के दीन को बचा लिया कि जब इन्सानी कदरों (मानवीय मूल्यों) की जरूरत रहेगी, और जब तक इंसानियत का जमीर (अन्तःकरण) जिन्दा रहेगा हुसैन (अ0स0) जिन्दा रहेंगे, उनकी याद जिन्दा रहेगी और उनके जिक्र दयार-ब-दयार और कूचा-ब-कूचा होता रहेगा।

आखिर में एक सवाल यह पैदा होता है कि अगर इमाम हुसैन (अ0स0) ने ऐसी कुर्बानी दी है (उनके असहाब व अंसार ने जानें दी है)। उनके गोद के पालों ने गला काट कर इज्जतें इस्लाम व ईमान का तहफफुज किया है तो उनकी याद में यह आलम कैसा है, यह

जुलूस में ताबूत क्यों शामिल किया गया है, इस जुलूस के साथ ये जुलजनाह (घोड़ा) क्यों है और कहीं कहीं ऊँटों पर यह अंगारियाँ क्यों नजर आती है। इसका जबाब यह है कि इमाम हुसैन(अ.स.) जुल्म का मुकाबिला मुकम्मल तैयारी के साथ किया था, उनके बहत्तर अफराद (व्यक्तियों) के लश्कर (सेना) में एक अलम्बरदार भी था जिसके शाने कट गये थे लेकिन उसने आलम को गिरने नहीं दिया था बल्कि अपने कटे हुए हाथों से संभाल कर बुलन्द कर रखा था, उनके साथ वफादार घोड़ा भी था जिसने अपने मालिक को तीन दिन का भूखा प्यासा देख कर खाना-पीना बन्द कर दिया था और अपने मालिक की शहादत की खबर खैमागाह तक पहुँचाई थी।

उसके काफिले में चन्द औरतें और सैदानियाँ भी थीं जिन्होंने हक की राह में हर तरह की कुर्बानी का अज्म (संकल्प) कर रखा था और कर्बला को वाक्यात से बाखबर कर दिया और हाकिमे वक्त 'याजीद' के खिलाफ एक इंकलाबी फेजा (क्रान्ति का वातावरण) तैयार कर दी।

इमाम हुसैन(अ.स.) की यह कुर्बानी आज तक आलमे इन्सानियत(जगत) को हस्वे जैल बातों की तरफ मुतवज्जह कर रही है और उन्हें अपने अजीम तरीन कारनामों से सबक लेने का इशारा दे रही हैं:

- 1 हक (सत्य) की राह में कुर्बानी देने के लिए अफराद, लश्कर और असलहा (अस्त्र-शस्त्र) का इन्तिजार नहीं करना चाहिए।
- 2 कोई जालिम हुक्मरान (शासक) अपनी ताकत के जोर पर इंसानियत को तबाह करना चाहे तो उसके मुकाबले में खामोश रहना अजीम तरीन जुर्म (महान अपराध) है जिसे तारीख (इतिहास) किसी वक्त भी मुआफ नहीं कर सकती है।
- 3 हक की राह में कयाम करने के लिए हत्तल इम्कान (यथासम्भव) हर तरह के वसायल (साधनों)का इन्तजाम करना चाहिए ताकि कत्ल के बाद आवाज सहरा की फेजा में न उड़ जाये और उसके असरात हमेशा बाकी रहें।
- 4 हक एवं इन्साफ पर आँच आ जाये तो औरतों की भी जिम्मेदारी है कि वे भी उठ खड़ी हों और बआज बेगैरत मर्दों की तरह खाना नशीन न रह जाये। हक व इन्साफ का कयाम एक और के पर्दे से कहीं ज्यादा अहम (महत्त्वपूर्ण) होता है।
- 5 इन्सान को यह एहसास रखना चाहिए कि पर्वरदिगार किसी के अमले खैर (शुभ कार्य) को जाए: बर्बाद नहीं करता है—लेकिन अपनी राह में कत्ल हो जाने वालों को जिन्द-ए-जावेद बना देता है और उनकी याद को जमान की दसतरस (काल की पहुँच) से बुलन्द तर कर देता है। हयाते अबदी (अमर जीवन) उनका हिस्सा होती है, आलमे अद्ल व इन्साफ और दुनियाए हक व सदाकत उन्हें खिराजे अकीदत (श्रद्धाँजलि) पेश करती है मजलिस में उनका चर्चा होता है, सड़कों पर उनकी कामयाबी के पर्यम लहराते हैं, मुल्क-मुल्क उनके गमकी मजलिसें मुनअकिद होती है और स्विटजरलैण्ड से लेकर दुनियाँ के आखिरी गोशे तक सूरज की किरणों के साथ उसका जिक्र बुलन्द होता रहता है और सारी फेजाए कायनात में एक ही आवाज गूँजती है.....

हुसैन, हुसैन, हुसैन.....हुसैन, हुसैन, हुसैन

जाति-प्रथा का सामाजिक विश्लेषण

“जाति-प्रथा प्रजातन्त्र शासन की भावना के प्रतिकूल है परन्तु जाति सम्पूर्ण जीवन पर छाया हुई है और जाति अपने सदस्यों के लिए लाभदायक कार्यों को सम्पन्न करती है।”

प्रजातन्त्र समानता की भावना पर आधारित है प्रजातन्त्र जनता के द्वारा निर्मित जनता के लिए जनता की सरकार है। प्रजातन्त्र में बन्धुत्व, समानता और स्वतन्त्रता तीन तत्त्व आधारभूत तत्व पाये जाते हैं। इस प्रकार प्रजातन्त्र शासन तभी सफल हो सकता है जब सम्पूर्ण जनता में एकता हो और यह छोटे-छोटे समुदायों में न बंटे हों। लेकिन जाति-व्यवस्था प्रजातन्त्र के प्रतिकूल है, क्योंकि चुनाव के समय लोग छोटे-छोटे समुदायों या अपनी-अपनी जाति के समुदायों के प्रति सचेत हो जाते हैं प्रत्येक जाति का व्यक्ति खोज-खोज कर अपनी ही जाति के प्रत्यासी को मत देने के लिए तत्पर रहता है। भारत के पिछले आम चुनाव में कितने ही व्यक्ति जातियों के नाम पर लोकसभा, विधानसभा और पंचायत के चुने गए हैं, वे लोग चुने जाने के बाद निष्पक्ष रूप से शासन नहीं चला पाते वरन् अपने ही जाति-भाइयों के जा-बेजा या अनुचित कार्यों को करके संकुचित भावनाओं को पनपाते रहते हैं। इतना ही नहीं, केन्द्रीय एवं प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल में जातियों के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, योग्यताओं के आधार पर नहीं। ऐसी स्थिति में प्रजातन्त्र की सफलता की बात केवल हवा में हो रही है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉ. मजूमदार के शब्दों में—“ब्राह्मणों के लाख कहने के बावजूद भी जातिप्रथा केवल विशृंखलित सामाजिक संस्था है जो अपनी सेवाओं के पश्चात् हमारे देश के वातावरण को दुर्गन्ध से भर रही है।”

जाति-प्रथा हिन्दू समाज के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और इससे समाज को सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक दृष्टि से देखा जा सकता है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जाति-प्रथा की उपयोगिता को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। यह ठीक भी है, क्योंकि प्रत्येक संस्था बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में है उपयोगी ठहराई जा सकती है। वस्तुतः जब तक उपजाति और संयुक्त परिवार जीवित हैं तब तक समानता के आधार पर समाज संगठन संभव नहीं है।

हमारे इन विचारों को कुछ लोग एक पक्षीय कह सकते हैं। इसलिए इस मामले में निष्पक्ष रूप से विचार करना उचित होगा। गौर से सब परिस्थितियों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि जाति-प्रथा बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन न करने में असफल हो रही है, इसलिए जाति-प्रथा एक अनुपयोग प्रथा साबित हो रही है। लेकिन सामाजिक, आर्थिक, मानसिक व वैधानिक सुरक्षा को प्रदान करने में अग्रणी रही है। अतः जाति-प्रथा के इन कार्यों की अवहेलना नहीं की जा सकती। इण्डियन कान्फेन्स ऑफ सोशल वर्क 1955 द्वारा “जातिवाद और अस्पृश्यता निवारण” पर एक गोष्ठी आयोजित की गई थी उसकी शिफारसों में कहा गया है, जाति सम्पूर्ण जीवन पर छाया हुई है। जाति अपने सदस्यों के लिए लाभदायक कार्यों को सम्पन्न करती है।

इन व्यक्त विचारों का अभिप्राय यही है कि जाति एकदम अनुपयोगी या बेकार कहकर समाप्त करना ठीक नहीं वरन् आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान परिस्थितियों में इसके दोषों को दूर करके इसे शुद्ध व परिमार्जित किया जाये ताकि समाज इसके प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण लाभों से वंचित न हो सके।

भारत में मुस्लिम जाति-प्रथा

“मुस्लिम समाज की प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय है तथा मुस्लिम जातियों की उच्चता एवं निम्नता व्यवसाय की उच्चता एवं निम्नता के आधार पर तय होती है।”

मैंने अपने अध्ययन “हिन्दू एवं मुस्लिम समुदायों के उत्सवों एवं त्यौहारों के तुलनात्मक अध्ययन” में पाया कि, हमारे देश में मुस्लिम समाज में धुनहा, अंसारी, दर्जी सैय्यद, कसाई, काजी, खटीक, नाई, शेख आदि मुस्लिम जातियाँ हैं। सैय्यद ऊँची जाति, कसाई नीची जाति तथा शेख जातियों का स्थान दोनों के बीच में है। प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय है। जातियों की उच्चता एवं निम्नता व्यवसाय की उच्चता एवं निम्नता के आधार पर तय होती है।

वस्तुतः इस्लाम जब भारत में आया तो यहाँ प्रचलित जाति एवं संस्तरण के प्रभाव से वह अछूता न रह सका और इसके भी जाति एवं संस्तरण उत्पन्न हो गए। इस प्रकार भारत में मुसलमानों में जाति-प्रथा का प्रचलन हिन्दुओं से ही सम्बन्धित परिणाम है। भारत में मुसलमानों ने अपने को हिन्दुओं की तरह चार भागों में विभक्त किया है। ऐतिहासिक प्रमाण भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। मुसलमान भारत में विजेता के रूप में बाहर से आए थे। शासक के रूप में जब वे यहाँ रहे तो यहाँ के कई मूल निवासियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, शासकों ने इन धर्म परिवर्तन करने वालों को भी अपने बराबर नहीं माना और अपने को उनसे ऊपर समझा। इस प्रकार प्रारम्भ से ही मुसलमानों में ऊँच-नीच की भावनाएँ आ गई थी। जो लोग हिन्दू से मुसलमान बने, उन्होंने भी जाति व्यवस्था का पूर्णतः परित्याग नहीं किया था, परिणामस्वरूप मुसलमान बनने पर भी वे जातीय विषयों का पालन करते रहे। यही बजह है कि मुसलमानों में भी जाति-प्रथा पायी जाती है।

भारतीय मुस्लिम समाज में मुख्य रूप से चार वर्गों की जातियाँ पाई जाती हैं। यह चार वर्ग असरफ, मुस्लिम राजपूत, व्यवसायिक, अस्पृश्य जातियों के हैं। असरफ अर्थात् आदरणीय और सम्मान जातियों में सैय्यद, शेख, मुगल, पठान जातियाँ हैं। मुस्लिम समाज में सैय्यदों की सर्वोच्च स्थिति मानी जाती है। इनका सम्मान सबसे अधिक है। सैय्यद शब्द का शाब्दिक अर्थ राजकुमार है। इस वर्ग में जैदी, हुसैनी, असकरी, हसानी, वाकरी, अल्वी, अब्बासी, काज़मी, रिजवी, जाफरी, हाशमी एवं नकवी आदि हैं। इन जातियों के सदस्य अपने नाम से पूर्व सैय्यद या मीर शब्द का प्रयोग करते हैं। द्वितीय वर्ग शेख में किदवई, सिद्दीकी, कुरैशी, अंसारी, फारुकी, मिल्की, खुरानी आदि जातियाँ हैं। शेख शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से मुखिया या धार्मिक गुरुओं के लिए होता है। शेख लोग अपना सम्बन्ध कुरैशी जनजाति से स्थापित करते हैं। यह लोग प्रायः धनवान एवं प्रभावशाली होते हैं। तृतीय वर्ग मुगल जातियों में तैमूरी, उजबेग, तुर्कमान, लोधी, यूसुफजाही, रोहिल्ला, ककार, बंगश तथा दुराणि आदि हैं। **मुगल का मूल स्थान मंगोलिया है।** भारत में इनका सम्बन्ध शासन व्यवस्था से अधिक रहे हैं। ये लोग अपने नाम से पहले ‘मिर्जा’ शब्द का प्रयोग करते हैं। चतुर्थ वर्ग पठान जातियों में अफरीदी, बारक, खलील, लोधी, यूसुफजाही, रोहिल्ला, ककार, बंगश एवं दुराणि आदि हैं, जिनका मूल स्थान अफगानिस्थान क्षेत्र था। यह लोग ‘खान’ भी कहलाते हैं। मुसलमान राजपूत वर्ग की जातियों में भट्टी, चन्देल, चौहान, गौतम, पंवार, राठौर, सोमवंशी, सोलंकी, तोमर, बड़गूजर तथा बीसने आदि हैं। इन जातियों के लोग मुसलमान होने के पश्चात् भी हिन्दुओं के अनेक रीति-रिवाजों का आज तक पालन करते रहे हैं। ये लोग असरफ जातियों से तो विवाह करते हैं परन्तु निम्न जातियों के मुसलमानों में विवाह नहीं करते। व्यवसायिक जातियों की अधिकांश जातियाँ हिन्दू धर्म छोड़ कर मुस्लिम बनी हुई हैं। हिन्दू समाज के जैसी इस वर्ग में दो प्रकार की व्यवसायिक जातियाँ जिनमें प्रथम वर्ग की बढई, दर्जी, कुम्हार, तेली, लुहार, हज्जाम आदि हैं तथा दूसरे वर्ग की जातियाँ बाबर्ची, भटियारा, आतिशबाज, भाण्ड, गद्दी, फकीर, मिरासी, जुलाहा, मौमिन, नानबाई, कंजडा, धुनिया, चिकवा तथा कपाडिया है। हिन्दू समाज के जैसी नहीं है। अस्पृश्य मुस्लिम जातियों में कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिन्हें सामाजिक दृष्टि से हीन तथा अस्पृश्य माना जाता है परन्तु मुस्लिम समाज में इस अस्पृश्यता एवं हीनता का आधार धार्मिक न होकर मात्र सामाजिक है, हिन्दू समाज के समान कठोर नहीं है। वैसे समान रूप से उच्च जातियाँ अर्थात् अशरफ जातियाँ इन निम्न जातियों के सम्पर्क से बचती हैं। इन जातियों में रावत, गाजीपुरी, लालबेगी, मेहतर, बांसफोड़, बाल्मीकि, पत्थर फोड़ आदि हैं। सौद्धान्तिक रूप से तो इन जातियों के मस्जिद प्रवेश करने में निषेध नहीं है, परन्तु व्यवहारिक जीवन में उन्हें मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाता।

अनेक समाजशास्त्रियों के मुस्लिम समाज से सम्बन्धित विभिन्न अध्ययनों एवं अपने अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप मैं कह सकती हूँ कि मुस्लिम जातियों में खानपान एवं सामाजिक व्यवस्था में जातीय आधार पर भेदभाव पाया जाता है। उच्च मुस्लिम जातियाँ निम्न मुस्लिम (लालबेगी) जातियों के साथ भोजन व्यवहार नहीं रखते हैं। चुफली, कलन्दर व लालबेगी से भोजन व पानी ग्रहण नहीं करते। मुस्लिम गौ-मांस भक्षक होते हैं किन्तु धोषी और किंगरिया न तो गौ-मांस खाते हैं और न गौ-मांस खाने वाली मुस्लिम जातियों से व्यवहार ही रखते हैं। अनेक मुस्लिम जातियाँ तो हिन्दू त्यौहारों और देवी-देवताओं को मनाते हैं। हमारे देश के केरल व कर्नाटक आदि प्रदेशों में इस्लामिक समाज की अनेक जातियों की भी सम्बन्धित कब्रिस्तान और धार्मिक संगठन भी अलग-अलग हैं। इस प्रकार देश के मुस्लिमों में भी मुस्लिम जाति का निर्धारण उसके जाति विशेष में जन्म लेने से होता है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

मुस्लिम समाज के वर्ग एवं जातियों का वर्गीकरण

क्र.वर्ग	मु.जाति	सम्बोधन	मुस्लिम उप-जाति	विशेष
1	असगर	सैय्यद या मीर या रावत	जैदी, हुसैनी, असकरी, हसानी, वाकरी, अल्वी, अब्बासी, काजमी, रिजवी, जाफरी, हाशमी, नकवी आदि।	मूलस्थान—अरब, फारस, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान
2		शेख	किदवई, सिद्दीकी, कुरैशी, अंसारी, फारुखी, मिल्की, खुरानी आदि।	
3	मुगल	शासक / 'मिर्जा'	तैमूरी, उजबेग, तुर्कमान, लोधी, यूसुफजाही, रोहिल्ला, ककार, बंगश तथा दुराणि आदि।	मूलस्थान—मंगोलिया
4	पठान	'खान'	अफरीदी, बारक, खलील, लोधी, यूसुफजाही, रोहिल्लाककार, बंगश, दुराणि आदि।	मूल-स्थान अफगानिस्तान. खान भी कहा जाता है।
5	मुस्लिम राजपूत	शादी-संबंधमात्र असरफ वर्ग से	भट्टी, चंदेल, चौहान, गौतम, पंवार, राठौर, सोमवंशी, सोलंकी, तोमर, बरगूजर एवं बीसने आदि।	हिन्दू धर्म से परिवर्तित
6	व्यवसायिक	प्रथम वर्ग द्वितीयवर्ग	बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, लुहार, हज्जाम आदि। बाबर्ची, भटियारा, आतिशबाज, भांड, गद्दी, फकीर, मिरासी, जुलाहा, मौमिन, नानबाई, कंजडा, धुनिया, चिकवा व कपाडिया एवं कपाडिया आदि।	व्यवसाय के आधार पर
7	अस्पृश्य	निम्न	रावत, गाजीपुरी, लालपेगी, मेहतर, बांसफोड़, बाल्मीकि, पत्थरतोड़ आदि	मस्जिदों में प्रवेश निषेध

क्षत्रिय और समाज

‘क्षत्रियों को चाहिए कि वे एक साथ चलें, एक साथ बोलें तथा एक-दूसरों के मन को भली प्रकार समझें’

क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य प्रजा की रक्षा का प्रबन्ध करना है। देश और समाज की समृद्धि एवं सुख का उत्तरदायित्व प्रधान रूप से क्षत्रिय (राजन्य) वर्ग का है। वेदों का अध्ययन, यज्ञ तथा दान देना ब्राह्मण के समान क्षत्रिय के भी कर्तव्य हैं। जनक और अजातशत्रु अविवाद स्वरूप क्षत्रिय हुए हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को भी ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया था। क्षत्रिय में शूरता, तेज, धैर्य, चातुर्य तथा वीरता होनी चाहिए। क्षत्रिय को रणक्षेत्र में कभी भी पलायन नहीं करना चाहिए।

क्षत्रिय को राजनीति, आचार—नीति, दण्ड—नीति तथा अर्थशास्त्रादि विद्याओं का पण्डित होना चाहिए। रामायण और महाभारत महान, क्षत्रियो (राजन्यों) की वीर एवं अमर गाथाएँ हैं सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा करते हुए अनेक उत्पातों से प्रजा की रक्षा करना एवं अपराधी को दण्ड देना क्षत्रिय का कर्तव्य है। भगवद्गीता के अनुसार,

“शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्।

छान भीश्वरभवश्च क्षात्रकर्म स्वभावजम्॥”

अर्थात्, **शौर्य**—हजारों शत्रुओं से भी अकेले युद्ध करने में भय—भूत न होना, **तेज**—अपनी तेजस्वता से दुष्टों पर आतंक रखना, **धृति**—साहसिक—धैर्य एवं दृढ़ रहना, युद्ध में पलायन न कर शत्रुओं का नाश करना विद्या एवं दान आदि से प्रजा का समुचित पालन करना, अकारण किसी प्राणी को कष्ट न देना तथा सब जगह सदा ईश्वर को देखना है। इन बातों का स्मरण एवं आचरण क्षत्रिय को भली प्रकार करना चाहिए। क्षत्रिय कर्म प्रधान होता है। ब्राह्मण जो भी सोचता है, क्षत्रिय उसे कार्य रूप में परिणत करता है। ब्राह्मण अर्थात् विप्र या वेद प्रमुख द्वारा निर्मित विधान का पालन करने वालों की रक्षा करना तथा विधटन करने वालों को दण्ड देना एक क्षत्रिय का उत्तरदायित्व होता है।

क्षत्रिय जाति एवं क्षत्रिय वर्ण में पर्याप्त अन्तर है। जाति जन्मसिद्ध होती है पर वर्ण कर्म आधारित होता है। जाति प्रथा का आरम्भ ‘मनु’ के उपरान्त प्रारम्भ हुआ। तत्पश्चात् जातियों तथा उपजातियों का युग आ गया। क्षत्रिय जाति अनेकों जातियों में विभक्त होती चली गई। विदेशियों (मुगलों व अंग्रेजों) के भारत में प्रविष्ट होने से भी नवीन जातियों का विकास हुआ। विभिन्न व्यापार एवं व्यवसाय करने वालों की अलग—अलग उपजातियाँ बन गईं। नवीन धार्मिक सम्प्रदायों के विकास से भी क्षत्रिय जातियों, उपजातियों में वृद्धि हुई।

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार, “पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसकी जंघाओं से वैश्य की और उसके चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है।” इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण एक ही शरीर के अंग हैं। इसमें कोई अस्पृश्य नहीं है। संसार में इन्सान और गौ घातक को छोड़कर अन्य कोई कार्य करने वाला अस्पृश्य नहीं है।

आधुनिक स्वार्थ प्रवृत्ति क्षत्रिय के लिए अभिशाप है। क्षत्रिय समाज में अनेक तथाकथित राजा—महाराजा तथाकथित समाजसेवी, बहुरुपिये, पदलोलुप तथा अन्य जाति—धर्म के चापलूस गुर्गे हैं, जो क्षत्रिय आस्तिरुव के बहुमुखी विकास के लिए बाधाओं के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। क्षत्रिय इतिहास और विशेषताओं से युक्त **पृथ्वीराज चौहान, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठठिया के राजा पोहकर सिंह** बघेल आदि क्षत्रिय के **विकास एवं वरदान** थे। जिनका गौरवशाली बलिदान देश—समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। ऐसे ऐतिहासिक महान व्यक्तियों का ‘हनन’ कराने में प्रमुख भूमिका अदा करने वालों को क्षत्रियों का ‘भाग्य विधाता’ मानना और क्षत्रिय पर्व पर सम्मानित करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

कानपुर परिक्षेत्र के क्षत्रियों का वर्तमान स्वरूप

क्षत्रिय इसलिए क्षत्रिय हैं क्योंकि उसका धर्म क्षत्रिय है। क्षत्रिय में क्षत्र धारण करने की क्षमता है। क्षत्रिय की भावना एवं कर्म देश, समाज और व्यक्ति की रक्षा में समर्पित होते हैं। क्षत्रिय अपने दायित्व निर्वहन के प्रति सदैव सावधान रहता हैं। क्षत्रिय जाति में जन्म लेने के कारण क्षत्रिय एवं क्षत्रित्व को जीवन का गौरव मानता हैं। क्षत्रिय जाति व दायित्व, न्याय एवं देश समाज के हित में अपने प्राणों की परवाह किए बिना जनहित में बलिदान देने को सदैव तैयार रहते हैं। कोई भी क्षत्रिय किसी भी अन्यायी एवं उत्पीड़क को बर्दाश्त नहीं कर सकता है।

भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का कानपुर परिक्षेत्र 6 जनपदों—कानपुर (न.), कानपुर (दे.), औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद एवं कन्नौज में विभाजित है। जनपद कानपुर में परिहार, चंदेल, भदौरिया, वमन—गौर, चमर—गौर, चौहान, कुशवाह, सिसौदिया क्षत्रिय, औरैया जिले में परिहार, कुशवाह, चौहान, सेंगर, सोलंकी, इटावा जिले में भदौरिया, सिकरवार, रघुवंशी, फर्रुखाबाद जिले में गहलवार, सोमवंशी, राठौर, चंदेल, बाछिल परिहार, परमार, गौर, कुशवाह, बाछिल, सोलंकी, तोमर, चौहान, भदौरिया एवं कन्नौज जिले में बैस, बघेल, सिकरवार, गौर, चौहान, सोलंकी, भदौरिया आदि क्षत्रिय हैं। कानपुर जनपद का उत्तर—पूर्व क्षेत्र चन्देल बाहुल्य, पश्चिमी क्षेत्र गौर बाहुल्य, जनपद औरैया सेंगर बाहुल्य, इटावा चौहान—भदौरिया, बाहुल्य, फर्रुखाबाद सोमवंशी/गहलवार—राठौर एवं जनपद कन्नौज बैस बाहुल्य क्षत्रिय क्षेत्र हैं। इन बाहुल्य क्षेत्रों के अनेक क्षत्रियों ने अपने रिश्तेदारों को वारिस बनाकर अपनी जमीन—जायदाद पर बसाया है। कानपुर परिक्षेत्र में बड़ी संख्या मेव—क्षत्रिय (औरंगजेब कालीन मुगल) है तथा कानपुर जिले के बिल्हौर—सिकन्दरा के मध्य क्षेत्र में लगभग 120000 नोनिया—चौहान (पशु कंकाल एकत्रकों के वंशज) हैं। कानपुर परिक्षेत्र के कस्बों और नगरों के तालाबों, नालियों, मार्गों पर अनेक ऐसे क्षत्रिय परिवार बसे हुए हैं जिनके पूर्वज परम श्रद्धेय महाराणा प्रताप जी ने अंग्रेज शासकों से अनेक युद्ध सहित हल्दीघाटी में महासंग्राम किए और आन—बान व शान के लिए अपना सब कुछ को बलिदान कर दिया था। इसके बावजूद राणा वंशज हमारे बीच कीड़े—मकोड़ों के मध्य पशु तुल्य जीवन यापन कर रहे हैं।

आज तेलियों द्वारा राठौर, गडरियों द्वारा बघेल, काछियों द्वारा कुशवाह, नाइयों द्वारा नाम के बाद ठाकुर, कुर्मियों—सुनारों द्वारा क्षत्रिय, गौरों—निकोमों द्वारा कुशवाह, मुस्लिमों द्वारा परमार—सेंगर—गौर—कुशवाह लिखा—कहा जा रहा है। इसके बावजूद इन्हें आरक्षण जारी है। क्षत्रिय बिरादरी के सम्मेलनों में क्षत्रिय हितों की परवाह किए बिना स्वार्थी शांति—सरगना बहुरूपियों का अन्धानुकरण एवं गुणगान हो रहा है। क्षत्रिय बिरादरी की बैठकें अति स्वार्थी दलालों व शांतिरों के सम्मान एवं भाषण तक सीमिति हो रही हैं। क्षत्रिय बिरादरी में अन्य जातीय लोगों का नेतृत्व, क्षत्रिय प्रत्याशियों की उपेक्षा एवं गैरजातीय लोगों को वोट होने से क्षत्रिय आहत एवं कुंठित हो रहे हैं।

कानपुर परिक्षेत्र के क्षत्रिय निवास पैतृक भवनों में और आजीविका पैतृक भूमि पर कृषि हैं। जनसंख्या में वृद्धि से क्षत्रिय परिवार तेजी से विघटित हो रहे हैं। क्षत्रियों के मकानों व भूमि के बंटबारों से आवास लघु हो रहे हैं। परिवार के अनेक सदस्य एक कक्ष में एवं कम भूमि पर बड़े परिवारों की गुजर—बसर हो रही है। आवासों और कृषि जोतों की लघुता के कारण अनेक क्षत्रिय अपने घर—जमीन बेंचकर दिल्ली—सूरत जाकर मजदूरी कर रहे हैं। अधिकांश युवा क्षत्रिय बेरोजगार और बेकार हैं। क्षत्रिय प्रतिपाल्यों के लिए महंगी शिक्षा कल्पना से परे है। अधिकांश क्षत्रिय कम शिक्षित या निरक्षर हैं। क्षत्रियों के लिए उच्चशिक्षा व अच्छे स्कूलों की पढ़ाई व्यर्थ सिद्ध है। महंगाई के कारण अधिकांश क्षत्रिय जीवन की मूल जरूरतों के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। अनेक क्षत्रिय अपने जीवन को बनाए रखने एवं जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवास व भूमि बेंचने को मजबूर हैं।

अधिकांश क्षत्रिय कुसंगत एवं शराब के शिकार हैं। अधिकांश शराबियों के दिन शराब के नाशते से शुरू होकर शाम शराब के नशे में होती है। अनेक क्षत्रियों ने मांस—मदिरा के सेवन हेतु जमीन—जायदाद बेच डाली है। शराब दावतों में अनेक क्षत्रियों का बर्बादी क्रम जारी है। व्यापारी कर्ज देकर क्षत्रियों को भूमि बेचने हेतु मजबूर करते हैं। कर्ज वृद्धि और तकादों से परेशान क्षत्रिय अपना घर—भूमि औने—पौने में बेच रहे हैं। अधिकांश क्षत्रियों को जमीन—मकान बैनामा अवसर पर कम कीमत दी जाती है और वह भी दावत—शराब में उड़वा दी जाती है।

क्षत्रियों में तीव्र गति से फैल रही दरिद्रता व बेरोजगारी के कारण जहाँ एक ओर क्षत्रिय एवं उसके प्रतिपाल्य जीवन की मूल आवश्यक वस्तुओं के अभाव में जीवन—यापन करने को मजबूर हैं वहीं दूसरी ओर बढ़ती दहेज प्रथा एवं दरिद्रता के कारण क्षत्रिय बालक—बालिकाओं की शादी—विवाह हो पाना मुश्किल हो रहा है। निरन्तर क्षतिग्रस्त हो रहे क्षत्रिय आस्तित्व पर विचारोपरान्त कहा जा सकता है कि अब देश में क्षत्रिय परिवारों को आरक्षण दिए जाने की विशेष आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में देश—समाज से क्षत्रित्व नष्ट होने की सम्भावनाएँ प्रबल बन रही हैं।

कानपुर परिक्षेत्र में क्षत्रियों की बहुत बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद क्षत्रिय नेतृत्व का पूर्णतया अभाव है। यदि कोई क्षत्रिय अपने नेतृत्व से क्षत्रिय कल्याण या जनसेवा का प्रयास भी करता है तो पद लोलुप स्वार्थी और अन्य जातीय शांतिरों का चरणामृत ग्रहण कर गुलामी का जीवन—यापन करने वाले एक जुट होकर हमलावर हो जाते हैं। क्षत्रिय नाम के सहारे पनपे अधिकांश स्वार्थी क्षत्रिय अपने सामने किसी भी साधारण क्षत्रिय को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। क्षत्रियों के पतन में पाखण्डी पुरोहितों के प्रपंच प्राचीनकाल की भाँति आज भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अधिकांश क्षत्रिय पाखण्डी पुरोहितों के अन्ध भक्त बने हुए हैं। चतुर—चालाक पाखण्डी पुरोहित पूजा—पाठ, भागवत, कथा, तेहरवीं में प्रौढ़—वृद्ध क्षत्रियों से पद धुलाकर एवं चरणामृत—गौमूत्र पिलाकर भोज, गौदान, दक्षिणा (भीख) ले रहे हैं। इसके

बावजूद कथा, भागवत में क्षत्रिय विरोधी राजनीति करते हैं। यह चुनावों में क्षत्रिय विरोधी को जिताने में क्षत्रिय वोट तो हासिल करते हैं परन्तु क्षत्रिय प्रत्याशी को क्षत्रिय वोट नहीं मिलने देते हैं। भले ही इनको हाथी पलट हाथ बनाना पड़े या कीचड़ में कमल खिलाना या गणेश पूजन या साइकिल की सवारी करनी पड़े

कानपुर परिक्षेत्र के 90% क्षत्रिय अपनी बिरादरी की बैठक-सम्मेलनों में इसलिए जाना पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि क्षत्रिय किसी की दासतापूर्ण चापलूसी पसन्द नहीं करते। वह वहीं जाते हैं जहाँ क्षत्रिय एवं क्षत्रित्व के सम्मान में किसी प्रकार की असमानता नहीं होती है। क्षत्रिय बैठकों में बने ऊँचे मंचों के सोफे पर विराजमान शातिर-सरगना बहुरुपियों और उनके सगे-सम्बन्धी आपसी हितबद्धों का जबरदस्त स्वागत, सम्मान, पुरस्कार तथा क्षत्रिय उत्पीडकों एवं विजातीयों के भाषण एवं गुणगान किसी भी सामान्य क्षत्रिय के बर्दास्त से बाहर होता है।

क्षत्रियों को चाहिए कि क्षत्रिय बिरादरी की बैठक-सम्मेलन कार्यक्रम में ऐसे आचरण करें कि क्षत्रिय बन्धु दौड़े चले आएँ। क्षत्रियों की भावनानुरूप बिरादरी सम्मेलन-बैठकों के क्षत्रिय मंच सत्यवादी महाराजा हरिश्चन्द्र, पुरुषोत्तम श्रीराम, महाराणा प्रताप एवं महारानी लक्ष्मीबाई की झाँकियों तक सीमित रहें। बिरादरी बैठकों में सभी क्षत्रियों को समान रूप से एक साथ बैठना चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति को मंच पर नहीं बिठाया जाना चाहिए। एजेण्डा-वार्ता विषय पर विचारोपरान्त प्रस्ताव और भाषण करने हेतु लोगों के नाम आमन्त्रित होने चाहिए। सामान्य क्षत्रियों के हितों की सुरक्षार्थ सक्रिय क्षत्रिय सम्मानित होने चाहिए। किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं होना चाहिए। अन्त में प्रस्ताव 'दरिद्रताग्रस्त एवं अन्याय के शिकार साधारण क्षत्रियों की सहायतार्थ होने चाहिए। किसी भी क्षत्रिय का उत्पीडन करने वाले अथवा क्षत्रिय को सहायता के नाम पर दलाली कर लाभ कमाने वाले स्वार्थी का बहिष्कार होना चाहिए। क्षत्रिय बैठकें प्रस्तावित रहें कि क्षत्रिय वोट क्षत्रिय प्रत्याशी तक सीमिति रहना चाहिए।

भारतीय राज्य उ.प्र. के परिक्षेत्र कानपुर के जनपदों में क्षत्रियों की स्थिति

क्र	जनपद	जनपद की क्षत्रिय-जातियों के नाम	सर्वाधिक	अधिक	पर्याप्त	कम	सबसेकम	विशेष
1	कानपुर-नगर	चन्देल, परिहार, कुशवाह	चन्देल	परिहार				नगरमें छुटपुट
		तथाकथित क्षत्रिय नोनिया-चौहान						बिल्हौर-सिकंदरा
		तथाकथितक्षत्रिय-सिंगरौर-चन्द्रौल						दोआब-सरसौल
		तथाकथितक्षत्रिय-तेली,काछी,गडरिया						कुशवाह,राठौर,बघेल
2	कानपुर-देहात	चन्देल,गौर,चौहान,कुशवाह,भदौ,सिसौ	चन्देल	गौर	सिसौदि	चौहा	भदौरिया	क्षत्रिय बाहुल्य
		तथाकथित क्षत्रिय-कुशवाह-मेव						सिकन्दरा-औरैया
		तथाकथितक्षत्रिय-तेली,काछी,गडरिया						कुशवा,राठौर,बघेल
3	औरैया	कुश,चौहान-चकर,परिहार,संगर,गौर	संगर	चौहान	परिहार	गौर	कुशवाह	सोलंकी,चौहान
		तथाकथित क्षत्रिय-मेव-संगर व गौर						औझान,सहाय.बंधरा
4	इटवा	भदौरिया,चौहान,सिकरवार,रघुवंशी,सोलंकी	भदौरिया	चौहान	रघुवंशी	सिक		
5	फर्रुखाबाद	गहर,सोम,राठौ,गौर,चंदे,परि,तोमर,परम	राठौर	सोमवंशी	गहरवार	चंदेल	गौर,परमार	बाछिल-सोलंकी
		तथाकथितक्षत्रिय-काछी,तेली,कंज,बहे	कुशवाह	राठौर	भदौरिया	परिहा		मुस्लिम-परमार
6	कन्नौज	बैस,बघेचौहा,कुश,भदौ,गौर,सिकर,सोलं	बैस	बघेल	गौर	चौहा	भदौरिया	
7		तथाकथितक्षत्रिय:गडरि,नाई,तेली,काछी						बघेल,ठाकुर,राठौर

अस्पृश्यता

अस्पृश्यता का सम्बन्ध दरिद्र, कंगाल और अनुसूचित जातियों से है। कुछ जातियों को पूर्व की भाँति आज भी भारत में अछूत समझा जाता है। अनुसूचित जाति, जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप विकसित वह व्यवस्था है जिसमें मनुष्य-मनुष्य के बीच इतना अधिक अन्तर किया जाता है कि स्पर्श मात्र से ही उच्च जाति के लोग अपवित्र हो जाते हैं। इस अपवित्रता को बचाने के लिए अस्पृश्य व्यक्तियों को उच्च जाति से पृथक् रहने की व्यवस्था की गई है। इन्हें प्रारम्भ में शूद्र कहा जाता था किन्तु धीरे-धीरे पंचम वर्ग अथवा बहिष्कृत जातियों के नाम से सम्बोधित किया गया। साधारणतया इन्हें अनुसूचित जाति या अछूत कहते हैं।

समाजशास्त्रियों के अनुसार, “अनुसूचित जातियाँ वह हैं—जो ब्राह्मणों की सेवा करने में अयोग्य हों। सवर्ण हिन्दुओं की सेवा करने नाईयों, कहारो और दर्जियों की सेवा में अयोग्य हों। हिन्दू मंदिरों में प्रवेश न कर सकें। सार्वजनिक सुविधाओं जैसे—पाठशाला, सड़क—मार्ग आदि उपयोग करने के अयोग्य हों। घृणित पेशे से अलग होने के अयोग्य हों।”

आश्चर्य की बात यह है कि सवर्णों और अस्पृश्य जातियों में दूरी है किन्तु दलित-हरिजनों में भी अस्पृश्यता है, जैसे मेहतर जाति के लाल बेगी जो मरे जानवर उठाते हैं या कठेरिया जो प्रसव कार्य करती हैं उनके यहाँ दूसरे मेहतर-कठेरिया भोजन और पानी नहीं पीते हैं। अस्पृश्य जातियाँ उन स्थानों पर भी नहीं जा सकती हैं, जहाँ सामूहिक रूप से मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं। ये अपने घरों में ही गीत, लोकगीत, लोकोक्तियों से अपना मनोरंजन कर लेते हैं।

अस्पृश्य जातियाँ या अनुसूचित जातियाँ शताब्दियों से सवर्णों के पास रहीं हैं। इनसे कभी-कभी बेगार लिया जाता था। इन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त नहीं थी। इन्हें कभी-कभी अपवित्र समझा जाता था कि इनकी परिछाई पड़ने से ब्राह्मण अपवित्र हो जाया करता था। कबीर जैसे महान कवि ने जहाँ जातिवाद की कटु आलोचना और भर्त्सना की वहीं सम्पूर्ण भारतीय पुनःजागरण आन्दोलन ने भी अनकी आलोचना की। वैधानिक दृष्टि से 1955 के अस्पृश्यता कानून द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, फिर भी अस्पृश्य जातियों की अनेक समस्याएँ हैं।

स्वतन्त्रता के पश्चात् नगरों में इनकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति में अवश्य परिवर्तन आया है। किन्तु ग्रामीण समाज में आज भी इनकी दयनीय स्थिति है। ग्रामीण समाज में अनुसूचित जातियों के व्यक्ति भूमिहीन श्रमिक हैं और जिनके पास भूमि है भी वह नाम मात्र की है जिससे उनके सम्पूर्ण परिवार का गुजारा सम्भव नहीं है। अधिकांश अनुसूचित जातियों के व्यक्ति की भूमि पर दबंग-रहीसों के कब्जे हैं तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपने बच्चों सहित ब्राह्मण, क्षत्रिय और दबंग जमींदार-व्यापारियों के खेतों और भट्टों-कारखानों पर पीढ़ियों से काम करते चले आ रहे हैं। इनके कड़े श्रम के बदले कुछ डिब्बे अनाज, अग्रिम कर्जा, रुपए पूर्व की भाँति मनमाने दिन-दूने रात चौगुने दर पर प्राप्त हो जाता है। जिससे यह अपने बाल-बच्चों सहित बन्धुआ मजदूर बनकर अमानुषिक यातना झेलने हेतु मजबूर बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त 1955 के पूर्व की भाँति अस्पृश्य जातियों को अपनी परम्परात्मक जाति के अनुसार ही काम करना पड़ता है। जैसे चमार, धोबी, धानुक, मेहतर आदि पूर्व की भाँति अपना पेशा कर सकते हैं। ऊँची जातियों के पेशा करने की इन्हें अनुमति नहीं है, जबकि कानून के द्वारा आज ये किसी प्रकार का कार्य करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

अस्पृश्य शूद्रों को समाज में निम्नतम स्थान प्राप्त है। जन्म से ही इनकी स्थिति एवं भूमिकाएँ निश्चित रहती हैं। मेहतर-बाल्मीकि और चमार-मोची, कसाई आदि इसके उदाहरण हैं। शताब्दियों से इनकी आर्थिक स्थिति समाज में निम्नतम इसलिए बनी हुई है, क्योंकि ये उच्च जातियों के पेशों अथवा सरकारी नौकरियों में उच्च पदों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आधुनिक भारत में अनुसूचित जातियों के दरिद्र ऊँचे पदों पर वंचित हैं। इन्हें राजनैतिक, सरकारी नौकरी और व्यवसाय में भी नहीं देखा जा सकता है। इनमें कुछ जातियाँ जन्म से ही घृणित और तुच्छ कार्य करने को मजबूर हैं। मल-मूत्र उठाना, सार्वजनिक सफाई करना, कपड़े धोना, मृत पशुओं को उठाना, प्रसव कराना, पशु-पक्षियों को काटना-भूनना आदि कार्य हैं। जब इनकी परछाई से ही हिन्दू एवं मुस्लिम अपवित्र माना जाता है फिर इनको व्यवसाय करने की कल्पना भी नहीं की जा सकता है। दरिद्रता के कारण आज भी ये सभी प्रकार के व्यवसाय एवं नौकरी नहीं कर सकते हैं एवं सरकारी नौकरी से वंचित हैं। स्वीपर पदों पर सवर्ण एवं पिछड़ी जातियों के व्यक्ति धन के प्रभाव से पदासीन हो रहे हैं और गलियों और नालियों तथा सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई स्वयं न करके मेहतर जाति के लोगों को 100 रुपए दिहाड़ी देकर थोड़ी-बहुत साफ-सफाई कराकर उच्चजाति के लोग स्वीपर पद के वेतन की मोटी रकम हड़प रहे हैं।

अनुसूचित जातियों के दरिद्र व्यक्तियों को वेतन के नाम पर ग्रामीण समाज में बचा-खुचा, गन्दा अपौष्टिक भोजन उपलब्ध हो पाता है, फटे-पुराने और गन्दे सिन्थेटिक वस्त्र पहनने को मिल पाते हैं। वर्ष में कुछ डिब्बे राशन एवं खेतों का अनाज कड़े काम करने के उपरान्त मिल पाता है या मासिक राशन का सड़ा-गला अनाज या कुछ रुपए प्राप्त हो जाया करते हैं। इसलिए इनकी आर्थिक दशा शोचनीय है। अस्पृश्य जातियाँ अधिकतर भूमिहीन श्रमिक हैं। कृषिभूमि, कारखानों, भट्टों, कम्पनियों, स्कूलों, एन.जी.ओ. आदि की धन-सम्पत्ति पर जमींदारों, व्यापारियों, पूँजीपतियों, दबंग नेता-माफियाओं का जबरदस्त एकाधिकार है। श्रमिक-मजदूरों का खेतों में निराई-गुड़ाई एवं कटाई, दहकते भट्टे-भट्टियों की आग में कोयला झोकाई, ईंटों की पथाई, भराई, निकासी, जान जोखम में डालकर मालिकों के लाभकारी भले-बुरे सभी प्रकार के कार्यों का सम्पादन सहित वैध-अवैध लाभकारी वस्तुओं को कम लागत पर तैयार करना है। जमींदार, उद्योगपति, दबंग नेता-माफिया किसी भी स्थिति में इन दरिद्र व्यक्तियों को भूस्वामी एवं वास्तविक लाभ का भागीदार बनाने नहीं देते हैं। इसलिए अधिकांश अनुसूचित जातियों के व्यक्ति भूमिहीन, जीविकाविहीन, बेरोजगार, दरिद्र, कुपोषित एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करने में बुरी तरह असक्षम हैं।

धार्मिक धूर्तता और पाखण्ड

भारतीय समाज धार्मिक पाखण्डों के मकड़जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। देव-स्थलों पर रखे पत्थर (प्रतिमाएँ) मानव के लिए अति पूज्यनीय हैं। धार्मिक प्रवचन से वशीभूत मानव कुर्बान होते हैं। जेहाद के नाम पर नरसंहार होता है। कर्मकाण्डों में जीव बलि दी जाती है। पाखण्डी स्वयं-भू ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होकर भोग विलास में लिप्त हो रहे हैं। ताण्डव नृत्य से साम्प्रदायिक स्वरूप देकर देश, समाज, व्यक्ति एवं व्यवस्थाओं को हिंसात्मक चिन्ता में झोंका जाता है।

मानव एवं ईश्वर के स्वरूपों पर विचारोपरान्त, मानव पत्थर को ईश्वर मानकर पूजता है परन्तु मानव मानव की पहचान नहीं कर रहा है। यद्यपि मानव की छाया से ईश्वर रूप और रंग पा सका है। देव-स्थलों पर स्थापित पत्थर और उनसे बनी प्रतिमाओं को घी, दूध और गंगाजल से नहलाया जाता है जबकि भूखी-भिखारिन का बेटा बूँद-बूँद दूध के लिए तरसता है। हजारों शव बिना कफन प्रतिदिन मुर्दाखानों में जा रहे हैं परन्तु देवालयों की प्रतिमाओं के श्रृंगार कीमती परिधानों एवं आभूषणों से भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पुजारियों के ठाठ-बाट एवं घन-वैभव देखते बनते हैं। ढोंगी मंदिर क्षेत्र में सोने की खान के सपने बता जनता व सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाकर विज्ञान एवं समाज व्यवस्था को पंगु बना रहे हैं। देवस्थल तस्करी एवं आतंकवादियों के अड्डे बन गए हैं। यहाँ से अफवाहें फैलाकर व्यक्ति और समाज को भय, दहशत, अराजकता एवं अन्धानुकृत वातावरण में रहने को मजबूर किया जाता है।

यदि हम अपने समाज सेवियों, सन्त-महात्माओं व धार्मिक नेताओं की गतिविधियों पर गहनता से विचार करें तो पता चलता है कि इनके उद्देश्य **‘ऐन केन प्रकारेण’** जन-समाज को भ्रमित कर उनकी स्वतन्त्रता एवं अधिकारों को बलात् हरण कर अपनी प्रतिष्ठा एवं सत्ता स्थापित करना रहता है। यह प्रपंच कर अफवाहें फैलाते रहते हैं। इनके गुर्गे बस्तियों में भ्रामक प्रचार करके व्यक्तियों की कमजोरियाँ संग्रहित कर संगीन घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। घटित घटनाओं के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही में निर्दोषों को फंसाते हैं और उनके विरुद्ध झूठी गवाही देकर समाज की क्रान्तिकारी प्रतिभावों को नष्ट कर देते हैं। यह लोग सार्वजनिक विकास योजनाओं पर जबरदस्त कब्जा कर सरकारी धन-सम्पत्ति हड़प लेते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यक्तियों को बुला मनमानी रिपोर्ट प्रकाशित कराकर जनता पर जबरदस्त दबाव बनाते हैं। विवाह-संस्कारों के अवसर पर धन-व्यवहार का दिखावा कर परोपकारी बनने का ढोंग करते हैं। देव-स्थलों पर मेले, कीर्तन, उर्स रास एवं नौटंकी मंचों पर नृत्य-भाषण करते हैं। देव-दर्शन के श्रद्धालु-तीर्थयात्रियों का सामान प्रतिबन्धित करके धन-सम्पत्ति हड़पते हैं। देव-स्थलों का चढ़ावा व चन्दे में मिली धन-सम्पत्ति अपने निजी कार्यों में करते हैं। टैक्स से बचने एवं सार्वजनिक धन-सम्पत्ति को हड़पने के उद्देश्य से देव-स्थलों की प्रतिमाओं के वस्त्र तथा आभूषण चोरी कराते हैं।

व्यक्ति एवं समाज की धार्मिक आस्थाओं, अन्धविश्वासों एवं अन्धानुकरण का दुरुपयोग करने में पंडे, पाखण्डी, राजनीतिज्ञ, व्यापारी ठग नेता सबसे आगे रहते हैं। यह स्वांग करके अफवाहें फैलाते हैं। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर समर्थन माँगते हैं। मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघरों पर राजनीति करके बलात् कब्जा करते हैं। मठाधीश बनते हैं। मार्गों में ईंट, पत्थरों पर कण्ठीमाला, चन्दन, सिन्दूर, भभूत, कर्मकाण्ड, रंगीन झण्डे लगाकर एवं सार्वजनिक भूमि, भवनों, चारागाहों, स्कूलों में फर्जीबाड़ा करके कब्जा कर लेते हैं। विरोधी एवं पुलि-प्रशासन पर दबाव हेतु अफवाहें फैला हिंसा कराते हैं। मोक्ष हेतु दान के ढोंगी संकल्प से धन, सम्पत्ति, कन्या, गौ हरण करते हैं। वेश्यागृह व बूचरखाने चलवाते हैं।

उक्त परिस्थितियाँ देश, समाज और व्यक्ति के लिए अत्यन्त दुःखद एवं घातक है। यदि पंडों और पाखण्डियों को ईश्वर की ठेकेदारी है, तो समझ लो, सारी दुनियाँ हत्यारी है। इसलिए इन्सान उठो! घातक परम्परा का त्याग करो। मानव को पहचान कर उसका पूजन करो। स्वर्ग-नरक का ठेका नीलाम मत होने दो। जीवन के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन सोच-समझकर करो। धार्मिक और राजनीतिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो। पाखण्डियों की व्यवस्था ध्वस्त करो। मानकीय शिक्षा व मानवीय व्यवस्था को स्वीकारो। अफवाहें समूल नष्ट कर दो। जिस तरह **‘रोगों की जड़ खांसी है, उसी प्रकार झगड़ों की मूल जड़ उपहास’** है। अतः संयम, विवेक से आपसी भाईचारा की भावनाएँ विकसित करो। इस प्रकार वैज्ञानिक-आध्यात्मिक पद्धति से हम भू पर स्वर्ग उतार सकेंगे और पाखण्डियों की चुनौती का सामना करके अपने देश-समाज की सुख, समृद्धि, शांति और विश्वास को स्थायित्व प्रदान कर सकेंगे।

जीव हत्यारा और विधाता

(सबका मालिक एक फिर भी हत्या खेल?)

जिस व्यक्ति और समाज का भोजन जीव-भक्षण, समाज-सेवा कत्ल-क्रूरता और पाखण्ड, राजनीति न्याय-प्रपंच, व्यवसाय लूट-डकैती-हत्या और विश्वासघात, अधिकार प्राकृति दोहन और ईश्वर की ठेकेदारी कापीराइट हो, वह जीव एवं प्रकृति के लिए कितना उपयोगी और कल्याणकारी होगा, पर गम्भीरता पूर्वक विचार बिना सर्वसमाज के सुख-समृद्धि की कल्पना 'मृगमरीचिका' के समान है। यही कारण है कि हमारे देश-समाज और व्यक्ति के लिए बनीं संहिताएँ, व्यवस्थाएँ, संस्थाएँ, कल्याणकारी योजनाएँ, न्याय और कानून व्यवस्थाएँ तथा संवैधानिक संस्थाएँ आदि व्यक्ति विशेष मात्र के लाभ तक सीमित होकर सर्वसमाज के लिए व्यर्थ सिद्ध हो रही हैं।

आज हम देखते हैं कि, देश के नगर एवं गाँवों के गली-कूँचों में बने धार्मिक स्थलों और विद्यालयों की बुर्जों पर लगे ध्वनि विस्तारक यन्त्र भोर से देर रात्रि तक उच्च ध्वनि से भक्ति-गीति सुनाकर तरह-तरह के साम्प्रदायिक उद्घोष कर रहे हैं। राम-राम, सीता-राम, राधे-राधे, राधे-श्याम, हरे-राम, हरे-कृष्ण, साई-राम, जै-हनुमान, जै-शंकर, जै-भवानी, ईसा-अल्लाह, सत्श्री अकाल, ओ माई गॉड, अल्लाह-हू-अकबर, ईश्वर-अल्लाह तेरे नाम आदि शुभ-अभिवादन की ध्वनियाँ गूँजती रहती हैं। धार्मिक आस्था और प्रतिष्ठा प्रदर्शित कर चुनाव लड़कर शासन किया जाता है। इसके बावजूद वास्तविक अचरण इससे परे हैं।

देश-समाज के धार्मिक और सामाजिक व्यक्तियों के वास्तविक जीवन के आचरणों से रूबरू होने पर हम देखते हैं कि इनकी कथनी और करनी में विपरीत सम्बंध होता है। इनके आचरण अति स्वार्थी, वासनात्मक एवं बर्बरतापूर्ण होते हैं। इनकी कथनी और करनी के प्रदर्शन में ठीक उसी प्रकार सामंजस्य रहता है यथा शराबी-कबाबी के मुख पर पान की लालामी तथा रक्त-रंजित-गन्दे दुर्गंध युक्त वस्त्र धारण करने वालों पर बेला-चमेली से बने सेण्ट की सुगन्धित खुशबू।

आज हाट-बाजार मार्ग गोश्त की दूकानों से भरे पड़े हैं। इन स्थानों पर पशु-पक्षियों को जिंदा जलाकर काटा और लटकाया जाता है। यहाँ पर कटी-जली लटकी लहशें देखकर मासूम बच्चों एवं स्त्रियों के दिल दहला जाते हैं। ऐसे बहुतायत दृश्य व्यक्तित्व विकास को बुरी तरह प्रभावित कर जन-मानस को हिंसात्मक और आतंकवाद के वातावरण में रहने को मजबूर कर रहे हैं। जिसके कारण व्यक्ति देश, समाज एवं परिवार के प्रति अपना दायित्व निभाने में असमर्थ हो रहा है।

पूर्वकाल में कसाई-बाड़े गाँव-नगर की बस्तियों से दूर बने होते थे। चर्मकार मृत जानवरों के शव गाँव-नगर से दूर ले जाकर शवों का चर्म निकाल कर शेष माँस गिद्धों, चीलों, कौओं, कुत्तों, भेड़ियों को खाने के लिए छोड़ देते थे। तदुपरान्त कसाई अवशेष हड्डियाँ कसाई-बाड़ों में ले जाकर संग्रहित करते थे। हड्डी निर्मित उद्योगों के व्यापारियों के वाहन जब बस्तियों से गुजरते थे तो लोग अपने नाक-मुँह को ढक लेते थे तथा बच्चे और स्त्रियाँ एकान्त में दुबक जाते थे।

पूजीवादी एवं मांसाहारी युग में आज माँस का बाजार और कसाई-बाड़ा लाभ का मुख्य व्यापार के रूप में प्रतिष्ठित होकर इससे सम्बंधित उद्योग दिन-दूने और रात-चौगने विकसित हो रहे हैं। मृत शवों के चर्म और मास बिक्री के ठेके धन, पद और प्रतिष्ठित लोग ले रहे हैं। इन लोगों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से मृत शवों के मांस में जहरीला रसायन मिलाकर चीलों, कौओं, गिद्धों को मारा जा रहा है। गौशालाओं पर अतिक्रमण कर तथा खर-पतवार व चारागाहों की घास जहरीली कर पालतू पशुओं को बीमार अथवा मारा जा रहा है। पक्षियों को फंसाकर एवं बन्द पिंजरों में बाजार ले जाकर खुले-आम कत्ल करके या आग-तेल में भूँझ कर दूकानों पर लटकाया रहा है। मार्गों, बीच बाजारों, होटलों, दूकानों पर कटे, जले, भुने, पशु-पक्षियों के लटके शवों के दृश्य सर्वसमाज के मासूम बच्चों एवं व्यक्तियों के मन-मस्तिष्क को बुरी तरह प्रभावित कर हिंसा और आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

पाप करने का अर्थ यह नहीं कि जब वह आचरण में आ जाए तब ही उसकी गिनती पाप हुई। पाप तो जब हमारी दृष्टि में आ गया, विचार में आ गया वह हमसे हो गया। पाप का सम्बन्ध धर्म से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक देश एवं परिस्थितियों का एक धर्म होता है जो उस समय के व्यक्तियों के द्वारा धारण किया जाता है। अतः धर्म का धारण न करना ही पाप है। पाप को इसीलिए एक प्रकार का अन्धेरा कहा गया है जो ज्ञान का प्रकाश होते ही समाप्त हो जाता है।

जिस कार्य में आत्मा का पतन होता है वही पाप है। संसार में सब प्राणी स्वतन्त्र और स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने के लिए आए हैं, उनको स्वार्थ के लिए कष्ट पहुँचाना ही पाप है। पाप का आचारशास्त्र की अपेक्षा धर्म से अधिक सम्बन्ध है। समान्यतः ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐसा कृत्य है जो ईश्वर या उसके द्वारा प्रकाशित किसी व्यवहार-कानून के उल्लंघन अथवा जान-बूझ कर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है। यह ईश्वर की उस इच्छा का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में अभिव्यक्त रहती है अथवा यह उस ग्रन्थ में पाए जाने वाले नियमों के पालन में असफलता का परिचायक है।

पुजारियों के बर्बर प्रपंच

मैंने भारत के विभिन्न मन्दिरों एवं गंगा तथा यमुना तटों पर जाकर देखा कि मंदिरों के पुजारी एवं घाटों के पण्डे किस प्रकार गरीब पूजकों की खाल खींचते हैं। गंगा तट पर तों पण्डितों को कर्मकाण्ड करने से मना करते हुए पाया जब तक कि वे दुःखी श्रद्धालु-ग्रामीण से दक्षिणा के नाम पर मनमाना धन नहीं ऐंठ लेते हैं। परिवार में कोई भी घटना-जन्म, विवाह या मृत्यु हो तो पण्डित आ जाता है और उसे पैसे की विशेष लालसा होती है। यद्यपि हिन्दू-बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम की तरह अन्य देशों में नहीं है किन्तु प्रत्येक धर्म में पुजारी अथवा पुरोहित अवश्य होते हैं। हिन्दू को छोड़कर अन्य सम्प्रदायों में कोई भी पुरोहित बन सकता है। हिन्दुओं में केवल ब्राह्मण ही पुरोहित या पुजारी हो सकता है। कोई भी गैर-ब्राह्मण चाहे वह क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो पुजारी नहीं हो सकता। ब्राह्मण जन्म के आधार पर ही पुजारी बनने का अधिकारी होता है।

पुजारियों की ऐतिहासिकता के अध्ययनों में मैंने पाया, राजतन्त्रता के प्रारम्भ होने से पहले हर जगह केवल पुजारी ही शासन करता था। कभी राजा ही पुजारी भी होता था और कभी पुजारी राजा हो जाता था। राजा को अपने शासन के लिए एक सशक्त सेना की आवश्यकता होती थी परन्तु पुजारियों के साथ ऐसा नहीं था। उनके हथियार दूसरे थे। वे मानव और ईश्वर के बीच की कड़ी बनते थे मध्यस्थ होते थे। यह माना जाता था कि उनमें पापों को क्षमा करने की शक्ति है। उन्होंने स्वर्ग और नरक की मिथ्या कहानियां गढ़ ली थीं। लोग अन्धे होकर उन पर विश्वास करते थे और उनके शोष से भयभीत रहते थे। उन्हें बताया गया था कि पुजारी या पुरोहित पर अविश्वास करने या उसके कहे पर शंका करना पाप है। जो बहादुर लोग जंगली, आदमखोर जानवरों से भी नहीं डरते थे, धनुष-बाण, तलवार या जहरीले सांपों से भी भय नहीं खाते थे वे पुजारियों के उन शस्त्रों और शक्ति से कांपते और धरतें थे। यहाँ तक कि राजा जो युद्ध में शूरवीर थे पुजारी के पैरों पर दण्डवत् गिर जाते थे। वे उन्हें देवताओं जैसा सम्मान देते थे और जो वे कहते उसको नतमस्तक होकर मानते थे। कहने का तात्पर्य राजा इन धर्मिक गुरुओं की कठपुतली थे जिनके द्वारा यह गुरु ही शासन करते थे। यह सार्वभौमिक व्यवस्था थी यह पुजारी मानवता के कन्धे पर सवार थे और उनको कन्धे से उतारने की सारी कोशिशें बेकार थीं। अतः सारे संसार के दुःखों और कष्टों के लिए कोई भी इन पुजारियों को दोष दे तो उचित ही है।

धर्म क्या है? कोई भी धर्म ईश्वर द्वारा नहीं बनाया गया है। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक धर्म और प्रत्येक ईश्वर मानव का ही बनाया हुआ है। सब जगह मानव स्वतन्त्रा और समान उत्पन्न हुआ है। लेकिन अपने भारत में वह उच्च या निम्न पैदा होता है। मृत्यु का भय और स्वर्ग का लोभ धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण हैं। प्रारम्भ में मानव उन प्राकृतिक शक्तियों से भयभीत था जो उसकी समझ में नहीं आती थी। अतः वह प्राकृति को देवता मानकर पूजने लगा। बाद में वह बुरी आत्माओं में विश्वास करने लगा और पुजारियों के अनुसार अपने पूर्वजों की अन्त्योष्टि क्रिया-प्रेत कर्म या श्राद्ध करने लगा। वे सोचते थे कि इससे बुरी आत्माओं या पापों से छुटकारा पा जाएंगे। इसलिए पुजारियों के आदेशानुसार वे प्रेतों को बलि और वस्तुएँ चढ़ाने लगे। पुजारी इन्हें गण्डा, ताबीज तथा तन्त्र अपने शरीर में सुरक्षा कवच की तरह बान्धने को देने लगे। इस प्रकार मृतक की पूजा से मानव कृत देवता की पूजा होने लगी। बलवान बर्बर के पंजे में फंसा एक कमजोर मानव क्या करेगा? खतरे को टालने के लिए वह सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा जो वह क्रूर बर्बर चाहेगा। इसी प्रकार लोग देवताओं की स्तुति करने और चढ़ाई करने लगे। यह सब मुख्यतः केवल भय के कारण था कि लोग देवता मानने लगे, पुजारियों का आदर करने लगे और उन्होंने जो कुछ धर्म एवं ईश्वर के नाम पर कहा आज्ञाकारी सेवक की भाँति करने लगे। यदि हम पुराने जमाने के देवताओं को देखें तो भयानक शक्ल के, पीड़ा देने वाले घातक हथियारों से युक्त हैं। देवताओं पर जीवित व्यक्तियों या पशुओं की बलि देने की पृथा धीरे-धीरे कम हो गई और उसके स्थान पर मिष्ठान, पकवान, लड्डू, खीर मिश्री आदि रोचक पदार्थ चढ़ाए जाने लगे। धर्म के विकास में यह परिवर्तन अपने आप हुआ। इस प्रकार समाज में एक समुदाय शक्तिशाली हो गया और वह धर्म के नाम पर दूसरों पर हावी हो गया। भारतीय पुरोहित ब्राह्मण इस प्रकार अब भी बिना परिश्रम या खतरे के भयप्रद कहानियों के सहारे मौज उड़ा रहे हैं। इस प्रकार ईश्वर और धर्म एक समुदाय के स्वार्थ सिद्ध के लिए बनाए गए। वे परिश्रम करने वालों की दम पर आराम और आनन्द की जिन्दगी बिताने लगे। **पुजारी का धर्म में निवेश क्या है? वह क्या करता है?** केवल नरक की भयानकता का कल्पित ब्यान कर समृद्ध और सुखी जीवन व्यतीत करता है। उसका काम अत्याचार करना, दबाना और शोषण करना है। धर्म दूसरों की भलाई के लिए नहीं दूसरों के परिश्रम की कमाई धूर्तता से उड़ाने का शॉतिपूर्ण साधन बन गया है। कपूर जलाना, पवित्रा भस्म फेंकना, एक चम्मच पवित्रा जल या चरणामृत देना बस यही उनका उद्यम है। 2 किलो वजन की मूर्ति गलियों में ले जाई जाती हैं वह भी देवता के बगल में बैठता या खड़ा होता है और गैर ब्राह्मण उसे ढोते हैं।

समय बीतने पर विचारक, मानवता की स्थिति पर चिन्तन करने लगे। वे अपने भले-बुरे को पहचानने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि सम्प्रदाय और पुजारी हानिकारक एवं मनुष्य के हितों के विपरीत हैं। वे साहस के साथ लोगों को जागृत करने लगे। पुजारी इनका मुकाबला करने में असमर्थ रहे। वे विवाद या विचार विमर्श करने आगे नहीं आए। वे लोगों द्वारा उठाई गई शंकाओं का समाधान नहीं कर सके। लेमिन आने वाले खतरे को समझ गए। अतः उन्होंने आलोचकों कोशक्ति से दबाने का निश्चय किया। कई सच्चे विचारक जिन्दा जला दिए गए। अनेकों को अमानवीय यन्त्राणाएँ दी गईं। कुछ अंधेरे तहखानों में डाल दिए गए। **सुकरात** जैसे बुद्धिमान विचारक को जहर पिला दिया गया। **केवल यह कहने पर कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है गैलीलियो** को सीखचों में बन्द कर दिया गया। इस प्रकार यह धर्म हर जगह मानवता के दुःखों का मुख्य कारण बने, परन्तु पुजारी के लिए बड़ी कमाई का सरल व्यवसाय जो निर्दोषों का खून पीने वाले पराश्रित-अमरबेल हैं। धर्म के नाम पर शोषण के कारण मंदिरों में करोड़ों की सम्पत्ति जमा हो गई। महन्तों पर नोटों की

गड़ियों और कीमती आभूषण बरसते रहे। देवी देवता सोने से मढ़े और कीमती जवाहरातों में जड़े हैं। वे चाँदी और सोने के रथों पर बाहर निकलते हैं। इसलिए समय-समय पर लूट भी खूब हुई।

प्राचीन साहित्य के अनुसार, आर्य जो पश्चिम एशिया से भारत में आए यहाँ पुजारी या पुरोहित बन गए। उनकी संस्कृति भारतीय मूल निवासियों की संस्कृति से भिन्न थी। राजा और सामन्तों के साथ-साथ ब्राह्मण भी शक्तिशाली हो गए। अपने स्वार्थ से वे राजाओं को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करते जिनमें खजाने दान-दक्षिणा में खाली हो जाते थे। वे शत्रु का नाश के लिए शत्रु संहारक यज्ञ करते। शिवाजी के विरुद्ध पुजारी-ब्राह्मणों ने एक ऐसा ही यज्ञ औरंगजेब के सेनापति जसवन्त सिंह के पक्ष में किया था। 1924 में ऐसा ही यज्ञ पैरियर रामास्वामी नायकर के संहार के लिए किया गया था जब उन्होंने अछूतों को मन्दिर के आसपास की सड़कों पर जाने के लिए आन्दोलन किया था। हजारों पुरोहित-ब्राह्मण इससे लाभान्वित हुए। दूध, घी, पफल, मेवे तथा खाद्य पदार्थ बर्बाद हुए परन्तु पैरियर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। त्रावेंकोर के राजा जिन्होंने यज्ञ करवाया था वे मर गए। ब्राह्मणों को उपजाऊ जमीनें दी गई जिसका कोई लगान नहीं लेना होता था और ब्रह्म देश कहलाती थीं। उन्होंने मूल निवासियों के साहित्य को नष्ट कर दिया। प्रार्थनाओं में संस्कृत के श्लोक एवं मंत्र ढूँढ़ दिए। अंग्रेजों के आने पर उन्होंने तुरन्त अंग्रेजी पढ़ी और अंग्रेजों का शासन चलाने लगे तथा नया महत्व प्राप्त कर लिया। आजादी के बाद से ज्यादातर उच्च पदों पर वे ही छल-बल से रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दलित-पिछड़ों के लिए आरक्षण व्यवस्था की तो सरकार को अस्त-व्यस्त करने के उद्देश्य से अनेक सीधे-साधे नौजवानों को आग के हवाले कर सरकार व देश के लिए गम्भीर समस्या उत्पन्न की गई।

वस्तुतः इस्लाम जब भारत में आया तो यहाँ प्रचलित जाति एवं संस्तरण के प्रभाव से वह अछूता न रह सका और इसके भी जाति एवं संस्तरण उत्पन्न हो गए। इस प्रकार भारत में मुसलमानों में जाति-प्रथा का प्रचलन हिन्दुओं से ही सम्बन्धित परिणाम है। भारत में मुसलमानों ने अपने को हिन्दुओं की तरह चार भागों में विभक्त किया है। ऐतिहासिक प्रमाण भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। मुसलमान भारत में विजेता के रूप में बाहर से आए थे। शासक के रूप में जब वे यहाँ रहे तो यहाँ के कई मूल निवासियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया शासकों ने इन धर्म परिवर्तन करने वालों को भी अपने बराबर नहीं माना और अपने को उनसे ऊपर समझा। इस प्रकार प्रारम्भ से ही मुसलमानों में ऊँच-नीच की भावनाएँ आ गई थी। जो लोग हिन्दू से मुसलमान बने, उन्होंने भी जाति व्यवस्था का पूर्णतः परित्याग नहीं किया था, परिणाम स्वरूप मुसलमान बनने पर भी वे जातीय विषयों का पालन करते रहे। स्वतन्त्रा भारत के विभाजन से बना पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और उसके निवासी तथा शासन व्यवस्था पूर्णतया इस्लामिक है। जो कि अपने धर्मगुरुओं एवं आंतकी संगठनों के माध्यम से भारत में तरह-तरह की समस्याओं को पैदा कर रहा है और यह आतंकवादी संगठन भारत में घुसपैठ कर यहाँ की मस्जिद एवं मदरसों में शरण पाते हैं और भारतीय जनमानस को बुरी तरह हताहत करते रहते हैं। इसी प्रकार बौद्ध व ईसाई धर्म के ज्यादातर लोग भी भारत में पोप लीला करते रहते हैं। ये लोग घन के प्रभाव से भारतीय जनता में घुसपैठ कर जादूटोना, अश्लील साहित्य, शब्दों का मकड़जाल, मृत्यु का भय दिखा कर तथा स्वर्ग और ईश्वर की ठेकेदारी के नाम पर लोगों को भ्रमित कर भोले-भाले लोगों व बेरोजगारों को लालच में फंसा कर भारतीय समाज को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर रहे हैं।

भारत की ऐतिहासिक पवित्र नगरी: इलाहाबाद-संगम के कुम्भ स्नान के दौरान वहाँ के पण्डा, मल्लाह, पुजारी, पुरोहित द्वारा स्नानार्थियों से कर्मकाण्ड के नाम पर जबरदस्त लूट-खसोट एवं बनारस के मन्दिरों व घाटों पर दूकानदारों द्वारा पर्यटक-श्रद्धालुओं से जबरदस्ती सामान रखवाकर कीमती सामान हड़प लिए जाने की बहुतायत घटनाओं में स्थानीय पुलिस-प्रशासन की साँट-गाँठ तथा गंगा व यमुना घाटों आदि पर बसे प्रमुख नगरों के आयोजित मेलों में स्नानार्थी-श्रद्धालू-पर्यटक तथा तरह कलंकित हो रहा है।

पवित्र स्थलों की धार्मिक इमारतों एवं पुजारी-पुरोहित तथा मठाधीशों के जन-सामान्य के साथ तरह-तरह की घटनाओं में पुलिस-प्रशासन एवं पुजारी-महन्त तथा अराजक तत्वों की साँट-गाँठ से घटित अपराधिक घटनाओं से देश- और माज बुरी **क्रिया-कलापों के गहन निरीक्षण एवं विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त के निष्कर्ष**, जन-समाज की आस्था के प्रतीक पवित्रा स्थलों की ज्यादातर धार्मिक इमारतें अति कुख्यात दस्यु-माफिया एवं शांतिर सरगना तथा पेशवर अपराधियों की शरणस्थी ही नहीं बल्कि सुरक्षा कवच, निवास, आपराधिक-केन्द्र, आय के साधन, राजनैतिक-प्रशासनिक सम्पर्क का केन्द्र तथा आपराधिक-राजनैतिक गतिविधियों को संचालित करने का केन्द्र हैं। इनके प्रभाव एवं फरमान से दहशत उत्पन्न कर संगीन घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है, राजनैतिक चुनाव जीते जाते हैं और तरह-तरह के समारोह आयोजित करके उच्च-अधिकारियों व राजनेताओं की मौजूदगी में इन्हें उच्च सम्मान से विभूषित किया जाता है। जिससे भारतीय जन और समाज बुरी तरह से हतोत्साहित होकर अपराधियों के आंतक एवं दहशत तथा उत्पात से बुरी तरह त्रास्त होकर घुट-घुट कर जीने और उत्पीडन सहने को मजबूर है। इन परिस्थितियों में ऐसे संगीन अपराधों के उन्मूलन हेतु सभी धार्मिक स्थलों, ट्रस्टियों, महन्तों, पुजारियों, निवासियों का जीवनवृत्ति, आय के स्रोत, पारवारिक स्थिति, बैंकखाते, चल-अचल सम्पत्तियों, साधनों के आगम के स्रोत, सम्बन्धित लोगों के क्रियाकलापों, आहार के स्रोत, रहन-सहन आदि मामलों पर शासन एवं प्रशासन द्वारा उच्च स्तरीय गहन जाँच कराकर अपराधों में बाँधित लोगों के प्रपंचों से त्रास्त भारतीय जन-समाज को अबिलम्ब मुक्त मिलनी चाहिए।

सत्संग, प्रपंच और अत्याचार

(तथाकथित भगवानों के अवैध व्यापारों एवं विषैली भभूत से वशीभूतता पर अंकुश जनहित है)

आज स्वर्ग और नरक के ठेकेदार तथा समाज के आका ईश्वर को 'बोतल के जिन्ह' तथा निरीह-जीव व समाज को अपने स्वादिष्ट-भोज्य पदार्थ के रूप में उपभोग करने लगे हैं। हमारा प्राकृतिक पर्यावरण तथा धर्म बुरी तरह से संक्रमित हो चुका है। जल, वायु सहित प्राकृतिक व मानव निर्मित समस्त पदार्थ विषाक्त हो रहे हैं। जिससे हमारा मानव समाज एवं उसका समस्त पर्यावरण जीवन संकट ग्रसित होकर नष्ट होने की कगार पर हैं। इसके बावजूद सामाजिक-धार्मिक-राजनैतिक आका एवं उनके गुर्गे हमारे समाज के निरीह जनों को अपनी तामसी प्रवृत्ति में वशीभूत कर अपने 'हिंसा धर्म' के बर्बस्व का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे कु:धर्म और हिंसा के शिकार 'भक्त और भगवान' दोनों ही अपने मोक्ष की गुहार लगा रहे हैं। प्राचीनकाल के ऋषि-मुनि वर्तमान की समस्याओं से परिचित थे। इसीलिए उन्होंने प्रकृति, पदार्थ जीव, जन्तु तथा वनस्पति की सुरक्षा हेतु नियम, कानून, न्याय एवं दण्ड व्यवस्था प्रतिपादित की। जिसके अनुपालन के अभाव में आज हमारा समाज और ईश्वर मकडजाल में फंसेकर दुर्गति झेलने को मजबूर है। अन्ध श्रद्धा से वशीभूत जब कोई व्यक्ति या समाज अपनी कमाई को लुटाने के लिए स्वयं उत्सुक होकर लुटेरों को निमन्त्रण दे और लुटने के बाद लुटेरों को ही अपना भाग्य विधाता बताए तो उसकी रक्षा कैसे सम्भव हो?

प्रत्येक प्रकृति, जीव और पदार्थ ईश्वर द्वारा निर्मित माना जाता है। जिसके आधार पर विधि-विधान और प्रक्रिया सिद्धान्त लागू होते हैं। प्राकृतिक-जीवन की समस्याओं को प्रथक किए बिना जगत का कल्याण ठीक उसी प्रकार सम्भव नहीं है जिस प्रकार कृतिम-सप्रेटा दूध से निर्मित मिठाइयों के सेवन से स्वास्थ्य कुशलता सम्भव नहीं हो सकती है।

आजकल धर्म का जो स्वरूप प्रचलित है, उसमें व्याप्त निम्न कोटि की व्यावसायिकता, अनैतिकता और घृणित स्वार्थपरता देखकर धर्म की कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है। उदाहरण के लिए उन धार्मिक समारोहों को ही लें जिनका संचालन सूत्र धर्म के धन्धे-बाजों के हाथों में रहता है और ऐसे आयोजन गाँवों एवं शहरों में आए दिन होते रहते हैं जिनमें दूसरे स्थान के पेशेवर-उपदेशक आमन्त्रित कर ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रचार-प्रसार एवं आयोजकों की धन-प्रद-प्रतिष्ठा के अनुसार भारी संख्या में लोग प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। प्रवचन सुनते समय लोग वक्ता के रंग में इस कदर रंग जाते हैं कि उन्हें गद्दी पर बैठा उपदेशक महापुरुष, सिद्ध सन्त, महायोगी और न जाने किन-किन विशेषताओं से सम्पन्न अलौकिक पुरुष लगने लगता है।

लक्ष्मण भाषा में धर्मशास्त्रों के उदाहरण मधुर कण्ठ से जब नीति, सदाचार, धर्म, ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिकता के उपदेश प्रवाहित होते हैं, तो अनुभव होने लगता है कि ऐसे सौ दो सौ उपदेशकों और हो जाएँ तो सारे जगत में सुख-शांति तथा नैतिकता जनित सुव्यवस्था की स्थापना हो जाए। किन्तु इस तंत्र का गहराई से अध्ययन करने पर भ्रम टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती। शीघ्र ही उपदेशकों का असली रूप सामने आ जाता है तथा उन से और उन के उपदेशों से वितृष्णा हो उठती है। इन सत्संग प्रवचनों में कम ही लोग नीति सदाचार सिखाते हैं। अधिकाँश उपदेशक तो, "संसार मिथ्या है, घर परिवार माया है, धन की इच्छा लोभ है, ईश्वर की कृपा ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए तथा स्त्री, पुत्र, स्वजन सम्बन्धियों से प्रेम नहीं करना चाहिए....." जैसे उपदेश देते हैं। गनीमत है कि लोग इन पर आचरण नहीं करते, उन्हें सुनने तक ही सीमित रहते हैं अन्यथा परिवार और समाज व्यवस्था ही नष्ट हो जाए।

सत्संग की प्रेरणाओं को जीवन व्यवहार में न उतारने के लिए उपदेशक लोगों को बुरी तरह लताड़ते भी हैं, पर यह भी तो देखने की बात है कि उन शिक्षाओं को उपदेशक स्वयं कितना अमल में लाते हैं। इन के मन में लोक कल्याण की कितनी टीस है? नैतिकता और सदाचार सिखाने वाले ये उपदेशक स्वयं नीति नियमों का कितना पालन करते हैं?

उपदेशक वर्ग का अध्ययन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि यह वर्ग एक ऐसे व्यवसाय में संलग्न है जिस में लोगों को दिग्भ्रमित कर अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाता है अर्थात् जनसाधारण को मूर्ख बनाकर स्वयं मौज उड़ाने के अलावा इस व्यवसाय का कोई उद्देश्य नहीं है। लोभ न करने, संग्रह न करने, थोड़े में सन्तोष मानने का उपदेश देते हुए कोई सन्त-महात्मा अथवा गृहस्थ उपदेशक सादगी, सरलता और त्याग तपस्या का कैसे ही नाटक रचे, उस की दृष्टि अपने व्यावसायिक हितों अर्थात् जनता पर प्रभाव तथा प्रसिद्धि में वृद्धि और मिलने वाली मोटी दक्षिणा पर ही टिकी रहती है। प्रवचनकर्ता साधु-सन्त से लेकर आयोजन की व्यवस्था करने वाले धर्मसेवियों तक को अपना उल्लू सीधा करने से मतलब रहता है। यह मतलब पुण्य, परमार्थ व लोक कल्याण की दुहाई दे कर पूरा किया जाता है। मूर्ख बनती है जनता, जो अपने खून-पसीने की कमाई को चंदे के रूप में देती है ताकि उस धार्मिक आयोजन का पुण्य उन्हीं भी मिल जाए।

इस तन्त्र का व्यावसायिक विश्लेषण करने पर आयोजक और उपदेशक दो वर्ग उभर कर आते हैं। जहाँ कहीं भी सत्संग आयोजन होते हैं वहाँ के कुछ पारंगत लोग आयोजन के लिए कोई सभा-समिति बनाते हैं और जनसाधारण में आयोजन की रूपरेखा प्रचारित करते हैं। इस प्रचार के साथ ही लोगों से चन्दा उगाही की जाती है। लोग सहज श्रद्धा के वशीभूत होकर सामर्थ्य के अनुसार पर्याप्त चन्दा देते हैं। चन्दा सामान्यतः नकद ही लिया जाता है, पर यज्ञ आदि के अवसर पर अनाज, घी, चीनी आदि के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तदुपरान्त उपदेशकों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है। आमतौर पर इन लोगों का उपदेशक से पहले ही सम्बन्ध रहता है। कमेटी के सदस्य उपदेशक को बुलाने के सारे गुर जानते हैं और उन से व्यावसायिक भाषा में ही बात करते हैं। प्रसिद्ध उपदेशक तो सीधे बात ही नहीं करते क्योंकि वह उन की शान के खिलाफ जाता है। अतः उन के प्रमुख शिष्य, जो उनके व्यवसाय प्रबंधक होते हैं, से

सारी बातचीत होती है, लेकिन छोटे उपदेशक सीधे ही बातचीत करते हैं। उनकी मजदूरी भी कम होती है। **भजनोपदेशक हजारों-लाखों रुपये रोज पर व्याख्यान** देते जाते हैं। प्रत्येक उपदेशक को उस की दक्षिणा के अतिरिक्त यात्राव्यय, वस्त्र और चढ़ावा भी मिलता है। शोभा यात्रा निकाली जाती है और जगह-जगह आरती उतारी जाती है तथा भेंट और चढ़ावा दिया जाता है। स्थानीय लोग जो चन्दा आदि एकत्र करते हैं उस में से उपदेशक को दान-दक्षिणा और किराया भाड़ा देने के अलावा फर्श, रोशनी बिजली आदि में नाममात्र का खर्च आता है, शेष सारी रकम सत्संग कमेटी के सदस्यों द्वारा आपस में बांट ली जाती है।

उपदेशक वक्ता अपना प्रभाव जमा कर जनता से सीधे दानदक्षिणा और भेंटपूजा भी ऐंठते हैं। लोग जितने अधिक प्रभावित होते हैं, उतनी अधिक दान-दक्षिणा मिलती है। इसलिए प्रत्येक उपदेशक की हार्दिक आकांक्षा रहती है कि उस का प्रभाव जमे। प्रभाव जमाने के लिए प्रायः वक्तव्य कला ही काम आती है। इस सफलता को प्रवचन जमाना कहा जाता है। प्रवचन जमाने के लिए कई बातें आवश्यक हैं। धारा प्रवाह बोलने का अभ्यास, विभिन्न शास्त्रों के उदाहरण, रामायण की चौपाइयों, वेदमंत्रों और गीता भागवत के श्लोकों का सस्वर पाठ, उपदेशक की विद्वता की धाक जमाता है और प्रवचन के बीच-बीच में कही जाने वाली हस्योक्तियाँ लोगों का ध्यान केंद्रित किए रहती हैं, शास्त्रीय भाषा व श्लोक चौपाइयाँ सामान्य जनता के पल्ले नहीं पड़ती। अतः लोग प्रवचन के दौरान हास्योक्तियों का रस लेते हैं तथा वक्ता के हावभाव अभिनय को देखते रहते हैं। इनके अभाव में प्रवचन नीरस होने के कारण लोग ऊँघने भी लगते हैं। अतः अधिकांश उपदेशक नाटकी हावभाव और चुटकुलों द्वारा श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित रखने के लिए कुशलता से काम लेते हैं।

मजे की बात तो यह है कि प्रवचन से ऊब कर लोग जब ऊँघने लगते हैं और उपदेशक कोई चुटकुला कहता है तो पास वाले को हँसते देख कर ऊँघने वाला व्यक्ति भी हँसने लगता है, जब कि उसे कुछ पता नहीं होता कि लोग क्यों और किस बात पर हँस रहे हैं, अधिकांश श्रोता प्रवचन में पहुंच कर ऊँघने लगते हैं, उनकी प्रवचन में तो कोई रुचि नहीं होती पर धार्मिक दीखने या संत उपदेशक के व्यक्तित्व से प्रभावित होने के लिए वे प्रवचन में जाते अवश्य हैं। हँसने-हसाने के लिए प्रसंग उन लोगों को भी जगा देते हैं। कई उपदेशक अपना प्रवचन जमाने के लिए बीच-बीच में संकीर्तन की टेर भी छोड़ देते हैं। इस से सोए हुए लोग जाग उठते हैं। कोलाहल शांत करने तथा प्रवचन सुनने का मूड बनाने के लिए यह एक अच्छा नुसखा माना जाता है। जो उपदेशक जमाने लगते हैं उन के सफलता का द्वार खुल जाता है। सत्संग समारोहों में भेंट-पूजा ग्रहण करने के अतिरिक्त इन धर्म रक्षकों की आय का एक और स्रोत यह है, आयोजन के समय लोगों द्वारा भोजन पर आमंत्रित किया जाना। आमन्त्रित वक्ताओं के लिए आयोजकों को भोजन की व्यवस्था शायद ही कहीं पर करनी पड़ती हो, श्रद्धालु लोग उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए निमन्त्रित करते हैं। इस आशा से कि महाराज की चरण धूलि उन के आवास को पवित्र करेगी, पर इन तपःभूत महात्माओं की चरणरज वहीं पड़ती है जहाँ उनके साथ आए भक्त पहले ही सूँघ कर यह पता लगा लेते हैं कि वहाँ दान-दक्षिणा में मोटी रकम मिलने वाली है। कुछ महात्माओं को अपनी आशा से कम दान-दक्षिणा मिलने पर कुड़-कुड़ाते हुए भी देखा गया है। कहाँ है वह त्याग जिस का उपदेश दुनियाँ को दिया जाता है और कहाँ है वह तपस्या जो औरों को सिखाई जाती है।

इस सन्दर्भ में **यह अनुकरणीय है** कि, बहुप्रचारित, मजबूत और टिकाऊ उत्पादन की वास्तविकता जानने वाला उद्योगपति जिस प्रकार अपने **उत्पादन का उपयोग स्वयं** नहीं करता, उसी प्रकार तथाकथित धर्मोद्धारक उपदेशक प्रचारित आदर्शों का खोखलापन जानने के कारण स्वयं उन से कोई सम्बन्ध रखना उचित नहीं समझता। **सत्संग प्रवचनों की व्यावसायिकता का इस से बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है?**

प्रवचन व्यवसाय में पुरुषों का ही एकाधिपत्य नहीं है। **स्त्रियाँ भी सन्यासिनी, योगिनी और जगन्नात बन कर लोगों को धर्म अध्यात्म सिखाती हैं।** इस तरह की स्त्रियों के लिए सुरक्षा का प्रश्न आड़े आता है। अतः कम ही महिलाएँ इस व्यवसाय में आती हैं। जो इस व्यवसाय में आई भी हैं उन के साथ अभिभावक या संरक्षक रहते हैं। महिला उपदेशकों की संख्या यद्यपि कम है पर महिला होने के कारण इन की माँग ज्यादा रहती है। वृद्धा उपदेशिकाएँ ही अधिक जमती हैं। ज्यादातर उपदेशक धार्मिक संगठन से बंधे रहते हैं। उन्हें एक निश्चित रकम प्रति मास वेतन के रूप में मिल जाती है और संगठन उन्हें जहाँ भेजता है, वहाँ वे जाते हैं। यह संगठन ही उन्हें मंच प्रदान करता है। इसीलिए उनकी कोई कोई स्वतन्त्र छवि नहीं बन पाती और न ही उनकी कोई माँग करता है। क्योंकि वे व्यक्तित्व की दृष्टि से कमजोर और अनुभव की दृष्टि से कच्चे रहते हैं। संगठन की शाखाएँ ही संगठन से प्रचारक माँगती हैं और संगठन का मुखिया जिसे उपयुक्त समझता है उसे भेज देता है। ऐसे प्रचारक स्वयं को प्रायः असुरक्षित करते हैं, किन्तु उन्हें कभी किसी बात की नहीं रहती।

उपदेशक चाहे छोटा हो या बड़ा, ऐश-आराम से रहता है। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई व्यस्तता नहीं और कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ऐसी स्थिति में उन का चरित्र कैसा रहता होगा? **‘खाली दिमाग शैतान का घर’** वाली कहावत यहाँ चरितार्थ देखी जा सकती है। कार्यक्रमों के दौरान डेढ़-दो घण्टे का प्रवचन झाड़ लेने और बाकी समय निठल्लेपन से गुजारने के कारण ही उन के दिमाग को खुराफाते सूझती हैं।

आज वैज्ञानिक युग में इस प्रकार की सामग्री समाज व शिक्षा क्षेत्र में **कालिख** के समान हैं, जो हमारे राष्ट्र-समाज की बुद्धि को दिवालिया बनाती है। जहाँ दूसरे राष्ट्र प्रत्येक क्षेत्र में नए मानदण्डों को स्थापित कर रहे हैं, मानव के अन्दर समाहित अपार रचनात्मक शक्ति का अन्वेषण व उपभोग कर रहे हैं, वहाँ हम उसे जड़वाद यथास्थिति एवं भाग्यवादिता की गोद में लिए बैठे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कहीं कहीं तो शब्दजाल रचकर अर्थ का अनर्थ करने व मनमानी व्याख्याएँ करने के उदाहरण भी दिखाई देते हैं।

एक ओर इस तरह के अधिकतर प्रवचन अन्ध-विश्वासों, गलत धारणाओं, सामाजिक कुरीतियों, भूतप्रेत, तन्त्र-मन्त्र, अभिशाप, वरदान आदि चमत्कार पैदा करने वाले देवी-देवताओं की शक्ति का हवाई वर्णन होता है, जबकि दूसरी ओर विज्ञान की पुस्तकों में कार्यकारण का सिद्धान्त सिखाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा ऐसी समस्त बचकानी धारणाओं, देवी-देवताओं, तन्त्र-मन्त्र, भूतप्रेत, आत्मा-परमात्मा आदि की असत्यता प्रमाणित की जा चुकी है। विज्ञान में ठोस आधार पर प्रकृति के उद्भव व विकास को दर्शाया गया

है।

इस प्रकार की विरोधाभास से युक्त शिक्षा, धर्म और प्रवचन देश-समाज का क्या भला कर सकते हैं? यह शिक्षा-धर्म-प्रवचन हमारे समाज को अजीब असमंजस में डाल देते हैं। वह यह निर्णय नहीं कर पाते कौन सी बात सही है। अतः जनजीवन एवं छात्रों का जीवन व व्यवहार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बंचित रह जाता है।

इसी अभाव से हमारे समाज के लोग एवं छात्र-छात्राएँ उचित-अनुचित, यथार्थ और असत्य के भेद नहीं कर पाते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। वह अपने स्वार्थ के लिए अनुचित मार्ग अपनाने में नहीं हिचकिचाएगा तथा इन्सान को इन्सान न समझकर उसे अछूत ही कहता रहेगा। आज हमारे समाज में जो अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार तथा **विपथगामी- विचलन** देखा जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है।

धर्म और जादू

‘धर्म’ किसी—न—किसी प्रकार की आलौकिक शक्ति पर विश्वास है। चूँकि यह शक्ति आलौकिक है। इस कारण उसे डरा—धमका कर या ऐसे अन्य किसी उपाय से अपने वश में नहीं किया जा सकता फिर भी उस शक्ति के सम्मुख सिर झुकाकर उसकी पूजा, प्रार्थना या आराधना करके उसे अपने पक्ष में लाकर जरूरतों की पूर्ति की जा सकती है। इसके विपरीत कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो मनुष्य की अपनी शक्ति से अधिक शक्तिशाली तो हैं, परन्तु इन पर कुछ निश्चित तरीकों से अधिकार किया जा सकता है। इसीलिए मानव इस शक्ति के सामने झुकने के बजाय इस पर अपना अधिकार स्थापित करके उससे अपने उद्देश्यों अथवा आवश्यकताओं की पूर्ति करवाता है। इसी को ‘जादू’ कहते हैं। समाजशास्त्रियों द्वारा ‘धर्म और जादू’ को इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है।

धर्म क्रिया का एक तरीका और विश्वासों की एक व्यवस्था तथा समाजशास्त्रीय घटना के साथ—साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। इस प्रकार से धर्म की चार प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट हैं। पहली विशेषता यह है कि धर्म विश्वासों की एक व्यवस्था है। यह विश्वास किसी अलौकिक शक्ति, आत्मा, परमात्मा या किसी और पर हो सकता है। यह विश्वासों की एक व्यवस्था इस अर्थ में है कि उस अलौकिक शक्ति पर कुछ परम्परा—स्वीकृत तरीकों से विश्वास करते हैं या उसके विषय में चिन्ता करते हैं। उदाहरणार्थ एक समाज अपने धर्म के अन्तर्गत निराकार शक्ति पर विश्वास करता है, तो वह समाज उस निराकार शक्ति के बारे में जो कुछ सोचेगा या जिस ढंग से सोचेगा वह उस समाज के ढंग से भिन्न होगा जहाँ साकार शक्ति पर विश्वास किया जाता है। धर्म की दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक धर्म में विश्वासों से सम्बन्धित कुछ क्रियाएँ या कर्म होते हैं। अर्थात् उसे कर्म करना पड़ता है और इस कर्म की अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा—पाठ या आराधना के रूप में होती है। धर्म की तीसरी विशेषता यह है कि धर्म एक सामाजिक घटना है। एक ही समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अलग—अलग धर्म है, ऐसा देखा नहीं गया। धर्म की चौथी विशेषता यह है कि धर्म को मानना या न मानना स्वयं व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है और यह बात उसके व्यक्तिगत अनुभवों द्वारा प्रभावित होती है। हो सकता है कि एक हिन्दू के जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हों जिनके कारण वह हिन्दू धर्म त्यागकर इस्लाम को अपना ले। धर्म की यह विशेषता अनुभव द्वारा प्राप्त व्यक्ति की अपनी मानसिक स्थितियों पर बल देती है।

संस्कृति का प्रत्येक तत्त्व या भाग किसी—न—किसी कार्य को करने के लिए प्रकट होता है। संस्कृति का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो कि हमारी किसी—न—किसी जरूरत को पूरा न करता हो। संस्कृति का कोई भी भाग बेकार का नहीं। चूँकि मानव को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। इस कारण वह विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों को जन्म देता है और इन्हीं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में व्यवहार करता है। चूँकि धर्म भी संस्कृति का एक अंग है, इसलिए उसका भी प्रत्येक संस्कृति में कुछ—न—कुछ निश्चित कार्य होता है। उन कार्यों को करने के लिए ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। अन्य शब्दों में धर्म कुछ मानवीय आवश्यकताओं की प्रतिक्रियाओं का ही फल है।

आदिकालीन मानव को अनेक ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था जिनका समाधान उसके पास नहीं था। उदाहरणार्थ मृत्यु के समय और बच्चे के पैदा होने के समय कुछ मानसिक कष्ट का अनुभव होता है, जिनसे छुटकारा पाना आवश्यक है। उसी प्रकार खेती करने में और समुद्र में नाव चलाने में कभी—कभी ऐसी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिनकी कि कभी आशा ही नहीं होती। ये समस्याएँ किसी एक व्यक्ति के जीवन में नहीं, बल्कि समाज के अधिकतर लोगों के जीवन में आ खड़ी होती हैं। इन्हें सुलझाने के लिए या इनका सामना सफलतापूर्वक करने के लिए मानव जो प्रयत्न करता है, धर्म उन्हीं प्रयत्नों का परिणाम है। चूँकि ये सबकी समस्याएँ हैं, एक कारण इनसे संबन्धित क्रियाओं में सब लोग दिलचस्पी लेते हैं। सार्वजनिक दिलचस्पी या सारे समूह के भाग लेने के कारण धार्मिक नियमों के पीछे सारे समाज का बल होता है।

धर्म समूह के मूल्यों और मान्यताओं की रक्षा करता है परन्तु बिना व्यक्ति की अभिवृत्तियों और विचारों से धर्म नहीं चल सकता। इस तरह धर्म सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों आधारों पर उत्पन्न होता है। जादू विशुद्ध व्यावहारिक क्रियाओं का योग है जिन्हें कि उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इच्छित परिणामों को अन्य किसी भौतिक प्रविधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तब जादू के साधन से उन परिणामों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। जादू की यह व्यावहारिकता आदिकालीन समाज में अधिक थी क्योंकि आदिवासी लोगों के जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियाँ और समस्याएँ आती थीं जिनका हल वे अपनी सीमित बुद्धि एवं कौशल के आधार पर नहीं कर पाते थे। उनकी इस कमी को जादू पूरा करता था। उनके जीवन में अनेक खतरे होते थे और ऐसी अनेक दुर्घटनाएँ होती थीं जिनका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में जादू लोगों का बहुत बड़ा सहारा था। इसके अतिरिक्त जादू चमत्कारों में विश्वास दिला कर अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस लोगों को प्रदान करता है। जादू का चमत्कार इसके अधिकारी को शत्रु का विनाश करने या उसे हानि पहुँचाने में भी सहायता करता है। इसीलिए जादू वह शक्ति मानी जाती है जो कुछ व्यावहारिक हितों की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है।

समस्त प्रकार के जादू को दो प्रमुख श्रेणियों— **सफेद जादू** और **काला जादू** में विभाजित किया जा सकता है। **सफेद जादू** के दो भेद हैं। पहले भेद में वे जादू आते हैं जिन्हें कि जीवन की अनिश्चितता और खतरों से मनुष्य की रक्षा करने हेतु काम में लाया जाता है। उदाहरणार्थ ट्रोब्रियंड द्वीपसमूह के निवासी गहरे समुद्र में मछली का शिकार करने जाते हैं। तब वहाँ उन्हीं प्रायः नाना प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। इन खतरों से बचने के लिए वे जादू की सहायता लेते हैं। **सफेद जादू** के दूसरे भेद में विचित्र घटनाएँ

आती हैं। जब कोई व्यक्ति जादू की शक्ति से कोई ऐसा चमत्कार दिखाता है जिसकी कि कोई भी आशा नहीं कर सकता, तो उसे इस श्रेणी के अन्तर्गत लाते हैं। इन दोनों प्रकार के जादुओं को सफेद जादू इसलिए कहा जाता है कि इनका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण से कल्याणकारी होता है। इसके कारण ऐसे जादू को समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। इसके प्रतिकूल **काले जादू** का उद्देश्य दूसरों को हानि पहुँचाना होता है। इसीलिए इसे **काला जादू** कहा जाता है। इसे समाज की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। इस जादू को जादूगर अपने शत्रु के प्रति प्रयोग करता है जिससे कि उसे जान-माल की हानि हो या वह बीमार पड़ जाए या उसे अन्य प्रकार से कष्ट पहुँचे। काले जादू के अन्तर्गत टोना तथा भूत-प्रेतों की सिद्धि भी सम्मिलित किया जाता है।

जादू और विज्ञान में कई समानताओं का उल्लेख मिलता है। पहली समानता तो यह है कि दोनों का ही मनुष्य की प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं से सम्बन्धित कोई-न-कोई निश्चित उद्देश्य होता है। दूसरी समानता यह है कि जादू और विज्ञान दोनों ही कुछ निश्चित नियमों पर आधारित हैं। मनमाने ढंग से न तो जादू में कार्य होता है और न ही विज्ञान में। तीसरी समानता यह है कि जादू और विज्ञान दोनों में एक विशेष प्रविधि का प्रयोग किया जाता है।

उक्त समानताओं के होते हुए भी जादू और विज्ञान को एक समझने की गलती नहीं करना चाहिए क्योंकि बाहरी तौर पर ये समानताएँ प्रकट होने पर भी वे वास्तविक नहीं हैं। वास्तव में जादू और विज्ञान दो अलग-अलग वस्तुएँ हैं। इन दोनों में कुछ आधारभूत भिन्नताएँ हैं। विज्ञान यहाँ तक कि आदिमानव का विज्ञान भी निरीक्षण के आधार पर तर्क द्वारा निर्धारित रोज के जीवन के उन स्वाभाविक तथा सार्वभौम अनुभवों पर आधारित है जो कि अपनी जीविका और सुरक्षा के लिए प्रकृति के साथ संघर्ष करने के दौरान मनुष्य प्राप्त करता है। इसके प्रतिकूल, जादू मनुष्य की उद्देगात्मक अवस्थाओं के विशिष्ट अनुभवों पर आधारित होता है, जिसमें कि मनुष्य प्रकृति को नहीं बल्कि अपने को निरीक्षण करता है, जिसमें कि सत्य का निर्णय तर्क द्वारा नहीं बल्कि मानव-शरीर पर उद्देगों की क्रियाशीलता द्वारा होता है। विज्ञान इस विश्वास पर आधारित है कि अनुभव, प्रयत्न तथा तर्क सही हैं; पर जादू इस विश्वास पर आधारित है कि आशा व्यर्थ नहीं हो सकती, न ही इच्छा कभी धोखा दे सकती है।

यद्यपि आदिम संस्कृति में धर्म और जादू एक-दूसरे से इतना अधिक घुले-मिले हुए हैं कि इन्हें प्रथक करना एक प्रकार से असंभव ही है। फिर भी धर्म और जादू में भेद स्पष्ट हैं— (1) धर्म एक सामाजिक कृत्य है, जबकि जादू एक वैयक्तिक कृत्य है। (2) जादू और धर्म दोनों में ही अधिप्राकृतिक (अलौकिक) शक्ति में विश्वास किया जाता है। परन्तु विनती, पूजा, प्रार्थना या आराधना करके उसे प्रसन्न करने और फिर उस प्रसन्नता से लाभ उठाने या उस शक्ति के द्वारा की जाने वाली हानियों से बचने का प्रयत्न किया जाता है। इसके विपरीत जादू में उस शक्ति को दबाकर अपने अधिकार में करके उसे शक्ति को अपने उद्देश्य की पूर्ति में प्रयोग किया जाता है। (3) इन दोनों में एक अन्तर यह भी है कि धर्म में अलौकिक शक्ति के प्रति धार्मिक व्यक्ति के मन में भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की भावना होती है। परन्तु जादू में जादूगर प्राकृतिक शक्तियों को श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है क्योंकि वह उनका भेद जानता है और उन पर काबू पा सकता है। (4) जादू सबके लिए नहीं होता है अर्थात् जादुई क्रियाएँ केवल वे लोग ही कर सकते हैं जोकि इन क्रियाओं को वे निपुण व्यक्ति अपने शिष्यों को ही सिखाते हैं। इसके विपरीत धार्मिक क्रियाएँ सबके द्वारा और सबके लिए की जाती हैं।

ग्रह—नक्षत्र, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष

एक सुबह अखबार में देखा कि एक स्थान पर छपा है: 'मंगलग्रह सिंह राशि में आ रहा है।' अखबार का पन्ना पलटने पर देखा कि मंगल की भूमि पर वाइकिंग यान के उतरने की सूचना छपी हुई है। तो सोचती हूँ, क्या मंगल से प्रभावित लोगों के चिन्तन पर इस असाधारण वैज्ञानिक घटना का कोई असर पड़ेगा? तत्पश्चात् विचार आता है कि वाइकिंग तो मात्र 3 मीटर व्यास का मंगल पर उतरने वाला यन्त्र समूह है। 6787 किमी व्यास वाले ग्रह के प्रभाव पर यह क्या असर डाल सकता है? इस दृष्टि से तो लगभग 38 करोड़ किमी की दूरी पर स्थित मंगल ग्रह का प्रभाव भी हम पर नगण्य ही होगा। इसके बावजूद विषय में ज्योतिषियों की अपनी ही राय है कि प्रत्येक ग्रह का अपना विकिरण होता है तथा उन विकिरणों का हमारे जीवन पर प्रभाव होता है।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आदिम के लिए चाँद—सितारे व्यवहारिक महत्त्व के थे। यदि सूर्य दिन में ऊष्मा और प्रकाश देता था तो चाँद से रात को प्रकाश मिलता था। फिर भी सूर्य के नियमित उदय—अस्त, चन्द्रमा की कलाओं तथा विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न सितारों के सामने सूर्य की स्थिति ने मानव जीवन को व्यवस्था प्रदान की थी। इनके आधार पर उस ने यह भी समझ लिया था कि उस के शिकार का समय और विशेषकर कृषि काल ऋतु परिवर्तन के ऊपर आधारित है और कालक्रम के यह परिवर्तन किसी न किसी रूप में सूर्य और चाँद से जुड़े हुए हैं।

धीरे—धीरे यह स्पष्ट होता गया था कि सितारे भूमि को प्रभावित करते हैं। सूर्य ऋतुओं का नियमन करता है और अतिवृष्टि व अनावृष्टि का कारण वही है। चाँद को भी वे लोग मौसम का नियामक मानते थे। ज्वार—भाटे के साथ तो उस का सम्बन्ध आज भी माना जाता है। इसी प्रकार के कुछ प्रभाव सितारों के भी माने गए थे। लोगों ने यह नोट किया था कि कुछ सितारे चलते हैं और उसी मार्ग पर गमन करते हैं जिस पर सूर्य और चन्द्रमा। शुक्र कभी सूर्य के दाएँ दिखाई देता था तो कभी बाएँ। बाबुल के निवासियों को लगता था कि शुक्र की स्थिति परिवर्तन का कोई गहरा अर्थ है, जिन के लिए सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र तीसरा मुख्य तारा था। इसी के लगभग दो हजार वर्ष पुरानी एक मुहर पर लिखा हुआ मिला है— “आबू के छठे दिन जब इश्तर (शुक्र) पूर्व में दिखाई पड़ता है तो वर्षा और विनाश का सूचक होता है। निसान के दसवें दिन तक यह पूर्व में ही रहता है। ग्यारहवें दिन अदृश्य हो जाता है और तीन महीने तक गायब रहता है। फिर यदि इजू के दिन यह पश्चिम में निकले तो देश में युद्ध होगा लेकिन फसलों में वृद्धि होगी।” चीन के लोग बृहस्पति को सौभाग्य का संदेश वाहक मानते थे। इसीलिए जब उन्होंने इस ग्रह की गति में अनिमित्ता देखी तो इसे अकाल का लक्षण कहा।

बाबुल की पुरानी दन्तकथा में कहा गया है: 'भूमि के स्वामी बेल ने आकाश के अभिवाकों के रूप में तीन देवता नियुक्त किए। शम्स, सिन और इश्तर, जो बाद में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र के रूप में आसमान की सुरक्षा करने लगे। जब आकाश में चार और घूमने वाले सितारे मिल गए तो बेल ने बाबुल के नगर देवता मारदुक को बृहस्पति बना दिया, मृत्यु के देवता नर्गल को मंगल बना दिया। युद्ध के देवता निगर्त को शनि का रूप दे दिया और ज्ञान का देवता नबू बुध बन गया। इस प्रकार वहाँ देव पूजा ने ही ज्योतिष का रूप ले लिया। ज्योतिष वह विद्या बन गई जिसके द्वारा देवताओं की इच्छा जानी जा सके। उस जमाने में वहाँ यह समझा जाता था कि ग्रहों से आने वाली ज्योति किरणें देवताओं के रहस्यमय संकेत हैं, जिन के द्वारा वे भूमि की घटनाओं का नियमन करते हैं। अब उन देवताओं का प्रभाव तो पहले से ही जाना—पहचाना था, इसलिए ग्रह के नाम मात्र से ही वे सारी विशेषताएँ बह निकलती थी, जो उस के देवता से जुड़ी हुई थी।

ग्रहों के ऊपर दैविक लक्षणों का आरोप ही (फलित) ज्योतिष का मूल है। ज्योतिष के इस मूल आधार को यूनानियों के हाथों विस्तार मिला। उन्होंने हर व्यक्ति का एक अधिष्ठाता ग्रह बना दिया। उदाहरण के लिए बृहस्पति के अन्तर्गत उत्पन्न व्यक्ति विनोदी स्वभाव के माने गए और मंगल के शिशु उग्र स्वभाव के। धीरे—धीरे शरीर रचना भी ग्रहों के शासन में आ गई। प्रत्येक ग्रह के कुछ प्राकृतिक तत्त्व निश्चित हो गए तथा उन के प्रभाव के काल स्वीकार कर लिए गए। ग्रहों को लेकर बात यहाँ तक बढ़ी कि दिन का प्रत्येक घण्टा किसी ग्रह के अधीन कर दिया गया। सप्ताह के सात दिन सात ग्रहों के अनुसार बना दिए गए। काफी बाद में ग्रहों की संख्या नौ हो गई।

वास्तव में 12 राशियाँ या तारा समूह दूसरे तारा समुदायों से किसी बात में भिन्न नहीं हैं, परन्तु इन्हें ज्योतिष के लिए उपयोगी माना गया, क्योंकि सातों ग्रह इन्हीं में से होकर गुजरते थे। स्वाभाविक है कि आरम्भ में इन राशियों का कोई नाम नहीं था। बाद में जब ये उपयोगी लगीं तो पहचान के लिए इनके नाम इनकी आकृतियों के आधार पर तय कर दिए गए। परन्तु जब एक बार ये नाम निश्चित हो गए तो एक जमाने के बाद ऐसा समझा जाने लगा कि यह नामकरण मानवीय न होकर दैविक है। यह विश्वास बन गया कि आकाश में कुछ अर्थ पूर्ण चित्र हैं, बस फिर क्या था? वृश्चिक पीड़ा का प्रतीक बन गया और सिंह उग्रता का। अब यह प्रश्न उठा कि इन राशियों से कौन प्रभावित होता है, सोच—विचार कर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इनका प्रभाव उन ग्रहों पर ही पड़ता है जो इनमें से गुजरते हैं। फिर तो इस तथ्य से कोई इन्कार न कर सका कि सूर्य जिन 12 राशियों में से गुजरता है, उनसे प्रभावित होता है। जब वह मीन या कुम्भ राशि में होता है तो वर्षा काल आ जाता है तथा सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ—साथ ऋतुएँ भी बदलती चली जाती। उस युग में यही तर्क संगत लगा कि सूर्य की तरह दूसरे ग्रहों पर राशियों का प्रभाव पड़ता है। कर्क राशि में पहुँच कर चाँद भी सूर्य की तरह शुष्क हो जाता था। बीज बोने के लिए यह समय ठीक माना जाता था। इस प्रकार राशियों को स्वतन्त्र महत्त्व मिल गया। उदाहरण के लिए, यदि कोई सौदा वृश्चिक राशि के उदय काल में किया जाए तो बात बिगड़ कर रहेगी। यूनान में आकर इस राशि चक्र को दूसरा ही

अर्थ मिल गया। वहाँ सारी भूमि को इन 12 चिन्हों में बाँट लिया गया तथा इस प्रकार से गुण, स्वभाव, रंग-ढंग, सूझ इत्यादि इन्हीं 12 चिन्हों के अन्तर्गत ले लिए गए। यही वह बिन्दु था, जहाँ से फलित और गणित ज्योतिष के रास्ते अलग-अलग हो गए तथा ज्योतिष रहस्यमय अनुमानों, अटकलों की विद्या बन गई।

अब स्थिति यह आ गई कि यदि किसी मनुष्य पर सितारों के प्रभाव को समझना हो तो उसके जन्म के समय के ग्रहों व राशियों के उदयास्त आदि अनेक बातों पर विचार करना होगा। इसके लिए खाल्डियन लोगों ने प्रभाव के बाहर क्षेत्रों वाला एक नया ही तरीका निकाला। उन्होंने आकाश के समान एक गोले की कल्पना की, जिसको 12 राशियों के आधार पर 12 समान भागों में बांट दिया। इनमें यदि एक मृत्यु का था तो दूसरा स्वास्थ्य का। कोई विवाह का था तो कोई धन का कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में काम आने वाली सभी महत्वपूर्ण बातों को इन 12 भागों में स्थान दे दिया गया। स्पष्ट है कि इस विभाजन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। सम्भवतः बहुत लम्बी देख-भाल व अनुमान के आधार पर ही इस कागजी राशिचक्र की कल्पना की गई थी। यह माना गया था कि ग्रह और राशियाँ अपने-अपने विकरण से इन 12 क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। आकाश में स्थित राशियाँ 30-30 अंशों में समान रूप से विभाजित नहीं हैं। इस के अतिरिक्त भूमि की धुरी के लगातार घूमते रहने के कारण स्वयं राशिचक्र ही स्थिर नहीं हैं।

कागजी घोड़े जन्मकुंडली या जन्मपत्री बन गए। घूमते हुए 7 देवता आजकल 9 और 0 में बने 12 काल्पनिक पशुचित्र घुलमिल कर कलान्तर में एक ऐसी व्यवस्था बन गए, जिसको भाग्य की कुन्जी मान लिया गया। भाग्य की इस कुन्जी के फेर से कोई भी सभ्यता से लेकर आज के हिन्दू समाज तक लोग किसी न किसी रूप में सितारों के तथाकथित प्रभाव से आक्रान्त रहे हैं और आज भी हैं, वे भविष्य जानने के पीछे पागल हैं, भविष्य बनाने के लिए नहीं।

जहाँ तक मैं समझती हूँ, सितारों के पीछे पागल रहने का एक कारण शायद यह भी रहा है कि इन्हें सजीव समझा गया है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो के विचार से तारों में चार तत्त्व और एक आत्मा थी। उसके शिष्य अरस्तू ने भी सितारों को सजीव कहा था और दार्शनिकों ने तो सितारों पर भावना, बुद्धि तथा इच्छा तक का आरोप कर दिया था। हमने भी सितारों में सूक्ष्म दैवी शक्ति के निवास का दावा किया है, पर वे सब दो उस जमाने के हैं जब लोगों को ग्रहों की आकृति-प्रकृति का पता नहीं था और न यही पता था कि मनुष्य की तरह तारों का भी जन्म होता है तथा मृत्यु होती है।

जन्म के समय प्रसूति गृह में डाक्टर, नर्स एवं वहाँ उपस्थिति अन्य वस्तुओं का गुरुत्व ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से कहीं अधिक होता है और नक्षत्र तथा सूर्य भूमि से इतने अधिक फासले पर हैं कि उन की गुरुत्वाकर्षण तथा चुंबकीय शक्ति नगण्य हो जाती है और जहाँ तक विकिरण का प्रश्न है, प्रसूति गृह की दीवारें उस के विरुद्ध प्रभावकारी ढाल का काम करती हैं। इस के अतिरिक्त सूर्य का विकिरण चाँद और ग्रहों के सामूहिक विकिरण से कहीं अधिक है। ज्योतिषियों का यह दावा कि हर ग्रह का अपना विशेष विकरण होता है और इन रहस्यात्मक शक्तियों का सामूहिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, इस तथ्य से खण्डित हो जाता है कि सूर्य, चाँद, ग्रह और नक्षत्रों का निर्माण एक ही प्रकार के अणु-परमाणुओं के विविध संसर्गों से हुआ है। **“मनुष्य के भाग्य के मामले में उसके जन्म का क्षण ही क्यों निर्णायक है, गर्भधारण का क्षण क्यों नहीं?”**

भविष्य की चिन्ता मानव मन की एक सहज कमजोरी है। आने वाले कल के बारे में विचार करना और आगे की सम्भावनाओं को देख कर कदम उठाना अदूर-दर्शिता नहीं माना जा सकता है। परन्तु ये सम्भावनाएँ किसी ज्योतिषी या भविष्य पढ़ने का धन्धा करने वाले व्यक्ति के पास जाने से मालूम नहीं होती। भविष्य में क्या होने वाला है? यह जानने के लिए इधर-उधर भटकने और मानव मन की कमजोरियों का लाभ उठाने का दूसरों को मौका देना तो अवगुण ही कहा जाएगा। वास्तविकता पर जरा भी विचार किए बिना न जाने कितने लोग सड़कों के किनारे बैठे ज्योतिषियों से लेकर अच्छे होटलों में ठहरने वाले तथा अपने नाम के साथ फर्जी प्रोफेसर, डॉक्टर आदि लिखने वाले भविष्य वक्ताओं को पास अपनी जेबें खाली करते रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो मात्र राशिफल पढ़ने के लिए ही अखबार देखते हैं।

ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध होता हो कि कोई ऐसी विद्या है जिससे यह जाना जा सके कि कल क्या होने वाला है। यदि ऐसा सम्भव होता तो संसार का इतिहास कुछ और ही होता। तब हिटलर को निश्चय ही पहले से यह ज्ञात हो जाता कि अन्त में जर्मनी युद्ध हो जाएगा और वह पोलैंड पर आक्रमण के रूप में आत्मघाती कदम उठाकर दूसरा विश्व युद्ध न छेड़ता। तब वाटर गेट काण्ड न होता और न निक्सन को अमरीकी राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ता। तब चीन में माओ भी मरने से पहले ऐसा प्रबन्ध कर जाते जिससे उन की पत्नी का प्रभाव पहले जैसा बना रहता।

निसन्देह भविष्य को जानना असंभव है क्योंकि पहले से उसका कोई निर्धारण नहीं होता। पर लोग इस असमंजस में पड़ कर भी कल क्या होने वाला है यह हाथ की रेखाओं में लिखा है, हस्तरेखाविद के पास जाते हैं, भविष्य जानने के लिए ज्योतिषियों के पास चक्कर लगाते हैं और काम सफल होगा या नहीं यह जानने के लिए अंकशास्त्री के पास किसी फूल का नाम लिख कर भेजते हैं।

अखबारों में अक्सर इस तरह के विज्ञापन पढ़ने में आते हैं कि अपना भविष्य जानने के लिए केवल अपना नाम या किसी फूल का नाम लिख भेज दें। ज्योतिषी तो प्रायः जन्म तिथि और जन्म का समय पूछते हैं पर इस तरह के विज्ञापदाता चूँकि नाम जान कर या मनपसन्द फूल का नाम पूँछ कर ही सब कुछ बताने का दावा करते हैं। इसलिए उनका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है। अंकविद्या में कुछ संख्याओं को बस इस तरह जोड़ना पड़ता है कि योगफल 1 से 9 के बीच में आए, फिस उसी आधार पर भविष्य फल बता दिया जाता है।

न्यूरोलॉजी भारत में भविष्य बताने वालों का नया हथकण्डा है। हालाँकि कहा जाता है कि इस विद्या का उपयोग हमारे देश में प्राचीनकाल से होता आ रहा है। अंक ज्योतिष का आधार सिद्धांत यह बताया जाता है कि मनुष्य का जीवन अंकों के चक्र में बराबर

घूमता रहता है। इन अंकों की एक निश्चित गति होती है और प्रत्येक अंक के अपने विशिष्ट गुण होते हैं जो सम्बन्धित व्यक्ति में भी अनिवार्य रूप से आ जाते हैं।

उक्त सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिए कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए जाते हैं जिनमें तारीख और वर्षों का विचित्र जोड़-तोड़ करके अभीष्ट अंक निकाल लिया जाता है। आम तौर पर नेपोलियन, बोनापाट, हिटलर और अमरीकी इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं का उल्लेख प्रमाण के रूप में किया जाता है। ऐसा करते समय ये ही घटनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं जो पहले से तय की गई तारीखों में घटी हों। अमरीकी इतिहास में सैकड़ों महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी हैं, पर अंकों का महत्त्व बताने के लिए एक पुस्तक में 4, 13 और 22 तारीख को घटी कुल 17 घटनाएँ दी गई थीं और उन में भी कई का सम्बन्ध तो केवल संख्याओं से ही था जैसे अमरीका के 13 राज्य, अपोलो 13, राष्ट्रीयध्वज के 13 रंग आदि।

अंकविद्या की प्रमाणिक कही जाने वाली पुस्तकों में प्रभावशाली अंक जानने के भिन्न-भिन्न तरीके दिए गए हैं, हो सकता है इन लेखकों के अनुभव अलग-अलग रहे हों, पर भारत भर में विख्यात और विदेशों में भी प्रसिद्ध एक अंकशास्त्री की ऐसी 3 पुस्तकें देखने में आई हैं जिन में परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। एक पुस्तक में उन्होंने लिखा है— “यदि किसी व्यक्ति का जन्म 23 तारीख को हुआ हो तो उस का अंक 2 और 3 का योग 5 होगा, उस व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन का भविष्यफल तथा अन्य अंकों वाले व्यक्तियों से सम्बन्ध जानने के लिए 5 के अंक का ही उपयोग किया जाएगा।” एक दूसरी पुस्तक में कहा गया है— “भविष्यफल जानने के लिए जन्म तिथि का उपयोग किया जाता है, अंग्रेजी पद्धति से रात्रि को 12 बजे तिथि बदल जाती है। उस जन्म तिथि में शताब्दी के अंकों का प्रयोग नहीं किया जाता अर्थात् किसी का जन्म दि. 21-4-1990 को हुआ है तो उसे 21-4-90 ही गिना जाएगा। वर्ष के साथ 19 लिखने की आवश्यकता नहीं।” लेखक ने इस पुस्तक में शताब्दी के अंकों को जोड़ना अनावश्यक बताया है। परन्तु एक तीसरी पुस्तक में अंक जानने का तरीका इस प्रकार लिखा है— “किसी की जन्म तिथि 8-9-1997 है तो इन अंकों को जोड़ने पर प्राप्त योगफल उसका अंकांक 7 होगा।”

इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया है कि अंक विद्या का सम्बन्ध न्यूटन जैसे वैज्ञानिक और इमर्सन जैसे विचारकों से जोड़कर जन-साधारण को कितना भ्रमित किया जाता है। जब कोई स्थिर सिद्धान्त ही नहीं है तो इसे विज्ञान बताकर लोगों को प्रभावित करने का क्या औचित्य है? लेकिन कितने पढ़े-लिखे और शिक्षित व्यक्ति जो राशिफल तथा ग्रह-नक्षत्रों में विश्वास नहीं करते, अंकविद्या के भक्त देखे जाते हैं। कहा जाता है कि कई फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को सफल बनाने के लिए अंकज्योतिषी का सहारा लेते हैं। वे समझते हैं कि नाम ही उसे सफल बनाता है। इसी कारण फिल्म का नाम ही उसे सफल बनाता है। इसी कारण फिल्म का नाम अक्षर विशेष से आरम्भ कर उस के हिज्जे भी वे अंकज्योतिष के आधार पर लिखते हैं, क्योंकि अंकों का सम्बन्ध केवल तारीखों से ही नहीं अक्षरों से भी जोड़ा जाता है। अंक और अक्षर का सम्बन्ध जोड़ते समय प्रत्येक शब्द के हिज्जे में आने वाले अक्षरों की संख्या को जोड़ लिया जाता है। जैसे किसी को नाम सूर्यकान्त है तो उस का नामांकन ज्ञात करने के लिए उस के नाम के हिज्जे में प्रयुक्त होने वाले अक्षरों के अंक जोड़े जाते हैं। अक्षरों के अंक से तात्पर्य उन के लिए निर्धारित अंक से हैं। अक्षरों के अंक निधारित करने का श्रेय इंग्लैंड के हस्तरेखाशास्त्री ‘कीरो’ को दिया जाता है। कीरो पर धोखा-धड़ी का मुकदमा चला था और उस मुकदमे में उन्हें जेल की सजा भी हुई थी।

लेकिन अक्षरों के आधार पर अंक ज्ञात करने की विधियाँ एक अंकशास्त्री ने ‘सी’ अक्षर का अंक 2 बताया है, तो एक ने 3. एक ने ‘एच’ अक्षर का मूल्य 5 बताया है, तो एक ने 3, हो सकता है, इस से ज्यादा भी विभिन्नताएँ मिल जाएँ। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी फूल का नाम मांगने वाले अंकशास्त्री उस फूल के प्रत्येक अक्षर का अंक जोड़ लेते हैं, जैसे किसी ने यह प्रश्न पूछा कि वह अपनी प्रेमिका से विवाह कर सकेगा या नहीं और इस प्रश्न के साथ ही गुलाब के फूल का नाम लिख भेजा। अंकशास्त्री गुलाब के फूल की वर्णशक्ति ज्ञात करेगा जो केरलीय मत के अनुसार 96 होती है, उसमें 45 की संख्या जोड़ेगा और योगफल में 3 का भाग देकर बताएगा कि आप ऐड़ी-चोटी का जोर लगाकर भी अपनी प्रेमिका से विवाह करने में सफल नहीं हो सकेंगे और यदि वह उसी प्रेमिका से छुटकारा पाने का इरादा कर परिणाम से अवगत होना चाहे तथा गुलाब के फूल का नाम ही लिख भेजे तो उत्तर मिलेगा—“आप के सम्बन्ध इतने आगे बढ़ चुके हैं कि छुटकारा पाना सम्भव नहीं।”

बिना फूल का नाम मंगाए केवल प्रश्न मंगवा कर ही भविष्य बताने वाले भी इसी तरह की ऊँट-पटाँग विधियों का उपयोग करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अंकविज्ञान का कोई सिद्धान्त नहीं है और वह निराधार है। इस से भविष्य का पता लगाने की बात तो दूर रही, इस की सच्चाई का आधार खोज पाना भी सम्भव नहीं है।

1 से 9 तक के अंकों पर आधारित अंकविद्या व्यक्तियों के स्वभाव को 9 भागों में बांट देने के कारण भी असंगत है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव, विचार और आदतों में दूसरे से कोई साम्य नहीं रखता। हाथ की रेखाएँ सब की एक जैसी नहीं होती, इसीलिए हस्तरेखविद अपनी विद्या के सही और प्रमाणिक होने का ज्यादा दावा करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी एक व्यक्ति का स्वभाव दूसरे व्यक्ति से मेल नहीं खाता, उसी प्रकार एक हस्तरेखाएँ भी दूसरे की हस्तरेखाओं से मेल नहीं खातीं। हस्तरेखाओं द्वारा भविष्य की घोषणा इसलिए नहीं हो सकती कि बदलती रहती हैं और इन्हें पढ़ने वाले की बातें अगर गौर से सुनी जाएँ तो पता चलेगा कि वह भविष्य के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि आप की तारीफ कर रहा है। वह कहेगा, “आप पैसा खूब कमाते हैं, पर आप दरिया-दिल है, खुले हाथ से खर्च करते हैं। किसी का दुःख आप से देखा नहीं जाता इसलिए आप उसे तुरन्त खर्च कर देते हैं।” इस विषय पर उपलब्ध साहित्य का जहाँ तक प्रश्न है, उस के अनुसार अपने ही हाथ की रेखाएँ पढ़ी जाएँ तो अपनी ही प्रशंसा ज्यादा पढ़ने में आती है।

हस्तरेखाओं के प्रति अन्धविश्वास जीवन में किस तरह जहर भी घोल सकता है, यह एक घटना से सिद्ध होता है। कुछ वर्ष पूर्व

नगर में एक विवाह हुआ। बारात वापस आ गई थी और उस रात नव-दम्पती के प्रथम मिलन की व्यवस्था की गई थी। पति महोदय अपनी नववधू से प्रथम भेंट में ही झगड़ बैठे और प्रातः अपने घर वालों के सामने पत्नी को दुश्चरित्र बताने लगे। कारण अजीब था कि वह अपनी पत्नी के हाथों में एक से ज्यादा प्रणय रेखाएँ बता रहे थे। इस विषय जब मैंने पुस्तकों का अध्ययन किया तो महसूस हुआ कि दोष उन का नहीं, हस्तरेखाओं के ज्ञान का है। इस विषय पर लगभग सभी पुस्तकों में बताया गया है कि हाथ में कनिष्ठा के मूल पर पड़ी आड़ी रेखाएँ व्यक्ति के प्रणय सम्बन्धों की संख्या बताती हैं।

हस्तरेखा की व्याख्याओं को परखने के लिए मैंने कुछ लोगों के हाथ देखे तो आश्चर्य हुआ कि व्याख्याएँ कितनी गलत, भ्रँतिपूर्ण और निराधार हैं। उदाहरण के लिए हस्तरेखा एक व्यक्ति के विद्वान होने की घोषणा कर रही थी, पर वह व्यक्ति अत्यन्त अनपढ़ था। एक हाथ ऐसा भी देखा जिस में शनि रेखा उस व्यक्ति के धनवान होने की बात बता रही थी, पर वह व्यक्ति रिक्शा चला कर अपना गुजारा चलाता था। एक व्यक्ति के हाथ में प्रणय-रेखा के पास मिलने वाली सन्तान रेखा 5 सन्तान होने की बात कहती थी, पर वह अविवाहित था।

इतना अवश्य है कि हस्तरेखा पढ़ने वाले अपने ग्राहकों के सम्पर्क में आकर इतने माहिर हो जाते हैं कि उसे बातों में उलझा कर प्रभावित कर लेते हैं तथा कभी न घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। भविष्य जानने वाले की और अनेकानेक विधियाँ कही जाती हैं, पर इन विषयों को विचार के लिए चुनने का कारण यह है कि इन पर पश्चिमी देशों में भी काम हो रहा है और वहाँ भी ये गोरख-धन्धे चल रहे हैं। अंकज्योतिष और हस्तरेखाओं पर भारत में अंग्रेजी की भी कई पुस्तकें निकल रही हैं जो पश्चिमी ज्योतिषियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर लिखी जा रही हैं।

वर्तमान स्थिति यह है कि जन-सामान्य तो परम्परागत रूप से अन्धविश्वासों का शिकार है ही, तथाकथित बुद्धिजीवी भी पश्चिम से आयात किए गए अन्धविश्वासों को शान के साथ अपना रहे हैं। बेहतर यह है कि हम अंकज्योतिष और हस्तरेखाओं की वास्तविक पहचान कर अपना भाग्य दूसरों से पढ़वाने के बजाय परिश्रम और पुरुषार्थ द्वारा अपने भविष्य का स्वयं ही निर्माण करें।

प्रेताविष्ट, प्रेतसभाएँ और जासूसी

पुनर्जन्म जैसी हवाई स्थापनाओं का खण्डन करने पर एक प्रश्न आम तौर पर पूछा जाता है कि क्या भूत-प्रेतों का अस्तित्व भी हवाई कल्पना ही है। साथ ही प्रश्न भी कर दिया जाता है कि क्या भूत-प्रेत भी नहीं होते? मरने के समय ही मनुष्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है और क्या इस शरीर के अलावा मनुष्य का या प्राणी का कोई अस्तित्व ही नहीं है? इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही देते हुए कहा जाता है कि मरने के बाद भी मनुष्य का अस्तित्व आत्मा के रूप में शेष रहता है। आत्मा ही प्राणी की वास्तविक सत्ता है और मरने के बाद भी उसकी वास्तविक सत्ता से सम्पर्क किया जा सकता है। प्रमाण के लिए लोग ऐसी कितनी ही कहानियाँ सुनाते हैं जो भूत-प्रेतों से सम्बंधित होती हैं।

भूत-प्रेत शब्द का प्रयोग बुरी आत्माओं के सन्दर्भ में ही अधिक किया जाता है। इसलिए अपने दिवंगत स्वजन सम्बन्धियों के लिए गरिमामय सम्बोधन प्रयुक्त किया जाता है— मृत व्यक्तियों की आत्मा। मृत व्यक्तियों की आत्मा से संपर्क किस तरह होता है। इसकी कितनी ही विधियाँ बताई जाती हैं। स्वप्न में आकर बात करने, शरीर उपस्थित हो जाने और बात करने लगने या माध्यम द्वारा संदेश देकर अनेकों संस्मरण लोग सुनाते हैं। इस तरह के संस्मरण अन्धविश्वासी आस्थाओं से उपजी भ्रांतियों और मनगढ़न्त कहानियों के सिवा कुछ नहीं होते।

अनेक बार इन संस्मरणों या ऐसे के प्रमाणों से पुष्ट हुआ अन्धविश्वास अनर्थ का कारण भी बनता है। दैवी उपचार करने, मृत सम्बन्धियों से सम्पर्क कराने, पितरों की कृपा दिलाने, उनकी मदद से पूर्वजों द्वारा कही गाढ़े गए धन का पता लगाने के लिए तन्त्र-मन्त्र भी किए जाते हैं। तन्त्र-मन्त्र की आड़ में तान्त्रिकों द्वारा लोगों को लूट लिए जाने की घटनाएँ घटती रहती हैं। तन्त्र-मन्त्र के झाँसे में आकर अपने आप को लुटा देने या प्रेतों, पितरों के जाल में उलझ जाने की घटनाएँ पढ़ कर लोग हँसते ही हैं। इस तरह के झाँसे में लुट-पिट जाने वाले व्यक्ति हँसी के ही पात्र बनते हैं, क्योंकि शिक्षित लोग इन बातों की वास्तविकता समझने लगे हैं और ऐसी बातों को अन्धविश्वास ही समझते हैं। किन्तु प्रेताविष्ट और प्रेतगोष्ठी के माध्यमों द्वारा मृत व्यक्तियों की आत्मा से बातचीत करने के प्रयोगों की चर्चा अब खुलकर होने लगी है। शिक्षित भी इन चर्चाओं में तथ्य सूँघने और अनुभव करने लगते हैं। अशिक्षित लोगों पर आने वाले प्रेतावेश की खिल्ली उड़ाने वाले व्यक्ति जब प्रेताविष्ट एवं प्रेतसभा को विद्वान बताने लगे तो यही कहना पड़ेगा कि भूतप्रेतों पर विश्वास की प्रवृत्ति अब शिक्षित लोगों में भी बढ़ रही है।

प्रेताविष्ट और प्रेतसभा में भूत-प्रेतों से मिलने को विज्ञान पर आधारित बताने या मानने का मुख्य कारण यही हो सकता है कि इस तरह की बातें पश्चिमी देशों से आई हैं। प्लेनचिट का प्रयोग ज्यादातर ब्रिटेन में होता है। अन्य पश्चिमी देशों में भी प्रेताविष्ट और प्रेतसभा के आयोजन होते हैं। इन बातों को वहाँ आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता, न ही इन वस्तुओं को मान्यता मिली हुई है। प्रेताविष्ट और प्रेतसभा को लेकर वहाँ पत्र-पत्रिकाओं में अकसर लेख प्रकाशित होते हैं। दावे-प्रति-दावे किए जाते हैं, उन पर पुस्तकें लिखी जाती हैं और सभी पुस्तकें प्रामाणिक बताई जाती हैं, इसलिए इनकी कुछ चर्चा होती रहती है। पश्चिमी साहित्य और समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रेताविष्ट एवं प्रेत सभाओं के विवरण देख कर कुछ शिक्षित लोग इन बातों को विज्ञान सम्मत मान लेते हैं। ऐसे ही उलझे हुए मनमस्तिष्क वाले इन विवरणों के आधार पर प्रेतात्माओं का अस्तित्व सिद्ध करने लगते हैं।

कुल मिलाकर हो यह रहा है कि पश्चिमी जगत में हेय दृष्टि से देखी जाने वाली ये बातें भी भारत में प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगी हैं। यन्त्र-तन्त्र प्रेताविष्ट और प्रेतसभाओं द्वारा मृत सम्बन्धियों की आत्माओं से मिलने-मिलाने के टोटके किए जाते हैं और उन्हीं के विवरण प्रेतात्माओं के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रकाशित कराए जाते हैं। प्रेताविष्ट और प्रेतसभा की वास्तविकता जाने से पूर्व यह जान लेना चाहिए कि यह है क्या, प्रेताविष्ट एक लकड़ी का छोटा सा तख्ता होता है। इस की एक सतह इस तरह बनाई जाती है कि उस को हल्के से छूकर भी चलाया जा सके। उसमें एक छिद्र होता है, जिसमें पेन्सिल या पेन फंसा दिया जाता है। प्रेताविष्ट के नाम से प्रयोग किया जाने वाला तख्ता हथेली के बराबर या उन से थोड़ा बड़ा होता है। यह प्रेताविष्ट के प्रयोग का मुख्य उपकरण होता है।

मृत व्यक्तियों की आत्मा से बातचीत करने के लिए चार-पाँच व्यक्ति प्रेताविष्ट लेकर एक न्धेरे कक्ष में बैठते हैं। अंधेरा कक्ष, शाम का वक्त, अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाने और ऐसे ही कुछ और ढोंग किए जाते हैं ताकि कमरे का वातावरण गम्भीर और रहस्यमय बन जाए। प्रयोग में भाग लेने वाले व्यक्ति चुपचाप बैठ जाते हैं तथा एक व्यक्ति अपनी हथेली तख्ती पर रख देता है। वह हाथ को धीरे से हिलाता-सरकाता है और यह बताता जाता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा आ गई है तथा उसी के प्रभाव से तख्ता हिल-डुल रहा है। उसी तख्ती पर हथेली रखकर, पेन्सिल या पेन से उन प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं जो मृत व्यक्ति के सम्बन्धी द्वारा पूँछे गए थे। उत्तर उन चार-पाँच व्यक्तियों में से उसी व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं जो प्रेताविष्ट पर हाथ रखे होता है। किन्तु कहा जाता है कि ऐसा अभीष्ट आत्मा के प्रभाव से या उसके ही द्वारा हो रहा है। प्रेतसभा में प्रेताविष्ट का प्रयोग नहीं होता। उसमें सम्मिलित व्यक्तियों में से ही कोई व्यक्ति प्रेताविष्ट होता है। प्रेताविष्ट हुआ व्यक्ति माध्यम कहा जाता है। वह व्यक्ति ऐसे ही बोलता, बात करता है जैसे बुलाई गई कथित आत्मा वाला व्यक्ति बातचीत करता था। माध्यम उस व्यक्ति के लिए प्रथम पुरुष में ही बोलता है।

प्रेताविष्ट होकर मिली जानकारी प्रायः सही होती है, इसलिए लोग चौंक जाते हैं और मान लेते हैं कि वास्तव में आत्मा आई थी। ऐसे मामलों में कई बार ऐसे रहस्य भी बता दिए जाते हैं तो आहूत की गई आत्मा के परिवार वालों के सिवा किसी को मालूम नहीं होते। ऐसी अन्दरूनी जानकारी दिए जाने पर लोग और चमत्कृत हो जाते हैं। जानकारी तो सही होती, किंतु उस का स्रोत कोई आत्मा या

अशरीरी शक्तियाँ नहीं होतीं। वास्तव में इस प्रकार की जानकारीयों प्रेतसभा करने वाले लोग उसी परिवार से प्राप्त करते हैं जिस की आत्मा को बुलाया जाता है। विश्वविख्यात जादूगरों जिनमें हुडिनी प्रमुख है, ने ऐसे कई मामलों का रहस्योद्घाटन किया है जिन में अशरीरी आत्माओं का चमत्कार समझा जाता है। वह ऐसे प्रदर्शन भी किया करते थे जिन में कहा जाता था कि मृत व्यक्ति की आत्मा आ रही है। वह सामने बैठे लोगों के बारे में कुछ बता रही हैं, जानकारी सब को दे दी जाती और उसे के बाद कह दिया जाता है कि यह सब तो जादूगर का अपार कौशल है। इस में किसी आत्मा-वात्मा को कोई हाथ नहीं है। हुडिनी ने यह प्रदर्शन कई स्थानों पर किया। वह किसी होटल में जाते और वहाँ मौजूद किसी सभ्रान्त व्यक्ति को चुनते। इसके बाद हुडिनी मृतात्मा द्वारा दिए गए सन्देश बताने लगते। चुने गए व्यक्ति के सम्बन्धी का नाम, वह कब जन्मा, कब मरा, उसके क्या शौक थे आदि बातें जब हुडिनी बताते थे तो लोग दंग रह जाते थे। लेकिन हुडिनी कुछ देर तक प्रदर्शन करने के बाद ही बता देते थे कि ये सन्देश किस प्रकार प्राप्त किए गए थे। इन विधियों में मुख्य रूप से कब्रिस्तान जाकर खोज करना भी था।

जानकारी पाने के लिए अधिक कुछ नहीं करना पड़ता था। मात्र गिरजाघर के अधिकारी और नगर के किसी एक वृद्ध आदमी की सहायता लेनी पड़ती थी। गिरजाघर का अधिकारी कब्रों के बारे में जानकारी देता और वृद्ध व्यक्ति उन में दफनाए गए लोगों के बारे में थोड़ी-बहुत बातें बताता था, इस तरह सारा चमत्कार बहुत सरल बन जाता था।

पेंग्विन बुक्स द्वारा प्रकाशित 'साइकिल रिसर्च टुडे' नामक पुस्तक में ऐसी अनेक घटनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जो ऐतिहासिक कही जाती हैं। इन घटनाओं में प्रेतात्माओं द्वारा पुस्तकें लिखवाने, स्वप्नों में आकर निर्देश देने तथा उन के अप्रसन्न हो जाने से अनिष्ट होने की घटनाएँ हैं। इन घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर यह बताया गया है कि घटनाओं के पीछे प्रेतात्माओं का हाथ मानसिक विभ्रम और दिवास्पन् जैसे रोगों के कारण हुआ था। प्रेताविष्ट या प्रेतसभा में जो लोग भाग लेते हैं या किन्हीं जानकारीयों को प्रेत माध्यम से मिली हुई मानते हैं अथवा प्रेतसभा में प्रेत की सशरीर उपस्थिति देखते हैं वे भी ऐसी ही विभ्रम के शिकार होते हैं।

प्रेताविष्ट या प्रेतसभा का आयोजन करने वालों का कौशल बस इतना ही होता है कि वह परिवार से सम्बन्धित अंतरंग बातों की जासूसी कर लेते हैं। जासूसी के कुछ तरीके इस प्रकार हैं—लोग अपने आवासों की सफाई कर गन्दगी फेंकते या रद्दी बेचते हैं तो प्रेतसभा के लोग उनमें से पुराने कागज, डायरियाँ—रद्दी दस्तावेज बटोर लेते हैं। पुराने कागजों व चिट्ठियों से काम की कई सूचनाएँ मिल जाती हैं।

लोगों की जेब से डायरी, पर्स आदि गायब करवा के उनमें लिख व्यक्तियों के नाम—पते ज्ञात कर लिए जाते हैं, ये नाम—पते प्रेत परिषद में उपयोगी सिद्ध होते हैं। लोगों के टेलीफोन चोरी से सुनने, पत्र खोल कर पढ़ लेने तथा जन्म, मृत्यु, विवाह आदि की सूचनाओं का हिसाब भी यह लोग रखते हैं। इन का प्रयोग प्रेत परिषदों में किया जाता है।

इस प्रकार की जासूसी खास तौर पर बैठक से पहले ही की जाती है। बैठक में शामिल होने वाले लोगों का निश्चय बैठक करने वाले पहले ही कर लेते हैं, ये सूचनाएँ एकत्रित करने में कुछ अधिक समय नहीं लगता, कित्नु खास ढंग से काम करने पर महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ मिल जाती हैं और सम्बन्धित व्यक्ति चमत्कृत हुए बिना नहीं रहता। तदुपरान्त प्रेताविष्ट द्वारा कोई सन्देश लिखाना या माध्यम के मुँह से बात निकलवाना कोई कठिन काम नहीं रह जाता। इन कलाओं को पश्चिम के सभ्य और शिक्षित समाज में आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता। हमारे समाज के कुछ शिक्षित व्यक्ति इन बातों को सम्मान पूर्वक अपनाते हैं तो यह पिछड़ेपन का संस्कार ही कहा जाना चाहिए।

Climatic Changes and Environmental Issues in Indian Context

Keyword: Sustainable:जीवन धारण करने योग्य, Climate:जलवायु, Change:परिवर्तन, Crop:फसल, Food:खाद्य, Security:सुरक्षा।

In the past two decades, the key environmental challenges in India have been sharper. The State of Environment Report by the Ministry of E.F. clubs the issues under five key challenges faced by India- (1) Climate Change, (2) Food Security, Water Security, (3) Energy Security and (5) Managing Urbanisation.

Climate change is disturbing the natural and ecosystems and is expected to have substantial adverse effects in India, mainly on agriculture (on which 58% of the population still depends for livelihood), water storage in Himalayan glaciers which are the source of major rivers and groundwater recharge, sea-level rise, and threats to a long coastline and habitations. Climate change will also cause increased frequency of extreme event such as floods and droughts. These in turn will impact India's food security problems and water security. As per the Second National Communication submitted by India to the UNSFCC, it is projected that the annual mean surface air temperature rise by the end of the century ranges from 3.5°C to 4.3°C, whereas the sea level along the Indian coast has been rising at the rate of about 1.3 mm/year on an average. These climate change projections are likely to impact human health, agriculture, water resources, natural ecosystems and biodiversity¹.

Concerned of the threats imposed by climate change and pressures on natural resources, sustainability & environment are increasingly taking centre stage in the Indian policy domain. India has been part of 94 multilateral environmental agreements. India has also voluntarily agreed to reduce its emission intensity of its GDP by 20-25% over 2005 levels by 2020 & emissions from the agriculture sector would not form part of the assessment of its emissions intensity. Indian economy is already moving along a lower carbon and sustainable path in terms of declining carbon intensity of its GDP which is expected to fall further through lower carbon strategies. It is estimated that India's per capita emission in 2031 will still be lower than the global per capita emission in 2005 (in 2031, India's per capita GHG emissions will be under 4 tonnes of carbon dioxide equivalent (CO₂ eq.) which is lower than the global per capita emissions of 4.22 tonnes of CO₂ eq. in 2005).

Together with the national efforts in different sectors, India also recognises that rural areas are equally prone to stress and pressures from natural resource exploitation. In this context, scheme for rural development and livelihood programmes are very relevant. A vast majority of the works under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme are linked to land, soil and water. There are also programmes for non-timber forest produce-based livelihood, promotion of organic and low chemical agriculture, and increased soil health and fertility to sustain agriculture-based livelihood. These schemes help mobilise and develop capacities of community institutions to utilise natural resources in a sustainable manner and their potential can be further developed².

Along with efforts to incorporate sustainability in the rural development process, India is increasingly making effort to integrate the three pillars of sustainable development into the national policy space. In fact, environment protection is enshrined in our Constitution (Article 48A and 51A). Various policy measures are being implemented across the domains forestry, pollution control, water management, clean energy and marine and coastal environment. Some of these are policies like Joint Forest Management, Green Rating for Integrated Habitat Assessment, Coastal Zone Regulation Zone, Eco Labelling and Energy Efficiency Labelling. Fuel Levelling organisational structure has been developed for environment protection.

The INDCs (Intended Nationally Determined Contributions) are plans by Governments communicated to the UNFCCC regarding the steps they will take to address climate change domestically. As per the COP 19 decision (Warsaw 2013), all parties were requested to prepare their INDCs, without prejudice to the legal nature of the contributions towards achieving the objectives of the convention and communicate well in advance of COP 21.

India submitted its INDC to the UNFCCC by early October 2015. It is comprehensive and covers all elements, i.e. adaptation, mitigation, finance, technology and capacity building. India's goal is to reduce the overall emission intensity and improve the energy efficiency of the economy over time. It also covers concerns to protect the vulnerable sectors and segments of its society. The highlights of India's INDC are given below³:

- 1) To put forward and further propagate a healthy and sustainable way of living based on traditions and values of conservation and moderation.
- 2) To adopt a climate friendly and cleaner path than one hitherto followed by others at a corresponding level of economic development.
- 3) To reduce the emissions intensity of its GDP by 33 to 35% of the 2005 level by 2030.
- 4) To achieve about 40% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030 with the help of transfer of technology and low cost international finance including from the Green Climate

Fund (GCF).

- 5) To create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO₂ equivalent through additional forest and tree cover by 2030.
- 6) To better adapt to climate change by enhancing investments in development programmes in sectors vulnerable to climate change, particularly agriculture, water resources, the Himalayan region, health and disaster management.
- 7) To mobilize domestic and new and additional funds from development countries for implementing these mitigation and adaptation actions in view of resource gap.
- 8) To build capacities, create a domestic framework and an international architecture for quick diffusion of cutting-edge climate technology in India and for joint collaborative R&D for such future technologies.

India houses 30% of the global poor, 24% of global population without access to electricity and 92 million people without access to safe drinking water, coupled with its vulnerability in terms of the impact of climate change, this entails that India faces formidable and complex challenges in terms of balancing the sustainable development agenda. Given the challenges it faces, it has prepared an ambitious plan in terms of clean energy, energy efficiency and lower emission intensity while addressing the critical issues of poverty and food security-

1. India's INDC sets ambitious renewable energy targets mainly in terms of solar & wind energy. With a potential of more than 100 GW, the target is to achieve 60 GW of wind power and 100 GW of solar power installed capacity by 2022. Given that in 2014 the world entire installed solar power capacity was 181 GW, this target is extremely ambitious and clearly places India as a major potential renewable energy player (World Report Institute, October 2015).
2. India has also launched a historic International Solar Alliance (ISA) which is envisaged as a coalition of solar resources-rich countries to address their special energy needs and will provide a platform to collaborate on addressing the identified gaps through a common, agreed approach.
3. Although there is lot of emphasis on boosting the renewable energy sector, the INDC clearly states that coal would continue to be the dominant source of power generation of the future. However, the INDC incorporates a lot of initiatives to improve the efficiency of coal-based power plants and to reduce their carbon footprint. Clean coal technologies would be critical to meeting the demand for power generation in the future.
4. In addition to mitigation-related activities the INDC also incorporates adaptation-related activities. Out of the 8 National Missions on Climate Change in India, 5 focus on adaptation in sectors like agriculture, water and forestry.

Mobilising finance is critical to achieving the ambitious targets set by India. Preliminary estimates suggest that at least US\$ 2.5 trillion (at 2014-15 prices) will be required for meeting India's climate change action under the INDC between now and 2030. While the maximum share of the country's current climate finance comes from budgetary sources, India is not relying solely on them and is experimenting with a careful mix of market mechanisms together with fiscal instruments and regulatory intervention. However, it needs to be emphasized that international finance is a critical enabler for the scaled up climate action plans.

India's concerns and actions toward climate change appear in policies by early 1997 itself when it officially accepted the idea of sustainable development. Since then, several sectoral initiatives have been taken by the country. By 2008, India had launched its eight national mission on climate change. Over the time, India has not only played a very dynamic role at the international level but it has also taken appreciable domestic effort in this direction⁴-

NAPCC: A major component of India's domestic action against climate change is the National Action Plan on Climate Change (NAPCC). In March 2016, the PM's Council of Climate Change (PMCCC) directed the missions under the NAPCC to enhance their ambitions in respect of adaptation, mitigation and capacity building reprioritize them, besides recommending the setting up of some new missions in addition to the existing eight:

- 1) Considering the adverse impacts that climate change could have on health, a new 'Mission on Climate Change And Health' is currently under formulation and National Expert Group on Climate Change & Health has been constituted.
- 2) The proposal 'Waste to Energy Mission' will incentivize effort towards harnessing energy from waste and is aimed at lowering India's dependence on coal, oil and gas for power production.
- 3) The 'National Mission on Coastal Areas' (NMCA) will prepare an integrated coastal resource management plan and map vulnerabilities along the entire (nearly 7000-km-long) shoreline.
- 4) The 'Wind Mission' seeks to increase the share of wind energy in the renewable energy mix of India. It is likely to be given an 50000-60000 MW of power by the year 2022.

SAPCC: The State Action Plan on Climate Change aims to create institutional capacities and implement sectoral activities

to address climate change. These plans are focused on adaptation with mitigation as co-benefit in sectors such as water, agriculture, tourism, forestry, transport, habitat and energy. So far, 28 states and 5 union territories (UTs) have submitted their SAPCCs to the MoEF & CC (Ministry of Environment & Climate Change). Out of these, the SAPCCs of 32 states and UTs have been endorsed by the National Steering Committee on Climate Change (NSCCC) at the MoEF&CC.

NAFCC: A National Adaptation Fund for Climate Change has been established with a budget provision of 1350 crore for the year of 2015-16 and 2016-17. It is meant to assist in meeting the cost of national and state-level adaptation measures in areas that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change.

The overall aim of the fund is to support concrete adaptation activities that reduce the adverse effects of climate change facing communities, sectors and state but are not covered under the ongoing scheme of state and central government. The adaptation project contributes towards reducing the risk of vulnerability at community and sector level.

Coal Cess and National Clean Energy Fund: India is one of the few countries around the world to have a carbon tax in the form of a cess on coal. Not only has India imposed such a cess but it has also been progressively increasing it (from Rs. 50/tonne of 2010 to Rs.200 by 2015-16). The NCEF which is supported by the cess on coal was created for the purposes of financing & promoting clean energy initiatives, funding research in the area of clean energy & any other related activities.

PAT: The Perform Achieve and Trade scheme under the National Mission on Enhanced Energy Efficiency was introduced as an instrument for reducing specific energy consumption in energy-intensive industries with a market-based mechanism that allowed the trading of ESCerts (energy saving certificates). The ESCerts, issued by the GoI, are traded through the power exchanges in the country.

Renewable Energy: For India renewable Energy has become major focus area. The GoI has set an ambitious target of achieving 40% cumulative electric capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030. India is currently undertaking the largest renewable capacity expansion programme in the world.

Outlook for the Future: The year 2015 has been commendable regarding world's action towards environmental protection & climate change. We see the world agree to a common framework on climate change and a set of SDGs in a single year was indeed a monumental achievement in this regard there will be two important challenges⁵ in front of the world-

- 1) Mobilization of the funds needed for releasing the bold targets envisaged under both.
- 2) Need of a Clear action plan for implementation.

Budgetary sources of the countries (especially, in case of developing countries) will not be sufficient enough for the successful implementation of the Paris Agreement, the SDGs and the ambitious targets set out in the INDCs. Looking at the size of funds which will be needed to release these goals, the experts have advised to mobilize all channels in this regard-private finance, public finance-both national and international.

Conclusion: Hardly anything makes economic sense unless its continuance for a long time can be projected without running into absurdities. Growth and development can happen to a 'limited objective', but it can not be stretched upto an 'unlimited extent'. How can the 'finite' earth support mankind's 'infinite' physical needs?--long before this was postulated by the 'Club of Rome' in 1972, exactly the same thing Gandhiji had said in late thirties itself, 'Earth provides enough to satisfy every man's need, but not for every man's greed. Mankind needs to introspect not only about its present needs but the way those needs are being met.

Besides we also need to 'differentiate' between our 'needs' and 'aspirations'. Our physical needs have a direct 'link' with the resources we have at our disposal to meet them. If mankind is to survive and prosper, we need to be aware of the repercussions of our activities on Mother Nature.

Climate Change and its Implication Crop & Food Security

Introduction

Improving living standards for mankind has been the single minded goal of all nations and world bodies. After defining development in numerous way for over two decades, there seems to be a consensus on 'Human Development'. While a large population on the earth is still to get the 'bare minimum' for development humanity is at the crossroads where it is faced with the first of its kind challenge--the challenge of 'climate change'. The dilemma is that whatever we can do for our development, there has to be a repercussion on nature. An even bigger dilemma is in achieving a global consensus on how to check or restrict and finally reverse the process of climate change.

We are consider the year 2012, arguably, a high water mark in the field of environment and sustainable development initiatives, The global community met at the UN Conference on Sustainable Development that took place in Rio in June 2012, also marking the 20th anniversary of the first Earth Summit held in 1992. The conference reviewed the progress made, identified implementation gaps, and assessed new and emerging challenges, which resulted in a political outcome called the 'The Future We Want'. In India the Twelfth Five Year Plan was launched with a focus to sustainable growth. This along with sustainable development policies and programmes, which are being followed signalled to citizens at home and the world at large that India is committed to sustainable development with equal emphasis on its dimensions--Social, economic and environmental.

A survey of the global comparative opinion shows that people in India and indeed all countries, have a marked and rising concern about sustainable development and climate change (cited by the Economic Survey 2014-15). However, the challenge also formidable, especially in the context of finding the matching resources of the required magnitude given the economic conditions. Climate science has rightly taken up important position in the public debate. Even as the science of climate change grapples with uncertainties, the world is witnessing more extreme event. With rising extreme event and rising citizen demand, the world has little option but to listen to the voice of evolving science and respond adequately strategies and policies rooted in the principles of multilateralism with equitable and fair burden sharing¹.

Since 2010 onwards, the world has witnessed increasing numbers of natural disasters and extreme weather conditions--frequently getting news headlines across the world. Policy-makers have been facing enormous pressure on availability of clean air, water and energy together with the problems of poverty and hunger, especially in the developing world. Though, the concerns of climate and environment have been there in India Policies, we see it increasing in the past half a decade.

The year 2015 witnessed two landmark international events--the historic climate change agreement under the UNFCCC in Paris in December 2015 and the adoption of SDGs (Sustainable Development Goals) in September 2015. The Paris agreement aims at keeping the rise in global temperatures well below 2°C, which will set the world towards a low carbon, resilient and sustainable future, while the Sustainable Development Goals, which replace the MDGs (Millennium Development Goals), set the development agenda for the next fifteen years. On the domestic front too some important climate-related initiatives were taken, including the launching of the historic International Solar Alliance (An Initiative taken by India) and the submission of the ambitious INDC (Intended National Determined Contribution).

As per the WMO (World Meteorological Organization) 2015 was the warmest year with temperature 1°C above the pre-industrial era. This was owing to El Nino and warming caused by greenhouse gases (GHGs). Anthropogenic emissions have been increasing at an unprecedented rate since the industrial revolution. According to an IEA (International Energy Agency) report 2015, concentration of CO₂ in 2014 was 40% higher than in the mid-1800s. The energy sector is the largest contributor to GHG emissions and within this CO₂ emissions from combustion of fuels have the largest share. The global emissions profile shows² that emissions have been distributed very unequally among different countries.

If historical CO₂ emissions from 1970 to 2014 are considered, India with 39.0 Gt is way behind the top three emitters- the USA (232 Gt), EU (190.2 Gt) and China (176.2Gt). USA's emissions, for example, were around six times India's.

Even if historical levels are discounted and only present levels considered, both in terms of absolute and per capita emissions, India is way behind the three major CO₂ emitters. Per Capita emissions for USA, EU, China and India are 17 ton/capita, 7.5 ton/capita, 7 ton/capita and 2 ton/ capita, respectively.

In terms of sectoral CO₂ emissions from fuel combustion, electricity and heat production was the largest contributor for China, India, the EU and the USA, more so for China and India followed by the manufacturing industry for India and China and transport sector for US and the EU. These compositional patterns reflect the different priorities of these countries.

Agriculture remains the most important sector of the Indian Economy, whether it be the pre-independence or the post-

independence periods. This fact is emphatically proved by the large number of people who depend on it for their livelihood. Before starting any discussion on Indian agriculture, we must look of special features.

From the monetary point of view the share of the agriculture sector in the economy remains at 17.4% of GDP³. In the fiscal 1950-51 agriculture accounted for 55.4% of the GDP.

The share of agriculture has been falling in the country's gross income, while industrial and services sectors' shares have been on a rise constantly. But from the livelihood point of view still 48.9% of the people of India depend on the agriculture⁴ sector. This makes it a more important sector than the industry and the service (for Nepal and Tanzania the dependency for livelihood on agriculture is still higher at 93% and 81%, respectively). It means that 48.9% of population lives with only 17.4% of the total income of the Indian economy--this fact clearly substantiates the reason why the people who depend on agriculture are poor. In the developed economies such as the USA, France, Norway, The UK and Japan, agriculture contributes only 2% of their GDP with only 2% of the people dependent on this sector for their livelihood.

2015-16, foodgrains production is estimated to be 253.16 million tonnes (AE)⁸ higher by 1.14 million tonnes over the production of 252.02 million tonnes during 2014-15. The acreage under several crops declined substantially in 2014-15 as compared as 2013-14.

Productivity of major crops are lower in case of India in comparison to the world's best practice. Though it has been improving with a slow pace, the productivity of rice, wheat and pulses improved from 2202 kg, 2802 kg and 625 kg per hectare of 2007-08 to 2390 kg, 2872 kg (falling from 3026 kg of 2011-13) and 744 kg per hectare in 2014-15⁶.

A total of 66.1% of the cropped area in the economy still depend on the uncertainties of monsoon for their irrigational requirements⁷.

There are certain special terms used to understand the cropping seasons of India. The agriculture crop year in India is from July to June. The Indian cropping season is classified into two main season- (1) Kharif and (2) Rabi based on the monsoon. The kharif cropping season is from July to October during the South-West/summer monsoon and the Rabi cropping is from October to March (North-East/Winter monsoon). The crop grown between March and June are summer crops, known as Jayads.

The kharif crops include rice, maize, sorghum, pearl millet/bajara, finger millet/ragi (cereals), arhar (pulses), soyabean, groundnut (oilseeds), cotton, etc. The Rabi crops include wheat, barley, oats (cereals), chickpea/gram (pulses), linseed, mustard (oilseeds), etc.

Materials and Methods: The Govt. of India Used to estimate crops production using data from the Survey on agriculture out by the National Agriculture/Economic Survey (Govt. of India). The methodology for estimation of crops production followed by Agriculture Ministry Govt. of India has been based on the recommendations of the Expert Group headed. As per this methodology, crops production for the period 1950 to 2014 are as given below:

Table: Crop Production Estimate 1950-51 to 2014-15

Crop	Year	1 st plan	2 nd plan	3 rd plan	4 th plan	5 th plan	6 th plan	7 th plan	8 th plan	9 th plan	10 th plan	11 th plan	12 th plan	12 th plan	12 th plan
	1950	1951	1956	1961	1969	1974	1980	1985	1992	1997	2002	2007	2012	2013	2014
	-51	-56	-61	-66	-74	-79	-85	-90	-97	-2002	-07	-12	-13	-14	-15
	Avg	Avg	Avg	Avg	Avg	Avg	Avg	Avg	Avg	Avg	Avg	Avg	(Milion Tonne)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rice	206	250	303	381	418	473	545	651	787	873	856	973	1052	10	62
Wheat	64	79	97	111	254	298	412	483	629	713	702	844	955	935	
Jwar	55	75	87	88	83	108	113	109	107	78	72	70	53	55	
Bajara	26	34	34	39	60	50	60	52	67	71	82	92	87	88	
Makka	17	27	36	46	61	63	73	76	98	116	140	198	223	233	
Others Anaj	61	66	65	63	64	71	60	54	49	45	36	40	37	40	
Pulses	84	101	117	111	109	117	118	125	133	131	133	159	183	198	
Total Khadyann	508	632	740	810	1030	1181	1381	1550	1890	212	2020	2374	2571	2632	
Tilahan	62	55	67	73	83	89	114	139	219	219	232	289	209	330	
Cane	571	553	803	1092	1281	1533	1749	1964	2584	2924	2770	3258	3412	3459	
Cotton	30	39	48	54	59	68	75	84	122	108	160	281	342	356	
Patsan	33	39	44	57	55	52	64	89	81	96	101	103	109	114	

Result and Discussion

The set and combination of crops which farmers opt for in particular region, in their farm practices is cropping pattern of the region. Multiplicity of cropping system has been one of main features of Indian agriculture and it is attributed to rainfed agriculture and prevailing socio-economic situations of the forming community.

The cropping pattern in India has undergone significant changes over time. As the cultivated area remains more or less constant. The increased demand for food, because of increase in population and urbanization, puts agricultural land under

stress, resulting in crop intensification & crop substitution of food crops with commercial crops.

Cropping system of a region are decided, by and large, by a number of soil and climatic parameters, which determine the overall agro-ecological setting for nourishment and appropriateness of a crop or set of crops for cultivation. Nevertheless, at farmers' level, potential productivity and monetary benefits act as guiding principles, while opting for a particular crop or cropping system. These decisions with respect to choice of crops and cropping system are further narrowed down under influence of several other factors related to infrastructure facilities, socio-economic and technological factors, all operating interactively at the micro-level. These factors are- (i) Geographical factors: Soil, landforms, precipitation, moisture, altitude, etc, (ii) Socio-cultural factors: Food habits, festivals, tradition etc, (iii) Infrastructure factors: Irrigation, transport, storage, trade and marketing, post-harvest, fuel, handling & processing etc, (iv) Economic factors: Financial resource base, land ownership, size and type of land holding, household needs of food, fodder, fiber and finance, labour availability etc, (v) Technology factors: Improved varieties of seed and plants mechanisation, plant protection, access to information etc.

India attained self-sufficiency in food by late 1980s, though food security still evades the country, Food security making food available at affordable price at all times, to all, without interruptions. Through India's GDP growth has been impressive and the agricultural production has also increased over the past few decades, hunger and starvation still persist among the poorer sections of the population.

Lack of food security hampers the nutritional profile of the vulnerable section of the population. Calorie and protein intake of a large number of people in India, specially in rural area, are lower than normal⁹. As per state of food insecurity in the World, 2015 (FAO), India has the second higher number of undernourished people at 194.6 million which is around 15.2% of the world's total undernourished population.

Two important things need attention regarding India food security- (1) Around 27% of India population is BPL and a greater portion (one conservation estimate puts in at 75%) of their household income is spent on food. (2) There is a strong correlation between stability in agriculture production impacts food supplies and can result in spikes in food prices, which adversely affect the lower income groups of the population.

Therefore, along with provision of food subsidy, stability in agricultural commodity prices is essential for making the poorer sections food secure. It means, in the direction of assuring food security, India needs to tackle mainly two hurdles- (1) Enhancing of food production. If food (i.e., foodgrains) is to be supplied to all today India will face deficit of around 30 million tonnes of foodgrains. This shows the food insecurity dimension of India. (2) Strengthening supply chain, Managing the issues like storage, transportation, proper retailing and integrating the segmented agri-markets into a national agrimarket.

Due to high level of undernourishment and volatility to agricultural prices. India has one of the largest number of food schemes in the World to insure food security. There is entitlement feeding programmes like Integrated Child Development Scheme (ICDS- covers all children under 6, pregnant & lactating mothers). Mid Day Meal Scheme. Food subsidy programmes like the targeted Public Distribution System. Annapurana and the Employment Programmes Like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. (100 days of employment at minimum wages to ensure food security)

Till the vulnerable population is not enabled with the market-linked purchasing capacity, these programmes will be relevant in case ensuring food security in the country. There is need to run these schemes with utmost focus of beneficiaries.

Climate change is disturbing the natural and ecosystems and is expected to have substantial adverse effects in India, mainly on agriculture (on which 58% of the population still depends for livelihood), water storage in Himalayan glaciers which are the source of major rivers and groundwater recharge, sea-level rise, and threats to a long coastline and habitations. Climate change will also cause increased frequency of extreme events such as floods and droughts. These in turn will impact India's food security problems and water security. As per the Second National Communication submitted by India to the UNSFCC, it is projected that the annual mean surface air temperature rise by the end of the century range from 3.5°C to 4.3°C, whereas the sea level along the Indian coast has been rising at the rate of about 1.3 mm/year on an average. The climate change projections are likely to impact human health, agriculture, water resources, natural ecosystems and biodiversity.

Concerned of the threats imposed by climate change and pressures on natural resources, sustainability and environment are increasingly taken centre stage in the Indian policy domain. India has been part of 94 multilateral environmental agreements. India has also voluntarily agreed to reduce its emission intensity of its GDP by 20-15 per cent over 2005 levels by 2020, and emissions from the agriculture sector would not form part of the assessment of its emissions intensity. Indian economy is already moving along a lower carbon & sustainable path in terms of declining carbon intensity of its GDP which is expected to fall further through lower carbon strategies. It is estimated that India's per capita emission in 2031 will still be lower than the global/per capita emission in 2005 (in 2031, India's per capita GHG emissions will be under 4 tonnes of carbon dioxide equivalent (CO₂ eq.) which is lower than the global per capita emissions of 4.22 tonnes of CO₂ eq. In 2005).

Together with the national efforts in different sectors, India also recognises that rural areas are equally prone to stress and pressures from natural resource exploitation. In this context, schemes for rural development and livelihood programmes are very relevant. A vast majority of the works under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme are

linked to land, soil and water. There are also programmes for non-timber forest produce-based livelihood, promotion of organic and low chemical agriculture, and increased soil health and fertility to sustain agriculture-based livelihood. These schemes help mobilise and develop capacities of community institutions to utilise natural resources in a sustainable manner and their potential can be further developed.

Along with effort incorporate sustainability in the rural development process, India is increasingly making effort to integrate the three pillars of sustainable development into the national policy space. In fact, environment protection is enshrined in our Constitution (Article 48A and 51A). Various policy measures are being implemented across the domains forestry, pollution control, water management, clean energy and marine and coastal environment. Some of these are policies like joint Forest Management, Green Rating for Integrated Habitat Assessment, Coastal Zone Regulation Zone, Eco Labelling and Energy Efficiency Labelling. Fuel Labelling organisational structure has been developed for environment protection.

Conclusion: Above discussion have demonstrated the effects on crops production and food security to changing climate. Climate change is disturbing the natural & ecosystems and is expected to have substantial adverse effects in India, mainly on agriculture (on which 58% of the population still depends for livelihood), water storage in Himalayan glaciers which are the source of major rivers and groundwater recharge, sea-level rise, and threats to a long coastline and habitations. Climate change will also cause increased frequency of extreme event such as floods and droughts. These in turn will impact India's food security problems.

प्राकृतिक गुणवत्ता में प्रतिकूल परिवर्तन या पर्यावरण प्रदूषण

जिस मिट्टी में पेड़-पौधे उगते और बढ़ते हैं, हम जिस धरती पर रहते हैं, जो जल हम पीते हैं, जिस हवा में साँस लेकर सारे जीवधारी जीवित रहते हैं और जिन वस्तुओं को खाकर हम अपनी भूख मिटाते हैं, वे सब हमारे लिये पर्यावरण का निमार्ण करते हैं। पर्यावरण शब्द 'परि' + 'आवरण' से मिलकर बना है जिसका क्रमशः अर्थ है, 'चारों ओर', 'ढका हुआ'। इस अर्थ में प्राणी के चारों ओर जो कुछ भी भौतिक और अभौतिक वस्तुएँ हैं वे उनका पर्यावरण हैं। मानव के अपने चारों ओर कई प्राकृतिक शक्तियों एवं पदार्थों जैसे चाँद, तारे, सूरज, पृथ्वी, वायु, नदी, पहाड़, जंगल एवं ताप आदि से तथा सामाजिक-सांस्कृतिक तथ्यों जैसे समाज, समूह, संस्था, प्रथा, लोकाचार, नैतिकता, धर्म एवं राजनैतिक मूल्यों आदि से घिरा हुआ है जो कि उसका पर्यावरण कहा जाता है। इस प्रकार प्राणी के चारों ओर पाई जाने वाली सभी प्राकृतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक वस्तुओं एवं दशाएँ उसका पर्यावरण कहलाती हैं। 'पर्यावरण कोई बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है अर्थात् 'पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु के चारों ओर से घिरी हुई हो और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है।'

पर्यावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैले उस वातावरण और परिवेश से है, जिससे हम घिरे रहते हैं। प्रकृति में जो विद्यमान समस्त जैविक तथा अजैविक घटक मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं। अर्थात् जल, वायु, भूमि, प्रकाश, वनस्पति, जन्तु, मानव इत्यादि पर्यावरण के घटक या तत्व हैं। ब्रह्माण्ड में सम्भवतः पृथ्वी ही एक मात्र ऐसा खगोलीय पिण्ड है, जहाँ जीवन के अनुकूल प्राकृतिक दशायें पायी जाती हैं। इसी कारण यहाँ जीवों का विकास सम्भव हो सका है। स्थल, जल एवं वायुमण्डल तीनों में ही जीवों का अस्तित्व पाया जाता है। पृथ्वी पर सजीवों (वनस्पति एवं प्राणी) के निवास क्षेत्र को 'जीवमण्डल' कहते हैं। प्राकृतिक व्यवस्था के अन्तर्गत पर्यावरण के समस्त भौतिक व जैविक घटक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में परस्पर सम्बद्ध हैं। जल, वायु, मृदा, सूर्य प्रकाश आदि भौतिक घटक जीवों की उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल दशायें प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की निरन्तरता बनी रहने के लिए जीवन के इन आधार-तत्वों का एक निश्चित अनुपात तथा सन्तुलन बने रहना आवश्यक है। इनमें आंशिक परिवर्तन होने पर एक सीमा तक जीव अनुकूलन कर लेते हैं। किन्तु वृहद स्तर पर होने वाला परिवर्तन जीवों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। अर्थात् पर्यावरण के प्राकृतिक सन्तुलन में हमारा सुरक्षित भविष्य निहित है।

हमारा वातावरण मुख्यतः तीन भागों में बँटा हुआ है। इसके उस हिस्से में चट्टानें, रेत आदि हैं जो पौधों के पोषण का कार्य करता है, स्थलमण्डल या भूपटल कहते हैं। इसके उस हिस्से को जिसमें जल स्थिति है, जलमण्डल कहते हैं। स्थलमण्डल और जलमण्डल के ऊपर करीब 200 मील या 320 किमी तक फैला हुआ गैसीय वातावरण है, जिसे वायुमण्डल कहते हैं। इसमें मुख्यतः 2 गैसों— नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, अन्य गैसों बहुत कम मात्रा में पायी जाती हैं। इस वातावरण में पृथ्वी की सतह के 6 मील या 96 किमी. ऊपर और इतना ही नीचे का हिस्सा ही जीवमण्डल है। फिर भी लगभग 907 जीव धरती से 2 मील या 16 किमी ऊपर तथा इतना ही नीचे तक के क्षेत्र में पाये जाते हैं।

वर्तमान युग में पर्यावरण पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आज व्यक्ति प्रकृति से दूर होता जा रहा है। 20—वीं सदी में पर्यावरण के साथ मानव ने बहुत अधिक छेड़-छाड़ की है। बढ़ती आबादी की बजह से समस्त मानव जाति के सम्मुख प्रकृति और पर्यावरण को लेकर असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। जहाँ एक ओर विकास की तीव्र गति से मनुष्य को अनेक लाभ पहुँचते हैं, वहीं दूसरी ओर हानि भी हुई है। प्रकृति का सन्तुलन डगमगाने लगा है, उसकी सादगी और पवित्रता नष्ट हो रही है। अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए घर बनाने, कृषि करने, ईंधन प्राप्त करने, धन कमाने एवं अन्य उपयोगों के लिए पेड़ों और वनों का सफाया हो रहा है। प्रतिदिन की नई सड़कें, गगनचुम्बी इमारतें, मिलें, कारखाने आदि बन रहे हैं और इस प्रक्रिया में प्राकृतिक साधनों का अत्याधिक दोहन हो रहा है। हानिकारक रसायन, गैसों और अन्य वस्तुओं का बहुत प्रयोग हो रहा है। इससे पर्यावरण की प्राकृतिकता नष्ट हो रही है एवं प्रदूषण पनप रहा है। हजारों वर्षों से मानव जीवन पर्यावरण के सन्तुलन के साथ चलता रहा है। यद्यपि पर्यावरण में स्वतः सन्तुलन होता है और प्रकृति नियामक का काम करती है, फिर भी सन्तुलन की एक निश्चित सीमा है। इस सीमा के बाद पर्यावरण स्वयं दूषित होना प्रारम्भ हो जाता है। जब पर्यावरण में असन्तुलन पैदा हो जाता है और निर्भलता नष्ट हो जाती है तो उसे प्रदूषण कहते हैं अर्थात् 'प्रकृति की मूल संरचना में मिलावट व दखलनदाजी का जहर प्रदूषण है।'

पर्यावरण-प्रदूषण के घटकों जैसे वायु, जल, भूमि, ऊर्जा के विभिन्न रूप आदि के भौतिक रासायनिक या जैविक लक्षणों का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और उसके लिये लाभदायक दूसरे जीवों, औद्योगिक प्रक्रियाओं, जैविक दशाओं, सांस्कृतिक विरासतों एवं कच्चे-माल के साधनों को हानि पहुँचाती है, प्रदूषण कहलाता है।

पर्यावरण में होने वाले किसी ऐसे परिवर्तन को जो मनुष्य एवं उसके लाभदायक सजीवों व निर्जीवों को हानि पहुँचाये पर्यावरण प्रदूषण है। अतः पर्यावरण के वातावरण में किसी हानिकारक पदार्थ के आ जाने से ही नहीं बल्कि पर्यावरण के किसी घटक घट जाने से होता है। प्रदूषण से तात्पर्य केवल मिलावट से ही नहीं बल्कि पर्यावरण प्राकृतिक गुणवत्ता में प्रतिकूल परिवर्तन से है।

जिन पदार्थों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होती है अर्थात्-पर्यावरण की प्राकृतिक गुणवत्ता में ह्रास होता है उन्हें प्रदूषक कहते हैं। जैसे धूल, धुआँ, रसायन, ऊर्जा के विभिन्न रूप आदि पर्यावरण मिलकर मानव व उसके कार्य-कलापों पर बुरा प्रभाव डालते हैं, वे प्रदूषक हैं।

वायु मनुष्य के लिए एक आवश्यक जीवन रक्षा तत्व है। इसके बिना वह कुछ मिनट ही जीवित रह सकता है। वह सामान्य स्थिति में 22000 बार साँस लेकर 16 किलोग्राम प्राणवायु (ऑक्सीजन) का उपयोग करता है। जो उसे वायुमण्डल से प्राप्त होती है। वायुमण्डल में ऑक्सीजन के असीमित भण्डार हैं। वायु ही मनुष्य के जीवन को सामान्य रूप से चलाती है। इसलिए वायु की स्वच्छता भी आवश्यक है, जिससे मनुष्य का जीवन बिना किसी हानि के चलता है।

वायुमण्डल में प्रदूषण के स्रोत प्राकृतिक और कृतिम या मानव प्रदत्त प्रदूषण के रूप में विभक्त होते हैं। प्राकृतिक प्रदूषण का स्रोत स्वयं प्रकृति है। अनचाहे और अनजाने यह प्रदूषण हो जाता है जिसका प्रभाव जीवधारियों पर पड़ता है। जैसे—ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टानों का टूटना, आँधी या तूफान, वनों की आग, बिजली का गिरना आदि नदियों के साथ अनचाही वस्तुओं का बहना और उनका कहीं इकट्ठा हो जाना भी प्राकृतिक प्रदूषण के अन्तर्गत आता है।

कृतिम या मानव जनित प्रदूषण गाँवों के प्रत्येक घर में जहाँ अभी खाना पकाने का काम परम्परागत तरीकों से ईंधन (लकड़ी, कोयला, गोबर) जला कर किया जाता है, वहाँ चूल्हों से निकलने वाला धुआँ भी अत्यन्त विषैला होता है और वायुमण्डल को प्रदूषित करता है। गृहणी जो इस कार्य में लगी होती है वे इस धुएँ की शिकार होती हैं। दूसरी ओर चूल्हों के नए-नए तरीकों से उनकी कार्य-प्रणाली में इतना परिवर्तन कर दिया गया है कि जिससे खाना बनाने वाले को हानि कम से कम पहुँचे और ईंधन की खपत में भी कमी हो।

प्रदूषक का वर्गीकरण

प्रदूषक:—

(1) पदार्थ

(अ) कार्बनिक प्रदूषण

(क) ठोस—(प्लास्टिक आदि)

(ख) द्रव—(पेट्रोल, डीजल)

(ग) गैस—(निम्न तर-हाइड्रोकार्बन)

(ब) अकार्बनिक प्रदूषण

(क)— ठोस—(फ्लोराइड)

(ख)— द्रव

(ग)—गैस—(सल्फर डाई ऑक्साइड)

(2) ऊर्जा

(अ)— ऊष्मा

(ब)— ध्वनि—(शोर)

(स)— गामा किरणें

प्रदूषण का वर्गीकरण

प्रदूषण:—

(अ)— जल:—

(1)—खनिज,

(2)—औद्योगिक,

(3)—कृषि रसायन का जल में मिलना,

(4)—साबुन का प्रयोग,

(5)—दहन,

(6)—धार्मिक कारण

(ब)— वायु:—

(1)— मानव जनित:—

(क)—दह

(ख)–औद्योगिक अवशिष्ट

(ग)–कृषि रसायन,

(घ)–परमाणु ऊर्जा,

(च)–युद्ध,

(छ)–मृत पदार्थ,

(ज)–वृक्षों का कटान

(झ)–जनसंख्या विस्फोट

(2)– प्राकृतिक:–

(1)– O_2 की कमी,

(2)–कार्बन मोनो ऑक्साइड

(3)–सल्फर डाई ऑक्साइड,

(4)–धूलकण व पराग कण,

(5)–रोगों के जीवाणु व विषाणु।

(स)– मृदा–

(1)– भूखनन

(2)– पेड़ों की कटाई

(द)– ध्वनि

(1)–सामाजिक क्रिया–कलाप

(2)–मेला,

(3)–तेज आवाज,

(य)–रेडियोधर्मी।

जल संसाधन : नेशनल रिवर कन्जरर्वेशन प्लान इण्डिया

वर्ष 2003 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी बाजपेयी ने चेतावनी पूर्ण लहजे में कहा था, 'यदि तीर्थराज प्रयाग के संगम स्थल पर देश के सन्त-महात्मा आचमन तक करने से मना कर दें तो समझ लीजिए देश के दुर्दिन आने वाले हैं।' गंगा-यमुना दोनों नदियों के साथ लगभग तीन चौथाई देशवासी जुड़े हुये हैं। गंगा-यमुना की संगम स्थली पर कुम्भ का इतिहास कितना पुराना है, यह इतिहास वेत्ता भी नहीं बता पाते। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन-काल में इच्छा व्यक्त की थी कि उनके अस्थि अवशेषों की एक मुट्ठी राख पुण्य गंगा में प्रवाहित की जाये, ताकि देश की कथा में वह भी घुल जाएँ।

संसार में समस्त जीवन जल से ही जन्मा है। जल ही जीवन है, किन्तु फिर भी जल संसाधनों के प्रबंधन में इस सीमा तक लापरवाही और अनदेखी कि भविष्य ही संकट में पड़ जाये, यह कैसा विकास है? ऐसी भविष्य वाणियाँ आधारहीन नहीं कहीं जा सकती कि अगले दो दशकों में जल के लिए युद्ध लड़े जायेंगे। आखिर नदियों के जल बँटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य देश के एक प्रकार का शाब्दिक युद्ध ही तो चल रहा है और फिर भी हम इतने अचेत पड़े हुए हैं। यह आश्चर्य जनक है। प्रति वर्ष ग्रीष्म ऋतु के आते ही सारे देश में जल का भीषण संकट उत्पन्न हो जाता है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में प्रमुख रूप से खाली बाल्टियों, घड़ों और मटकों की कतारें दिखती हैं। अनेक राज्यों और नगरों में बाल, वृद्ध और महिलायें मीलों चलकर पीने के लिए पानी की व्यवस्था करती देखी जा रही हैं। इस सम्बन्ध में हमारे देश व प्रदेश की कुछ स्थिति यूरोप के एक राजा की कहानी जैसी होती जा रही है, जिसमें राजा के दरवाजे पर खड़ी भूखी जनता रोटी माँग रही थी तो राजा ने कहा था कि रोटी नहीं तो केक, डबल रोटी खाओ। मुम्बई के थाणे जिले में जहाँ कोका-कोला का उत्पादन किया जा रहा है, अनेक ग्रामों में पानी उपलब्ध नहीं है। गर्मी की भीषण तपन में देश के नगरों में, लगभग सभी रेलवे स्टेशनों में अब पुराने दृश्य बदल गये हैं। नगरों में अब प्याऊ नहीं दिखते, स्टेशनों पर पानी की बाल्टियाँ लेकर यात्रियों को पानी बाँटते 'पानी-पाण्डे' नहीं सुनाई पड़ते। वाटर टैंक तो सूखे पड़े रहते हैं। हाँ मिनरल वाटर की 20 रुपये प्रति लीटर बोतलें या कोक या पेप्सी या अन्य पेय पदार्थ जितना चाहें, ले सकते हैं। इन पेय-पदार्थों की कमी नहीं है। पैसे दो ड्रिंक या पानी, जो चाहो लो। यह है हमारे गरीब देश का रहीसी ठाट। ऐसा संसार के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगा।

भारत के लगभग समस्त प्रदेशों में पेय जल का एक जैसा संकट देखने को मिल रहा है। यदि मानसून समय पर आ जाता है और वर्षा ठीक समय हो जाती है तो देश की अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहती है। मानसून के कमजोर होने पर देश कमजोर दिखने लगता है। हमारे देश में बड़ी-बड़ी नदियों ने जल-राशि की अपार मात्रा उपलब्ध करा रखी है इसके बावजूद देश प्यासा और सूखा पड़ा रहता है। वर्षा जल की अपार जलराशि के संरक्षण और प्रबन्धन का अभाव बना हुआ है, जिसे अनगिनत सरकारी अपव्ययों को छोड़कर युद्ध स्तर पर संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है। एक दूसरा भारी संकट भूमिगत जल स्तर के निरन्तर गिरते जाने से उत्पन्न हो रहा है। ट्यूबवेल, पम्पिंग स्टेशनों तथा हैंडपंपों से भूमिगत जल का भारी दोहन किया जा रहा है जिससे जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है तथा यह आशंका बनी हुई है कि अगले 15-20 वर्षों में अनेक स्थानों पर भूमि व भवनों के धसकने की स्थिति आ जायेगी।

उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों में ऐसी स्थिति की आशंकायें व्यक्त की जा रही हैं। कानपुर तथा लखनऊ के मध्य 80 किमी. की ऐसी पट्टी देखी गयी है जिसमें जल स्तर बहुत अधिक गिरा है तथा प्रतिवर्ष 2 से 3 फुट लगातार गिरता जा रहा है, जो भूमि के भीतर एक खोह (सुरंग) निर्मित करता जा रहा है। इसके धसकने तथा बैठ जाने की प्रबल आशंका है। इसे भविष्य में जल संरक्षण करके ही बचाया जा सकता है।

सेण्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथारिटी की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में सिंचाई हेतु 50% जल तथा पेयजल 80% तीस लाख हैण्डपम्पों एवं पम्पिंग-सेट्स साधनों से निकाला जा रहा है। अधिकांश नगर भूमिगत जल पर आधारित होते जा रहे हैं। कोलकाता में 1300 बोरिंग से निरन्तर जल निकासी के कारण कुछ स्थानों पर जल स्तर 40 मीटर तक नीचे गिरा है। परिणामतः नई बोरिंग जल भी नहीं दे पा रही हैं। दिल्ली में भूमिगत जल स्तर खतरे के बिन्दु से भी अधिक गिर चुका है। पंजाब में 3/5 तथा हरियाणा में 2/5 भाग भूमिगत जल सिंचाई में प्रयोग होने के कारण पंजाब व हरियाणा खतरे में हैं। देश के अन्य प्रदेशों में गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर-प्रदेश आदि गंभीर स्थिति में हैं। जबकि जीवन शैली में भारी परिवर्तन के कारण जल की खपत 1950 की तुलना में 3 गुनी बढ़ चुकी है। साथ ही अगले 20 वर्षों में 40% जल उपयोग बढ़ने का अनुमान है।

आज जब जल के कारण युद्ध की आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं तब देश की नदियों की उपेक्षा करना किन्हीं भी सरकारों के लिए दण्डनीय ही है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, भुगत रही है देश की जनता। विगत कुछ समय से यमुना इतनी गंदी हो चुकी है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दिल्ली में यमुना को मौत के मुँह में डाला गया है तथा मथुरा, आगरा, वृन्दावन आदि स्थानों पर यमुना का स्वरूप सड़ान्ध भरी बदबूदार नाले जैसा हो गया है। "राम तेरी गंगा मैली" के साथ ही यमुना भी यम का प्यारी हो रही है। आश्चर्य यह है कि गंगा एक्सन प्लान तथा यमुना एक्सन प्लान जैसे प्लानों में हजारों करोड़ रुपये बहाये जा चुके हैं, किन्तु अधिकारियों की मिली भगत के कारण कारखानों का रासायनिक जल निकास नालों की टैपिंग तथा सीवर का जल निकासी नियन्त्रित नहीं की जा रही है। जो नदियों के साथ-साथ किनारे बसे नगर वासियों को भी मौत के मुँह में ढकेलते जा रही है। पर्यावरण दिवस पर नदियों की सफाई हेतु नगरों में नेताओं तथा सरकारी अफसरों की नौटंकी जनता को जले में नमक छिड़कने का काम कर रही है। गंगा एक्सन के प्लानों तथा यमुना एक्सन प्लान के चरणों में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यमुना एक्सन प्लान का प्रथम-चरण दस

वर्षों का था जो 1993 से प्रारम्भ होकर 2003 तक चला। इस योजना में 700 करोड़ रुपए का बजट में दिल्ली का भाग 170 करोड़ रुपए था। इसके बावजूद आज भी यमुना में प्रतिदिन 2700 मिलियन लीटर घरेलू सीवर जल बेरोकटोक बहाया जा रहा है। केवल दिल्ली के कारखानों से 300 मिलीलीटर प्रदूषित जल की निकासी यमुना में प्रतिदिन की जा रही है। इस आधार पर समझा जा सकता है कि यमुना का जल किस हद तक विषैला बना दिया गया है। कोलीफार्म बैक्टीरिया का सामान्यतः एक लीटर जल में 5000 काउण्ट होना चाहिए। वर्तमान में यमुना के जल में प्रति लीटर एक लाख से दस लाख काउण्ट (गणना) तक बढ़ चुका है।

स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि योजनायें बनाने से समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं है। सच्चाई से योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे सुनिश्चित किया जाए, यह सरकारों को अति सावधानी से देखना होगा। देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने की महत्त्वकांक्षी योजना तभी सफल होगी जब नौकरशाह ईमानदारी से उसे क्रियान्वित करते रहें। केन्द्र सरकार नेशनल रिवर कन्जर्वेशन प्लान के अन्तर्गत 4000 करोड़ रुपए व्यय कर रही है। गोमती सफाई अभियान में 265 करोड़ रुपए खर्च की योजना है। श्रीनगर की 'डल लेक' के लिए 270 करोड़ रुपए की योजना है। हैदराबाद में मुसीनदी स्वच्छता अभियान में 345 करोड़ रुपए व्यय की योजना का प्रावधान किया गया है। निःसंदेह योजनाएँ तो बहुत हैं, किन्तु नदियों के बहते जल की तरह की योजनाओं का धन भी यों ही न बह जाये।

उ० प्र० की प्रमुख नदियों की जलगुणता का वितरण वर्ष 2003

माह—जनवरी से मई 2003

जनपद	नमूना विधि	डीओमिग्रा/लीटर	बीओडी मिग्रा/ली	कुल कोलीफार्म एमपीएन/ 100मिली	मानव प्रयोग हेतु जल का उपयुक्तता
बुलन्दशहर	गंगानदी 1—गंगानदीराजघाट डाउनस्ट्रीम नरोरा	76	40	1483	परम्परागत उपचार एवं जीवाणुनाशन के पश्चात् पीने योग्य (श्रेणी सी)
गाजियाबाद	2—गढ़मुक्तेश्वर डाउन स्ट्रीमगंगा	81	34	2355	परम्परागत उपचार एवं जीवाणुनाशन के पश्चात् पीने योग्य (श्रेणी सी)
कानपुर	3—कानपुर बिदूर	75	36	32330	परम्परागत उपचार एवं जीवाणुनाशन के पश्चात् पीने योग्य (श्रेणी सी)
कानपुर	4—कानपुर स्ट्रीम	77	35	6066	मत्स पालन हेतु उपयोगी (श्रेणी डी)
कानपुर	5—कानपुर डाउन स्ट्रीम	62	71	15300	मत्स पालन हेतु उपयोगी (श्रेणी डी)
कन्नौज	6—कन्नौज अप स्ट्रीम	63	33	1766	परम्परागत उपचार एवं जीवाणुनाशन के पश्चात् पीने योग्य (श्रेणी सी)
कन्नौज	7—कन्नौज डाउन स्ट्रीम	65	44	4700	मत्स पालन हेतु उपयोगी (श्रेणी डी)
इलाहाबाद	8—इलाहाबाद अप स्ट्रीम	82	42	1900	परम्परागत उपचार एवं जीवाणुनाशन के पश्चात् पीने योग्य (श्रेणी सी)
इलाहाबाद	9—इलाहाबाद डाउन स्ट्रीम	80	39	2511	परम्परागत उपचार एवं जीवाणुनाशन के पश्चात् पीने योग्य (श्रेणी सी)

कानपुर प्रदूषण से विषाक्त गंगाजल एवं जनजीवन

विश्वबैंक की रिपोर्ट वर्ष-2006 में वायु-प्रदूषण कानपुर को विश्व का 7-वाँ सबसे प्रदूषित नगर माना गया है। यहाँ 6% आबादी जल सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली गंगानदी कानपुर में सर्वाधिक दूषित है। गंगानदी को मलिन करने में कानपुर-नगर का सबसे बड़ा हाथ है। नगर का भूजल कई क्षेत्रों में विषाक्त है। इन क्षेत्रों के निवासी जानते हुये भी विषाक्त जल पीने के लिए विवश हैं। नौरैयाखेड़ा एवं जूही राखीमण्डी क्रोमियम युक्त घातक रासायनिक कचरे के ढेर पर बसे हैं। इसका कुप्रभाव इन क्षेत्रों के स्वास्थ्य पर परिलक्षित होने लगा है।

पर्यावरण में हो रहे क्षरण को थामने के लिए प्रयास निष्प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित भूरेलाल कमेटी के प्रयासों से वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाये गये। सी.एन.जी. वाहन, सीसा रहित पेट्रोल, लो-सल्फर, डीजल, 4-स्ट्रोक बाइक्स, यूरोमानक, कुछ अच्छे कदम हैं। दूसरी ओर बढ़ते वाहनों की संख्या—(पाँच लाख से अधिक), पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की निरन्तरता, जनरेटर, ट्रैफिक जाम आदि से वायु गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में हो रहे प्रयास निष्प्रभावी हो रहे हैं। लकड़ी, कोयला आदि का ईंधन के रूप में प्रयोग, कारखानों से निकलने वाला धुआँ, कूड़े का जलाया जाना अबाध रूप जारी है।

नगरों में ग्रीन कवर मात्र 15% है। यहाँ हरियाली का अभाव है। पानी की स्थिति भयावह है। सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोत गंगानदी का जल कानपुर नगर में काले या गाढ़े-भूरे रंग का है। गंगानदी का पानी कई रसायनों का घोल है एवं गंगाजल में कोलीफार्म व फीकल कोलीफार्म बैक्टीरिया घातक स्तर पर हैं। जाजमऊ क्षेत्र में गंगाजल में सड़ांध व पानी कीचड़ युक्त है। कीड़े नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। प्रतिदिन लगभग 20 करोड़ ली. मल एक दर्जन नालों के माध्यम से गंगा में उड़ेला जा रहा है। लगभग 60 लाख ली. चमड़ा कारखानों का विषैला जल नालों के माध्यम से सीधे जा रहा है

गंगा को प्रदूषण-मुक्त करने का 20 वर्षों का प्रयास एवं लगभग 150 करोड़ रुपये का व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ है। गंगा पहले से अधिक मलीन है। गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण, जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (J.L.N.U.R.M.) के माध्यम से गंगा को स्वच्छ बनाने का प्रयास जारी है, लेकिन गंगा मुक्त हो पायेगी, इसमें संदेह है।

गंगा-नहर भी नगर के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, लेकिन नहर की स्थिति भी दयनीय है। तीसरी महत्वपूर्ण जलस्रोत भूजल भी कई क्षेत्रों में विषाक्त है। सरकार, जनप्रतिनिधि, नौकरशाह, हर कोई इन बातों को जानता है लेकिन प्रयास न काफी हैं। शोर मचता है तो कभी-कभार टैंकर द्वारा कुछ क्षेत्रों में जल भेजा गया, केन्द्रीय-प्रदूषण बोर्ड द्वारा नौरैया खेड़ा में ग्राउण्ड वाटर रेमेडिएशन प्रोजेक्ट किया गया, क्षेत्र के लोगों को आगाह किया गया, हैण्डपम्प निष्क्रिय बना दिये गये लेकिन सुरक्षित जल के लिए स्थाई व्यवस्था के कोई प्रयास नहीं किये गये। संवेदनहीनता की हद है कि जे J.L.N.U.R.M. के अन्तर्गत भी इन क्षेत्रों को सुरक्षित जल उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

नगर के अन्य क्षेत्रों के भूजल में नाइट्रेट की मात्रा विद्यमान है। मात्र उपचार से समस्याओं का निराकरण असम्भव है, रोकथाम अधिक महत्वपूर्ण है। कल-कारखानों से निकलने वाले लगभग 18 टन प्रतिदिन घातक कचरे के निराकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। टेनरी स्लज के निस्तारण के लिए 2200 मीट्रिक टन की क्षमता का वैज्ञानिक लैण्डफिल साइट रुमा में बनाया गया जो अब लगभग भर चुका है। ट्रीटमेंट प्लांट से प्रतिदिन 15 मीट्रिक टन घातक कचरा उत्पादित है, 200 टेनरीज से भी भारी मात्रा में घातक कचरा निकलता है, निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है।

आवासीय, व्यवसायिक व औद्योगिक सभी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण मानक से अधिक है। जनरेटर्स, लाउडस्पीकर, हार्न, पटाखे सभी के नियन्त्रण के लिए कानून हैं लेकिन इनका अनुपालन नहीं होता। हाल में मुख्यमंत्री उत्तर-प्रदेश के पहल पर भारी संख्या में वृक्ष लगाये गये, लाखों वृक्ष नगर में लगाए गए। क्या स्थिति है इन वृक्षों की?

J.L.N.U.R.M. के अन्तर्गत 'नगर विकास योजना' की रचना हुई है। इस योजना के विजन 'स्वच्छ एवं सुरक्षित कानपुर' एवं 'रीसर्जेंट कानपुर' है। हजारों करोड़ रुपए नगर को मिलने की उम्मीद है। यह नगर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, कायाकल्प हो सकता है। सुशासन, ई-गवर्नेन्स, पारदर्शिता व कर्मठता चाहिए होगी। वर्तमान व्यवस्था व कायशैली इस मिशन के लिये अनुपयुक्त लगती है। नगर-निगम, जलसंस्थान, जलनिगम, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड आदि सरकारी निकाय अक्षम लगते हैं। इनकी स्थिति देखकर एक सहज प्रश्न मस्तिष्क में उठता है, "जो अपना भवन साफ सुथरा नहीं रखते, क्या वे कानपुर महानगर को स्वच्छ एवं स्वस्थ बना सकते हैं?"

पनकी पावर हाउस प्रदूषण बढ़ाने में अहम कारक है। दरअसल यहाँ एक यूनिट पर लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर तो लगा है पर उसकी क्षमता कम होने से राख के कण उड़ते रहते हैं। भूरेलाल कमेटी ने वायु प्रदूषण को लेकर अफसरों पर शिकंजा कसा तो वाणिज्यिक वाहनों की सी.एन.जी. में तब्दील करने का अभियान शुरू हुआ। फैक्ट्रियों में भारी-भरकम जनरेटरों को कैनोपी या स्कास्टिक इनक्लोजर लगवाए। पनकी पावर हाउस का कुछ भी नहीं हो पाया।

कानपुर की चालीस-लाख से अधिक आबादी के बीच फैक्ट्रियों-टेनरियों का धुँआ और ध्वस्त सड़कों पर दौड़ते लाखों वाहनों का प्रदूषण लोगों के शरीर को खोखला कर रहा है। बिना चप्पा चढ़ाये वाहन से निकल गये तो आँखों में जलन होती है। शहर के

जाजमऊ, अहिरवाँ, चकेरी, दादानगर, नौरैयाखेड़ा, फजलगंज, समेत कई इलाकों में फैक्टरियों-टेनरियों के प्रदूषित जल की वजह से भूगर्भ-जल बुरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। जाजमऊ के आसपास तो टेनरियों की क्रोमियम युक्त स्लज की बजह से पूरा पानी जहरीला हो चुका है। टेनरियों का क्रोमियम युक्त जल चोरी छिपे नालों के जरिये गंगा में बहाने के साथ ही रोजाना गिर रहे 259 एम. एल.डी. बिना शोधन के सीवर के पानी की बेजह से गंगा की स्थिति बेहद नाजुक है। 530 किमी से 548 किलोमीटर गंगा की मानीटरिंग में अपस्ट्रीम में 728 मिली. ग्राम प्रति लीटर से घटकर डाउन स्ट्रीम में 562 मिलीग्राम प्रति लीटर रही।

गंगा के पानी का रंग की समस्या सिर्फ नगर में ही नहीं बल्कि कन्नौज में कालीनदी और रामगंगा नदी गंगा में मिलने के साथ शुरू होती है। अफसरों द्वारा की गई जाँच में कन्नौज तक पानी का रंग 10 हैजन (मानक 300 हैजन) यानी साफ-सुथरा था। रामगंगा और कालीनदी के मिलते ही यह 180 हैजन तक यानी भूरे की जगह काफी हद तक काले पानी की शक्ल में पहुँच गया। दर-असल में इसमें उत्तरांचल और पीछे के शराब, सुगर और पेपर मिल का दूषित पानी इसमें मिलकर आ रहा था। हालांकि शहर में यह 70 हैजन हो गया पर समस्या बाहर से भी काफी है।

शुद्धिकरण संयंत्रों की विवरण सूची

क्रम	नगर	स्थान	प्रकार	क्षमता(एम.एल.डी.)
1	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	आक्सीडेशन पाण्ड	270
2	कानपुर	जाजमऊ जाजमऊ जाजमऊ जाजमऊ	यू0ए0एस0वी यू0ए0एस0वी एक्टीवेटेड स्लज क्रोमरिकवरी	500 3600 13000 00045
3	प्रयागराज-इलाहाबाद	प्रयागराज-इलाहाबा	आक्सीडेशन पांड	6000
4	वाराणसी	डी0एल0डब्लू0 बी0एच0यू0 कोनिया	एक्टीवेटेड स्लज एक्टीवेटेड स्लज एक्टीवेटेड स्लज	1200 800 8000
5	मिर्जापुर	मिर्जापुर	यू0ए0एस0वी	1400

विषाक्त जल से प्रभावित जन जीवन

(फतेहगढ़ नगर की सार्वजनिक जल आपूर्ति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

“जल जीवन रक्षक है, किन्तु प्रदूषित होकर मौत का कारण भी बन जाता है। हमारे विकास शील देश में पाँच में से चार बच्चे जल प्रदूषण से उत्पन्न बीमारियों से मरते हैं। देश में पानी के मुख्य स्रोत कुएँ, तालाब, झरने व नदियाँ हैं। देश में 90% जल नदियों से मिलता है जो प्रदूषित है”

पृथ्वी पूरे ब्रह्माण्ड में एकमात्र ऐसी ज्ञात जगह है जहाँ जीवन का अस्तित्व है। इस ग्रह का निर्माण लगभग 4.45 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और इस घटना के एक अरब वर्ष पश्चात् यहाँ जीवन का विकास शुरू हो गया था। तब से पृथ्वी के जैवमण्डल ने यहाँ के वायुमण्डल में काफी परिवर्तन किया है। समय बीतने के साथ ओजोन परत बनी जिसने पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के साथ मिलकर पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक सौर विकिरण को रोककर इसको रहने योग्य बनाया है। पृथ्वी सौरमण्डल का पाँचवाँ सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6.57×10^{21} टन, क्षेत्रफल 510100500 वर्ग किलो मीटर जलीय क्षेत्रफल 361,149,700 वर्ग किलोमीटर कुल थलीय क्षेत्रफल 148950800 वर्ग किलोमीटर कुल आयतन 1083208804000 घन किलोमीटर, जलमण्डल की माध्य गहराई 3554 किलोमीटर, सूर्य के माध्य दूरी 149407000 किलोमीटर है। संयुक्त राष्ट्र सघ के आंकलन के आधार पर 31 अक्टूबर, 2011 को विश्व की जनसंख्या सात अरब हो गई है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1210193422 है, जिनमें 623724248 पुरुष, 586469174 स्त्रियाँ हैं, कुल साक्षरता 74.04% जिनमें 82.14 पुरुष, 65.45 स्त्रियाँ हैं व घनत्व 382 है।

पूरे सौर मण्डल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर भारी मात्रा में जल उपस्थिति है। यह एक ऐसा तथ्य है जो पृथ्वी को अन्य ग्रहों से विशिष्ट बनाता है। पृथ्वी के धरातल के लगभग 70% भाग को घेरे हुई जल राशियों को जलमण्डल कहा जाता है। जलमण्डल में मुख्य रूप से महासागर शामिल है लेकिन तकनीकी रूप से इसमें पृथ्वी का सम्पूर्ण शामिल है। जिसमें आन्तरिक समुद्र, झील, नदियाँ, और 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाने वाला भूमिजल शामिल है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। विश्व के महासागरों का कुल आयतन लगभग 1.4 मिलियन घन किलोमीटर है। पृथ्वी पर उपस्थिति कुल जलराशि 97.7% महासागरों के अन्तर्गत आता है जब कि बाकी 2.3% ताजे जल के रूप में है। ताजे जल में लगभग 68.7% जल बर्फ के रूप में है।

समुद्री जल में औसत लवणता लगभग 34.5/1000 ग्राम होती है अर्थात् 1 कि.ग्रा. जल में 34.5 ग्राम लवण उपस्थिति होता है। महासागर घुली हुई वातावरणीय गैसों के भी बहुत बड़े भण्डार होते हैं। यह गैसें समुद्री जीवों के जीवन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समुद्री जल का विश्व के मौसम पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। महासागर विशाल ऊष्मा भण्डार के रूप में कार्य करते हैं। महासागरीय तापमान वितरण में परिवर्तन से जलवायु पर बहुत बड़ा असर पड़ता है।

मानव शरीर में 60% भार जल का होता है। जल के बिना न तो किसी जीव की कल्पना की जा सकती है और न ही किसी वनस्पति की। संसार का 4% जल पृथ्वी पर है और शेष समुद्रों में। पृथ्वी पर जितना जल है उसका केवल 3% भाग ही स्वच्छ एवं शुद्ध है तथा इसी पर सारी दुनियाँ निर्भर है। ज्यों-ज्यों विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है त्यों-त्यों जल का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक देश विकासशील देशों की तुलना में 20 गुना अधिक जल खर्च करते हैं।

बिना मुण्डेर और जाली वाले कुँओं का पानी दूषित हो जाता है। तालाबों का पानी नहाने, कपड़े धोने और पशुओं के नहाने से दूषित होता है। धार्मिक अन्धविश्वास, स्नान और अस्थि विसर्जन, मलजल की नदियों में निकासी आदि के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। समुद्र भी प्रदूषण से मुक्त नहीं है। समुद्रों में जहाजरानी, परमाणु अस्त्रों के परीक्षण, समुद्रों में फेंकी गई गन्दगी, मल विसर्जन एवं औद्योगिक अवशिष्टों से विषैले तत्वों के कारण समुद्री जल निरन्तर प्रदूषित हो रहा है।

प्रदूषित जल के उपभोग से अनेक रोगों के होने की सम्भावना रहती है, जैसे लकवा, ज्वाडिस, टाइफाइड, हैजा, डायरिया, टी.बी., पेचिस, एक्वोकफाइटिस, कंजक्टीपाइटिस आदि। यदि जल में रेडियो सक्रिय पदार्थ और लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक जैसे विषाक्त धातु हों तो कैंसर जैसे भयंकर रोग हो सकते हैं। हमारे देश में प्रदूषित जल के सेवन से प्रतिवर्ष भारी संख्या में लोग काल के गाल में समाते जा रहे हैं। जल की मछलियाँ व अन्य जन्तुओं तथा वनस्पतियों को जल की विषाक्तता जान से मार रही है जिससे बहुत बड़ा परिस्थितिक असन्तुलन उत्पन्न होने की संभावनाएँ अति प्रबल हैं। प्रदूषित जल से प्राकृतिक जल का पी-एच.मान इसकी ऑक्सीजन व कैल्सियम मात्राएँ परिवर्तित हो जाती हैं। जस्ता और सीसा से प्रदूषित जल में कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है।

जनपद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ नगर की सार्वजनिक जल आपूर्ति का सामाजिक अध्ययन

जनगणना-2011 के अनुसार, जनपद फर्रुखाबाद की कुल जनसंख्या 1,887,577, जिसमें 1020802 पुरुष, 866775 स्त्रियाँ, नगरीय 429990, ग्रामीण 1457587, जनसंख्या घनत्व 865 प्रति वर्ग किमी, साक्षरता 70.57% एवं जिला मुख्यालय फतेहगढ़ नगर में स्थिति है। जनपद में 1 लोकसभा, 4 विधानसभा क्षेत्र, 3 तहसील, 7 ब्लाक, 87 न्याय पंचायत, 1007 ग्राम जिनमें 885 आबाद एवं 124 गैर-आबाद, 2 नगर पालिका परिषद, 4 नगर पंचायत, 1 छावनी क्षेत्र, 13 पुलिस स्टेशन जिसमें 8 नगर एवं 5 ग्रामीण, 95 बस स्टेशन/स्टॉप, 19 रेलवे स्टेशन/हाल्ट, 151 डाकघर, 103 व्यवसायिक-सहकारी बैंक, 716 सरकारी गल्ले की दूकानें, 69 शीतगृह, 3265 बायो गैस संयन्त्र, 1799

प्राथमिक विद्यालय, 872 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 200 माध्यमिक विद्यालय, 19 महाविद्यालय, 9 परास्नातक महाविद्यालय, 1 मेडिकल कालेज, 1 आई.टी.आई, 1 पोलिटेक्निक, 43 एलोपैथिक चिकित्सालय, 16 आयुर्वेदिक, 19 होम्योपैथिक, 3 यूनानी, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 17 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 191 परिवार व मातृ शिशु कल्याण उपकेंद्र, 1 टी.बी. अस्पताल, हैण्डपम्प इण्डिया मार्का 3000, 43 नलकूप, 8 जलटैंक, 4 सिनेमाघर हैं जहाँ पर हजारों छात्र-छात्राएँ, व्यक्ति एकत्रित होते हैं जिनके लिए इन स्थानों पर स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल का लगभग पूर्णतया अभाव है। जब कि जिला सेक्टर योजना पर प्रति वर्ष कुल व्यय धनराशि रु.656114477.00 एवं प्रति व्यक्ति पर व्यय रु.417.80 व जल-प्रबन्धन के नाम पर अरबों-खरबों रुपए व्यय होते हैं।

जनपद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ नगर में सार्वजनिक जल आपूर्ति हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार तथा विश्वबैंक की योजनाओं सहित जिला एवं नगर के तहत जलकल्याण के नाम पर अनेकों योजनायें संचालित हो रही हैं जिनमें करोड़ों-अरबों रुपयों की धनराशि सार्वजनिक जल आपूर्ति, प्रबन्धन, निगरानी तथा मरम्मत के नाम पर व्यय हो रही है, जिसके अन्तर्गत इण्डिया मार्का-2 सरकारी हैण्डपम्प, सरकारी नलकूप, जल टैंक, तालाब, नालों आदि का निर्माण, मरम्मत, रख-रखाव, निगरानी एवं प्रबन्धन व्यवस्था आदि है। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने दिनांक 25-7-2012 से दिनांक 31-7-2012 तक (सात दिन) सार्वजनिक जल आपूर्ति का अध्ययन किया जिसमें सर्वेक्षण, अवलोकन एवं साक्षात्कार आदि के आधार पर मैंने अपने अध्ययन में जल-प्रदूषण कारण के जो तथ्य पाये उनका संक्षिप्त सार रूप विवरण इस प्रकार से है:-

मैंने अपने अध्ययन में पाया कि सार्वजनिक जल आपूर्ति व्यवस्था के अन्तर्गत फतेहगढ़ नगर में वर्ष 2010-11 में सरकारी हैण्डपम्प, 0 पानी टैंक, 0 ट्यूबवेल लगाये गये हैं जब कि नगर की जनसंख्या में लगभग 3.5% वार्षिक वृद्धि हुई है। नगर के रेलवे स्टेशन, प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, महाविद्यालयों, परास्नातक महाविद्यालयों, चिकित्सालयों, बसअड्डों, व्यवसायिक-सहकारी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी गल्ले की दूकानों, डाकघरों, पंचायतघरों यहाँ तक की जिला मुख्यालयों के प्रमुख कार्यालयों में जहाँ पर हजारों की संख्या में जनता की भीड़ प्रतिदिन एकत्रित होती है, शुद्ध पेय जल का पूर्णतया अभाव है और पेय जल के नाम पर इन जगहों पर कुछ उपलब्ध है तो गन्दगी से परिपूर्ण खुली, टूटी-फूटी पानी टंकियों से प्रदूषित जल एवं मनमाने दामों पर बिकने वाला डिब्बा बन्द प्रदूषित जल तथा व्यापारिक दूकानों के गन्दे डिब्बों में भरा पानी आदि। इसी प्रकार सरकारी हैण्डपम्पों के पास टूटी-फूटी पटियों के बीच से कीचड़ युक्त गन्दे जल का रिसाव से प्रदूषित जल, जल में क्रोमियम आदि जहरीले पदार्थों की अधिकता, नलों के पास जानवरों का जमाव, हैण्डपम्पों की खराबी व पानी उतर जाने, सरकारी हैण्डपम्पों में लोगों द्वारा जबरदस्ती समरसेबिल-पम्प लगाये जाने तथा सरकारी नलों को लोगों द्वारा उखाड़ कर बेच लिए जाने, सरकारी नलों की मरम्मत एवं रख-रखाव का अभाव, कागजी खानापूर्ति तथा सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही से फतेहगढ़ नगर की सार्वजनिक जल आपूर्ति बुरी तरह से प्रदूषित है।

सार्वजनिक जल आपूर्ति व्यवस्था के अन्तर्गत नगर की जल आपूर्ति अत्यन्त प्रदूषित है। नगर की सार्वजनिक जल आपूर्ति की पाइप-लाइने पुरानी, अति-जर्जर एवं टूटी-फूटी हैं जो कि लगभग सभी प्रमुख स्थानों पर नगर की खुली सीवर लाइनों में डूबी हुई हैं और इनके द्वारा नगर की सार्वजनिक जल आपूर्ति बुरी तरह से विषाक्त हो रही है। फतेहगढ़ नगर में जल टैंक व ट्यूब-वेल प्रमुख रूप से स्टेडियम, कर्नलगंज, अस्पताल, भोलेपुर, जिला कारागार, केन्द्रीय कारागार आदि स्थानों पर लगे हैं जिनमें सफाई, लालदवा (पोटेशियम परमैंगनेट) व्यवस्था आदि का पूर्णतया अभाव है। फतेहगढ़ नगर की सार्वजनिक जल आपूर्ति पूर्णतया यहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों की कृपा पर निर्भर है तथा इनकी कृपा से दिन के 24 घंटों में मात्र एक बार फतेहगढ़ नगर में प्रातः 5 बजे के बाद लगभग 30 से 60 मिनट के बीच जल आपूर्ति दी जाती है और यदि किन्ही कारणों से जल आपूर्ति प्रातः 6 बजे तक प्रारम्भ नहीं हो पाती है तो फिर पूरे दिन तक किसी भी हालात में जल आपूर्ति नहीं दी जाती है जो कि यहाँ की जनता के लिए एक बहुत गंभीर संकट बना हुआ है। सार्वजनिक जल आपूर्ति से सम्बन्धित कर्मचारी गुटबाजी व यूनियन तथा अपनी दबंगई का प्रदर्शन कर जनता से अवैध बसूली में लगे रहते हैं तथा जल आपूर्ति से सम्बन्धित कर्मचारी एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपने निर्धारित दायित्वों का निर्वाहन नहीं कर रहे हैं और न ही अपनी ड्यूटी काल में जल की गुणवत्ता की जाँच करने सार्वजनिक जल वितरण स्थानों पर उपलब्ध होते हैं और न ही जलता की समस्याओं के समाधान के लिये सार्वजनिक स्थानों व अपने कार्यालयों में उपलब्ध रहते हैं और न ही जनता के बीच संगोष्ठियाँ या जन-सर्मक कार्यक्रमों को संचालित करके जल प्रदूषण के सम्बन्ध में जन जाग्रति पैदा कर रहे हैं। यह लोग ज्यादातर अपनी ड्यूटी से गायब बने रहते हैं। जिसके कारण नगर की जनता विषाक्त जल सेवन करने को मजबूर है। फतेहगढ़ नगर का प्रमुख जल स्रोत गंगाजल भी बुरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। गंगाजल को दूषित करने में नगर के गन्दे नालों का जल, औद्योगिक कारखानों का गन्दाजल, सामूहिक स्नान, मल विसर्जन, धोबी-घाट आदि प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं जिसके कारण गंगाजल की गुणवत्ता नष्ट होकर जन-जीवन के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हो रहा है।

अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप प्रमाणित होता है कि यदि सार्वजनिक जल आपूर्ति फतेहगढ़ को निदर्श मान कर देश के समस्त जल स्रोतों एवं सार्वजनिक जल आपूर्ति व्यवस्था पर गम्भीरता से विचार किया जाए तो हमारे देश की पेय जल व्यवस्था में शुद्धता एवं स्वच्छता का अभाव होने के कारण देश-समाज में जल प्रदूषण की समस्या अति विकराल रूप धारण कर चुकी है और विषाक्त जल सेवन से जनजीवन बुरी तरह से संकटग्रस्त होता जा रहा है। यदि समय रहते प्रदूषित जल को शुद्धता एवं स्वच्छता प्रदान करने में कारगर कदम नहीं उठाए गए तो इसके विनाशकारी परिणामस्वरूप जगत के जीव-जन्तुओं का अस्तित्व सदैव के लिए नष्ट होने की सम्भावनाएँ अति प्रबल हैं।

प्रदूषण से विषाक्त गंगाजल

दशहरा 25.10.2012 एवं कार्तिक पूर्णिमा 28.11.2012 को फर्रुखाबाद में सामूहिक स्नानों से प्रभावित जल की गुणवत्ता का अध्ययन

डॉ० नीतू सिंह सेंगर

एम.ए., पी-एच.डी. समाजशास्त्र

पत्राचार-वर्तमान पता:-1/36बजाजा, फतेहगढ़, जन:-फर्रुखाबाद

प्राक्कथन

भारतीय संस्कृति में सामूहिक स्नान का विशिष्ट महत्त्व है। हिन्दुओं के सभी प्रमुख त्यौहार पवित्र नदियों विशेषकर गंगा नदी में सामूहिक स्नान से जुड़े हुए हैं। धार्मिक अवसरों पर कुछ पवित्र स्थानों पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री एकत्रित होते हैं और इन जल स्रोतों में श्रद्धाभाव के साथ स्नान करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में मैंने इन सामूहिक स्नानों की सतही जल के एक महत्वपूर्ण उपयोग के रूप में पहचान की है और जल गुणवत्ता की दृष्टि से पेयजल स्रोत के तुरन्त बाद वाली श्रेणी में रखा है। चूँकि सामूहिक स्नान अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के कारण जल से उत्पन्न बीमारियों के बढ़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं इसलिए मैंने प्रमुख पर्वों के मेलों के दौरान गंगा नदी के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर जल की गुणवत्ता हास का पता लगाने के लिए अध्ययन शुरू किया है। प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के अंतर्गत गंगाघाट घटियाघाट गंगा में दि. 24.10.2012 को विजय दशहरा एवं दि. 28.11.2012 को कार्तिक पूर्णिमा के दौरान होने वाले गंगा स्नान से सम्बन्धित है। यह सामाजिक अध्ययन जन सामान्य में जल प्रदूषण के प्रति चेतना जाग्रत करने के उद्देश्य से किया है। आशा है कि प्रस्तुत अध्ययन प्रलेख उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जो सामूहिक स्नान के समय गंगा नदी के पवित्र जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं और जो लोग जन स्वास्थ्य व लोक कल्याण संबंधी विभिन्न गतिविधियों में रुचि रखते हैं।

डॉ० नीतू सिंह सेंगर

प्रस्तावना

भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न जाति, समुदाय के लोग रहते हैं। नदियों में स्नान करना हिन्दू धर्म का बहुत पवित्र व महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर कुछ ऐसे पर्व हैं, जब किसी विशेष स्थान पर नदी, सरोवर, नहर, कुण्ड, झीलों में स्नान करना धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

भारत देश के सभी प्रमुख त्यौहारों का सम्बन्ध नदी, सरोवर, नहर, कुण्ड, झीलों में सामूहिक स्नान से हैं। त्यौहार के समय पूरे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन स्थानों पर आकर एकत्रित होते हैं। यह उनकी धर्म में आस्था एवं अपार श्रद्धा के कारण होता है। यहाँ वे न केवल स्नान ही करते हैं बल्कि अपेय प्रदूषित जल, जिसमें अनेक रोगों के कारक जीव व जहरीले रासायनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं, का सेवन करते हैं। इन जन समूहों में हिन्दू ग्रामवासियों की संख्या सर्वाधिक हाती है जो अपनी पवित्र आकांक्षाओं एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु घाटों के पास आकर ठहरना अधिक पसन्द करते हैं। उपयुक्त प्रबन्ध के बिना बनाया गया अधिकांश भोजन व्यर्थ हो जाता है इसके अतिरिक्त प्लास्टिक, कागज, मिट्टी के बर्तन एवं हरी पत्तियों के बने दोने-पत्तल भी एक बार उपयोग के बाद फेंक दिए जाते हैं जिससे स्नान के दौरान बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न हो जाता है। ये तीर्थयात्री मल-मूत्र का विसर्जन भी करते हैं। एक अत्यन्त सामान्य अभ्यास यह भी है कि तीर्थयात्री अपने साथ पूजन-हवन सामग्री के अवशेष भी लाते हैं एवं विभिन्न अवसरों के अवशेषों को इन घाटों, नदियों में विसर्जित कर देते हैं जो जल की अशुद्धता में वृद्धि करते हैं। विजय दशहरा दिनांक 24-10-2012 एवं कार्तिक पूर्णिमा दिनांक 28-11-2012 के दौरान जनपद फर्रुखाबाद के गंगाघाट घटियाघाट में लगभग एक लाख स्नानार्थी एकत्रित हुए थे जिनमें इनेमिक, तपेदिक, कुष्ठ, त्वचा एवं अन्य संक्रामक रोगों से ग्रसित रोगियों का उच्च प्रतिशत था। इन रोगियों के यहाँ आने का मुख्य श्रद्धाभाव ये हैं कि वे जब प्रमुख पवित्र गंगा घाट के गंगाजल में स्नान कर लेंगे उन्हें इन सभी रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। दशहरा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर जनपद फर्रुखाबाद गंगाघाट घटियाघाट के गंगाजल में स्नान करना पवित्र माना जाता है।

दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा एवं फर्रुखाबाद की ऐतिहासिकता

जनपद फर्रुखाबाद

‘फर्रुखाबाद’ शब्द का आधार उर्दू के दो शब्दों ‘फर्रुख’ एवं ‘बाद’ है। ‘फर्रुख’ का तात्पर्य 18-वीं सदी के दिल्ली मुगल शासक ‘फारूखशियर’ के नाम से है एवं ‘बाद’ का तात्पर्य ‘नगर या शासन’ है।

भारत की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्व में लगभग 308 कि.मी. दूरी पर तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 218 कि.मी.दूरी पर जनपद फर्रुखाबाद स्थित है। फर्रुखाबाद के इतिहास के आधार पर फर्रुखाबाद नगर की स्थापना दिल्ली

सम्राज्य के मुगल शासक फर्रुखशियर के नाम पर **नबाब मुहम्मद खां बंगश** द्वारा सन् 1714 ई.वी. में की गई थी। मुहम्मद खां के समय में फर्रुखाबाद बहुत ही सुन्दर नगर था। इसके चारों ओर तिकोनी ऊँची दीवाल थी जो लगभग 15 फुट ऊँची थी। उसके बीच-बीच में **12 दरवाजे** थे। नगर के दो किनारों पर दो बड़ी सराय— **लाल सराय** और **मऊ सराय** थीं। गंगा के घाट जो **विश्रांत** के नाम से भी पुकारे जाते हैं का निर्माण सन् 1830 से 1850 ई.वी. के मध्य **शाह बिहारी लाल** द्वारा कराया गया था। नबाबों का पुराना किला नष्ट हो जाने पर उसी स्थान पर सन् 1860 ई.वी. में अंग्रेजों ने **टाउन हॉल** का निर्माण कराया था। फर्रुखाबाद का ऐतिहासिक नगर कन्नौज जनपद का दर्जा प्राप्त कर फर्रुखाबाद से प्रथक हो गया।

जनपद फर्रुखाबाद 3 तहसीलों— सदर, कायमगंज, अमृतपुर में विभाजित है। **सदर तहसील** के अंतर्गत 3 विकास क्षेत्र— बड़पुर, कमालगंज, मोहम्मदाबाद, तथा 5 परगना—शमशाबाद पूर्वी, पहाड़ा, भोजपुर, खाख्टामऊ, मोहम्मदाबाद, **तहसील कायमगंज** के अंतर्गत 3 विकास क्षेत्र— कायमगंज, शमशाबाद, नबाबगंज तथा 2 परगना— कम्पिल, शमशाबाद पश्चिमी, **तहसील अमृतपुर** के अंतर्गत विकास क्षेत्र राजेपुर तथा 2 परगना अमृतपुर, परमनगर आते हैं। जनपद का मुख्यालय फतेहगढ़ में लगभग सभी सरकारी कार्यालय स्थिति हैं। जनपद कारागार, केन्द्रीय कारागार राजपूत रेजीमेण्ट, सिक्ख रेजीमेण्ट की बड़ी छावनियाँ फतेहगढ़ में हैं। फर्रुखाबाद जनपद में छोटी बड़ी 3 नदियाँ हैं इनमें मुख्य **नदी गंगा** है जो एटा से आती हुई उत्तरी कोने से प्रवेश करती है तथा बदायूँ और शाहजहाँपुर जनपदों को इस जनपद से प्रथक करती है। जनपद का थोड़ा सा क्षेत्र उत्तरी-पूर्वी भाग गंगा के उस पार है शेष सम्पूर्ण जनपद गंगा के इसी ओर बसा है। गंगा की धारा प्रत्येक वर्ष अपना रास्ता थोड़ा-बहुत बदल देती है। किसी समय यह कम्पिल, कायमगंज और शमशाबाद के बहुत पास होकर बहती थी परन्तु आज यह इन स्थानों से लगभग 3-4 कि.मी. दूर बहती है। दूसरी नदी **रामगंगा** शाहजहाँपुर से आती हुई जनपद फर्रुखाबाद में थोड़ी दूर बहकर हरदोई जनपद में चली जाती है। तीसरी नदी **बूढ़ी गंगा** कहलाती है यह एटा जनपद से आकर जनपद **जटवारा मौजा में गंगा नदी** में मिल जाती है। बरसात में रामगंगा व गंगा का रूप बढ़ा भयंकर हो जाता है तथा आवागमन का मार्ग ध्वस्त हो जाने पर लोगों का जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है।

फर्रुखाबाद जनपद के विभिन्न स्थानों पर प्रसिद्ध मन्दिर दर्शनीय स्थल हैं। तहसील कायमगंज में 'कम्पिल' या 'कम्पिला' एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है यहाँ प्राचीन काल में गंगा के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम एवं मन्दिरों के होने के कारण यह एक धार्मिक स्थान भी माना जाता है। यह हिन्दुओं और जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ प्राप्त खण्डहरों से ज्ञात होता है कि किसी समय जैनियों के मन्दिर बड़े सुन्दर रहे होंगें। यहाँ निर्मित द्रोपदी कुण्ड में स्नान करने का बड़ा महत्व माना जाता है। ज्येष्ठ सुदी दशमी व कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेले भी लगते हैं। फर्रुखाबाद तहसील में घटियाघाट में रामनगरिया का प्रसिद्ध मेला पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 माह लगता है। श्रंगीरामपुर में श्रंगी ऋषि का मन्दिर है और यहाँ पर ज्येष्ठ दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा एवं शिव रात्रि पर विशाल मेला लगता है। नीमकरोरी रेलवे स्टेशन से 6 कि.मी.दूर पुठरी गाँव में महादेव जी का विशाल मन्दिर है और यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन व चैत्र में विशाल मेला लगता है। बड़पुर में माँ देवी दुर्गा, शीतला एवं सन्तीषी माँ का मन्दिर है चैत्र वदी अष्टमी को यहाँ मेला लगता है। नौखण्डा, शेखपुर, जिठौली, नीमकरोरी, पल्लादेवी या फूलमती मन्दिर प्रसिद्ध हैं। जनपद में गुरु गाँव देवी मन्दिर, पाण्डव बाग में स्थापित शिवजी की मूर्ति, भोलेपुर में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा एवं वैष्णो देवी का मन्दिर अत्यन्त दिव्य एवं भव्य हैं।

जनगणना-2011 के अनुसार, जनपद फर्रुखाबाद का कुल क्षेत्रफल 4274 वर्ग कि.मी., कुल जनसंख्या 1,887,577, जिसमें 1020802 पुरुष, 866775 स्त्रियाँ, नगरीय 429990, ग्रामीण 1457587, जनसंख्या घनत्व 865 प्रति वर्ग किमी, साक्षरता प्रतिशत 70.57 तथा जिला मुख्यालय फतेहगढ़ नगर में स्थिति है। जनपद में 1 लोकसभा, 4 विधानसभा क्षेत्र, 3 तहसील, 7 ब्लाक, 87 न्याय पंचायत, 1007 ग्राम जिनमें 885 आबाद व 124 गैर-आबाद, 2 नगर पालिका परिषद, 4 नगर पंचायत, 1 छावनी क्षेत्र, 13 पुलिस स्टेशन जिसमें 8 नगर व 5 ग्रामीण, 95 बस स्टेशन/स्टाप, 19 रेलवे स्टेशन/हाल्ट, 151 डाकघर, 103 व्यवसायिक-सहकारी बैंक, 716 सरकारी गल्ले की दूकानें, 69 शीतगृह, 3265 बायो गैस संयन्त्रा, 1799 प्राथमिक विद्यालय, 872 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 200 माध्यमिक विद्यालय, 19 महाविद्यालय, 9 परास्नातक महाविद्यालय, 1 मेडिकल कालेज, 1 आई.टी.आई, 1 पोलिटेक्निक, 43 एलोपैथिक चिकित्सालय, 16 आयुर्वेदिक, 19 होम्योपैथिक, 3 यूनानी, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 17 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 191 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उप केन्द्र, 1 टी. बी. अस्पताल, हैण्डपम्प इण्डिया मार्का 3000, 43 नलकूप, 8 जलटैंक, 4 सिनेमाघर हैं।

दशहरा

हिन्दू धर्म के पौराणिक ग्रन्थों में विजय दशहरा का पर्व अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्रों का व्रत में आदि शक्ति मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के व्रत तथा पूजा की जाती है। इसके बाद दशमी के दिन विजय दशमी का त्यौहार सम्पूर्ण भारत में मनाया जाता है। विजय दशमी के दिन भगवान रामचन्द्र ने लंकाधिपति रावण को मारकर विजय प्राप्त की थी। इसीलिये इस दिन को राम की विजय के रूप में मनाते हैं।

आश्विन शुक्लपक्ष की दशमी को माँ भगवती दुर्गा ने महापराक्रमी दैत्य महिषासुर का वध करके दुनियाँ को आतंक से बचाकर सुखी बनाया था। तब से यह त्यौहार विजय दशमी के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार क्षत्रियों का त्यौहार माना जाता है। इसदिन क्षत्रिय अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और इष्ट देवता को बाँधते हुए विजय की कामना करते हैं। प्राचीन काल में इसी दिन शत्रु को जीतने की इच्छा से उस पर चढ़ाई की जाती थी।

वास्तव में यह दिन मुसलमानों के अधिकार से पूर्व स्वतन्त्र भारत में राजाओं की दिग्विजय-यात्रा का विजय-मुहूर्त था। भगवान राम के द्वारा लंका-विजय भारतवर्ष का सबसे बड़ा पराक्रम माना जाता है और उनकी विजय यात्रा इसी दिन से प्रारम्भ हुई थी। इसी दिन जो लोग घरों व मन्दिर में दुर्गा की मूर्तियाँ और ज्वारे बोये जाते हैं, उनको नदियों में प्रवाहित करते हैं।

कार्तिक पूर्णिमा

हिन्दू धर्म के पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य आदि ने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है। अतः इसमें किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का अनन्त फल होता है। इस दिन गंगा स्नान तथा सायंकाल दीपदान का विशेष महत्व है, इसी पूर्णिमा के दिन सायंकाल भगवान का 'मत्स्यावतार' हुआ था, इस कारण इसमें किए गए दान, जपदि का दस यज्ञों के समान फल होता है। इस दिन यदि 'कृतिका' नक्षत्र हो तो यह 'महाकार्तिकी' होती है, 'भरणी' हो तो विशेष फल देती है और यदि 'रोहणी' हो तो इसका फल और भी बढ़ जाता है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक-पूर्णिमा को पूरा हो जाता है।

कार्तिक-पूर्णिमा के दिन प्रायः श्रीसत्यनारायण की कथा सुनी जाती है। सायंकाल देव-मन्दिरों, चौराहों, गलियों, पीपल के वृक्षों और तुलसी के पौधों के पास दीपक जलाये जाते हैं और गंगा जी को दीपदान किया जाता है। काशी में यह तिथि देव 'दीपावली-महोत्सव' के रूप में मनायी जाती है। चन्द्रनारायण व्रत की समाप्ति भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा से आरम्भ करके प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत और जागरण करने से सकल मनोरथ सिद्ध होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा आदि पवित्र नदियों के समीप स्नान के लिए हजारों नर-नारी एकत्रित होते हैं, जो बड़े भारी मेले का रूप बन जाते हैं। सिक्ख धर्मालम्बी इस दिन गुरुनानक देव की जयन्ती का उत्सव मनाते हैं।

गंगा अवतरण की कथा

ज्येष्ठ मास शुक्ल दशमी के दिन पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। अतः भारत के लोग, खासकर गंगा की घाटियों में रहने वाले, इस पर्व को अपूर्व आनन्द के साथ मनाते मनाते हैं। इस दिन गंगा की पूजा विशेष रूपेण करने का विधान है। शास्त्रों में कहा गया कि इस दिन गंगा स्नान करने एवं पूजा करने से **10 पापों का नाश** हो जाता है, इसी से इस पर्व का नाम **दशहरा** पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, प्राचीन काल की अयोध्या के सम्राट महाराज 'सगर' अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया। उनके दस हजार पुत्र घोड़े की रक्षा के लिए चले। इधर इन्द्र को भय हुआ कि ऐसा न हो कि यज्ञ पूरा हो जाए तो 'सगर' को स्वर्ग का राज्य मिल जाए। अतः घोड़े को चुराकर पाताल में **कपिल** मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के दस हजार पुत्र घोड़ों को खोजते-खोजते पाताल जा पहुँचे। जब कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ बंधा हुआ देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। उनकी आंखों से चिंगारियाँ निकलने लगीं। राजकुमारों ने कपिल मुनि को चोर समझकर बहुत ही बुरा-भला कहा और शोर मचाने लगे। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पहुँचने लगा और उनकी आँखें खुल गईं। इससे दस हजार राजकुमार भस्मी-भूत हो गए। उधर घोड़े को न लौटते देख और राजकुमारों को आने में देरी होते देख राजा को घबराहट हुई। वे उन्हें खोजने चले। जब पाताल गए तो अपने पुत्रों की दुर्दशा देख कपिल मुनि से कारण बताने की प्रार्थना की। कपिल मुनि ने कारण बतलाया और कहा, **"ये तभी जीवित हो सकते हैं, जब गंगा पृथ्वी पर आएँगी और इनकी राख से स्पर्श करेंगी।"** उन्होंने कहा कि इस समय गंगा ब्रह्मा के कमंडल में हैं। इस प्रकार राजा सगर तपस्या करने लगे और गंगा को पृथ्वी पर लाने चले। सगर तपस्या करते-करते विलीन हो गए, किन्तु गंगा पृथ्वी पर न आई। तब उनके पौत्र भगीरथ ने कहा कि मैं पृथ्वी पर गंगा को लाऊँगा। इस प्रकार उसने भागीरथ प्रयत्न किया और गंगा को पृथ्वी पर लाया। गंगा पृथ्वी पर बहने लगीं तो राजा सगर के दस हजार पुत्र पुनः जीवित हो उठे। उसी समय से गंगा का नाम भागीरथी पड़ा और जिस स्थान पर सगर के दस हजार पुत्र जलकर राख हो गए थे वह स्थान **'गंगा सागर'** के नाम से सुविख्यात हुआ। उसी समय से गंगा पृथ्वी पर बहती आ रही हैं।

भारत की भौगोलिक दृष्टि से गंगा का उद्गम उत्तरांचल प्रदेश जो कि पूर्व में उत्तर-प्रदेश में था, के उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री गाँव से 22 किलोमीटर. पश्चिम में गोमुख नामक बर्फ की चट्टानों से होता है। वहाँ से 216 किमी. चलकर देवप्रयाग में गंगा व अलकनन्दा का संगम होता है और गंगा हरिद्वार पहुँचती हैं, जहाँ लाखों लोग इसके पवित्र जल से अपने पापों को धोते हैं। कन्नौज में यह कालीनदी तथा इलाहाबाद में यह यमुनानदी से मिलती हुई उ. प्र., बिहार, पश्चिम-बंगाल की खाड़ी- गंगासागर तक 2,525 किमी. लम्बी है। उद्गम से उद्भव तक इस नदी की 9 लाख वर्ग किमी.की द्रोणी हैं। इसके जल को स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त उपयोगी माना जाता है। इसके नियमित सेवन से बहुत सी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार, गंगाजल वर्षों तक किसी बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है और उसमें किसी प्रकार की खराबी उत्पन्न नहीं होती है। गंगा की विशेषता का कारण, उसके जल की अद्वितीय कोटि, जिसका बखान महाभारत व अन्य पौराणिक ग्रन्थों में भी किया गया है।

गंगा की कुल लम्बाई 2525 कि.मी. या 1570 मील, औसत गहराई 52 फुट से 100 फुट अधिकतम, मूल उत्पत्ति का स्थान गंगोत्री, गंगा का क्षेत्रफल 1,000,000 वर्ग कि.मी. है तथा गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड, उत्तर-प्रदेश., बिहार, पश्चिम-बंगाल प्रदेशों के हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, पटना, घाजीपुर, भागलपुर, मिर्जापुर, बक्सर, सैदपुर, कलकत्ता-गंगासागर आदि नगर बसे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गंगा क्षेत्र में उत्तराखंड, उत्तर-प्रदेश., बिहार, पश्चिम बंगाल 4 प्रदेश हैं जिनकी जनसंख्या क्रमशः 10116752, 1991581477, 103804637, 91347736 है। उत्तराखंड में 13 जनपद, उत्तर-प्रदेश में 71 जनपद., बिहार में 38, पश्चिम-बंगाल में 19 जनपद हैं। प्रस्तुत अध्ययन के लिए गंगातटों पर स्थिति प्रमुख नगर हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गंगासागर को लिया गया है जिनकी जनसंख्या क्रमशः 1927029, 1887577, 4572951, 5959798, 3682194, 5520389 तथा कुल जनसंख्या 23549938 है।

भारत की नदियों में गंगा नदी के जल की पवित्रता का स्थान सर्वोपर है। ऐसी धारणा है कि गंगानदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। गंगा तट पर हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कानपुर, संगम-प्रयाग, बनारस गंगासागर आदि अनेक स्थान हैं जहाँ पर प्रतिदिन हजारों

व्यक्ति स्नान करते हैं। कुछ पर्वों पर तों गंगातट के इन स्थानों पर लाखों की संख्या में तीर्थयात्री देखने के मिलते हैं जिन्हें गंगा जल की पवित्रता पर इतनी आस्था है कि वे कभी सोच भी नहीं सकते कि जिस गंगा जल में वे स्नान कर रहे हैं वह प्रदूषित भी हो सकता है।

गंगा जल की अनोखी जल-कोटि कई पश्चिमी वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिखाई है। इंग्लैंड के डॉक्टर जी.ई.नेल्सन के अनुसार जहाजों में चलते समय गंगा जल जो कि हुगली नदी से भरकर इंग्लैंड ले जाया गया, वह ताजा रहा। जब वे इंग्लैंड से पानी लाते थे, वह मुम्बई में आते-आते पुरा खराब हो जाता था। यह स्मरणीय है कि इंग्लैंड से बम्बई की यात्रा कलकत्ता की अपेक्षा एक सप्ताह कम की है। डॉ. एफ. सी. हेरीसन ने अपने अध्ययन में बताया कि गंगा जल में एक अनोखा गुण है जिसकी सन्तोषजनक व्याख्या करना मुश्किल है, वह है, इसमें हैजे के जीवाणु की तीन से पाँच घण्टे में मृत्यु। फ्रान्स के एक डाक्टर हेरेल यील्डेड ने भी अपने अनुसंधान में परिणामस्वरूप ऐसा ही पाया था। डॉक्टर हेरेल ने अपने अध्ययन में बताया कि एक तैरते हुए मानव शव, जिसकी मृत्यु हैजे से हुई थी, उसके कुछ ही दूर पर करोड़ों हैजे व पेचिश के जीवाणु मिलने चाहिए थे, परन्तु एक भी जीवाणु नहीं था। डॉक्टर हेरेल ने पुनः प्रयोगशाला में गंगाजल डालकर हैजे के जीवाणु विकसित करना चाहा किन्तु उसे एक भी जीवाणु नहीं मिला।

फर्रुखाबाद : घटियाघाट गंगाजल में सामूहिक स्नान विजयदशहरा दि 24.8.2012 को

गंगाघाट घटियाघाट में सामूहिक गंगा स्नान सम्पन्न हुआ। प्रस्तुत अध्ययन “प्रदूषण से विषाक्त गंगाजल (सामूहिक स्नानों से प्रभावित जल की गुणवत्ता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)” के अन्तर्गत आज दि. 24-10-2012 को विजय दशहरा पर्व पर मैं जनपद फर्रुखाबाद के घटियाघाट गंगातट पर गई और वहाँ पर देखा कि गंगापुल के उत्तर-पश्चिम में गंगानदी के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होकर सामूहिक स्नान कर रहे हैं तथा पुल के ऊपर से कुछ लोग राख-सामग्रियाँ फेंक रहे हैं। मैं पुल के किनारे से बनी सीढ़ियों से उतर कर गंगा नीचे स्नान क्षेत्र में गयी।

गंगापुल के उत्तर-पश्चिम की ओर पूर्व-उत्तरी किनारे पर पण्डों द्वारा स्नानार्थियों को आकर्षित करने के लिए झोपड़ियाँ-पर्दे-ठाठ तथा पश्चिम-दक्षिणी किनारे पर मन्दिरों-आवासों के सामने बरामदों में तख्त व चौकियों पर आसन बनाकर उस पर अनेक प्रकार की पूजन-सामग्री व पोथियाँ रखकर आने-जाने वाले स्नानार्थियों को आवाज देकर बुलाया जा रहा था। पण्डा-आसन के सामने से गंगा किनारे जल-धारा तक दुर्गन्धयुक्त ढेरों गन्दगी की मोटी-मोटी परतें जमा थी। गंगा नदी का जल बुरी तरह प्रदूषित होकर गाढ़े-भूरे रंग था। इसके बावजूद गंगाघाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे और कुछ श्रद्धालु कर्मकाण्डों की अवशेष सामग्री व मूर्तियाँ गंगा में विसर्जित कर रहे थे तथा कुछ लोग फूल, अगरबत्ती, मिठाई से गंगापूजन कर रहे थे।

मैंने इस अवसर पर स्नान-क्षेत्र से पहले (उत्तर-पश्चिम) एवं स्नान-क्षेत्र के बाद (दक्षिण-पूर्व) गंगाजल में दो नमूने लिए तथा कुछ स्नानार्थियों से बातचीत की तो अधिकतर श्रद्धालुओं ने गंगा-स्नान को सर्वोच्च पुण्य-कार्य और जीवन-मुक्ति का प्रमुख साधन बताया। पण्डों से बातचीत करने पर कुछ पण्डों ने गंगा प्रदूषण मुक्त योजनाओं के धन में फर्जीबाड़े व बन्दर-बॉट की बातों को उजागर किया तथा गंगा किनारे मौजूद गन्दगी को अभिशाप बताया। हिन्दू समुदाय का प्रमुख त्यौहार विजय दशहरा पर सामूहिक गंगास्नान के अवसर पर प्रशासनिक व्यवस्था का पूर्णतया अभाव था। जल में क्लोरीन नहीं पड़ी थी। स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी या चिकित्सक ढूँढ़े नहीं मिला। घाट पर सुरक्षा के नाम पर कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी।

कार्तिक पूर्णिमा दिनांक 28 नवम्बर 2012 को फर्रुखाबाद के गंगाघाट घटियाघाट में सामूहिक गंगा स्नान सम्पन्न हुआ। इस दौरान गंगा के जल की गुणवत्ता का मैं डॉ. नीतू सिंह द्वारा अध्ययन किया गया। इस अवसर पर फर्रुखाबाद के गंगाघाट घटियाघाट स्नान-स्थल के पूर्व तथा स्नान स्थल के बाद से गंगाजल में नमूने लिए तथा गंगा जल की घाटाओं का निरीक्षण किया और स्नानार्थियों से सम्पर्क कर उनसे बातचीत की।

कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर घटियाघाट सामूहिक गंगाजल में स्नान के अवसर पर गंगा का जल काफी दूषित पाया गया तथा जीवाणुओं की संख्या भी काफी अधिक पायी गई। गंगा का जल विषाक्त रसायन युक्त देखने को मिला। जो कि स्नान योग्य नहीं था। इसके बावजूद कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर लगभग 1,00,000 लोगों ने एक साथ गंगा जल में स्नान किया। कुछ स्नानार्थी अपने साथ लाए टूटी-फूटी मूर्तियाँ व पूजापाठ के अवशेष पदार्थों का विसर्जन भी गंगा में कर रहे थे। घाट के पण्डों के आसन से लेकर जल धारा तक कूड़े-करकट के बड़े-बड़े ढेर लगे हुए थे और दूकानदार दूषित खाद्य पदार्थ एवं मिठाइयाँ बेच रहे थे। गंगा के पुल के पास बड़ी संख्या में नाई लोग बाल काटकर कटे बालों को गंगा में विसर्जित कर रहे थे तथा पण्डों के आसनों की ओर से तथा यहाँ के निवासियों के घरों से गन्दा नाले का कीचड़-गन्दगी भी गंगाजल में प्रवाहित होकर स्नान स्थल के जल को दूषित कर रहे थे। कुछ स्नानार्थी अपने साथ लायी गई पूजन सामग्री गंगा में विसर्जित कर रहे थे। सामूहिक स्नान के अवसर पर गंगाक्षेत्र के जल में कहीं भी क्लोरीन नहीं डलवाई गई थी तथा क्लोरीन के अभाव में जीवाणुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि दिखाई देती रही। यह वृद्धि का कारण स्नान आदि से गंगाजल में घुले शरीर के जीवाणुओं से होती है तथा स्नान अवसर पर जल में क्लोरीन मिलाने से वृद्धि में कमी आ जाती है। फर्रुखाबाद शहर के गन्दे नालों एवं उद्योगों तथा अन्य स्रोतों से भारी मात्रा में अत्यन्त जहरीले रासायनिक पदार्थ और कीचड़ युक्त जल गंगा में मिलने से तथा गंगाघाट पर शवदाह एवं शवों के प्रवाह से प्रदूषित गंगाजल में स्नान हानिकारक सिद्ध हो रहा है।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन प्रदूषण से विषाक्त गंगाजल-सामूहिक स्नानों से प्रभावित जल की गुणवत्ता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है। प्रस्तुत अध्ययन का विस्तृत उद्देश्य यह जानना है कि भारतीय समाज के व्यक्तियों में जल संरक्षण और गंगा जल प्रदूषण के प्रति चेतना जाग्रत किस प्रकार होती है? प्रस्तुत अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. गंगा तटों पर सामूहिक स्नानों की मूलभावना और उद्देश्यों के अनुसार प्राचीन तथा वर्तमान स्वरूप।
2. गंगा नदी के जल की विद्यमान गुणवत्ता एवं स्नान हेतु उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
3. गंगा नदी में सामूहिक स्नानों से जल गुणवत्ता पर होने वाले प्रभाव (विशेष रूप से भौतिक— रासायनिक एवं सूक्ष्मजीवी सम्बन्धी पैमानों के सम्बन्ध में) का अध्ययन करना एवं स्नान के पहले व बाद में जल गुणवत्ता में परिवर्तनों का मूल्यांकन करना।
4. सामूहिक गंगा स्नान के दिन रैलिंग के अंदर जहाँ सर्वाधिक स्नान हो रहा है एवं रैलिंग के बाहर जहाँ कोई स्नान नहीं हो रहा है ऐसे क्षेत्रों में हो रहे अन्तर का तुलनात्मक अध्ययन करके विक्षेपण दर ज्ञात करना।
5. सामूहिक गंगा स्नानों के दौरान स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही क्लोरोनीकरण की पर्याप्तता का आंकलन करना।
6. सामूहिक स्नानों के वर्तमान स्वरूप के कारण होने वाला प्रदूषण।
7. सामूहिक गंगा स्नानों से प्रभावित जल की गुणवत्ता के वर्तमान स्वरूप के कारण पर्यावरण संरक्षण के मार्ग में आने वाली बाधाएँ।

निदर्श एवं विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं परिकल्पित सैम्पलर की सहायता से घुलित भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों तथा सूक्ष्मजीवों के विश्लेषण के लिए सैम्पलिंग की गई। स्तरीय परीक्षण के लिए स्नानार्थियों के स्नान मंच का उपयोग किया गया। चूँकि इस अध्ययन का उद्देश्य मुख्य रूप से औसत जल गुणवत्ता, न्यूनतम सतही एवं आधारीय विशेष प्रभावों का है इस कारण सभी सैम्पलिंग लगभग एक मीटर की गहराई तक लिए गए। सूक्ष्मजीवी विश्लेषण हेतु निदर्श कीटाणु रहित बोतलों में एकत्रित किए गए। उन्हें आइस-बक्सों में एकत्रित करके प्रयोगशाला ले जाया गया।

U.P.JAL NIGAM

Office of the Executive Engineer

Construction Division U.P.JAL Nigam Farrukhabad

ANALYSIS REPO OF WATER SAMPLE 3-12- 12 Sample Collector	Sample Source	Sample Date	Place	Particulars	Dashara Test-68 Report-1	Dashara Test_69 Report-2	KartikPoorima Test-70 Report- 1	KartikPoorima Test&-71 Report-2
Dr.Neetu Singh	Ganga River	2410.12 & 2811.12	Farrukh abad	Total dissolved solids				
				Chloride (Cl)	75Mg/lit	100 Mg/lit	123 Mg/lit	75 Mg/lit
				Hardness (CaCo3)	225 Mg/lit	300 Mg/lit	375 Mg/lit	345 Mg/lit
				Calcium (ca)				
				Magnesium (Mg)				
				Alkanity (CaCo3)				
				Phenolphthein				
				Nitraate (No3)	10 Mg/lit	10 Mg/lit	10 Mg/lit	45 Mg/lit
				Nitraate (No2)				
				Flourides (F)	1.0 Mg/lit	1.0 Mg/lit	1.5 Mg/lit	1.5 Mg/lit
				Sulphates (So4)				
				Conductivity at R.T.				
				Iron (Fe)	0.2 Mg/lit	0.0 Mg/lit	0.2 Mg/lit	0.3 Mg/lit
				Turbidity N.T.U	3.59 NTUs	3.85 NTUs	3.60 NTUs	2.10 NTUs
				pH	7 Mg/Lit	7 Mg/Lit	6 Mg/Lit	8 Mg/Lit
				Teste	OK	OK	OK	OK
				Colur	OK	OK	OK	OK
				Odour	OK	OK	OK	OK
				Remark	Waterfit or drinking	WaterNot for drinking	Water Not fit for drinking	Water Not fit for drinking

निदर्श एवं विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं परिकल्पित सैम्पलर की सहायता से घुलित भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों तथा सूक्ष्मजीवों के विश्लेषण के लिए सैम्पलिंग की गई। स्तरीय परीक्षण के लिए स्नानार्थियों के स्नान मंच का उपयोग किया गया। चूँकि इस अध्ययन का उद्देश्य मुख्य रूप से औसत जल गुणवत्ता, न्यूनतम सतही एवं आधारीय विशेष प्रभावों का है इस कारण सभी सैम्पलिंग लगभग 1 मीटर की गहराई तक लिए गए। सूक्ष्मजीवी विश्लेषण हेतु निदर्श कीटाणु रहित बोतलों में एकत्रित किए गए। उन्हें आइस-बक्सों में एकत्रित करके प्रयोगशाला ले जाया गया।

U.P. JAL Nigam office of the Executive Engineer
Construction Division U.P.JAL Nigam Farrukhabad
RE ANALYSIS REPORT OF WATER SAMPLE(Dated 2-2-2013)

Sample Collector	Sample Source	Sample Date	Place	Particulars	Dashara Test-68 Report-1	Dashara Test_69 Report-2	KartikPoorima Test-70Report1	KartikPoorima Test&-71 Report-2
Dr.Neetu Singh	Ganga River	2410.12 & 2811.12	Farrukh abad	Total dissolved solids	174 Mg/lit	140 Mg/lit	167 Mg/lit	154 Mg/lit
				Chloride (Cl)	375Mg/lit	450 Mg/lit	380 Mg/lit	345 Mg/lit
				Hardness (CaCo3)	225 Mg/lit	300 Mg/lit	375 Mg/lit	345 Mg/lit
				Calcium (ca)				
				Magnesium (Mg)				
				Alkanity (CaCo3)	40 Mg/lit	100 Mg/lit	60 Mg/lit	50 Mg/lit
				Phenolphthein				
				Nitraate (No3)	10 Mg/lit	10 Mg/lit	10 Mg/lit	45 Mg/lit
				Nitraate (No2)				
				Flourides (F)	1.0 Mg/lit	1.0 Mg/lit	1.5 Mg/lit	1.5 Mg/lit
				Sulphates (So4)				
				Conductivity at R.T.	345 III	283 III	334 III	307 III
				Iron (Fe)	0.2 Mg/lit	0.0 Mg/lit	0.2 Mg/lit	0.3 Mg/lit
				Turbidity N.T.U	3.59 NTUs	22.8 NTUs	8.57 NTUs	2.10 NTUs
				pH	9.9	10	9.9	9.8
				Teste				
				Colur				
				Odour				
				Remark	Waterfit of drinking	WaterNot for drinking	Water Not fit for drinking	Water Not fit for drinking

सामूहिक स्नान का जल गुणवत्ता पर प्रभाव भौतिक-रासायनिक अवलोकन

24 अक्टूबर 2012 को विजय दशहरा एवं 28 जनवरी .2012 को कार्तिक पूर्णिमा पर्वों पर सामूहिक स्नान से जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं पाए गए। 24 अक्टूबर 2012 को गंगा जल के प्रतिदर्शों (जल-नमूना) की सभी जाँचों के जल का Ph. स्नान के पूर्व क्रमशः 7.0 मि.ग्रा. प्रति लीटर व 6.0 मि.ग्रा. प्रति लीटर के था किन्तु यह स्नान के बाद क्रमशः 7.0 मि.ग्रा. प्रति लीटर 8.0 हो गया। इसी प्रकार गंगा की क्लोराइड जो क्रमशः 75 मि.ग्रा. प्रति लीटर 125 मि.ग्रा. प्रति लीटर था, स्नान के कारण बढ़कर क्रमशः 100 मि.ग्रा. प्रति लीटर, 75 मि.ग्रा. प्रति लीटर हो गया। स्नान से पूर्व कुल कठोरता क्रमशः 225, 375 मि.ग्रा. प्रति लीटर थी बढ़कर क्रमशः 300 मि.ग्रा. प्रति लीटर 345 मि.ग्रा. प्रति ली हो गई। स्नान से पूर्व नाइट्रेट क्रमशः 10 मि.ग्रा. प्रति लीटर और 10 मि.ग्रा. प्रति लीटर थी जो कि स्नान के बाद क्रमशः 10 मि.ग्रा. प्रति लीटर व 55 मि.ग्रा. प्रति लीटर हो गयी। स्नान से पूर्व फ्लोराइड क्रमशः 1.0 मि.ग्रा. प्रति लीटर व 1.5 मि.ग्रा. प्रति लीटर थी जो स्नान के बाद क्रमशः 1.0, मि.ग्रा. प्रति लीटर, व 1.5 मि.ग्रा. प्रति लीटर हो गयी। स्नान से पूर्व आइरन क्रमशः 0.2 मि.ग्रा. प्रति लीटर और 0.2 मि.ग्रा. प्रति लीटर था जो स्नान के बाद क्रमशः 0.0 मि.ग्रा. प्रति लीटर व 0.1 मि.ग्रा. प्रति लीटर हो गया। स्नान के पूर्व टर्बिडिटी क्रमशः 3.59 व 3.60 एन.टी.यू. थी जो स्नान बाद क्रमशः 3.85 व 2.10 N.T.U. हो गयी। स्नान के बाद गंगा के भौतिक-रासायनिक लक्षण लगभग सामान्य पाए गए।

Water Quality Parameters

Turbidity: The turbidity of water to scatter light at 90 degrees. Turbidity is a measure of water clarity. Caused by suspended solids (thus] Turbidity is an indirect measure of suspended solids). Measured in NTUs, using a Turbidimeter. For most people, water with ≤ 5 NTUs looks clear. The American Water Works Association (awwa) recommended that water to be disinfected.

Color: The color is caused by dissolved in water. It can be natural or anthropogenic. Dissolved and suspended solids (together) cause apparent color. For example, brown colored water could be the result of dissolved byproducts of plant biodegradation (true color) or suspended clay particles (apparent color) or both (also apparent color). Color is measured in Platinum, Cobalt units. The AWWA recommended ≤ 15 Platinum Cobalt units. This is also the U.S. secondary drinking water regulation. Color can be measured using light with a wavelength of 455 nm.

Pathogens: Pathogens are disease-causing microorganisms.

pH: pH indicates the intensity of the acid or alkaline condition of a solution. It expresses the hydrogen ion concentration. pH is an important factor that impacts most water treatment processes such as disinfection] coagulation] water softening and corrosion control. The terms may be represented by

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

Alkalinity: The alkalinity of water is a measure of capacity to neutralize acids. Three major classes of materials cause the major portion of alkalinity in natural waters. These are as follows: (1) hydrogen, (2) carbonates and (3) bicarbonates represent the major form of alkalinity.

Hardness: Hardness is caused by the presence of divalent cations. Such ions are capable of reacting with soap to form precipitates with certain anions present in the water to form scale. The main cation causing hardness are calcium, magnesium, ferrous ion and manganous ions. Waters are normally classified in terms of the degree of hardness as follows:

S. No.	Mg/l. as CaCO ₃	Degree of Hardness
1.	0 to 75	Soft
2.	75 to 150	Modestly Hard
3.	150 to 300	Hard
4.	300 up	Very Hard

Organic Compounds: There are a number of methods for determination of organics such as the Total Organic Carbon Analyzed and the Chemical Oxygen demand Test. Most organic compounds show absorbance at 254 nm.

Conductivity: This is a measure of the presence of ions (cation and anion) in solution.

Nitrate: Nitrate is a primary drinking water standard. Its presence also causes the blue-baby syndrome in infants. Nitrate is also a nutrient for algae and stimulates growth of algae.

Total Ions: Humans suffer no harmful effects from drinking water containing ion. However ions can impart taste to water and impart objectionable stains to plumbing fixtures. Ion oxidation can also lead to scale formation.

The Steering Committee decided in December 1986 to bring the Water Quality of river to Bathing Levels which were as follows.

Dissolved Oxygen	Not less than 5 mg/l.
Bio Chemical Oxygen Demand	Not more than 5 mg/l.
Dissolved Oxygen	Not more than 10000 per 100 ml.

स्नान से जल की गुणवत्ता पर मुख्य प्रभावों का विवरण

सामूहिक स्नानों से जल की गुणवत्ता पर कई बुरे प्रभाव पड़ते हैं। कई बीमारियों के कीटाणु का ऐसे स्थानों पर फैलने का डर रहता है। इनमें से प्रमुख हैं

1. अवसर ग्राही रोगाणु जो पानी में पोष तत्वों की मौजूदगी में बढ़ते रहते हैं।
2. आंत्र रोगाणु जैसे, साल्मोनेल्ला, शीगेल्ला, आंत्र, वायरस बहुकोशी, परजीवी रोगाणु।
3. स्नान करने वालों के चर्म, नाक, कान, आँख, कँख, मुँह में रहने वाले जीवधारी जैसे स्यूडोमोनास एरीयस, और तन्तु कमी द्वारा होती है, इसके फैलाव में स्नान जल का सबसे ज्यादा योगदान है।
4. मारपलस-1969 के अनुसार एक मिलीग्राम, चर्म पपड़ी में औसतन 5,30,000 जीवाणु मौजूद होते हैं। यह दर्शाता है कि 53 करोड़ जीवाणु एक ग्राम चर्म पपड़ी में मौजूद होंगे जो कि उपजाऊ मिट्टी में जीवाणु की संख्या के बराबर है तथा शरीर के कुछ भाग जैसे उपचर्म, चर्म, पसीना ग्रन्थियों, बालों की जड़ें, में जीवाणु उसी तरह फलते-फूलते हैं जैसे उपजाऊ मिट्टी में। स्नान के समय इनका काफी बड़ा भाग पानी में मिल जाता है।

सामान्यतया जल की गुणवत्ता रोगाणु की दृष्टिकोण से मापने के लिए सूचक जीवाणु की मदद ली जाती है। इसका मुख्य कारण है सूचक जीवाणु की अधिक मात्रा, सरल पहचान व विश्लेषण व रोगाणुओं के साथ-साथ पाया जाना। कई रोगाणुओं का विश्लेषण अत्यन्त जटिल व खतरनाक होता है। अतः सूचक जीवाणु ही मापे जाते हैं। ऐसे अनुमान है कि सूचक जीवाणु की संख्या 200 जीवाणु प्रति 100 मि.ली. जल से ज्यादा हो तो साल्मोनेल्ला जो टाईफाइड अथवा आंत्र ज्वर पैदा करता है की मात्रा बढ़ने लगती है।

स्टेबेन्सन ने 1952 में अपने प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि बीमारी की घटनाएँ तैरने वालों में काफी ज्यादा होती हैं चाहे पानी की गुणवत्ता कैसी भी हो। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आँख, कान नाक और गले की बीमारियों की घटनाएँ अययन के अनुसार ऐसे तालाब में स्नान करना जिसमें औरस सूचक जीवाणु 2300 प्रति मिली. हो, बीमारी की घटनाएँ काफी ज्यादा हाती हैं। यहाँ तक कि 3 साल्मोनेला टाइफी रोगाणु/100 मिली.जल में हो तो टाइफाइड ज्वर पैदा करने में समर्थ हो जाते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन की उपरोक्त सम्पूर्ण व्याख्याओं व दिए गए परिणामों के फलस्वरूप निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं:-

1. दशहरा एवं कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर सामूहिक गंगा स्नान से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है।
2. सामूहिक गंगा स्नान से प्रभावित जल की गुणवत्ता से प्रदूषित विषाक्त जल से जन जीवन में समस्या उत्पन्न होती है।
3. सामूहिक स्नानों के कारण सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पानी में जीवाणुओं की वृद्धि है।
4. रासायनिक एवं भौतिक पदार्थों तथा जीवाणु मनुष्य के शरीर को धोने के अलावा मलमूत्र त्याग, जो गंगा के किनारे किया गया, व भीड़ की बजह से गंगा में मिला तथा नदी में पूजा के लिए मिठाइयाँ, फूल, पूजा अवशेष के मिलाने से बढ़ा था।
5. कई सारे रोगाणु जो सामूहिक स्नान के दौरान एक दूसरे मनुष्य तक पहुँचने में समर्थ हो सकते हैं जैसे आन्त्र ज्वर, हैजा, पैराटाइफाइड, पेचिस, विभिन्न चर्म व कुष्ठ रोग आदि के होने की सम्भावनाएँ अति प्रबल थीं।
6. सामूहिक स्नान के दिन पानी में क्लोरीन न डाले जाने से सूचक जीवाणु बढ़ना स्वभाविक था।
7. सूचक जीवाणु नदियों में अधिक देर तक जीवित रहते हैं।
8. कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा जल स्नान योग्य नहीं था।

सुझाव

भारतीय हिन्दू समाज अपने धार्मिक पर्वों पर सामूहिक स्नानों के कुछ विशिष्ट उपबन्धों की व्यवस्था करता है, जो कि सर्वकाल, सर्वमान्य होने चाहिए। लेकिन हमारे धार्मिक समुदाय अवसरवादिता की प्रवृत्ति के चलते इस बात का लेस मात्र भी ध्यान नहीं देते। गंगादशहरा, दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा, मकरसंक्रान्ति, कुम्भ आदि पर्वों पर अव्यवस्थित मेले और सामूहिक गंगा स्नान इस परिपेक्ष्य में प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। देश के अनेक नेताओं और पण्डों ने गंगा प्रदूषण मुक्त एवं निर्मल-गंगा धारा के नाम पर फर्जीवाडा और दिखावा करके गंगा कार्य योजनाओं का धन हड़पकर हमारी हिन्दू धर्म की अवधारणा का मखौल बनाया है। जिसके कारण गंगाजल बुरी तरह से विषाक्त होकर जन-जीवन के लिए अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हो रहा है।

भारतीय समाज में इस प्रकार के आचरण को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि उनके अन्दर अपनों से अन्यत्र दूसरों के जीवन व प्राकृतिक वस्तुओं से लगाव नहीं होगा, तो धर्म के प्रति लगाव अथवा आस्था का प्रश्न ही नहीं उठता। हिन्दू धर्म को समझना एवं उसका सम्मान करने का मतलब है अपने देश व भारतीय समाज के हिन्दू समाज को समझना और उसका सम्मान करना। हिन्दू समाज के पर्व एवं त्योहारों पर गंगा नदी में सामूहिक स्नान एवं गंगा जल की उपयोगिता के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने तथा ईमानदारी से अपना कर्त्तव्य निभाये, इस हेतु कुछ आवश्यक सुझाव दिए जा रहे हैं। जो निम्नवत् हैं।

1. नदी में क्लोरीन स्नान शुरू होने के एक दिन पूर्व से ही डाला जाना चाहिए तथा अन्त तक चलना चाहिए। क्लोरीन मिलाने की मात्रा भी पानी की क्लोरीन मांग के ऊपर निर्भर होनी चाहिए।
2. मलमूत्र त्याग के लिए निर्धारित स्थान होने चाहिए जो कि गंगा नदी से दूर हों। इन स्थानों को भी स्वास्थ्य विधियों द्वारा सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
3. निर्धारित स्थानों के अलावा मलमूत्र त्याग पर रोक लगाई जानी चाहिए।
4. सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के लोगों को जाग्रति एवं शिक्षा हेतु कार्यक्रम आयोजन करने चाहिए, ताकि समाज में तथा देश में प्रदूषण नियन्त्रण के महत्त्व की जानकारी बढ़े।
5. हिन्दू धार्मिक संस्थाएँ समाज व्यवस्था की श्रेष्ठ आदर्शों के अनुरूप बनें। यह अब हिन्दू समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सभी विद्वानजनों को, सामाजिक संगठनों को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।
6. गंगा मेलों में प्लास्टिक की वस्तुओं, प्रदूषित खाद्य पदार्थ, पूजन की अवशेष सामग्रियों व शवों का विर्सजन गंगाजल की पवित्रता को नष्ट कर गंगा जल को विषाक्त बना देता है। अतः इनका उपयोग पूर्णतयः प्रतिबंधित होना चाहिए।
7. सामूहिक गंगा स्नान होने से जहाँ एक ओर जल प्रदूषण बढ़ता है वहीं दूसरी ओर व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अतः प्रदूषित जल से स्नान नहीं किया जाना चाहिए।
8. नदियों में सामूहिक स्नान से जल प्रदूषित होता है जो कि जीव व मानव जीवन को संकट में डालकर स्वच्छ जल के उपयोग

से वंचित करता है। अतः नदियों में जल प्रदूषित होने के कारणों तथा संरक्षा पर विचार होना चाहिए।

9. गंगा मेलों के दौरान मेला स्थलों पर गंगानदी के जल का आगम एवं निर्गम के स्रोत व गुणवत्ता सम्बन्धी जानकारी के स्रोतों का विस्तार किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों एवं सामाजिक संगठन के अधिकारियों की जबाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
10. गंगाजल को प्रदूषण मुक्त विकसित करने हेतु जल संरक्षण योजनाओं को विस्तारित किया जाना चाहिए और जनकल्याण से सम्बन्धित अधिकारियों के दायित्व निर्वाहन ईमानदारी से होना चाहिए।
11. पर्यावरण नियोजन कार्यक्रम जल संरक्षण हेतु अति उपयोगी है। इसका क्रियान्वयन जनकल्याण हेतु होना चाहिए एवं कार्यक्रम का अनुपालन कराये जाने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए।
12. गंगा जल के संरक्षण हेतु मानवीय मूल्यों को विकसित किए जाने हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों को विकसित किया जाना चाहिए।
13. सामूहिक गंगा स्नान मेलों में प्रदूषित खाद्य सामग्री का प्रयोग जनजीवन के लिए खतरनाक बनता जा रहा है जिस पर अबिलंब प्रतिबंध लगाना चाहिए।
14. जल सम्बन्धी प्राकृतिक पर्यावरण के साधनों का दोहन प्रतिबन्धित होना चाहिए।
15. गंगा जल की पवित्रता की मूलभावना एवं उद्देश्यों को विकसित किया जाना चाहिए।
16. गंगाजल संरक्षण, योजनाओं को हड़प कर स्वलाभ कमाने वालों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।
17. जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम को विस्तृत कर जनसंख्या सीमित की जानी चाहिए।
18. धार्मिक पर्वों एवं त्यौहारों पर नदी, सरोवर, कुण्ड में स्नान नहीं करना चाहिए।
19. सामूहिक स्नानों से उत्पन्न प्रदूषण समस्या निराकरण हेतु प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए।
20. सामूहिक गंगास्नान अवसर पर उत्पन्न प्रदूषण समस्या समाधान हेतु नियमों का पालन होना चाहिए।

परिभाषित शब्दावली

गंगा : पवित्र नदी।

गुणवत्ता : विशिष्ट गुणकारी।

जल : पानी।

प्रदूषण : नष्ट करना, अपवित्र करना।

प्रभावित : प्रभाव पड़ा हुआ।

विषाक्त : विष से युक्त, जहरीला

सामूहिक : समूह द्वारा होने वाला, समूह से सम्बन्धित।

स्नान : जल से पूरा शरीर धोना, नहाना।

जीवाणु : सूक्ष्म जीव जिनकी कई जातियाँ रोग उत्पन्न करती हैं।

साल्मोनेल्ला : मोतीझारे के जीवाणु।

उपचर्म : चमड़ी के ऊपर की पतली पर्त।

परजीवी : ऐसे जीवधारी जो दूसरे जीवधारी पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते तथा कई परजीवी की जातियाँ अपने मेजबान में रोग भी उत्पन्न करते हैं।

शीपेला : पेचिस के जीवाणु।

गुणवत्ता : जल का भौतिक, रासायनिक व जैविक विश्लेषण द्वारा अच्छे एवं खराब होने को निर्धारण करना।

फीकल कॉलीफार्म : सूचक जीवाणु जो गर्म खून वाले प्राणियों की आन्त में पाये जाते हैं तथा मल के साथ निकलते रहते हैं।

कॉलीफार्म : एक प्रकार का सूचक जीवाणु।

विकास मानकों की उपेक्षा और दरिद्रता (औरैया जनपद के बिधूना ब्लाक की ग्रामसभा ताजपुर का विवेचन)

जनसामान्य के लिए बनी विकास योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन अवलोकन उपरान्त कहा जा सकता है कि साधारण जनता के लिए बनी योजनाओं का धन स्वार्थी, विध्वंशक, नाशक, ठगों, रहीसों और संगठित अपराधियों की सुख-सुविधाएँ तथा काली कमाई बन गए हैं। इस सम्बन्ध में निरीक्षण तथ्य बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दुःखी, वृद्ध, रोगी की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और यदि कोई दरिद्रों की मदद करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर बांकी नहीं रखते हैं।

उ. प्र. राज्य के जनपद औरैया में दरिद्रता और निरक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान है। यहाँ दरिद्र और उनके आश्रित जीवन की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं के अभाव में जीवन-यापन कर रहे हैं। यहाँ के अधिकांश निवासी ग्रामीण और आजीविका कृषि-बटाई एवं मजदूरी है। इनमें अधिकांश कृषक और मजदूर निरक्षर हैं। ग्रामों में यह स्थिति और भी भयावह है जहाँ की निरक्षरता अत्यधिक है। छात्र-छात्राओं, किशोरों, प्रशिक्षुओं एवं शिक्षा डिग्री-डिप्लोमा धारकों की शैक्षिक स्थिति में बड़ी अज्ञानता है। निम्न से उच्च शिक्षित बच्चों, किशोरों, छात्रों युवाओं को सूर्योदय-सूर्यास्त की दिशा एवं अक्षर ज्ञान नहीं है। अधिकांश नहीं जानते हैं कि वे किस जिला-राज्य के निवासी हैं। लिखना पढ़ना उनके वंश की बात नहीं है। निरक्षरता और अज्ञानता उनके पतन की नियत बन चुकी है।

जनपद औरैया की तहसील-ब्लाक क्षेत्र में बने बड़े-बड़े स्कूल भवन दरिद्र व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के लिए व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। इनमें पढ़ाई के अतिरिक्त सब कुछ देखने को मिल रहा है। यथा दावतों के भंडारे, पौनालिक स्थलों व पार्कों की भाँति बच्चों की उछल-कूद, शिक्षकों- रसोइयों के गुट-गपशप, व्यापारिक खरीदारी, मोबाइल पर वार्ता-गेम नजारे दिखते हैं। बड़ा वेतन लेने वाले अधिकांश शिक्षक ड्यूटी साइन करने के लिए यदा-कदा स्कूल आते हैं और कक्षा पढ़ाए बिना चले जाते हैं। अनेक शिक्षक घर बैठे बिना कार्य वेतन लेकर राजनीति-व्यापार में सक्रिय हैं। अनेक शिक्षक अपनी जगह बेरोजगारों को पैसा देकर पढ़ा रहे हैं। मिड-डे-मील का बचा राशन बंदर-बाँट कर घर ले जाया जाता है। इन स्कूलों में पढ़ाई न होने से कोई भी जागरूक अपने प्रतिपाल्य को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं है। जिससे सिद्ध होता है कि मिड-डे-मील, ड्रेस, जूते आदि का वितरण फर्जी आँकड़ों तक सीमित है और यह व्यवस्था समाप्त होने पर जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु प्रधान-शिक्षक व उनके परिजन भूखे अवश्य रह जाएँगे।

जनगणना-2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1210193422 (पुरुष 623724248, स्त्रियाँ 586469174) एवं कुल साक्षरता 74.04% (पुरुष 82.14%, स्त्रियाँ 65.46%) तथा लिंगानुपात 1000: 940 हैं। शिक्षापूर्ति के लिए देश में 756950 प्राथमिक स्कूल, 300008 उच्च प्राथमिक स्कूल, 165087 उच्चतर एवं माध्यमिक विद्यालय, 981 केन्द्रीय विद्यालय, 576 नवोदय विद्यालय, 11458 महाविद्यालय, 2260 महिला महाविद्यालय, 7024 व्यवसायिक डिग्री कालेज, 371 विश्वविद्यालय, 268 राज्य विश्व विद्यालय, 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 2388 तकनीकी-इंजीनियरिंग, 1137 एम. सी. ए. कालेज हैं। शोध स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान, प्रशिक्षण परिषद, यू.जी.सी. एवं पत्राचार स्तर पर राष्ट्रीय खुला विश्व विद्यालय व इंदिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त वि.वि. तथा 15-35 वर्ष आयुवर्ग के लोगों की निरक्षरता समाप्त हेतु साक्षरता केन्द्र चल रहे हैं। **जनगणना-2011 के अनुसार**, उ.प्र. का कुल क्षेत्रफल 240928 वर्ग किमी., जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति/वर्गकिमी., लिंगानुपात 1000 : 918 है। कुल जनसंख्या 199812341, नगरीय जनसंख्या 44495063, ग्रामीण जनसंख्या 155317278 तथा साक्षरता 67.7% है। कुल साक्षर जनसंख्या 135272955, जिनमें 77511403 (77.3%) पुरुष, 77376130 (57.2%) स्त्रियाँ हैं।

जनपद औरैया में तीन तहसीलें:- औरैया, बिधूना, अजीतमल एवं सात विकासखण्ड:- औरैया, भाग्यनगर, महेवा, अछल्दा, सहार, बिधूना एवं एरवा-कटरा है तथा छः नगर-क्षेत्र -औरैया, अजीतमल, अटसू, अछल्दा, दिबियापुर, बिधूना है। **जनगणना-2011** के अनुसार, जनपद औरैया का कुल क्षेत्रफल 22054 वर्ग किमी., जनसंख्या घनत्व 681 व्यक्ति/किमी, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 864 स्त्रियाँ तथा कुल जनसंख्या 1372287 जिसमें 233204 जनसंख्या नगरीय है तथा कुल साक्षरता 80.25% है। जनपद में **बी.पी.एल. धारक** परिवारों की कुल संख्या 320884 है।

ग्रामसभा ताजपुर कानपुर से 102 किमी पश्चिम, औरैया से 39 किमी उत्तर-पश्चिम, इटावा से 54 किमी. उत्तर-पूर्व, कन्नौज से 46 किमी. दक्षिण-पश्चिम, मैनपुरी से 55 किमी. पूर्व और बिधूना से 3 किमी. उत्तर में बिधूना-बेला-कानपुर मार्ग पर ताजपुर ग्राम स्थिति है। ताजपुर ग्राम 5 मजरा- ताजपुर, खरगपुर, कमलपुर, डहारियापुर, पूर्वा किन्नर में विभाजित है। ताजपुर से 200 मीटर पूर्व में खरगपुर, 800 मीटर उत्तर-पूर्व में कमलपुर, 3 किमी. उत्तर में डहारियापुर और 500 मीटर उत्तर में पूर्वा किन्नर है। मजरा ताजपुर में 52 क्षत्रिय (45 सेंगर, 7 कुशवाह), 15 ब्राह्मण (11 अवस्थी, 2 दुबे, 2 शुक्ल), 54 मुस्लिम (40 बेहना, 14 फकीर), 14 तेली, 1 नाई, 13 कठेरिया, 3 मेहतर परिवार हैं, मजरा खरगपुर में 37 क्षत्रिय (19 सेंगर, 15 गौर, 6 भदौरिया, 4 चंदेल 3 सिकरवार, 1 सोलंकी, 1 चौहान), 89 गडरिया, 2 बड़ई परिवार हैं, मजरा कमलपुर में कुल 14 कठेरिया परिवार हैं, मजरा डहारियापुर में 159 गडरिया, 28 अहीर, 41 जाटव एवं मजरा पूर्वा-किन्नर में 70 जाटव परिवार अर्थात् **ग्रामसभा में कुल 592 परिवार** हैं। ग्राम में 2 कोटेदार मानसिंह-वंशराज के मध्य कुल 795 राशन कार्ड में 762 गृहस्थ एवं 32 अन्त्योदय कार्ड्स हैं। ग्राम में 22 विधवा, 23 वृद्धा, 11 विकलांग पेंशन धारक, 117 मनरेगा जॉब कार्ड धारक, 278 बी.पी.एल., 37 इंदिरा आवास धारक, 38 प्रधानमंत्री आवास धारक, 450 इज्जत-शौचालय, कृषक लाभ धारक हैं। ग्रामवासियों की मुख्य आजीविका कृषि-बटाई और मजदूरी है तथा आय से अधिक व्यय शराब पर है। भट्टा-स्वामी व्यापारी शराब पिला लोगों के

खेत-मकान हड़प कर अमानक भू-खनन कर रहे हैं।

स्वतन्त्रोत्तर ग्रामसभा ताजपुर के प्रधान बने स्व. श्री सुर्जन सिंह ने खरगपुर में प्राथमिक पाठशाला एवं स्व. श्री सुन्दरलाल ने ताजपुर में पंचायत घर बनवाया तथा श्री लायक सिंह ने ताजपुर में कन्या पाठशाला, सहकारी समिति, तहसील स्तरीय वेयर-हाउस बनवा कर पशु-सब्जी बाजार लगवाया तदुपरान्त श्री श्यामपाल ने खरगपुर में उच्चप्राथमिक विद्यालय बनवाया एवं ग्रामसभा के चरागाह-तालाब-स्कूल-परती भूमि के पट्टे अपात्रों को दिए तथा श्री प्रेमपाल के कार्यकाल में ताजपुर बाजार बन्द हुआ। लखनऊ निवासी श्रीमती नीलम कठेरिया की प्रधानी उसके देवर-शिक्षक अतुल कठेरिया ने की और ग्राम की गलियों का खडंजा उखड़ा कर सरकारी ईंट से अपना निजी भवन-बाजार-दूकान बनाया तथा ग्राम के बाजार पर जबरदस्त अवैध कब्जा कर आतंक किया तथा सदैव से बिधूना निवासी श्रीमती सत्यवती फर्जी वोट बनवा कर वर्तमान में प्रधान पद पर पदासीन हैं और इन्होंने ग्राम की जनता से आवास के नाम पर 10000-20000 रुपए अग्रिम वसूली की है। अपात्रों को सौरऊर्जा, शौचालय, गैसकनेक्शन, पंजीरी, असहाय-पेंशन, जॉबकार्ड देकर अवैध कमाई जारी है। सरकारी राशन विक्रेता कार्डधारकों को कार्ड न देकर स्वयं रखे हैं और फर्जी- अपात्रों के राशन-कार्ड से और नियमित दूकान न खोलकर राशन-तेल हड़प ब्लैक कर लाभ कमा रहे हैं।

ताजपुर ग्रामसभा से सम्बन्धित पदासीन व्यक्ति और उनके कार्यों का विवरण

क्रम	पद-नाम	पदासीन	निवा.कार्या	ग्रा.भ्रम.संपर्क	अन्य	विशेष
1	ग्राम-प्रधान	सत्यवती पत्नी कृपाशंकर	बिधूना-नगर	हूटरयुक्तकार	अग्रामवासी, फर्जीवोट	अमानक
2	ग्राम सदस्य	15 स्त्री-पुरुष ग्रामताजपुर	ग्राम पंचायत	नहीं	खुली बैठक कभी नहीं	निष्क्रिय
3	ग्राम सचिव	गिवेन्द्र पाल	बिधूना-नगर	कभी नहीं	खुली बैठक कराते	अनियमित
4	सफाई कर्मी	कैलाश बाल्मीक एवं पाल	सूरजपुर-बिधूना	यदा-कदा	यदा-कदा ग्रामड्यूटी	अनियमित
5	चौकीदार पुलिस	शाकीन पुत्र मल्ताजअली	ताजपुर	रात्रिगस्त नहीं	अध्यक्ष प्राइ पाठ.ताजपुर	दोहरे पद
6	सोसाइटी सचिव	जसवंत वर्मा	रौंदापुर	नहीं	पिता की जगह पुत्र ड्यूटी	फर्जीबाड़ा
7	आंकिक	सचिव जसवन्त का पुत्र	रौंदापुर	नहीं	पिता-पुत्र एक साथकार्यरत	फर्जीसचिव
8	अमीन	आर.पी.एस. यादव	रतनपुर-समायन	अनियमित		अनियमित
9	सेल्समैन	नदारत	नदारत	नहीं	अज्ञात	अज्ञात
10	अध्यक्ष	राकेश जाटव	अजीतपुरवा	नहीं	अध्यक्ष कार्य-सर्वेश यादव	फर्जीबाड़ा
11	निदेशक	मुकेश पुत्र रघुपाल सिंह	ताजपुर	नहीं		निष्क्रिय
13	प्रभारी वेयरहाउ	हरपाल यादव पी.सी.एफ.	जो.पुरवा-सहार	नहीं	यदा-कदा आते हैं	अनियमित
14	कर्मचारी	नदारत	अज्ञात	नहीं	नदारत	नदारत
15	लेखपाल	चन्द्र प्रकाश	बिधूना	नहीं	अपने घर-तहसील तक	कार्यउपेक्षा
16	कोटेदार	वंशराज, मानसिंह	ताजपुर,डहरिया	नहीं	तथाकथित बी.डीसी.ताजपुर	अनियमित
17	बीडीसी.सदस्य	प्रेमलता पत्नी वंशराज	ताजपुर	नहीं	कोटेदार वंशराज की पत्नी	पति-हस्ता
18	ए.एन.एम.	मार्गश्री वर्मा	उम्मेदपुरवा	नहीं	आशा निवासतक सीमित	कार्यउपेक्षा
19	आशा	शकुन्तला,प्रभा,राजेशकुमारी	पुरवा,खरगपुर	नहीं	स्व लाभ तक सीमित	कार्यउपेक्षा
20	शिक्षामित्र	सीमा गौर, रंजना पाल	खरगपुर	नहीं	सीमा ससुराल चली गई	फर्जीबाड़ा
21	प्रेरक	नदारत	अज्ञात	नहीं	निरक्षरों को नहीं पढ़ाते	नदारत
22	आंगनवाडी-खरग	कार्य.मिथलेश, सहा.सुनीता	खरगपुर	नहीं	पत्रकार की पत्नी-भाभी	ब्लैक पंजीरी
23	आंगनवाडी-ताज.	कार्यकर्त्री-पूजा,सहा.सरला	ताजपुर	नहीं	सास-बहू(प्रधान की भौजी)	ब्लैक पंजीरी
25	शिक्ष.प्रा.पा.ताज	विनीता,उमा,सुनीता	बिधूना	नहीं	रसोइयासरोज,मीना पाल	छळळब्जा
25	अध्य.प्रा.पा.ताज	शाकीन, रुकशाना	ताजपुर	नहीं	बच्चे निजीस्कूल के छात्र	अमानक
26	शिक्ष.प्रा.पा.खरग	कृष्णा,आर्यन,सीमा,रंजना	बिधूना	नहीं	रसोइया शारदा, संतोषी	फर्जीबाड़ा
27	अध्य.प्रा.पा.खरग	रामबाबू बढई	खरगपुर	नहीं	वर्षों से बारंबार पदासीता	फर्जीबाड़ा
28	शिक्ष.प्रा.पा.डहा	शोभारानी	बिधूना	नहीं	रसोइया रमा,सुनीता पाल	अनियमित
29	अध्य.प्रा.पा.डहा	मुन्नी देवी पाल	डहारियापुर	नहीं	भवन-शिक्षण अव्यवस्थित	फर्जीबाड़ा
30	शिक्ष.उ.प्रा.पा.ख	राजनरायन,सुरुचि,अंकितमा	बिधूना	नहीं	रसोइया कमला, पुष्पा	फर्जीछात्र
31	अध्य.उ.प्रा.पा.ख	मुन्नी,राजेश व रुकसाना	खरगपुर-ताज	नहीं	रसोइया परिजन	अमानक
32	बी.डी.ओ.	सौरभ श्रीवास्तव	बिधूना-ब्लाक	नहीं	बिधूना-ब्लाक-मुख्यालय	
33	ब्लाक प्रमुख	राजेद्र शाक्य	बिधूना	नहीं	स्वलाभ तक सीमित	जन-उपेक्षा
34	तहसीलदार	राज कुमार चौधरी	स्थानान्तरित	नहीं	स्थानान्तरित	
35	जि.प.सदस्य	मंजू सेंगर पत्नी मानबेंद्र	लखनऊ	नहीं	ललितपुर जिलाधिकारी	जन-उपेक्षा
36	जि.प.अध्यक्ष	दीपू सिंह कुशवाह	औरैया	नहीं	B.J.P.राजनीतिक सदस्य	
37	विधायक	विनय शाक्य	भटौरा-बिधूना	नहीं	वर्षों से बीमार-विस्तर पर	जन-उपेक्षा

दरिद्र व्यक्तियों में आमतौर पर दो— दुर्गुण शराब पीना और जुआ खेलना हैं। इन दुर्गुणों का अनुचित लाभ उठाने से व्यापारी, धनी एवं नेता कभी नहीं चूकते हैं। यह लोग दरिद्रों को कार्य में जुटाकर अधिक लाभ कमाने के लिए शराब बाँटते हैं, शराब की दावते करते हैं, शराब के लिए पैसे और कर्जा बाँटते हैं और किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए शराब के नशे में चूर व्यक्ति से तरह-तरह के अपराध कराते हैं। यह लोग दरिद्रों से कोरे कागज पर अंगूठा लगवाकर उसके घर, मकान और जमीन हड़प लेते हैं। अधिकांश श्रमिक शराब पीकर घर आते हैं। अनेकों की सुबह शराब से ही शुरू होती है। अधिकांश शराबी अपनी कमाई शराब में उड़ाते हैं। पत्नी से शराब के लिए पैसे माँगते हैं। पत्नी बेचारी कहाँ से दे? पत्नी घर चलाने के लिए जीवन-संघर्ष करती है। पैसे न मिलने पर शराबी पत्नी से मारपीट कर उसके जेबर और बर्तन बेंचकर शराब में उड़ा देते हैं। बेचारी पत्नी तंग आकर या तो घर छोड़कर चली जाती है या आत्महत्या कर लेती है। माँ के अभाव में बच्चे अनाथ जीवन जीने को मजबूर होकर दर-दर भटकते हैं। शराबियों की वृद्धि में ठेके विशेष योगदान कर रहे हैं।

विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षामित्र, प्रेरक, कार्यकर्त्री, सहायिका, अनुदेशक, कोआर्डिनेटर, शिक्षाधिकारी, रसोइया, सेवक, लिपिक कार्यरत हैं। जिनके वेतन-भत्तों तथा छात्रों के लिए मिड-डे-मील, दूध, फल, बस्तों, ड्रेसों आदि पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय होता है। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में पढ़ाई न होने से कोई भी जागरूक अपने प्रतिपाल्य को इन स्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं है। प्राथमिक स्कूलों में छात्रों का पूर्णतया अभाव है। परिषदीय स्कूलों में जो छात्र पंजीकृत हैं उनमें अधिकांश या तो निजी स्कूलों के छात्र हैं या पूर्णतया निरक्षर हैं। इनमें कार्यरत अधिकांश रसोइयों एवं पंजीकृत छात्रों के अभिभावकों में अधिकांश की निरक्षरता और अशिक्षा साक्षरता की वास्तविकता उजागर करती है।

ऑगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन परिषदीय स्कूलों में हो रहा है। इन केन्द्रों पर कार्यरत अधिकांश कार्यकर्त्रियाँ-सहायिकाएँ कोटेदारों, अधिकारियों, कर्मियों एवं धनी परिवारों से हैं और वे ड्यूटी पर नहीं जाती हैं। उनकी जगह सहायिकाएँ उपस्थित खानापूर्ति करती हैं। फर्जी छात्रों का पंजीकरण, बच्चों-स्त्रियों को आहार-पुष्टाहार वितरण पूर्णतया फर्जी हो रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पौढ़ शिक्षा के केन्द्र परिषदीय स्कूलों में चल रहे हैं। इन सभी केंद्रों पर दो प्रेरक कार्यरत हैं। जिनमें अनेक रहीस व्यक्तित्व हैं जो निरक्षरों को न तो पढ़ाते हैं और न ही निरक्षरों को साक्षर बनाते हैं। साक्षरता परीक्षा फर्जी कराते हैं।

पब्लिक स्कूलों में अध्ययनरत अधिकांश छात्र परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत हैं और उनके माता-पिता सरकारी योजना का लाभ जैसे समाजवादी, विधवा, बिकलांग पेंशन सहित दरिद्र कल्याण हेतु बनी योजनाओं का लाभ लेकर सरकारी स्कूलों में नौकरी-अध्यक्षता कर रहे हैं। निजी स्कूलों के छात्र सम्बन्धित विचारणीय तथ्य यह है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा पूर्ण होने के बावजूद जब छात्रों को निरक्षर होना पड़ रहा है तो उन्हें पुनः पब्लिक स्कूलों में पढ़ना पड़ रहा है और बड़ी उम्र में भी वह निम्न शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

ग्राम प्रधानों में लगभग 60% प्रधान और इतने ही कोटेदार सम्बन्धित ग्रामों के निवासी नहीं हैं। यह नगर निवासी हैं। इनके आश्रितों सहित इनकी रोटी-चौका घरेलू गतिविधियाँ नगर तक सीमित होने के बावजूद गाँव के फर्जी वोटर बने हैं जिसके आधार पर फर्जी प्रमाण-पत्र व धन एवं संगठित अपराधियों के प्रभाव से ग्राम प्रधान पद हथियाकर विकास की योजनाओं का धन हड़प रहे हैं। इनके द्वारा न तो खुली बैठकें करायी जाती हैं और न ही खुली बैठक-प्रस्ताव होते हैं। कोटा-राशन ब्लैक कर दिया जाता है तथा कोटेदार एवं सरकारी कर्मी इनसे मिलकर दलाली हिस्सा तक सीमित हैं। इस तरह फर्जी दरिद्र सुख में व वास्तविक दरिद्र कल्याण लाभ विहीनता या मानक उपेक्षा के कारण बुरी तरह दरिद्रता ग्रसित हैं।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा असहाय-दरिद्रों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के अन्तर्गत दरिद्रों के लिए राशन, आवास, शौचालय, छात्रवृत्तियाँ, बीमा, अनुदान, निःशुल्क शिक्षा एवं इलाज, ब्याज छूट ऋण, कृषि अनुदान, निःशुल्क बोरिंग, हैण्डपम्प, पशु-चारा अनुदान, वृद्धा-विधवा-समाजवादी-विकलांग पेंशन, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, प्राथमिक छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें, ड्रेस, मध्याह्न भोजन, दूध, फल, शिक्षक, 0-6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक भोजन, दूध, खिलौने, स्वास्थ्य जाँच, स्कूल पूर्व की शिक्षा एवं महिलाओं के मातृत्व धारण करने के उपरान्त पैष्टिक भोजन, दूध, फल, स्वास्थ्य जाँच-चिकित्सा व गर्भवती को किशतों में 6000 रुपए मुहैया करा रही है। जिसका दुर्पयोग और बन्दर-बाँट हो रहा है।

दरिद्रों को पंजीकृत कर जिनको इन्दिरा-लोहिया-कांशीराम आवास, शौचालय, विधवा-वृद्धावस्था-बिकलांग पेंशन एवं अन्त्योदय-बी.पी.एल.राशन लाभ दिया जा रहा है। यह सभी अन्त्योदय कार्ड धारी एवं अधिकांश बी.पी.एल.पात्रता वाले अपात्र हैं जिनमें अधिकांश व्यक्ति-परिवारों के पास बड़े लेण्टर मकान, शहरों में हवेलियाँ, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेक्टर, थ्रेसर, ट्रैक्टर, फ्रिज, कूलर, रंगीन डिस टी.वी., कम्प्यूटर्स, गैस कनेक्शन, ट्रक, दूकान, धन्धे, उद्योग, व्यापार, नौकरी, भूमि, प्लाट्स, मिल, प्रतिष्ठान, पैतृक धन-सम्पत्ति आदि का स्वामित्व एवं सक्षम व्यक्ति-परिवार वाले हैं। अधिकांश **असहाय विधवा-वृद्धा पेंशनर्स** के लड़के-लड़की शादी-शुदा एवं स्वयं **सम्पन्न व्यक्ति-परिवार** हैं। अनेक बिकलांग पेंशनर्स ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से पूर्ण सक्षम या चोट लगने से शारीरिक अंगों में मामूली कमी (40% से कम) एवं पर्याप्त आय के बावजूद **पेंशन** धारक हैं और अनेक व्यक्ति अनेक पेंशनर्स बने हैं। इस प्रकार दरिद्रों के लिए बनी कल्याण योजनाओं का लाभ दरिद्रों के स्थान पर फर्जी दरिद्र (रहीस) ले रहे हैं।

फर्जी दरिद्रों द्वारा बड़ी मात्रा में दरिद्रों का गेहूँ, चावल, तेल, चीनी, इंदिरा-लोहिया कांशीराम आवास, जमीन-प्लाट पट्टा, उद्योग, बीमा, दान-अनुदान एवं राष्ट्रीय सम्मान हड़पकर गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ की जा रही हैं। नेताओं के परिजन सगे-सम्बन्धी और वेतन-भोगी अपनी पहुँच और विज्ञापन के प्रभाव में राष्ट्रीय एवं राजकीय पदक पाने में फर्जीबाड़ा कर सफल हो रहे हैं। सांसद-विधायक विकास निधियाँ एवं हैंडपम्प सार्वजनिक स्थलों के स्थान रहीसों के प्राइवेट स्कूलों, आवासों, प्लाटों, प्रतिष्ठानों में लगाए जा रहे हैं। सरकारी आवास, मार्ग, शौचालय निर्माण में घटिया ईंट लगाई गई है। अधिकांश शौचालय छतहीन हैं। सरकारी राशन दूकानें दबंगों के पास विरासत रूप में संचालित होकर एक-दो दिन मासिक खुलकर कुछ लोगों को राशन देकर खानापूर्ति कर रही है तथा राशन-तेल

बाजार में खुले आम ब्लैक में बिक रहा है। ग्राम सचिवालय, सहकारी संघ गोदामों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर रहीसों ने ताले डालकर अवैध कब्जे कर लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकांश केंद्र-उपकेंद्रों पर चिकित्सक की जगह फार्मासिस्ट, नर्स, आशा, चपरासी, सफाईकर्मी मरीजों का इलाज कर दवाएँ बाँट रहे हैं और चिकित्सक यदाकदा स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर फर्जीबाड़ा कर रहे हैं। अधिकांश ग्रामों के सफाई कर्मी उच्च जाति-वर्ग के हैं जो बाल्मीक जाति के दरिद्रों को 100-200 रुपए दिहाड़ी मजदूरी देकर यदा-कदा सफाई करा देते हैं तथा वेतन का कुछ हिस्सा प्रधानों एवं ए.डी.ओ. लेकर इनकी फर्जी हाजिरी प्रमाणित कर बिना काम वेतन भुगतान करा रहे हैं।

नेतृत्व के लिए लोग तरह-तरह का दिखावा करते हैं। कोई अपने को समाजसेवी कहता है, कोई पर्चा-बैनर छपवाता है, कोई रैली-मंचों पर चढ़कर दहाड़ता है, कोई जनता के चरणों पर अपना सिर रखकर समर्थन की भीख माँगता है, कोई गरीबों के घर में घुस कर नमक-रोटी माँग कर खाता है और दरिद्र बच्चों को गोद में लेकर दुलारने लगता है। परन्तु ऐसा करने वाले लोग वास्तव में सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं रखने वाले लोग होते हैं और न ही अपने से अधिक अन्य का आदर बर्दास्त कर सकते हैं, बल्कि जनसेवा की दुहाई देकर एवं अपनी नेम-प्लेट्स में जन सेवक शब्द लिखकर एवं पार्टी झंडा-बैनर लगाकर लग्जरी गाड़ियों में बैठ पुलिस-अधिकारियों पर जबरदस्त दबाव बनाकर सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का धन हड़प बन्दर-बॉट एवं तस्करी व्यापार संचालित करते हैं। इनकी वास्तविक आय के स्रोत अति दयनीय होने के बावजूद इनके पास अकूत धन-सम्पदा पाई जाती है। चुनाव काल में अपनी काली कमाई का कालाधन चुनाव में वोट खरीदने के लिए प्रयोग करते हैं। चुनाव एजेण्ट एवं जाति विशेष के लोगों को शराब, खाना, उपहार, धन बाँटते हैं, तरह-तरह के प्रलोभन, वादे एवं घोषणाएँ करते हैं। खूंखार डकैतों और माफियाओं को धन देकर विवादित लोगों के बीच संगीन घटनाओं को अंजाम देकर, विवादित लोगों को फसाते हैं। बिरादरी को भड़काकर जलूस निकालकर दबाव बनाते हैं और संप्रदायिकता की समस्या उत्पन्न करके आपसी भाईचारा समाप्त कर देते हैं। चुनाव में खाना पैकट, धन, दहशत के प्रभाव से तथा रिश्तेदार एवं भाड़े के अपराधियों को एकत्रित कर फर्जी मतदान कराते हैं।

चुनाव परिणाम के उपरान्त असफल प्रत्याशी अगले चुनाव तक क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं। चुनाव में सफल व्यक्ति राजधानी व नगरों में मकान खरीदते हैं और जब सरकारी योजनाओं का धन क्षेत्र को आवंटित होता है तो उस धन का बन्दर-बॉट करने, कागजी खानापूर्ति एवं अपने लोगों में प्रभाव बनाए रखने के उद्देश्य से यदा-कदा क्षेत्र में घूमाते हैं। इन प्रवासों में अपने विरोधियों को लड़वाने-लुटवाने का षड़यंत्र रचते हैं एवं पुलिस दलाली कर जबरदस्त अवैध धन उगाही करते हैं। सदन में दबाव बनाकर अपना मोलभाव कर पद एवं सुख-सुविधाएँ प्राप्त करते हैं। व्यापारियों एवं पेशेवर अपराधियों को सुरक्षा गारण्टी का अश्वासन देकर उनसे मोटी रकम एवं सुविधाएँ वसूलते हैं।

आपराधिक घटनाओं का अवलोकन करने पर पता चलता है कि अधिकांश घटनाएँ क्षेत्रों की राजनीति से जुड़े दबंगों और संगठित अपराधियों द्वारा घटित की जाती हैं। यह संगठित अपराधी पुलिस और प्रशासन से सांठ-गांठ कर योजनाबद्ध ढंग से घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इन आपराधिक घटनाओं में उन्हीं लोगों को शिकार बनाया जाता है जो सीधे और सरल स्वभाव के बाल, वृद्ध, गृहस्थ नर-नारी होते हैं। इन व्यक्तियों पर डाकू, लुटेरे, ठग और उनके गुर्गे तरह-तरह के प्रपंचों से अपना प्रभाव जमाते हैं। समाज के हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। व्यक्तियों की निकटता पाकर उनके परिवार की जासूसी करते हैं। परिजनों को नगरों की सैर और तीर्थ-भ्रमण कराते हैं। परिवार में विवाद कराकर उनके आपसी सम्बन्ध विच्छेद कराते हैं। उनकी सम्पत्ति को विवादित कराकर अपने संरक्षण में लेने की कानूनी प्रक्रिया सम्पन्न कराते हैं। राजनेताओं, अधिकारियों तथा कुख्यात लोगों के संपर्क से भय और दहशत उत्पन्न कर लोगों के मन-मस्तिष्क पर अपना जबरदस्त प्रभाव बनाते हैं। इस प्रकार लोगों की अपने ऊपर पूर्ण निर्भरता और मानसिक दासता पाकर उनकी सम्पूर्ण धन-सम्पत्ति का हरण कर लेते हैं। घटनाओं की चर्चा या विरोध या मुकदमा करने वाले व्यक्तियों का दबंग-अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। उनकी माँ, बहिन, बेटी और पत्नी को अपनी हवस का शिकार बनाकर धन-सम्पत्ति लूट ली जाती है। वादी के सहयोगी और गवाहों की हत्या कर दी जाती है। घटित हो रही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौका बारदात जाने से बचती है। डाकू-लुटेरे घटना को अंजाम देने के बाद गाँव-नगर के बाहर जाकर 'इधर गए, उधर गए' कहकर शोर मचाते हैं। जिससे लोग एकत्रित होते हैं और बदमाशों की खोज का नाटक होता है। पुलिस के समक्ष पीड़ित पक्ष के आक्रोश पर पुलिस के लोग ऊल-जलूल तर्क देकर निर्धारित पुलिस कार्यवाही की उपेक्षा कर अपराधियों को बचाने का प्रयास करते हैं। अधिकारियों और न्यायालय के आदेशों पर कानूनी कार्यवाही उपरान्त मामलों में 'एफ.आर.' लगाकर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। यदि पीड़ित की ओर से कोई मुकदमा पैरवी की जाती है तो संगठित दबंग अपराधी और पुलिस के लोग बौखलाकर वादी को धमकाकर-मारपीट तथा अमानुषिक उत्पीड़न कर फर्जी मामलों में फंसाकर जेल में डेलवा देते हैं। न्यायालय सुनवाई के दौरान अपराध स्वीकार कराने हेतु दबाव डाला जाता है तथा अपराध स्वीकार न करने पर झूठी गवाही देकर सजा करवा दी जाती है।

जब पीड़ित पक्ष अपनी बात अदालत में प्रस्तुत करता है तो न्यायालय में जिस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही होती है वह किसी भी प्रकार 'नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त' के अनुरूप नहीं होती है। अदालत में बैठे पेशकार एवं पैरोकार पक्षकारों से अदालत में ही धन लेकर तारीख पर तारीख लगाते रहते हैं। यदि पक्षकार पैसा देने से बचता है तो पूरे दिन न्यायालय के बाहर बैठाकर देर शाम बिना उचित कारण मामले में 'स्थगन' देकर तारीख लगा दी जाती है या पक्षकार को अनुपस्थिति दिखाकर बारण्ट जारी करवा दिया जाता है और अभियुक्त बनाकर जेल में डाल दिया जाता है।

सार्वजनिक एवं संवैधानिक पदों पर वी.आई.पी.के सगे-सम्बन्धियों व आपसी हितबद्ध लोगों को पदासीन किया जा रहा है। जिससे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों के प्रमुखों और नौकरशाहों को सार्वजनिक एवं संवैधानिक पदों पर कार्य करने के लिए अपने परिजनों, सगे-सम्बन्धियों एवं गुगों के अतिरिक्त सभी भारतीय सामान्यजन पूर्णतया अयोग्य हैं। राजनीतिज्ञों की स्वार्थता-धृतराष्ट्रता के कारण अनेक पदों पर उनके सगे-सम्बन्धी मात्र ही पात्र बनकर पदासीन हो रहे हैं। ऐसी पदासीनता का प्रस्ताव व समर्थन ठीक उसी तरह दिख रहा है जैसे किसी किन्नर नरेश के बंदीजनों के द्वारा किया जाने वाला गुणगान।

विकास के लिए पंच-वर्षीय योजनाएँ संचालित हैं। जिनके क्रियान्वयन एवं नियमित निगरानी हेतु स्तरीय अधिकारियों-कर्मचारियों के पद-उत्तरदायित्व निर्धारित है। कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की पात्रता एवं आवेदन की स्वीकृत एवं धन आवंटन की औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित है। इसके बावजूद दरिद्रों की उपेक्षा एवं रहीसों को दरिद्र योजनाओं के लाभ का आबंटन-समर्थन व रहीस-लुटेरों का फर्जीबाड़ा संगठित संगीन अपराध हो रहा है।

सुझाव

1. बाहरी निवासियों के वोट-पदासीनता निरस्त होने चाहिए एवं पंचायत बैठकें नियमित होनी चाहिए
2. सरकारी योजनाओं का लाभ आवंटन में क्रय-बिक्रय, रिश्वत, धनी-अपात्र चयन बन्द होना चाहिए।
3. निर्वाचित स्त्रियों के स्थान पर पति-पुत्र द्वारा जारी पदासीनता, फर्जीबाड़े, वसूली बंद होनी चाहिए
4. पर्वों पर बधाई-शुभकामनाएँ विज्ञापनों पर सरकारी धन के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना चाहिए।
5. नेता-अधिकारी-कर्मचारी फोटो वाले समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों पर अंकुश लगाना चाहिए
6. मार्ग-बस्ती में लगे सरकारी नलों में समरसेबिल डालकर हुए अतिक्रमण पर अंकुश लगाना चाहिए
7. दरिद्रों के आवासों में स्वच्छ पेयजल सहायता आसानी से नियमित उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
8. कृषकों को कृषि साधनों सहित प्रत्येक खेत पर आसानी से पहुँचने हेतु रास्ते उपलब्ध होने चाहिए
9. ग्रामों के चकरोड-रास्ते-तालाबों-चरागाहों-स्कूलों-भवनों पर अवैध कब्जे-पट्टे तत्काल हटने चाहिए
10. बस्तियों के निकट कूड़े-ढेर हटवा कर सफाईकर्मियों से नियमित सफाई कराई जानी चाहिए।
11. आवारा-जंगली जानवरों से जारी फसल व जन-जीवन क्षति पर जबाबदेह अंकुश लगाना चाहिए
12. दरिद्रों के परिवारों का भोजन बनाने के लिए निकृष्ट ईंधन का प्रयोग होता है जबकि दरिद्रों के लिए बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर फर्जी गरीबों को बांटे गए हैं, फर्जी आवंटन निरस्त होने चाहिए
13. दरिद्रों के पास मोटर चलित वाहन नहीं है एवं साइकिल, रेडियो, फ्रिज, कम्प्यूटर, मोबाइल एवं टी.वी. में से ज्यादा-से-ज्यादा केवल एक सुविधा है, आवश्यक वस्तुएँ होनी चाहिए।
14. दरिद्र आवासों की स्थिति अच्छी नहीं है। उनके निवास स्वच्छ हवादार भवन में नहीं है और न ही रहने हेतु स्वच्छ वातावरण युक्त भवन है। यह गन्दे वातावरण में झोपड़ी या गंदे नालों या सड़क फुटपाथ पर प्लास्टिक तान कर रह रहे हैं। आवास आवंटन घपले की जाँच आवश्यक है।
15. दरिद्र एवं उनके प्रतिपाल्य उपयुक्त आवासों में रहने से वंचित हैं। इनको आवास मिलने चाहिए।
16. दरिद्र और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जाँच-चिकित्सा नियमित होनी चाहिए।
17. समाज में 53.8% दरिद्र एवं 37.2% उनके आश्रित रोगी-कुपोषित हैं और कुल 41.9% दरिद्र एवं 49% दरिद्रों के बच्चों का स्वास्थ्य कमजोर है। जिनका संरक्षण जबाबदेह होना चाहिए।
18. दरिद्रता उन्मूलन सम्बन्धी कल्याणकारी सरकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी दरिद्रों तक पहुँचाने वाले उपलब्ध स्रोत न ही दरिद्रों की मदद कर रहे हैं और न ही दरिद्रता उन्मूलन दायित्वों का निर्वाहन कर रहे हैं जिससे दरिद्रता उन्मूलन हेतु उपलब्ध स्रोत व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं, गम्भीर एवं विचारणीय तथ्य है। अनावश्यक व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए।
19. बालश्रम, जातिवाद, बाल-विवाह, आत्महत्या, मादक द्रव्य सेवन, वैश्यावृत्ति, अस्पृश्यता, सामाजिक विद्रोह, चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, शोषण पर जबाबदेह अंकुश लगाना चाहिए।
20. सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में दरिद्र उपेक्षा पर अंकुश लगाना चाहिए
21. दरिद्र कल्याण योजनाओं के लाभ से वंचित दरिद्रों को सरकारी योजना लाभ मिलना चाहिए।
22. दरिद्र परिवार भोजन-शिक्षा अभाव, गंदगी, अशुद्ध जल से प्रभावित रहता है। सुधार होना चाहिए।
23. दरिद्रों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ दरिद्रों को न मिल पाने का कारण दरिद्रता, अशिक्षा, फर्जीबाड़ा, रिश्वत भ्रष्टाचार है। जिनका उन्मूलन एवं दोषी दंडित होने चाहिए।
24. केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त एडिड-अनएडिड, पब्लिक विद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं तथा शिक्षणहीन एवं परीक्षा में नकल वाले स्कूल तत्काल बंद होने चाहिए।
25. मानकविहीन शिक्षण-प्रशिक्षण ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। नकल, ट्यूशन, डिग्री व्यापार से शिक्षा प्रदूषित हो रही है। शिक्षा के मानकीय प्रावधानों का अनुपालन होना चाहिए।
26. गाँव-बस्ती के उद्योग-भट्टों द्वारा जारी अमानक भू-खदान एवं उनके श्रमिक परिवारों से कराए जा रहे पशु तुल्य कार्यों एवं श्रमिक प्रतिपाल्यों की अशिक्षा-कुपोषणता पर अंकुश लगाना चाहिए।



लेखक—परिचय

डॉ.नीतू सिंह तोमर, एम.ए.,पी-एच. डी. एवं पी.डी.एफ.समाजशास्त्र

पोस्ट डॉक्टरल: असिस्टेंट प्रोफेसर केंद्र, पी.डी.एफ.विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली

निवास—पता: ताजपुर, पत्रालय—बिधूना, जनपद औरैया, उत्तर—प्रदेश—2016243, मो.9455709093

अनुभव: असिस्टेंट प्रोफेसर केंद्र पोस्ट डाक्टरल फेलो यू.जी.सी.समाजशास्त्र, अवधि 3 वर्ष

शिक्षण अनुभव: यू.जी.सी.—केन सोसाइटी नेहरू पी.जी. कालेज हरदोई बी.ए. एवं एम.ए., समाजशास्त्र

शोध: (1) “हिन्दू एवं मुस्लिम समुदायों के उत्सवों एवं त्यौहारों का तुलनात्मक अध्ययन”
(2) “दरिद्र व्यक्तियों की समस्याएँ

फील्ड वर्क: फर्रुखाबाद जनपद के 7 ब्लकों की 513 में से 317 ग्रामसभाओं एवं 6 नगरों के 117 वार्ड के अन्त्योदय, बी.पी.एल., ए.पी.एल. कार्ड, बी.पी.एल. तथा विकलांग, विधवा, वृद्धा, समाजवादी पेंशन धारकों की स्थिति देख कर वार्ता की और समस्याएँ संग्रहित की।

प्रकाशित शोध—पत्र विवरण : यू.जी.सी. अप्रूव्ड नेशनल—इंटरनेशनल जर्नल

क्र	लेख/शोध—पत्र का विषय	जर्नल का नाम	वर्ष	वैल्यू	इश्यू	पेज
1	हिन्दू एवं मुस्लिम समुदायों के उत्सवों एवं त्यौहारों का तुलनात्मक अध्ययन	ANVESHKA:Journal of Education & Humanities	2012	10	1	61
2	उत्सव एवं त्यौहारों के उद्देश्य एवं	एजर्नल ऑफ सोशल फोकस	2013	5—7	1	100
3	समूहिक स्नानों से प्रभावित जल की गुणवत्ता : एक अध्ययन	राधाकमल मुकर्जी : चिंतन परम्परा, नेशनल रिवरजर्नल	2014	7	1	102
4	दरिद्रता और कुपोषण	International Journal of Management, Sociology & Humanities (IRJMSH)	2015	6	4	75
5	दरिद्रता कुचक्र और अर्थव्यवस्था	International Journal of Management, Sociology & Humanities (IRJMSH)	2015	6	8	86
6	खाद्य अधिकार की सुरक्षा और वितरण प्रणाली	International Journal of management, sociology & humanities (irjms)	2016	7	4	135
7	अपराध विकास और सत्यानाश	International Journal of Management, Sociology & Humanities (IRJMSH)	2016	7	7	230
8	Climate Change and its Implication on crop Production & Food Security	Indian Journal of Agriculture and Allied Science (JAAS)	2016	2	4	2
9	श्रीमती इंदिरा गांधी की राजनीतिक उपलब्धियाँ	MUMUKSHU (International Journal)	2016	8	1	19
10	फर्रुखाबाद के काशीराम शहरी गरीब आवासों पर अवैध कब्जों का विवेचन	International Journal of Management, Sociology & Humanities (IRJMSH)	2016	7	112	216
11	फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याएँ	National Journal of Multidisciplinary Research & Development (NJMRD)	2017	2	2	744
12	Climate Change & Environmental Issues in India	Kaav International Journal of Social Science & Technology (KIJSET)	2017	Sept	4	50
13	पर्यटन, व्यवसायवाद एवं मानव प्रसन्नता: चुनौतियाँ एवं अवसर	MUMUKSHU (International Journal)	2017	9	1	490
14	फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की शैक्षिकता का अध्ययन	National Journal of Multidisciplinary Research & Development (NJMRD)	2017	2	3	214

प्रकाशित पुस्तक एवं बुक चैप्टर का विवरण

क्र	पुस्तक/बुक चैप्टर का विषय	पुस्तक—पत्रिका का नाम	वर्ष	संपादक	वैल्यू	पेज
1	पुस्तक हिन्दू एवं मुस्लिम समुदायों के उत्सवों एवं त्यौहारों का तुलनात्मक अध्ययन	हिन्दू एवं मुस्लिम समुदायों के उत्सवों एवं त्यौहारों का तुलनात्मक अध्ययन	2014	डॉ. नीतू सिंह तोमर	1	1 से 401
2	बुक चैप्टर डॉ. अंबेडकर के व्यक्तित्व की छाप और दलितोद्धार	डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों की वर्तमान प्रसंगिकता	2015	डॉ. विश्राम सिंह	1	164-171
3	बु. चैप्टर उच्च शिक्षा: विद्या विधान और संस्थान फर्रु. की शिक्षा का वर्तमान स्वरूप	भारत में उच्च शिक्षा : दशा एवं चुनौतियाँ	2016	डॉ. उमेश शाक्य	1	86—92
4	बुक चैप्टर मानवीय मूल्यों का नैतिक महत्व: एक विवेचन	PROMOTION of ETHICS & HUMAN VALUES	2016	डॉ. मो. तैय्यब	1	56 से 62
5	बुक चैप्टर भारत में आतंकवाद	Int. Semi ITTEHW	2017	डॉ. ए. अग्र.	1	744
6	बुक: भारतीय समाज की समस्याएँ	भारतीय समाज की समस्याएँ	2019	डॉ. नीतू सिंह		

प्रकाशक: अकिनिक प्रकाशन, सेक्टर—3, रोहिनी, दिल्ली—110085

संकट प्रदाता और जनता

डॉ. नीतू सिंह तोमर

एम.ए., पी-एच. डी. एवं पी.डी.एफ. यू.जी.सी. दिल्ली



जनता के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाएँ एवं साधन स्वार्थी, विध्वंशक, नाशक, धनी, ठगों व संगठित अपराधियों की सुख-सुविधाओं एवं आय के साधन बन गए हैं। इस सम्बन्ध में निरीक्षण तथ्य यह बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दुःखी, वृद्ध, बीमारी ग्रसित जनों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और यदि कोई ऐसे लोगों की सहायता करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं।

आजादी के 70 वर्षों बाद भी देश में रोजी, रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लूट, डकैती, हत्या, रिश्वत, भ्रष्टाचार, घोटाला, शोषण, आतंक, मिलावट आदि गम्भीर समस्याएँ बनी हुई हैं। कोई राष्ट्र तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके इतने अधिक नागरिकों का जीवन रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित हो, जीवन सम्भावना कुपोषणग्रस्त हो, कम शिक्षा अवसरों तक सीमित हो, सामाजिक भेद-भाव किया जाता हो और विद्यार्थी सूर्योदय-सूर्यास्त दिशा से अज्ञान हों। आज जनता को न तो जीवन की मूलभूत वस्तुओं की प्राप्ति हो पा रही है और न ही शिक्षा के पर्याप्त अवसर सुलभ हो रहे हैं और न ही उन्हें सामाजिक, आर्थिक विकास की विविध गतिविधियों में भागीदारी का अवसर मिल रहा है। जीवन की गुणवत्ता एवं जीवन शैली में सुधार लाने वाले विकास कार्यक्रमों का लाभ पाने से दरिद्र वंचित हो रहे हैं। दरिद्रता, रोग, भुखमरी, कुपोषण, निरक्षरता समस्याएँ गम्भीर रूप धारण कर रही हैं। स्फीतकारी प्रवृत्तियों, व्यापक भ्रष्टाचार तथा घोटालों को रोक पाने की असमर्थता से जनता में व्यापक रोष है।



Published by
AkiNik Publications,
169, C-11, Sector - 3, Rohini,
Delhi - 110085, India
Toll Free (India): 18001234070